बिहार बढ़कर रहेगा

डॉ. जगन्नाथ मिश्र

ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन संस्थान,
मुजफ्फरपुर-842001

ISBN : 978-81-92984-01-8

© लेखक : **डॉ0 जगन्नाथ मिश्र**

प्रकाशक : **ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन संस्थान,**
मुजफ्फरपुर- 842001 (बिहार)
दूरभाष - 0621-2255905

सर्वाधिकार : **डॉ0 जगन्नाथ मिश्र**
संस्करण : 2018
मूल्य : 1000/-

मुद्रक : **समीक्षा प्रकाशन**
जे.के. मार्केट, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर (बिहार) 842001
फोन : 09334279957, 09905292801
E-mail : samikshaprakashan@yahoo.com
www.samikshaprakashan.blogspot.com
samikshaprakashan.in

Bihar Badhkar Rahega
by : Dr. Jagannath Mishra ***Rs. 1000/-***

समर्पण

स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्।
परिवर्त्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते॥

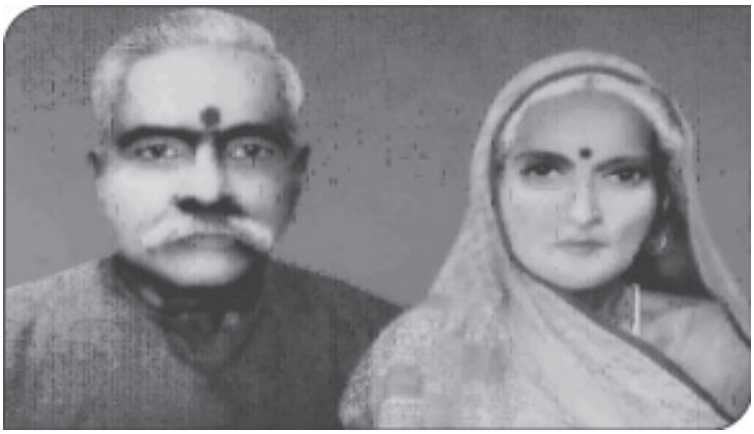

पूज्य पिताश्री पं. रविनन्दन मिश्र एवं माता श्रीमती यमुना देवी

अग्रज पं. ललित नारायण मिश्र
(पूर्व रेलमंत्री भारत सरकार)

"कीर्तिर्यस्य स जीवति"

परम पूजनीय ममतामयी माता श्रीमती यमुना देवी, आदरणीय पिता पं. रविनन्दन मिश्र एवं अग्रज पं. ललित नारायण मिश्र के दिव्य चरणों में सादर समर्पित।

स्नेह-स्मरण

मेरी सहधर्मिणी - स्व. वीणा मिश्र

... भारतीय संविधान के प्रावधानों में स्त्री-पुरुष के समानता संबंधी अनेक प्रावधान हैं। परन्तु, महिलाओं की आधी आबादी रहने के बावजूद इनकी उपस्थिति लोक-सभा और विधान-सभा में जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। स्त्रियाँ संसार ,देश और समाज की आस्था की धुरी हैं। घरों में धार्मिक कार्य की जिम्मेवारी स्त्रियों की ही होती है। यह पूरी पृथ्वी माता है। यह पृथ्वी यहाँ के सब कुछ की माँ है। स्त्री जीवन का विश्वास और धर्म भी होती है। वह समाज धर्मपरायण रहेगा, सत्य पर चलेगा, जहाँ स्त्रियों का सम्मान रहेगा। भय और आशा के बीच जीवंतता सदैव विश्वास ही है। प्रकृति की अनंत विस्तृत दुनिया में स्त्री आस्था और श्रद्धा का दीप जलाकर घर-आंगन को जगमग करती रहती है। अपनी जीवन-संध्या में ऐसे अनन्त दीप जगमग होते मैं देख पा रही हूँ।.....

.....वीणा मिश्र

Pranab Mukherjee

सत्यमेव जयते

FOREWORD

I am very happy to have an occasion to write something about the book **"Bihar Barhkar Rahega"** written by Dr. Jagannath Mishra; former Chief Minister of Bihar and former Cabinet Minister of the Govt. of India. I feel it deeply that I have been knowing him personally and intimately for long as a prolific writer, an erudite scholar, a Professor of Economics, a political leader and administrator and also as a great public figure. He has been continuously rendering tangent services to people across the cross-sections of our society. Under his able guidance a good number of research scholars also received Ph.D. degrees.

Like his previously published books this one too comprises various thoughts, ideas, guidelines, inspirational values for the readers of many different realms of interests of study like Political Science, Sociology, Economics, History, Psychology etc.

The book **"Bihar Barhkar Rahega"** contains important articles which focus on the acute problems causing sufferings to

people of Bihar. For example the essays releated to economic backwardness, land reforms, reservation, havoc created by Koshi river etc. call for special attention of the readers; there are also other acute problems treated Scholarly and analytically and these require serious attention of one and all, specially the attention of the govt. concerned. This goes without saying that this book will serve not only as a guideline for solving the problems of the state of Bihar but also as an important historical record for reference while considering the allround development of Bihar.

For such a dawn-to-dusk engaged leader like Dr. Mishra it seems to be really a rare case of becoming a writer of his (Dr. Mishra's) profundity and eminence; yet because of my own acquaintance with him I am overjoyed rather than surprised while expressing my views about also his present work. It is a matter of much more importance that his books, one and all, are directed towards profusely strengthening our Democracy, national unity, Economic policies, social equality, good Governance, fraternity and spirit of co-operation among people of India in general and among all with academic interest in particular. For example, his book namely **"Bihar Barhkar Rahega"**, is virtually an authentic research work of his continous tenacity and struggle for the allround development of Bihar. In the same vein in his other books also Dr. Mishra has clearly expressed his own social, political experiences along with the real problems causing sufferings to people with a view to bringing about a better change in their life. He has taken into account also some of the important national issues pertaining to agriculture, forestry, economic policy and the like. The regional imbalances originating from the utter lack of the wholesome purview of national development in its entirety have also been mentionrd in his writings.

What is far more important is that Dr. Mishra has used a keenly analytical approach to the problems of almost all sorts in his books. Even the undesirable changes in the values of political and public life have been expressed in the right context with courage and confidence by him. Unethical or substandard political

activities have been hard-hit and drastically exposed, wherever needed: Dr. Mishra's intention to see politics as a means of serving our nation and people is pervasive and self-evident.

In this book the acute problems faced by the people of Bihar have been treated in a way of solving them at different levels of Govt. society, N.G.Os etc. This goes without saying that Democratic India rightly needs a book like this, because through his book Dr. Mishra has attracted the attention of say all of such persons and institutions who are replete with keen desire to serve our country and countrymen. It is but natural that Dr. Mishra whose home State is Bihar, has raised issues related mainly to his State, but a close study of the book widens the range of its readership covering the whole of India because of the writer's vision, contemplation and sympathetic attitude towards people of the whole of our country.

His (Dr. Mishra's) language and lucid style matching with each other have added to his felicity of expression and increased the value of the contents of this book. I am sure, the book will always find a good number of readers in our progressive country. It is expected that Dr. Mishra will continue to provide us all with his many other scholarly books in times to come.

I express my best wishes for Dr. Mishra's emergence as a great worker and leader of our country.

PRANAB MUKHERJEE

प्रधान मंत्री
Prime Minister

नई दिल्ली
13 जुलाई, 2017

डॉ. मिश्र जी,

आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में व्यक्त समीक्षात्मक विचारों को पढ़कर प्रसन्नता हुई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपने पत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिखा है। आपके उत्साहवर्धक शब्द मुझे और पूरी सरकार को ऊर्जा प्रदान करेंगे। मुझे खुशी है कि आपने विमुद्रीकरण के विभिन्न पहलुओं, इस मुद्दे पर आम जनता की भावनाओं और भारत के भविष्य पर इसके प्रभावों का व्यापक विश्लेषण किया है।

आपने सरकार की पारदर्शिता की प्रशंसा भी की है। निश्चित तौर पर पारदर्शिता और जनभागीदारी इस सरकार की प्राथमिकता है। पत्र में आपने कई मुद्दों पर सुझाव भी दिये हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी सरकार इन पर अवश्य गौर करेगी।

आपको स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका,

(नरेन्द्र मोदी)

डॉ. जगन्नाथ मिश्र
पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार
113/77 बी, पोस्ट ऑफिस रोड
लाल बहादुर शास्त्री नगर
पटना, बिहार, पिन- 800023

" Dr. Mishra has done a great service to the cause of Urdu. He has earnestly tried to give Urdu its lost prestige. It should not be viewed only as a measure to remove the obstacle in the way of prosperity of a people speaking a particular language. As a matter of fact, he has done a great service to the nation.

Apart from Urdu, during his tenure as the Chief Minister of Bihar. Dr. Mishra had provided political stability to the state. While the nation was still debating the ways and means to contain communal riots. Bihar had shown the way. The offenders of the Biharsharif riots were tried by special courts and prosecuted. This had created a desired effect. Unfortunately, the subsequent governments did not favour setting up of special courts for speedy trial of communal riot offenders, reasons best known to them. We have before us the fate of the Bhagalpur Commission which is proceeding with snail's pace.

The role of P.A.C. in U.P and B.M.P in Bihar has come in for severe criticism for their partisan attitude during communal disturbances. The decision of the Mishra government in the year 1983 to raise a special anti-riot force to deal exclusively with communal situation with all the modern facilities deserved appreciation. The introduction of the subject of national integration af the secondary stage of education in Bihar was yet another effort on the part of the Mishra government to create an atmosphere of communal harmony and national integration in Bihar.

Dr. Jagannath Mishra had opened a new chapter of justice and equality in its true spirit for the religious and linguistic minorities of Bihar. His government had tried to boost the development of Arabic and Persian in Bihar by taking decision to establish a university in the name of a great nationalist of Bihar, Maulana Mazharul Haque. Besides the Bihar Urdu Academy, the setting up Bengali and Punjabi Academies and provisions for imparting south-Indian languages, amply show the eagerness of Dr. Mishra to build up a true secular society in Bihar..."

MD. Hayatullah Ansari
(Former M.P.)

For Publishers Desk ...

As a great national leader Dr. Jagannath Mishra has been performing the gigantic tasks of leadership and power-politics; so we too have been glorified by his deeds and successful career. But as a great thinker and thought-giver he has been maintaining an outstanding personality, though having never fallen a prey to personality-cult as such, among his friends and colleague at both state and national levels. We have found him ever fresh with his brilliance and presence of mind directed ceaselessly towards the pre planned targets in the interests of people in general and our this L.N.Mishra College of Business Management in particular.

The Book **"Bihar Barh Kar Rahega"** contains a number of his essays throwing light on how people of Bihar will be making large-share of contribution to the uplift and progress of Bihar on an all-round basis. The potentialities, the scope and the endeavors of progress so far evinced by the state may be called the concrete examples of progress, but much more than these examples will be the yet-to-be explorable potential of the state as observed by Dr. Mishra in almost all of his articles. So, this Book will form a basis of progress in any positive direction in respect of the targets of development.

The articles open the eyes of one and all interested genuinely in the progress, prosperity and peace of our Bihar to be more conducive, active and serious to realize the all-round development of the state.

In nutshell Dr. Mishra's this book is for us a rich treasure of guidelines for any attempt or plan for the progress of our state and, therefore, we do hope all our like-minded friends and well-wishers of the state will also embrace it (the book) in the right earnest.

Dr. Mishra is indeed a great self-driven leader and a dynamic thinker who knows no rest while delivering results for the welfare of all sections of the state and the nation.

As a professor of Economics Dr. Mishra has lent his guidance to a good number of Ph.D holders. He himself has written 20 (twenty) books published and other books yet to be published.

Thus As a prolific writer he has given a good number of books to the readers of various categories of our country. So this is our privilege to publish this book by a great scholar held widely in high esteem and respected as a great leader of our country and founder-Chairman of our institution.

L.N. Mishra College of Business Management, Muzaffarpur, Bihar, Eastablished in 1973, belongs to the genre of new generation; it has come up as an institution of national importance in higher education specially in the domains of management, information technology and education. It is affiliated to UGC, approved by AICTE, Ministry of HRD, Government of India and Department of Higher Education, Government of Bihar. The college is an authorized centre of Cambridge English Language Assessment (A part of Cambridge University, UK). It aims to build a sound foundation of knowledge, pursue excellence and enhance creativity in an academically stimulating environment. Moreover, it has been continuously striving to enhance excellence in the field of Management, Computer science, Entrepreneurship and leadership under the regular positive and result- oriented guidance and instructions of our Hon'ble Chairman, Dr. Jagannath Mishra, ex.chief Minister Bihar (Jharkhand included) and ex. Cabinet Minister of Govt. of India. Dr. Mishra as the founder-chairman of

our prestigious institution has been nurturing, nourishing and protecting and developing this institution and it would not be out of place to mention that he has brought it up and enhanced it up to the university- like status, so to humbly say. Students from across the country study together in harmony at the institute and develop the personalities required by global industry and contribute to its cosmopolitan culture. The strength of the institute can also be attributed to commitment of the management, its team of talented and distinguished teachers, its imaginative, creative, disciplined and dedicated, students and our determination to make it a centre of international repute.

Therefore, we the teaching and non-teaching staff of this widely reputed institution. while publishing the book, feel intensely indebted and grateful to Dr. Jagannath Mishra, the great author of this book.

L.N. Mishra College of Businesss
Management, Muzaffarpur, Bihar

आभार

राजनीतिक, गैर-राजनीतिक संस्था एवं जन जागरण के माध्यम से कांग्रेस, जन विकास मंच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जद (यू॰) (एनडीए) एवं मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान लगातार 1990 से विशेषकर बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में सामाजिक आर्थिक व अन्य विषयों पर शोध कार्य व स्थानीय समस्याओं का गहण अध्ययन किया जाता रहा है। उसमें **'बिहार की पीड़ा से जुड़िये'** कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार का पिछड़ापन, गरीबी से जुड़े मसले एवं सरकार की आर्थिक सामाजिक व प्रशासनिक नीतियों के मुद्दे पर लगातार परिसंवाद एवं आम सभाएँ आयोजित होती रही हैं। इस अभियान को 1984 से लगातार धारदार बनाया जाता रहा है। मेरा विश्वास रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पिछले 5 वर्षों में देश में निर्धनतम लोगों को लाभ पहुँचाने वाले समावेशी विकास को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता देने की बात लगातार की जाती रही है। गरीब, दलित और अन्य कमजोर तबकों तक विकास के लाभ पहुँचे इसके लिये उन्होंने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है। इससे स्पष्ट है कि श्री मुखर्जी अपने दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन में इस देश के एक महान् समाजवादी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इसी संदर्भ में उनके अनुसार सवा सौ करोड़ की विविधता वाली जनसंख्या वाले देश में वृद्धि की दरों को समाज के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों तक ले जाने की चुनौती का हमें सामना करना ही होगा।

विभिन्न अध्ययनों, शोध एवं आम सभाओं के माध्यम से जो जानकारी मिली है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में आवश्यकता है सुशासन की,

राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था की, जात-पात आदि के नाम पर अराजकता को प्रमुखता न देकर चौमुखी विकास में तेजी लाने पर ध्यान देने की, केन्द्र सरकार से सामंजस्य बनाकर सहयोग बढ़ाना, ताकि अगले 30 वर्षों में होने वाले विकास से समानता लायी जा सके जो आने वाली पीढ़ी के लिए तर्कसंगत हो। अन्य प्रदेशों में होने वाली विकास का मूल कारण राजनीतिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता को प्रमुखता दी गयी है। आज बिहार को भी उन्हीं रास्तों पर चलना होगा तब बिहार आने वाले वर्षों में अपना गौरव-कीर्ति को प्राप्त कर सकेगा। विश्व बैंक के रिपोर्ट से प्रमाणित हुआ है कि अभी भी बिहार सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है। इसलिए बुनियादी ढाँचे पर बिहार को विकसित करने की मांग होती रही है। **'बिहार की पीड़ा से जुड़िये'** कार्यक्रम के माध्यम से यह प्रमाणित हुआ है कि राज्य सरकार अपने बूते पर प्रयास तो कर रही है लेकिन अकेले उसके संभव नहीं है। बुनियादी ढाँचा राष्ट्रीय औसत से नीचे है। उल्लेखनीय बात यह है कि हाल के वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, परन्तु बिहार में सुविधा और संसाधनों का अभाव है।

जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में समर्पित रहे, उसी तरह जन विकास मंच और भारतीय जन कांग्रेस में निरंतर 1 लाख से अधिक समर्थित कार्यकर्ता भी समर्पित होकर मेरे साथ कार्य करते रहे। 2002 में मेरे द्वारा मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना की गई, जो गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संस्था रही है। मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जन कांग्रेस और भारतीय जन कांग्रेस (राष्ट्रीय) की स्थापना की। मैंने राजद के विरोध में वर्ष 2004 में श्री नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया। कांग्रेस ने राजद के साथ 2009 में गठबंधन कर लिया, जिसका मैंने विरोध किया। कांग्रेस का राजद के साथ जाना आत्मघाती साबित हुआ। उसके विरोध में ही बिहार में जद (यू.) के साथ भारतीय जन कांग्रेस का विलय कर दिया। चुनाव में तालमेल भी हुआ। जन-कांग्रेस के उम्मीदवारों का कुल मत 3 प्रतिशत हुआ। परन्तु 2008 की कुसहा कोशी की विनाश लीला में सरकार विरोधी रही। इसी के विरोध में मैंने जद (यू.) से त्याग-पत्र दिया। उसी समय से मैं अब किसी पार्टी से जुड़ा नही हूँ।

वैसे तो मुझे विद्यार्थी जीवन से ही आचार्य विनोबा जी और श्री जयप्रकाश जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ था परन्तु, उसे मूर्त एवं व्यावहारिक रूप देने में मेरे सम्पूर्ण परिवार का बड़ा ही सहयोग एवं समर्थन मिलता रहा। जीवन

के कठिन से कठिन समय में अपनी ममतामयी माता श्रीमती यमुना देवी और पिता पं. रविनन्दन मिश्र के आशीर्वाद युक्त हाथों के स्पर्श एवं अनुभूतियों के सहारे ही जीवन के उन विपरीत परिस्थितियों में अपने को संभाल पाया। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के समय भी ऐसा कोई दिन नहीं रहा, जिस दिन मेरी माँ मेरे स्मृति-पटल से दूर गयी हों। पाँच भाईयों में सबसे छोटा होने के कारण मैंने सब से भरपूर प्यार पाया। श्रद्धेय ललित बाबू के अतिरिक्त मेरे दो अग्रज स्व. कमल नारायण मिश्र एवं स्व. श्याम नारायण मिश्र भी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे। चौथे बड़े भाई स्व. मृत्युजंय नारायण मिश्र के साथ तो मैं पढ़ता-लिखता और खेलता हुआ बड़ा हुआ। आज भी अपने पैतृक निवास में जाने पर उन पुराने लम्हों की यादों में जुड़ जाता हूँ और अनायास ही मेरी आँखें भर आती है। गुरुजनों के आशीष, स्नेह और आशीर्वाद के सबल सहारे ही मैं जीवन के विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाया हूँ। मेरी इस यात्रा में सहयोगी एवं अर्द्धांगिनी श्रीमती वीणा मिश्र के उस असीम स्नेह, प्यार और कृत्य को भी कभी नही भुला सकता। श्रीमती वीणाजी ने मुझे जीवन के उन कठिन दिनों में, जब मैं विभिन्न बाधाओं और विरोधों से घिरा रहता था, मुझे पारिवारिक दायित्वों और बच्चों की देख-रेख से हमेशा मुक्त रखा। इतना ही नहीं, पूर्व में भी अनेक पुस्तकों के लेखन में, पाण्डुलिपियों की भाषाई शुद्धता में समय-समय पर अपनें बौद्धिक विचारों से मुझे अभिप्रमाणित ही नही किया बल्कि, पुस्तकों को अधिक उपयोगी बनाने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव भी देती रहीं हैं। राजनीति के कठिन से कठिन दौर में वे मेरी हमेशा साथ देती रही। मेरी शैक्षणिक योग्यता ग्रहण करने में भी उनकी दिलचस्पी रही है। हमारा परिवार सम्पन्न था, आज वीणाजी की अनुपस्थिति में विपन्न हो गया है। उन दिनों मेरी तीनों सुपुत्रियाँ, संगीता, एम. बी.ए. मार्केटिंग एण्ड एक्सपोर्ट, एम. ए. इकॉनामिक्स, डॉ.ममता, एम.ए., एम. बी.ए. पीएच.डी(पॉलिटिकल सांइन्स, समाजिक कार्यकर्त्ता और डॉ. स्मिता, एम. ए. पीएच.डी, बी.एड. एम.एड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एच.आर.एम एवं आइ.आर.पी.एम, सहायक प्राध्यापक, ल०ना० मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैंनेजमेंट, मुजफ्फरपुर, एवं मेरे तीनों दामाद श्री कृष्णकांत झा(एम. फिल-डिफेंस एण्ड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, पी.जी. डिप्लोमा(इंडस्ट्रीयल रिलेशन एण्ड पर्सनेल मैंनेजमैंट) भारतीय राजस्व सेवा के वरीय पदाधिकारी और पूर्व कार्मिक सदस्य, एयरपोर्ट ऑथोरिटी, श्री विजय कुमार झा (बी.एस.सी.सिविल इंजीनियर,

पी.जी. डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर,एम.बी.ए.पी.जी. डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैंनेजमेंट, एम.फिल इन सोसल साइंस) मुख्य अभियंता, मिलिटेरी इंजीनियरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, श्री मनोज कुमार झा, बी.टेक, एम.टेक एवं एम.बी.ए अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण तथा पुत्रवधु डॉ.शिप्रा एवं श्रीमती ऋचा ने भी अपनी सेवा और सहयोग देकर लगातार मेरे मनोबल को बढ़ाते रहे। इनके साथ ही मेरे तीनों सुपुत्र, डॉ. संजीव मिश्र, पी-एच.डी इकॉनामिक्स, एम. ए.,पी.जी.डी.एम.सी.आई.ए.सी.जी.ए.पी. सी.आई.एस.ए. वित्तीय सलाहकार, एन. एस.जी. एवं सी.आर.पी.एफ, श्री मनीष मिश्र, स्वतंत्र व्यवसायी (उन्होंने पाटलिपुत्र दैनिक हिन्दी को अपनी सेवा दी और उन्होंने हरियाणा के करनाल में **'मिशन फ्लोरा'** नामक एक कम्पनी की स्थापना की थी।) एवं श्री नीतीश मिश्र, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ग्लोबल पॉलिटिकल इकॉनामी, यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यू.के, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम फोर स्कूल ऑफ मैंनेजमेंट,नयी दिल्ली, बी.ए. इन हिस्ट्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार एवं वर्तमान में अपर निदेशक, ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैंनेजमेंट, मुजफ्फरपुर सलाहकार बी.आई.ई.एस., पटना एवं संयोजक, नीति विषयक शोध विभाग, भाजपा, बिहार प्रदेश। भातृ-पुत्र, डॉ. कुमार शरदेन्दु शेखर, कुल सचिव, ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैंनेजमेंट, मुजफ्फरपुर, पौत्र-पौत्रियां अभिनव, विदिशा, श्रेया, अनुपम, श्रृति, शुभांगी, अमेया प्रिया, आयुषी एवं अहान् मिश्र भी मेरे साथ साये की तरह जुड़कर लगातार मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। मेरे पारिवारिक सदस्यों के अलावा मेरे कुछ अभिन्न मित्र, सहयोगी एवं कार्यकर्ता भी मेरे साथ उन बुरे दिनों में सजगता से जुड़े रहकर लगातार मुझे सहयोग, समर्थन एवं प्रेरणा देते रहे। उनके सहयोग को भी मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, बिहार जन विकास मंच, भारतीय जन-काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, जनता दल(यू) एवं मानवाधिकार प्रतिष्ठान के सभी साथियो एवं कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। इनके अतिरिक्त ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना एवं ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर की स्थापना के पश्चात् वहाँ के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों से भी काफी सहयोग प्राप्त हुआ जिसके कारण उन्हें भी मेरी अनेक शुभकामनाएँ।

आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बिहार में प्रबंधन के अध्यापन (मैंनेजमेंट की पढ़ाई) के दृष्टिकोण से स्व. ललित नारायण मिश्र के नाम से मेरे द्वारा स्थापित ललित नारायण मिश्र, आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना, ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर एवं बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना की स्थापना किये जाने से बिहार के नवयुवको/युवतियों को प्रबंधन के क्षेत्र में एवं कॉरपोरेट जगत में प्रवेश करने का सु-अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमती वीणा जी इन कार्यो में सदैव सहयोगी और सच्चाई के साथ प्रगति में सम्मिलित रही। कांग्रेस का राजद से गठबंधन का विरोध करने के बाद मुझे कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया।

1984 से लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है। हमारे सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में विश्वास रखने वाले लोग हमारे कार्यक्रमों में सहभागिता सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक के विभिन्न स्वरूपों में हमारा मनोबल लगातार बढ़ाया है। विपरीत सामाजिक-राजनीतिक रूप से मुझे लगातार प्रताड़ित किया गया। लेकिन विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाया है उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। 20 से अधिक पुस्तकें विभिन्न विषयों पर मेरी आजतक प्रकाशित हुई हैं। विश्वविद्यालय एवं सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से अपने प्रदेश बिहार एवं देश की विभिन्न समस्याओं को एक वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से सुधारने की कोशिश में हमने विभिन्न विषयों पर देश और बिहार की समस्याओं पर सरकारों का घ्यान आकर्षित किया है। विभिन्न विषयों के बारे में जानने की ईच्छा हमारी हमेशा से रही है। यह हो सकता है कि कुछ और भी विषय मेरे अध्ययन की सीमा के बाहर रह गई हों। लेकिन मूल अवधारणा इस पुस्तक में शामिल करने की चेष्टा की है।

इस पुस्तक के निर्माण में बहुत लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके प्रयास के बिना यह दुरूह कार्य सम्पन्न होना संभव नहीं था। विशेषकर श्री बच्चा ठाकुर, भा.प्र.से.(अ.प्रा.) और श्री विकास कुमार झा, वरीय पत्रकार एवं लेखक का योगदान अविस्मरणीय है। इन दोनों ने अथक परिश्रम कर इस पुस्तक की सभी विषय वस्तुओं को उचित स्थलों पर स्थान देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मेरे **निजी सहायक**, श्री राहुल घोष एवं मेरे निजी

कार्यालय के सहायक श्री लीलाकान्त झा, श्री आशुतोष झा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर बाबू नारायण झा तथा अन्य सभी कर्मचारियों ने भी इस कार्य में असीम सहयोग प्रदान किया जिसके लिए उन सब को अपनी हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

अंत में इस पुस्तक के प्रकाशक, ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन संस्थान, मुजफ्फरपुर एवं मुद्रक समीक्षा प्रकाशन, मुजफ्फरपुर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके सार्थक प्रयास से ही यह पुस्तक आप के बीच आने में सफल हो पायी।

–डॉ. जगन्नाथ मिश्र

जहाँ जो है

प्रथम सर्ग

हृदय की बात... 01-80

1. बम के कण 81-91
2. एक संग्रामी कृषक परिवार 92-97
3. बिहार का अंतहीन संघर्ष 98-113
4. अपना रामझरोखा 114-159
5. ऑपरेशन जगन्नाथ के सिलसिले 160-228
6. स्वर्णिम अतीत और सिसकने की नियति 229-274

द्वितीय सर्ग

1. बिहार की संभावनाएँ एवं पुनरुद्धार 277-288
2. विशेष राज्य का दर्जा : समय की मांग 289-301
3. भूमि सुधार एवं बटाईदारी की समस्या 302-329
4. नक्सलवाद की समस्या एवं समाधान 330-341
5. असंगठित क्षेत्र की मजदूर : समस्या एवं समाधान 342-359
6. दलित उत्पीड़न का दौर 360-410
7. पलायन की पीड़ा 411-421
8. महिला सशक्तीकरण के संकट 422-445
9. दहेजप्रथा निषेध, शराबबंदी और बाल-विवाह निषेध जैसे कानूनों के क्रियान्वयन से देश का उत्थान 446-457
10. बिहार में बाढ़ की समस्या 458-476
11. भारत-नेपाल संबंध 477-485
12. शिक्षा में अराजकता एवं गुणात्मक ह्रास 486-523
13. वृद्धों की देख-भाल के सम्बन्ध में 524-529

14. गरीबी ही अवसरों के असमान वितरण का कारण 530–534
15. अल्पसंख्यकों की समस्या और राज्य सरकार की उदासीनता 535–549
16. उत्तर–पूर्व बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन 550–564
17. आरक्षण की विसंगतियाँ, समाधान एवं संविधान संशोधन 565–588
18. किसानों द्वारा आत्महत्या : एक राष्ट्रीय त्रासदी 589–610
19. बिहार का आर्थिक पिछड़ापन 611–618
20. मानवाधिकार हनन की बढ़ती घटना 619–629
21. देश के सभी जेलों में कैदियों की दुर्व्यवस्था 630–635
22. न्यायिक उत्तरदायित्व 636–642
23. उग्रवादी संगठनों द्वारा सामूहिक नरसंहार 643–650
24. विकलांगों की दशा–दिशा 651–656
25. मनुष्य के जीवन में योग–विद्या की उपयोगिता 657–664
26. मानव जीवन और पर्यावरण संरक्षण 665–672

तृतीय सर्ग

1. डॉ. जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल के विशेष निर्णयों, घोषणाओं एवं संकल्पों पर एक नजर 675–695
2. तर्पण : पं. रविनन्दन मिश्र 696–704
3. मेरी सहधर्मिणी–स्व॰ वीणा मिश्र 705–724

परिशिष्ट

1. इन्दिरा गाँधी द्वारा 21 नवम्बर, 1977 को शाह कमीशन को लिखा गया पत्र 727–732
2. कोर्ट ऑर्डर 733-734
3. साक्षात्कार 735–747
4. राष्ट्रीय किसान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के चौथे प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर मंतव्य और परामर्श 748–752
5. 1950 से 2017 के बीच भारत के संविधान–संशोधन 753–788

❐

प्रथम सर्ग

हृदय की बात....

'तुमुल कोलाहल कलह में मैं
हृदय की बात रे मन।'

बुनियादी ढांचे पर जोर देना राज्य की लंबे समय से मांग रही है। बुनियादी ढांचे में मोटे निवेश की जरूरत है राज्य सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है लेकिन अकेले उसके बूते पर मुमकिन नहीं है। बुनियादी ढांचे में राज्य राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। गंगा नदी में पुलों के अलावा पारादीप या हल्दिया जैसे बन्दरगाहों से जोड़ने की मांग हो रही है, ताकि विदेशी निवेश बढ़ सके। बिहार सड़कों के मामले मे राष्ट्रीय औसत से पीछे है। देश में प्रति लाख आबादी पर 323 किलोमीटर सड़क है, जबकि बिहार में महज 226 किलोमीटर। स्पष्ट है कि राज्य में सड़कों का जाल बिछाना अनिवार्य हो गया है। राज्य में रेल और बाह्य यातायात की भी स्थिति अच्छी नहीं है। रेलवे लाइन भी राष्ट्रीय औसत से कम है। आवश्यकता है पटना, भागलपुर, पूर्णियां और डेहरी में हवाई अडडा का विस्तार किया जाय। बिजली के पैमाने पर भी बिहार पिछड़ा है। स्थिति काफी खराब है। बिहार आज भी 70-80 प्रतिशत बिजली केन्द्रीय पुल से खरीदता है। केन्द्र से बिहार को सिर्फ 2000 से 2200 मेगावाट बिजली मिलती है; जबकि जरूरत है 5 हजार मेगावाट की है। मांग बढ़ने से स्थिति खराब हो जाती है, वितरण के मोर्चे पर भी व्यवस्था कमजोर होने से ढांचा खराब होता है। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कम है। कमी का खामियाजा उद्योगों को भोगना पड़ता है। कुछ वर्षो के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पनपा है, इसलिए इस क्षेत्र में उद्यमी मांग कर रहे हैं। बिहार में उद्योग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिहार के लिए खेती जीवन रेखा है। राज्य की आबादी खेती से जीवन यापन करते हैं। ऐसे में केन्द्र को विशेष ध्यान देना चाहिए। केन्द्र ने पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति की बात कही थी, लेकिन इसके लिए महज 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इतनी कम राशि से विकास कैसे हो सकता है? आवंटन में 10-15 गुणा वृद्धि

की आवश्यकता है। साथ ही राज्य में सिंचाई योजना को भी विकसित करनी चाहिए, ताकि पूरा पानी मिल सके। बिहार को फूड पार्कों की जरूरत है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कम से कम 4 मेगा फूड पार्को की जरूरत है और व्यवस्था मे पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्यमिता और रोजगार बढ़ाने की नई योजना की शूरुआत हो सकता है। खास तौर पर युवा और महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गरीबी, खेती-किसान और महिलाओं के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा है। कृषि से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण के लिए नई पहल की आवश्यकता कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस को बढ़ावा देने के साथ कृषि की प्रगति को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। बिहार सरकार द्वारा जारी कृषि रोड मैप के सफल कार्यान्वयन से विकास की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव आया है और हाल के वर्षों में वृद्धि दरें त्वरित हुई हैं। तथापि उदारीकरण के परिणामस्वरूप, पूंजी और श्रम का गरीब राज्यों से संपन्न राज्यों की ओर पलायन हो रहा है। जिन राज्यों को सुधार से लाभ न होकर बेहतर राज्यों की ओर निवेश योग्य संसाधनों के पलायन से हानि ही हुई है, उन्हें उन खास कमजोरियों को दूर करने के लिए अवश्य मदद की जानी चाहिए, जिन्होंने उन्हें पिछड़ा बना रखा है। आमतौर पर निवेश दर को किसी अर्थव्यवस्था में विकास का एक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है जो अधिकांशतः अधिसंरचना से संबंधित होती है। हम जानते हैं कि अधिसंरचना एक बहुदिशायी चीज है। बहरहाल, अधिसंरचना की गुणवत्ता किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नितांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह निवेशकों व उत्पादकों को औद्योगिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है। बिहार की अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति भौतिक अधिसंरचना की विपन्नता के जरिए पाली-पोसी गयी है। आर्थिक सुधारों से लाभान्वित न हुए बिहार को सहायता देना निहायत जरूरी है। बिहार के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना ही हो सकता है। इस कार्यभार को पूरा करने के लिए उसके पास कम वित्तीय संसाधान मौजूद हैं। जबतक अधिसंरचनात्मक व सेवा संबंधी स्तर इस अवस्था में न पहुँच जायं कि वहाँ निजी निवेश का अच्छा-खासा प्रवाह होने लगे, तबतक इसके लिए आवश्यक संसाधनों को

केन्द्रीय पूल से ही आना है। अधिसंरचना एक मुख्य मानदंड है। अगर एक अधिसंरचना सूचकांक बनाया जाय और संवितरण के स्तरों को इससे जोड़ दिया जाय, तो ऐसा करना बिल्कुल संभव है। निवेश वातावरण सूचकांक एक अधिक उपयुक्त सूचक हो सकता है।

भारत में भारी आंचलिक विविधता और संसाधनों का असमान वितरण है। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में भी काफी अंतर है। फलतः बिहार द्वारा राजस्व जुटाने की क्षमता में भी अंतर है। वित्त आयोग का राज्यों के लिए राजकोषीय अंतरणों का दृष्टिकोण मुख्यतः समानीकरण के सिद्धांत से निर्देशित होता है। वित्त आयोग संघीय ढांचे का प्रमुख स्तंभ है और यह ऐसी संस्था है जिसके जरिए राज्यों को संसाधनों का अंतरण तथा उसकी समीक्षा होती है। यह स्वीकार्य है कि बड़े पैमाने पर समानता हासिल करने का काम अकेले वित्त आयोग के अंतरणों पर निर्भर नहीं करता; असमानता कम करने में योजना आयोग और मंत्रालयों के अंतरणों को भी पूरक भूमिका निभानी होती है। योजना निर्माण प्रक्रिया के कामकाज की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय विकास परिषद् को 1952 में इसके गठन के समय ''सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से किए गए त्याग के जरिए कम विकसित अंचलों व तबकों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करते हुए'' राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों के निर्माण का कार्यभार सुपुर्द किया गया था। बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। यदि भारत सरकार तय करे कि सहायता अनुदान को केवल अवशेष तक सीमित रखा जाय, अर्थात् राजस्व बजट को संतुलित रखा जाय तो पिछड़े राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं शायद ही पूरी हो सकती हैं। केन्द्र सरकार योजना के प्रयोजनों के लिए राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार नहीं करती इसलिए अनुभवों के आधार पर जिन वित्तीय आवश्यकताओं को योजना में समाविष्ट नहीं किया जाता उनपर विचार करके उनकी पूर्ति की जाय। यह बताने की जरूरत नहीं कि संविधान में योजना और गैर-योजना खर्च का कोई भेद नहीं रखा गया है। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने योजना का भेद समाप्त करने का निर्णय लिया है और यह सभी राज्यों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

बिहार में प्रायः प्रत्येक सरकार कार्य-संपादन और कार्य संपादनहीनता, त्वरित विकास-गति और प्रगति की शिथिलता, लोकोन्मुख कार्यक्रम और स्वार्थपरक योजना, प्रगतिवादी दृष्टिकोण और प्रतिगामी दृष्टिकोण, संसाधन-शोषण

और संसाधन-सदुपयोग, एकल नेतृत्व और सामूहिक नेतृत्व तथा अंतिम महत्वपूर्ण एकता-चक्र और विभाजक-चक्र के चरम बिन्दुओं के बीच एक दोलक (पेंडुलम) के समान झूलती रही है। राज्य के विभिन्न नेतृत्वों के अंतर्गत राज्य की शांति, प्रगति और समृद्धि को मापने और उनके मूल्यांकन का भी यह उपमान (दोलक) एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी।

श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के रूप में पिछले 5 वर्षों में देश में निर्धनतम लोगों को लाभ पहुँचाने वाले समावेश विकास को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता देने की बात लगातार ही बतायी थी। गरीब, दलित और अन्य कमजोर तबकों तक विकास के लाभ पहुँचे इसके लिए उन्होंने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया था। इससे स्पष्ट है कि श्री मुखर्जी अपने दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन में इस देश के एक महान् समाजवादी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इसी संदर्भ में उनके अनुसार सवा सौ करोड़ की विविधता और जनसंख्या वाले देश में वृद्धि की दरों को समाज के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों तक ले जाने की चुनौती से हमें सामना करना ही होगा।

उन्होंने सरकार से नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान रखने की बात कही थी कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और प्रति व्यक्ति आय देश की जनता के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक न्याय कल्पना मात्र है। आर्थिक न्याय का अभिप्राय है धन सम्पदा के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच दीवार खड़ी नहीं की जाय। मनुष्य-मनुष्य के बीच वर्ग-वर्ग के बीच शोषण का अधिकार नहीं हो। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में यह संदेश दिया कि सामाजिक न्याय के अभाव में आर्थिक न्याय संभव नहीं है। उनकी भी मान्यता रही है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सभी को उपलब्ध हो सके इसी संदर्भ में डिजिटल इन्डिया के लिए कार्यक्रम किया गया है, ताकि तकनीक के प्रभावी और सक्षम इस्तेमाल से सेवाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में आमूल्य बदलाव लाकर आमजीवन में

गुणवत्ता लायी जाय। संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति-निदेशक तत्व के प्रति श्री मुखर्जी पूर्णतः प्रतिबद्ध रहे हैं। उनके कार्यकाल के निर्णय और जटिल समस्याओं पर उनके द्वारा दिये गये निर्देशों से सचमुच महात्मा गाँधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद और डॉ॰ अम्बेडकर का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ।''

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की छवि सीधे-सादे एक ईमानदार राजनेता की है। इसलिए वे वंचितों के दर्द को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि जब वे समाज के हाशिये पर पड़े लोगों की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को खत्म करने के प्रयासों का जिक्र करते हैं, दिनों-दिन अमीरों और गरीबों के बीच चौड़ी होती खाई पर चिन्ता व्यक्त करते हैं तथा देश में विकास का लाभ निचले वर्ग तक पहुँचाने के रास्ते बताते हैं, तो वे सत्ता शीर्ष पर बैठे एक कुशल राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर महज बयानबाजी नहीं कर रहे होते। उनके कथन में हृदय से प्रस्फुटित चिन्तापरक सोच होती है जो पूरी ईमानदारी से सिक्त रहती है। वे जो कहते हैं, सोचते हैं वह भले ही व्यवस्थागत पेचीदगियों के चलते साकार हो या न हो, लेकिन उसे वें निश्चित तौर पर मूर्त रूप देना चाहते हैं। आर्थिक विकास का लाभ आमलोगों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने बाकायदा 10 सूत्री सामाजिक कार्यसूची रखी है जिसमें समाज के वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को नौकरी के अधिकाधिक अवसर देने, कर्मचारियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने तथा मुनाफाखोरी व कीमतें बढ़ाने की साँठ-गाँठ में न शामिल होने की प्रतिबद्धता जैसे सुझाव दिये गये हैं। उद्योग जगत का आह्वान करते हुए बड़ी बेबाकी से प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिर्फ टैक्स बचाने के मकसद से ही वे सामाजिक कार्य न करें, बल्कि समाज को मानवीय और न्यायोचित बनाने के लिए भी कार्य करें। अमीरों द्वारा विलासिता के फूहड़ प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि यह गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा है। यह सच है कि कोई भी देश तभी सही मायनों में विकसित, प्रगतिशील और परिपूर्ण कहा जा सकता है जब समाज में सभी वर्गों का विकास हो। एक वर्ग के दिनों-दिन और अमीर तथा दूसरे के और गरीब होते जाने से सामाजिक विषमता ही पैदा होती है जिसमें कोई भी शान्तिपूर्वक नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री ने इसी सामाजिक असंतुलन पर चेताते हुए कहा है

कि यदि समृद्धशाली लोगों ने सामाजिक जिम्मेदारी का और अच्छा परिचय नहीं दिया तो अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। राजनीति में अराजकता पैदा होगी तथा समाज में विभाजन और गहरा होगा। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की छवि एक तेजी से विकसित और शक्तिशाली हो रहे देश के तौर पर उभरी है जहाँ हर साल अरबपतियों-खरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और भारतीय कम्पनियाँ मल्टीनेशनल कम्पनियों को खरीद रही हैं। लेकिन यह समग्र भारत के विकास की तस्वीर नहीं, उसका छोटा-सा हिस्सा है जिससे कभी-कभी ''इण्डिया शाइनिंग'' जैसे भ्रमित स्लोगन प्रसूत होते हैं। बहरहाल, इस 10 सूत्री सामाजिक एजेंडे पर कितना अमल होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उद्योग जगत के लिए इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का यह सही वक्त है और यही वक्त का तकाजा भी है।

दुनिया और समाज की गतिविधि का जिन्होंने गहराई से अध्ययन किया है, उन्होंने हमें बताया है कि समाज किसी की सदिच्छाओं से नहीं बदला करता उसकी गति और उससे विकास तथा रूपांतरण के अपने नियम होते हैं। उन नियमों के अनुरूप ही समाज चलता है।

21वीं सदी की जिस दहलीज पर आज दुनिया तथा समाज के साथ हम हैं, उसी की ओर निगाह डालें। कहने की जरूरत नहीं कि जिस समय, जिस समाज तथा जिस दुनिया में आज हम साँसे ले रहे हैं, वह बेहद क्रूर समय, बड़ा विषम समाज और बड़ी जटिल दुनिया है। इसके पहले का समाज और इसके पहले की दुनिया भी कम क्रूर, कम विषम और कम जटिल नहीं थी। सामन्ती समाज में भी क्रूरताएं थीं, विषमता थी, शोषण था, कमजोरों पर अन्याय, अनाचार और अत्याचार था, अंध आस्थाएँ और अंधविश्वास थे, सामाजिक-धार्मिक रूढ़िवाद, तरह-तरह के पाखण्ड और प्रपंच थे; परंतु जीवन का बहुमूल्य कुछ बचा हुआ था। सामाजिक और मानवीय मूल्य, सामाजिक-पारिवारिक तथा मानवीय संबंध पूरी तरह क्षत-विक्षत नहीं हो पाये थे। जिसे आदमियत कहते हैं, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ वह बची हुई थी। उसका सर्वथा लोप नहीं हुआ था। प्रेम, मैत्री, करुणा, परोपकार और त्याग जैसे भाव आदमी की आदमियत का हिस्सा बने हुए थे। उनकी संपूर्ण क्षति नहीं हुई थी। क्रूर से क्रूर जमीन्दार के पैरों में यदि कर्जदार किसान लिपट जाए, तो वह

उसे माफ भी कर दिया करता था। प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी में नादिरशाह का जिक्र किया है, जिसने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया था। किसी में भी हिम्मत न थी कि नादिरशाह के सामने जाकर कुछ कह सके। अंततः दिल्ली के बादशाह के वजीर ने हिम्मत की और उसके सामने जाकर डरते हुए फारसी के एक शेर के जरिये कत्लेआम रोक देने की फरियाद की। शेर का आशय था-'तुम्हारी तलवार से दिल्ली शहर में अब कोई भी नहीं बचा है। सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब तो यही किया जा सकता है कि मरे हुए को फिर से जिन्दा करके मारा जाए।' शेर को सुनकर नादिरशाह पसीज उठा और उसने तत्काल कत्लेआम रोक देने का आदेश दिया। प्रेमचंद की टिप्पणी है कि उसके हृदय में भी कहीं न कहीं करुणा का कुछ अंश था।

परंतु हम जिस समय और समाज की बात कर रहे हैं, वह पूँजीवादी समाज-व्यवस्था का समय है; और पूँजीवाद भी पहले वाला पूँजीवाद नहीं-सांस्थानिक पूँजीवाद। यह सांस्थनिक पूंजीवाद विकासशील, पिछड़े और अविकसित देशों के समाजों के लिए नरक कुण्ड जैसा है। ऋण के मकड़जाल में उन्हें फँसाकर वह उन्हें अपने बाजार में बदल देता है, जिसका प्रतिफल एक ऐसी उपभोक्तावादी अपसंस्कृति पैदा होती है, जो इन देशों के समाजों को विरूप और विकृत तो करती ही है, उन्हें सम्पन्नों और विपन्नों में इस तरह बांट देती है, जो पूंजीवादी शोषण चक्र के सबसे घृणित रूप को उजागर करते हैं। सामंती व्यवस्था में कहीं न कही हृदय-तत्त्व था; परंतु इस पूंजीवादी व्यवस्था की पहचान है-निर्मम हृदयहीनता। इसकी आत्मा है निहायत अंधे किस्म का व्यक्तिवाद। पैसा इस व्यवस्था में सर्वोपरि है। आदमी के गुण, कमाल, हुनर-सब इस व्यवस्था में धन की देहरी पर माथा टेकने वाले बनकर रह गए हैं। सारे सामाजिक-पारिवारिक नाते-रिश्ते, सारे सामाजिक मानवीय मूल्य इस व्यवस्था के अंतर्गत ध्वस्त होकर रह गए हैं। सारे पारिवारिक संबंधों को इस व्यवस्था ने व्यावसायिक संबंधों में बदल दिया है। माता-पिता, भाई-बहन, भाई-भाई, दोस्त-दोस्त, गुरु-शिष्य जैसा कोई संबंध इस व्यवस्था में क्षत-विक्षत होने से नहीं बचा है। स्वार्थ, परले दरजे का स्वार्थ, और अवसरपरस्ती इस सभ्यता की विशेषता है। पैसे के लिए भाई-भाई का, बेटा-बाप का गला काटने को आमादा है। आदमी-आदमी को संदेह की निगाह से देखने लगा है; आदमी का आदमी से विश्वास उठ गया है। कला, धर्म, संस्कृति सब इस व्यवस्था में

खरीदे और बेचे जाने वाली वस्तुएं बन गयी हैं। भोग इस व्यवस्था में आदमी का चरम लक्ष्य है। हर कोई बटोरने और भोगने में लगा है। भोगो, जितना कुछ भोग सको भोगो! बटोर सको बटोरो! दूसरों को कुचलते-रौंदते सब कुछ अपने लिए बटोरो! दूसरे जिएं या मरें; बस! हम जिएं-यह इस व्यवस्था का मंत्र है। आदमी की हवस कितनी खूंखार हो सकती है, यह व्यवस्था इसका साक्ष्य है। न्याय और नीति के साधारण नियमों तक को ताक पर रखकर आदमी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी नीचता तक जाने के लिए तैयार है।

आज का हमारा समय मीडिया और प्रसार माध्यमों से एक पूरे माया जाल में लिपटा समय है। अखबारों और दूरदर्शन के स्क्रीन पर नजर डालिए; दूरदर्शन भी आज झुग्गी-झोपड़ियों तक, दूर-दराज के गाँवों तक पहुँच गया है। व्यवस्था दर्प से कह रही है, यह तकनीक का विकास है; हमने सबके लिए मनोरंजन सुलभ कर दिया है। परंतु अखबारों और दूरदर्शन के पर्दे पर है क्या? अर्द्धनग्न सुन्दरियों के रंग-बिरंगे चित्र; हर किस्म के विज्ञापनों में औरतों की देह की नुमाइश; भोग के साधनों और सुविधाओं का पूरा अम्बार; आर्थिक उदारीकरण जिस उपभोक्ता संस्कृति और उपभोक्ता समाज को सामने लाया है, उसकी विशेषता है, करोड़ों-करोड़ों वंचितों के जीवन की बुनियादी जरूरतों की कीमत पर, समाज के एक छोटे-से नवधनाढ्य तबके का अपरिसीम भोगवाद। बाजार सामान से पटा पड़ा है। समर्थ उसे भोग रहा है; और वंचितों और उपेक्षितों का एक विशाल समाज, चंद भोगने वालों को, ललचाई नजरों से, महज देख रहा है। एक भोग रहा है; छप्पन भोग खा रहा है। करोड़ों-करोड़ों उस एक भोगने वाले को देख रहे हैं; सुलग रहे हैं; ललचा रहे हैं। स्त्री-पुरुषों के देह-संबंधों को लेकर शालीनता-अश्लीलता पर लंबे समय से बहसें हो रही हैं। व्यवस्था के प्रभु बताएं कि भूखे-नंगे करोड़ों देशवासियों के समक्ष थोड़े-से लोगों का यह भोगते-खाते होने वाला प्रदर्शन, सौंदर्य प्रसाधानों का अंबार, क्या इससे भी बदतर, इससे भी वीभत्स और घृणित कोई अश्लीलता हो सकती है! आदमी को अपमानित करने वाला इससे अधिक अधम अर्थतंत्र कदाचित् पहले कभी नहीं था।

बाजार, भोगवाद और व्यावसायिकता की इस आंधी ने धर्म तक को नहीं बख्शा है। धर्म आज धंधा बन गया है; माल बन गया है, जिसके भी ग्राहक हैं। 24 घंटे दूरदर्शन के पर्दे पर व्यावसायिक स्तर पर बाबाओं-बापूओं,

साध्वियों-सन्यासिनियों के प्रवचन चल रहे हैं; मध्यवर्ग के खाते-पीते लोगों का हुजूम इन प्रवचनों को सुन रहा है; मानसिक शांति पाने का आत्मछल कर रहा है; समय काट रहा है; अपने को तसल्ली दे रहा है। दैनन्दिनी तमाम कामों की तरह यह भी उनका एक काम है; दूसरी तमाम आदतों की तरह एक आदत है। प्रवचन सुनकर आत्मछलना की संतुष्टि और उसके बाद घर जाकर अपने उन्हीं धंधों में, अपनी वास्तविक मनोभूमि के साथ लग जाना; 'चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है' की पुकार पर माता के दर्शनों को जाना; और वापस लौटकर वही सब कुछ उसी ढर्रे पर करने लगना-जैसे पहले किया करते थे। संग्रह और भोग-ये पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं। भोगवाद पशुवाद में बदल गया है; लिप्सा में तब्दील हो गया है।

बाजार ब्रह्म है; बाजार प्रभु है। वह सबमें व्याप्त है, सब उसमें व्याप्त है। पहले घर और बाजार में फर्क हुआ करता था। हम घर से चलकर बाजार जाते थे आज वह फर्क मिट चुका है। आज बाजार घर में आ गया है-हमारे ड्राइंग रूम में बाजार; हमारे बाथरूम में बाजार; हमारे किचन में बाजार; हमारे जेहन में, हमारे वजूद में बाजार। पहले बाजारू होना गाली माना जाता था; आज बाजारू होना हमारी आन-बान और शान है। कहाँ तक विशद् किया जाए-पूंजीवाद, बाजार तंत्र और उपभोक्तावादी अपसंस्कृति तथा उपभोक्ता समाज के इस प्रपंच को। मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियाँ याद आ रही हैं-'हम कौन थे, क्या हो गए, अब और क्या होंगे अभी?'

संत हों, पैगम्बर हों, बुद्ध, ईसा, हजरत मुहम्मद, सुकरात, कबीर आदि-आदि समाज और दुनिया को बदल भले न पाए हों, आदमी को अपने मनोवांछित रूप में जीवन व्यतीत करते भले न देख पाए हों, बदलाव की आकांक्षा वाले करोड़ों-करोड़ों वंचितों, उपेक्षितों की आँखों और मन में बदलाव के, एक बेहतर आदमी, बेहतर समाज और बेहतर दुनिया के सपने को उन्होंने जिन्दा रखा, उसे मरने नहीं दिया। आज भी वह सपना उनकी आँखों में जीवित है। वह जीवित रहे, जीवित बना रहे, जो ताकतें समाज और दुनिया को बदलने की सही ताकतें हैं- रम करने वाले करोड़ों लोग और जो उन ताकतों के रहनुमा हैं और जीवन की बाजी लगाये हुए जो आदमी, समाज और दुनिया को बदलने की जद्दो जेहद में लगे हुए हैं। जो वर्ग, जो लोग उपभोक्तावादी, लाभ-लोभ-प्रेरित, अंध स्वार्थ और अंधी हवस को पैदा करने वाले इस समाज में, अपने लिए,

महज अपने लिए जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, जिनके दिल-दिमागों में ताले लग चुके हैं, जो अच्छी तरह खा-पीकर, सुख की नींद सो रहे हैं, लुभावने सपने देख रहे हैं। वे अपने अंत:करण में एक बार अवश्य झाँकें। अपने भीतर के मनुष्य को जगायें, तभी समाज में संवेदना, मानवीय मूल्य बच सकता है।

राजनीतिक दलों को गरीबी के विरुद्ध संघर्ष को केवल सद्भाव के रूप में न देखकर एक बड़े दायित्व के रूप में देखना होगा। मूलभूत मानव अधिकार-जीने का समुचित स्तर, भोजन और अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या उचित कार्य के अवसर या भेदभाव से मुक्ति के अधिकार ही देश के सबसे गरीब लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। फिर भी समाज में उनकी कमजोर स्थिति के कारण वे ऐसे ''सार्वभौम'' अधिकारों का उपभोग और रक्षा करने में सबसे पीछे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जहाँ कहीं और जब कभी कोई पुरुष, महिला या बच्चा दरिद्रता में जीता है तो मानव अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। यदि हमें मानव अधिकारों के प्रति गंभीर होना है तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम वास्तव में वचन के प्रति चिंतित है। हमें गरीबी, **''गरीबी के विरुद्ध संघर्ष को केवल सद्भाव के रूप में न देखकर उसे दायित्व के रूप में देखना होगा।''** ''गरीबों को मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे नैतिक दायित्व हमें क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही अन्य लाभ भी होते हैं। चूंकि मानव अधिकार के मानक, व्यक्ति विशेष के सशक्तीकरण पर बल देते हैं, इसलिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण गरीबों को सशक्त और सक्षम करने में सहायता कर सकते हैं।'' आज विकास, सुरक्षा और मानव अधिकारों का चोली-दामन का साथ हैं, इनमें से कोई एक, अन्य दो के बिना ज्यादा सफल नही हो सकता। वास्तव में मानव अधिकार की पुरजोर वकालत करने वाला यदि मान सुरक्षा और मानव विकास या प्रतिक्रमात के लिए कुछ नहीं करता तो वह अपनी विश्वसनीयता और अपने ध्येय को ही कमजोर कर रहा है।

दुर्भाग्य से अपने देश में खलबली, असंतोष और उग्रवाद के मौलिक कारणों का गंभीर अध्ययन कभी नहीं किया गया है और न तो भारत में इसे प्रशासनिक या शैक्षिक परिसंवादों का विषय ही बनाया गया है। अवसरपरक कमरतोड़ प्रत्युत्तर के अतिरिक्त कोई सुदृढ़ प्रशासनिक और विकासमूलक कार्य नहीं किया गया या इन कारणों को समाप्त करने या जनता के असंतोष को कम

करने संबंधी कार्य भी नहीं किया गया। हाल के समय में आम लोगों में हुए व्यापक असंतोष ने भारतीय समाज को अति रूग्ण कर दिया है। इसने बहुत खलबली पैदा कर दी है, जो हिंसा का रूप ले रही है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि देश में आदिवासियों, दलितों और अत्यंत गरीब को विकास की मुख्यधारा में सहभागी या सहयात्री नहीं बनाये जाने के कारण ही माओवादी और नक्सलवादी हिंसात्मक घटनाओं को स्थानीय स्तर पर जन-समर्थन प्राप्त हो रहा है। वे देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। नक्सलवादी और माओवादी विचारधारा का अतिगरीब जनजाति, अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य अत्यंत गरीब वर्गों में निरंतर प्रभाव पिछले वर्षों में लगातार विस्तारित होता जा रहा है। भारतीय संविधान में इन कमजोर वर्गों के संरक्षण के अनेक प्रावधान हैं। फिर भी इन कमजोर वर्गों का उत्पीड़न जारी है। इसे मुद्दा बनाकर ही नक्सली और माओवादी लोकतंत्र को इन वर्गों के बीच निरर्थक बताते हुए राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन का विचार प्रसारित करते हैं। राजनीतिक दलों को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ लोकतांत्रिक पारदर्शिता बनानी होगी, जिससे आम आदमी की सीधी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। संवैधानिक प्रावधानों एवं तमाम समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद दलितों एवं अत्यंत गरीब की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ।

गरीबों को इतना सजग बनाने की जरूरत है कि कोई उनका शोषण न कर सके। गरीबों के अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हम उन्हें अपने अधिकारों और दायित्व के बारे में जागरूक करें। मानव अधिकारों के प्रति बुनियादी जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में विकास का लाभ सभी लोगों को न्यायपूर्ण ढंग से मिल सके। गरिमा मानव अधिकारों के लिए अनिवार्य है और यह वह मूल आधार है जिसपर मानव अधिकार टिके हैं। मानव अधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानव विकास से है। इसीलिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता राष्ट्रीय असमानताओं के उन्मूलन की मांग करती है। देश में गरीबी का निरंतर बने रहना न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसरों के असमान वितरण, बल्कि मानव अधिकारों के उल्लंघन को भी दर्शाता है। इस प्रकार मानव अधिकारों का उल्लंघन गरीबी का कारण और परिणाम है। गरीबी निवारण केवल विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों के लिए

एक प्रमुख चुनौती है। मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पित प्रयास पर बल दिया जाए। मानव गरिमा और सामाजिक न्याय के प्रति सम्मान का वातावरण देश में पैदा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। समाज के सभी वर्गों में सभी स्तरों पर मानव अधिकार संस्कृति पैदा करने और उसे बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है और इसके लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए कार्य करना होगा और सतत् व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।

भारत ने जबसे नवउदारवादी नीतियों को अपनाया है तबसे अरबपतियों की संख्या और उनकी दौलत में तो नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई ही है, लेकिन मानव आबादी के सबसे निचले हिस्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिणाम यह हुआ कि विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती चली गई। भारत का सच यह है कि यहाँ लगभग आधे या आधे से अधिक लोग गरीबी में बसर कर रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की लगभग 41.6 प्रतिशत आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। 1990 से देश में असमानता के स्तर में भी भारी वृद्धि हो रही है। वित्तीय परिसंपत्तियों का स्वामित्व सीमित हाथों में केन्द्रित है। प्राय: समस्त वित्तीय संपदा जनसंख्या के 1 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास निहित है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसाधन के वितरण में असमानता, अवसरों की असमानता में बदल जाती है, जो भारत की आर्थिक नीति के घोषित लक्ष्य-समावेशी विकास को ही नकार देती है। वर्तमान नीतियों के कारण ही देश में करोड़पतियों की संपदा दिन दूनी-रात चौगुनी बढ़ रही है। भारत में करोड़पतियों की संख्या में 22.2 फीसद का इजाफा हुआ है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भी कहा है कि भारत ने पिछले 15 वर्षों में अरबपतियों की संपदा में 12 गुणा वृद्धि हुई है। यह अंतर्विरोध दर्शाता है कि देश में विकास की गति असंतुलित है। महज आंकड़ों की बाजीगरी से गरीबी मिटाने का सपना साकार नहीं होने वाला है। यह तो एक सामान्य तस्वीर है जो विषमता की रूपरेखा पेश करती है। लेकिन असल सवाल यह नहीं है, बल्कि यह है कि ये गरीब लोकतंत्र के उस ढांचे में किस तरह से फिट बैठ पाएंगे जो अपनी जीविका चलाने में ही असमर्थ हों। क्या कोई ऐसा फार्मूला बनेगा, जिससे लोकतंत्र की सहभागिता में अमीरी या गरीबी अवरोधक न बने? यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर देश की कम से कम आधी आबादी लोकतंत्र के

अर्थ और उसके महत्व को समझने में हमेशा ही असमर्थ रहेगी।

असमानता एक भयंकर रोग है जो भारत में हर तरफ अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लैंगिक एवं राजनीतिक असमानता अन्यायकारी रूप धारण कर चुकी है। यह राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। किसी भी देश की शासन–व्यवस्था उसकी सामाजिक संरचना एवं आर्थिक आधार पर टिकी होती है। अलोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल होना असंभव है, इसकी सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र एवं आर्थिक समानता एक पूर्व शर्त बन जाती है। भारतीय संविधान को संविधान सभा को सौंपते हुए इसके मुख्य शिल्पकार डॉ॰ अम्बेदकर ने 26 नवम्बर, 1949 को राष्ट्र को चेताया था, कि भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतर्विरोध स्थापित हो रहा है, इसे शीघ्र समाप्त करने की जरूरत है, अन्यथा गैर–बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे। आज 69 साल बाद भी डॉ॰ अम्बेदकर की चेतावनी प्रासंगिक है। वर्तमान में अगर हम भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करें जिसकी वजह से समाज एवं अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण नहीं हो पा रहा है तो यह सुनिश्चित हो जायेगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुनियाद असमानता अत्याचार, अपमान, अन्याय एवं अलगाव जैसी भेदभावकारी अलोकतांत्रिक बीमारियों के ऊपर नहीं रखी जा सकती। भारत में आज लोकतंत्र एक प्रक्रियात्मक यंत्र के रूप में संचालित हो रहा है तो यह कहना गलत न होगा। भारत सरकार स्वीकार कर रही है कि 82 करोड़ लोग अपने लिए दो वक्त का खाना जुटाने में सक्षम नहीं हैं। यह एक गंभीर रोग की ओर इशारा करता है। जबतक इसका कारण न जाना जाय और उसके निवारण की उचित प्रक्रिया न अपनायी जाय, भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना एवं रक्षा एक भ्रम ही रहेगी।

भारत में समावेशी लोकतंत्र की अनिवार्यताएं काफी हद तक युवाओं से जुड़ी हैं। युवाओं की अधिकारिता, उनकी शिक्षा, सेहत, उनके लिए लैंगिक न्याय, निचले स्तर पर स्वशासन में उनकी भागीदारी जैसे मसले समावेशी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। समावेशी लोकतंत्र के लिए युवा शक्ति को आधी आबादी से जोड़कर देखना भी आवश्यक है। समावेशी लोकतंत्र के सपने

को तभी साकार किया जा सकता है जब महिला सशक्तीकरण के लिए आर्थिक, सामाजिक और कानूनी आयामों को धरातल पर लाया जाय। सामाजिक विकास के मामले में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानव सूचकांक मामले में विश्व में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। 170 देशों की कतार में हम 127वें पायदान पर खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए सभी योजनाओं में समावेशन को जोड़ना आवश्यक है। लोकतंत्र में शासन की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता आवश्यक है। यदि समाज का कोई वर्ग सामाजिक भेदभाव का शिकार होता है, तो अधिक समावेशन नहीं हो सकता। समावेशन लोकतंत्र को यह मानकर चलना होगा कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भयमुक्त होकर अपनी सहभागिता स्थापित करता है।

पं॰ नेहरू जी की दृष्टि के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत में शक्तिशाली स्वदेशीय आधार निर्मित किया गया। इसका सुन्दर इस्तेमाल नेहरू ने किया था जिससे हमारा उत्पादन सभी क्षेत्रों में बढ़े तथा हमारी अर्थव्यवस्था और भी सामर्थ्यवान बन सके। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनेक प्रौद्योगिकी मिशनों की स्थापना की गई। पं॰ नेहरू जी ने इस देश में वैज्ञानिक प्रकृति को विकसित करने की मनोदशा तैयार की। उसे नेहरू जी ने सरजमीन पर उतारना चाहते थे। एक नये स्वतंत्र और अत्यन्त ही निर्धन देश के लिए इस दिशा में बढ़ना आसान काम नहीं था, परन्तु पं॰ नेहरू जी की उसी दृष्टि की सोच थी कि यह एकमात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जिससे भारत अपने को ऊपर उठा सकता था, आज देश वर्तमान अवस्था में इसलिये है, क्योंकि पं॰ नेहरू जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक बल दिया। विकास का अर्थ समाज के विकास से होना चाहिये, विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका मुख्य होती है। पं॰ नेहरू जी वैज्ञानिक प्रकृति को विकसित करने की बात किया करते थे। पं॰ नेहरू जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात उस समय करते थे जब कोई विश्वास नहीं करता था कि भारत इस दिशा में बहुत अधिक बढ़ सकता था। वे विज्ञान का लाभ लाखों-लाख लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। नेहरू जी की सोच के अनुसार आज राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी बड़ी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहा है। आज नेहरू जी ने जो कदम उठाया था उससे विज्ञान और तकनीक गाँवों तक हमारे श्रमिकों तक तथा देश के हर तबके तक ले जाने का कार्य श्री मोदी कर रहे हैं। उद्योग धंधे बिना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सफल हो ही नहीं सकते, इसलिए नेहरू के ही प्रभाव के कारण ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भारत में महत्वपूर्ण स्थान देने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हर घर में चाहे वह निर्धन से निर्धन व्यक्ति का क्यों नहीं हो, ले जाने का काम कर रहे हैं। वे किस प्रकार इस तथ्य की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये और किस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्धनों के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए किया जा सके। नेहरू जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्धनता पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखलाया है। श्री मोदी भी दृढ़ निश्चय के साथ कार्य कर रहे हैं। पं॰ नेहरू की दृष्टि के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत में शक्तिशाली स्वदेशीय आधार निर्मित किया गया है। इसका आनेवाले वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे हमारा उत्पादन सभी क्षेत्रों में बढ़े तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था और भी सामर्थ्यवान बन सके।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं॰ नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों से प्रेरित होकर उनके सपनों का भारत बनाना चाहते थे। पं॰ नेहरू और गाँधी जी के सपनों का भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ सभी वर्गो को सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास के माध्यम से पूरा करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं फलत: गाँधी जी और पं॰ नेहरू के आदर्शो के अनुरूप चलने की प्रेरणा आज के युवा वर्ग को मिल रही है।

आज हमारे दिलों में पण्डित जी छाये हुए हैं और सदैव छाये रहेंगे। महान् मुक्तिवाहक महात्मा गांधी, महान प्रेरक पण्डित जवाहर लाल नेहरू और सब को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार बल्लभ भाई पटेल, भारत का सौभाग्य है कि ऐसे तीन विभिन्न समन्वित व्यक्तित्व हमारे साथ रहे जिनके अभाव में, हम जो आज हैं वह नहीं होते। पण्डित जी कर्म और विचार के समीकृत रूप थे। उन्होंने हमें एक अनन्य विरासत दी। ऐसी विरासत जो केवल उनकी रचनाओं को पढ़ने से, उनका अनुशरण करने से ही खत्म नहीं होती वरन् उसका महत्व इससे कहीं अधिक हैं। सही अर्थों में गांधी जी के भाष्यकार थे। गांधी जी ने कुछ लिखा उसकी आलोचना किए बिना उन्होंने समय और समाज की आवश्यकता के अनुरूप उसकी व्याख्या की। समय की मांग है कि केवल भारत के लिए ही नहीं, वरन् विश्व के लिए हमें नेहरू जी का भाष्यकार

चाहिए। उनमें एक भविष्यवक्ता विद्यमान था। उनका समाजवाद, अपनी भूमि पर उपजा भारतीय समाजवाद था, जो तथाकथित समाजवाद से पूर्णतया भिन्न था। वे चाहते थे कि विश्व में भारत का अपना विशेष प्रतिष्ठित स्थान बन जाए। उन्होंने अपनी पुस्तक ''भारत की खोज'' में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि भारत का स्थान विश्व के शिखर पर होना चाहिए, उसकी तलहटी में नहीं। इस प्रकार से उन्होंने उस पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। 67 साल की लोकतंत्र के बावजूद हमारा देश गरीब बच्चों को शिक्षा, भोजन और आगे बढ़ने के अवसरों का विकल्प नहीं दे पाया है। इस कानून के बारे में अब भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। इसके लिए गाँव-गाँव प्रचार करवाया जाए, ताकि लोगों में इसको लेकर जागरूकता पैदा हो।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू वैज्ञानिक नहीं थे, पर देश के विकास में और व्यक्ति की तरक्की में विज्ञान के योगदान की बात वे वखूबी समझते थे। आजादी के तुरंत बाद नेहरू ने देश में विज्ञान की विकास की तरफ ध्यान दिया। उन दिनों वे एक अंग्रेज वैज्ञानिक प्रो॰ पी॰एम॰एस॰ ब्लेकेट से बहुत प्रभावित थे और उनकी राय लेते थे। प्रो॰ ब्लेकेट ने नेहरू को राय दी डॉ॰ होमी भाभा और डॉ॰ डी॰एम॰ कोठारी जैसे असाधारण प्रतिभा रखने वाले युवा वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण पदों पर उपयोग करें। डॉ॰ भाभा को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया और कोठारी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उनसे अपेक्षा थी कि विज्ञान में जो प्रगति हो रही है उसका देश की सुरक्षा के लिए कैसे उपयोग हो सकता है। इस बावत परामर्श दें और इस निमित्त एक संगठन कायम करें। उन दिनों नेहरू जी ने अपने देश के लिए विज्ञान नीति के बारे में सोचना शुरू किया था। इस काम मे जिन लोगों की उन्होंने बराबर राय ली, वे थे डॉ॰ होमी भाभा, डॉ॰ मेघनाद साहा, डॉ॰ सी॰वी॰ रमन और डॉ॰ डी॰एस॰ कोठारी। मार्च, 1958 में पं॰ नेहरू जी ने विज्ञान नीति को संसद के समक्ष रखा, जिसे संसद ने एक ध्वनि से पारित किया। इस नीति के द्वारा भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि विज्ञान की मदद से हिन्दुस्तान विकसित देशों के समान प्रगति करने की कोशिश करेगा जो अन्य दो बातें हम नीति ने निर्धारित की, वे थीं आम आवाम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण की जरूरत और वैज्ञानिक मानवतावाद के विचार की सरल और सुबोध व्याख्या।

लोकतांत्रिक समाजवाद को व्यावहारिक रूप देने के लिए काँग्रेस के बम्बई अधिवेशन के बाद इन्दिरा गांधी के प्रमुख नेतृत्व में काँग्रेस द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम तथा उसके बाद उन कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए संगठन और प्रशासन पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और आवश्यक जन सहयोग जुटाने की कोशिशों से यह स्वत: स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी काँग्रेस संगठन में नई जान फूँकने में किस हद तक समर्थ हुईं। यदि देखा जाय तो प्रारंभ ही से इन्दिरा गांधी एक ऐसे समाज का स्वप्न देखती आ रही थीं जिसमें उपेक्षित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके, समाज के प्रत्येक प्राणी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके, गरीबी मिट सके और विषमताएं समाप्त हो सकें। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की भविष्य के भारत की कल्पना को व्यावहारिक रूप देने में इन्दिरा गांधी ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की। पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1929 में लाहौर काँग्रेस अधिवेशन के अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था– ''हमें महसूस करना होगा कि समाजवाद की विचारधारा धीरे-धीरे दुनिया भर के समाज के समूचे ढाँचे में फैल चुकी है। बहस की सिर्फ इतनी ही सी बात रह गई है कि समाजवाद हासिल करने के लिए किस रफ्तार से और किन तरीकों से आगे बढ़ा जाय। भारत को भी इसी रास्ते पर चलना होगा यदि उसे अपनी गरीबी और असमानता दूर करनी है, यद्यपि वह अपने तरीके ढूँढ़ निकाल सकता है और समाजवाद के आदर्श जनता के स्वभाव के अनुकूल ढाल सकता है।'' एक कुशल शिल्पी की भाँति श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समाजवाद के आदर्श भारतीय नागरिकों के स्वभाव के अनुकूल ढालने तथा समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तथा विषमताएं दूर करने के लिए समतावादी समाज रचना की गहरी नींव डाली और उस पर पायदार समाजवादी ढाँचा खड़ा करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को सामने रखा जिनके क्रियान्वयन से उपेक्षित और पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाया जा सके।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनेक कार्यक्रमों से अपने देशवासियों के हृदय में एक विशिष्ट स्थान बना लिया। वे अद्‌भुत यशस्वी नेता रही हैं और स्वाधीनता प्राप्ति से पहले तथा बाद में उनकी सेवाएँ तथा उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रही हैं। जनता के कल्याण तथा सुख के प्रति गहरी और सतत

चिन्ता तथा समाजवाद, मानवतावाद, समानता और धर्मनिरपेक्षता के राष्ट्रीय आदर्शो में अडिग निष्ठा के कारण उन्हें करोड़ों लोगों का स्नेह, श्रद्धा और प्रशंसा प्राप्त हुई। भारत की प्रधान मंत्री के रूप में उन्होंने एक महान दायित्व का वहन किया है और इस दौरान उनके सामने जो अनेक कठिन तथा जटिल समस्याएं आई उनके समाधान में उन्होंने उल्लेखनीय कल्पनाशक्ति, कौशल और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया था। अपने नेतृत्व द्वारा वे देश को भारी कठिनाई और परीक्षा की घड़ियों से सुरक्षित निकाल ले गयीं। उनमें गुणों का एक अनूठा सम्मिश्रण रहा है और उन्होंने अदभुत साहस, दूरदर्शिता, सावधानी से योजना बनाने और शीघ्र तथा प्रभावी कार्यवाही करने की शक्ति का परिचय दिया था। यह विस्मयकारी है कि श्रीमती गांधी द्वारा प्रतिवादित और संविधान में उल्लिखित आर्थिक नीतियों के विरुद्ध केन्द्र की 1990 से कांग्रेसनीत गठबंधन की सरकारों ने आर्थिक उदारीकरण के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा दिया। अर्थसत्ता को कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहित किया। बाजार की स्वतंत्रता के नाम पर आय, वेतन या काम की सुविधाओं में असमानता को स्वीकार किया है, जबकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि आजादी की शुरुआत निचले स्तर से होनी चाहिए। वर्तमान राष्ट्रीय, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का सही आकलन इसी पृष्ठभूमि में किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने गरीबी के विरुद्ध संघर्ष को केवल सद्भाव के रूप में न देखकर दायित्व के रूप में देखना प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा था कि मूलभूत मानव अधिकार-जीने का समुचित स्तर, भोजन और अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या उचित कार्य के अवसर या भेदभाव से मुक्ति के अधिकार ही देश के सबसे गरीब लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। फिर भी समाज में उनकी कमजोर स्थिति के कारण वे ऐसे ''सार्वभौम'' अधिकारों का उपभोग और रक्षा करने में सबसे पीछे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जहाँ कहीं और जब कभी कोई पुरुष, महिला या बच्चा दरिद्रता में जीता है तो मानव अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। उनकी सोच थी कि यदि हमें मानव अधिकारों के प्रति गंभीर होना है तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम वास्तव में वचन के प्रति चिंतित हैं।

गाँधी जी का अभिमत था कि खादी और चरखे को सर्वाधिक महत्व देने का अर्थ यह नहीं कि गांधी जी ने अन्य उद्योगों के प्रति अरुचि रखी या

उन्हें अनुपयुक्त माना। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल जो भी सहायक या स्वतंत्र उद्योग चलाया जा सके उसे चलाना वह उपयुक्त अनुभव करते थे। गन्ने का गुड़ या शक्कर बनाना, तिलहन का तेल उद्योग, चमड़ा उद्योग, मधुमक्खी उद्योग, कागज उद्योग, चटाई उद्योग, धान से चावल निकालने का उद्योग तथा रस्सी बनाने का उद्योग आदि ऐसे बहुत से लघु उद्योग हैं, जिनके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः सुसम्पन्न किया जा सकता है एवं स्वदेशी मान्यताओं को सही रूप में प्रस्तुत एवं स्वीकार किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी अभी ज्यादा हाथ स्वावलंबी बनें तो हमें दूसरों के नेतृत्व की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। जब और जैसे हमें आवश्यकता होगी, हम विशाल यंत्रों पर आधारित उद्योगों को अपना लेंगे।

गांधी ने भारत को स्वावलंबी आदर्शों वाले लघु उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों को अपनाने पर जोर देते हैं, ''हिन्दुस्तान के 7 लाख गाँवों में फैले हुए ग्रामवासी रूपी करोड़ों जीवित यंत्रों के विरुद्ध जड़ यंत्रों को प्रतिद्वंद्विता में नहीं लाना चाहिये।'' यंत्रों का सदुपयोग तो यह कहा जाए कि उससे मनुष्य के प्रयत्न को सहारा मिले और उसे वह आसान बना दे। यंत्रों के मौजूदा उपयोग का झुकाव तो उस ओर ही बढ़ता जा रहा है कि कुछ इने-गिने लोगों के हाथ में खूब सम्पत्ति पहुँचाई जाय और जितने करोड़ों स्त्री-पुरुषों के मुँह से रोटी छीन ली जाती है, उन बेचारों की जरा भी परवाह न की जाय। किन्तु हम भारत में उन करोड़ों लोगों के जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकते जो मूलरूप से गाँवों में रहते हैं।

गांधी का लघु उद्योगों को अपनाने का आग्रह बेकारी की समस्या के मिटाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। यदि देश के करोड़ों लोगों को व्यवसाय सुलभ नहीं कराये जाते तो देश से गरीबी, भूख, विषमता और अज्ञानता की आग बुझ नहीं सकेगी। विशाल उद्योगों की अपेक्षा इन्हें प्रोत्साहन देने का दूसरा कारण यह है कि अधिकांश नागरिकों के अतिरिक्त समय का सही सदुपयोग हो सकता है। ग्रामों के संदर्भ में यह प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, यही कारण है कि गांधीजी ग्रामोद्योगों को विकसित देखना चाहते हैं, ''हमारे यहाँ सवाल यह नहीं है कि हमारे गाँवों में जो लाखों करोड़ों आदमी पड़े हैं, उन्हें परिश्रम की चक्की से निकालकर छुट्टी दिलायी जाय, बल्कि यह है कि उन्हें साल में जो कुछ महीनों का समय यों

ही बैठे-बैठे आलस्य में बिताना पड़ता है, उसका उपयोग कैसे किया जाय।''

गांधी की दृष्टि में स्वराज्य की पूर्णता के स्वप्न तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक ग्राम स्वावलंबन की प्रक्रिया में पूर्णरूपेण दक्ष न हों। इन उद्योगों से स्वावलंबन की प्रक्रिया में तेजी आती है। गांधीजी देश की निर्धनता, बेकारी अपंगता तथा परमुखापेक्षी प्रकृति को सम्पन्नता तथा सुख की अनुभूति में बदलना चाहते हैं। इन उद्योगों से न केवल नगरों का बल्कि ग्रामों का भी सहज रूप से विकास होगा। विचित्र नारायण शर्मा के अनुसार ''बढ़ती हुए बेकारी, बेचैनी और परेशानी पहले सिर्फ बुद्धि का विषय थी, आज वह प्रत्यक्ष अनुभव का विषय बन गई है। इसलिए आज यह स्वीकार करना पड़ेगा कि लोगों के पास दूसरे उद्योग-धंधे भी होने चाहिये। जहाँ हम नैराश्य से निकलकर स्वावलंबन की दीक्षा देते हैं, वहाँ से हमारा देश के जीवन से अनुराग अभिव्यक्त हो जाता है।''

लघु उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों के माध्यम से हम न केवल अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जागरूक होंगे बल्कि अपने देश के प्राचीन गौरव को भी पुनः अर्जित कर सकते हैं। जिस प्रकार प्राचीन समय में इन उद्योगों से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कर भारतवासी गौरवान्वित अनुभव करते थे। उसी प्रकार आज भी यदि इन ग्रामोद्योगों के प्रति अपनी उदासीनता के भावों को बदल दिया जाय तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें पहले की तरह गौरव प्राप्त न हो। सभी के मनोभावों में इन लघु उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों की सहायता करने का दृष्टिकोण का आधार स्वदेशी भावना ही है। इन उद्योगों से माल तैयार करने वाली जनता को यदि यह विश्वास हो जाए कि उनके द्वारा तैयार किया गया माल जनता क्रय कर लेगी तो वह स्वेच्छा से उन उद्योगों के प्रोत्साहन में रत हो जाय।

गांधी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक, नैतिक और भौतिक दृष्टि से सुखी देखना चाहते थे, इसके लिए वह केन्द्रीयकरण के स्थान पर विकेन्द्रीयकरण का समर्थन करते हैं। हमारा ध्येय लोगों को सुखी बनाना और साथ-साथ उनकी सम्पूर्ण बौद्धिक एवं नैतिक उन्नति सिद्ध करना है। वह विकेन्द्रीकरण से ही हो सकता है। केन्द्रीयकरण की पद्धति का अहिंसक समाज-रचना के साथ मेल नहीं बैठता है। समाज में व्याप्त असमानता के संदर्भों का आधार भी गांधीजी इस केन्द्रीयकरण की प्रकृति को मानते थे। यही कारण है कि जिस रूप में भी

उन्हें उद्योगों की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा, वह उसका स्वामित्व भी व्यक्तिगत हाथों से लेकर राज्य के हाथों को सौपना ही श्रेयस्कर समझते हैं।

गांधी यह भी चाहते थे कि प्रत्येक गाँव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में स्वावलंबी हो तभी वहाँ सच्चा ग्राम-स्वराज्य कायम हो सकता है। इसके लिए उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जमीन पर अधिकार जमीन्दारों का नहीं होगा, बल्कि जो उसे जीतेगा वही उसका मालिक होगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ग्रामोद्योग की उन्नति के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ाने पर बल दिया जिसमें उनके द्वारा चरखा तथा खादी का प्रचार शामिल था। गांधी का मानना था कि चरखे के जरिये ग्रामवासी अपने खाली समय का सदुपयोग कर वस्त्र के मामले में स्वावलंबी हो सकते हैं। ग्रामोद्योगों की प्रगति के लिए ही उन्होंने मशीनों के बजाय हाथ-पैर के श्रम पर आधारित उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया।

भारत के सफल स्वातंत्र्य संग्राम के इतिहास में बिहार का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणा प्रद रहा है। चाहे धार्मिक राजनीति हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर गांधीजी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, इस सभी में बिहार की महत्वपूर्ण देन रही है। सरकारी प्रलेखों, पत्रों, अप्रकाशित अभिलेखों तथा निजी पत्राचारों सहित सभी उपलब्ध सूत्रों पर आधारित होने के फलस्वरूप यह सर्वथा प्रामाणिक भी है। गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण से किया हो, किन्तु उसने जो किया उसका सर्वाधिक महत्व है। यह सत्याग्रह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, जिसका गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख उपकरण बन गया, विभिन्न चरणों में बिहार की जनता ने उपयुक्त हिस्सा लिया। गांधी जी ने कहा था कि वे ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करते रहेंगे, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसके आवाज का महत्त्व है। वे ऐसे भारत के लिए कोशिश करते रहे, जिसमें ऊँच नीच का कोई भेद न हो। सभी जातियाँ मिल-जुल कर रहे। उनके भारत में, अस्पृष्यता व शराब तथा नशीली चीजों के अनिष्ठों के लिए कोई स्थान न हो। उसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले। सारी दुनिया से भारत का सम्बन्ध शांति और भाईचारे का रहे। यह है उनके सपनों का भारत। उनकी सोच का अभिप्राय अभिप्राय है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार

पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हो, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए, किसी परोक्ष लक्ष्य की सिद्धि का साधन-मात्र नहीं। उनकी सोच सामाजिक न्याय सुलभ करने के लिए यह आवश्यक है कि देश की राजसत्ता विधायी तथा कार्यकारी कृत्यों के द्वारा समतायुक्त समाज की स्थापना का प्रयत्न हो। सामाजिक न्याय के इस मूलभूत मानवीय सिद्धांत को संविधान में अनेक रूपों में मान्यता मिली है। गांधी जी के अनुसार आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक न्याय कल्पना मात्र है। उनके अनुसार आर्थिक न्याय का अभिप्राय है कि धन-सम्पदा के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच विच्छेद की कोई दीवार खड़ी नहीं की जाए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का अथवा एक वर्ग को दूसरे वर्ग का शोषण करने का अधिकार नहीं है।

हाशिये पर खड़ा दलित एवं आदिवासी :

2011 की जनगणना के अनुसार अपने देश में दलित और आदिवासियों की जनसंख्या करीब 25 करोड़ है, जिनमें 16 करोड़ 70 लाख दलित और 5 करोड़ 60 लाख आदिवासी हैं। इसमें से लगभग अस्सी प्रतिशत दलित आबादी गांवों में रहती है जिनमें आधे से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। आधे से अधिक निरक्षर हैं जिनके बच्चों को पड़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे पढ़ लिए हैं वे रोजगार के लिए भटक रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं नहीं है कि देश में आजादी के बाद सरकार ने सरकारी नौकरियों में इन दोनों वर्गों को आरक्षण देकर एक बेहतर शुरुआत की थी, लेकिन शिक्षा के अभाव, संसाधन की कमी व जागरूकता के अभाव में इस आरक्षण का फायदा कुछ ही दलित और आदिवासी परिवारों के दायरे में सिमटा हुआ है। दूसरी ओर सरकार के जन कल्याण सम्बन्धित कार्यक्रमों में इन वर्गों के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या आर्थिक सशक्तीकरण की बात हो।

सन् 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में औसत रूप से 20 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के ग्रामीण इलाकों में 40 फीसदी दलित और 48 फीसदी आदिवासी गरीबी

रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। शहरी इलाकों की गरीबी भी दलित और आदिवासी के मामलों में बहुत हद तक ग्रामीण इलाकों की तरह ही है। देश के शहरी इलाकों में जहाँ सामान्य लोगों में सिर्फ 20 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है, वहीं दलित और आदिवासी समुदाय के 36 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों में भी दलित और आदिवासी मजदूरों में 46 से 64 फीसदी तक गरीब हैं। शहरी इलाकों में सामयिक(केजुएल) मजदूरों में जहाँ सामान्य वर्ग के मजदूरों में गरीबी का औसत 45 फीसदी है, वहीं दलितों में यह औसत 58 फीसदी और आदिवासियों में 64 फीसदी है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में हाशिये पर खड़े इस समाज की बेहतरी के लिए कम से कम क्या किया जा सकता है जिससे इसके आय के स्रोत में इजाफा हो, जीवन स्तर सुधरे, बेरोजगारी कम हो, शिक्षा का स्तर सुधरे व अन्य मानवीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता यह है कि भूमिहीन किसानों को जीवन-यापन लायक जमीन उपलब्ध करायी जाय। भूमिहीनता के मामलों में आदिवासियों की तुलना में दलितों की स्थिति काफी चिन्ताजनक है। देश के ग्रामीण इलाकों में करीब 70 फीसदी दलित परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है या है तो एक एकड़ से भी कम है। अगर हम सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो गरीबों के बीच भूमि वितरण के गति काफी धीमी है। अबतक जोत वाली जमीन की सिर्फ 2 फीसदी जमीन ही सीलिंग के तहत भूमिहीन लोगों में बांटी जा सकी है। अगर हम सरकारी जमीनों को भी इसके बीच मिला दें तो यह कुल जमीन का मात्र 10 फीसदी है। अबतक केवल 18 लाख एकड़ जमीन का दलितों को वितरण हो पाया है।

इसलिए जरूरी है कि राज्य और केन्द्र सरकार भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें। इसके लिए जोत वाली जमीन, बंजर भूमि और अन्य भूमि जैसी सीलिंग वाली भूमि को रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत दलितों व अन्य गरीबों के बीच बांटा जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हालात इतने गंभीर हैं कि कानूनी रूप से वितरित जमीन पर भी दलित और आदिवासी अपना हक नहीं जमा पाते हैं। हमारे समाज की जो संरचना है उसमें दलित और आदिवासी एक शक्तिविहीन समुदाय है। समाज का जो तबका है, जमीन पर उसी का हक होता है। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकार का यह सम्मिलित

दायित्व बनता है कि जो जमीन वितरित की जा चुकी है या की जा रही है, उस पर उसी समुदाय का हक रहे जिसका कानूनी तौर पर हक बनता है। ऐसे हालात में यह जरूरी हो जाता है कि सरकारी मशीनरी के तहत ऐसी कोई संस्था बनायी जाए जिससे कब्जा की हुई भूमि दोबारा दलित और आदिवासियों को मिल सके और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके। अगर व्यवसाय के क्षेत्र में देखें तो वहाँ भी दलितों और आदिवासी व्यापारियों में आधिक गरीबी व्याप्त है। इस क्षेत्र में आदिवासियों में 33 फीसदी और दलितों में 41 फीसदी गरीबी है जबकि सामान्य वर्ग में यह अनुपात सिर्फ 21 फीसदी का है। क्या इन आंकड़ों से यह साफ जाहिर नहीं होता कि यह समाज पूंजी के अभाव जैसी समस्याओं से ग्रसित है। ऐसे हालात में इन समुदायों को सरकारी वित्तीय उपक्रमों के द्वारा आसान किश्तों पर ऋण उपलब्ध कराये जाएं तभी हाशिये पर खड़े इस समाज को बचाया जा सकता है लेकिन नई आर्थिक नीति लागू होने के पहले जहाँ समाज के कमजोर तबका को व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में इन समुदायों की 10 फीसदी हिस्सेदारी थी, वह आज घटकर 6 फीसदी रह गई है। इसका मतलब साफ है कि इस चलन को उलटने की सख्त आवश्यकता है, ताकि इन समुदायों को आसान किश्तों पर बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध हो सके।

दलितों और आदिवासी के सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का सिर्फ इतना ही पहलू नहीं है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 61 फीसदी ग्रामीण व शहरी दलित परिवार और करीब 50 फीसदी आदिवासी परिवार दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी जीविका चला रहे हैं। इसमें 46 फीसदी दलित परिवार और 61 फीसदी आदिवासी परिवार गरीबी रेखा के जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। शहरों में सामायिक मजदूरी में भी इन समुदायों के बीच भयंकर गरीबी है करीब 58 फीसदी दलित परिवार और 64 फीसदी आदिवासी परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि संप्रग के केन्द्र सरकार के द्वारा जो रोजगार गारंटी योजना लागू करने की तैयारी है उसमें इन समुदायों के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनरेगा रोजगार गारंटी योजना से इन समुदायों को अधिक लाभ मिलेगा बशर्ते कि यह योजना भ्रष्टाचार जैसी शाश्वत बीमारी से बची रहे। दूसरी ओर निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लेकर केन्द्र सरकार

और निजी क्षेत्रों के बीच बातचीत चल रही है। देश के निजी क्षेत्र के ऊपर के लेवेल पर ना सही लेकिन मानवीय आधार पर कम से कम तीसरे और चौथे वर्ग के स्तर पर आरक्षण देना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय ने दलित एवं आदिवासी के निर्णय के आलोक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून से सम्बन्धित उसके फैसले से देश में दुर्भावना, क्रोध एवं असहजता का भाव पैदा हुआ है। यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। न्यायालय के फैसले से देश में क्षोभ, क्रोध और उत्तेजना का माहौल बना है। साथ ही आपसी सौहार्द का वातावरण भी दूषित हुआ है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अपने-अपने अधिकार सन्निहित हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। न्यायालय के फैसले से कानून कमजोर हुआ है और इसकी वजह से देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। एसटी के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों में स्वत: गिरफ्तारी और मुकदमे के पंजीकरण पर प्रतिबंध के शीर्ष अदालत के आदेश से 1989 का यह कानून दंतविहीन हो जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश से लोगों में सम्बन्धित कानून का भय कम होगा और एससी/एसटी समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी।

यह अत्यन्त विस्मयकारी है कि आजादी के 71 वर्षों के बाद और लोकतंत्र के 68 वर्ष बीतने के बाद भी दलित एवं आदिवासी समुदाय को इन मौलिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। संविधान के अनु.-17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, परन्तु वह समाप्त नहीं हो पाया। इसलिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 संसद् द्वारा पारित किया गया। वह अधिनियम भी प्रभावकारी नहीं हुआ जबकि उसमें अनेक संशोधन के साथ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नियम-1955 पारित किया गया, परन्तु प्रभावकारी नही हुआ तो 1989 में अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) पारित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी दलित और आदिवासियों पर अत्याचार लगातार जारी है। बिहार में विशेषकर पिछले 25 वर्षो में तथाकथित सामाजिक न्याय और गरीबों को आवाज देने वाले शासन में रहने के बावजूद लगभग 25 से अधिक अलग-अलग घटना में 1000 दलितों की सामूहिक हत्याएं हुई हैं। उनमें 1 दिसम्बर, 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार

के अतिरिक्त बिहार के अरवल जिला में 38 दलितों की सामूहिक हत्याएं की गयीं, जिनमें अनेक औरत, बच्चे और पुरुष शामिल थे।

इस घटना के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन ने शर्म की बात कही थी। ये मामले 12 वर्षो तक न्यायालयों में चलते रहे और अप्रैल 2010 में निचली अदालत ने 46 अपराधियों में से 16 को मृत्युदंड और 10 को आजीवन कारावास दिया, परन्तु 3 वर्षों के बाद 2013 में पटना उच्च न्यायालय ने सभी 26 व्यक्तियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। उसके पहले 1996 में बथानी टोला के 21 दलितों की सामूहिक हत्याएं हुईं। निचली अदालत नें 23 अपराधियों को सजा दी। बाद में पटना उच्च न्यायालय ने अपराधियों को बरी कर दिया। उसी तरह नागरी बाजार में 1998 में 10 व्यक्तियों की सामूहिक हत्याएं हुईं, निचली अदालतों ने अपराधियों को सजा दी, पर उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। 2000 में मायापुर में 34 दलितों की सामूहिक हत्याएं हुई, निचली अदालत ने सजा दी और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अपराधियों को बरी कर दिया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि संवैधानिक संरक्षण और विभिन्न प्रकार के अपराध नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत निचली अदालतों द्वारा सजा देने के बावजूद उच्च न्यायालय से दोषी लगातार साक्ष्य के अभाव में बरी होते रहे हैं। परिणामस्वरूप दलितों और आदिवासियों पर व्यक्तिगत और सामूहिक जुल्म और अन्याय करने वालों का मनोबल बढ़ता ही गया है। इतने वर्षों के बाद भी दलितों के पुनर्वास और उनकी हालत में सुधार लाया नहीं जा सका है। उपर्युक्त उदाहरणों से प्रमाणित होता है कि न्याय प्रणाली, पुलिस प्रणाली और सरकारी तंत्र में कुछ विशेष खमियां हैं और उनकी मानसिकता दलित विरोधी है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक अद्यतन प्रतिवेदन में कहा है कि दलितों और आदिवासियों के मामले में क्या अगड़ा क्या पिछड़ा दोनों ही एक ही मानसिकता से कार्य करते हैं। दु:खद पक्ष तो यह है कि पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन का झुकाव भी दलित विरोधी ही रहता है, जो केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों/निदेशों की अनदेखी करते हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार निवारण के लिए समय-समय पर जो अधिनियम बनाये गये हैं, उनका अनुपालन नहीं होता है।

भारत के लिए आर्थिक विकास अब भी उच्च प्राथमिकता वाला विषय

है। लेकिन समाज में व्याप्त असमानता एवं विषमता को खत्म करने की प्रतिबद्धता का कमजोर पड़ना दु:ख की बात है। देश में दलितों एवं अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में लोगों को 'विभाजनकारी नीतियों एवं राजनीति' को नकारने के लिए एकजुट होना होगा। देश के राजनीतिक विमर्श में स्वतंत्रता और विकास के बीच चयन करने का एक 'खतरनाक एवं गलत' मेल उभर रहा है, जिसे खारिज किया जाना चाहिये। 'विकास नियोजन और योजना आयोग की संकल्पना इसलिए की गई थी कि अर्थव्यवस्था के विकास के दौर में असमानता न बढ़ने पाये। लेकिन योजना आयोग को खत्म किये जाने के बाद असमानता को काबू में करने के लिए नये सिरे से कोशिश करनी होगी।' 1991-96 और 2004-14 के दौरान अपनाया गया आर्थिक उदारीकरण सामाजिक एवं आर्थिक विशेषाधिकारों से वंचित लोगों को भी नये अवसर मुहैया कराने की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है और आर्थिक सुधार के पीछे यही सोच रही है। इस समय एक प्रमुख चिन्ता यह है कि असमानता को नहीं बढ़ने देने की प्रतिबद्धता कमजोर पड़ती जा रही है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

आज भारत समेत दुनियाभर के अर्थशास्त्री और विकास विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि बढ़ती असमानता से सतत वृद्धि को गंभीर खतरा है। भारत के लिए आर्थिक असमानता को बढ़ने से रोकना और इसे कम करने की दिशा में प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। समानता और लोकतंत्र को लेकर हमारी प्रतिबद्धता के एक संकेत के रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों के बारे में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता पैदा करने की दरकार है। समानता के लिए बनाई जाने वाली नीतियाँ लघु अवधि में वृद्धि को महंगा बना सकती हैं, लेकिन असमानता बढ़ना लम्बी अवधि में आर्थिक सेहत और सतत वृद्धि के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है।

अल्पसंख्यकों और दलितों पर बढ़ते अत्याचारों पर लगाम नहीं लगाई गई तो भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुँच सकता है। लोकतांत्रिक संस्थानों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों पर लगातार हमलों, राजनीतिक भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी और निहित हितों वाले लोगों के राजनीतिक दलों और राजनीतिक पदों पर कब्जा करने से लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। यह सवाल करना चाहिये कि क्या हमारा लोकतंत्र के प्रति धैर्य खत्म होता जा रहा है और हम निरंकुश

विकल्पों को तरजीह दे रहे हैं। शासन जटिल अव्यवस्थित और धीमा है। इसके फायदे लम्बी अवधि में मिलते हैं। इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें बिना रसूख वाले लोग शासन की आवाज होते हैं। अगर यह आवाज खत्म हो जाती है तो लोकतंत्र बेमतलब हो जाता है। हर व्यक्ति को लोकतंत्र मजबूत करने में भागीदारी करनी चाहिये।

डॉ॰ अम्बेडकर का समाज दर्शन सामाजिक न्याय का पर्याय है, जो मुख्यतः स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुता में निहित है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा समाज दर्शन तीन शब्दों में निहित कहा जा सकता है- स्वतंत्रता, समानता एवं बन्धुता। लेकिन किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैने अपने दर्शन को फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरे दर्शन की जड़ धर्म में है, न कि राजनीति विज्ञान में। मैंने अपने महान गुरु बुद्ध की शिक्षाओं से इसका अनुसरण किया है। उनका कहना है कि यदि कोई मानव स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के मूल्यों का समान तथा आत्मसात करता है तो वह एक अच्छा मानव कहा जा सकता है। इसी तरह यदि कोई समाज इन सिद्धांतो पर आधारित होकर अपने को सुदृढ़ बनाता है, तो उसे न्यायी तथा खुला समाज कहा जा सकता है। पुनः यदि किसी राष्ट्र के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के आदर्श सन्निहित हैं और वह अपने नागरिकों को समानतावादी समाज की दिशा में संप्रेरित करता है तो वह एक न्यायी राष्ट्र है।

डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार मानव विकास के लिए सामाजिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इसमें मुख्यतः दो बातें आती हैं-पहला, एक ही समुदाय में रहने वालों की स्वतंत्रता, और दूसरा अन्य समुदायों से एक समुदाय की स्वतंत्रता। किसी समुदाय में रहने वाले मानव के ऊपर अनेक दबाव पड़ते हैं, तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उनके उद्देश्यों का निर्धारण वह स्वयं नहीं कर पाता, बल्कि अन्य मानव ही करते है। जब उसे सामुदायिक नियंत्रण एवं अत्याचार से मुक्ति मिल जाती है और वह अपने ध्येय के अनुसार जीवनयापन करने लगता है तो वह स्वतंत्र माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि समाज में सभी मानवों के लिए समान नियम, कर्तव्य एवं अधिकार होने चाहिए। प्रत्येक मानव को रोजी कमाने, विचार विनिमय, कर्तव्य एवं अधिकार में समानता होने चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अन्य मानवों का अहित

नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि में, समुदाय में स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई मानव भय एवं भूख से पीड़ित न हो । उस पर किसी का अनावश्यक नियंत्रण न हो और वह शांतिपूर्वक न्यायोचित समाजिक व्यवस्था में रहता हो।

संविधान निर्माण तथा संस्थान निर्माण एक जीवंत और सतत गतिशील प्रक्रिया है। डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा था-''मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए, खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर, संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाय, अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। संविधान पर अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर करता। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान कर सकता है। राज्य के उन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं तथा अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा? जातियों तथा संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा, विभिन्न तथा परस्पर विरोधी विचारधारा रखनेवाले राजनीतिक दल बन जाएँगे। क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता। लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए।''

पिछले 68 वर्षों के इतिहास और आज की परिस्थितियों के परिपेक्ष में डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के उन शब्दों से अधिक उपयुक्त शब्द मिलना, संभवत: असंभव होंगे जो उन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही समाप्त करते समय अपने समापन भाषण में कहे थे-''भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक है किंतु लोकतंत्रात्मक संस्थाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि वे जो इसका क्रियान्वयन करें दूसरे के दृष्टिकोण को आदरपूर्वक देखने तथा समझौते और समायोजन के लिए तत्पर हों। बहुत कुछ जो संविधान में लिखा नहीं जा सकता,

स्वस्थ परंपराएं डालकर अभिसमयों के द्वारा किया जाता है। संविधान में कुछ भी प्रावधान हों या नहीं देश का कल्याण इस पर निर्भर करेगा कि उसका शासन कैसा है और शासन निर्भर होगा शासकों पर। कहा जाता है कि किसी देश को वैसी ही सरकार मिलती है जिसका वह अधिकारी हो। अगर जिन लोगों को चुना गया वे योग्य, ईमानदार तथा चरित्र और निष्ठा वाले व्यक्ति हुए तो वे त्रुटिपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि इनमें हल्की कमी हुई तो संविधान देश को नहीं बचा सकता। अंततः संविधान मशीन की तरह एक विलोमतः निर्जीव चीज है। इसमें प्राण पड़ता है उनके द्वारा जो इसे चलाते हैं और नियंत्रण करते है और आज भारत को किसी चीज की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि ईमानदार व्यक्तियों की, जो अपने सामने देश का हित रखे। हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंगो से विघटनकारी प्रवृत्तियां पनप रही हैं हमारे यहां कितने ही सामुदायिक, जातिगत, भाषा-संबंधी प्रांतीय तथा अन्य मतभेद हैं। अतः आवश्यकता है ऐसे लोगों की है, जो चरित्र के पक्के हों तथा सूक्ष्म-दृष्टि रखते हो, जो छोटे छोटे समुदायों और क्षेत्रों के हित के लिए पूरे देश के हितों की बलि न दें। और जो विभिन्नताओं से जन्मे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें । हम केवल यह आशा ही कर सकते है कि देश में ऐसे व्यक्ति प्रचुर संख्या में उभरेंगे। जिन्होंने पहले देश की सेवा की है, उन्हें अपनी सफलताओं के सहारे अब आराम नहीं करनी चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि वे अपना काम पूरा कर चुके और अब तो फल भोगने का समय है। हमारे सामने विभिन्न भागों में सामंजस्य स्थापित करने की समस्या नहीं थी। बांटने के लिए पग-पग पर प्रलोभन नहीं थे। सांझे के लिए हमारे हाथों में कोई शक्ति और सत्ता नहीं थी। अब हमारे पास सबकुछ है और सचमुच प्रलोभन बहुत बड़े है। ईश्वर हमें इतनी बुद्धि और बल दें कि हम इन सब प्रलोभनों से ऊपर उठ सकें और देश की सेवा कर, सके जिसे स्वाधीन कराने में हम सफल हुए हैं।''

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार सुशासन की अवधारणा निर्विवाद रूप से नागरिकों के जीवन के अधिकार, स्वाधीनता और उनकी खुशियों से जुड़ी है। लोकतंत्र में कानून के शासन के द्वारा ही यह सब सुनिश्चित किया जा सकता है। कानून के शासन की सर्वसम्मत अवधारणा यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो कि 'कानून का शासन', 'कानून के द्वारा शासन' से अलग चीज है। उनके अनुसार

'कानून के द्वारा शासन' का अर्थ है कि कानून सरकार का यंत्र है और सरकार कानून से ऊपर है, जबकि कानून के शासन का मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस ढांचे के अंदर ही कानून न सिर्फ अपने नागरिकों को स्वाधीनता की गारंटी देता है, बल्कि यह सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित करते हुए सरकार को सही निर्णय लेने के लिए मजबूर भी करता है। कानून का शासन ऐसा स्थापित तथ्य है जिसके समक्ष सभी समान हैं। यह औपचारिक और क्रियाविधिक न्याय प्रणाली में खासतौर से सुरक्षित किया गया है, जिसके कारण ही स्वतंत्र न्यायपालिका शासन के लिए महत्वपूर्ण औजार के समान है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को कानून में बराबर के अधिकार दिए गए हैं और कानून के मुताबिक बराबर की सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, जबतक कि कानून द्वारा स्थापित प्रावधानों में ऐसी जरूरत न हो। इस प्रकार राज्य हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और स्वाधीनता की रक्षा के लिए बाध्य है। कानून के स्तर पर किसी भी प्रशासनिक कार्य की जाँच करने का अंतिम अधिकार न्यायालय को ही है। अगर कोई भी प्रशासनिक या कार्यपालक कार्रवाई कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो पीड़ित पक्ष द्वारा सक्षम न्यायालय में उचित मामला दाखिल करने के साथ ही उस कार्रवाई पर रोक लगाई जा सकती है। इस प्रक्रिया का आवश्यक उपसिद्धांत ही 'न्यायिक सक्रियता' के रूप में जाना जाता है। कार्यपालिका की उपेक्षा के कारण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं। हालांकि इसमें प्रशंसनीय रूप से काम हुआ है, लेकिन इसने न्यायाधीशों को अपना काम करने में सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए सचेत भी किया है।

श्री कर्पूरी ठाकुर सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए 10 नवम्बर, 1978 को जारी अधिसूचना की **कण्डिका ६ में कहा गया है कि ''आरक्षण शाश्वत नहीं रहेगा। जैसे-जैसे पिछड़े वर्ग के लोग समुन्नत होते जायेंगे, उन वर्गों के लिए आरक्षण समाप्त होता जायेगा। यह कार्य समय-समय पर पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के पश्चात् किया जायेगा।''** आरक्षण सामाजिक न्याय का उपकरण है। निश्चित रूप से समाज के वंचित और शोषित समूह को न्याय मिलना चाहिये, परंतु ऐसा करते समय यह देखा

जाता है कि सम्पन्न एवं सक्षम समूह ही आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। जबकि आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए जो उसके हकदार हैं, न कि उन्हें जो उसका लाभ उठाकर सम्पन्नता के दायरे में आ चुके हैं। अगर आरक्षण का उद्देश्य देश के संसाधनों, अवसरों और राजकाज में समाज के हर समूह की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, तो यह बात अब निर्णायक रूप से कही जा सकती है कि आरक्षण का मौजूदा ढांचा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो गया है। 1993 के बाद से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण है। 2006 से केन्द्र सरकार के शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू हो गया है। राज्यों के स्तर पर ओबीसी का आरक्षण लागू है। लेकिन इस तरह के तमाम आरक्षणों का नतीजा क्या निकला? भारतीय संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण लागू होने के 68 साल बीत चुके हैं और केन्द्र के स्तर पर मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू है। अब देश में आरक्षण नीति और उसके असर की गहन समीक्षा की जानी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि आरक्षण की नीति अपने उद्देश्यों में कहाँतक कामयाब रही है। आरक्षण को लेकर आम लोगों में भ्रम का माहौल पैदा हो गया है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार के स्तर पर स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए कि आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को न सिर्फ कायम रखा जाएगा, बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा।

केन्द्र सरकार और भाजपा के स्तर पर स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया कि आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को न सिर्फ कायम रखा जायेगा, बल्कि इसे और मजबूत किया जायेगा। संविधान संशोधन के वगैर आरक्षण में किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। क्योंकि इसके लिए राज्य सभा में दो-तिहाई बहुमत का होना अनिवार्य है। **भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण की प्रति प्रतिबद्धता का यह मिशाल है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थान पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने और उसे संवैधानिक दर्जा देने से यह प्रमाणित होता है कि पूर्व में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में संशोधन कर प्रावधान किया था कि ५० प्रतिशत की सीमा बकाये रिक्तियों पर लागू नहीं होगी। दूसरा संविधान के अनुच्छेद ३३५ में संशोधन कर यह प्रावधान किया कि**

सरकार दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने में योग्यता को शिथिल कर सकती है। तीसरा आरक्षित पदों के प्रोन्नति में आरक्षण उनकी वरीयता के साथ की जा सकती है। इन तीनों संशोधनों और अभी के निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि केन्द्र सरकार आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। उच्चतम न्यायालय के १६ नवम्बर, १९९२ के निर्णय में २५ सितम्बर, १९९२ को जारी आरक्षण अधिसूचना को संवैधानिक करार देते हुये कहा था कि सिर्फ सुखी सम्पन्न (क्रीमीलेयर) लोगों को आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाय और पिछड़ा अपेक्षाकृत अति पिछड़ा में २७ प्रतिशत का आरक्षण इनके आबादी के अनुपात में दिया जाय।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की सरकार द्वारा आरक्षण में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं। संविधान **(७७वाँ संशोधन)** अधिनियम, 1995- संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया उपखण्ड 4(क) जोड़कर एक उपबंध किया गया जिसके अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया जा सकेगा। संविधान **(८१वाँ संशोधन)** अधिनियम, 2000- इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि यदि आरक्षित स्थानों में किसी वर्ष कुछ स्थान वगैर भरे रह जाते हैं तो ऐसी रिक्तियों को सरकार एक अलग श्रेणी में रखकर अगले वर्षों में भर सकती है और ऐसा करते समय इन्हें 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा में नहीं गिना जायेगा। संविधाान **(८२वाँ संशोधन)** अधिनियम, 2000- अनुच्छेद 335 में एक परंतुक जोड़कर यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संघ और राज्यों की सेवाओं में आरक्षित स्थानों में किन्हीं रिक्तताओं को पदोन्नति द्वारा भरते समय मूल्यांकन के मानक और न्यूनतम अंकों में कमी की जा सकती है। संविधान **(८५वाँ संशोधन)** अधिनियम, 2001- इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों की सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रोन्नत पदाधिकारियों को परिणामिक वरिष्ठता भी मिले। संविधान **(८६वाँ संशोधन)** अधिनियम, 2003- इस अधिनियम के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21क संविधान में जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों

के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 12 दिसम्बर, 2002 को मिली और इसे केन्द्र सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित तिथि से प्रभावी माना जाएगा। **(८९वाँ संशोधन)** अधिनियम, 2003- इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा एक नया अनुच्छेद 338 को जोड़कर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए दो अलग-अलग आयोगों की व्यवस्था की गई।

राजग सामाजिक न्याय के चैम्पियन के तौर पर सामने आये और कांग्रेस तथा बाकी दलों को दिखा दे कि वास्तविक सामाजिक न्याय कैसा होना चाहिये। आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक श्वेत पत्र केन्द्र सरकार लाये। इस श्वेत पत्र में आरक्षण से जुड़े तमाम पहलुओं पर छानबीन करके रिपोर्ट रखी जाय। इस बात की समीक्षा करने का वक्त आ गया है कि 65 साल के आरक्षण के बावजूद केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो पाया है। इस बारे में विचार करना चाहिये कि क्या आरक्षण को लेकर कानून बनाया जाना चाहिये और आरक्षण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन को दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध घोषित करके इसके लिए आर्थिक दंड और कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिये। आरक्षण को लागू न करना अबतक कोई अपराध नहीं है और इस वजह से संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद इसका मनमाने तरीके से उल्लंघन होता आया है। इसे अबतक सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। संवैधानिक व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। ढीली-ढाली व्यवस्था के साथ आरक्षण का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो सकता है। उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुपस्थिति गंभीर चिन्ता की वजह है।

सरकार को इस बारे में भी विचार करना चाहिये कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न पदों पर एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित हो। खासकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केन्द्र सरकार के शिक्षा संस्थानों में कुलपति, निदेशक, संकाय प्रमुख प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर सामाजिक विविधता का घोर अभाव है। अभीतक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्थिति को सुधार कैसे किया जाय? इसका अध्ययन होना चाहिये कि आरक्षण

के प्रावधानों के अंदर ऐसी कौन-सी व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि इनका लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मिले। केन्द्र सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इसका इरादा आरक्षण के प्रावधानों को मजबूत करना है। यह बात जनता तक स्पष्ट पहुँचनी चाहिये कि समीक्षा करने का मतलब आरक्षण खत्म करना कभी नहीं है। सामाजिक विविधता इस देश की ताकत है। इसका प्रतिबिम्ब तमाम संस्थाओं में नजर आये, इसके लिए आरक्षण के प्रावधानों को मजबूत किया जाय।

संवैधानिक संशोधन के वगैर आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो अब संभव नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी दल को दो तिहाई सदस्यों का समर्थन नहीं है। उसी तरह किसी लोकसभा क्षेत्र में दलित एवं आदिवासी की संख्या अधिक है। वहाँ के सांसद अपने क्षेत्र में इन वर्गों के विरूद्ध नहीं जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि संविधान में मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केन्द्र की श्री वाजपेयी की भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बकाये कोटा को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत को संविधान संशोधन कर निरस्त कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि देश में 10 लाख आरक्षण के पद रिक्त हैं। आरक्षण अंतर्गत प्राप्त प्रोन्नति में प्रोन्नत व्यक्तियों को उनसे वरीय पदाधिकारियों के विरुद्ध वरीयता देने के लिए उन्होंने संविधान संशोधन किया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 335 में संशोधन कर आरक्षण के लिए कुशलता एवं गुणवत्ता को शिथिल किया था। श्री वाजपेयी की भाजपा सरकार ने इन तीनों संविधान संशोधनों द्वारा संवैधानिक एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया और उन वर्गों के लिए आरक्षण का सुनिश्चित रहने दिया। यह संशोधन भाजपा की आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है। अतः अब इस समय भाजपा की आरक्षण नीति पर किसी प्रकार का प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी डिजिटल भारत बनाने का संकल्प लिये हुए हैं। इस बीच इस प्रकार का निष्कृष्ट जातिवादी मानसिकता देश और राज्य में पुनः स्थापित करना भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। नई पीढ़ी जातिवादी सोच से ऊपर है। बिहार की जनता 25 वर्षों के बाद जातीयता के चक्रब्यूह से बाहर निकल चुकी है। यहाँ लोग अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबरी की

सहभागिता चाह रहे हैं। गरीबी, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, रोजगार आदि बिहार की जनता के समक्ष मुद्दा है। संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 जाति आधारित विभेद करने की अनुमति नहीं देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ने भी जातिवादी प्रचार को भ्रष्ट आचरण की संज्ञा देकर इसे आपराधिक घोषित कर दिया है। केन्द्रीय और राज्य सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 16 के उपखण्ड 4 के अंतर्गत प्राप्त है, जिसमें कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन के वगैर नहीं हो सकता है। संविधान संशोधन के लिए लोक सभा एवं राज्य सभा में दो तिहाई सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। दो तिहाई बहुमत भारतीय जनता पार्टी को लोक सभा एवं राज्य सभा में नहीं है। इसलिए आरक्षण को विवाद का मुद्दा बनाना किसी भी तर्क की कसौटी पर उचित नहीं है। अनावश्यक रूप से राजनीतिक उद्देश्य से लोगों को भ्रमित करने के लिए आरक्षण विवाद उपस्थापित किया जा रहा है।

इस पुस्तक में माध्यम से विश्व एवं भारत के सतत विकास के हर पहलू को दर्शाते हुए आशा व्यक्त की है कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2030 तक, गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए, एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है, जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करेगा। हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 का, जो सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया, और 1 जनवरी 2016 को प्रभाव में आया था। एसडीजी एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया से विकसित किये गये हैं, जिसपर विचार-विमर्श करने के लिए और इस महत्वाकांक्षी एजेंडा को अपनाने के लिए राष्ट्रीय सरकारें और दुनिया भर के लाखों नागरिक एकजुट हुए थे। भारत समेत सभी 193 राष्ट्रों का संकल्प है कि सभी जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत हो।

1:- भूखमरी समाप्त हो, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा दी जाय।

2:- स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित की जाय और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा दी जाय।

3:- समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा दी जाय।

4:- लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तीकरण किया जाय।

5:- सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित की जाय।

6:- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

7:- सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा दी जाय।

8:- समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण की जाय, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा दी जाय और नवोन्मेज़ को प्रोत्साहित की जाय।

9:- राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम किया जाय। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित,समुत्थानशील और संधारणीय बनायी जाय।

10:- सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित की जाय। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाईकिया जाय।

11:- सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण किया जाय और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग किया जाय।

12:- स्थलीय पारिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार की जाय और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाय, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन की जाय,

13:- मरूस्थल-रोधी उपाय की जाय, भूमि अवक्रमण को रोकी जाय और प्रतिवर्तित किया जाय और जैव-विविधता की हानि को रोकी जाय।

14:- सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी विकास को बढ़ावा दी जाय, सभी को न्याय उपलब्ध की जाय तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं को निर्माण किया जाय।

15:- कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण की जाय और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार किया जाय।

16:- 2030 तक सब जगह सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त किया जाय जो वर्तमान में 1.25 डालर प्रतिदिन से कम पर जीवनयापन करने वाले लोगों के रूप में आंकी जाय।

17:- 2030 तक गरीबी के सभी आयामों में जीवनयापन कर रहे सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या, जो राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार है, आधा किया जाय।

18:- राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणाली और उपायों को सभी वर्गों के लिए कार्यान्वित की जाय और 2030 तक गरीब और कमजोर वर्गों को इसके अंतर्गत शामिल की जाय।

19:- 2030 तक यह सुनिश्चित की जाय कि सभी पुरुष और महिलाओं विशेष रूप से गरीब और कमजोर को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकारों के साथ-साथ मूलभूत सेवाएं, भूमि तथा सम्पत्ति के अन्य रूपों, विरासत, प्राकृतिक संसाधन, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी और माइक्रोफाइनांस सहित वित्तीय सेवाओं का स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त किया जाय।

20:- 2030 तक गरीब और कमजोर स्थिति के लोगों को कठिनाइयों से उबारना और जलवायु संबंधी चरम घटनाओं तथा अन्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक झटकों और आपदाओं के उनपर पड़ने वाले प्रभाव तथा जोखिम को कम किया जाय।

21:- विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों में कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त और पूर्वानुमानित साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्द्धित विकास सहयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के स्रोतों से संसाधनों का संचालन करके गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने की सार्थकता सुनिश्चित किया जाय।

22:- गरीबी उन्मूलन कार्यों में वर्द्धित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए गरीब समर्थित तथा स्त्री-पुरुष संवेदी विकास रणनीतियों पर आधारित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सुदृढ़ नीतिगत ढांचा तैयार किया जाय।

बीते दशकों में कृषि क्षेत्र में होने वाले निवेश का बड़ा हिस्सा सिंचाई के खाते में गया है इसके बावजूद इस दौरान शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शायद ही कोई

वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र की संस्थागत ऋण का प्रवाह करीब एक दशक में तिगुणा से भी अधिक हो चुका है। लेकिन कर्ज लेने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं बढ़ी है। किसानों की कर्ज जरूरतों का बड़ा हिस्सा अब भी लालची साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्रोतों के जरिये ही पूरा होता है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत करीब दो तिहाई आबादी को भारी सब्सिडी पर खाद्यान्नों की पूर्ति करती है। इसके बाद भी कुपोषण की समस्या गंभीर है, जिसका खामियाजा बच्चों की खराब सेहत और अपर्याप्त विकास के तौर पर सामने आता है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हरेक साल बड़े ही उदारता से बढ़ा दिया जाता है। लेकिन किसानों की आय बढ़ नहीं रही है, इससे भी बदतर यह है कि कृषि एवं गैर कृषि आय के बीच फासला बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 20 वर्षों में औसतन दो हजार से अधिक किसान रोजाना खेती करना बंद कर रहे हैं। जनगणना के आंकड़ों की मानें तो 1991 में जहाँ किसानों की कुल संख्या 11 करोड़ थीं, वहीं 2001 में यह घटकर 10,3 करोड़ और 2011 में तो महज 9,58 करोड़ हो गई। किसानों की पहचान के लिए कृषि से प्राप्त आय को इकलौता पैमाना माना गया है। ये कुछ भयावह संकेत हैं कि कृषि क्षेत्र के साथ क्या गड़बड़ हुआ है और क्यों? साफ है कि कृषि विकास के लिए अपनाई गई नीतियां और कार्यक्रम न तो समुचित तरीके से बनाये गये हैं और न ही उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है। काफी दु:खद है कि ये गलतियां अब भी बदस्तूर जारी है। वर्ष 1991 में आर्थिक एवं संरचनात्मक बदलावों का जो दौर शुरू हुआ था, उसमें भी कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाता रहा है। वर्ष 2001 के बाद से ही किसानों की बढ़ती मुश्किलें उनकी आत्महत्या की वारदात में आयी तेजी के रूप में परिलक्षित हो रही है। लेकिन इन समस्याओं को तब तक नजरअंदाज किया जाता रहा जब तक ग्रामीण क्षेत्र का यह असंतोष किसानों के विरोध प्रदर्शन की शक्ल में नहीं तब्दील हो जाय। सवाल यह है कि खेती और इससे जुड़े किसानों को कबतक नजर अंदाज किया जाता रहेगा और उन्हें सामाजिक विकास से वंचित रखा जाएगा। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ग्रामीण युवाओं की रुचि बहाल करना भी जरूरी है। ऐसा होने से कृषि को वैज्ञानिक कलेवर देने और सतत वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। युवाओं को कृषि में तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि कृषि उत्पादकता और आय बढ़ायी जा सके और लागत में

भी कमी आए। इसके अलावा व्यापक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत है जिसमें गैर-कृषि ग्रामीण क्षेत्र में आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे किसानों को अपनी आय पर पड़ने वाले दबाबों से निपटने में सहूलियत होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसानों का असंतोष और कृषि क्षेत्र की खराब हालत और भी बिगड़ती जाएगी।

पिछले २५ वर्षों से बिहार से पलायन जारी

पलायन बिहार की अर्थव्यवस्था का विशेष हिस्सा है। यहाँ के पुरुष बड़े पैमाने पर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। एनएसएसओ के मुताबिक बिहार और गुजरात दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ खास समय पर लोग बड़ी संख्या में काम करने के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। गरीब ही नहीं अमीर भी। 2007-08 में बिहार में प्रति हजार पर 57 पुरुष व एक महिला आसपास के इलाके में काम के लिए जाते थे। गुजरात में यह अनुपात प्रति हजार पर 43 पुरुष और 24 महिलाओं का था। सर्वेक्षण के अनुसार पलायित कामगारों में से 98 प्रतिशत पुरुष थे। पहले पलायन की मूल वजह गरीबी थी। लेकिन आज शिक्षित लोग भी बेहतर अवसर की तलाश में पलायन कर रहे हैं। पलायितों में ऐसे शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, जो लम्बे समय के लिए अथवा स्थायी रूप से यहाँ से किसी दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। गरीब पलायितों का अपने परिवार को भेजा जाने वाला पैसा उनकी रोजमर्रा की आधारभूत जरूरतों को पूरा करता है। पलायन सामाजिक संबंधों में बदलाव का भी एक माध्यम सिद्ध हो रहा है। वैसे तो पलायन का मूल कारक अर्थ ही है, पर इसकी मात्रा का निर्धारण जाति, वर्ग व भू-स्वामित्व जैसे तत्व ही करते हैं। बिहार में कुल 25 प्रतिशत कामगार पलायित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मुसलमान 33 प्रतिशत (उच्च व निम्न दोनों जातियों में से लगभग बराबर), फिर सवर्ण 29 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 28 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग-प्रथम में 26 प्रतिशत कामगार पलायित हैं। अनुसूचित जाति 22 प्रतिशत व ओबीसी 20 प्रतिशत में पलायन अपेक्षाकृत काफी कम है। इन दोनों जाति समूह में पलायन कम होने का कारण उनका किसानी से जुड़ा होना है। कामगारों के पलायन के स्वरूप का आकलन करते हुए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोई कामगार कितना समय परदेश में बिताता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, मुसलमान व अन्य पिछड़ा

वर्ग-प्रथम में लोग काम के लिए बाहर जाते हैं और कुछ समय बाद लौट आते हैं। दीर्घावधि पलायन इनमें कम है। पर सवर्णों व अन्य पिछड़ा वर्ग-द्वितीय में लोग ज्यादातर नियमित रोजगार के लिए परदेश जाते हैं और लंबे समय तक लौटते नहीं, या फिर स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं। कहा जा सकता है कि बेहतर रोजगार की वजह से अपेक्षाकृत उच्च वर्गों में दीर्घकालिक पलायन ज्यादा है।

वर्गगत आधार पर देखें तो गैर-कृषक परिवारों में पलायन ज्यादा है। कुल गैर-कृषक कामगारों का 46 प्रतिशत पलायित कामगार दिहाड़ी मजदूर हैं। गैर कृषक स्वरोजगार कामगारों में से 36 प्रतिशत पलायित हैं। भूस्वामित्व के आधार पर देखें तो एक तरफ भू-मालिकों में से 43 प्रतिशत पलायित है और दूसरी तरफ भूमिहीन खेतिहर मजदूर 28 प्रतिशत पलायित हैं। इनके बीच के वर्गों में जिनका भूमि से संबंध है, उनमें पलायन औसत से कम है। किसानों में 22 प्रतिशत और खेतिहर मजदूरों में भी यह 22 प्रतिशत ही है। गैर कृषक वर्ग में बड़ी संख्या में पलायन इसलिए है कि गैर कृषक कार्यों को वही ज्यादा करते हैं। समयावधि के आधार पर देखें तो विभिन्न वर्गों में अलग-अलग पलायन का स्वरूप हो जाता है। कृषक परिवारों में कम अवधि का पलायन होता है और जैसे-जैसे हम इसमें उच्च वर्ग की ओर बढ़ते हैं तो उसका कुल पलायन में अनुपात घटता जाता है। दूसरी ओर भूस्वामियों में दीर्घकालिक पलायन ज्यादा दिखाई देता है। गैर कृषक कामगारों का समूह काफी विविध और व्यापक है जिसमें सबसे ज्यादा पलायन तो होता ही है और ज्यादा दीर्घकालिक ही पर कम अवधि के पलायित भी इसमें पर्याप्त संख्या में हैं। अब अगर पलायन के जातीय और वर्ग के आधार पर तुलना करे तो लगता है कि वर्गगत आधार पर पलायन अपेक्षाकृत ज्यादा है।

सर्वेक्षण में शामिल भू-स्वामियों की विभिन्न श्रेणियों को देखें तो सर्वोच्च व नीचे से पहली श्रेणी में पलायन सबसे ज्यादा है। सबसे नीचे की श्रेणी में 27 प्रतिशत पलायित कामगार जमीन्दार परिवारों से हैं। बीच की श्रेणियों में पलायन 22 में 25 प्रतिशत के बीच रहता है। ढाई से पांच एकड़ के भूमालिकों के वर्ग से 22 प्रतिशत, एक से ढाई एकड़ वालों में 23 प्रतिशत और एक एकड़ से कम वालों में पलायन का प्रतिशत 25 देखा गया। पांच से दस एकड़ भूमि के मालिकों में भी वह 25 प्रतिशत ही पाया गया। इस पूरे

विश्लेषण से साफ है कि सर्वाधिक पलायन या तो भूमिहीनों में है या फिर जिनके पास बहुत जमीन है, उनमें है। छोटे खेत वाले लोग गाँव में ही रहकर अपने खेत पर काम करते हैं। पर ज्यादा जमीन वालों के पास संसाधनों की बहुतायत के कारण परिवार के ज्यादा सदस्यों को बाहर भेजना आसान रहता है। संक्षेप में ग्रामीण बिहार में पलायन के स्वरूप को तीन सामाजिक व आर्थिक अधिश्रेणियों–जाति, वर्ग व भूमि के आधार पर समझा जा सकता है। भूमि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में होने वाला पलायन सबसे कम और वर्गगत श्रेणियों में ज्यादा है। रोजर्स के शब्दों में हालांकि पलायन सभी तीनों श्रेणियों में होता है पर वर्गगत पलायन सबसे ज्यादा है। पुरुषों के इस पलायन ने महिलाओं के जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। पुरुषों के परदेश चले जाने के बाद घर में वही रह जाती हैं। ऐसे में बाहर के कार्यों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ जाती है। आईएचडी के 2011 के सर्वेक्षण में कृषि कार्यों में लगी महिलाओं में से 70 प्रतिशत पलायित परिवारों से थी। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं पहले खेती का काम नहीं करती थीं। पर अब उन्हें वे काम भी करने पड़ रहे थे जो पहले उनके पुरुष ही करते थे। पशुपालन व लघु घरेलू उद्योग वाले परिवारों में भी महिलाएं उन कार्यों को कर रही थीं जो पहले केवल पुरुष के ही माने जाते थे। सर्वेक्षण में यह भी देखने में आया कि जिन परिवारों में पलायित पुरुष पर्याप्त मात्रा में पैसा भेजते हैं, उनमें महिलाएं बाहर के काम कम करती हैं। स्त्रियों के संदर्भ में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पलायन से कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी हैं और इसीलिए स्त्री–पुरुष के बीच काम व मजदूरी का अंतर भी घटा है। इसे हम कृषि का महिलाकरण भी कह सकते हैं।

महिलाओं का कामकाज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर भी लाखों कामकाजी महिलाएं उपेक्षित रह जाती हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में अकसर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। साथ ही स्थानीय आर्थिक विकास के दौरान इन गतिविधियों के विकास की अपार संभावनाओं को दर्शाना इन गतिविधियों के विकास की अपार संभावनाओं को दर्शाना है। राज्य कई स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसके हर क्षेत्र में खेती का अलग–अलग स्वरूप है। इसी तरह स्थानीय उपलब्ध संसाधनों व कार्य कौशल के आधार पर निर्माण व सेवा क्षेत्र के भी अलग–अलग स्वरूप हैं। सम्पर्क, यातायात व संचार सुविधाओं के

विस्तार और आधारभूत ढांचे में निवेश से इनके स्वरूप परिवर्तन के आसार हैं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया का इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि इसमें न केवल मौजूदा व्यवसायों को मजबूती मिले, बल्कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तीकरण भी हो। कुल महिला कामगारों में संगठित क्षेत्र में काम करनेवाली महिला कामगारों का प्रतिशत बहुत ही कम है। अन्य महिला कामगार अनियमित वैतनिक कामगार, स्वाश्रयी उत्पादक या अवैतनिक पारिवारिक कामगार है। यद्यपि ये सभी महिलाएं कामगार हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन श्रम कानूनों से इन्हें शायद ही कोई लाभ मिलता है। बहुत सारे श्रम कानून मौजूद हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र की अधिकांश महिला कामगारों को इनका लाभ नहीं मिलता। ऐसा होना नहीं चाहिये। कई श्रम कानून ऐसे हैं जो महिला कामगारों के लिए लाभकारी हो सकते हैं और उनके जीवन में सुधार ला सकते हैं; यह उनकी व्याख्या और कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

अमेरिकन इण्डिया फाउंडेशन की हाल में जारी रिपोर्ट 'मैंनेजिंग' द एक्सीड्स ग्राउंडिंग माईग्रेशन इन इण्डिया' में बताया गया है कि पिछले एक दशक में भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में विस्थापित होने या ठिकाना बदलने वालों की तादाद करीब दस करोड़ पहुँच गई है। इनमें 6 करोड़ 90 लाख लोग अपने गाँव से दूसरे गाँव में जाकर बसे हैं और 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने गाँवों से शहरों में जाकर डेरा डाला है। इतने बड़े बदलाव से कई राज्यों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। सबसे बुरी हालत शहरों की हुई है, जहाँ बड़ी संख्या में मलिन बस्तियाँ और झुग्गी-झोपड़ियाँ उग आई है। ये बस्तियाँ सभी सुख-सुविधाओं से वंचित हैं। प्रदूषित रहन-सहन और खान-पान की वजह से बस्तियों के अधिकांश वासी बीमारी के शिकार हैं। उनके पास वे न्यूनतम सफाई सुविधाएं भी नहीं है, जिनकी दरकार है। महाराष्ट्र में हाल के बरसों में आने वाले लोगों की तादाद, जाने वालों बरक्स 20 लाख से ज्यादा रही है। गुजरात में यह संख्या 68 लाख और हरियाणा में 67 लाख रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं, जहाँ से लोग निकलते ज्यादा हैं और लौटते तुलनात्मक रूप से कम हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख लोग साल भर में रोजी-रोटी की तालाश में निकलते हैं।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आदि राज्यों के तकरीबन 50 लाख लोग गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली आदि राज्यों में जाकर बसे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोगों का गाँवों से शहरों में आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। गरीब से अमीर बनाने में शहरीकरण एक बेहतर उपाय है। इस स्थान परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों पर आबादी का दबाव काफी बढ़ गया है, खासकर दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगर आबादी के भार से कराह रहे हैं।

प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी लोगों को प्रव्रजन करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बन जाने के बावजूद यहाँ प्रव्रजन रुकने की बजाय और ज्यादा बढ़ा है। देश में सामाजिक विषमता की वजह से भी लोग जगह बदलते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने पिछले दशक में सामूहिक तौर पर जगह बदली है। असम में जब हिन्दी भाषी लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया था, तो उनमें यहाँ के लोग भी शामिल थे। द नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर (एनसी आरएल) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मौसमी तौर पर प्रव्रजन करने वाले लोगों की तादाद १ करोड़ से ज्यादा है। गाँवों से ज्यादातर लोग भागते हैं जिनके पास कृषि भूमि बहुत कम है या बिल्कुल नहीं हैं। छोटे खेत उनके परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते, इसलिए वे रोजगार की तालाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। भूमिहीन किसान यानी खेतिहर मजदूरों को भी अपना गाँव छोड़ना पड़ता है। ये लोग शहरों में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं या इसी तरह अन्य काम करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों में वे लोग भी शामिल हैं, जो अकेले पलायन करते हैं, जबकि उनका परिवार गाँव में रहता है। जिन इलाकों में दिहाड़ी कम हैं, वहाँ से भी मजदूर ज्यादा मजदूरी वाले इलाकों में चले जाते हैं। बिहार के मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रोजी कमा रहे हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि जो मजदूर काम की तलाश में शहर आते हैं, वे भी बुआई और कटाई के मौसम में गाँवों का रुख कर लेते हैं। बिहार में आज ऐसे गाँव मिल जाएंगे, जहाँ महिलाएं, बच्चे और बूढ़े ही नजर आते हैं। यहाँ के पुरुष तो दूसरे

राज्यों में काम करते हैं। ज्यादातर लोग पर्व-त्योहार पर ही घरों को लौटते हैं। आजादी के बाद बढ़ते औद्योगीकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। 1991 से शुरू हुई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने तो गाँव-देहात को खत्म करने का ही काम किया। उदारीकरण के दौर में कृषि घाटे का सौदा साबित होने लगी। जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा, उस हिसाब से बुनियादी सुविधाएं नहीं बढ़ीं।

प्रवासी लोगों के कारण क्षेत्र या राज्य विशेष में जन सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय लोगों में असंतोष भी पैदा हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठी मानुस के नाम पर पैदा हुए विवाद को इस रूप में देखा जा सकता है। कुछ साल पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने भी प्रवासियों को दिल्ली की समस्याओं को लेकर जिम्मेदार बताया था। जिस अनुपात में शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है, उस अनुपात में सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। जमीन से बेदखली गाँवों से शहरों की ओर भागने की खास वजह बनी हुई है। इसके शिकार गरीब लोग होते हैं। शहरों में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसकी चिन्ता कभी व्यवस्था नहीं करती। रोजगार के अवसर उन्हें खुद ढूंढ़ने होते हैं। जमीन से बेदखल होने वाले लोगों के पुनर्वास की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि इसका कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा है। ग्राम विकास की नीति अपनाकर शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। गाँवों में बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने की जरूरत है। सरकारी परियोजनाओं की वजह से जो लोग उजड़ गये हैं, उन्हें बसना होगा। महात्मा गाँधी ने कहा था कि 'अगर मुझे गाँवों को निर्धनता से मुक्त करने में सहायता मिल जाए, तो मैं समझूँगा कि मैंने सारे भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त कर लिया है। अगर गाँव नष्ट होता है तो भारत भी नष्ट हो जायेगा।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2017-18 में यह स्वीकारोक्ति कि रोजी की तालाश में गाँवो से पलायन बढ़ रहा है और कृषि कार्य का बोझ महिलाओं पर आन पड़ा है रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि कृषि से जुड़े रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में यह तथ्य भी सामने आया है कि खेतीबाड़ी के काम में यांत्रिकीकरण यानी मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है और जोतों का अधिकार छोटा हुआ है।

आर्थिक समीक्षा में आशंका जतायी गयी है कि कृषि आय पर जलवायु परिवर्तन का साया मंडरा रहा है, जिसके कारण कृषि आय के मध्यम तौर पर 20-25 प्रतिशत तक घटने का जोखिम हो सकता है। अगर यह आशंका सच साबित होती है तो नि:संदेह गांवों से पलायन की गति और तेज होगी। गौर करे तो भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर पहले से ही देखा जा रहा है और अगर कहीं इसका प्रभाव व्यापक हुआ तो न केवल कृषि आय प्रभावित होगी बल्कि शहरों पर जनसंख्या का दबाब बड़ेगा। विश्व बैंक पहले ही आगाह कर चुका है कि गांवो से पलायन की वजह से भारत की आधी आबादी 2050 तक शहरी हो जाएगी और कुल श्रम बल में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 2001 के 58,2 प्रतिशत से गिरकर 2050 तक 25,7 प्रतिशत तक आ जाएगा। आश्चर्य है कि एक ओर केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किसानों को संस्थानात्मक स्रोतों से ऋण उपलब्ध कराने के साथ मृदा कार्ड स्वास्थ्य, लागत प्रबंध, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, पीएमएफबीआई तथा प्रोत्साहन जैसी योजनाएँ चला रही हैं, वहीं गाँवो से पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा। यह स्वीकारने में हिचक नहीं कि खेती के विकास में क्षेत्रवार विषमता का बढ़ना प्राकृतिक बाधाओं से पार पाने में विफलता, भूजल का खतरनाक जलस्तर पर पहुँचना और हरित क्रांति वाले इलाके में पैदावार की कमी आने के अलावा फसलों और बाजारों की दूरी न घटने, फसलों का उचित मूल्य न मिलने जैसे कई कारण हैं जिसकी वजह से गाँवों से पलायन बढ़ा है। यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड और फसलों की बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन और वितरण राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी अनगिनत योजनाओं से भी किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण को सुनिश्चित करने और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ओबीसी कोटे के अंतर्गत पिछड़ा एवं अति-पिछड़ा के रूप में विभाजित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सूची का वर्गीकरण पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा में विभाजन के लिए एक आयोग गठन करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय सेवाओं में प्रधानमंत्री ने स्वयं महसूस किया है कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण समाज के विभिन्न जातियों को समान रूप से नहीं पहुँच रहा है। गहन परीक्षण और

अध्ययन के उपरांत यह सुनिश्चित किया गया है कि जो जातियाँ प्रभावशाली और बहुसंख्यक है, उन्होंने धीरे-धीरे नियोजन और शिक्षा के क्षेत्र में अपने लिये अधिक सफलता हासिल की है। नतीजा यह है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों के परिवार आज भी केन्द्रीय स्तर पर आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। उनके लिए असमानता बढ़ती गई है। आरक्षण का लाभ सभी पिछड़ी जातियों को सुनिश्चित कराने के लिए पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अलग-अलग पिछड़ा एवं अति-पिछड़ा के रूप में विभाजित करने के लिए गहन अध्ययन के लिए आयोग गठन करने का निर्णय सराहनीय है। केन्द्र सरकार ने महसूस किया है कि यह आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कराने के लिए पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अलग-अलग विभाजित किया जाय और उनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि लगभग समान स्तर का लाभ उस प्रकार के संबंधित वर्ग की सभी जातियों और उनके परिवारों को समान रूप से विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त हो सके। संबंधित वर्गों की प्रभावशाली जातियों और उनके परिवारों से इन जातियों के लोग प्रतिस्पर्धा से बच सकें और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त करना संभव हो। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में उप श्रेणियाँ बनने से ओबीसी की ताकतवर जातियों का आरक्षण एकाधिकार खत्म होगा और साथ ही मण्डल कमीशन और सामाजिक न्याय की भावना भी फलीभूत होगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के उप वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार के लिए आयोग गठन का निर्णय लिया है। आयोग को जिम्मेदारी दी गयी है कि वह केन्द्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान भागीदारी की पड़ताल करे और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण का मानक क्या हो उसका वैज्ञानिक और तथ्यपरक कसौटी तय करे। सरकार के इस पहल की चतुर्दिक सराहना हो रही है और माना जा रहा है कि अति पिछड़ी जातियों को शीघ्र ही उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का अधिकार मिल जायगा।

मण्डल आयोग के मुताबिक पिछड़ी जातियाँ भारतीय जनसंख्या का आधे से ज्यादा हिस्सा थी। मण्डल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवा में 27 प्रतिशत अरक्षण की भागीदारी की सिफारिश की गयी। उल्लेखनीय है कि भारत में अनुसूचित जाति-जनजाति को आजादी के बाद से

ही 22.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था। 13 अगस्त, 1990 को मण्डल आयोग की अधिसूचना जारी हुई जिसका विरोध हुआ और न्यायालय में चुनौती भी दी गयी। लेकिन 16 नवम्बर, 1992 को सर्वोच्च अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में मण्डल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले को सही ठहरा दिया। साथ ही अदालत ने आरक्षण की सीमा भी 50 प्रतिशत तय कर दी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण तो सुनिश्चित हो गया लेकिन उसका सर्वाधिक फायदा ओबीसी की ताकतवर जातियाँ आज भी अति पिछड़ी जातियाँ आरक्षण के वाजिब अधिकार से वंचित हैं। ऐसे में पिछड़ी जातियों के बीच असंतोष पनपना स्वाभाविक था।

उल्लेखनीय है कि बी॰पी॰ मण्डल कमीशन के एक सदस्य एल॰आर॰ नायक ने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का उसी समय यह कहकर विरोध किया था कि यदि छोटी मछली को बड़ी मछली के साथ रख दिया जायेगा तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जायेगी। उनकी सामाजिक शंका थी कि ओबीसी ताकतवर जातियाँ अति पिछड़ी जातियों की उनका वाजिब हक नहीं मिलने देंगी। इसीलिए उन्होंने 7वें खण्ड के पत्र में संस्तुति करते हुए लिखा कि–'मण्डल कमीशन द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए संस्तुति किये गये 27 प्रतिशत आरक्षण में 12 प्रतिशत मध्य पिछड़ी जातियों अर्थात् कृषक जाति जैसे यादव, कुर्मी, गुर्जर, काछी, लोधा तथा 15 प्रतिशत परंपरागत पेशेवर दस्तकार एवं सेवक जातियों जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, धीमान, पांचाल, नाई और कहार आदि के लिए लागू किया जाना अनिवार्य और संवैधानिक न्यायसंगत है।' लेकिन विडम्बना यह कि एल॰आर॰ नायक के सुझाव को दरकिनार कर दिया गया। नतीजा उनकी सामाजिक शंका सच साबित हुई। आज देश भर की 25.56 प्रतिशत अति पिछड़ जातियाँ ओबीसी की ताकतवर जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के मुकाबले बेहद कमजोर हैं और उनके हिस्से के आरक्षण को पचा रही हैं।

मण्डल कमीशन की नीतियों के लागू होने के बाद ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित हुआ। किन्तु यह किसी से छिपा नहीं है कि कुछ ताकतवर ओबीसी जातियाँ ही आरक्षण का सर्वाधिक फायदा उठाने में सफल रही हैं। सरकार के पास ऐसी शिकायतें लगातार आती रही हैं कि ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ जातियों तक सिमटकर रह गया है। यदि देश के सबसे

बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण हासिल है। किन्तु उसमें अति पिछड़ी जातियाँ जिनकी जनसंख्या पिछड़ी जातियों मे तकरीबन 33 प्रतिशत है, को वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। अति पिछड़ी जातियों को वाजिब आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा, जब उनकी आबादी के अनुसार कोटा दिया जायगा।

दिनांक 16 मार्च, 2000 को मेरे द्वारा राज्य सभा में इसको विभाजित करने के लिए उठाये गये प्रश्न संख्या-303 का जवाब देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था **''सभापति महोदय माननीय सदस्य की यह शिकायत सही है कि जिस समिति के गठन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, उसके गठन में विलम्ब हुआ है। हम उसका शीघ्र गठन कर सारे मामलों को सौंपने के लिए तैयार हैं।''** श्री वाजपेयी की उसी घोषणा के अनुपालन के लिए श्री मोदी ने राष्ट्रपति से इस विभाजन के लिए आयोग गठित करने की अनुशंसा की है। यह विस्मयकारी है कि आजतक सम्पूर्ण भारत में सामाजिक न्याय की बातें काफी जोरों से उठायी तो जा रही हैं और इसी के नाम पर सरकारें भी चल रही हैं, परन्तु गरीब पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग अभीतक आरक्षण के लाभ से केन्द्रीय स्तर से वंचित हैं। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत का विभाजन पिछड़ा एवं अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ों के बीच वर्गीकरण किया जाए और 27 प्रतिशत आरक्षण को विभक्त कर आबादी के अनुपात में लाभ दिया जाना चाहिये। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया आश्वासन का अनुपालन प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है। यह निश्चित ही वंचित वर्गों के लिए लाभकारी होगा।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तरह प्रवृष्ट कराना अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है और इसे भी अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण की तरह सम्मिलित करने का उद्देश्य है। अब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण पूर्णतः संवैधानिक होगा। वर्तमान समय में पिछड़ा वर्ग आयोग मण्डल आयोग की अनुशंसा लागू किये जाने पर पिछड़े वर्गों की जातियों को आरक्षण की सूची में जोड़ने या घटाने का अधिकार था। उसे अनुसूचित जाति और जनजाति

आयोग की तरह आरक्षण के शिकायतों का निराकरण का अधिकार नहीं था। इस नये संशोधन से अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण की तरह ही अन्य पिछड़ी जाति का आरक्षण सुनिश्चित होगा और शिकायतों का निपटारा करने में भी सक्षम होगा। नये संशोधन से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों को संरक्षण दिये जाने वाला है। इसे लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं कर प्रबर समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। यह प्रमाणित करता है अन्य पिछड़ी वर्गों को आरक्षण में संवैधानिक संरक्षण देने के बजाय राजनीति करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है।

123वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले लाभ इस प्रकार है:- (क) संविधान के अंतर्गत या किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदान किये गये सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मामलों की जाँच करना और मॉनीटर करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना। (ख) पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधी विशेष शिकायतों की जाँच करना। (ग) पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ या किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास के प्रगति की समीक्षा करना। (घ) राष्ट्रपति को इन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर वार्षिक रूप से या किसी ऐसे अन्य समय में, जिसे आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। (ड.) उन उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्ट या सिफारिशें करना, जो पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए, उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी राज्य या संघ सरकार द्वारा किये जाने चाहिए। (च) पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सुरक्षा, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को करना, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के किसी कानून द्वारा या किसी नियम द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी दी गई है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में होगी:- (क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर परीक्षण करने। (ख) किसी दस्तावेज की तलाश करवाने

और उसे पेश करवाने। (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेने। (घ) किसी भी अदालत अथवा कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करने। (ड.) साक्षियों और प्रलेखों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करने तथा (च) अन्य कोई मामला जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें।

''नागरिकों के पिछड़े वर्ग'' पद की संविधान में परिभाषा नहीं की गई है। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर बल दिया गया है न कि आर्थिक पिछड़ेपन पर, इसलिए पिछड़े वर्ग की पहचान केवल और मात्र आर्थिक मानदण्ड के आधार पर नहीं की जा सकती। अत: न्यायालय ने उस अधिसूचना को अवैध ठहरा दिया जिसके द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, जो आरक्षण की किसी वर्तमान योजना के अंतर्गत नहीं आते, 10 प्रतिशत अतिरिक्त पद आरक्षित करने का प्रयास किया गया था। दूसरी ओर न्यायालय ने निर्णय दिया कि जाति बहुधा एक सामाजिक वर्ग हो सकती है। ''यदि यह सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है तो यह अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग हो सकती है।'' इसके अलावा गैर हिन्दुओं में भी अनेक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े व्यावसायिक समूह, पंथ और सम्प्रदाय अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जो अनुच्छेद 15(4) के अधीन पिछड़े वर्ग हैं वही अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़े वर्ग हैं। भले ही अनुच्छेद 15(2) तथा 16(2) में ''जाति के विभेद का जिक्र एक प्रतिबद्ध आधार के रूप में आया है और अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में ''वर्ग'' शब्द का प्रयोग किया गया है, फिर भी बहुमत से दिये गए निर्णय में कहा गया कि पिछड़े वर्गों की पहचान निश्चित रूप से अन्य व्यावसायिक समूहों, लोगों के वर्गों और अनुभागों के साथ-साथ जातियों के संदर्भ में की जा सकती है किन्तु, इसमें कहा गया कि कतिपय क्षेत्रों के तकनीकी पदों, अनुसंधान तथा विकास संगठनों, चिकित्सा, इंजीनियरी और भौतिक विज्ञान तथा गणित जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में विशेष अध्ययन या अति विशेष अध्ययन तथा रक्षा सेवाओं से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों में आरक्षणों का उपबंध करना उचित नहीं होगा। शिक्षा में प्रोफेसरों, हवाई कम्पनियों में पायलटों, आणविक तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि में वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों जैसे उच्चतर पदों में भी आरक्षण उचित नहीं है। (इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, ए आई आर 1993 एस सी 477)। करतार सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1999) में उच्चतम न्यायालय ने परम विशिष्टता

मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक योग्यताओं के स्तर को गिराना अस्वीकार कर दिया।

प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के साथ करने का संकल्प लिया है तो सम्पूर्ण भारत के पैमाने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियों के आधार पर एवं जरूरतमंद लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुँचाने के लिए केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त 27 प्रतिशत आरक्षण का विभाजन पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में किया जाय जैसा बिहार, तमिलनाडू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा महाराष्ट्र में राज्य सरकारों द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। जब आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित हो जायेगा तो आरक्षण का ज्यादा फायदा उठा रही जातियों का एक सीमित कोटा निर्धारित हो जायेगा और उनका वर्चस्व सीमित होगा। साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुरूप कोटा तय कर दिया जायेगा। इससे सरकारी सेवाओं और संस्थानों में अति पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व॰ लालबहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' के मंत्र का आह्वान किया था तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' का नारा दिया। केन्द्र सरकार की ओर से उत्पादन बढ़ाने के लिए नित नये प्रयास और प्रयोग किये जा रहे हैं। किसानों को न केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है बल्कि उन्हें विज्ञान की मदद से कृषि क्षेत्र में हो रहे नित नये अनुसंधानों की मदद भी दी जा रही है।

कृषि विकास और किसान हित में कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। हाल-फिलहाल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, हर खेत तक पानी पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए एग्रीटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तथा संगठित राष्ट्रीय कृषि मंडी से उन्हें जोड़ने जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की गयी है। भारत सरकार की ओर से इन दिनों मिट्टी की जाँच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला-स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में गाँवों की

मिट्टी पहुँचाने के लिए किसान मित्रों का भी चयन किया गया है। ये किसान मित्र अपने-अपने गाँव के किसानों की मिट्टी को लेकर प्रयोगशाला तक पहुँचा रहे हैं और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को रासायनिक खाद एवं अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग करने की सलाह दी जा ही है, ताकि न केवल मिट्टी की उर्वराशक्ति बनी रहे, बल्कि उसे और बढ़ाया जा सके।

सरकार जल सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है-''हर खेत को पानी''। इसके लिए इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित सिंचाई के लिए स्रोतों का सृजन किया जायेगा। 'प्रति बूंद, अधिक फसल' के तहत नई-नई तकनीकों की मदद से कम पानी से अधिक से अधिक फसल प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जलसंचय एवं जल सिंचन के माध्यम से माइक्रो लेवल पर वर्षाजल का संचयन किया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला का सम्पूर्ण समाधान प्रस्तुत किया जायेगा। जैसे जल स्रोत, वितरण प्रणाली एवं उसे खेतों तक पहुँचाने की सुविधा। पैदावार एवं मूल्य की दृष्टि से खाद्यान्नों एवं दलहनों के बाद तिलहनी फसलों का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था तथा उद्योग जगत में बड़ा महत्व है। खाद्य तेलों की आपूर्ति बनाये रखने के लिए सरकार तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों, भुखमरी एवं कुपोषण जैसी विश्वव्यापी समस्याओं पर काबू पाया जा सके। गत दो वर्षों से सोयाबिन तिलहनी फसलों में पहले स्थान पर बनी हुई है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी एवं मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने की दिशा में पहल की जा चुकी है। इस कदम से लघु एवं सीमांत और भूमिहीन किसानों को काफी फायदा मिलेगा। किसानों के लिए एम-किसान पोर्टल की शुरूआत भी की गयी है। यह पोर्टल किसानों को उनके स्वयं के द्वारा चुनी गयी फसलों, कृषि प्रक्रियाओं और उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार उनकी अपनी भाषा में जानकारी एवं परामर्श देता है। पूरे देश में 886 करोड़ रुपये के बजट आवंटन से ई-गवर्नेंस स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। साथ ही, किसानों की आय बढ़ाने तथा मूल्य वृद्धि को सामान्य करने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त कृषि मंडी की स्थापना की गयी है।

कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है और आरंभ में इसके लिए 150 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं। बागवानी फसलों की खेती के विकास के लिए 'चमन' नाम की योजना, पशुओं की देशी नस्लों के सुधार के लिए 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 'नील क्रान्ति योजना' चलायी जा रही है।

संक्षेप में कहें तो कृषि क्षेत्र का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए आज उच्च श्रेणी के बीज, खाद्य, सिंचाई संसाधन और खेती के लिए ऋण जैसी सुविधा मुहैया करायी जा रही है। किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना भी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। यही नहीं सरकार द्वारा कई कृषक प्रोत्साहन पुरस्कार भी शुरू किये गये हैं, ताकि न केवल युवा कृषि व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो, बल्कि नई तकनीकों की मदद से उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दें। इन सभी प्रयासों के मद्देनजर उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को अपनी उपज के न केवल सही दाम मिल सकेंगे, बल्कि वे एक समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने वित्तीय छुआछूत मिटाने का एक नया अध्याय रचा गया है। 'जन-धन' की नींव पर जनसुरक्षा की इमारत खड़ी करने का जो सपना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संजोया वह आज अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और आधार से जुड़ी डीबीटी योजना के जरिये साकार हो रहा है। तीन साल से भी कम समय में इस योजना के तहत करीब 22 करोड़ खाते खोले गये जो कि एक कीर्तिमान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप-इण्डिया के लिए 5 सौ करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। इस वित्त वर्ष में वंचित वर्ग के उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

देश के सभी गाँवों तक बिजली पहुँचाने के लिए 1 मई, 2018 का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सुदूर गाँवों तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2019 तक बाकी बची सभी 65,000 बस्तियों को सीधे सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है। गाँवों में आधारभूत संरचना के

विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरुआत की गयी है। इसके तहत 300 ग्रामीण-शहरी कलस्टरों का विकास किया जायेगा।

सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजीटली साक्षर करने के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करने की योजना भी बनायी है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले तीन वर्षों में करीब 6 करोड़ परिवारों के लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर किया जा सके। सरकार डिजिटल साक्षरता के लिए दो योजनाओं-राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान को पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय 2022 तक दुगुनी की जा सके। इसके लिए खेतों में सिंचाई की कमी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। 'प्रति बूंद अधिक फसल' के नारे के साथ किसानों को प्रति इकाई उपज बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंडियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यही नहीं साथ ही कृषि मंडियों को आढ़तियों या मुनाफाखोरों के चुगुल से मुक्त कराने का अभियान छेड़ा गया है। उत्पादों का उचित मूल्य मिलने से खेती के प्रति युवाओं में फिर से आकर्षण पैदा करना संभव होगा। पशुधन, डेयरी और मात्स्यिकी के अलावा कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की मदद के लिए देश के कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक तत्पर रहें, ऐसा प्रावधान पहलीबार हुआ है। जहाँ 543 कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया है वहीं इन केन्द्रों के बीच राष्ट्रीय-स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। पैदावार और क्वालिटी बढ़ाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सब्सिडी की राशि अगर गाँवों तक सही तरीके से पहुँचे, तो गाँवों की उन्नति का मार्ग आसान हो सकता है। बीपीएल परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन सुविधा शुरू की गयी है और वर्ष 2016-17 के बजट में 2000 करोड़ रूपये के आवंटन से लगभग डेढ़ करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। इसी मकसद से बजट में आधार कार्ड को भी विधिक दर्जा दिलाने का निर्णय लिया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि सब्सिडी का फायदा सीधे जरूरतमंदों के खाते में पहुँच सके।

सरकार का फोकस गाँवों के विकास को रफ्तार देने के साथ-साथ शिक्षा और कौशल विकास पर भी है। 'स्किल इण्डिया', मेक इन इण्डिया' और स्टार्ट-अप-इण्डिया योजनाएं भारतीय युवाओं को आत्मनिर्भर के साथ-साथ हुनरमंद बनाने के लिए हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान' जो वास्तव में स्वास्थ्य दिशा में पहला कदम है, का स्वास्थ्य क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव पड़ता निश्चित है। बच्चों के टीकाकरण के लिए 'मिशन इन्द्रधनुष' भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत सरकार आवश्यक टीकों को समयबद्ध तरीके से लगाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार ने इसमें कुछ और टीकों को भी शामिल किया है, जो नये पनपते रोगों से निपटने मे काफी प्रभावी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना आरंभ की है, जो लैंगिक अनुपात सही करने और लड़कियों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल से सम्बन्धित है।

संक्षेप में, गाँवों की तस्वीर बदलने की दिशा में नीतिगत पहल और बजटीय प्रावधान तो सरकार कर चुकी है, अब सवाल उन्हें सख्ती से लागू करने का है। साथ ही, जन-प्रतिनिधियों की ईमानदार भागीदारी से ही गाँवों को उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

आज कृषि पर सबसे अधिक दबाव बढ़ती जनसंख्या का है। देश के 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में से केवल 143 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है जहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुँचाए उत्पाद एवं उत्पादकता बढ़ानी होगी। ऐसे में कृषि को विकसित करने के लिए नवीनतम तकनीकों को प्रयोग करने की सख्त जरूरत है।

गत 70 वर्षों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं नवीनतम कृषि यंत्रों की सहायता से खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। देश के प्रथम पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने भी कृषि क्षेत्र की प्रगति पर विशेष जोर देने को कहा जिससे भारत में उच्च कोटि का कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार एवं कृषि शिक्षा का ढांचा स्थापित किया जा सके। एक तरफ कृषि क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाएं बनायी गयीं तो दूसरी तरफ कृषि अनुसंधान एवं कृषि प्रसार को भी नई दिशा दी गयी।

कृषि उत्पादन को ध्यान में रखकर सरकार की ओर से किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के

जरिये किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही बागवानी के प्रति भी आकर्षित किया जा रहा है। इससे जहाँ उनके जीवन-स्तर में सुधार हो रहा है वहीं खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ रहा है। आधुनिक खेती में बढ़ती लागत एवं जहरीले कीटनाशकों के चलते किसानों को जैविक खेती की ओर भी प्रेरित किया जा रहा है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य कम से कम लागत मूल्य में अधिक उत्पादन लेना तथा जमीन का उपजाऊपन कायम रखकर जहरमुक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। आर्गेनिक फूड के फायदों को देखते हुए आजकल इसका प्रचलन दिनोंदिन बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप फलों एवं सब्जियों की जैविक खेती का भविष्य भी उज्ज्वल दिख रहा है।

कृषि उत्पादन में बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुद्ध एवं स्वस्थ प्रमाणिक बीजों का उपयोग करने से जहाँ एक ओर अच्छी पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर समय एवं पैसों की बचत होती है। इसी वजह से सरकार की ओर से बीजों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। खेती को बढ़ावा देने एवं पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण की दिशा में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलानें की दिशा में भी सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से सीमांत एवं छोटे किसानों को काफी फायदा हुआ है।

आज हम खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बन चुके हैं, बल्कि कृषि मंत्रालय के एक आकलन के अनुसार 2013-14 में चावल, गेहूँ, मक्का, तूर व कपास का उत्पादन रिकार्ड स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया है। इस वर्ष दालों तथा तिलहनों का उत्पादन भी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर अनुमानित है और उत्पादन में यह वृद्धि कृषि क्षेत्र में उच्च तकनीक के इस्तेमाल से ही संभव हो पायी है।

वातावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सब्जी उत्पादन बढ़ाने में हरित गृह तकनीकी भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शीतकाल अधिक लम्बा होता है वहाँ पर खुले वातावरण में सब्जी उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। हरित गृह तकनीकी जलवायु संबंधी विषम परिस्थितियों का कृत्रिम के रूप में नियंत्रित करने की एक वैज्ञानिक विधि है। परंपरागत कृषि विधियों की अपेक्षा 'हरित गृह' में दो से ढाई गुना तक अधिक पैदावार ली जा

सकती है। इस प्रकार वर्षभर सब्जी उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही उपज की मात्रा, गुणवत्ता और उत्पादकता में भी काफी बढ़ोतरी की जा सकती है।

आज का किसान ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन व बिगड़ते मृदा स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। आज किसानों के पास सूचनाएं और नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करने के कई माध्यम हैं। परंतु कृषि से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इंटरनेट सबसे प्रभावी, सरल व आसान माध्यम है। आज किसान देश के किसी भी कोने से ई-मेल कर अपनी कृषि संबंधी किसी भी समस्या का हल पा सकता है। यह सुविधा हिन्दी सहित सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आज देश भर के किसान बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर लाभान्वित हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी, फसल उत्पादन बढ़ाने संबंधी, मृदा उर्वरकता व उत्पादकता संबंधी तथा भूमि संबंधी रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण में भी किया जा रहा है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में ई-चौपाल केन्द्रों की भी स्थापना हो रही है। देश के अनेक भागों में हजारों से अधिक ई-चौपाल केन्द्र आवश्यक जानकारी देकर कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटरनेट के प्रसार से किसानों की महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुँच आसान हुई है। इंटरनेट किसानों, वैज्ञानिकों और सरकार के मध्य सम्पर्क सेतु का कार्य करता है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं और कृषि अनुसंधान संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे तौर पर किसानों तक पहुँचती हैं। इंटरनेट सुविधाओं के चलते ही आज भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 259 मिलियन टन को पार कर गया है।

कृषि तकनीक में हो रही प्रगति प्रयोगशालाओं तक ही सीमित न रहे, इसके लिए 'लैब टू लैंड' मिशन को धारदार बनाने के तरीके अपनाये जा रहे हैं। इसके लिए कृषि प्रसार के तंत्रों, जैसे कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा राज्यों के बीच सामंजस्य बनाकर नई तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुँचाया जा रहा है। युवाओं को कृषि कार्य से जोड़ने के लिए 'आर्या' नाम से योजना शुरू की गयी है। वहीं वृद्धावस्था के लिए 'अटल पेंशन योजना' की भी शुरुआत की जा चुकी है।

परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रही है जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो और उत्तम गुणवत्ता की फसल हो। वर्ष 2015-16 से 300 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ लागू इस योजना में 50 एकड़ भू-जोत धारक 50 अथवा अधिक किसानों के समूह को जैविक खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी एक विशेष योजना शुरू की गयी है जिसका आवंटन 125 करोड़ रुपये है। यह योजना जैविक कृषि एवं जैविक उत्पाद के निर्यात सम्बर्द्धन के लिए शुरू की गयी है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की है। भारतीय कृषि एवं किसानों की दारुण दशा की विस्तृत पड़ताल करके सरकार ने नयी फसल बीमा योजना घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में किसानों के दु:ख-दर्द का उल्लेख किया था। खेती को लेकर उन्होंने मई में महत्वपूर्ण बातें कही थी। हरित क्रान्ति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, परन्तु इससे जुड़े किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। ये विवशता में कृषि को छोड़कर किसी और धंधे में जाने के लिए विवश हो रहे हैं। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक किसान को भाग्य के भरोसे पर रहना पड़ता है। तमाम उन समस्याओं का सामना करता है जिन्हें अंतिम समय पर प्राकृतिक आपदाएं उसकी उम्मीदों पर कराघात कर देता है। पिछले वर्षों में कर्ज की अदायगी नहीं कर पाने के कारण किसान लगातार आत्म हत्याएं कर रहे हैं। देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। किसानों को खेती से लाभ दिलाने के लिए नई दीर्घकालिक उपायों पर अभीतक गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। इसलिए स्थिति भयानक हो गयी है। हालांकि कृषि क्षेत्र का योगदान भले ही घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत हो, लेकिन देश को रोजगार देने वाला यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। आधी से अधिक आबादी आज भी कृषि या उससे सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर है। प्राकृतिक विपदाओं और सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से कृषि क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ती गयी हैं। वर्षों से यह मांग उठायी जा रही है कि 'दुर्घटना बीमा योजना', विमान दुर्घटना योजना और अन्य जोखिम वाले क्षेत्रों में तो योजनाएं चलायी गयी हैं। फिर फसल बीमा योजना व्यापक रूप से क्यों नहीं चलायी जाय। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नयी फसल बीमा योजना में अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रीमियम

रखा गया है। इस योजना में आपदा की परिभाषा का विस्तार किया गया है और मौजूदा योजनाओं की कमी को दूर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में प्रीमियम की दर सबसे कम है। क्षति के त्वरित आकलन और एक निश्चित समय के भीतर इसके लिए राष्ट्रीयकृत किया जाना सम्मिलित है। भारत की कृषि बीमा कम्पनी लि॰ के साथ निजी बीमा कम्पनियाँ उस योजना को लागू करेगी। नई योजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में मानसूनी बारिश की कमी के कारण लगातार दूसरे साल देश सूखे का सामना कर रहा है। सरकार चाहती है कि किसानों को मानसून की मार से बचायी जा सके। नयी योजना में लोन भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस योजना से किसानों के जीवन में बदलाव आ सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होगी कि मुनाफे से पीड़ित निजी कम्पनियाँ नयी योजना को उस भावना के मुताबिक लागू करने में कितनी रुचि दिखती है। इसलिए योजना की प्रभावी निगरानी जरूरी है, ताकि दावा के समय ये कम्पनियाँ आना-कानी नहीं करें। फसल बीमा योजना को प्रधानमंत्री ने व्यापक बनाते हुए इसके दायरे में बुआई से लेकर खदानों में रखी फसल तक की सुरक्षा को शामिल किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। प्राकृतिक आपदा के साथ ही स्थानीय आपदा को भी इसमें जोड़ा गया है। वास्तव में 'मनरेगा' के बाद इसे ग्रामीण भारत का नक्शा बदलने वाली दूसरी बड़ी योजना कहा जा सकता है।

वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की जिन्दगी में बदलाव लाया जाय और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाय। हालांकि सरकार ऐसा ग्रामीण विकास चाहती है जिसमें सभी को साथ लेकर चला जाय चूंकि उसी के माध्यम से स्थायी प्रगति संभव है। सामाजिक समानता के उद्देश्य को लेकर सरकार **मई २०१८ तक सभी के लिए बिजली, २०२२** तक सभी के लिए आवास, **२०३० तक 'हर घर में जल'** का संकल्प लेकर चल रही है। साथ ही, खाद्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वर्तमान सरकार ने पिछले सालों में ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए लीक से हटकर कई निर्णय लिये हैं। वित्तीय समावेशन उनमें से एक है, पहली बार देश की इतनी अधिक संख्या में गरीब बैंक खाताधारक बने हैं। जन धन

योजना के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ नये खाते खोले गये हैं। यह वित्तीय समावेशन गतिशील कृषि अर्थव्यवस्था का केन्द्र है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने सीधे नकद हस्तांतरण के जरिये 50,000 करोड़ रुपये की बजट की है। 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए नि:शुल्क रसोई गैस प्रदान करने की **प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना** से लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव आ रहा है। अब तक 2.12 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **२०२२ तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य** को हासिल करने के लिए 7 सूत्री रणनीति तैयार की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत **'हर खेत को पानी', हर बूंद अधिक फसल के लक्ष्य** के साथ सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी है। उधर, **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** से किसानों को खाद का उचित प्रयोग करने में मदद मिल रही है। **राष्ट्रीय कृषि बाजार** (ई-नैम) से कृषि विपणन में ऐतिहासिक सुधार आएंगे। एक बार पूरी तरह चालू होने के बाद बाजार में विकृतियाँ खत्म हो जाएंगी और किसान को बेहद पारदर्शी तरीके से अपने उत्पाद की वाजिब कीमत मिल सकेगी। **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** भारतीय किसानों को मौसम की मार से बचाने में मदद करेगी और उन्हें मुश्किल समय में आय सुरक्षा प्रदान करेगी।

युवाओं के बारे में सरकार के विचार एकदम स्पष्ट हैं। उनके लिए एक ऐसा परिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जहाँ आसान बैंक ऋण, राजकोषीय रियायतों और प्रौद्योगिकी समर्थता की मदद से उद्यमशीलता बढ़े। युवाओं में स्वरोजगार की भावना पैदा करने के लिए और उन्हें अपने बूते आगे बढ़ने में मदद देने के लिए डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही, कौशल विकास और ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार कारगर उपाय कर रही है। डिजिटल पहल भीम, फाइबर ऑप्टिक्स, बिक्री स्थलों और माल प्लेटफार्म जैसे परिचालन एप तैयार करने के लिए कई पहल के लिए बुनियादी सहायता दी गयी है। देश को ऊर्जावान और स्वच्छ, बनाने के लिए बजट नगदीरहित अर्थव्यवस्था पर सरकार का जोर है। वास्तव में इससे न केवल काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देश को आंतरिक रूप से स्वच्छ करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा ऊर्जावान बनेंगे।

नई मंजिल, नई राहें : अभीतक कृषि विकास का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना था। लेकिन नये नजरिये में कृषि को किसानों के लिए लाभकारी बनाना भी शामिल किया गया, जिससे उनका सामाजिक-आर्थिक उद्धार हो और कृषक समुदाय सम्पन्नता के साथ सामाजिक सुरक्षा भी हासिल कर सकें। प्राकृतिक संसाधनों के कुशल, तर्कसंगत और सतत् उपयोग को भी कृषि विकास की नीतियों में प्राथमिकता दी गयी। खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसमें कटाई-उपरांत प्रबंध, खाद्य प्रसंस्करण और बाजार में बिक्री जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया, जिससे किसानी के अलावा अन्य सम्बन्धित रोजगार भी विकसित हो सकें। कृषि विविधीकरण को किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रमुख माध्यम माना गया और इसके तहत बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन, मधुमक्खीपालन जैसे सहायक व्यवसायों को भी प्राथमिकता दी गयी। साथ ही किसानों को अधिक कीमत वाली फसलें जैसे औषधीय एवं सुगंधीय पौधे, मसाले, व्यावसायिक पौधे आदि उगाने के लिए भी प्रेरित किया गया।

आजीविका सुरक्षा के नये आयाम : मौसम के बदलते तेवर और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते कहर के कारण एक लम्बे अर्से से भारतीय किसान फसल के नुकसान को झेल रहे थे, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाती थी। फसल बीमा के लिए पूर्व सरकारों द्वारा समय-समय पर बीमा योजनाएं लागू की गयीं, परंतु कुछ व्यावहारिक तथा आर्थिक दिक्कतों के कारण ये योजनाएं लागू नहीं हो पायीं। व्यापक अध्ययन और सर्वेक्षण के बाद भारत सरकार ने पिछले वर्ष नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, जिसमें रबी फसलों के लिए प्रीमियम की दर मात्र 1.5 प्रतिशत तय की गयी और खरीफ फसलों का बीमा 2 प्रतिशत प्रीमियम की दर पर करना तय किया गया। इसमें किसानों को 70, 80 और 90 प्रतिशत तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा आकस्मिक रूप से खेत में जलभराव होने पर भी किसान बीमा का हकदार बन जाता है। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिलों को समूहों के रूप में संगठित करके बीमा कम्पनियों को तीन वर्ष के लिए प्रत्येक समूह की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। साथ ही फसलों के नुकसान और उत्पादन में संभावित कमी का आकलन करने के लिए दूरसंवेदन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुआवजे के भुगतान में देरी ना हो। भारत सरकार द्वारा इस योजना को आर्थिक सहायता दी जा रही

है, जिस कारण प्रीमियम दर को कम करना संभव हुआ है। फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण किसान भाई इसे बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, परंतु अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

नये कदम, नयी चुनौती : बेहतर उत्पादकता के लिए आवश्यक है कि बेहतर गुणवत्ता के बीज वाजिब कीमत और सही समय पर किसानों को उपलब्ध कराये जाएं इसके लिए 12वीं योजना के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुधारने तथा उपलब्धता बढ़ाने का एक अपमिशन शुरू किया गया था, जिसे नई सरकार के आने के बाद और अधिक मजबूती से लागू किया गया। वैज्ञानिक संस्थानों को बेहतर क्वालिटी के प्रजनक बीज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी और किसानों को भी इस अभियान में शामिल किया गया। शुद्ध बीज उत्पादन की तकनीकी को विकसित करके किसानों तक पहुँचाया गया, जिससे इस अभियान को बल मिला और किसानों की आमदनी भी बढ़ी। इस दौरान विशेष रूप से दालों का बीज उत्पादन बढ़ने के लिए प्रयास किये गये जिसके अंतर्गत चुने गये गाँवों में 'सीड-हब' स्थापित किये जा रहे हैं। लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक किसान नई किस्मों से बेहतर बीजों का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादन में योगदान करें और अपनी आमदनी भी बढ़ायें।

वर्तमान सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है कि हर साल बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि की जाय और खाद का इस्तेमाल 4.4 प्रतिशत तक बढ़ाया जाय। सिंचित क्षेत्र में 17.8 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ हर साल 18.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को साल में दो फसलें लेने के योग्य बनाना होगा। साथ ही फलों और सब्जियों के बुआई क्षेत्र में भी हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है। किसानों की आमदनी में भी प्रतिवर्ष लगभग 11 प्रतिशत की चक्रवर्ती वृद्धि होगी। ये चुनौतियाँ आसान नहीं है, परंतु हमारे नीति-निर्माता, वैज्ञानिक और किसान मिलकर सामाजिक-आर्थिक उद्धार का यह लक्ष्य अवश्य पूरा करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए 29 जुलाई, 2014 को कहा था- ''हमें दो चीजों को सिद्ध करना है-पहला तो यह कि हमारा किसान देश

और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो और दूसरा हमारी कृषि किसानों की जेब भरने में समर्थ हो।'' पिछले डेढ़ वर्षों में किसान हित में जिस तेजी से नई योजनाएँ आ रही हैं उससे लगता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की यह बात सही साबित होगी। कृषि घाटे का सौदा न रहकर एक व्यवसाय की तरह फलेगी-फूलेगी। ऐसा तभी संभव है जब हम खेतीबाड़ी के साथ-साथ पशुपालन को बढ़ावा देते हुए जैविक खाद्य के प्रयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें जिससे विश्व बाजार में न केवल भारतीय खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता स्थापित होगी, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी।

यह निर्विवाद है कि कृषि का रूपान्तरण अर्थ-व्यवस्था को औद्योगिक ढाँचा में बदलने का बांछित लक्ष्य है किन्तु, जबतक कृषि-उत्पादन की प्रक्रिया कृषि फर्मो की चाहार-दीवारी से बाहर नहीं निकलती तबतक कृषि के क्षेत्र को शोषण का सामना करते रहना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी की गिरावट बनी रहेगी। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में आमतौर पर तथा तैवान में खासतौर पर इस दिशा में सफलता की चर्चाएँ प्रचलित हैं, क्योंकि कृषि-उत्पादन का विधायन उस क्षेत्र के फाटक पर ही हो जाता था और उससे जितना फाजिल बच जाता था उसका उपयोग ग्रामीण औद्योगिक क्रियाकलापों के विस्तार में तथा ग्रामीण आबादी के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने में भी किया जाता था। ताइवान के किसान संगठन ने मध्यवर्त्ती शोषक एजेंसी से अपने को दूर कर रखा। राज्य ने भी इस मामला में अपनी भूमिका निभाई कि किसानों को आवश्यक सांस्थिक ताना-बाना दिया और उनके समुचित धन विनिवेश की भी व्यवस्था की। उत्पादन के संघटन को व्यक्तिगत रूप के बदले सहकारी संस्था के रूप में बदलने की जरूरत है किन्तु उसे अधिकारी वर्ग के राज्य नियंत्रित सहकारिता से बाहर निकालकर रखना होगा जिससे ऐसी सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों के अधीन तथा उनके नियंत्रण में रहकर काम कर सके। अपने देश में अमूल ऐसी सहकारिता का ज्वलंत उदाहरण है।

कम ब्याज दर पर ऋण का दिया जाना कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता यदि ऋण की मात्रा पर्याप्त न हो और वह समय पर तथा बिना किसी अतिरिक्त खर्च के प्राप्त न कराया जाय। ये अतिरिक्त खर्च ऐसे हैं जो किसानों को बार-बार वित्तीय संस्था का चक्कर लगाने, शुल्क अदा करने (कागज-पत्र) जमा करने आदि के लिए मुंशी को चुकाना पड़ता है। अनपढ़ किसानों के लिए

कागजी कार्यकलाप संभालने के लिए अपरिहार्य है। ऐसे खर्च को यदि ऋण की ब्याज दर में जोड़ दिया जाय तो औपचारिक रूप से लिए जाने वाले ऋण को अधिक खर्चीला बना देता है। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋण दाता है (महाजन) जो मुख्यत: कमीशन ऐजेंट के रूप में काम करते हैं, ये अत्यधिक दर ब्याज वसूलते हैं और जितनी मांग किसान द्वारा की जाती है, सुविधारूपेण ऋण देते हैं। इसी के अनुरुप वे ऋण की रकम का तालमेल अनाज की बिक्री के साथ बैठाते हैं। इस तरह के कारोबार से किसानों का भारी शोषण होता है। फिर भी उन्हें बाध्य होकर अपनी नितांत आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ग्रामीण किसानों की ऋण कर आवश्यकता को देखते हुए इण्डोनेशिया में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के अनुभव कारगर हो सकते हैं। जहाँ विभिन्न संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है और किसानों के शील-स्वभाव पर ध्यान दिया जाता है अथवा भारतीय किसानों की आवश्यकता के अनुरूप ऋण देने की वह प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती हैख जो बांग्ला देश के ग्रामीण बैंक द्वारा निर्धारित की गई है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋण देने के मामले में राजनीति को उससे अलग रखा जाय। क्योंकि जब कभी चुनाव का समय आता है तो ऋण को अनुदान में बदल दिया जाता है, जिसके फलस्वरुप ऋण देने वाली संस्थाओं के सामने कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऋण ग्रस्तता के निवारण के लिए की जाने वाली कार्रवाई से सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के संकट का समाधान करने में भारी सफलता मिल सकती है। अन्य कुछ उपाय के रूप में यह सुझाव दिया जाता है कि औपचारिक संस्थाओं की भूमिका से अच्छे परिणाम हो सकते हैं। जहाँ दीर्घकालीन ऋण के मामले में खासतौर से फसल को आनुसंगिक भूमि के मालिकाना हक पर बल देने के बदले प्रतिभूति माना जाय।

इससे इतना तो सुनिश्चित हो गया कि किसानों को आवश्यकता के अनुसार ऋण मिल सकेगा। किसानों को उसी रुप में फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जो उद्योग को उपलब्ध है क्योंकि कृषि क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं के घेरे में अधिकतर उलझने की संभावना बनी रहती है। फसल की बर्वादी हो जाने पर किसान हमेशा लगभग असमर्थ हो जाता है। ऋण चुकाने के मामले में और यदि लगातार को या दो से अधिक मौसम की फसलें बर्वाद हो जाए तो किसानों को ऐसा अनुभव होता है कि ऋण के जाल में फँस

जाएं यही स्थिति वस्तुतः आन्ध्र, विदर्भ, केरल, कर्नाकट और पंजाब में हो रही है। जहाँ वर्ष प्रतिवर्ष अधिक से अधिक आत्महत्या के मामलों की सूचना प्राप्त होती रहती है।

इसके अलावा किसानों के सामने उपयोग (गुजारा), स्वास्थ्य और अनेक सामाजिक पर्व त्योहारों की बाध्यता भी होती है, जिससे वे अपने को नहीं अलग कर पाते हैं। इसलिए प्रयास यह किया जाना चाहिए कि एक अलग निधियों का एक अलग स्रोत बनाया जाय जिसमें किसान और सरकार दोनों के द्वारा समान रूप में अंशदान किये जाएं।। ऐसी निधि बन जाने से ऊपर बतलाये गए प्रयोजनों का खर्च वहन करने के लिए खासतौर से ब्याज मुक्त ऋण दिये जा सकते हैं। ऐसी निधियों का सृजन ग्रामीण स्तर पर पंचायतों या अन्य कुछ संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। इस निधि में धनराशि यदि कम हो तो सदस्य किसानों को बारी-बारी से, आवश्यकता के अनुरूप या लौटरी के आधार पर ऋण की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था मोटेतौर पर उसी तरह की हो सकती है जो चिट फंड या निधियों के माध्यम से शहरी इलाके में संचालित किये जाते हैं। किन्तु ऐसी योजना की सफलता बिलकुल किसानों और उनकी ईमानदारी पर निर्भर करेगी। किस रूप में वे योजना का संचालन करते हैं यदि ऐसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सका तो किसानों को ऐसी संस्थाओं से लिए गए ऋण के दुरुपयोग का अवसर नहीं मिलेगा अथवा उन्हें अनुत्पादि प्रयोजनों के लिए अनौपचारिक ऋण संस्थाओं से ऋण का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसान के लिए गए ऋण के अधिकांश भाग का उपयोग उत्पाद प्रयोजनों के लिए तो करते हैं फिर भी वे ऋण के जाल में फँसते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि किसानों की ऋण संबंधी तमाम जरूरतों का पता लगाकर उसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक ऋण एजेंसियों की स्थापना की जाय।

यह भी आवश्यक है कि सरकार इस तरह के कुछ सहकारी संगठनों की स्थापना करने के बारे में सोचे जिसके माध्यम से कृषि संबंधी मशीने यथा ट्रैक्टर, थ्रेसर और हार्वेस्ट कम्वाइन्ड (दवनी करने वाला यंत्र) सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। इससे किसानों के व्यय में बहुत बचत होगी। सिंचाई के लिए भी यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि हर किसान संस्थाओं से प्राप्त होने वाले नलकूप और पम्प सेट लेने के लिए अलग-अलग खर्च करें। सरकार द्वारा बैठाये गए ट्यूबवेल को सामूहिक रूप में किसान संचालित करें तो कुछ कारगर परिणाम हो सकते हैं। अर्थ-व्यवस्था की रूप रेखा को बदलने के लिए

आवश्यकता इस बात की है कि कृषि क्षेत्र की महत्ता को कम करके आँका जाय यानी कृषि कार्य से जुड़े लोगों की संख्या में कमी लाकर उन्हें उद्योग जैसी अर्थ-व्यवस्था को गतिशील क्षेत्र में लगाया जाय।

किसानों की आय दोगुनी करने पर प्रधानमंत्री के विचार :

(1) किसान जितने अधिक सशक्त होंगे और आर्थिक रूप से अपने पाँवों पर खड़े होंगे, देश उतना ही मजबूत होगा और विकास की गति भी अधिक तेज होगी।

(2) इनपुट लागत में कमी कृषि आय बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इनपुट लागत घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं

(3) उन्होंने कृषि गतिविधियों में विविधता के माध्यम से कृषि आय में वृद्धि का भी आह्वान किया। फसल उगाने के साथ ही किसान अपने खेतों के किनारे इमारती लकड़ी वाले पेड़ लगा सकते हैं और पशुपालन भी आरंभ कर सकते हैं।

(4) रबी की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। उर्वरकों की खरीद में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस अवधि में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बीजों, उर्वरक तथा ऋण की कमी से किसान परेशान नहीं हों।

(5) जिन किसानों ने रबी की फसल के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक सोसाइटियों से ऋण लिया है, उन्हें ऐसे ऋणों पर 60 दिन तक ब्याज नहीं देना होगा। जिन किसानों ने पिछले दो महीनों में ब्याज चुका दिया है, उन्हें यह राशि सीधे अपने बैंक खातों में मिल जाएगी।

(6) किसानों को सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों से ऋण की बेहतर सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। नाबार्ड ने 21,000 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया है। सरकार इसमें 20,000 करोड़ रुपये और दे रही है। सरकारी बैंकों तथा सोसाइटियों को कम ब्याज दरों पर ऋण देने से नाबार्ड को जो घाटा होता है, उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी।

(7) जिन 3 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उन्हें सरकार तीन महीने के भीतर रूपे डेबिट कार्ड देगी। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आरंभ किये गये थे, लेकिन अभी तक उनका प्रयोग करने के लिए बैंक जाना आवश्यक है। अब किसानों के पास रूपे डेबिट कार्ड होंगे, जिनका प्रयोग वे कहीं भी कर सकेंगे।

(8) बैंकिंग प्रणाली को 2017 में वापस सामान्य बनाने के लिए सरकार ग्रामीण एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में समस्याओं के हल पर ध्यान देगी।

(9) भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) से व्यापारी समुदायों तथा किसानों को यथासंभव जुड़ना चाहिये।

(10) कृषि, ग्रामीण विकास तथा बुनियादी ढांचे को भी बजट 2017-18 के केन्द्र में रखा गय है, जिससे पता चलता है कि निवेश बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है और इसीलिए इन श्रेणियों में योजनाओं के लिए आवंटन में खूब वृद्धि की गयी है।

(11) भारतीय कृषि में अगली क्रांति प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के बल पर ही लानी होगी और इसे प्राप्त करने की सर्वाधिक संभावना भारत के पूर्वी भाग में है। सरकार इसी लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

(12) किसानों के लिए ई-मंडी योजना शुरू की गयी है, ताकि किसान देशभर में किसी भी बाजार में अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें। आज वह अपने खेत से 10 कि॰मी॰ की दूरी पर सस्ती कीमत पर कड़ी मेहनत से पैदा किये अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर नहीं है।

(13) हमारे किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण और 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दे रही है। इससे कृषि आधारित उद्योगों को फायदा होगा और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के उनके सपने को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हो, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाय, किसी परोक्ष लक्ष्य की सिद्धि का साधन-मात्र

नहीं। आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक न्याय कल्पना मात्र है। उनके अनुसार आर्थिक न्याय का अभिप्राय है कि धन-सम्पदा के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच विच्छेद की कोई दीवार खड़ी नहीं की जाय। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का अथवा एक वर्ग को दूसरे वर्ग का शोषण करने का अधिकार नहीं है। 'सामाजिक न्याय' और 'आर्थिक न्याय' तभी संभव है जब राज्य की सत्ता ऐसी हो जो उन्हें मान्यता दे तथा जब व्यक्ति को किसी भेदभाव के बिना समान राजनीतिक अधिकार भी उपलब्ध हों। लोकतंत्र में कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग अथवा अभिजात वर्ग नहीं हो सकता।

वास्तव में भारत के असंगठित मजदूर भी सामाजिक सुरक्षा से बहुत दूर हैं। हाल में ही वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ग्लोबल वीक्स रिपोर्ट-2017 में कहा गया है कि भारत में 90 प्रतिशत असंगठित मजदूरों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उसी तरह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में शोध संगठन ग्लोबल की शुरुआत इन्डेक्स द्वारा प्रकाशित नवीनतम विस्तृत सुरक्षा रिपोर्ट में 96 देशों में भारत को 71वें स्थान पर रखा गया है। देश में असंगठित मजदूरों और अन्य लोगों में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति चिन्ताजनक है। विगत 9 अप्रैल को भारत सरकार ने देश में पहलीबार सार्वभौमिक असंगठित सामाजिक सुरक्षा योजना का जो मसौदा प्रस्तुत किया है वह महत्वपूर्ण है। उस मसौदे के तहत सामाजिक सुरक्षा से वंचित जो समझौते हुए उनमें 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के मसौदे के मुताबिक जिस व्यक्ति की मासिक आय न्यूनतम वेतन से कम होगी वे सामाजिक सुरक्षा का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले लोगों को जमीन, मकान, आभूषण एवं सम्पतियों का ब्योरा देना पड़ेगा। असंगठित क्षेत्र स्वरोजगार योजना में लोगों की न्यूनतम वेतन निर्धारण उनकी सम्पत्ति के जरिये किया जायेगा। भारत में सामाजिक सुरक्षा गरीबी कुपोषण बढ़ती जनसंख्या रोजगार की मुश्किलें और बजट योजनाओं पर ब्याज दर सभी प्रमुख कारण है।

श्रमशक्ति में किसी भी देश की वृद्धि एवं विकास की परिभाषित करने की क्षमता होती है। किसी भी आर्थिक गतिविधि में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि श्रमिक कल्याण किसी भी देश में नीति निर्माताओं के सामने अच्छा कामकाजी वातावरण तैयार

करने एवं अपनी श्रमशक्ति का कल्याण तथा समृद्धि सुनिश्चित करने के मामले में बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। भारतीय श्रम बाजार स्पष्ट रूप से संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में विभाजित है। संगठित श्रमिकों वाले छोटे अंश को कठोर कानूनों तथा नियमों का लाभ मिलता है, जिससे वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है। किन्तु बड़ा हिस्सा असंगठित श्रमिकों का ही है, जिसके पास न के बराबर रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा है। श्रमिक चाहे संगठित हों या असंगठित, औद्योगिक हों या कृषि प्रवासी हों अथवा अप्रवासी, प्रत्येक वर्ग की अपनी समस्याएं एवं चुनौतियाँ होती हैं।

2025 तक भारत में दुनिया भर का सबसे बड़ा कार्यबल तैयार होने वाला है, इसलिए श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देना तथा उन्हें समुचित महत्व देना आवश्यक है। श्रमिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम जैसे कई कानून पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए हैं। बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2015, कर्मचारी वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016, बाल श्रम (निषेध एवं नियम) संशोधन विधेयक, 2016 सबसे नए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अब केन्द्रीय श्रम कानूनों का सरलीकरण, एकीकरण करने एवं उन्हें तर्कसंगत बनाने और उनके स्थान पर चार श्रम संहिताओं–मजदूरी विधेयक 2015 पर श्रम संहिता, औद्योगिक संबंध विधेयक 2015 पर श्रम संहिता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर श्रम संहिता तथा कार्य के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी स्थितियों पर श्रम संहिता को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है। वर्तमान तथा भावी श्रमिक बल का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने और उन्हें अपना ही कल्याण करने योग्य बनाने के लिए मनरेगा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाएं लाई गई हैं। चूंकि सरकार भारत को दुनिया में निवेश का सबसे बड़ा ठिकाना तथा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए श्रम सुधारों को आर्थिक वृद्धि के अनुरूप बनाने एवं श्रमिकों का वास्तविक कल्याण सुनिश्चित करने की इच्छा के साथ श्रम सुधारों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने के प्रयास किये जा रहे हैं।

असंगठित मजदूरों को संरक्षण प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। देश में श्रम कानून तो उपलब्ध हैं, किन्तु असंगठित मजदूरों को

इसका लाभ शायद ही मिल पाता हो। श्रम कानून प्रावधानों से बचने के लिए नियोजक मजदूरों का नाम नियमित रूप से बही में दर्ज नहीं करते। वैसे असंगठित श्रमिकों के लिए बने कानूनों में भी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मजदूरी भुगतान कानून 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेका श्रम अधिनियम 1970 भी सरकार की उदासीनता के कारण महज कागजी घोड़े साबित हो रहे हैं। अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979 का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर है। उसे जमीन पर उतारने की कोशिश न तो सरकार करती दिखाई पड़ती है ओर न सामाजिक संगठन। 93 फीसदी असंगठित मजदूरों की सुध किसी को नहीं है। ट्रेड यूनियनों को भी सिर्फ संगठित मजदूरों की चिन्ता होती है। देश के अंदर हुए तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन संगठित मजदूरों तक ही सीमित रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थानों ने कभी-कभार इनकी सुध लेने की कोशिश की है और इनकी समस्याओं पर सेमिनार आदि हुए हैं। चार दशकों से लगातार केन्द्र की सभी सरकारें असंगठित मजदूरों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय अधिनियम बनाने की घोषणा करती रही है परंतु किसी न किसी कारणवश असंगठित मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून नहीं बन पाया। प्रथम एवं द्वितीय श्रम आयोग ने इनके लिए संगठित क्षेत्र की तरह मजदूरों के कानूनी संरक्षण की अनुशंसा की है। इनके लिए समय-समय पर सरकार की घोषणा भी उदासीनता के कारण कार्यरत नहीं हो पाया है। जबकि देश के 93 फीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्र में उदारीकरण के दौर में असुरक्षित है। रोजगार में आयी कमी ने असंगठित मजदूरों की कमर तोड़ दी है। देश में जो श्रम कानून इनके लिए उपलब्ध हैं उनका मजदूरों को लाभ नहीं मिल पाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश में मान-सम्मान एवं सुरक्षा का वातावरण बना है। ये स्थिति बनी है नीतिगत फैसला लेने के कारण। प्रधानमंत्री ने कृषि-बीमा योजना भारतीय किसानों की दारुण दशा देखते हुए कार्यान्वित किया है। आर्थिक आजादी के लिए स्टार्ट-अप योजना की घोषणा भारत के विकास के लिए सकारात्मक और प्रभावकारी कार्यक्रम है। श्री मोदी ने देश में विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है तथा भारत की व्यापक सुरक्षा का इंतजाम कराया है। प्रधानमंत्री के अनुसार देश के सामने आज असली मुद्दा आर्थिक पिछड़ेपन और विकास का है। उनके अनुसार भारत को फिलहाल

विश्व में चल रही नई औद्योगिक क्रान्ति में बड़ी हिस्सेदारी लेना है और वही भारत का असली राष्ट्रीय एजेन्डा है। भारत की सारी ऊर्जा इस विकास की ओर केन्द्रित होनी चाहिए। श्री मोदी की सोच है कि धार्मिक हो या राजनीतिक, कोई दूसरा मामला उस असली सामाजिक दिशा से भारत को भटकायेगा तो बड़ी गड़बड़ी होगी।

15 अगस्त, 1947 को नेहरू ने कहा था कि गरीबी, अज्ञानता जैसी बीमारियों के खत्म करने के लिये एक समृद्ध लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की रचना आवश्यक है। श्री मोदी ने हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्धनता पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखलाया है। वे दृढ़ निश्चय के साथ कार्य कर रहे हैं। पं॰ नेहरू की दृष्टि के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत में शक्तिशाली स्वदेशीय आधार निर्मित किया गया है। इसका आनेवाले वर्षों में प्रधानमंत्री इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे हमारा उत्पादन सभी क्षेत्रों में बढ़े तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था और भी सामर्थ्यवान बन सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-246 के अनुसार संसद केन्द्रीय सूची के विषयों पर, राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकती हैं। जैसाकि श्रम और श्रम कल्याण से सम्बन्धित विषय केन्द्रीय सूची और समवर्ती सूची दोनों में आते हैं इसलिए संसद और राज्य सरकार ने उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण में विभिन्न श्रम कानून अधिनियमित किये हैं। देश में पहला श्रम कानून फैक्टरी कामगारों के शोषण को दूर करने के लिए लगभग एक सदी पहले अधिनियमित किया गया था। यह तब किया गया था जब भारत में नया-नया औद्योगिकीकरण हो रहा था। फैक्टरियाँ स्थापित की जा रही थीं। इसलिए इन कानूनों में फैक्टरियों में काम करनेवाले मजदूरों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था और ये पहले से मौजूद ब्रिटिश कानूनों की तर्ज पर थे। आजादी के बाद इन कानूनों के दायरे में आनेवाले प्रतिष्ठान ऐसे क्षेत्र में तब्दील हुए जिन्हें आज हम 'संगठित' क्षेत्र कहते हैं।

असंगठित मजदूरों को संरक्षण प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। देश में श्रम कानून तो उपलब्ध हैं, किन्तु असंगठित मजदूरों को इसका लाभ शायद ही मिल पाता हो। श्रम कानून प्रावधानों से बचने के लिए

नियोजक मजदूरों के नाम नियमित रूप से बही में दर्ज नहीं करते। वैसे असंगठित श्रमिकों के लिए बने कानूनों में भी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मजदूरी भुगतान कानून 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेका श्रम अधिनियम 1970 की सरकार की उदासीनता के कारण महज कागजी घोड़े साबित हो रहे हैं। अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979 का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर है। उसे जमीन पर उतारने की कोशिश न तो सरकार करती दिखाई पड़ती है और न सामाजिक संगठन। 93 फीसदी असंगठित मजदूरों की सुध प्राय: किसी को निश्चित रूप से नहीं है।

श्रम विभाग में ऐसी कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सके। निम्नलिखित सिफारिशें कामगारों को अपने श्रम की कम से कम न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होंगे:- (1) आंतरिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सरकार को प्रत्येक व्यवसाय और प्रत्येक जिले में भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी के बारे में पूरी सूचना रखनी चाहिये। (2) सभी पेशे न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आने चाहिए और कोई भी पेशा इसके दायरे से बाहर नहीं हो। (3) पीस दर के आधार पर जो काम कराये जाते हैं उनकी दरें प्रति पीस के हिसाब से तय की जानी चाहिये और यह वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित की जानी चाहिये। (4) न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन भी करार के द्वारा किया जाना चाहिये और इसमें तृपक्षीय व्यवस्था शामिल की जानी चाहिये। (5) प्रत्येक क्षेत्र के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी के बारे में सूचना का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए और श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में की जानेवाली शिकायतें फोन पर या ईमेल के जरिये ली जानी चाहिये।

बिहार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कामगार सूचना केन्द्र भी स्थापित कर सकता है। बिहार सरकार राज्य के कामगारों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र राज्य अधिनियम बनाने का निर्णय कर सकती है। अलग अधिनियम का लाभ यह है कि यह पूरी तरह राज्य के अधिकार क्षेत्र में होगा और अधिनियम व इसके नियम बिहार में असंगठित कामगारों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये जा सकते हैं। बिहार असंगठित कामगार कल्याण/सामाजिक सुरक्षा विधेयक में मसौदा तैयार किया जाए जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हो:- (1) इस अधिनियम में एक शहरी और ग्रामीण बोर्ड होना चाहिए। (2) इसमें सभी असंगठित

कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल होनी चाहिए। (3) इसमें मौजूदा योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए और (4) इसका कार्यान्वयन कामगार सुविधा केन्द्रों के माध्यम से विकेन्द्रित होना चाहिए।

बिहार के औद्योगिकीकरण में तीव्रता लाने बड़े उद्दमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दो प्रमुख रियायतें यानी 15 प्रतिशत करों में छूट और पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत विशेष छूट देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त बिहार प्रदेश के 38 में से 21 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित किया है, जिसके तहत इन जिलों में नया विनिर्माण संयंत्र, भवन के निर्माण और आयकर में 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए उस नीति का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बिहार की उद्योगविहीनता के आलोक में रुग्ण उद्योगों की फिर से स्थापना करने या लघु उद्योग, मध्यम उद्योग जो अभी बंद है उनको चालू कराने के संबंध में 2006 में अनेक प्रकार के जो आकर्षण दिये गये उनका अभीतक कोई लाभ बिहार के उद्योग को नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनायी, किन्तु बिहार के उद्योग की प्रगति निराशाजनक रही। यह और भी विस्मयकारी है कि पिछले 25 वर्षों में बिहार राष्ट्रीय औसत के अनुसार निजी, सार्वजनिक एवं संयुक्त निवेश में विफल रहा है। अब युवा लोग द्वारा स्टार्ट-अप में मिलने वाली सुविधाएं बिना किसी परेशानी के हासिल किया जा सकेगा। सरकार का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण समाप्त हो रहा है जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के नये अवसर प्राप्त होंगे। सरकार स्टार्ट-अप योजना के तहत युवा उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के अवसर के साथ ही अगर वह उसमें किन्हीं कारणों से विफल होते हैं तो उन्हें उससे छुटकारा पाने के आसान उपाय उपलब्ध करायेगी। इससे युवाओं में आत्मविश्वास जगेगा। स्कूलों-कॉलेजों में ऐसी हजारों प्रतिभाएं हैं, जो विज्ञान टेक्नोलोजी में निरंतर प्रयोग करती रहती हैं। वे अभी अपने अध्ययन को उद्यमशीलता में परिणित नहीं कर पाते। अब नई नीति से उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। एक स्टार्ट-अप से यदि 5 लोगों को भी रोजगार मिलता है तो यह कार्यक्रम बिहार में बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है।

प्रधानमंत्री द्वारा नयी आर्थिक आजादी के लिए घोषित 'स्टार्ट-अप-इन्डिया' की सबसे बड़ी विशेषता है कि सरकारी नियंत्रण को खत्म करना, ताकि स्टार्ट अप प्लान में सरकारी पदाधिकारी बीच में न आये। यह नये उद्यमों के लिए एक सशक्त कदम साबित हो रहा है। नयी उद्यमिता और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने देश में प्रारंभ किया है। अब बिहार भी इससे लाभान्वित होगा। इसे 'मेक-इन-इन्डिया' कार्यक्रम के अगले चरण के रूप में देखा जा सकता है। दक्ष युवा रोजगार के अभाव में भटकने की बजाय रोजगार देनेवाले बनें, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है।

हमारा देश विभिन्न जाति, धर्म, भाषा-भाषियों आदि का देश है। उनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 15(1) के आधार पर किया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि केवल धर्म, जाति, वर्ग, लिंग अथवा जन्म स्थान इनमें से किसी एक अथवा एक से अधिक के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरे की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करने से है चाहे वह किसी भी आधार पर किया गया हो। अनुच्छेद में ''केवल'' शब्द पर बल दिया गया है इसका तात्पर्य है यदि अन्य बातें समान रूप से विद्यमान हों, तो उपर्युक्त बातों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता और यदि राज्य द्वारा कोई भेदभाव किसी अन्य दूसरे आधार पर किया जाए तो वह अनुच्छेद 15(1) के आधार पर असंवैधानिक न होगा। अनुच्छेद 12(2) के अंतर्गत केवल धर्म, जाति, वर्ग, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों, कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों या जो जनता के उपयोग के लिए समर्पित कर दिये गये हैं अथवा राज्यनिधि द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पोषित किये जाते हैं, उनके उपयोग के संबंध में नागरिकों पर कोई प्रतिबंध, अयोग्यता अथवा उत्तरदायित्व नहीं लगाया जा सकेगा। अनुच्छेद 15(1) का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसे राज्य द्वारा ही नहीं वरन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षित किया गया है। किसी नागरिक को देश में कहीं रहने, कार्य करने का अधिकार है। सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सरकार की है। किन्तु ऐसे स्पष्ट प्रावधान के बावजूद अन्य राज्यों से बिहारियों का पलायन और अपमान एवं उनके विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियां चलती रही है। अन्य राज्यों में बिहार

के लोगों के विरुद्ध ओछी बातें कही जाती हैं और बिहारी को अवांछित तत्व कहा जाता है वैसा वक्तव्य किसी भी स्वाभिमानी बिहारी को उद्वेलित कर सकता है।

बिहार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में देश के सबसे निचले पायदान पर है। उद्योगविहीन, सरकारी एवं निजी पूंजी निवेश न्यूनतम रहने के कारण यहाँ की स्थिति क्षीण होती रही है। सरकार और सरकारी उद्यमों में कम पूंजी निवेश कारण रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के बेरोजगार नवयुवकों को बिहार से पलायन करना आवश्यक हो जाता है और अब अगर श्री लालू प्रसाद के आरक्षण के सिद्धांत बिहार के नवयुवकों के लिए लागू किये जायं तो अन्य राज्यों में बिहार के नवयुवकों को रोजगार पाने में कठिनाई होगी, बल्कि मिलेगी ही नहीं। श्री प्रसाद के सुझाव से हाल में झारखण्ड में जो स्थानीयता का विवाद बना है। उस राज्य में राज्य से बाहर के लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसी कड़ी में यह भी माना जायेगा। इससे नवयुवकों की क्षति होगी। दूसरी ओर यह भी देखा जाना चाहिए कि बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो रिक्तियाँ होती रहती हैं, उसे तत्काल भरने की कोशिश सरकार द्वारा नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए पिछले 25 वर्षों में लोक सेवा आयोग से राज्य सरकार की सेवा के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हर वर्ष होनी चाहिए जो नहीं हुई। 1990 के बाद 25 वर्षों में केवल 8 बार ही ऐसी परीक्षाएँ हुई हैं। ऐसी रिक्तियाँ रहने के बावजूद नियुक्तियाँ नहीं हुई, जो प्रारंभिक आंकड़े प्राप्त होते रहते हैं। उसके अनुसार 4 लाख रिक्तियाँ सरकार के विभिन्न विभागों में लम्बित है। वह सभी श्रेणियों की रिक्तियाँ है। यदि नियमित नियुक्तियाँ होतीं तो बार-बार आरक्षण का सवाल नहीं उठाये जाते। इन 4 लाख में 2 लाख नियुक्तियाँ दलित एवं पिछड़ों की हो सकती थी। बिहार में रोजगार को सफल बनाने के लिए लोकोन्मुखी उद्योगों का क्षेत्र बनाना होगा। इन 25 वर्षों में उद्योग धंधे धीमे ही नहीं हुए, बल्कि 70 प्रतिशत लघु उद्योग बंद हो गये जिससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। इसलिए बिहार के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक निवेश बढ़ाये जायं, उद्योग बढ़ाये जायं और स्वीकृत रिक्तियों को भरी जायं। केवल बिहार की भावनात्मक पीड़ा को दर्शाकर बिहार में आरक्षण का मुद्दा उठाना देश के स्तर पर बिहारी नवयुवकों की बड़ी क्षति ही संभावित है। बिहार के 80 प्रतिशत पद बिहारी के लिए आरक्षित करने से अन्य राज्यों में बिहार के

नवयुवकों के नियोजन की संभावना समाप्त होगी। बिहार का अपना सामर्थ्य नहीं है कि बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ कर सके। अन्य राज्यों में बिहारियों के प्रति जो एक दुराग्रह की भावना बनी हुई है, उसे ही बल मिलेगा। इस परिस्थिति में श्री प्रसाद का वक्तव्य निश्चय ही देश के संवैधानिक ढांचे एवं प्रावधानों के विरुद्ध है। संघीय व्यवस्था कमजोर होगी। लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है।

बिहार की लगभग 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है, जो भारत में सबसे अधिक है। गरीबी के सम्बन्ध में इसकी जो विषमता है वह बताती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसमें कितना अन्तर है और वह राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। गरीबी दूर करने की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत कम रही। इसके साथ ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की दशा में देश के स्तर पर जो प्रगति हुई उसके मुकाबले बिहार की प्रगति काफी फीकी रही। ग्रामीण गरीबी का औसत 41.1 प्रतिशत है, जो शहरी गरीबी के स्तर 24. 7 प्रतिशत से काफी अधिक है। गरीबी के मुख्य कारण हैं कि आमलोगों के पास जमीन की मात्रा सीमित है, उनके पास पशुधन भी सीमित है, शिक्षा का अभाव है और स्वास्थ्य-सुविधाएँ भी कम हैं तथा भरपूर कमाईवाली जीविका एवं सामाजिक हैसियत की भी कमी है। अधिकांश आबादी भूमिहीन है जिसके पास पशुधन भी घटिया किस्म का है और शिक्षा भी बहुत कम है। बिहार में भूमि समस्या में बटाईदारी एक प्रमुख समस्या है।

बिहार में पिछले 25 वर्षों में 20 से अधिक सामूहिक नरसंहारों में 1000 से अधिक दलित गरीबों की सामूहिक हत्या हुई। विशेष अदालतें गठित होने के बावजूद आरोपियों को अदालत ने मुक्त कर दिया। राज्य में इतने बड़े-बड़े जनसंहार हुए, लेकिन दोषी कोई नहीं। इंसाफ का इससे ज्यादा माखौल और क्या हो सकता है? सवाल अकेले सरकार और हमारी न्याय प्रणाली पर ही खड़े नहीं होते, बल्कि राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के दायरे में है। एन॰सी॰आर॰बी॰ (नेशनल क्राइम रेकाड्सबुरो) के अनुसार दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध निबन्धित मामलों की संख्या, लापारवाही से जिसको कम कर प्रतिवेदित किया गया था, वह (संख्या) ई॰ 2013 में (ई॰ 2012 की तुलना में) 17.1 प्रतिशत अधिक हो गयी। यह वृद्धि और अधिक नाटकीय रूप में 2013 और 2014 के बीच 19.4 प्रतिशत में हो गयी। 'अत्याचार' शब्द को और

अधिक सबल रूप में परखने की जरूरत है, अन्यथा यह नौकरशाही वाला एक अन्य भावात्मक मंजुलतावाचक हो जाय। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) की रणनीति 1980 में शुरू की गयी थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ अनुसूचित जातियाँ, जो हाशिये पर हैं उन तक देश का आर्थिक विकास नहीं पहुँच पा रहा था। यह विस्मयकारी है कि पिछले 25 वर्षों में अनुसूचित जातियों पर हुआ खर्च बिहार में नगण्य रहा है, जो कि योजना आयोग द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देश के विरुद्ध रहा है, जबकि योजना आयोग का निर्देश हुआ था कि योजना उद्व्यय में से 15 प्रतिशत दलित अंगीभूत योजना के लिए कर्णांकित किये जाने का प्रावधान था। बिहार में कुल योजना परिव्यय का केवल 1.2 प्रतिशत ही प्रतिवर्ष/ पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों पर खर्च किया जाता रहा है। इस ओर ध्यान देना होगा। 2009-10 में 1.1 प्रतिशत और 2010-11 में 1.2 प्रतिशत ही आवंटित किया गया था। यह क्रम लगातार जारी है। अनुसूचित जातियों को जो इस 2015-16 वित्तीय वर्ष में भी राज्य योजना बजट में 3140.0 करोड़ रुपये पाने का हकदार हैं, लेकिन केवल 232.9 करोड़ रुपये ही मिले। हाल में जीबी पंत इन्स्टीच्यूट, इलाहाबाद के अर्थशास्त्री भाष्कर मजूमदार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का संक्षिप्त सार बिहार सरकार को भेजा। इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक विकास के मामले में देश में गुजरात को सबसे अव्वल और बिहार को सबसे फिसड्डी करार कर दिया है। मसलन जाति-पाति का बोलबाला प्रदेश के सामाजिक विकास के मामले में पिछड़ने के एकाधिक कारणों में सबसे पहला कारण है। 25 वर्षों के शासन में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहाँ प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय सबसे कम है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि कक्षा दस तक आते-आते पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 84 प्रतिशत है। राजीव गांधी इंस्टीच्यूट ऑफ कान्टेंपरेरी स्टडीज एण्ड इन्डस्ट्रीयल एनालिसिस'' के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक व्यापक अध्ययन किया गया जिसका विषय था ''हाउ आर द स्टेट्स डूइंग'' अर्थात राज्य अपना कार्य एवं दायित्व किस तरह निभा रहा है? इस विषय पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की गयी। राज्यों के विकास की गति को नापने के लिए जो मापदंड तय किए गए उनमें से प्रमुख थे: (1) राज्यों में पूंजी निवेश का माहौल (2) आज तक की उपलब्धियां (3) आधारभूत

सुविधाएँ (4) वित्तीय अनुशासन (5) कानून और व्यवस्था की स्थिति (6) उपभोक्ताओं के अनुभव (7) मीडिया की भूमिका (8) लघु उद्योगों की स्थिति (9) कृषि संबंधी कार्य। विश्व बैंक अपनी रिपोर्ट को उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया और जो नतीजे सामने आये हैं, वे चौंकाने वाले हैं। इन नतीजों में कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई राजनीति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। निहायत वस्तुपरक और तथ्यपरक इन नतीजों का एक ही निष्कर्ष है कि जिन 14 विषयों का अध्ययन किया गया है उनमें अन्य राज्यों में तो किसी मद में कोई ऊपर है और कोई नीचे किन्तु बिहार प्रदेश तो सभी क्षेत्रों में प्रगति की दृष्टि से सबसे नीचे है। इस रिपोर्ट के अनुसार सभी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धि शून्य है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी में भारत को परिवर्तन से कोई नहीं रोक सकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम ही नहीं होता, बल्कि समाज के कल्याण के लिए समय-समय पर हमारे ही बीच से आने वाले सूरमाओं की इच्छाशक्ति का प्रतीक भी होता है। इस देश में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर न जाने कितने परिवर्तन हुए हैं, जिससे हम भारतीय आज सामंतशाही से निकलकर लोकशाही तक पहुँचे हैं। यह कोई छोटा-मोटा परिवर्तन नहीं था जिसे हमारे पुरखों ने अंजाम दिया और कई पीढ़ियाँ इसी जद्दोजहद में लगी रहीं। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रवेश करने के बाद यह मुल्क एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हुआ, जहाँ एक तरफ उसे यान की चमक मोह रही थी तो दूसरी तरफ गरीबी से जूझते हुए लोग सोच रहे थे कि उनका भाग्य बाजार किस प्रकार तय कर सकता है। लगभग 25 वर्षों बाद मुल्क के वजीरेआजम की गद्दी संभालते ही श्री मोदी ने जब यह ऐलान किया कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है, तो खेतों से लेकर खजाना संभाले बैठे लोग चौंक गये कि यह कैसे संभव होगा? क्योंकि डॉ॰ मनमोहन सिंह ने जिस अर्थ नीति का श्रीगणेश किया था उसकी परिणति उन्हीं के निजाम में 2014 तक इस तरह हुई कि लाखों-करोड़ रुपये के घोटाले होना जैसे आम बात हो गई। एक हजार और पांच सौ रुपये के बड़े नोट बंद करने का फैसला कोई छोटा-मोटा नहीं है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक फैसला है जिसमें मुल्क के गरीबों की हालत बदलने की पूरी क्षमता है, बशर्ते इसके बाद उठाये जाने वाले कुछ अन्य कदमों को भी पूरी

शक्ति के साथ उठाया जाय और हर कदम आगे बढ़ने के लिए हो। विपक्ष के संसद में शोर-शराबा करके इसे ठप्प करने की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है कि गरीब कल्याण योजना जैसे कानून के खिलाफ विपक्षी दल क्यों तिलमिला रहे हैं। संसद देश के गरीबों के लिए है, गरीब संसद के लिए नहीं है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए और विपक्षी दलों को उन ईमानदार लोगों की तकलीफों पर राजनीतिक रोटियाँ सेंकने से बाज आना चाहिए जो काले धन के खिलाफ बैंकों के बाहर कतारों में लगे हुए हैं। काले धन को केवल बाहर लाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आगे से इसे पैदा न होने देना और भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करना भी बहुत जरूरी है। तुर्की के राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा ने जब दकियानूसी तुर्क समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश की, तो उनका भारी विरोध हुआ। वे चाहते थे कि उनके कबिलाई समाज अरबी-फारसी की लिपि को छोड़कर अंग्रेजी सीख जाएं और दुनिया से जुड़ जाएं। लड़कियाँ-लड़के साथ-साथ पढ़ें। उनके शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह असंभव है कि निरक्षर जनता, खासकर महिलाएं बुर्के के बाहर आकर शिक्षा ग्रहण करें। मंत्री महोदय का आकलन था कि इस काम में कई दशक लग जाएंगे। पर कमाल पाशा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने खुद ही गाँव-गाँव जाकर साक्षरता की क्लास लेना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 2 वर्ष में ही तुर्की के लोग अंग्रेजी लिखने, पढ़ने और बोलने लगे। श्री नरेन्द्र मोदी जी को जनता के बीच जाकर कमाल पाशा की तरह कुछ करना पड़ेगा।

कुल मिलाकर बिहार में सबसे अधिक आवश्यकता है सुशासन की, एक ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जो जाति, उपजाति, पंथ आदि के नाम पर विभाजकता को प्रमुखता न देकर धीमी पड़ी विकास प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान दें। केन्द्र सरकार को भी बिहार को विशेष व्यवस्था द्वारा सहयोग देना होगा, ताकि अगले 30 वर्षों में होने वाला विकास पूरे देश में समानता लाये और आम मानस के लिए न्यायसंगत और उचित हो। पुराने बिहार के गौरव का मूल कारण यह था कि हर क्षेत्र में जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कला और संस्कृति इत्यादि में श्रेष्ठता और नूतनता को प्राथमिकता दी गई। आज के बिहार को भी इन्हीं रास्तों पर चलना होगा। शायद तब बिहार आने वाले वर्षों में भारत में अपना उचित स्थान बना सकेगा और अपना खोया हुआ वैभव, गौरव, कीर्त्ति एवं यश प्राप्त कर सकेगा।

डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र

नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के निवर्तमान महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को अपनी अबतक स्वलिखित 20 पुस्तकों की प्रति सौंपते हुए डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार।

नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 'मधुबनी द आर्ट कैपिटल' पुस्तक की प्रति भेंट करते हुए डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री।

नई दिल्ली में भारत के उप-राष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडू को ललित ना. मिश्र व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रकाशित 'मधुबनी द आर्ट कैपिटल' नामक पुस्तक की प्रति भेट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को अपनी अबतक स्वलिखित 20 पुस्तकों की प्रति सौंपते हुए डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार।

13 जुलाई 2012 को निवर्तमान राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

पटना के राजभवन में दिनांक 1नवम्बर, 2017 को महामहिम राज्यपाल, श्री सत्य पाल मलिक को ''मधुबनी द आर्ट कैपिटल'' एवं स्व-लिखित पुस्तकों की प्रति भेंट करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पटना आगमन पर पटना हवाई अड्डे पर अभिवादन करते मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह के साथ उनके दिल्ली निवास पर स्वलिखित पुस्तकों पर विचार-विमर्श करते हुए डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री।

जून 1985 में डॉ. जगन्नाथ मिश्र द्वारा केन्द्रीय मंत्री पद के शपथ ग्रहण के अवसर पर राष्ट्रपति डॉ. शकंर दयाल शर्मा, श्री के करूणाकरण, श्री ए. आर. अंतुले, प्रधानमंत्री श्री पी.भी. नरसिंहा राव, श्री विद्याचरण शुक्ल एवं उप-राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायण।

पूर्णिया में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

पटना में आयोजित एक सभा के दौरान मंच पर भाषण देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र

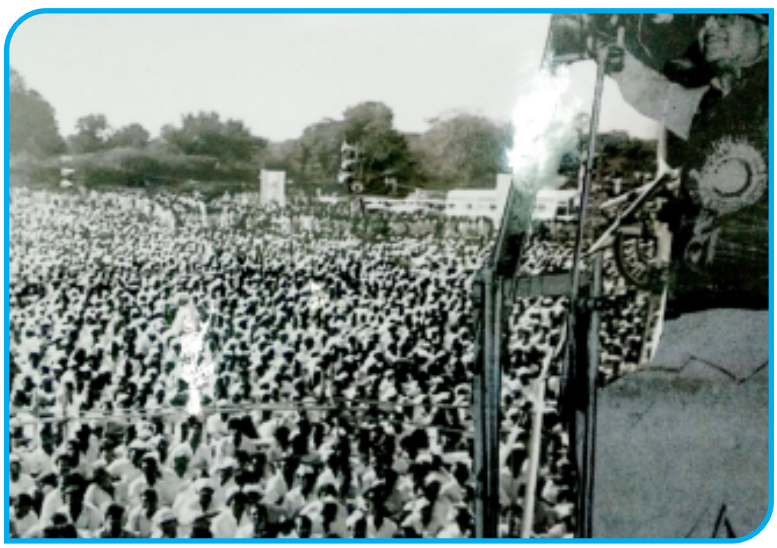

23 सितम्बर, 1983 को मुख्यमंत्री के पद से हटने क बाद जन-जागरण अभियान का प्रारंभ करते समय मधुबनी जिला में विशाल जन सभा को सम्बोधित करते हुए डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के साथ मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहार बाजपेयी के साथ विचार-विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र

नई दिल्ली में प्रधानमंत्रीश्री राजीव गाँधी के साथविमर्श करते हुए मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

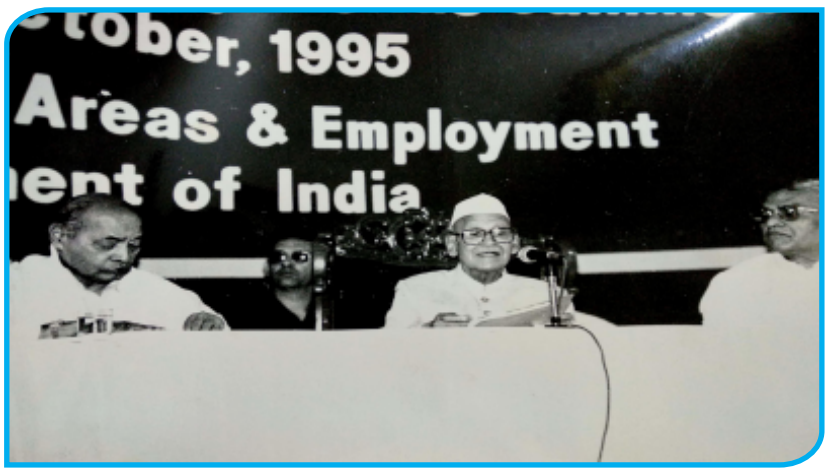

नई दिल्ली आयोजित एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री श्री नरसिंहा राव के साथ केन्द्रीय ग्रामीण मंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

भारत के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के साथ विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, श्री एम.जी. रामचन्द्रण के साथ मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र एवं पीछे खड़े हैं तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री आर. वेंकटरमण।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, श्री केदार पाण्डेय एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 'बाण-सागर समझौता' पर हस्ताक्षर करते हुए डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

वर्ष 1965 में बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से पी॰-एच॰डी॰ की डिग्री लेते हुए डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र।

1975 में बिहार के राज्यपाल श्री आर॰के॰ भण्डारी से पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र।

1972 में बिहार के राज्यपाल श्री देवकांत बरूआ से बिहार सरकार ने मंत्री पद की शपथ लेते हुए डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र

1980 में बिहसा के राज्यपाल श्री ए॰आर॰ किद्वई से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र।

1989 में बिहार के राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र।

1995 में राष्ट्रपति डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा से केन्द्रीय मंत्री पद की शपथ लेते हुए डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र।

1 जुलाई, 1976 को रहिका (मधुबनी) प्रखंड के सम्भुआर गाँव में भूमिहीन को प्रत्यक्षत: कब्जा दिलाने एवं सवार्णो में हल चलाने की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री बच्चा ठाकुर के साथ हल चलाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

1977 में बेलची में हुई नरसंहार की घटना के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी और पूर्व मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र घटना स्थल पर जाते हुए।

नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद को पुष्पगुच्छ अर्पित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

अपने अग्रज एवं पूर्व रेलमंत्री, भारत सरकार, श्री ललित नारायण मिश्र के साथ डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार।

दिनांक 23.10.1981 को पटना के राजभवन में भारत के राष्ट्रपति, श्री नीलम संजीव रेड्डीके साथ विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

अपने निवास पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी को भोजन कराती श्रीमती वीणा मिश्र (धर्मपत्नी डॉ. जगन्नाथ मिश्र)

अपने निवास पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी, श्री कमलापति त्रिपाठी के साथ मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीणा मिश्र।

1982 में मुंगेर में आयोजित एक सभा में मुख्यमंत्री, डॉ. जगन्नाथ मिश्र द्वारा संत मदर टेरेसा को सम्मानित करने के उपरांत मंच पर भाषण देती हुई मदर टेरेसा।

भारत के राष्ट्रपति, श्री ज्ञानी जैल सिंह (बीच में) के साथ मुख्यमंत्री,
डॉ. जगन्नाथ मिश्र अपनी धर्मपत्नी श्रीमती बीणा मिश्र के साथ।

भारत के राष्ट्रपति श्री आर, वेंकटरमण के साथ मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

2 फरवरी 2011 को ल.ना.मिश्र व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में ललित जयंती-सह वार्षिक उत्सव में मूर्ति के अनावरण के अवसर पर श्याम रजक, मा.मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बिहार सरकार के साथ धर्मपत्नी श्रीमती वीणा मिश्र के साथ संस्था के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार डॉ. जगन्नाथ मिश्र मंचासीन एवं पीछे खड़े हैं संस्था के कुल सचिव डॉ. कुमार शरतेन्दु शेखर।

2 फरवरी, 2015 को श्री ललित नारायण मिश्र, पूर्व रेलमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ललित नारायण मिश्र, व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद के साथ डॉ. जगन्नाथ मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार।

24 जून, 2016 को डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के जन्मदिन के अवसर पर बिहार इंडस्ट्री एसोशियेसन, पटना में 'बिहार की पीड़ा से जुड़िए' कार्यक्रम के तहत आयोजित गोष्ठी का दीप जलाकर शुभारंभ करते हुए भारत सरकार के माननीय मानव संसाधान मंत्री, श्री उपेन्द्र कुशवाहा के साथ डॉ, जगन्नाथ मिश्र, श्री वी.एस. दुबे, पूर्व मुख्य सचिव, बिहार एवं झारखंड, ,प्रो. नवल किशोर चौधरी, प्राचार्य पटना विश्वविद्यालय, डा. संजीव मिश्र, वित्तीय सलाहकार सीआरपीएफ एवं एनएसजी, एवं बिहार के पूर्व मंत्री श्री नीतीश मिश्र।

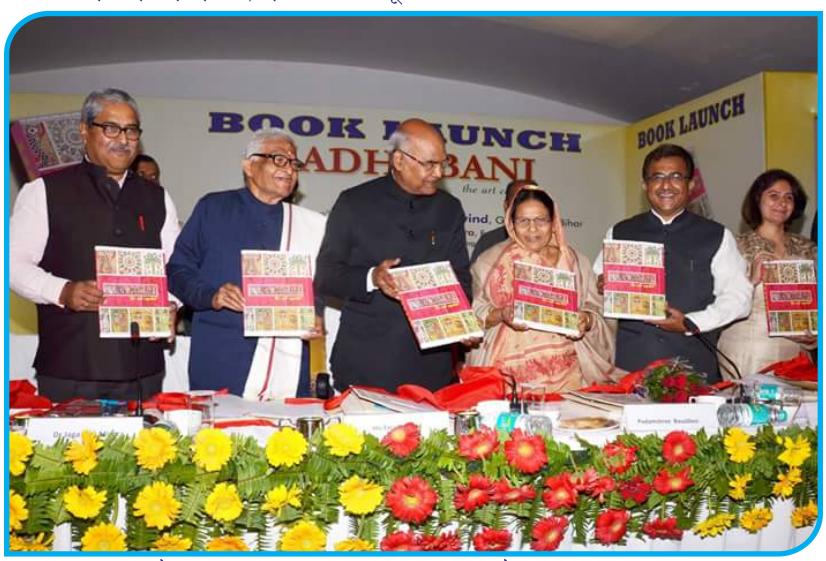

पटना के होटल मौर्या के सभागार में 'मधुबनी द आर्ट कैपिटल' नामक पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, श्री रामनाथ कोविंद, डॉ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार, पद्मश्री बौआ देवी, श्री नीतीश मिश्र, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार एवं डॉ. कुमार शरतेन्दु शेखर, कुलसचिव, एल.एन.एम.सी.बी. मुजफरपुर।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर करते हुए मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार, उप-मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के श्री नीतीश मिश्र एवं स्वंय डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार।

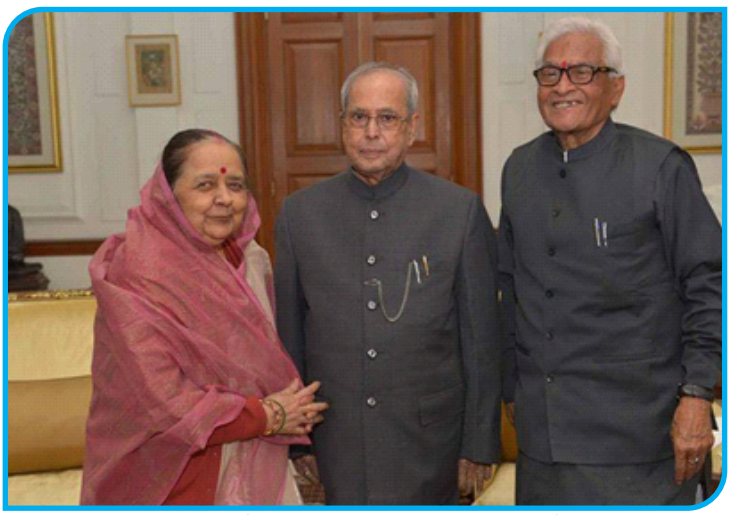

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के साथ डॉ. जगन्नाथ मिश्र एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीणा मिश्र।

पटना के निवास में अपने पुस्तकालय कक्ष में अध्ययनरत डॉ. जगन्नाथ मिश्र।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुंख्यमंत्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं धर्मपत्नी, श्रीमती बीणा मिश्र अपने पुत्र डॉ. सजीव मिश्र, (वित्तीय सलाहकार सीआरपीएफ, एवं एन.एस.जी) श्री मनीष मिश्रा, स्वतंत्र व्यावसायी, श्री नीतीश मिश्र, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार एवं अपने तीनो पुत्रियाँ यथा–श्रीमती संगीता, श्रीमती (डॉ.)ममता मिश्र एवं श्रीमती (डॉ.) स्मिता मिश्र के साथ अपने निवास पर।

1

बम के कण

बीते कई दशकों से बम के तेरह कण अपने बायें पैर में लेकर मैं चल रहा हूँ। बड़े-बड़े चिकित्सकों ने एक मोड़ पर आकर यह कहते हुए हाथ उठा दिया कि उनकी भी सीमा है, मुझे बम के इन तेरह कणों के साथ जीना सीखना होगा। और मैंने यह सीखा भी। कभी-कभी मुझे लगता है कि क्या यही मेरी नियति है? बम के इन कणों के अतिरिक्त ईश्वर ने पता नहीं क्यों विस्फोटक अनुभवों के ढेर सारे कण जीवन में ऐसे-ऐसे दिये, जो बम के इन तेरह कणों से कई गुना दारुण और मर्मांतक है। सोचता हूँ, अपने अग्रज स्व. ललित नारायण मिश्र, जिन्हें आदरपूर्ण प्यार से हमलोग 'बउआ भाई' कहते थे, के संग अगर बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए भीषण बम विस्फोट में मेरी भी मृत्यु हो गई रहती, तो बम के इन कणों और दुनियावी कुटिल षड्यंत्रों के विस्फोट के कणों के संग मैं रोज-रोज इस तरह न मर रहा होता। पर अंततः विधि के विधान के आगे सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। मैं भी हूँ। मैं अपने प्रियजनों से कहता हूँ, "जब मै न रहूँ, तो मुझे इस एक पंक्ति के साथ याद किया जाय- जीवन भर बम के कणों के संग जिसने जीवन को जिया।"

2 जनवरी, 1975 की वह भयानक शाम मैं कभी नहीं भूल सकता। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का उद्घाटन था। इस अवसर पर मेरे बड़े भाई और मेरे राजनीतिक निर्माता भारत सरकार के तत्कालीन केन्द्रीय रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र उद्घाटन के लिए आये थे। बिहार के लिए उनके मन में बहुत-से सपने थे। इन्हीं सपनों में से एक यह भी था,

जिसे साकार करने वे समस्तीपुर आये थे। चारों तरफ स्वाभाविक रूप से उल्लास था। बड़ी संख्या में लोग समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचे थे। बउआ भाई जब भी बिहार की यात्रा पर आते थे, मैं अनिवार्य रूप से उनके संग होता ही था। जाहिर है कि उस दिन भी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उद्घाटन समारोह के लिए निर्मित मंच पर उनके संग मैं भी था।

निर्धारित समय पर समारोह शुरू हुआ। बउआ भाई का अत्यन्त मार्मिक भाषण हुआ। भाषण के समापन में पता नहीं क्यों उन्होंने कहा- 'मैं रहूँ न रहूँ, बिहार बढ़कर रहेगा।' शायद उन्हें कुछ अलौकिक आभास हो चुका था कि अभी से कुछ देर बाद ही वे मौत के मुँह में जानेवाले हैं। बहरहाल, सभा की कार्रवाई जारी ही थी कि शाम साढ़े पाँच बजे मंच के पास भीषण बम विस्फोट हुआ। विस्फोट की दहलाने वाली गूँज, धुएँ का गहरा गुबार, चीख-पुकार, अफरा-तफरी से प्लेटफार्म भयंकर रूप से कम्पित था। बम के धुएँ में डूबे लोग एक -दूसरे को सूझ नहीं रहे थे। मंच क्षत-विक्षत, लोग क्षत-विक्षत! स्थिति यह थी कि मुझे भी उस बदहवासी में पता नहीं चल रहा था कि मेरा शरीर कितना उड़ चुका है और कितना बचा है। काले धुएँ के उस गुबार में मैं खून से लथपथ हताश था। किसी तरह स्वयं को घसीटते हुए बउआ भाई को ढूंढ़ रहा था। धुएँ का गुबार जब कुछ कम हुआ, तो मैंने देखा कि वे खून से बुरी तरह सनी हालत में गिरे हुए हैं। मैं किसी तरह रेंगते हुए उनके पास पहुँचा। देखा कि वे बुरी तरह छलनी होकर भी होश में हैं। श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार के सर्वाधिक ताकतवर मंत्री का अंत यह था। मैं फूट-फूटकर रोने लगा। बउआ भाई ने हाथ से इशारा कर मुझे चुप होने का संकेत किया। दुख-विपत्ति के भीषणतम क्षणों में बउआ भाई ने हमेशा इसी तरह हम सब भाइयों को सांत्वना दी थी। मौत के तट पर भी रहकर उन्होंने मुझे धैर्य रखने का संकेत दिया।

कहना न होगा कि समस्तीपुर बम काण्ड में रेलमंत्री के संग हुए इस भयानक हादसे की खबर सारे देश में आग की तरह फैल गई। बहरहाल, हादसे के बाद भी प्लेटफार्म पर ऊहापोह की स्थिति थी। कुछ देर बाद एक ट्रेन से बउआ भाई समेत सभी घायलों को चिकित्सा के लिए पटना के समीप दानापुर रेलवे हॉस्पीटल लाया गया। आश्चर्य की बात थी कि राजधानी पटना में एक से एक ख्यातिलब्ध नामी चिकित्सकों के पास ले जाने के बजाय दानापुर के रेल

अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहाँ पटना की अपेक्षा कमतर अनुभवी चिकित्सक थे। यह बात भी विस्मयकारी है कि बउआ भाई को समस्तीपुर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ही क्यों नहीं ले जाया गया, क्योंकि समस्तीपुर से दरभंगा बहुत निकट था और वहाँ भी एक से एक चिकित्सक थे। इस बम काण्ड में घायल दरभंगा के तत्कालीन डी.आई.जी. श्री बी.एन.प्रसाद को इलाज के लिए फौरन दरभंगा अस्पताल ही भेजा गया और वे अच्छी चिकित्सा के कारण बच गये पर हमारे बउआ भाई के नसीब में यह भी नहीं था। पूरे आठ घंटे तक चलने के बाद वे दानापुर अस्पताल में लाये गये। इस असहायता में लगातार मेरे आँसू निकल रहे थे। पर वहाँ सुननेवाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था मानों पल-पल रेल मंत्री के मरने की प्रतीक्षा की जा रही हो। जीवन से देर तक संघर्ष करने के उपरांत अंततः 3 जनवरी, 1975 को बउआ भाई ने दानापुर के उस अस्पताल में दम तोड़ दिया। बउआ भाई की हत्या की जाँच के लिए 'मैथ्यू कमीशन' बना, अदालती कार्रवाई आज तक जारी है। आजाद भारत में राष्ट्रपति महात्मा गाँधी की हत्या हुई थी और उनके बाद देश में राजनीतिक हत्या की यह दूसरी सबसे बड़ी घटना हुई। पर विडंबना कि यह आज तक अनसुलझी है। मेरे तमाम प्रयासों का भी कोई फलाफल नहीं निकला। बउआ भाई की हत्या का यक्ष प्रश्न मेरे शरीर में बम के तेरह कणों के रूप में मुझे हमेशा टीसता रहता है। अपने अंतिम क्षण तक उन्हें अपनी परवाह नहीं थी। वे अचेत होने तक की स्थिति में भी यही कहते रहे, "जगन्नाथ को देखो। उसको बचाओ।"

चार दशक के लम्बे अरसे के बाद उनकी हत्या से जुड़े चार लोगों को दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई है, वह भी निचली अदालत द्वारा। अभी इन दोषियों के पास उच्च एवं सर्वोच्च अदालतों में जाने के पूरे विकल्प खुले हुए हैं। अब अंदाज लगाया जा सकता है कि जब निचली अदालत का फैसला आने में 40 वर्षों का समय लग गया, तो उच्च एवं सर्वोच्च अदालतों का फैसला आने में कितना वक्त लगेगा? इस फैसले ने एक बार फिर से भारतीय न्याय व्यवस्था की गतिहीनता पर सवालिया निशान लगा दिया है। जब भारत सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री की हत्या के मुकदमे का फैसला 40 साल बाद आता है, तो आम आदमी के मुकदमों की स्थिति का

अंदाजा अत्यंत ही सहजता से लगाया जा सकता है। 40 वर्ष में युवा आरोपी भी अब वृद्ध हो गये हैं।

इतने लम्बे समय तक चले इस मामले में 20 से ज्यादा न्यायाधीशों ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसम्बर, 1979 के निर्देश पर यह मामला दिल्ली स्थानान्तरित हुआ और यह सबूत मिटाने के डर से राज्य से बाहर स्थानान्तरित होने वाला देश का पहला मामला बना। इस मामले में अभियोजन पक्ष के 161, आरोपी पक्ष के 43 और अदालत के गवाह के तौर पर 9 गवाहों सहित कुल 213 गवाहों से पूछताछ की गई। इससे पहले आरोपियों ने इस मामले में उनके खिलाफ जारी सुनवाई को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त, 2012 को उनकी याचिकाएं इस आधार पर खारिज कर दी थी कि कार्यवाही सिर्फ इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती कि यह बीते 37 वर्ष में पूरी नहीं हुई है।

समस्तीपुर बमकाण्ड जब हुआ था, उस समय जे॰पी॰ आंदोलन चरम पर था। 1974 की रेलवे हड़ताल को बउआ भाई ने सख्ती से विफल कराया था। आनंदमार्गी आंदोलन भी सक्रिय था। जिसके चलते हिंसा का माहौल चौतरफा विकृत रूप लिये हुए था। ऐसी अवस्था में बउआ भाई जैसे बड़े व्यक्तित्व व राजनेता के लिए जैसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, वैसी नहीं थी। यह सवाल भी जनमानस को उद्वेलित करता है। बहरहाल, समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने, सुरक्षा इंतजाम नहीं होने, फौरी तौर पर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने, समस्तीपुर से दानापुर लाने, पूरी जाँच प्रक्रिया में षड्यंत्र का मामला आईपीसी की धारा 120बी के तहत बनता था। परन्तु ऐसा लगता है कि इन बिन्दुओं पर विस्तार से जाँच नहीं की गयी। इस संबंध में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं होना यह प्रमाणित करता है कि सीबीआई के पास भी षड्यंत्र से सम्बन्धित ठोस सबूत नहीं था। अब भी पूरे मामले के प्रति जनमानस में भ्रम बरकरार है। बउआ भाई बिहार को, विशेषकर मिथिलांचल को देश की अगली पंक्ति में लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। ऐसे व्यक्ति की निर्मम हत्या की साजिश क्यों व कैसे रची गयी? हमारे बउआ भाई और देश के ललित बाबू नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा न्याय की प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं घायल हुआ, संयोग से जीवित रहा। आज भी दुखी व उद्वेलित हूँ। यह सही तथ्यों का उजागर नहीं होना सम्पूर्ण न्याय प्रणाली व प्रशासनिक व्यवस्था भविष्य के लिए चुनौती

है। वह श्रीमती इन्दिरा गांधीजी के लिए समर्पित थे। श्रीमती गांधी को कमजोर करने के लिए ललित बाबू पर आक्रमण होता रहा। उन्हें विवादास्पद बनाये रखा गया, जबकि ललित बाबू समझौता व समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी से बात कर हमारे बउआ भाई यानी ललित बाबू ने श्रीमती गांधी व जे॰पी॰ के बीच 6 जनवरी, 1975 को मुलाकात कराने का भी कार्यक्रम बना कर जे॰पी॰ आंदोलन को खत्म कराने का मन बना लिया था। ऐसा श्री चन्द्रशेखर जी ने अपनी किताब में उल्लेख भी किया है।

ललित बाबू उस दौर में बिहार में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए थे। आजादी के कुछ वर्षो के बाद सन् 1952 ई. में वे सांसद और सन् 1957 ई. में पर्लियामेंट्री सेकेट्री बने। फिर डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। शून्य से शिखर तक दूरी नापी। मृदुभाषी, मिलनसार और सबकी मदद करना उनकी विशेषता थी। उन्होंने केन्द्र में अनेक मंत्रालय संभाले। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उनके सलाहकार रह चुके हैं। ललित बाबू इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के बहुत शक्तिशाली मंत्री थे। 1962 में चीन आक्रमण और 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण के बाद पं॰ नेहरू श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी ने रक्षा उत्पादन मंत्रालय का दायित्व अपने विश्वासयोग्य मंत्री ललित बाबू पर सौंपा था। उनकी सूझबूझ एवं गहन चिन्तन से भारत के निर्यात में विस्तार एवं आयात में कटौती हुई और भारत का विदेशी मुद्रा संकट समाप्त हुआ।

उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहते हुए देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान तो किया ही, साथ ही बिहार एवं मिथिलांचल के विकास की अनेक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित कर अपने राज्य के भी विकास पुरुष के रूप में अनमोल सेवाओं द्वारा विकास का वह अनुकरणीय पथ प्रशस्त किया, जिस पर विकास की अन्य गाड़ियाँ भविष्य में भी अबाध गति से दौड़ती रहेंगी। ललित बाबू में संगठन की अद्‌भुत क्षमता थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उस समय देखने को मिला जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1969 ई॰ में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने बेंगलूर कांग्रेस अधिवेशन के समय जुलाई 1969 में श्री नीलम संजीवा रेड्‌डी को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सहमति के बगैर राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार मनोनीत किया। श्री रेड्‌डी तथाकथित कांग्रेस के

सिंडीकेट के उम्मीदवार के रूप में चर्चित रहे। श्रीमती गांधी के विरुद्ध चले गए। इस अवसर पर ललित बाबू की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब उन्होंने तत्कालीन उप-राष्ट्रपति श्री वी०वी० गिरि को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राजी कराया। उन्होंने ही श्रीमती गांधी को, श्री वी०वी० गिरि को समर्थन देने के लिए राजी कराया और उस ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव में ललित बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसी चुनाव में श्रीमती गांधी के आदेश से अंत:करण की आवाज पर मत देने की अपील की गयी। संसदीय दल और विधान सभा सदस्यों और वामपंथी दलों से समर्थन जुटाने में ललित बाबू की अहम भूमिका रही और उस चुनाव में श्री वी०वी०गिरि राष्ट्रपति चुने गए। जिसके परिणाम स्वरुप कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस विभाजन में श्रीमती गांधी के साथ ललित बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार के सभी शीर्षस्थ नेता सिन्डीकेट के पक्ष में थे। अकेले ललित बाबू ने श्रीमती इन्दिराजी समर्थित कांग्रेस की नैया की पतवार थामी थी। उन्होंने 1971 और 1972 के चुनावों में इस निष्ठा और कर्मठता के साथ काम किया कि कांग्रेस को अजेय बहुमत प्राप्त हुआ तथा देश में श्रीमती इन्दिराजी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कांग्रेस का झंडा बुलन्द हुआ।

पिछड़े बिहार को राष्ट्रीय मुख्यधारा के समकक्ष लाने के लिए बउआ भाई सदा कटिबद्ध रहे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने में पूरी तन्मयता से प्रयास किया। मिथिलांचल की शोक-नदी कोसी को नियंत्रित कर अनेकानेक नहर-प्रणाली बनाकर योजनाएँ चलायी गईं। विदेश व्यापार मंत्री के रूप में उन्होंने बाढ़ नियंत्रण एवं कोसी योजना में पश्चिमी नहर के निर्माण के लिए नेपाल-भारत समझौता कराया। उन्होंने मिथिला चित्रकला को देश-विदेश में प्रचारित कर उसकी अलग पहचान बनवायी। विदेश व्यापार मंत्री के रूप में ललित बाबू (बउआ भाई) ने देश के लगभग 150 रुग्ण सूती मिलों का अधिग्रहण करके लाखों मजदूरों का जीवन सुरक्षित किया और कपड़े के निर्यात की संभावना बढ़ाकर अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। इस निर्णय से बिहार के गया और मोकामा स्थित दो सूती मिलों को भी लाभ हुआ, लेकिन आज ये दोनों सूती मिलें समस्याओं से घिर गयी हैं और क्रमश: बंद हो रही हैं। उन्होंने बिहार के जूट उत्पादकों के लाभ की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर जूट कॉरपोरेशन की स्थापना की और उस कॉरपोरेशन के माध्यम से समर्थन मूल्य

देकर प्रत्यक्ष खरीदारी की व्यवस्था करवायी। वह जूट कॉरपोरेशन भी आज निष्क्रिय बन गया है जिसके चलते जूट उत्पादकों को विवशता में अल्पदर पर अपना जूट बेचना पड़ रहा है। अशोक पेपर मिल की स्थापना ने एक नई आशा का संचार किया था और दरभंगा तथा पूर्णिया में वायु सैनिक हवाई अड्डा बनाये जाने से इस क्षेत्र की ओर राष्ट्र का ध्यान सहसा आकृष्ट हुआ था। मिथिलांचल के विकास की कड़ी में ही ललित बाबू (बउआ भाई) ने लखनऊ से असम तक लेटरल रोड की मंजूरी करायी थी, जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए फारबिसगंज तक की दूरी के लिए स्वीकृत हुई थी। इस पथ का निर्माण पूरा हुआ है। मिथिला की भाषा और संस्कृति के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैथिली को साहित्य अकादमी में स्थान दिलाया जाना, मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराना और मैथिली को लोक सेवा आयोग के चयनित विषयों की सूची में जोड़ना आदि सदा स्मरणीय रहेंगे। उन्हें संसार की अनेक नवीन सभ्यताओं के सम्मोहन भरे संपर्कों में आने के अवसर भी मिले, किन्तु वह अपनी धरती की पुरानी परंपराओं से इस प्रकार सम्बद्ध थे कि वह किसी बाह्य प्रभाव को ग्रहण कर ही नहीं सकते थे, उसके रंग में रंग ही नहीं सकते थे। वह भारतीय संस्कृति के कट्टर उपासक थे। वह अपनी कला, संस्कृति और साहित्य की रक्षा के लिए हर संभव उपाय कर सकते थे। यही कारण है कि उन्होंने भूलती-बिसरती मधुबनी कला को पुनर्जीवित किया। उन्होंने संसार के कला-मानचित्र पर मधुबनी कला को स्थापित किया। पूरे मिथिलांचल में लगभग चार हजार शिल्पी क्रॉफ्टसमैनशिप करके मिथिला की लोक चित्रकला से जीवन बसर करते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गयी तो उनमें बिहार की मिथिला की लोक चित्रकला की विभूति महासुन्दरी देवी, श्रीमती जगदम्बा देवी एवं श्रीमती सीता देवी को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया। रेल मंत्री के रूप में मिथिलांचल के पिछले क्षेत्रों में झंझारपुर-लौकहा रेल लाइन, भपटियाही से फारबिसगंज रेल लाइन तथा कटिहार से बाराबंकी, समस्तीपुर से दरभंगा बड़ी लाइन का निर्माण कराना, मानसी से फारबिसगंज बड़ी लाइन, कटिहार से जोगबनी बड़ी लाइन, सकरी से हसनपुर रेल लाइन और जयनगर-सीतामढ़ी रेल लाइन जैसी 36 रेल योजनाओं के सर्वेक्षण की स्वीकृति अपने आप में उनकी कार्य क्षमता, दूरदर्शिता तथा विकासशीलता के असंख्य ज्वलंत उदाहरण हैं। उन रेल विस्तार योजनाओं में

पटना में गंगा नदी पर पुल एवं कोसी में महासेतु निर्माण की योजना भी शामिल थी। मुजफ्फरपुर, पटना एवं रांची में रेल सेवा आयोग की स्थापना करके विशेष रूप से बिहार राज्य के नवयुवकों के लिए नियोजन की संभावना बनायी। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने भारत-चीन युद्ध के कड़वे अनुभव को देखते हुए रक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक रक्षा उत्पादन उद्योगों की स्थापना करायी। पं॰ नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूरदर्शिता से प्रेरणा लेकर उन्होंने रक्षा मंत्रालय को आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित कराया। पं॰ नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की आर्थिक सोच के अनुरूप जिसमें आत्मनिर्भरता को आवश्यक अंग माना गया था, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कराया। उन्होंने इस चिन्तन के क्रम में आयात को कम करने के लिए आयातित वस्तु के समकक्ष उत्पादन के उद्देश्य से अपने देश में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करवाये। लक्ष्य यह था कि आत्मनिर्भरता बढ़े और विदेशी पूंजी का कम उपयोग हो तथा आयात की मात्रा घटाने के उपाय को आर्थिक नीति का मूल आधार बनाया जाए। यह भी उद्देश्य रखा गया था कि एकाधिकार पर नियंत्रण हो और बहुसंख्यक लोगों के हित के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग से ऐसी व्यवस्था बने जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको सुलभ हो सके। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रतिज्ञाओं में केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं है, अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। उनमें मनुष्यता और भारतीयता कूट-कूट कर भरी थी। उन्होंने अपनी सहृदयता के कारण बहुत लोगों का दिल जीता। उनका विश्वास था कि एकता और अनुशासन से ही देश आगे बढ़ सकता है। वे राष्ट्र-हित के लिए मजबूत कदम उठाने में कभी नहीं हिचके। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ललित बाबू के किये गये कार्यों की रक्षा किस हद तक कर सकते हैं तथा उसके सर्वांगीण विकास में और कितना योग दे सकते हैं।

केन्द्र सरकार की पिछली सरकारों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण ने देश को महात्मा गांधी, पं॰ जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों और उनके विचारों से अलग-थलग कर दिया है। विश्व की राजनीति में भारत एकाकी बनता गया। अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सामने अलग चुनौती है। (1) उन्हें दुनिया के मंच पर फिर संस्थापित करना है। (2) देश में विदेशी निवेश लाना है तथा (3) भारत की व्यापक

सुरक्षा का इंतजाम करना है। (4) देश के सामने आज असली मुद्दा आर्थिक पिछड़ेपन और विकास का है। देश की सारी ऊर्जा इस विकास की ओर केन्द्रित होनी चाहिए। धार्मिक हो या राजनीतिक, कोई दूसरा मामला उस असली सामाजिक दिशा से देश को भटकाएगा तो बड़ी गड़बड़ी होगी। राष्ट्रीय महानता के लिए गरीबी हटाना जरूरी है। उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। राजनीतिक रूप से स्थिर होना जरूरी है। आर्थिक और राजनीतिक समस्या का सामना करने की हैसियत रखना जरूरी है और राष्ट्र की विदेश नीतियों पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी है।

मैं फिर-फिर कहूँगा कि हमारे बउआ भाई की हत्या किसी षड्यंत्र के तहत हुई, यह प्रश्न आज तक लोगों के मन में बना हुआ है, जबकि चार दोषियों को आजीवन कैद की सजा सी.बी.आई. अदालत ने दी है। परन्तु इस सजा के बावजूद षड्यंत्र पक्ष क्या था, कैसे था तथा षड्यंत्र का 'मास्टर माइन्ड' कौन था यह उजागर और साबित नहीं हो पाया है। इस मामले में विलंब ने कई विस्मयकारी सवाल खड़े किये हैं। न्यायिक व्यवस्था ने इतना लम्बा समय लिया इससे तो लोगों का न्याय के प्रति विश्वास ही डगमगाने लगा है। जनमानस सवाल खड़े कर रहा है कि उनकी हत्या किस सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुई। सीबीआई ने सभी बिन्दुओं का समावेश आरोप-पत्र में किया था कि नही?

यह बात भी सच है कि यह घटना तब घटी थी जब केन्द्र में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार थी, वहीं बिहार में श्री अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। उसी समय यह मामला सी.बी.आई. को सुपुर्द किया गया। 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सरकार ने उस समय कोई आशंका सी.बी.आई. की जाँच पर प्रकट नहीं की। केन्द्र और राज्य की जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जांच नये सिरे से करा सकती थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी सरकार के बाद 6 वर्ष तक 1998 से 2004 तक केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और बिहार राज्य में 1990 से लगातार गैर कांग्रेसी जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही। इन दोनों कार्यकाल में किसी तरह से कोर्ट के समक्ष सी०बी०आई० जांच और सी०बी०आई० द्वारा दाखिल आरोप-पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु, आरोप या गवाही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ। यह अति गंभीर संवेदनशील मामला सदैव जनता की

नजर में बनी रही, परन्तु सी०बी०आई० द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु, साक्ष्य और गवाही सी०बी०आई० कोर्ट के समक्ष दिल्ली में प्रस्तुत नही हुई। इसलिए सम्पूर्ण मामला आमलोगों के लिए रहस्यपूर्ण बना रहा है। मामले में जिन बिन्दुओं पर शंकाएँ व्यक्त की गईं थी उनपर विस्तार से कार्रवाई गैर कांग्रेसी सरकार ने भी नहीं करायी। उनके विरुद्ध उस समय सी.बी.आई. की जाँच एवं अदालत में सवालिया निशान नहीं खड़ा किया और जाँच और सुनवाई चलती रही। स्थानीय स्तर पर साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए उच्चतम् न्यायालय के निदेश पर 1979 में मामले को पटना सी०बी०आई० कोर्ट से स्थानान्तरित कर दिल्ली कोर्ट लाया गया।

अक्सर कहा जाता है कि देरी से मिला न्याय, अन्याय के ही समतुल्य होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में मुकदमों के जल्द से जल्द निबटारे के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। आये दिन देश के कानून मंत्री एवं न्यायाधीश न्याय में विलम्बता को लेकर चिन्ता जताते हैं और जल्द से जल्द न्याय को गति देने का वादा भी करते हैं, लेकिन फिर भी नतीजा ढाक के तीन पात ही साबित होता है। देश में आबादी के अनुपात में न्यायाधीशों की तादात में काफी कमी है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के तकरीबन 4,655 पद रिक्त पड़े हैं। एक तरफ अदालतों में मुकदमों का अम्बार लगता जा रहा है तो दूसरी ओर अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति ही नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में लम्बित मुकदमों के निबटारे एवं त्वरित न्याय की कल्पना कैसे की जा सकती है? भारत में अब न्यायिक लड़ाई लड़ना गरीबों के बस की बात तो रही ही नहीं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने स्वीकारा है। मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज त्वरित न्यायिक व्यवस्था समय की मांग बन गयी है। भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विडम्बना यह भी है कि जब भी कोई न्यायाधीश न्याय व्यवस्था में सुधार की कोशिश करता है तब तक उसके सेवानिवृत्ति का समय आ जाता है। अब देखना यह होगा कि सरकार और हमारी न्यायिक व्यवस्था पूर्व न्यायाधीश लोढ़ा द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करती है या नहीं। यदि इन सुझावों को अमल के स्तर पर लाया जाय तो निश्चय ही लम्बित मामलों के जल्द से जल्द निबटारे में सहायक होंगे और भारतीय न्याय प्रणाली को गति दे सकेंगे। ललित बाबू की हत्या के

मामले का 40 वर्षों के बाद नीचली अदालत द्वारा निष्पादन होने के बाद इससे जुड़े अनेक प्रश्न हमारे मन को उद्वेलित कर रही हैं।

प्रत्येक वर्ष **3 जनवरी** एक ऐसा दिन है जो मेरे लिए मार्मिक वेदना और पीड़ा के साथ पुरानी स्मृतियों को ताजा करते हुए आती है। साथ ही बिहार तथा भारत की निरंतर सेवा में लगे रहने की प्रेरणा भी दे जाती है। हमारे बउआ भाई और देश के उज्जवल नक्षत्र ललित बाबू के हर बलिदान दिवस पर सहसा याद आ जाती है उनकी वह उक्ति **"मैं रहूं या न रहूं, बिहार आगे बढ़कर रहेगा।"**

❐

2

एक संग्रामी कृषक परिवार

बउआ भाई और अपने परिवार की कथा को जब स्मरण करता हूँ, तो रोमांच-सा हो आता है। हमलोग किसान परिवार से हैं। हमारे परिवार की पूरी व्यवस्था कृषि पर आधारित थी।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। गाँवों का देश। अधिकांश भारतवासियों की जड़ें गाँवों से जुड़ी हैं। कम ही ऐसे भारतीय होंगे जिनके पूर्वज कृषि कार्य से नहीं जुड़े होंगे। अपनी जीवन संध्या में जब जीवन के उषाकाल को स्मरण करता हूँ, तो कृषक पिता पंडित रविनन्दन मिश्र की छवि उभरती है।

मेरे पितामह स्व॰ पं॰ रमानाथ मिश्र संस्कृत के प्रख्यात विद्वान, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और धर्माचरण में ही उनका अधिक समय व्यतीत होता था। अतः संपन्न भूधारी रहते हुए भी कोसी अंचल के समाज और लोगों के साथ सदैव उनका सौहार्द्रपूर्ण संबंध रहा। मेरे पिता पं॰ रविनन्दन मिश्र के व्यक्तित्व पर इस आचार-विचार का गहरा प्रभाव पड़ा। वे कोसी अंचल के लोगों के सुख-दुःख के साथ आत्मीयता से जुड़ गए। वे एक जागरूक तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे कोसी के ताण्डव से उस क्षेत्र को निजात दिलाने के उपायों पर सोचते, क्षेत्र के विकास पर विचार करते। वे रेल लाइन से उस क्षेत्र को जोड़ने की कामना करते। चिन्तन के इसी क्रम में उनकी कामना इस क्षेत्र के उद्धार के लिए किसी ऐसे सक्रिय सामर्थ्यवान सपूत की होती, जो इस विनाश लीला से कोसी क्षेत्र के आम लोगों को निजात दिला सके। ईश्वर ने शुद्ध मन की उस कामना को सुन लिया और उन्हें ही पुत्र रूप में ऐसे रत्न दिए जिससे कोसी

अंचल के लोगों के सपनों को पंख लग गये। कोसी के जल प्रवाह के स्थान पर विकास की धारा प्रवाहित होने लगी।

अपने पाँच भाइयों में मैं सबसे छोटा था। मेरे अग्रजों में बउआ भैया यानी श्री ललित नारायण मिश्र, श्री कमल नारायण मिश्र, श्री श्याम नारायण मिश्र, श्री मृत्युंजय नारायण मिश्र के बाद मैं था। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री ललित नारायण मिश्र ने जिनका जन्म 2 फरवरी, 1922 को हुआ था, विशेष रूप से अपने ज्ञान, गुण, राजनैतिक सक्रियता और सामर्थ्य के बल पर कोसी-क्षेत्र के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। मेरे पिता पं. रविनन्दन मिश्र की सामाजिक चेतना का प्रभाव उन पर प्रचुर पड़ा। अतः हम सभी अन्य भाइयों ने भी कोसी क्षेत्र के उत्थान में अहम भूमिका निभायी।

मेरे ज्येष्ठ भ्राता बउआ भाई यानी पं. ललित नारायण मिश्र, पिता के प्रभाव में राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने छात्र जीवन से ही लगकर सक्रिय हो गये थे। पं. रविनन्दन मिश्र पर प्रकारान्तर से अंग्रेजी सरकार का दबाव पड़ने लगा, परंतु राष्ट्रीय भावना के आगे वे प्रशासन के सामने नहीं झुके। उन्होंने किसी भी स्तर पर अंग्रेजी प्रशासन से समझौता नहीं किया। 1942 की क्रान्ति में छात्र नेता के रूप में ललित नारायण मिश्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन की आँखों में खटकने लगे। स्वतंत्रता आन्दोलन में बिना किसी दबाव के सक्रिय भूमिका निभाते रहे। अंततः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पाँच वर्षों के कठिन कारावास की सजा दे दी। हमारे पिताजी को सूचना मिली कि ललित बाबू को जेल में यातना दी जा रही है। यह भी सुझाव दिया गया कि यदि पिताजी माफीनामा दे दें, तो ललित बाबू की सजा कम करते हुए उन्हें छोड़ा जा सकता है। किन्तु पिताजी ने देखा कि इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर आँच आयेगी और स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल गिरेगा। अतः पिताजी ने माफीनामा देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर भारत माँ के अनेक सपूत कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मेरा बेटा शहीद भी हो जाता है, तो भी वो माफीनामा नहीं देंगे।

ललितबाबू (बउआ भाई)को राजनीति में सक्रिय रखकर कोसी अंचल की सेवा कराना मेरे पिताजी का मुख्य उद्देश्य था। ललितबाबू जब एम.ए. अर्थशास्त्र में उच्च प्राप्तांक से उत्तीर्ण हुए, तो उन्हें तत्काल टी.एन.बी. कॉलेज

भागलपुर में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति मिल गयी। लेकिन पिताजी ने उन्हें नौकरी में जाने से मना कर दिया। उसी तरह जब 1950 में ललित बाबू का मनोनयन अंतरिम संसद में नहीं हुआ, तो श्रीबाबू (तत्कालीन मुख्यमंत्री, डॉ. श्रीकृष्ण सिंह) ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू से कहकर उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र में करवा दी।

1942 की अगस्त क्रान्ति में लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी गिरफ्तार हुए। 3 नवम्बर, 1942 को वे हजारीबाग जेल तोड़कर निकल गये। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए वे नेपाल स्थित हनुमान नगर की ओर बढ़ रहे थे। इसी क्रम में एक रात हमारे पुराने पुश्तैनी घर बसानपट्टी में उन्होंने आश्रय लिया। वहीं एक रात जयप्रकाशजी ने विश्राम किया। पर अंग्रेजी हुकूमत को इसकी भनक लग गयी। जयप्रकाश नारायणजी तो वहाँ से निकलने में सफल हो गये, लेकिन हमारे पूरे परिवार को अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा और इसका भारी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर बलुचिस्तानी पुलिस द्वारा हमारे पूरे घर को घेर लिया गया। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उपस्थित लोगों की पिटाई की, घर जला डाला और भारी आर्थिक क्षति पहुँचायी। यहां यह उल्लेखनीय है कि हमारे परिवार के 11 सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में जेल और अंग्रेजी सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न जुल्मों को झेला।

इस प्रकार बलुआ–बसानपट्टी के हमारे परिवार ने राष्ट्रीय आन्दोलन में विभिन्न स्तरों पर अपनी सक्रियता प्रदर्शित की और कोसी अंचल में ऐसा वातावरण बना कि महात्मा गांधी, पं॰ जवाहर लाल नेहरू, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह, डॉ॰ अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। हमारे परिवार से कांग्रेस के सभी नेताओं का सम्पर्क बना और कांग्रेस के नेता हमारे यहाँ आते जाते रहे। किसान नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने भी अनेक अवसरों पर और अपने कार्यक्रमों में हमारे परिवार का समर्थन और सहयोग प्राप्त किया। इस प्रकार अपनी राजनैतिक सहभागिता और स्वतंत्रता आन्दोलन में निभाई गई सक्रियता के आधार पर कालान्तर में परिस्थितियाँ ऐसी बनीं जिनके फलस्वरुप हमारे चचेरे अग्रज पं. राजेन्द्र मिश्र 1926 में इंडिया एक्ट 1919 के तहत गठित प्रथम बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। वे इंडिया एक्ट, 1935 के तहत 1937 में गठित बिहार विधानसभा में भी

निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1946 एवं 1962 में वे विधानसभा के सदस्य चुने गये। वे लम्बे समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हमारे परिवार को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि 1926 से लगातार अब तक परिवार का कोई न कोई सदस्य बिहार विधान मंडल और भारतीय संसद के सदस्य बने रहे हैं।

संविधान लागू होने के बाद 1952 में बउआ भाई (पं. ललित नारायण मिश्र) लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। पुनः 1957 और 1972 में भी अपनी लोकप्रियता के बल पर बउआ भाई (ललितबाबू) लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बउआ भाई 1964 और 1966 में भी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे पं. जवाहर लाल नेहरू एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी के विश्वासपात्र रहे। वे केन्द्र सरकार में अनेक मंत्रालयों के मंत्री बने। कांग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहते हुए देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान तो किया ही, साथ ही बिहार एवं मिथिलांचल के विकास की अनेक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित कर वे अपने राज्य के लिए भी विकास पुरुष के रूप में अवतरित हुए। बउआ भाई जब केन्द्रीय रेल मंत्री बने तो उन्होंने उस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने की महती योजना को पूरा कर पिता के दूसरे सपने को भी मूर्त रूप दिया। अनमोल सेवाओं द्वारा विकास का वह अनुकरणीय पथ प्रशस्त किया, जिस पर भविष्य में भी विकास की गाड़ियाँ अबाध गति से दौड़ती रहेंगी।

बिहार के विकास के लिए बउआ भाई इतने कृत संकल्पित थे कि समस्तीपुर के अपने अंतिम अभिभाषण में ऐतिहासिक वाक्य उन्होंने कहा **'मैं रहूँ या ना रहूँ बिहार आगे बढ़कर रहेगा।'** उनका योगदान स्वतंत्रता आन्दोलन एवं बिहार के नव-निर्माण में अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता के बाद से ही ललितबाबू कोसी को नियंत्रित करने के अपने पिता के सपने को साकार रूप देने की योजना में लग गये। 1947 में ही कोसी पीड़ित लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन डॉ. राजेन्द्र प्रसादजी ने किया। 1952 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत ललित बाबू कोसी पर बराज बनाने के प्रस्ताव पर सामाजिक, राजनैतिक सहयोग जुटाने के अभियान में लग गये। अंततः 1954 में बाढ़ की विभीषिका को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्रवित हो गये और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ.श्रीकृष्ण सिंह के सहयोग से योजना को स्वीकृति मिली, जिन्होंने बिहार की शोक नदी

कोसी को नियंत्रित कर उस क्षेत्र को विकास की नई संभावना दी थी। इस प्रकार हमारे पिता का सपना साकार हुआ।

कोसी के प्रकोप से ध्वस्त एवं त्रस्त क्षेत्र के वासियों को विकास की संभावना मिली। इस अंचल को नहर प्रणाली, सड़कें, चिकित्सालय, विद्यालय एवं अन्य अनेक विकास योजनाएँ प्राप्त हुईं जिसके फलस्वरूप इस उजड़े क्षेत्र की जीवन पद्धति ही बदल गयी।

कोसी हमारा वरदान और अभिशाप दोनों है। बाद के वर्षो में भी कोसी की समस्याओं के समाधान के लिए मैं निरंतर सजग-सक्रिय रहा। 2008 में कोसी त्रासदी से उत्पन्न परिस्थिति एवं अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां जो इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती रहीं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने निरंतर बिहार सरकार से यह मांग करता रहा कि इस इलाके में स्वास्थ्य सेवा में विस्तार एवं कुशलता लाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने 'पं. रविनंदन मिश्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र' को 30 शय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित करने का निर्णय किया। गौरतलब है कि इस अस्पताल की स्थापना 1952 में पूर्व रेलमंत्री ललित नारायण मिश्र ने अपने पिता स्व. रविनंदन मिश्र की स्मृति में की थी। इसके लिए भूमि और मकान उन्होंने ही दिया था। कालान्तर में राज्य सरकार ने 1976 में उसे छह शय्या वाले राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिया। 1982 में बिहार सरकार ने रेफरल अस्पताल की स्वीकृति दी थी। राजनीतिक कारणों से यह अस्पताल चालू नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र में आबादी का बहुत बड़ा बोझ है; इस बात को ध्यान में रखते हुए ही बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी की सरकार ने उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा प्रदान कर इस क्षेत्र की बड़ी सेवा की। मैंने 2.50 करोड़ की लागत से बलुआ, विशनपुर इलाके के लिए ग्रामीण जलापूर्ति (पीएचईडी) का निमार्ण कराया और अपनी माता के नाम पर 50 लाख की लागत से उच्चस्तरीय पशुपालन अस्पताल एवं बलुआ बाजार में 34,000 केवी. की विद्युत केन्द्र के साथ साथ बलुआ बाजार थाना के लिए अपनी जमीन देकर बड़े भाई श्री श्याम नारायण मिश्र के नाम पर थाना भवन बनवाया।

बउआ भाई (स्व. ललितबाबू) न सिर्फ मेरे बड़े भाई बल्कि मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। बिहार के विकास को लेकर उनके मन में जो संकल्प

था, वह स्वाभाविक रूप से मेरा भी संकल्प बना। बिहार की लगातार उपेक्षा और पिछड़ेपन को देखते हुए असाधारण परिस्थिति में विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए सर्वप्रथम मैंने ही मुख्यमंत्री के रूप में 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद् में ही कहा था कि बिहार की यह बदनसीबी ही है कि इस तेज रफ्तार राष्ट्रीय दौर में आगे बढ़ने की बजाय राज्य पिछड़ता रहा है।

❐

3

बिहार का अंतहीन संघर्ष

बिहार पिछड़ेपन का पर्याय रहा है। यहाँ के लोग इस पीड़ाजनक स्थिति को अपनी नियति मानकर जीने को विवश हैं। उपेक्षा, शर्मिंदगी और गुरबत के दिन लम्बे वक्त तक भोगते रहने के बाद बिहारवासियों का यह नजरिया हो गया है कि हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं और इसी में उन्हें जीना है। सवाल यह है कि आखिर इस प्रांत के नागरिकों की तमाम जागरुकता के बावजूद यह प्रदेश क्यों पीछे ही खिसकता चला गया है? खनिज सम्पदा से भरपूर होने के बावजूद इस प्रदेश का व्यक्तित्व भिक्षुक सा बनकर क्यों रह गया? मैंने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में, जनता शासनकाल में विरोधी दल के नेता की हैसियत से और फिर शासन में आने पर केन्द्रीय मंत्री के रूप में बिहार के इस दर्द को उजागर करने की निरंतर चेष्टा की। इन बातों की बुनियाद 1976 से ही है, जब 1976 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इन मसलों को मैंने राष्ट्रीय पटल पर रखा था। 1980 से 1983 तक और आज भी इन सवालों पर मैं उतना ही मुखर रहा हूँ। अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर तथ्यों व आंकड़ों को संकलित कर मौलिक तथ्यों को उजागर करने की चेष्टा करता रहा हूँ और इन सबके पीछे मेरी कभी कोई राजनीतिक नीयत नहीं रही, क्योंकि, इस संदर्भ में मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है कि मेरी प्राथमिकता है–प्रदेश की प्रगति। मैंने जो कुछ भी समय-समय पर कहा है वे तथ्य योजना आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित हैं और वह कहना तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना कतई नहीं रहा है।

लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि मेरे ही कुछ प्रतिद्वंद्वियों ने कांग्रेस पार्टी में इसे राजनीतिक रंग देकर सदैव बिहार के हक से जुड़े इन बुनियादी सवालों को इस तर्क के संग विवादास्पद बनाने का अभियान ही शुरू कर दिया था कि मैं केन्द्र से तनाव पैदा कर रहा हूँ। निजी तौर पर मुझसे किसी का दुराव हो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन, वे मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए केन्द्रीय नेतृत्व को मेरे विरुद्ध कहते रहे। ऐसे लोगों द्वारा बार-बार बिहार के हित से जुड़े मुद्दों को उठाने के कारण ही मुझे मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं मुद्दों को लगातार उठाते रहने एवं अपने कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए अनेक निर्णयों के लिए मुझे विवादास्पद बनाया गया। क्या यही मेरी नियति थी? स्मृतियों के गलियारे में जब मुड़कर देखता हूँ, तो लगता है कि समय ने मुझे अवसर तो दिया पर अवसर देकर भरपूर अपमान और दु:ख दिया।

1983 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद चूंकि बिहार से जुड़े मुद्दों के लिए केन्द्रीय सरकार से मेरा विरोध होता रहा और बिहार के हितों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाये जाने और उर्दू भाषा को बिहार की द्वितीय भाषा बनाने को लेकर मेरी बढ़ती लोकप्रियता के कारण केन्द्र में बिहार के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के लिए यह जलन का विषय बना और केन्द्रीय नेतृत्व के स्तर पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह बार-बार उठाने की चेष्टा की कि डॉ. मिश्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाकर राष्ट्रीय स्तर तक उठना चाहते हैं या भविष्य में केन्द्रीय स्तर पर कांग्रेस के विरुद्ध चुनौती बन सकते हैं। इसलिए लगातार केन्द्रीय स्तर पर मेरी शिकायतें की जाती रहीं, दुहरायी जाती रहीं और अनेक प्रकार के तथ्यहीन, आधारहीन, बेबुनियाद आरोप समाचार पत्रों में मेरे विरुद्ध कांग्रेसी विरोधियों ने प्रकाशित कराने का कार्यक्रम जारी रखा। उस समय बिहार में प्रमुखत: दो अखबार थे एक आर्यावर्त (हिन्दी) और दूसरा इण्डियन नेशन(अंग्रेजी) उनसे मेरा विवाद इसलिए खड़ा हुआ, क्योंकि दरभंगा में 1972 में स्थापित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए मेरी सरकार ने दरभंगा राज की जमीन और उनके मकान का अधिग्रहण कर उसमें विश्वविद्यालय के लिए निर्मित भवन के साथ लगभग 150 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी। इस अधिग्रहण में उन्हें उचित मुआवजा भी दिया गया। परन्तु इन समाचार पत्रों के

मालिक और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री डी. के. बरूआ ने मेरा मिथिलांचल में नेतृत्व कमजोर करने के उद्देश्य से कुछ समाचार समूह के मालिक को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया, किन्तु मैंने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से कहकर उनकी उम्मीदवारी समाप्त करवायी और यही मुद्दा मेरे और समाचार पत्रों के मालिकों के बीच विवाद का कारण बना। इन्हीं बातों पर समाचार पत्रों के मालिकों ने 1980 में मेरे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद निरर्थक गलत समाचार मेरे खिलाफ लगातार प्रकाशित करने का क्रम जारी रखा। वे ही समाचार देशभर के अन्य समाचार पत्रों में भी उद्धृत होते रहे और मुझ पर लगातार आरोपों से मढ़ा जाता रहा। तथ्यहीन दस्तावेज विधानमण्डल में नहीं उठाये जाने के आलोक के विरुद्ध मेरी सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार की आधारहीन भित्ति पर शिकायतें राजीव गाँधी एवं इन्दिरा गाँधी को कही जाती रहीं। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत् मेरे विरुद्ध लगातार कहा जाता रहा। कांग्रेस विधायक दल में दो तिहाई सदस्यों का लगातार समर्थन रहने के कारण बिहार में लगातार विकासात्मक कार्य जारी रखने, दलित एवं पिछड़े गरीब लोगों के लिए लगातार भूमि-सुधार समेत अनेक प्रगतिशील कार्यक्रमों से अच्छा माहौल बन रहा था। मेरी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही थी, यही मुख्य कारण बना कि कांग्रेस के हाईकमान नेतृत्व पर लगातार दबाव देकर मेरे साथ विशाल बहुमत रहने के बावजूद 13 अगस्त, 1983 को मुख्यमंत्री पद से हटाने का उनका अभियान सफल रहा। फिर भी मेरा विधानमंडल के अन्दर और बाहर अपार समर्थन बना रहा। इसके परिणामस्वरूप मेरे बाद चाहे चन्द्रशेखर सिंह जी हों, विन्देश्वरी दुबे जी हों, भागवत झा आजाद जी हों या सत्येन्द्र नारायण सिंह जी हों, बिहार में राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने में वे विफल रहे और मेरे व्यापक जनजागरण अभियान में अपार जन समर्थन से राजीव गाँधी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। इसलिए जब भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में तत्कालीन मुख्यमंत्री की विफलता सामने आयी और भागलपुर दंगे के कारण ही मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव में राजीव गाँधी को पराजित होना पड़ा, तब भागलपुर दंगों के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री की विफलता और उस दंगे के कारण कांग्रेस की पराजय के बाद राजीव गाँधी ने नेतृत्व परिवर्तन कर मुझे पुनः मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। जब मुझको राजीव गाँधी ने

बुलाकर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी लेने की बात कही, तो मैंने मुख्यमंत्री बनने से इनकार करते हुए उन्हें बताया कि उन्होंने (राजीव जी ने) तो 1983 में मेरी सरकार की मनगढ़ंत विफलता और निर्मूल भ्रष्टाचार के आरोप आदि के आधार पर अपार समर्थन रहने के बावजूद मुझे हटाया था, तो अब इस छोटी अवधि के लिए मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते है? श्री राजीव गाँधी ने मुझको बताया कि मिथ्या और मनगढ़न्त आरोप आप पर लगते रहे और पटना के स्थानीय अखबारों में आरोप छपते रहे और वही बात देश के अन्य अखबारों में उद्धृत किये जाते रहे। उन्होंने बताया कि गलतफहमी में मुझे हटाने का निर्णय उन्हें लेना पड़ा। उन्होंने दूसरी बात कही कि जो व्यक्ति कमजोरियों से घिरा होगा या भ्रष्टाचार करेगा लोकतंत्र में वह व्यक्ति अखबारों से विवाद नहीं ले सकता है। जबकि यह तथ्य प्रमाणित था कि 1975-76 के आपातकाल में समाचार पत्रों पर पाबन्दी लगाने पर प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस वास्तविकता के बावजूद मैंने प्रेस-बिल लाकर एक विवाद खड़ा किया पर उस दौरान भी कोई प्रमाणित आरोप प्रकाशित नहीं हुए इसलिए उन्होंने कहा "आपके विरुद्ध समाचार पत्रों में कोई प्रेस-बिल के दौरान भी गड़बड़ियाँ नहीं पायी गयीं।" राजीव गाँधी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाकर जो प्रयोग उन्होंने किया उसमें वे सफल नहीं हुए, बिहार को स्थिरता नही दे पाये। उन्होंने कहा कि भागलपुर दंगे में जो कांग्रेस की हालत हुई उससे उन्हें लगा कि असेम्बली चुनाव में उनको समर्थन तभी मिल सकता है जब मेरे ही नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। राजीव गाँधी की इन बातों के बाद मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना। 1990 विधानसभा चुनाव में 71 कांग्रेसी सदस्य मेरे नेतृत्व में निर्वाचित हुए, जबकि बाद के विधानसभा सत्रों में दो दर्जन से भी कम कांग्रेस की बढ़त हुई थी।

मैंने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी को भी बिहार की पीड़ा से अवगत कराया था कि बिहार में अवस्थित सभी बड़े उद्योगों में ऐक्सेलिरिज (कल-पुर्जे) की खरीदारी बिहार से लगातार बाहर से हजार करोड़ के बराबर की खरीदी जाती रही है। जिसमें बिहार को 60 से 70 करोड़ कल-पुर्जे ही जमशेदपुर, बोकारो एवं धनबाद स्थित निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान बिहार की वस्तुएं नहीं खरीदते हैं। इसके परिणामस्वरूप बिहार स्थित

बोकारो, धनबाद एवं रांची (वर्तमान में झारखंड राज्य) आदि जगहों पर उद्यमियों ने जो उद्योग लगाये बड़े उद्योगों के निदेशानुसार ही उन्हीं के डिजाइन, उन्हीं की क्वालिटी की वस्तुएं उत्पादन करने के आश्वासन देने के बावजूद बिहार के उत्पाद नहीं खरीदे जाते, बिहार की पहली पीढ़ी उद्योगों की ओर आकर्षित हो रही है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर उन बड़े उद्योगों के अनुसार उद्योग खड़ा करके उत्पादन अनुशंसित (ऐक्सेलिरिज) उद्योग नहीं खरीदने से बैंकों के कर्ज से दब गये। बिहार के संबंध में इन बड़े उद्योगों द्वारा बिहार से उत्पाद नहीं खरीदे जाने लगे तो मेरी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि बड़े-बड़े उद्योग बिहार में इन उद्योगों की खरीद नहीं करेंगे तो बिहार सरकार उन उद्योगों की विधि-व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेवारी नही लेगी। इसी अध्यादेश के बाद श्रीमती गाँधी ने मेरे प्रति नाराजगी प्रकट की और मेरे इस निर्णय को राष्ट्र के हित के विरुद्ध करार दिया। केन्द्र सरकार की मेरे विरुद्ध नाराजगी का यह भी एक प्रमुख कारण बना। दूसरी बात बिहार में अवस्थित सभी बड़े उद्योग कोयला, लोहा संबंधी खनिजों का मुख्यालय बिहार से बाहर अवस्थित रहने के कारण आयकर में राज्यों की सीमा (अंश) निर्धारण में यह एक बिन्दु रहा करता है कि जिन राज्यों में जितनी वसूली होती है वह वसूली कम्पनी के मुख्यालय में होती है। इसलिए बिहार में अवस्थित जिन उद्योगों के मुख्यालय बाहर रहा करते थे उनकी आय में आयकर के आकलन में इस कम्पनी की आय गणना नहीं होती है। मैंने अपने शासनकाल में यह अभियान चलाया कि बिहार में अवस्थित सभी उद्योगों के मुख्यालय बिहार में ही लाये जाए। बिहार की बड़ी क्षति होती रही है। यह बिन्दु भी मेरे विरुद्ध केन्द्रीय स्तर पर शिकायत के रूप में चर्चित रहा।

मैंने बराबर ही कहा था कि यह प्रमाणित तथ्य है कि बिहार में निम्नतम निवेश का मुख्य कारण है कि केन्द्र ने बिहार के साथ कभी खनिज सम्पदा की रॉयल्टी में पूरा न्याय नहीं किया। बिहार की खनिज सम्पदा के मूल्य के आधार पर भारत सरकार से मूल्य की तुलना में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती रही। अत: कोयला एवं अन्य खनिजों से प्राप्त हो रही रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की मांग मैंने की थी। जैसा कि पेट्रोलियम को दी जा रही थी, परन्तु जब केन्द्र सरकार मूल्य आधारित रॉयल्टी पर सहमत नहीं हुई, तो 1981

में खनिज सम्पदा पर मूल्य के आधार पर ही 'सेस' लगाने का अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप बिहार को 20-25 करोड़ के बदले 500-600 करोड़ की आय होने लगी। यह भी केन्द्र से टकराव का एक मुद्दा बना। बिहार के हित में केन्द्र से अपील की गयी कि बिहार के आनुषंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा की जाय, जिसका लाभ छोटे उद्योगों को मिल सकेगा। बिहार में स्थापित औद्योगिक विकास प्राधिकारों में स्थापित आनुषंगिक उत्पाद की खरीद वहाँ के अवस्थित बड़े उद्योगों ने नहीं की। 1000 करोड़ की खरीद में बिहार से केवल 60 करोड़ के उत्पाद की खरीदारी होती थी। फलतः स्थानीय उद्योग रुग्ण हो गये। राज्य के हित में भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि बिहार के औद्योगिक उत्पाद, जो अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं, उन उत्पादों से बिहार को 'ट्रांसफर ऑफ स्टॉक' के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। अतः केन्द्र सरकार से यह मांग की गयी कि राज्य को 'कनसाइनमेन्ट टैक्स' लगाने का अधिकार दिया जाय।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्रित्व काल में संविधान के अनुच्छेद-340 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गो की दशा में सुधार लाने के लिए मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया जिसने 26 दिसम्बर, 76 को प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमंत्री की हैसियत से मुझे भेजा। उस आयोग ने राज्य की सेवा में पिछड़े वर्गो के उत्थान एवं सरकारी सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए अनेक अनुशंसाएँ की थीं। मुख्यमंत्री के रूप में मैंने 26 दिसम्बर, 76 को समिति की अनुशंसाएँ स्वीकृत करते हुए मंत्रिपरिषद् में संलेख उपस्थापित करने का आदेश दिया था, परन्तु यह विस्मयकारी हुआ कि संलेख बनने के पूर्व ही 18 जनवरी, 77 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने आपातकाल की घोषणा को शिथिल कर लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। स्वतः आचार संहिता लागू हो जाने के कारण मेरे अनुशंसानुसार पिछड़े वर्गो के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण सबंधी निर्णय कार्यान्वित नहीं हो पाया। 1977 के जून में कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने जनता पार्टी के भीतर अनेक जद्दोजहद के बाद जनता पार्टी में अंतर्विरोध रहते हुए 10 नवम्बर, 1978 को राजकीय सेवाओं में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण

सम्बन्धी अधिसूचना जारी की। लेकिन जनता पार्टी में आरक्षण का विरोध हुआ। जनता दल के नेता कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें (श्री ठाकुर को) मुख्यमंत्री पद से हटाया। इसप्रकार पिछड़े वर्गो में आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी करने की कीमत कर्पूरी जी को चुकानी पड़ी, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। मैंने विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा 10 नवम्बर, 1978 की आरक्षण संबंधी अधिसूचना का पूर्ण समर्थन किया था और आरक्षण विवाद सुलझाने में विधानसभा की सर्वदलीय बैठक में अत्यन्त पिछड़ी जाति को अलग से आरक्षण देने, आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण देने और आयकर में सीमा लगाने का पुरजोर समर्थन किया था।

मेरी स्मृति बिहार के एक युग की गाथा है। मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एवं केन्द्रीय मंत्री के रूप में बिहार राज्य और देश के लिए मानवाधिकार सुरक्षित और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये। विशेषकर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, बच्चों एवं प्रत्येक श्रेणी के किसानों के लिए अनेक कार्य किये।

पहली बार अत्यंत पिछड़ी जातियों की 1976 में पहचान करायी एवं उन्हें विशेष सुविधा देना, अत्यंत पिछड़ी जातियों के छात्रों को दलित छात्रों की तरह सुविधा, जिला बोर्ड एवं जिला परिषद् में अत्यंत पिछड़े एवं दलित सदस्यों का मनोनयन किया। 14 नवम्बर, 1980 को सम्पूर्ण राज्य में पंचायती राज की शुरुआत की गयी। 1976 में विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में देश में पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति में दलित आरक्षण सुनिश्चित कराया। दलित एवं आदिवासी के लिए विशेष अंगीभूत एवं उपयोजना की शुरुआत की गयी। बिहार में दूध डेयरी के लिए 'श्वेत-क्रांति' के जनक डॉ॰ कुरियन (डॉ॰ वर्गीज कुरियन) को गुजरात से आमंत्रित कर उनकी योजना का प्रारूप और मार्गदर्शन प्राप्त कर सर्वप्रथम इस योजना का शुभारंभ किया गया। आज यह सम्पूर्ण राज्य को आच्छादित कर चुका है। वर्ष 1982-83 के दौरान विद्युत् उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। पतरातू तथा बरौनी ताप केन्द्रों में 110-110 मेगावाट क्षमता की चार इकाइयाँ स्थापित की गयी थीं। उसी दौरान बरौनी में 110-110 मेगावाट की छठी एवं सातवीं इकाई की भट्ठी जलायी गयी।

मुजफ्फरपुर ताप केन्द्र की स्थापना एवं 110-110 मेगावाट की 2 इकाइयों को चालू किया गया। तेनुघाट में 210 मेगावाट की दो इकाइयों को चालू किया गया। उसी दौरान भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से केन्द्रीय प्रक्षेत्र में भागलपुर के निकट कहलगाँव में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना को स्वीकार किया था, जिसकी क्षमता उस समय निर्धारित 1000 मेगावाट थी। इस प्रकार वर्ष 82-83 के दौरान बिजली का जितना उत्पादन हुआ उतना उसके बाद के बहुत वर्षों में नहीं हुआ। बिजली मंत्री बनने पर मैंने कोसी में कटैया में 5-5 मेगावाट के चार इकाइयों को चालू कराया।

ललितबाबू की यह अंतिम पंक्ति 'मैं रहूँ न रहूँ, बिहार बढ़कर रहेगा'- मेरा पाथेय है। मैं भी हृदय से यही मानता हूँ कि मैं रहूँ न रहूँ, बिहार बढ़कर रहेगा। मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के हर वर्ग की चिंता की। मेरे ही समय में सभी स्तरों के छात्रों की छात्रवृत्ति की संख्या दूनी और राशि भी दूनी की गयी। औद्योगिक मजदूरों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम चलाये गये। प्रथम श्रम नीति की घोषणा की गयी। 23 लाख बूढ़ों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति दी गयी। पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता, भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को जमीन देने, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा एवं कल्याण की अनेक योजनाओं के साथ-साथ औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की संभावनाओं को गतिशील बनाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कराकर बिहार राज्य में सामाजिक न्याय एवं गरीबी उन्मूलन की संभावनाएँ बनायीं, जिससे भारत के संविधान के अन्तर्गत प्राप्त 'मानवाधिकार' और मूल अधिकार आमलोगों को उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए। आज भी इन अधिकारों से वंचित लोगों/समुदायों को न्याय दिलाने के लिए अपने ''मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान'' के माध्यम से मैं लगातार प्रयत्नशील हूँ। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के पश्चात् भी मैंने वित्त रहित वर्षो से लम्बित वित्त सहित शिक्षा नीति की समाप्ति के लिए तीसरी बार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ठोस कार्य किये जो निम्नांकित तथ्यों से प्रमाणित है-

यह ध्यान देने योग्य बिन्दु है कि 13 दिसम्बर, 1989 को मंत्रिपरिषद् ने वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त कर वित्तसहित शिक्षा नीति स्वीकृत करते

हुए महाविद्यालयों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया था। उत्कृष्ट महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण करने का निर्णय लिया गया था, दूसरी श्रेणी के महाविद्यालयों को घाटा अनुदान एवं तृतीय श्रेणी के महाविद्यालयों को अनुदान प्राप्त महाविद्यालय घोषित किया था। इसके अतिरिक्त अन्य महाविद्यालयों को अव्यवहार्य घोषित करते हुए बंद करने का निर्णय लिया था। राज्य के वैसे सभी महाविद्यालयों, जिनकी पात्रता, उपयोगिता एवं व्यवहार्यता को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एफ॰ 2 के अंतर्गत पंजीकृत किया है उन्हें अंगीभूत महाविद्यालयों का दर्जा दिया जाय। दूसरा, अन्य सभी डिग्री एवं इंटर महाविद्यालयों को मान्यता देते समय राज्य सरकार ने जिन पदों की स्वीकृति वित्तरहित दी थी उन सभी सृजित पदों का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन कर सकती है। तीसरा, इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य इंटर एवं डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत योग्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा +2 माध्यमिक विद्यालयों में पदों के साथ औपचारिक रूप से स्थानान्तरित की जा सकती है, क्योंकि +2 कक्षाओं की पढ़ाई जिन माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभ की गयी है वहाँ योग्य शिक्षकों का अभाव है। वहाँ नई नियुक्तियाँ नहीं कर उपर्युक्त श्रेणी के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा गुवणवत्ता बनाये रखने के लिए इन +2 विद्यालयों में स्थानान्तरित की जा सकती हैं। इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लेने से राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन नहीं करना पड़ सकता है। डिग्री एवं इंटर के अतिरिक्त शिक्षकों की सेवा +2 में देने से ग्रामीण क्षेत्र में समाज के पिछड़े एवं दलित समूहों में शिक्षा से वंचित लोगों को एक सुव्यवस्थित गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने का उपयुक्त अवसर मिलेगा। उपर्युक्त सुझावों के कार्यान्वयन में होने वाले वित्तीय बोझ का एक बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त कराया जा सकता है।

जैसा कि मैं बता रहा था, जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए 'शाह आयोग' गठन हुआ। सम्पूर्ण देश में हुई ज्यादतियों के दस्तावेजी प्रमाण सभी अखबारों में प्रकाशित हुए, परन्तु रिपोर्ट में बिहार में मेरे मुख्यमंत्रित्व काल की न कोई शिकायत, न किसी प्रकार की ज्यादती प्रमाणित हुई। यहाँ तक कि परिवार नियोजन में ज्यादती का एक भी उदाहरण प्रमाणित नहीं हुआ। जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी तो

उन्होंने अलग से बिहार के लिए न्यायमूर्ति दुर्गाप्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। विशेष कार्यक्षेत्र निर्धारित हुआ। आमलोगों से शिकायतें आमंत्रित की गयीं, परन्तु मेरे मुख्यमंत्रित्व काल की एक भी घटना का उल्लेख किसी भी आयोग में नहीं आया। फलस्वरूप श्री ठाकुर ने आयोग को विघटित कर दिया। आपातकाल के दौरान बिहार में सभी नेताओं/विरोधी दल के नेताओं को सुविधाएं प्रदान की जाती रही। आपातकाल के दौरान बिहार सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में ज्यादती नहीं हुई। कांग्रेस के भीतर के विक्षुब्ध व्यक्तियों ने मेरी शिकायतें इंदिरा जी के समक्ष कुछ इस प्रकार से भी कीं कि–'जगन्नाथ जी उदार और संवेदनशील हैं।' जब श्री जयप्रकाश जी जसलोक अस्पताल से मुक्त होने के बाद पटना आये तो उनकी चिकित्सा की पूरी व्यवस्था मेरी सरकार की ओर से की जाती रही। जयप्रकाश बाबू ने चुनावी दौर में जाने के क्रम में कई बार मुझसे स्वास्थ्य के आधाार पर हवाई जहाज की मांग की थी जिसे मेरी सरकार ने उपलब्ध कराया था। कांग्रेस के विक्षुब्धों ने इंदिरा जी से इस मानवीय घटना को भी शिकायत के रूप में रखा था।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब 1975 में सम्पूर्ण बिहार में भयंकर बाढ़ आयी थी। मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार की राजधानी पटना की स्थिति अति भयंकर थी और पटना के जिलाधिकारी डा. विजय शंकर दुबे, (आई.ए.एस.) थे । राहत कार्य, बचाव कार्य एक शब्द में सम्पूर्ण पटना के जान–माल की रक्षा का कार्य भयंकर हो गया था। मेरे नेतृत्व में उस बाढ़ से निपटने में जो सफलता हासिल हुई उसको देखकर, महसूस कर, कांग्रेस के युवा नेता संजय गाँधी ने मेरे अगले 20 साल तक के मुख्यमंत्री रहने की कामना व्यक्त की थी। हाल के पिछले वर्षो की बाढ़, जो 75 की बाढ़ की तुलना में कुछ नहीं कही जा सकती, ऐसी कमतर स्थिति में भी जो परेशानियाँ अखबार वालों ने प्रकाशित की तो उन्होंने 3 दशकों के बाद भी मेरी सरकार की सफलता की चर्चा की थी। बिहार की पीड़ा के लिए अपनी चेतना को शायद मैंने अपने कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्रित्व काल में तैयार कर लिया था। मैंने वस्तुतः अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ही बिहार की पीड़ा से जुड़ने के लिए अपने को तैयार कर लिया था।

अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में सप्ताह में 6 दिन जनता दरबार चलाया करता था। जनता के सारे आवेदन–पत्र भी खुद देखा करता था। चाहे इसके

चलते रात के दो बज जाएं या तीन बज जाएं, उसकी कभी परवाह नहीं की। सुबह ही उनपर कार्रवाई की जाती थी। जनता दरबार में सैंकड़ों लोगों से मिलकर और उनमें से प्रत्येक की समस्या सुनना और उसका लिखित आवेदन प्राप्त करना सम्मिलित था। आये हुए प्रत्येक व्यक्ति से घूम-घूमकर ऐसा करना आसान काम नही था। सुनाने वाले के कार्य की न केवल कठिनाई की बात, बल्कि हृदय खोलकर उनसे बातें करता था। ऐसा ही उन दिनों जनता दरबार में हुआ करता था। लोगों की पीड़ा के प्रति शुरू से मेरे हृदय में स्पन्दन होता रहा है। इसलिए जनता दरबार में देर-देर तक मैंने समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया।

आज मैंने मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान का गठन भी इसी उद्देश्य से किया कि अधिक से अधिक लोगों से मिलकर अधिक से अधिक समस्याओं की सूचनाएँ प्राप्त की जा सकें। आज लगातार मानवाधिकार हनन की घटनाएं होती रहती हैं। विभिन्न स्तरों पर संवैधानिक अधिकारों से लोगों को वंचित किया जाता है। विशेषकर दलित और अन्य कमजोर वर्गो पर अधिक अत्याचार की घटनाएं होने की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। किसी मजबूत संगठन के अभाव में ही अत्याचार की रोज-रोज घटनाएं होती रहती हैं। आज के समय में सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी है, जिसके कारण जनता को सही मदद नहीं पहुँच पाती है। इसी कारण मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के लिए जागरुकता अभियान जारी रखा गया। विभिन्न जगहों पर सेमिनार आदि का आयोजन समय-समय पर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता रहा है। मेरी मान्यता है कि सूचना के अधिकार से ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। आज गरीबों को इतना सजग बनाने की आवश्यकता है कि कोई उनका शोषण नहीं कर सके। उन्हें उनका वाजिब अधिकार मिले। यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की पूरी जानकारी रखेगा। मानव अधिकारों के प्रति बुनियादी जागरुकता लाने की जरूरत है, ताकि भारत जैसे विशाल देश में विकास का लाभ सभी वर्गो, समुदायों एवं अन्य लोगों को न्यायपूर्ण ढंग से मिल सके।

मैं मानता हूँ कि कोई भाषा तभी तक जीवंत रह सकती है जब तक उसका रोटी से रिश्ता हो। मैंने इसी दृष्टि से उर्दू के हितों के लिए महती सेवा की है। मेरे द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किये जाने एवं उर्दू को राज्य की

द्वितीय भाषा बनाने के लिए उर्दू के विद्वान एवं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडेमी के तत्कालीन अध्यक्ष, **मो. हयातुल्लाह अंसारी** ने कहा था कि –"इन्होंने उर्दू की खोयी हुई गरिमा को वापस करने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न किया है। इसे एक खास भाषा बोलने वाले लोगों की तरक्की की राह की बाधा हटा देने के सिर्फ उपाय के रूप में नहीं समझना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि इन्होंने (डा. मिश्र ने) इस राष्ट्र की महती सेवा भी की है। उर्दू के अतिरिक्त बिहार के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में डॉ. मिश्र ने राज्य को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी। जब देश साम्प्रदयिक दंगों से निजात पाने के लिए मार्गों (उपायों) और संसाधनों पर अभी बहस ही में था, बिहार ने मार्ग दिखा दिया था।

ऊपर वर्णित तथ्यों की पृष्ठभूमि में जब मुझे यह संवाद मिला कि बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो मैं आश्वस्त हो गया कि उर्दू की लड़ाई जीतने का समय आ गया। मेरा पूरा विश्वास है कि उर्दू के इतिहास में डॉ. मिश्र का नाम निश्चित रूप से अंकित रहेगा, चूंकि उर्दू कृतध्न (अनग्रेटफूल) कभी नहीं रही है।"

आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की समस्याओं में वृद्धि होती गयी है। प्राय: अनेक सरकारों ने उनके पिछड़ेपन को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाया। राजनीतिक दलों ने उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया लेकिन उनके कल्याण की बजाय शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनकी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्पसंख्यकों ने जिन दलों को अपने वोटों से सत्ता तक पहुँचाया उन्होंने भी केवल सांत्वना देने और हरे उद्यान दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। पिछले 25 वर्षो में अल्पसंख्यक समूह की सरकार द्वारा अनदेखी किये जाने के कारण मैं हमेशा दु:खी रहता हूँ। आज भी 52 प्रतिशत से अधिक मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हैण्ड्जू और एजुकेशन द्वारा एकत्रित किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मात्र 29 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ ही शिक्षित हैं। केवल 4 प्रतिशत मुसलमान हाई स्कूल जा पाते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर तो दुर्दशा देखते ही बनती है। प्राथमिक पाठशाला के प्रत्येक 100 छात्रों में से केवल 1.6 प्रतिशत ही स्नातक की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। इसी प्रकार से केवल 4.4 प्रतिशत मुसलमान सरकारी नौकरियों में हैं। मात्र 3.7 से 5 प्रतिशत ही सरकार से अपना कोई कार्य शुरू करने के लिए मदद पाते हैं। यह सूची बहुत दयनीय है। देश

में समय-समय पर गृह मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त कमिटी से जाँच कराये जाने के बाद मिली रिपोर्टों से अल्पसंख्यकों के बारे में चिन्ताजनक स्थिति बतायी गयी है और कुछ क्षेत्रों में उन्हें बहुत ही पिछड़ा माना गया है। पिछले 65 वर्षों में मर्दों की साक्षरता में 3 गुणा और औरतों की साक्षरता में पाँच गुणा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अल्पसंख्यक राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत पीछे बताए गये हैं।

सच्चर एवं रंगनाथ समिति के बाद केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्रो॰ अमिताभ कुण्डु समिति एक सरकारी समिति ने ही सामाजिक-आर्थिक (मुस्लिमों की) स्थिति का मूल्यांकन किया और परामर्श दिया है कि नियोजकों को लक्षित कर भेदभाव विरोधी कानून बनाया जाय जिससे मुस्लिम समुदाय और देश के शेष वासियों के बीच बढ़ रहे अंतर का सामना किया जा सके। प्रतिवेदन (रपट) में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लिए चलायी जा रहीं अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, उनमें कोई जमीनी बड़े परिवर्तन को सरकार लाने में असफल रही है। सच्चर की तरह ही कुण्डू समिति ने भी अपने अध्ययन की पूरी अवधि (2004-2005 से 2011-2012 तक की)जो बिहार की राजद और जद (यू॰) और पश्चिम बंगाल के वाम और तृणमूल के शासन को अच्छादित करती है, बंगाल (पश्चिम) एवं बिहार की पहचान सबसे बुरे अभिकर्ता के रूप में की है। समिति के अनुसार इन राज्यों में मुस्लिमों का नियोजन में पीछे और व्यावहारिक शिक्षा में तलहटी में चलते रहना जारी है।

मैं तिरहुत, मिथिलांचल, कोशी एवं सीमांचल की दयनीय अवस्था को लेकर हमेशा दु:खी रहा हूँ, निरंतर इन क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए बिहार सरकार से अनुरोध करता आ रहा हूँ। मैंने कहा कि- बिहार को बीमारू राज्य इसलिए कहा जाता है कि यहाँ उद्योग, सिंचाई, बिजली, कृषि उत्पादन विकास राष्ट्रीय औसत से लगातार बहुत कम है। औद्योगिक नीति के बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 25 वर्षो से औद्योगीकरण नहीं हो रहा है। 80 के दशक में 37 इन्डस्ट्रीयल इस्टेट स्थापित किये गये वे भी पूर्णत: निष्क्रिय और ठप्प रहे। तत्कालीन सरकार ने जनवरी 1990 में निर्णय लिया था जिसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में 18.01.1990 में अंकित है। प्रत्येक जिला में एक-एक उद्योग स्थापित किये जायेंगे:- (1) पूर्णियां-कताई मिल, यीस्ट, औद्योगिक गैसें एवं फलों के उत्पाद। (2) अररिया-गेहूँ के उत्पाद

एवं रेशम। (3) किशनगंज-जूट ट्वाइन, राइस ब्रान आयल और रेशम। (4) कटिहार-ब्लो मोल्डेड प्लास्टिक प्रोडक्ट, केला परिष्करण, रेलवे के लिए सहायक सामग्रियाँ। (5) मधेपुरा- हड्डी परिष्करण, कृषि संबंधी औजार एवं कृषि पर आधारित उद्योग। (6) सहरसा-चीनी मिल एवं कागज मिल। (7) खगड़िया-डिस्पोजेबुल सिरिंज एवं मकई उत्पाद। (8) बेगूसराय-कार्बन ब्लैक, एरोमेटिक कम्पलेक्स, पेट्रो नेप्थालीन। (9) दरभंगा-औद्योगिक गैस, गेहूँ उत्पाद, औषधि निर्माण, रेक्टीफाई स्पिरिट और साइट्रिक एसिड। (10) फ्लोर मिल, कागज उत्पाद, आलू परिष्करण, मल्टी वॉल पेपर सैक। (11) मुजफ्फरपुर-इथाइल ऐसिटेट, फाइन केमिकल, मल्टी कलर पी०वी०सी०, फ्लोरिंग कारपेट और औद्योगिक गैस। (12) इथाइल यार्न, एसिटेट, चीनी मिल का विस्तार, औद्योगिक धागे। (13) वैशाली-खाद्य उत्पाद, आइस्क्रीम, कांच की बोतल, ग्लास ट्यूब, वैज्ञानिक उपयोग की कांच की सामग्रियाँ आयरन ऑक्साइड। (14) छपरा- छपाई के कागज, माइक्रो सोल। (15) सिवान-गेहूँ उत्पाद, चीनी मिलों का विस्तार। (16) गोपालगंज- चीनी मिल का विस्तार, एसिटोन। (17) पं० चम्पारण- वनस्पति तेल, औद्योगिक गैसें, कागज कारखाना, चीनी मिल। (18) पू० चम्पारण-गेहूँ उत्पाद, चीनी मिल का विस्तार। (19) रोहतास-सल्फ्यूरिक एसिड एवं सिंगल सुपर फास्फेट, सिमेंट कारखाना का विस्तार, रोहतास उद्योगों का पुनरुद्धार। (20) औरंगाबाद-वनस्पति घी, हार्ड एण्ड सॉफ्ट फेराइटस, धुआंरहित ईंधन। (21) भोजपुर-सिंथेटिक धागे, डूप्लेक्स पेपर और औद्योगिक गैसें, ग्लेज्ड टाइल्स।

राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमियों को 1990 से 2005 तक और फिर 2005 से 2014 तक मदद नहीं दी है। यह बड़ा ही विस्मयकारी है कि देश के बड़े-बड़े कारपोरेट क्षेत्र के बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा बिहार में पूँजी निवेश के लिए आश्वासन देने के बावजूद पूँजी-निवेश नही किया गया।

18 अगस्त, 2008 को कोसी के कुसहा तटबंध के टूटने से उत्पन्न त्रासदी जिससे सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं पूर्णिया जिलों के लगभग 35 लाख आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और सैंकड़ों लोगों की मौत हुई थी, 3 लाख से अधिक लोग बेघर हुए थे और लाखों एकड़ भूमि बालू से भर गयी थी। यह जगजाहिर है कि 2008 में आयी कोसी की प्रलयंकारी बाढ़ की राष्ट्रीय आपदा से सम्बन्धित जांच-पड़ताल करने के लिए जस्टिस राजेश बालिया की

अध्यक्षता में एक आयोग का गठन बिहार सरकार द्वारा किया गया था। उस आयोग के समक्ष मेरी अध्यक्षता वाली संस्था 'मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान, पटना' द्वारा जो कोसी क्षेत्र की त्रासदी से सम्बन्धित दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, उन दस्तावेजों के तथ्यों पर बहुलांशिंत: आधारित रिपोर्ट जस्टिस बालिया द्वारा प्रस्तुत की गयी। परन्तु यह विस्मयकारी है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं और त्रासदी के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2008 की कोसी प्रलंकारी बाढ़ से उत्पन्न त्रासदी की समस्या 9 वर्ष बीतने के बाद भी नहीं हो पाना दु:खद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस कुसहा तटबंध का निमार्ण तो कराया, परन्तु उनके द्वारा घोषित 4,900 करोड़ की लागत से कोसी की प्रलंयकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा,पूर्णियां एवं अररिया जिलों के 3.50 लाख गृहविहीन परिवारों के लिए आवासों का पुनर्निमाण एवं हरेक बस्ती में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य अभी तक नही हो पाया है जो निश्चय ही दु:ख दायक है। इस तथ्य का प्रसंग इसलिए उठना स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने कोसी बांध योजना से संबंधित पचास के दशक से किये गये प्रयासों के लिए मुख्यत: अपने अग्रज स्व. ललित नारायण मिश्र के नाम का और स्व. श्रीकृष्ण सिंह और पं. जवाहर लाल नेहरू के नामों का उल्लेख करता रहा हूँ। किन्तु ललित बाबू के बाद उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए मैंने कोसी नदी और कोसी पीड़ित क्षेत्र के लिए जो अथक कार्य सब करते आ रहे हैं, उन सभी कार्यो का उल्लेख तो संभव नहीं है, लेकिन 2008 की कोसी क्षेत्र की त्रासदी से संबंधित जस्टिस बालिया के सामने दिये गये दस्तावेजों में स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि ललित बाबू के बाद अपने द्वारा किये गये कार्यो को कहने से मैं बचता रहा हूँ। यह यथार्थ यद्यपि लोगों से छिपा नहीं है कि कोसी क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए चिन्ता, ललित बाबू के उपरांत मैं भी करता रहा हूँ। अब तक अपने को चिन्ता से मुक्त नहीं कर पाया हूँ। यह जानना होगा कि जिस प्रकार ललित बाबू की व्यापक दृष्टि बिहार के विकास को ओझल नहीं होने देती थी, उसी प्रकार मैंने भी अपने समस्त राजनीतिक जीवन में और केन्द्रीय मंत्री के रूप में एवं बिहार के तीन-तीन बार मुख्यमंत्रित्व काल में अपनी व्यापक दृष्टि के अन्दर कोसी की संवेदना से, कोसी क्षेत्र के दु:ख दर्द से निरंतर जुड़ा भी रहा और उसकी बहुआयामी समस्याओं का निराकरण

सत्ता में और सत्ता के बाहर रहते हुए करता आ रहा हूँ और करने का प्रयास भी कर रहा हूँ।

औद्योगिक विकास के लिए मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो निर्णय लिए और जितने कार्य जमीन पर मेरे कार्यकाल में हुए धूल-धूसरित देख उन्हें होता है। मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भी औद्योगिक विकास की समस्या को आड़े हाथों लिया था और अपनी सरकार में रहते हुए ऐसे-ऐसे निर्णय लिये थे जिन निर्णयों के कार्यान्वयन से सचमुच बिहार के औद्योगिक विकास के अभाव जनित पीड़ाओं से लोगों को निजात दिलायी जा सकती थी, अब भी दिलायी जा सकती है। मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में मेरी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना तथा कार्यरत बड़े उद्योगों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के कार्यो में समुचित सहायता प्रदान करनी थी, जो बाद की राज्य सरकार की उदासीनता के कारण नहीं हो सकी। 1980 के दशक में राज्य सरकार राज्य में व्यापक औद्योगीकरण के लिए चिन्तित थी। राज्य में निजी पूंजी निवेश प्रोत्साहित करने एवं औद्योगीकरण की गति में तीव्रता लाने के लिए सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। यह औद्योगिक नीति 1980 के दशक में लागू हुई थी। इसके अन्तर्गत बिहार में लगने वाले सभी नये उद्योगों को 15 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिये जाने का प्रावधान था। नये उद्योग विशेष अधिसूचित केन्द्रों में लगाये जाते या विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा पूंजी लगायी जाती अथवा जो उद्योग केवल निर्यात के लिए ही होते, उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान देने का प्रावधान था। चालू उद्योगों की विस्तार योजना पर भी पूंजीगत अनुदान देने का प्रावधान था। इसी नयी औद्योगिक नीति के लागू होने पर केन्द्रीय पूंजीगत अनुदान जो केन्द्र द्वारा समाप्त कर दिया गया था इससे उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था।

❐

4

अपना रामझरोखा

मेरे जीवन का आरंभिक दौर अध्ययन और अध्यापन से जुड़ा रहा। अर्थशास्त्र का प्राध्यापक होने के नाते आर्थिक मुद्दों, नीतियों तथा उनके विवेचन-विश्लेषण से आरंभ से ही मैं जुड़ा रहा। प्रारंभ से ही मेरा अर्थशास्त्र से अत्यन्त लगाव रहा है। बाद के दिनों में सक्रिय राजनीति में आने के उपरांत भी लेखन की प्रवृत्ति बनी रही। आज भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को निबटाने के उपरांत प्रतिदिन कुछ समय अपने लेखन के लिए निकाल ही लेता हूँ। यद्यपि मेरी सोच एक आम जागरूक आदमी की तरह ही है, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में मेरी सोच सम्भवत: अन्य लोगों से भिन्न है, वह इसलिये कि मैंने वर्षों प्रशासन के शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में एवं केन्द्रीय मंत्री के रूप में।

मैंने वर्ष 1953 में माध्यमिक परीक्षा देने के उपरांत चाण्डिल में सर्वसेवा संघ के वार्षिक आयोजन में आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से भूदान आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश किया।

मैं युवावस्था से ही संत विनोबा भावे जी से इस कदर प्रभावित हुआ कि मैं अपनी छुट्टियों का अधिकांश समय विनोबा जी के साथ ही बिताया करता था। भूदान आंदोलन के दौरान मैं विनोबा जी के साथ पैदल पाँव गाँव-गाँव घूमा करता था। इसी भूदान आंदोलन के क्रम में मैंने अपने परिवार

से एक हजार एकड़ भूमि दान में दिलवायी थी, जब वे हमारे गांव बलुआ बाजार (सुपौल)आये थे।

संत विनाबा जी से अत्यधिक प्रभावित रहने के कारण ही अपने विवाह के बाद अपनी धर्मपत्नी-श्रीमती वीणा जी को मैंने उपहार में "भूदान यज्ञ" पत्रिका दी थी और अपनी निष्ठा जतायी। उस समय आयुष्मती वीणा जी मैट्रिक की पढ़ाई कर रही थीं। बाद में वह एम०ए०अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। मैं जब तृतीय बार बिहार का मुख्यमंत्री बना तो मैंने हजारीबाग में विनोबा भावे के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी। उनके नाम पर एकमात्र यही विश्वविद्यालय है। संत विनोबा जी की शाश्वत आत्मा और परमपिता परमात्मा ने ही सचमुच यह कर्त्तव्य मेरे माध्यम से किया। इसमें मेरा कर्त्तापन नहीं।

सचमुच उनके इन महान यज्ञ में भूमिहीनों के लिए भूमि का दान पाकर उसे भूमिहीनों में वितरित करवाने का उनका दृढ़ निश्चय विश्व के इतिहास में एक चिर-स्मरणीय विस्मयकारी घटना के रूप में अंकित है और निश्चय ही भूमिहीनों की उन दिनों जो पीड़ा उन्होंने अनुभूत की थी उसी पीड़ा से द्रवीभूत होकर उन्होंने देशव्यापी भूदान-यज्ञ का अनुष्ठान किया था जिसके माध्यम से उन्होंने ठीक ही सोचा था कि तमाम भूमिहीनों के जीवन में भूमि से इस कृषि प्रधान देश में सुखी जीवन-यापन करने का अवसर उनमें से प्रत्येक को मिलेगा। वस्तुतः भूमिहीनता के कारण जो पीड़ा भूमिहीनों में थी उस पीड़ा का स्थान गहरे ढंग से अमिट रंग में मुझमें भी बन गया, सम्भवतः इस व्यापक पीड़ा ने पीड़ा के अन्य कारणों की ओर नजर फैलाने का भी आलोक दिया, चेतना को मजबूती दी, संकल्प को अविचलित रखा। मुझे विनोबा जी के साथ ही श्री जयप्रकाश नारायण जी का सान्निध्य भी प्राप्त हुआ था।

जब मैं भागलपुर के टी०एन०बी० कॉलेज में पढ़ता था तो उसी दौरान एक सर्वोदय परिषद् का गठन किया, जिसके वार्षिक सम्मेलन को प्रतिवर्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्बोधित करते रहे। वहीं से मेरा नाम "सर्वोदय जगन्नाथ" पड़ गया। कालांतर में मैं अपने सियासी हलकों और अपने चाहने वालों के बीच में 'डाक्टर साहब' या 'मिसिर जी' के रूप में जाना जाने लगा।

मुझे 1958 में बी०ए० इकोनोमिक्स (ऑनर्स) के इम्तिहान में यूनिवर्सिटी में अव्वल आने एवं 1960 में एल०एस०कॉलेज, मुजफ्फरपुर से एम०ए० की परीक्षा में भी अच्छे अंकों से द्वितीय स्थान प्राप्त करने के कारण एल०एस०कॉलेज, मुजफ्फरपुर में व्याख्याता (लेक्चरर) के पद पर बहाल किया गया। उसके उपरांत वर्ष 1964 में मैंने अर्थशास्त्र विषय पर पी-एच०डी० किया और अंत में विश्वविद्यालय आचार्य के पद पर आया। मेरे शिक्षण काल में मेरे निर्देशन में 20 से अधिक व्यक्तियों को पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त हुई एवं मेरे द्वारा 40 शोध कार्य किये गये। वहाँ (एल.एस.कॉलेज में)चुने-चुने छात्रों का ही केवल नामांकन होता था। उन दिनों कॉलेज भी कम थे। बहुत छात्र-छात्राओं को कॉलेज शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता था। जो कॉलेज चलते थे वे जिला स्तर के नीचे मुश्किल से किसी-किसी अनुमण्डल स्तर पर होते थे। परिणामतः बहुतों को पढ़ाई छोड़ कर मैट्रिकुलेशन के बाद ही नौकरियों में विवश होकर जाना पड़ता था। वस्तुतः अनिच्छा से पढ़े-लिखे छात्रों को भी नौकरी करने में पीड़ा होती थी। मैंने मुजफ्फरपुर में उन्हीं दिनों (60 के दशक में)महाविद्यालय की संभावना देखी और अन्य स्थलों पर भी महाविद्यालय खोलने की प्रेरणा भी मिली और ये कॉलेज आज बखूबी चलते हैं। मैने बिहार में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करायी- जिनमें ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना, ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना प्रमुख हैं। अपने अग्रज एवं गुरु श्री ललित नारायण मिश्र के नाम पर मैंने देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन संस्थान, मुजफ्फरपुर में 1973 से चालू कराया। उस समय बिहार में ऐसा कोई संस्थान नही था, जहाँ एमसीए, एमबीए एवं बीसीए की पढ़ाई होती थी। आज उस संस्थान से उत्तीर्ण दस हजार से भी ज्यादा छात्र-छात्राएं देश के विभिन्न नामी-गिरामी उद्योग संस्थानों में कार्यरत हैं।

जब मैं नवीं कक्षा का छात्र था, तभी मेरे पिताश्री का देहांत हो गया था। अतः उनके गुजरने के पश्चात् मेरे अग्रज श्री ललित नारायण मिश्र ने मेरी पढ़ाई-लिखाई से लेकर मेरे पालन-पोषण का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। मेरा

अधिकांश समय ललित बाबू के साथ ही बीता। मेरा सियासी सफर उनकी ही छत्रछाया में प्रारंभ हुआ। उन्हीं के चरणों में मैंने राजनीति की बारिकियों को सीखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षो के बाद आज भी उनकी कमी मैं महसूस करता हूँ मेरे पूज्य अग्रज ललित बाबू की लोक सेवा की साधना ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी बराबर ही चलती रही। उन्होंने कोसी क्षेत्र की व्यापक पीड़ा के कारणों से अवगत होकर, द्रवित होकर कोसी योजना में जन सहयोग और सरकारी सहयोग से कोसी-योजना पूरी कर ली थी, जिससे कोसी क्षेत्र में लोगों को बीमारी, पलायन, गरीबी आदि पीड़ाओं के कारणों से निजात मिला था। विनोबा जी के बाद उनके (ललित बाबू के) जीवन की शैली से मैं बहुत प्रभावित हुआ पर मैं तो कॉलेज में कार्य कर रहा था।

इसीक्रम में मैंने सोचा कि कॉलेज में एक प्राध्यापक के जीवन में समाज के सभी वर्गो की समस्याओं से न तो मैं परिचित हो सकूंगा और न तो उनके समाधान के लिए कोई विचार कर सकूंगा। मैं अपने जिला, पहले सहरसा अब सुपौल में बसे गाँव बलुआ बाजार के बासिन्दा के रूप में उस इलाके के सभी लोगों की पीड़ादायी जिन्दगी देखता रहा हूँ।

शिक्षण के साथ-साथ मेरी दिलचस्पी राजनीति की ओर भी बढ़ती गयी। सिनेट और सिन्डिकेट के चुनावों में अपनी सक्रियता और संलग्नता से मैंने अपनी अलग पहचान विश्वविद्यालय में बनायी। शिक्षक संघों के शिक्षा संबंधी विषयों पर हमारी सक्रियता एवं सहायता निरंतर बढ़ती गयी। उस समय विश्वविद्यालय राजनीति में दो समूह सक्रिय थे। एक समूह सीधे तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह के साथ जुड़ा रहा। दूसरा समूह महेश प्रसाद सिन्हा और कृष्णकांत सिन्हा के साथ जुड़ा रहा। निचले तौर पर सत्येन्द्र बाबू से सम्बन्धित समूह के मुख्य प्रवक्ता श्री नारायण सिंह, ब्रह्मदेव नारायण चौधरी और हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉ० हरगोविन्द सिंह हुआ करते थे। सिनेट के चुनाव में हमारे सहयोग से इस समूह की शक्तिवृद्धि होती रही और हमारी सक्रियता ने सत्येन्द्र बाबू (छोटे साहब) को अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने सिन्डिकेट के को-आप्शन सदस्य निर्वाचन में हमारी पूरी मदद की। तत्कालीन कुलपति डॉ० विश्वमोहन कुमार सिन्हा, कुलपति की हैसियत से,

उनके कास्टिंग वोट से मैं सिन्डिकेट का सदस्य निर्वाचित हुआ। उसी से मेरी पहचान बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षक समूहों में बनी और मेरी पहचान सिन्डिकेट के सक्रिय सदस्य के रूप में भी बनी। सिन्डिकेट सदस्य की हैसियत से मैं शिक्षक कल्याण से सम्बन्धित अनेक विशेष प्रस्तावों को सिन्डिकेट में प्रस्तुत करता रहा, उनमें त्रि-सूत्री शिक्षक कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि, उपादान विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों में प्रोन्नति की संभावना बने इसके लिए भी निरंतर सक्रिय रहा। मेरे कार्यो से ही मेरा सम्पर्क मुजफ्फरपुर, चम्पारण एवं सारण (मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, सिवान, गोपालगंज, प०चम्पारण)के महाविद्यालयों में बढ़ता गया और शिक्षकों के अपार समर्थन और सहयोग से मेरी दिलचस्पी विश्वविद्यालय राजनीति में अग्रतर विस्तारित होने लगी और इसी समर्थन के बल पर शिक्षकों के समर्थन एवं सक्रिय सहयोग से 1968 में मुजफ्फरपुर, सारण एवं चम्पारण स्नातक क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार बना। वह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से मेरे लिए अपरिचित था। मैं सहरसा का रहने वाला इस क्षेत्र में उम्मीदवार बना, इसे लोगों ने दु:साहस भरा निर्णय करार दिया, क्योंकि मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित ताकतवर एवं साधन-सम्पन्न व्यक्ति को ही वहाँ का उम्मीदवार बनाया जाता रहा था। इस चुनाव में भी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से एक साधन सम्पन्न श्री पी०एन०मेहता, जो पूर्व सासंद श्रीनारायण मेहता के पुत्र थे, को उम्मीदवार बनाया गया। उन्हें भारतीय कांग्रेस पार्टी के उस क्षेत्र के सांसद और प्रभावी नेता श्री दिग्विजय सिंह का समर्थन था। जबकि उस समय मेरी पहचान केवल विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में बनी थी, इसलिए यह चुनाव मेरे लिए कठिन था। फिर भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के शिक्षकों के अपार समर्थन से मैंने वह चुनाव जीता। हालांकि मेरे परिवार के लोगों की इच्छा नहीं थी कि यह जोखिमपूर्ण चुनाव लड़ा जाय। मेरे बड़े भाई एवं राजनीतिक गुरु श्री ललित बाबू की भी इच्छा नहीं थी कि मैं उम्मीदवार बनूँ। फिर भी स्थानीय लोगों और मित्रों के दबाव में मुझे उम्मीदवार बनना पड़ा। मेरे उम्मीदवार बन जाने के बाद विशेष रूप से ललित बाबू एवं पूरे परिवार का समर्थन मुझे मिला। यहाँ यह विशेष

उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में भारतीय जनसंघ के नेता डा० रामकृपाल सिंह ने अपनी पार्टी का समर्थन और सहयोग बड़े पैमाने पर मुझे उपलब्ध कराया। भारतीय साम्यवादी दल के उम्मीदवार को इस उद्देश्य से पराजित करने में मेरी उम्मीदवारी मजबूत दिख रही थी। रामकृपाल बाबू ने औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से समर्थन उपलब्ध कराया। उस समय में उस क्षेत्र के जनसंघ कार्यकर्ताओं के सहयोग का सक्रिय समझौता प्राप्त हुआ उनका मैं आभारी रहा, जबकि मैं जनसंघ का न कभी सदस्य था न ही हमारी उस पार्टी के लोगों के साथ कोई गहरा संबध ही था। मैं एक ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार था, जिसका परिवार कांग्रेस परिवार से जुड़ा था। मेरे बड़े भाई ललित बाबू केन्द्र सरकार में मंत्री थे। ललित बाबू के व्यक्तित्व के प्रभाव से ही कांग्रेस के विधायक एवं सांसद मुझे सहयोग देने के लिए सक्रिय हुए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मेरी उम्मीदवारी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा को भी प्रभावित किया। विश्वविद्यालय राजनीति में मेरी सक्रियता से वे प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने भी मेरी राजनीतिक उपयोगिता को विस्तारित करने के उद्देश्य से अपना पूर्ण समर्थन मुझे दिया। मेरी उम्मीदवारी कांग्रेस के दूसरे नेता महेश प्रसाद सिन्हा को भी पसंद आयी और ललित बाबू के भाई होने के कारण उन्होंने अपना स्नेह और पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया। यहाँ तक कि महेश बाबू ने तिलक मैदान में कांग्रेस पार्टी की बैठक में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुझे सहयोग देने की अपील तक की, जबकि उस क्षेत्र के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता लोक सभा सदस्य श्री दिग्विजय नारायण सिंह हमारा विरोध कर रहे थे। यह संयोग ही था कि विश्वविद्यालय राजनीति में महेश बाबू के समर्थकों से मैं अलग था। मुझे सत्येन्द्र बाबू के समर्थकों का पूर्ण समर्थन मिला था। इसके बावजूद महेश बाबू का स्नेहपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। यह विरले ही होता है। कांग्रेस के भीतर कार्यकर्ताओं में दो अलग-अलग समूह कार्य करते रहने के बावजूद मुझे दोनों समूहों ने पूरा समर्थन दिया। ललित बाबू की सक्रियता और उनके व्यक्तित्व से तत्कालीन लोक सभा सदस्य श्री विभूति मिश्रा, श्री कमलनाथ तिवारी, रामशेखर सिंह, मो०यूनूस, भोला राउत जैसे लोगों के अतिरिक्त श्री जब्बार हुसैन जैसे लोगों का सक्रिय सहयोग मिला। जैसा कि मैंने

पूर्व में कहा कि चुनाव कठिन था, श्री मेहता पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ थे। इस तरह एक ओर सी०पी०आई० के सदस्य दूसरी ओर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं विद्यालय के शिक्षकों का आपार समर्थन मुझे प्राप्त हुआ था। फलतः राजनीतिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों से मुझे समर्थन मिला। इसप्रकार ललित बाबू की अपनी राजनीतिक शक्ति, महेश बाबू, सत्येन्द्र बाबू के सहयोग और डॉ० सिंह की सक्रियता एवं भारतीय जनसंघ के उस क्षेत्र के सभी नेताओं का असीम समर्थन मिला इससे हमारी प्रारंभिक राजनीति में डॉ० रामकृपाल बाबू के कारण भारतीय जनसंघ का जो सहयोग मिला उसे हम जीवन-पर्यन्त नहीं भूल सकते हैं।

1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में मेरे अग्रज एवं तत्कालीन केन्द्र सरकार के मंत्री श्री ललित बाबू ने मुझे आदेश दिया, "बिहार के विधायकों से सम्पर्क करो।" कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेल जोल एवं देख-रेख का जिम्मा उन्होंने मुझे सौंपा। इस प्रकार यहीं से कांग्रेस में मेरे राजनीतिक जीवन की विधिवत शुरुआत हुई और 1970 में मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली।

1972 में अपने पूज्य अग्रज ललित बाबू की सहमति से झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पसंद किया था और मैं वहाँ से चुना भी गया था। मैं लगातार 1972, 1977, 1980, 1985 एवं 1990 में झंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र से विशाल बहुमत से बिहार विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होता रहा और उसी क्रम में बिहार सरकार में मंत्री, बिहार का तीन बार मुख्यमंत्री, बिहार कांग्रेस कमिटी का दो बार अध्यक्ष, बिहार विधान सभा में दो बार प्रतिपक्ष का नेता एवं तत्पश्चात् दो बार राज्य सभा का सदस्य एवं एक बार केन्द्रीय मंत्री बना। मेरे ही कार्यकाल में झंझारपुर के पिछड़ा क्षेत्र का विकास हुआ, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं एवं इसके साथ ही सम्पूर्ण मिथिलांचल यथा दरभंगा, कोसी, पूर्णियां प्रमण्डल, जिलों, प्रखण्डों एवं गाँव सहित बिहार के सभी क्षेत्रों में विकास के अनेक कार्यक्रम सम्पन्न हुए। सम्पूर्ण देश को मिथिलांचल की पहचान करायी थी। ललित बाबू ने जो कार्य प्रारंभ किया था उसे विकसित करने में मैं हमेशा तत्पर रहा जो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। ललित बाबू के आशीर्वाद और ईश्वर

की कृपा साथ ही इंदिरा जी और राजीव जी की मेरे प्रति अटूट आस्था के कारण पार्टी के भीतर के अनेक विरोधों के बावजूद मैं बिहार कांग्रेस कमिटी का दो बार अध्यक्ष और विधान सभा के प्रतिपक्ष का नेता बना, यह संयोग विरले ही किसी को मिलता है। इसी प्रकार का एक संयोग मेरे और कर्पूरी ठाकुर जी के बीच रहा। जब कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मैं प्रतिपक्ष का नेता रहा और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कर्पूरी जी प्रतिपक्ष के नेता रहे। विधान सभा के हम दोनों के अगणित भाषणों से बिहार से संबंधित शोध कार्यो में बड़ी मदद मिल सकती है।

बिहार विधान सभा के स्तर से निश्चय ही मेरा लोक जीवन से सीधा जुड़ाव हो गया। किन्तु अपने शिक्षण संस्थान या पूरे शिक्षा जगत से अटूट संबंध भी बना रहा- पूरे बिहार में और पूरे देश की बिहार के प्रति भावनाओं से मैं बहुत संतुष्ट नहीं रहता था। मिथिला का होने के नाते मिथिला क्षेत्र की बाढ़-सुखाड़जन्य आपदाओं के बीच लोगों की पीड़ा देखी, आँखें विस्तारित कर बिहार की विपन्नता भी सामने देखी और पूरे बिहार की उद्योग विहीनता से उत्पन्न बिहार की दर्दनाक गरीबी तो सचमुच निराकरण के लिए मुझे सदा अग्रसर करती रही। छात्रजीवन से ही मेरे अंत:करण में यह बात थी कि मेरे जीवन का लक्ष्य राष्ट्र एवं समाजधर्म है।

जब मैं टी०एन०बी० कॉलेज, भागलपुर में अध्ययन कर रहा था तो उसी समय मैंने विद्यार्थियों का एक संगठन बना रखा था, उनके साथ अक्सर कुदाल चलाकर बाँध आदि बनाने का काम किया करता था। प्रत्येक रविवार को छात्रों को राष्ट्र के लिए श्रमदान करने के उद्देश्य से सफाई और मरम्मत कार्यो को कराने के लिए लगातार अभियान चलाता रहा। बचपन से ही मेरी दिलचस्पी न तो कभी सिनेमा देखने में रही, न ही रेडियो सुनने में रही, मेरी दिलचस्पी सिर्फ विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने में थी और क्रमश: सामाजिक कार्यो में मेरी अभिरूचि लगातार बढ़ती गयी। मैं ज्यादातर वित्त संबंधी पुस्तकें ही पढ़ता रहा हूँ। इसके अलावा आर्थिक विकास संबंधी पुस्तकों को पढ़ने में भी मेरी रुचि रही है। पुस्तकों में अभिरुचि रहने के कारण ही मैंने गाँव में अजान सार्वजनिक पुस्तकालय को विस्तारित किया था। उस पुस्तकालय की

सम्पूर्ण देख-रेख मैं स्वयं किया करता था। मेरे मार्गदर्शक एवं गुरुद्वय संत विनोबा भावे और श्री ललित नारायण मिश्र अगर नहीं होते तो शायद मैं राजनीति में न आया होता, बल्कि निश्चित तौर पर शिक्षण के क्षेत्र में ही रहता, चूंकि पढ़ाई समाप्त होते ही मेरा चयन व्याख्याता के पद पर हो गया था, जहाँ मैं शिक्षक एवं तत्पश्चात प्रोफेसर के पद पर भी रहा। पर अब मैं सक्रिय राजनीति में था। सकिय राजनीति में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता रहा है।

मुझे लगता है कि पं. नेहरू का नारा- "आराम हराम है" ने भी चमत्कारी प्रभाव मेरे जीवन पर डाला। प्राय: बचपन से ही अथक रहकर छात्र जीवन में मैंने अध्ययन किया और एक प्रकार से संवेदनशील होकर लोगों की पीड़ा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हुआ और 1968 के बाद समस्याजन्य पीड़ाओं से लोगों को निजात दिलाने का कड़ा और दृढ़ से दृढ़तर फैसला लेता गया। इस बीच मेरी आँखों के सामने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग जगत के साथ अन्य क्षेत्रों में होते आंदोलन, उपद्रव, असंतोष आदि से प्रभावित होकर जब दृष्टि फैलायी तो देखा कि जन-साधारण के जीवन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बहुसंख्यक लोग पीड़ित हैं। मैंने उन क्षेत्रों का भी अध्ययन किया और कई पुस्तकों में अपनी इसी प्रकृति से लोक जीवन के लिए उनकी पीड़ा के समाधान के लिए अपने विचार-भाव व्यक्त किये और बाद के अपने तीन बार के मुख्यमंत्रित्व काल में पीड़ा के उन कारणों को दूर करने के भी बहुत प्रयास किये, बहुत निर्णय लिये, कामयाबी भी मिली। लेकिन अब भी समस्याएँ उभरती रहती हैं और पीड़ा जंगल की आग की तरह फैलती रहती हैं। केवल बिहार ही में नहीं अन्यत्र भी, लेकिन बिहार (झारखंड सहित) से मैं अभिन्न रूप से जुड़ा रहा इसलिए आज बिहार और झारखण्ड दोनों ही की समस्याओं से उत्पन्न पीड़ा का बोध होता है। इसलिए सरकार का सहयोग, जन सहयोग अपने कर्तव्य और अपने साथियों के सहयोग को पीड़ा के निदान की दिशा में प्रेरित, संचालित करने हेतु 1984 से ही 'बिहार की पीड़ा से जुड़िए' कार्यक्रम से जुड़ने का अभियान जारी रखा है। अपने इस अभियान से मैं संतुष्ट हूँ कि बहुत हद तक मुझे सहयोग मिला। केन्द्रीय मंत्री के रूप में पूरे देश की

पीड़ा देखी और पीड़ा उत्पन्न करने वाली समस्याओं पर चिन्तन करता रहा और मैंने पाया कि इस देश में गरीबी, भूमिहीनता, साम्प्रदायिकता, शोषण, असमानता आदि कारणों से देश की जनता को किसी न किसी रूप में पीड़ा झेलनी ही पड़ती है।

पं. नेहरू जी का उल्लेख ऊपर किया, क्योंकि नेहरू जी की पूरी सोच और नीति भविष्य के भारत के समावेशी विकास वाली थी। पं. नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पी इसलिए भी कहे जाते रहे हैं कि उनके द्वारा लिये गये सिद्धांतों, निर्धारित कार्यक्रमों पर भारत का आज तक उन्नयन होता रहा है। गंभीरता से देखने पर श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 3 वर्षो के शासनकाल में स्थापित किया है कि आज की दुनिया के मुकाबले भारत पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा बताये गये आधुनिकतम वैज्ञानिकीकरण से ही आगे बढ़ सकता है। पं॰ नेहरू जी की तरह श्री मोदी की स्पष्ट सोच है कि यह एकमात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही है जिससे भारत देश अपने को ऊपर उठा सकता है। पं॰ नेहरू जी की दृष्टि के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत में शक्तिशाली स्वदेशीय आधार निर्मित किया गया है। इसका सुन्दर इस्तेमाल श्री मोदी को करना है जिससे हमारा उत्पादन सभी क्षेत्रों में बढ़े तथा हमारी अर्थव्यवस्था और भी सामर्थ्यवान बन सके। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनेक प्रौद्योगिकी मिशनों की स्थापना की गयी। पं॰ नेहरू जी ने इस देश में वैज्ञानिक प्रकृति को विकसित करने की जो मनोदशा तैयार की थी, उसे श्री मोदी सरजमीन पर उतारना चाहते हैं। एक नये स्वतंत्र और अत्यन्त ही निर्धन देश के लिए इस दिशा में बढ़ना आसान काम नही है, परन्तु पं॰ नेहरू जी की उसी दृष्टि की तरह श्री मोदी की सोच है कि यह एकमात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जिससे भारत अपने को ऊपर उठा सकता है तथा आज देश वर्तमान अवस्था में इसलिये है क्योंकि पं॰ नेहरू जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक बल दिया। विकास का अर्थ समाज के विकास से होना चाहिये, विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका मुख्य होती है। पं॰ नेहरू जी की तरह श्री मोदी वैज्ञानिक प्रकृति को विकसित करने की बात किया करते हैं। पं॰ नेहरू जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात उस समय करते थे जब

कोई विश्वास नहीं करता था कि भारत इस दिशा में बहुत अधिक बढ़ सकता है। उस समय भयंकर संदेह का वातावरण था। पं॰ नेहरू जी ने समाज के लिए जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रकृति की बात की थी वह कुछ लोगों के लिए नहीं होकर सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए थी। उसी तरह श्री मोदी विज्ञान का लाभ लाखों-लाख लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। श्री मोदी की सोच के अनुसार आज राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बड़ी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहा है।

सत्ता में रहने पर किन्हीं का भी नेतृत्व लोक जीवन की समस्याओं के निराकरण में सुविधा की अनुभूति करता है, लेकिन यह सुविधा भी उसी व्यक्ति के नेतृत्व के लिए संभव है जिस व्यक्ति की अतंरात्मा जाने-अनजाने रूप से सेवा के लिए ही समर्पित है। जो भी व्यक्ति मानव-जीवन के इतिहास में सेवा के लिए समर्पित रह हैं उनके समक्ष सत्ता की सुविधा नहीं रहने पर भी उनकी सेवाओं के सुखदायी परिणाम हुए है। उन्हें इतिहास में भी निश्चय ही समय-समय पर उदाहरण के रूप में शताब्दियों के बाद भी उल्लिखित किया जाता रहा है, उच्चारित किया जाता है। कभी-कभी तो साधनविहीन होना समर्पित सेवा का सबसे बड़ा कारक और आभूषण हो जाता है। इसलिए सत्ता में रहना और सत्ता में नहीं रहना मेरी सेवा भावना को कभी इधर-उधर नहीं कर सका, विचलित नहीं कर सका। इस प्रसंग में इतना ही कहने से मुझे पूर्ण संतोष है। इसक्रम में कई प्रकार की बाधायें, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं मुझे। यहाँतक कि सुनियोजित षड्यंत्रों के माध्यम से मर्मांतक दु:ख के साथ पीड़ा भी मुझे पहुँचायी गयी है, जिससे पूरे देश के लोग भी अवगत हैं, बहुतों की सहानुभूति भी मिली, लेकिन अंतरात्मा की सेवा भावना ही स्वंय अपनी संगिनी चेतना को सतत संचालित रखती है कि मैं चाहकर भी विचलित नहीं हो पाया। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रीमती गांधी 'गरीबी हटाओ' का सिर्फ नारा ही नहीं दे चुकी थीं, बल्कि गरीबी हटाने के बहुत सारे उपायों को भी लागू कर चुकी थीं। उनके कठोर परिश्रम, पक्का इरादा से हम सब परिचित हैं। कठोर परिश्रम और पक्का इरादा के साथ ही उनकी दूर दृष्टि का भी भरपूर प्रभाव मेरे जीवन पर अभी तक है, जो प्रभाव मुझे एक शक्ति के रूप में लोगों की पीड़ा से जूझने के लिए मन, वचन और

कर्म को एकरूपता प्रदान करता आ रहा है। इस प्रसंग में श्रीमती गाँधी द्वारा किये गये कुछ ठोस कार्यक्रमों की स्मृति से भी कुछ हद तक आप परिचित होना चाहेंगे-

काँग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख किसी नई कल्पना का निष्कर्ष नहीं था। उसका आधार सन् 1931 के करांची काँग्रेस अधिवेशन में पारित, वह आर्थिक प्रस्ताव था, जिसमें जनता का शोषण समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता में देश की करोड़ों भूखी जनता के लिए वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल करने की बात पर जोर देते हुए कहा गया था। ''देश का आर्थिक जीवन इस प्रकार संगठित किया जायेगा कि वह न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो और जनता को अच्छा जीवन-स्तर प्राप्त हो।'' इसी प्रस्ताव में यह बात भी कही गयी थी, ''भूमि व्यवस्था, लगान और किराया संबंधी कानूनों में सुधार किया जायेगा, ऋण-ग्रस्त किसानों को राहत दी जायेगी और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सूदखोरी पर नियंत्रण किया जायेगा। प्रमुख उद्योगों और सेवाओं, खनिज साधनों, रेलों, जल-मार्गों, जहाजरानी और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य के पास होगा।'' काँग्रेस ने सन् 1931 में जिस ''स्वराज्य सरकार'' की कल्पना की थी उसमें संविधान के निदेशक सिद्धांत के रूप में उपर्युक्त तथ्य शामिल करने पर जोर दिया गया था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शासन भार संभालने वाली पार्टी के रूप में काँग्रेस की यह जिम्मेदारी स्वाभाविक ही थी कि वह अपने इन सामाजिक उद्देश्यों को यथार्थ रूप दे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय कदम उठाये। भारत के संविधान की प्रस्तावना और उसमें दिये गये निदेशक सिद्धांतों को इसी आधार पर निर्धारित किया गया और संविधान की स्वीकृति के बाद ये सिद्धांत हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य और उद्देश्य बन गये।

कांग्रेस द्वारा अपनायी गयी नीतियों के अनुरूप समाज के रूढ़िवादी ढ़ाँचे में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कर, समाज के उन वर्गों को जो एक अर्से से उपेक्षित चले आ रहे हैं, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय दिलाने के मानवीय पहलू को सामने रखकर, प्रशासन और संगठन पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित कर, उन कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए इन्दिरा गांधी

आगे बढ़ीं। उनको कांग्रेस ने समय-समय पर अपनाया था, परन्तु उनपर, उस हद तक, किन्हीं कारणों से अमल नहीं किया जा सका था। 1969 में बंगलौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। एक ओर वे लोग थे जो लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापित करने के पक्ष में थे और दूसरी ओर वे दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी तत्व थे जो किसी भी परिवर्तन के हामी नहीं थे। वे यथापूर्व स्थिति बनाये रखना चाहते थे। संगठन के अन्दर रहकर उठाये जानेवाले प्रगतिशील कदमों का विरोध करना ही उनका मुख्य ध्येय था। इसका आभास इन्दिरा गांधी द्वारा 8 नवम्बर, 1969 को कांग्रेसजनों के नाम लिखे गये पत्र में मिलता है। उक्त पत्र में उन्होंने लिखा था-''ये मतभेद कांग्रेस के उद्देश्यों और उन्हें पूरा करने के लिए कांग्रेस द्वारा अपनाये जानेवाले तरीकों से सम्बन्धित दृष्टिकोण और सोचने के ढंगों को लेकर पैदा हुए हैं। कांग्रेस प्रजातंत्र, धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों में विश्वास करती है। समय-समय पर संगठन, नीति-निर्देशक इकाइयों, कांग्रेस कार्य समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी अथवा प्रतिनिधियों के अधिवेशन में इन उद्देश्यों में बार-बार विश्वास प्रकट किया जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस के अन्दर एक ऐसा गुट है जो इन उद्देश्यों में पूर्णत: विश्वास नहीं करता। इन उद्देश्यों के प्रति केवल उनकी मौखिक श्रद्धा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उन्होंने खुले तौर पर इन्हें नजरअंदाज किया तो वह शक्ति और प्रभाव जो पार्टी से उन्हें प्राप्त होता रहा है, उनसे छिन जायेगा।

समस्याओं में उलझे रहने के कारण जनता से किये गये वायदों की पूर्ति के लिए कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया जा सका परंतु समस्याओं से निपटने के बाद संगठन और प्रशासनिक पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा सराहनीय कदम उठाये गये। जनता को लाभ पहुँचाने के लिए अपनाये गये कार्यक्रमों की जनता को जानकारी प्रदान करने का भार संगठन के कंधे पर आया। कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर जनता के और अधिक निकट जाकर उनकी समस्याओं का अध्ययन करना और उनका निराकरण कराना ऐसे कदम थे जिनसे काँग्रेस संगठन को नई शक्ति मिली। युवकों को काँग्रेस संगठन की ओर आकर्षित करने तथा उनके लिए कार्यक्रम

निर्धारित कर युवा शक्ति को उपयुक्त दिशा में मोड़ने का अवसर मिला। भूमिहीन किसानों के लिए आवास भूमि और कृषि भूमि उपलब्ध करने की दिशा में भूमि सुधार कानून शीघ्र बनाये जाने पर जोर दिया गया। उन कार्यक्रमों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाये गये जिन्हें पूरा करने के लिए जनता से वायदा किया गया था। भारत के करोड़ों गरीबों को पूर्णतया समर्पित इन्दिरा गांधी आज भी हमें भारत में गरीबी हटाने, देश में शोषणविहीन समाज और विश्व में शांति की प्रेरणा देती है।

मेरे दृष्टिकोण में पहले और अभी की राजनीतिक दशा में काफी बदलाव आया है। आज पार्टियों की न तो कोई निश्चित नीति निर्धारित है, न ही उनका कोई आदर्श है। आज की अधिकांश पार्टियाँ नीतिविहीन, आदर्शविहीन हो गयी हैं। सामाजिक स्तर में भी काफी गिरावट आयी है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी की शक्ल आज है तो वह कांग्रेस और भाजपा की है। आज की पार्टियों का कोई आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है। आज की पार्टियाँ एक तरह से प्राइवेट प्रोपर्टी बन कर रह गयी हैं। पार्टियां नेता आधारित और जाति आधारित हैं। एक तरफ राजनीतिक संकीर्णता, राजनीतिक पार्टियों की सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता और गठबंधनजन्य अस्थिरता एवं दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दलों के आचरण में मनमानी एवं बुनियादी मूल ढाँचा के विरुद्ध पार्टी की गतिविधियाँ, ये दोनों ही संविधान के मूल उद्देश्यों को नुकसान पहुँचा रही हैं। संसद् और विधान सभा में सांसदों और विधायकों के आचरण और व्यवहार ने आमलोगों में संसदीय प्रणाली के प्रति एक अवधारणा उत्पन्न की है कि यह प्रणाली कुछ पूँजीपतियों और बड़े लोगों के हाथ में कैद हो रही है। लोकतंत्र, लोकविहीन हो रहा है, वह इसलिए कि राजनीति पर पूँजिपतियों एवं धनपतियों का वर्चस्व क्रमशः बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर संविधान में राज्यों के निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्यों को निर्देश हैं- व्यक्ति-व्यक्ति के बीच धन की विषमता और क्षेत्रीय विषमताओं को पाटने की। किन्तु 70 वर्ष पूर्व आजाद हुए इस देश में आज भी इन दोनों बुनियादी विषयों की अनदेखी हो रही है। फलतः कुछ राज्य अत्यन्त समृद्धशाली होते जा रहे हैं तो कुछ अत्यन्त गरीब। जहाँ महाराष्ट्र,

तमिलनाडु, एवं आन्ध्रा जैसे राज्य क्रमशः विकसित होते गये, वहीं दूसरी ओर बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा के बीच बड़ी खाई बन गयी, जो कि सम्पूर्ण देश के विकास में अवरोध की सृष्टि पैदा कर रही है। इसी तरह नवउदारवाद, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण के फलस्वरूप अपने मुल्क का धन कुछ लोगों तक ही केन्द्रित हो रहा है। हालांकि दुनिया के खरबपतियों की सूची में भारत के भी 3–4 लोगों के नाम दर्ज हैं। परन्तु हमारे देश में 83% ऐसे लोग हैं, जो आज भी मामूली रकम दैनिक खर्च करते हैं। सच कहा जाय तो इस प्रकार की उत्पन्न परिस्थिति ही माओवादी और नक्सलपंथी को बढ़ावा दे रही है। इस देश के 83% लोगों में यह विश्वास घर कर रहा है कि हमारी इस देश में कोई पूछ नहीं है।

योजना आयोग और भारत सरकार के सर्वेक्षणों से पता चला है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी के बजाय दिनोंदिन बढ़ोतरी ही हुई है।

आज समाज में नैतिक मूल्यों का तीव्र ह्रास हो रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने मुद्दों पर अपने आदर्शो पर अमल नहीं कर रहा। समाज में दिखावा बढ़ा है। एक दूसरे के प्रति आदर की भावना घटी है। हमारे यहाँ अध्यापन के क्षेत्रों में भी इसकी काफी अनदेखी हो रही है, पढ़ाई का स्तर बदल गया है। हालांकि आज विद्यालयों में अनेक विषयों की पढ़ाई होती तो है, परन्तु जो मूल बातें हैं जैसे समाज के लोगों के प्रति आदर भाव, भारतीय संस्कृति की पहचान करना एवं उनके रख–रखाव पर ध्यान देना जैसी महत्वपूर्ण बातों पर लगभग न के बराबर ध्यान दिया जाता है। इससे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय भावना को चोट पहुँच रही है। आज छात्रों के जीवन में राष्ट्रीय भावना में भी कमी हो रही है। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों की नकल करने के चलते आज के बच्चे अपनी मूल मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। हमें गर्व इस बात का होना चाहिये कि हम उस देश के निवासी हैं, जहां बुद्ध, महावीर, चाणक्य, अशोक, गाँधी, सुभाष, जवाहर आदि जैसे इतने महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्हें गिनते–गिनते हम थक जाते हैं। हमें तो गर्व भारतीय कहलाने में होना चाहिये। हमें गर्व अपने वतन की भाषा, संस्कृति, विचार, व्यवहार और जीवन शैली पर होना चाहिये,

न कि पश्चिमी नकल करने में। यह प्रसन्नता का विषय है कि श्री मोदी की केन्द्र सरकार की पहल से 21 जून वर्षो से विश्व योग-दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल अधिकांश लोगों ने इन सभी भावनाओं को दरकिनार कर दिया है। लोगों के मन से भारतीयता और देशप्रेम लुप्त होता जा रहा है। लोग साम्प्रदायिकता की आग में जल रहे हैं, जिससे भारतीयता की सही परिभाषा समाप्त हो रही है।

मैं भाग्य पर विश्वास तो करता हूँ, किन्तु कर्म के साथ। मैं ऐसा भाग्यवादी नहीं हूँ जो सोचता हूँ कि बैठे-बैठे ही भगवान सब दे देंगे। मैं कर्म करने में विश्वास करता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाग्य तभी साथ देता है, जब आदमी कर्म करता है। मेरा मानना है कि सभी धर्म महान हैं, ईश्वर एक हैं, दुनिया के रचयिता एक हैं। खेत-खलिहान, नदियाँ, पर्वत आदि सब एक ही ईश्वर द्वारा बनाये हुए हैं। भगवान एक हैं, लेकिन हमने ही उन्हें जाति/धर्म के आधार पर बाँट दिया है। मैं एकेश्वरवाद को मानता हूँ। मेरा मानना है कि जो सच्चा हिन्दू होगा या जो सच्चा मुसलमान होगा वह कभी नफरत नहीं करेगा। मेरा सिद्धांत है कि:

"परपीड़ा जैसा कोई पाप नहीं और परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं"

मुझे याद है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, उस दिन मैं काफी रोया था। मुझे लगा कि क्या हमारे यहाँ कमजोर लोगों को ऐसे ही सताया जायेगा? एक लाख लोग मिलकर इतना बड़ा कदम उठायेंगे और सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बनकर देखते रह जायेंगे? हमें लगा कि अगर मुसलमानों में यह बात घर कर जायेगी तो देश की एकता और अखंडता को बचाए रख पाना कठिन हो जायेगा। जब बाबरी मस्जिद की घटना घटी थी तो उस समय देश में नरसिंहा राव की सरकार थी। मैंने श्री राव से निवेदन किया कि मस्जिद बनवा दीजिये। अभी तुरंत संभव नहीं है तो बाद में ही सही। मस्जिद बनवाने से हो सकता है कि हम चुनाव हार जाएँ, लेकिन भविष्य में देश की एकता और अखंडता के लिए लोगों में एक अच्छा संदेश जायेगा। हमारे देश में कोई किसी को जोर जबरदस्ती से तंग नहीं करेगा। मैं स्वंय भी नरसिंहा राव की सरकार में कबिना मंत्री था, जब उन्हें उपर्युक्त परामर्श दिया था।

आज के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आज उनमें विवेकहीनता, असहिष्णुता और विचारहीनता के कारण ही समाज में विभिन्न प्रकार के टकराव हो रहे हैं। युवाओं के इन विचारों के कारण समाज का क्षरण हो रहा है। आज के युवाओं को चाहिये कि हमारे भारतीय संस्कार को बिखरने से बचायें। युवाओं को सलाह है कि गतिविधियाँ करो, मर्यादाओं के अन्दर रहकर, अपनी भारतीय संस्कृति की बुनियाद को बचाये रखकर। मैं मानता हूँ कि आज के उदारीकरण के युग में युवाओं की आंकक्षाएँ बढ़ी हैं। लेकिन, उन्हें वे जल्दी-जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में शॉर्टकट विधि अपानाना चाहते हैं, जो गलत है। इसलिये आज के युवाओं को मेरा संदेश है कि प्रतीक्षा करो, मेहनत करो और धैर्य रखो, एक दिन तुम्हारे किये गये सारे प्रयास जरूर रंग लायेंगे।

अब मैं संक्षेप में अपने राजनीतिक जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का आगे उल्लेख कर रहा हूँ जो हमेशा मेरी स्मृतियों में विचरण करती रहती हैं एवं समय-असमय मुझे पीड़ा देती रहती हैं-

1974 में पूरे बिहार में आंदोलन भड़क चुका था, जिसे जे०पी० आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन ने ऐसा भयंकर रूप अख्तियार किया कि 1975 के जून में ही आपातकाल की घोषणा की गयी। लेकिन आपातकाल में महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जनता के हित में निर्धारित थे। उन्हीं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना था।

1975 में राष्ट्रपति श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद-352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित किया, चूंकि आपातकाल उस समय राष्ट्र में व्याप्त अराजकता हिंसा एवं संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध किये जा रहे आचरण लोकतंत्र के लिये और संविधान के विभिन्न प्रावधानों के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। विशेषकर फौज और पुलिस को सरकार का आदेश नहीं मानने का आह्वान किया जा रहा था। वैसी परिस्थिति में देश के संविधान के अंतर्गत शासन चलाना कठिन बनता जा रहा था और लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से खतरनाक परिस्थिति बनायी जा रही थी। जब लोगों द्वारा निर्वाचित लोकसभा और विधान सभा सदस्यों से संविधान के विरुद्ध इन पर दबाव से त्यागपत्र की मांग राज्य

एवं राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही थी। बिहार में विशेषकर विधान सभाओं के सदस्यों से दबाव एवं भय के बल पर त्यागपत्र दिलाये जा रहे थे। असंवैधानिक तरीकों से राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार को अस्थिर करने की निरंतर परिस्थितियाँ बनायी जा रही थीं, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जिन्होंने संविधान का संरक्षण एवं परिरक्षण करने की शपथ ले रखी थी, क्या प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद-352 के अंतर्गत आन्तरिक आपातकाल की घोषणा नहीं करते या वे संविधान के प्रतिरक्षण में विफल साबित किये जाते? इसलिये यह जो अवधारणा आज 40 वर्षों के बाद भी आमलोगों में बनायी जा रही है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोकतंत्र के विरुद्ध आपातकाल घोषित कर संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर दिया वह मिथ्या है,क्योंकि श्रीमती गांधी का निर्णय किसी भी कसौटी पर संविधान के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता, श्रीमती गांधी पर आरोप भ्रम से भरा है। श्रीमती गांधी वैसी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आन्तरिक आपातकाल की घोषणा नहीं करबातीं तो लोकतंत्र एवं संविधान को बचाये रखना कठिन ही नहीं, असंभव भी था। इसलिये 42 साल के बाद भी अगर ईमानदारीपूर्वक विश्लेषण किया जाय तो निष्पक्ष रूप से 1975 के 25 जून को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा न्याय संगत एवं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सर्वथा सही थी। यह कुछ अंशों तक सही है कि संविधान के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलम्बित करने के कारण प्रशासनिक स्तर पर ज्यादतियाँ हुईं और आमलोगों की कठिनाइयाँ बढ़ीं। दूसरी ओर यह भी सही है कि श्रीमती गांधी द्वारा तीव्रता में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास के लिए घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण समाज के सभी स्तरों के लोगों को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लाभ निश्चित रूप से मिले। वह इससे प्रमाणित होता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम उनके बाद की सभी विपक्षी सरकारों द्वारा यथावत लागू रखा गया। बिहार में भी 1977 और 1990 में सत्ता परिवर्तन के बाद की सभी सरकारों ने श्रीमती गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रमों को यथावत जारी रखा है। आज भी बिहार समेत अन्य राज्यों में

भी सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के साथ विषमताओं को समाप्त करने और गरीबों को सभी प्रकार के लाभों को प्रदान करने के लिए 20 सूत्री में सन्निहित कार्यक्रमों से आमलोगों को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस दृष्टि से केवल राजनीतिक दुर्भावना एवं ईष्या से प्रेरित होकर आपातकाल की घोषणा की भर्त्सना करना और श्रीमती गांधी को लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई करवाने का जिम्मेवार बनाना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यह भी ध्यातव्य है कि आपातकाल की घोषणा की समाप्ति 1977 की जनवरी में स्वयं श्रीमती गांधी ने अपने स्तर से की थी, जबकि उस समय जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन निष्प्रभावी और निष्क्रिय बना हुआ था। लोकतंत्र की रक्षा एवं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों को वापस करने के लिए श्रीमती गांधी ने अपने विवेक से लोकसभा को विघटित कर नयी लोकसभा के चुनाव का निर्णय लिया। उनके अंत:करण के लोकतांत्रिक विवेक ने आपातकाल को समाप्त कर सभी दलों के नेताओं को जेल से मुक्त कर चुनाव में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने महसूस किया कि लोकसभा में उन्हें दो तिहाई से अधिक समर्थन है, परन्तु आपातकाल के दुष्प्रचार के कारण ''लोक'' का समर्थन उनके साथ नहीं है। उन्होंने चुनाव कराया, वे पराजित हुईं। विपक्ष की सरकार बनी। लेकिन तीन सालों के भीतर ही सरकार गिर गयी। फिर जनवरी, 1980 में लोक सभा चुनाव हुआ। दो तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ। इससे प्रमाणित हुआ कि भारत की जनता 1977 में उनसे असंतुष्ट हुई, परन्तु विकल्प व्यवहार्य नहीं बन पाया। इसलिए फिर जनवरी, 1980 के चुनाव में श्रीमती गांधी को दो तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ। अगर आपातकाल की घोषणा गलत और ज्यादती थी तो तीन सालों के भीतर ही पुन: श्रीमती गांधी को दो तिहाई बहुमत लोकसभा चुनाव में कैसे प्राप्त हुआ? यह प्रमाणित करता है कि आपातकाल से अल्प कालावधि के लिए असंतुष्ट लोगों ने फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति भरोसा जाहिर किया। इसलिए आपातकाल का विश्लेषण और इसके जायज-नाजायज, संवैधानिक अथवा असंवैधानिक पक्षों की विवेचना निष्पक्षतापूर्वक करने की आवश्यकता है।

इसी प्रसंग में शाह कमीशन के नाम इन्दिरा गाँधी का पत्र देखा जा सकता है।

(देखें-परिशिष्ट-१)

मैं अंत:करण से यह जानता हूँ कि ललितबाबू और इन्दिराजी के बीच बड़ा ही अटूट विश्वासपूर्ण संबंध था। ललितबाबू की अगाध श्रद्धा इन्दिराजी में थी और इन्दिराजी की भी उसी रूप में ललित बाबू के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा थी। ललितबाबू को विरोधी पार्टियों ने हर संभव ढंग से विवादास्पद बनाया। उन्हें संसद में लगातार परेशान किया जाता रहा परंतु, तत्कालीन माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी सदैव ललित बाबू के साथ खड़ी रहीं और उन्होंने ललित बाबू को बराबर हर प्रकार का संरक्षण दिया। इसलिये, कोई कारण या आधार ही नहीं बन सका और न कोई प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य ही उपलब्ध रहा जिससे उन दोनों के बीच कोई कड़वाहट रही हो। ऐसी परिस्थिति में मुझपर लगातार उनके विरुद्ध बोलने का दबाव दिया जाता रहा। यह आश्वासन दिया जाता रहा कि मेरे विरुद्ध सरकारी मुकदमे वापस होंगे और फिर मुझे मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। हमने तत्कालीन गृहमंत्री, चौधरी चरण सिंह जी को स्पष्ट रूप से बताया था कि एक नहीं सैकड़ो आपराधिक मुकदमे मेरे विरुद्ध किये जायँ, मुझे कितना भी प्रताड़ित किया जाय, फिर भी मैं कभी किसी भी समय इन्दिराजी के विरुद्ध एक शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अंत:करण से और पूरी निष्ठा से यह जानता हूँ कि अंतिम समय तक ललितबाबू इन्दिराजी के प्रति वफादार रहे और इन्दिराजी भी उन्हें निरंतर हर परिस्थिति में समर्थन देती रहीं। मैं भी अपनी पूरी वफादारी इन्दिरा जी को लगातार देता रहा और इन्दिराजी मुझसे प्रभावित होती रहीं। हमारी कार्य प्रणाली, संस्कृति, स्पष्टवादिता एवं निर्भीकता के साथ सारी बातें कहने की हमारी हिम्मत से वे महसूस करती रहीं कि मैं ललितबाबू के छोटे भाई के रूप में उनके साथ वफादारी निभाने के साथ -साथ कठिन समय में भी उनके साथ निष्ठापूर्वक खड़ा रह सकता हूँ। इन्दिराजी अपने समर्थकों के प्रति अधिक स्नेहशील और संवेदनशील थीं। यह उनकी महानता का प्रतीक है। एक बार की बात याद आती है कि पटना हवाई अड्डा पर पर इंदिरा जी ने मेरे विरुद्ध कुछ कहने के

कारण कुछ नेताओं को जोर से 'चुप रहिये' कह कर ' जगन्नाथ जी बहुत मेहनत करते हैं' कहा था, जो निश्चय ही मेरे प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है।

मैंने अपनी सत्ता का सदुपयोग किया और झारखंड अर्थात् दक्षिण बिहार को आतंक, भय से मुक्त कराते हुए वहाँ शांति-प्रगति की जमीन तैयार करवायी। आमलोगो में सरकार के कार्यो के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। परन्तु इन अच्छाइयों के बावजूद प्रशासनिक ज्यादतियां अनियंत्रित होती गयीं और लोकतंत्र कुंठित होने लगा। आमलोगों में विरोधी पक्ष की ओर से यह प्रसारित किया जाता रहा कि भारत के लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में धीरे-धीरे जन-आक्रोश उत्पन्न होता गया। श्रीमती गांधी को जन आक्रोश होने की अनुभूति होने लगी। वे स्वयं इस पक्ष में नहीं थीं कि आपातकाल को ज्यादा दिनों तक चलाया जाय। संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आम चुनाव की मांग उठ रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनमें नेहरू परिवार की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता थी, स्वयं नही चाहती थीं कि भारत का लोकतंत्र बदनाम हो। इसलिए वह आपातकाल को आगे जारी रखने का विचार नहीं रखती थीं। संजय गांधी का वर्चस्व सरकार पर हो गया था। वे स्वभाव से लोकतांत्रिक विचारों से अधिक प्रभावित नहीं लगते थे। इसलिए वे आपातकाल की समाप्ति और नये सिरे से आम चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे। परन्तु इंदिरा जी जोखिम उठाना नहीं चाहती थीं। इसलिए जनवरी में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर आम चुनाव की घोषणा की, हालांकि सभी मुख्यमंत्री आपातकाल को जारी रखने के पक्ष में थे, आम चुनाव के पक्ष में नही थे। मुख्यमंत्रियों द्वारा आम चुनाव का विरोध करने के बावजूद इंदिरा जी ने आम चुनाव का मन बना लिया। धीरे-धीरे आपातकाल की गतिविधियों पर बंदिशें लगने लगीं। एकाएक जनवरी 1977 में आम चुनाव की घोषणा कर दी गयी। आम चुनाव में अपेक्षा के प्रतिकूल कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा और पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। इंदिरा जी और संजय गांधी दोनों पराजित हुए। बिहार में लोकसभा चुनाव के समापन पर 16 मार्च 77 को पटना हवाई अड्डे पर उनसे (श्रीमती

गांधी से) मैंने कहा, चुनावी सभाएं अच्छी हुई, लोगों की भीड़ उत्साहवर्धक थी, जीत हमारी होगी। परन्तु इंदिरा जी ने कहा- जगन्नाथ जी! सभाएं अच्छी हुई, उपस्थिति अच्छी हुई पर लोग हमारे नहीं थे। वह ऐसी राजनीतिक शूरवीर थीं कि उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि कांग्रेस पार्टी पराजित हो रही है एवं वे स्वयं भी पराजित हो सकती है। इस तरह इंदिरा जी लोकतांत्रिक थीं पर उन्हें अलोकतांत्रिक नेता बताने की कोशिशें की गयीं, जबकि वह ऐसी थीं नहीं जैसा उनका चरित्र विचार विरोध द्वारा प्रकट किया जाता रहा था।

जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपातकाल की ज्यादतियों की जांच 'शाह आयोग' का गठन हुआ। सम्पूर्ण देश में हुई ज्यादतियों का दस्तावेजी प्रमाण सभी अखबारों में प्रकाशित हुआ, परन्तु रिपोर्ट में बिहार में हमारे मुख्यमंत्रित्व काल की न कोई शिकायत, न किसी प्रकार की ज्यादती प्रमाणित हुई। यहाँ तक कि परिवार नियोजन में की गयी कथित ज्यादती के भी प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए। जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी तो उन्होंने अलग से बिहार के लिए न्यायमूर्ति दुर्गाप्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। विशेष कार्यक्षेत्र निर्धारित हुआ। आमलोगों से शिकायतें आमंत्रित की गयीं, परन्तु मेरे मुख्यमंत्रित्व काल की एक भी घटना का उल्लेख किसी भी आयोग में नहीं आया। फलस्वरूप श्री ठाकुर ने आयोग को विघटित कर दिया। आपातकाल के दौरान बिहार में सभी नेताओं/विरोधी दल के नेताओं को सुविधाएं प्रदान की जाती रहीं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आपातकाल के दौरान बिहार सरकार में ज्यादती नहीं हुई। कांग्रेस के भीतर के विक्षुब्ध व्यक्तियों ने हमारी शिकायतें इंदिरा जी के समक्ष कुछ इस प्रकार से भी कीं कि- जगन्नाथ जी उदार और संवेदनशील हैं। जब श्री जयप्रकाश जी जसलोक अस्पताल से मुक्त होने के बाद पटना आये तो उनकी चिकित्सा की पूरी व्यवस्था हमारी सरकार की ओर से की जाती रही। जयप्रकाश बाबू को चुनावी दौर में जाने के क्रम में कई बार हमसे स्वास्थ्य के आधार पर हवाई जहाज की मांग की थी जिसे मेरी सरकार ने उपलब्ध कराया था। कांग्रेस के विक्षुब्धों ने इंदिरा जी से यह शिकायत भी की थी। वर्ष 1975-76 की बिहार में आयी बाढ़ के समय श्री सत्येन्द्र बाबू

किसी इलाके में घिर गये थे। उन्हें हमारी सरकार के स्तर से सभी सुविधा उपलब्ध कराकर पटना वापस लाया गया। उनके पास गाड़ी नहीं रहने पर जब कभी भी इस सुविधा की मांग की तो हमारी सरकार ने उन्हें वह सुविधा प्रदान की क्योंकि मैं स्वयं भूदान आंदोलन और श्री जयप्रकाश जी के आंदोलन से प्रारंभ से ही जुड़ा रहा। हमारी हमदर्दी, सहानुभूति अन्य कार्यो के साथ थी। हालांकि हमारी इस सहानुभूति का गलत व्याख्या कांग्रेस के विक्षुब्ध नेताओं द्वारा लगातार इंदिरा जी से की जाती रही।

यहाँ मैं यह भी उल्लेख करना उचित समझता हूँ कि कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पिछली सरकार द्वारा नियुक्त 'मुंगेरी लाल आयोग' की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए किया था, जिसका तत्काल जनता पार्टी के अन्तर्गत जनसंघ इकाई के कैलाशपति मिश्र के साथ सत्येन्द्र सिन्हा के नेतृत्व में लगातार विरोध किया गया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से मैंने कर्पूरी जी की आरक्षण नीति का समर्थन किया। आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से सर्वसम्मत से एक फार्मूला तय किया गया जिसके अन्तर्गत 26% का आरक्षण सरकारी सेवा में सुनिश्चित हो। उसमें 12% अत्यन्त पिछड़ी जाति, 8% पिछड़े, 3% सवर्ण गरीब और 3% सभी जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। यह प्रावधान भी किया गया कि आरक्षण का लाभ उसी परिवार को मिले जो आयकर सीमा से नीचे है।

यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि पिछड़े वर्गो के उन्नयन, विकास के लिए कांग्रेस सरकार ने 'मुंगेरी लाल आयोग' गठित किया था। उस आयोग की रिपोर्ट हमारे नेतृत्व में 26 दिसम्बर, 1976 (हमारे मुख्यमंत्रित्व काल) में सौंप दी गयी। मुख्यमंत्री की हैसियत से मैंने उस निर्णय को स्वीकार करते हुए मंत्रिपरिषद् में उपस्थापित करने का आदेश दिया परन्तु उसके तुरंत बाद 18 जनवरी 1977 को लोक सभा चुनाव की घोषणा हो गयी जिसके फलस्वरूप आचार संहिता लागू हो जाने से आरक्षण लागू नहीं हो सका। आयोग की कार्रवाई स्थगित हो गयी। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मौका मिला। उन्होंने सर्वानुमति बनाकर इसकी अधिसूचना 10 नवम्बर, 1978 को

जारी की। लेकिन जनता पार्टी में आरक्षण का विरोध हुआ। जनसंघ सरकार एवं संगठन कांग्रेस की विक्षुब्ध इकाइयों द्वारा जनता दल के नेता कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर श्री ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। इसकी चर्चा पूर्व में भी मैंने इसप्रकार पिछड़े वर्गो में आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी करने की कीमत कर्पूरी जी को चुकानी पड़ी, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। 1978 के इस फैसला के बाद कर्पूरी जी के फार्मूला को लागू किया गया लेकिन इससे अति पिछड़ों की समस्या रह ही गयी। तत्पश्चात् 1991- 92 में श्री वी.पी. सिंह की सरकार द्वारा आरक्षण लागू करने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 16 नवम्बर, 1992 को इंदिरा सहनी बनाम अन्य बनाम केन्द्र सरकार में श्री वी.पी. सिंह की सरकार के फैसला को बरकरार रखते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण सीमा के अन्दर ही आरक्षण के योग्य सभी जातियों की सूची की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु उसके पश्चात् केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसला पर ठोस निर्णय के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। फलस्वरूप अति पिछड़ों की स्थिति मंडल कमिशन की सूची में अनदेखी कर दी गयी और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी सरकार ने अति पिछड़े की स्थिति को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निदेश का भी अनुपालन नहीं किया। 16 मार्च, 2000 को मैंने राज्य सभा में प्रश्न संख्या 303 द्वारा यह मुद्दा उठाया था। तत्पश्चात् भी केन्द्र सरकारों ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जबकि श्री मोदी की नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने आयोग-गठन करने का निर्णय लिया है कि अति पिछड़ी और आरक्षित पिछड़ी जातियाँ आरक्षण के लाभ से वंचित न रह जायँ।

केन्द्रीय सेवाओं में प्रधानमंत्री ने स्वयं महसूस किया है कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण समाज की विभिन्न जातियों को समान रूप से नहीं पहुँच रहा है। गहन परीक्षण और अध्ययन के उपरांत यह सुनिश्चित किया गया है कि जो जातियाँ प्रभावशाली और बहुसंख्यक हैं, उन्होंने धीरे-धीरे नियोजन और शिक्षा के क्षेत्र में अपने लिये अधिक सफलता हासिल की है। नतीजा यह है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों के परिवार आज भी केन्द्रीय स्तर पर आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। उनके लिए असमानता बढ़ती गयी है। आरक्षण

का लाभ सभी पिछड़ी जातियों को सुनिश्चित कराने के लिए पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अर्थात अलग-अलग पिछड़ा एवं अति-पिछड़ा के रूप में विभाजित करने के लिए गहन अध्ययन के लिए आयोग गठन करने का निर्णय सराहनीय है। केन्द्र सरकार ने महसूस किया है कि यह आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कराने के लिए पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अलग-अलग विभाजित किया जाय और उनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि लगभग समान स्तर का लाभ उस प्रकार के संबंधित वर्ग की सभी जातियों और उनके परिवारों को समान रूप से विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त हो सके। संबंधित वर्गों की प्रभावशाली जातियों और उनके परिवारों से इन जातियों के लोग प्रतिस्पर्धा से बच सकें और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त करना संभव हो। उच्चतम न्यायालय ने अपने मण्डल आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में कहा है कि आरक्षण सामाजिक न्याय का उपकरण है। निश्चित रूप से समाज के वंचित और शोषित समूह को न्याय मिलना चाहिये। आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए जो उसके हकदार हैं, न कि उन्हें जो सम्पन्नता के दायरे में आ चुके हैं। 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए सुनिश्चित हो परन्तु प्राथमिकता उन्हें दी जाय जो पिछड़ों में अत्यंत पिछड़ा हों।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में उप श्रेणियाँ बनने से ओबीसी की ताकतवर जातियों का आरक्षण एकाधिकार खत्म होगा और साथ ही मण्डल कमीशन और सामाजिक न्याय की भावना भी फलीभूत होगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के उप वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार के लिए आयोग गठन का निर्णय लिया है। यह आयोग अपने अध्यक्ष की नियुक्ति के 14 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। आयोग को जिम्मेदारी दी गयी है कि वह केन्द्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ की असमान भागीदारी की पड़ताल करे और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण का मानक क्या हो, उसकी वैज्ञानिक और तथ्यपरक कसौटी तय करे। सरकार के इस पहल की चतुर्दिक सराहना हो रही है और

माना जा रहा है कि अति पिछड़ी जातियों को शीघ्र ही उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का अधिकार मिल जायेगा। चूंकि इस पहल में किसी तरह का कानूनी अड़चन इसलिये नहीं है कि देश के कई अन्य राज्यों में, मसलन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, हरियाणा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस तरह का वर्गीकरण पहले हो चुका है और अति पिछड़ी जातियों को उसका लाभ मिल रहा है। गौर करें तो मण्डल कमीशन का उद्देश्य भी यही था कि अन्य पिछड़े वर्ग की सभी जातियों को उनकी आबादी के अनुरूप भागीदारी मिले।

मण्डल आयोग के मुताबिक पिछड़ी जातियाँ भारतीय जनसंख्या के आधे से ज्यादा हिस्सा थी। मण्डल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवा में 27 प्रतिशत आरक्षण की भागीदारी की सिफारिश की गयी। उल्लेखनीय है कि भारत में अनुसूचित जाति-जनजाति को आजादी के बाद से ही 22.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था। 13 अगस्त, 1990 को मण्डल आयोग की अधिसूचना जारी हुई जिसका विरोध हुआ और न्यायालय में चुनौती भी दी गयी। लेकिन 16 नवम्बर, 1992 को सर्वोच्च अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में मण्डल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले को सही ठहरा दिया। साथ ही अदालत ने आरक्षण की सीमा भी 50 प्रतिशत तय कर दी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण तो सुनिश्चित हो गया लेकिन उसका सर्वाधिक फायदा ओबीसी की ताकतवर जातियों को हुआ; आज भी अति पिछड़ी जातियाँ आरक्षण के वाजिब अधिकार से वंचित हैं। ऐसे में अति पिछड़ी जातियों के बीच असंतोष पनपना स्वाभाविक था।

उल्लेखनीय है कि बी॰पी॰ मण्डल कमीशन के एक सदस्य एल॰आर॰ नायक ने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का उसी समय यह कहकर विरोध किया था कि यदि छोटी मछली को बड़ी मछली के साथ रख दिया जायेगा तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जायेगी। उनकी सामाजिक शंका थी कि ओबीसी ताकतवर जातियाँ अति पिछड़ी जातियों के उनका वाजिब हक नहीं मिलने देंगी। इसीलिए उन्होंने 7वें खण्ड के पत्र में संस्तुति करते हुए लिखा कि-'मण्डल

कमीशन द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए संस्तुत/अनुशंसित किये गये 27 प्रतिशत आरक्षण में 12 प्रतिशत मध्य पिछड़ी जातियों अर्थात् कृषक जाति जैसे यादव, कुर्मी, गुर्जर, काछी, लोधा तथा 15 प्रतिशत परंपरागत पेशेवर दस्तकार एवं सेवक जातियों जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, धीमान, पांचाल, नाई और कहार आदि के लिए लागू किया जाना अनिवार्य, संवैधानिक और न्यायसंगत है।' लेकिन विडम्बना यह है कि एल॰आर॰ नायक के सुझाव को दरकिनार कर दिया गया। नतीजा उनकी सामाजिक शंका सच साबित हुई। आज देश भर की 25. 56 प्रतिशत अति पिछड़ जातियाँ ओबीसी की ताकतवर जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के मुकाबले बेहद कमजोर हैं और उनके हिस्से के आरक्षण को पचा रही हैं। इसका एक कारण यह भी है कि अति पिछड़ी जातियों का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर और शून्य रहा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि केन्द्र की सरकार ने उनके अधिकारों की चिन्ता की है और साथ ही पिछड़ा वर्ग में उप श्रेणियाँ बनाने की पहल 70 के दशक में बिहार की तत्कालीन कर्पूरी ठाकुर सरकार ने की। तब अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में आरक्षण देने के लिए अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 की व्यवस्था की गयी। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति एवं अति पिछड़ी जाति (ईबीसी) के रूप में बांटा गया। ईबीसी में वे जातियाँ शामिल की गई जो ओबीसी में शामिल दूसरी जातियों की तुलना में बेहद पिछड़ी थीं। हालांकि धीमे स्वर में इसका विरोध हुआ, लेकिन इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सका। इसलिए कि सर्वोच्च अदालत ने इन्द्रा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में 16 नवम्बर, 1992 के अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य में पिछड़ी जातियों का पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकरण करने पर कोई संवैधानिक एवं कानूनी रोक नहीं है। यदि सरकार चाहे तो पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण कर सकती है। यहाँ ध्यान देना होगा कि 1990 के दशक में मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद ही अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की नयी व्यवस्था की माँग उठती रही है। मण्डल कमीशन की नीतियों के लागू होने के बाद ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित हुआ। किन्तु यह किसी से छिपा नहीं है कि कुछ ताकतवर ओबीसी जातियाँ ही आरक्षण का सर्वाधिक

फायदा उठाने में सफल रही हैं। सरकार के पास ऐसी शिकायतें लगातार आती रही हैं कि ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ जातियों तक सिमटकर रह गया है। यदि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण हासिल है। किन्तु उसमें अति पिछड़ी जातियाँ, जिनकी जनसंख्या पिछड़ी जातियों मे तकरीबन 33 प्रतिशत है, को वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। अति पिछड़ी जातियों को वाजिब आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी आबादी के अनुसार कोटा दिया जायेगा।

दिनांक 16 मार्च, 2000 को मेरे द्वारा राज्य सभा में इसको विभाजित करने के लिए उठाये गये प्रश्न संख्या-303 का जवाब देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था **''सभापति महोदय माननीय सदस्य की यह शिकायत सही है कि जिस समिति के गठन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, उसके गठन में विलम्ब हुआ है। हम उसका शीघ्र गठन कर सारे मामलों को सौंपने के लिए तैयार हैं।''** श्री वाजपेयी की उसी घोषणा के अनुपालन के लिए श्री मोदी ने राष्ट्रपति से इस विभाजन के लिए आयोग गठित करने की अनुशंसा की है। यह विस्मयकारी है कि आजतक सम्पूर्ण भारत में सामाजिक न्याय की बातें काफी जोरों से उठायी तो जा रही हैं और इसी के नाम पर सरकारें भी चल रही हैं, परन्तु गरीब पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग अभीतक आरक्षण के लाभ से केन्द्रीय स्तर से वंचित हैं। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत का विभाजन पिछड़ा एवं अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ों के बीच वर्गीकरण किया जाय और 27 प्रतिशत आरक्षण को विभक्त कर आबादी के अनुपात में लाभ दिया जाना चाहिये। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी द्वारा दिये गये आश्वासन का अनुपालन श्री मोदी जी द्वारा हो रहा है। यह निश्चित ही वंचित वर्गों के लिए लाभकारी होगा।

मैंने प्रधानमंत्री से अपील की कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत का लाभ पिछड़ा एवं अपेक्षाकृत पिछड़ों के बीच वर्गीकरण की आबादी के अनुपात में दिया जाय। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद भी अभीतक सभी राजनीतिक दलों का आचरण अत्यंत दुखदायी और सामाजिक

न्याय के विरुद्ध है जबकि इस बीच कांग्रेस, वामपंथी, भाजपा, जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एवं जद (यू॰) की सरकारें 1992 से अबतक रही हैं। परंतु किसी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण नहीं किया है, क्योंकि मध्यवर्गीय पिछड़े वर्ग का नेतृत्व सभी दलों एवं सरकारों पर हावी है।

प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास के साथ करने का संकल्प लिया है तो सम्पूर्ण भारत के पैमाने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियों के आधार पर एवं जरूरतमंद लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुँचाने के लिए केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त 27 प्रतिशत आरक्षण का विभाजन पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में किया जाय जैसी व्यवस्था बिहार, तमिलनाडू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा महाराष्ट्र में राज्य सरकारों द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य स्तर पर आरक्षण की गयी है।

अब जब आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित हो जायेगा तो आरक्षण का ज्यादा फायदा उठा रहीं जातियों का एक सीमित कोटा निर्धारित हो जायेगा और उनका वर्चस्व सीमित होगा। साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए उनकी आवादी के अनुरूप कोटा तय कर दिया जायेगा। इससे सरकारी सेवाओं और संस्थानों में अति पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। पिछले दिनों एक रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ कि केन्द्रीय कर्मचारियों में मात्र 12 प्रतिशत ओबीसी हैं। इनमें भी अधिकांश लाभ इस वर्ग की मजबूत जातियों को मिला है।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तरह प्रविष्ट कराना जरूरी है. अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण सुरक्षित करने के उद्येश्य से ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है और इसे भी अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण की तरह सम्मिलित करने का उद्येश्य है। अब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण पूर्णतः संवैधानिक होगा। वर्तमान समय में पिछड़ा वर्ग आयोग मण्डल आयोग की अनुशंसा लागू किये जाने पर पिछड़े वर्गों की जातियों को आरक्षण

की सूची में जोड़ने या घटाने का अधिकार था। उसे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तरह आरक्षण की शिकायतों का निराकरण का अधिकार नहीं था। इस नये संशोधन से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की तरह ही अन्य पिछड़ी जाति का आरक्षण सुनिश्चित होगा और शिकायतों का निपटारा करने में भी सक्षम होगा। नये संशोधन से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों को संरक्षण दिया जाने वाला है। इसे लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं कर प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। यह प्रमाणित करता है कि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण में संवैधानिक संरक्षण देने के बजाय राजनीति करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है।

123वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले लाभ इस प्रकार है:- (क) संविधान के अंतर्गत या किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदान किये गये सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मामलों की जाँच करना और मॉनीटर करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना। (ख) पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधी विशेष शिकायतों की जाँच करना। (ग) पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ या किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति की समीक्षा करना। (घ) राष्ट्रपति को इन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर वार्षिक रूप से या किसी ऐसे अन्य समय में, जिसे आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। (ङ) उन उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्ट या सिफारिशें करना जो पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए, उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी राज्य या संघ सरकार द्वारा किये जाने चाहिये। (च) पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सुरक्षा, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को करना, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के किसी कानून द्वारा या किसी नियम द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ

भी दी गयी हैं जो विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में होगी:- (क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर परीक्षण करने। (ख) किसी दस्तावेज की तलाश करवाने और उसे पेश करवाने। (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेने। (घ) किसी भी अदालत अथवा कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करने। (ङ) साक्षियों और प्रलेखों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करने तथा (च) अन्य कोई मामला जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें।

लोकसभा द्वारा पिछड़े वर्गों को आरक्षण सुरक्षित करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजति को जिस तरह का प्रावधान है वैसा ही प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए भी किया जा रहा था। अगस्त 1990 और सितम्बर 1991 में मंडल आयोग की अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुरक्षित कराने के उद्देश्य से जो अधिसूचना जारी की गयी थी, उस अधिसूचना को संविधान के अंतर्गत समाहित नहीं किया गया था, इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनिश्चितता बनी रही है। आरक्षण के निराकरण करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों के आयोग का गठन हुआ था, पर उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। आरक्षण की शिकायतों की सुनवाई, निराकरण का अधिकार इस आयोग को नहीं था। यह आयोग केवल पिछड़ी जाति की सूची में नाम डाल या हटा सकता था। संविधान के 65वें संशोधन से अनुसूचित जाति और जनजाति को जो शक्तियाँ दी गयी हैं वैसी ही शक्तियाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 65वें संशोधन विधोयक की तर्ज पर 123वाँ संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हुआ है। परन्तु यह विस्मयकारी है कि राज्यसभा में राजनीतिक दलों ने आरक्षण के पक्षधर होने के बावजूद 123वाँ संशोधन को पारित न कराकर प्रवर समिति को देने का निर्णय लिया है। विपक्षी दलों का यह आचरण यह प्रमाणित करता है कि वे आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध नहीं, बल्कि वे आरक्षण को केवल राजनीतिक स्वार्थ का मुद्दा बनाये रखना चाहते हैं। श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तर्ज पर ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित व स्थायी कर पूर्ण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस नये संविधान संशोधन से सभी आरक्षण संबंधी समस्याओं का निराकरण

होगा जो भी कठिनाई व शिकायतें होगी इस नवगठित राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से निष्पादित हो जायेगा। अत: अभी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अगर आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वे राज्यसभा से 123वाँ संशोधन विथेयक पारित करावें।

भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की यह मिसाल है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा लगायी गयी 50 प्रतिशत की सीमा बकाया आरक्षित पदों पर लागू नहीं होगी। पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थान पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने और उसे संवैधानिक दर्जा देने से यह प्रमाणित होता है कि पूर्व में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में संशोधन कर प्रावधान किया था कि 50 प्रतिशत की सीमा बकाया रिक्तियों पर लागू नहीं होगी। दूसरा संविधान के अनुच्छेद 335 में संशोधन कर यह प्रावधान किया कि सरकार दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने में योग्यता को शिथिल कर सकती है। तीसरा आरक्षित पदों के प्रोन्नति में आरक्षण उनकी वरीयता के साथ की जा सकती है। इन तीनों संशोधनों और अभी के निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि केन्द्र सरकार आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। उच्चतम न्यायालय के 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में 25 सितम्बर, 1992 को जारी आरक्षण अधिसूचना को संवैधानिक करार देते हुये कहा गया था कि सिर्फ सुखी सम्पन्न (क्रीमीलेयर) लोगों को आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाय और पिछड़ा अपेक्षाकृत अति पिछड़ा में 27 प्रतिशत का आरक्षण इनकी आबादी के अनुपात में दिया जाय।

जैसा कि मैं आपातकाल की कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा था उसी संदर्भ में यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि आपातकाल में अधिशेष भूमि, भूदान यज्ञ की भूमि, भू-हदबंदी के तहत पड़ने वाली भूमि के वितरण का कार्य भी केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा गया था। बिहार में मेरे मुख्यमंत्रित्व काल की अवधि में भू-धारियों को अपनी अधिशेष जमीन स्वेच्छया अर्पित (सेल्फ सरेंडर) करने का विकल्प प्रदान किया गया। जैसा पहले कह चुका हूँ मधुबनी जिला सहित पूरे बिहार में ऐसी स्वेच्छया अर्पित (सेल्फ सरेंडर) की गयी जमीन वितरित की गयी। इसके साथ ही सभी मंत्रियों और विधायकों को

अपने-अपने क्षेत्र में वितरित सिंचित जमीन में 1 जुलाई, 1976 को हल चलाने का निर्देश दिया गया और उन्होंने उस निर्देश को क्रियान्वित किया। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम का भी अनुपालन हुआ। मुझे इससे खुशी हुई, क्योंकि प्रारंभिक दिनों से ही मेरी गहरी अभिरुचि भू-हदबंदी में, भूमि वितरण में थी। काँग्रेस नीत केन्द्र सरकार और बिहार सरकार अच्छे समन्वय के साथ चल रही थी, आपातकाल में।

1 जुलाई, 1976 को रहिका (मधुबनी)प्रखंड के सम्भूआर गाँव में एवं झंझारपुर के लोहिना में तत्कालीन जिलाधिकारी, एन०एन०सिंह द्वारा इसका मुआयना करने के लिए मुझसे आग्रह किया गया। मैंने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 जुलाई, 1976 को भूमिहीनों में वितरित की गयी जमीन के सम्भूआर स्थित सिंचित एक प्लाट में लाभार्थियों का कब्जा सुनिश्चित करने के लिए भूमिहीन द्वारा धान के पौधे रोपे जाने के लिए स्वयं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री बच्चा ठाकुर के साथ हल चलाया। उसके बाद गाँव में ही इस खेत से सटे एक स्थल पर आम सभा हुई। इससे दो बातें सामने आयीं- पहली बात तो भूमिहीन को प्रत्यक्षतः कब्जा दिलाना, दूसरी- आम सवर्णो को भी, जो खुद हल नहीं चलाते थे, उन्हें भी अपने-अपने खेतों में हल चलाने की ओर उत्साहित, प्रेरित करना। इसे बाद में आम जनता ने एक सामाजिक क्रांति का नाम दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण बिहार के सवर्ण लोगों में कृषि-कार्य क्षेत्र के लिये इस क्रांति के संदेश का सदुपयोग हुआ।

1977 में लोक सभा निर्वाचन के बाद कांग्रेस की स्थिति अत्यंत कमजोर बन गयी। लोक सभा के 54 में से एक भी स्थान पर कांग्रेस की जीत संभव नहीं हुई। यहाँ तक कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी को भी पराजित होना पड़ा। ऐसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना काफी कठिन था। मोरारजी देसाई की सरकार केन्द्र में बनने के बाद 8 कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को 30 अप्रैल, 1977 को बर्खास्त कर दिया गया। जून, 1977 में विधान सभा चुनाव में जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस पार्टी को 57 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, जबकि उसी वर्ष के लोक सभा चुनाव में जीत शून्य थी। हमारे समर्थकों के अलावा कांग्रेस संगठन के लोगों की सक्रियता के परिणामस्वरूप

ही 57 सीटों पर विजय हासिल की थी। उन 57 विजयी सदस्यों में से दो तिहाई से अधिक सदस्यों का समर्थन मुझे प्राप्त था। इसलिए स्वभाविक रूप से मुझे ही बिहार विधान मंडल में प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिये था। मैंने राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित समझा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस की पराजय हुई थी, लोगों की नाराजगी हमारे विरुद्ध रह सकती है। इसीलिये पार्टी के व्यापक हित में स्वयं विधान मंडल का नेता नहीं बनकर मैंने श्री रामलखन सिंह यादव को नेता बनाया, जबकि विधान मंडल के अधिकांश सदस्य इसके लिए सहमत नहीं थे। मैंने रामलखन बाबू से विचार-विमर्श किया कि कांग्रेस के अधिक सदस्य मुझे नेता बनाना चाहते हैं, किन्तु मैं आपको नेता बनाना चाहता हूँ। श्री सीताराम केसरीजी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त था। मेरी यह सोच थी कि पार्टी की एकता बनाये रखने हेतु श्री रामलखन बाबू विधान मंडल के नेता हों तथा मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाय। श्री केदार पाण्डेय, श्री रामलखन बाबू तथा कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी इस प्रस्ताव पर आम सहमति बनी। मैंने श्री रामलखन बाबू को बिहार विधान मंडल दल का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया, दल ने इसे स्वीकार किया। इस प्रकार श्री रामलखन बाबू विधान मंडल दल के नेता बने। किन्तु, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के समय श्री रामलखन बाबू, श्री केदार पाण्डेयजी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरे साथ किये गये वायदे को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया था। श्री केदार पाण्डेयजी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में सहमति बनाने का प्रयास किया जाने लगा। उनके नाम की घोषणा की गयी। परन्तु, मेरे सभी समर्थक मुझे ही उम्मीदवार बनाने के लिए दृढ़ निश्चय थे। वे मुझे ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। प्रदेश कांग्रेस कमिटी में भी हमारे पक्ष में बहुमत था। इस कारण हमारी जीत सुनिश्चित मानी जाती थी। परंतु, इसी बीच पं० कमलापति त्रिपाठीजी द्वारा मुझे टेलिफोन पर संदेश दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके (त्रिपाठीजी) कहने पर मुख्यमंत्री पद के चुनाव के अवसर पर श्री केदार पाण्डेयजी ने विधान मंडल दल के नेता पद की उम्मीदवारी वापस ली थी। इसलिये उन्होंने मुझे श्री केदार पाण्डेय के पक्ष में सहमत होने के लिए कहा।

श्री त्रिपाठीजी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और हमारे अभिभावक रहे। उनके कहने पर ही मैंने प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी वापस ली और श्री केदार पाण्डेयजी को अध्यक्ष निर्वाचित कराया। हालाँकि, मुझे इस बात से सदमा अवश्य लगा। मैंने कांग्रेस के व्यापक हित में अपने पक्ष में दो तिहाई समर्थन रहने के बावजूद श्री रामलखन बाबू को नेता स्वीकार किया था। उस मौके पर आंतरिक सहमति बनी थी कि मुझे अध्यक्ष का पद दिया जायेगा। किन्तु, उस सहमति के बावजूद मैंने श्री रामलखन बाबू को नेता तथा श्री केदार पाण्डेयजी को अध्यक्ष स्वीकारा और उन्हें अपना समर्थन व सहयोग दिया। इसी बीच जनता पार्टी शासनकाल में 'बेलछी' के सामूहिक नरसंहार की घटना में मध्यवर्गीय पिछड़ी जातियों के लोगों द्वारा दलितों की सामूहिक हत्या की गयी। इस घटना ने संपूर्ण राष्ट्र को उद्वेलित कर दिया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी लोकसभा चुनाव के बाद काफी उदास हो गयी थीं। बिहार की ओर से उन्हें इस घटना को देखने के लिए आमंत्रित किया गया। दलितों, गरीबों एवं पिछड़ों के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध नेता श्रीमती गांधी बिहार आयीं और 'बेलछी' गयीं। फिर से संपूर्ण राष्ट्र में उनकी वापसी का संदेश गया। मैं भी उस दौरे में लगातार उनके साथ था। मार्च 1977 में कांग्रेस की पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर इन्दिराजी के प्रति आक्रोश एवं नाराजगी व्यापक रूप से व्याप्त थी। कुछ वरीय कांग्रेसी नेताओं द्वारा अनर्गल बयान भी दिये जाने लगे थे। नेताओं ने आरोप लगाया था कि केवल इन्दिराजी इस पराजय के लिए जिम्मेवार हैं, जबकि आरोप लगानेवाले सभी नेताओं ने इन्दिराजी से किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त किया था। श्रीमती गांधी द्वारा मनोनीत अध्यक्ष श्री देवकांत बरुआ ने भी उनके विरुद्ध एक अभियान प्रारंभ कर दिया था। लोक सभा चुनाव के बाद कांग्रेस कार्य समिति की प्रथम बैठक में श्रीमती गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया था। उस बैठक में श्री सीताराम केसरी और मैंने बैठक के प्रारंभ में ही प्रश्न उठाया कि बगैर श्रीमती इन्दिराजी के बैठक नहीं हो सकती। बेवश होकर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ जी ने श्रीमती गांधी को आमंत्रित किया। लोकसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद से श्री बरुआजी त्यागपत्र दे चुके थे। इसी कारण सरदार स्वर्ण सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किये गये। किन्तु, मुख्य

रूप से श्री देवकांत बरुआ, श्री स्वर्ण सिंह, श्री सिद्धार्थ शंकर रे जैसे लोगों ने लगातार श्रीमती गांधी के विरुद्ध अभियान जारी रखा।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री स्वर्ण सिंह के स्थान पर नियमित अध्यक्ष पद का चुनाव अक्टूबर, 1977 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में हुआ। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को अध्यक्ष के लिए समर्थन दिया। श्री बरुआजी ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। इन्दिराजी के समर्थन से श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु यह दुर्भाग्य रहा कि अध्यक्ष बनने के बाद ही श्री रेड्डीजी, विरोधी नेताओं के प्रभाव में आकर श्रीमती गांधी के विरुद्ध आचरण करने लगे। श्रीमती गांधी की गतिविधियों को सीमित व कमजोर करने का प्रयास कांग्रेस के भीतर लगातार होता गया। श्रीमती गांधी को अपमानित किया गया। लोक सभा चुनाव में पराजित होने के बाद भी उनका नेतृत्व कांग्रेस में स्थापित था। कुछ बड़े नेताओं को छोड़कर शेष सभी कार्यकर्ताओं और राज्यों के राजनेताओं का समर्थन इन्दिराजी के पक्ष में लगातार बना रहा। अध्यक्ष श्री रेड्डी ने श्रीमती इन्दिराजी की गतिविधियों पर पाबंदी लगायी। कांग्रेस पार्टी के राज्य व केन्द्र के बहुसंख्यक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने इन्दिराजी पर दबाव बनाया कि वे स्वयं नेतृत्व संभालें और कांग्रेस को पुनर्जीवित करें। राष्ट्र में उनका समर्थन था। हमारे जैसे बड़ी संख्या में राज्य स्तरीय कांग्रेस नेताओं तथा केन्द्रीय नेताओं ने श्रीमती गांधी पर दबाव बनाया कि वह यथाशीघ्र अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्यों का अधियाचना द्वारा अधिवेशन आहूत करावें। 31 दिसम्बर, 1977 तथा 1 जनवरी, 1978 को द्वि-दिवसीय अधिवेशन तत्कालीन अध्यक्ष श्री रेड्डी को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए आयोजित किया गया। श्री विठ्ठल भाई पटेल प्रांगण में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक की गयी। बैठक में दो तिहाई से अधिक निर्वाचित सदस्य श्री रेड्डी को अध्यक्ष पद से हटाने के पक्ष में गये और श्रीमती गांधी को पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया। यह कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। पहला विभाजन 1969 में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में बम्बई में तथा दूसरा 1 जनवरी, 1978 को दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस राज्य व केन्द्र स्तर पर दो भागों में बंट गयी। बिहार में श्री रामलखन बाबू, श्री अब्दुल गफूर ने श्री रेड्डी का

साथ दिया। अध्यक्ष, श्री अब्दुल गफूर को केदार पाण्डेय की जगह पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। विधान सभा में नेता श्री रामलखन बाबू बने रहे। उसके बाद कांग्रेस विधान मंडल में विभाजन हो गया। 56 सदस्यों में से 43 सदस्य इन्दिराजी के साथ रहे। इस प्रकार विधान मंडल दल के नेता का पद रिक्त हो गया। 43 सदस्यों में से अधिकांश सदस्य मुझे नेता पद के लिए निर्वाचित करना चाहते थे। श्री केदार पाण्डेय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। वे मुझे नेता नहीं बनने देना चाहते थे। मामला श्रीमती गांधी के पास गयी। उन्होंने निर्वाचन के आधार पर निर्णय करने को कहा। नेता पद के लिए मेरे विरुद्ध श्री पाण्डेयजी ने श्री बुद्धदेव बाबू को उम्मीदवार घोषित किया। किन्तु, अंतत: दो-तिहाई मत से मेरी जीत हुई। नेता निर्वाचित होने के बाद मैं बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष बना। 1977 लोक सभा चुनाव के बाद एक तरफ तो कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में थी और दूसरी ओर कांग्रेस विभाजन के बाद कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए मैं तथा श्री केदार पाण्डेयजी ने सम्मिलित रूप से प्रभावकारी अभियान चलाया। हम दोनों ने अन्य नेताओं के साथ पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य का व्यापक दौरा प्रारंभ किया। मार्च, 1978 से लेकर दिसम्बर, 1979 तक राज्य के सभी 587 प्रखण्डों का सघन दौरा किया गया। सभाएँ एवं गोष्ठियाँ आयोजित की गयी। कांग्रेस के प्रति पुन: जनाधार एवं विश्वास अर्जित किया।

अपने मुख्यमंत्रित्वकाल की एक घटना बरबस ही आज याद आ जाती है,जो झारखंड से सम्बन्धित है। श्री शिबू सोरेन हजारीबाग जिला के नेमरा (गोला)से सम्बन्ध रखते हैं। युवाकाल से ही वे आदिवासियों के बीच सामाजिक सुधारों और भूमि सम्बन्धी अधिकारों का आंदोलन चलाते रहे थे। उनकी प्रारंभिक राजनीतिक पाठशाला, कहें तो धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड के पोखरिया गांव में थी। यह गांव धनबाद-गिरीडीह रोड के बगल में पड़ता है और धनबाद से 40 कि०मी० की दूरी पर है। पोखरिया आश्रम से भू-धारियों, सूदखोरों, शराब के गुप्त कारोबारियों के विरुद्ध श्री सोरेन फरमान जारी किया करते थे। वे आतंक के पर्याय माने जाते थे। सम्पूर्ण झारखंड में एक प्रकार से पिछली शताब्दी के तीन दशकों तक श्री सोरेन जो आंदोलन करते थे, उससे

झारखंड में विधि-व्यवस्था की स्थिति नाजुक सी हो गयी थी। 1976 में आपातकाल के दौरान अनेक आपराधिक मामले श्री सोरेन के विरुद्ध विचाराधीन थे। इस कारण से वे जंगलों में छिप कर आंदोलन किया करते थे। उनमें नेतृत्व की क्षमता काफी अच्छी थी। उनमें वहाँ के आदिवासियों को किसी भी प्रकार के अत्याचार से बचाने की उत्कंठा सदैव रही। इसी कारण वे शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया करते थे, जिसके कारण वहाँ के आदिवासियों एवं निवासियों में उनकी छवि लगातार अच्छी बनती गयी। मुझे भी विश्वास होने लगा कि इस व्यक्ति में अनेक क्षमताएँ एवं संभावनाएँ हैं। अगर इस व्यक्ति को प्रशासनिक तौर पर सहायता प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में लाया जाय तो इनके माध्यम से आदिवासियों की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। इसीक्रम में धनबाद के तत्कालीन उपायुक्त, श्री के०बी० सक्सेना ने मुझे सूचित किया कि श्री सोरेन विभिन्न आपराधिक मामलों में अभियुक्त रहने के कारण ही समाज की मुख्य धारा में आने से हिचकते हैं। इसलिये श्री सक्सेना ने मुझसे अनुरोध किया कि अगर श्री सोरेन को गिरफ्तारी के भय से मुक्त किया जाय तो वे प्रत्यक्ष रूप से मेरी उपस्थिति में मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में 1976 में जो आपातकाल का दौर था, श्री लक्ष्मण शुक्ला, धनबाद के तत्कालीन उपायुक्त ने श्री सोरेन की मुलाकात मुझसे बोकारो में करायी और मैंने उन्हें मुख्य धारा में शमिल होने के लिए आमंत्रित किया। उनको मैंने पूर्णत: आश्वस्त किया कि उनपर चलाये जा रहे आपराधिक मामलों को सरकार की ओर से शिथिल किया जा सकता है। उन्हें गिरफ्तारी के भय से मुक्त करने का भी आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया। मेरी इस मुलाकात के बाद श्री सोरेन संतुष्ट हुए एवं उत्प्रेरित होकर आदिवासियों के उत्थान के लिए इस दिशा में अपने कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। इसीक्रम में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अधिक सक्रिय और प्रभावकारी बनाया। इस प्रकार पूरे संथाल परगना में उनके दल की सक्रियता और प्रभाव लगातार बढ़ता गया। मैंने उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से करायी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उनके निश्छल स्वभाव और विचारों से प्रभावित थीं। उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि श्री सोरेन और उनकी पार्टी से काँग्रेस पार्टी की निकटता बढ़ायी जाय।

1977 में विधान सभा और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई थी। काँग्रेस संगठन को पुनर्संगठित करने और इसके पुनर्जागरण के लिए मैंने पूरे अविभाजित राज्य के सभी 587 प्रखंडों का 1977 की जनवरी से 1980 तक सघन रूप से 50 हजार कि०मी० का दौरा करके व्यापक रूप से जन अभियान चलाकर श्रीमती गांधी के विचारों को प्रचारित किया था। उनके विचारों और आदर्शों से समाज में भी 1976 में जागृति उत्पन्न हुई। श्री सारेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। इसे 1980 के विधान सभा चुनाव में मैंने काँग्रेस को सुधारने के लिए झारखंड मोर्चा के साथ चुनावी गठबंधन करने का सुझाव श्रीमती गांधी को दिया था। श्री शिबू सोरेन श्री केदार पाण्डेय के साथ मेरी एक बैठक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ नई दिल्ली में हुई और काँग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी गठबंधन निर्मित हुआ। काँग्रेस-झामुमो मोर्चा से चुनावी गठबंधन में काँग्रेस को लाभ मिला। काँग्रेस की मदद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 सदस्य विधान सभा में निर्वाचित हुए। बाद में श्री सोरेन के साथ वैचारिक मतभेद होने के कारण वे काँग्रेस से अलग होते गये। इन तथ्यों के आलोक में यह सुस्पष्ट है कि श्री सोरेन की नेतृत्ववाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की निष्ठा और इसका प्रभाव मेरे साथ हुई वार्ता के बाद से ही बढ़ा। श्री शिबू सोरेन के प्रति खासकर उनके जुझारूपन के प्रति और वहाँ के संकटग्रस्त आदिवासियों को उनके द्वारा जाग्रत करने के प्रयासों के प्रति मेरे मन में जो समाजवादी चेतना जगी, उसी के परिणामस्वरूप मेरे शासन ने उन्हें उनके नेक कार्यो में सहयोग भी प्रदान किया। मुझे यह कहते हुए झिझक नहीं है कि राष्ट्र की मुख्यधारा में आने के बाद भी कुछ अतिवादी कदम उठाने पर उद्यत होते थे तो नि:संकोच अपने प्रशासन से उन्हें सलाह के साथ कानून-व्यवस्था अपनाने की सलाह भी दिलवायी जाती थी। इसीक्रम में जब लक्ष्मण शुक्ला, धनबाद के डी०सी० थे, तो उस समय श्री सोरेन के विरुद्ध निरोधक क्रियाएँ (Preventive action) करना अनिवार्य हो गया था। सचमुच झारखंड में इन प्रयासों से आम जीवन अमन-चैन में रहा।

सारांशत: अपनी सत्ता का सदुपयोग सोरेन को मुख्यधारा में लाने में किया और झारखंड अर्थात् दक्षिण बिहार को आतंक, भय से मुक्त कराते हुए

वहाँ शांति-प्रगति की जमीन तैयार करवायी। इसीक्रम में मैं यह भी कहना नहीं भूल पाता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार में जब मैं नेता विरोधी दल(जून-1977 से दिसम्बर-1979) था, तो झारखंड में केन्दूपत्तों (बीड़ी बनाने में उपयोग के पत्ते)के आदान-प्रदान में ठीकेदारों और बिचौलियों द्वारा आदिवासियों पर जो जोर-जबर्दस्ती और घोर शोषण चलता था, उसके विरुद्ध जोरदार आवाज विधान सभा में उठायी, विधान सभा के अन्दर और बाहर प्रेस वक्तव्य भी दिये। फलस्वरूप बहुत दूर तक शोषण पर नियंत्रण पाया जा सका। मेरे ही विरोध के कारण झारखंड में आदिवासियों की शिक्षा के लिए अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वयस्क शिक्षा की अधिकाधिक परियोजनाएँ भी खुलवायीं। अन्यान्य कार्यों जैसे विद्युत्, सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन, ढांचागत संरचना, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना एवं झारखंड के कोयले समेत अन्यान्य खदानों की रॉयेल्टी के लिए संघर्ष, औद्योगीकरण के लिए उठाये गये कदमों आदि के लिए झारखंड में 1976 से 1990 तक की अवधि में अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में जो कदम उठाये उससे आज तक मुझे जो आदर और सम्मान झारखंड से मिलता है, उससे कभी-कभी मैं आज भी अभिभूत हो जाता हूँ। यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैसे बेलछी कांड में अपदस्थ होने के बाद इंदिरा जी ने 1978 के अप्रैल में पहली बार बिहार आकर पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया था वैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने (जब मैं नेता विरोधी दल था) 2 अक्टूबर 1978 को मुरहाबादी मैदान, रांची में आदिवासियों समेत अन्य जन साधारणों की विशाल जन-सभा को भी सम्बोधित किया था। 3 अक्टूबर को जमशेदपुर में भी एक हादसा में सहानुभूति प्रदान करने गयी थीं तब भी उनके साथ मैं था। समय-समय पर ऐसी घटनाएँ मुझे याद आती रहती हैं और झारखंड के प्रति एक अभिन्नता लगती है।

इसी क्रम में मुझे एक बात याद आती है कि जब काँग्रेस के आलाकमान नेतृत्व की राँची के मोराहाबादी मैदान में आदिवासियों को सम्बोधित करने के लिये 1987 में सभा आयोजित की गयी थी, तो ठीक उसी दिन गोड्डा में मुझे भी एक आयोजन में सम्मिलित होने के लिये अनुरोध किया गया था और मैंने भी वहाँ के आदिवासियों को सम्बोधित किया था। ये खबरें

संभवत: वर्ष 1987 के समाचार पत्रों में छपी थीं। उन खबरों से सचमुच मेरा आत्मबल बढ़ा था और नेतृत्व में भी प्रभावोत्पादक बढ़ोतरी हुई थी। इससे मुझे संतोष और हर्ष का अनुभव हुआ था। तब मैं सत्ता में नहीं था।

यहाँ इसी क्रम में यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि हमारी ही सरकार में छोटानागपुर-संथाल परगना के आदिवासियों में संतोष और विश्वास उत्पन्न करने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई कल्याणकारी कदम उठाये गये। उनमें से मुख्य निम्न हैं-(1) छोटानागपुर- संथाल परगना की जनता की प्रत्यक्ष साझेदारी और सहभागिता विकास की योजनाओं के साथ स्थापित हो, इस उद्देश्य से दक्षिण छोटानागपुर, उत्तर छोटानागपुर एवं संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार को लोकतांत्रिक स्वरूप और ढांचा दिया गया। (2) छोटानागपुर-संथाल परगना क्षेत्र में विकास की बड़ी परियोजनाएं लागू की गयी थीं, उससे आदिवासियों के विस्थापन की गति तीव्र हो गयी थी एवं उनके परम्परागत अधिकारों पर आघात हो रहा था। इसलिए उन योजनाओं के तहत पुनर्वास की विशेष व्यवस्था की गयी। उन्हें अधिगृहीत जमीन के लिए पर्याप्त मुआवजा और रोजगार का पुख्ता इंतजाम किया गया, ताकि उन्हें बेरोजगारी और जमीन से विस्थापन होने की समस्या से न जूझना पड़े। (3)राज्य के वन विभाग द्वारा स्थानीय आदिवासी, वनवासी के परम्परागत रीति-रिवाजों और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। (4) आदिवासी क्षेत्र में प्रशिक्षित आदिवासी शिक्षकों के जरिये ही औपचारिक-अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया गया। (5) आदिवासियों को महाजनों और ठीकेदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से ऋण देने की योजनाओं को अधिक कारगर बनाया गया। (6) आदिवासी क्षेत्रों में कृषि से संबद्ध समस्याओं के समाधान के लिए आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित कृषि शोध केन्द्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। (7) आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन से संबधित पुलिस, राजस्व एवं अन्य विभागों को अधिक सबल और सुचारू बनाया गया। यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी आदिवासी को पर्याप्त मुआवजा के बगैर विस्थापित नहीं किया जायेगा। (8) प्रत्येक बड़ी परियोजना में विस्थापित परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को नौकरी देने की व्यवस्था की गयी। (9) आदिवासियों को मुफ्त

आवासीय स्थल और गृह निर्माण के साधन मुहैय्या कराने की व्यवस्था की गयी। (10) नर्वदा एवार्ड की तरह ही बिहार के सभी विस्थापित आदिवासी परिवारों को शिक्षा की सुविधा दी जायेगी, ऐसा प्रावधान किया गया।

काँग्रेस को बिहार में मजबूत करने के लिए मेरे क्रिया-कलाप 1969 से ही केन्द्रीय नेतृत्व को, विशेषकर श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व को प्रभावित करते गये और मेरी सेवाएँ काँग्रेस के लिए अन्य प्रदेशों में भी ली जाने लगीं। जैसे- 1978 में काँग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा काँग्रेस के उम्मीदवार श्रीमती मोहसिना किदवई के पक्ष में आजमगढ़ उप-चुनाव में इंदिरा जी ने अपने साथ उत्तर प्रदेश में मेरी सक्रिय सेवाएँ ली थीं। इतना ही नहीं, 1982 में श्रीमती गाँधी ने अपनी जगह मुझे 'रूस' भेजने का निर्णय लिया और मैंने 'मास्को' में आयोजित राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था।

यह कहना जरूरी है कि अगस्त, 1983 ई० में मुख्यमंत्री पद से मुझे हटाने का निर्णय उन्हें विवशतावश लेना पड़ा था। वे स्वयं नहीं चाहती थीं कि मुझे मुख्यमंत्रीपद से हटाया जाय। बिहार के कुछ प्रमुख नेता दिल्ली में काँग्रेसी नेताओं के माध्यम से लगातार दबाव बनाते रहे कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया जाय। इन्दिराजी दिल से मुझे इतना स्नेह व समर्थन देती थीं कि उन्होंने काफी दु:खी मन से मुझे त्याग-पत्र देने के लिए कहा था। किन्तु, उस समय श्रीमती गांधी ने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा था "मैं आपके कार्यो तथा आपकी वफादारी से अत्यंत संतुष्ट हूँ; केवल दबाव एवं विवशतावश मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है। अगले लोकसभा चुनाव तक आप मुख्यमंत्री पद से अलग रहकर पार्टी के हित में कार्य करें और चुनाव में जीत होने पर मैं फिर से मुख्यमंत्री बनाकर आपको बिहार सौंप दूँगी।" विधान सभा सत्र की समाप्ति के बाद मुझे श्री आर०के० धवन का संदेश प्राप्त हुआ कि आप राज्यपाल महोदय को त्यागपत्र सौंप दें। मैंने राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप दिया।

एक दूसरी घटना हुई थी कि कुछ समय के लिए मेरे और श्री राजीव गांधी के बीच कुछ गलतफहमियाँ उत्पन्न हुई थीं। उन कारणों का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। श्री राजीवजी को ऐसा महसूस हुआ था कि मैं श्रीमती मेनका गांधी

का पक्षधर हूँ। उन दिनों श्रीमती इन्दिरा गांधीजी के परिवार में श्रीमती मेनका गांधी और उनके बीच निजी घटनाएँ प्रतिवेदित होती थीं। अंततोगत्वा श्रीमती मेनका गांधी श्रीमती इन्दिरा गांधी के आवास से बाहर हो गयीं। श्रीमती मेनकाजी ने श्री संजय गांधी के नाम पर 'संजय गांधी विचार मंच' की स्थापना की थी। इस मंच के माध्यम से वे पूरे देश में स्वतंत्र संगठन बना रही थीं, उसी क्रम में वे बिहार आयीं और बिहार में मेरे साथ रहनेवाले किसी एक व्यक्ति ने श्रीमती मेनकाजी की सभा आयोजित की थी। उससे श्री राजीव गांधी की अवधारणा बनी कि मेरे समर्थक श्रीमती मेनकाजी को समर्थन देकर उनकी राजनीति कर रहे हैं जबकि, उस समय मेरा कोई सम्पर्क न श्रीमती मेनकाजी से था न आयोजकों से था। हालांकि यह सही है कि श्री संजय जी के साथ आत्मीय सम्पर्क हुआ था। श्रीमती इन्दिराजी के इस पारिवारिक विवाद में स्वाभाविक रूप से मैं श्रीमती इन्दिराजी के प्रति वफादार था। परंतु, मेरे लिये यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मेरे प्रति श्री राजीव गांधी को भ्रम उत्पन्न हो गया था। संभवत: इसी घटना ने उनके मन में नाराजगी उत्पन्न की होगी। एक और घटना यह हुई थी कि जब 2 मई, 1982 को पटना के गंगा-पुल (महात्मा गांधी सेतु) के उद्घाटन के अवसर पर श्री राजीवजी श्रीमती इन्दिराजी के साथ आये थे तो संभवत: इस सभा में श्री राजीव गांधी पर मेरा ध्यान उस रूप में केन्द्रित नहीं रह पाया होगा जैसी अपेक्षा की जाती थी।

2 मई 82 को इंदिरा जी के साथ हम पटना हवाई अड्डा पर लगी वी०आइ०पी० जीप पर बैठ गये। जीप ससरने लगी, कुछ कदम आगे बढ़ आ गयी। 'राजीव...राजीव' श्रीमती गांधी के मुख से सुनते ही जीप के साथ चल रहे मेरे आप्त सचिव मेरे कहने पर तुरंत दौड़ कर पीछे गये और श्री राजीव जी को साथ लेकर तब तक ठहरी जीप तक आ गये। श्री राजीव जी जीप पर आ बैठे और राज्यपाल जी (श्री ए०आर०किइवई)को अपनी ओर आकर बैठने हेतु कहा-"You will get slightly more space here" फिर उस जीप के वायु सेना के हैलिकप्टर तक पहुँचते ही हम सभी तो प्रोटोकॉल के अनुसार हैलिकप्टर में सवार हो गये लेकिन मेरे आप्त सचिव(श्री बच्चा ठाकुर) को पंखी के जोरदार घूमते रहने की स्थिति में आवश्यक कागजात मुझे सौंपने हेतु

आने का दुस्साहस करना पड़ा था। वायुसेना का वही हैलिकप्टर हमें हाजीपुर ले गया, जहाँ सेतु के उद्घाटन-समारोह का प्रबंध था। तब श्री राजीव जी ए०आइ०सी०सी० के महासचिव भी थे। जिन श्रीमती इंदिरा जी का मातृ-स्नेह मैं प्राप्त करता रहा उनके पुत्रों के प्रति आत्मीय संबंध में मैं सदा ही रहा। उन पर तो ध्यान निरंतर ही रहा। इस घटना का शायद उनके मन पर असर पड़ा होगा। एक और घटना से संभवत: श्री राजीव गांधी को मुझसे नाराजगी उत्पन्न हुयी होगी, वह यह कि श्री राजीवजी हमारे मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों को हटाना चाहते थे। उनके पास उन मंत्रियों को हटाने के लिए यह तर्क था कि इन मंत्रियों की छवि ठीक नहीं है। इसलिये उन्होंने मुझसे 4 मंत्रियों को हटाने के लिए कहा था। उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आरोप सत्यापित नहीं था; केवल राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से कुछ विक्षुब्ध लोगों के कहने पर मंत्रियों को हटाया जाना मुझे स्वीकार नहीं था। उस समय उन 4 मंत्रियों को मैंने नहीं हटाया, संभवत: यह मेरा कदम भी हमारे और श्री राजीवजी के बीच की दूरी का कारण बना हो। 1983 की जनवरी में कर्नाटक में कांग्रेस की हार के बाद श्री राजीव गांधी और श्रीमती इन्दिरा गांधीजी दोनों चिन्तित दिखे। उसी क्रम में श्रीमती इन्दिराजी ने मंत्रिमंडल को साफ-सुथरा करने के उद्देश्य से पुनर्गठन करने की सलाह दी थी। मैंने 4 मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ और मंत्रियों को हटाकर मंत्रिमंडल को पुनर्गठित किया। हटाये गये मंत्रियों को मैने 20 सूत्री जिला समिति का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाकर उन्हें मंत्रीपद का दर्जा दिया। संभवत: यह भी श्री राजीव गांधी का मेरे प्रति दूरी का कारण बना हो। अप्रैल, 1983 में बिहार मंत्रिमंडल ने ''मंडल आयोग'' की अनुशंसाओं को लागू करने की अनुशंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से की थी। जबकि केन्द्र में कांग्रेस पार्टी इस अनुशंसा को लागू करने के पक्ष में नहीं थी। 'मंडल आयोग' की रिपोर्ट 1980 में ही प्राप्त हो गयी थी। श्री राजीव गांधी एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी की नाराजगी इन बातों से बढ़ती गयी। श्री राजीव गांधी ने इसे मुद्दा बनाकर श्रीमती इन्दिरा गांधी पर दबाव बनाया और श्रीमती गांधी के कहने पर मैंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। तत्पश्चात् 1983 में श्री चन्द्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 1985 में हमलोगों के दबाव पर वे मुख्यमंत्री पद

से हटाये गये। हमारी अनुशंसा पर श्री दूबेजी को मुख्यमंत्री बनाया गया। श्री दूबे के बाद श्री भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री बने। उस समय श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। श्री आजाद की सरकार को स्थायित्व दिलाने के उद्देश्य से मुझे बिहार से बाहर करने का मन श्री राजीव गांधी ने बनाया। उन्होंने मुझे पहले उड़ीसा का राज्यपाल और फिर नेपाल का राजदूत बनाने का संदेश दिया। किन्तु, क्षेत्रीय राजनीति को मैं नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने उनके संदेश को स्वीकार नहीं किया। अन्ततः वे 1988 में मुझे राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर बिहार से अलग करने में सफल रहे। सक्रिय राजनीति में बने रहने की इच्छा के चलते ही मैं राज्य सभा का सदस्य बना। राज्य सभा में हमारी काफी सक्रियता थी। उन दिनों राज्य सभा में 'बोफोर्स' तथा 'पंचायती राज्य संशोधन विधेयक' पर बहस हो रही थी। मेरे द्वारा सरकार के पक्ष में तर्कपूर्ण भाषण दिये जाने से श्री राजीवजी काफी प्रभावित हुये थे। जिससे मुझे लगा कि पूर्व की सारी घटनायें अब उनके मन से समाप्त हो गयी हैं।

मेरे लिये दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि निष्ठापूर्वक सरकार चलाने के बावजूद बिहार कांग्रेस के कुछ बिक्षुब्ध नेता मेरे विरोध में सरकार के भीतर व बाहर निरंतर सक्रिय रहे। मैंने बिहार में दलितों एवं पिछड़ों के लिए श्रीमती इन्दिराजी की नीतियों के अनुरूप प्रभावकारी ढंगों से कार्य किया, फिर भी मेरे बारे में श्री राजीव गांधीजी के समक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से उपस्थापित किया जाता रहा। मेरे विरुद्ध निराधार भ्रष्टाचार की शिकायतें स्थानीय अखबारों में छपवाकर लगातार मेरे विरुद्ध अभियान चलाया जाता रहा। उन्हें यह समझाया जाता रहा कि, भूमि सुधार, न्यनूतम मजदूरी, बंधुआ मजदूर, कन्साइनमेंट कर, माल भाड़ा समानीकरण जैसे कार्यों से उन्होंने (डॉ. मिश्र ने)कांग्रेस को आघात पहुँचाया है। वे (डा० मिश्र)केन्द्र से टकराव उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हें मेरे बारे में यह भी समझाया गया कि उनकी वफादारी, श्री संजय गांधीजी के साथ रही है इसलिये उनकी वफादारी संदिग्ध है।

बिहार कांग्रेस के विक्षुब्ध नेताओं ने मेरे बारे में उनसे यह भी कहा था कि वे बड़े ही महत्वाकांक्षी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के लिए मुसलमानों के बीच उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनायी है। इस संदर्भ में इन विक्षुब्ध

नेताओं ने यह भी कहा था कि बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने, मदरसा बोर्ड एवं उसके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह वेतनादि की सुविधाएं देने, उर्दू अकादमी के लिए एक करोड़ रुपए देने, बिहारशरीफ दंगा के लिए विशेष अदालत में सजा देने आदि कार्यों को लेकर मुसलमानों के बीच उन्होंने अपनी स्वतंत्र व्यक्तिगत छवि बना ली है। दूसरी बात यह कि अपना व्यक्तिगत नेतृत्व उभारने के लिए वे केन्द्रीय कर रॉयल्टी, माल भाड़ा समानीकरण, केन्द्रीय साहाय्य जैसे मुद्दों को उठाकर केन्द्र सरकार की छवि को आघात पहुँचाते रहे हैं।

इसी प्रकार हमारे विरुद्ध विक्षुब्ध गुट के नेताओं द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता रहा, परंतु इन्दिराजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनकी मेरे प्रति इसप्रकार की आस्था और विश्वसनीयता का होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जिसे मैं शायद ही भूल पाऊंगा। समाज के हर वर्ग को मैंने हमेशा एक संग ले चलने की कोशिश की और प्रदेश के मुस्लिम समुदाय कोशिश की कि हर वर्ग से दूध-बताश की तरह ये मिले। पर इसके अनेक राजनीतिक दुष्प्रचार हुए।

❐

5

ऑपरेशन जगन्नाथ के सिलसिले

20 वर्षों से अपने दामन पर लगे घोटाले का दंश झेलते हुए मेरे लिए वह क्षण अत्यंत भावुक करने वाला क्षण था जब सी॰बी॰आई॰ की अदालत ने मुझे आरोप मुक्त किया। सचमुच वह एक लम्बी संघर्ष और सच्चाई की जीत थी, जिसे अब राजनीतिक दलों द्वारा जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं महज तीन निर्दोष चिट्ठियों की सजा लगातार 20 साल तक झेलता रहा जबकि चारा घोटाला मेरे मुख्यमंत्रित्वकाल में नहीं हुआ था। इसे बहुचर्चित घोटाले का कलंक जाँच एजेन्सियों ने मेरे दामन पर थोप दिया जिसके कारण मैं दो दशक तक लगातार आर्थिक एवं मानसिक परेशानियाँ झेलता रहा। यह सचमुच किसी भी व्यक्ति को विस्मयकारी लगता है कि सी॰बी॰आई॰ ने मुझको पशुपालन विभाग के चारा घोटाले से सम्बंधित छः मुकदमे में एक ही आधार पर बार-बार अभियुक्त बनाया। संविधान के अनुच्छेद 20 के खण्ड (2) के अधीन प्रदत्त मौलिक अधिकार की अवहेलना है क्योंकि संविधान कहता है कि ''किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा''। दंड प्रक्रिया संहिता 300-एक बार दोष सिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना -(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का

भागी होगा और उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा। मुझे चारा घोटाले में श्री सीताराम केसरी के कहने पर फंसाया गया। केसरी मुझसे नाराज चल रहे थे। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के वित्त सचिव, श्री बी॰एस॰ दूबे ने इस पर काफी काम किया और मामला हाई कोर्ट तक पहुँचा यहाँ से सी॰बी॰आई॰ जाँच के निर्देश के बाद फंसाने का खेल शुरू हुआ। फिर जोगिन्दर सिंह को सी॰बी॰आई॰ का निदेशक बनाकर लाया गया। उस समय न तो केन्द्र में और न ही राज्य में भाजपा की सरकार थी, तो फिर उसमें भाजपा द्वारा फंसाने की बात कहाँ से आ गई? केसरी ने श्री लालू प्रसाद को इस शर्त पर फंसाने पर सहमति दी कि मेरा नाम भी इसमें डाला जाय। मैं बिहार में कांग्रेस के श्री लालू प्रसाद के साथ जाने के खिलाफ था। मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैं श्री देवेगौड़ा के पास गया उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप उसमें नहीं हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। मैं उनकी बातों से हतप्रभ था फिर श्री आई॰के॰ गुजराल प्रधानमंत्री हो गये। उधर जोगिन्दर सिंह सी॰बी॰आई॰ निदेशक ने मेरे बारे में बताया कि उसमें डा॰मिश्र पर कोई मामला नहीं बनता है तो एक अधिकारी के सेवा विस्तार के लिए पत्र लिखा था। डा॰ मिश्र के पास बड़ी संख्या में लोग आते हैं अपनी बात कहते हैं। वे तो सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं,उन्होंने तो कोई निर्णय लिये ही नहीं, निर्णय लेने का अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास होता है। उसी आधार पर मुझको उसमें डालने के लिए कोई तैयार नहीं था। श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी थे उनकी जिम्मेवारी बनती थी लेकिन सीताराम केसरी की शर्त ही थी कि मुझे (डा॰ मिश्र) को फंसाने की। इसलिए मेरा नाम इस घोटाले से जोड़ा गया।

सी0बी0आई0 ने तो जानबूझकर मुझको 1988 में मुख्यमंत्री बताते हुए राज्यपाल से मुझपर मुकदमा चलाने के लिए सहमति प्राप्त की थी कि मैंने श्री लालू प्रसाद की अनुशंसा पर डा. राम राज राम को वरीयता दी और उन्हें पशुपालन निदेशक बनाकर श्री लालू प्रसाद को उपकृत किया। मुझ पर यह भी आरोप लगाया गया कि मेरी अनुशंसा पर श्री लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री के रूप में एस. बी. सिन्हा को सेवा-विस्तार देकर उन्हें उपकृत किया। इन आधारों पर एक षड्यंत्र का आरोप मुझ पर लगाया गया। इस प्रसंग में पहला विचारनीय

प्रश्न हो जाता है कि 1988 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था और डा. राम राज राम को पशुपालन निदेशक बनाने में मेरा नहीं, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद और श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा का निर्णय था जिनसे सी. बी. आई. ने पूछताछ तक नहीं की। इस प्रसंग में इन तथ्यों पर भी विचार करना प्रासंगिक है कि यदि मेरी कोई भी भागीदारी चारा घोटाला में रही होती या मैं अनधिकृत निकासी के षड्यंत्र में किसी भी तरह शरीक होता तो 22 नवम्बर, 1990 को और 8 जुलाई, 1993 को बिहार विधान सभा में और फिर 2 अप्रैल, 1993 एवं 4 जून, 1993 को प्रेस वक्तव्य के माध्यम से पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही अनधिकृत निकासी का सवाल क्यों उठाता। मैने तो यहाँ तक कहा था कि बिहार के कोषागारों से हो रही अनियमित एवं अनधिकृत निकासी की जांच सी.बी.आई. से अथवा अन्य अधिकृत एजेंसी से करायी जानी चाहिए। इस तथ्य की पुष्टि तत्कालीन कोषागार निदेशक ने सी.बी.आई. के समक्ष की है। सी.बी.आई. का यह करिश्मा भी सहसा उसकी नीयत पर प्रश्नचिन्ह् लगा देता है कि उसने पशुपालन विभाग में हो रही अनधिकृत निकासी पर मेरे द्वारा 8 जुलाई, 1993 को बिहार विधान सभा में दिए गए भाषण को भाजपा विधायक श्री सुशील कुमार मोदी का भाषण बता दिया।

पशुपालन घोटाला के मामले में डा. राम राज राम निदेशक के रूप में कपटपूर्ण निकासी के लिए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। सी. बी. आई. पूर्वाग्रह से इतना ग्रस्त था कि उसने 1988 ई. में डा. राम को वरीयता और प्रोन्नति देने के लिए मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री मानकर श्री लालू प्रसाद के साथ मिलीभगत का दोष मढ़ दिया। उसने इतना भी सत्यापित करने की कोशिश नहीं की कि 1988 में मैं नहीं बल्कि श्री भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे जिन्होंने श्री लालू प्रसाद की अनुशंसा पर 23.11.1988 को डा. राम को वरीयता दी थी। उसी डा. राम को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने 31 जुलाई, 1989 को निदेशक का प्रभार दिलाया जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त ने सुझाव दिया था कि जबतक वरीयता संबंधी विवाद का फैसला नहीं हो जाता है तबतक सचिव को निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाय और मुख्य सचिव ने उस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री श्री सत्येन्द्र नारायण सिंहा ने 31.7.1989

को आदेश दिया कि अपर निदेशक डा. राम राज राम को निदेशक का प्रभार सौंपा जाय। इस तरह डा. राम राज राम के अपर निदेशक पद पर प्रोन्नति दिया जाना और बाद में कार्यकारी निदेशक बनाया जाना उस समय हुआ जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था।

मुझ पर पहला मुकदमा जिन आरोपों और तथ्यों के आधार पर चलाया गया उन्हीं तथ्यों और आरोपों पर पाँच अन्य मुकदमे में मुझे अभियुक्त बनाया गया। कोई भी नया आरोप नहीं लगाया गया है। एक मुकदमे में तो सजा हो चुकी है और अन्यों पर सुनवाई के दौरान दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को एक और मामले में में राँची की सी॰बी॰आई॰ अदालत द्वारा निर्दोष साबित करते हुए बरी कर दिया है। एक ही प्रकार तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर और नया मुकदमा चलाने का उद्देश्य तो मुझको महज तबाह और और परेशान करने के सिवा और क्या हो सकता है? सभी मुकदमे एक ही प्रकार के हैं केवल कपटपूर्ण निकासी का स्थान भिन्न-भिन्न है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष सी. बी.आई. ने 4.9.98 को शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि डा. मिश्र का कपटपूर्ण निकासी मे कोई हाथ नहीं है। डा. मिश्र चारा घोटाला में कपटपूर्ण निकासी करनेवाले में से नहीं है। सी.बी.आई. के अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 27 नवम्बर, 1997 को कहा था कि कपटपूर्ण निकासी में डा. मिश्र का हाथ नहीं है क्योंकि वे विरोधी दल में थे और आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने तो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कुछ सिफारिशें की थी जिनके आधार पर राज्य सरकार ने आदेश पारित किया। यह एक कुसंयोग ही कहा जाएगा कि उस सिफारिश में नामित व्यक्ति घोटाला करनेवालों की जमात में शामिल हो गया। इसे सी.बी.आई. के अधिवक्ता ने मुझको घोटाला करनेवालों को बढ़ावा देने का आधार बनाया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मुझ पर मुख्य आरोप अनुशंसा पत्र लिखने का है जिसपर कार्रवाई पटना सचिवालय में हुई। अत: उस एक अनुशंसा पत्र को भिन्न-भिन्न कोषागरों से कपटपूर्ण निकासी के साथ जोड़ना और उन्हें षड्यंत्र पक्ष के मामले में अभियुक्त बनाना तर्कसंगत नहीं मालूम पड़ता है।

मुझको श्री लालू प्रसाद का एक पत्र 6.1.1990 को मिला था कि डा. राम राज राम को निदेशक पद पर बने रहने दिया जाए। मैंने उनके पत्र पर कोई

ध्यान नहीं दिया। यहाँ गौर करने योग्य है कि जिस डा. राम राज राम को निदेशक बनाने का दोष मेरे मत्थे मढ़कर मुझ पर मुकदमा चलाया जा रहा है उन्हें मैंने विभागीय मंत्रियों के प्रस्ताव के विरूद्ध जाकर निदेशक के प्रभार में रहने देना मंजूर नहीं किया। फिर भी, मुझे गलत तथ्यों में घसीटते हुए उस प्रोन्नति का आरोपी बनाया गया और जिन मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों ने विभागीय अधिकारियों की विरोधी टिप्पणियों की पूरी अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से डा. राम को प्रोन्नति की सिफारिश की और उन्हें प्रोन्नति दी, उन सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को पशुपालन काण्ड से बिलकुल अछूता रखा गया। जाहिर हैं कि सी. बी. आई. की यह सारी कार्रवाई मेरे विरूद्ध किसी सोची-समझी साजिश का नतीजा है। यह साजिश नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि 1988 में जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो मुझे मुख्यमंत्री बताकर गलत आरोप मढ़ा गया और 1990 तथा 1993 में मेरे महत्वपूर्ण भाषण की अनदेखी कर दी गई।

मैंने 1993 ई. से ही विभिन्न प्रेस वक्तव्यों, संवाददाता सम्मेलनों और सार्वजनिक मंचों से बार-बार दो टूक शब्दों में कहा था कि बिहार के कोषागारों से अनधिकृत निकासी धड़ल्ले की जा रही है और कोषागारों का लेखा जानबूझकर अद्यतन नहीं रखा जा रहा है। मैंने ही 4 जून, 1993 को मांग की थी कि कोषागारों से अनधिकृत निकासी के रूप में सार्वजनिक धनराशि की जो खुलेआम लूट हो रही है उसकी जाँच सी. बी. आई. से अथवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से विस्तारपूर्वक करायी जाए। मैंने 2 अप्रैल, 1993 को तो यहाँ तक बता दिया था कि कोषागारों से हर महीने औसतन 50 करोड़ से 100 करोड़ रूपए की निकासी गैर-कानूनी ढंग से की जा रही है जिसमें नेताओं, वरीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत है। मेरे प्रेस वक्तव्य की पुष्टि निदेशक कोषागार ने सी. बी. आई. के समक्ष अपने वक्तव्य में की है।

यह साधारण-सी बात है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटना से सम्बद्ध होगा वह अनधिकृत निकासी की जाँच के लिए बार-बार मांग क्यों करेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री लालू प्रसाद ने बिहार के किसी नेता को उतनी क्षति नहीं पहुँचायी जितनी मुझे उन्होंने पहुँचायी।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सी॰बी॰आई॰ किस उद्देश्य से मुझको एक ही अभियोग और एक ही साक्ष्य के आधार पर बार-बार अभियुक्त बना रही है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि दूसरे मुख्यमंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय को मेरे नाम के साथ जोड़ दिया गया है किन्तु जिन मुख्यमंत्रियों ने वस्तुतः निर्णय लिया उनसे आज तक पूछताछ तक नहीं की गई। इतना ही नहीं, कई अन्य विधायकों ने जो अनुशंसा पत्र लिखे और जिसके आधार पर सेवा विस्तार की कार्रवाई भी की गई उनसे भी सी.बी.आई. ने कोई पूछताछ नहीं की। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि 'राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान्य संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

कोषागार से अवैध निकासी 38ए/96 और 64 ए/96 के मामले में सी॰बी॰आई॰ अदालत के न्यायाधीश ने अपने निर्णय में मुझको आरोप मुक्त करते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ सी॰बी॰आई॰ द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी। सी॰बी॰आई॰ के अनुसंधान में यह बात सामने आई थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने 13 नवंम्बर 1990 को निगरानी जांच कराने जब आदेश दिया था, उस समय विपक्ष के तत्कालीन नेता डा॰ मिश्र ने 15 नवंम्बर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद को पत्र लिखा था। कहा था कि मामले में पशुपालन विभाग के निदेशक ने जाँच की है और जाँच में आरोप को निराधार बताया है। पुलिसिया जाँच से पशुपालन विभाग के पदाधिकारी परेशान होंगे। इस पत्र को लालू प्रसाद ने कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव के पास भेज दिया। प्रारंभिक जाँच के बाद निगरानी ब्यूरो द्वारा वर्ष 1990 में ही निगरानी थाना कांड संख्या 34/90 के तहत मामला दर्ज किया गया। मैने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को दो पत्र लिखे। एक पत्र 23 अगस्त 1990 को और दूसरा 15 नवम्बर 1990 को। पत्र लिखा था कि निगरानी जाँच को केन्द्रीय क्रय समिति के सदस्य तक ही सीमित रखा जाए। सी॰बी॰आई॰ की अदालत में अपने को आरोप मुक्त होने से सम्बन्धित कागजातों, साक्ष्यों के अतिरिक्त दिए गए वक्तव्यों जिसमें मैने 1993 ई॰ से ही विभिन्न प्रेस वक्तव्यों, संवाददाता सम्मेलनों और सार्वजनिक मंचों से बार-बार दो टूक शब्दों में कहते रहे कि

बिहार के कोषागारों से अनाधिकृत निकासी धड़ल्ले की जा रही है और कोषागारों का लेखा जानबूझकर अद्यतन नहीं रखा जा रहा है। मैंने 4 जून, 1993 को मांग की थी कि कोषागारों से अनधिकृत निकासी के रूप में सार्वजनिक धनराशि की जो खुलेआम लूट हो रही है उसकी जाँच सी॰बी॰आई॰ से अथवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से विस्तारपूर्वक करायी जाए। यह साधाारण-सी बात है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटना से सम्बद्ध होगा वह अनधिकृत निकासी की जाँच के लिए बार-बार मांग क्यों करेगा? उच्चतम न्यायालय के समक्ष सी॰बी॰आई॰ ने 04.09.1998 को शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि मेरा कपटपूर्ण निकासी मे कोई हाथ नहीं है। सी॰बी॰आई॰ के अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 27 नवम्बर, 1997 को कहा था कि कपटपूर्ण निकासी में डा॰ मिश्र का हाथ नहीं है क्योंकि वे विरोधी दल में थे और आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कुछ सिफारिशें की थीं जिनके आधार पर राज्य सरकार ने आदेश पारित किया। यह एक कुसंयोग ही कहा जाएगा कि उस सिफारिश में नामित व्यक्ति घोटाला करनेवालों की जमात में शामिल हो गया तथा मेरे वकीलों द्वारा अदालत को दी गई जानकारियों पर गहण चिंतन एवं निरीक्षण के उपरांत न्यायाधीश ने सी॰बी॰आई॰ द्वारा दी गई साक्ष्यों तथा दस्तावेजों को मुझे आरोपी बनाने के लिए अनुपयुक्त माना और अदालत ने मुझको दोनों मामले में बरी कर दिया।

इसी प्रसंग में मुझे कुछ विचारणीय घटनाओं का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है, जो यह दर्शाती हैं कि किस प्रकार से एक लम्बे अर्से से भिन्न-भिन्न सरकारों द्वारा मुझे प्रताड़ित कर कमजोर, अपमानित और दु:खी किया जाता रहा है। विशेषकर श्री लालू प्रसाद ने बिहार के किसी नेता को उतनी क्षति नहीं पहुँचायी जितनी उन्होंने मुझे पहुँचायी। 1977 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भूमि सुधार भूमि हदबंदी कानून के अंतर्गत 35 हजार से अधिक मामलों का निष्पादन 1977 से पहले हुआ था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 35 हजार से अधिक मामलों में से और मेरे पाँच भाइयों के निष्पादित भूमि भूमि हदबंदी मामलों को पुन: खुलवाया था। सरकार

ने मेरे पांच भाइयों के मामलों का निष्पादन कर दियर था। जब 1978 में श्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी तो फिर हमारे मामले को खुलवाया। 1990 में बनी जनता दल की सरकार ने पुनः सितम्बर, 90 में मेरे पांचों भाइयों के मामले को खुलवाया और कार्रवाई करने का निदेश दिया। इस कार्रवाई के विरूद्ध मैंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। पटना उच्च न्यायालय ने सरकार के उस आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि भूमि हदबंदी कानून की धारा 45 के अंतर्गत निष्पादित मामलों को केवल एक बार ही सरकार खुलवा सकती है। बार-बार निष्पादित मामलों को खुलवाया जाना विधि-सम्मत नहीं है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुसार मुझे और मेरे भाइयों के विरूद्ध चल रहे मामलों का निरस्त कर दिया गया।

बहरहाल, कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में न सिर्फ भूमि हदबंदी मामले में मुझे और मेरे भाइयों को प्रताड़ित किया गया, बल्कि अरबन कॉपरेटिव बैंक से जुड़ा एक निहायत झूठा मामला भी मुझपर चलाया गया। यह चारा घोटाला सरीखा ही एक ऐसा मामला था, जो मेरे विरूद्ध रचित एक गंभीर षड्यंत्र था। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय रेपसीड में अनियमितता की शिकायत विधानसभा एवं विधान परिषद् में विपक्षों द्वारा जोर-शोर से उठायी गयी। इसी आधार पर श्री रामसुन्दर दास की सरकार ने कर्पूरी जी के विरुद्ध जांच आयोग का गठन कर दिया। 1980 के जून में मैं दुबारा मुख्यमंत्री बना तो हमारी सरकार ने कर्पूरी जी के विरुद्ध गठित आयोग को भंग कर दिया। हालांकि हमारी पार्टी के लोगों की यह मान्यता थी कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने ही मेरे विरुद्ध झूठे, गलत तथ्यों के आधार पर अरबन कॉपरेटिव बैंक का मामला दाखिल किया था और कर्पूरी जी बदले की राजनीति कर रहे थे, जब मैं उस प्रस्ताव से सहमत नही हुआ तो ललित बाबू की हत्या में इंदिरा जी की संलिप्तता के सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहा गया। मैं राजी नही हुआ तो मुझे प्रताड़ित करने के लिए यह मामला मेरे खिलाफ दाखिल कराया, जबकि परिस्थिति यह हुई कि एक बार उच्चतम न्यायालय के तीन बेंच एवं फिर एक बार उच्चतम न्यायालय के पांच बेंच ने इस मामले को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित करार देते हुए मुझे पूरी तरह निर्दोष साबित करते हुए निर्णय दिया था कि एक भी साक्ष्य तथा प्रमाण उनके (डा० मिश्र) विरुद्ध नहीं है। कांग्रेस के विक्षुब्ध

नेताओं ने शिवनन्दन पासवान के माध्यम से मेरे विरुद्ध मामले चलवाये। कांग्रेस के विक्षुब्ध नेताओं की मिलीभगत से मुझे हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गयी। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने दो-दो बार मुझे आरोप मुक्त करते हुए पूरे मामले को राजनीतिक भावना से प्रेरित बताते हुए मामले को खारिज कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश- **(देखे-परिशिष्ट-२)**

यह भी अत्यन्त ही विस्मयकारी और भेदभावपूर्ण बात रही कि राज्य में चल रहे सैकड़ों निजी संस्थानों में से केवल ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना के अध्यक्ष और महानिदेशक के पद से मुझे हटाने के उद्देश्य से ही जनता दल सरकार ने नवम्बर, 1990 में इस संस्थान का अधिग्रहण कर लिया और मुझे अध्यक्ष एवं महानिदेशक के पद से हटा दिया। मेरी अध्यक्षतावाली मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को प्राप्त स्वायत्तता को सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने निरस्त कर दिया और विश्वविद्यालय के उस आदेश को बिहार के राज्यपाल ने निरस्त कर दिया तो तत्कालीन जनता दल सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया। उसके विरूद्ध मैंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के निदेश पर सरकार ने अधिग्रहण आदेश को वापस ले लिया। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर स्थित महाविद्यालय को राज्य सरकार से मिल रहे अनुदान भी 1992 से सरकार ने देना बंद कर दिया।

यहाँ एक और दूसरे प्रसंग का उल्लेख करना है कि बिहार सरकार की निर्धारित नीति है कि भू-धारियों द्वारा शिक्षण संस्थान को दी गई भूमि के लिए उस संस्थान को भूमि दाता अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर नामित किया जाता रहा है। दरभंगा में अभियंत्रण महाविद्यालय नहीं रहने के कारण वहाँ के लोगों ने अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1980-81 में की और संस्थान को मेरे नाम से नामित किया। हालांकि मैंने भू-दाताओं को अपना नाम जोड़ने की मनाही की थी, परन्तु उसके बावजूद स्थानीय लोगों ने इस संस्थान का नामकरण मेरे नाम से ही किया। **''डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र इन्स्टीच्यूट आफॅ टेक्नोलॉजी''** नाम से संस्थान को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं

अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् से मान्यता मिली। इस संस्थान का, पूर्णतः राजनीतिक कारणों से ही तत्कालीन जनता दल सरकार ने 1992 में अधिग्रहण कर लिया था। परन्तु, मेरे नाम को यथावत् रहने दिया था।

सन् 2005 ई० के बिहार विधान सभा चुनाव में जद (यू०) उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए मैंने बड़ी तत्परता एवं निष्ठापूर्वक कार्य किया जिससे उसकी बड़ी जीत भी हई। बिहार में राजग सरकार बनाने में मिथिलांचल की जो भूमिका रही उसे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाला हुआ। मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ। मधुबनी में 11 में से 10 स्थानों पर राजद की पराजय हुई। इस चुनाव में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और अररिया में 20 की 20 सीटों पर राजद को मुँह की खानी पड़ी। सरकार बनाने में तिरहुत और सारण प्रमण्डलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही।

जीत के उपरांत नीतीश सरकार ने निश्चय ही अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। श्री लालू प्रसाद ने जो यह मिथक बना दिया था कि बिहार के लोगों में विकास की भूख नहीं है, अथवा विकास से वोट का कुछ लेना देना नहीं है, यह कथित मिथक निर्मूल साबित हुआ। बिहार के लोगों ने समवेत रूप से विकास के नारों को स्वीकार किया।

किन्तु 18 अगस्त, 2008 में कुशहा तटबंध टूटने से कोशी क्षेत्र में आयी प्रलयंकारी बाढ़ के लिए चूंकि मैंने बिहार सरकार को जिम्मेवार ठहराया था, राज्य सरकार की मंशा बदल गयी। मेरे उस आरोप को कोशी जाँच आयोग के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी सही ठहराया। परन्तु जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरुद्ध अभीतक कार्रवाई नहीं हुई। संभवतः मेरे उस वक्तव्य से नाराज होकर तत्कालीन बिहार सरकार ने बिना किसी औपचारिकता और मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के 17 नवम्बर, 2008 को एकाएक भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् को इसका नाम बदल कर ''दरभंगा इंजिनियरिंग कॉलेज'' करने के लिए पत्र निर्गत किया। वर्तमान समय में उसी परिवर्तित नाम से महाविद्यालय चल रहा है। मेरे नाम को फिर से संस्थान में जोड़ने के लिए विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कीं और श्री जीतन राम माँझी सरकार ने मेरे नाम को पुनः जोड़ने पर स्वीकृति प्रदान की थी। दुर्भाग्यवश पुनः राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरे नाम को वर्तमान सरकार ने इस संस्थान से हटाने का निर्णय लिया। इस

निर्णय के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की गयी और उस याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 1 दिसम्बर, 2015 को पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के नाम हटाने सम्बन्धी निर्णय को निरस्त करते हुए पुनः उस अभियंत्रण महाविद्यालय को मेरे नाम (डा० मिश्र) से पुनः नामित करने का आदेश दिया।

यहाँ एक और उल्लेखनीय तथ्य है कि 1994 में तत्कालीन सरकार ने मेरे गाँव बलुआ बाजार (सुपौल) को प्रखण्ड बनाने का निर्णय लिया एवं उस प्रखण्ड के शुभारंभ के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम भी निर्धारित किया था, परन्तु राजनीतिक दबाव के कारण प्रखण्ड का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया। बाद के शासन काल में भी उस प्रखण्ड का शुभारंभ नहीं किया गया। 1994 के निर्णय के आलोक में ही पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी की मंत्रिपरिषद् ने 66 नये प्रखण्ड स्थापित करने के निर्णय से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं। उन 66 प्रखण्डों में बलुआ बाजार भी सम्मिलित था। परन्तु बाद की सरकार ने पुनः राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर तत्कालीन मंत्रिपरिषद् के निर्णय को निरस्त कर दिया। इसी प्रसंग में ही मुझे चारा प्रकरण में सी.बी.आई. द्वारा गलत तरीके से फंसाकर परेशान किया जाना भी उल्लेखनीय है।

बीस साल का यह लंबा कष्टकारी समय झेलने के बाद अब मैं स्वाध्याय में बाकी का समय व्यतीत करना चाहता हूँ। आज की राजनीति जिस दिशा में जा रही है वह राजनीति मैं नही कर सकता। मेरे समय में शुचिता की राजनीति होती थी और आज की राजनीति में शुचिता के लिए कोई जगह ही नहीं रही।

दिनांक 23 दिसम्बर 2017 के न्यायालय के आदेश का उद्धरण देखे- (**परिशिष्ट-3**)

इस प्रकार मेरा मानना है कि एकमात्र मेरे व्यक्तित्व को नष्ट करने के उद्देश्य से ही मुझे एक के बाद एक, यंत्रणाएं और पीड़ाएं लगातार दी जाती रही हैं।

लालू यादव और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी का अटूट प्रेम ने मुझे किस तरह दो दशकों तक घसीटकर छलनी किया, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलें। वर्ष 1990 के विधान सभा चुनाव के बाद

10 मार्च 90 को जनता दल की सरकार श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में बनी, तो उस समय जनता दल के 324 उम्मीदवारों में से 122 उम्मीदवार ही विजयी हुए थे। इस प्रकार जनता दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय जनता दल के नेता के रूप में श्री लालू प्रसादजी, श्री देवी लालजी की ओर से, श्री रामसुन्दर दासजी, प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से तथा श्री रघुनाथ झाजी श्री चन्द्रशेखरजी की ओर से नेता पद के लिये उम्मीदवार बने। तीन भागों में मतों का विभाजन हुआ। श्री लालू प्रसादजी को बहुमत प्राप्त हुआ। किन्तु, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंहजी श्री लालू प्रसादजी को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करना चाहते थे। केन्द्र का दबाव था कि श्री लालू प्रसादजी को स्पष्ट बहुमत नहीं है इसलिए श्री लालू प्रसादजी को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित नहीं किया जाय। 6 मार्च, 1990 को नेता का निर्वाचन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री ताराकान्त झाजी ने श्री लालू प्रसादजी को समर्थन देने का लिखित रूप में ज्ञापन राज्यपाल को दिया । इसके बाद श्री लालू प्रसादजी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी। चूंकि केन्द्र में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मदद से बनी थी, उस समय मैंने, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से विधान सभा में कहा था कि श्री लालूजी धर्म-निरपेक्षता का ढिंढोरा जितना भी पीटें, किन्तु यह भी सच है कि उन्हीं की सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ही भागलपुर साम्प्रदायिक दंगे को उत्पन्न किया था। इस प्रकार 1990 से 2005 मार्च तक श्री लालू प्रसाद बिहार के ऐसे नेता रहे जिनपर न तो पार्टी में कोई दबाव था और न उनका कोई आलाकमान था। परंतु, इसके बावजूद उनमें बिहार के लिये कुछ करने की इच्छा नहीं थी। 1990 में यदि पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामसुन्दर दास जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो बिहार बुरी तरह संकटग्रस्त नहीं होता। मैंने श्री रामसुन्दर दास जी को 1979 के अप्रैल में मुख्यमंत्री बनाने में नेता विरोधी दल के रूप में भी काँग्रेस की ओर से इंदिरा जी को आश्वस्त कर खुल कर साथ दिया और जुलाई 1979 में श्री दास जी की सरकार को गिरने से भी, अपने साथियों (लालू) के साथ बचाया मुख्यत: इसलिये भी कि सामाजिक प्रशासनिक क्षेत्रों में काँग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री होने पर जो समरसता आयी थी, वह लौट आयेगी, कुछ समय के लिये वह समरसता श्री रामसुन्दर दास जी के मुख्यमंत्रित्व काल में लौट आयी

भी। प्रखर समाजवादी नेता, श्री रामसुन्दर दास जी को बिहार के तत्कालीन समादृत, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भारत की लोक-सभा में जद(यू) का नेता भी बनवाया। यह भी ध्यान देने योग्य है। श्री लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार दिशाविहीनता, गतिविहीनता तथा विकासहीनता की ओर लगातार बढ़ता गया। राज्य में अपराधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से अराजकता व्याप्त हो गयी। पटना उच्च न्यायालय ने तो उनके शासन को 'जंगल राज' भी कहा था। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार सभी मानकों के लिहाज से सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो गया। श्री प्रसाद की अल्पकालिक सोच तथा उनके संकीर्ण विचार ने आंतरिक द्वेष-कलह उत्पन्न कर दिया। उन्होंने जातीय उन्माद उत्पन्न कर सामाजिक समरसता को लगभग छिन्न-भिन्न कर दिया। जनता दल की उबाऊ, उत्पीड़क एवं विधान सभा में निराशाजनक स्थिति को देखकर श्री नीतीश कुमारजी ने तो जनता दल से त्याग- पत्र देकर 14 लोक सभा सदस्यों के साथ अलग होकर 'समता पार्टी' की स्थापना करते हुए श्री प्रसादजी को चुनौती दी। 1995 के विधान सभा चुनाव में श्री लालूजी की पुनः जीत हुयी। परंतु, 'समता पार्टी' ने राजद के विकल्प की संभावना अवश्य बनायी। 1995 के विधान सभा चुनाव के समय मैंने प्रधानमंत्री श्री नरसिंहा राव साहब से कांग्रेस और समता पार्टी के साथ समझौता कर गठबंधन के रूप में कार्य करने की सलाह दी थी। मेरे विचार में सीटों पर तालमेल किया जा सकता था। श्री राव साहब सहमत भी थे, परंतु श्री सीताराम केसरी श्री लालू प्रसाद को कमजोर नहीं करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने समझौता नहीं होने दिया। अगर समता और कांग्रेस का गठबंधन 1995 के चुनाव में हुआ होता तो आज बिहार की राजनीति कुछ और ही होती।

हालांकि 1996, 1998 एवं 1999 के लोक सभा चुनावों में श्री लालूजी की पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या लगातार घटती गयी और उन्हीं चुनावों में समता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के अधिक उम्मीदवारों की जीत होती गयी। 1998-99 में केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर 1990 से मार्च, 2005 तक की राजनीति का विश्लेषण किया जाय तो ऐसा लगता है कि श्री लालू प्रसाद की लोकप्रियता में लगातार कमी आती गयी, जिसके फलस्वरूप ही वर्ष 2000 के विधान सभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भारी नुकसान का सामना करना

पड़ा। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनी। श्री नीतीश कुमारजी की सरकार बनी। किन्तु, सरकार को विधान सभा में बहुमत दिलाने में वे सफल नहीं हो पाये। उस समय भी मैंने कांग्रेस का समर्थन श्री नीतीश कुमारजी के पक्ष में दिलाने का प्रयत्न किया था, परंतु केन्द्रीय नेतृत्व श्री लालू प्रसाद के पक्ष में था। अतएव कांग्रेस की मदद से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, जिसमें श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनीं। इस प्रकार बिहार की विकासहीनता के लिए कांग्रेस को भी लोगों ने जिम्मेवार माना है। यही कारण था कि बिहार में कांग्रेस के मात्र 9 उम्मीदवार ही वर्ष 2005 के विधान सभा चुनाव में विजयी हो सके। आम लोगों में राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस के प्रति आक्रोश लगातार बढ़ता गया और श्री नीतीश कुमार के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। फरवरी, 2005 के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। फलतः बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 24 नवम्बर, 2005 को विधान सभा चुनाव में जद-भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, जिससे श्री नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए।

वर्ष 1997 के जुलाई माह में जनता दल में टूट-फूट हुई थी। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादवजी निर्वाचित हुये। कुछ दिनों के लिए, श्री लालू प्रसादजी जनता दल के तदर्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे किन्तु, औपचारिक चुनाव में वे श्री शरद यादवजी से पराजित हुए। श्री लालू प्रसाद ने 5 जुलाई, 1997 को जनता दल की दिल्ली के बिहार भवन में, एक बैठक आयोजित की, जिसमें श्री लालू प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया गया। जनता दल के इस विभाजन के बाद बिहार विधान सभा में जनता दल सरकार अल्पमत में आ गयी। ऐसे में बिहार के राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद को विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने का निदेश दिया गया। 15 जुलाई, 1997 को सरकार के पक्ष में विधान सभा में प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। उस समय की कांग्रेस पार्टी ने श्री लालू प्रसाद की मदद के उद्देश्य से ही अपने 29 विधायकों को मतदान में तटस्थ रहने का निदेश दिया जिसका मैंने काफी विरोध किया। मैंने कांग्रेस आलाकमान और विधायकों से अलग-अलग अपील की थी कि वे सरकार के विरुद्ध मतदान करें, सरकार गिरने दें। सरकार गिरने पर अगर मध्यावधि चुनाव होगा तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा। लेकिन उस समय कांग्रेस की विधान सभा के मतदान

में तटस्थता रही। श्री लालू प्रसाद ने झारखण्ड के 19 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर बहुमत साबित किया। मैंने उस समय कांग्रेस के तटस्थ रहने के निर्णय का पुरजोर विरोध किया था। मैंने कांग्रेस के प्रत्येक विधायक को अलग-अलग पत्र देकर अनुरोध किया था कि वे श्री लालू प्रसाद की सरकार के समर्थन में तटस्थ नहीं रहें, किन्तु कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर ही शायद मेरी उस अपील को मान्यता नहीं दी गयी। अन्ततः श्री लालू प्रसाद की ही जीत हुई। कुछ दिनों के बाद चारा घोटाले में श्री लालू प्रसाद की गिरफ्तारी निश्चित हुई एवं तत्पश्चात् तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल द्वारा श्री लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र देने का निर्देश दिया गया। श्री लालू प्रसाद के त्याग-पत्र देने के बाद राजद विधान मंडल दल ने सर्वसम्मति से श्रीमती राबड़ी देवी को नेता चुन लिया। उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी को तत्कालीन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें बहुमत साबित करने का निर्देश राज्यपाल द्वारा दिया गया। 28 जुलाई, 1997 को बिहार विधान सभा में सरकार के पक्ष में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई, 1997 को मतदान में कांग्रेस के विधायकों ने अपने को तटस्थ रखा, किन्तु श्रीमती राबड़ी देवी के पक्ष में कांग्रेसजनों ने अपना मतदान किया। वहीं श्री लालू प्रसाद ने श्रीमती राबड़ी देवी के पक्ष में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेता श्री शिबू सोरेन से श्रीमती राबड़ी देवी के पक्ष में मतदान करने के लिए एक समझौता किया। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने श्री लालू प्रसाद से कहा कि वे इस शर्त्त पर समर्थन देंगे कि, श्री लालू प्रसाद को झारखण्ड को अलग राज्य बनाने के लिए विधान सभा से केन्द्र सरकार को अनुशंसा करनी होगी। एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गयी, क्योंकि एक तरफ श्री लालूजी ने पूर्व में घोषणा कर रखी थी कि बिहार का विभाजन उनकी लाश पर ही हो सकता है, दूसरी ओर उन्हें राबड़ी सरकार को बचाना भी था। अतः उन्होंने इस घोषणा के विरुद्ध अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए ही अपनी सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की शर्त्त को स्वीकार करते हुए उनके समर्थन से विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित करबाया। इसी प्रकार श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार बहुमत प्राप्त करने में सफल हुई थी। इस अवसर पर भी मैंने कांग्रेस आलाकमान के निर्णय का विरोध किया था। विधायकों से कहा

था कि यह आत्मघाती निर्णय है; वे स्वविवेक से अपना निर्णय लें तथा श्रीमती राबड़ी देवी सरकार के पक्ष में मत नही दें। 15 जुलाई, 1997 को श्री लालू प्रसाद को तथा 28 जुलाई, 1997 को श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार को समर्थन नही देने की मेरी अपील को आलाकमान ने दलीय अनुशासन के विरुद्ध करार दिया।

मैने सरकार को समर्थन नहीं देने हेतु आलाकमान पर दबाव बनाने के उद्देश्य से 3 अगस्त, 1997 को राज्य के प्रतिबद्ध कांग्रेसजनों का सम्मेलन किया। 3 अगस्त, 1997 को बड़े पैमाने पर आम कांग्रेस शुभेच्छुजन ने पटना के 'कांग्रेस बचाओ' सम्मेलन में आक्रामक रुख प्रदर्शित किया। अपने अस्तित्व को बचाने तथा राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाने के संबंध में जिस तरह का निश्चय दिखाया उससे वास्तविक कांग्रेसियों के मन की बेहद बेचैनी और सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने हर कीमत पर और हर अवस्था में इस गठजोड़ का विरोध किया। 9 सितम्बर, 1997 को पटना में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनावी गठबंधन का संकेत भी कांग्रेसजनों को स्वीकार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कठोर व्यावहारिक एवं उपयोगी राजनीतिक निर्णय के लिए मानसिकता बनानी थी। इसके लिए अपने निष्ठावान कांग्रेस साथियों को विश्वास में लेना था। अत: इस नाजुक एवं संवेदनशील राजनीतिक दौर में सावधानी, सतर्कता एवं धैर्य के साथ पूरा साहस दिखाने की दृष्टि से सभी जिला, प्रखंड और पंचायत स्तरों पर अधिक से अधिक साथियों से संपर्क स्थापित करके उन्हें 'कांग्रेस बचाओ मंच' का सदस्य इस आशय से बनाया गया कि हम सभी मिलकर राज्य एवं कांग्रेस के हित में उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे।

3 अगस्त के उस सम्मेलन के दिन लगभग 15 हजार कार्यकर्त्ताओं द्वारा संकल्प-पत्र भरकर ''कांग्रेस बचाओ मंच'' का गठन करने का निश्चय किया गया। उससे मुझे बहुत साहस हुआ। किन्तु, इस बीच मुझे राजनीतिक रूप से निहत्था करके घेरने की अनेक कोशिशें की गयीं। उनका सोचना था कि इससे 'कांग्रेस बचाओ मंच' का काम रुक जायेगा। किन्तु, व्यक्ति विशेष अथवा कुछ व्यक्तियों को घेरना तो संभव है, पर हजारों-लाखों कार्यकर्ताओं को घेर पाना किसी भी ताकत के लिए संभव नही है। कांग्रेस पार्टी अभी संकट के दौर से गुजर रही थी। मैं इसे संभालने का प्रयास कर रहा था। जनता के सहयोग,

सद्भाव और समर्थन पर मैंने बराबर भरोसा रखा है। लोगों ने बराबर सुख-दु:ख में मेरा साथ दिया है। उनका बल पाकर ही मैंने अनेक दुष्चक्रों का सामना किया और अपने विरुद्ध चलाये गये षड्यंत्रों को नाकामयाब करने में सफलता पायी। किन्तु, कांग्रेस की छवि को बचाने तथा उसके आत्म-रक्षार्थ उठाये गये कदम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष श्री केसरी ने दल विरोधी आचरण करार देते हुए मुझे छह वर्षों के लिए कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इस निष्कासन के बाद भी मैंने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं के समक्ष अपनी बात स्पष्ट की कि मैंने कांग्रेस को बचाये रखने के लिए ही उक्त सम्मेलन का आयोजन किया था। सभी केन्द्रीय नेताओं, विभिन्न राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों तथा प्रदेश अध्यक्षों के समक्ष मैंने लिखित वस्तुस्थिति की जानकारी भी दी। परंतु, किसी भी नेता ने मेरे पक्ष की बातें कतिपय कारणों से कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष नहीं रखीं। मैंने कांग्रेस को बचाने के लिए राज्यव्यापी दौरा किया, कांग्रेस बचाओ सम्मेलन किया। अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 1997 में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के साथ ही अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पत्र द्वारा कांग्रेस को बचाने के लिए बिहार की राजनीतिक स्थितियों से अवगत कराया था। परंतु, जैसा कि मैंने ऊपर में ही कहा है कि दुर्भाग्यवश किसी भी कांग्रेस नेता ने इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। 18 नवम्बर, 1997 को मैंने श्रीमती सोनिया गांधी से इस आधार पर मुलाकात की कि वे ही एक मात्र अपने हस्तक्षेप से बिहार में कांग्रेस को पूर्ण विनष्ट होने से बचा सकती हैं। 'राष्ट्रीय सहारा' से बातचीत में मैंने कहा था कि श्री सीताराम केसरी ही बिहार कांग्रेस को नष्ट करने में लगे हुये हैं और मात्र श्रीमती सोनिया गांधी ही हस्तक्षेप कर इसे बचा सकती हैं। मैंने यह भी कहा था कि अभी यदि श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं आगे नहीं आती हैं तो आनेवाली पीढ़ी बिहार कांग्रेस को विनष्ट होते देख उन्हें ही जिम्मेवार मानेगी। बिहार कांग्रेस की सकारात्मक छवि हमारे समर्थकों द्वारा लगातार बनायी रखी गयी। 15 लाख से अधिक हमारे समर्थक कांग्रेस सदस्य बने थे। उन्हें बिहार के कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेने दिया गया। व्यक्तिगत राजनीति के लिए श्री केसरी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाये रखना चाहते थे। इन सभी बातों को सुनकर किन्हीं कारणों से श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था कि उनकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है, वह मदद नहीं कर सकती हैं। उस समय मैंने

उनसे कहा था कि आपका संरक्षण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुझे अपने समर्थकों के आत्म सम्मान एवं कांग्रेस के रक्षार्थ अलग पार्टी बनानी पड़ सकती है, ताकि कांग्रेसजनों को राष्ट्रीय जनता दल अथवा दूसरे दल में जाने से रोका जा सके।

उन दिनों मेरे हजारों कांग्रेसी साथी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरे साथ खड़े थे। उपकृत हुए व्यक्ति, लाभ लेने वाले व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सुविधा एवं अवसरवादिता के लिए भले अलग गये हों, परंतु सरजमीन से जुड़े निष्ठावान समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्त्तागण मेरे साथ सदैव जुड़े रहे। यह हमारे जैसे एक कार्यकर्त्ता के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। ऐसे साथियों को हमने कुछ दिया नहीं, देने को था ही क्या सिवाए स्नेह, प्रेम और समर्थन के? हमारी निष्ठा और उपयोगिता कांग्रेस के लिए थी। यह अनुभूति राज्य के हजारों-हजार साथियों को भी थी। कुछ नेताओं की नजर में हमारी सार्थकता एवं उपयोगिता भले नहीं हो, लेकिन जनमानस में मुझसे जुड़े रहने का यह भाव अभी भी जीवित है, सक्रिय है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सच्चे कांग्रेसजन नहीं जा सकते। मैं इस बात को भलीभांति जानता हूँ। इसीलिए हमने लगातार इस तालमेल का विरोध किया। ऐसे संभावित गठबंधन से कांग्रेस द्वारा राजद को समर्थन दिये जाने में कांग्रेस की पहचान मिटाने की साजिश स्पष्ट दिखती थी, उस समय यह भी सत्यापित हुआ कि कौन से तत्व और कौन नेता राजद के साथ मिल रहे हैं। वस्तुतः बिहार में कांग्रेस पार्टी को आम लोगों के बीच लालू कांग्रेस के रूप में जाना जाने लगा। इन परिस्थितियों में मेरे जैसे समर्पित कांग्रेसी के लिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं था। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी काँग्रेस के साथ गठबंधन पर राजद के वर्चस्व को भी प्रायः स्वीकारते हुए आमादा थी कि दरभंगा से भी 2004 के लोक सभा चुनाव में राकांपा का भी उम्मीदवार मुझे नहीं बनाया जाय जिस राकांपा में अपनी पार्टी 'भारतीय जन काँग्रेस' का विलय कर दिया गया, जिस राकांपा के लिए बिहार और झारखंड में निरंतर एड़ी-चोटी का पसीना बहाया, उसी राकांपा का मेरे विरुद्ध यह विस्मयकारी छलावापूर्ण व्यवहार! यह मेरे सिद्धांत और मनोबल के पूर्णतः विरुद्ध था और फलतः मैंने अपने को राकांपा से भी अपने साथियों के साथ अलग कर लिया, क्योंकि अभी समर शेष था। उन दिनों एक राजनीतिक सशक्त विकल्प के रूप में जद (यू॰) बिहार में उभर चुकी थी। श्री नीतीश कुमार, श्री जार्ज फर्नांडिस तथा श्री शरद

यादव जैसे नेताओं ने राजद के विरुद्ध 2000 के चुनाव में ही संभावना बनायी कि जद (यू॰) पार्टी एक सशक्त राजद विरोधी सरकार बिहार में दे सकती है। मैं राजद सरकार का विरोधी था तथा बिहार के हित में उस सरकार को अपदस्थ करना मैंने उचित समझा। ऐसी परिस्थिति में श्री नीतीश कुमार, श्री जार्ज साहब, तथा श्री शरद यादवजी से मैंने चर्चा की। उन लोगों ने बड़े ही सम्मान के साथ मुझे अपने सभी समर्थकों के साथ जद (यू॰) में शामिल किया। 4 मार्च, 2004 को ही 9,000 से अधिक समर्थकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात् जद (यू॰) में राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा जिला इकाइयों में विभिन्न पदों पर अनेक लोगों को आसीन कराया गया।

मुझे 2004 के लोक सभा चुनाव में जद(यू॰) ने झंझारपुर से उम्मीदवार घोषित किया। यह कैसी विडम्बना है कि 1991 में श्री राजीव गांधी की पार्टी का उम्मीदवार होने के चलते एवं 2004 में जद (यू॰) का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से होने के कारण अल्पसंख्यकों ने अपेक्षानुसार मेरे पक्ष में मतदान नहीं किया। हमारी धर्मनिरपेक्षता, प्रतिबद्धता तथा उर्दू, मदरसा तथा अल्पसंख्यकों की अन्य सेवाओं पर विचार किये बगैर इन दोनों चुनावी परिणामों ने हमारे मन में बुनियादी मान्यताओं की चुनौती अवश्य पैदा कर दी थी किन्तु, उसके बावजूद मेरे विचारों में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं आया। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हमारी प्रतिवद्धता आज भी पूर्ववत् ही है। 2004 की चुनावी हार का एक और कारण दिखता है कि मैं जद (यू॰) का उम्मीदवार था, किन्तु भाजपा के आर॰एस॰एस॰ के लोग मुझसे उर्दू के कारण नाराज थे। प्रखंड स्तर पर भाजपा तथा जद (यू॰) संगठन के कार्यकर्ता थे। पण्डौल विधान सभा में जद (यू॰) का संगठन नहीं था एवं उसके कार्यकर्ता नहीं थे, वहाँ हमने भाजपा को उत्तरदायित्व सौंपा था। परंतु, भाजपा के लोग चुनाव के दिन मधुबनी चले गये एवं वहां से खड़े भाजपा के उम्मीदवार श्री हुकुमदेव नारायण यादव की मदद में उन्होंने कार्य किया। जबकि, मतदान केन्द्रों का प्रबंधन कार्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया था। यही कारण लगता है कि मैं पण्डौल विधान सभा क्षेत्र से पराजित हुआ। हालांकि मधुबनी, झंझारपुर क्षेत्रों के चुनाव प्रचार के दौरान मुझे अल्पसंख्यक समूहों ने कहा था कि आपके शासनकाल में मुसलमानों के लिए किये गये कार्यो से मुसलमान समूह संतुष्ट अवश्य है, आप मुसलमानों के संरक्षक रहे हैं यह भी सही है किन्तु, इस चुनाव

में आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इसलिए हमलोगों को समर्थन देने में कठिनाई है। मैंने अल्पसंख्यकों की अलग गोष्ठियों एवं अन्य सभाओं में यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि 1991 के मधुबनी लोक सभा चुनाव में मैं उम्मीदवार था। उस समय मुसलमानों ने मुझसे कहा था कि आप राजीव गांधी की पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का शिलान्यास करवाया, ताला खुलवाया। अतः उनके उम्मीदवार को समर्थन देना संभव नहीं है। हालांकि आप स्वयं धर्म निरपेक्ष और मुसलमानों के हिमायती हैं, फिर भी वर्तमान परिस्थिति में हमलोगों को आपको समर्थन देना संभव नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि एक बार राजीव गांधी की पार्टी का उम्मीदवार होने के कारण समर्थन नहीं दिया, फिर दूसरी बार झंझारपुर में भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार होने के नाते मुझे समर्थन नहीं दिया जा रहा है तो फिर मेरे जैसे लोग जो ईमानदारी से अल्पसंख्यक समूहों की प्रतिबद्धता से सेवा करता आ रहा है, ऐसे लोगो के लिए क्या गुंजाइश रह जाती है?

हमने झंझारपुर के लोक सभा चुनाव में यह अनुभव किया कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं विद्यार्थी परिषद् के समर्थक मुझसे नाराज थे क्योंकि, मैंने अपने शासनकाल में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। इसके चलते इनलोगों ने मेरे विरुद्ध अभियान चलाया था। यहाँ तक कि मधुबनी, दरभंगा में मेरे उपनाम को बदल कर मिश्र की जगह 'मौलवी' भी कहा गया। मेरी खिल्ली भी उड़ायी जाती रही है। फिर भी जिनके कारण विरोध होता रहा, उन्हीं अल्पसंख्यकों का भी अपेक्षित समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। इन दोनों लोक सभा चुनावों में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, स्वयं सेवक संघ और विद्यार्थी परिषद् की नाराजगी का मुख्य कारण मेरी उर्दू एवं मुसलिम अल्पसंख्यकों के प्रति प्रतिबद्धता रही। जबकि दूसरी ओर अल्पसंख्यक समूह इस बात से मुझसे नाराज थे कि मधुबनी में 1991 के लोक सभा चुनाव में मैं राजीव गांधी की कांग्रेस का उम्मीदवार रहा था और 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले जद(यू)का था। इन दोनों चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने से मुझे लगता है कि धर्म निरपेक्ष और सिद्धांत पर आधारित राजनीति करने वालों के लिए वर्तमान परिस्थिति में राजनीति कठिन होती गयी है। इस बात की पीड़ा अवश्य है कि मैंने अपने शासनकाल में मिथिलांचल के समेकित विकास यथा शिक्षा, मैथिली, मधुबनी पेंटिग, सड़क,

बिजली, उद्योग आदि के लिए अनेको विकासोन्मुख निर्णय लेने के साथ ही मिथिला की, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए हमेशा सक्रियता दिखायी। किन्तु जैसे वे विकास से विमुख, उदासीन हो गये। पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि 1975-77 में मेरे द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णयों में अकादमियों की स्थापना करना भी सम्मिलित है। मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत, उर्दू एवं बंगला आदि भाषाओं की अकादमियाँ स्थापित की गयी एवं तब से राजधानी पटना में चल रही हैं। अन्य भाषाओं के साथ मैथिली भाषा का भी विकास स्थापित मैथिली अकादमी से होता आ रहा था। निश्चय ही मधुबनी के लिए भी मैथिली अकादमी की उपादेयता भाषा साहित्य के क्षेत्र में आम जनता को लाभान्वित करती रही। इतना ही नहीं 1977-79 के बीच कर्पूरी ठाकुर की जनता दल सरकार ने भी मैथिली की प्रविष्टि के लिए बिहार विधान सभा से प्रस्ताव पारित कराया था। तत्पश्चात् 1980-83 के बीच मेरी सरकार द्वारा भी सम्यक प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजा गया था। दुर्भाग्यवश इन सभी क्रियाकलापों का भी असर मेरे निर्वाचन के पक्ष में भरपूर नहीं हो सका। इन सारे तथ्यों के बावजूद मेरा विरोध हुआ जिसकी मुझे आशा नहीं थी। उसी के कारण मेरी पराजय हुई। जद (यू॰) के उम्मीदवार के रूप में मुझे हार का मलाल है। श्री जार्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव तथा श्री नीतीश कुमारजी से मुझे निरंतर आदर मिलता रहा है। इस कारण से मुझे उस हार का गम अब नहीं सताता है और जद (यू)में सहजता के साथ-साथ प्रसन्नता का भी अनुभव करता हूँ।

इस प्रसंग में उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख करना समीचीन दीखता है वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोगों को यह मालूम हो सके कि उन दिनों राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी एवं कितनी गंभीर थी । राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जैसी घटनाएं घट रही थीं, उसका विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होता है कि दबाव और बदले की राजनीतिक मानसिकता उच्च स्तर पर परिलक्षित हो रही थी। उन घटनाओं में मैं भी व्यक्तिगत रूप से संलग्न रहा। विशेषकर 1987 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के बीच कुछ मुद्दों पर वैचारिक भिन्नता उत्पन्न हो गयी थी और विशेषकर राजीव गांधी के विरुद्ध 'बोफोर्स' मुद्दा उजागर होने से देश में राजीव गांधी के विरुद्ध एक विपरीत माहौल बन रहा था। उसमें श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री अरुण नेहरू जैसे लोगों की बड़ी सक्रियता दीख

रही थी। संसद के भीतर और संसद के बाहर राजीव गांधी के विरुद्ध विरोधी पार्टियाँ अधिक सक्रियता से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाये जाने के लिए ज्ञानी जैल सिंह के माध्यम से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ करने की योजना बनाने में संलग्न थे। दूसरा हरियाणा विधान सभा की 1987 की चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई। इस पराजय को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और उस समय के विरोधी पक्ष के नेतागण द्वारा राजीव गांधी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप को साबित कर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के पराजय में भारतीय जनमत को आंकने की कोशिश की जा रही थी। राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह में इतना दुराव हो गया था कि श्री राजीव गांधी भूल रहे थे कि 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की जघन्य हत्या के समय जब श्री राजीव गांधी दिल्ली से बाहर पं० बंगाल के दौरे पर थे एवं घटना की सूचना पाते ही दिल्ली आये तो उनके आने के पहले तक इंदिरा गांधी की मौत की घटना को तब तक सरकारी स्तर पर सम्पुष्ट नहीं किया गया जब तक कि श्री राजीव गांधी दिल्ली पहुंच नही गये। प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो चुका था, तत्काल व्यवस्था राष्ट्रपति को करनी थी। कांग्रेस संसदीय दल उस समय राजीव गांधी को संसदीय दल का नेता नही चुन पाया था। उसी आपातकाल में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जिनकी वफादारी इंदिरा-राजीव के साथ लगातार बनी रही थी, वे स्वयं राष्ट्रपति के अधिकार के तहत राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद संसदीय दल के नेता चुने जाने की औपचारिकताएं पूरी की गयीं। ज्ञानी जैल सिंह ने असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रहित में राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाएं दिल्ली और दिल्ली के बाहर होने लगीं। हजारों बेकसूर सिखों की हत्याएं हुई और करोड़ों की सम्पत्ति बर्बाद की गयी। सरकार कुछ करने में विफल हो रही थी, वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति की हैसियत से ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से अनेक बार सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की, दंगा के नेतृत्व के लिए। लेकिन ऐसे समय में राजीव गांधी ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से न सम्पर्क किया और न ही दंगा रोक पाने के लिए कोई कठोर कार्रवाई ही की। प्रधानमंत्री की उदासीनता और

उनके निष्प्रभावी होने से ज्ञानी जैल सिंह बहुत दु:खी हुए। ऐसी घटना ने सम्भवत: इन दोनों के बीच विभेद और दुराव का एक मुख्य आधार बनाया होगा। इस घटना के बाद सरकारी स्तर पर कोई विभेद उजागर नहीं हुआ, परन्तु 'बोफोर्स' मामले के उजागर होने के बाद विपक्षी दलों का दबाव राष्ट्रपति पर लगातार बढ़ता गया। विरोधी पक्ष में जार्ज फर्णांडिस और कांग्रेस के ऐसे लोग जो राजीव गांधी से असंतुष्ट चल रहे थे, जैसे विद्याचरण शुक्ल जैसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के नेता, विपक्षी दल राष्ट्रपति पर दबाव बनाये हुए रहे और राजीव गांधी की लोकप्रियता को दबाया जाता रहा था। बोफोर्स मामले को लेकर राजीव गांधी के विरुद्ध एक विपरीत माहौल बना दिया गया था। उधर हरियाणा में कांग्रेस की पराजय हुई। इन तथ्यों के आलोक में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने संवैधानिक अधिकार के अन्तर्गत प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर सकते थे और नये व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते थे। राष्ट्रपति सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, इसलिए वे (ज्ञानी जैल सिंह) इस मामले में आश्वस्त थे कि असाधारण परिस्थिति में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के क्रम में अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो परिस्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। उस समय सर्वविदित था कि राजीव गांधी के दबाव पर ही 1983 में मुझे हटाया गया था। मुझे हटाने में राजीव गांधी और अरुण नेहरू की अहम् भूमिका रही। इसी के विरुद्ध कांग्रेस के विरोधी विक्षुब्ध दलों के लोगों की अपेक्षा थी कि मेरा सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। उन दिनों आमतौर पर यह सार्वजनिक रूप से चर्चित था कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से हमारी बड़ी निकटता है, इसलिए 1982 में जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चयन किया जा रहा था उस समय मैंने और श्री आर०के०धवन ने इंदिरा गांधी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी के भीतर एक दल बनाया। ज्ञानी जैल सिंह की पूर्ण निष्ठा इंदिरा जी के साथ थी। सम्भवत: ज्ञानी जैल सिंह को हमारे जैसे लोगों पर भरोसा था इसलिए राष्ट्रपति भवन में जब कांग्रेस के विक्षुब्ध नेताओं के साथ विमर्श हुआ करता था राजीव गांधी को हटाने के लिए, तो उसमें मुझे भी सामान्यतया ऐसी स्थिति में सम्मिलित किया जाता रहा। कांग्रेस के ऐसे लोग जो राजीव गांधी के विरुद्ध थे उन्होंने और विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने ज्ञानी जैल सिंह के विचारों के साथ सहमति दी थी। देश की असाधारण स्थिति राजीव गांधी के

विरुद्ध बन गयी थी। अगर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर किसी दूसरे को बनाने का विचार बनता तो ज्ञानी जैल सिंह, प्रधानमंत्री के पद से राजीव गांधी को हटाने में सफल हो सकते थे। विमर्श के दौरान यही सहमति बनी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू इनमें से किसी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी जा सकती है। परन्तु विश्वनाथ प्रताप सिंह और अरुण नेहरू की सहमति नहीं बनी। अन्त में सभी विपक्षी दलों और कांग्रेस के लोगों की राय बनी कि महाराष्ट्र के वसंतदादा पाटिल को प्रधानमंत्री बनाकर राजीव गांधी को अपदस्थ किया जा सकता है। गंभीर चिन्तन के बाद राष्ट्रपति के स्तर पर आम सहमति बनी कि श्री पाटिल को प्रधानमंत्री बनाया जाय। जब मुझे लगा कि आम सहमति श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बन रही है तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी ही अलोकतांत्रिक बात होगी, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था जहां लोकसभा में कांग्रेस के 415 सदस्यों का समर्थन राजीव गांधी को था, अगर लोक सभा के विशाल बहुमत प्राप्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाता है तो वह लोकतंत्र के सिद्धांतों और बुनियाद के विरुद्ध तो होगा ही देश के लोकतंत्र और भविष्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अत: मैंने तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से एक घंटा से भी अधिक एकांत में विमर्श किया और मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि यह सही है कि मैं राजीव गांधी द्वारा मेरे प्रति किये गये व्यवहार से दु:खी हूँ कि इंदिरा जी के न चाहने पर भी मुझे उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाया था, फिर भी मैं लोकतंत्र के विरुद्ध ऐसा कोई आचरण स्वीकार नहीं कर सकता जिससे लोकतंत्र कमजोर हो। मैंने ज्ञानी जैल सिंह जी को अपने तर्कों से संतुष्ट किया कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इंदिरा जी के वफादार रहे हैं एवं लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं अगर आपने इस पृष्ठभूमि में 415 लोकसभा सदस्यों के समर्थन प्राप्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से हटाया तो लोकतंत्र तो कलंकित होगा ही आप भी इतिहास में कलंकित होंगे और अगर किसी प्रकार का क्रोध, असंतोष, अपमान उन्हें हुआ हो तो भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि लोकतंत्र कलंकित हो जाय। मैंने महसूस किया कि मेरे तर्कों से वे संतुष्ट हुए और बाद में अपने क्रोध, असंतोष और अपमान को भूलते हुए इंदिरा जी के प्रति अपनी वफादारी प्रकट करते हुए उनके सुपुत्र श्री राजीव गांधी को, पद से नहीं हटाया। यह ऐसी घटना है जिसकी चर्चा आमतौर पर नहीं हुई, लेकिन

ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच के विरोध एवं प्रधानमंत्री पद से हटाये जाने की चर्चा समाचार-पत्रों में लगातार होती रही। राजीव गांधी को हमारी वफादारी पर सम्भवत: इसलिए शक रहा करता था, क्योंकि मैं संजय गांधी के भी समीप रहा और श्री संजय गांधी की मौत के बाद उनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी से भी मेरा सम्पर्क बना रहा। सम्भवत: इसी पृष्ठभूमि में मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने में राजीव गांधी की भूमिका थी। परन्तु जब 1989 में श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने सम्भवत: राजीव गांधी से अनौपचारिक रूप से कहा था कि "आपने डॉ० मिश्र को मुख्यमंत्री पद से हटाया, लेकिन कांग्रेस के जितने भी आपके निकट हैं, उनमें से 1987 के दौर में मेरे और आपके बीच जो विरोध चल रहा था और प्रधानमंत्री पद से आपको हटाने की बात चल रही थी उस समय एकमात्र डॉ० मिश्र ही थे, जिन्होंने आपके पक्ष में बड़ी दलीलें पेश की थीं। आपका शुभचिन्तक रहे हैं। इसलिए अगर सत्येन्द्र बाबू को हटाया जा रहा हो तो उन्हें डॉ. मिश्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।" इसलिये जब राजीव गांधी ने दिसम्बर 1989 में मुझे बुलाकर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, उसी समय राजीव जी ने मुझसे यह भी कहा था कि गलतफहमी में आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। आपकी वफादारी के बारे में ज्ञानी जैल सिंह जी ने मुझे पूरी बात बतायी है। दूसरी बात राजीव जी ने मुझसे कहा कि मुझपर जो गलतफहमी और झूठे आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाये, उससे ही उन्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप जो मुझपर लगाये गये थे, उन आरोपों की जांच प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्होंने करायी, एक भी आरोप की सत्यता स्थापित नहीं हुई। सभी आरोप बे-बुनियादी और सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थे। इसलिए वे इस बात से संतुष्ट थे कि मुझे हटाना अनुचित हुआ। उन्होंने मुझसे यह बात भी कही थी कि, "राजनीति में कोई भी व्यक्ति समाचार वालों से पक्ष की अपेक्षा रखता है, उसे पक्ष में रखने की कोशिश करता है। जिस व्यक्ति में मानवीय कमजोरियां होंगी, भ्रष्टाचार लिप्त होगा, वह व्यक्ति प्रेस-बिल जैसा विवादित विधेयक नहीं ला सकता, क्योंकि आपके द्वारा 1982 में प्रेस-बिल विधानमंडल से पारित कराया गया। इससे साबित हुआ कि जो शिकायतें की गयीं उनकी कोई प्रमाणिकता नहीं रही।" इसी कारण श्री राजीव गांधी ने 1989 में मुझे मुख्यमंत्री

बनाने की बात कही। मैंने अनिच्छा जाहिर की, उस समय राजीव जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने 1983 में मुझे हटाकर अनेक प्रयास किये। हमारे विकल्प के श्री चन्द्रशेखर सिंह हों, श्री दुबे हों, श्री आजाद हों या श्री सत्येन्द्र जी हों, कोई भी मुख्यमंत्री जनसमर्थन नहीं जुटा पाया। अकेले आपने सबका मुकाबला करते हुए अपना जनाधार बनाये रखा। उन्होंने यह भी कहा कि 1989 में दरभंगा स्नातक क्षेत्र से चन्द्रशेखर बाबू और नारायण मेहता ने नीलांबर चौधरी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया, परन्तु मेरे समर्थक कमलनाथ सिंह ठाकुर विजयी होकर स्थापित हुए। उस क्षेत्र में आपका समर्थन व्याप्त है। इन चुनावों के बाद ही शायद राजीव जी को लगा कि मेरे पूर्ण समर्थन के बगैर दिसम्बर 1984 में होनेवाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में कठिनाई हो सकती है। अतएव उन्होंने मुझे बुलाया और समर्थन देने की बात कही तो मैंने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री पद से मुझे हटाये जाने के बाद हमारे समर्थक कांग्रेस के रफीक आलम को हटाकर श्री राम शरण बाबू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए लोकसभा चुनाव में हमारा समर्थन चाहते हैं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस पद पर मेरे समर्थक को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर विचार करना पड़ेगा। उनकी सहमति मिली। मेरे द्वारा प्रस्तावित श्री बिन्देश्वरी दुबे को बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत के बाद राजीव गांधी को आपार समर्थन प्राप्त था। उस लोक सभा चुनाव में दरभंगा से जहां कांग्रेस के बड़े नेता हरिनाथ मिश्र, जो भारत सरकार में मंत्री थे, का मुकाबला कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली दमकिपा (दलित मजदूर किसान पार्टी) से हमारे भतीजे श्री विजय कुमार मिश्र से हुआ। दरभंगा क्षेत्र के सभी हमारे समर्थकों ने उन्हें समर्थन दिया और हरिनाथ मिश्र पराजित हुए। राजीव गांधी पर असर पड़ा। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा लोक सभा चुनाव परिणाम के बाद मिथिलांचल की पराजय ने साबित किया आपके सक्रिय समर्थन के बगैर विधानसभा में जीत नहीं हो सकती। इसलिए आपका समर्थन जरूरी है। उस समय मैंने उन्हें बताया कि चन्द्रशेखर जी ने मुझे और हमारे समर्थकों को प्रताड़ित किया है, इसलिए चन्द्रशेखर बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे समर्थक सक्रिय नहीं हो सकते। इसलिए हमारे समर्थकों का सहयोग चाहिये तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदलने पर विचार करना पड़ेगा। स्थिति को भांपते हुए राजीव गांधी ने इसपर सहमति दी। सम्भवतः उनकी सहमति के कारण ही

विध्सानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार के चयन में हमारे और दुबे जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या बढ़ायी गयी। हालांकि अरुण नेहरू के दबाव पर 13 अगस्त 1983 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा था उस समय पार्टी के दो तिहाई विधायक राजभवन में श्री प्रणब मुखर्जी और अरुण नेहरू का विरोध करते रहे। उस समय जो हमारे समर्थक हतोत्साहित थे, वैसे विधायकों का टिकट काटा गया। लेकिन नये उम्मीदवारों के चयन में हमारे समर्थक आये। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अच्छी जीत हुई। मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए श्री बंशीलाल पर्यवेक्षक बनकर आये राय लेने। विशाल बहुमत ने मेरे नाम का समर्थन किया, लेकिन उस समय राजीव गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाकर हमारे द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार श्री दुबे जी को मुख्यमंत्री बनाया। लोकसभा, विधानसभा में हमारे द्वारा संचालित 'जन विकास मंच' के तत्वावधान में जन-जागरण के कार्यो ने श्री राजीव गांधी को प्रभावित किया और उनकी-मेरी निकटता बढ़ती गयी। परन्तु दिल्ली में नेताओं, विशेषकर सीताराम केसरी, एम०एल० फोतेदार जैसे लोगों ने मुझे एकाकी करने के उद्देश्य से मेरे और श्री दुबे के बीच दूरियाँ बढ़ायीं और सम्भवत: मुझे कमजोर करने के उद्देश्य से ही विधान परिषद् में मनोनीत सदस्य के लिए हमारी राय नहीं ली गयी। ऐसी चेष्टा दिल्ली के दबाव पर की जाती रही। मुझे सभी तरह से कमजोर किये जाने का प्रयास किया गया। उस समय हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रिया-कलापों को सीमित करने की हर संभव कोशिश की जाती रही। यहाँ तक कि मेरे द्वारा संचालित ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना का अधिग्रहण श्री दुबे की सरकार ने 1986 में कर लिया। उसी तरह दरभंगा में अवस्थित मेरे नाम से संचालित 'डॉ० जगन्नाथ मिश्रा इंस्ट्रीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी' का भी अधिग्रहण कर लिया। इससे हमारे और दुबे जी के बीच दूरियां बढ़ती गयीं। विधानमंडल में हमारे समर्थकों की संख्या अधिक थी। अत: सरकार का बना रहना कठिन था। परिस्थिति ऐसी बनती गयी कि श्री दुबे के लिए सरकार चलाना कठिन होता गया। मजबूरन नेतृत्व परिवर्तन की बात उठी। अन्ततोगत्वा राजीव जी राजी हुए और श्री भागवत झा आजाद को मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं को ऐसा लग रहा था, जब तक मेरे राजनीतिक आधार को कमजोर नहीं किया जायेगा, तब तक स्थायी विकल्प नहीं बन सकता। इसी दृष्टि से पहले चन्द्रशेखर बाबू फिर दुबे जी से

भागवत झा आजाद तक, सभी ने मेरा जनाधार कमजोर करने की कोशिशें कीं। सभी स्तरों पर हमारे लोगो की भूमिका को गौण किया जाता रहा। इसीक्रम में श्री भागवत झा आजाद द्वारा हमारे समर्थकों को तोड़ने की अनेक प्रकार की औपचारिक-अनौपचारिक कोशिशें की गयीं। विधायकों की नाराजगी बढ़ती गयी और कांग्रेस पार्टी के भीतर श्री आजाद का नेतृत्व बनाये रखना कठिन होता गया। दिल्ली से नेता भेजे गये, परन्तु आजाद को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाये रखने की परिकल्पना निष्फल रही। परिस्थितिवश विधायकों ने संकल्प लिया कि जब तक आजाद को मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जायेगा बजट पास करना विधानसभा में कठिन होगा। दिल्ली से गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह, माखन लाल फोतेदार जैसे बड़े नेता आये, बातचीत हुई, बजट स्वीकृत कर ली जाय फिर नेतृत्व परिवर्तन होगा। इसी पृष्ठभूमि में राजीव गांधी ने निर्णय लिया कि सत्येन्द्र बाबू को मुख्यमंत्री और मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाय। कांग्रेस विधायक दल सत्येन्द्र बाबू को नहीं चाहता था। सभी मेरे पक्ष में थे। अतः राजीव गांधी ने मुझे कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया और मुझपर जिम्मेवारी सौंपी गयी कि सत्येन्द्र बाबू को मुख्यमंत्री बनाने में सहमति बनाये। सत्येन्द्र बाबू के कार्यकाल में ही नवम्बर 1989 में भागलपुर में भीषण साम्प्रदायिक दंगा हुआ। आमलोगों ने एवं श्री राजीव गाँधी ने सत्येन्द्र बाबू को जिम्मेवार ठहराया। उसी दंगे के प्रभाव में उत्तर भारत में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। भागलपुर दंगे के बाद राजीव जी ने निश्चय किया कि विधानसभा चुनाव के पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाय।

1988-89 के दो वर्षों में राज्य सभा का सदस्य रहते हुये मैं श्री राजीव गांधी के काफी निकट होता गया और राज्य सभा में सरकार के पक्ष में मेरे द्वारा किये गये कार्यों और बिहार कांग्रेस में मेरे व्यापक समर्थन के साथ-साथ मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री को स्थायित्व नहीं प्राप्त होने के कारण ही सम्भवतः उनकी यह अवधारणा बनी होगी कि, मेरे विकल्प के रूप में पार्टी में जो भी प्रयास उनके द्वारा किये गये, वे सफल नहीं हो सके। अतः उन्होंने बिहार की जिम्मेदारी पुनः मुझे सौंपने का मन बनाया। उसी कड़ी में सभी तथ्यों के विश्लेषण के बाद 6 दिसम्बर, 1989 को उन्होंने मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस की स्थिति भागलपुर दंगा के बाद काफी बुरी थी। इसलिये एक सकारात्मक तथा प्रभावकारी विकल्प के रूप में उन्होंने मुझे यह

जिम्मेदारी सौंपी थी। इसप्रकार कालांतर में हमारे बीच की गलतफहमियाँ भी दूर हो गयीं।

स्मृतियों की कहानी दरअसल एक उपन्यास की तरह होती है। कभी वर्तमान, तो कभी अतीत। ऐसा ही एक प्रसंग 13 अगस्त, 1983 में कांग्रेस विधायक दल के नेता पद के चुनाव का। श्री प्रणब मुखर्जी तथा श्री अरुण नेहरू बिहार आये थे एवं उन दोनों ने बिहार कांग्रेस के विधायकों से अलग-अलग राय जानने की कोशिशें कीं। श्रीमती गांधी तथा श्री राजीव गांधी दोनों की सहमति श्री चन्द्रशेखर सिंह के नाम पर थी। इन दोनों केन्द्रीय व्यक्तियों के बिहार आने पर एक विद्रोह की स्थिति बन गयी थी। 170 विधान सभा सदस्यों में से 135 सदस्यों ने लिखित रूप से इन दोनों के समक्ष नेतृत्व परिवर्तन का विरोध प्रकट किया। श्री चन्द्रशेखरजी को नेता मानने से वे सभी असहमत थे। 13 अगस्त की पूरी रात इन दोनों ने राजभवन में अलग-अलग सदस्यों से राय ली, किन्तु मात्र 30 से 32 विधान परिषद् तथा विधान सभा के सदस्य ही चन्द्रशेखर बाबू को नेता मानने के पक्ष में थे। इस प्रकार पार्टी में एक भयानक विद्रोह का माहौल उत्पन्न हो गया था। मध्य रात्रि में श्री प्रणब मुखर्जी साहब ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। पार्टी की एकजुटता स्थापित करने की बेचैनी इन दोनों केन्द्रीय नेताओं में स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। श्री प्रणब बाबू ने मुझे मध्य रात्रि में श्रीमती गांधी का संदेश दिया और कहा कि एकता बनाये रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि आप श्री चन्द्रशेखर बाबू को मुख्यमंत्री स्वीकार करें। आपका समावेश केन्द्रीय मंत्रिमंडल में तत्काल कर लिया जायेगा। 13 अगस्त, 1983 को सभी विधायक पूरी रात मेरे आवास पर बैठे रहे। इन विधायकों की सहमति प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य था। परंतु, अथक प्रयास से आलाकमान के निदेश पर सहमति बन पायी।

अगले दिन विधानमंडल में नेता चयन के अवसर पर विधान मंडल दल ने सर्वसम्मति से वर्ष 1980-83 के बीच हमारे नेतृत्व में किये गये कार्यों की सराहना की। नये नेता का चयन हुआ एवं श्री चन्द्रशेखर बाबू मुख्यमंत्री बने। उनके मंत्रिमंडल में हमारे सुझाव पर कुछ मंत्री रखे गये किन्तु, हमारे अपार समर्थन को देखते हुए केन्द्र सरकार तथा श्री चन्द्रशेखरजी काफी असमंजस की स्थिति में थे। ऐसी परिस्थिति में सरकार का स्थायित्व प्राप्त कर पाना उन्हें

कठिन लग रहा था। उनके लिए यह चिन्ता का विषय बन गया था। अतएव चन्द्रशेखरजी ने हमारे समर्थकों को तोड़ने की कोशिशें कीं तथा पार्टी पर उनका नियंत्रण बने इसकी चेष्टायें की जाने लगीं। उन्होंने हमारे कार्यकाल में किये गये कार्यों की आलोचनाएँ करना भी जारी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे समर्थकों पर आक्रामक रुख भी अख्तियार किया था। हमारे साथ कार्य कर चुके सिविल और पुलिस पदाधिकारियों को स्थानांतरण और पदस्थापन के माध्यम से, आवास परिवर्तन आदि के माध्यम से सताया, प्रताड़ित किया था। इस परिस्थिति में मुझे अपनी प्रतिष्ठा और सार्थकता को बचाये रखने के लिए पुनः अपने समर्थकों तथा साथियों को संगठित करने का प्रयास प्रारंभ करना पड़ा। 12 सितम्बर, 1983 को जनजागरण प्रारंभ किया गया। मिथिलांचल के मधुबनी जिला के 'वाट्सन हाई स्कूल' में आम सभा की गयी। पटना से मधुबनी दौरे में 150 से भी अधिक गाड़ियों के काफिला से सम्पूर्ण राज्य में संदेश गया कि मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। आम लोगों में व्यापक चर्चा का विषय बना कि जब विधान मंडल में नेता चयन के अवसर पर उनके कार्यों की सराहना की गयी तो फिर किस परिस्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद से अलग किया गया? यह बात भी प्रचारित हुई कि विक्षुब्धों के दबाव में राजीव गांधी के कहने पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐसा निर्णय विवशता में लिया। मधुबनी की सभा में अपार जन सैलाब को कोई प्रत्यक्षतः देखकर ही समझ सकता था। इन बातों की चर्चा स्थानीय अखबारों में जोर-शोर से हुआ करती थी। इसी क्रम में एक अखबार में ऐसा भी छापा गया था कि डॉ० जगन्नाथ मिश्र की सभाओं में ऐसी भीड़ें देखने को मिलती हैं जैसी कि जम्मू-कश्मीर में श्री शेख अब्दुल्ला की सभाओं में जुटा करती हैं। यह दौरा मधुबनी से प्रारंभ करके प्रत्येक जिला मुख्यालयों तथा प्रखण्डों तक लगातार चलता रहा। इन सभाओं में जनता की विशाल भीड़ ने आलाकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया। साथ ही मेरे शुभचिन्तकों, परिजनों, अपेक्षितों, सहयोगियों, बुद्धिजीवियों और देश के अन्य बड़े-बड़े शुभेच्छु नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, घोर चिन्ता में डाल दिया। बिहार के एक महान बुद्धिजीवी (प्रो० डी०ठाकुर)ने तो यहाँ तक कह दिया था, मेरी आत्म-निर्णयजन्य गतिविधियों पर कि - 'कपूर स्थिर रहने पर या जलाये जाने पर-दोनो ही स्थितियों में उड़ जाता है।' जगन्नाथ जी विषम परिस्थिति में बिल्कुल ठीक कर

रहे हैं।' स्वनाम धन्य कमलापति त्रिपाठी जी ने भी लखनऊ में कह दिया था– "राजनेता तो झूला में इस छोर से उस छोर तक झूलते रहने के आधार पर ही अपने रूप में कायम रह सकते हैं।" मेरे आदरणीय बड़े भाई (श्री मृत्युञ्जय मिश्र) ने घोर चिन्ता में मेरे एक आत्मीय पदाधिकारी के निवास पर स्वयं जाकर कह दिया ' जगन्नाथ जी को काँग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध अपनी गतिविधियों को अत्यधिक दुष्परिणाम भोगने से पहले तुरत रोक देने के लिए कहें, क्योंकि वे ही उन्हें निर्भीकतापूर्वक कह सकते हैं।" किन्तु मैंने अपनी गतिविधियों के पक्ष-विरुद्ध कथित परामर्श/टिप्पणियों से अनभिज्ञ जैसा रहते हुए अपनी आत्मनिर्णीत गतिविधियाँ जारी रखीं। अगले लोक सभा चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 31 अक्टूबर की हुई अपनी शहादत के पूर्व 10 अक्टूबर , 1984 को दिल्ली के 'साउथ ब्लाक' में स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मुझे बुलाया और कहा कि आपकी और ललितबाबू की वफादारी को देखकर हमारे निर्णय के विरुद्ध आपको अभियान नहीं चलाना चाहिये था। मैंने उनसे कहा कि मैं कभी पार्टी कमजोर नही होने दूँगा। इन सभी सभाओं में मैं केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा तथा आपके नेतृत्व की सराहना करता रहा हूँ। इस प्रकार मैं पार्टी और आपकी प्रशंसा ही करता हूँ। आपके निदेशानुसार ही मैंने श्री चन्द्रशेखरजी को मुख्यमंत्री स्वीकार किया था, परंतु वे हमारे स्वाभिमान और समर्थन को ही संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तत्कालीन सरकार की आलोचना कर रहे हैं, हमारे समर्थकों को अपमानित कर रहे हैं। जब चन्द्रशेखर बाबू मुझे समूल नष्ट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रतिष्ठा और अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए ही अभियान चला रहा हूँ। यह सिर्फ अपने अस्तित्व की रक्षा का ही एकमात्र प्रयास है, दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे चन्द्रशेखर बाबू को हमारे विरुद्ध आचरण करने से रोकें, अगर लोक सभा चुनाव में हमारा सहयोग चाहते हैं तो। हमने उनसे कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमिटी का अध्यक्ष हमारे किसी साथी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि चन्द्रशेखर बाबू ने मुख्यमंत्री बनते ही रफीक आलम के स्थान पर श्री रामशरण बाबू को अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस 1984 के लोक सभा चुनाव को समीप देखते हुए बिहार में कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। श्रीमती गांधी इस बात से संतुष्ट थीं कि मेरे बगैर कांग्रेस की जीत होना संदिग्ध हो सकता है। इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री चन्द्रशेखर

बाबू और हमारे बीच वार्त्ता हुई। आपसी मतभेद मिटाकर एकजुटता बनाने की बात की गयी। उन दिनों श्री बिन्देश्वरी दूबे मेरे प्रबल समर्थक थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और पटना आकर बैठक में घोषणा की गयी कि हमलोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है। लोक सभा चुनाव में हम साथ-साथ कार्य करेंगे। हमारे समर्थकों के बीच यह संदेश गया कि हमारा वर्चस्व कांग्रेस में बरकरार रहेगा। इसी बीच 31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गांधीजी की हत्या हो गयी। सारा माहौल ही बिगड़ गया। मैंने अपने समर्थकों के साथ श्रीमती गांधी की शहादत पर गहरा शोक प्रकट करते हुये श्री राजीव गांधी को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग देने का आश्वासन दिया। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि इंदिराजी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले 10 अक्टूबर, 1984 ई० को अपने कार्यालय में मुझे अकेले में बुलाया था और मुझसे कहा था कि जगन्नाथ जी! आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना गलत हुआ, कांग्रेस के हित में नहीं हुआ। उस समय कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ बना दी गयी थीं जिनके कारण मुझे ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं मानती हूँ कि आप जैसे वफादार एवं कर्मठ व्यक्ति को हटाये जाने से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। उस समय उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि "फिर दोबारा बिहार आपको सौपूँगी।'' दुर्भाग्यवश, 31 अक्टूबर, 1984 ई० को तो उनकी हत्या ही हो गयी- 'तुम्हीं सो गये दास्तां कहते-कहते।' उनकी हत्या से देश-विदेश के साथ मुझे बड़ी व्यक्तिगत पीड़ा हुई, दु:ख हुआ, मैं अपने आपको धराशायी महसूस करने लगा। लोक सभा चुनाव के समय टिकट बंटवारे में श्री राजीवजी ने मुझे विश्वास में लिया और मेरे सुझाव पर श्री गौरीशंकर राजहंस को झंझारपुर तथा श्री हन्नान अंसारी को मधुबनी से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया। दोनों ही उम्मीदवार विजयी हुए। कांग्रेस की 54 में से 46 स्थानों पर जीत हुई थी। मेरे मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी मिथिलांचल में मेरे जन समर्थन में गिरावट नहीं आयी, क्योंकि मिथिलांचल के लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्णय को स्वीकारा नहीं था, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि- बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रखर नेता श्री हरिनाथ मिश्र, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सहानुभूति लहर में जहाँ कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही थी, उस इन्दिरा लहर में भी वे दरभंगा से काँग्रेसी उम्मीदवार होते हुए हमारे भतीजा और श्री ललित नारायण मिश्र के पुत्र श्री विजय कुमार मिश्र से पराजित हुए, जो कर्पूरी ठाकुरजी की पार्टी के उम्मीदवार

थे। मेरे साथ जैसा बर्त्ताव कांग्रेस आलाकमान ने किया था उससे लोग असंतुष्ट थे। मिथिलांचल की इस हार से कांग्रेस आलाकमान को एक संदेश मिला क्योंकि आदरणीय हरि जी 1980 के लोकसभा चुनाव में काँग्रेस का टिकट प्राप्त कर नामांकन से पूर्व मेरे सरकारी आवास कौटिल्य (2-सर्कुलर)मार्ग पर आये, मुझसे मिले और बोले-"जगन्नाथ जी! नामांकन करबा लेल हम जाऊ ने?" मैंने तुरत सहर्ष 'हाँ' भरी थी। 1980 में श्री हरि जी जीते और केन्द्र में मंत्री बने। यह स्पष्ट है कि पं० हरिनाथ मिश्र जी के लिए मेरे हृदय-मस्तिष्क में उत्कृष्ट सम्मान-भाव उच्चस्तरीय रहा है। विधान सभा चुनाव के दौरान श्री राजीव गांधी ने मुझसे यह कहा था कि आप तत्परता और दृढ़ता से कांग्रेस की मदद करें आपके कहने पर ही श्री बिन्देश्वरी दूबे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है एवं आपके कहने पर विधान सभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। फिर भी, बिहार विधान सभा चुनाव के मौके पर टिकट वितरण में मेरे समर्थकों में से लगभग 75 विधायकों को टिकट से वंचित किया गया। ये वे ही लोग थे जो अन्त तक मेरे साथ जुड़े रहे थे। टिकट कटने के समय अध्यक्ष की हैसियत से श्री दूबे हमारे समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाये। श्री राजीव गांधी ने विधान सभा चुनाव के पहले हमारा एवं हमारे साथियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए नेतृत्व परिवर्तन की बात मानी थी। विधान सभा चुनाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंशीलाल को बिहार विधान मंडल दल के नेता चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा गया, जिन्होंने अलग-अलग विधायकों से राय ली। 75 प्रतिशत विधायकों ने हमारे पक्ष में राय दी थी। वे सभी मुझे ही नेता बनाना चाहते थे। परंतु, राजीव गांधी का पूरा विश्वास मुझपर नहीं बन पाया था। श्री राजीव गांधी ने श्री बंशीलाल को संदेश दिया कि आप डॉ० मिश्र को इस बात के लिए सहमत करा लें कि श्री दूबे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस के हित में ही मैंने श्री बिन्देश्वरीजी को नेता के रूप में स्वीकार किया। तत्कालीन अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र-**'The Searchlight'** ने (सम्भवत: 12 मार्च 1985) के संपादकीय में दूबे जी के नेता चुने जाने पर लिखा था- "The King maker (Dr. Jagannath mishra) was more profusely garlanded than the Chief Minister-Designate Mr. Bindeshwary Dubey." उनके मंत्रिमंडल में हमारे काफी समर्थकों को शामिल किया गया। हमारी उनसे निकटता थी। 1983 में श्री दूबेजी ने हमारे पक्ष

में इन्दिराजी पर दबाव बनाया था। उनकी सरकार कामयाब हो इसलिए विधान सभा अध्यक्ष एवं मंत्री बनाने में हम दोनों की एक राय बनी। इस प्रकार 1985 के मार्च से जून, 1986 तक उनकी सरकार ठीक-ठाक चलने लगी। किन्तु, कालान्तर में हमारे और उनके बीच मतभेद उत्पन्न करने की कोशिशें चलती रहीं। परंतु, विभेद तब उजागर हुआ जब हमारे प्रखर विरोधी को विधान परिषद् का सदस्य मनोनीत किया गया और केन्द्रीय नेताओं के दबाव पर ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना का श्री दूबे की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। हमारे विरोधी द्वारा हमारे संस्थान का अधिग्रहण करने के बाद ऐसा सोचा जाने लगा कि मैं कमजोर हो जाऊँगा तथा उनके पक्ष में रहूँगा। धीरे-धीरे हमारे और दूबेजी के बीच का यह विभेद सावर्जनिक होता गया। इस संस्थान के सभागार में आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर गोष्ठियाँ लगातार हो रही थीं, जो कार्यक्रम दिल्ली के नेताओं के लिए असहज हो रहे थे। इसके बाद श्री दूबे और उनके मंत्रियों द्वारा हमारे समर्थकों को अपमानित किया जाता रहा। हमने अपना अस्तित्व बचाये रखने और जनाधार का संरक्षण करने की लगातार कोशिशें कीं। इसी संदर्भ में पटना में हमारे समर्थकों ने 2 अक्टूबर, 1986 को कार्यकर्त्ता सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने दूबेजी की नेतृत्ववाली सरकार को कमजोर बनाया। इसी पृष्ठभूमि में जन-जागरण अभियान भी लगातार चलाया जाता रहा। कांग्रेस के भीतर श्री दूबे के विरुद्ध गतिविधियां बढ़ती गयीं। इस बीच के कुछ सामूहिक नरसंहारों की घटनाओं ने केन्द्र को विचलित कर दिया। 1986-88 के बीच हुए लगातार हमारे सम्मेलनों की सक्रियता ने केन्द्र को प्रभावित किया। पार्टी में व्याप्त असंतोष एवं प्रशासन की कमजोरियों के कारण आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन करने का निर्णय लिया। श्री भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री हुए। उनके मंत्रिमंडल में हमारे समर्थकों की संख्या कम रखी गयी। श्री आजाद द्वारा सरकार को स्थायित्व देने की अनेक चेष्टाएं अवश्य की गयीं, परंतु ऐसा तबतक पूरी तरह संभव नहीं था जब तक कि हमारे समर्थकों को कमजोर करने का काम बंद नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने भी हमारी तथा हमारी सरकार की तीखी आलोचना करना जारी कर दिया। मैंने इसका पुरजोर विरोध प्रारंभ किया। श्री आजादजी के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रहने का यही कारण बना। ऐसी परिस्थिति में उनकी सरकार का चलना कठिन

हो गया। 3 दिसम्बर, 1988 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय नृत्य कला मन्दिर के खुले मंच पर कांग्रेसजनों की एक बड़ी सभा हुई, जहां बिहार के हकों की लड़ाई का संकल्प लिया गया और 'जन विकास मंच' की स्थापना की गयी। इसी मंच के तत्त्वावधान में श्री आजाद के विरुद्ध कांग्रेस विधायक एकजुट होते गये। केन्द्र की कोशिशों के बावजूद श्री आजाद के प्रति लोगों का विश्वास घटता गया। केन्द्र के तत्कालीन गृहमंत्री श्री बूटा सिंह पार्टी में समझौता और समन्वय कराने कई बार पटना आये, किन्तु मेरे समर्थकों ने समझौता करने से इनकार कर दिया। अधिकांश विधायकों ने बजट तक पास करने से इनकार कर दिया। आलाकमान के अनेक नेताओं द्वारा श्री आजाद के नेतृत्व में बजट पास कराने की चेष्टा की गयी परंतु, सहमति नहीं बन पायी। मार्च, 1989 में नेतृत्व परिवर्तन की बात आलाकमान को स्वीकार करनी पड़ी। 1983 के बाद की स्थिति का विश्लेषण करते हुये श्री राजीव गांधी की एक अवधारणा बनी कि पार्टी के हित में जगन्नाथजी को मुख्यमंत्री बनाना आवश्यक होगा। किन्तु, उनके सलाहकारों ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाकर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाय और श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जाय। श्री राजीव गांधी ने मुझे दिल्ली बुलाकर कहा कि आप श्री सत्येन्द्र बाबू को मुख्यमंत्री स्वीकार करें और स्वयं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनकर एक साथ मिलकर अगले चुनाव तक कांग्रेस के हित में कार्य करें।

कांग्रेस विधान मंडल दल के सदस्य छोटे साहब को दल के नेता के रूप में स्वीकार करने में सहमत नहीं हो रहे थे। बहुसंख्यक सदस्यों की राय बनी कि दल के सदस्यों के पूर्ण समर्थन-विश्वास के बाद श्री चन्द्रशेखर बाबू, श्री बिन्देश्वरी दूबे एवं श्री भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री बनाये तो गये किन्तु, उनमें से कोई भी सफलतापूर्वक सरकार को स्थायित्व प्रदान करने में सफल नहीं हुए। विधान सभा में कांग्रेस का बहुमत रहने एवं आलाकमान के पूर्ण सहयोग के बावजूद वे सरकारें सफल नही हो पायीं। 1983 से लगातार मुख्यमंत्री विधान मंडल दल की सहमति के बगैर मनोनीत किये जाते रहे। सभी सदस्यों की राय बनी कि डॉ० मिश्र को विधायकों का विशाल समर्थन रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना उचित नहीं हुआ।

इस प्रसंग में मुझे स्पष्टत: कुछ बातें याद आती हैं, जो प्रेस के साथ हुई थीं। यह दुहराने की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा मेरे

द्वारा एकप्रकार से दिन-रात संगठन को मजबूत बनाने के लिए किये गये सर्वविदित प्रयासों से बराबर आलाकमान के सामने आती रहीं। प्रेस वाले भी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मेरे प्रयासों को देखने के बाद और मेरी राजनीतिक छवि से अवगत होकर काफी आत्मीयता से मेरा साक्षात्कार लिया करते थे। मेरा विश्वास है कि आलाकमान इस निष्ठा से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहा। मुझे इसीक्रम में याद आती है कि 'द पैट्रोयेट' अखबार में मेरा एक साक्षात्कार भी छपा था। (देखें परिशिष्ट-4)

ललितबाबू की बात मेरे मन में हमेशा गूँजती है- 'बिहार बढ़कर रहेगा।' पर कैसे बढ़ेगा बिहार- यह एक यक्ष प्रश्न है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है पर दुर्भाग्य है कि अनेक प्राकृतिक संसाधनों से भरापूरा रहने के बावजूद इसकी गणना देश के सबसे पिछड़े राज्यों में की जाती है। विकास की चर्चा होते ही बिहार की दर्दनाक तस्वीर सामने आ जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या 52.63 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की संख्या 57.71 प्रतिशत है, जबकि पूरे देश का औसत क्रमशः 39.06 और 40.12 है। बिहार में बेरोजगारों की फौज देश के कुल बेरोजगारों के 8 प्रतिशत के बराबर हैं। पिछले 46 वर्षों में योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ने का अवसर मिला पर बिहार लगातार पिछड़ता चला गया। पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो बिहार प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में सभी राज्यों के बीच पाँचवें स्थान पर था वह आज सबसे नीचे खिसक गया है। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार के पिछड़ेपन की दरार निरंतर चौड़ी होती गई है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार जहाँ 1950-51 में भारतीय औसत से केवल 27 प्रतिशत कम थी वहाँ 1970-71 में 29 प्रतिशत 1982-83 में 48 प्रतिशत और 1964-65 में 88 प्रतिशत की कमी पर पहुँच गया। बिहार की उपेक्षा तो इस कदर होती रही है कि जो धन म्यूचुअल फंड बचत से एकत्र होता है उसे बिहार में निवेश नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसे फंड के संबंध में निर्णय संस्था के मुख्यालयों द्वारा किया जाता है जो बिहार से बाहर रहता है। बिहार में विदेशी पूंजी विनियोग अथवा जीवन बीमा निगम या यू.टी.आई. के फंडों को बिहार में निवेशित नहीं किया जाता है। बिहार को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 1960 ई॰ तक केवल 140.90 ही उपलब्धा करायी गयी जबकि आन्ध्र प्रदेश को 776.60, महाराष्ट्र को 1335.

12 और पश्चिम बंगाल को 384.81 सहायता के रूप में मिली। बिहार को बदहाल करने में वर्त्तमान राज्य सरकार का भी प्रबल हाथ रहा क्योंकि उसने 1990-91 से 1995-96 के बीच केन्द्र से मिली 6400 करोड़ रुपए में से केवल 3400 करोड़ रुपए ही खर्च किये। अनुमान किया जा सकता है कि जिस राज्य के विकास की 6000 करोड़ रुपए की निधि उपयोग नहीं किये जाने के कारण वापस हो जाए उसका स्वरूप क्यों नहीं एक भिखारी जैसा बन जाए? क्यों नहीं उसकी सारी प्राचीन गरिमा अपना महत्व खो दे और क्यों नहीं उसकी पहचान मिट जाए?

राष्ट्रीय दल चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो अथवा जनता पार्टी या वामपंथी दल ही क्यों न हों, किसी ने केन्द्र के सक्षम बिहार की पीड़ा और बिहार के पिछड़ेपन को प्रभावकारी ढंग से उजागर नहीं किया। 1964 के बाद कोई सार्वजनिक प्रतिष्ठान इस राज्य में स्थापित नहीं हुआ। अतः बिहार की पहचान मिटने से बचाने, भारत की मुख्यधारा में बिहार की हिस्सेदारी उसकी जनसंख्या, उसके भौगोलिक क्षेत्रफल और उसके पिछड़ापन के अनुपात में प्राप्त कराकर उसकी गरीबी दूर करने, बेरोजगारी की समस्या का निदान ढूँढ़ने और केन्द्रीय पूंजी निवेश, विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाकर बिहार को पुरानी गरिमा के स्तर पर पहुँचाने के उद्देश्य से आज यह सम्मेलन ''बिहार जन कांग्रेस'' की स्थापना का संकल्प पारित करता है जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में चिर विश्वास रखकर और भारत की प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध बिहार की गरिमा, मर्यादा और उसके ऐतिहासिक गौरव को बचाये रखने की मानसिकता तैयार करने का प्रयास करेगी और बिहार की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजेगी, ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। वह राज्य की जनता को प्रेरित करेगी कि सभी राज्यों की श्रेणी में बिहार को मजबूत बनाकर देश को सशक्त बनाने के उपाय करे। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए बिहार जन कांग्रेस सामान्य राजनीतिक कार्यकलापों को चलायेगी।

काँग्रेस नेतृत्व को बिहार जन काँग्रेस के नेता के रूप में मैंने कहा था- यदि काँग्रेस बिहार में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन प्रस्ताव को राज्य सभा में समर्थन दे तो पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए अपने 55 हजार सक्रिय सदस्यों के साथ बिना शर्त काँग्रेस में लौटने को तैयार हूँ। परंतु काँग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने

अदूरदर्शिता और हठधर्मिता के कारण वह कुछ कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। परिणाम यह कि बिहार में राजद-कुशासन से मुक्ति के लिए अकुलाए लोग, जो विभिन्न मोर्चों पर निराश हो चुके थे और कँग्रेस की ओर आशाभरी निगाहों से देखने लगे थे, वे मजबूरन फिर से या तो भाजपा और उसके सहयोगियों की ओर मुखातिब होने को विवश हो गये या विक्षुब्ध बने बैठे हैं।

बिहार जन काँग्रेस पहले से ही आगाह करती रही है कि काँग्रेस और वामपंथी दल बिहार और बिहारवासियों के हितों के लिए सिर्फ घड़ियाली आँसू बहाते हैं और व्यवहार में लालू-राबड़ी सरकार को बचाने का ही काम करते हैं। तभी तो काँग्रेस ने 18 जुलाई, 1997 को श्री लालू प्रसाद और 28 जुलाई, 97 को श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार के पक्ष में मतदान कर उन्हें बचाया। पुनः सितम्बर, 1998 में राबड़ी सरकार के पक्ष में मतदान कर उसे जीवनदान दिया। दलितों के नरसंहार की पृष्ठभूमि में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब राज्य सभा में उसका अनुमोदन नहीं होने देने का निर्णय कर राबड़ी सरकार की पुनः बहाली का मार्ग प्रशस्त किया और बिहार विधान सभा में राजद द्वारा प्रस्तुत विश्वास मत पर मतदान के समय अनुपस्थित रह कर एक बार फिर राजद की 'बी' टीम का ही काम किया। इस प्रकार यह सिद्व हो गया कि विगत दिनों राजद कुशासन की समाप्ति के लिए काँग्रेस नेताओं द्वारा जो बयानबाजियाँ होती रहीं वे बिल्कुल बेमानी और जनता की आँखों में धूल झोंकने का हथकंडा मात्र थीं। राष्ट्रपति शासन के सवाल पर राज्य सभा में विरोध करने के निर्णय के पीछे यह तर्क दिया गया कि काँग्रेस भाजपा के साथ मतदान नहीं कर सकती। उसी तर्क के आधार पर विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव पर तटस्थता का रुख अपनाया गया। किन्तु यह तर्क भी सर्वथा बेमानी रहा, क्योंकि पेटेंट और बीमा विधेयक जैसे जन विरोधी मसलों पर काँग्रेस को भाजपा के साथ मतदान करने में कोई गुरेज नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने के सवाल पर ही अछूत जैसा व्यवहार क्यों किया गया? जाहिर है कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ और सत्ता-पीपासा के कारण यह सब कुछ होता रहा है। आये दिन केन्द्र की सत्ता पर काबिज होने के जो खेल दिल्ली में खेले जा रहे हैं वे इसकी पुष्टि करते हैं। काँग्रेस की ऐसी ही चिन्तनधारा के कारण राज्य के निष्ठावान काँग्रेसजनों को बिहार जन काँग्रेस की स्थापना करनी पड़ी जिसकी सार्थकता अब स्वतः प्रमाणित है।

वर्तमान राजनीतिक उथल-पुथल में वामपंथी दलों की अवसरवादिता किस तरह बेनकाब हो गयी है इसकी चर्चा करना भी समीचीन होगा। पहले तो सी. पी. आई. और सी. पी. एम. के समर्थन से लालू सरकार चलती रही फिर भी भूमि सुधार लागू नहीं हुआ, अंसगठित मजदूरों की समस्याएं नहीं सुलझीं, दलितों पर अत्याचार और नरसंहार नहीं रुके और भ्रष्टाचार के पिछले सभी रिकार्ड टूट गये तथा घोटाले पर घोटाले होते चले गये। आगे चलकर वामपंथियों ने लालू प्रसाद से सम्बन्ध विच्छेद कर भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। सी. पी. आई. ने अपने बोकारो सम्मेलन में बड़े जोर-शोर से ऐलान किया कि वह राजद सरकार को अपदस्थ करने के लिए संघर्ष करेगी। सी. पी. एम. ने घोषणा की थी कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेगी और लालू प्रसाद को अपने साथ किसी मोर्चे में शामिल नहीं करेगी। परंतु इनकी अवसरवादिता का आलम यह है कि ये न सिर्फ मुलायम-लालू के साथ मोर्चा बना रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति शासन के सवाल पर धारा 356 का विरोध करते-करते इन्होंने व्यवहार में राबड़ी सरकार को बचाने का काम किया- सी. पी. एम. ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके और सी. पी. आई. ने बहिष्कार करके। इस तरह राजद कुशासन को उखाड़ फेंकने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के ऐलान का निर्वाह इन पार्टियों ने कहाँ तक किया इसका निर्णय बिहार की जनता स्वयं करेगी। बिहार जन काँग्रेस की स्पष्ट राय है कि बिहार को मौजूदा दुरावस्था में पहुँचाने के लिए राजद के साथ-साथ काँग्रेस, सी. पी. आई. और सी. पी. एम. समान रूप से दोषी हैं।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे पुराने और सबसे बडे राजनीतिक संगठन की महान परम्परा विरासत में मिली है। कांग्रेस पार्टी का शानदार इतिहास रहा है। यह सब की जिम्मेदारी है कि हम इसके भविष्य को इतना ही महान बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील हों। आने वाला समय इस बात का फैसला करेगा कि कहां तक अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा किया है। सच्चाईयों का सामना करना होगा, चाहे ये सच्चाइयाँ कितनी ही कष्टकर क्यों न हो? हाल के वर्षों में कांग्रेस का जनसमर्थन घटा है, प्रभाव सिमट गया है और बौद्धिक संसाधनों में गिरावट आयी है। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस अपनी भूमिका गंवा बैठी है। लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि कांग्रेस की राजनीतिक दृष्टि और विचारधारा पहले जैसी स्पष्ट और मुखर नहीं रह गयी

थी। सार्वजनिक और महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में भी सक्रियता कम हो गयी थी। अनेक बड़े राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कांग्रेस की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। जिन राज्यों में हमारा मुकाबला विभिन्न पार्टीओं के गठजोड़ से हुआ है उनमें कांग्रेस पार्टी पिछले कई चुनावों में कोई सफलता हासिल नहीं कर पायी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यही स्थिति है।

केन्द्र में कांग्रेस अपनी खोई हुई स्थिति को तबतक फिर से प्राप्त नहीं कर सकती जबतक कि कांग्रेस में नयी जान नहीं डालते। चुनावों की दृष्टि से इन बड़े राज्यों, विशेषकर उत्तरप्रदेश और बिहार में कांग्रेस के लिए जनसमर्थन फिर से हासिल करना और उसे मजबूत बनाना कठिन है। इसके लिए हमें अपने आपसे यह पूछना होगा कि यह स्थिति पैदा क्यों हुई? आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता निराश क्यों है? उसको संगठन में अथवा जनता के बीच कार्य करने के लिए निरुत्साहित क्यों किया जाता है? क्यों कांग्रेस को उन पार्टियों, गुटों अथवा व्यक्तियों की वैशाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है? जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी? क्यों उनके साथ समझौता करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? जिन्होंने हमेशा हमारी विचारधारा का विरोध किया था। हम क्यों अपनी अन्तरात्मा की आवाज के विरुद्ध कांग्रेस की नीतियों के विपरीत चलने वाले और भ्रष्टाचार का सहारा लेने वाले नेताओं की अनदेखी करते थे? जब इन सवालों का ईमानदारी से उत्तर देंगे, तभी कांग्रेस पार्टी का मार्ग प्रशस्त कर पायेंगे। जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद के दुष्चक्र से जो इन दिनों लोगों के दिलोदिमाग पर छाया हुआ है। अपने आदर्शों और सिद्धान्तों पर दृढ़ रहकर और राष्ट्र और समाज को छिन्न-भिन्न करने वाली इन दो बुराइयों का मुकाबला करके ही कांग्रेस इस दिशा में सफलता प्राप्त कर सकती थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रमुख विपक्षी पार्टी, भाजपा ने चुनावों में अपना जनाधार बढ़ाया है। उसने अपनी कमजोरी को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग-थलग पार्टियों के साथ चुनाव जीतने के उद्येश्य से गठजोड़ किया है। सांप्रदायिक नारों द्वारा लोगों की भावनाएं भड़का कर, समाज को विभाजित करके, धर्म निरपेक्ष विश्वसनीयता का उपहास करके और आर्थिक नीतियों की आलोचना करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की।

लेकिन एक जर्जर राजनीतिक गठबंधन का नेतृत्व करके सत्ता में आने के बाद उसने धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देना शुरू कर दिया, मिली-जुली संस्कृति की बात कहनी शुरू कर दी और गरीबों तथा अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने का काम शुरू कर दिया। तब तो कांग्रेस विचारों, आदर्शों और विचारधाराओं की ही नहीं अपितु, महान नेताओं की विरासत पर भी अपना दावा करके उसने जनता से छल करने का बड़ा खेल शुरू कर दिया था। अपनी खोयी हुई उपलब्धियों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक कारगर राजनीतिक रणनीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है। कैसे कांग्रेस अपनी विरासत को फिर से हासिल करके उसे पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें? कैसे अपने संगठनों को पुनः सक्रिय बनाए? अपने मतदाताओं का विश्वास कैसे फिर से प्राप्त करें? पार्टी के खोये हुए उत्साह को फिर से कैसे जगाए? भाजपा का मुकाबला करने और उसे मात देने के लिए क्या करे? इस घड़ी में ये सारे सवाल सभी कांग्रेसजनों के मन को उद्वेलित कर रहे हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इन सवालों तथा ऐसे ही दूसरे सवालों पर चर्चा करनी चाहिए। यह चर्चा स्वतंत्र, निष्पक्ष और खुले रूप में होनी चाहिए। इसका कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

इन सवालों का सही जवाब तभी मिल सकता है, जबकि सबसे निचले स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त करे। उन्हें बिना किसी अवरोध के और निःसंकोच अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनके मन में ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि ऐसा करने पर उन्हें निहित स्वार्थों, पार्टी के आंतरिक गुटों के नेताओं, चाटुकारों और मौका-परस्तों का कोपभाजन बनना पड़ेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार-विमर्श केवल ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था में ही संभव है जो अनुशासन में रहते हुए बोलने की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती हो। ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था तभी पनप सकती है, जब कांग्रेस कार्यकर्ता वर्तमान चुनावों द्वारा दिये गये अवसर का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करे। तभी हमारे सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं, हमारे प्राथमिक मतदाताओं और प्रतिनिधियों का विश्वास फिर से स्थापित होगा। कांग्रेस की रणनीति निश्चित रूप से सकारात्मक होनी चाहिए और उसे नकारात्मक वोटों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जब तक हम नकारात्मक वोट

पर निर्भर रहेंगे तबतक जातिवादि और क्षेत्रीय पार्टियां मतदाताओं को भ्रमित और गुमराह करती रहेंगी।

मैं पिछले कई दशकों से अपने राजनीतिक जीवन में बिहार से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा हूँ। मंत्रिमंडल में रहकर या उससे बाहर भी विभिन्न रूपों में मैंने इस राज्य में किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, छात्रों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, सरकारी कर्मचारियों, संस्कृत शिक्षकों, मदरसा शिक्षकों आदि के लिए कार्य करता रहा। मैने बराबर पाया कि बिहार ने कांग्रेस का साथ दिया और मुझे यहाँ के लोगों का स्नेह एवं आशीर्वाद मिलता रहा था। आपके इस स्नेह के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जाने पर भी मैने लोकसभा चुनाव के क्रम में बिहार में ही अभियान चलाना पसंद किया और आपलोगों के बीच रहा हूँ। मेरी धारणा रही है कि राष्ट्रीय राजनीति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती आयी है। कांग्रेस पार्टी में उनकी आवाज सुनी जाती रही और बिहार को उसका हक मिलता रहा। किन्तु, पिछले 5-6 वर्षों में कांग्रेस के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर बिहार राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा से कट गया है और उसकी यथार्थ मांगों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है।

बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आन्दोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। भगवान बुद्ध, महावीर और बिरसा के बिहार ने ''वसुधैव कुटुम्बकम'' का संवाद सारे विश्व में बांटा है। किन्तु आज की अनेक राजनीति पार्टियों में से कुछ जाति के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर और धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते हैं।

राजनीति को संकीर्णता में बांधकर, कांग्रेस विरोध के नाम पर अलग-अलग नीति और कार्यक्रम रखने वाली पार्टियों से सिद्धांतहीन गठबंधन करके देश को अस्थिरता, अनिश्चितता तथा आर्थिक विपन्नता के सिवा क्या मिला? विदेशों में हमारी साख टूटी, विदेशी मुद्रा का भंडार खाली पड़ गया और सांम्प्रदायिक विचारधारा वाले सत्ता का सहारा पाकर अपने को इतने सबल बना सके कि आज राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करके केन्द्रीय सत्ता पर कब्जा करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारा संवैधानिक दायित्व होते हुए भी सबसे बड़े खतरे पर पहुँच गयी है। क्या हम बिहार वासी को इस खतरे की ओर से चुपचाप अपनी नजर फेर लेनी चाहिए। क्या हम बिल्कुल भूल जाएँ कि बिहार का दृष्टिकोण बराबर राष्ट्रवादी रहा है? विचार कर देखने पर आप

पायेंगे कि कांग्रेस पार्टी के सिवा इसका मुकाबला करने वाली पार्टी कोई नहीं है।

राष्ट्रीय मोर्चा का मुख्य घटक जनता दल का दर्जा एक क्षेत्रीय पार्टी का बन गया है। वह सिमटकर बिहार में ही केन्द्रित है। अन्य दलें, जो इसका साथ दे रहे है, वे सभी क्षेत्र विशेष में सीमित हैं। वामपंथी दलों में भाकपा और माकपा अलग-अलग चुनाव घोषणा-पत्र निकाले हैं एवं अपने अलग चुनाव कार्यक्रम भी निर्धारित किये हैं। रामो-बामो के बीच कोई आपसी तालमेल बनता नहीं दिखता। राष्ट्रीय राजनीति को कोई नई दिशा देने की मंशा यदि इसकी होती तो एक संयुक्त घोषणा पत्र निकालता और न्यूनतम कार्यक्रम न्यूनतम कार्यक्रम पर समझौता होता। 1989 और 1991 में राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया, किन्तु इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने से साफ मालूम पड़ता है कि देश के हित की वनिस्पत किसी तरह केन्द्रीय सत्ता पर काबिज होना उनका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा तीसरी शक्ति बनने का दावा करते हैं, पर वस्तुतः ऐसी शक्ति नहीं बन सके। उनके अलग घोषणा पत्र और उम्मीदवार खड़े करने के ढंग बताते हैं कि आगे चलकर उनकी सोच में एकरूपता नहीं रह पायेगी। सभी पार्टियां अपना-अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए बेचैन हैं। फिर वे कांग्रेस का विकल्प कैसे बन सकती है। जनता दल शासन चलाने में कितना अक्षम है यह तो बिहार राज्य में ही कदम-कदम पर झलक रहा है। सामाजिक न्याय के नाम पर राज्य की जनता से भावनात्मक वोट बटोरने वाली जनता दल सरकार ने सामाजिक न्याय की बाबत एक भी कानून नहीं बनाया। गाँव की गरीबी दूर करने और गरीब जनता के फायदे के लिए चलायी गयी योजना के मद में केन्द्र सरकार से मिली 1994-95 वित्तीय वर्ष की राशि में से 585 करोड़ रुपये और 1995-96 वर्ष में मिली राशि में से 594 करोड़ रूपये राज्य सरकार खर्च नहीं कर सकी। लघु एवं सीमान्त किसानों की मद का एक सौ करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये। पिछले पाँच वर्षों में दलित अंगीभूत योजना के 129 करोड़ रुपये जनजाति योजना एवं छोटानागपुर के विकास के लिए आवंटित 143 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। इतना ही नहीं, अपनी प्रशासनिक अक्षमता के कारण जनता दल सरकार इंदिरा आवास योजना के लिए केन्द्र से पूरी रकम मिलने के वावजूद 1994-95 वर्ष के 87 हजार आवास के लक्ष्य के मुकाबले केवल 50 हजार और 1995-96 वर्ष के 2 लाख

12 हजार मकान के लक्ष्य के विरुद्ध महज एक लाख मकान बनवा सकी। गरीबों के लिए मकान की राशि वापस कर दी गयी और दूसरे राज्यों ने उसका फायदा उठाया। कैसा सामाजिक न्याय हुआ यह? बिहार में उग्रवादियों का अलग शासन चल रहा था। खुलेआम हत्याएं और नरसंहार हो रहे थे। अपहरण, लूट, डकैतियां आम बात बन गई थीं।

इस राज्य ने गरीबी दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा आवंटित रकम को किस तरह लूटा था इसका विवरण सभी को मालूम है। इस सरकार ने तो अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों, सीमांत किसानों, संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों के वेतन रोककर मनमाने ढंग से शिक्षकों की बदली करके और छात्रों की छात्रवृत्तियां रोककर उन्हें परेशान किया था। परीक्षा की अनियमितता और उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी थी। सभी तरह से शिक्षा नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी। उद्योग के तो नक्शे से बिहार का नाम लगभग मिट चुका था। रोहतास उद्योगपुंज, अशोक पेपर मिल, बैजनाथपुर पेपर मिल, आई॰डी॰पी॰एल, कटिहार जूट मिल आदि दर्जनों मिलों के बंद होने से हजारों परिवार भूखों मरने के लिए विवश कर दिये गये हैं। रिजर्व बैंक के सबसे हाल के आंकड़े बताते है कि बिहार की 1 लाख 66 हजार 204 लघु इकाइयों में से 28 हजार 243 इकाइयां बंद पड़ी हैं और उनमें कार्यरत कर्मचारियों के हजारों परिवार भूखमरी झेल रहे हैं। इस तरह अयोग्य एवं अकुशल प्रशासन के कारण बिहार आज भारत का अत्यंत अविकसित राज्य बन गया था। क्या आप चाहेंगे कि बिहार को इस दुर्दशा में पहुंचाने वाले राष्ट्रीय मोर्चे के हाथ में केन्द्र की सत्ता सौंपकर विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे देश को सब तरह से बर्बाद कर दिया जाये?

एक ओर तो ऐसी विषम परिस्थिति हुई है और दूसरी ओर केन्द्र की कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षो में किये गये कार्यों का लेखा-जोखा सरसरी तौर पर करना चाहेंगे। उद्योगों की विकास दर जो गत वर्ष 8.5 प्रतिशत थी, इस वर्ष 10 प्रतिशत पर पहुँच जायेगी। देश के किसानों ने गत वर्ष 19. 1 करोड़ टन कागज का उत्पादन किया और आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के किसान, अपने बीच उस तरह के परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 1970 और 1980 में देखे थे। नया पंचायत कानून बनाकर गांवों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को अपने अधिकार के प्रयोग का अधिकार

दिलाया गया जिसके लिए राजीव गाँधी ने सपने देखे थे। 1991 में सत्ता में आने पर श्री पी॰बी॰ नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने बड़े ही शांति पूर्ण ढंग से मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार की सेवा में अन्य पिछडों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना की गयी थी और उसे 200 करोड़ रूपये की अधिकृत पूंजी दी गयी जिससे पिछड़ा वर्गों का आर्थिक विकास होंगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग को पुनर्गठित करके उसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया।

डॉ॰ अम्बेडकर फाउण्डेशन की स्थापना की गई। ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1991-1996 के बीच 34000 करोड़ रुपये खर्च किये गये जो पूर्व के पाँच वर्षों में इस मद में खर्च की गयी राशि का तीन गुणा ज्यादा था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में उसे लगभग तिगुना और बढ़ाकर 90.000 करोड़ करने का संकल्प है। प्रतिवर्ष रोजगार के नये-नये अवसर सृजित किये जा रहे हैं और पिछले पाँच वर्षों में तीन करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर बनाये गये। महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो 1990-91 में 1 प्रतिशत था वह बढ़कर 1995-96 में 6 प्रतिशत पर पहुँच गया था। पिछले पाँच वर्षों में भारत का निर्यात औसत 20 प्रतिशत बढ़ा। जुलाई 1991 से जुलाई 1995 के बीच समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 115 लाख परिवारों को सहायता पहुंचायी गयी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए तथा मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के लिए 28 लाख इंदिरा आवास बनाये गये। 2. 60 लाख गाँवों और बस्तियों में पेयजल की सुविधा करायी गयी। 3,87,696 ग्रामीण कारीगरों को 4.21लाख औजार- किट दिये गये। ट्राइसेम योजना के अधीन 13 लाख युवकों को प्रशिक्षित किया गया। अनुसूचित जातियों के लिए अनेक योजनाओं के अलावा डॉ॰ अम्बेदकर विश्वविद्यालय लखनऊ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया। 9 विश्वविद्यालयों में डॉ॰ अम्बेदकर चेयर की स्थापना की गयी है। मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए डॉ॰ अम्बेदकर विदेश छात्रवृत्ति दी जा रही है। कांग्रेस ने पर्सनल लॉ के बारे में अपना दृष्टिकोण बिल्कुल ही साफ कर दिया था।

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय का प्रभारी मंत्री बनने के बाद मैने बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से राज्य के तमाम प्रखंडों को सुनिश्चित रोजगार योजनाओं में परिवर्तित कराया जिससे हर प्रखंड के 1 करोड़ 2 लाख रुपये का अतिरिक्त आवंटन हर वर्ष मिलेगा। गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 1996-97 में बिहार को 5 लाख इंदिरा आवास बनाने की स्वीकृति दी गयी थी। मैंने प्रधानमंत्री श्री पी०बी० नरसिंह राव से विशेष आग्रह करके बिहार में केन्द्रीय ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दिलायी, जो बीरपुर सुपौल में स्थापित हुआ। स्मरणीय है कि बिहार में यह पहला केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा। कृषि मंत्री का प्रभार लेने के बाद मैने छोटी सी अवधि में बिहार में सात कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना स्वीकृत करायी, जिनमें तीन की स्थापना इस वित्तीय वर्ष में हो चुकी और शेष अगले वर्ष स्थापित होंगे। विभिन्न कृषि उत्पादनों के बारे में बिहार में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चलाने के लिए 13 केन्द्रों की स्थापना की भी स्वीकृति दिलायी थी। सहकारिता को सबल बनाने के उपाय किये गये हैं और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार सरकार के बार-बार आग्रह किया गया था। मैंने कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की थी। किसानों की फसलों की बीमा का प्रावधान किया था। ये सारे कार्य कुछ ऐसे हुए हैं जिनसे सामान्य जनता को लाभ अवश्य मिलेगा।

अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने कई ठोस कार्यक्रम चलाये थे। अल्पसंख्यक आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना करके उसको 500 करोड़ रुपयों अधिकृत पूँजी दी गयी। दंगा-फंसाद रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया, जिनमें अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की गयी। प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए कानून बनाकर 15 अगस्त 1947 की स्थिति को कायम रखने का प्रावधान किया गया है। कब्रिस्तान और श्मशान घाट की घेराबंदी के लिए प्रति प्रखंड 3 लाख रुपयों का आवंटन किया गया था। एक स्वतंत्र निकाय के रूप में 30 करोड़ रुपये के मूल कोष द्वारा मौलाना आजाद एडुकेशन फाउण्डेशन की स्थापना की गयी। अल्पसंख्यक भाइयों से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि वे बाबरी मस्जिद की शहादत को उसी तरह की राष्ट्रीय त्रासदी मानें जो महात्मा

गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, और राजीव गांधी की हत्या के फलस्वरूप देश को झेलनी पड़ी थी। लोग कभी नहीं चाहते थे कि इन सम्मानित नेताओं की हत्या की जाय, किन्तु उनकी हत्या होने पर त्रासदी का सामना करना पड़ा। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उच्चतम न्यायालय में दिये गये हलफनामों पर विश्वास किया। कोई कारण नहीं था कि उन पर विश्वास नहीं किया जाय। लेकिन उन्होने अपना वादा नहीं निभाया और उनके दल के लोग तथा सहयोगियों ने वादा तोड़ दिया इसलिए मस्जिद के मामले में प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव पर इसका दोष मढ़ने का उचित आधार नहीं है। अब अल्पसंख्यक भाई धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए और देश में राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए देश के सभी प्रखंडों में रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का वादा किया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उस घोषणा पत्र के अनुसार सभी पिछड़े क्षेत्रों में 3198 प्रखंडों और तंग बस्तियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल और गेहूँ दिया जायेगा। देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जायेगा। गांवों में उद्योगों की स्थापना, परिवहन, संचार तथा अन्य सुविधाएं लागू करके शहर और गांव के अन्तर को कम किया जायेगा। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि देश के सकल घरेलू डत्पाद (जी॰डी॰पी॰) का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जायेगा। रोजगार बढ़ाने के प्रयास के फलस्वरूप 1995-96 और 1996-97 में 150 लाख रोजगार के अवसर बने हैं अगले पाँच वर्षो में 9 करोड़ बेराजगारों को नियोजित किया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पोषण की दृष्टि से दिन का आहार देने की व्यवस्था की गयी है। जिससे 13 करोड़ शिशु छात्रों को लाभ होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश के बेसहारा 53 लाख बूढ़ों को प्रति मास 75 रुपये पेंशन मिलेगी। परिवार लाभ योजना के अधीन किसी परिवार में कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को स्वाभाविक मृत्यु की दशा में 5000 रुपये और आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में 10000 रुपये अनुदान दिये जाएंगे। महिलाओं को पहली दो गर्भावस्थाओं में एकमुश्त 500 रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इससे 45 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय लोगों की भावना का भी समादर करती रही है। इस क्रम में झारखंड क्षेत्र के निवासियों की भावना की दृष्टि से झारखंड स्वायत्त परिषद की स्थापना की स्वीकृति दी गयी।

हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिथिलांचल के लोगों की भावना का आदर करते हुए दरभंगाा की सभा में मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने पर विचार का संकेत दिया। कार्यों की तुलना में जनता दल सरकार द्वारा बिहार राज्य को सभी तरह से पीछ धकेले जाने पर भी विचार करें। जिस राष्ट्रीय मोर्चा और वाम-मोर्चा के समर्थन से चल रही सरकार ने एक राज्य को बदहाली में पहुंचा दिया है क्या आप उसके हाथ में देश के शासन की बागडोर सोंपना चाहेंगे? यह भी विचार करने योग्य बात है कि हमारे संविधान का मूल ढ़ांचा सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता का है। अतः सांम्प्रदायिक तत्वों से देश को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है।

देश में स्थिरता, प्रगति, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए लोग कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को अपना पूर्ण समर्थन दें। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों और किसानों की अपनी पार्टी है। यह शिक्षकों और वैज्ञानिकों की पार्टी है। यह ऐसे करोड़ों सामान्य महिलाओं और पुरुषों की पार्टी है जो नित्य मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। किसान और मजदूर जो अन्न उपजाते हैं, इसे अपनी पार्टी मानते हैं।

शहरीकरण और असंगठित अर्थव्यवस्था

बिहार में शहरीकरण की गति काफी धीमी है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वहाँ ऐसे शहरों का विकास इस तरह से किया जा सकता है कि सभी की जरूरतें पूरी हों और सभी को समान रूप से विकास के अवसर मिल सके। पानी, साफ-सफाई, सीवरेज, कचरा प्रबंधन, जैसी प्राथमिक सुविधाएं किसी भी शहर के लिए विकास के लिए अनिवार्य हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगार, विशेषकर महिला कामगार को अगर ये सुविधाएँ उसके रिहायशी क्षेत्र में मिल जाती है तो उसके स्वास्थ्य व सामान्य जीवन पर तो इसका सकारात्मक असर पड़ेगा ही। उसकी कार्य क्षमता का विकास भी होगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। उसकी उत्पादकता बढ़ने का अर्थ है शहर के आर्थिक विकास में उसका योगदान।

माना जाता है कि जितना अधिक शहरीकरण होगा कुल घरेलू उत्पाद की विकास दर उतनी ही बढ़ेगी। क्योंकि शहर को रिहायशी, वाणिज्यिक, प्रशासनिक व औद्योगिक गतिविधियों की जरूरतों को पूरा करना होता है इसलिए उसकी योजनाओं में इन जरूरतों को दिखाना जरूरी है। 2011 की

जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख है जिसमें से एक करोड़ 17 लाख(11.30 प्रतिशत) शहरों में रहती है। शहरों में रहने वाली जनता का राष्ट्रीय प्रतिशत 28 है। इस दृष्टि से बिहार में शहर में रहने वाली जनता का प्रतिशत राष्ट्र के मुकाबले बेहद कम है।

शहरीकरण का मौजूदा निम्न स्तर शहरों में बढ़ती आबादी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में राज्य की योजना में बिहार सरकार ने शहरी विकास को प्राथमिकता पर लेकर ठीक ही किया है। शहरी विकास विभाग को उम्मीद है कि अगले पाँच साल में वह 55 शहरों में निवेश करेगा। 28 शहरों के विकास का उसने व्यापक खाका तैयार किया है। जेएनएनयूआरएस को लागू करने व केन्द्र से पैसा लेने के लिए यह खाका मुख्य आधार होगा।

शहर हर तरह के रोजगार की व्यवस्था करता है। संगठित से लेकर असंगठित तक हर क्षेत्र में व्यक्ति को काम मिल जाता है। असंगठित क्षेत्र के निर्माण, घरों में काम, फेरी लगाकर माल बेचना आदि कई तरह के काम मिल जाते हैं। ज्यादातर शहरों में स्वरोजगारियों को अपने घर पर या फिर फैक्टरी में पीस रेट पर उप ठेके पर काम देने की व्यवस्था रहती है। इससे काम प्रशासन की निगाह में नहीं आता। इस क्षेत्र में लगे कामगार की शहर में दोहरी मुसीबत है। एक तो काम कानूनी रूप से नियमित नहीं होने के कारण उसे पैसा बहुत कम मिलता है। दूसरा कम आमदनी के कारण उसे नगर परिषद के उस इलाके में रहना पड़ता है जहां जन सुविधाओं तक का अभाव रहता है। स्वास्थ्य और शिक्षा की न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं होतीं। जनता का पैसा उन वाणिज्यिक व औद्योगिक गतिविधियों के आधारभूत ढ़ाँचे में खर्च किया जाता है जिससे राज्य के कुल घरेलू उत्पाद की दर बढ़ने की उम्मीद हो। यही कारण है कि कम आय वर्ग वालों के लिए आवास, शहर भर में स्वच्छता, सफाई व सीवरेज जैसे जरूरी काम भी हाशिए पर चले जाते हैं। इन्हें कूड़े-कबाड़े का काम माना जाता है। योजनाकार विश्व स्तरीय शहर बनाने में ही लगे रहते हैं जिनका लाभ कॉरपोरेट जगत को ही मिलता है। समावेशी विकास के लिए समावेशी नगरों का निर्माण जरूरी है, इसके लिए योजनाकारों को अपना नजरिया बदलना होगा।

सार्वजनिक स्थल गरीब वर्ग के लिए खास महत्व रखते हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे कि फेरी या ठेले वालों की ऐसे स्थानों पर मौजूदगी इन्हें सुरक्षित लगती है। इस तरह से ये लोग इन स्थानों के 'निगहबान' होते हैं। सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा आजीविका और जन सुविधाओं जैसे कि पानी,

सफाई, नालियां आदि की उपलब्धता इन तीनों को अगर एक साथ रखकर देखा जाय तो शहर के अविकसित क्षेत्रों में निवेश का महत्व स्वत: ही समझ में आ जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार शहरी रोजगार में 79 प्रतिशत पुरुष व 81 प्रतिशत महिलाएँ असंगठित क्षेत्र से थी। इनमें घरों में चलने वाले घरेलू उद्योग, निर्माण, फेरीवाले, घरेलू नौकरानियां, कचरा बीनने वाले भी शामिल थे (चेन व रवीन्द्रन 2012)। शहरों का विकास कैसा हो, उसके लिए राज्य सरकार की शहरी विकास योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को उठाया जा सकता है।

इस आशय में हम एसपीयूआर की ओर से तैयार की गयी शहरी विकास की कुछ चुनिंदा रिपोर्टों और सेवा भारत के अध्ययन, 'महिलाओं की आवाज' के आधार पर बिहार के तीन शहरों के असंगठित क्षेत्रों, खासतौर से जिनमें महिलाएं काम करती हैं, का जायजा लेंगे। ये तीन शहर हैं पटना, मुजफ्फरपुर व पूर्णियां। इनके आधार पर उन क्षेत्रों को जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें सार्वजनिक राशि के निवेश से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर उनकी उत्पादन क्षमता को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है।

आर्थिक आधार

आर्थिक विकास की दृष्टि से बिहार के शहरों में काफी भिन्नता है। फिर भी इस दृष्टि से वे समान हैं कि उनमें प्राथमिक क्षेत्र व तीसरे (टेरेटरी) क्षेत्र की प्रधानता है। शहरी विकास कृषि उपज की प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यहां चावल, आटा, वनस्पति, तेल व चीनी की मिलें हैं। सूती धागा बनता हैं । रेशम कीट पालन, कपड़ा बुनना, जूट उद्योग, पापड़ बनाना और ऐसे कितने ही स्वरोजगार शहरों में हैं। पूर्णियां जिले में तो कृषि उत्पादन प्रसंस्करण के कितने ही छोटे-छोटे संयत्र काम कर रहे हैं। जैसे मसाला हल्दी, मिर्च, केला चिप्स, पापड़, जूट के सामान आदि। इन उत्पादों का बाजार पटना जैसे शहर में जहां से राज्य व देश के अन्य हिस्से में उनका व्यापार होता है रोहतास जिले के 'धान का कटोरा' नाम से विख्यात सासाराम का चावल कोलकाता व दिल्ली तक जाता है। भागलपुर सिल्क के कपड़ों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, यह कृषि उपज की भी एक बड़ी मंडी है। मुजफ्फरपुर को नेपाल का व्यापार द्वार माना जाता है। यहां से बिहार का कपड़ा व अनाज बड़ी मात्रा

में काठमांडू जाता है। मुर्गीपालन के क्षेत्र में पूणियां बिहार में सबसे आगे है। फुलवारीशरीफ सूती धागों का बड़ा निर्यातक है।

पर्यटन के क्षेत्र में बोधगया का नाम लिया जा सकता है जहां हर साल दो लाख से ज्यादा पर्यटक व भक्त महाबोधि मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इनमें करीब 30 हजार विदेशी पर्यटक होते हैं। इन पर्यटकों की वजह से शहर व उसके आसपास कई छोटी-बड़ी वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास हुआ है। पर्यटन पटना की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

राज्य में ओद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र भी पटना है। इलेक्ट्रोनिक सामान के निर्माण का यह राज्य में सबसे बड़ा केन्द्र है। पुराने पटना शहर में तो घर-घर में लघु उद्योग व घरखाता उद्योग चलते हैं। औद्योगिक विकास के लिए पाटलिपुत्र क्षेत्र में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में चीनी, एल्यूमिनियम के बर्तन टीएमटी लोहे की छड़ों व कत्था के कारखाने हैं। पूर्णियां के बड़े उद्योगों में मुख्य है हिन्दुस्तान पेट्रोलियम गैस स्टेशन, आटा व जूट मिले, आरा मशीन व सात वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज। पटना के पास ही दानापुर कस्बे में लोहे की छड़ों की फैक्टरी व आटा मिलों के साथ-साथ बाटा जूतों की फैक्टरी भी है। यहां से जूते बाजार में जाते हैं और लोहे का आयात होता है।

परंपरागत हस्तशिल्प व हस्तकला के क्षेत्र में भी बिहार काफी समृद्ध है। कपड़ा, वस्त्र, चूड़ियां, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, जूट का सामान, चित्रकला और भी काफी कुछ यहां के लोग घरों में बैठकर, बतौर स्वरोजगार बनाते हैं और इन उत्पादों के कद्रदान इन्हें दूर-दूर से आकर ले जाते हैं। भागलपुर का बरसों से चला आ रहा सिल्क हस्तकरघा उद्योग अब पावरलूम में बदलता जा रहा है। शहर के आर्थिक क्षेत्र में स्थानीय सिल्क दुकानदारों का योगदान 30-40 प्रतिशत माना जाता है। मुजफ्फरपुर, आभूषण, वस्त्र व लाह की चूड़ियों के लिए जाना जाता है।

कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनकी पहले कभी औद्योगिक नगर की ख्याति थी पर आज वे व्यापार व सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ गये हैं। जैसे कि डालमियानगर। 1940-80 तक डालमियानगर में गन्ना, सीमेंट,कागज, केमिकल्स व वनस्पति की बड़ी-बड़ी फैक्टरियां थीं। देश भर के नामी-गिरामी अफसरों के हाथों में इन फैक्टरियों की बागडोर थी। पर धीरे-धीरे विभिन्न कारणों से ये

उद्योग घाटे में जाते गये और आज यह एक भूतहा शहर लगता है। इसके विपरीत जिले में डेहरी आज एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र बनकर उभरा है। कृषि उत्पादों के अलावा यहाँ लाइम स्टोन व कोयला डिपो देश का दूसरा बड़ा कोयला व्यापार केन्द्र है। जहाँ से पूरे उत्तर भारत को कोयले की सप्लाई होती है।

इन सबके अलावा सभी शहरों में उनका आर्थिक आधार बनाने वाली गतिविधियाँ छोटे-छोटे दुकानदार संचालित करते हैं और उन्हें अंजाम असंगठित क्षेत्र के कामगार देते हैं। ये मोची, नाई, चाय-पकौड़े बेचने वाले, फल बेचने वाले भी हो सकते हैं और मोबाइल फोन की दुकान या राशन की दुकान वाला भी हो सकता है। एसपीयूआर की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन स्थल बोधगया में करीब एक-चौथाई से ज्यादा दुकानदार मंदिर संबंधी व पर्यटन संबंधी सामग्री बेचते हैं। हर दुकानदार औसतन 32 वर्गफीट की जगह पर अपना माल लेकर बैठा है। अकेला या फिर परिवार के साथ करीब 13 घंटे काम करता है और हर महीने करीब 3 हजार रुपये औसतन कमाता है। पर्यटको के सीजन में 4300 रुपये, नहीं तो औसतन दो हजार रुपये मासिक। सीतामढ़ी में 500 मीटर के गलियारे में 50 दुकानें हैं। एसपीयूआर की पटना की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों के कारण शहर में वाणिज्यिक गतिविधियो की माँग बढ़ी है आज इस क्षेत्र की गतिविधियों को और अधिक व्यवस्थित करने और काम का अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है।

आगे बढ़ने के लिये बिहार को 'विशेष दर्जा दिये जाने की जरूरत है। 22-23 सितम्बर, 1989 को मैंने नवें वित्त आयोग के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग सबसे पहले की थी। अस्तु पूरे बिहार (झारखंड समेत)के विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मेरी सोच आज की स्थिति में पूरी तरह सकारात्मक और प्रासंगिक लगेगी। सम्पूर्ण स्मार को यहाँ उल्लिखित करना न तो व्यावहारिक होगा और न ही आवश्यक है, किन्तु सभी आंकड़ों के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर तब तक की स्थिति को वर्णित करते हुये जो प्रस्ताव 9वें वित्त आयोग को स्पष्ट रूप में बिहार को अन्य राज्यों के साथ जोड़कर नहीं बल्कि अलग करके समझा जाय और यह तभी संभव होगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों के साथ समझा जाए। मैंने स्पष्टत: निवेदन किया था।

बिहार के बंटवारे के बाद, बिहार की फिर से शुरुआत करने की जरूरत है। विकास की रणनीति और राजनीति में एक साझा सामाजिक नजरिया विकसित करना होगा। आर्थिक आयाम के बिना बिहार की उपराष्ट्रीयता कभी मजबूत नहीं हो सकेगी। विकास के राज्यकेन्द्रित ढांचे के चलते बिहार पहले से ही काफी नुकसान झेल चुका है। अब यदि बाजार-केन्द्रित विकास के दौर में बिहार अपनी रणनीति में बदलाव नहीं लायेगा तो प्रलय ही शेष रह जायेगा।

वस्तुत: बिहार में उपराष्ट्रीयता की उद्दाम जिजीविषा का घोर अभाव है। इसलिए यहाँ की 'कम लागत में अधिक उत्पादन' और 'उच्च श्रम-उत्पादकता' जैसे सकारात्मक आर्थिक पहलुओं को आकर्षक ढंग से विश्व के बुद्धिजीवी, व्यवसायी और मीडिया के सामने प्रस्तुत करना होगा।

बिहार को आर्थिक पुनर्जीवन देने के लिए बिहारी उपराष्ट्रीयता के प्रति पूरी प्रतिबद्धता की जरूरत है। बाजार-अर्थव्यवस्था में समान स्पर्धा वाले माहौल का अभाव है और यह खासकर बिहार जैसे कम विकसित राज्यों के संदर्भ में ज्यादा सच है। साथ ही वैश्वीकरण के इस युग में उपराष्ट्रीयता के मुद्दे को क्षेत्रीय बाजार तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता।

अब बाजार और वैश्वीकरण के दौर में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था केवल बाजार के बूते नहीं टिक सकती। अब हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी कि राष्ट्रीय और विश्व बाजार में हम टिक सकें और सफल हो सकें। हालांकि यह कठिन होगा लेकिन यह असंभव और अप्राप्य भी नहीं है। इसके लिए हमें न केवल क्षेत्रीय पूँजी बल्कि ज्ञान का भी उत्खनन करना होगा।

इसलिये हमें राजनैतिक कटुता छोड़कर आगे बढ़ना होगा-बिहार की खातिर! सामाजिक न्याय के आंदोलन से तो बिहार की अनेक क्षति हुई है, अब इसे उपराष्ट्रीय कृत के घेरे में लाने की जरूरत है। हमें अब 'बिहारी उपराष्ट्रीयता' का एक नया इतिहास रचना होगा जिसमें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार पर हमारी निगाहे टिकी हो। लेकिन यह तभी संभव है जब हम पुन: उठ खड़े होकर बिहार की एक नई पहचान पेश करेंगे।

उसी समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से अयोध्या राम मन्दिर निर्माण का संकल्प लिया गया। सम्पूर्ण देश में शिला-पूजन का अभियान चलाया गया। वर्ष 1989 के अप्रैल-मई माह में साम्प्रदायिक दंगे से देश में तनाव की स्थिति बढ़ती गयी। उधर अप्रैल 1989 में ही हजारीबाग में दंगा हुआ।

इस प्रकार सितम्बर-अक्टूबर में शिला पूजन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में साम्प्रदायिक माहौल बनाने में सफल रही। वर्ष 1989 के अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में भागलपुर में शिला-पूजन का जुलूस निकलने के दौरान साम्प्रदायिक तनाव तथा हिंसात्मक घटनायें हुईं, परिणामस्वरूप भागलपुर में बड़े पैमाने पर तकरीबन 1000 से भी अधिक मुसलमानों का कत्ल हुआ तथा करोड़ों की सम्पत्तियों की भी बर्बादी हुई। मुसलमानों को उनकी जमीनों से वंचित किया गया। मैंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से लोगों के बीच सद्भावना बनाये रखने एवं पीड़ितों को साहाय्य सामग्री पहुँचाने में सक्रियता एवं तत्परता दिखायी। बिहार से बाहर के संगठनों को भी आमंत्रित किया। इसी क्रम में श्री सुनील दत्त एवं 'जमायत-ए-उलेमा हिन्द' के अशद मदनी द्वारा सराहनीय कार्य किये गये थे। उस दौरान श्री सत्येन्द्र बाबू की सरकार द्वारा भी सद्भावना कायम रखने के लिए काफी प्रयत्न किये गये। किन्तु, साम्प्रदायिक तनाव का माहौल सरकार की हजारों कोशिशों के बावजूद अनियंत्रित ही रहा। इसी बीच लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी स्पष्ट दिखायी दी। यहाँ तक कि श्री भागवत झा आजाद को भी, जो पिछले सभी लोकसभा चुनावों में विजयी होते आ रहे थे, भारी पराजय का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में अल्पसंख्यक समूह कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध हो गया था, जिसके फलस्वरूप पार्टी की पराजय हुई। भागलपुर साम्प्रदायिक दंगे के प्रभाव एवं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरोध-अभियान के परिणामस्वरूप ही केन्द्र में श्री राजीव गांधी की सरकार नहीं बन पायी थी। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। श्री राजीव गांधी की सोच बनी कि बिहार में यदि इसी प्रकार साम्प्रदायिक रंजिशें बनी रहीं तो बिहार विधान सभा के आगामी चुनाव में लोकसभा की तरह बिहार कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर बन जायेगी। इसलिये पार्टी के हित में बिहार में विधान सभा चुनाव के पूर्व उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की बात सोची।

मुझे याद है कि वर्ष 1991 का लोक सभा चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी। किन्तु, 1990 में कांग्रेस के चुनाव अभियान के क्रम में जब श्री राजीव गांधी सघन दौरे पर बिहार आये तो उस दौरान मुझसे उनकी निकटता बढ़ी; साथ ही चुनाव कार्यो में मेरी कार्य क्षमता, सक्रियता तथा वाक्पटुता देखने के बाद सम्भवतः श्री राजीव गांधी की अवधारणा मेरे प्रति बदल गयी थी। इसीलिए

उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो वे मुझे ही बिहार का मुख्यमंत्री बनायेंगे। किन्तु, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पायी और मैं नेता प्रतिपक्ष बना। उस समय मैं राज्य सभा का ही सदस्य बना रहना चाहता था परन्तु, बिहार के दौरे में उनके साथ कार्य करने के दौरान मैं उनकी सोच की ऊँचाई, देशहित की बातों से इतना प्रभावित हुआ था कि उसी समय मुझे यह विश्वास हो गया था कि एक परिपक्व प्रधानमंत्री के सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। मुझे उसी वक्त पूरा विश्वास हो गया था कि भविष्य में श्री राजीव गांधी निश्चित रूप से और भी सफल प्रधानमंत्री बनेंगे। कालान्तर में श्री राजीव गांधी के समर्थन से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के स्थान पर श्री चन्द्रशेखर सिंहजी प्रधानमंत्री बने। दोनों के बीच शायद कुछ गलतफहमियाँ हुई होंगी जिसके पश्चात् 1991 में लोक सभा चुनाव की घोषणा की गयी। श्री राजीव गांधी ने ही मुझे उस समय लोक सभा चुनाव लड़ने का निदेश दिया। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि मैं उस समय लोक सभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं था। किन्तु, केन्द्र में हमारी उपयोगिता को दर्शाते हुये श्री राजीव गांधी ने मधुबनी लोक सभा चुनाव क्षेत्र से मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। जीत की सारी संभावनाओं के मौजूद रहते हुए भी मधुबनी लोक सभा क्षेत्र से मेरी जीत नहीं हो पायी। उसका एक कारण तो मुझे यह लगा था कि 1989 अक्टूबर में भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा ने अल्पसंख्यकों को काँग्रेस से विमुख तो किया ही एवं उस समय मुसलमानों में अयोध्या विवाद को लेकर राजीवजी के प्रति नाराजगी थी ही और दूसरा 'मंडल आयोग' की अनुशंसा को लागू कर केन्द्रीय सेवा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा कर दी गयी थी। इससे ऐसा प्रचार हुआ कि कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में नहीं है। पिछड़ी जातियों में ऐसी अवधारणा बनी कि कांग्रेस मंडल विरोधी है। राज्य में मंडल विरोधी समर्थकों द्वारा कांग्रेस का व्यापक विरोध इस आधार पर किया भी गया। मेरे विरुद्ध भी चुनाव अभियान के दौरान निरंतर यह अफवाह फैलायी जाती रही कि मैं मंडल विरोधी हूँ, जबकि हकीकत यह थी कि 22 नवम्बर, 1990 को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बिहार विधान-सभा में मैंने आरक्षण नीति का पूर्ण समर्थन किया था। 7 अगस्त, 1990 को प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं श्री देवी लाल के बीच मतभेद से उत्पन्न परिस्थिति के कारण मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किया गया था। मैंने

9 अगस्त, 1990 को पटना में रवीन्द्र भवन में युवा कांग्रेस की आम सभा में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आरक्षण नीति की सराहना की थी, चूंकि हमारी राजनीतिक सोच सामाजिक न्याय एवं वंचित समूहों के उन्नयन के लिए सदैव रही है। काँग्रेस के इस विरोध के बावजूद जीत की संभावना इस बात से बनी रही कि मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा बनाने एवं मदरसा के शिक्षकों को सरकारी वेतनमान देने के कारण मुसलमानों का समर्थन मुझे प्राप्त हो सकता है। 1982 में बड़े पैमाने पर राजकीय नलकूप और निजी नलकूपों के निर्माण कार्यो के पूरा होने से भी मतदाता मुझसे प्रभावित हुए थे। किन्तु, श्री लालू प्रसादजी को हमारे साथ व्यक्तिगत प्रदर्शित बैर था। उन्होंने मुझे पराजित करने की घोषणा कर रखी थी। उन्होंने यहाँ तक घोषित किया था कि यदि डॉ० मिश्र जीत जायेंगे तो वे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उनका वह वक्तव्य उन दिनों के समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुआ था। श्री लालू प्रसाद ने सिर्फ मुझे हराने के लिए मधुबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी छह विधान-सभा क्षेत्रों का सघन दौरा किया और अपने प्रचार भाषणों में मुझे हराने का आह्वान लोगों से किया। उसके बाद भी मेरे जीतने की पूरी संभावना बनी हुई थी। मतदान के बाद 90 में से अधिक मतदान केन्द्रों पर उन्होंने पुनर्मतदान करबाया। इसमें सरकार की पूरी शक्ति लगी, निर्वाची पदाधिकारियों को चेतावनी तक दी गयी थी। इसके बाद भी मतगणनाकाल तक लोगों में ऐसी अवधारणा बनी रही कि जीत हमारी ही होगी। भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री भोगेन्द्र झा को लालू प्रसाद का पूर्ण समर्थन था। इस कारण मतगणना में अनियमितता बरती गयी जो आंकड़ों से स्पष्टतः प्रमाणित हुई। जितने मत पड़े थे उससे अधिक मतों की मतगणना हुई। फार्म 16 और फार्म 17 में मत पत्रों की अन्तर मतगणना स्थापित हुई। मतगणना के दौरान आपत्तियों के बावजूद निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा हमारी शिकायतें नहीं सुनी गयी। इस तरह श्री भोगेन्द्र झा की जीत घोषित हुई। परन्तु, पटना उच्च न्यायालय ने उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। श्री भोगेन्द्र झा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी। श्री झा ने उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की। चुनाव याचिका का निष्पादन होते-होते 1996 का चुनाव आ गया। मामला वहीं का वहीं लम्बित रह गया। 1991 के चुनाव के बाद पुनः बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मैं सक्रिय रहा। मेरे द्वारा कांग्रेस पार्टी की ओर से

जनता दल सरकार के कार्यकलापों की तीखी आलोचनाएँ की जाती रहीं। अनेक संघर्ष एवं विरोध कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे। 1992 में बिहार कांग्रेस कमिटी के चुनाव में मुझे प्रदेश डेलीगेट का दो तिहाई समर्थन प्राप्त हुआ। मेरा मुकाबला श्री तारिक अनवर के साथ था। केन्द्रीय पर्यवेक्षक श्री पी०ए० संगमा तथा श्री जगदीश टाइटलर ने केन्द्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गुप्त मतदान करवाया। मतदान से मेरे पक्ष में विशाल बहुमत मिला परन्तु, पर्यवेक्षकों ने उस चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया। बगैर चुनाव परिणाम घोषित किये ही पर्यवेक्षक दिल्ली वापस चले गये। इसके विरोध में हमारे सभी समर्थकों ने श्री पी०वी० नरसिंहा राव को सूचित कर दिया कि अगर कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष का चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया गया तो दो-तिहाई से अधिक प्रतिनिधि कांग्रेस के तिरूपति अधिवेशन में भाग नहीं लेंगे। इस चेतावनी के बाद एवं श्री सीताराम केसरी के दबाव पर श्री नरसिंहा राव ने अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम घोषित करवाया। मुझे प्रदेश कांग्रेस कमिटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उस समय मैं कांग्रेस विधान मंडल का नेता भी था। विक्षुब्ध गुट के लोगों के साथ-साथ श्री सीताराम केसरी भी हमारी जीत को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वे लोग मुझे अध्यक्ष पद से इस आधार पर हटाना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की निर्धारित नीति के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता था। वर्णित नीति का हवाला देते हुए ही मुझे दोनों में से एक पद से हटने के लिए आलाकमान का निदेश मिला, जबकि उस समय दो पदों पर एक व्यक्ति के आसीन रहने की परम्परा अन्य राज्यों में विराजमान थी। किन्तु, मुझे श्री सीताराम केसरी के कहने पर ही कांग्रेस के महासचिव श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा यह संदेश दिया गया कि मैं अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दूँ। मुझे अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के लिए एक तरह से विवश किया गया। अन्ततः 1992 के अक्टूबर में मैंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और नेता प्रतिपक्ष बना रहा। मेरे त्याग-पत्र देने के बाद अध्यक्ष पद के लिए श्री हिदायतुल्ला खाँ, पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को मेरी ओर से उम्मीदवार बनाया गया तथा विरोधी गुट से श्री रामजयपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया। परन्तु, मेरे समर्थित उम्मीदवार, श्री हिदायतुल्ला खाँ साहब ही दो तिहाई बहुमत से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। श्री खाँ की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने जनता दल सरकार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया। 15 जून, 1992 को गांधी मैदान में पहली

बार बिहार कांग्रेस द्वारा बिना प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया गया था। हमारे समर्थक नहीं चाहते थे कि अभी इस प्रकार की आम सभा करायी जाय क्योंकि 10 जून को ही श्री लालू प्रसादजी ने बड़ी आम सभा की थी। फिर भी मैंने 15 जून, 1992 को कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी आम सभा करायी। इस आम सभा को तत्कालीन मंत्री श्री राजेश पायलट ने संबोधित किया था। सभी समाचार-पत्रों में यह प्रतिवेदित हुआ कि कांग्रेस ने प्रतिपक्ष की सार्थकता साबित की है। 15 जून, 1992 के बाद आजतक कांग्रेस पार्टी वैसी सार्वजनिक सभा गांधी मैदान में कभी आयोजित नही कर पायी है। संभवत: कांग्रेस के इतिहास में 15 जून, 1992 ही अंतिम आम सभा मानी जा सकती है। हमारे विरोधियों को इस आम सभा ने काफी विचलित कर दिया। उसीक्रम में 3, 4 और 6 दिसम्बर को सभी जिला मुख्यालयों में जेल भरो कार्यक्रम भी चलाया गया जिसमें 3 लाख से भी अधिक लोगों ने सामूहिक गिरफ्तारियाँ दीं। समाचार पत्रों ने इसे प्रतिवेदित किया। कांग्रेस विधान मंडल के बाहर एवं भीतर पार्टी की महत्ता को बनाये रखने का प्रयास मेरे स्तर से लगातार चलता रहा। 1994 में राज्य सभा के द्वि-वार्षिक चुनाव हुए। उस समय हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव से अपनी इच्छा जाहिर की थी और उनसे कहा था कि मैं राज्य सभा आना चाहता हूँ। किन्तु, विक्षुब्ध नेताओं ने प्रधानमंत्रीसे यह कहा कि मुझे राज्य सभा नहीं लाया जाय, क्योंकि मैं श्री राजीव गांधी एवं श्रीमती इंदिरा गांधी से टकराहट उत्पन्न करने वाला रहा हूँ। श्री सीताराम केसरी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। वे स्वाभाविक रूप से राज्य सभा के लिए दावेदार थे। श्री केसरी और प्रधानमंत्री दोनों ही यह सोचने के लिए मजबूर हुए होंगे कि चूंकि 1992 के राज्य सभा चुनाव की दूसरी उम्मीदवार श्रीमती अहिल्या देवी पराजित हुई थीं, अत: ऐसी अवस्था में अगर मेरी उम्मीदवारी नहीं होगी तो श्री सीताराम केसरी की जीत भी संदिग्ध हो सकती है। इसलिए श्री केसरी मेरी उम्मीदवारी के पक्ष में थे। मुझे याद है कि श्री नरसिंह राव ने मुझे उस वक्त दूरभाष पर पूछा था कि क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? मेरी नजर में यह बात पूछने के लिए वे इस कारण से मजबूर हुए होंगे कि उस समय मेरे कुछ विरोधियों द्वारा लगातार श्री रावजी के मन में मेरे विषय में संदेह उत्पन्न किया जाता रहा था, जबकि हमारी वफादारी हमेशा से श्री राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा के प्रति अटूट रही। उसका उदाहरण रहा है कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह द्वारा

राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझसे श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध बयान देने पर जनता दल की ओर से मुझे मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया गया तो उस समय मैंने अपनी वफादारी का परिचय दिया था। उसी तरह 1987 में जब ज्ञानी जैल सिंह और श्री राजीव गांधी के बीच की टकराहट में ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की योजना बना रहे थे तो उस समय भी मैंने श्री राजीव गांधी के पक्ष में ही समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी के प्रति हमारी वफादारी के अन्यान्य उदाहरणों के साथ यह भी बड़ा मिशाल माना जाय।

इसी क्रम में यहां यह भी उल्लेख करना अतिशयोक्ति नही होगी कि 1980 के लोक सभा चुनाव में मेरी परम आदरणीय भाभी श्रीमती कामेश्वरी देवी जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी थीं। मैंने उस समय भी कांग्रेस के पक्ष में ही प्रचार किया था। उसी प्रकार पण्डौल विधान सभा से श्री विजय कुमार मिश्र, मेरे बड़े भाई श्री ललित नारायण मिश्र के पुत्र, चुनाव लड़े थे। उनके विरुद्ध भी मैंने प्रचार किया था। राजनीति में नेतृत्व के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता बिरले ही प्रस्तुत की जाती है। किन्तु, आज मैं महसूस करता हूँ कि अपनी भाभी और अपने भतीजा का विरोध करना उस समय उचित नहीं था, क्योंकि मैं पूर्णतया श्री ललित बाबू द्वारा ही बनाया गया हूँ। आज हृदय से इस क्लेश को महसूस करता हूँ। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी से श्री संजय गांधी के कहने पर ही यह विरोध किया था। ये बातें मैंने श्री नरसिंह रावजी को तब कही थीं, जब उन्होंने मुझसे भरोसे की बात पूछी थी। मैने कहा था कि आप मुझपर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना आप अपने आप पर करते हैं। जब श्री राव पर मुकदमे चल रहे थे, उनको श्री सीताराम केसरी द्वारा अपमानित किया जा रहा था, उन दिनों भी मैं राव साहब के साथ रहा था। उनसे उपकृत हुए लोगों ने उनका साथ छोड़ा, किन्तु मैं उनके मुकदमों के दौरान कोर्ट में हाजरी के दिनों में हमेशा उनके साथ रहा। यह आदर्श चरित्र मैंने अपने अग्रज श्री ललित नारायण मिश्र से सीखा था। 1961 में श्री बाबू के निधन के बाद विधान सभा के नेता चुनाव में श्री महेश बाबू के विरुद्ध श्री विनोदानन्द झा उम्मीदवार बनाये गये। उस समय विनोदा बाबू के पक्ष में वातावरण एवं समर्थन अधिक था। किन्तु, श्रीबाबू के साथ श्री महेश बाबू से वफादारी श्री ललित बाबू ने मानी थी। इसलिए वे श्री महेश बाबू के विरोधी नहीं हो सकते थे। श्री ललित बाबू के इस आचरण के कारण 1962

के लोक सभा चुनाव में सहरसा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में श्री विनोदा बाबू के समर्थकों ने विरोध किया जिसके फलस्वरूप श्री ललित बाबू पराजित हुए। राजनीति की मर्यादा और चरित्र के लिए उन्हें हारना पड़ा। उसी प्रकार की मर्यादा को कायम रखने के लिए ही मैंने भी श्री नरसिंह राव के बुरे दिनों में भी उनका साथ दिया था।

मैं 1994 से 2000 तक राज्य सभा का सदस्य रहा। इसी बीच 10 जून, 1995 को प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने मुझे केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनाया और बाद में कृषि विभाग की जिम्मेदारी भी दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री को मुझपर भरोसा था। मैंने उनके पक्ष में पार्टी को मजबूत करने का निरंतर प्रयास किया।

ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मेरे द्वारा श्री नरसिंह राव की स्वीकृति से तीन महत्वपूर्ण कार्य किये गये जो 15 अगस्त, 1995 को लागू किये गये। जिनमें से एक था, देश के बुजुर्ग नागरिकों को सुरक्षा पेंशन बिहार की तर्ज पर, दूसरा परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत परिवार के प्रधान की मृत्यु होने पर दस हजार रुपये का अनुदान और तीसरा मातृत्व योजना के अंतर्गत दो बच्चों की माताओं के लिए पांच सौ रुपये की राशि का अनुदान दिया जाना। 1992 में ही श्री राव द्वारा संचालित जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना और इसके अंतर्गत सभी प्रखंडों में पांच-पांच लाख रुपयों का प्रावधान कब्रिस्तान के निर्माण के लिए किया गया। 7-8 अक्टूबर, 1995 को दिल्ली में मुखियों एवं प्रमुखों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का दूरगामी प्रभाव पंचायती राज्यों पर पड़ा है।

उपर्युक्त प्रसंग में प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की सरकार की चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। जब श्री पी॰वी॰ नरसिह राव सत्ता में आये तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इस खतरनाक बीमारी को दूर करने की आवश्यकता थी। जब खतरनाक बीमारी आती है तो इसके इलाज में संकोच से काम नहीं चलता। साहस बटोरकर सख्ती से काम करना पड़ता है, उन्होंने यही किया था। विभाजन करने वाली शक्तियाँ लोगों के विश्वास व मनोबल को नष्ट कर रही थीं। आर्थिक पृष्ठभूमि में भी देश की दशा बहुत असुरक्षित थी। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को चुनौतियाँ थीं इन पर विजय पाना और देश को इन गतिरोधों से मुक्त करना था। स्वर्गीय राजीव गाँधी की

हत्या के बाद हमारे देश की एकता, अखंडता को जो खतरा आया था वह देश को मालूम था। ऐसा लगा था कि शायद यह देश टुकडा़-टुकड़ा हो जायेगा। देश ने अपना एक महान नेता खो दिया था, लेकिन उनकी प्रेरणा देश के साथ थी और उन्हें पूर्ण आशा थी कि उसी प्रेरणा के बल पर देश आगे बढ़ेगा। भारत के लोगों ने इस संकट की घड़ी में हिम्मत दिखायी, चट्टान की तरह खड़े हो गये और विघटनकारी शक्तियों को मुँहतोड़ जवाब दिया था। रिजर्व बैंक ने रुपए का मूल्य बदला था। उद्देश्य था कि देशवासियों को अपना माल विदेश में बेचने की अधिक सुविधा हो, उनको बढ़ावा मिले और विदेशी व्यापार में हमारा जो घाटा होता था वह घाटा कम किया जाय बल्कि घाटा पूरा ही हटा दिया जाय। देश में कई चीजें बनती थीं, जैसे रेडीमेड वस्त्र, चमड़े की वस्तुएँ, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब की बिक्री विदेशों में होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया है उससे इसमें आसानी होगी और विदेशी बाजारों में हमारी वस्तुएँ जगह पाएँगी और अधिक बिकने लगेंगी। विदेशी मुद्रा के साथ-साथ इन वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में देश में रोजगार बढ़ेगा जिससे लाखों लोगो को फायदा होगा। विदेशी मुद्रा देश क्यों चाहता है? वे ऐसे आराम की चीजों को बाहर से लाना नहीं चाहते। वे चाहते थे ऐसी चीजें लाना जो हमारी गरीब जनता के लिए आवश्यक हो जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, इस्पात और खाद्य तेल। इसी तरह की चीजें हैं, जिनकी हमारे देश में कुछ कमी थी यह नहीं है कि हम उत्पाद नहीं करते थे। अवश्य करते थे और उत्पादन बढ़ाने के हम प्रयास भी कर रहे थे लेकिन जो स्थिति थी उसके चलते हमारा उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए कुछ समय तक इन चीजों का आयात करना पड़ा। रुपये के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ था उससे आवश्यक चीजों के आयात को घटाने में आसानी उन्हें और हमारी मुद्रा के भविष्य के बारे में जो विश्व भर में गलतफहमियाँ फैल रही थीं वे दूर हो गयीं; जो भाई-बहन बाहर थे, जिनको हम एनआरआईज कहते हैं, उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और हमारे बैकों में अपना धन रखने में फिर कोई आना-कानी नहीं हुई। इसके साथ-साथ उन्होने देश की व्यापार नीति में बुनियादी परिवर्तन शुरु किये। इन परिवर्तनों का मूलमंत्र सीधा-सादा था। वे चाहते थे कि यदि निर्यात नहीं करते तो आयात भी नहीं कर सकते। उन्होंने लायसेंस में बहुत कटौती की है, क्योंकि निर्यात में इनसे काफी रुकावटें पैदा होती थीं। निर्यात में नगद सहायता उन्होंने बंद कर दी थी

क्योकि यह पैसा अब उनलोगों को देना आवश्यक नहीं था। इसी पैसे को, वे जनकल्याण के कार्य में खर्च कर सकते थे रोजगार मुहैय्या कराने में खर्च कर सकते थे और उसका सदुपयोग और क्षेत्रों में कर सकते थे। उनका लक्ष्य भारत को आत्म निर्भर बनाना था। यह आत्मनिर्भर करना कोई कोरा नारा नहीं था। इसका अर्थ यही था कि निर्यात से आय कमाइये और उसी कमाई से आयात की जरूरत पूरी करिये। वे किसी से दान नहीं चाहते, वे व्यापार चाहते थे क्योंकि मुक्त आर्थिक सहायता जब मिलती थी तो वह एक वैशाखी बन जाती है और उससे पराधीनता बढ़ जाती थी, हम जब व्यापार करते हैं तो आत्मनिर्भर बनते हैं और भारत, हजारों सालों से व्यापार करता आ रहा है। प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा बहुत से ऐसे कार्य देश के विकास के लिए किये गये जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।

परन्तु, यह बड़े दुर्भाग्य कि बात रही कि 1991-1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, पी.भी. नरसिंहा राव ने 23 दिसम्बर, 2004 को 11.00 बजे पूर्वा. में अंतिम साँस ली थी, तो उनकी मृत्यु के पश्चात् एक विचित्र राजनीति हुई। जब उनके पार्थिव शरीर को आम लोगो के अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में लाया गया तो वहां उसे अन्दर में नही रखा गया, जबकि कांग्रेस अध्यक्षों के पार्थिव शरीर के मामले में यह प्रचलन था कि पार्टी मुख्यालय के अन्दर उन्हें ले जाया जाता था, ताकि साधारण कार्यकर्त्तागण भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। अंत में उसे विशेष सैनिक जहाज द्वारा हैदराबाद ले जाया गया एवं वहीं उनका दाह-संस्कार का सारा कार्यक्रम हुआ। उनका पूरा परिवार इस घटना से सन्न रह गया था। उनके शव के साथ दिल्ली में किये गये आचरण से कोई खुश नहीं था। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनेवालों में 12,000 भारत के साधारण जन भी थे और इनमें से बहुत राव साहब के पैतृक गाँव बंगारा से रास्ता चलकर आये थे। परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी वहाँ उपस्थित नहीं हुई थीं। सभी की इच्छा थी कि दिल्ली में उनका स्मारक बने, परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष शायद अखिल भारतीय स्तर के नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं चाहती थीं।

कांग्रेस के अन्य नेताओं से मिलकर बिहार की राजनीतिक अव्यवस्था एवं परिस्थितियों से श्रीमती इंदिरा गाँधी को अवगत कराया किन्तु सभी नेता श्री सीताराम केसरी के समक्ष नि:सहाय दिखे। श्री राजेश पायलट ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समर्थन की बात कही। हमारे समर्थकों ने श्री शरद पवार, श्री प्रणब

मुखर्जी आदि को भी विश्वास में लेने की कोशिशें कीं। 26 मई, 1997 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस का समर्थन देने के विरुद्ध धरना रखा गया था। सभी प्रकार के संभावित उपायों से मैंने और मेरे समर्थकों ने कांग्रेस में बने रहने की कोशिश की परंतु, अंत तक किसी भी स्तर पर कांग्रेस के नेताओं से सहयोग नहीं मिल पाया। हमें कांग्रेस से निष्कासित करने पर किसी कांग्रेसी नेता से सहयोग नहीं मिलने पर तथा श्रीमती सोनियाजी द्वारा दिलचस्पी राजनीति में नहीं दिखाने की परिस्थिति में कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए अलग से पार्टी बनाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इन्हीं विश्लेषणों की पृष्ठभूमि में ही 24 दिसम्बर, 1997 को श्रीकृष्ण स्मारक भवन, पटना के परिसर में 15 हजार से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर 'भारतीय जन कांग्रेस' नाम से राजनीतिक पार्टी बनाने का संकल्प लिया। इसमें बिहार के सभी जिला एवं प्रखण्ड के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस प्रकार बिहार में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा में शामिल नहीं होने देने के लिये ही 'भारतीय जन कांग्रेस पाटी' की स्थापना की गयी। इस पार्टी के संरक्षक पूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री रामलखन सिंह यादव एवं अध्यक्ष, पूर्व मंत्री श्री जगनारायण त्रिवेदी बनाये गये। इस पार्टी में बड़ी संख्या में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद तथा राज्य, जिला तथा प्रखण्ड स्तरों के नेता सदस्य बने। लगभग 1 लाख 'भारतीय जन कांग्रेस' के सदस्य बने। 1998 में पार्टी का ढांचा सभी स्तरों पर प्रभावकारी बनाया गया। 1998-99 के मध्यावधि लोक सभा चुनाव में भारतीय जन कांग्रेस की ओर से 10 उम्मीदवार खड़े किये गये। इन उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवारों को 50 हजार से 1 लाख तक मत प्राप्त हुए। खासकर आरा से श्री रामलखनजी तथा गोपालगंज से श्री काली पाण्डेय तथा भागलपुर से श्री रतन मंडल को 1 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए थे। 1998-99 दोनों लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में राजद की स्थिति निराशाजनक रही। इसी बीच 1999 में जहाँनाबाद जिला के शंकरबिगहा तथा नारायणपुर आदि स्थानों में दलितों के नरसंहार की घटनाएं प्रतिवेदित होने के बाद श्रीमती सोनिया गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से नरसंहार की भर्त्सना की थी। संपूर्ण राज्य में राजद सरकार के प्रति आक्रोश के साथ घृणा उत्पन्न हुई। अनियंत्रित विधि व्यवस्था को देखकर ही श्रीमती सोनिया गांधी ने इन घटनाओं पर कड़ी आपत्ति की थी। उनकी टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की

घोषणा की। यह अपेक्षा की गयी थी कि कांग्रेस राज्य सभा में राष्ट्रपति शासन का समर्थन करेगी। किन्तु, श्री लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं की सांठ-गांठ के कारण ही श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्य सभा में राष्ट्रपति शासन का समर्थन नहीं होने दिया। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को निरस्त करना पड़ा। इस प्रकार कांग्रेस की बची हुई साख भी समाप्त हो गयी। राज्य में राजद विरोधी राजनीतिक वातावरण को देखते हुए कांग्रेस में राजद के साथ गठबंधन बनाये रखने के मामले पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया था। 2000 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एवं बिहार की जनता की भावना को देखते हुए कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से लड़ने का निर्णय लिया। इस प्रकार कांग्रेस ने 324 स्थानों पर अपना उम्मीदवार खड़े किये थे। यह कहने की कोशिश की गयी कि पार्टी का राजद से संबंध- विच्छेद हो चुका है। किन्तु, इसका प्रभाव लोगों पर आंशिक रूप से भी नहीं पड़ा, बल्कि लोगों ने इसे मात्र एक छलावा समझा। परिणामत: मात्र 23 स्थानों पर ही कांग्रेस को विजय प्राप्त हो सकी। 2000 के बाद राजद को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। उस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी जिसमें श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलायी गयी। इस दौरान विधान सभा में बहुमत साबित करने के समय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राजग को समर्थन देने या तटस्थ रहने पर विचार किया परंतु, आलाकमान ने राजग को समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया। इस प्रकार श्री नीतीश कुमार को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। श्री लालू प्रसाद की पार्टी की श्रीमती राबड़ी देवी को सरकार बनाने में कांग्रेस ने समर्थन देने की घोषणा कर दी। मतदाताओं का वह संदेह प्रमाणित हो गया कि विधान सभा चुनाव में कांग्रेस का अलग से लड़ना मात्र एक छलावा था। इस प्रकार राजद के साथ भीतरी गठबंधन वर्ष 2000 में विधान सभा चुनाव के बाद श्री नीतीश सरकार को बहुमत नहीं होने देने से प्रमाणित होता है और इससे भी प्रमाणित होता है कि कांग्रेस ने केवल राबड़ी सरकार को समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि पार्टी के सभी 23 विधायकों को उनके मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनवाया। इस प्रकार कांग्रेस बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता, अराजकता और उद्योगविहीनता की जिम्मेदारी से नहीं बची। इसका प्रतिफल हुआ कि 2005 के विधान सभा चुनाव में बिहार में मात्र 9 स्थानों पर ही कांग्रेस विजय प्राप्त कर सकी। भारतीय जन कांग्रेस काफी सक्रिय पार्टी के रूप में उभरी। लोक सभा के 1998-99 चुनाव में

भारतीय जन कांग्रेस को काफी समर्थन की संभावना बनी। 2000 के विधान सभा चुनाव में भारतीय जन कांग्रेस पार्टी ने लगभग 100 स्थानों पर उम्मीदवार खड़े किये जिनमें 35 स्थानों पर 5 से 35 हजार मत मिले और सभी स्थानों पर कांग्रेस की तुलना में अधिक मत प्राप्त किये। कुल मतदान का 3 प्रतिशत मतदान भारतीय जन कांग्रेस को प्राप्त हुआ। मतदान के सघन अध्ययन से ऐसी जानकारी मिली कि राजग को विधान सभा में बहुमत प्राप्त नहीं होने देने में भारतीय जन कांग्रेस ही मुख्य कारण थी। साधन के अभाव के कारण ही पार्टी के क्रियाकलापों को अधिक सशक्त और प्रभावकारी नहीं बनाया जा सका। मेरी मान्यता बनी कि साधन के अभाव में अलग पार्टी बनाये रखना व्यावहारिक रूप से काफी कठिन है। इस प्रकार बहुत दिनों तक पार्टी को जीवित नहीं रखा जा सकता है। सभी कार्यकर्ताओं की राय बनी कि पार्टी का विलय किसी अन्य राष्ट्रीय पार्टी में कर कार्यक्रमों को चलाया जा सकता है। उसी समय श्री तारिक अनवर तथा श्री शरद पवार से संपर्क हुआ। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, जो कांग्रेस के विचारों पर ही बनी थी। समीक्षोपरांत 24 दिसम्बर, 2000 में पार्टी के एक सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि भारतीय जन कांग्रेस का विलय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किया जा सकता है। 23 जनवरी, 2001 को पटना के श्रीकृष्ण स्मारक भवन सभागार में एक सम्मेलन में श्री शरद पवार, श्री तारिक अनवर, श्री छगन भुजबल, श्री पी०ए० संगमा एवं श्री देवेन्द्र द्विवेदी की उपस्थिति में भारतीय जन कांग्रेस का विलय राष्ट्रवादी कांग्रेस में किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित हुआ। पुनः पार्टी की सक्रियता प्रखण्ड तथा जिला स्तरों पर बनी। प्रखण्ड और जिला स्तर पर राजद सरकार के विरुद्ध लगातार संघर्षात्मक कार्यक्रम चलाये जाते रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार ने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर पार्टी में सम्मानित कर हमारे विचारों एवं मनोभावों को प्रश्रय दिया। उनके सहयोग तथा उनके द्वारा आदरपूर्ण व्यवहार के लिए मैं सदा उनका आभारी रहा हूँ।

वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रखण्ड, जिला तथा राज्य इकाइयों को सशक्त करने की लगातार कोशिशें की जाती रहीं। राजद की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार एवं केन्द्र की भाजपा नीत सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध भी सभी स्तरों पर अनेक कार्यक्रमों को चलाते रहने के फलस्वरूप ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक व्यवहार्य एवं प्रभावकारी

पार्टी के रूप में दिनोदिन उभरने लगी। दलितों, गरीबों एवं वंचित समूह के लिए भूमि सुधार, पंचायती राज का सशक्तीकरण आदि विभिन्न स्तरों पर राजद सरकार की विफलताओं के विरुद्ध भी कार्यक्रम चलाये जाते रहे। पंचायतों के सशक्तीकरण और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों को सशक्त करने और राज्य सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मैंने श्री तारिक अनवर के साथ बिहार तथा झारखण्ड राज्यों में अनेक कार्यक्रम चलाये और हम सफल भी रहे। 2004 में लोक सभा चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र की तर्ज पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चुनावी गठबंधन का प्रयास होने लगा, जबकि बिहार में कांग्रेस का गठबंधन राजद के साथ पूर्व से ही बना हुआ था। मैंने बड़ी ही विनम्रता के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार से कहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का संबंध स्वीकारा जा सकता है। परंतु, कांग्रेस के साथ बिहार में राजद का गठबंधन है। ऐसी दशा में राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का क्या राजनीतिक परिणाम होगा? मैंने लगातार राजद के साथ कांग्रेस के गठबंधन का विरोध जारी रखा है। मैंने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि राजद सरकार की सभी स्तरों पर विफलताओं के कारण आम लोगों में आक्रोश विद्यमान है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का तात्पर्य राजद के साथ तालमेल करना होगा। ऐसी अवस्था में मेरे और मेरे साथियों के लिये इस नये गठबंधन को समर्थन देना कठिन हो सकता है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस के साथ सीटों का बंटबारा करने तथा राजद के साथ तालमेल करने की परिस्थिति की अनिवार्यता बन ही गयी। चूंकि, मैंने राजद शासन का विरोध किया और राजद-कांग्रेस गठबंधन को आत्मघाती करार दिया था, इसीलिये श्री लालू प्रसाद यादव ने वामपंथी से तालमेल कर और भाजपा से विधायकों को तोड़कर अपनी शक्ति बनायी। ऐसे राजनीतिक अवसरवादी तालमेल का वामपंथी दल को बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। वामपंथी दल इस तरह अपनी पहचान खोता गया और अंततोगत्वा वामपंथी दल राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर होता गया। ठीक उसी प्रकार 1997 में राजद ने कांग्रेस के साथ राजनीतिक गठबंधन कर कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक गतिहीन राजनीतिक पार्टी के रूप में बना दिया। बिहार कांग्रेस दल पूरी की पूरी राजद सरकार के समर्थन में था। एक तरह से बिहार कांग्रेस ने श्री लालू प्रसाद के सामने आत्म-समर्पण कर दिया था। राजद शासनकाल में प्रशासनिक ढांचा

ध्वस्त हो चुका था। सर्वत्र अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गयी थी। बिहार के आमजन घुटन महसूस कर रहे थे, पर जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। ऐसे समय में दिल्ली और पटना के कुछ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद से साँठ-गाँठ कर कांग्रेस का जनाधार क्षीण कर दिया। इसके बावजूद कुछ कांग्रेसी नेता कांग्रेस से संबंधित नीतियों, मूल्यों, मर्यादाओं तथा आदर्शों को दर-किनार कर श्री लालू प्रसाद को समर्थन दे रहे थे। दिल्ली स्थित जिन कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेसी मूल्यों, मर्यादाओं तथा आदर्शों को ताकपर रखकर श्री लालू प्रसाद यादव का लगातार समर्थन देना जारी रखा, उन्हीं के पटना स्थित अनुयायिओं और शागिर्दों ने लगातार इस बात का दुष्प्रचार किया कि श्री लालू प्रसाद के साथ मेरी साँठ-गाँठ है। असलियत का खुलासा इसी से होता है कि 11-12 फरवरी, 1992 को गया जिला में जब एक साथ 40 भूमिहार ब्राह्मणों की हत्या कर दी गयी तो तत्कालीन केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री जैकब ने विधि-व्यवस्था की विफलता के सवाल पर बिहार में राष्ट्रपति शासन की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। तब उक्त कांग्रेसी नेताओं ने ही प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव से कहकर श्री लालू प्रसाद सरकार को बचाने का काम किया। राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया। इससे कांग्रेस को भारी हानि हुई।

उन दिनों मेरे हजारों कांग्रेसी साथी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरे साथ खड़े थे। उपकृत हुए व्यक्ति, लाभ लेने वाले व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सुविधा एवं अवसरवादिता के लिए भले अलग गये हों, परंतु सरजमीन से जुड़े निष्ठावान समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्त्तागण मेरे साथ सदैव जुड़े रहे। यह हमारे जैसे एक कार्यकर्त्ता के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। ऐसे साथियों को हमने कुछ दिया नहीं, देने को था ही क्या सिवाए स्नेह, प्रेम और समर्थन के? हमारी निष्ठा और उपयोगिता कांग्रेस के लिए थी। यह अनुभूति राज्य के हजारों-हजार साथियों को भी थी। कुछ नेताओं की नजर में हमारी सार्थकता एवं उपयोगिता भले नहीं हो, लेकिन जनमानस में मुझसे जुड़े रहने का यह भाव अब भी जीवित है, सक्रिय है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सच्चे कांग्रेसजन नहीं जा सकते। मैं इस बात को भलीभांति जानता हूँ। इसीलिए हमने लगातार इस तालमेल का विरोध किया। ऐसे संभावित गठबंधन से कांग्रेस द्वारा राजद को समर्थन दिये जाने में कांग्रेस की पहचान मिटाने की साजिश स्पष्ट दिखती थी, उस समय यह भी सत्यापित हुआ कि कौन से तत्व और कौन नेता राजद के

साथ मिल रहे हैं। वस्तुतः बिहार में कांग्रेस पार्टी को आमलोगों के बीच लालू कांग्रेस के रूप में जाना जाने लगा। इन परिस्थितियों में मेरे जैसे समर्पित कांग्रेसी के लिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं था। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी काँग्रेस के साथ गठबंधन पर राजद के वर्चस्व को भी प्रायः स्वीकारते हुए आमादा थी कि दरभंगा से भी 2004 के लोकसभा चुनाव में राकंपा का भी उम्मीदवार मुझे नहीं बनाया जाय जिस राकंपा में अपनी पार्टी 'भारतीय जन काँग्रेस' का विलय कर दिया गया, जिस राकंपा के लिए बिहार और झारखंड में निरंतर एड़ी-चोटी का पसीना बहाया, उसी राकंपा का मेरे विरुद्ध यह विस्मयकारी छलावापूर्ण व्यवहार! यह मेरे सिद्धांत और मनोबल के पूर्णतः विरुद्ध था और फलतः मैंने अपने को राकांपा से भी अपने साथियों के साथ अलग कर लिया, क्योंकि अभी समर शेष था। उन दिनों एक राजनीतिक सशक्त विकल्प के रूप में जद(यू॰) पार्टी बिहार में उभर चुकी थी। श्री नीतीश कुमार, श्री जार्ज फर्नांडिस तथा श्री शरद यादव जैसे नेताओं ने राजद के विरुद्ध 2000 के चुनाव में ही संभावना बनायी कि जद (यू॰) पार्टी एक सशक्त राजद विरोधी सरकार बिहार में दे सकती है। मैं राजद सरकार का विरोधी था तथा बिहार के हित में उस सरकार को अपदस्थ करना मैंने उचित समझा। ऐसी परिस्थिति में श्री नीतीश कुमार, श्री जार्ज साहब, तथा श्री शरद यादवजी से मैंने चर्चा की। उन लोगों ने बड़े ही सम्मान के साथ मुझे अपने सभी समर्थकों के साथ जद (यू॰) में शामिल किया। 4 मार्च, 2004 को ही 9,000 से अधिक समर्थकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात् जद (यू॰) में राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा जिला इकाइयों में विभिन्न पदों पर अनेक लोगों को आसीन कराया गया।

सन् 2005 ई० के बिहार विधान सभा चुनाव में जद (यू०) उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए मैंने बड़ी तत्परता एवं निष्ठापूर्वक कार्य किया जिससे उसकी बड़ी जीत भी हुई। बिहार में राजग सरकार बनाने में मिथिलांचल की जो भूमिका रही उसे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाला हुआ। मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ। मधुबनी में 11 में से 10 स्थानों पर राजद की पराजय हुई। इस चुनाव में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और अररिया में 20 की 20 सीटों पर राजद को मुँह की खानी पड़ी। सरकार बनाने में तिरहुत और सारण प्रमण्डलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही।

जीत के उपरांत नीतीश सरकार ने निश्चय ही अत्यंत सराहनीय कार्य किया। श्री लालू प्रसाद ने जो यह मिथक बना दिया था कि बिहार के लोगों में

विकास की भूख नहीं है, अथवा विकास से वोट का कुछ लेना देना नहीं है, यह कथित मिथक निर्मूल साबित हुआ। बिहार के लोगों ने समवेत रूप से विकास के नारों को स्वीकार किया।

विगत 15 वर्षों के राजद शासनकाल में प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो चुका था और सर्वत्र अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। ऐसी विषम परिस्थिति में शासन की बागडोर संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उनके शासनकाल में बिहार की एक नई छवि बनाने में सरकार सफल रही। सामाजिक तनाव, द्वन्द्व, भय एवं आतंक से जनता मानसिक रूप से मुक्त हुई। पिछले शासनकाल में बिहार गरीबी, पिछड़ापन, हिंसा और असफल प्रशासन की तस्वीर प्रस्तुत करता था। अब सरकार विकास के जरिए साफ सुथरा प्रशासन और निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने का प्रयास कर अधिकतम निजी निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। राज्य की कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया। जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा निश्चित रूप से बहुत हद तक होने लगी। बिहार की आपराधिक छवि में अध:पतन का सकारात्मक परिणाम हुआ। बड़े पैमाने पर अपराधी पकड़े गये। उनके मुकदमों की त्वरित सुनवाई होने लगी है। बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा भी मिली है। कानून व्यवस्था स्थापित करने में सरकार और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रही थी। पुलिस को अपराधियों से निबटने की दिशा में पूरी आजादी दी गयी थी। इन कदमों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक विकास की अपनी राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति स्पष्ट की थी एवं बिहार में चीनी उद्योग के विस्तार एवं बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: चालू कराने की भी घोषणा की। यह संदेश दिया कि यही एक उद्योग है जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है। इसप्रकार अब हम इसके एक विकसित राज्य होने की आशा जरूर कर सकते थे।

❐

6

स्वर्णिम अतीत और सिसकने की नियति

यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। वह यह कि 1अप्रैल, 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रान्त का विधिवत् उद्घाटन हुआ। बंगाल से बिहार अलग होकर स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आया। नि:संदेह डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा आधुनिक बिहार के महान् स्तंभ थे। इन्होंने बिहार को स्वतंत्र पहचान दिलवायी और बिहारियों की अस्मिता के वे प्रतीक बने। अपने आदर्शों एवं जीवन के मूल्य से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वे बड़े शिक्षाविद् एवं महान पत्रकार थे और जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। नि:संदेह 'बिहार से बंगाल के पृथक्करण आंदोलन' की वे आत्मा थे एवं बिहार और उड़ीसा प्रान्तों का अलग-अलग गठन उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा था। भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस दौर में बंगाल के साथ जुड़े रहने के कारण बिहार आधुनिक विकास से वंचित रहा। उन दिनों जमींदारी प्रथा के कारण बिहार की भूमि व्यवस्था में भेदभावपूर्ण नीति और सामंती मानसिकता व्याप्त थी। तत्कालीन सरकार और रैयत के बीच बिचौलियों का प्रभाव तथा दबाव बना रहा। बिहार को उल्लिखित विषम परिस्थिति में मुक्त करना अनिवार्य था और डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा का उल्लेख बिहार के पर्याय के रूप में करना सर्वथा समीचीन है।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बिहार के गौरव की अनेक गाथाएं हैं। प्रारंभ काल में इसने भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांधा और पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मध्य युग में सूफियों और संतों के माध्यम से इसने शांति और नैतिकता का प्रचार किया तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में

बिहार का ही यह सौभाग्य रहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्य के प्रयोग के लिए चम्पारण को चुना। यही वह स्थल है, जहाँ महात्मा गांधी ने अफ्रीका से लौटने पर भारत की भूमि में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सर्वप्रथम सत्याग्रह के अभिनव अस्त्र का साहसिक और सफल प्रयोग किया। सामाजिक गतिशीलता की दिशा में एक अनूठा प्रयोग था, जिसे गांधीजी सेवा और बलिदान पर विकसित तथा सत्य और अहिंसा पर आश्रित आत्मशक्ति कहना पसंद करते थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि बिहार में ही सत्य और अहिंसा का प्रथम प्रस्फुटन आधुनिक काल में हुआ जिसने अंततः सम्पूर्ण देश को आंदोलित कर हमें स्वतंत्रता का वरदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता के ऐतिहासिक संघर्ष के दौरान महान् क्रांति के दिनों में बिहार ने दृढ़ संकल्प और अदम्य उत्साह के साथ अपने शौर्य का परिचय दिया। बिहारवासियों को इस बात का गर्व है कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने बिहार में किया था। बाद के सभी आंदोलनों में बिहार ने अपना समुचित योगदान किया, किन्तु एक आंदोलन ऐसा था, जिसमें बिहार ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और वह था अगस्त, 1942 का आंदोलन। इस आंदोलन में बिहार की जनता ने जो बलिदान किया और जितनी यातनाएं झेलीं, उनका दूसरा उदाहरण हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पूरे इतिहास में ढूँढ़ निकालना कठिन है। बिहार विधान सभा भवन के पूर्वी द्वार पर दिनांक 11 अगस्त, 1942 को हजारों-हजार लोग, जिनमें स्कूल और कॉलेज के नौजवान भी छात्र शामिल थे, पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के दृढ़ संकल्प के साथ एक विशाल जुलूस लेकर चले। पुलिस ने गोलियाँ चलायीं, जिनके फलस्वरूप 7 नौजवान मारे गये, जो जगजाहिर है। 1920, 1930 तथा 1942 के राष्ट्रीय आंदोलनों में बिहार राज्य की बड़ी व्यापक भूमिका रही। लाखों लोगों के त्याग व बलिदान से 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। इंडिया एक्ट-1935 के अंतर्गत अंग्रेजी शासनकाल में ही राज्यों में चुनाव हुआ। 1937 में बिहार राज्य में जो चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद बिहार में पहली बार डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। जल्द ही 1939 में कांग्रेस नेतृत्व तथा अंग्रेज सरकार के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। मतभेद के कारण ही डॉ० सिंह ने सरकार से त्याग पत्र दे दिया। 1942 के आंदोलन के बाद 1945-46 में सभी नेता जेल से रिहा हुए। 1946 में नया चुनाव हुआ जिसमें पुनः डॉ० श्रीकष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। इस

प्रकार 1946 से 61 तक कुल मिलाकर 15 वर्षों तक श्रीकृष्ण सिंह की स्थायी सरकार बिहार में रही। श्रीबाबू प्रगतिशील और उस जमाने के लिहाज से उग्र विचार के नेता थे। शासन संचालन कार्य में श्रीबाबू की कार्य-कुशलता सर्वविदित है। सन् 1937 से 1961 तक उन्होंने जिस प्रवीणता के साथ इस राज्य में लोकतंत्र को सुविकसित किया, वह सर्वथा प्रशंसनीय है। उन्होंने जाति से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाया। उन्होंने देवघर मंदिर में एक हरिजन के साथ प्रवेश करने का साहस दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाया, कोशी, गंडक योजना, बरौनी की तेलशोधक इकाई, बरौनी एवं सिन्दरी खाद कारखाना, बरौनी बिजली संयत्र, हटिया में भारी इंजीनियरिंग और बोकारो इस्पात कारखाना आदि की स्थापना अपने कार्यकाल में कराने का यश लिया। श्रीबाबू के द्वारा किये गये मुख्य सुधारों में सर्वप्रमुख जमींदारी उन्मूलन है। देश आजाद हो गया था, लेकिन पूरे देश की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण-दोहन तथा उसके अन्दर हुई लूट से अशक्त बिहार, कल-कारखाना विहीन होने के साथ-साथ गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेकारी और सामंती शोषण से भी त्रस्त था। बिहार की कोख में खनिज सम्पदा का विशाल भंडार था, लेकिन उनके उपयोग के लिए कल-कारखाने नहीं थे। बिहार की भूमि उपजाऊ है, लेकिन बाढ़ तथा सुखाड़ की विनाशलीला से किसान तबाह थे। बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं का अभाव था, उच्च शिक्षा भी सुलभ नहीं थी। डॉ० श्रीकृष्ण सिंह सही अर्थों में बिहार केसरी थे, वे जितने बड़े गुणग्राही अध्येता थे, उतने ही बड़े राजनेता थे। उनकी उदारता, धर्मनिरपेक्षता, प्रशासकीय कुशलता आदि गुण उनके महान् व्यक्तित्व को विशिष्ट निखार एवं अर्थवत्ता प्रदान करते थे।

डॉ० श्रीकृष्ण सिंह 15 वर्षों तक सरकार को स्थायित्व देने में इसलिए सफल रहे कि उनका नेतृत्व सबों को स्वीकार था। स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को सभी क्षेत्रों में लोगों ने सराहा था। वे बिहार में कांग्रेस पार्टी के एकछत्र लोकप्रिय नेता थे। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू का पूरा समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनका कोई विरोध नहीं था। यही कारण था कि वे एक सफल नेता साबित हुए। आम लोगों में उनकी प्रगतिशील छवि थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक कुशल प्रशासक के रूप में भी ख्याति अर्जित की। पण्डित नेहरू द्वारा गठित **'पॉल**

एलबी' के नेतृत्व में नियुक्त प्रशासनिक अध्ययन दल की रिपोर्ट इसका साक्ष्य है। इस रिपोर्ट में देश में बिहार को उत्कृष्ट प्रशासित राज्य करार दिया गया। 31 जनवरी, 1961 को उनका निधन हुआ। उसी के बाद बिहार की राजनीतिक अस्थिरता प्रारंभ हो गयी। उनके बाद पं० विनोदानन्द झा, श्री कृष्ण बल्लभ सहाय मुख्यमंत्री बने। मार्च, 1967 में कांग्रेस की पराजय के बाद राजनीतिक अस्थिरता जारी रही और अल्पकालीन मुख्यमंत्री बनते रहे। श्री महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल, श्री हरिहर सिंह, श्री दारोगा प्रसाद राय, श्री भोला पासवान शास्त्री, 1972-75 में श्री केदार पाण्डेय और श्री अब्दुल गफूर, 1975 से 77 में मैं और 1977-79 में श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री रामसुन्दर दास मुख्यमंत्री बने। 1980 में मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। अगस्त, 1983 में श्री चन्द्रशेखर सिंह तथा उसी क्रम में श्री बिन्देश्वरी दूबे, श्री भागवत झा आजाद, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री बने फिर तीन माह के लिए मैं 1989 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। विश्लेषण से यह स्थापित होता है कि केन्द्रीय कांग्रेस पार्टी के हस्तक्षेप से बिहार को स्थायी सरकार संभव नहीं हो सकी। कोई भी मुख्यमंत्री अगर बिहार के हित में कुछ करना भी चाहता था तो वे स्थायित्व के अभाव में नहीं कर पाया फलतः बिहार का विकास अवरुद्ध होता रहा। श्री बाबू के बाद 1990 से पूर्व सिर्फ मुझे ही 5 वर्षों का कार्यकाल मिला, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को उससे बहुत कम समय उपलब्ध हो सका। मेरे कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सभी प्रक्षेत्रों के लिए लिये गये। बिहार में प्रति व्यक्ति योजना व्यय और निवेश दर एवं प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही।

परंतु, यह विस्मयकारी है कि केन्द्र की उपेक्षापूर्ण नीति के विरुद्ध कोई भी नेता केन्द्रीय स्तर पर दबाव बनाने में सफल नहीं रहें। लेकिन मैंने मुख्य मुद्दों को राष्ट्रीय विकास परिषद् में उठाया। बिहार के साथ हो रही भेदभावपूर्ण नीति की चर्चा की। हमारे द्वारा उठायी गयी तथ्यपूर्ण बातों को भी केन्द्र से टकराहट कहकर हमारे विरुद्ध केन्द्र की दृष्टि लगातार बनती गयी।

एक और घटना मुझे विचलित करती है। मेरा श्री सीताराम केसरीजी के साथ संबंध खराब हुआ, जिसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मेरी ही मदद और सहायता से वे सन् 1994 ई० में राज्य सभा में विजयी हुए थे। मेरे साथ उनका संबंध मधुर एवं अच्छा बनता गया। परंतु, जाने क्यों उनका दिल कभी मेरे प्रति ठीक नहीं रहा। मैंने तो पुरानी बातों को भुला दिया था,

उनका विरोध भूल गया था परंतु, उनमें बदले की भावना जाग्रत रही। जब पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं और विश्वासपूर्वक काम करने लगते हैं, तो ओछी राजनीति में धोखा खाते हैं। फिर भी मैं वही करता हूँ क्योंकि ओछी राजनीति से मुझे परहेज है। सन् 1994 ई० में कांग्रेस विधायकगण एवं दिल्ली के कुछ नेता उनका विजयी होना नहीं चाहते थे। सन् 1983 ई० में उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने का षड्यंत्र किया था एवं राजनीति में भी बराबर प्रताड़ित किया था। इसलिए मुझपर मेरे शुभेच्छुओं का दबाव था कि उन्हें नहीं जीतने दिया जाय। उनके पराजित होने पर ही दिल्ली और बिहार की राजनीति को ठीक किया जा सकता है। परंतु, मुझे याद है कि केसरीजी ने कहा था कि अगर वे पराजित होंगे तो मर जाएँगे। वैसे भी उन दिनों उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं था। इसी कारण मैंने सोचा कि प्रारंभिक दिनों में ललित बाबू ने ही उन्हें बनाया, बढ़ाया; अब अगर मेरे कारण वे पराजित होकर खराब स्वास्थ्य के चलते चल बसे तो कलंक मुझे ही लगेगा। मेरी आत्मा को भी ठेस पहुँचेगी। ललित बाबू की आत्मा को भी कष्ट होगा। अत: मैंने सोचा बदले की भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। छोटे विचार से काम नहीं करना चाहिए। अत: मैंने उन्हें विजयी बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। प्रधानमंत्री राव साहब भी उन्हें जिताना चाहते थे। मैंने स्थानीय एवं दिल्ली के मित्रों की भावना के विरुद्ध ईमानदारी एवं निष्ठा से उनका साथ दिया। उन दिनों तो मेरे उक्त सहयोग की चर्चाएं चलती ही रहीं, जो आज तक चलती हैं।

आज मैं सोचने के लिए विवश हो जाता हूँ कि आखिर उन्होंने संगठनात्मक चुनाव में मेरे साथ ओछा एवं घटिया व्यवहार क्यों और कैसे किया? हमने अ०भा०कांग्रेस अध्यक्ष बनने में सितम्बर, 96 में सहयोग किया था। कार्यसमिति के एक-एक सदस्य से मिलकर उनके पक्ष में काम किया। बनाया तो राव साहब ने, लेकिन हमने भी उनके जीतने में पूरा सहयोग दिया। इस सच्चाई के बावजूद बिहार में मुझे एवं मेरे लोगों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए अ०भा०कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। 30 वर्षों की कांग्रेस राजनीति एवं कांग्रेसजनों से हमारे सम्पर्क एवं जनाधार को अध्यक्ष के अधिकार एवं अपनी शक्ति का जबरन दुरुपयोग कर उन्होंने कमजोर किया और हम लोगों को कांग्रेस से पूर्णत: अलग कर दिया। 15 लाख से अधिक सदस्य बनवाने के बावजूद हमारे लोगों के साथ जैसा व्यवहार हुआ,

कोई सोच भी नहीं सकता। समझौते की बात हुई, परंतु केवल धोखों के लिए। हमारे समर्थकों का पूर्ण रूप से सफाया करना उनका मूल उद्देश्य था क्योंकि हमारे समर्थन को समाप्त किये बगैर बिहार कांग्रेस पर उनका कब्जा हो पाना कठिन ही नहीं असंभव भी था। पूर्व के वर्षों में यह साबित हो चुका था कि उनकी षड्यंत्रभरी पूरी शक्ति के बावजूद हमारा समर्थन अनेक प्रकार से मजबूत है। 1992 के संगठनात्मक चुनाव में उनकी उपस्थिति में उनके पूर्ण समर्थन के बावजूद उनके समर्थित दोनों उम्मीदवार पराजित हुए थे। उनका कोई समर्थन नहीं था। उसी बदले की भावना से उस वर्ष हमारे साथ यह व्यवहार उन्होंने किया होगा।

इस प्रकार मैं अपने राजनीतिक जीवन के समर में एक प्रकार से प्रत्याशित-अप्रत्याशित संकटपूर्ण चुनौती भरे समर में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा। समय-समय पर उन घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कीं। अपने समय की इन महत्वपूर्ण घटनाओं को एक जगह संग्रहीत कर देश की नयी पीढ़ी के हवाले करने की मेरी हार्दिक इच्छा पिछले काफी समय से रही है। इन घटनाओं, प्रसंगों के जरिये मैं समझता हूँ कि नयी पीढ़ी को बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी।

मैं आज भी अतीत को न सोचते हुए विगत 34 वर्षों से बिहार की पीड़ा से जुड़ने के लिए लोगों से आग्रह करता आ रहा हूँ। बिहार की पीड़ा से जुड़िए कार्यक्रम के तहत बिहार के किसी भी क्षेत्र के विकास में आनेवाली वास्तविक समस्याओं के निराकरण खोजे जाते रहे हैं । बिहार के विकास के लिए जिन मुद्दों पर मैं लगातार आज भी आवाज उठाता रहा हूँ उन महत्वपूर्ण विषयों की संक्षिप्त जानकारी देना यहाँ आवश्यक समझता हूँ-

भारतीय संविधान में पर्याप्त प्रावधानों और अन्य कानूनों के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि सामाजिक अन्याय और अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अत्यन्त पिछड़े तबके का शोषण जारी है। आजादी के 70 वर्ष से अधिक होने के बाद भी सामान्यत: तमाम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों और खासकर दलितों एवं अत्यन्त पिछड़ी जातियों को जिस तरह अपमान से गुजरना पड़ता है वह शर्म की बात है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक स्थिति रिपोर्ट ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों के दलितों की कल्याणकारी योजनाओं के उन तक पहुँचाने की स्थिति को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में

कहा गया है कि भारत में दलित और विशेषकर दलित परिवार की महिलाएं संविधान के बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। आज भी वे हाशिये पर हैं। समाज में जाति आधारित व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति के लोग अब भी बहिष्कार के शिकार हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से यह सत्यापित हुआ है कि देश के बहुत हिस्सों में अधिकतर दलितों की स्थिति अत्यंत ही नाजुक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि अनुसूचित जातियों के पक्ष के बने कानून बेअसर रहने के कारण इन वर्गों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। इन वर्गों के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है। देश के कोने-कोने में दलित आज भी भीषण पीड़ा और प्रताड़ना की जिन्दगी झेल रहे हैं। दलित तबका राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता ढूंढ़ता है तो उसे मायूसी ही दीखती है और उसे विषमता, शोषण एवं जुल्म सहने पड़ते हैं। किसी राष्ट्र-राज्य को एक लोकतंत्र के रूप में यदि बने रहना और बढ़ना है, तो इस भीषण सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी और अन्याय से निजात पाना ही होगा।

सदियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर जी रहे दलितों के प्रति समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों का नजरिया, लोकतंत्र, समता और न्याय आदि के तमाम प्रचार के बावजूद नहीं बदला है। यह सुनना अत्यंत कष्टदायक लग सकता है। पर दलितों के मामले में क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, सब के सब एक हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में यह पूछना कितना ही दारूण क्यों न हो, पर इसी आईने में हम अपने देश की असली सूरत देख सकते है। हमें समाज के कमजोर वर्गों के उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो अल्प पोषित हैं और उनमें से कुछ प्रतिशत ही 14 वर्ष तक की अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं, जबकि अब शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चों का मौलिक अधिकार है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति में मात्र 37.41 प्रतिशत एवं जनजाति में मात्र 29.60 प्रतिशत साक्षर हैं। यह संविधान की भावना का अपमान है। अपमान की वह प्रक्रिया अभी जारी है; जिस दलित-आदिवासी ने सफलता प्राप्त की, उसकी कुंजी शिक्षा है। दलित-आदिवासी शिक्षा की स्थिति कितनी भयावह है, वह निम्न आंकड़ों से साबित हो जाती है। कक्षा 1 से 5 के बीच, कुल 2 करोड़ 88 लाख दलित-आदिवासी बच्चे अध्ययनरत हैं। पर, हाई स्कूल में इनकी संख्या मात्र 35 लाख है, यानी प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चों में 2 करोड़

53 लाख का अंतर। कक्षा 6 में प्रवेश के समय बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष होती है। शिक्षा समता लाने का सबसे बड़ा उपकरण है और समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित कर हम विकास को अधिक से अधिक समग्र बना सकते हैं। वहीं भारत सरकार की एक अन्य रिपोर्ट में दलित के संबंध में कहा गया है कि देश में 6 से 11 वर्ष की आयु के स्कूल जाने योग्य अनुसूचित जाति और जनजाति बच्चों की कुल संख्या तीन करोड़ 31 लाख है इनमें से कुल दो करोड़ 88 लाख दलित बच्चे देश भर के प्राइमरी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। प्राइमरी स्कूलों में दाखिला लेने योग्य कुल दलित बच्चों का 87 प्रतिशत विद्यालयों में हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि दलित समाज शिक्षा को समझता है और इसे पाने की महत्वाकांक्षा रखता है। उनका विश्वास है कि उनकी अगली पीढ़ी शिक्षित बनेगी और समाज में अपना स्थान बनायेगी। इसी उम्मीद से माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में कराते हैं। दाखिला का प्रतिशत 90 के प्रतिशत के आसपास है। **परन्तु, उसी रिपोर्ट में स्तब्ध करने वाली सूचनाएं हैं; 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 1.4 करोड़ है जिन्हें कायदे से 6-8 में अध्ययरत होना चाहिये लेकिन इनमें से मात्र 87 लाख दलित बच्चे उन कक्षाओं में अध्ययनरत थे। यानी मिडिल कक्षा में स्कूल जाने वाले कुल दलित बच्चों का 58. 8 प्रतिशत ही अध्ययनरत था। अर्थात् प्राइमरी से मिडिल के बीच 28. 61 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से अलग हो चुके थे। रिपोर्ट बताती है कि हाई स्कूलों यानी कक्षा 9 में अध्ययनरत दलित बच्चों की संख्या मात्र 35 लाख थी। जहाँ प्राइमरी स्कूलों में दलितों की कुल संख्या 2 करोड़ 88 लाख थी, वहीं हाई स्कूल में घटकर मात्र 35 लाख रह गयी। यानी, प्राइमरी कक्षाओं में मात्र 12.1 प्रतिशत बच्चे हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्तब्ध करने वाला प्रश्न यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?.....**

आज बिहार राज्य में व्याप्त कुपोषण के शिकार बच्चों को बचाने के लिए प्रभावकारी योजना बनायी जाय और जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें प्रभावकारी बनाया जाय। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा कराये गये सर्वेक्षण का यह निष्कर्ष चिन्तित करने वाला है कि 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों की कुपोषण दर में बिहार देश में पहले स्थान पर

है। जिस पीढ़ी का बचपन ही कुपोषित एवं अस्वस्थ हो, उससे ऊर्जावान एवं खुशहाल यौवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में करीब 55 फीसद स्कूली बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। राज्य सरकार को इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष को अत्यधिक गंभीरता से लेना चाहिए तथा स्थिति में बदलाव के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिये। उत्तर-भारतीय हिन्दीभाषी राज्यों में बच्चों का कुपोषण कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। यह प्रवृत्ति लम्बे समय से जारी है। समय-समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस हालात पर चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन बिहार में कुपोषित बच्चों की दर का करीब 55 फीसद हो जाना नई चिन्ता है। इससे पहले यह दर 40 फीसद के आस-पास रहती थी। गौरतलब है कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्र तथा मिड-डे मील जैसी परियोजनाएं चल रही हैं जिन पर सरकार अरबों रुपये खर्च करती है। इसके बावजूद घटने की बजाय कुपोषण दर में बढ़ोतरी से जाहिर है कि परियोजनाओं का संचालन विधिवत् नहीं हो रहा है तथा बच्चों के पोषण के लिए आवंटित संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो रहा है। आँगनबाड़ी परियोजना तथा मिड-डे मील में धांधली के तमाम प्रकरण भी उजागर होते रहते हैं। अब स्कूली बच्चों की कुपोषण दर में बढ़ोतरी की रिपोर्ट ने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी कि ये परियोजनाएं भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुकी हैं।

सरकार बच्चों के पोषण का व्यापक सर्वे कराये तथा उसके निष्कर्षों के आधार पर हालात में बदलाव लाने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार करावे। इसके अलावा एक आयोग या विशेषज्ञों का दल गठित करके आँगनबाड़ी परियोजना तथा मिड-डे मील के क्रियान्वयन की हकीकत की जाँच करवायी जाय। एक अध्ययन दल गठित कराके उत्तराखण्ड सहित उन राज्यों का अध्ययन भी कराया जा सकता है जहाँ बच्चों की कुपोषण दर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड के मुकाबले बहुत कम है। राज्य सरकार इच्छाशक्ति रखे तो शराबबंदी की तरह बच्चों की पोषण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया जा सकता है। सरकार को इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी योजना का क्या हाल है। क्या स्कूलों में नियमित अन्तराल पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है? यदि परीक्षण हो रहा है तो उसका फॉलोअप हो रहा है अथवा नहीं? बच्चों

का पोषण वेहद् अहम विषय है। राज्य सरकार को इसे अपने एजेंडे में टॉप पर रखना चाहिये। यदि भावी पीढ़ी कुपोषित रहती है तो विकास के बाकी तमाम दावों का कोई मतलब नहीं रह जाता। कुपोषित बचपन को बचाने के लिए सरकार द्वारा गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए।

आज आरक्षण भी केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर ही रह गया है। आरक्षण के प्रति राजनीतिक दलों में ईमानदारी का अभाव है। आरक्षण के प्रावधान में अत्यधिक किन्तु-परंतु का समावेश होने से वास्तविक हकदार को इसके सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत जैसे देश में जहाँ अधिकतर दलितों की आमदनी 20 रुपया प्रतिदिन से भी कम है। ऐसा दलित परिवार सुखी-संपन्न मध्यवर्गीय दलित परिवारों, जिनकी आय 40 से 50 हजार तक है ऐसे क्रिमीलेयर से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वर्तमान स्थिति में आरक्षण का लाभ वही दलित परिवार उठा पाता है, जिन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है। ऐसी स्थिति में सुदूर क्षेत्र में बसे अशिक्षित भूखे-नंगे दलित परिवार आरक्षण का लाभ कैसे उठा पायेंगे? देश की विकास संबंधी योजनाओं का अध्ययन करते हुए एक सवाल बराबर कौंधता है कि वे नीतियाँ कैसी हैं जिनके परिणाम हमेशा दलित हितों के विरुद्ध निकलते हैं। हर साल बजट बनता है, लेकिन करोड़ों लोग अब भी निरक्षर, बेघर-बेरोजगार और भूखे हैं। ताजा उदाहरण उच्च शिक्षा में शैक्षिक पदों पर दलितों की भागीदारी को लिया जा सकता है। जहाँ संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी कायदे-कानून शैक्षिक प्रतिमान दलित वर्ग की शैक्षिक दशा के प्रतिकूल बनाये जाते हैं। संविधान में पर्याप्त प्रावधानों और अन्य कानूनों के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के प्रति विषमता एवं सामाजिक तौर पर अन्याय का क्रम जारी है। भारत के गणतंत्र राज्य घोषित होने के 68 वर्ष बीतने के बाद भी सामान्यतः अनुसूचित जातियों के लोगों और खासकर दलितों एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों को जिस तरह अपमान से गुजरना पड़ रहा है वह शर्म की बात है। समाज के विभिन्न वर्गों में आरक्षण व्यवस्था का लाभ सभी जातियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। गहन परीक्षण के उपरांत पाया गया है कि जो जातियाँ और परिवार प्रभावशाली तथा बहुसंख्यक हैं, उन्होंने धीरे-धीरे नियोजन और शिक्षा के क्षेत्र

तक सभी निर्धारित सुविधाएँ अपने तक सीमित करने में सफलता हासिल कर ली। नतीजा है कि इससे संबंधित वर्ग की जो जातियाँ और परिवार लाभ से वंचित रह गयी हैं उनके बीच वर्तमान व्यवस्था के चलते असमानता बढ़ती गयी है। आरक्षण की सबसे बड़ी विसंगति यही है कि आरक्षित वर्ग में भी कई जातियाँ बन गयी हैं। आरक्षण का लाभ सूची में शामिल सभी जातियों में बांटने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि आरक्षण का मूल उद्देश्य पूरा किया जा सके। विसंगतियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को 'ए' और 'बी' श्रेणी में बांटा जाय। आरक्षण की श्रेणी में शामिल सभी जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस अवधारणा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के लिए लागू करने की आवश्यकता है।

हालांकि, 24 अगस्त, 2017 को केन्द्र सरकार के आरक्षण का लाभ सभी अनुसूचित जातियों को प्रदान करने की भावना से जातियों को निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। यह एक ऐसा कदम है जिसके लिए पिछले दशकों में महादलित समुदाय आरक्षण की नीति से ओर आरक्षण कोटे से निरंतर वंचित रहे। लगता है इस आयोग से दलितों और महादलितों की पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में सभी श्रेणियों को आच्छादित कर दिया जायेगा।

आज दलित की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। दलितों को अपने जीवन-यापन करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दलितों की आज कुल जनसंख्या 17 प्रतिशत है। इनका 85 प्रतिशत भाग ग्रामीण अंचलों में रहता है तथा उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। दलितों के पास खेती के साधन तथा कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, जिसके कारण लगभग 49 प्रतिशत दलित खेतिहर मजदूर हैं। मात्र 25 प्रतिशत दलितों के पास कृषि योग्य भूमि हैं। परिवार के भरण-पोषण के लिए 80 प्रतिशत दलित महिलाएं खेतिहर मजदूरी या अन्य प्रकार की मजदूरी का कार्य करती हैं। 45 प्रतिशत दलित आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो किसी प्रकार अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 92 प्रतिशत दलित परिवारों के व्यक्ति शौचालय, 70 प्रतिशत बिजली तथा 50 प्रतिशत पेयजल से वंचित हैं। संविधान में दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा आजादी के 70 वर्ष पश्चात् भी पूरा

नहीं हो पाया है। केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों में केवल क्रमशः 8.23 प्रतिशत, 10.47 प्रतिशत तथा 14.76 प्रतिशत स्थान ही भरे जा सके हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रथम श्रेणी आरक्षित पदों में केवल 4.86 प्रतिशत तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्कों तथा अधिकारियों के आरक्षित पदों में केवल 7.29 प्रतिशत ही भरे जा सके हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 70 हजार आरक्षित पद रिक्त हैं।

बहुत लोगों ने लोकसभा में दलितों पर अत्याचार की हालिया चर्चा में आशा देखी। उनलोगों ने यह अनुभव किया कि चूंकि वर्तमान नीति की सीमित सफलता दलितों पर अत्याचार को कम करने में है। दलितों के विरुद्ध निरंतर चलती हिंसा की जड़ें और समस्या का स्थायी समाधान यह दोनों आंतरिक समस्याएं हैं। आशा की कुछ किरणें मिलीं हैं। राजनीतिक दलों को जाति और समरूपता (इक्वीटी) पर चिन्तन को सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षा, कृषि योग्य भूमि और पूँजी तक पहुंच दलितों की परिस्थिति को सुधारेगी और समुन्नत करेगी। सरकार ने दलितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल देते हुए रुख दिखाया है, लेकिन अब भी निराशा व्याप्त है।

पहला सुझाव यह है कि राजनीतिक दल को जाति और समरूपता (कास्ट एण्ड इक्वीटी) को अपना पहला कार्य बनाना चाहिए। वे ऐसा संविधान में समानता के प्रावधान और समरूपता की परम्पराओं की याद के प्रति भी अपने दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकते हैं। इस बिन्दु पर डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर के विचारों को देखा जा सकता है। डॉ॰ अम्बेडकर समानता को समर्थन करने वाली परम्पराओं के बारे में स्पष्ट धारणा रखते थे और साथ ही जो परम्पराएं समर्थन नहीं करती हैं उनके बारे में ऐसी ही धारणा उनकी थी। उनके दृष्टिकोण से प्राचीन समय में बुद्ध ने पहले वाले पारम्परिक समर्थन (समानता के आदेश) का समर्थन किया जबकि वैदिक ब्राह्मणवाद ने बाद वाले विचार (समर्थन के अलग) की धारा का प्रतिनिधित्व किया। बाद में गुरुनानक, रविदास, कबीर, मंगतुराम, फुले, पेरियार और अम्बेडकर समरूपता (इक्वीटी) के प्रश्नों पर चिह्नित थे। जबकि दयानन्द सरस्वती, अरबिन्दो, विवेकानन्द, बाल गंगाधर तिलक और वी॰डी॰ सावरकर ने प्रतिरोधी बहस का नेतृत्व किया, यद्यपि समय-समय पर समरूपता के लिए उनके तर्क/विचार अवश्य होते थे। 19वीं शताब्दी की प्रतिरोधी बहस ने आज के विदित हिन्दुत्व के उभार का नेतृत्व किया।

विद्वान हमें बताते हैं कि हिन्दू शब्द जिसका मौलिक रूप में अर्थ सिन्धु नदी के बाहर बसे लोगो के प्रसंग में है, वह शब्द (हिन्दू) 19वीं सदी में एक वाद (इज्म) हो गया- अर्थ की विभिन्न धाराओ के साथ। डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार इसका अर्थ हुआ 'नव' या संशोधित ब्राह्मणवाद जिसने वर्ण व्यवस्था को हृदय से लगा लिया। जो राजनीतिक दल समरूपता को अपनी कार्यसूची में रखना चाहते हैं उन्हें, इसलिए उस परम्परा का आवश्यक रूप में साथ देना चाहिए जिस परम्परा ने वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध युद्ध किया-इन्हें प्रतिरोधी बहस के कुछ विचारकों के विचारों को समाहित करना चाहिए जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। समरूपता का वसूल हानिग्रस्त हो जायेगा यदि डॉ॰ अम्बेडकर का दुरूपयोग किया जाता है।

अत्याचारों को गैर-सामाजिक तत्वों पर डालना भी सहायता नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करना हिंसा के धार्मिक और सामाजिक मूलों से ध्यान को हटाने जैसा होगा। दलितों के विरुद्ध अत्याचार के ढाई लाख मामले 1995 से दलितो द्वारा समान अधिकार के लिए दम भरने के विरुद्ध अगड़े और पिछड़ी जातियों की जवाबी कार्रवाई को ही दर्शाते हैं। राजनीतिक दलों को समरूपता विरोधी बहस जो दलितों के विरुद्ध ऐसी हिंसा के पीछे है उसका प्रतिरोध करना होगा।

नई आर्थिक नीति के बाद रोजगार के अवसरों का विस्तार निजी क्षेत्र में ही हो रहा है। दलितों एवं पिछड़ा वर्ग को निजी क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो नयी नौकरियाँ इजाद हो रही हैं, वे तकनीकी संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में हो रही हैं। इन क्षेत्रों में दलितों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के गरीबों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। उच्च शिक्षा से ही किसी राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव हो पाता है क्योंकि उच्च शिक्षा से ही किसी राष्ट्र को अच्छे इंजीनियर, डाक्टर, व्यवसायी, अधिवक्ता, लेखा विशेषज्ञ, आचार्य (प्रोफेसर) तथा सभी क्षेत्रों से संबंधित कुशल तकनीक कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। यदि निजी क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आरक्षण लागू नहीं किया गया तो अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग और पिछड़ जाएंगे। आरक्षण को आज सरकारी और निजी क्षेत्रों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। यह समाज के कमजोर वर्ग का समता प्राप्ति की दिशा में कानून और संविधान से सम्मत अधिकार बन चुका है। केन्द्र और राज्य स्तर पर पूरे भारतीय शासन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर बढ़ते अत्याचारों की ओर

प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 और नियमों के पूरी तरह से और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा तुरंत उपाय किये जाने चाहिये।

यदि हमें मानव अधिकारों के प्रति गंभीर होना है तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम वास्तव में वचन के प्रति चिंतित हैं। **हमें गरीबी, ''गरीबी के विरुद्ध संघर्ष को सद्‌भाव के रूप में न देखकर दायित्व के रूप में देखना होगा।''** ''गरीबों को मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे नैतिक दायित्व हमें क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही अन्य लाभ भी होते हैं। चूंकि मानव अधिकार के मानक, व्यक्ति विशेष के सशक्तीकरण पर बल देते हैं, इसलिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण गरीबों को सशक्त और सक्षम करने में सहायता कर सकते हैं।'' आज विकास, सुरक्षा और मानव अधिकारों का चोली दामन का साथ हैं, इनमें से कोई एक, अन्य दो के बिना ज्यादा सफल नहीं हो सकता। वास्तव में मानव अधिकार की पुरजोर वकालत करनेवाला यदि मान, सुरक्षा और मानव विकास या प्रतिक्रमात के लिए कुछ नहीं करता तो वह अपनी विश्वसनीयता और अपने ध्येय को ही कमजोर कर रहा है। आज गरीबों को इतना सजग बनाने की जरूरत है कि कोई उनका शोषण न कर सके। गरीबों के अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हम उन्हें अपने अधिकारों और दायित्व के बारे में जागरूक करें।

भारत में असमानता एक भयंकर रोग है जो भारत में हर तरफ अपनी जड़ें मजबूती से जमाय हुयी है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लैंगिक एवं राजनीतिक असमानता अन्यायकारी रूप धारण कर चुकी है। यह राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। पुनः कहना है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था उसकी सामाजिक संरचना एवं उसकी आर्थिक आधार पर टिकी होती है। अलोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल होना असंभव है, इसकी सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र एवं आर्थिक समानता एक पूर्व शर्त बन जाती है। भारतीय संविधान को संविधान सभा को सौंपते हुए इसके मुख्य शिल्पकार डॉ. अम्बेडकर ने 26.11.1949 को राष्ट्र को चेताया था-"भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतर्विरोध स्थापित हो रहा है। इसे शीघ्र समाप्त करने

की जरूरत है। अन्यथा गैर-बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे।" आज 69 साल बाद भी डॉ॰ अम्बेडकर की चेतावनी प्रासंगिक है। वर्तमान में अगर हम भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करें जिसकी वजह से समाज एवं अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण नहीं हो पा रहा है तो यह सुनिश्चित हो जायेगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुनियाद असमानता अत्याचार, अपमान, अन्याय एवं अलगाव जैसी भेदभावकारी अलोकतांत्रिक बीमारियों के ऊपर नहीं रखी जा सकती। भारत में आज लोकतंत्र एक प्रक्रियात्मक यंत्र के रूप में संचालित हो रहा है तो यह कहना गलत न होगा। भारत सरकार स्वीकार कर रही है कि 82 करोड़ लोग अपने लिये दो वक्त का खाना जुटाने में सक्षम नहीं हैं। यह एक गंभीर रोग की ओर इशारा करता है। जबतक इसका कारण न जाना जाय और उसके निवारण की उचित प्रक्रिया न अपनायी जाय, भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना एवं रक्षा एक भ्रम ही रहेगी।

15 अगस्त, 1947 को पं॰ नेहरू ने कहा था कि गरीबी, अज्ञानता जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए एक समृद्ध लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की रचना आवश्यक है। पं॰ नेहरू ने हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्धनता पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखलाया है। पं॰ नेहरू की दृष्टि के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत में शक्तिशाली स्वदेशीय आधार निर्मित किया गया है। इसका आनेवाले वर्षों में इस्तेमाल करने से हमारा उत्पादन सभी क्षेत्रों में बढ़ेगा तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था और भी सामर्थ्यवान बन सकेगी।

इसी प्रकार पलायन बिहार की अर्थव्यवस्था का विशेष हिस्सा है। इन दिनों यहाँ के पुरुष बड़े पैमाने पर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। एनएसएसओ के मुताबिक बिहार ऐसा राज्य हैं जहाँ खास समय पर लोग बड़ी संख्या में काम करने के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। बिहार में प्रति हजार पर 57 पुरुष व एक महिला श्रमिक आसपास के इलाके में काम के लिए जाते थे। आईएचडी सर्वेक्षण के अनुसार पलायित कामगारों में से 98 प्रतिशत पुरुष थे। पलायन की मूल वजह गरीबी है। शिक्षित लोग भी बेहतर अवसर की तलाश में पलायन कर रहे हैं। पलायितो में ऐसे शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, जो लम्बे समय के लिए अथवा स्थायी रूप से यहाँ से किसी दूसरी जगह जाकर

बस जाते हैं। गरीब पलायितों का अपने परिवार को भेजा जाने वाला पैसा उनकी रोजमर्रा की आधारभूत जरूरतों को पूरा करता है। पलायन सामाजिक संबंधों में बदलाव का भी एक माध्यम सिद्ध हो रहा है। वैसे तो पलायन का मूल कारक अर्थ ही है पर इसकी मात्रा का निर्धारण जाति, वर्ग व भू-स्वामित्व जैसे तत्व ही करते हैं। बिहार में कुल 25 प्रतिशत कामगार पलायित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मुसलमान 33 प्रतिशत (उच्च व निम्न दोनों जातियों में से लगभग बराबर), फिर सवर्ण 29 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 28 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग-प्रथम में 26 प्रतिशत कामगार पलायित हैं। अनुसूचित जाति 22 प्रतिशत व ओबीसी 20 प्रतिशत में पलायन अपेक्षाकृत काफी कम है।

सर्वाधिक पलायन या तो भूमिहीनों में है या फिर जिनके पास बहुत जमीन है, उनमें है। छोटे खेत वाले लोग गाँव में ही रहकर अपने खेत पर काम करते हैं। पर ज्यादा जमीन वालों के पास संसाधनों की बहुतायत के कारण परिवार के ज्यादा सदस्यों को बाहर भेजना आसान रहता है। संक्षेप में ग्रामीण बिहार में पलायन के स्वरूप को तीन सामाजिक व आर्थिक अधिश्रेणियों-जाति, वर्ग व भूमि के आधार पर समझा जा सकता है। भूमि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में सबसे ज्यादा है। पुरुषों के इस पलायन ने महिलाओं के जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। पुरुषों के परदेश चले जाने के बाद घर में वे ही रह जाती हैं। ऐसे में बाहर के कार्यों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ जाती है। सर्वेक्षण में कृषि कार्यों में लगी महिलाओं में से 70 प्रतिशत पलायित परिवारों से है। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं पहले खेती का काम नहीं करती थीं। पर अब उन्हें वे काम भी करने पड़ रहे थे जो पहले उनके पुरुष ही करते थे। पशुपालन व लघु घरेलू उद्योग वाले परिवारों में भी महिलाएं उन कार्यों को कर रही थीं जो पहले केवल पुरुष के ही माने जाते थे। सर्वेक्षण में यह भी देखने में आया कि जिन परिवारों में पलायित पुरुष पर्याप्त मात्रा में पैसा भेजते हैं, उनमें महिलाएं बाहर के काम कम करती हैं। स्त्रियों के संदर्भ में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पलायन से कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है और इसीलिए स्त्री-पुरुष के बीच काम व मजदूरी का अंतर भी घटा है। जमीन का मालिकाना सिकुड़ रहा है। खेत का औसत आकार घट कर 0.75 हेक्टेयर रह गया है। इसके भी आगे और तीन-चार टुकड़े हो रहे हैं।

बिहार के असंगठित क्षेत्र की 1.3 करोड़ महिलाएं मेहनती, साहसी,

जोखिम उठाने वाली व आत्म परित्यागी हैं। सामाजिक विकास व आर्थिक समृद्धि में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर भी नीति निर्माताओं व मीडिया दोनों की नजर से वे ओझल हैं। उन्हें घर की चहारदीवारी के भीतर रखकर उनके पूरे जीवन को कुछ निश्चित व सीमित भूमिकाओं में बांध दिया गया। अधिकतर समाजों में पितृसत्ता ही वह प्रमुख तत्व था, जिसने महिलाओं को शिक्षा, सम्पत्ति और यहां तक कि मानवाधिकारों तक से भी वंचित कर दिया, पर पिछले कुछ दशकों से महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर दिया जा रहा है और पिछले कुछ साल से तो विकास की प्रक्रिया व लक्ष्य दोनों ही महिलाओं के सशक्तीकरण पर निर्भर है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ 50 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और लोगों की संवैधानिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि उन्हें समान अधिकार का अवसर दिया जाय जिससे उनकी तरक्की सुनिश्चित हो सके। संसद ने महिला की रक्षा एवं उनके कल्याण के लिए अनेक कानून बनाये हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह लागू करना जरूरी है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों एवं समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। महिलाओं के हितों की रक्षा एवं उनका सशक्तीकरण समाज की सामूहिक जिम्मवारी है। इसके लिए सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाना चाहिये जिससे की महिलाओं को अपनी क्षमता का इस्तेमाल और जिन्दगी जीने की आजादी मिल सके। लोक सभा एवं विधानसभा में महिलाओं की व्यापक उपस्थिति देश की करोड़ों महिलाओं को आजादी का एहसास करायेगी और अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देगी।

सरकार की मुख्य चिन्ता हमेशा यही रहती है कि आर्थिक वृद्धि दर को कैसे बढ़ाया जाय। इस पर विचार करते हुये वह भूल ही जाती है कि इसमें महिलाओं की भी कोई भूमिका है। विकास पटल से वे पूरी तरह अदृश्य हो जाती है। सरकार की निगाह में वे केवल विकास का लाभ प्राप्त करने वाली हैं। विकास में उनकी भागीदारी पर उसकी नजर नहीं जाती। जबकि सच्चाई यह है कि महिलाओं ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुये विकास में हर तरह से योगदान दिया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 21 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है और इस क्षेत्र में ज्यादा काम महिलाएं ही करती हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान करीब 75 प्रतिशत है। इसका ज्यादा बड़ा भाग शिक्षा एवं

स्वास्थ्य सेवाओं से आता है और इन दोनों में ही महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का तीसरा बड़ा क्षेत्र निर्माण है। निर्माण कार्यों एवं ईंट-भट्ठों में मजदूरों का पूरा का पूरा परिवार ही लगा रहता है और यहाँ भी महिलाएं ही कठोर शारीरिक श्रम करती पायी जाती हैं। अधिसंख्य महिलाएं आज भी शोषित और पीड़ित हैं तथा बिना मानव अधिकारों और मूल-भूत स्वतंत्रताओं के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। जबतक महिलाओं पर होने वाले असंख्य और असीमित अत्याचारों और क्रूरताओं का अंत नहीं होता। उनके साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त नहीं होता, एक स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण समाज की संरचना नहीं हो सकती।

आर्थिक वृद्धि में योगदान के बावजूद कार्य स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। सबसे बड़ी बाधा तो उनके घर में ही है जहाँ से उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं हो रही है। पुरुष जहाँ 'बिंदास' घर से बाहर घूमते हैं वहीं महिलाओं को घर से बाहर कदम रखने के लिए पुरुषों से इजाजत लेनी होती है। घर से बाहर भी रोजगार पर जाते, स्कूल जाते-आते, या फिर किसी सार्वजनिक समारोह में भाग लेते हुये उनपर फब्तियाँ कसी जाती हैं। दूर तक पीछा करके परेशान किया जाता है और कभी-कभी वे यौन हिंसा का शिकार तक हो जाती हैं।

नेशनल क्राइम रिकाड्र्स ब्यूरो के अनुसार बिहार में पिछले दस साल में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़े हैं। बिहार में होने वाले कुल अपराधों में महिलाएं सम्बन्धी अपराधों का प्रतिशत 6.1 से बढ़कर 7.5 हो गया। इसी तरह देश भर के महिला अपराधों में बिहार का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। यह 3.7 था जो अब 4.5 प्रतिशत हो गया है। बिहार के स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि पिछले दस साल में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या दोगुनी हो गयी है। स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से महिलाओं के प्रति हिंसा की भयावह तस्वीर उभरती है। पिछले दस साल में अपहरण की वारदातों में छह गुना की वृद्धि हुई और यौन हिंसा 18 प्रतिशत बढ़ गयी। घरेलू हिंसा की घटनाओं में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पति अथवा रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली यह ऐसी हिंसा है जो महिला को जल्द मौत की ओर ले जाती है।

असंगठित मजदूरों को संरक्षण प्रदान करना राज्य का संवैधानिक

दायित्व है। देश में श्रम कानून तो उपलब्ध हैं, किन्तु असंगठित मजदूरों को इसका लाभ शायद ही मिल पाता हो। श्रम कानून प्रावधानों से बचने के लिए नियोजक मजदूरों के नाम नियमित रूप से बही में दर्ज नहीं करते। वैसे असंगठित श्रमिकों के लिए बने कानूनों में भी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मजदूरी भुगतान कानून 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेका श्रम अधिनियम 1970 भी सरकार की उदासीनता के कारण महज कागजी घोड़े साबित हो रहे हैं। अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979 का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर है। उसे जमीन पर उतारने की कोशिश न तो सरकार करती दिखाई पड़ती है और न ही सामाजिक संगठन। 93 फीसदी असंगठित मजदूरों की सुध प्रायः किसी को निश्चित रूप से नहीं है। ट्रेड यूनियनों को भी सिर्फ संगठित मजदूरों की चिन्ता होती है। देश के अंदर हुए तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन संगठित मजदूरों तक ही सीमित रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थानों ने कभी-कभार इनकी सुध लेने की कोशिश की है और इनकी समस्याओं पर सेमिनार आदि भी हुए हैं।

भारत में असंगठित क्षेत्र काफी व्यापक है। राष्ट्रीय आय में असंगठित क्षेत्र का काफी योगदान है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इस क्षत्र में अशिक्षित तथा शिक्षित श्रमिक, कुशल तथा अकुशल श्रमिक, महिला श्रमिक कार्य करते हैं, जिनका प्रत्येक क्षेत्र में पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कार्य का समय-निर्धारण नहीं है। ये श्रमिक खेतों-खलिहानों में कार्य करते हैं। इनसे सुबह से शाम तक कार्य लिया जाता है। इन्हें एक प्रकार से बंधुआ मजदूर के रूप में देखा जा सकता है। दुकानों व होटलों तथा अन्य छोटे उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों से 10-12 घंटों से अधिक कार्य लिया जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जोखिम के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों का अभाव पाया गया है। इनको किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना से सुरक्षा नहीं है। श्रमिकों को लकड़ी चीरने वाली आरा मशीन पर कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो मालिक जिम्मेदार नहीं माना जाता है।

कुल राष्ट्रीय श्रमबल के 41.78 फीसदी मजदूर ठेका, पीस रेट, मौसमी, अस्थायी या आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले मजदूर असंगठित क्षेत्र से ही आते हैं। खेतिहर मजदूरों, भवन, बांध, सड़क निर्माण, ईंट भट्ठा, पत्थर

तोड़ने वाले या फुटपाथी कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों की हालत सबसे दयनीय है। इस तरह के कार्यों में लगे मजदूर ज्यादातर प्रवासी होते हैं। 'ग्रामीण श्रमिक' के अनुसार प्रतिवर्ष एक करोड़ से ज्यादा मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। इन प्रवासियों को नियोजकों की तरफ से न तो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है और न अन्य सुविधाएं। देशभर में फैले करीब 13 करोड़ किसानों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 37 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के अहम् उद्देश्य से सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गयी योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति पर अथवा उनके विकलांग हो जाने की दशा में उनमें से प्रत्येक को 500 रु. मासिक दर पर आजीवन पेंशन दिये जाने की व्यवस्था रखी गयी है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा अथवा आश्रित को स्कीम का लाभ प्रदान कराया जायेगा। योजना के अंतर्गत कर्मचारी को 1.25 लाख रु. की व्यक्तिगत दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु बीमा और चिकित्सा बीमा लेने की सुविधा मिलेगी। योजना का वित्तपोषण कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार मिलकर करेंगे। इस स्कीम का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से करेगा। स्कीम के तहत एक त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन करने का प्रावधान भी रखा गया है जो इसका संचालन करेगा। यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व गैर-पंजीकृत प्रतिष्ठान को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा जबकि स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए यह स्कीम वैकल्पिक होगी। 6500 रु. प्रतिमाह से ऊपर का वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और 36 से 50 वर्ष की आयु वाले श्रमिक इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि इस आयु वर्ग के श्रमिकों को यह विकल्प दिया जा रहा है कि वे और उनके नियोक्ता 200 रु. प्रतिमाह के योगदान पर स्कीम में शामिल हो सकते हैं, जिनमें से 100 रु. का योगदान संबंधित कर्मचारी और 100 रु. का योगदान उसके नियोक्ता का रहेगा।

उदारीकरण के नये दौर में भारत का जो आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य उभरकर सामने आया, उसमें एक ओर विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप खुली अर्थनीति की बाध्यता रही, तो दूसरी ओर देश के करोड़ों श्रमिकों के संरक्षण एवं श्रम कानूनों के सुव्यवस्थीकरण की। विश्व बैंक और

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कुछ समय से भारत सरकार पर दबाव डालते रहे हैं कि वह ऐसे श्रम सुधार कानून लागू करें, जिनके तहत कारखानों के मालिकों को यह अधिकार दिया जाय कि वे श्रमिकों को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरित कर सकें और जरूरी समझें तो कर्मचारियों को नौकरी से हटा भी सकें। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि उद्योगों एवं श्रम-सुधारों के समर्थक काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि बिना सरकार की अनुमति के छंटनी करने की सुविधा 100 कर्मचारियों वाले उद्यमों से बढ़ाकर 1000 कर्मचारियों वाले उद्यमों को दी जाय।

दूसरे श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नियोक्ता को पूर्वानुमति के बिना छंटनी का अधिकार देने, वेतन बोर्ड एवं श्रम संगठनों की बहुलता की आवश्यकता समाप्त करने तथा छुट्टियों की संख्या घटाने जैसी क्रान्तिकारी सिफारिशें की हैं। इसके अतिरिक्त 10 वैकल्पिक अवकाशों की भी अनुशंसा की है। आयोग ने केन्द्र को कार्यस्थल पर काम-काज की दशा सुधारने के लिए व्यापक कानून बनाने का सुझाव दिया है तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की आवश्यकता बतायी है। श्रमिकों से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाना तथा बाल श्रम उन्मूलन को शिक्षा से जोड़ना आयोग की सिफारिशों में शामिल हैं।

असंगठित मजदूरों के लिए श्रम कानूनों को लागू करना अक्सर मुश्किल होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, श्रम कानून मुख्य रूप से उन कामगारों के लिए होते हैं जो नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में होते हैं और इन संबंधों को साबित करना मुश्किल होता है—कामगारों के प्रायः कई नियोक्ता होते हैं। नियोक्ता खुद उनके और उनके कर्मचारियों के बीच संबंध दिखानेवाले सभी रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश करते हैं। कामगारों को धमकाया जाता है और वे अपना रोजगार खोने से डरते हैं। दूसरा, कानून प्रमुख रूप से फैक्ट्रियों के लिए बनाये जाते हैं जहाँ कई कामगारों को एक साथ पाना संभव होता है। वहीं असंगठित क्षेत्र में कार्य स्थल घर से लेकर खेत, गली और बदलते रहने वाले स्थानों के रूप में होते हैं—जैसे भवन निर्माण कार्य स्थल। तीसरा, कानून लागू किये जा सकते हैं यदि मजदूर संगठित हों। लेकिन अधिकांश कामगार अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। चौथा, एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी श्रम विभाग है जिसके पास निधि की कमी है और पर्याप्त कार्मिक नहीं है। साथ ही, इसका मुख्य जोर

औपचारिक क्षेत्र के उद्यमों पर है और असंगठित और बिखरे कामगारों के लिए इसके पास समय नहीं है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक सामाजिक कानून के रूप में लागू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कामगारों की कमाई उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। हालांकि मजदूरों की बुनियादी जरूरतें काफी हद तक समान होती हैं, फिर भी यह पाया गया है कि मजदूरों को भुगतान की गयी मजदूरी न केवल राज्य के भीतर, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अलग-अलग होती है। दरअसल, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण हर राज्य में हर व्यवसाय के लिए अलग-अलग किया जाता है। इसलिए विभिन्न राज्यों में एक ही कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में भारी असमानता होती है।

श्रम विभाग में ऐसी कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सके। निम्नलिखित सिफारिशें कामगारों को अपने श्रम की कम से कम न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होंगी:- (1) आंतरिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सरकार को प्रत्येक व्यवसाय और प्रत्येक जिले में भुगतान की गयी वास्तविक मजदूरी के बारे में पूरी सूचना रखनी चाहिये। (2) सभी पेशे न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आने चाहिये और कोई भी पेशा इसके दायरे से बाहर नहीं हो। (3) पीस दर के आधार पर जो काम कराये जाते हैं उनकी दरें प्रति पीस के हिसाब से तय की जानी चाहिये और यह वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित की जानी चाहिये। (4) न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन भी करार के द्वारा किया जाना चाहिये और इसमें तृपक्षीय व्यवस्था शामिल की जानी चाहिये। (5) प्रत्येक क्षेत्र के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी के बारे में सूचना का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिये और श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में की जानेवाली शिकायतें फोन पर या ईमेल के जरिये ली जानी चाहिये।

इस अधिनियम का प्रयोजन असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ देना है। यद्यपि केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन कर दिया गया है। लेकिन बिहार में राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाना बाकी है। अत: बिहार सरकार को इस अधिनियम की धारा 3(4) के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन

करना चाहिये।

बिहार राज्य में अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनायें पहले से ही मौजूद हैं। अतः बिहार सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं को उपर्युक्त अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर एक बोर्ड के अधीन कर दिया जाना चाहिये, ताकि इन योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग की जा सके और लाभार्थियों को इनका बेहतर लाभ मिल सके। इस बोर्ड के तहत कुछ नई योजनाएं आरंभ की जा सकती हैं। इनमें वृद्धजनों को लाभ, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य योजनाएं शामिल हो सकती हैं। बिहार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कामगार सूचना केन्द्र भी स्थापित कर सकता है। बिहार सरकार राज्य के कामगारों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र राज्य अधिनियम बनाने का निर्णय कर सकती है। अलग अधिनियम का लाभ यह है कि यह पूरी तरह राज्य के अधिकार क्षेत्र में होगा और अधिनियम व इसके नियम बिहार में असंगठित कामगारों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये जा सकते हैं। बिहार असंगठित कामगार कल्याण/सामाजिक सुरक्षा विधेयक में मसौदा तैयार किया जाय, जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हो:- (1) इस अधिनियम में एक शहरी और ग्रामीण बोर्ड होना चाहिए। (2) इसमें सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल होनी चाहिये। (3) इसमें मौजूदा योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिये और (4) इसका कार्यान्वयन कामगार सुविधा केन्द्रों के माध्यम से विकेन्द्रित होना चाहिये।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि की विकास दर 2 प्रतिशत से भी कम हो जाने का अनुमान है, जबकि इस योजनाकाल में इसके 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना जताई गई थी। राष्ट्र को 8 से 10 प्रतिशत आर्थिक विकास दर के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 14 से 15 प्रतिशत कृषि में निवेश करना पड़ेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र से जुड़ीं 1248 परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। 60 प्रतिशत भूमि में सिंचाई नहीं है। 20 वर्षों से अधूरी पड़ी योजनाओं के मूल्य से सैकड़ों प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। कृषि से संबंधित विभिन्न गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ ठोस उपाय करने पड़ेंगे। कृषि क्षेत्र के धीमे विकास के फलस्वरूप समूची अर्थव्यवस्था का

विकास कम हो गया है। कृषि की मुख्य समस्याएं:- (1) अल्प पूंजी निवेश (2) उत्पादकता में कमी (3) भूमि का खंडीकरण (4) बाढ़ एवं सुखाड़ (5) फसलों की विफलता (6) अपर्याप्त सिंचाई (7) अत्यधिक ऋण का भार (8) साहूकारी ऋण पर अधिक निर्भरता से लागत में वृद्धि, कर्ज पर अत्यधिक सूद की अदायगी (9) संस्थागत वित्तीय ऋण एवं पोषण का अभाव, (10) उत्पादित अनाज का उत्पादकता मूल्य की तुलना में लाभकारी मूल्य का प्राप्त नहीं होना (11) सरकार द्वारा घोषित अनाज के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की खरीदारी नहीं होना। समर्थन मूल्य का लाभ बिचौलियों द्वारा उठाया जाना क्योंकि किसानों के लागत मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर उत्पाद को बेचने पर विवश होना (12) फसल बीमा का अभाव और बीमा के लिए ऊँची प्रीमियम दर और (13) भंडारण प्रसंस्करण और वितरण की अपर्याप्त व्यवस्था हैं। सरकार को कृषि संकट से उबारने के लिए ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है। किसान कमीशन के अध्यक्ष विख्यात कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने बताया है कि सरकार द्वारा गंभीरता से कृषि सुधार का काम किया जाय। आयोग ने केन्द्र को सुझाव दिया है कि किसानों को बाजार, कर्ज, तकनीकी सुविधाएं और खेती संबंधी सलाह मुहैया कराने के लिए समग्र राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की जरूरत है। आयोग ने स्वीकार किया है कि खेती घाटे का धंधा बनती गयी है।

अभी तक विभिन्न रिपोर्ट के आधार पर भारत में लगभग दो लाख से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार किसानों की आत्महत्या की घटनाएं कृषि क्षेत्र में व्याप्त असंतोष का प्रकटीकरण है, जो अब खतरनाक दौर में है। अनेक शोध संस्थानों ने इस विषय पर समय-समय पर सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसने परिस्थिति की गंभीरता को उजागर किया है। इन अध्ययनों ने बताया कि अधिकांश आत्महत्या साधारण किसानों ने की है, जो लघु और सीमांत कोटि के किसान हैं। आत्महत्याओं के पीछे अनेक कारणों का उल्लेख किया गया है इनमें गरीबी, फसल की विफलता, ग्रामीण ऋण और वैवाहिक असंतोष उल्लेखनीय है, परंतु मुख्य रूप से आत्महत्या के पीछे किसानों की गरीबी ही है। गरीबी के कारण उन्हें बड़े पैमाने पर कर्ज लेने को विवश होना पड़ता है। परंतु उत्पादन में ह्रास

और उत्पादित वस्तुओं का समुचित मूल्य नहीं मिलने के कारण वे ऋण की अदायगी नहीं कर सकते। उन्हें लगातार वित्तीय संस्थानों की उदासीनता के कारण ग्रामीण साहूकारों के चंगुल में फंसा रहना पड़ता है। साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज लिये जाने और साहूकारों के ऋण का किस्त समय पर भुगतान नहीं करने के कारण ये लगातार साहूकारों के कर्ज से दबे रहते हैं। आत्महत्याओं के पीछे मुख्य रूप से साहूकारों का शोषण ही जिम्मेदार है। किसानों की आत्महत्या में पिछले वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस समय महाराष्ट्र के विदर्भ के 6 जिले, कर्नाटक के 6 जिले, केरल एवं आंध्र प्रदेश के 16-16 जिले आत्महत्या की घटना से प्रभावित हैं। सरकार ने स्वीकार किया है कि 1995 से पूर्व रिकार्ड नहीं रखा जाता था, परंतु उसके बाद गृहमंत्री ने लगातार आत्महत्या की संपुष्टि की है कि प्रत्येक वर्ष 16 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या की घटना सर्वप्रथम केरल, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से प्रतिवेदित हुई और वह आज पंजाब, हरियाणा अब तो बिहार और अन्य राज्यों में भी विस्तारित होती जा रही है। आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या ने अब राष्ट्र को विचलित कर दिया है। इसके निदान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय आवश्यक हो गये हैं।

बिहार सरकार ने पिछले 25 वर्षों में बिहार के किसानों की बड़ी उपेक्षा की है। पिछली सरकार ने 80 के दशक में बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसानों की दयनीय हालत सुधारने के लिए उन्हें कई सहूलियतें देने की घोषणा की थीं, किन्तु बाद की सरकारों ने उनपर अमल नहीं करके किसानों की तबाही कम करने के बजाय बढ़ाती ही गयी है। इनके समाधान के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिये :- **(क)** सभी श्रेणी के किसानों को सिंचाई कर से मुक्त कर दिया जाय। **(ख)** 10 एकड़ तक जमीन रखनेवाले किसानों को सिंचाई में बिजली के उपयोग के लिए मुफ्त बिजली आपूर्त्ति की जाय और उस पर हुआ खर्च विद्युत बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाय। **(ग)** चूंकि अधिकांश मंझोले और छोटे किसानों द्वारा सहकारिता ऋण लिये जाते हैं, जो कमजोर माली हालत के कारण ऋण की अदायगी में पिछड़ जाते हैं और उनसे चक्रवृद्धि ब्याज या दंड ब्याज सहित वसूला जाता है। इसे देखते हुए सहकारिता ऋण के बावत वसूला जानेवाला ब्याज माफ कर दिया जाय। **(घ)**

कृषि उत्पादन के प्रोसेसिंग (विधान), खासकर फलों जैसे-लीची, आम, केला से अनेक प्रकार की सामग्री तैयार करके उन्हें डिब्बा बन्द करके देश और विदेश के बाजार में भेजने का निर्णय किया जाय, जिससे किसानों को लाभ पहुँचे। **(ड.)** बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित किसानों की विशेष सहायता दी जाय। राज्य के अधिकांश जिलों के सुखाड़ का बड़ा खामियाजा किसानों एवं गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र की सरकार को इन समस्याओं से जूझ रहे किसानों को भरपूर मदद करनी चाहिये।

किसानों की समस्या को सुलझाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास लाने में सहकारिता की भूमिका पहले से ही महत्वपूर्ण मानी गयी है। बिहार में सहकारिता संगठन एवं आन्दोलन विनष्ट हो चुका है। राज्य सहकारिता बैंक जहाँ 1980 के दशक में 200-250 करोड़ का ऋण वितरण करता था, वह 1990 के दशक में 20 से 25 करोड़ हो गया है। अन्य राज्यों में 500-1000 करोड़ सहकारिता से ऋण वितरित होता है। बिस्कोमान और व्यापार मंडल बन्द है। भूमि विकास बैंक का क्रियाकलाप बन्द है। किन्तु सरकारी तंत्रों के अधीन सहकारी समितियाँ विकसित नहीं हो पायी हैं। सामान्यतः देखा यह जा रहा है कि सहकारिता आन्दोलन का लाभ सीमान्त एवं लघु किसानों को नहीं मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि स्वावलंबन और स्वायतत्ता के सिद्धांत पर सहकारिता का विकास करने के लिए कानून बनाया जाय एवं सहकारी समितियों के कार्य में सुधार लाने के लिए राज्य के वर्त्तमान बहुधंधी सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को बदलने के लिए संशोधन विधेयक तैयार किया जाय।

वर्षों से बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए उसके निदान के लिए सरकार निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करे और धन-राशि का उपबंध कराने की व्यवस्था करे। (1) उत्तर बिहार की बाढ़ समस्याओं के निदान के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय किये जायं (2) बाढ़ नियंत्रण के लिए 3400 कि॰मी॰ निर्मित तटबंधों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाय (3) महत्वपूर्ण कटाव निरोधक कार्य किया जाय (4) गण्डक परियोजना की नहर प्रणाली और तटबंधों तथा पूर्वी कोसी नहर, बराज

एवं तटबंधों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाय (5) कोसी उच्चस्तरीय डेम का निर्माण किया जाय (6) चन्दन-बडुआ नदी परियोजना, कमला नदी की किंग्स कैनाल परियोजना तथा राज्य की अन्य 180 मध्यम और 500 लघु सिंचाई परियोजनाएं जो अधूरी हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाय (7) नेपाल से संबंधित तटबंधों का विस्तार किया जाय (8) मोकामा टाल क्षेत्र से जल नि:स्सरण करके उस क्षेत्र का विकास किया जाय (9) फरक्का के ऊपरी भाग की जल समस्याओं का निदान किया जाय तथा बक्सर से फरक्का के बीच गंगा नदी की मारफोलॉजी में सुधार के उद्देश्य से कटाव निरोधी कार्य और रिभर ट्रेनिंग के पायलट प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए परामर्शी फर्म की सहायता से योजना तैयार की जाय ताकि गंगा नदी यथासंभव अपनी मध्य भाग की धारा में बहती रहे और बाएं तथा दाएं तट पर कटाव की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके (10) सोन नहर की आधुनिकीकरण और दुर्गावती सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन किया जाय (11) कोसी, गण्डक, बूढ़ी गंडक, भूतही बलान, कमला, बागमती, महानन्दा और अधवारा समूह की नदियों से मिली-जुली परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से हो (12) लघु सिंचाई, वृहत एवं मध्यम सिंचाई के लिए अलग से 15 हजार करोड़ रुपये की विशेष योजना का भी प्रावधान किया जाय (13) महत्वपूर्ण कटाव निरोधक कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता (14) कदबन जलाशय योजना (15) जमानिया पम्प नहर योजना (16) ककई परियोजना (17) राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न नदी बेसिनों के अंतर्गत सिंचाई सुविधा सृजन के लिए अतिरिक्त सिंचाई प्रणाली का निर्माण (18) पुनपुन मोरहर दरघा योजना (19) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाय। (20) उत्तर बिहार में समेकित जल निकास योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता मिले (21) गंडक एवं कोसी कमाण्ड क्षेत्र से उत्तर बिहार की जल निस्सरण योजना चलायी जाय सोन, किउल बडुआ प्राधिकार को विशेष उपयोगी एवं प्रभावकारी बनाया जाय (22) उत्तर बिहार की नदियों के जल श्रवण क्षेत्रों में जलाशयों के निर्माण एवं भू-संरक्षण कार्य किया जाय (23) गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों में दियारा की समस्या के साथ टाल क्षेत्र की समस्या का समाधान हो और (24) पुरानी सिंचाई परियोजना के पुनर्स्थापन एवं नवीकरण के लिए विशेष निधि की व्यवस्था की

जाय।

शिक्षा के प्रति बिहार सरकार की उदासीनता और गैर जिम्मेदराना रवैये के प्रमाण का ही यह साक्ष्य है कि 2006 में बगैर किसी गहन अध्ययन और बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए अन्तर्विश्वविद्यालय आयोग को विघटित कर दिया गया। फलस्वरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में समन्वय एवं एकरूपता क्षीण होती गयी। पूर्व में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग और सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए महाविद्यालय शिक्षा आयोग कार्य कर रहे थे। इन दोनों आयोगों को भी बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के विघटित कर दिया गया। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विद्यालय सेवा बोर्ड कार्य कर रहा था। इस बोर्ड को भी विघटित कर दिया गया।

जहाँ निम्न विवरण के आधार पर प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े 4 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगर नियुक्तियाँ की गयी होतीं, तो इनमें से आधे 2 लाख पद दलित एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को प्राप्त होते। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-2,13,000, माध्यमिक विद्यालय-22,000 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में रिक्त शिक्षक-93,856, उर्दू शिक्षक-26,268 विश्वविद्यालयों में रिक्त पद-शिक्षक-3,545, प्रधानाचार्य-220, पदाधिकारी (सभी संवर्ग के)-110 माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विभिन्न सेवाओं में रिक्तियों का विवरण-(1) डिप्टी कलक्टर-746, (2) डी॰एस॰पी॰-300 (3) आई॰टी॰आई॰ संस्थानों में अनुदेशको के रिक्त पद-960 (4) कृषि समन्वयक के रिक्त पद-4,391 (5) पशु चिकित्सकों के रिक्त पद-545, स्वास्थ्य सेवा के रिक्त पद-चिकित्सक-5,524, दन्त चिकित्सक-5,558, लैब टेक्नीशियन-1,772, ओटी सहायक-236, एक्सरे टेक्नीशियन-215, ए॰एन॰एम॰-8,115 ए॰ ग्रेड नर्स (मेडिकल कॉलेजों में)-1200 (लगभग) वहीं उपर्युक्त आंकड़ें पिछले 25 वर्षों की सरकार की शिक्षा के साथ-साथ दलित एवं पिछड़ों के प्रति उपेक्षा पूर्ण नीति एवं असंवेदनशीलता को उजागर करते हैं। बिहार के लिए यह अत्यंत ही विस्मयकारी और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार सरकार की निष्क्रियता एवं शिक्षा के प्रति पिछले 25 वर्षों से लगातार उपेक्षापूर्ण नीति

के कारण प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में पूर्णत: अराजकता व्याप्त है। शिक्षा राज्य का मौलिक दायित्व है ताकि प्रत्येक भारतीय को वर्ग, वर्ण, जाति-रंग सामाजिक-आर्थिक स्तरों से निरपेक्ष होकर गुणवत्तापूर्ण उच्चस्तरीय शिक्षा की संस्था तक पहुँचाया जाय।

भारतीय राजनीतिक दलों ने शिक्षा को कभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, जबकि संविधान उसे मौलिक अधिकार मानता है। प्राय: सभी सरकारों ने शिक्षा की उपेक्षा की है और अंतत: उसे 'व्यापारियों' के हवाले कर दिया है। क्या वे शिक्षा के महत्त्व से परिचित नहीं हैं? कोई राजनीतिक दल संविधान में अंकित ऐसे मुद्दों की बात भी नहीं करता, जो 67 साल के लोकतंत्र में बने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। शिक्षा में पारदर्शिता, सहभागिता और जवाबदेही जैसे प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है। शिक्षा को जनोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। दरअसल, शिक्षा पर गंभीरता से विचार किये बिना देश के वर्तमान शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। लेकिन इस संबंध में किसी पार्टी का घोषणा-पत्र कुछ नहीं कहता। सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। एक तो शिक्षा को अनाप-शनाप ढंग से महंगी होने से रोकने की और दूसरी, उसकी गुणवत्ता बनाये रखने की। जो बात प्राइवेट अस्पतालों के बारे में सही है, वही निजी स्कूलों और निजी विश्वविद्यालयों के बारे में भी। ज्यादातर निजी विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों का ध्येय मुनाफा कमाना है। इसलिए वे विद्यार्थी को विद्यार्थी के तौर पर नहीं, ग्राहक के तौर पर देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खूब कमाई के इरादे से पूंजी लगाने वाले ऐसी ही जगह विद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, जहाँ के लोग के पास खर्च करने को पर्याप्त पैसे हों। वे गरीब-गुरबों, गाँव-देहात या दूरदराज के लोगों के लिए विश्वविद्यालय नहीं बनाना चाहते। जो लोग पहले से धनी हैं, वे उन्हीं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी खाई पैदा हो गयी है। समाज के विशिष्ट वर्ग बेहतर शिक्षा पर केवल अपना अधिकार बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इस काम में तथाकथित संभ्रांत वर्ग के लिए आरक्षित समझे जाने वाले स्कूलों में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चों का प्रवेश निषिद्ध है। **यह कैसी शिक्षा नीति है? शिक्षा पर सभी लोगों का समान**

अधिकार उनका मूलभूत अधिकार है।

सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता को समुन्नत करने के लिए शिक्षकों में निवेश करना चाहिये। मात्र प्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित रूप से नियुक्त करने की जरूरत है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों ही प्रकार के अर्द्ध-शिक्षकों को नियुक्त करने की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिये; जो नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर मुख्य धारा में ले आना चाहिये। कोठारी कमीशन द्वारा अनुशंसित समान स्कूल प्रणाली ही देश भर में गरीब से गरीब समेत सबों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की जानी चाहिये। सरकार को लाभ कमाने की दृष्टि से लोगों को निजी स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

देश में मुस्लिम अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में अधिक गरीब और निरक्षर है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की नौकरियों में उसकी संख्या कम है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आबादी के लिहाज से हिन्दुओं के बाद मुसलमान दूसरे नम्बर पर हैं। उन्हें देश की मुख्यधारा में लाना बेहद जरूरी है। भारत में मुस्लिम आबादी 16 करोड़ के बीच आंकी गयी है। यह हकीकत है कि इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। सच्चर कमिटी ने इसी सवाल पर दुखती रग पर हाथ रखा है। उसने विभिन्न राज्यों के बारे में जो आंकड़े दिये हैं, उनके हिसाब से देश के अधिसंख्य राज्यों में मुसलमान अनुसूचित जाति/जनजाति के मासिक आय-व्यय के मुकाबले नीचे हैं। जहाँतक सरकारी नौकरी का सवाल है, सच्चर कमिटी की रिपोर्ट आँखें खोलने वाली है। मसलन, पश्चिम बंगाल में उनकी आबादी 25.7 प्रतिशत है, नौकरियों में उनका हिस्सा 4.2 प्रतिशत है। केरल में 24.7 प्रतिशत है, नौकरियों में उनका हिस्सा 10.4 प्रतिशत है। असम में 30. 9 प्रतिशत की आबादी में 11.02 प्रतिशत है। बिहार में 16.5 प्रतिशत आबादी में 4.4 प्रतिशत है। कमोबेश यही आंकड़े अन्य राज्यों के हैं। इन राज्यों में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों का शासन रहा है। उनकी यह स्थिति कैसे सुधरेगी, इस पर न केवल सरकार के स्तर पर गौर किया जाना चाहिए बल्कि देश के समाजशास्त्री और बुद्धिजीवियों को भी विचार करना होगा। जहाँ तक शिक्षा स्तर में उनकी भागीदारी कम होने का सवाल है, इस तथ्य को सिरे से खारिज नहीं

किया जा सकता कि गरीबी के कारण उनके बच्चे आधुनिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं और उन्हें तालीम के लिए मदरसों में भेज दिया जाता है। रिपोर्ट में मदरसों को आधुनिक शिक्षा के लिए सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि शहर के मुस्लिम आबादी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के मुसलमान इस पेशे में आगे हैं, लेकिन बैंकों से कर्ज मिलने में परेशानी की वजह से वे स्वरोजगार में भी पिछड़ रहे हैं।

तथ्य यह है कि आजादी के बाद मुसलमानों की समस्याओं में वृद्धि होती ही गयी। सभी सरकारों ने उनके पिछड़ेपन को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभायी। राजनीतिक दलों ने उन्हें अपने वोट बेंक के रूप में तो इस्तेमाल किया, लेकिन उनके कल्याण के बजाय शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनकी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुसलमानों ने जिन दलो को अपने वोटों से सत्ता तक पहुंचाया उन्होंने भी केवल सांत्वना देने ओर हरे बाग दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके प्रति संवैधानिक दायित्व निभाना तो दूर एक सोची-समझी साजिश के तहत लगातार असुरक्षा और मनोवैज्ञानिक दबाव में रखकर पिछड़े बनाने की कोशिश की गयी। इसके कारण वे जीवन के हर क्षेत्र में पीछे होते चले गये यहाँ तक कि उनकी स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बदतर हो गयी। उनके अंदर इस तरह घर कर लिया कि वह अपनी और अपनी पीढ़ियों के भविष्य से निराश नजर आने लगे। गरीबी, अशिक्षा, गंदगी, बीमारी, बेरोजगार, हीन भावना और निराशा मुसलमानों की पहचान बन गयी और ऐसा लगता है कि विकास का राह मुसलमान बस्तियों और समुदायों को छोड़कर दूर से ही चली जाती है।

इन दिनों संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधान मण्डलों को ठप्प करने की परम्परा चल पड़ी है। वह लोकतंत्र के लिए विशेषकर संसदीय प्रणाली के लिए भविष्य में बड़ा ही घातक हो सकता है। आम लोग यह महसूस करने लगेंगे कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद् निष्प्रभावी है। साथ ही सत्ताधारी और विपक्ष दोनों अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल साबित हो रहे हैं। संसदीय प्रणाली में आमलोगों का विश्वास कमजोर होता जा रहा है। जिन वर्गों और तथ्यों का विश्वास संसदीय प्रणाली में नहीं है वे

शक्तियाँ गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से हिंसात्मक गतिविधियों की ओर ले जाने को अग्रसारित हो रहे हैं। ऐसे में काम करने के वाले वर्गों को और जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों को अगर सामान्य कार्य न करने दिया जाय तो निश्चित ही लोकतंत्र कमजोर होगा। संसदीय प्रणाली को कमजोर होने से माओवादी, नक्सली और हिंसात्मक कार्यों को बल मिलेगा। लोकतंत्र अगर कमजोर होगा तो आजादी ही संकट में पड़ सकती है।

उपर्युक्त विषयों पर विस्तृत चर्चा इसी पुस्तक में आगे के अध्यायों में की गयी है। यहाँ इन विषयों पर सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट किया गया है। इतनी लंबी अवधि के बाद भी बिहार की वर्तमान समस्याएं क्या हैं? इनपर एक नजर देना आवश्यक प्रतीत हुआ। अत: इनकी चर्चा की गयी। इसीक्रम में वर्तमान बिहार के बारे में आज के युवकों की क्या सोच है वह दो प्रवासी बिहारी युवकों द्वारा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार को लिखे गये इन दो पत्रों से स्पष्ट होता है जो मेरे द्वारा बिहार की वर्तमान समस्याओं से सम्बन्धित, जो चर्चायें की गयी है उसे भी सम्पुष्ट करती थी। ये पत्र अत्यंत मार्मिक और तथ्यपरक है। (देखें परिशिष्ट)

यह सच है कि मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने **27 जुलाई, 2017** को महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ बिहार में नयी सरकार का गठन कर लिया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ राजग में जाने का निर्णय निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन लाने वाला फैसला है। पूर्व में भी भाजपा-जद (यू॰) गठबंधन की सरकार ने उस समय बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का काम किया था, जिसकी तारीफ आज भी होती है। किन्तु बेमेल महागठबंधन के कारण विकास का काम शिथिल होने लगा और कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार गंभीर होने लगी। संभवत: इसलिये बिहार के विकास के दृष्टिकोण से ही श्री कुमार ने भाजपा के साथ फिर गठबंधन बनाने पर सोचा।

निश्चय ही महागठबंधन सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार की धीरे-धीरे प्रशासनिक असहजता बढ़ती गयी थी और देश और राज्य के स्तर पर यह महसूस किया जाने लगा कि महागठबंधन सरकार से राज्य का विकास नहीं हो सकता फलस्वरूप जद (यू॰) को महागठबंधन से अलग होना पड़ा। जद

(यू॰) भाजपा गठबंधन को फिर से वापस होने से राष्ट्रहित और राज्यहित में विकास के अवरुद्ध करने वाले मार्गों को समाप्त करने के लिए ही बिहार में फिर से एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार बनी है। श्री नीतीश कुमार ने अपनी छवि बेहद स्वच्छ राजनेता की बनायी है। उन पर भष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। श्री नीतीश कुमार के समक्ष आज अनेक चुनौतियाँ भी हैं। वे अब बिहार के पिछड़ेपन के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते उन्हें पिछड़ापन् के विरुद्ध अब ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। महागठबंधन की सरकार में बिहार में न कोई बड़ा न कोई मध्यम उद्योग स्थापित हो पाया और न ही रुग्ण और बंद उद्योगों को चालू ही कराया जा सका है। राज्य में बाहर से पूँजी निवेश भी नही हुआ। बिहार के श्रमिक दूसरे राज्यो में रोजगार के लिए पलायन करने को विवश रहे हैं। जहाँ उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी और तकनीकी शिक्षा की स्थिति बदहाल है। स्वास्थ्य सेवा का हाल भी बुरा है। मैंने पूर्व में ही इन विषयों पर चर्चा करते हुए बिहार के बारे में प्रवासी बिहारियों की क्या सोच है उसका भी प्रमाण दिया है। अब उम्मीद की जा सकती है कि बिहार के बारे में जो सोच अबतक सब लोगो की रही है उसमें जरूर बदलाव आयेगा। अब भाजपा के साथ गठबंधन की वापसी के बाद सभी क्षेत्रों में गंभीरता से काम करना होगा। भाजपा के सहयोग से अपने सुशासन की बदौलत परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति से बिहार को मुक्त करना पड़ेगा। श्री कुमार महागठबंधन की सरकार में विकास के एजेन्डे को नहीं बढ़ा पा रहे थे। बिहार में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति लगातार महागठबंधन में बनती गयी जो नयी सरकार के लिए आज भारी चुनौती है।

निश्चय ही 2013 से भारतीय जनता पार्टी से श्री नीतीश कुमार का संबंध विच्छेद कर लेने के बाद जद (यू॰) नये साथी के साथ वाली बिहार की सरकार कमजोर पड़ गयी थी और सरकार के विकासात्मक कार्यों पर विपरीत प्रभाव पर रहा था। 2005-10 तथा 2012 तक विधान सभा चुनाव की राजग सरकार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सक्रियता और विवेकशीलता थी, वह दिन-प्रतिदिन कम हो रही थी। 2014 के लोक सभा चुनाव में जद (यू॰) की बड़ी हार हुई थी। राजद और कांग्रेस पार्टी के साथ 2015 के विधान सभा चुनाव में श्री नीतीश कुमार ने एक नया महागठबंधन बनाया और उनके नेतृत्व

में जीत भी हुई। परन्तु वह गठबंधन की सरकार कमजोर साबित हो रही थी। आपसी तनाव, सैद्धांतिक तथा स्थानीय मुद्दों पर सरकारी कार्यों में सहयोगियों द्वारा लगातार हस्तक्षेप किये जाने के कारण प्रगति पूर्णत: अवरूद्ध हो गयी थी। अपराधों में लगातार वृद्धि होती गयी। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन का उपयोग नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित औद्योगिक रूप से पिछड़े 21 जिलों में करों में छूट की व्यवस्था की गयी थी। उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा था। बिहार सरकार अपने योजना बजट के 35 हजार करोड़ रुपयों का उपयोग नहीं कर पा रही थी। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 7 सूत्री कार्यक्रमों की प्रगति काफी धीमी पड़ रही थी। राजद-कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण बिहार थम सा गया था। पिछले तीन वर्षों के क्रिया-कलापों से यह प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद सरकार काफी कमजोर दीखती जा रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार अलग-थलग होता जा रहा था। श्री कुमार का सबल नेतृत्व भी स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहा, जिससे श्री कुमार की स्वच्छ छवि पर लगातार आघात लग रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 125 लाख करोड़ पैकेज के लिए भी सरकार तत्परता से स्कीम बनाने में विफल रही थी। अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में भी नेतृत्व प्रभावित हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन की सरकार बड़ा जनमत संग्रह के बावजूद कमजोर साबित हो रही थी। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिपेक्ष्य में भी विकास क्षत-विक्षत स्थिति में पहुँच गया था। परिस्थिति ने श्री नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया कि महागठबंधन से अलग होकर पहले की तरह सरकार चलायी जाय और वे समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ें तथा बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा एवं अन्य समस्याओं का समुचित समाधान कर सकें जिससे बिहार का लाभ सुनिश्चित हो सके। बिहार का तेजी से विकास हो सके और आम जनता भी सुकून महसूस कर सके।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के स्वभाव और विचार से स्पष्ट है कि भाजपा नेतृत्व उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देगा। श्री कुमार ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मुख्य मुद्दा रहा है। सारी परिस्थितियों का सही आकलन करने और विकास में तीव्रता लाने, भ्रष्टाचार में कमी लाने और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को विकसित राज्यों की

श्रेणी में लाने के उद्देश्य से ही श्री नीतीश कुमार ने पुनः भाजपा के साथ गठबंधन किया जिससे अब राज्य और केन्द्र में एक ही सरकार होने से सहयोग मिलेगा एवं वर्षो से लंबित योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और निश्चित तौर पर विकास में तेजी आयेगी। आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री कुमार के बीच नये संबंध से केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की सफलताएं सुनिश्चित होंगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ाने और सर्वांगीण विकास की बड़ी जिम्मेदारी सन्निहित थी। यह जनादेश केवल प्रधानमंत्री बनने भर का नहीं था, बल्कि देश बदलने का था, और यह सब अब स्पष्ट दिखता भी है। प्रधानमंत्री ने सवा सौ करोड़ देशवासियों के मन को छूआ है। टूटे मनोबल, बिखरे तंत्र और निराश जनमानस में उम्मीद, आशा एवं ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने अभियानों में समग्र विकास के आह्वान के साथ जिम्मेदारियों को भी साथ जोड़ा है। प्रधानमंत्री की अपनी शर्तों एवं अपने दृढ़ निश्चयों से आमलोगों के मन में उनके प्रति आमजन को बड़ी उम्मीद और समाधान की आशा दिखती है। प्रधानमंत्री देश की समस्याओं से रग-रग से अवगत हैं, प्रधानमंत्री के पास समस्याओं का समाधान है। प्रधानमंत्री देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए उम्मीद, ताकत और आवाज बन गये हैं, पर प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं कि वे (मैं) प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के 125 करोड़ जनता के चौकीदार हैं। इसलिए वे जनता के साथ सीधे जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री केवल बात ही नहीं करते हैं, बल्कि बातों को लागू भी करते रहे हैं यह स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। प्रधानमंत्री लोगों से जुड़ी हुई हर समस्या का हल और विजन है। प्रधानमंत्री के प्रत्येक शब्द देश के लिए प्रेरणा बन जाता है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद केन्द्रीय सभागार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की पहली ही बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। भारतीय कृषि एवं किसानों की दारूण दशा की विस्तृत पड़ताल करके सरकार ने नयी फसल बीमा योजना चालू की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में किसानों के दुःख-दर्द का उल्लेख किया था। खेती को लेकर उन्होंने मई में महत्वपूर्ण बातें कही थीं। हरित क्रान्ति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है परन्तु

इससे जुड़े किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। ये विवशता में कृषि को छोड़कर किसी और धंधे में जाने के लिए विवश हो रहे हैं। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक किसान को भाग्य के भरोसे पर रहना पड़ता है। तमाम उन समस्याओं का सामना करता है जिन्हें अंतिम समय पर प्राकृतिक आपदाएं उसकी उम्मीदों पर तुषाराघात कर देती हैं। पिछले वर्षों में कर्ज की अदायगी नहीं कर पाने के कारण किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। किसानों को खेती से लाभ दिलाने के लिए नई नये दीर्घकालिक उपायों पर अभीतक गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। इसलिए स्थिति भयानक हो गयी है। हालांकि कृषि क्षेत्र का योगदान भले ही घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत, हो लेकिन देश को रोजगार देने वाला यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। आधी से अधिक आबादी आज भी कृषि या उससे सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर है। प्राकृतिक विपदाओं और सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से कृषि क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ती गयी हैं। वर्षों से यह मांग उठायी जा रही है कि 'दुर्घटना बीमा योजना', विमान दुर्घटना योजना और अन्य जोखिम वाले क्षेत्रों में तो योजनाएं चलायी गयी हैं। फिर फसल बीमा योजना व्यापक रूप से क्यों नहीं चलायी जाय? प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नयी फसल बीमा योजना में अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रीमियम रखा गया है। इस योजना में आपदा की परिभाषा का विस्तार किया गया है और मौजूदा योजनाओं की कमी को दूर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में प्रीमियम की दर सबसे कम पर है। क्षति के त्वरित आकलन एक निश्चित समय के भीतर करने के लिए राष्ट्रीयकृत किया जाना सम्मिलित है। खेतिहर मजदूरों और वैसे किसानों को भी शामिल करना चाहिये, जो खेत के मालिक नहीं हैं, लेकिन खेती पर ही निर्भर हैं। यह आवश्यक है कि सरकारी तंत्र को लाभदायक बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि इसका लाभ सिर्फ समृद्ध किसान तक सीमित न रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अगर ठीक से प्रचार-प्रसार किया जाय तो नि:संदेह किसान उसका लाभ उठा सकेंगे। प्रीमियम राशि कम होने के कारण मझोले किसान भी अपनी फसलों का बीमा कराने को उत्सुक होंगे। परन्तु इस योजना को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ना पड़ेगा और इसकी सफलता इसपर निर्भर करेगी कि फसलों में नुकसान का आकलन करने के

लिए बीमा कम्पनियाँ कितनी पारदर्शिता अपनाती हैं। पिछला अनुभव यही है कि फसलों की बर्वादी का आकलन ठीक से नहीं किये जाने के कारण या फिर सरकारी तंत्र के तकनीकी रोड़े अटकाने की वजह से किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। जो मिलता भी है वह इतना कम होता है कि उससे किसानों को लाभ नहीं होता।

राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणव मुखर्जी पाँच वर्षों के अपने कार्यकाल में देश में निर्धनतम लोगों को लाभ पहुँचाने वाले समावेशी विकास को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता देने की बात लगातार कहते रहे। उन्होंने केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर दिये गये अपने संदेश में कहा कि देश के विकास का फायदा समाज के सभी तबकों तक नहीं पहुँच पाया है। गरीब वंचितों के सर्वांगीण विकास में योगदान नहीं हो पाया है। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास को ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाने की बात कही। राष्ट्रपति के रूप उन्होंने लगातार कहा कि सवा सौ करोड़ की विविधता भरी जनसंख्या वाले देश में वृद्धि की दरों को समाज के सभी वर्गों तथा सभी भागों तक ले जाना बड़ी चुनौती है। उन्होंने सरकार से नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान रखने की बात कही कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और प्रति व्यक्ति आय देश की जनता का विकास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रणवबाबू ने कहा कि आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक न्याय कल्पना मात्र है। आर्थिक न्याय का अभिप्राय है धन संपदा के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच दीवार खड़ी नहीं की जाय। मनुष्यों के बीच वर्ग-वर्ग के बीच शोषण का अधिकार नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में यह संदेश दिया है कि सामाजिक न्याय के अभाव में आर्थिक न्याय संभव नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि 125 करोड़ जनसंख्या वाले देश में सबसे बड़ी चुनौती है विकास के फायदे को सभी वर्गों तथा देश के सभी हिस्सों तक पहुँचाया जाय और ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाय जिससे यह संभव हो सके। सामाजिक और आर्थिक न्याय सभी को उपलब्ध हो सके। इसी संदर्भ में डिजिटल इंडिया के लिए कार्यक्रम किया गया है, ताकि तकनीक के प्रभावी और सक्षम इस्तेमाल से सेवाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में आमूल बदलाव लाकर आमजीवन में समान गुणवत्ता लायी जाय।

उसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विमुद्रीकरण की नीति अपनायी। संविधान की उद्येशिका, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व के प्रति वे पूर्णतः से प्रतिबद्ध रहे हैं। महात्मा गाँधी, पण्डित नेहरू, मौलाना आजाद, डॉ॰ अम्बेडकर, श्रीमती इन्दिरा गाँधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते समय घोषणा की थी कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है और पूरी अर्थव्यवस्था गरीब आदमी को सशक्त करने के लिये प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसी प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने 'काले धन' की समाप्ति के लिए नोटबंदी का व्यापक निर्णय लेकर दुनिया में मिशाल पेश किया है। सामाजिक और आर्थिक न्याय सभी को उपलब्ध हो सके इसी संदर्भ में निदेशानुसार डिजिटल इंडिया के लिए कार्यक्रम किया गया है, ताकि तकनीक का प्रभावी और सक्षम इस्तेमाल से सेवाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में आमूल बदलाव लाकर आमजीवन में समान गुणवत्ता लायी जाय। विमुद्रीकरण से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ऐसे नये भारत का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो। एक ऐसा भारत जो समृद्ध हो, जिसके सभी नागरिक अमन-चैन के माहौल में सम्मान की जिन्दगी बसर कर सकें। ऐसा भारत, जिसमें लोकतांत्रिक तरीकों से हर मुश्किल को हल किया जाए। एक ऐसा भारत, जिसमें हरेक नागरिक के बुनियादी अधिकार सुरक्षित हों। इस दिशा में पिछले सालों में उन्होंने कई बड़े कदम उठाये हैं। अब भारत एक अर्थव्यवस्था विकसित करे जो नागरिकों को सशक्त बनाये तथा उन्हें काबिल बनाये कि वे अपने सामर्थ्य को पहचान सकें। श्री मोदी द्वारा विमुद्रीकरण का फैसला केवल साहसिक ही, नहीं बल्कि पिछले सालों में उठाया गया सबसे अहम ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे फैसले केवल वही राजनीतिज्ञ कर सकता है जो मूल रूप से अपने-पराये के राजनीतिक भेद से ऊपर हो और उसकी दृष्टि में केवल गरीब से गरीब आदमी की भलाई करने की मंशा हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लगातार कहा है कि सवा सौ करोड़ जनसंख्या वाले देश में सबसे बड़ी चुनौती है विकास के फायदे को सभी वर्गों तथा देश के सभी हिस्सों तक पहुँचाया जाय। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा

छेड़े गये विमुद्रीकरण का 'युद्ध' को जो लोग कमजोर करना चाहते थे उन्हें अन्त में निराश होना लाजिमी था, क्योंकि इस युद्ध में आम जनता ने ही 'फौजी' इस युद्ध का प्रथम चरण समाप्त किया है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार भारत के लोगों ने 'ईमानदार' प्रयास का पूरे दिल से समर्थन किया है। देश में काले धन की समानांतर व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री मोदी का यह कदम ठोस है और यह देशहित में भी साबित हुआ है।

हाल के गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री की विमुद्रीकरण, बेनामी संपत्ति एवं गरीबों के लिए विशेष कार्यक्रमों पर आम जनता की मुहर ही तो है। नोटबंदी के बाद जो भी चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की जीत उनके जनहित कार्यक्रमों से हुए आमजन के लाभ का ही प्रमाण है। 22 साल से लगातार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत के वावजूद इस चुनाव को अधिक कठिन बनाया जा रहा था, विपक्ष की सारी ताकतें विशेषकर कांग्रेस की पूरी ताकत गुजरात में लगा दी। गयी उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस समेत विपक्षी एकजुटता कायम करने करने की कोशिश की गयी। लेकिन प्रधानमंत्री की 4 वर्षों की सफलता और उपलब्धियों ने भारतीय जनमानस को अत्यंत ही प्रभावित कर रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शपथ लेते ही यह कहा था कि उनकी सरकार गरीबों की है और इसी पृष्ठभूमि में अनेक कार्यक्रम गरीबों के लिए चला रखी है, जिसको विपक्षी दल नकारते रहे हैं जबकि जनता उनके कार्यो से संतुष्ट होकर समर्थन करती रही है। यह गुजरात और हिमाचल के परिणामों से भी झलकता है।

श्री मोदी की सरकार किसान, दलितों, युवाओं, गाँव, और शोषित महिलाओं के जीवन के उत्थान के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने तीन वर्षों में इस बात को स्वत: साबित भी कर दिखाया है। देश के विकास, गरीब के कल्याण के लिए 105 से अधिक योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की है। शायद ही कोई ऐसा हो जिन्हें योजनाओं का लाभ न मिला हो। गरीब कल्याण योजनाओं का पैसा सरकार गरीबी और विकास पर खर्च कर रही है। ऐसी योजनाओं का भी अदभुत् प्रयास है। इस योजना के लिए 28 25 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। जन-धन योजना के खाते में आज 65 लाख करोड़ रुपये हैं। अब तक 2218 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। समाज

की अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि बैंक में उनके कदम पड़ेंगे। उनके लिए कितनी बड़ी बात है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर गरीबों का संबंध गरीबों से जोड़ा था, जो फलीभूत हो रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 764 करोड़ लोगों को 33 लाख करोड़ कर्ज मंजूर किये हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना में अबतक 3 करोड़ लोग पंजीकृत हो चुके, और 59 हजार लोगों को लाभ मिल चुका है। सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवा संभव हुई है। गरीबों का दो लाख तक बीमा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अबतक लगभग 2 करोड़ गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 2019 तक सभी को अपना गैस कनेक्शन हो ऐसा लक्ष्य रखा गया है। 2021 तक गरीबों को अपना घर होगा, इस दिशा में भी केन्द्र सरकार काम कर रही है। आवासविहीन व्यक्तियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को भी फसल बीमा योजना के माध्यम से नुकसान की भरपाई की जा रही है। पिछले तीन वर्षों में उन्होंने समाज के लगभग सभी तबकों तक विकास और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाने का काम किया है।

1.2 अरब जनसंख्या वाले देश में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विकास के फायदों को समाज के सभी वर्गों और सभी हिस्सों तक कैसे पहुँचाया जाय और यहीं पर तकनीक के उपयुक्त इस्तेमाल की भूमिका सामने आती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इसी चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने शुरू किया है ताकि तकनीक के प्रभावी और सक्षम इस्तेमाल से प्रशासन और सेवाओं को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य, तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में आमूल बदलाव लाकर आमलोगों के जीवन की समान गुणवत्ता में सुधार लाना है। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के एक विराट ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है और ये अपने नागरिकों के बीच अवसर और हैसियत की समानता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने उल्लेखनीय रूप से विकास किया है और अब वह अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी से निकल कर दुनिया की विशालतम अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में आये उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत अपनी विकास दर को बरकरार रखने में कामयाब रहा है और उसने इस अवधि में 7.5 फीसदी की

विकास दर हासिल की है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया की तीव्रतम विकास दर वाली अर्थव्यवस्था भारत में होगा। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने साल 2015-16 में 7.5 फीसदी की दर से विकास किया है। वह अब 2016-17 में 7.9 फीसदी और फिर सन् 2017-18 में 8 फीसदी तक देश पहुँच जायेगा। आर्थिक सूचकांक पिछले एक साल में विकास के आंकड़ों में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाते हैं।

प्रधानमंत्री की विभिन्न कार्य योजनाओं से देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। महिलाएं हों या अनुसूचित जाति व जनजाति सभी की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आया है। इस बजट में भी उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है समाज के सभी क्षेत्रों में इनका प्रभाव और योगदान तो बढ़ा है, परंतु सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ अभी समाप्त नहीं हुई हैं। अब भी काफी कुछ करना शेष है। सरकार के साथ-साथ आज बड़े पैमाने पर सामाजिक पहलू की भी आवश्यकता है। नि:संदेह रूप से पिछले तीन वर्षों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टियों से ग्रामीण भारत में क्रान्तिकारी परिवर्तन दिखायी पड़ रहे हैं। गरीबी का स्तर कम हुआ है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सामाजिक बुराइयाँ कम हो रही हैं और सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि आज का ग्रामीण जागरूक हो रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रतिपादित सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत ग्रामीण देश-विदेश में आ रहे बदलाव से परिचित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप वे भी अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

प्रधानमंत्री ने पिछले तीन वर्षो के शासन में अपने विचार, निर्णय एवं आचरण से संविधान का अनुपालन किया है इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ''धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत अवधारणा है। जहाँ भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। किन्तु राज्य (शासन) की दृष्टि में किसी व्यक्ति के धर्म या विश्वास की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि राज्य (शासन) की दृष्टि में सभी लोग समान हैं और समान ढंग के व्यवहार के हकदार हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित पंथनिरपेक्षता और संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उनकी सरकार ने तीन वर्षो में स्थापित किया है

कि राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी पर निर्भर है। इसी मान्यता के आधार पर विषमतारहित समाज-व्यवस्था के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। उनकी सरकार ने किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरता है। सरकार अनेक निर्णयों से प्रचलित विषमताओं के निराकरण के लिए विभिन्न उपायों को अपना रही है। सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देने की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके रास्ते के रोड़ों को हटाने के लिए उन्होंने अनेक निर्णय लिये हैं। उनकी सरकार ने महसूस किया है कि आज की आवश्यकता यह है कि जो भी आर्थिक रूप से पीछे हैं उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किये जायँ। वे चाहे किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के हों। श्री मोदी की सरकार ने देखा कि पूर्व की सरकारों से लोगों में भ्रष्टाचार के कारण परेशानी बढ़ रही थी। अच्छी से अच्छी योजनाओं और लाभदायक कार्यक्रमों का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था। स्पष्ट है कि सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था। उसके विरुद्ध श्री मोदी की सरकार ने अनेक प्रशासनिक एवं राजनीतिक निर्णय लिये हैं। इनके प्रयास से भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। इस बीच किसी प्रकार के घोटाले नहीं हुए हैं। इसके मूल में प्रशासन का दायित्वशील होना रहा है; इसलिए उत्तरदायित्व का निर्धारण आवश्यक हो गया है। विभिन्न कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता नहीं हो पा रही थी। विधायक, सांसद तथा संगठन के पदाधिकारी उदासीन होते गये। प्रधानमंत्री की सोच है कि इसके लिए कार्य-संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता है। विकास की परिकल्पनाओं को आकार देना एवं व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त कराना उनके अनुसार अनिवार्य हो गया है। उनकी सरकार के सामने यह एक कठिन चुनौती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कारण भारत एक बार फिर विश्व मंच पर अपने को स्थापित करने में सफल रहा है। पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश में मान-सम्मान एवं सुरक्षा का वातावरण बना है। यह स्थिति बनी है नीतिगत

फैसला लेने के कारण। प्रधानमंत्री ने कृषि-बीमा योजना भारतीय किसानों की दारूण दशा को देखते हुए कार्यान्वित किया है। आर्थिक आजादी के लिए स्टार्ट-अप योजना की घोषणा भारत के विकास के लिए सकारात्मक और प्रभावकारी कार्यक्रम है। उन्होंने देश में विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है तथा भारत की व्यापक सुरक्षा का इंतजाम कराया है। प्रधानमंत्री के अनुसार देश के सामने आज असली मुद्दा आर्थिक पिछड़ेपन और विकास के हैं। उनके अनुसार भारत को फिलहाल विश्व में चल रही नई औद्योगिक क्रान्ति में बड़ी हिस्सेदारी लेना है और वही भारत का असली राष्ट्रीय एजेन्डा है। भारत की सारी ऊर्जा इस विकास की ओर केन्द्रित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सोच है कि धार्मिक हो या राजनीतिक, कोई दूसरा मामला उस असली सामाजिक दिशा से भारत को भटकायेगा, तो बड़ी गड़बड़ी होगी। जितने भी विखण्डनकारी मुद्दे हैं, उन्हें अलग करना होगा, विकास की चुनौती से निपटने के लिए यही कसौटी है, जिस पर इतिहास में हमारे राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी होने का फैसला लिया जा सकता है। राष्ट्रीय महानता के लिए गरीबी हटाना जरूरी है। उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। राजनीतिक रूप से स्थिर होना जरूरी है। आर्थिक और राजनीतिक समस्या का सामना करने की हैसियत रखना जरूरी है और राष्ट्र की विदेशी नीतियों पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। वित्तीय संस्थाओं ने दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। इसी मजबूती के कारण ही दुनिया की प्रमुख व्यवस्थाएं एवं भारतीय व्यवस्था फल-फूल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार द्वारा देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के कारण 2016 में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के मामले में भारत ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले तीन साल के अल्प समय में श्री मोदी ने एक अलग छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अलग स्थान दिलाया है। सरकार का ध्यान समान विचारधारा वाले देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर है, ताकि भारत को आर्थिक जगत में बढ़त दिलायी जाय। भारत को दुनियां के सभी देशों के साथ विश्व समुदाय का हिस्सा बने रहना है, पर आज आजादी और राजनीतिक ताकत, आर्थिक मजबूती और समृद्धि, कृषि और ऊर्जा की आत्म निर्भरता तथा उत्पादकता पर निर्भर है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक और सामाजिक

विकास, सामाजिक और आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय से जो भी चीज ध्यान हटाती है, वह बुरी है और असल में राष्ट्र द्रोही है। प्रधानमंत्री की सोच है कि राजनीतिक ढांचा को सबसे बड़ा खतरा जातिवादी मानसिकता से है। सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय आधार पर सामाजिक सद्भाव एवं समरसता को खंडित कर राजनीति नहीं चलायी जा सकती। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी पर निर्भर है।

इस पुस्तक में आप देखेंगे कि अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग आलेख हैं और पायेंगे कि जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे पीड़ा निवारण में निश्चय ही सकारात्मक होंगे।

मैं विनम्रता से इतना अवश्य कहूँगा कि कथा-कहानी, कविता आदि का आनन्द उठाने वालों को हूबहू वही आनन्द मेरी जैसी रचना से न मिले लेकिन लोक जीवन से गहरी संवेदनशीलता, सहानुभूति वाली मानसिकता वाले प्रायः सभी पाठकगण निश्चय ही ऐसी सामग्रियां और सूचनाएँ पाकर आनन्दित होंगे और इन सामग्रियों और सूचनाओं की उपयोगिता से बिहार अथवा पूरे देश के सामने आनेवाले पीड़ामूलक प्रायः हर समय में लाभान्वित होकर अवश्य आनन्दित होंगे।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि मैंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत अपने अग्रज श्रद्धेय ललित बाबू के चरणों में बैठकर ही की और उनकी प्रेरणा से आज तक कार्यरत भी हूँ। उनकी प्रेरणा और इनके आशीर्वाद ही मेरे जीवन में आगे बढ़ने के मुख्य आधार रहे हैं। मैंने उन्हीं से वैचारिक प्रतिबद्धता और सफलता प्राप्त की है। वास्तव में वे ही मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। मेरी राजनीति के प्रति सक्रियता झंझारपुर विधान सभा चुनाव जीतने के बाद से ही बढ़ी। बिहार में मंत्री, मुख्यमंत्री, एवं केन्द्रीय मंत्री बनने के बाद मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से राजनीति के प्रति समर्पित कर दिया। इस दौरान मेरे समर्थकों एवं सहयोगियों का जो सहयोग और समर्थन मुझे प्राप्त हुआ वह सराहनीय है। उनके समर्थन को विशेष रूप से 1977 के बाद काँग्रेस के पुनरुत्थान और विकास के समय समझा। 1997 में श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार का विरोध करने के कारण मुझे पार्टी अध्यक्ष श्री सीताराम केसरी द्वारा

छह वर्षो के लिए काँग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। मुझे काँग्रेस के आंतरिक विवाद के कारण ही 'जन विकास मंच' की स्थापना करनी पड़ी, जिसमें एक लाख से अधिक क्रियाशील सदस्य बने। लेकिन, तमाम झंझावतों को झेलते हुए भी मैंने अपने आपको समाज की पीड़ा के निराकरण-कार्यो में अडिग बनाये रखा।

इस प्रकार मैं अपने राजनीतिक जीवन के समर में एक प्रकार से प्रत्याशित-अप्रत्याशित संकटपूर्ण चुनौती भरे समर में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा। समय-समय पर उन घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कीं। अपने समय की इन महत्वपूर्ण घटनाओं को एक जगह संग्रहीत कर देश की नयी पीढ़ी के हवाले करने की मेरी हार्दिक इच्छा पिछले काफी समय से रही है। इन घटनाओं, प्रसंगों के जरिये मैं समझता हूँ कि नयी पीढ़ी को बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी, जो शायद कभी इतिहास की तलहटी और वाटियों में वे तलाश करने को निकलेंगे तो उनके काम आयेंगी। देश के समाजवादी दिग्गज नेता डॉ० राम मनोहर लोहिया को लेकर हिन्दी के मनीषी प्रो० (डॉ०) विद्या निवास मिश्र का एक संस्मरण याद करता हूँ। डॉ० लोहिया के आखिरी दिनों में, जब वे काफी अस्वस्थ थे तो विद्या जी उनसे मिलने गये। उस घोर अस्वस्थता की स्थिति में भी डॉ० लोहिया लेखन में तल्लीन थे। विद्या निवास जी ने हैरान होते हुए उनसे जिज्ञासा की कि इतनी अस्वस्थता की स्थिति में भी वे क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं? डॉ० लोहिया ने अपनी करुण मुस्कान के संग उनसे कहा -"प्रोफेसर! आनेवाले वक्त के लिए विचारों की कुछ ईंटें तैयार कर छोड़ जाना चाहता हूँ। शायद एक वक्त आये जब नव निर्माण के लिये जमीन निकले, लेकिन ऐसा न हो कि तब तक लोग ईंट बनाने की हुनर ही भूल चुके हों"।

यह पुस्तक उसी दिशा के बहुलांश में है। सूचनाओं और विचारों, संघर्षमय अथक प्रयासों और आत्मनिर्णयों से निर्मित उपहार स्वरूप यह एक साथी है जो मौके-मुनासिब काम आयेगी। यह अपने समय का इतिहास है और इतिहास सदैव आश्वासन देता है कि गुजरे वक्त में अगर कुछ गलत हुआ तो उससे सबक और नसीहत लेकर आगे उसकी पुनरावृत्ति न की जाय। अगर बीते समय में अच्छी बातें हुई तो उनसे प्रेरणा लेकर फिर कुछ वैसा ही हौसला बांधा जाय। यह जीवन अपने आप में एक महाभारत है। सबके जीवन का, समाज

का, देश और दुनिया का अपने-अपने समय का महाभारत होता है और इन सारे छोटे-बड़े महाभारतों का साक्षी होता है, केवल एक समय में तय की गयी जीवन-यात्रा का लेखा। इसलिए यह पुस्तक अपने उस समय का साक्ष्य देती है जो सफर के समर की गाथा है।

❐

द्वितीय सर्ग

1

बिहार की संभावनाएँ एवं पुनरुद्धार

भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव आया है और हाल के वर्षों में वृद्धि दरें त्वरित हुई हैं। तथापि उदारीकरण के परिणामस्वरूप, पूंजी और श्रम का गरीब राज्यों से संपन्न राज्यों की ओर पलायन हो रहा है। जिन राज्यों को सुधार से लाभ न होकर बेहतर राज्यों की ओर निवेश योग्य संसाधनों के पलायन से हानि हुई है, उन्हें उन खास कमजोरियों को दूर करने के लिए अवश्य मदद की जानी चाहिए। आमतौर पर निवेश दर को किसी अर्थव्यवस्था में विकास का एक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है, जो अधिकांशतः अधिसंरचना से संबंधित होती है। हम जानते हैं कि अधिसंरचना एक बहुदिशायी चीज है। बहरहाल, अधिसंरचना की गुणवत्ता किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नितांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह निवेशकों व उत्पादकों को औद्योगिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है। बिहार की अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति भौतिक अधिसंरचना की विपन्नता के जरिए पाली-पोसी गयी है।

आर्थिक सुधारों के लाभ से वंचित बिहार को सहायता देना निहायत जरूरी है। बिहार के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना ही हो सकता है। इस कार्यभार को पूरा करने के लिए उसके पास कम वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। जबतक अधिसंरचनात्मक व सेवा संबंधी स्तर इस अवस्था में न पहुँच जाय कि वहाँ निजी निवेश का अच्छा-खासा प्रवाह होने लगे, तबतक इसके लिए

आवश्यक संसाधनों को केन्द्रीय पुल से ही आना है। अधिसंरचना एक मुख्य मानदंड है। अगर एक अधिसंरचना सूचकांक बनाया जाय और संवितरण के स्तरों को इससे जोड़ दिया जाय, तो ऐसा करना बिल्कुल संभव है। निवेश वातावरण सूचकांक एक अधिक उपयुक्त सूचक हो सकता है। इसी प्रकार, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत को संवितरण योजना में एक अलग कारक के रूप में शामिल करना जारी रखना चाहिए, ताकि इसे पर्याप्त ऊँचा भार देने के जरिए बिहार जैसे गरीब राज्य के साथ न्याय हो।

भारत में भारी आंचलिक विविधता और संसाधनों का असमान वितरण है। साथ ही, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में भी काफी अंतर है। फलतः बिहार द्वारा राजस्व जुटाने की क्षमता में भी अंतर है। वित्त आयोग का राज्यों के लिए राजकोषीय अंतरणों का दृष्टिकोण मुख्यतः समानीकरण के सिद्धांत से निर्देशित होता है। वित्त आयोग संघीय ढांचे का प्रमुख स्तंभ है और यह ऐसी संस्था है जिसके जरिए राज्यों को संसाधनों का अंतरण तथा उसकी समीक्षा होती है। यह स्वीकार्य है कि बड़े पैमाने पर समानता हासिल करने का काम अकेले वित्त आयोग के अंतरणों पर निर्भर नहीं करता; असमानता कम करने में योजना आयोग और मंत्रालयों के अंतरणों को भी पूरक भूमिका निभानी होती है। योजना निर्माण प्रक्रिया के कामकाज की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय विकास परिषद् को 1952 में इसके गठन के समय ''सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से किए गए त्याग के जरिए कम विकसित अंचलों व तबकों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करते हुए'' राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों के निर्माण का कार्यभार सुपुर्द किया गया था।

बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। यदि भारत सरकार तय करे कि सहायता अनुदान को केवल अवशेष तक सीमित रखा जाय, अर्थात् राजस्व बजट को संतुलित रखा जाय, तो पिछड़े राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं शायद ही पूरी हो सकती हैं। केन्द्र सरकार योजना के प्रयोजनों के लिए राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार नहीं करती। इसलिए अनुभवों के आधार पर जिन वित्तीय आवश्यकताओं को योजना में समाविष्ट नहीं किया जाता, उनपर विचार करके उनकी पूर्ति की जाय। यह बताने की जरूरत नहीं कि संविधान में योजना और गैर-योजना खर्च

का कोई भेद नहीं रखा गया है। गैर योजना खर्च को पुराने, वर्तमान और पूर्व से चलते आ रहे खर्च तक सीमित रखा गया है और जो नये और सुचारू ढंग से चलने वाले कार्य संबंधी खर्च हैं, उन्हें योजना खर्च माना गया है। वास्तविकता यह है कि योजना अवधि के अंत होने तक पूरी की गई योजना स्कीमों के रख-रखाव का खर्च गैर योजना मद का वचनबद्ध दायित्व बन जाता है। जबतक गैर योजना मद में बुनियादी सेवाओं के लिए प्रावधान नहीं हो जाता तबतक गरीब बिहार के लिए शायद ही संभव हो सकेगा कि विकास कार्य में हाथ लगावें। इसे गैर योजना खर्च कहा जाता है उसमें भी विकास के तत्व निश्चित रूप से रहते हैं। भारत सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार की वित्तीय समस्याओं को योजना और गैर योजना का फर्क किए बिना समग्र रूप में देखे और वित्तीय सहायता देने की ऐसी प्रणाली बनावे कि राज्य की वित्तीय स्थिति में जान आवे। अत: केन्द्र से दिये जानेवाले वित्तीय अंतरणों में और अधिक समानता आये इसके लिए जरूरी है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को अधिक-से-अधिक साधन-स्रोत मिले, जिनकी आबादी अधिक है और जहाँ विकास की संभावनाएं अधिक हैं। वितरण के सिद्धांतों में परिवर्त्तन लाना इस प्रयोजन की दृष्टि से जरूरी है।

झारखण्ड के निर्माण के बाद बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो गया है, जबकि सन् 2011 ई. की जनगणना के आधार पर इसकी जनसंख्या 10 (दस) करोड़ से भी ऊपर हो गयी है। झारखण्ड के अलग राज्य बन जाने के कारण बिहार में खनिज संपदा और जंगल का छोटा क्षेत्र ही बच गया है। भारत के एक राज्य के रूप में बिहार ने अपने इतिहास में असंख्य उत्थान-पतन देखे हैं। यद्यपि इस राज्य की प्रगति और उन्नति का ऐतिहासिक सर्वेक्षण कठिन है- खासकर आर्थिक पैमाना पर, फिर भी यहाँ के लोगों के, सम्मानपूर्ण जीवन-यापन के लिए, निरंतर होते संघर्ष की कल्पना कोई भी कर सकता है। बिहार के कई विभाजनों से यहाँ के लोग विपरीत परिस्थितियाँ झेलते आ रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी यहाँ के वाशिंदों ने पीड़ा, यंत्रणा, झेलते हुए हर अवसर के अनुसार समुचित साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। सम्राटों-राजाओं, दार्शनिकों-बुद्धिजीवियों, कवियों-साहित्यकारों, कलाकारों-लघु उद्यमियों, आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शकों, साधकों,

कृषकों-मजदूरों, ऋषियों-संतों एवं योद्धाओं-नेताओं द्वारा बिहार को प्रदत्त गौरव के अलावा बिहार के सुसंस्कृत, देशभक्त, सद्‌गुणी और सुहृद् जनसाधारण ने भी इस विलक्षण राज्य का भरपूर मान-सम्मान बढ़ाया है। आजादी के बाद से ही बिहार की अर्थव्यवस्था गहरे दबाव में रही है, हालांकि आजादी के पहले की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं थी। बिहार का सर्वाधिक निम्न संसाधन आधार हमारी विकास नीति को सीमाबद्ध करता है जिसके चलते आजादी के छह दशकों के बाद भी बिहार सबसे निचले पायदान पर ही है। राज्य की सबसे नकारात्मक बात मैदानी भाग का अत्यधिक बाढ़ प्रवण होना है।

हर साल बाढ़ मानव जीवन, पशुधन, खड़ी फसलों तथा सड़कों, भवनों, बांधों, जलापूर्ति व अन्य निर्मितियों तथा अन्य अधिसंरचना को भारी नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ के अलावा बिहार की दूसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा सूखा है। इससे ज्यादातर दक्षिण बिहार प्रभावित होता है, जहाँ औसत बुआई सामान्य से 50 प्रतिशत कम हो जाती है। उल्लिखित कुछ प्रमुख कारक ऐसे हैं जिन्होंने विकास के सारे सूचकों के लिहाज से देश के सभी राज्यों के बीच बिहार को सबसे निचले पायदान पर पहुँचा दिया है। औपनिवेशिक शासन के दौरान तो बिहार की अत्यंत बुरी स्थिति थी ही, आजादी के बाद भी परिस्थितियों में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है। आजादी के पहले और बाद, दोनों ही दौर में बिहार उपेक्षा की विरासत ढो रहा है। 90 के दशक और उसके बाद चली उदारीकरण की लहर ने इसकी अर्थव्यवस्था को और भी झटका दिया है। यह अलग बात है कि प्राकृतिक आपदाओं, सत्ता का सौतेली माँ-सा व्यवहार, औद्योगीकरण के वांछित स्तर का अभाव आदि कारणों से बिहार को बीच-बीच में अवनति की दर्दभरी पीड़ाओं का भी सामना करना पड़ा है। इस बात को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि यहाँ के हर वर्ग के वाशिन्दों का, विशेषकर जीविकोपार्जन के लिए, अन्य राज्यों के लिए पलायन यहाँ की समस्याओं की सूची के शीर्ष पर है। इस पलायन को हम बड़ी आकुलता के साथ रोकना चाहते हैं, किन्तु इसे रोकने के लिए सभी संभव क्षेत्रों में बिहार को आत्म-निर्भर बनाने की हमारी आवश्यकता है। श्री नीतीश कुमार-नीत बिहार सरकार और यहाँ के लोग बड़ी गंभीरता के साथ केन्द्र सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं कि इस गरीबी से त्रस्त राज्य को 'विशेष राज्य का दर्जा' दिया जाय।

बिहार में प्राय: प्रत्येक सरकार कार्य-संपादन और कार्य संपादनहीनता, त्वरित विकास-गति और प्रगति की शिथिलता, लोकोन्मुख कार्यक्रम और स्वार्थपरक योजना, प्रगतिवादी दृष्टिकोण और प्रतिगामी दष्टिकोण, संसाधन-शोषण और संसाधन-सदुपयोग, एकल नेतृत्व और सामूहिक नेतृत्व तथा अंतिम महत्वपूर्ण एकता-चक्र और विभाजक-चक्र के चरम बिन्दुओं के बीच एक दोलक (पेंडुलम) के समान झूलती रही है। राज्य के विभिन्न नेतृत्वों के अंतर्गत राज्य की शांति, प्रगति और समृद्धि को मापने और उनके मूल्यांकन का भी यह उपमान (दोलक) एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी। भ्रष्टाचार पर कारगर ढंग से रोकथाम कर, जनविश्वास अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता समाप्त करने के उद्देश्य से ''बिहार विनिर्दिष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983'' को पूरे राज्य में तात्कालिक प्रभाव से दृढ़तापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। ज्ञान की प्राप्ति, नवीकरण और उपयोग पर आधारित अधिगम-मूलक समाज की ओर अग्रगति आज राज्य की तात्कालिक आवश्यकता है। बदलती दुनिया के साथ-साथ चलने के प्रयास में बिहार के लिए ज्ञानमूलक समाज का निर्माण करना जरूरी है। समग्र विकास संभावनाएं हासिल करने के लिए ऊर्जा एवं सड़क से युक्त विकसित अधिसंरचना अनिवार्य है। अधिसंरचना विकास के मामले में बिहार अत्यन्त पिछड़ रहा है, जिसने अब तक राज्य की प्रगति का रास्ता रोक रखा है।

औद्योगीक नीति के बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 10 वर्षों से औद्योगीकरण की रफ्तार सुस्त है। राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमियों को 1990 से 2005 तक और फिर 2005 से 2014 तक मदद नहीं दी है। यह बड़ा ही विस्मयकारी रहा है कि देश के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र के बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा बिहार में पूँजी निवेश के लिए आश्वासन देने के बावजूद उद्योगपतियों ने पूँजी निवेश नही किया। लघु उद्योग इकाइयों के राज्यस्तरीय अध्ययन के अनुसार, बिहार की 70 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयाँ रुग्ण अथवा बंद हैं। अभी तक प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट हुआ है कि 2005 तक 25000

इकाइयाँ और उसके बाद 15000 ईकाईयाँ बंद हुई हैं। ऐसी सूचना मिली है कि जिन कुछेक कंपनियों ने पहले प्रस्ताव दिये थे, अब वे काम में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए जो नयी औद्योगिक नीति लागू की, उसमें बिजली की कमी बड़ी बाधा बनी रही है, इसलिये बड़े उद्योगपति इस ओर अपना रुख नहीं कर रहे हैं। इसके तहत राज्य सरकार को कॉर्पस फंड और वेंचर फंड नाम की नई योजनाएं शुरू करनी चाहिये थी। राज्य सरकार लघु, छोटे और मझौले क्षेत्र के उद्यमियों की नई पीढ़ी तैयार करने में अब तक विफल रही है। राज्य में कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले उद्यमियों को आगे आने का मौका नही मिला है। इससे राज्य में रोजगार के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र के विकास की तरक्की का मौका नही मिला है। बिहार में निवेश के कई अच्छे प्रस्ताव आये, परन्तु शुरुआती दौर में ही लटक जाते रहे हैं। बैंक राज्य में कर्ज देने से कतराते हैं, जिस वजह से राज्य में उद्यमी पैदा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को कॉपर्स फंड तैयार करना चाहिये। कॉपर्स फंड के तहत राज्य सरकार कर्ज के रूप में एक निश्चित रकम उद्यमियों को दे सकती है, क्योंकि उद्योग की स्थापना एवं संचालन में सक्रिय भूमिका निर्वहन करने वाला राज्य वित्त निगम एवं बिहार खाद्य निगम (बिस्कोमान) पूर्ण रूपेण निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी बने हुए हैं।

भारत की बौद्धिक क्रांति की शुरुआत बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से हुई थी। इस प्रयास ने भारत की अंतराष्ट्रीय जगत में गौरवांवित किया। उन दिनों विश्व में भारत के उत्कर्ष और गौरव का केन्द्र बिहार था। बिहार का भाग्य और भविष्य देश के भाग्य और भविष्य से जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद भी कई वर्षो तक भारत में बिहार ने अहम् भूमिका निभाई। 1918 में बिहार के चंपारण जिले की सरजमीं से ही महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का विगुल फूंका। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बिहार प्रांत से ही आए। अंतराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रशासन विशेषज्ञ पी. अपेलबी के अनुसार, 1950 के दशक में बिहार राज्य भारत के सभी राज्यों की अपेक्षा अधिक कुशल संचालित राज्य था। ऐसे में सवाल है कि आखिर कहां चूक रह गई कि आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई?

1990 के दशक में सोशल इंजीनियरिंग द्वारा पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा और उत्थान के प्रयास हुए। इस माध्यम से बिहार की सामंतशाही प्रथा

के कारणों से समाज के मुख्यधारा से कटे लोगों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन मिला, पर आर्थिक उत्थान की बात पीछे रह गई। जब अन्य प्रांत विकास दर की तेज रफ्तार में तीव्र गति से गतिमान थे, बिहार भारत में सबसे कम विकास दर के क्रम से गुजरने लगा। लूट, अपहरण, फिरौती, हत्या जैसे घिनौने कारनामे खूब सुनने, देखने को मिलने लगे। संस्थाओं और संस्थानों की गुणवत्ता में गिरावट आई। विकास प्रक्रिया बाधित होने के कारण बिहार में रह रहे लोगों का पलायन अन्य विकसित राज्यों जैसे पंजाब, महाराष्ट्र आदि में होने लगा। 'बिहारी' शब्द का मतलब गंवार, पिछड़े से लगाया लगाया जाने लगा। बिहार से बाहर गये मजदूरों और छात्रों को देश के कई भागो में वहां के लोगों का रोष भी झेलना पड़ा, जो अब भी परिलक्षित होता है। कुल मिलाकर बिहार के अंदर इसकी अर्थव्यवस्था में और बाहर बिहार की छवि में गिरावट आई।

हाल में आई रिपोर्ट ने बिहार राज्य की सालाना विकास दर करीब 11 प्रतिशत होने की बात कही, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक विकास दर के आस-पास है, किन्तु इस विकास दर से भी 25 साल बाद बिहार की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति की महज 20 प्रतिशत ही होगी। विकास के कई मापदंडों जैसे- साक्षरता, कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, गरीबी रेखा से नीचे की संख्या, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी आदी में बिहार सभी राज्यों में गरीब और पिछड़ी श्रेणी में है।

बुनियादी सुविधाओं जैसे-बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की हालत खस्ता है। बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति प्रायः हर वर्ष होती है। इन परिस्थिति के कारण बिहार में निवेश मुख्य रूप से प्रभावित होता है।

बिहार में रोजगार की समस्या भयावह है। बिहार राज्य का आबादी घनत्व देश में बहुत ऊंचा है। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन और प्राकृतिक स्रोतों के मामले में बिहार की प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी भारत के विभिन्न राज्यों की तुलना में कम है। फिर भी कई मायनों में बिहार महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रजातंत्र में संख्या का महत्व होता है और बिहार जनसंख्या के मामले में बहुत राज्यों से आगे है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस राज्य को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए कई क्षेत्रों में उपयोगी रणनीति बनानी होगी, जिसमें मानव संसाधन विकास, कृषि उत्पादकता,

बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत ढांचागत और बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था और पर्यटन प्रमुख है।

कुल मिलाकर सबसे अधिक आवश्यकता है सुशासन की एक ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की, जो जाति, उपजाति, पंथ आदि के नाम पर विभाजकता को प्रमुखता न देकर धीमी पड़ी विकास प्रक्रिया में तेजी लाने पर ध्यान दे। केन्द्र सरकार की भी बिहार को विशेष व्यवस्था द्वारा सहयोग देना होगा, ताकि अगले 30 वर्षो मे होने वाला विकास पूरे देश में समानता लाए और आम मानस के लिए न्यायसंगत और उचित हो। पुराने बिहार के गौरव का मूल कारण यह था कि हर क्षेत्र में जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कला और संस्कृति आदि में श्रेष्ठता और नूतनता को प्राथमिकता दी गई। आज के बिहार को भी इन्हीं रास्तों पर चलना होगा। तब बिहार आने वाले वर्षो में भारत में अपना उचित स्थान बना सकेगा और खोया हुआ वैभव, गौरव, कीर्ति, यश प्राप्त कर सकेगा।

भारतीय इतिहास और संस्कृति में प्रायः सभी युगों में बिहार का योगदान विलक्षण रहा है। बिहार में ऐसे विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न लोगों का आविर्भाव अनवरत् होता रहा जो मानव विकास को युगान्तरकारी दिशा प्रदान कर सकने में समर्थ थे। यदि ऐसे लोगों की मात्र सूची तैयार की जाय तो उसका भी अन्त पाना दुष्कर होगा। प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो नहीं अनेक विशिष्ट लोगों ने अपनी स्थायी छाप छोड़ी। ये ऐसे लोग थे जो या तो बिहार में पैदा हुए अथवा बिहार जैसी कर्मभूमि पाकर उनकी प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ। इनमें से कितने ऐसे थे जिनकी जन्म-भूमि और कर्म-भूमि निर्विवाद रूप से बिहार में थी, किन्तु अन्य क्षेत्रीय लोग उन्हें अपना कहते रहे और पर्याप्त प्रयासों के बाद बिहार दुनिया के समक्ष यह सिद्ध कर सका कि वे सर्वतोभावेन इसके थे। इनमें कई दूसरे ऐसे थे जिनकी ऐतिहासिकता पुरातत्विक तो नहीं ही साहित्यिक स्रोतों से भी निस्सन्दिग्ध स्थापित कर पाना संभव नहीं हो पाया है, किन्तु उन्हें मात्र दन्तकथा अथवा किंवदंती का पात्र मानकर त्याज्य भी नहीं ठहराया जा सकता है। उनके सन्दर्भ में विशेष शोध का प्रयोजन है।

बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की भाषाओं में संस्कृत के बाद लगभग सबसे पहले साहित्यक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने वाली मैथिली में

कोमल कान्त पदावलियों के रचयिता विद्यापति तो बंगला भाषा के कवि माने जाते रहे। यह तो बींसवी शताब्दी में आकर संभव हुआ कि उन्हें बिहार का कवि स्थापित किया जा सका, किन्तु उससे पूर्व लगभग छह सौ से अधिक वर्षों की अवधि में ऐसा कभी नहीं हुआ कि श्रुति परम्परा से उनके गीत मैथिल भाषियों, विशेषकर नारियों के आधारों पर विराजमान न रहे हों। विद्यापति की तरह टोडरमल और कतिपय अन्य ऐसे हैं। जिन्हें बिहार के मगध के क्षेत्र के लोग विश्वासपूर्वक अपना पूर्वज मानते हैं और ऐसे साक्ष्य भी हैं, जिनकी दूसरे स्रोतों से यदि पुष्टि की जा सके तो उनके आधार पर उन्हें बिहार का ही मानना होगा। और यत्र-तत्र उन्हें बिहार से बाहर का सिद्ध करने की चेष्टाओं का खंडन किया जा सकता है। विद्यापति और टोडरमल से पहले आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक की भी यही स्थिति रही, पर बिहार वासियों के लिए वे उनके अपने गौरव हैं। इस शृंखला में अबतक उज्जैन के निवासी माने जाते रहे कालिदास का उल्लेख वांछनीय है जिन्हें मिथिला क्षेत्र के उच्चैठ ग्राम के निवासी सबदिन से अपना मानते रहे हैं। संस्कृत साहित्य से इसका शलाका पुरुष के संग संस्कृत गद्य के प्रखरतम प्रतिनिधि वाणभट्ट निर्विवाद रूप से बिहार के माने जाते हैं। एक मात्र महिला जैन तीर्थकर मल्लिनाथ कहाँ की थी, वे नारी भी थी या नहीं आदि प्रश्नों के निर्विवाद ऐतिहासिक उत्तर संभव नहीं है, किन्तु परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उन्हें बिहार के मिथिला प्रदेश का मानना युक्तियुक्त कहा जा सकता है। इसी प्रकार बुद्ध के निकटतम सम्बन्धियों और शिष्यों में प्रायः सर्वोपरि थे आनन्द और उनका जन्म जहाँ हुआ उसकी भौगोलिक अवस्थित भारत में था या अन्यन्त्र यह पता नहीं,पर मगध और मिथिला से उनके सम्बन्ध नितान्त अपने और अकाट्य थे। उनकी बात क्या स्वयं बुद्ध यदि हमारे माने जाते हैं तो अकारण नहीं। उनकी जन्मभूमि कपिलवस्तु उनके जन्म के समय अथवा बाद में भी जाने कितने वर्षों तक भारत का अंग थी और कर्मतः तो बुद्ध का बिहार से सम्बन्ध सर्वज्ञात है ही।

बिहार ने राजनीतिक, धर्म, दर्शन, शिक्षा, विज्ञान, ज्योतिष, कला, साहित्य और संस्कृति आदि लगभग प्रत्येक क्षेत्र में एक से एक महान विभूति को जन्म दिया जिनमें कई ने अपनी उपलब्धियों से विश्व परिदृश्य पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिनके विषय में सुनकर या जानकर लोग आज भी चमत्कृत

अनुभव करते हैं-सर्वतोभावेन ऐतिहासिक इन नायकों के कृत्य परीलोक की कथा सरीखी लगती है। सांसारिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में राजनीति का प्रभाव सर्वाधिक व्यापक होता है। भारत की लंबी दास्तां की अवधि में जब यूरोपीय देशों के साम्राज्यों का, विशेष रूप से विश्वव्यापी ब्रिटिश साम्राज्य का जिसमें सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, का उल्लेख होता था तो वह भारत की दासता का परिहास सा लगता था, किन्तु जब पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक शोधों से ज्ञात हुआ कि शताब्दियों पहले भारत में बिहार के मगध प्रदेश में एक ऐसे साम्राज्य का विकास हुआ जो सार्वकालिक महानतम विजेताओं में गण्य यूनान के सिकन्दर और उनके उत्तराधिकारियों की चुनौती स्वीकार कर सकता था तो भारतीयों के आत्म गौरव के बोध की परितुष्टि स्वाभाविक थी। चाणक्य ने इस साम्राज्य को वैचारिक आधार दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वास्तविक स्वरूप। इस साम्राज्य में ऐसे विलक्षण शासक का आविर्भाव हुआ जिसने संभवतः सबसे पहले राज्य के जन कल्याणकारी स्वरूप की अवधारणा को मूर्त रूप दिया, जिसने भेरि-घोष के स्थान पर धर्म-घोष को राज्य की नीति निर्देशक नीति बनाया और जो सफलतम शासकों में परिगणित होता हुआ भी धर्मगुरु जैसा प्रतिष्ठित हुआ। महान इतिहासकार ऑरनौल्ड टॉयन्बी ने उसे ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, पैगम्बर मुहम्मद तथा महात्मा गांधी की श्रेणी का महामानव कहा। उसका नाम था अशोक जो स्वतंत्र भारत के श्रेष्ठतम और राज्य द्वारा स्वीकृत प्रतीक स्वरूप है- उसके स्तंभ और चक्र के माध्यम से आज भारत की पहचान होती है। इन सबों के विषय में बहुत लिखा गया है, किन्तु नए बिहार के निर्माण के संदर्भ में इन्हें और इनकी गौरव गाथा को पुनः दुहरा लेना भी अपने आप को आह्लादित तथा गौरवान्वित करने वाला हो सकता है। मौर्य शासनकाल में क्रांतिकारी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी गई। अशोक ने न केवल जनकल्याणकारी शासन की अवधारणा का श्री गणेश किया, बल्कि अंतराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में राज्यों के पारम्परिक गुण-दोषों का आकलन करने के लिए कूटनीतिक दूतों और दूतावासों की स्थापना तथा पारस्परिक मिशन के विनिमय मात्र की नीति का भी शुभारंभ किया। वस्तुतः ऐसी नीति का सैद्धांतिक धरातल कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया था, और चन्द्रगुप्त मौर्य ने उसका अनुसरण करते हुए उस समय तक के इतिहास में ज्ञात अपने

विशाल भारतीय साम्राज्य के लिए एकरूप प्रशासनिक संरचना खड़ी की जो आधुनिक काल में अंग्रेजों की भारत में स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था से तुलनीय थी। प्राचीन काल में ही, और संभवत: कहीं से भी पहले, बिहार ने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के क्षेत्र में वैशाली के लिच्छवि गणतंत्र का जो प्रदर्शन प्रस्तुत किया वह अपने प्रजातांत्रिक स्वरूप और स्थायित्व के कारण विलक्षण था। प्रशासनिक क्षेत्र में बिहार की विशिष्ट पहचान मध्यकाल में भी बनी रही, जब शेरशाह अपनी प्रतिभा और वीरता के बल पर मुगल बादशाह हुमायूं को परास्त कर भारत का सम्राट बना तथा एक ऐसी प्रशासन-व्यवस्था की नींव रखी जिसके अनेक तत्व चिरस्थायी सिद्ध हुए तथा भारत के सर्वकालिक महानतम शासकों में परिगणित अकबर के शासन और प्रशासन के लिए दिशा-निर्देशक बने। शेरशाह को ही श्रेय है कि उसने वित्त तथा भू-राजस्व टोडरमल को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे जिन्हें उसने अनुकरणीय सफलता के संग निष्कर्ष तक पहुंचाया। वह बिहार का था या नही इस पर विवाद हो सकता है, किन्तु इतना निश्चित है कि उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग बिहार में बिताया तथा उसकी प्रशासनिक अवधारणाओं की प्रयोगशाला बिहार ही थी।

धर्म क्या है? इसका बोध धार्मिक तथा दार्शनिक दोनों स्तरों पर बिहार ने जैसा कराया वैसा संभवत: विश्व के किसी क्षेत्र से कभी संभव नहीं हो सका। मोक्ष प्राप्ति धर्म और दर्शन दोनों का सर्वोपरि अभीष्ट है। मोक्ष अर्थात् मुक्ति, सभी प्रकार की दासता तथा बन्धन से मुक्ति मानव जीवन का एक मात्र लक्ष्य है। महावीर, बुद्ध, और सिखगुरु गोविंद सिंह इसी दिशा में सक्रिय थे, किन्तु उनके लिए मुक्ति का अर्थ जीवन-मरण के चक्र से मुक्त होना मात्र नहीं था, बल्कि मनुष्य और सभी जीवों के जीवन को दु:खविहीन करना अथवा सुखमय बनाना था। उपनिषदों द्वारा प्रख्यापित दर्शन जनक-याज्ञवल्क्य सदृश चिन्तकों के माध्यम से ही जड़ें जमा चुका था। कपिल, कणाद, गौतम तथा जैमिनी ने क्रमश: सांख्य, वैशेषिक, न्याय तथा मीमांसा दर्शन माध्यम से बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोगों की मुक्ति के नये मार्ग तलाशने की क्षमता को अभिव्यक्ति दी थी। इन सबके जन्म स्थान को लेकर विवाद है, किन्तु यह निर्विवाद है कि इन दार्शनिक सिद्धान्तों के लिए बिहार सर्वाधिक उर्वरा भूमि रही है। इतना ही नही बीसवीं शताब्दी तक इस प्रकार की चिन्तनधारा चलती रही

और श्री गंगानाथ झा तथा श्री रामवतार शर्मा प्रभृति दार्शनिकों ने मुक्तिकामी परम्परा को जीवित रखा। रामवतार शर्मा ने प्राचीन षट्दर्शन से अलग हटकर एक नये दर्शन का प्रणयन किया, जिसे परमार्थ दर्शन कहते हैं। उससे पूर्व मिथिला में नव्य न्याय और पारंपरिक सभी दर्शनों के गंगेश, वर्द्धमान, मंडन, वाचस्पति, कुमारिल, शंकर उद्यन और जाने कितने ऐसे विद्वान हुए जिनकी कृतियों का प्रकाश कभी धूमिल नहीं पड़ सकता है। बुद्ध के काल में तीन सौ से अधिक चिन्तन धाराएँ प्रवाभीमान थी, जिनसे संबंध आचार्यगण तथा उनके शिष्य और शिष्योपरिशिष्य यत्र-तत्र पूरे बिहार में फैली अपनी कुटियों में अनवरत साधनारत रहते थे। उनमें अनेक सनातन धर्म के अनुगामी थे तो अनेक उसके विरोधी ।

बिहार कई तरह के उतार-चढ़ावों से गुजरा। अनेक प्राकृतिक आपदाएँ झेलीं। अपमान के अनेक मर्मांतक आयाम देखे। पर बिहार की इन्हीं विडंबनाओं के बीच वीर कुँवर सिंह से लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जगजीवन राम, बंगाल के यशस्वी मुख्यमंत्री भारत रत्न डॉ. विधानचंद राय, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल सिंह नेपाली, मॉरिशस के राष्ट्रपिता डॉ. सर शिवसागर रामगुलाम, शहनाई सम्राट बिसमिल्ला खाँ जैसे सपूतों ने बिहार का मान बढ़ाया। बिहार को गौरव है कि यह देश का ऐसा प्रांत है जिसने मॉरिशस और सूरीनाम को प्रधानमंत्री दिया। भोजपुर के हरगाँव निवासी सर शिवसागर रामगुलाम तो मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे ही उनके निधनोपरांत उन्हें वहाँ का 'राष्ट्रपिता' घोषित किया गया। उनके पुत्र डॉ. नवीन रामगुलाम भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। यही नहीं; भोजपुर में बक्सर के अंतर्गत भेलपुर गाँव की बेटी डॉ. कमला मिश्र बिसेसर को त्रिनिदाद का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और प्रतिभाओं का यह सिलसिला आज भी जारी है। बिहार की प्रतिभाओं को समुचित संभावना मिले, इसके लिए समुचित परिवेश और वातावरण तैयार करना होगा।

❐

2

'विशेष राज्य का दर्जा' समय की माँग

15 नवम्बर, 2000 को बिहार के विभाजन ने इसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात पहुँचाया है, यथा संयुक्त बिहार का 54 प्रतिशत भूक्षेत्र और 75 प्रतिशत आबादी इसके हिस्से में है जिसके फलस्वरूप भूमि-जनसंख्या के अनुपात में भारी गिरावट आयी है। लगभग सम्पूर्ण खनिज संसाधन और अधिकांश वन नव निर्मित/सृजित राज्य झारखण्ड के हिस्से में चला गया-कोई तीन-चौथाई सम्पत्ति और एक-चौथाई दायित्व का भागी झारखण्ड रहा। राज्य और विभाजन से होने वाले घाटे की भरपाई करने के लिए केन्द्र सरकार ने विशेष पैकेज का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 96 प्रतिशत खनिज और 78 प्रतिशत वन-क्षेत्र से मुक्ति के अतिरिक्त विभाजित बिहार को जिन उल्लेखनीय क्षेत्रों में क्षति हुई है वे हैं सामाजिक-आर्थिक संरचना, बड़े पैमाने के उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएँ जिनका प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास और राजस्व की सम्भाव्यता पर पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की माँग सामयिक और प्रासंगिक है।

आरंभ से ही बिहार आर्थिक चुनौतियों से जूझता रहा है। बिहार को इस आर्थिक विपन्नता से उबारने के सारे प्रयास विफल रहे। खनिजों का स्वामित्व दर और माल भाड़ा समानीकरण के लिए किये गये संघर्षों से प्राप्त उपलब्धियों के फलस्वरूप विकास की एक नयी धारा प्रस्फुटित होने की उम्मीद जगी थी, किन्तु 15 नवम्बर, 2000 ई॰ को राज्य विभाजन के साथ वह उम्मीद भी जाती

रही। सारा खनिज क्षेत्र झारखंड के हिस्से में रहा। अधिकांश उद्योग भी झारखंड में ही चले गये। बिहार को अंततः कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। बाढ़ और सुखाड़ का भार झेलता बिहार केवल कृषि के बलबूते कितना संघर्ष करे? ऊपर से आधारभूत संरचनाओं की विपन्न स्थिति विकास के मार्ग में और रोड़े अटकाती रही है। किन्तु, सौभाग्य से इधर हाल में बिहार राज्य की स्थिति में अब बदलाव आया है। यह बदलाव कई क्षेत्रों, यथा भौतिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक वित्त और समग्र शासन-प्रशासन में विद्यमान तथा दृश्यमान है। अगर संविधान के संघीय मूल्यों का सम्मान करते हुए भारत सरकार अति वांछित संसाधन सहयोग प्रदान करे, तो इन सबसे आज राज्य के विकास में उछाल आ सकता है। राज्य की ऐतिहासिक अभिवंचना को, जिससे राज्य आजादी के बाद भी पीड़ित होता रहा है तथा इस तथ्य को कि मानव विकास सूचकांक के लिहाज से बिहार विकास के अंतिम स्थान पर बरकरार है, ध्यान में रखकर खासकर भाड़ा समानीकरण के जरिए यह अत्यंत वांछित है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दे। इस श्रेणीकरण के साथ जो संसाधन सहायता प्राप्त होगी, उससे बिहार भौतिक अधिसंरचना के वर्तमान स्तर को ऊँचा उठाने के साथ-साथ मानव विकास को भी देश के शेष भागों की जैसी ऊँचाई तक पहुँचाकर अपने जारी विकास प्रयास को काफी आगे बढ़ा सकता है। अकेले इससे भी कृषि और उद्योग, दोनों प्रक्षेत्रों को समाहित करते हुए त्वरित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकता है। वस्तुतः बिहार के विकास की समस्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों की जवाबदेही है, अकेले राज्य की नहीं।

भारत का संविधान सभी प्रकार की असमानताएँ दूर करने के प्रति बहुत गंभीर है। चाहे वे व्यक्तियों के बीच हों या समूहों के बीच, क्षेत्रीय विषमता हो अथवा राज्यों के बीच की असमानता; यहाँ संविधान के अनुच्छेद 38(2) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जो राज्यों को असमानताएँ दूर करने की जवाबदेही केन्द्र सरकार को देता है। ''राज्य खास करके आय की असमानताएँ न्यूनतम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को व्यक्तियों के बीच ही नहीं, विभिन्न इलाकों में विभिन्न स्थानों पर रह रहे जन समूहों के बीच की भी असमानताओं को समाप्त

करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा।'' लेकिन संविधान के इस दिशा-निर्देश के बावजूद, बिहार के लोग व्यक्तियों और जनसमूहों के बीच मौजूद असमानताओं से पीड़ित हैं। राज्य के विभाजन के बाद शेष बिहार की अर्थव्यवस्था में गिरावट आयी है। विभाजित राज्य में सिर्फ 54 प्रतिशत क्षेत्रफल बचा है, जबकि जनसंख्या 75 प्रतिशत रह गयी है। इस राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई और जमीन व अन्य संसाधनों पर काफी दबाव बन गया है। अब राज्य में नाम मात्र का भी खनिज संसाधन नहीं बचा। अविभाजित बिहार में सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना की गयी थी और अधिसंरचनात्मक सुविधाओं को देखते हुए सिन्दरी, बोकारो, जमशेदपुर, राँची आदि में अच्छे शैक्षिक व तकनीकी संस्थान स्थापित हुए थे। तत्कालीन बिहार में जो भी पूँजी थी, वह इस अंचल में चली गयी। अब राज्य के विभाजन के बाद शेष बिहार को कमजोर शैक्षिक/संस्थानिक अधिसंरचना का भी सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार को बिहार के लिए विशेष पैकेज पर विचार करना चाहिए या फिर ऐसे राज्यों के लिए सुपुर्दगी के लिए विशेष मानक विकसित किये जाने चाहिए।

बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से सन् 1951 ई॰ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर है। राज्य के प्रति किये गये इस आर्थिक एवं राजनैतिक अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, जो सामाजिक न्याय एवं औचित्य के हित में नहीं है। फलतः राज्य अब भी हर तरह की समस्या से पीड़ित है; और तो और नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हो रहे थे, बिहार समेत सारे पिछड़े राज्य वंचित ही बने रहे। राज्यों का सामाजिक-आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार, जनसंख्या वृद्धि, अधिसंरचना, अवस्थिति और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसे विविध प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। यह भी अच्छी तरह ज्ञात है कि गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ापन एक ही साथ विद्यमान रहते हैं और एक-दूसरे को बल देते हैं। इनके दुष्चक्र को तोड़ने के लिए वित्तीय संसाधनों की उलब्धता एक पूर्व शर्त है। अतएव समता को प्रोत्साहित करने और राज्यों के बीच असमानता में कमी लाने के लिए विशेष सहायता एक अनिवार्य शर्त बन जाती है।

बिहार के औद्योगीकरण के लिए केन्द्र सरकार से विशेष सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने कोयला एवं अन्य खनिज पर प्राप्त हो रही रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की मांग की थी। बिहार की खनिज संपदा में वजन के आधार पर भारत सरकार से मूल्य की तुलना में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् में यह सवाल उठाया गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश एवं योजना सहायता बहुत कम है। बिहार की प्रतिव्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय से 61 प्रतिशत की कमी रही है। इसे पाटने के लिए आंतरिक संसाधन प्राप्त करने के उद्देश्य से खनिज की रॉयल्टी को मूल्य आधारित किया जाना उचित है। भारत सरकार सहमत नहीं हुई। खनिज स्वामित्व अधिनियम के तहत 'सेस' लगाने का अधिकार राज्य सरकार का है। अबतक रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत ही 'सेस' लगाया जा रहा था, जिससे बिहार को 25-30 करोड़ रुपयों की ही आय हुआ करती थी। बिहार की आर्थिक संपन्नता के लिए 1981 में खनिज संपदा पर मूल्य के आधार पर ही सेस लगाने का अधिनियम पारित किया गया। इसके फलस्वरूप बिहार की आमदनी बढ़कर 30 करोड़ से 500-600 करोड़ रुपये होने लगी। आज झारखंड सरकार को इस फार्मूला से हजार करोड़ की आमदनी हो रही है।

बिहार के हित में हमारी सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया था कि बिहार के आनुषंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा की जाय, जिसका लाभ छोटे उद्योगों को मिल सकेगा। मेरी सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर यह प्रावधान करने का निश्चिय किया कि अगर बिहार के आनुषंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद बड़े उद्योग नहीं करेंगे तो राज्य सरकार इन उद्योगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी। राज्य हित में तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने यह लिया था कि भारत सरकार द्वारा बिहार से औद्योगिक उत्पाद का जो हिस्सा अन्य राज्यों को भेजा जाता है, उन उत्पादों से बिहार को 'ट्रांसफर ऑफ स्टाक' के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। बिहार को 500 करोड़ रुपयों की वार्षिक क्षति होती थी। केन्द्र सरकार से यह माँग है कि राज्य सरकार को कनसाइनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाय। मेरी सरकार द्वारा चौथी बात यह कही गयी थी कि माल भाड़ा समानीकरण के कारण बिहार बड़े उद्योगों से वंचित रहा है, क्योंकि बिहार

के खनिज संपदा का मूल्य जो बिहार में था वह बिहार से बाहर मुम्बई, चेन्नई आदि में भी लागू रहा। सामान्यत: बड़े उद्योग घराने बिहार में उद्योग स्थापित करने की बजाय बिहार से बाहर उद्योग स्थापित करते रहे। माल भाड़ा समानीकरण के कारण बिहार को लगभग 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपयों की क्षति आंकी जा सकती है।

बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। यदि भारत सरकार तय करे कि सहायता अनुदान को केवल अवशेष तक सीमित रखा जाय, अर्थात् राजस्व बजट को संतुलित रखा जाय तो पिछड़े राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएँ शायद ही पूरी हो सकती हैं। केन्द्र सरकार योजना के प्रयोजनों के लिए राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार नहीं करती, इसलिए जिन वित्तीय आवश्यकताओं को योजना में समाविष्ट नहीं किया जाता, उनपर विचार करके उनकी पूर्ति की जाय। यह बताने की जरूरत नहीं कि संविधान में योजना और गैर-योजना खर्च का कोई भेद नहीं रखा गया है। गैर-योजना खर्च को पुराने, वर्तमान और पूर्व से चलते आ रहे खर्च तक सीमित रखा गया है और जो नये और सुचारू ढंग से चलने वाले कार्य संबंधी खर्च हैं, उन्हें योजना खर्च माना गया है। वास्तविकता यह है कि योजना अवधि के अंत होने तक पूरी की गयी योजना स्कीमों के रख-रखाव का खर्च गैर-योजना मद का वचनबद्ध दायित्व बन जाता है। जबतक गैर-योजना मद में बुनियादी सेवाओं के लिए प्रावधान नहीं हो जाता तबतक गरीब राज्यों के लिए शायद ही संभव हो सकेगा कि विकास कार्य में हाथ लगायें। हमारे देश में योजना और गैर-योजना का फर्क किये बिना समग्र रूप में देखे और वित्तीय सहायता देने की ऐसी प्रणाली बनाये कि राज्य की वित्तीय स्थिति में जान आये और वह चुस्त-दुरुस्त बन सके। असमान विकास और निरंतर चल रहे पिछड़ापन के कारण अल्प-विकसित राज्यों के क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए ऐसे राज्यों को मजबूत सहारा देने की जरूरत है। इसके लिए साहसपूर्ण और सुदृढ़ वित्तीय नीति बनानी पड़ेगी। आज पिछड़े राज्यों और विकसित राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को एक ही तराजू पर तौलकर अनुमान करने की जो प्रणाली बनी हुई है उसे त्यागकर पिछड़े राज्यों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

केन्द्र से दिये जानेवाले वित्तीय अंतरणों में और अधिक समानता आये इसके लिए जरूरी है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को अधिक-से-अधिक साधन-स्रोत मिले जिसकी आबादी अधिक है और जहाँ विकास की संभावनाएँ अधिक हैं। वितरण के सिद्धांतों में परिवर्तन लाना इस प्रयोजन की दृष्टि से जरूरी है। भारत सरकार से अनुरोध है कि वह -(1) अंतरण की ऐसी योजना बनाये जो संघ के आकलित अतिरेक, जो उसके पास केन्द्रीय लेवी के आर्थिक लाभों के चलते एकत्र हुआ हो, पर आधारित हो, और जिन राज्यों के बीच अंतरित किया जा सकता हो, ताकि वे संविधान द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा कर पायें (2) संघ की सकल राजस्व-प्राप्तियों में से कर की बांट और अनुदान के रूप में राज्यों को योजना और गैर-योजना मद में दी जानेवाली राशि का प्रतिशत बढ़ाये (3) अनुच्छेद 275 के अधीन दिए जानेवाले अनुदान का निर्धारण गैर-योजना राजस्व-अंतराल के आधार पर नहीं किया जाय, बल्कि उसका भुगतान राज्यों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाय- (क) राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किये गये कार्यक्रम के आधार पर खास-खास प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं के स्तरों के समान स्तरों को बनाने के लिए और (ख) साहाय्य खर्च जैसी विशेष परिस्थितियों में उठाये जानेवाले खर्च का जो भार राज्य के कोष पर पड़ता है उसे वहन करने के लिए (4) संविधान के अनुच्छेद 270 और 272 के अधीन विभाज्य करों और शुल्कों में से तथा अनुच्छेद 275 के अधीन साहाय्य अनुदान को बाँट देने में भारत सरकार को प्रतिरोधी न्याय का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसी के अनुसार एक ऐसा असमान सिद्धांत निर्धारित करना चाहिए, जो अंतर-राज्य विषमताओं को दूर करने में सहायक हो (5) आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की बाँट में केन्द्र उसी प्रकार का सिद्धांत अपनाये और राज्यों के बीच उन्हें बाँटने में ऊँचे दर्जे की प्रगतिशीलता दिखाये जिसमें राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए पिछड़ापन को अधिक महत्व दिया गया हो और (6) भागीदारी वाले करों के विभाजक पुल को काफी बढ़ाया जाय और उसमें राज्य की व्यापक वित्तीय जरूरतों को बजट में दर्शायी जानेवाली आवश्यकता मानकर शामिल किया जाय। इन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान सेवाओं के भौतिक मापदण्डों के आधार पर लगाया जाना चाहिए, जिनकी उपलब्धि का संधारण पिछड़े राज्यों को

भी करना चाहिए। व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात ज्यादातर राज्य की आर्थिक गतिविधि के स्तर व ऋण अवशोषण क्षमता पर निर्भर करता है और विकास में बैंकों की भूमिका को इंगित करता है। राष्ट्रीयकरण के बाद से राज्य के व्यावसायिक बैंकिंग प्रक्षेत्र का कई गुणा विस्तार हुआ है, लेकिन राज्य को उस अनुपात में लाभ नहीं हुआ है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उस दौर में पहुँचने की आशा की गयी थी जिसमें पिछड़े अंचलों और प्रतिकूलता के शिकार समूहों को व्यावसायिक ऋण आसानी से उपलब्ध होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और राज्य का ऋण-जमा अनुपात में भी 72 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के आधे से कम है। व्यावसायिक बैंक वस्तुतः राज्य से विरल पूँजी के पलायन का माध्यम बने हुए हैं।

योजना आयोग और वित्त आयोग, दोनों के उच्चस्तरीय उद्देश्यों के बावजूद बिहार पिछड़ा ही रहा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि गड़बड़ी क्या और कहाँ हुई? बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि योजना आयोग और वित्त आयोग, दोनों ही शिखर निकाय कमजोर राज्यों के लिए संसाधनों के अंतरण का कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकाल सके जो इन्हें विभिन्न विकास सूचकों के लिहाज से कम से कम राष्ट्रीय औसत तक तो पहुँचने में समर्थ बनाये। वित्त आयोग के बारे में कहें, तो उसने आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की प्राप्तियों के वितरण में किसी समरूप मापदंड का उपयोग नहीं किया है। अलग-अलग आयोगों ने अलग-अलग मापदंड का उपयोग किया। सातवें वित्त आयोग के एक सदस्य ने इस संबंध में पाया कि विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत विभाजन योग्य आयकर राजस्व और उत्पाद राजस्व के आवंटन के लिए कोई वैधानिक या आर्थिक आधार नहीं दिखता है। अतएव जिस चीज की जरूरत थी, वह मापदंडों का चुनाव था जो समानीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए पिछड़े राज्यों के हित में मान्य ढंग से झुका हो।

भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव आया है और हाल के वर्षों में वृद्धि दरें त्वरित हुई हैं। तथापि, उदारीकरण के परिणामस्वरूप, पूँजी और श्रम का गरीब राज्यों से संपन्न राज्यों की ओर पलायन हो रहा है। जिन राज्यों को सुधार से लाभ न होकर बेहतर राज्यों की ओर निवेश योग्य संसाधनों के पलायन से हानि ही हुई है, उन्हें उन खास कमजोरियों को दूर करने के लिए

अवश्य मदद की जानी चाहिए, जिन्होंने उन्हें पिछड़ा बना रखा है। आमतौर पर निवेश दर को किसी अर्थव्यवस्था में विकास का एक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है जो अधिकांशत: अधिसंरचना से संबंधित होती है। हम जानते हैं कि अधिसंरचना एक बहुदिशायी एवं बहुआयामी अवधारणा है। बहरहाल, अधिसंरचना की गुणवत्ता किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नितांत महत्वपूर्ण है; क्योंकि वह निवेशकों व उत्पादकों को औद्योगिक गतिविधियाँ आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बिहार में यह अत्यंत बुरी अवस्था में है, जिसके चलते निवेशक राज्य में निवेश करने से हिचक रहे हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति भौतिक अधिसंरचना की विपन्नता के जरिए पाली-पोसी गयी है और वर्तमान स्थिति केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अपनायी जाने वाली गलत नीतियों का परिणाम है।

सुधारों से लाभान्वित न हुए राज्यों को सहायता देना निहायत जरूरी है। गरीब राज्यों के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार और वृद्धि करना ही हो सकता है। गरीब राज्यों को ऐसे अधिसंरचनात्मक निवेश की जरूरत अधिक है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उनके पास कम वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। जबतक उनके अधिसंरचनात्मक व सेवा संबंधी स्तर इस अवस्था में न पहुँच जायँ कि वहाँ निजी निवेश का अच्छा-खासा प्रवाह होने लगे, इसके लिए आवश्यक संसाधनों को तब तक केन्द्रीय पुल से ही आना है। अधिसंरचना एक महत्वपूर्ण एवं मुख्य मानदंड है। इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्यों को न्यायोचित ढंग से संसाधन उपलब्ध कराये। अगर एक अधिसंरचना सूचकांक बनाया जाय और संवितरण के स्तरों को इससे जोड़ दिया जाय, तो ऐसा करना बिल्कुल संभव है। निवेश वातावरण सूचकांक एक अधिक उपयुक्त सूचक हो सकता है। इसी प्रकार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत को संवितरण योजना में एक अलग कारक के रूप में शामिल करना जारी रखना चाहिए जिससे इसे पर्याप्त ऊँचा भार देने के जरिए बिहार जैसे गरीब राज्य के साथ न्याय हो।

यह नितान्त आवश्यक है कि राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार के ऋण का जो बोझ है उससे बिहार को मुक्ति दे दी जाय जैसा कि अनेक अवसरों पर

कई अन्य राज्यों के मामलों में किया जा चुका है। वस्तुत: जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष कोटि के राज्य का दर्जा दिया जाय और उसी के अनुरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाय। अलग झारखण्ड राज्य बन जाने के बाद बिहार में औद्योगिक इकाइयाँ लगभग नहीं रह गयी है। अत: बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करने की दृष्टि से बिहार में आयकर, केन्द्रीय उत्पाद कर और केन्द्रीय बिक्री-कर की रियायत देनी होगी। केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों में स्थापित की जानेवाली नयी औद्योगिक इकाइयों को दस वर्षों तक इन करों से मुक्त करने के उपबंध किये हैं। अत: वैसी सुविधा बिहार को भी मिलनी चाहिए। लघु उद्योग इकाइयों के राज्यस्तरीय अध्ययन के अनुसार बिहार की 70 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयाँ बीमार अथवा बंद हैं। हालाँकि आवश्यक सहायता देकर 60 प्रतिशत इकाइयों को पुनर्वासित-पुनर्जीवित किया जा सकता है। इससे उनकी पूँजीगत परिसंपत्तियाँ फिर से उत्पादक उपयोग में लग सकेंगी। ये रोजगार के विशाल अवसर उपलब्ध कराने के अलावा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि में भी योगदान करेंगी। केन्द्र सरकार इस पहलू पर भी विचार करे और बीमार/बंद इकाइयों के पुनर्वास के लिए कुल ऋण का न्यूनतम 50 प्रतिशत विशेष सब्सिडी अनुदान के रूप में प्रदान करने की अनुशंसा करे।

बिहार को आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटा के कारण केन्द्र से विशेष सहायता फौरी रूप में मिलती रहे- यह संपूर्ण आंतरिक विकास और देश की राजनीतिक स्थिरता दोनों के हित में जरूरी है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, बिहार जैसे बड़े राज्य के आर्थिक पिछड़ापन के बंधनों को तोड़ नहीं सकती। राज्य में बसी मात्र मानव-आबादी के कारण कोई भी राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व की कीमत पर ही इसके हक को मारना जारी रख सकती है अथवा इसे वंचित रखना जारी रख सकती है। इस प्रकार बिहार में एक सक्रिय राजकीय हस्तक्षेप का मुश्किल से विरोध हो सकेगा। उन सभी पाँच शर्तों पर- यथा, कमजोर आधारभूत संरचना, संसाधन का कमजोर आधार और बड़े-बड़े बाजारों से दूरी, भौगोलिक अलगाव, पहुँच के परे स्थान एवं आर्थिक सक्षमता, जिनका व्यवहार योजना आयोग और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा बहुधा किया जाता है। बिहार खरा उतरता है। अधिक नहीं,

तो समान रूप से अवश्य ही विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की तरह बिहार की स्थिति बनी हुई है। मात्र गरीबी ही इस राज्य को बुरी तरह से पंगु नहीं बनाती, अपितु इसकी संरचनात्मक परिस्थिति बिहार को चिरंतन और सतत विद्यमान वह चरित्र भी प्रदान करती है, जो चरित्र अन्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में प्राप्य नहीं है। संरचनात्मक परिस्थिति प्रकट होती है राज्य के घाटा बनाम उपर्युक्त पाँच शर्तों के ऐतिहासिक अध्ययन से। देश के किसी भी राज्य की गरीबी से बिहार की आधारभूत संरचना की हीनता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बिहार में आधारभूत संरचना का पिछड़ापन तो ऐतिहासिक रूप से राज्य को वंचित रखे जाने की लंबी दास्ताँ बयान करता है, जिसका सामना औपनिवेशिक सरकार के समय से बिहार करता रहा है।

आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के संबंध में बिहार सरकार की ओर से आवाजें उठाई जा रही हैं। यह बिहार के विकास के लिए किए जा रहे संघर्ष की दिशा में एक ऐतिहासिक तथा सराहनीय कदम है। राज्य की तरक्की में बेरोजगारी बड़ी बाधक है। वहीं, रोजगार के लिए नये उद्योगों की स्थापना बड़ी जरूरत। हालांकि मौजूद बिजली संकट ने उद्योगों की स्थापना की राह में कांटें बिछा दिये हैं। वैसे पूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा 2015 तक बिजली के मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के एजेंडे पर काम शुरू किया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम चलायी जा रही है। दरअसल, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उद्योगों की एक्साइज डयूटी माफ हो जाती है। इससे उद्योगपति निवेश के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बिहार सरकार को उम्मीद थी कि विशेष राज्य के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय मंडलीय समूह राज्य की बाढ़ जैसी समस्याओं पर गौर करके उसे विशेष दर्जा देने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा, लेकिन समूह ने उन बिन्दुओं पर विचार किया जिसके तहत विशेष राज्य की मांग को खारिज किया जा सके। बिहार में कृषि आधारित व्यवस्था है, लेकिन कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। यहाँ के सवा करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। गरीबी दर 57 प्रतिशत है। औद्योगिक विकास नगण्य है। बिजली उत्पादन की हालत खराब है। यह ऐसा राज्य है जहाँ एक ही समय में उत्तर बिहार बाढ़ की विपदा झेलता है और दक्षिण बिहार में सूखे की स्थिति रहती है। प्रति व्यक्ति निवेश भी कम

है। देश में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश का राष्ट्रीय औसत 4144 रुपए हैं, जबकि बिहार में यह सिर्फ 395 रुपए हैं। वैसे, विशेष राज्य का दर्जा देने से केन्द्र सरकार के इनकार के बाद भी बिहार सरकार ने प्रयास नहीं छोड़ा है। केन्द्र सरकार को इसके लिए विशेषज्ञों की टीम गठित करनी चाहिये। बिहार कई मामलों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। ऐसे में विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होने के लिए राज्य को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। जब बिहार को विशेष राज्य के तहत सहूलियतें, रियायतें और उद्यमियों को मदद मिलेगी, तभी इसके विकास की रफ्तार तेज होगी। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने अब तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है। इधर, अपने संसाधनों के बूते राज्य के औद्योगिक विकास की बुनियाद रखी जा रही है। बिहार राज्य औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद् की ताजा बैठक में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रोड-मैप तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है। यह रोड-मैप देश के कॉरपोरेट दिग्गज राज्य सरकार के साथ मिलकर तैयार करेंगे। इसके लिए परिषद् की विशेष कमिटी बनाने का फैसला किया गया है। सरकार का जोर एग्रो-इंडस्ट्री, ग्रामीण विकास और रोजगार पर है। इसके साथ ही बिजली संकट दूर करने की कार्य योजना बनायी जा रही है। कृषि आधारित उद्योग, वैल्यू एडेड फार्मिंग और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने की योजना है। सरकार उम्मीद करती है कि प्रदेश में अगले दो साल में बड़ा निवेश होगा। राज्य में अबतक सवा दो हजार करोड़ का निवेश हुआ है, जबकि दो लाख करोड़ के प्रस्ताव पाइप लाइन में हैं। राज्य उद्योग प्रोत्साहन बोर्ड ने कुल 838 कम्पनियों के प्रस्ताव को सहमति दी है। इनमें 31 कम्पनियाँ ऐसी हैं जो दस करोड़ रुपयों से अधिक की पूंजी लगाएंगी। 11 कम्पनियाँ 5 से 10 करोड़ के बीच पूंजी लगायेंगी। पांच करोड़ से कम पूंजी लगाने वाली कम्पनियों की संख्या ज्यादा है। इन उद्योगों में सीमेंट, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, बिस्कुट, रिफाइंड आयल, खाद्य प्रसंस्करण, चीनी मिल, डिटर्जेंट और शैक्षणिक संस्थान जैसी इकाइयाँ शामिल हैं। वैसे, कुल प्रस्तावों में से 89 में ही अभी काम शुरू हो पाया है। यह कुल स्वीकृत प्रस्तावों का दस प्रतिशत है। डेढ़ सौ प्रस्तावों के मामले में काम अभी शुरुआती स्तर पर है। एक समस्या यह भी सामने आ रही

है कि जिन कुछेक कंपनियों ने पहले प्रस्ताव दिये थे अब वे काम में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए जो नयी औद्योगिक नीति लागू की उसमें बिजली की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है। कोल लिंकेज नहीं मिल पाने के कारण बिजली के प्रोजेक्ट अधर में हैं। राज्य सरकार मानती है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के कारण ही बड़े उद्योगपति इस ओर रुख नहीं कर रहे हैं। वैसे, बरौनी तापघर के लिए काफी प्रयास के बाद टैपरिंग कोल लिंकेज मिला है। इसके अलावा बाढ़ विद्युत् थर्मल पावर स्टेशन फेज एक से 25 फीसदी और फेज दो से 50 फीसदी बिजली मिलेगी। राज्य प्रोत्साहन परिषद् ने विगत साल में चार हजार करोड़ की लागत से 154 इकाइयों को मंजूरी दी है। फिलहाल, 1307 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन चल रहा है। विगत साल 178 इकाइयों को भूमि आवंटित हुई है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि बिहार आज जिन परिस्थितियों में है, उनके मद्देनजर सभी प्रक्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत के स्तर तक बिहार को पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे और वित्तीय पैकेज दे।

बिहार की पीड़ा से जुड़िए की भावना से समय-समय पर राज्य के लोगो की पीड़ा के कारणों और उस पीड़ा से निवृत्त होने के उपायों पर भी एक प्रकार से मैंने पूर्णरूप में तथ्यों-तत्वों का व्यक्त किया है। ऊपर में वर्णित स्थिति की अभिव्यक्ति तो इसका प्रमाण है। सप्तम वित्त आयोग की रिपोर्ट के समय ही मैंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आह्वान करता रहा हूँ। दिनांक 21 जुलाई, 2016 के दैनिक जागरण, पटना के अखबार के प्रथम पृष्ठ पर ही अंकित वाक्य इस सोच का अकाट्य प्रमाण हो सकता है- **वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बयां सूबे का दर्द।** इस शीर्षक के अन्तर्गत सुभाष पाण्डे के हवाले से दैनिक जागरण ने जो समाचार प्रकाशित किये हैं वे अक्षरशः इसप्रकार हैं- चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा में केन्द्रीय कर बंटवारे के मौजूदा फार्मूले से बिहार को नुकसान हो गया है। इसका ज्यादा लाभ विशेष दर्जे वाले हिमाचल, मिजोरम जैसे राज्य उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिसा जैसे वन क्षेत्र वाले राज्यों को भी अपेक्षाकृत इसका ज्यादा मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक की बुधवार को जारी रिपोर्ट 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेड जून 2016 में

इसका खुलासा हुआ है। बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किए जाने को चुनावी मुद्दा बनाया था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इसकी तसदीक कर रही है।

ऐसी आशा की जाती है कि केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राज्य देने के सम्बन्ध में अपनी उदार नीति का उपयोग करते हुए गंभीरतापूर्वक केवल विचार ही नही करेगी बल्कि अनुकूल निर्णय इसलिए ले सकती है कि जो राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि वन-सम्पदा के कारण बिना विशेष राज्य हुए भी लाभांवित हो रहे है। बिहार सर्वथा उन लाभों से बुरी तरह वंचित है।

❐

3

भूमि सुधार एवं बटाईदारी की समस्या

भारत के अधिकांश भाग में आज भी भूमि एक ऐसी अहम पूंजी है जो जीवन के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तंत्र का मूल आधार है। गांव, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों मे बसने वाले लोगों के जीवन का आधाार आज भी भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित व्यवसाय ही है, जैसे कृषि व बागवानी या भेड़/बकरी पालन। देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि न केवल जीवनयापन का साधन है वरन वहां बसने वाले लोगों के लिए 'नागरिकता का आधार व प्रमाण भी है। अत: 'भूमि अधिकार' व प्राकृतिक संसाधनों तक आम आदमी की पहुंच केवल आर्थिक अधिकार का प्रश्न ही नहीं, वरन ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले सभी लोगों के आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। भूख और गरीबी से मुक्ति के संदर्भ को सिर्फ अर्थ व्यवस्था से जोड़कर देखा नहीं जा सकता, बल्कि भूमि समग्र विकास का मुख्य केन्द्रित प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन जैसे जल, जंगल और जमीन से ही आर्थिक विकास, आजीविका, आवासीय भूमि, औद्योगिक स्रोतो में बढ़ावा, अनेक रोजगार सृजन के अलावा समाज में मानवीय पहचान का बोध तथा सामाजिक सम्मान के साथ आजीवन जीने का एक अनोखा अवसर प्रदान करती है। मानव के जीवन काल से लेकर मृत्यु समय तक जमीन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि की उपयोगिता मानव समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त जीवों, प्राणियों के लिए जीवनदायिका है। जिस तरह से हरेक प्राणी को हवा, पानी के बिना जीना मुश्किल हो जाता है उसी तरह से भूमि के बिना मानव जीवन अधूरा है।

आर्थिक सुधार और उदारीकरण के दौर में भूमि सुधार की प्राथमिकता नहीं रही, इसके फलस्वरूप ग्रामीण स्तर पर सामाजिक तनाव एवं हिंसात्मक घटना लगातार बढ़ती गयी। गांधीवादी, चिंतक श्री पी०व्ही० राजगोपाल के नेतृत्व में एकता परिषद् के जन आधारित अभियान से प्रभावित होकर इसका आकलन करने के बाद भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार आयोग का गठन देश में भूमि सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। देश में भूमि सुधार की मांग लगातार उठती रही है। समाज और देश की अनेक समस्याओं की जड़ में भूमि सुधार का न होना और भूमि का असमान वितरण भी है। इस दिशा में छिट पुट प्रयास भी हुए हैं, मगर इन प्रयासों का हाल यही है कि आजादी के बाद के 69 वर्षों में देश में भूमिहीनों की संख्या बढ़ती गयी है। इस दौरान विकास के नाम पर लाखों लोग विस्थापित भी होते रहे और पुनर्वास के नाम पर आमतौर पर ठगे भी जाते रहे हैं। कई विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि आर्थिक-सामाजिक असमानता देश की सबसे बड़ी चुनौती है, जो नक्सली समस्या के मूल में है और ग्रामीण इलाकों में इसका कारण सीलिंग कानून का लागू न हो पाना और अघोषित जमींदारी का बना रहना है। ऐसे में भूमि सुधार आयोग का गठन सही दिशा में सही कदम साबित हो सकता है, बशर्ते सरकार की मंशा सही हो और वह भूमि सुधारों के प्रति सचमुच संजीदा हो, उसमें इच्छाशक्ति भी हो। इसलिए सिर्फ आयोग के गठन से यह मान लेना जल्दबाजी भी हो सकती है कि निकट भविष्य में देश के भूमिहीनों, विस्थापितों आदि के कष्टों का निवारण हो जायेगा। इसलिए भी कि आयोग का काम सिर्फ सिफारिश करना होता है, जिसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। यह संदेह तो होता ही है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपरिहार्य मानने वाले भूमि सुधार को जरूरी कैसे मान सकते हैं। यदि सरकार सचमुच देश के आमलोगों का हित चाहती है, तो उसे भूमि सुधार को प्राथमिकता देनी ही चाहिए।

हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गरीबों को जमीन का अधिकार देकर उनकी खेती सुनिश्चित करने से एक ओर जहाँ उपज बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर गरीबों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी इससे उनकी सामाजिक हैसियत भी बदलेगी। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, राजनीतिक

इच्छाशक्ति एवं नौकरशाहों में प्रतिबद्धता की कमी, कानून में मौजूद खामियों, भूस्वामियों की दाँव-पेच की व्यापक क्षमता, गरीबों के बीच संगठन का अभाव और अदालतों की अत्यधिक दखलंदाजी की भेंट चढ़ गया।

भूमि सुधार राष्ट्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण मुद्दा आज भी बना हुआ है। भूमि सुधार संबंधी नीति में इस तरह के उपाय करने की आवश्यकता है कि जमीन के मामले में समाज में समानता आये, भूमि संबंधों में किसी तरह के शोषण की गुंजाईश नहीं रहे तथा युग-युग से बना यह लक्ष्य पूरा हो सके कि जोतनेवाले को जमीन मिले। भूमि सुधार का उद्देश्य है कि मध्यवर्ती हितों का अस्तित्व समाप्त किया जाय, हदबंदी से फ़ाजिल जमीन का फिर से वितरण हो, कृषि भूमि की चकबंदी की जाये तथा भूमि-अभिलेखों को अद्यतन बनाया जाये। बिहार में इस दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। मुकदमों में फंसी जमीन को न्यायालय से छुड़ाकर गरीबों और कमजोर वर्गों में बांटने का महत्वपूर्ण कार्य आज भी शेष है। वितरण के लिए बहुत कम अतिरिक्त जमीन भूस्वामियों से प्राप्त की जा सकी। इस निराशाजनक स्थिति में यह शायद ही संभव था कि भूमि सुधारों का कुछ ठोस लाभ अनुसूचित जातियों को मिल पाये। 1990 में जनता दल की सरकार के गठन के बाद यह उम्मीद बनी थी कि कम से कम भूमि सुधार की दिशा में बिहार सरकार काम करेगी पर, इसमें वोट की राजनीति बाधा बन गयी। सवर्ण जातियों के हाथों से धीरे-धीरे जमीन निकलकर मध्यवर्ती पिछड़ी जातियों में चली गई है। खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों के प्रति मध्यवर्ती पिछड़ी जातियों के व्यवहार कम क्रूर नहीं हैं। नव सामंत बनी मध्यवर्ती पिछड़ी जातियां भी सवर्णों की तरह ही भूमि सुधारों के खिलाफ हैं। इसलिए बिहार सरकार सख्त बटाईदारी कानून बनाने, उसे लागू करने और गैर मजरूआ जमीन नाजायज कब्जे से निकालने में सरकार ने रुचि नहीं दिखायी। बिहार में नक्सलियों और भूमिपतियों के बीच कई नरसंहार इन्हीं दो समस्याओं से उत्पन्न झगड़ों को लेकर हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि ग्राम पंचायतों को अधिकार मिल जाने के बाद गांव स्तर पर कुछ फर्क आयेगा। पर क्या ऐसा हो पायेगा? अभी तो बिहार के 80 प्रतिशत ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि एक रोजगार गारंटी कानून भी है, जिसके तहत सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। उस कानून के तहत साल में सौ दिन मजदूरों

को रोजगार देने का प्रावधान है। जैसी सूचना मिलती है इस मद के पैसों की ऊपर ही ऊपर बंदरबांट हो रही है। भूखमरी के कगार पर खड़े मजदूर नक्सलियों की कतार के मजबूत 'सैनिक' बन रहे हैं। विकास व राहत के सरकारी पैसों की लूट के बाद नक्सली समस्या को बढ़ाने वाला एक बड़ा तत्व बच जाता है वह है भूमिपतियों का सामंती मिजाज जो अब भी बरकरार है। पहले यह कहा जाता था कि ऊँची जातियों में पैदा होने के कारण ही ऐसा मिजाज तैयार होता है। पर अब नव धनाढ्य नव अर्द्धसामंत मध्यवर्ती पिछड़ी जातियां भी उसी तरह के तेवर दिखा रही हैं।

(क) डी॰ बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग की हदबंदी संबंधी सिफारिशें

कृषि भूमि और गैर-कृषि भूमि के विभेदीकरण को खत्म किया जाना चाहिए और शब्दकोश के सामान्य अर्थ में भूमि को परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि किसी को भूमि का एक हिस्सा कृषि भूमि और दूसरा हिस्सा अन्य रूपों में दिखाकर हदबंदी के प्रावधानों से बच निकलने का मौका या विकल्प न मिले (विदित हो कि मौजूदा बिहार भू-हदबंदी कानून में भूमि छह श्रेणियों में बांटी गई है और उसी के अनुरूप हदबंदी की छह अलग मात्राएं हैं : 15, 18, 25, 30, 37,और 45 एकड़ की) (2) इसी सामान्य परिभाषा के मुताबिक भूमि की हदबंदी की जाय, न कि भूमि के किसी खास वर्गीकरण के मुताबिक (3) बागवानी, बगीचा, आम/लीची के बाग, मछली-पालन तथा भूमि उपयोग की अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लिए जो आम छूटें दी गई हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए (4) जैसाकि हदबंदी कानून की धारा 4 में पहले से ही उल्लिखित है, 5 या अधिक व्यक्तियों के एक परिवार के लिए हदबंदी 15 मानक एकड़ होना चाहिए। अगर किसी परिवार के पास बागवानी, बगीचा आदि है, तो उसे ही यह तय करना होगा कि वह बाग-बगीचे का ही 15 एकड़ रखेगा या फिर धान/गेहूँ की भूमि का 15 एकड़ चुनाव उन्हें ही करना होगा। (5) मठों व मन्दिरों, चर्चों आदि समेत धार्मिक संस्थाएं, जिनकी मौजूदगी 1950 से है, उन्हें 15 एकड़ भूमि रखने की इजाजत दी जाएगी। अनेक देवताओं वाले एक मन्दिर को एक संस्था के बतौर एक ही हदबंदी मिलेगी (अलग-अलग देवताओं के नाम से नहीं)। एक मन्दिर को एक एकल इकाई के बतौर माना जाएगा और

यदि एक कैम्पस या संलग्न कैम्पस में अनेक मन्दिर हैं, तो वे भी एक ही इकाई के तहत होंगे (6) चीनी मिलों की उनकी स्थापना के वक्त 100 एकड़ भूमि की रियायत दी गई थी। अब यह सिद्धांत पुराना पड़ गया है कि किसी मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण) इकाई में प्रारंभिक उत्पादन के साथ पिछड़ा संबंध होता है। इसलिए उत्पादन के लिए मसलन कारखानों के मजदूरों व अधिकारियों के क्वाटर्स, अस्पताल, गोदाम, परिवहन के लिए पार्किंग की जगह आदि के लिए मिलों को जितनी भूमि की जरूरत है, उतने के अलावा उनके नियंत्रण में पड़ी शेष भूमि को सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए। उन्हें सीधे तौर पर उत्पादन के लिए उपयोग की भूमि के अलावा 15 एकड़ की एक यूनिट दी जानी चाहिए (7) अनुसंधान संगठनों कृषि विश्वविद्यालय/कॉलेजों और उसी किस्म की संस्थाओं के साथ ही उनके अंतर्गत प्रस्तावित औद्योगिक व वाणिज्यिक यूनिटों आदि के बारे में सरकार को यह अधिकार होगा कि वह भविष्य में इन संस्थाओं/संगठनों को, उनकी स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हदबंदी की एक यूनिट से अधिक भूमि की इजाजत दे सकती है। इसे अलग-अलग मामले के अनुसार व्यवस्थित तौर पर किया जाना चाहिए। सरकार के साथ संगठन/संस्था को व्यवहार्य समझौता में जाना होगा और वे अगर समझौते के अनुरूप भूमि का उपयोग नहीं करते हैं, तो सरकार द्वारा उस भूमि को वापस ले लिया जाएगा (8) बिहार भूमि सुधार कानून 1950 में बना। उसके पहले 19 जुलाई, 1949 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भूमि सुधार कमेटी (कुमारप्पा कमेटी) ने जमींदारी उन्मूलन और सख्त हदबंदी कानून के कार्यान्वयन की बाबत पूर्व सचेत हो गये थे। एक हदबंदी बिल 1955 में पेश हुआ। वह कानून का रूप नहीं ले सका। फिर हदबंदी कानून 1960 में बना तथा 1961 संशोधित कानून को 9 सितम्बर, 1970 को कार्यकारी बनाया गया। इस प्रकार भूस्वामियों को जाल फरेब बुनने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, विभिन्न माध्यमों से अपनी संभावित हदबंदी अतिरिक्त भूमि को हटा देने के लिए स्पष्ट तौर पर दो दशक का समय मिल गया। लिहाजा कानून की धारा 3 के खंड 5 के उपखंड 1 में, जो 1959 के 22 अक्टूबर को कट ऑफ तारीख के रूप में माना गया है, वह तर्कसंगत नहीं है। इस तरह हदबंदी के उद्देश्यों को नाकाम कर देने के वास्ते, पंजीकृत साधनों या अन्य तरीकों से किये गये

भूमि हस्तांतरण का पता लगाने के लिए कोई तारीख न तय करना ही बेहतर होगा और अगर कोई तारीख तय करनी ही हो, तो वह 19 जुलाई, 1949 होनी चाहिए, जिस दिन कुमारप्पा कमेटी द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई थी (9) हदबंदी कानून को नाकाम करने के लिए ट्रस्ट निर्माण सहित, भूमि के किसी संदेहास्पद हस्तांतरण की जांच के वास्ते आमतौर से अधिकारियों को शक्ति संपन्न बनाने के अलावा, बेनामी हस्तांतरण (संपत्ति पुनर्प्राप्ति अधिकार निषेध) कानून 1989 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि बेनामी भूमि हस्तांतरण के जरिए हदबंदी कानून के साथ की गई धुरफंदी के मामले को फिर खोला जा सके और उन्हें रद्द किया जा सके। अगर हदबंदी कानून से बचने के लिए 15 एकड़ की हदबंदी सीमा से अधिक किसी भूमि का लेनदेन या हस्तांतरण हस्तांतरणकर्ता और उसके परिवार को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है, तो उसकी छानबीन की जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया के बाद उसको रद्द किया जाना चाहिए (10) भूमि रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण करके हदबंदी कानून के वास्तविक और संदेहास्पद उल्लंघनकर्ता के नामों की अलग से फाइल खोला जाना चाहिए, ताकि हदबंदी की एक यूनिट लागू करने के लिए उनकी विभिन्न जिलों में अवस्थित भूमि को एक ही फाइल में दर्ज किया जा सके (11) हदबंदी कानून को लागू करने के वास्ते विशेष एकल लाइन (सिंगल) प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि सुधार कमिश्नर के मातहत सेटलमेंट कमिश्नर (बंदोवस्ती आयुक्त) के बतौर डिविजनल (प्रमण्डल) कमिश्नर की नियुक्ति के साथ-साथ होनी चाहिए। प्रत्येक जिले में डिविजनल सेटलमेंट कमिश्नर के मातहत सेटलमेंट अधिकारी होना चाहिए। हर सबडिविजन (अनुमण्डल) के लिए जिला सेटलमेंट अधिकारी के मातहत सहायक सेटलमेंट अधिकारी होना चाहिए। हर प्रखण्ड/ राजस्व अंचल में सहायक सेटलमेंट अधिकारी के मातहत एक कानूनगो होना चाहिए। इस श्रेणीक्रम की बुनियाद में सर्वेयर और अमीन होने चाहिए। इस काम के लिए सहायक सेटलमेंट अधिकारी को अंचल अधिकारी के अधीन कार्यरत मौजूदा राजस्व अधिकारियों का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार होगा। यह व्यवस्था किसी भी तरह से मौजूदा श्रेणीक्रम के प्राधिकार को कमजोर नहीं करेगी (12) हदबंदी सीमा के अधिक भूमि की सही घोषणा नहीं करने पर भूस्वामियों के खिलाफ आपराधिक

कार्रवाई के लिए हदबंदी कानून में प्रावधान होना चाहिए। आपराधिक कार्यवाहियों में समुचित दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए (13) उसी प्रकार उन अधिकारियों के खिलाफ भी हदबंदी कानून में एक दंडात्मक धारा समाविष्ट किया जाना चाहिए, जो स्वेच्छापूर्वक और इरादतन भूस्वामियों की हदबंदी कानून से बचने में मदद करते हैं (14) अपनी के मुकदमों को जल्दी निपटाने के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 323-बी के तहत भूमि ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) अथवा त्वरित न्याय अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की स्थापना की जा सकती है। चूकि हदबंदी से संबंधित मुकदमों के लिए त्वरित न्याय अदालत की स्थापना की जाएगी। अत: हदबंदी के तमाम मामलों में दीवानी कोर्ट का दायरा वर्जित किया जाना चाहिए (15) अनुपस्थित भूस्वामियों और या प्रवासी भूस्वामियों-जिन्हें हदबंदी का एक यूनिट आवंटित की जा सकती है, उनसे यह विकल्प जानने के लिए पूछा जाना चाहिए कि वे खुद अपनी खेती के जरिए भूमि का इस्तेमाल करना चाहेंगे अथवा फिर उसे सरकार को दे देना पसंद करेंगे। इनके निर्णय के लिए उन्हें तीन साल का समय दिया जा सकता है (16) जिस भूमि को एक बार हदबंदी से अधिक भूमि घोषित कर दिया गया है और अगर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उस पर कोई याचिका दायर नहीं होती है, तो समय सीमा गुजर जाने के बाद उसे तत्काल उपयुक्त व्यक्ति को बंदोबस्त कर दिया जाना चाहिए (17) सबडिविजनल अधिकारी पर्चा आबंटन के साथ-साथ पर्चाधारियों को भूमि पर कब्जे की गारंटी दिलाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। किसी एक ऐसे मामले में जिसमें एक व्यक्ति के पास वैध पर्चा है पर उस पर्चे में उल्लिखित भूमि पर उसका वास्तविक कब्जा नहीं है। ऐसी सूरत में संबंधित अधिकारी के खिलाफ लापरवाही, अक्षमता तथा पुराने भूस्वामियों और माफिया के साथ गुप्त सहयोग के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मामले घटित न हो पाए इसे सुनिश्चित करने के लिए सबडिविजनल अधिकारी खासतौर से जिम्मेवार होगे। अगर पुराने पर्चाधारियों को पर्चे में उल्लिखित भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जाता है, तो इसके लिए भी सबडिविजनल अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा (18) स्त्री-पुरुष समानता को सुनिश्चित करने के लिहाज से हदबंदी से अधिक भूमि का वितरण, निरपवाद रूप से संयुक्त स्वामित्व के आधार पर पति-पत्नी के नाम से किया जाना चाहिए। उसी उसूल

के आधार पर स्त्री पुरुष के नाम से पर्चा आबंटित करने के लिए राजस्व अधिकारी को स्त्री प्रधान परिवार का पता लगाना चाहिए (19) बहुत सारे मौजूदा मिलों, कारखानों, संस्थाओं, संगठनों के पास उनके स्वामित्व व कब्जे में भारी मात्रा में भूमि है। ऐसे मामलों की पड़ताल के लिए सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि इन संस्थाओं ने जिस काम के लिए भूमि ली थी उसमें इसका उचित तौर पर उपयोग किया है या नहीं। उसके बाद उनके फर्म का और निकट भविष्य में प्रतिबद्ध विस्तार कार्यक्रम का जायजा लेकर अतिरिक्त भूमि को पुनः ले लेने और या उसे फर्म को चलाने के लिए उन्हें आवश्यक अधिक भूमि रखने की अनुमति देने की सरकार को अधिकार होगा। यह उसूल आवश्यक परिवर्तन के साथ भविष्य में किसी नई यूनिट के लिए लागू हो सकता है (20) राज्य का फौरी कार्यभार होना चाहिए हदबंदी से अधिक भूमि को 16.68 लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्रति परिवार के हिसाब से एक एकड़ और 0.66 एकड़ के बीच आवंटित करना और 5.84 लाख आवासहीन गैर कृषि ग्रामीण मजदूरों को प्रति परिवार के हिसाब से कम से कम 10 डिसमिल भूमि आबंटित करना। ये अर्द्धबंधुआ की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वे भूस्वामी की भूमि पर रहते हैं। ये दोनों उपाय ग्रामीण बिहार में महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण की शुरुआत करने में मदद करेंगे।

(ख) भूदान की जमीन : टिप्पणियां और सिफारिशें

भूदान यज्ञ कमेटी के आंकड़े के मुताबिक भूदान की जमीन 6,48,476 एकड़ हैं इसमें 2,55,347 एकड़ कुल 3,15,545 परिवारों में वितरित कर दी गई है और 2,78,320 एकड़ वितरण के लायक नहीं है। इसके अलावा कमेटी के रिकार्ड में दर्ज 1,14,708 एकड़ जमीन वितरण लायक है, जिसका वितरण अभी तक नहीं हुआ है। डी॰ बंधोपाध्याय आयोग ने सवाल उठाया है कि जिस जमीन को वितरण लायक नहीं घोषित किया गया है, उसकी स्थिति की जांच किसने की है? यह स्थानीय झगड़े और सामाजिक तनाव के साथ-साथ भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग का स्रोत है। आयोग का विचार है कि भूदान कमेटी और राजस्व विभाग की ओर से इसकी जांच की जाए और आगे की कार्यवाही की जाए। भूदान कमेटी के पास इस भारी कार्य को करने

के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। लिहाजा राजस्व विभाग को जरूरी संसाधन मुहैया करना है। साथ ही आयोग ने इस कार्य के लिए एक प्रशासनिक ढांचा बनाने का भी ठोस सुझाव दिया है।

वितरित जमीन का विश्लेषण करके आयोग ने बतलाया है कि प्रति परिवार को 7.7542 एकड़ जमीन दी गई है। आदिवासियों को प्रति परिवार छह एकड़ से कुछ अधिक दिया गया है। अन्य पिछड़ी जाति के परिवार को 2 एकड़। रिपोर्ट में चौकानेवाली बात यह है कि 11,130,9375 एकड़ जमीन 59 संस्थाओं को दी गई है और उन्हें सार्वजनिक एवं अन्य की श्रेणी में बताया गया है। वह बिल्कुल अस्पष्ट व गड्मड है। विश्लेषण से यह जाहिर होता है कि इस भूदान-जमीन को कोई अपनी निजी जमींदारी के बतौर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि 15000 एकड़ जमीन को अभीतक बजाप्ता वितरित ही नहीं किया गया है। कोई नहीं जानता कि जमीन की इतनी बड़ी मात्रा कौन अपने निजी हित में इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा भूदान कमेटी को दान में मिली जमीन की भौतिक जांच की फौरी जरूरत है। आयोग ने दर्ज किया है कि राजस्व विभाग के मुताबिक अपुष्ट जमीन का अभी तक कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। आयोग ने इस असंगति को ठीक करने की सलाह दी है। आयोग ने आगे कहा है कि ध्यान देने लायक बात यह है कि भूदान कमेटी के रजिस्टर से यह जाहिर नहीं होता कि अभीतक कितनी जमीन अपुष्ट है। लिहाजा, इसके द्वारा दिये जा रहे आंकड़ों की प्रामाणिकता पर संदेह होता है। घोटाले की संभावना और स्वरूप को हथुआ राज द्वारा आचार्य विनोबा भावे को एक साधारण चिट्ठी द्वारा दी गई एक लाख एकड़ जमीन के कुख्यात मामले के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। 1959-60 में प्रकाशित सारण के जिला गजेटियर में इस घटना को दर्शाया गया है। इसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि भूदान कमेटी के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट बतलाती है कि अप्रैल, 1959 तक जिले में 1,03,902 एकड़ जमीन दान में मिली है, जबकि गोपालगंज के जिला समाहर्ता द्वारा आयोग को 23 मार्च, 2007 को दिया गया आंकड़ा बतलाता है कि भूदान कमेटी को 21,237,48 एकड़ जमीन दान में दी गई है, जिसमें 10,263,26 एकड़ की राजस्व पदाधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है। इस प्रकार हथुआ राज द्वारा भारी धोखाधड़ी की गई है। खोज खबर करने के

बाद यदि वह जमीन नहीं मिलती है, तो दाता के खिलाफ भारतीय दंड विधान की उचित दफा के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। अथवा सीलिंग कानून के तहत बजाप्ता कार्रवाई की जानी चाहिए, इन टिप्पणियों के बाद आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:- (1) सर्वे के जरिए भूदान की जमीन की जांच के लिए आधारभूत प्रणाली सहित तमाम औपचारिकताएं 1 अक्टूबर, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक पूरा कर लेना (2) उसके बाद के कार्यों यानी वितरण, दाखिल खारिज, स्वामित्व का निर्धारण तथा इसके संबंधित अन्य मामले व कार्यवाहियां, 1 अप्रैल, से मार्च 2009 तक पूरा करना (3) 1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक भूदान कमेटी और अन्य समन्वयकारी एजेंसियों के तमाम कार्यवाहियों को समेट देना तथा तमाम लंबित कार्य की पूर्ति की घोषणा कर देना (4) इस अभियान को उपर्युक्त निर्धारित समय के अंदर पूरा कर लेने के लिए भूमि सुधार कमिश्नर को प्रत्यक्षत: जिम्मेवार होना चाहिए। योजना के निर्बाध व उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भूदान कमेटी के चेयरमैन के साथ निरंतर सलाह-मशविरा करते रहना चाहिए (5) अपुष्ट भूदान जमीन के मामले में राजस्व विभाग और भूदान कमेटी के आंकड़ों में भारी अंतर पर आयोग ने चिंता जाहिर करते हुए इसे इसी अभियान के दरम्यान ठीक कर लेने की सलाह दी है और कहा है कि एक पुष्ट आंकड़े पर पहुँच जाना चाहिए। बहुत कोशिश के बाद भी यदि पुष्ट न हो तो ऐसे मामले में मूल जमीन दाता के खिलाफ दीवानी व आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए (6) भूदान जमीन से संबंधित तमाम समस्याग्रस्त मामले की संपूर्ण जांच का कार्यक्रम लिया जाए जिसमें जमीन पाने वालों के जमीन पर कब्जे का सुनिश्चित करने के सवाल को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दानकृत जमीन पर अनधिकृत व्यक्ति को कब्जे से बेदखल करने का राजस्व पदाधिकारी को कानूनी अधिकार है। इस अभियान के दरम्यान विशेष रूप से नियुक्त राजस्व पदाधिकारियों को सही लाभार्थी को कानूनी प्रक्रिया के जरिए दानकृत जमीन पर कब्जे को गारंटी के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। यह सिफारिश की जाती है कि समाधान अभियान के दरम्यान विशेष रूप से नियुक्त राजस्व पदाधिकारियों को कानूनी तौर पर पर्चाधारी लाभार्थियों को कब्जा दिलाने के लिए कानून के तहत उचित कदम उठाना चाहिए।

(ग) बटाईदारी सुधार से संबंधित सिफारिशें

भूमि सुधार आयोग ने बटाईदारी सुधार से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :- (1) बटाईदारों की सुरक्षा के लिए खास एक अलग बटाईदार कानून या कोई अन्य नाम से एक कानून होना चाहिए (2) भूमि से संबंध के आधार पर सिर्फ दो ही श्रेणियां होनी चाहिए। (अ) रैयत, जिनका भूमि पर अधिकार व स्वामित्व हो (ब) बटाईदार, जिनका भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व के दावे के बगैर खेती करने का अधिकार बरकरार होगा (3) कानून ऐसा हो जिसमें बटाईदार (या उसके समानार्थी) साफ-साफ सरल भाषा में परिभाषित रहे (4) बटाईदार के पक्ष में एक कानूनी मान्यता यह होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति वैध रूप में दूसरे व्यक्ति की जमीन जोतता है तो वह उस व्यक्ति का बटाईदार कहलाएगा जिसकी जमीन वह जोत रहा है (5) बटाईदार की स्थिति के खंडन का भार उस व्यक्ति पर होगा जो इस पर आपत्ति जतलाता है (6) सभी बटाईदारों के पास पर्चा होना चाहिए जिसमें साफतौर पर भूस्वामी के नाम और जितने प्लॉट जोते जा रहे हैं उसका विवरण हो (7) सभी बटाईदारों के नाम रिकार्ड ऑफ राइट्स (मालिकाना रिकार्ड) में दर्ज किये जाने चाहिए, इसके लिए तमाम जिलों के गांवों में पार्टिसिपेटरी (सब की भागीदारी से) फील्ड बुझारत (खेत की मिल्कियत और जोतने वाले की जांच) की जानी चाहिए (8) इस जनोन्मुखी पार्टिसिपेटरी फील्ड बुझारत करने की लिए उस काम में लगाई गई नौकरशाही को इस दिशा में प्रशिक्षित करना व कुशल बनाना होगा (9) इस प्रक्रिया में पंचायतों को पूरी तरह लगाया जाना चाहिए। किसी भी गांव समूह में निर्वाचित पंचायत सदस्य को फील्ड बुझारत में बटाईदार के नाम दर्ज करने की शुद्धता व प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए जनता के ज्यूरी (पंच) के बतौर कार्य करना चाहिए (10) उत्पाद में भी उचित हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर बटाईदार पूरा उत्पादन खर्च खुद ही उठाता है, तो उसे उत्पाद का 70-75 फिसद मिलना चाहिए और यदि भूस्वामी उत्पादन खर्च में हिस्सेदारी करता है, तो उत्पादन में 60-40 की हिस्सेदारी होगी- यानी बटाईदार को 60 फीसद और भूस्वामी को 40 फीसद मिलेगा (11) भूस्वामी को जमीन वापस लेने का अधिकार सिर्फ अपनी जीविका के उद्देश्य से 'व्यक्तिगत खेती' के लिए ही होगा। इस तरह से वापस ली गई

जमीन पर भूस्वामी अपने परिवार की मदद से और भाड़े के मजदूर से खेती करेगा। यह काम उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। अगर किसी मृत बटाईदार की संतान जमीन जोतने से इनकार करती है तो उस स्थिति में भूस्वामी उचित प्रक्रिया के जरिए जमीन नियंत्रण में ले लेने के लिए स्वतंत्र होगा (12) भूस्वामी को किसी दूसरे बटाईदार को जमीन देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर वह ऐसा करता है तो मूल बटाईदार को जमीन लौटा दी जाएगी (13) व्यक्तिगत खेती की शब्दावली को इस तरह परिभाषित किया जाना चाहिए कि उसका मतलब हो कि जिस गांव में जमीन है, भूस्वामी वहीं का अथवा पड़ोस के गांव का वाशिंदा है और जिस जमीन को वह लेने की कोशिश कर रहा है, उस जमीन पर होने वाली आय उसकी कुल आय का 50 फीसद से अधिक हो (14) कानून बनने के वक्त बहस-मुबाहिसा की अवधि के दौरान तथा तत्काल उसके बाद बटाईदारों पर जमीन सुपुर्द करने के लिए दबाव डाला जाएगा और उन्हें प्रलोभन दिया जाएगा। इस आधार पर हुए समर्पण को तबतक सही नहीं माना जाएगा, जबतक कि उपयुक्त राजस्व अधिकारी दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय न दे दें (15) बटाईदारी पर्चा वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों या किसी अन्य वित्तीय संस्था से संस्थागत कर्ज लेने के लिए एक वैध दस्तावेज होगा (16) बटाईदार और भूस्वामी के बीच किसी विवाद के मामले में सीओ निर्णय देने के लिए अधिकृत होंगे। उनके समक्ष किसी कानूनी प्रैक्टिशनर (वकील) की उपस्थिति पर रोक होनी चाहिए। यदि बटाईदार केस दायर करते तो उसे स्टांप ड्यूटी नहीं लगे। पहले अपील एडीओ/डीसीएलआर के पास होगी तथा दूसरी कलक्टर/एडिशनल कलक्टर के पास (17) टेन्यूर होल्डर्स (काश्तकारी अधिकार), विभिन्न किस्म के रैयत व उप रैयत से संबंधित मौजूदा बिहार काश्तकारी कानून के तमाम प्रावधानों को समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि पुराने बिहार काश्तकारी कानून के प्रावधानों और बटाईदारी कानून के प्रावधानों के बीच कोई कानूनी टकराव न हो (18) भूस्वामी को अपनी जमीन को किसी व्यक्ति या संगठन या संस्था को हस्तांतरित करने पर कोई रोक नहीं होगी। मगर इस तरह के हस्तांतरण के बावजूद बटाईदार का जोतने का अधिकार बरकरार रहेगा। मालिकाना हस्तांतरण का इस्तेमाल बटाईदार को बेदखल/निष्कासित करने के औजार के बतौर नहीं किया जा सकता (19)

किसी भी बटाईदार को बगैर उचित कानूनी प्रक्रिया के बेदखल/निष्कासित नहीं किया जा सकता। भूस्वामी को लगातार तीन फसलों में उसके उत्पाद का हिस्सा नहीं अदा करने में जान-बूझकर चूक करना और जमीन की विशिष्टता को पूर्णतः बदलकर या नुकसान करके उसकी सामान्य उत्पादकता को क्षति पहुँचाना बेदखली का आधार बन सकता है।

(घ) अनुशंसाओं पर सरकारी कार्रवाई : एक टिप्पणी

डी॰ बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने जिन कार्रवाईयों को मंजूरी दी है, उसका एक ब्योरा विधानमंडल सदस्यों को दी गयी डीवीडी प्रति में दर्ज किया गया है। भूदान की जमीन पर सरकार ने विधानमंडल सदस्यों को जानकारी दी है कि प्राप्त जमीन के वितरण आदि के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के आलोक में कार्य योजना बनाकर सभी संबंधित पदाधिकारियों/बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को संसूचित किया गया है तथा कार्य प्रगति की निरंतर समीक्षा की जारी है।

अब यह समय सीमा समाप्त हो रही है लेकिन भूदान में प्राप्त भूमि की सम्पुष्टि और वितरण कोसों दूर है। इधर भूदान से प्राप्त जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा और पर्चाधारियों की बेदखली तेज हो गई है। खगड़िया का अमौसी जनसंहार इसी का परिणाम है। दरअसल सरकार इसके क्रियान्वयन पक्ष से भाग रही है। अनुशंसाओं के आलोक में 38 उपसमाहर्ताओं और 10 अमीनों की बहाली अभीतक नहीं की गई है। भूदान जमीन के रिकार्ड में और दान में घोषित जमीन में व्यापक अंतर है, जो घोटाले को दर्शाता है। इसका व्यापक सर्वे किए बिना जमीनी हकीकत सामने नहीं आ सकती है। दान में फर्जीवाड़ा करने वाले दाताओं के विरुद्ध उचित दीवानी एवं फौजदारी कार्रवाई करने के बारे में सरकार ने चुप्पी साध ली है। आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गयी है, लेकिन बेदखल पर्चाधारियों को दखल-कब्जा दिलाने और गैर कानूनी रूप से भूदान जमीन पर कब्जा जमाये लोगों को हटाने की कोई भी कोशिश सामने नहीं आयी है। सरकार इस मामले में भी समय के साथ मामला ठंडा पड़ जाने की नीति पर अमल कर रही है।

बटाईदारी के सवाल पर सरकारी प्रतिवेदन में कहा गया है ''अलग से अधिनियम बनाने की आवश्यकता है अथवा वर्तमान अधिनियम में ही सुस्पष्ट एवं पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है, इस के लिए आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के लिए सरकार ने डॉ॰ सी॰ अशोकवर्द्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो इस पर विचार कर यथासमय सरकार को अवगत करायेगी। तदोपरांत सरकार उचित निर्णय लेगी। गौरतलब है कि बिहार में आधे से ज्यादा खेती बटाई पर होती है और यह अनुपात लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाके में पुराने कृषक परिवारों के अच्छे खासे हिस्से ने अपनी जमीन बटाई पर दे रखी है और अपने लिए दूसरा पेशा चुन लिया है। ये लोग नौकरी, व्यवसाय, ठेकेदारी में लगे हुए हैं अथवा शहरों में ही अपनी पूरी व्यवस्था बना लिए हैं। नवोदित नवधनाढ्य परिवारों के भीतर भी ये प्रवृत्तियां उभर रही हैं। बिहार में बटाई का यह दायरा जमीन से लेकर पशु, बगीचा और पोखरा-तालाब तक फैला हुआ है। राज्य में बटाई, ठेका आदि-आदि, लेकिन इन बटाईदारों को कानून के जरिए टेन्यूर और रेन्ट की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और ये बटाईदारियां खनगी, मनमाना और गैर कानूनी नहीं है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात लम्बी लड़ाई के बाद रैयतों को तो जमीन पर अधिकार मिल गए हैं, लेकिन दर रैयतों बटाईदारों को यह कानूनी सुरक्षा आजतक नहीं मिली है। ऐसा भी नहीं है कि इसको लेकर कानून नहीं रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस द्वारा गठित कुमारप्पा कमिटी ने अनुशंसा की थी कि किसी खेत पर 6 वर्षों तक लगातार खेती करने वाले बटाईदारों को कायमी हक मिल जाना चाहिए। अभी बंगाल टेनन्सी एक्ट 1885 के आधार पर 1986 राज्य में लागू है और जैसा कि डी॰ बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है बिहार का मौजूदा बटाईदारी कानून बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस कानून में उपज का अधिकतम 25 प्रतिशत लेने का प्रावधान है। 12 साल के बाद बटाईदारों को टाइटल मिल जाने की कानूनी स्थिति है। बटाईदारी क्लेम पर बोर्ड गठित कर त्वरित फैसला देने का प्रावधान है। बेदखली पर रोक का सख्त प्रावधान है। यहां तक कि बटाईदारों की पहचान और निबंधीकरण की भी कानूनी स्थिति है। लेकिन वहीं इस कानून के तहत बटाईदारी साबित करने की प्रक्रिया काफी जटिल है और इस कारण बरसों खेती करने के बाद भी वह

जमीन पर अपना मालिकाना साबित नहीं कर पाता। सभी तरह की सरकारें इस कानून को लागू करने के मामले में उदासीन रहीं। पूर्वी बिहार के बटाईदारों के कायमी हक का सवाल तो आज तक लटका हुआ है। इसलिए आयोग ने मालिकाना हक में बिना छेड़छाड़ किए सिर्फ खेती करने के पुस्तैनी हक की बात की है और बटाईदारी के तमाम पहलुओं को ठोस रूप से सूत्रबद्ध किया है।

अशोकबर्द्धन, डी॰ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में गठित भूमि सुधार आयोग के भी सदस्य थे। अब उनकी ही अध्यक्षता में गठित कमेटी आयोग की सिफारिशों पर विचार करे यह हास्यास्पद है। इसकी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। यह मामले को ठंडे बस्ते में डालना और बटाईदारों के साथ विश्वासघात करना है। सरकार हर हाल में बटाईदारों की पहचान करने का काम, जो पुराने कानून में भी वर्णित है, करवा सकती थी। भू-धारियों के एक छोटे से हिस्से के दबाव में सरकार ने राज्य के तकरीबन 50 फीसदी बटाई खेती को गैर कानूनी अराजकता के हवाले कर दिया है। बटाईदारी की चर्चा शुरू होने के साथ ही बटाईदारों की बेदखली की जो प्रक्रिया तेज हो गयी है उससे कृषि क्षेत्र में भारी तनाव पैदा हुआ है। सरकार ने इस पर भी चुप्पी साध ली है।

हदबंदी से संबंधित भूमि सुधार आयोग की अनुशंसाओं की सरकार ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि वे स्वीकार करने योग्य नहीं है और वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत भूमि के वर्गीकरण के जो प्रावधान निहित हैं वह भूमि की गुणवत्ता, उत्पादकता, सिंचाई की क्षमता आदि पर आधारित है और कालान्तर में विभिन्न न्यायिक निर्णयों में है। 1963 के हदबंदी कानून के प्रावधानों में जमीन की छह श्रेणियां निर्धारित की गयी थीं जो 18 करोड़ से लेकर 60 एकड़ के बीच थीं। 1973 में हुए संशोधन के तहत इसे 15 एकड़ से 45 एकड़ के बीच निर्धारित किया गया। छह श्रेणियां झारखण्ड के पठारी भू-भाग को ध्यान में रखकर निर्धारित की गयी थी। 35 बरसों में जमीन की उत्पादकता, सिंचाई सुविधा और भूमि के बहुआयामी उपयोग में हुई बढ़ोतरी और साथ ही झारखण्ड के अलग होने से हदबंदी सीमा को घटाना जरूरी है। बिहार में 15 एकड़ की मानक हदबंदी बेहतर खेती और प्रबंधन के लिहाज से भी पर्याप्त है। न केवल वामपंथी पार्टियों ने, बल्कि जयप्रकाश नारायण, लोहियाजी और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं ने भी 10 एकड़ को

अधिकतम हदबंदी सीमा निर्धारित करने पर जोर दिया था। मठों-मन्दिरों के देवी-देवताओं के नाम पर बचायी गयी जमीन का दुरुपयोग होता रहा है और खेती की उत्पादकता पर इसके कुप्रभाव से हर कोई वाकिफ हैं। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों का हवाला देकर पिण्ड छुड़ा लिया है। कौन नहीं जानता कि अगर सरकार चाहे तो कानूनी स्थिति भी बदल सकती है? औद्योगिक-शैक्षणिक संस्थाओं के पास उनकी भौतिक जरूरत के अतिरिक्त खेती लायक कितनी जमीन है, इसका सर्वेक्षण सरकार को कराना चाहिए। राज्य के कॉलेजों, स्कूलों, चीनी मिलों, कागज मिलों आदि के पास काफी जमीन है। उसका उपयोग उन संस्थाओं के जरिए नहीं किया जा रहा है। इन जमीनों पर दबंगों-भू-माफियाओं का कब्जा है। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने से इनकार कर दबंग-माफियापरस्ती को ही साबित किया है। साथ ही, बेनामी हस्तांतरण या फर्जी बिक्री आज भी धड़ल्ले से जारी है। आयोग के सुझावों को ठुकराकर सरकार ने इस गोरखधंधो को ही प्रश्रय दिया है।

राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति

भारत के अधिकांश भाग में आज भी भूमि एक ऐसी अहम पूंजी है, जो जीवन के सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक तंत्र का मूल आधार है। गांव, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के जीवन का आधार आज भी भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित व्यवसाय ही है, जैसे कृषि व बागवानी या भेड़/बकरी पालन। देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि न केवल जीवनयापन का साधन है, वरन् वहाँ बसने वाले लोगों के लिए नागरिकता का आधार व प्रमाण भी है। अतः भूमि अधिकार व प्राकृतिक संसाधनों तक आम आदमी की पहुंच केवल आर्थिक अधिकार का प्रश्न ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले सभी लोगों के आत्मस्वाभिमान से जुड़ा अधिकार है।

भोजन जीवनयापन के साधनों व निवेश के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्धता के लिए भूमि की अहम् महत्ता है। राष्ट्रीय कृषि, आर्थिक नीति शोध केन्द्र (एनसीएपी) के अनुसार खाद्यान्न मांग की आपूर्ति के लिए अन्न उत्पादन 2.21 प्रतिशत के दर से बढ़नी चाहिए। देश के अनेक क्षेत्रों में भूमि सुधार कार्यक्रम के अभाव में हम आज भी पूर्ण क्षमता के अनुरूप कृषि उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।

कृषि आधारित मूलभूत अर्थव्यवस्था वर्तमान का एक सत्य है। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी, पिछड़ापन व खुशहाली के सभी प्रश्न भूमि के स्वामित्व व नियंत्रण से जुड़े हैं। ग्रामीण गरीबी का विवेकपूर्ण समाधान एक व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम के बगैर संभव नहीं है। भूमि का न्यायिक आबंटन ग्रामीण खुशहाली की अनिवार्य शर्त है।

भूमि सुधार का आधार देश के संविधान में दिये गये कानून के समक्ष समानता व राष्ट्र के प्राथमिक कर्तव्य- न्याय आधारित पुनः वितरण का सिद्धांत है। आजादी के 60 वर्ष बाद भी भूमि सुधार एक अहम व अधूरा कार्य है। ये सत्य यूपीए सरकार के कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में भूमिहीन परिवारों को भूमि देने, भूमि सीमा कानून का क्रियान्वयन व भूमि आबंटन विधेयक बनाने के वायदों के रूप में शामिल है।

भूमि खातों के विकृत स्वरूप से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम की उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिचयन सर्वेक्षण संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार 95.65 प्रतिशत छोटे व सीमांत श्रेणी के किसान 62 प्रतिशत काश्तकारी भूमि के मालिक है, जबकि 3.5 प्रतिशत मध्यम व बड़ी श्रेणी के किसान 37.72 प्रतिशत भूमि के मालिक हैं। भूमिहीन परिवारों का एक व्यापक वर्ग ऐसा भी है जिनके पास निवास/मकान के लिए भी भूमि नहीं है। इन परिवारों का जीवनयापन स्वीकृत न्यूनतम जीवन स्तर से भी कम है। औसतन रु० 503 मासिक का पारिवारिक खर्चा इन किसानों के जीवन की गरीबी की कहानी कहता है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत 'भूमि सुधार' नीति की सीमित सफलताएं, औद्योगीकरण व ढांचागत विकास की व्यापक राष्ट्रीय योजनाएं, व वर्तमान में निजी व्यवसायों द्वारा भूमि अर्जन के लिए कानून में फेर बदल के कारण भूमिहीनों व सीमांत कृषकों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। आर्थिक सुधारों के दौर में शीघ्र औद्योगीकरण की चाह ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और व्यापक बना दिया है। इस मामले में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम (सेज) एक बेहद विवादग्रस्त मुद्दा है।

इन सभी मुद्दों पर दोनों, दक्षता व निष्पक्षता के कारणों से तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोगों की न्यायसंगत

अपेक्षाओं की नजरअंदाजी भारी आर्थिक व राजनैतिक नुकसान का कारण हो सकती है। भूमि के अनेक उपयोग हैं। कृषि, खनन व वानिकी जैसे प्राथमिक उपयोग के अलावा भूमि औद्योगीकरण के लिए भी आवश्यक है जैसे कि पहले कहा गया है। औद्योगीकरण की तेज रफ्तार के कारण व्यापक स्तर पर भूमि अधिग्रहण में हजारों लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। ये सत्य है कि देश के विकास के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है, मगर इसे कृषि व लोगों के जीवनयापन से जुड़े बुनियादी अधिकारों की कीमत पर अंजाम नहीं दिया जा सकता। अत: ये अनिवार्य है कि हर एक राज्य भूमि के विभिन्न उपयोगों के आधार पर उसका आवंटन तय करे। एक स्पष्ट भूमि उपयोग नीति के लिए आवश्यक है कि केन्द्र स्तर पर भूमि सुधार समिति व राज्य स्तर पर भूमि नीति बोर्ड को पुनर्जीवित किया जाय। असल में सही तो ये होगा कि देश के हर राज्य में भूमि संघ का गठन किया जाय।

आज बड़ी संख्या में कृषि मजदूर भूमिहीन हैं। ऐसे प्रत्येक परिवार को यदि भूमि मिल सके तो वंचित परिवारों की गरीबी दूर करने के प्रयास को एक मजबूत आधार मिल सकेगा। लघु सिंचाई, जल व मिट्टी संरक्षण के लिए जो भी निवेश होगा उसका लाभ इन परिवारों तक पहुंचाने की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। अभी तक ग्रामीण भूमिहीनों के लिए कृषि भूमि के वितरण की प्रगति बहुत धीमी रही है। कुल कृषि भूमि के मात्र लगभग दो या तीन प्रतिशत हिस्से का ही पुनर्वितरण हो सका है। सरकारी दस्तावेजों में इस धीमी प्रगति के लिए कमजोर कानूनों और उनके इससे भी कमजोर क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की जाती है, पर स्थिति पहले जैसी ही चलती रहती है। अब समय आ गया है कि खेती करने वाले किसानों से जुड़े सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि उपलब्ध करवाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। यदि वर्तमान कानून इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है तो इनमें सुधार कर उन्हें मजबूत बनाना चाहिए या पूरी तरह नये कानून बनाने चाहिए। सीलिंग कानून के मजबूत क्रियान्वयन से अभी बहुत भूमि पुनर्वितरण के लिए प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त भूदान के अभियान में मिली और अबतक नहीं बंटी यह भूमि उन्हें मिलनी चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बहुत जमीन कागजों पर तो भूमिहीनों या अति निर्धन परिवारों में बांट दी गयी है पर इस भूमि पर वास्तव

में कब्जा नहीं मिला है। वे इस भूमि को जोतने जाते हैं तो सामंती तत्व उन्हें भगा देते हैं। कुछ भूमि ऐसी भी (कागज पर) बंटी है जिसकी तथाकथित लाभार्थी परिवारों को अबतक पहचान भी नहीं हो सकती है कि यह जमीन है कहां। कई लोगों की तो पूरी उम्र इस इंतजार में बीत गयी कि कोई इन्हें यह भूमि दिखा तो दे व प्रामाणिक तौर पर उन्हें सुपुर्द कर दें। इस धांधली व अनिश्चय भरी स्थिति में कुछ परिवारों ने कड़ी मेहनत से बंजर पथरीली भूमि को खेती योग्य बनाया, पर जब यही फसल लहलहाने लगी तो सामंती तत्वों ने उन्हें कहा कि तुम्हें दी गयी भूमि तो दूसरी थी। इस तरह वे वहां मिहनत कर भूमि कृषि योग्य तो बनाते हैं, पर बाद में उन्हें वहां से कहीं और भेज दिया जाता है। भूमिहीनों को छोटे किसान बनने के अवसर देना भूमि सुधार का एक मुख्य उद्देश्य है। बढ़ती हरियाली, लघु सिंचाई, मिट्टी व जल संरक्षण, तालाबों की मरम्मत, जैविक खेती के सस्ते व स्थानीय संसाधनों की वृद्धि के माहौल में इन छोटे किसानों को भी अपनी भूमि का आधार बनाकर रखने में और इससे संतोषजनक आजीविका प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्तमान समय में देश में दलित, आदिवासी और वंचित समूह प्रताड़ित हो रहे हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में माओवादी-नक्सली हिंसा की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में उपर्युक्त उपाय ऐसी हिंसा की घटनाओं को रोकने-थामने के लिए निश्चित रूप से मील के पत्थर साबित होंगे।

'80 के दशक में भू-हदबंदी कानून के अन्तर्गत अर्जित अधिशेष भूमि और भूदान में प्राप्त भूमि जो दलित एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के बीच वितरित की गयी थी, उस जमीन से आवंटियों को बड़े पैमाने पर बेदखल कर दिया गया है। अनेक मामलों में तो उन्हें आवंटित भूमि पर कब्जा ही नहीं होने दिया गया है। उसी गाँव के भूधारियों ने बल प्रयोग द्वारा आवंटियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पिछले कुछ वर्षों के शासन में गरीबी निवारण एवं सामाजिक न्याय के लुभावने नारे तो बार-बार दिये गये परन्तु, भूमिहीन आवंटियों को बांटी गयी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जाना सरकार की वैचारिक विषमता एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत आवंटियों के बीच बड़े पैमाने पर बेदखली और दखल नहीं होने देने के मामलों का शीघ्र पंजीकरण कराना और उनकी सुनवाई करवाना अनिवार्य है। अबतक

किसी स्तर पर ऐसा नहीं किये जाने के कारण दलितों के बीच असंतोष और आक्रोश उत्पन्न हो गया है। दलितों और कमजोर वर्ग की दृष्टि से यह सबसे बड़ी कमी और कमजोरी रही है कि प्रशासन द्वारा इन वर्गों को परेशान करने का कार्य गरीबों की उपेक्षा करते हुए चलाया गया है। किन्तु, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि जबतक इन दलितों और पिछड़ों को भूहदबंदी से प्राप्त अर्जित जमीन, गैर-मजरूआ सरकारी जमीन और भूदान में प्राप्त जमीन का वितरण करके दखल-कब्जा नहीं कराया जाएगा तबतक इन वर्गों को सामाजिक न्याय एवं समानता प्राप्त नहीं हो सकेगी। भूमि सुधार संबंधी दायित्व का निर्वहन करना सरकार की अव्वल जिम्मेवारी है। बिहार में उग्रवादी संगठनों के बढ़ते हुए प्रभाव और उनकी सक्रियता को देखते हुए राज्य सरकार का यह अहम् दायित्व होता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाए।

हाल के वर्षो में अधिकारों के हनन के अनगिनत पहलुओं को विषयान्तर्गत करते हुए लिखित अधिनियम और संस्थागत तंत्र सृजित तो किये गये हैं पर अनुभव यह कहता है कि ऐसे प्रावधानों के बावजूद गामीण क्षेत्र में असंतोष और खलबली का होना जारी है। लोगों की बड़ी आबादी का रहना भी एक समस्या है। चूंकि भारतीय श्रमशक्ति का 58% अभी भी कृषि एवं कृषि संबंधी व्यवसायों में संलग्न हैं, भूमिहीनता गरीबी की एक महत्वपूर्ण जड़ बन बैठी है। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के तुरत बाद भूमि एवं जीविका के मध्य जीवन्त संपर्क की पहचान कर ली और भूमि सुधार उपाय शुरू कर दिये; इन उपायों में तीन अंग सम्मिलित किये गये:- (1) जमीन्दारों के रूप में मध्यवर्त्तीय की जमीन्दारी का उन्मूलन, (2) रैयती अधिकार की सुरक्षा और (2) कृषि योग्य भूमि की हदबंदी ताकि अधिशेष भूमि का भूमिहीनों में वितरण किया जा सके। तथापि जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, भूमि सुधार की प्रतिबद्धता भी कमजोर होती गयी है और यह सरकार की एक अपूर्ण कार्य-सूची है। गरीब लोग आम भू-सम्पदा के संसाधनों जैसे जंगल, चारागाह, मैदान और जल-स्रोत समूह पर ही जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर हो गये हैं। ऐसे सभी संसाधनों को लाभ के स्रोतों के रूप में परखने की प्रवृत्ति वाले गरीबों को इन संसाधनों तक इनकी पहुंच से वंचित किया जा रहा है।

इसी संदर्भ में यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक भूमि यथा गैर मजरूआ मालिक/खास, गैर मजरूआ आम, भू-हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत अर्जित भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि, बी॰पी॰पी॰एच॰टी॰ एक्ट के तहत वास भूमि आदि के वितरण के उपरांत पर्चाधारियों का बहुत सारे मामलों में या तो भौतिक दखल कब्जा नहीं हो पाता है अथवा दखल-कब्जा प्राप्त होने के उपरांत भी अवांछित तत्वों द्वारा उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप विवाद एवं असंतोष बढ़ता है और शांति भंग होती है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाता है। सरकार द्वारा बंदोबस्त भूमि से अवांछित तत्वों द्वारा बंदोबस्तीधारी की अनधिकृत बेदखली को हटाना एवं पुनः आवंटियों के भूमि वापस दिलाना सरकार का दायित्व है। सरकारी भूमि की बंदोबस्ती समाज के सबसे कमजोर एवं निरुपाय वर्गों के साथ की जाती है जो सामान्यतः अवांछित तत्वों से अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। सरकार द्वारा बंदोबस्त की गयी भूमि पर बंदोबस्तीधारी का दखल कब्जा सुनिश्चित करना प्रशासन का प्रथम दायित्व है। अतः बंदोबस्त भूमि की अनधिकृत बेदखली से बंदोबस्तधारी को बचाने के लिए प्रशासन को संवेदनशील, उत्तरदायी एवं प्रकार्य मूलक बनने की आवश्यकता है। भू-हदबंदी से अर्जित भूमि के वितरण के उपरांत पर्चाधारियों को वास्तविक दखल-कब्जा दिलाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उत्तरदायी बनाने के साथ ही बेदखली अथवा आशंकित बेदखली के संबंध में कार्रवाई कर दखल वापस दिलाने का निर्देश दिया जाना चाहिये। बिहार के कम से कम एक तिहाई ग्रामीण परिवार पूरी तरह से भूमिहीन हैं और कुछ जिलों में यह अनुपात 70 प्रतिशत तक पहुँचता है। राज्य में आज भी ऐसे अनेक भूपति हैं जिनके पास भूस्वामित्व की अधिकतम सीमा के दस गुणे से भी अधिक जमीन है। आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवा पाना ही राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुयोग्य श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य भूसंपन्न वर्गों द्वारा जमीन के किसी भी प्रकार के अनधिकृत कब्जे के निषेध के लिए कड़े से कड़े दण्डात्मक प्रावधान किये जायं तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त दण्डाधिकार भी दिए जाएं। भूमि संबंधी विवादों के

त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की चरम आवश्यकता है। साथ ही, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की जमीन पर से दबंग लोगों के कब्जे की बेदखली के लिए भी प्रभावी निषेधात्मक व दण्डात्मक प्रावधानों की आवश्यकता है।

भूमि सुधार कानून को लागू करने के लिए प्रथम कार्रवाई भूमि अभिलेखों को अद्यतन कराना है जिसकी आवश्यकता कृषकों को ऋण के लिए भी होती है। भूमि अभिलेख की स्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न रही है। बिहार में पहले जमींदारी प्रथा लागू थी, फलस्वरूप अभिलेखों के निहित तथ्यों तथा वास्तविक स्थिति में अंतर रहा है। अत: इन अभिलेखों को अद्यतन करने और उनमें वास्तविक स्थिति सन्निहित करने का कार्यक्रम लागू किया जाय, ताकि रैयतों को हक आदि का पूर्ण विवरण इन अभिलेखों से स्पष्ट प्रतीत हो सके। भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने और उनमें वास्तविक स्थिति के सारणीकरण के काम पूरे कर लिये जायँ। प्रत्येक कृषक को एक पासबुक देने की सरकार की नीति है। इस पासबुक में उनकी जमीन का ब्योरा, जमीन के किस्म का ब्योरा तथा उक्त जमीन पर उनका आधिपत्य एवं खेसरा, नक्शे आदि की प्रतिलिपियाँ समेकित की जाए। भूमि सुधार कानून में यथा संशोधन कर कृषकों को उनकी जमीन पर उनके स्वामित्व के प्रमाण-पत्र का स्वरूप इस पासबुक को समझा जाय। चकबंदी के कार्यक्रम को सरकार को अगले 5 वर्षों में पूरा कर लेना चाहिये। भूमिहीनों को गृह स्थल प्रदान करने के कार्यक्रम को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाय।

बिहार में कृषि उत्पादकता की कमी का प्रमुख कारण जोतों का खंडीकरण है। उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत कोई रोक-टोक नहीं होने तथा भूमि पर बढ़ती हुई जनसंख्या के भार के कारण जोत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हैं। इस कारण कृषि विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त गांवों में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भी जमीन उपलब्ध नहीं रहती है जिसके अभाव में गांव का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा पैदावार बढ़ाने की दिशा में चकबंदी भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बटाईदारों के अधिकारों का संरक्षण तथा बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दायर मुकदमों का निष्पादन भी भूमि सुधार

कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है। सरकार का बराबर यह प्रयास हो कि बटाईदारों तथा भू-धारियों का संबंध बराबर सौहार्दपूर्ण रहे। जहां-जहां यह संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, वहां-वहां वातावरण दूषित हुआ है, अप्रिय घटनायें हुई हैं। वहां काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे भी दर्ज किये गये हैं। राज्य सरकार को ऐसे मुकदमों को शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन कराने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिये।

उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है :- (1) बड़े भू-स्वामियों से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का वितरण अविलम्ब किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ भू-सुधार से लाभ प्राप्तकर्ताओं की सहायता के लिए इस बात की सख्त आवश्यकता है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा), जवाहर रोजगार योजना/प्रधानमंत्री रोजगार योजना में निवेश के आदानों के समय पर पूर्ति से जोड़ा जाए (2) भू-रिकार्डों की तैयारी, उसके रख-रखाव और कम्प्यूटरीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी काश्तकार जिनमें फसल-सहभाजक भी शामिल हों, की पहचान की जानी चाहिए और उनके अधिकार रिकार्ड किए जाने चाहिए और एक अभियान के रूप में पश्चिम बंगाल द्वारा कार्यान्वित 'ऑपरेशन बरगा' की भांति उनको स्थायी एवं पैतृक अधिकार सौंपे जाने चाहिए। रिकार्ड की एक प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हें 'किसान पासबुक' या किसी अन्य रूप में जारी करनी चाहिए (3) अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन पर लागू कानूनों में छिद्रों को समाप्त करना होगा और इनके लिए प्रशासनिक मशीनरी मजबूत बनानी होगी। जनजातीय क्षेत्रों में भूमि की सीमा, मूल्य और स्वामित्व संबंधी भू-स्वामित्व सर्वेक्षण जहां कहीं भी न किये गये हों, पूरे हों (4) खुद-काश्त की परिभाषा में निम्नलिखित बातों पर बल देना चाहिए : (क) जो व्यक्ति खुद-काश्त का दावा करता है, उसे काश्त करने की पूरी लागत का वहन करना होगा (ख) वह अपनी भूमि की काश्त या तो स्वयं करे या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा इसके लिए श्रम जुटाया जाय और (ग) वे और उसके परिवार के सदस्य वर्ष के अधिकतर भाग के दौरान उसी इलाके में रहें जहां उनकी भूमि स्थित है और (घ) काश्त ही उसकी आय का मुख्य स्रोत होना चाहिए (5) कृषि भूमि का कोई भी

स्वामित्वांतरण किसी गैर-कृषक को नहीं किया जाना चाहिए (6) विधवा/विकलांगों और सेना के कर्मचारियों को छोड़, भू-स्वामियों द्वारा भूमि को पुनःकाश्त करने के लिए केवल स्व-खेती के नाम पर हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए (7) यदि भू-स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति अर्थात् काश्तकार या फसल-सहभाजक के बीच विवाद हो जाए, तो इसे प्रमाणित करने का भार भू-स्वामी पर डालना चाहिए। काश्तकार या फसल-सहभाजक को भू-स्वामी के उत्पादन में भाग निकटतम प्राधिकार के पास जमा कराने की इजाजत होनी चाहिए (8) स्वीकृत किसान संगठनों या कृषि मजदूरों के संगठनों या जानी-मानी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनौपचारिक काश्तकारों अथवा फसल-सहभाजकों की पहचान की इजाजत होनी चाहिए और उन्हें प्रासंगिक व्यक्ति की ओर से उचित प्राधिकार के सामने काश्तकारी अधिकार या स्वामित्वाधिकार के दावे करने की अनुमति होनी चाहिए (9) राजनीति इच्छाशक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए भूमिहीनों, छोटे और सीमांत किसानों के प्रतिनिधियों को स्थानीय पंचायत निकायों और मंत्रालयों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि वे निर्णय करने के प्रत्येक स्तर के साथ जुड़े रहें (10) गरीब किसानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण न्यायालयों अर्थात् न्याय पंचायतों या ग्राम-न्यायालयों को भू-सुधार के मामलों में तेजी से फैसले करने चाहिए और इसके साथ-साथ लोक अदालतों को भी इन मामलों को निपटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जमीन के महत्व का निर्धारण अर्थशास्त्र के शास्त्रीय सिद्धांतों के मुताबिक नहीं किया जा सकता। एक भूमिहीन व्यक्ति के लिए जमीन का आर्थिक महत्व आजीविका के साधन या वासस्थल के रूप में ही नहीं बल्कि आत्ममहत्व, आत्मसम्मान व स्वनियोजन के आधार के रूप में कई गुणा ज्यादा है। भारत के अधिकांश भाग में आज भी 'भूमि' एक ऐसी अहम् पूंजी है जो जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तंत्र का मूल आधार है। गाँव, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के जीवन का आधार आज भी भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित व्यवसाय ही है। जैसे कृषि व बागवानी या भेड़/बकरी पालन। देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि

न केवल जीवनयापन का साधन है वरन् वहाँ बसने वाले लोगों के लिए 'नागरिकता' का आधार व प्रमाण भी है। अत: 'भूमि' अधिकार' व प्राकृतिक संसाधनों तक आम आदमी की पहुँच केवल आर्थिक अधिकार का प्रश्न ही नहीं वर्न ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले सभी लोगों के आत्मस्वाभिमान से जुड़ा अधिकार है। भूमि वितरण की विषमताओं को दूर करने की दिशा मे बिहार में सरकारी प्रयास अबतक अपर्याप्त रहे हैं, यद्यपि इस मामले में आजादी के बाद के दशकों में राज्य में कई महत्वपूर्ण कदम हुए हैं। भूमि सुधार पर सबसे पहले कानून बनाने वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है, जहाँ स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1950 में भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के द्वारा भू-धारकों की विभिन्न गैर-भूमि सम्पत्तियों, जैसे वन, जलाशय, खदान, बाजार आदि पर स्वामित्व समाप्त कर दिया गया।

भारतीय गणतंत्र के 71 वें वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देश की उपलब्धियों तथा संविधान की सफलता-विफलता का आकलन किया जाय। अगले 50 वर्ष कैसे होंगे।? यह विचारणीय है। चिन्तन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अभी नही चेता गया तो राजनीतिक व्यवस्था एवं उसका ढांचा क्रमश: और विकृत होगा। हिंसा का दौर और व्यापक होगा। असंतोष, अशांति एवं संवैधानिक व्यवस्था के क्षत-विक्षत होने की आशंका है तथा इसका परिणाम भयानक और घातक होने वाला है। हमें डर है कि कहीं गांधी का भारत हिंसा का भारत न बन जाय। आजादी के बाद राजनीतिक आदर्श, समाप्त हो गया है। गांधी, विनोबा के विचार भाषण तक सिमट कर रह गये हैं।

इसी संदर्भ में यहाँ यह भी जानकारी देना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपातकाल में अधिशेष भूमि, भूदान यज्ञ की भूमि, भू-हदबंदी के तहत पड़ने वाली भूमि के वितरण का कार्य भी केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को सौंपा गया था। बिहार में हमारे मुख्यमंत्रित्व काल की अवधि में भू-धारियों को अपनी अधिशेष जमीन स्वेच्छया अर्पित(सेल्फ सरेंडर) करने का विकल्प प्रदान किया गया। मधुबनी जिला सहित पूरे बिहार में ऐसी स्वेच्छया अर्पित (सेल्फ सरेंडर) की गयी जमीन वितरित की गयी। इसके साथ ही सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में वितरित सिंचित जमीन में 1 जुलाई, 1976 को हल चलाने का निर्देश दिया गया और उन्होंने उस निर्देश को क्रियान्वित किया। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम का भी अनुपालन

हुआ था। मुझे (डॉ० मिश्र) की प्रारंभिक दिनों से ही गहरी अभिरुचि भू-हदबंदी में, भूमि वितरण में थी। काँग्रेस नीत केन्द्र सरकार और बिहार सरकार अच्छे समन्वय के साथ चल रही थी, आपातकाल में।

बिहार में 25 वर्षों की सामाजिक न्याय की सरकार गरीबी और पिछड़ों के नाम पर चलायी गयी है, परन्तु इन 25 वर्षों में भूमि वितरण की विषमताओं को पाटने की दिशा में कोई प्रयास बिहार सरकार ने नहीं किया है। देश के किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में बिहार में जमीन वितरण अत्यधिक विषम है। भारत की तुलना में बिहार में सीमांत भूमि की संख्या का अनुपात काफी बड़ा है। बिहार की स्थिति शेष भारत की तुलना में काफी गंभीर है। बिहार में भूमि समस्या में बटाईदारी एक प्रमुख समस्या है। इसी प्रकार से बासगीत पर्चाधारियों को बासस्थल से बेदखल करना, सरकारी भूमि, गैर मजरूआ आम, हदबंदी से फाजिल भूमि एवं भूदान की जमीन से बेदखल करना बदस्तूर जारी है। राज्य सरकार इस बेदखल को मूकदर्शक की तरह देखती रही है। बंधोपाध्याय कमीशन के मुताबिक बटाईदारों को अधिकार देने और उन्हें बेदखल नहीं करने के सम्बन्ध में अनुशंसा की गयी है, परन्तु निहित स्वार्थ के दबाव में उसे तो ठंढे बस्ते में डाला गया है। 10 लाख से अधिक गृहविहीन परिवारों को प्रति परिवार 3 डिसमल बासभूमि उपलब्ध करना, पर्चाधारियों को भूमि पर कब्जा दिलाना, सरकारी भूमि, भूदान की भूमि पर बसे भूमिहीनों को बासगीत का पर्चा देने, हदबंदी से फाजिल, सरकारी जमीन, भूदान की जमीन का वितरण, बटाईदारों की बेदखली पर रोक, सीमांत, लघु एवं गरीब खेतिहरों का ऋण माफ करने, खेत मजदूरों के लिए कानून बनाने, खेत मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने जैसी महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की दिशा में सामाजिक न्याय की सरकारों ने कोई कारगर कार्रवाई आजतक नहीं की। यह अत्यंत ही विस्मयकारी लगता है, क्योंकि इन्हीं वर्ग के लोगों को भ्रमित कर उनका समर्थन लिया जाता रहा है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी का बिहार के भूमिहीन एवं आवासविहीन लोगों के लिए जमीन पर अधिकार देने के लिए कानून बनाने का निर्णय सराहनीय रहा है। पहले बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिनियम के अंतर्गत बिहार में 80 के दशक तक 11 लाख परिवारों को वास भूमि का

अधिकार संबंधी पर्चा देकर उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया था। योजना आयोग के सर्वेक्षण के अंतर्गत संयुक्त बिहार में ऐसे 19 लाख परिवारों को चिह्नित किया गया जिन्हें आवासीय भूमि पर कानूनी अधिकार नहीं था और भू-मालिकों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। 80 के दशक में एक अभियान द्वारा ऐसे परिवारों को चिह्नित कर आवासीय भूमि अधिकार दिया गया। परंतु अब ऐसे परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग गृहविहीन और आवासविहीन होते गये हैं। इसलिये श्री जीतन राम माँझी की सरकार का यह निर्णय बड़ा ही समीचीन है कि नये कानून द्वारा भूमि वास के लिए भूमि अधिकार कानून बनाकर ऐसे परिवारों की सभी वयस्क महिलाओं के नाम पर बेघरों को अपना घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करानी थी। पहले 80 के दशक में 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान तत्कालीन मेरी सरकार में किया गया था। यदि सरकारी जमीन उपलब्ध रही तो ऐसे परिवारों को मालिकाना हक दिया जाता था और यदि ऐसी सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थीं तो सरकार जमीन खरीद कर ऐसे परिवारों को घर के लिए जमीन उपलब्ध कराती थी, परन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों और भूमि की अनुपलब्धता के कारण 80 के दशक में लिये गये निर्णयों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन संभव नहीं हो पाया था। इसलिये श्री जीतन राम माँझी की सरकार का यह निर्णय अति महत्वपूर्ण है। ऐसे कानून के अंतर्गत केवल दलितों को ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत अन्य जातियों के भूमिहीन गरीबों को भी जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इस कानून के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के भूमिहीन तथा बेघरों को यह अधिकार होगा कि उन्हें कम से कम उतनी जमीन मिल जायेगी जिसपर वे घर बना सकेंगे साथ ही बचे हुए भूखण्ड पर वे अपना जीवन-यापन कर सकेंगे। इस कानून के अंतर्गत दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग, गरीब विधवाओं एवं तलाकशुदा महिला जो अकेली रह रही है, को प्राथमिकता दी गयी। इस कानून को समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित करने का निर्णय भी श्री जीतन राम माँझी की सरकार ने किया था, वह देश में एक मिशाल प्रस्तुत हुआ। श्री माँझी के निर्णयानुसार उक्त अधिनियम को श्री माँझी के बाद श्री नीतीश कुमार की सरकार ने विधान सभा से कानून पारित नहीं कराया, जबकि राजस्व विभाग का प्रभार श्री नीतीश मिश्रा को दिया गया था, तो उन्होंने तत्परता से

उक्त अधिनियम को अन्तिम रूप से विभागीय स्वीकृति दे दी थी। इसलिए बिहार राज्य में भूमिहीनता के विशाल स्तर के मद्देनजर बड़े पैमाने के नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता थी, ताकि राज्य के एक बहुसंख्यक हिस्से को आजीविका का एक स्थायी आधार उपलब्ध हो सके। बिहार के कम से कम एक तिहाई ग्रामीण परिवार पूरी तरह से भूमिहीन हैं और कुछ जिलों में यह अनुपात 70 प्रतिशत है। आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवा पाना राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती रही है, परन्तु पिछले 25 वर्षों की सामाजिक न्याय की सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया। 1980 के दशक में भूहदबंदी कानून के अंतर्गत 3 लाख एकड़ से अधिक अर्जित भूमि जो वितरित हुई, उसमें दलित एवं गरीब बेदखल होते रहे हैं। सरकार बेदखल के प्रति मूकदर्शक हैं।

उल्लेखनीय है कि भूमिहीनों एवं बटाईदारों की विशाल संख्या में दलितों एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक है इसलिए राज्य सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण विषय कार्यरत बटाईदारों के भूमि अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

❐

4

नक्सलवाद की समस्या एवं समाधान

कभी कोई छोटी सी घटना कितने बड़े विध्वंसक और लोमहर्षक मुद्दे का मुहावरा बन जाती है, यह बात नक्सलवादी आंदोलन के संदर्भ में शत-प्रतिशत सही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सन् 1967 में हुए लैण्ड ग्रैब के साथ शुरू हुआ आंदोलन नक्सलवाद के नाम से जाना जाने लगा। यह माओवादी नक्सलवाद देश में हिंसा का पर्याय बन चुका है तथा आज यह सबसे बड़ी चुनौती के रूप में समाज के सामने खड़ा है। जब से पिछली केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाना शुरू किया है, तब से नक्सली संगठनों का उत्पात और अधिक बढ़ता जा रहा है। वे एक के बाद एक आपराधिक वारदात कर केन्द्र और राज्य सरकारों को चुनौती देने में तल्लीन हैं या यों कहें कि एक समानान्तर राज-व्यवस्था कायम करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम लगातार नक्सलवाद से प्रभावित राज्य सरकारों से बातचीत कर सुरक्षा-व्यवस्था ठीक करने के प्रयास भी कर रहे थे तथा नक्सलवादियों को हिंसा का मार्ग छोड़कर बातचीत के लिए आगे आने के लिए भी निमंत्रित कर रहे थे। कुछ ऐसी ही बात पूर्व प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने भी उस वक्त कही थी। इसके अतिरिक्त कई राजनीतिक दल नक्सलवाद को लेकर संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं।

नक्सलवादियों के साथ मजदूरों के संघर्ष में यहाँ कई लोग मौत के घाट उतारे गये थे। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ संघर्ष आज देशव्यापी है। बिहार समेत देश के कई राज्यों में नक्सली हिंसा की घटनाएँ राज्य प्रशासन के लिए

चुनौती बन गयी हैं। पड़ोसी देश नेपाल में माओवादियों के दबदबे और आतंक का भी देश के विभिन्न हिस्सों में गहरा असर है। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ओड़ीसा जैसे राज्यों में नक्सली खुलेआम पुलिस थाना, रेल की पटरियों, रेलवे स्टेशनों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों को बम विस्फोट से उड़ा रहे हैं। वे सुरक्षा बलों पर भी भिन्न-भिन्न तरह से हमले कर रहे हैं। चिन्ता की बात तो यह है कि पुलिस उनका यथेष्ट मुकाबला नहीं कर पा रही है। नक्सली संगठनों की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वे राज्यों में बंद का आह्वान करके सारे कामकाज को ठप करा देते हैं और राज्य प्रशासन कुछ कर नहीं पाता। नक्सली हिंसा की घटनाओं की न केवल संख्या बढ़ी है, बल्कि उनकी तीव्रता भी। वह भी ऐसे समय में जब नेपाल में माओवादी ने आधा से ज्यादा देश को अपनी चपेट में लेकर सेना को भयानक गृह-युद्ध में उलझा रखा है।

वास्तव में यह हिंसा राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित कृत्रिम प्रयासों का नतीजा है, लेकिन यदि गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक अन्याय कायम नहीं होते तथा हिंसा पनपने के लिए जमीन तैयार न की गयी होती तो यह हिंसा जड़ नहीं पकड़ती। ऐसा बहुत कम होता है कि न्याय और व्यवस्था के संरक्षक गरीबों का पक्ष लेते हों। अभाव और गैर बराबरी ही वंचित वर्ग को बगावत और हिंसा के लिए मजबूर कर रही है। वास्तव में इस हिंसा के जनक तथाकथित नक्सलवादी नहीं हैं, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने लगातार इतने वर्षों तक कानूनों को लागू नहीं किया है और उसके उद्देश्य को विफल किया है। ऐसे लोग हैं राजनेता, प्रशासक, थानेदार, भूस्वामी और महाजन तथा बड़े-बड़े किसान, जिन्होंने हदबंदी-कानून को बेनामी तथा फर्जी बन्दोबस्तियों के जरिए धोखा दिया है। कुछ ऐसे भद्र लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन और गाँव की सामूहिक भूमि हड़प रखी है। वे भूमिपति, जिन्होंने अपने बटाईदारों को कानूनी हक देने से हमेशा इन्कार किया है, उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया तथा जो अपने मजदूरों को कम मजदूरी देते रहे हैं और उन्हें वासगीत भूमि से भी वंचित कर रखा है, जिन्होंने धोखाधड़ी या जबरदस्ती से कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन छीन ली है। उनकी भूमिका भी प्रकारान्तर से ऐसी हिंसा में रही है। महाजन, जिन्होंने अत्यधिक ब्याज वसूल

करते हुए गरीबों तथा कमजोरों की जमीन अधिगृहित कर ली है। जिम्मेवार वे लोग भी हैं जिनके चलते आज गरीबों और दलितों के मन में अन्याय, दु:ख और उत्पीड़नजन्य भावना इकट्ठी हो गयी है जो अब हिंसा के रूप में बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ़ रही है।

इस स्थिति के लिए कानून की अदालतें और न्याय पाने की पद्धतियाँ तथा उसके लिए चुकाये जाने वाले मूल्य भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने समाज के दुर्बल वर्गों के साथ षड्यंत्रपूर्वक न्याय नहीं होने दिया है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और नियोजन का ढंग भी कम जिम्मेवार नहीं है, जो अपने गलत तरीके से शिक्षित निराश और बेकार युवकों की बढ़ती हुई सेना तैयार कर रहे हैं तथा आर्थिक विषमता बढ़ा रहे हैं। इसके कारण विभिन्न वर्गों का और अधिक ध्रुवीकरण हो रहा है। इस स्थिति के लिए राजनेता भी जिम्मेवार हैं, जिनकी स्वार्थ-साधन की भावना ने लोकतंत्र की दलीय व्यवस्था को और उसकी विचारधाराओं को मजाक की वस्तु बना दिया है। इसलिए यदि नक्सलवादी हिंसा रोकनी हो तो इस परिस्थिति में परिवर्तन लाकर ही उसे रोका जा सकेगा। समाज में जो अप्रत्यक्ष तथा छिपी हिंसा है, उस संबंध में हमें सोचना ही पड़ेगा। समाज में आज घोर शोषण है, अन्याय है, विषमता की सीमा नहीं है। यह सब स्पष्ट हिंसा ही तो है। अहिंसक व्यक्ति यह हिंसा कभी सहन नहीं कर सकेगा। समाज का यह स्वरूप जड़ मूल से बदलना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच है कि इसे बदलने के लिए नक्सली जो हिंसा कर रहे है, उससे कोई सामाजिक क्रान्ति नहीं हो सकती। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। निराश और हताश लोगों से विध्वंस तो कराया जा सकता है, लेकिन किसी तरह का नवनिर्माण संभव नहीं। हिंसा और आतंकवाद से किसी भी वर्ग को मुक्ति नहीं दिलायी जा सकती हैं। इससे राज्य सरकारों को हिंसा रोकने का वैधानिक अधिकार मिल जाता है और वे दमनकारी नीतियाँ अपनाने लगती हैं। राज्य सरकारों का जब दमन चक्र चलता है तब जनता पर ही वे अत्याचार करती हैं। इससे जनता और सरकार के बीच टकराहट बढ़ जाती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोनों तरफ से हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर चल रहा है। लेकिन कई स्थानों पर पुलिस नक्सलियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। आवश्यकता इस बात

की है कि इस दुश्चक्र को तोड़ा जाय। सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को दूर करने के ठोस उपाय किये जायँ। विकास और समृद्धि के जनवादी दर्शन से ही नक्सली हिंसा के इस फैलाव को रोका जा सकता है।

कांग्रेस नेतृत्व वाली पूर्व की संप्रग सरकार (संप्रग-दो) के एक साल पूरा हो जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने 24 मई, 2010 को मीडिया के समक्ष यह स्वीकार किया कि नक्सलवाद देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है। केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर संयुक्त प्रयास करें, एकजुट होकर सही दिशा में काम करें तब ही इस बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या का समाधान सम्भव है।

दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में व्याप्त माओवाद के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री डॉ॰ रमण सिंह का विचार है कि नक्सली किसी रहम के पात्र नहीं हैं। वे जनता के क्रूर शोषक हैं। उनकी नजर छत्तीसगढ़ या किसी राज्य विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे दिल्ली की सत्ता तक का सपना देख रहे हैं। आदिवासी इलाकों के विकास से उनका दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। लोकतंत्र और संविधान की धज्जी उड़ाकर वे सरेआम जन अदालतों का आयोजन कर अपने विरोधियों का क्रूरतापूर्ण कत्ल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में न तो जमीन्दारों का आतंक है और न शोषण का दुष्चक्र ही। जमीन से बेदखली जैसी कोई चीज भी नहीं है। यहाँ वर्ग भेद नहीं है, ऊँच-नीच की बात नहीं है। खनन के निजीकरण के बारे में लगाये जा रहे आरोप भी सरासर निराधार हैं। दिल्ली में बैठे लोगों को माओवाद की जड़ जहाँ दिखती है दरअसल वहाँ है नहीं। केन्द्र और पूर्वी राज्य सरकारों की निरंतर उपेक्षापूर्ण नीतियों के चलते ही छत्तीसगढ़ में माओवादियों और नक्सलवादियों का इतना बड़ा जाल फैल गया है। वर्ष 1970 ई॰ के दशक से लेकर सन् 2003 ई॰ तक की उपेक्षा के फलस्वरूप हालत बिगड़ती गयी है। नक्सल प्रभावित इलाकों-बस्तर, बीजापुर, नारायणगढ़ और दंतेवाड़ा- में बढ़ते माओवाद को समय से पूर्व गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया गया। फलतः यह राज्य माओवाद और नक्सलवाद का केन्द्र बिन्दु बन गया है। अबूझमाड़ कहे जाने वाले इस 40 हजार वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण यह कहकर नहीं कराया गया कि यहाँ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ विकास की रोशनी पहुँच ही नहीं पायी। देश का यह

उपेक्षित इलाका विकास की मुख्यधारा से कटा रह गया। यहाँ 100 से 200 किलोमीटर तक पुलिस थाने नहीं हैं। पुलिस के पास आधुनिक हथियार की बात तो दूर रही, थाने की दीवार तक नहीं है। आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं, प्रशिक्षण नहीं है। माओवादियों की ज्यादती से तंग आकर आम आदिवासी थक गये हैं और नक्सलियों के खिलाफ उनका जनान्दोलन स्वत: स्फूर्त्त विरोध है, जो उनके आधुनिक अस्त्रों का जवाब अपने परम्परागत तीर-कमान से देते हैं।

बिहार गम्भीर-घृणित अपराध एवं नरसंहार का पर्याय बन गया है। नरसंहार भले नक्सली गुट करें या प्राइवेट सेना अथवा अपराधी गिरोह, अपराध एवं नरसंहार के लिए बस एक बहाना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक न्याय, वर्ग विभेद को पाटने की कवायद, राजनीतिक वर्चस्व स्थापना या आपराधिक आतंक फैलाना, कोई भी बहाना हो, बिहार में अपराध एवं नरसंहार सुलभ हैं, यहाँ जानें सस्ती हैं। नरसंहार करने वाले और उनके बहाने भले ही बदलते रहते हों, पर एक चीज जो तय है, वह यह कि पुलिस-प्रशासन इसे रोकने में हमेशा विफल रहता है और तकरीबन हर बार निर्दोष निरपराध ही नरसंहार का निशाना बनते हैं। पूरा बिहार समस्याग्रस्त है, पर उग्रवादी संगठनों ने जमीनी स्तर पर लोगों में चेतना एवं जागरुकता ला दी है और आज स्थिति यह है कि भूमिहीन लोगों ने अपनी किस्मत इन उग्रवादी नेताओं के साथ जोड़ दिया है। बात भी यह सही है कि जब आमलोगों को सरकार से इंसाफ नहीं मिलता, न ही सरकार तंत्र उनकी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है, तो वैसी परिस्थिति में वे अपराधी एवं उग्रवादी संगठनों की शरण में जाएँगे ही।

बिहार में पिछले 25 वर्षों में राजद-जनता दल (यू०) के शासनकाल में 25 से अधिक सामूहिक नरसंहारों में 1000 से अधिक दलित गरीबों की सामूहिक हत्या हुई। उनमें मुख्य:-सन् 1990 दरियापुर पटना 4 दलित, 1991 तीसखोरा पटना 14 दलित, 1991 मेलवरिया पलामू 11 दलित, 1991 देवसहियारा भोजपुर 14 दलित, 1991 सावनबिगहा जहानाबाद 7 दलित, 1991 मेनवरसिम्हा जहानाबाद 9 दलित, 1991 करकटबिगहा पटना 4 दलित, 1993 एकवारी भोजपुर 4 दलित, 1994 नाढ़ी भोजपुर 9 दलित, 1995 सरथुआ भोजपुर 6 दलित, 1995 नोनउर भोजपुर 6 दलित, 1996 बथानी टोला भोजपुर 21 दलित, 1996 खनेट भोजपुर 6 दलित, 1996 एकबारी भोजपुर 6 दलित, 1997

लक्ष्मणपुर-बाथे जहानाबाद 61 दलित, 1998 नगरी भोजपुर 10 दलित, 1998 खडासीन जहानाबाद 8 दलित, 1999 शंकर-बिगहा जहानाबाद 23 दलित, 1999 नारायणपुर जहानाबाद 11 दलित और 2000 पंचपोखरी रोहतास 5 दलित।

विशेष अदालतें गठित होने के बावजूद आरोपियों को अदालत ने मुक्त कर दिया। बरी करने की वही एक वजह, पुलिस अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पायी। बिहार की 1990 से अभी तक की सरकारों ने कभी यह कोशिश नहीं की कि पीड़ितों को इन्साफ मिले। अगर सरकारें ईमानदार कोशिशें करतीं, तो दोषियों को सजा जरूर मिलती। राज्य में इतने बड़े-बड़े जनसंहार हुए, लेकिन दोषी कोई नहीं। इंसाफ का इससे ज्यादा माखौल और क्या हो सकता है? सवाल अकेले सरकार और हमारी न्याय प्रणाली पर ही खड़े नहीं होते, बल्कि राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के दायरे में है। तमाम इस तरह के दीगर मामलों को, इनमें एक बात समान है-राज्य पुलिस ने इन सभी मामलों में घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि पुलिस को नरसंहार मामलों में बार-बार सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। यदि कोई सबूत या चश्मदीद गवाह होता भी है, तो वह अदालत में अपने बयानों से पलट जाता है। जाहिर है कि गवाहों पर कहीं न कहीं कोई दबाव रहता है, जिसके चलते वे अदालत में टूट जाते हैं। यानी यहाँ भी बिहार पुलिस, गवाहों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रहीं। यदि पुलिस ठीक ढंग से काम करती, तो इन जनसंहारों के दोषियों को बचने का जरा भी मौका नहीं मिलता और वे अपने किए की सजा जरूर पाते। इन नरसंहारों में मारे गये परिवारों को अभीतक की सभी सरकारों ने समुचित पुनर्वास, अनुग्रह राशि, बच्चे एवं विधवा की व्यवस्था के संबंध में गंभीरता से विचार नहीं किया है। सदियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर जी रहे दलितों के प्रति समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों का नजरिया, लोकतंत्र, समता और न्याय आदि के तमाम प्रचार के बावजूद नहीं बदला है।

छत्तीसगढ़, झारखण्ड और बिहार में जारी हिंसक उफान में अभी तक किसी ने भारत में माओवाद के प्रणेता कानु सान्याल की आत्महत्या के निहितार्थ तलाशने की कोशिश नहीं की और न कोई वैचारिक बहस ही छिड़ी। देश की

राजनीति में विचारों के आदान-प्रदान का इतना अधिक अभाव रहा है कि खूनी क्रान्ति की अवधारणा से कानू सान्याल के मोहभंग पर कोई वैचारिक हमला नहीं बोला गया। अगर प्रणेता ही अपने आपको क्रान्तियों से किनारा काट ले, तो इससे क्रान्तियों का वैचारिक खोखलापन खुलकर सामने दिखने लगता है।

भगवान् गौतम बुद्ध और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का शांतिप्रिय देश भारत माओ से घृणा करता है। इसलिए माओवाद का जापकर सत्ता में आने का दिवा स्वप्न आश्चर्यजनक और हास्यास्पद है। क्रान्तियों की पृष्ठभूमि में विचार एक उत्प्रेरक शक्ति जरूर है। लेकिन विचार कोई टेक्नालॉजी नहीं है जिसका स्थानान्तरण आसानी से एक देश से दूसरे देश में किया जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि विदेशों से आयात किये गये अथवा उधार लिए गये विचारों के द्वारा क्रान्तियाँ नहीं होतीं। समाज की तत्कालीन या समकालीन परिस्थितियाँ ही आधारभूत भूमिका निभाती हैं। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार समय के साथ मार्क्सवाद और लेनिनवाद में भी फर्क दिखता है। लेनिनवाद और माओवाद में तो जमीन-आसमान का अन्तर है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का दुर्भाग्य यह है कि भारतीय गणतंत्र के 68 वर्षों के बावजूद अब भी हमारे लोकतंत्र ने विचारों की कोई ऐसी ऊर्जा भी प्रवाहित नहीं की जिससे माओवाद जैसे दीर्घकालीन हिंसक विचारों को रोका जा सके।

सच पूछा जाय तो भारत जैसे एक लोकतांत्रिक समाज में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। साथ ही सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। सन् 2006 ई॰ में वन अधिकार कानून बनाया गया जो सही कदम है। परंतु, उसे ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। जनजातियों का प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार हो, किन्तु यह स्वीकारा नहीं जा रहा है। विकास के नाम पर जनजातियों का विस्थापन हो रहा है। उन्हें मुआवजा के तौर पर सांकेतिक राशि दी जा रही है। किन्तु, यह माना जाना चाहिए कि जो जमीन खनन माफिया एवं वन ठीकेदारों को दी गयी है उसमें जनजातियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जनजातीय संबंधित नीतियों में खामियाँ हैं। आदिवासी जहाँ रह रहे हैं उस पर काफी लम्बे अर्से से उनका ही स्वामित्व रहा है। आवश्यकता है उन्हें अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त हो सके।

मार्क्सवाद, माओवाद, नक्सलपंथ और जनवादी गणतंत्र अपने विचारात्मक एवं अवधारणात्मक रूप में बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत लगते हैं। लेकिन

हकीकत यह है कि इन हिंसक वारदातों में दीन-हीन गरीब ही इस्तेमाल किये जाते हैं, पीसे जाते हैं, पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं। ये नक्सली संगठन एक तरफ विदेशी हथियारों से लैस हैं तो दूसरी तरफ दृढ़ इच्छाशक्ति से सम्पन्न हैं। केन्द्र सरकार अपना रोआब और इनकबाल खो चुकी है। राष्ट्र मौन है और केन्द्रीय सत्ता संवेदनाविहीन और सन्न है।

नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं। वे बिना रोक-टोक, निडर-निर्भय होकर सुरक्षा बलों और निरीह लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद दिनानुदिन बढ़ता फैलता नक्सलवाद रूपी बटवृक्ष केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच व्याप्त- ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन वाली राजनीति का शिकार है अलग-अलग राग अलापे जाते हैं। केन्द्र और राज्य; इनके बीच इस समस्या से निपटने के लिए ताल-मेल नहीं। यह समस्या कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सन् 2005 से 2008 ई॰ के बीच नक्सली हमलों में कोई 2771 लोग मारे गये। इनमें 1994 नागरिक और 777 सुरक्षा कर्मी शामिल थे जबकि इन चार सालों में सिर्फ 839 नक्सली ही मारे गये। नक्सली हिंसा की मौतें जम्मू-काश्मीर में व्याप्त आतंकवाद और पूर्वोत्तर की अलगावी हिंसा से कहीं ज्यादा है।

आज सचमुच यह स्थिति किसी युद्ध की विभीषिका से कम नहीं है। बिहार में अगर एक तरफ पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बल के जवान नक्सलियों के विस्फोटक पकड़ते हैं तो माओवादी दस्ते किसी गाँव में घुसकर मार-काट करते हैं। बिहार में कहीं भी कोई नक्सली नेता पकड़ा जाता है तो कई रेल मार्गों की पटरियों पर विस्फोट शुरू हो जाते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बिहार के लगभग तीन दर्जन जिलों में भाकपा माओवादी का असर है। अहिंसा के पुजारी गौतम बुद्ध की ज्ञान-धरती-''बोध गया''-की शांति-भूमि तो नक्सली हिंसा से पहले से ही ग्रस्त थी ही, अब जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जन्मस्थली भी नक्सली हिंसा की आग में जल रही है।

नक्सली आन्दोलन को सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की परिणति मानने के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल कराने का गंभीर प्रयास अब तक नहीं किया गया। यह समस्या केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है वरन यह सामाजिक-आर्थिक समस्या है। इस बात पर भी

सरकार ने बार-बार जोर दिया है कि नक्सली प्रभावित इलाकों में विकास कार्य तीव्र किये जायँ तथा ऐसे सरकारी कर्मचारी व अधिकारी पदस्थापित किये जायँ जो उस अंचल से वाकिफ हों और आम जनता के प्रति संवेदनशील हों। ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा रही है कि नक्सलियों को मिल रहे जनसमर्थन को रोका जाय। किन्तु, लोगों के बीच सरकार के इन प्रयासों से कोई सफलता नहीं मिल सकी है। दरअसल, सही मायने में इस दिशा में ईमानदार प्रयास नहीं हुए हैं। आज भी सरकारी कर्मचारी व अधिकारी नक्सली इलाकों में अपनी पदस्थापना को सजा के तौर पर देखते हैं। इस तरह नक्सलियों का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और उनकी गतिविधियों का विस्तार हो रहा है।

नक्सली संगठन हिंसा के सहारे सामाजिक न्याय की स्थापना का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। संसदीय राजनीति में उनकी कोई आस्था नहीं है। सामाजिक न्याय और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के उद्देश्य की यदि बात की जाय तो उनके ज्ञात उद्देश्य से अन्य राजनीतिक दल भी असहमत नहीं होंगे। किन्तु यदि आपत्ति है तो हिंसा के जरिए इस लक्ष्य को पाने के उपक्रम के प्रति। संसदीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और सत्ता की सीमाओं में रहकर कोई भी दल या सरकार अराजक हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, भले ही वह कितने ही पवित्र उद्देश्य के लिए क्यों न की जा रही हो। किन्तु, इतना तो सभी मानते हैं कि नक्सलवाद कानून और व्यवस्था की समस्या न होकर सामाजिक व आर्थिक समस्या है तथा इसका मुकाबला केवल पुलिस के जरिए संभव नहीं है।

नक्सली जन अदालत लगाकर ग्रामीणों के आपसी विवाद भी निपटाते हैं और उनकी निगाह में अपराधी पाए जाने वाले को सजा भी देते हैं। आरोपी पर अपराध तय करने तथा सजा देने का तरीका पूर्णत: पारदर्शी है। यह काम किसी अज्ञात स्थान पर नहीं वरन गाँव वालों की उपस्थिति में होता है। अब जबकि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए पंचायती राज की स्थापना कर दी गयी है तथा ग्राम न्यायालयों का अस्तित्व भी कायम हो गया है तब नक्सलियों को इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाय, ताकि वे हिंसा का रास्ता छोड़ सकें। पंचायती राज और ग्राम न्यायालय व्यवस्था को इतना प्रभावी बनाया जाना चाहिए कि वह नक्सलियों का ऐसा विकल्प प्रस्तुत करे जिससे आम जनता का विश्वास नक्सलियों से हटकर पंचायती राज के प्रति स्थापित हो सके।

नक्सलपंथी के विकास एवं विस्तार के पीछे भूमि समस्या मुख्य कारक है। भूमि सुधारों को लागू करने के कुछ मामलों एवं कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं सफलता नहीं दिखायी पड़ती। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं नौकरशाहों में प्रतिबद्धता की कमी, कानूनों में मौजूद खामियों, भूस्वामियों की दाँव-पेच की व्यापक क्षमता, गरीबों के बीच संगठन अभाव और अदालतों की अत्यधिक दखलंदाजी की भेंट चढ़ गया। वितरण के लिए बहुत कम अतिरिक्त जमीन भूस्वामियों से प्राप्त की जा सकी। इस निराशाजनक स्थिति में यह शायद ही संभव था कि भूमि सुधारों का कुछ ठोस लाभ अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अत्यंत गरीब को मिल पाये। नक्सलियों से निपटने के लिए कारगर रणनीति अबतक नहीं बन सकी है। हालाँकि इस मामले में केन्द्र सरकार भी अपना पूरा सहयोग देने की बात कह चुकी है, किन्तु पता नहीं क्यों उस पर भी अभीतक अमल नहीं किया जा सका है। वैसे एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि नक्सलियों के मुकाबले पुलिस हर दृष्टि से 'कमजोर' है। पुलिस के पास उग्रवादियों के मुकाबले के लिए न तो अच्छे हथियार हैं, न वाहन और न ही संचार प्रणाली। शायद यही कारण है कि नक्सली दिन-प्रतिदिन अपने वारदात क्षेत्र में विस्तार करते चले आ रहे हैं। विडम्बना यह है कि जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो पूरा प्रशासन सतर्क हो जाता है, किन्तु समय बीतने के साथ ही सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। इस ढुल-मुल रवैये से तो समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। बेहतर हो कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता दिखाये। पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के अलावा नये सिरे से प्रशिक्षित भी किये जाने की जरूरत है। इसके साथ ही नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास को भी उच्च प्राथमिकता दी जाय, तभी धरती को हिंसा मुक्त किया जा सकेगा।

कार्ल मार्क्स ने जिस सिद्धांत को लेकर पूँजीवाद के खिलाफ लाल झंडा उठाया था और 'दुनिया के मजदूरो! एक हो' का नारा दिया था, वह साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। यही साम्यवाद अब हमारे यहाँ नक्सलवाद की संज्ञा से अभिहित है, हिंसा का पर्याय बना हुआ है। सच पूछा जाय तो यह आतंकवाद, देशद्रोह, आपराधिक वारदात का नहीं, बल्कि साम्यवादी विचारधाराओं और मार्क्स एवं लेनिन द्वारा शुरू की गयी सामाजिक क्रान्ति का ही एक

विचार-मंच है, एक क्रान्तिकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य पूँजीवाद, सामंतवाद और भ्रष्टाचार का अंत करना है, अमीरी-गरीबी की खाई को पाटकर एक समतामूलक समाज की स्थापना करनी है। सरकार की नीतियाँ इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हैं; इसीलिए नक्सलवादियों ने बन्दूकें उठायीं और सरकारी बन्दूकों की गोलियाँ नक्सली बंदूकों की गोलियों से टकरा रही हैं तथा आम जनता हिंसा का शिकार हो रही है। लेकिन, हिंसा किसी भी परिस्थिति में किसी समस्या का समाधान नहीं है। नक्सलवाद की समस्या का समाधन हिंसा से नहीं, गाँधी और जयप्रकाश के बताये अहिंसा के मार्ग को अपनाकर ही संभव है। इसके लिए दोनों तरफ की बन्दूकें डाल देनी होंगी। युद्ध से युद्ध का समाधान नहीं होता। अंततोगत्वा युद्धरत उभय पक्ष को संधि और समझौते के टेबुल पर एक साथ बैठकर बातचीत के माध्यम से बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। नक्सलियों और सरकार के साथ भी यह बात पूरी तरह लागू होती है। हिंसा से हिंसा का अंत नहीं होता, इसका अन्त तो अहिंसा से ही संभव है और हिंसा पर आधारित क्रांति के बजाय शांतिप्रद उपायों से प्रेरित क्रांति ज्यादा व्यापक तथा चिरस्थायी होती है- यह एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई भी 'वाद' इनकार और इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

नक्सली हिंसा को केवल कानून-व्यवस्था का ही मुद्दा नहीं समझना चाहिए। विकास के अभाव का भी उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जितना शोषण और खराब सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का। नक्सलवाद का खतरा भौगोलिक रूप से देश के अधिक पिछड़े राज्यों तक ही सीमित है। अतः इसके निदान के लिए इन क्षेत्रों में विकास की कार्यनीति अपनाने की जरूरत है। कानून-व्यवस्था बनाये रखने में राजनीतिक दखलंदाजी को रोकने के उद्देश्य से सभी राज्यों व केन्द्र को एक अनुकूल माहौल विकसित करने की जरूरत है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस क्रम में मानवाधिकारों की रक्षा भी हर हालत में होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल रहे; इसका इंतजाम करना सरकार और प्रशासन के लिए अनिवार्य है।

इस समस्या से पूरा राष्ट्र चिन्तित है और सरकार द्वारा इसके निदान के लिए कई वर्षो से उपाय भी किये जाते रहे हैं। मेरे द्वारा समय-समय पर जो सुचिन्तित विचार, मंतव्य, मार्गदर्शन दिये गये हैं और जो बताये गये हैं, उनसे

पूरे देश को निस्संदेह शांति और समता के साथ-साथ लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली के विकस के लिए लाभांवित किया जा सकता है; उग्रवाद की ताकत को भी मुख्य धारा से जोड़ने और राष्ट्रीय प्रगति में प्रयुक्त करने के लिए तो प्रशस्त पथ भी तैयार हो सकता है।

प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता समिति की अनुशेसा के आधार पर देश की 77 फीसदी आबादी हर दिन 20रू. से भी कम पर जिन्दगी जीती है और इस आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा असंगठित क्षेत्र का होता है। अत: मेरी स्पष्ट राय है कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण हो। ये अधिकार सभी को मिले। नक्सलवाद भारत की धरती से संचालित एक आंदोलन है,एक विचारधारा है, जिससे सैन्य कार्रवाई या सख्ती से केवल नहीं निपटा जा सकता है। इसके कारणों में स्थानीय लोगो का असंतोष है। इसके समाधान के लिए फैसले थोपने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ही इसका समाधान संभव है।

❐

5

असंगठित क्षेत्र के मजदूर : समस्या एवं समाधान

मई दिवस समारोह मनाने का सिलसिला आज से करीब 100 वर्ष पूर्व यानि 1890 में शुरू हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र अमरीका के कामगारों ने संयुक्त रूप से मांग रखी कि प्रतिदिन कार्यावधि आठ घंटों तक सीमित की जाय और इस मांग के प्रबल समर्थन में यूरोपीय देशों के श्रमिक-वर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक एकता का व्रत लिया। तब से प्रति वर्ष यह दिवस श्रम संसार की समस्याओं के समाधान, तथा इसकी आशाओं के पूर्ति-प्रयत्नों के संकल्प प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। समाज व्यवस्थाओं के स्वरूप विभिन्नताओं से ऊपर उठकर सभी देश इस पुण्य-दिवस को मनाते हैं। चाहे वे समाजवादी देश हों, या पूंजीवादी, विकसित हो या विकासशील। अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, सोवियत रूस, भारत और अन्य सभी तृतीय विश्व के देशों में इस पावन मानवीय तिथि को समारोहपूर्वक आयोजित किये जाते है। साथ ही अमरीका तथा इंग्लैंड जैसे कुछ विकसित देशों की सामान्य जनता इस दिवस को बसंत त्योहार के रूप में मनाती है, जब इन शीत प्रधान संपन्न देशों की वसुंधरा नवीन पत्र-पुष्पों, फल-फूलों, तथा सर्वव्यापक हरीतिमा की मादक गंध से पूरित होने का अभियान आरंभ करती है, मानों अपने अन्तर्निहित बासंती सम्पत्ति को मानवीय उपयोग के लिए प्रस्तुत करना प्रारंभ करती है। यह बसन्तोत्सव भौतिक बाहुल्य-प्राप्ति की प्रतिक्रिया का श्रीगणेश है।

भारत में सर्वप्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हुई। शोषण से बचाव के अधिकार के साथ समानता का अधिकार एवं अन्य मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किये गये परंतु श्रमिकों के शोषण से

संबंधित सारे अधिकार अपूर्णत: क्रियान्वित रह गये। श्रम पर जीवनयापन करने वाला प्राणी श्रमिक बना, परंतु उसका दायरा सीमित रहा। चकाचौंध की आंधी के आगे श्रमिक कभी उभरकर अपने अधिकार मांग पाने में सफल नहीं हो सका। भारतीय संविधान में बेगार के काम लेना दण्डनीय अपराध माना गया। नाबालिगों से श्रम कराना भी दण्डनीय है। परंतु ये नियम मात्र कागजी बनकर रह गये । संविधान के निर्देशक सिद्धांत में भी यह व्यवस्था की गयी है कि 'समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था हो।' ये बातें कानून किस हद तक अमल में ला रहा है, सर्वविदित है। असंगठित मजदूरों को संरक्षण प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। देश में श्रम कानून तो उपलब्ध हैं, किन्तु असंगठित मजदूरों को इसका लाभ शायद नाम मात्र ही मिल पाता हो। श्रम कानून प्रावधानों से बचने के लिए नियोजक मजदूरों के नाम नियमित रूप से बही में दर्ज नहीं करते। वैसे असंगठित श्रमिकों के लिए बने कानूनों में भी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-246 के अनुसार संसद केन्द्रीय सूची के विषयों पर, राज्य सरकार राज्यसूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है। जैसा कि श्रम और श्रम कल्याण से सम्बन्धित विषय केन्द्रीय सूची और समवर्ती सूची दोनों में आते हैं इसलिए संसद और राज्य सरकार ने उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण में विभिन्न श्रम कानून अधिनियमित किये हैं। देश में पहला श्रम कानून कारखाना कामगारों के शोषण को दूर करने के लिए लगभग एक सदी पहले अधिनियमित किया गया था। यह तब किया गया था जब भारत में नया-नया औद्योगीकरण हो रहा था। फैक्टरियाँ स्थापित की जा रही थीं। इसलिए इन कानूनों में कारखाना में काम करनेवाले मजदूरों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था और ये पहले से मौजूद ब्रिटिश कानूनों की तर्ज पर थे। आजादी के बाद इन कानूनों के दायरे में आनेवाले प्रतिष्ठान ऐसे क्षेत्र में तब्दील हुए जिन्हें आज हम 'संगठित' क्षेत्र कहते हैं। समय के साथ इस क्षेत्र के कामगारों की स्थिति में काफी सुधार आया है। लेकिन संगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति कभी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई है। इसलिए ज्यादातर मजदूर असंगठित क्षेत्र में रहे हैं और आमतौर पर श्रम कानूनों के लाभ नहीं ले पाते हैं। यह तो केवल पिछले करीब 30 सालों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पहचान मिली है और उन्हें श्रम कानूनों के दायरे में लाया गया है।

हम तीन प्रकार के श्रम कानून देख सकते हैं। पहला काम करने की स्थिति और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। दूसरा कानून जो सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों से सम्बन्धित हैं, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम–1952, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम–1948 और तीसरे वे कानून हैं जिनसे संगठन निर्माण और नियोक्ता–कर्मचारी संबंध शासित होते है; जैसे ट्रेड यूनियन अधिनियम–1926 और औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947। पहले प्रकार के अधिनियम के लिए आमतौर पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध स्थापित करना अपेक्षित होता है। असंगठित क्षेत्र में यह संबंध साबित करना कठिन है। स्वाभाविक है कि स्वाश्रयी कामगारों में ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन वैतनिक कामगारों के लिए भी जिन्हें नियोक्ता द्वारा मजदूरी दी जाती है, प्राय: यह संबंध स्थापित करना कठिन होता है। कई नियोक्ता श्रम ठेकेदारों के माध्यम से काम करते हैं जो कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं और इसलिए कामगारों की पहचान करना कठिन है। कामगार प्राय: अनियमित मजदूर होते हैं जो एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता के यहाँ काम करते हैं जैसे कृषि कामगारों के मामले में और इसलिए किसी एक नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराना कठिन होता है। किसी भी हाल में अधिकांश नियोक्ता इस संबंध को छिपाने का हर संभव प्रयास करते हैं और असंगठित होने के कारण कामगार इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। सामाजिक सुरक्षा संबंधी पुराने कानून जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम–1952 और कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम–1948 फैक्ट्रियों में औद्योगिक कामगारों की स्थिति को ध्यान में रखकर अधिनियमित किये गये थे। लेकिन बीते समय में अदालती फैसलों में यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून गैर फैक्ट्री कामगारों के लिए भी लागू हो सकते हैं और स्वाश्रयी कामगारों जैसे बीड़ी कामगारों को इस कानून के दायरे में शामिल किया गया है। जैसाकि यह स्पष्ट हो गया कि असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र यहाँ बना रहने वाला है और उनके लिए नये श्रम कानून अपेक्षित होंगे, इसलिए असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ नये कानून बनाये गये हैं। इनमें भवन व अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम–1996, बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम 1976 और बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1976 शामिल हैं जिनके लिए

नियोक्ता-कर्मचारी संबंध होना अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं है। बिलकुल हाल में बना और अब तक का सबसे व्यापक अधिनियम असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 है। साथ ही असंगठित क्षेत्र के तहत कुछ ऐसी श्रेणियों के लिए भी कानून बनाये गये, जो अत्यधिक शोषित थीं जैसे सिर पर मैला ढोने वाले बाल्मिकी या बंधुआ मजदूर।

असंगठित मजदूरों को संरक्षण प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। देश में श्रम कानून तो उपलब्ध हैं, किन्तु असंगठित मजदूरों को इसका लाभ शायद ही मिल पाता हो। श्रम कानून प्रावधानों से बचने के लिए नियोजक मजदूरों के नाम नियमित रूप से बही में दर्ज नहीं करते। वैसे असंगठित श्रमिकों के लिए बने कानूनों में भी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मजदूरी भुगतान कानून 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेका श्रम अधिनियम 1970 भी सरकार की उदासीनता के कारण महज कागजी घोड़े साबित हो रहे हैं। अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979 का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर है। उसे जमीन पर उतारने की कोशिश न तो सरकार करती दिखाई पड़ती है और न सामाजिक संगठन। 93 फीसदी असंगठित मजदूरों की सुध प्रायः किसी को निश्चित रूप से नहीं है। ट्रेड यूनियनों को भी सिर्फ संगठित मजदूरों की चिन्ता होती है। देश के अंदर हुए तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन संगठित मजदूरों तक ही सीमित रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थानों ने कभी-कभार इनकी सुध लेने की कोशिश की है और इनकी समस्याओं पर सेमिनार आदि हुए हैं। चार दशकों से लगातार केन्द्र की सभी सरकारें असंगठित मजदूरों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय अधिनियम बनाने की घोषणा करती रही है–परंतु किसी न किसी कारणवश असंगठित मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून नहीं बन पाया। प्रथम एवं द्वितीय श्रम आयोग ने इनके लिए संगठित क्षेत्र की तरह मजदूरों के कानूनी संरक्षण की अनुशंसा की है। इनके लिए समय-समय पर सरकार की घोषणा भी उदासीनता के कारण कार्यरत नहीं हो पायी है। जबकि देश के 93 फीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्र में उदारीकरण के दौर में असुरक्षित है। रोजगार में आयी कमी ने असंगठित मजदूरों की कमर तोड़ दी है। देश में जो श्रम कानून इनके लिए उपलब्ध हैं उनका मजदूरों को लाभ नहीं मिल पाता है।

उदारीकरण के नये दौर में भारत का जो आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य उभरकर सामने आया, उसमें एक ओर विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप खुली अर्थनीति की बाध्यता रही, तो दूसरी ओर देश के करोड़ों श्रमिकों के संरक्षण एवं श्रम कानूनों के सुव्यवस्थीकरण की। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कुछ समय से भारत सरकार पर दबाव डालते रहे हैं कि वह ऐसे श्रम सुधार कानून लागू करें जिनके तहत कारखानों के मालिकों को यह अधिकार दिया जाय कि वे श्रमिकों को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरित कर सकें और जरूरी समझे तो कर्मचारियों को नौकरी से हटा भी सकें। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि उद्योगों एवं श्रम-सुधारों के समर्थक काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि बिना सरकार की अनुमति के छंटनी करने की सुविधा 100 कर्मचारियों वाले उद्यमों से बढ़ाकर 1000 कर्मचारियों वाले उद्यमों को दी जाय। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक बार श्रमिकों की संख्या 100 से 1000 बढ़ा देने पर 92.2 प्रतिशत पंजीकृत कारखाने श्रमिकों को बिना सरकारी अनुमति के निकालने की स्थिति में आ जायेंगे। इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि जहाँ अभी तक लगभग 30 प्रतिशत श्रमिकों को बिना सरकारी अनुमति के नौकरी से निकाला जा सकता है, वहाँ उपर्युक्त सीमा में वृद्धि होने पर 75 प्रतिशत श्रमिकों को बिना सरकारी अनुमति के नौकरी से निकाला जा सकेगा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के समाकलन, ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों के कारण देश में रोजगार सुरक्षा के संबंध में नई चिंताएं उत्पन्न हो गई है हाल ही में केन्द्र सरकार ने दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को लेकर विभिन्न हलकों से उठ रहे विरोध को देखते हुए सरकार ने घोषणा की कि उदारीकरण और आर्थिक सुधार के बीच श्रमिकों के हितों की अनदेखी नहीं की जायेगी।

दूसरे श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नियोक्ता को पूर्वानुमति के बिना छंटनी का अधिकार देने, वेतन बोर्ड एवं श्रम संगठनों की बहुलता की आवश्यकता समाप्त करने तथा छुट्टियों की संख्या घटाने जैसी क्रान्तिकारी सिफारिशें की हैं। इसके अतिरिक्त 10 वैकल्पिक अवकाशों की भी अनुशंसा की है। आयोग ने केन्द्र को कार्यस्थल पर काम-काज की दशा सुधारने के लिए व्यापक कानून बनाने का सुझाव दिया है तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के

अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की आवश्यकता बतायी है। श्रमिकों से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाना तथा बाल श्रम उन्मूलन को शिक्षा से जोड़ना आयोग की सिफारिशों में शामिल हैं। बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए 2000 करोड़ रूपयों की विशेष निधि की स्थापना का सुझाव भी रिपोर्ट में दिया गया है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र को एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन कानून बनाना चाहिये और न्यूनतम वेतन का निर्धारण राज्यों पर छोड़ देना चाहिये, जो राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं होना चाहिये। आयोग की सिफारिशों का विश्लेषण किया जाय तो तीन तरह की बातें उभरकर सामने आती हैं-ऐसी सिफारिशें जो बिल्कुल नई कार्य-संस्कृति को रेखांकित करती हैं, जैसे-राष्ट्रीय अवकाशों में कटौती तथा असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम सुरक्षा प्रावधान। इन सिफारिशों से किसी को भी ज्यादा परेशानी नहीं है। सिफारिशों में से कुछ उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करती हैं तो कुछ श्रमिकों के हितों की। दूसरे श्रम आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय चीन के श्रम कानूनों का व्यापक अध्ययन किया, क्योंकि चीनी श्रम-कानून भारत की अपेक्षा अधिक उदार हैं जिसके कारण वहाँ विकास दर एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक तीव्र रही है। चीन की तरह भारत में भी ट्रेड यूनियन की आवश्यकता को दूसरे श्रम आयोग ने अनिवार्य माना है, ताकि भारत में आये दिन हो रही हड़तालों पर अंकुश लग सके। अनुर्बंधित श्रम (कांट्रेक्ट लेबर) के संदर्भ में भी आयोग की सिफारिशों पर चीनी श्रम-कानूनों का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है, किन्तु आयोग का यह भी कहना है कि देश में 'अनुर्बंधित श्रम व्यवस्था' और 'जब तक काम, तब तक दाम' (हायर एण्ड फायर) की नीति अपनाने से पहले सामाजिक सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित कर लेने चाहिये। अन्यथा सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। अत: इसे तत्काल लागू करना ठीक नहीं है।

असंगठित मजदूरों के लिए श्रम कानूनों को लागू करना अक्सर मुश्किल होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, श्रम कानून मुख्य रूप से उन कामगारों के लिए होते हैं जो नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में होते हैं और इन संबंधों को साबित करना मुश्किल होता है-कामगारों के प्राय: कई नियोक्ता होते हैं। नियोक्ता खुद उनके और उनके कर्मचारियों के बीच संबंध दिखानेवाले सभी

रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश करते हैं। कामगारों को धमकाया जाता है और वे अपना रोजगार खोने से डरते हैं। दूसरा, कानून प्रमुख रूप से फैक्ट्रियों के लिए बनाये जाते हैं जहाँ कई कामगारों को एक साथ पाना संभव होता है। वहीं असंगठित क्षेत्र में कार्य स्थल घर से लेकर खेत, गली और बदलते रहने वाले स्थानों के रूप में होते हैं जैसे भवन निर्माण कार्य स्थल। तीसरा, कानून लागू किये जा सकते हैं यदि मजदूर संगठित हों। लेकिन अधिकांश कामगार अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। चौथा, एक मात्र कार्यान्वयन एजेंसी श्रम विभाग है जिसके पास निधि की कमी है और पर्याप्त कार्मिक नहीं है। साथ ही, इसका मुख्य जोर औपचारिक क्षेत्र के उद्यमों पर है और असंगठित और बिखरे कामगारों के लिए इसके पास समय नहीं है। अंततः ऐसे मामलों में सामाजिक सुरक्षा कानूनों के कार्यान्वयन में भी खामियाँ हैं, जहाँ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध साबित करने का सवाल ही नहीं उठता और कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार की होती है। देश भर में भवन निर्माण कामगार अधिनियम का कार्यान्वयन नहीं हो पाने का मामला सबसे अधिक आश्चर्यजनक है। इस अधिनियम के तहत सभी भवन निर्माण कार्यों पर एक उपकर लगाया जाता है जिससे एक निधि तैयार होती है जिसका उपयोग उस राज्य के केवल भवन निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए किया जाना होता है। आश्चर्य की बात है कि हर राज्य ने सैंकड़ों करोड़ रुपये एकत्र कर लिए हैं जो कि राज्य की सरकारों के पास पड़े हैं पर निर्माण मजदूरों पर उसे खर्च नहीं किया जा रहा है। 2012 में देशभर के विभिन्न बोर्डों में कुल 6600 करोड़ रुपये एकत्र किये गये थे जिसमें से केवल लगभग 965 करोड़ रुपये खर्च किये गये। अधिकांश धनराशि केवल तीन राज्यों केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में खर्च की गयी। दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार बिहार में भवन निर्माण कामगार कल्याण निधि में 358 करोड़ रुपये एकत्र किये गये थे, जिसमें से केवल पाँच प्रतिशत धनराशि खर्च की गयी थी।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक सामाजिक कानून के रूप में लागू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कामागरों की कमाई उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। हालांकि मजदूरों की बुनियादी जरूरतें काफी हद तक समान होती हैं, फिर भी यह पाया गया है कि

मजदूरों को भुगतान की गयी मजदूरी न केवल राज्य के भीतर बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अलग-अलग होती है। दरअसल, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण हर राज्य में हर व्यवसाय के लिए अलग-अलग किया जाता है, इसलिए विभिन्न राज्यों में एक ही कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में भारी असमानता होती है।

श्रम कानून सामाजिक न्याय के संवर्द्धन और कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा लाने का एक सशक्त माध्यम है। भारत में अनेक श्रम कानून हैं लेकिन उनमें से अधिकांश संगठित क्षेत्र के लिए लागू होते हैं जहाँ कुल श्रमशक्ति के मुठ्ठी भर श्रमिक काम करते हैं। बहरहाल, कुछ मौजूदा श्रम कानून ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी लागू किये जा सकते हैं। इस अध्याय में हमने कई तरीकों के सुझाव दिये हैं, जिनके जरिये श्रम कानूनों को असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र की महिला कामगारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। नये कानून के विकल्प की भी तलाश की है जो अधिनियमित किये जा सकते हैं और जिसके दायरे में किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के साथ असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर आ सकते हैं। इस कानून को बिहार असंगठित कामगार कल्याण विधेयक का नाम दिया जा सकता है। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने के बावजूद यह शायद ही कभी अदा की जाती है। यह पाया जाता है कि कामगारों को हमेशा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है। श्रम विभाग में ऐसी कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है, जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सके। निम्नलिखित सिफारिशें कामगारों को अपने श्रम की कम से कम न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होंगी:- (1) आंतरिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सरकार को प्रत्येक व्यवसाय और प्रत्येक जिले में भुगतान की गयी वास्तविक मजदूरी के बारे में पूरी सूचना रखनी चाहिये। (2) सभी पेशे न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आने चाहिए और कोई भी पेशा इसके दायरे से बाहर नहीं हो। (3) पीस दर के आधार पर जो काम कराये जाते हैं, उनकी दरें प्रति पीस के हिसाब से तय की जानी चाहिये और यह वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित की जानी चाहिये। (4) न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन भी करार के द्वारा किया जाना चाहिये और इसमें त्रिपक्षीय

व्यवस्था शामिल की जानी चाहिये। (5) प्रत्येक क्षेत्र के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी के बारे में सूचना का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए और श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में की जानेवाली शिकायतें फोन पर या ईमेल के जरिये ली जानी चाहिये।

इस अधिनियम का प्रयोजन असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ देना है। यद्यपि केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन कर दिया गया है लेकिन बिहार में राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाना बाकी है। अत: बिहार सरकार को इस अधिनियम की धारा 3(4) के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करना चाहिए। तथापि इस अधिनियम का कार्यान्वयन नियम बनाने के बाद ही किया जा सकता है। यद्यपि कानून बना दिया गया है, लेकिन नियमों की अनुपस्थिति में उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है। अत: आवश्यकता है कि उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली बनायी जानी चाहिए। बिहार राज्य में अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पहले से ही मौजूद हैं। अत: बिहार सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं को उपर्युक्त अन्य योजनाओं के साथ मिलकर एक बोर्ड के अधीन कर दिया जाना चाहिए, ताकि इन योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग की जा सके और लाभार्थियों को इनका बेहतर लाभ मिल सके। इस बोर्ड के तहत कुछ नई योजनाएं आरंभ की जा सकती हैं जिनमें वृद्धजनों को लाभ, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य योजनाएं शामिल हो सकती हैं। बिहार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कामगार सूचना केन्द्र भी स्थापित कर सकता है। बिहार सरकार राज्य के कामगारों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र राज्य अधिनियम बनाने का निर्णय कर सकती है। अलग अधिनियम का लाभ यह है कि यह पूरी तरह राज्य के अधिकार क्षेत्र में होगा और अधिनियम व इसके नियम बिहार में असंगठित कामगारों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये जा सकते हैं। बिहार असंगठित कामगार कल्याण/सामाजिक सुरक्षा विधेयक में मसौदा तैयार किया जाय जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हों:- (1) इस अधिनियम में एक शहरी और ग्रामीण बोर्ड होना चाहिए। (2)

इसमें सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल होनी चाहिए। (3) इसमें मौजूदा योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए और (4) इसका कार्यान्वयन कामगार सुविधा केन्द्रों के माध्यम से विकेन्द्रित होना चाहिए।

भारत में असंगठित क्षेत्र काफी व्यापक है। राष्ट्रीय आय में असंगठित क्षेत्र का काफी योगदान है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इस क्षेत्र में अशिक्षित तथा शिक्षित श्रमिक, कुशल तथा अकुशल श्रमिक, महिला श्रमिक कार्यरत हैं जिनका प्रत्येक क्षेत्र में पूँजीपतियों द्वारा शोषण किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कार्य का समय-निर्धारण नहीं है। ये श्रमिक खेतों-खलिहानों में कार्य करते हैं; इनसे सुबह से शाम तक कार्य लिया जाता है। इन्हें एक प्रकार से बंधुआ मजदूर के रूप में देखा जा सकता है। दुकानों व होटलों तथा अन्य छोटे उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों से 10-12 घंटों से अधिक कार्य लिया जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जोखिम के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों का अभाव पाया गया है। इनको किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना से सुरक्षा की राहत या इसके लिए विशेष नियम नहीं है। यथा श्रमिकों को लकड़ी चीरने वाली आरा मशीन पर कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो मालिक जिम्मेदार नहीं माना जाता है। ईंट-भट्ठा मजदूर जो ईंटों को पकाने का कार्य करते हैं इनकी भी किसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। निर्माण कार्य में लगे राज श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है। असंगठित क्षेत्र में श्रम संगठनों का अभाव है जिसके तहत ये श्रमिक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पूँजीपतियों और सरकार के सामने खड़े भी होते; इसलिए वे सक्षम नहीं हैं। इन श्रमिकों के संघ हैं, लेकिन वे भी मजबूत नहीं हैं। ये संघ भी श्रमिकों के अधिकारों को दिलाने में प्राय: असमर्थ ही हैं। कृषि मजदूरों से संबंधित एक बोर्ड की व्यवस्था है जो राज्य सरकार की सलाह से विभिन्न रोजगारों से संबंधित अलग-अलग बोर्डों की स्थापना राज्य स्तर पर करता है। सबसे निचले स्तर पर या पंचायत स्तर पर मजदूर सुविधा केन्द्रों की व्यवस्था है, जो केन्द्र विभिन्न मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज करेंगे और विभिन्न लाभ उपलब्ध करवा लेंगे, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संगठनों को प्रोत्साहित करने से न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, महंगाई के

साथ मजदूरी बढ़ाने, बीमे की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि, मातृत्व और छोटे बच्चों की देख-रेख संबंधी सुविधाएँ सुनिश्चित करने, छुट्टियों तथा कार्य के समय को निश्चित करने के प्रावधान हो सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में अशिक्षा के कारण अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है। अधिक संख्या में श्रमिक रूढ़िवादी तथा परंपरावादी हैं। इससे पूँजीपति, उद्यमियों द्वारा आसानी से इनका शोषण किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में कार्य की प्रगति बिखरी हुई देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में मौसमी कार्य की अनिश्चितता होती है। रोजगार का स्वरूप मौसमी और अस्थायी किस्म का है। श्रमिकों की गतिशीलता अधिक है। असंगठित क्षेत्रों में श्रम प्रतियोगिता अधिक पायी जाती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने अबतक संगठित मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ही श्रम कानून बनाये हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर आयोग की अनुशंसा स्वीकार करते हुए ऐसे असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक अधिनियम भी पारित नहीं किये हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार असंगठित क्षेत्र के 60 प्रतिशत श्रमिक या तो स्वरोजगार प्राप्त हैं या गृह आधारित हैं और परिणामत: वे न्यूनतम मजदूरी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। 1951 में जहाँ कृषि मजदूरों की आबादी लगभग 2 करोड़ 70 लाख थी वहाँ 1991 में इनकी संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो गयी और लगभग इतनी ही संख्या लघु एवं सीमांत किसानों की हो चली है। इतनी बड़ी आबादी को सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लाभों से अधिक समय तक वंचित रखना विस्फोटक हो सकता है। सभी पार्टियों और उनके श्रम संगठनों के अपने-अपने स्वार्थ हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक आंदोलनों में धार नहीं आ पाती है। हर उद्यम और उपक्रम के कामगार अकेले अपनी-अपनी लड़ाई लड़ते हैं और उनमें भी कई फिरके होने के कारण समूचा आन्दोलन धाराशायी हो जाता है। कौन सी पार्टी के जनप्रतिनिधि श्रमिकों के हित में आवाज बुलंद करते हैं और संघर्ष में उनके साथ खड़े होते हैं इस पर समूचे श्रमिक वर्ग को चिन्तन करना चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर आयोग की अनुशंसा स्वीकार करते हुए भी ऐसे असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक अधिनियम पारित नहीं किये गये हैं, इसलिए केन्द्र की सरकार को इस तरह के अधिनियम बनाने के लिए पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए। यह विचारणीय है कि 1999-2000 में 33.7 करोड़ के कुल

रोजगार में असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या 30.9 करोड़ थी अर्थात् कुल रोजगार का 91.7 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में क्षेत्रवार श्रम के भाग का अध्ययन करने से पता चलता है कि कृषि में यह 99.3 प्रतिशत विनिर्माण में 83.5 प्रतिशत निर्माण में 92.1 प्रतिशत व्यापार, होटल एवं रेस्तरां में 98. 7 प्रतिशत और सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाओं में 62.7 प्रतिशत था। असंगठित क्षेत्र के कुल रोजगार में कृषि श्रमिकों का अनुपात 61.4 प्रतिशत था, इसके पश्चात्, व्यापार, होटल एवं रेस्तरां में 12 प्रतिशत और विनिर्माण में 11 प्रतिशत था।

देश के 93वें फीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। उदारीकरण के दौर में वे असुरक्षित हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था में साठ फीसदी भूमिका निभाने वाले इन मजदूरों को राज्य की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार वर्ष 2000 में देश के संपूर्ण श्रमबल की संख्या 41 करोड़ थी, जिसमें 36.3 करोड़ श्रमबल असंगठित क्षेत्र में है। भूमंडलीकरण और मुक्त बाजार के कारण संगठित मजदूरों की संख्या वर्ष 1991 की 9.5 फीसदी की तुलना में वर्ष 2000 में सिर्फ सात फीसदी रह गयी है। देश के 958 रोजगार कार्यालयों में दर्ज 4.1 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को भी असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है। कुल राष्ट्रीय श्रमबल के 41.78 फीसदी मजदूर ठेका, पीस रेट, मौसमी, अस्थायी या आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले मजदूर असंगठित क्षेत्र से ही आते हैं। खेतिहर मजदूरों, भवन, बाँध, सड़क निर्माण, ईंट-भट्ठा, पत्थर तोड़ने या फुटपाथी कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों की हालत सबसे दयनीय है। इस तरह के कार्यों में लगे मजदूर ज्यादातर प्रवासी होते हैं। 'ग्रामीण श्रमिक' के अनुसार प्रतिवर्ष एक करोड़ से ज्यादा मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। इन प्रवासियों को नियोजकों की तरफ से न तो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिलती है और न अन्य सुविधाएँ। देशभर में फैले करीब 13 करोड़ किसानों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करीब 37 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के अहम उद्देश्य से सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गयी योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति पर अथवा उनके विकलांग हो जाने की दशा में उनमें से प्रत्येक को

500 रु० मासिक दर पर आजीवन पेंशन दिये जाने की व्यवस्था रखी गयी है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा अथवा आश्रित को स्कीम का लाभ प्रदान कराया जायेगा। योजना के अंतर्गत कर्मचारी को 1.25 लाख रु० व्यक्तिगत दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु बीमा और चिकित्सा बीमा लेने की सुविधा मिलेगी। योजना का वित्तपोषण कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार मिलकर करेंगे। इस स्कीम का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से करेगा। स्कीम के तहत एक त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन करने का प्रावधान भी रखा गया है, जो इसका संचालन करेगा। यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व गैर-पंजीकृत प्रतिष्ठान को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा, जबकि स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए यह स्कीम वैकल्पिक होगी। 6500 रु0 प्रतिमाह से ऊपर का वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और 36 से 50 वर्ष की आयु वाले श्रमिक इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालाँकि इस आयु वर्ग के श्रमिकों को यह विकल्प दिया जा रहा है कि वे और उनके नियोक्ता 200 रु० प्रतिमाह के योगदान पर स्कीम में शामिल हो सकते हैं जिनमें से सौ रु० का योगदान संबंधित कर्मचारी और सौ रु० का योगदान उसके नियोक्ता का रहेगा।

असंगठित श्रम के अंतर्गत वैसे श्रमिक शामिल हैं, जो अपने आम हितों को पूरा करने के लिए कतिपय बाधाओं के चलते अपना संगठन बनाने में असमर्थ हैं। यथा रोजगार का सामयिक या मौसमी स्वभाव, अज्ञानता एवं निरक्षरता, संस्थापनाओं का लघु आकार और बिखरापन इत्यादि। वर्ष 2004-05 में एन०एस०एस०ओ० के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कुल रोजगार 45.9करोड़ उपलब्ध था, जिनमें से मात्र 2.6 करोड़ संगठित क्षेत्र में और शेष 43.3 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थे। इन 43.3 करोड़ श्रमिकों में से 26.8 करोड़ मजदूर कृषि क्षेत्र में रोजगार में लगे हुए थे। करीब 2.6 करोड़ श्रमिक निर्माण कार्य में तथा शेष विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत थे। 15 अक्टूबर, 1999 ई० को जिन दो प्रमुख उद्देश्यों के लिए, श्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किया गया था जिसने अपना प्रतिवेदन जून, 2002 में प्रस्तुत किया, उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा-संबंधी एक

समग्र छत्रच्छाया प्रदान करनी थी। असंगठित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ कुल श्रमशक्ति का 93 प्रतिशत भाग कार्यरत हैं, महज 7 प्रतिशत श्रमिक ही संगठित हैं। यों तो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) ने भी देश के असंगठित श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर विचार किया था, भले ही यह सतही ही क्यों न हो। लेकिन, 21वीं सदी के प्रारंभ में इस पर गहनता से विचार द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने ही किया है जिसकी अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार ने इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक समग्र योजना के लिए एक विधेयक संसद के समक्ष अधिनियम के लिए विचाराधीन रखा है।

इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि आजादी के 71 वर्षों के बाद भी जहाँ संगठित क्षेत्र के सात फीसदी मजदूरों के लिए पचास से अधिक कानून व हजारों श्रमिक संगठन हैं, वहीं 93 फीसदी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नियम-कानूनों का अभाव है। हालांकि संगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। आज संगठित क्षेत्र के मजदूर भी पूंजीपतियों के शोषण के शिकार हैं। वास्तविकता यह है कि आज मौजूदा श्रम कानून श्रमिकों को न्याय दिलाने में निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। श्रम कानूनों के माध्यम से न्याय की उम्मीद आम मजदूरों के लिए दिवास्वप्न ही है। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत मालिकों के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें एक हजार में से मुश्किल से एक का ही फैसला मजदूरों के हक में जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि श्रम और पूंजी के बीच की लड़ाई में अंततः पूंजी की ही जीत होती है। श्रमिकों के पास न तो इतना धन है और न ही इतना धैर्य जिसके सहारे वे न्याय पाने के लिए जरूरी संसाधान जुटा सकें। यदि इस प्रकार के मुकदमे लम्बे चलते हैं तो यह स्वयं ही श्रमिकों के लिए परेशानी का विषय हो जाता है। अनेक मामलों में असहाय श्रमिकों को बीच में ही डरा-धमका कर चुप कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो आजादी के बाद श्रमिक संगठनों ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी गंभीरता के साथ-साथ कार्य नहीं किया। श्रमिक संगठन आपसी राजनीति में ही फंस कर रह गये। इस राजनीति के कारण ही संगठन में विभाजन होता चला गया। आजादी के बाद श्रमिक संगठनों ने अपना ज्यादा ध्यान राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने में लगाया जबकि

आम मजदूरों के हित की सोच नगण्य होती चली गयी। यही कारण रहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश ट्रेड यूनियनें राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में ही उभरती हुई दिखायी दीं और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कोई आंदोलन नहीं उभर सका है। आज श्रमिक नेताओं की साख एवं प्रासंगिकता दोनों ही संदेह के घेरे में है।

देश के तीव्र औद्योगिक विकास का मुख्य कारक मजदूर है या उद्योगपति। लेकिन भारत की शासन प्रणाली पर हमेशा ही समाजवादी अवधारणा का भाव रहा है और कम से कम कानून बनाने में इसका ख्याल अवश्य रखा गया है कि मजदूरों को बुनियादी सुरक्षा अवश्य प्रदान की जाय। किसी भी सरकार ने औद्योगिक मजदूरी को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून को बदलने का साहस नहीं किया था, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहारे भारत में औद्योगिक क्रान्ति का स्वप्न देख रही सरकार की मानसिकता बिल्कुल बदल गयी है। केन्द्र सरकार का नियोजकों के प्रति अनुराग इस हद तक हो गया है कि समान राजनीतिक मानसिकता वाले भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच के विरोध को भी उसने नजर-अंदाज कर दिया। केन्द्र ने श्रमिक कानूनों में व्यापक फेरबदल करने का मन तो काफी पहले ही बना लिया था, लेकिन श्रमिक संगठनों के भारी विरोध के कारण विवादास्पद मुद्दों पर पुनर्विचार करने के लिए इसे मंत्रियों के समूह को सौंपा। यह उम्मीद की जा रही थी कि पुनर्विचार के दौरान श्रमिकों के हितों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और केन्द्र सरकार मजदूरों की सुरक्षा भावना का ख्याल करेगी। सबसे संवेदनशील बिन्दु वह है जिसमें कहा गया है कि जिन उद्योगों में एक हजार से कम मजदूर कार्यरत हों वहाँ प्रबंधन को छंटनी करने, आंशिक छंटनी करने अथवा तालाबंदी करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस दिन यह बात कानून का रूप ले लेगी वह दिन देश के लाखों मजदूरों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि उन पर हर वक्त छंटनी की तलवार लटकती रहेगी और वे कानून की सुरक्षा नहीं रहने के कारण गुलाम की तरह जीने को मजदूर होंगे। 'ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926' और 'औद्योगिक विकास अधिनियम 1947' के प्रावधानों में संशोधन करने का मन सरकार बना रही है। अब तक जिन उद्योगों में सौ से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहाँ ले-ऑफ, छंटनी या

तालाबंदी करने के पहले सरकार से अनुमति लेने की बाध्यता रही है। नयी सोच में सौ की यह संख्या बढ़ाकर एक हजार कर दी गयी है। यह एकमात्र सुरक्षा की गारंटी थी और इसी कानूनी प्रावधान के सहारे कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ते थे। असुरक्षा की भावना से निराश श्रमिकों के बल पर औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती। जब किसान और मजदूर असहाय महसूस करने लगें तब समझ लेना चाहिये कि देश की आत्मा गुलाम हो गयी। श्रमिक आंदोलनों को असहाय बना दिये जाने वाला है। सरकार को किसी मध्यम मार्ग की तलाश करनी चाहिये, ऐसा माहौल विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिये जिसमें प्रबंधन और कर्मचारी एक दूसरे के पूरक हों और परस्पर सहयोग से औद्योगिक विकास कर सकें।

राज्य के औद्योगिक विकास से बड़े, मझोले और छोटे कारखाने खुले हैं जिनके प्रबंधन राजकीय, गैर-राजकीय और संयुक्त तीनों क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा शहरीकरण और नगर-विकास के चलते छोटी-छोटी दुकानों की और अन्य प्रतिष्ठानों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अर्थ-व्यवस्था में प्रगति के कारण राज्य के सुदूर देहातों में भी कई स्थानों पर छोटे-छोटे कारखाने खुले हैं। इन सभी के माध्यम से नियोजितों की संख्या बढ़ी है। स्मरणीय है कि बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत मजदूरों की सेवा-शर्तें निश्चित की जा चुकीं और ऐसा करने में उनके श्रमिकों के संगठन का योगदान काफी प्रभावकारी रहा है। एक परिसीमित क्षेत्र में श्रमिकों के केन्द्रीभूत होने से सुगमतापूर्वक श्रमिक संघ संगठित किये जा सके और औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य श्रम नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत देय सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हुई हैं। किन्तु, सुदूर देहातों में खेती-बाड़ी, बीड़ी उद्योग, गुड़, खण्डसारी उद्योग, दाल-चावल-तेल मिल आदि में संलग्न श्रमिकों तथा अन्य क्षेत्रों के भी वैसे नियोजन जैसे निर्माण कार्य, पत्थर खदान, ईंट भट्ठा, जहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक और केन्द्रीभूत होते हुए भी उनका प्रभावकारी संगठन नहीं बन पाया है, विभिन्न श्रम नियमों/अधिनियमों में प्रदत्त सुविधाएं उन्हें प्रायः नहीं मिलती हैं। इस व्यवधान को यथासाध्य कम करने में सरकार द्वारा विनियमित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों ने कुछ सीमा तक भूमिका अदा की है। तो भी उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया

जा सका है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि वे श्रमिक अधिकांशत: एक जगह केन्द्रीभूत नहीं हैं, बल्कि सारे राज्यों में फैले हुए हैं। परिणामस्वरूप इनका न तो कोई संगठन ही बन पाया है और न इनका कोई एक विशिष्ट नियोजक है जिस पर दबाव डालकर कोई श्रमिक संघ अपनी मांगों की पूर्ति करा पाये। जहाँ श्रमिक एक ही स्थान पर केन्द्रीभूत हैं जैसे पत्थर खदान, निर्माण कार्य, ईट भट्ठा, वहाँ पर भी संगठन के अभाव में, और बेरोजगारी के दबाव में, वे नियोजक से अपनी मांगें पूरी कराने में असमर्थ हैं। उपलब्ध प्रवर्तन तंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था से भी उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है। कहीं-कहीं एक विशिष्ट नियोजक पर दबाव देकर मांगें कुछ हद तक पूरी भी कर दी जाती हैं तो भी इस प्रकार के निर्णय को दूसरा नियोजक अपने प्रतिष्ठान में लागू नहीं करता है। फलस्वरूप एक ही कोटि के मजदूरों को कभी-कभी एक ही स्थान पर अवस्थित होते हुए भी दो तरह की सुविधायें मिल रही होती हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश श्रमिकों को अभी तक भविष्य-निधि, जीवन बीमा योजना, विशेष आवासीय सुविधा, लाभांश की सुविधा, श्रमिक-कल्याण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, यद्यपि 'बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम' एवं 'आय श्रम अधिनियम' इनके कल्याण के लिए लागू हैं। अत: इनकी सेवा-शर्तों का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। इनकी वर्तमान अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे श्रमिकों का वर्गीकरण अर्द्ध-संगठित एवं असंगठित श्रमिक के रूप में यदि कर दिया जाय तो इनकी सेवा-शर्तों का अध्ययन भी गहराई से किया जा सकेगा और उसके आधार पर सरकार यह निर्णय ले कि किस प्रकार इस क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियमों में देय अधिकार तथा कल्याणकारी सुविधाएं सम्यक् रूप से दिलायी जा सकें। आर्थिक प्रगति की दृष्टि से विभिन्न वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि के आधार पर इतना तो निश्चित है कि छोटे-छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है और उनके मुनाफे की दर में भी वृद्धि हुई है। किन्तु, उनकी स्थापना में कार्यरत श्रमिकों को यदि श्रम अधिनियमों के अंतर्गत देय सुविधाएं नहीं मिल पायी हैं तो इसका स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों एवं छोटे-छोटे उद्योगों में होने वाली वृद्धि का सारा लाभ नियोजकों ने ही हड़प लिया है। इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को भी इसका अंश मिले, इसके निमित्त सरकार की श्रम-नीति एवं उसके कार्यान्वयन में कुछ ठोस परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

यह आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा प्रभावकारी रूप से हो सके एवं अधिनियम का स्वरूप व्यापक हो। इसके लिए निम्न सुझावों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा:- (1) National Floor level Minimum wage की अवधारणा को वैधानिक स्वरूप दिया जाय एवं इस हेतु अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाय। (2) निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 22(अ) के अंतर्गत 6 माह तक की सजा या 500 रुपये तक का अर्थदण्ड या दोनों का प्रावधान है। इसे संशोधित करते हुए प्रथम दोष के लिए कम से कम 6 माह की सजा अथवा कम से कम 500/- रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया जाय।

❐

6

दलित उत्पीड़न का दौर

राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने निर्धनतम लोगों को लाभ, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए कहा है। उनकी आवाज उस अनुभव से निकलती है कि भारत में विकास की प्रगति और सुधार में फर्क है। निजी क्षेत्रों में देश की विकास का फायदा समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुँचा है। साथ ही दलितों, वंचितों और गरीबों के जीवन में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। हाल ही में जारी सामाजिक-आर्थिक जनगणना प्रतिवेदन से यह प्रमाणित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में मानव विकास सूचकांक भारत का 135वें पायदान पर रहना इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में आर्थिक विकास और उसके फायदे को ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाने की आवश्यकता है। समावेशी विकास का मतलब वैसा विकास है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो और जो गरीबी को कम करने में मदद करे। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना और शिक्षा और कौशल के विकास को शामिल करना है। सबा सौ करोड़ आबादी वाला भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विकास की फायदे को समाज के सभी वर्गों और सभी लोगों तक कैसे पहुँचायी जाय। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गृह निर्माण क्षेत्र में आमूल बदलाव आमलोगों की जीवन की समान गुणवत्ता में सुधार लाना है। समावेशी विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के देश के साथ श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़े और सरकार अपने नागरिकों के बीच अवसर और हैसियत की समानता प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है।

देश की विकास संबंधी योजनाओं का अध्ययन करते हुए एक सवाल बराबर उठता है कि वे नीतियां कैसी हैं जिनके परिणाम हमेशा दलित, गरीब पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से अन्य कमजोर वर्गों के हितों के विरुद्ध निकलते

हैं। हर साल बजट बनता है, लेकिन करोड़ों दलित एवं पिछड़ा वर्ग समूह अभी निरक्षर, बेघर-बेरोजगार और भूखे हैं। ताजा उदाहरण उच्च शिक्षा में शैक्षिक पदों पर दलितों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समूह की भागीदारी को लिया जा सकता है। जहां संविधान लागू होने के 67 वर्ष बाद भी कायदे-कानून शैक्षिक प्रतिमान दलित वर्ग की शैक्षिक दशा के प्रतिकूल बनाए जाते हैं। वहीं खाली पड़े आरक्षित पद इन्हें दिये जाएं या नहीं 67 साल बाद भी ये तय नहीं किया जा सका है। वर्चस्व की इस मानसिकता के कारण ज्ञान के क्षेत्र में दलितों का प्रतिनिधित्व डेढ़ फीसदी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यदि 10 साल के उन प्रतिमानों को, जो गैर दलितों के अनुसार बनाए जाते रहे हैं, दलितों के लिए मान्य किए जाएं तो 22.5 भागीदारी पूरी हो सकती है, पर वे चूंकि दलितों की जगहों पर गैर दलितों को पहले तदर्थ फिर स्थायी नियुक्त करते हैं; इसलिए ऐसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। वर्णवादी लोग जन्मनाप्रतिभा जो असंवैधानिक है, को ही सब कुछ मानकर क्यों चलते हैं? हर बजट में दलितों के लिए तुच्छ राशि रखी जाती है और उसके साथ भी अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग जोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, वह धन खर्च भी नहीं किया जाता। हालांकि उच्च शिक्षा के सुधार के लिए संसद में यदा-कदा आवाज उठती है, परंतु स्थिति नहीं सुधरती। जब से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या घटने लगी है, तब से निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आरक्षण का उद्देश्य समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग को बराबरी पर लाने का है। नई आर्थिक नीति के बाद रोजगार के अवसरों का विस्तार निजी क्षेत्र में ही हो रहा है। आरक्षण समर्थकों का मत है कि यदि निजी क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आरक्षण लागू नहीं किया गया तो अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग और पिछड़ जायेंगे। आरक्षण को आज सरकारी और निजी क्षेत्रों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। यह समाज के कमजोर वर्ग का, समता प्रप्ति की दिशा में कानून और संविधान से सम्मत अधिकार बन चुका है। आम करदाता के पैसे से सरकार द्वारा जुटाई गई अनेक सुविधाओं का लाभ निजी क्षेत्र उठाता है, तो सामाजिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी से वह कैसे बच सकता है? हाँ, सरकार को इस क्षेत्र के लिए कानून बनाते समय यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आरक्षण का लाभ पिछड़े,

अनुसूचित जाति व जनजाति के 'क्रीमी लेयर' तक ही सिमट कर न रह जाए। पिछड़ों में सबसे पिछड़ों को जोड़ने के बाद ही इस आरक्षण को सार्थक कहा जाएगा।

आरक्षण भी केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर ही रह गया है। आरक्षण के प्रति राजनीतिक दलों में ईमानदारी का अभाव है। आरक्षण के प्रावधान में अत्यधिक किन्तु-परंतु का समावेश होने से वास्तविक हकदार को इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत जैसे देश में अधिकतर दलितों की आमदनी 20 रुपया प्रतिदिन से भी कम है। ऐसा दलित परिवार सुखी-संपन्न मध्यवर्गीय दलित परिवारों जिनकी आय 40 से 50 हजार आय क्रिमीलेयर से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वर्तमान स्थिति में आरक्षण का लाभ वही दलित परिवार उठा पाता है, जिन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है। ऐसी स्थिति में सुदूर क्षेत्र में बसे अशिक्षित भूखे-नंगे दलित परिवार आरक्षण का लाभ कैसे उठा पायेंगे?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिर्पोट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अनुसूचित जातियों के पक्ष के बने कानून बेअसर रहने के कारण इन वर्गो को अपेक्षित लाभ नही मिल पाया है। इन वर्गो के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है। अनुसूचित जातियों पर हिंसा रोकने के मामले में नौकरशाही का पक्षपात सामाजिक एवं आर्थिक कानूनों को लागू करने के संदर्भ में भी खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ नौकरशाही ही अपराधी है जिसका नजरिया और व्यवहार तमाम स्तरों पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सदियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर जी रहे दलितों के प्रति समाज के प्रभुत्वशाली वर्गो के नजरिया, लोकतंत्र, समता और न्याय आदि के तमाम ढोल-बाजे के बावजूद नहीं बदला है। यह सुनना अत्यन्त कष्टदायक लग सकता है। पर, दलितों के मामले में क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा सब के सब एक हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में यह पूछना कितना ही दारुण क्यों न हो, पर इसी आईने में हम अपने तथाकथित महान देश की असली सूरत देख सकते हैं।

दलितों की दयनीय स्थिति को वास्तव में सुधारना है तो उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना होगा। उनके खोये हुए सम्मान को वापस लौटाना होगा एवं समाज की विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव को समूल नष्ट करना होगा।

सामाजिक न्याय से तात्पर्य है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूल भूत अनिवार्य आवश्यकताओं–भोजन, वस्त्र एवं मकान की पूर्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को विकास का उचित अवसर मिले, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण रोका जाये और आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो।

गांधी जी की छवि एक ऐसे हिन्दू की है जो हिन्दुत्व के आदर्श रूप तक पहुँची है। वे सर्वाधिक असमर्थ, वंचित और दलितों में ही ईश्वर का सबसे अधिक अंश देखते थे। वे अस्पृश्यता को ऐसा कलंक मानते थे, जो मानवता के चेहरे पर बदनुमा दाग है। मानव मूल्य डॉ॰ अम्बेदकर के लिए सबसे बढ़कर थे। रोटी ही मानव के लिए सब कुछ नहीं है। मानव के पास मन है, वह चिन्तन करता है, उसको मान–सम्मान चाहिए, क्योंकि मान–सम्मान मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करे। बाबा साहब ने दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक मूल मंत्र दिया था–शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।

स्वतंत्रता के पश्चात् दलित को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गयीं। स्वतंत्रता के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ भारतीय संविधान निर्माण में केन्द्र बिन्दु रहीं। हमारे संविधान में उनसे सम्बन्धित अनेक प्रावधान अस्पृश्यता निवारण कार्यपालिकाओं में आरक्षण की सुविधा सरकारी सेवाओं में आरक्षण तथा अन्य मामलों में उनके प्रति पक्षपात आदि हैं। ऐसी जागृति ने वास्तव में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में आत्मचेतना और सम्मान की भावना जागृत कर दी।

संविधान के प्रावधानों एवं तमाम समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद दलितों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। आज भी उनका उत्पीड़न जारी है।

आज तक दलितों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बहुत ही मामूली सुधार हुआ है। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 67 वर्ष हो चुके हैं फिर भी अनेकानेक विभागों में दलितों का कोटा पूरा नहीं किया जा सका, डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर ने संविधान सौंपते हुए ठीक ही कहा था कि इस संविधान को चलाने वाले लोग बुरी मानसिकता वाले होंगे तो यह संविधान अच्छा होते हुए भी बुरा साबित होगा। वर्तमान में दलितों का शोषण एवं अत्याचार जारी है, उन्हें

जिन्दा जलाया जा रहा है। दलित महिलाओं को निर्वस्त्र करके गाँवों में घुमाया जा रहा है। सर्वाधिक बलात्कार दलित महिलाओं के ही हो रहे हैं। इन सबके बाद भी यह सच है कि उनमें नवीन चेतना जागृत हुई। आज दलित आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं।

वर्तमान में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर जरूर बढ़े हैं, परंतु निजी क्षेत्र में अधिकांशतः कार्य कुशल प्रशिक्षण तथा दक्ष श्रम की आवश्यकता होती है, जिसका दलित वर्ग में अनेकानेक कारणों से नितांत अभाव है। इसलिए निजी क्षेत्र की रोजगार वृद्धि से दलित वर्ग का लाभान्वित होना एक मुश्किल कार्य है। निजी क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था का कोई प्रावधान भी नहीं है तथा सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ कि दलित वर्ग अधिक लाभान्वित हो सकता है। लेकिन, वहाँ पर रोजगार के अवसर में भारी कमी आयी है, जिससे दलित वर्ग को दो तरफा प्राणघातक प्रहार का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से दलित शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से अनेकानेक कारणों से वंचित होते जा रहे है, क्योंकि नई आर्थिक नीति के कारण शिक्षा एवं चिकित्सा का निजीकरण हो रहा है। अब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय उद्योगों की तरह संचालित हो रहे हैं परंतु दलित वर्ग के छात्रों को आरक्षित कोटे एवं अंकों की छूट के आधार पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूसरी ओर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की फीस, पुस्तकें, ड्रेस तथा अन्य व्यय इतने बढ़ गये हैं कि दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग एवं विभिन्न मैनजेमेंट तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा पाना अत्यधिक कठिन हो गया है।

आर्थिक सुधारों ने ग्रामीण क्षेत्र के लघु कृषक एवं दलित वर्ग के किसानों के समक्ष गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। नई आर्थिक नीति में कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों को प्राथमिकता नहीं दी गयी हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे एवं दलित किसानों के लिए खेती करना असंभव हो गया है वहीं कृषि क्षेत्र के दलित श्रमिक बेरोजगार होने लगे हैं।

आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप उपभोक्तावादी संस्कृति विकसित हो रही है जिसमें दलित वर्ग के जीवन प्रवाह में अनेक संकट उत्पन्न हो रहे हैं; जिससे भारतीय संस्कृति भी प्रभावित होने लगी है; सामाजिक स्थिति में

बदलाव आ रहा है और मानवीय मूल्य एवं नैतिकता में गिरावट आने लगी है। ऐसी स्थिति में दलित वर्ग के विकास का स्वप्न विलुप्त होता नजर आ रहा है। वैश्वीकरण नीति के तहत मुक्त विश्व बाजार व्यवस्था कायम की जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने एवं सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के स्वतंत्र प्रवाह की दृष्टि से सीमा शुल्क एवं अन्य शुल्कों में लगातार कमी की जा रही है इसके परिणामस्वरूप पिछले लगभग एक दशक में विदेशी आधुनिकतम तकनीक पर आधारित वस्तुओं सेवाओं आदि की बाढ़ सी आ गयी है जिसकी दोहरी मार भारत जैसे देश के दलित एवं कमजोर वर्गों पर पड़ी है। एक ओर तो इससे उपभोक्तावादी संस्कृति जो कि भोग विलासिता पर आधारित है, विकसित हुई है जिससे इन वर्गों की आकांक्षाएं दिन-दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ी है; लेकिन दूसरी ओर संसाधन के अभाव के कारण दलित वर्ग चिन्ता की मानसिकता विक्षिप्तता के भंवर में फंस गये हैं।

राष्ट्रीय एकता एवं दलित उत्थान की भावना ने डॉ॰ अम्बेदकर को समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जिससे दलित व्यक्ति की स्वतंत्रता सम्पन्नता एवं गतिशीलता मिल सके। आदर्शवाद एवं सामाजिक यथार्थवाद का एक समन्वय है, जिसमें बहुत से समाजवाद एवं भौतिकवाद को भी समाहित किया है, जो शोषित एवं दलित वर्गो के विकास के लिए उपयोगी है और जिससे समाज में सहयोग न्याय भ्रातृत्व की भावना पनपती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सार मिल सके।

डॉ॰ अम्बेदकर का मानना था कि भारतीय समाजवादियों का मुख्य दोष यह है कि ''वे आधुनिक यूरोपीय समाज में धन को शांति का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि भूतकालीन यूरोपीय समाज के विषय में भी यही सत्य था। अत: वे मान बैठे कि यह बात भारत में भी पूर्ण रूप से लागू होती है।'' इसी कारण भारतीय समाजवादी अपने मत को केवल आर्थिक सुधार तक ही सीमित कर लेते हैं। डॉ॰ अम्बेदकर की दृष्टि में, वे लोग यह भूल जाते हैं कि केवल धन ही शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि समाज, धर्म, सामाजिक सम्मान एवं नैतिकता भी ऐसे विषय हैं, जिनसे शक्ति प्राप्त होती है। इसमें अंतर केवल इतना है कि एक विषय कभी एक समय अधिक प्रबल था, तो दूसरा विषय कभी अन्य समय पर। आज धन को शक्ति का साधन माना जाता है,

किन्तु यह बात प्रत्येक परिस्थिति में सत्य नहीं है, क्योंकि डॉ॰ अम्बेदकर का मानना है कि ''यदि स्वतंत्रता एक आदर्श है, तथा स्वतंत्रता का अर्थ उस प्रभुत्व का अंत करना है, जो एक मनुष्य को दूसरे से नीचा प्रदर्शित करता है, तो स्पष्टत: इस बात पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता, कि आर्थिक सुधार ही एक मुख्य विषय है। यदि शक्ति एवं प्रभुत्व का स्रोत कभी सामाजिक एवं धार्मिक रहा है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों को भी सुधार का आवश्यक अंग मानना चाहिये।

जातिवाद आधारित भारतीय सामाजिक संगठन अत्यधिक जटिल है। केवल आर्थिक सुधारों से ही समाजवाद की स्थापना करना एक संदेहात्मक बात है। डॉ॰ अम्बेदकर का मानना है कि "मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि भारत में एक समाजवादी समाज उन समस्याओं को हल किये बिना, जो कुछ पक्षपातों से उत्पन्न हुई और जिनसे ऊँच-नीच एवं पवित्र-अपवित्र की भावनाएं जाग्रत होती हैं, एक क्षण के लिए भी कैसे कार्य कर सकता है।"

अत: डॉ॰ अम्बेदकर के अनुसार, कानून एवं नैतिकता दोनों ही एक अच्छे समाज के लिए अति आवश्यक है। अम्बेदकर अपने राजनैतिक विचारों में संविधानवाद को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते थे। संविधानवाद दलित स्वतंत्रता के सिद्धांत की आत्मा है। डॉ॰ अम्बेदकर के लिए दलित स्वतंत्रता के सिद्धांत का मूलाधार प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के मौलिक आधार स्वतंत्रता, समता एवं भातृत्व हैं; उन्होंने कहा कि "मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा महान् कर्तव्य है कि प्रजातंत्र को जीवन संबंधों के मुख्य सिद्धांत के रूप में समाज में होता हुआ न देखे। यदि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो हमें इसके प्रति सच्चा एवं वफादार होना चाहिए। प्रजातांत्रिक सभ्यता को बनाये रखने के लिए हमें अन्य प्रजातांत्रिक देशों के साथ-साथ मिलकर चलना चाहिए। प्रजातंत्र मनुष्य-मनुष्य के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने का एक ढंग है। प्रजातंत्र के द्वारा संवैधानिक एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा होती है प्रत्येक प्रजातांत्रिक मूल्य हमेशा समाज के लिए बड़ा जनोपयोगी एवं स्वेच्छाचारी है जिसके द्वारा समाज में मानववाद एवं समतावाद को प्रोत्साहन मिलता है।

यहाँ की बहुसंख्यक जनता कृषि कार्य करती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ पर सभी कृषकों के पास जमीन नहीं है। यह सम्पूर्ण देश की विडम्बना ही है कि जो वर्ग आज कृषि कार्य संभाले हुए हैं,

उसे कृषि मजदूर के नाम से जाना जाता है। यह वर्ग बिल्कुल भूमिहीन है। देश के कृषि मजदूरों का बड़ा हिस्सा दलित समाज से आता है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाना है और बदले में उसे सिर्फ नाम मात्र की मजदूरी दे दी जाती है।

उत्तर भारत में इन्हें बटाईदार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इन कृषि मजदूरों को अपनी जीविका के लिए जमीन्दारों की जमीन पर निर्भर रहना पड़ता है। मजदूरी से प्राप्त पारिश्रमिक उनके परिवार का भरण-पोषण करता है। अधिकांश दलित कृषि मजदूर कर्ज में डूबे रहते हैं, जिसके कारण पीढ़ी-दर-पीढ़ी वे बंधुआ मजदूर की जिन्दगी जीने को विवश हैं जिन दलित परिवारों के पास थोड़ी-सी जमीन है भी, तो वह भी उपजाऊ नहीं है। सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए चलायी जा रही योजनाएं लगभग असफल ही साबित हुई हैं।

संविधान के अनुच्छेद-46 के अनुसार राज्य को समाज के दीन-हीन तबका विशेषतय: दलित तथा आदिवासियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संरक्षण तथा उनको अन्याय और शोषण से बचाने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। दु:ख की बात है कि इस प्रावधान की घोर उपेक्षा की जा रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों विशेषत: शिक्षा में दलितों का पिछड़ापन इस उपेक्षा का एक परिणाम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2010 में कुल 20.59 करोड़ दलितों में स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या मात्र 76928 और केवल 618 पी-एच.डी. प्राप्त लोग थे। यदि उच्च शिक्षा की बात छोड़ दें, तो दलितों को मामूली प्राथमिक शिक्षा या साक्षरता भी उपलब्ध नहीं हो रही है। दलितों की औसत साक्षरता दर केवल 37 प्रतिशत है। दलित महिलाओं की साक्षरता तो केवल 19 प्रतिशत है। लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के वर्तमान युग में दिन-रात अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था में लगे दलित अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की हालत में ही नहीं हैं। इसके साथ ही साथ सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदलहाली तथा दलित जातियों में अपने प्रति घृणा के चलते भी दलित आज शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार समिति द्वारा जारी 'ब्लैक पेपर' के अनुसार केवल 16 प्रतिशत दलित बच्चे ही स्कूलों में अपना नाम लिखा पाते हैं। पेट पालने के लिए 83 प्रतिशत दलित लड़कियाँ पढ़ाई के दौरान स्कूल छोड़ देती हैं। 90 प्रतिशत दलित बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई

करते हैं। आज जब सरकार सामाजिक जिम्मेदारी के हर क्षेत्र से पीछे हट रही है, तो शिक्षा का निजीकरण होने के पश्चात् तो दलित शिक्षा के भविष्य के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा।

परिवार के भरण-पोषण के लिए 80 प्रतिशत दलित महिलाएं खेतिहर मजदूरी या अन्य प्रकार की मजदूरी का कार्य करती हैं। 45 प्रतिशत दलित आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो किसी प्रकार अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 92 प्रतिशत दलित परिवारों के व्यक्ति शौचालय, 70 प्रतिशत बिजली तथा 50 प्रतिशत पेयजल से वंचित हैं। संविधान में दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा आजादी के 71 वर्षो के पश्चात् भी पूरा नहीं हो पाया है। केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों में केवल क्रमशः 8.23 प्रतिशत, 10.47 प्रतिशत तथा 14.76 प्रतिशत स्थान ही भरे जा सके हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रथम श्रेणी आरक्षित पदों में केवल 4.86 प्रतिशत तथा राष्ट्रीयकृत बैंक में क्लर्कों तथा अधिकारियों के आरक्षित पदों में केवल 7.29 प्रतिशत ही भरे जा सके हैं।

गरीबी का भयावह जीवन व्यतीत कर रहे दलितों, आदिवासियों के लिए अपनी स्वास्थ्य रक्षा तथा बीमारियों से इलाज की समस्या भी निरंतर विकराल होती जा रही है। वे गरीबी-कुपोषण-बीमारी के दुश्चक्र में बुरी तरह घिरे हुऐ हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 में स्वीकार किया गया है कि 56 प्रतिशत दलित तथा 64 प्रतिशत आदिवासी खून की कमी के शिकार हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, उनमें सेवाओं का पूरा पैसा लेने के प्रयास, दवाओं की आसमान छूती कीमतों तथा बाजार को प्रोत्साहन देने वाली नई स्वास्थ्य और दवा नीतियों के लागू होने जैसे कारणों के रहते दलितों-आदिवासियों के स्वास्थ्य का क्या होगा?

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक प्रगति से भी पहले मानवीय गरिमा के साथ जीने का सवाल प्रमुख होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 71 वर्षो के बाद भी अधिकांश दलित अस्पृश्यता, कुपोषण अपराध, उत्पीड़न तथा भेदभाव के कारण पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सामान्यतया अत्याचार की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, आगजनी तथा हिंसा संबंधी अधिक गंभीर किस्म के अपराध शामिल किये जाते हैं जिससे

पीड़ित व्यक्ति को गंभीर किस्म की शारीरिक क्षति अथवा आर्थिक हानि उठानी पड़ती हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के तहत अत्याचार के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के विरुद्ध गैर अनुसूचित जतियों द्वारा अस्पृश्यता वे भेदभाव सहित किये गये 27 प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। मोटे तौर पर अनुसूचित जातियों के विरुद्ध गैर अनुसूचित जातियों द्वारा किये गये वे सभी अपराध जो जिला अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में भारतीय दण्ड संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं, अत्याचार की श्रेणी में आते हैं।

दलितों पर अत्याचार के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाई करने के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अनुसूचित जाति सेल स्थापित किए गए हैं। साथ ही पुलिस व अर्द्ध सैनिक बलों में दलितों को भर्ती किये जाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को शासन की ओर से राहत के रूप में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इन सब प्रयासों के अतिरिक्त सबसे अधिक ध्यान दलितों के शैक्षणिक व आर्थिक विकास पर दिया जा रहा है विशेष रूप से इसलिए कि यदि दलित शिक्षित व आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हो जाते हैं तो गैर-दलितों को उन्हें सताना मुश्किल हो जायेगा। अत्याचारों से वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे।

दलितों पर अत्याचार को रोकने के लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गयीं। उन्हें विधान सभा व लोक सभा में सीटों के साथ-साथ सरकारी व अर्द्धसरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया, जिनका लाभ इन्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ-साथ पिछड़े वर्गों के लोगों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अधिकाधिक पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है, दलितों के विकास और कल्याण के लिए कार्य करना राज्यों का मुख्य कर्तव्य बताया गया है। समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक विकास की गति देने के लिए संविधान की धारा 38 और 39 (अ), (ब) और (स) के अंतर्गत शासन ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में दलितों की शिक्षा, आर्थिक विकास तथा

स्वास्थ्य एवं आवास की दशाओं में सुधार पर विशेष बल दिया गया। इन सभी प्रयासों का मूल लक्ष्य यह है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की निर्योग्यताओं को दूर कर शिक्षा व सामाजिक, आर्थिक विकास की विशेष सुविधाएं मुहैय्या कराते हुए उन्हें शेष जनता के साथ बराबरी में खड़ा किया जा सके।

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण करने, सामाजिक न्याय स्थापित करने, सदियों से शोषित दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने एवं राष्ट्र की मुख्यधारा में दलित एवं कमजोर वर्गों को समाहित करने के लिए अनेकानेक संवैधानिक प्रावधानों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, (1-2-3) 18 से 19 तथा 23, 25 और 35 में यह व्यवस्था की गयी है कि देश में व्याप्त असमानता, भेदभाव अस्पृश्यता का अंत किया जाये तथा शोषण, बेगार एवं धार्मिक नियोग्यताएँ समाप्त करने के साथ ही समानता और कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने संबंधी अधिकार दिये गये हैं। इसी के साथ अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षणिक उन्नति करने का प्रावधान एवं अनुच्छेद 335 में शासकीय नौकरियों में स्थान आरक्षित रखने संबंधी प्रावधान किये गये हैं, जो संवैधानिक आधार पर आज भी लागू हैं। किन्तु दलित एवं कमजोर वर्गों की समस्याओं का आज तक आशातीत समाधान नहीं हो पाया है।

तत्कालीन वित्त मंत्री तथा निवर्तमान प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति लागू की जिसके साथ ही भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात हुआ। आर्थिक सुधारों ने सदियों से शोषित दलित वर्ग के उत्थान स्तम्भ "आरक्षण व्यवस्था" को भस्मासुर की तरह भस्म करना जारी रखा।

निजीकरण से सार्वजनिक उपक्रमों एवं सार्वजनिक सेवाओं का स्वामित्व निजी हाथों में जाने से विभिन्न कारणों से एक तरफ दलित वर्गों के रोजगार एवं उनकी कुशलता (शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी) का ह्रास होता है, तो दूसरी तरफ निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान भी नहीं है। इससे आरक्षण व्यवस्था का भविष्य चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। आर्थिक सुधारों का रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषण कर दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ किये गये षड्यंत्र एवं दलित तथा कमजोर वर्ग के समक्ष उत्पन्न गंभीर चुनौतियों का सहजता से

अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में अपनायी गयी उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो हुए, परंतु यह नीति रोजगार के स्तर में वृद्धि तथा दलितों की दशा में वांछित सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुई।

इस प्रकार आर्थिक सुधाारों के परिणामस्वरूप दलित वर्ग के समक्ष अनेकानेक नवीन समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। आर्थिक सुधार के समर्थकों यह भलीभांति समझ लेना चाहिये कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्देज्य राजकोषीय घाटे को निम्न स्तर पर रखना या ब्याज दर में भारी कटौती करना या कृषि क्षेत्र में निम्नतर स्तर पर रखना या ब्याज दर में भारी कटौती करना या कृषि क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडियों में कमी करना या प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को बेच देना मात्र नहीं है। इसका उद्देश्य निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लगभग 27 करोड़ लोगों, खुले आसमान के नीचे सोने वाले 15 करोड़ लोगों, अशिक्षा-अज्ञानता के जाल में फंसे 36 करोड़ लोगों के उद्धार करने से है। आर्थिक सुधारों का कोई भी कार्यक्रम उस समय तक सफल नहीं हो सकता जबतक कि समाज के दलित वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाय।

अत: आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में दलित वर्ग के समक्ष उत्पन्न नवीन समस्याओं का मुकाबला करने तथा दलित वर्ग के संरक्षण एवं उत्थान के लिये नये सिरे से ज्यादा प्रभावकारी योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीति बनाने एवं उसे पूरी तत्परता तथा निष्ठापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही समाज की मनोवृत्ति एवं मनोदशा का शिक्षा रूपी मानसिक औषधि से उपचार की आवश्यकता है। इस प्रकार आर्थिक सुधारों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलित वर्ग के समक्ष उत्पन्न नवीन समस्याओं के समाधान के लिये गौतम बुद्ध तथा भीमराव अम्बेदकर का यह मूलमंत्र कि 'अप्प दीपो भव' तथा 'शिक्षित बनो, संगठित रहो एवं संघर्ष करो' ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है।

26 जनवरी, 1950 को बाबा साहब अम्बेदकर ने भारतीय समाज में व्याप्त असानता का विश्लेषण करते हुए यह कहा था कि- "26 जनवरी, 1950 को हम लोग एक विपरीत जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में हम लोग समानता का अधिकार भोग सकेंगे, किन्तु सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हमें मिलेगी "असमानता।" रणनीति के क्षेत्र में हम लोग एक

नागरिक का एक ही वोट एवं प्रत्येक वोट के एक ही मूल्य की नीति को स्वीकृति देने जा रहे हैं। हम लोगों का अवश्य ही निकटतम समय के मध्य इस विपरीतता को दूर कर लेना होगा, अन्यथा "असमानता" से पीड़ित जनता इस राजनैतिक गणतंत्र के ढांचे को ही विस्फोटित कर सकती है।

हमारे देश में दलितों को आज की स्थिति में लाने के लिए पहले डॉ० भीमराव अम्बेदकर ने दलित समस्याओं से शिक्षा एवं राजनैतिक अधिकारों के हथियार से लड़ने का प्रयास किया।

आज दलित समाज के सामने सामाजिक इज्जत, उचित मजदूरी, प्राकृतिक संसाधनों में भागीदारी, विशेषकर जमीन का पुनः बंटवारा, स्थानीय प्रशासन आदि प्रमुख मुद्दे हैं।

अशिक्षा, कुपोषण एवं गरीबी भी दलितों के समक्ष एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी है जिस कारण से उनका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हो पा रहा है। अशिक्षा एवं कुपोषण जैसी समस्याओं ने दलितों के जीवन को बौद्धिक एवं शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा बना दिया जिससे दलितों का जीवन बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हुआ उसका मुख्य कारण पौष्टिकता का अभाव है।

गरीबी के कारण बहुत से दलितों ने अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में ढाला जो (जीवन)पूर्व में अज्ञान की घोर निद्रा में डूबा हुआ था, अपनों के प्रति सदैव द्वेष-भाव रखता था तथा शत्रुओं को मित्र समझता था, परंतु उन्होंने संघर्षशील एवं चैतन्यपूर्ण बनकर जीवन को बदला तथा विजय और पराजय के इतिहास को समझा।

20वीं सदी में स्वतंत्रता के पश्चात् दलित समाज की स्थिति दिन प्रतिदिन उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही है जिसका मुख्य कारण दलित समाज में चैतन्यता और संघर्ष है। आज संघर्षमय जीवन बनाकर दलितों ने समाज में एक आदर्श स्थान स्थापित करके वर्ण और अवर्ण, द्विज और अद्विज दलित और सवर्ण का भेद समाप्त करने का प्रयास किया है।

समस्याएं और समाधनों का आपस में गठबंधन सतत् जारी है। दलितों के जीवन में बहुत सी समस्याएं आयीं जो सामाजिक एवं प्राकृतिक थीं। परंतु इस समाज ने बड़े धैर्य के साथ इन समस्याओं का मुकाबला किया और उनका

निराकरण भी। समस्याओं का निराकरण करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बहुत से आयोग बनाये गये इसके अतिरिक्त बहुत सी योजनाएं भी बनायी गयीं जिनके द्वारा दलितों को दरिद्रता, कुपोषणता एवं गरीबी को दूर कर उनका जीवन सुखी बनाया जा सके।

आर्थिक अधिकारों के तहत प्रत्येक भूमिहीन ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति को खेती के लिए और मकान के लिए पर्याप्त जमीन दी जायगी। इसके अधीन-

1) कम से कम एक एकड़ खेती लायक भूमि भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार को देने का प्रावधान हो।

2) 4 से 12.5 डिसमिल भूमिहीन परिवार को राज्य रैयती कानून (Privileged person home tenancy Act)
के तहत देना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसका क्रियान्वयन 'भू-हदबंदी कानून' के अन्तर्गत और भूमि पुनर्वितरण कानूनों के अन्तर्गत किया जाय और पट्टा अथवा दान-पत्र संयुक्त रूप से परिवार के महिला और पुरुष सदस्यों के नामों से निर्गत किया जाय। महिला प्रधान परिवारों के लिए महिलाओं के नाम से किया जाय।

3) आदिवासी क्षेत्रों में जो जमीन गैर-आदिवासियों के कब्जे में 'एस टी लैंड ट्रांसफर रेगुलेशन्स' (S.T. Land Transfer Regulations) के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हो गयी हो, उस पूरी जमीन को S.Ts को वापस कर दी जाय एवं भविष्य में ऐसा उल्लंघन न हो ऐसा सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही इसके आधार पर कानून बना दिये जायं। जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जमीन बेचना अनिवार्य हो जाय उनकी सुविधा के लिए एक 'लैंड बैंक' बनाकर उनकी ऐसी जमीन उनसे बाजार दर पर खरीद ली जाय और वह जमीन दूसरे आदिवासियों और दूसरे अनुसूचित जातियों के सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाय, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का पूरा का पूरा पुल नष्ट न हो, बना रहे। सर्वोच्च न्यायालय के बचे हुए फैसलों का क्रियान्वयन के लिए नापी की गई, नापी नही की गई बंजर भूमि, गैर मजरूआ भूमि का वितरण भूदान की जमीन का आवंटन एस सी और एस टी आंवटियों के बीच वास्तविक शांतिपूर्ण अबाधित अधिकार के साथ

सुनिश्चित किया जाय, ताकि लघु सिंचाई के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्दर सिंचाई के माध्यम से ऐसी जमीन का विकास किया जा सके। भारत के संविधान के पाँचवीं अनुसूचि (5th Schedule) जो अधिसूचित जनजाति के अपनी जमीन पर उपयोग के लिए अधिकार सुनिश्चित करता है उसका राज्य सरकार द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए और इसको विचाराधीन किया जाना चाहिए।

दलितों के लिए संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार

(1) संविधान के अनुच्छेद 14(4) के अंतर्गत दलितों (अनुसूचित जाति, जनजाति) के लिए शैक्षणिक संरक्षण तथा शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है। (2) संविधान के अनुच्छेद 16(4) में राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। (3) संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता (छुआछूत) को गैर कानूनी करार देकर छुआछूत को दण्डनीय अपराध माना गया है। (4) संविधान का अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यवहार व बलात श्रम को निषिद्ध करता है। (5) संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। (6) संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है कि देश के प्रत्येक औद्योगिक व खेतीहर मजदूर को जीने लायक मजदूरी देने का प्रावधान किया जाय। (7) संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारम्भिक व नि:शुल्क शिक्षा राज्य की ओर से दी जायेगी। (8) संविधान के अनुच्छेद 46 में इस बात का प्रावधान है कि राज्य आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों पर होने वाले अन्याय पूर्ण व्यवहार व शोषण के विरुद्ध सुरक्षात्मक कदम उठायेगा। (9) संविधान के अनुच्छेद 243(डी) के तहत देश की प्रत्येक नगर परिषद् नगरपालिका, व नगर पंचायत में अनुसूचित जाति/जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। (10) संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों को लोकसभा में प्रतिनिधियों को भेजने का प्रावधान है। (11) इसी तरह संविधान की धारा 332 के तहत राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियाँ/जनजातियों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। (12)

संविधान का अनुच्छेद 335 इस बात का प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधियों को केन्द्र व राज्य सरकारों की सेवाओं में शामिल किया जाये। (13) संविधान के अनुच्छेद 338(1) के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों/जनजातियों को दिये गये विभिन्न संरक्षणों के कार्यान्वयन की देख-रेख करने एवं इनके कल्याण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है। (14) राष्ट्रीय आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति/जनजातियों को उनके अधिकारों और संरक्षणों से वंचित रखने संबंधी शिकायतों की जाँच करनी है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सामाजिक व आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं व प्रक्रियाओं की बैठकों में भाग लेना और सलाह देना, उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है तथा दलितों की और उनके संरक्षणों की क्रियान्वयन के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना है। (15) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना भी सम्मिलित है। (16) अनुसूचित जातियों और उन जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति/संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के प्रावधानों के अधीन नियम द्वारा निर्देशित हो। (17) परन्तु इन सबके बावजूद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग शक्तिहीन और असमर्थ है, क्योंकि यह केवल सिफारिश कर सकता है, परंतु अपने किसी फैसले को क्रियान्वित नहीं कर सकता है।

दलितों के लिए कानूनी प्रावधान :

(1) छुआछूत उन्मूलन कानून 1955- छुआछूत मिटाने के लिए ढीला-ढाला केन्द्रीय कानून 1955 में बनाया गया था, परंतु वह बिल्कुल ही निष्क्रिय साबित हुआ। (2) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976- जब 1955 का छुआछूत उन्मूलन कानून बहुत ही अप्रभावकारी सिद्ध हुआ और देश में छुआछूत का प्रचलन बदस्तूर जारी रहा तो 19 नवम्बर, 1976 में भारतीय संसद ने छुआछूत विरोधी कानून को संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नाम दिया। इस संशोधित एक्ट में छुआछूत को शामिल किया गया।

नागरिक संरक्षण अधिनियम के मुख्य प्रावधान व उसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:- (1) यह अधिनियम छुआछूत के प्रचार और आचरण संबंधी बातों के लिए दण्ड का प्रावधान करता है। नागरिक अधिकार का आशय ऐसे अधिकार से है जो संविधान के अनुच्छेद 17 (मूल अधिकार) के द्वारा छुआछूत समाप्त किये जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अधिनियम सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर समान रूप से जाने का अधिकार प्रदान करता है एवं छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान में जाने पर रोक लगाने की व्यवस्था करता है। (1.1) धर्म के आधार पर भेदभाव- यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक पूजा के स्थान में जाने से रोकता है या किसी सार्वजनिक मन्दिर में पूजा-प्रार्थना या धार्मिक सेवा करने से रोकता है या किसी धार्मिक तालाब, कुएं या नदी में स्नान करने से रोकता है, तो वह व्यक्ति कम से कम एक माह व अधिकतम 6 माह के कारावास और कम से कम एक सौ रुपये और अधिकतम पांच सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। (1.2) सामाजिक भेदभाव करने का दण्ड- किसी दलित व्यक्ति को दुकान, सार्वजनिक जलपान गृह, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान, होटल, अस्पताल, धर्मशाला, सराय, मुसाफिरखाना आदि में जाने से रोकने पर नदी, झरना, तालाब, कुआं, हौज, पानी का नल के अन्य स्रोतों स्नान-घाट, कब्रिस्तान, मशीन, सड़क आदि पर रोक लगाना दण्डनीय अपराध है। (1.3) अस्पताल आदि में छुआछूत के आधार पर प्रवेश से इन्कार करने के लिए दण्ड। (1.4) छुआछूत के आधार पर माल बेचने या सेवा करने से इन्कार करने के लिए दण्ड। (1.5) कम्पनी फर्म, संस्था या संस्थान द्वारा कानून उल्लघंन करने पर उसके प्रमुख या इन्चार्ज को अपराधी ठहराया जायेगा। सजा के रूप में सरकार द्वारा संस्था का लाइसेंस परमिट, अनुदान आदि को रद्द किया जा सकता है। (1.6) गैर कानूनी अनिवार्य श्रम को अब छुआछूत समझा जायेगा- जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा सफाई करने या मरे हुए पशु को हटाने या किसी पशु की खाल हटाने या इसी प्रकार का कोई अन्य कार्य करने के लिए छुआछूत के आधार पर मजबूर करेगा तो उसे छुआछूत का आचरण समझा जायेगा। (1.7) छुआछूत की दुष्प्रेरणा- यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छुआछूत करने के लिए उकसाता है तो उसे भी छुआछूत अपराध के लिए

दण्डित किया जायेगा। (1.8) अपराध की पुनरावृत्ति के लिए और अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान है। (सरकारी तौर पर मुकदमा) अपराध मान्य जुर्म है तो पुलिस अफसर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। इस कानून के तहत मुकदमा सरसरी तौर पर चलाया जायेगा, ताकि इसका निपटारा शीघ्र हो सके।

निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी मुजरिम पर- अपराध के मुकदमों में मुजरिम का साधारणतया गुनाह न होने तक अपराधी नहीं समझा जाता है तथा उसके खिलाफ अपराध साबित करने की जिम्मेदारी अपराध का आक्षेप लगाने वाले पर होती है। दूसरे शब्दों में पीड़ित व्यक्ति यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का है, तो छुआछूत के आधार पर प्रथम दृष्ट्या यह समझा जायेगा कि वर्जित अपराध किया गया है। संशोधित कानून के अनुसार छुआछूत के सारे मामले मान्य जुर्म माने जायेंगे यथा ऐसे मामलों में समझौता करने का कोई प्रावधान नहीं है।

चुनाव लड़ने के अयोग्य जो व्यक्ति छुआछूत बरतने के अपराध में कोर्ट द्वारा दण्डित होगा वह 6 वर्ष तक संसद या राज्य विधान सभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जायेगा। प्रोबेशन आफॅ ओफेन्डर्स एक्ट लागू नहीं होगा। इस कानून के अंतर्गत 14 वर्ष से अधिक आयु वाले अपराधी पर किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। संसद में वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक कानून) कानून- वैसे तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों व अपराधों को रोकने के लिए भारत के सामान्य कानून के अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में अनेक प्रावधान रखे गये हैं, परंतु ये सब कानून इन जातियों पर संभावित अत्याचारों व ज्यादतियों पर रोक लगाने में असफल रहे। अत: 1989 में संसद ने यह नया कानून पास किया।

अत्याचार के अपराध और उनके लिए सजा-अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1898 की धारा 3 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अपराधों का वर्णन किया गया है और उनके लिए सजा का विवरण भी दिया गया है, जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:- (1) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को ऐसी वस्तु खाने या पीने के लिए बाध्य करना जो कि खाने लायक न हो एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ऐसे अपराध के लिए 5 वर्ष का कारावास या जुर्माने की सजा है। (2)

अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य के पड़ोसी या पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या घृणाजनक पदार्थ डालकर अपमानित या क्षुब्ध करने पर 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा है। (3) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के बलपूर्वक कपड़े फाड़ना, नंगा करना एवं उसके शरीर पर रंग या आकृति पोतने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार 5 वर्ष के कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। (4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की खेती एवं कृषि भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा व जुर्माना होगा। (5) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बलपूर्वक उनकी भूमि या परिसर से बेदखल करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा होगी। (6) अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। (7) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने पर भी यही सजा है। (8) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के विरुद्ध झूठे, बदनीयतपूर्वक एवं काल्पनिक दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण बनाने वाले व्यक्ति को भी 5 वर्ष की कैद और जुर्माना होगा। (9) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या जानकारी देकर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को क्षति पहुँचाने पर सजा का प्रावधान है। (10) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित या जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने का अपराध से उसका अपमानित या अभिशक्त करने पर 5 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान। (11) अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला के साथ बलपूर्वक मारपीट करने, उसकी बेइज्जती करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा तो सजा व जुर्माने का प्रावधान है। (12) अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण (बलात्कार) करने के लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान है। (13) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले जलस्रोत जैसे-कुआं, तालाब, टंकी आदि को दूषित करेगा, तो 5 वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। (14) अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य का पारम्परिक रास्ता अवरुद्ध करेगा, बाधा पहुँचायेगा या उपयोग में लाने से रोकेगा तो सजा व जुर्माने से दण्डित होगा। (15) अनुसूचित जाति/जनजाति के

व्यक्ति को उसके गाँव या रहने के स्थानों से बलपूर्वक बेदखल करने वाले व्यक्ति को भी 5 वर्ष की जेल व जुर्माने की सजा हो सकती है।

कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान :

(1) अपेक्षित कर्त्तव्यों की उपेक्षा वाले लोक सेवक को 7 माह से 1 साल तक के कारावास से दण्डित करने का प्रावधान (2) इस कानून के अंतर्गत आने वाले अत्याचार से आरोपित व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिल पायेगी। (3) विशेष न्यायालयों व विशेष अभियोजनकर्ताओं की व्यवस्था है। (4) सारे अपराध संगीन अपराध हैं। (5) सामूहिक जुर्माना करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गयी है। (6) पेशेवर अपराधियों को क्षेत्र से निकाला जा सकता है। (7) दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति को सरकार जब्त कर सकती है।

अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान :

(1) अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अपराधों के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों, जिसमें पीड़ित भी हैं, के यात्रा और भरण-पोषण की व्यवस्था भी इस कानून के अंतर्गत बनाये गये नियमों में की गयी है। (2) अनुसूचित जाति/जनजाति संरक्षण कक्ष-प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक के अधीन राज्य मुख्यालय पर एक एस.सी./एस.टी. सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी। (3) राज्यस्तरीय जिला स्तर पर विजिलेंस एवं मानीटरिंग कमिटियों के गठन की व्यवस्था है। (4) राज्य सरकारों द्वारा नोडल अधिकारों की नियुक्ति का प्रावधान है।

इसके अलावा निम्नलिखित दो कानून भी महत्वपूर्ण हैं:

(1) बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनिमय 1986 (2) बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1976

दलित अंगीभूत योजना, विशेष अंगीभूत योजना पर राज्य सरकार से आवश्यक अपेक्षाएं :

(1) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप योजना (टीएसपी) की

रणनीति 1980 में शुरू की गयी थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ अ०जा० और अ०जजा० जो कि हाशिये पर हैं उन तक देश का आर्थिक विकास नहीं पहुँच पा रहा है। (2) यह निर्णय लिया गया था कि संसाधनों का निर्धारण सभी मंत्रालयों में होने वाले योजना परिव्यय अनुसूचित जातियों की 15.7 प्रतिशत और आबादी के अनुपात में किये जायँ। (3) अनुसूचित जनजाति के लिए तैयार योजनाओं की पहचान कर प्रत्येक क्षेत्र में जो कि प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रासंगिक हों, राज्य अलग से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जातियों के लिए तैयार करे। (4) पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों पर हुए खर्च अभी नगण्य हैं जो कि योजना आयोग द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देश के विरुद्ध है। बिहार में कुल योजना परिव्यय के केवल 1.2 प्रतिशत ही वर्ष/पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों पर खर्च किया जाता रहा है। 2009-10 में 1.1 प्रतिशत और 2010-11 में 1.2 प्रतिशत ही आवंटित किया गया था। (5) यह क्रम लगातार जारी है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी वर्ष 2008-09 में किये गये खर्च केवल 0.1 प्रतिशत इसी तरह वर्ष 2009-10 और 2010-11 में भी है। (6) इसे देखते हुए एससीपी की धनराशि को अविचलित एवं अनुचित करार देते हुए योजना आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है। (7) केवल 6 प्रमुख शीर्ष ही यह दर्शा रहे हैं कि उनकी योजना के लिए आवंटन निर्धारित हैं। इस वर्ष 56 प्रमुख शीर्ष पर आवंटित बजट तो नहीं के बराबर है। (8) यहाँ अनुसूचित जाति के नेताओं और विशेषज्ञों के साथ बजट पर न ही कोई पूर्व और बाद में विचार-विमर्श किया जाता है। (9) यहाँ आवंटित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं हैं। (10) यहां अनुसूचित जातियों की योजनाओं के लिए जरूरत है एक से अधिक नवाचार के लिए डिजाइन और इक्विटी को शामिल करने की। (11) हमें अ०जा० के सशक्तीकरण के लिए उनके विकास के लिए लम्बी समयावधि की दृष्टि की सख्त जरूरत है, ताकि इसका प्रयोग बिहार में किया जा सके। एससीपी के लिए राज्य देश में अनुसूचित जाति महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के सशक्तीकरण के बारे में मौलिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। इसलिए, आज विचार करने के लिए तत्काल आवश्यकता है निर्णय लेने कि नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों

और नागरिक समाज जैसे सलाहकार कैसे एससीपी नीति को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सकते हैं जो कि उनके विकास और उनकी प्रगति के अधिकार को एक मामले के रूप में उनके (अनुसूचित जाति) द्वारा उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में, हम सब जो अनुसूचित जातियों की भलाई के बारे में चिन्तित हैं और इसमें रुचि रखते हैं, कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एससीपी नीति उनके लिए आसान पहुँच और प्रभावी आनन्द के लिए कानूनी तौर पर मंजूर एनटाइटेलमेंट का एक सेट हो? अपनी ताजा रिपोर्ट में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने कहा कि वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, जो कि राष्ट्रीय औसत विकास दर से 3 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा गुजरात, बिहार तेजी से हमारे देश में विकास कर रहे राज्य हैं। लेकिन यह मतलब नहीं है कि सीमांत समुदाय भी इस वृद्धि का हिस्सा है। अनुसूचित जातियों पर राज्य के बजट के खर्च का विश्लेषण अलग कहानियाँ बता रहा है। अनुसूचित जाति के लक्षित और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना आयोग द्वारा 1980 में शुरू की गयी विशेष घटक योजनायें अब भी बिहार में वास्तविकता पर नहीं हैं। अनुसूचित जातियों पर राज्य सरकार ने राज्य योजना का कुल खर्च 1.1 प्रतिशत कर दिया है। अनुसूचित जातियां राज्य योजना बजट में 3140.0 करोड़ रुपये पाने के हकदार हैं, लेकिन केवल 232.9 करोड़ रुपये ही मिले हैं जो कि योजना परिव्यय का केवल 1.20 प्रतिशत है।

एससीपी के तहत आवंटन केवल 6 बड़े शीर्षों में किया गया है। अगर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को छोड़ दें तो, अन्य विभागों द्वारा आवंटन सूचना और प्रचार की तरह मात्रा टोकन आवंटन है, जो कि एससीपी का 0.7 फीसदी है और मत्स्यपालन पर 0.5 फीसदी एससीपी के तहत है। इस तरह के कार्यक्रम के लिए यह बिल्कुल ही अल्प मात्रा है। वर्ष 2010-11 डेयरी विकास विभाग में आवंटन 2.1 करोड़ रुपये से घटकर 0.6 करोड़ रुपये हो गये हैं। फसल पालन विभाग के आवंटन वर्ष 2009-10 में आवंटित 12.8 करोड़ रुपये 2010-11 में शून्य कर दिया है। समाज कल्याण को छोड़कर जिसने 27.7 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

प्रमुख चुनौतियां: एससीपी बनाने के लिए प्रासंगिक और कार्यान्वयन :
(1) कम या नगण्य आवंटन : एससीपी के क्रियान्वयन के पिछले 3 साल के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि 2008-09 से 2010-11 वित्तीय वर्ष से अनुसूचित जाति के लिए आवंटन नगण्य रूप से क्रमश: केवल 1.2 प्रतिशत है। यह पर्याप्त राशि, भी यदि आवंटित की जाती है और ठीक से इसे व्यय किया जाता तो अनुसूचित जातियों के जीवन में परिवर्तन आ सकता था।
(2) अपर्याप्त निगरानी तंत्र: राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्थापित समितियाँ अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं करती हैं और एससीपी संवितरण की निगरानी नहीं करती हैं। वास्तव में, वे निष्क्रिय होने लगी हैं।
(3) माइनर संहिता ''789'' का एससीपी के लिए न खोलना: 1995 में, लेखा महानियंत्रक का सभी केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों/विभागों को एक निर्देश परिचालित करने के लिए ''789'' कोड है। हालांकि, यह अभीतक नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि वर्तमान में एससीपी खर्च का लेखा परीक्षक नहीं है जिससे राज्य जवाबदेही से खिसक जाता है।
(4) अनुसूचित जातियों के लिए एनटाइटेलमेंट विधान की कोई गारंटी नहीं: यद्यपि एससीपी एक अभिनव नीति रही हैं, किसी भी दिशा-निर्देश से अधिक है। और इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की प्रगति के लिए और अधिकारों के एंटाइटेलमेंट के लिए यह सुरक्षित नहीं करता है। इसके अलावा, यहाँ एससीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई निवारण व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करता है।

अत: अनुसूचित जातियों के लिए स्पष्ट एंटाइटेलमेंट परिभाषित है और आवश्यक निवारण करने के लिए और एससीपी तंत्र के सभी ड्यूटी पदाधिकारियों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए एससीपी को एक अधिनियम बनाया जाना चाहिये। (2) बजट की योजना के दौरान अनुसूचित जाति संगठनों और नेताओं के साथ परामर्श को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये। (3) समाज कल्याण विभाग ने पर्याप्त मानव संसाधन के साथ, समन्वय और एससीपी के कार्यान्वयन में एक प्रभावी भूमिका अदा की है। विशेष रूप से एमएसडब्लू सुनिश्चित करे: मंत्रालयों द्वारा अपनी वार्षिक

योजनाओं में योजना वार आवंटन अलग से किया जाना चाहिये, एससीपी पर एक लिंक बजट पुस्तक तैयार हो, एससीपी के प्रदर्शन का विश्लेषण हो और एससीपी उपयोग प्रमाण पत्र दिया जाय। (4) राज्य योजना समिति, एक निगरानी और समीक्षा अधिकारी के रूप में निगरानी और एससीपी के मूल्यांकन के द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे तथा कर्तव्यों और कार्यों का एक अलग सेट विकसित करने, योजना को लागू करने और निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी की जरूरत पूरी करे। (5) प्रत्येक विभाग को प्रभावी ढंग से लागू करने और एससीपी के नये घटनाक्रम से उभरते मुद्दों से निपटने के लिए पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधनों का होना जरूरी है। (6) ''अविभाज्यता'' को एससीपी के तहत नवाचारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बरती गयी कोई बहानेबाजी को न माना जाय। (7) एससीपी के लिए माइनर 789 कोड सभी मंत्रालयों/विभागों में खोला जाय। (8) सभी राज्य विभागों में एससीपी के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जाय।

आर्थिक विकास :

(1) 1,00,000 भूमिहीन अनुसूचित जातियों के प्रत्येक परिवार को, मुकदमेबाजी से मुक्त एक एकड़ जमीन मुहैया करायी जाय तथा इसे स्पष्ट शीर्षक दिया जाए। यह जमीन सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपये लागत से खरीदी या प्राप्त की जानी चाहिये। (2) उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाना चाहिये और साथ ही अन्य माल और सेवाओं के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों पर भी लागू होना चाहिये। (3) पुलिस और अन्य बल अनुसूचित जातियों के उद्यमियों से चमड़े के सामान और अन्य सामान खरीदें। (4) 20,000 चमड़े के प्रत्येक लघु उद्यमियों की आत्मनिर्भरता के लिए 50,000 रुपये का ऋण दिया जाना चाहिये जिसमें कि केवल 100 करोड़ रुपये की लागत से यह संभव हो सकता है। (5) सभी अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिये आय के मापदंड पर ध्यान दिये बिना उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों और उद्यमशीलता विकास योजना के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाय।

अनुसूचित जाति/महिला :

(1) अनुसूचित जातियों की महिलाओं को रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिये योग्यता के आधार पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग और बीपीओ और अन्य सॉफ्टवेयर कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। (2) जागरूकता को बढ़ाने के लिये अनुसूचित जातियों द्वारा सामुदायिक रेडियो चलाने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जातियों वाले गाँवों में उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। (3) स्वयं सहायता समूह और अनुसूचित जातियों की महिलाओं की सहकारी संस्था को अनुसूचित जातियों की आबादी वाले क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिये, जो संस्था कुछ छोटे पैमाने पर उत्पादन इकाइयों को शुरू कर सकती है। 50,000 रुपये 20,000 सहकारी समितियों/समूहों के लिए प्रदान किये जाने चाहिये जो केवल 100 करोड़ रुपये की लागत से संभव है।

शिक्षा विकास :

(1) बिहार में नर्सिंग के लिए नये कॉलेज खोले जायं जहाँ प्रतिवर्ष 25000 अनुसूचित जाति की लड़कियाँ 10,000 रुपये प्रति माह प्राप्त कर अपने अध्ययन पूरा कर सकेंगी। इस एक वर्ष के लिए मात्र 300 करोड़ रुपये लागत होंगे। जो और भी चल रहे 25 ऐसे संस्थानों के ऊपर के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपया की लागत आयेगी। (2) कम से कम 20000 चुने गये सफलतापूर्वक आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करनेवाले उम्मीदवारों को उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ-साथ तकनीकी और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये। सरकार उनके कौशल बढ़ाने के लिए 25000 रुपये प्रदान करे, साथ ही 50,000 रुपये 10000 ऐसे उम्मीदवारों को कारोबार शुरू करने के लिए खर्च प्रदान करे जो कि 100 करोड़ रुपयों की लागत से होंगे। (3) नवोदय जैसे आवासीय विद्यालयों की तरह अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रत्येक जिलों में विद्यालय खोला जाना चाहिये। 38 ऐसे स्कूलों को हर जिले में खोलने के लिये केवल 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ढांचागत विकास :

(1) सरकार एक राज्य कार्य योजना बनाये जो कि अनुसूचित जातियों के लिये बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केन्द्रित करे। योजना परिवहन,

राजमार्गों और सड़कों जैसे क्षेत्रों में नवीन योजनाओं का विकास हो सकता है। उदाहरण के लिए, नये पुलों और सड़कों को अनुसूचित जातियों की बस्तियों से जोड़ा जाय जिसपर खर्च 500 करोड़ रुपये होंगे। (2) अनुसूचित जातियों के लिए टेंडर और ठेके अनुप्रयोगों में उपयुक्त परिवर्तन कर निविदाओं और इन आधारभूत परियोजनाओं में ठेके हासिल करने के लिये सरकार सुनिश्चित तौर से पहल करे। टेंडर और ठेके के लिए आवेदन शुल्क छूट अनुसूचित जाति के लिये दी जानी चाहिये। लघु अनुबंध में सड़कों, नालों, गलियों और अन्य परियोजनाओं की बोली के लिये कम से कम 1000 अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को 10 लाख रुपये दिये जाने चाहिये जिसमें 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

युवा और खेल :

(1) अपार क्षमता को देखते हुए अनुसूचित जातियों के लिए खेल में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिये। जिलों में खासी आबादी के साथ अनुसूचित जातियों को विकसित किया जाना चाहिये। राज्य में कोचिंग के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ऑपरेटिंग केन्द्रों को स्थापित किया जाना चाहिये जिसके लिए केवल 200 करोड़ रुपयों की लागत आयेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग :

(1) अनुसूचित जातियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को चयनित किया जाय। आईटी और औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए योजना तैयार की जाय। अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही इन क्षेत्रों में मौजूद प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण के अन्य कार्यक्रमों को लिया जाय।

सामाजिक विकास 'अस्पृश्यता और अत्याचारों का उन्मूलन' :

(1) अस्पृश्यता प्रथाओं, भेदभाव और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार खत्म करना राज्य के लिए एक प्राथमिकता है और अभियानों के लिए

अधिकारों और एंटाइटेलमेंट पर तदनुसार अनुसूचित जातियों के लिये जागरूकता बढ़ाने के लिए ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। नागरिक अधिकार अधि नियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि नियम 1989, संरक्षण के तहत मामला दर्ज मामलों में मुआवजा में वृद्धि की जानी चाहिये। जमीनी स्तर पर नेटवर्क के लिए एक अनुसूचित जाति हेल्पलाइन शुरू किया जाय ताकि अत्याचार के मामलों की रिपोर्टिंग अधिक सक्षमता से हो। समाज कल्याण विभाग उपर्युक्त कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अपराध नियंत्रण) अधिनियम और नियमों के सफल कार्यान्वयन के सन्दर्भ में।

इस सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक है कि पूरे देश के स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए उनके ऊपर आये दिन हो रहे अत्याचारों को खत्म करने की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस भयंकर समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार के निर्णय एवं आदेश की अनिवार्य आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार के सामने कुछ सकारात्मक बिन्दुओं को प्रस्तुत करना जरूरी है।

केन्द्र और राज्य स्तर पर पूरे भारतीय शासन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर बढ़ते अत्याचारों की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नियमों के पूरी तरह से और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा तुरंत उपाय किये जाने चाहिये। सबसे पहले कदम के रूप में अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति का जायजा लेने, अधिनियम को सुदृढ़ बनाने और भविष्य में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित और शीघ्र कार्रवाई करने के वास्ते केन्द्र और राज्य/संघ राज्य स्तरों पर उच्च स्तरीय समितियाँ बनायी जानी चाहिये। इस तरह की कार्रवाई के लिए अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों को आवश्यक निर्देश देने होंगे और कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन करने होंगे।

पुलिस के लिए

(6) शासकीय कर्त्तव्यों में लापरवाही के बारे में धारा 4 में संशोधन करके निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिये-

(क)जुबानी की गयी और पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखित में तैयार की गयी शिकायत पर सूचनादाता के हस्ताक्षर लेने से पहले उसे उसके सामने पढ़कर न सुनाना। (ख) शिकायत की विषय वस्तु को बदलने के लिये शिकायतकर्ता को गुमराह करना। (ग) एफआईआर रजिस्टर न करना। (घ) अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज न करना (ड॰) अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज न करना। (च) जाँच अधिकारी द्वारा पीड़ितों या गवाहों के बयान दर्ज न किया जाना। (छ) जाँच अधिकारी द्वारा जाँच में 30 दिन से अधिक विलम्ब और (ज) शिकायतकर्ता, सूचनादाता और पीड़ित की किसी भी सहायता करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी अधिकारी या कर्मचारी का अनम्र व्यवहार।

(7)अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कानूनी और विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि पुलिस अधीक्षक अत्याचार के स्थल का तुरंत दौरा करें और अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियमों के नियम 12(1), (2) और (3) के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को पूरा करें; विशेष रूप से- (क) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गयी है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कारगर उपाय किये जा रहे हैं। (ख) क्षेत्र में पुलिस बल तैनात करना और अत्याचारों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अन्य निवारक उपाय करना।

(9) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के अंतर्गत फाइल किये गये सभी मामलों में यह सुनिश्चित किया जाय कि जाँच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के रैंक का न हो जैसी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) नियमों के नियम 7(1) में व्यवस्था की गयी है।

(10) जिलों में अत्याचारों की गंभीरता, बारंबारता और फैलाव को देखते हुए प्रत्येक जिले में और पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त किये जायँ जो अधिनियम के अंतर्गत अत्याचारों की जाँच के प्रभारी होंगे।

(11) यह अनिवार्य बन दिया जाय कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बगैर शिकायतकर्ता, पीड़ित, गवाह या पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति को पूछताछ या अन्य किसी उद्देश्य के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा।

(12) सभी राज्य/संघ राज्य पुलिस विभागों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम 1993 और आईसीईआरडी, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर और सीईडीए डब्ल्यू में लिपिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों की जानकारी दी जाय। पुलिस कार्मिकों को विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम और पीसीआर अधिनियम के मामले में पुलिस कार्मिकों को यह समझाया जाय कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका मूल क्या है और किस तरह से उनके पीछे मंशा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की रक्षा करती है।

(13) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम और नियमों के बारे में पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित रूप से अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने चाहिये।

न्यायपालिका के लिए

(14) अनन्य विशेष न्यायालय, अनन्य लोक अभियोजन और अनन्य जाँचकर्ता नियुक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 14 और 15 में संशोधन किया जाय और उन्हें केवल इस अधिनियम के मामलों के विचारण, अभियोजन और जाँच की जिम्मेदारी दी जाय और अत्याचार के मामलों का संज्ञान लेने की शक्ति दी जाय।

(15) जरूरत के अनुसार अधिकाधिक अनिश्चित विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 14 में संशोधन किया जाय, ताकि जिले में मामलों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके और अत्याचार के मामलों पर शीघ्र विचारण हो सके। ये न्यायालय: (क) इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार के मामलों पर ही विचार करें। (ख) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर दैनिक रूप से विचार करें और शीघ्र, लेकिन 90 दिन की अवधि के भीतर पूरा करें।

(16) विशेष सत्र न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय अस्पृश्यता प्रयोगों, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की दशा की दिशा में उनके कार्य रिकॉर्ड और ख्याति को ध्यान में रखा जाय।

(17) न्यायाधीशों के तबादले की योजना इस तरह से बनायी जाय कि विशेष न्यायालयों में न्यायाधीश के पद कभी खाली न रहें और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के कारण रिक्त हुए पद इस तरह की रिक्तियों के 30 दिन के भीतर भर दिये जायँ।

(18) इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों के संचालन में विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वकीलों सहित एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक या वरिष्ठ वकील नियुक्त किये जायं जिनकी कम से कम 7 वर्ष की प्रैक्टिस हो और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की रक्षा की ख्याति रखते हों।

(19) अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के कारण रिक्त हुए विशेष लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के पदों को इस तरह की रिक्तियों के 30 दिनों के भीतर भर दिया जाय।

(20) प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट सदा उपलब्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति वकीलों प्रख्यात वकीलों, का एक पैनल तैयार करें जो वकीलों के रूप में कम से कम 7 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की रक्षा की ख्याति रखते हों। ये वकील अत्याचार के मामलों पर निगरानी रखेंगे और उनका संचालन करेंगे।

(21) जिला मजिस्ट्रेट वर्ष में कम से कम दो बार विशेष लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करें और राज्य/संघ राज्य सरकार और राज्यस्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति को रिपोर्ट भेजें।

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार के लिए :

(22) अधिनियम में ''पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों'' के बारे में एक नया अध्याय जोड़ें जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सिफारिशों के आलोक में न्याय पाने के उनके अधिकारों को परिभाषित किया जाय:- (1) एफआईआर दर्ज

किये जाने के तुरंत बाद उसकी एक प्रति सूचनादाता या पीड़ित या उनकी सहायता करनेवाले सामाजिक कार्यकर्ता या वकील को तुरंत दी जाय। (2) एफआईआर के दर्ज, आरोप पत्र फाइल करने, चिकित्सा जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने और दोष सिद्ध होने के बाद पीड़ितों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार तुरंत पूरा मुआवजा दिया जाय। (3) शिकायत से लेकर मुकदमा समाप्त होने तक पीड़ितों, सूचनादाताओं और गवाहों की सभी प्रकार के दुर्व्यवहार धमकी या संत्रास तथा किसी भी प्रकार के दबाव या बल प्रयोग से सुरक्षा सुनिश्चित की जाय। (4) पीड़ितों और गवाहों की प्राइवेसी और डराये या धमकाये जाने से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विशेष न्यायालयों में आवश्यक व्यवस्था की जाय जिसमें यथासंभव अलग प्रतीक्षा क्षेत्र शामिल है। (5) पेरोल या राज्यपाल से माफी के लिए अपराधी की पात्रता के बारे में पीड़ितों को जानकारी दी जाय और पेरोल प्रक्रिया में अपनी बात कहने और माफी आवेदन पत्र के मामले में लिखित विवरण देने का पीड़ित को अधिकार दिया जाय। (6) मामले में पुलिस के साथ पहले संपर्क से लेकर अंतिम निर्णय तक पीड़ितों को सभी तरह की सूचना देने की व्यवस्था की जाय। (7) पीड़ित और गवाह को उनसे सम्बन्धित मामले की हर व्यवस्था की जानकारी दी जाय जिसमें शामिल हैं जाँच, आरोपों का निर्माण, जमानत पुलिस कस्टडी से अपराधी की रिहाई, मुकदमें की तारिख, जाँच अधिकारी या लोक अभियोजक की विविध याचिकाओं पर सुनवाई। (8) जाँच अधिकारी और लोक अभियोजक पीड़ित को वित्तीय सहायता और सामाजिक सेवाएं, व्यावहारिक और कानूनी सलाह, अपराधी से मुआवजे और सरकार से मुआवजे के बारे में जानकारी दे। (9) जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि पीड़ितों और गवाहों को, जहाँ आवश्यक हो सरकारी खर्चे पर सभी सुविधाओं सहित आश्रम मिले, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास हो सके। इसमें आजीविका के वैकल्पिक साधन, भोजन और चिकित्सा सहायता शामिल हैं। (10) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) नियमों के नियम 11 के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों और उनके आश्रितों तथा गवाहों को यात्रा भत्ता गुजारा व्यय और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जायँ।

अन्य अनिवार्य प्रावधानों के लिए :

(23) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के नियम 16 और 17 के अनुसार राज्य और जिलास्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ बनायी जाए और इन समितियों की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाय।

(24) इन राज्य और जिलास्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों के विचार-विमर्श में मानवाधिकार संगठनों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए और उनके साथ काम करने वाले व्यक्तियों को सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भागीदार बनाया जाय।

(25) राज्य और जिलास्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति बैठकों के कार्यवृत्त और परिणामों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाय।

(26) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) नियमों के नियम 3 के अनुसार अत्याचार प्रवण क्षेत्रों में गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के सारे अस्त्र लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाय, ताकि अत्याचारों को रोका जा सके और अपनी सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति को अस्त्र लाइसेंस दिया जाय।

(27) जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि) नियमों के नियम 8(1) के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति सुरक्षा कक्ष नहीं बनाये हैं वे ऐसा तुरंत करें, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम की उचित धारा के अंतर्गत मामले समय पर रजिस्टर्ड किये जा सकें।

(28) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्रमशः अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों से उन्हें वंचित किये जाने से सम्बन्धित निर्दिष्ट शिकायतों की जाँच करे। इस उद्देश्य के लिए आयोग सभी राज्यों/संघ राज्यों में स्थापित पीसीआर कक्षों के प्रमुखों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के अंतर्गत नामित सभी नोडल और विशेष अधिकारियों की वार्षिक बैठकें आयोजित करें जिनमें अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाय।

(29) राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन गैर सरकारी संगठनों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वकीलों के साथ सहयोग करके सामाजिक सशक्तीकरण

आयोग के अधीन जिला स्तर पर पीड़ित और गवाह सुरक्षा कक्ष स्थापित करें ताकि न्याय के लिए संघर्ष के वास्ते विश्वास पैदा किया जा सके।

(30) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक के कार्यों में तालमेल के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर रैंक का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय जो अधिमानतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति का हो।

(31) अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियमों के नियम 15 में दिये गये मानदंडों के अनुसार अत्याचार पीड़ितों को राहत, मुआवजा प्रदान किया जाय और इस उद्देश्य के लिए उपायों के पैकेज वाली मॉडल आकस्मिकता योजना बनायी जाय।

(32) राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) नियमों के नियम 15 के अंतर्गत आकस्मिकता योजनाएं बनाएं।

(33) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) नियमों के नियम 3 के अनुसार अत्याचार बहुल क्षेत्रों में एहतियाती और निवारक उपाय किये जायं।

(34) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम की धारा 10 में उचित संशोधन करके अनुसूचित जाति को समान सुरक्षा प्रदान की जाय जिसके अंतर्गत विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति पर अत्याचार के अपराधियों को उस क्षेत्र से हटाने के आदेश दे सकें जैसा कि अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के मामले में किया जाता है।

राष्ट्रीय और राज्य शासन संस्थाओं के लिए

(35) केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के स्तर पर पूरा भारतीय शासन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य बाल अधिकार आयोगों, पुनैया आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम सुदृढ़ीकरण राष्ट्रीय संघ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे बहुत से सिविल समाज संगठनों की सिफारिशों को स्वीकार करने और कार्यान्वित करने की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे।

(36) अधिनियम में राष्ट्रीय निगरानी और प्रवर्तन प्राधिकरण पर एक नया अध्याय जोड़ा जाय जिसमें इस प्राधिकरण की भूमिकाओं और दायित्वों को परिभाषित किया जाए ताकि अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों और अन्य शासन एजेंसियों में कारगर तालमेल रखा जा सके और अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जा सके।

(37) विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोगों की रिपोर्टों को उनके प्रस्तुत किये जाने के बाद संसद के सदनों/विधानसभाओं के अगले सत्र में पेश कर दिया जाय और उन्हें की गयी कार्रवाई रिपोर्टों के साथ न जोड़ा जाय, ताकि उन्हें पटल पर रखे जाने और उनपर बहस किये जाने में अनावश्यक विलम्ब न हो-की गयी कार्रवाई रिपोर्ट पर बाद में बहस की जा सकती है।

(38) केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए इस सरकार और राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों की एक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखे जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम की धारा 21(4) के अनुसार इन उपायों की प्रभावशीलता का जायजा भी दिया गया हो।

बजट आवंटन और अधिनियम के प्रवर्तन के लिए व्यय के बारे में

(39) विशेष घटक योजना (एससीपी) में विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाय और इसके लिए एससीपी और उसमें एससीए को अधिनियम का रूप दिया जाय, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की हकदारी को स्पष्ट किया गया हो। इसमें आवश्यक सुधार तंत्र हो, ताकि सभी जिम्मेदार लोग एससीपी और एससीए का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करें। केन्द्र से एससीए का आवंटन उस राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आबादी और पिछले वर्ष में अपराध दर के आधार पर हो।

(40) सभी राज्य सरकारें एससीए निगरानी समितियाँ गठित करें जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जाय। वे राज्य, विभाग/मंत्रालय में एससीए व्यय पर निगरानी रखे और उनके पास जहाँ आवश्यक हो हस्तक्षेप करने की शक्ति हो।

अन्य बहिष्कृत नाजुक वर्गों पर अत्याचार

(41) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ''अधिसूचित जातियों'' की परिभाषा (धारा-2) में संशोधन किया जाय, ताकि अनुसूचित में किसी जाति के सदस्यों, जो हिन्दुवाद, विश्ववाद या बुद्धवाद से भिन्न धर्म अपनाते हों और इन सदस्यों के वंशजों को शामिल किया जा सके।

(42) अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रवासी मजदूरों को इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की परिभाषा के अंतर्गत लाया जाय भले ही उन्हें प्रवास के राज्य की अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूची में शामिल न किया गया हो।

आज दलितों को शैक्षणिक और आर्थिक विकास के द्वारा उनके स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है, ताकि दलित समाज की अपनी एक विशेष आकर्षक संस्कृति एवं सभ्यता हों। वर्ण-वर्ग की सोच बदले तथा दकियानूसी सोच खत्म हो। ऊँच-नीच की भावना का समग्र परिहरण कर इस कलंक को सदा के लिए मिटा दिया जाए, जिससे दलितों की एकता और समृद्धि में जातीय समानता उत्पन्न हो। यह तभी संभव है जब सम्पूर्ण दलित समाज शैक्षणिक प्रतिमानों पर केन्द्रीयभूत हो। दलित समाज की स्थिति को सुदृढ़ एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं, जिससे सम्पूर्ण समाज का संवैधानिक एवं नियामक तरीके से विकास हो सके।

भारतीय संविधान में अछूत एवं दलित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था के लिए बोधिसत्व डॉ० अम्बेदकर ने सिफारिश की जिससे दलितों का सर्वांगीण विकास हो सके। जिससे प्रत्येक दलित वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण जैसी संकल्पनाओं से जुड़कर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ अर्जित कर सकें। दलितों को विभिन्न अमानवीय पक्षों से लड़ने के लिए चेतना ही एक मात्र शस्त्र उनके लिए सफल होगी।

दलितों के आरक्षण पर प्रदेश स्तर के हाईकोर्ट एवं उसके खण्डपीठ इसके अतिरिक्त दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट ने भी दलितों के आरक्षण के लिए सिफारिशें कीं, जिससे दलितों का जीवन सुन्दर और आकर्षक बने, जो सदियों से दासत्व का जीवन जी रहे थे, वे आज मुक्त एवं स्वच्छंद जीवन जी सकें।

यह अत्यंत विस्मयकारी है कि सभी संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य कानूनों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं योजना आयोग ने दलित उत्पीड़न संबंधी आंकड़े की सम्पुष्टि की है। सतर्कता और निगरानी समिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 पिछले वर्षों के प्राप्त आंकड़े के अनुसार कुल पंजीकृत हिंसा 4,41,424 (अनुसूचित जाति-3,71,942 अनुसूचित जनजाति-69,482) 9,593 हत्या के केस, 61,168 चोट या गंभीर चोट के केस, 20,865 बलात्कार के केस, 4,699 आगजनी के केस, 4,484 अगवा के केस, 10,512 छुआछूत के केस प्राप्त आंकड़े यह भी बताते हैं कि हर 18 मिनट दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। हर दिन 3 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। 2 दलितों की हत्या की जाती है। 11 दलितों को मारापीटा जाता है। हर सप्ताह 13 दलितों की हत्या कर दी जाती है। 5 दलितों के घर जलाये जाते हैं और 6 दलितों का अपहरण किया जाता है, जबकि विशेषकर बिहार में पिछले 25 वर्षों के दौरान 1000 दलितों की हत्याओं की पुष्टि हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

बिहार के भोजपुर जिले के तरारी थाने के डुमरिया गाँव की छह महादलित युवतियों के साथ गैंगरेप के मामले बिहार के लिए दुखद, शमर्नाक एवं निन्दनीय घटना है जिसने बिहार को शर्मसार किया है। ऐसी घटना से संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक स्थिति रिपोर्ट जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों के दलितों की कल्याणकारी योजनाओं की उनतक नहीं पहुँचाने को उजागर किया है को ही सम्पुष्ट करता है। भारत में दलित और विशेषकर दलित परिवार की महिलाएं संविधान के बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। समाज में जाति आधारित व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति के लोग अब भी अनेक स्थानों पर बहिष्कार के शिकार हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से यह सत्यापित हुआ है कि देश के बहुत से हिस्सों में अधिकतर दलितों की स्थिति अत्यंत ही नाजुक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि अनुसूचित जातियों के पक्ष के बने कानून बेअसर रहने के कारण इन वर्गों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। अनुसूचित जातियों पर हिंसा रोकने के मामले में नौकरशाही का पक्षपात सामाजिक एवं आर्थिक कानूनों को लागू करने के संदर्भ में भी खुलकर सामने

आ जाता है। यहाँ नौकरशाही ही अपराधी है जिसका नजरिया और व्यवहार तमाम स्तरों पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सदियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर जी रहे दलितों के प्रति समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों के नजरिया, लोकतंत्र, समता और न्याय आदि के तमाम प्रचार के बावजूद नहीं बदला है। भूमंडलीकरण के इस दौर में यह पूछना कितना ही दारूण क्यों न हो, पर इसी आईने में हम अपने देश की असली सूरत देख सकते हैं।

अत: आवश्यकता है कि केन्द्र और राज्य स्तर पर पूरे भारतीय शासन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर बढ़ते अत्याचारों की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अधिनियम निवारण) अधिनियम और नियमों के पूरी तरह से और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा तुरंत उपाय किये जाने चाहिए। हाल के दिनों में देश में विशेष कर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में दलित के विरुद्ध अत्याचार में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में दलित आबादी भी अधिक है। बिहार में इस वर्ष दलित के विरुद्ध अत्याचार में अधिक वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दलित समुदायों के ऊपर बिहार में हिंसा संबंधी अपराधों में वृद्धि हुई है। 2005 से अगस्त, 2013 तक ऐसी निन्दनीय अपराधों/अत्याचारों की संख्या 32,395 है। यह संख्या उत्तरोत्तर झकझोंरने वाली प्रवृत्ति की वृद्धि दर्शाती है। अर्थात इस अवधि में 4,322 मामले दर्ज किये गये और इनमें दलितों और आदिवासियों के विरूद्ध अत्याचार निवारण कानून के अंतर्गत 361 मामले भी सम्मिलित है। और इसे पिछले 9 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक कहा जाता है। प्रेक्षकों ने इस हालत के लिए पुलिस तंत्र के अकुशल रवैया के बाहर को कारण बताया है।

1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दलित एवं आदिवासी के लिए अलग से दलित के लिए अंगीभूत एवं आदिवासी के लिए उपयोजना के लिए योजना में अलग से उद्व्यय निर्धारित किया था। योजना उद्व्यय में अनुसूचित जातियों के लिए **15.7** प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की **2. 8** प्रतिशत आबादी का अनुपात निर्धारित करने का निर्णय हुआ। यह अत्यंत ही विस्मयकारी है कि बिहार में 1990 से आवंटन एवं निर्धारित उद्व्यय में लगातार कम होती गयी है। योजना आयोग द्वारा जारी स्पष्ट दिशा–निर्देश के विरुद्ध

बिहार में दलित अंगीभूत योजना एवं जनजाति उपयोजना रही है। बिहार में कुल योजना परिव्यय का केवल **1.2** प्रतिशत ही वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जातियों पर खर्च किया गया। 2009-10 में **1.1** प्रतिशत और 2010-11 में **1. 2** प्रतिशत का ही व्यय किया गया है। अन्य वर्षों में भी ऐसा ही होता रहा है। पिछले वर्षों में इन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ा है। अत: बिहार सरकार को राष्ट्रीय नीति के तहत आवंटन करना चाहिये जिससे उनके (दलितों और आदिवासियों के) जीवन में आर्थिक विकास संभव हो सके।

बहुत लोगो ने लोकसभा में दलितों पर अत्याचार की हालिया चर्चा में आशा देखी। उनलोगों ने यह अनुभव किया कि चूंकि वर्तमान नीति की सीमित सफलता दलितों पर अत्याचार को कम करने में सीमित सफलता है, दलितो के विरुद्ध निरंतर चलती हिंसा की जड़ें और समस्या का स्थायी समाधान ये दोनों आंतरिक समस्याएं हैं। आशा की कुछ किरणें मिलीं है। राजनीतिक दलों को जाति और समरूपता(इक्वीटी) पर चिन्तन को सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षा, कृषि योग्य भूमि और पूँजी तक पहुंच दलितों की परिस्थिति को सुधारेगी और समुन्नत करेगी। सरकार ने दलितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल देते हुए रूख दिखाया। लेकिन अब भी निराशा के लिए पुख्ता आधार है।

पहला सुझाव यह है कि राजनीतिक दल को जाति और समरूपता(कास्ट एण्ड इक्वीटी) को अपना पहला कार्य बनाना चाहिए। वे ऐसा संविधान में समानता के प्रावधान और समरूपता की परम्पराओं की याद के प्रति भी अपने दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकते हैं। इस बिन्दु पर बी. आर. अम्बेडकर का विचारों को देखा जा सकता है। अम्बेडकर समानता को समर्थन करने वाली परम्पराओं के बारे में स्पष्ट धारणा रखते थे। साथ ही जो परम्पराएं समर्थन नहीं करती हैं उनके बारे में ऐसी ही धारणा उनकी थी। उनके दृष्टिकोण से प्राचीन समय में बुद्धा ने पहले वाले पारम्परिक समर्थन (समानता के आदेश) का समर्थन किया, जबकि वैदिक ब्राह्मणवाद ने बाद वाले विचार(समर्थन के अलग) की धारा का प्रतिनिधित्व किया। बाद में गुरुनानक, रविदास, कबीर, मंगतुराम, फूले, पेरियार और अम्बेडकर समरूपता(इक्वीटी) के प्रश्नों पर चिह्नित थे। जबकि दयानन्द सरस्वती, अरबिन्दो, विवेकानन्द, बाल गंगाधर तिलक और वी.डी. सावरकर ने प्रतिरोधी बहस का नेतृत्व किया, यद्यपि समय-समय पर समरूपता के लिए

उनके तर्क/विचार अवश्य होते थे। 19वीं शताब्दी की प्रतिरोधी बहस ने आज के विदित हिन्दुत्व के उभार का नेतृत्व किया।

विद्वान् हमें बताते हैं कि हिन्दू शब्द जिसका मौलिक रूप में अर्थ सिन्धु नदी के बाहर बसे लोगों के प्रसंग में है, वह शब्द (हिन्दू) 19वीं सदी में एक वाद (इज्म) हो गया- अर्थ की विभिन्न धाराओं के साथ। अम्बेडकर के अनुसार इसका अर्थ हुआ 'नव' या संशोधित ब्राह्णवाद जिसने वर्ण व्यवस्था को हृदय से लगा लिया। जो राजनीतिक दल समरूपता को अपनी कार्य सूची में रखना चाहते हैं उन्हें, इसलिए उस परम्परा का आवश्यक रूप में साथ देना चाहिए जिस परम्परा ने वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध युद्ध किया-इन्हें प्रतिरोधी बहस के कुछ विचारकों के विचारों को समाहित करना चाहिए जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। समरूपता का वसूल हानिग्रस्त हो जायेगा यदि अम्बेडकर का दुरुपयोग किया जाता है।

अत्याचारों को गैर-सामाजिक तत्वों पर डालना भी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना हिंसा के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों से ध्यान को हटाने जैसा होगा। दलितों के विरुद्ध अत्याचार के ढाई लाख मामले 1995 से दलितो द्वारा समान अधिकार के लिए दम भरने के विरुद्ध अगड़े और पिछड़ी जातियों की जवाबी कार्रवाई को ही दर्शाते हैं। राजनीतिक दलों को समरूपता विरोधी बहस जो दलितों के विरुद्ध ऐसी हिंसा के पीछे है उसका प्रतिरोध करना होगा।

दलितों के विरुद्ध अत्याचारों के पीछे आर्थिक कारण भी है। लोक सभा के वाद-विवाद की अवधि में सदस्यों ने शिक्षा और भूमिस्वामित्व और पूंजी के माध्यम से दलितों के आर्थिक सशक्तीकरण पर जो बल दिया है,वह ठीक ही है। अम्बेडकर का विश्वास था कि दलित ग्रामीण समाज में न्याय प्राप्त करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि वे इस समाज में अल्पसंख्यक थे और अगड़े और पिछड़ी जातियों के लोगों पर निर्भर करते थे। उनका विश्वास था कि समान अधिकार प्राप्त करने के दलितों द्वारा किये गये प्रयास का विरोध निश्चित रूप से जघन्य हिंसा और आर्थिक बहिष्कार के साथ निश्चय ही किया जायेगा। इसलिए अम्बेडकर ने दलितों के अलग बन्दोबस्त की सलाह दी थी जहां वे ऊंची एवं सुखी अन्य पिछड़ी जातियों के साथ-साथ समान आर्थिक रूप से

आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन क्या आज दलित आर्थिक रूप से ऊंची जातियों से अलग होकर आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हैं? वर्त्तमान अवस्था कोई आशा प्रदान नही करतीं।

2012 में केवल अनुसूचित जातियों के ग्रामीण कामगारों के केवल 23 प्रतिशत को ही जमीन थी। अनुसूचित जातियों के 14 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 32 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों और व्यवसायों के स्वामी थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लगभग 53 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 23 प्रतिशत दैनिक मजदूरी के लिए ऊंची एवं अन्य पिछड़ी जातियों पर निर्भर रहे। भूमि सुधार के कार्यक्रम व्यवहारत: दलितों को छांट चुकी है, इसी प्रकार उद्यम विकास को बढ़ाने वाली नीतियां भी उन्हें छांट चुकी हैं। वर्त्तमान सरकार ऋण के माध्यम से दलितों में उद्यम को बढ़ावा देनेवाली पहल का स्वागत योग्य है, किन्तु सहायता कुछ ही को मिलने की संभावना है।

दक्षिण अफ्रीका ने भी अश्वेतों (ब्लैक्स) के हित में एक समान नीति अपनायी थी, जिसने इस(अश्वेत) समुदाय के केवल कुछ लोगों का ही फायदा किया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जल्द ही इसके (इस नीति के) पाठ सीख लिये। इसने मलेशिया आर्थिक सशक्तीकरण का ढांचा अपना लिया। सरकार गरीबों का हिस्सा घरेलू और विदेशी कंपनियों में बढ़ा देती है और इसके द्वारा उनतक (गरीबों तक) नियमित आमदनी का प्रवाह निश्चित कर देती है। इसके (इस नीति के) परिणामस्वरूप मलय समुदाय का हिस्सा 1970 के 7 प्रतिशत से बढ़कर 2000 ई. में 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) हो गया। भारत मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के अनुभव से सीख सकता - तो आम जमीन और कृषि योग्य बंजर जमीन बागबानी और पशुपालन के लिए दलितों में वितरित की जाती।

हाँ। केवल कुछ ही सफल उद्यमी हो सकते हैं, क्योंकि दलितों के बहुसंख्यक के लिए नियमित वेतनदायी रोजगार प्रमुखत: जीवन-यापन के स्रोत होते हैं। 1990 के दशक की पूर्वावधि में दलितों की ऊंची प्रगति के लिए आरक्षण के माध्यम से शिक्षा और नियोजन एक बड़ा स्रोत था। लेकिन शिक्षा और नियोजन दोनो के मार्गो का निजीकरण ने दलित सशक्तीकरण के स्रोतो को खंडित कर दिया है। नौकरियों में लोक उपक्रम का हिस्सा 2012 में 20 प्रतिशत

था। दूसरे शब्दों में यह कहना है कि देश मे नियोजन के 80 प्रतिशत भागों में आरक्षण नहीं है। 1995 में निजी संस्थाओं में 7 प्रतिशत ऐसे छात्रों को लिया जिन्हें ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी थी। 2014 में यह हिस्सा 30 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह दलितो की शिक्षा तक पहुंचने में अहित का काम करता है। भेद-भाव के इस चलन ने निजी नौकरियों में दलितों के प्रवेश को बंद कर दिया है। अनुसूचित जातियों की ऊंची रोजगार दर की यह व्याख्या करता है, 7.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के 5.6 ओबीसी के, 5.3 प्रतिशत और ऊंची जातियों के 4. 8 प्रतिशत की तुलना में 2011 में यही पाया गया है। आज दलितों के विरुद्ध भेद-भाव के लिए आरक्षण एक आवश्यक उपचार है। लेकिन यह शिक्षा और सम्पत्ति के अधिकार से अतीत के बहिष्कार का उपचार नहीं करता है। बाद वाले भेद-भाव के लिए क्षतिपूर्ति ही उपचार है। मनुस्मृति की संहिता के समय से दलितों को सम्पत्ति और शिक्षा से बहिष्कृत कर दिया गया है। चूंकि ऊंची जातियों की समृद्धि (धन-दौलत) दलितों की गरीबी के मूल्यों पर हुई है, इसलिए क्षतिपूर्ति के लिए नैतिक कानूनी आधार सामाजिक ऋण है जो ऊंची जातियों पर अछूतों का है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अपराध नियंत्रण) अधिनियम 1989 और उसके अधीन शर्तों/नियमों के सफल कार्यान्वयन एवं दलित अंगीभूत योजना के लिए निर्णयानुसार योजना उद्व्यय में अंगीभूत योजना के लिए 15 प्रतिशत आवंटित पूर्व की तरह करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व सामाजिक स्थिति रिपोर्ट ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों के दलितों की कल्याणकारी योजनाओं के उनके तक नहीं पहुँचाने को उजागर किया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने सभी सरकारों एवं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की पोल खोल दी है, जो दलित एवं आदिवासी कल्याण के लिए हजारों करोड़ खर्च के दावे करते रहे हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों की योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा उनतक पहुँच नहीं पाता, जो इसके हकदार हैं। संविधान में पर्याप्त प्रावधानों और अन्य कानूनों के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रति विषमता एवं सामाजिक तौर पर अन्याय का क्रम जारी है। राज्य के कोने-कोने में दलित आज भी भीषण

पीड़ा और प्रताड़ना की जिन्दगी झेल रहे हैं। दलित तबका राज्य के विकास में अपनी सहभागिता ढूंढ़ता है तो उसे मायूसी ही दीखती है और उसे विषमता, शोषण एवं जुल्म सहने पड़ते हैं। उदारीकरण, निजीकरण के फलस्वरूप सरकारी नौकरियों में कटौतियां हो रही हैं। दलितों को निजी क्षेत्रों में भागीदारी नहीं मिल रही है। दलितों को अपने जीवन-यापन करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षों के बाद भी अधिकांश दलित अस्पृश्यता, कुपोषण अपराध, उत्पीड़न तथा भेदभाव के कारण पशुवत् जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी व्यक्तिगत शोध अध्ययनों एवं सर्वे से पता चलता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 77 प्रतिशत महादलित अशिक्षित हैं मात्र 33 प्रतिशत तक ही शिक्षा की ज्योति पहुँच सकी है। संविधान और अन्य कानूनों में प्रावधानों को विस्तार देने के बावजूद यह एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि महादलितों के प्रति सामाजिक अन्याय और शोषण विद्यमान हैं। केन्द्र और राज्य स्तर पर पूरे भारतीय शासन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर बढ़ते अत्याचारों की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 अधिनियम और नियमों के पूरी तरह से और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा तुरंत उपाय किये जाने चाहिये। सबसे पहले कदम के रूप में अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति का जायजा लेने, अधिनियम को सुदृढ़ बनाने और भविष्य में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित और शीघ्र कार्रवाई करने के वास्ते केन्द्र और राज्य/संघ राज्य स्तरों पर उच्च स्तरीय समितियाँ बनायी जानी चाहिये। इस तरह की कार्रवाई के लिए अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों को आवश्यक निर्देश देने होंगे और कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन करने होंगे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार निवारण के लिए निम्नलिखित कार्रवाई केन्द्र सरकार करे:- (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) में संशोधन करके इसमें उन अपराधों को शामिल किया जाय, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर किये जाते हैं, जो अभीतक इसके अपराधों की सूची में शामिल नहीं किये गये हैं जैसा कि सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार और

ब्लैक मेल, झूठे जवाबी मामले फाइल करना, हत्या और सामूहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और गैंग बलात्कार, चोट और गंभीर चोट, अपहरण, भेदभाव या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की पहचान) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के प्रयोग में अनुसूचित जाति के लिए अड़चन पैदा करना, संपति नष्ट करना, चुनाव में पद के लिए नामांकन भरने या निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में काम करने में बाधा डालना, मजदूरी या उचित मजदूरी देने से इन्कार करना, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 में निषिद्ध व्यवसाय में बच्चों का नियोजन, हाथ से मैला साफ करने के लिए किसी व्यक्ति का नियोजन करना, किसी अनुसूचित जाति और जनजाति महिला को देवदासी के रूप में अर्पित करना, आंगनबाड़ी या शैक्षिक संस्थाओं में भेदभाव; (2) अधिनियम की धारा 3(1) में संशोधन करके ''इरादे के साथ'', ''जानबूझकर'' और ''गलत तरीके'' शब्दों को हटाया जाय और अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन करके ''के आधार पर'' शब्दों को हटाया जाय, ताकि अधिनियम में इन शब्दों की इच्छानुसार व्याख्या करके पुलिस और न्यायपालिका को अत्याचार के मामलों को अब की तरह हल्का करने का मौका न मिले। (3) अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन करके यह व्यवस्था की जाय कि यदि कोई सरकारी सेवक इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करेगा तो उसे एफआईआर दर्ज होते ही निलम्बित कर दिया जायेगा और मुकदमा पूरा होने तक उसे कोई पदोन्नति, पुरस्कार या अन्य लाभ नहीं दिया जायेगा। (4) गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शिकायतों को अनिवार्य रूप से एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाय और शिकायत दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार न हो। (5) अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने, संकलित करने और साक्ष्यांकित करते तथा (6) शासकीय कर्त्तव्यों में लापरवाही के बारे में धारा 4 में संशोधन करके निम्नलिखित को शामिल किया जाय:-(क) जुबानी की गयी और पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखित में तैयार की गयी शिकायत पर सूचनादाता के हस्ताक्षर लेने से पहले उसे उसके सामने पढ़कर न सुनाना। (ख) शिकायत की विषयवस्तु को बदलने के लिए शिकायतकर्ता को गुमराह करना। (ग) एफआईआर रजिस्टर न करना। (घ) अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज न करना

(ङ) अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज न करना। (च) जाँच अधिकारी द्वारा पीड़ितों या गवाहों के बयान दर्ज न किया जाना। (छ) जाँच अधिकारी द्वारा जाँच में 30 दिन से अधिक विलम्ब और (ज) शिकायतकर्ता, सूचनादाता और पीड़ित की किसी भी सहायता करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी अधिकारी या कर्मचारी का अनम्र व्यवहार। (7) अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कानूनी और विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। (8) यह सुनिश्चित किया जाय कि पुलिस अधीक्षक अत्याचार के स्थल का तुरंत दौरा करें और अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियमों के नियम 12(1), (2) और (3) के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को पूरा करें; विशेष रूप से- (क) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गयी है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कारगर उपाय किये जा रहे हैं। (ख) क्षेत्र में पुलिस बल तैनात करना और अत्याचारों की पुनरावृति को रोकने के लिए अन्य निवारक उपाय करना। (9) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत फाइल किए गये सभी मामलों में यह सुनिश्चित किया जाय कि जाँच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के रैंक का न हो, जैसी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियमों के नियम 7(1) में व्यवस्था की गयी है। (10) जिलों में अत्याचारों की गंभीरता, बारंबारता और फैलाव को देखते हुए प्रत्येक जिले में और पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त किये जायं जो अधिनियम के अंतर्गत अत्याचारों की जाँच के प्रभावी होंगे। (11) यह अनिवार्य बना दिया जाय कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बगैर शिकायतकर्ता, पीड़ित, गवाह या पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति को पूछताछ या अन्य किसी उद्देश्य के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा। (12) सभी राज्य/संघ राज्य पुलिस विभागों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम 1993 और आईसीईआरडी, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर और सीईडीए डब्ल्यू में लिपिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों की जानकारी दी जाय। पुलिस कार्मिकों को विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम और पीसीआर अधिनियम के मामले में पुलिस कार्मिकों को यह समझाया जाय कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका मूल क्या है और किस तरह से उनके पीछे मंशा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की रक्षा करती है। (13)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम और नियमों के बारे में पुलिस अधिकारियों के लिये नियमित रूप से अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने चाहिये।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप योजना (टीएसपी) की रणनीति 1980 में शुरू की गयी थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो कि हाशिये पर हैं उन तक देश का आर्थिक विकास नहीं पहुँच पा रहा था। यह निर्णय लिया गया था कि संसाधनों का निर्धारण सभी मंत्रालयों में होने वाले योजना परिव्यय अनुसूचित जातियों को 15.7 प्रतिशत और आबादी के अनुपात में किए जायँ। अनुसूचित जनजाति के लिए तैयार योजनाओं की पहचान कर प्रत्येक क्षेत्र में जो कि प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रासंगिक हो, राज्य अलग से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तैयार करे। 1990 के पूर्व तक तो 10 प्रतिशत से अधिक योजना उद्व्यय का उन पर व्यय हुआ। परन्तु पिछले 1990 से अनुसूचित जातियों पर हुए खर्च अभी नगण्य हैं जो कि योजना आयोग द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देश के विरूद्ध है। बिहार में कुल योजना परिव्यय का केवल 1.2 प्रतिशत ही पिछले 25 वर्षों में अनुसूचित जातियों पर खर्च किया जाता रहा है। यही उपेक्षा दलितों में असंतोष का माहौल बना रही है। (1) यह निर्णय लिया गया था कि संसाधनों का निर्धारण सभी मंत्रालयों में होने वाले योजना परिव्यय अनुसूचित जातियों की 15.7 प्रतिशत और आबादी के अनुपात में किये जायँ। (2) अनुसूचित जनजाति के लिए तैयार योजनाओं की पहचान कर प्रत्येक क्षेत्र में जो कि प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रासंगिक हो, राज्य अलग से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जातियों के लिए तैयार करे। (3) पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों पर हुए खर्च अभी नगण्य हैं, जो कि योजना आयोग द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देश के विरुद्ध है। बिहार में कुल योजना परिव्यय के केवल 1.2 प्रतिशत ही वर्ष/पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों पर खर्च किया जाता रहा है। 2009-10 में 1.1 प्रतिशत और 2010-11 में 1.2 प्रतिशत ही आवंटित किया गया था। (4) यह क्रम लगातार जारी है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी वर्ष 2008-09 में किये गये खर्च केवल 0.1 प्रतिशत इसी

तरह वर्ष 2009-10 और 2010-11 में भी है। (5) इसे देखते हुए एससीपी की धनराशि को अविचलित एवं अनुचित करार देते हुए योजना आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है। (6) केवल 6 प्रमुख शीर्ष ही यह दर्शा रहे हैं कि उनकी योजना के लिए आवंटन निर्धारित हैं। इस वर्ष 56 मेजर प्रमुख शीर्ष पर आवंटित बजट तो नहीं के बराबर है। (7) यहाँ अनुसूचित जाति के नेताओं और विशेषज्ञों के साथ बजट पर न ही कोई पूर्व और बाद में विचार-विमर्श किया जाता है। (8) यहाँ आवंटित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं हैं। (9) यहाँ अनुसूचित जातियों की योजनाओं के लिए जरूरत है अधिक से अधिक नवाचार के लिए डिजाइन और इक्विटी को शामिल करने की। (10) हमें अजा के सशक्तीकरण के लिए उनके विकास के लिए लम्बी समयावधि की दृष्टि की सख्त जरूरत है, ताकि इसका प्रयोग बिहार में किया जा सके। एससीपी के लिए राज्य देश में अनुसूचित जाति महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के सशक्तीकरण के बारे में मौलिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। इसलिए, आज विचार करने के लिए तत्काल आवश्यकता है, निर्णय लेने की नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज जैसे कलाकार कैसे एससीपी नीति को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सकते हैं, जो कि उनके विकास और प्रगति के अधिकार को एक मामले के रूप में उनके (अनुसूचित जाति) द्वारा उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में, हम सब जो अनुसूचित जातियों की भलाई के बारे में चिन्तित हैं, और इसमें रुचि रखते हैं, कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एससीपी नीति उनके लिए आसान पहुँच और प्रभावी आनन्द के लिए कानूनी तौर पर मंजूर एनटाइटेलमेंट का एक सेट हो? अपनी ताजा रिपोर्ट में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने कहा कि वर्ष 2004-05 से 2008-09 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जो कि राष्ट्रीय औसत विकास दर से 3 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा गुजरात, बिहार तेजी से हमारे देश में विकास कर रहे राज्य हैं। लेकिन यह मतलब नहीं है कि सीमांत समुदाय भी इस वृद्धि का हिस्सा है। अनुसूचित जातियों पर राज्य के बजट के खर्च का विश्लेषण अलग कहानियाँ बता रहे हैं। अनुसूचित जाति के लक्षित और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना आयोग द्वारा 1980 में शुरू की गयी विशेष घटक योजना अब भी बिहार में

वास्तविकता पर नहीं हैं। अनुसूचित जातियों पर राज्य सरकार ने राज्य योजना का कुल खर्च 1.1 प्रतिशत कर दिया है। अनुसूचित जातियाँ राज्य योजना बजट में 3140.0 करोड़ रुपये पाने का हकदार हैं, लेकिन केवल 232.9 करोड़ रुपये ही मिले हैं जो कि योजना परिव्यय का केवल 1.20 प्रतिशत है। इस वर्ष 2015-16 बिहार में दलित अंगीभूत योजना के लिए कुल वार्षिक योजना उद्व्यय में केवल 2.25 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी है, जबकि केन्द्र सरकार के निदेशानुसार वार्षिक योजना के कुल उद्व्यय का 15 प्रतिशत दलित अंगीभूत योजना के लिए दिया जाना चाहिये। अतः इस वर्ष की वार्षिक योजना 57137. 67 करोड़ रुपये की है जिसमें दलित अंगीभूत योजना के लिए 15 प्रतिशत के आधार पर 8571 करोड़ रूपये मिलने चाहिये थे, जबकि उसके बदले सिर्फ 1284.11 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं जो मात्र 2.25 प्रतिशत ही होता है। अतः दलितों की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में यह अत्यंत ही दयनीय है।

एससीपी के तहत आवंटन केवल 6 बड़े शीर्षों में किया गया है। अगर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को छोड़ दें तो, अन्य विभागों द्वारा आवंटन सूचना और प्रचार की तरह मात्र टोकन आवंटन है जो कि एससीपी का 0.7 फीसदी है और मत्स्यपालन पर 0.5 फीसदी एससीपी के तहत है। इस तरह के कार्यक्रम के लिए यह बिल्कुल ही अल्प मात्रा है। वर्ष 2010-11 डेयरी विकास विभाग में आवंटन 2.1 करोड़ रुपये से घटकर 0.6 करोड़ रूपये हो गये हैं। फसल पालन विभाग के आवंटन वर्ष 2009-10 में आवंटित 12.8 करोड़ रुपये 2010-11 में शून्य कर दिया है। समाज कल्याण को छोड़कर जिसने 27. 7 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं।

प्रमुख चुनौतियाँः एससीपी बनाने के लिए प्रासंगिक और कार्यान्वयन : (1) कम या नगण्य आवंटनः एससीपी के क्रियान्वयन के पिछले 3 साल के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि 2008-09 से 2010-11 वित्तीय वर्ष से अनुसूचित जाति के लिए आवंटन नगण्य रूप से क्रमशः केवल 1.2 प्रतिशत है। यह पर्याप्त राशि भी यदि आवंटित की जाती है और ठीक से इसे व्यय किया जाता तो अनुसूचित जातियों के जीवन में परिवर्तन आ सकता था। **(2) अपर्याप्त निगरानी तंत्रः** राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्थापित समितियाँ अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं करती हैं और

एससीपी संवितरण की निगरानी नहीं करती हैं। वास्तव में, वे निष्क्रिय होने लगी हैं। **(3) माइनर संहिता ''789'' का एससीपी के लिए न खोलना:** 1995 में, लेखा महानियंत्रक का सभी केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों/विभागों को एक निर्देश परिचालित करने के लिए ''789'' कोड है। हालांकि, यह अभीतक नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि वर्तमान में एससीपी खर्च का लेखा परीक्षक नहीं है जिससे राज्य जवाबदेही से खिसक जाता है। **(4) अनुसूचित जातियों के लिए एनटाइटेलमेंट विधान की कोई गारंटी नहीं:** यद्यपि एससीपी एक अभिनव नीति रही हैं, किसी भी दिशा-निर्देश से अधिक है। और इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की प्रगति के लिए और अधिकारों के एंटाइटेलमेंट के लिए यह सुरक्षित नहीं करता है। इसके अलावा, यहाँ एससीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई निवारण व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करता है।

अनुसूचित जातियों के लिए स्पष्ट एंटाइटेलमेंट परिभाषित है और आवश्यक निवारण करने के लिए और एससीपी तंत्र के सभी ड्यूटी पदाधिकारियों को कारगर ढंग से लागू करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए एससीपी को एक अधिनियम बनाया जाना चाहिये। (2) बजट की योजना के दौरान अनुसूचित जाति संगठनों और नेताओं के साथ परामर्श को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये। (3) समाज कल्याण विभाग ने पर्याप्त मानव संसाधन के साथ, समन्वय और एससीपी के कार्यान्वयन में एक प्रभावी भूमिका अदा की है। विशेष रूप से एमएसडब्लू सुनिश्चित करे: मंत्रालयों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में योजना बार आवंटन अलग से किया जाना चाहिये, एससीपी पर एक लिंक बजट पुस्तक तैयार हो, एससीपी के प्रदर्शन का विश्लेषण हो और एससीपी उपयोग प्रमाण पत्र दिया जाय। (4) राज्य योजना समिति, एक निगरानी और समीक्षा अधिकारी के रूप में निगरानी और एससीपी के मूल्यांकन के द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे तथा कर्तव्यों और कार्यों का एक अलग सेट विकसित करने, योजना को लागू करने और निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी की जरूरत पूरी करे। (5) प्रत्येक विभाग को प्रभावी ढंग से लागू करने और एससीपी के नये घटनाक्रम से उभरते मुद्दों से निपटने के लिए पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधनों का होना जरूरी है। (6) ''अविभाज्यता'' को एससीपी के तहत नवाचारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बरती गयी कोई बहानेबाजी को

न माना जाय। (7) एससीपी के लिए माइनर 789 कोड सभी मंत्रालयों/विभागों में खोला जाय। (8) सभी राज्य विभागों में एससीपी के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जाय।

आर्थिक विकास : (1) 1,00,000 भूमिहीन अनुसूचित जातियों के प्रत्येक परिवार को, मुकदमेबाजी से मुक्त एक एकड़ जमीन मुहैया कराया जाय तथा इसे स्पष्ट शीर्षक दिया जाय। ये जमीन सरकार द्वारा 550 करोड़ रुपये लागत से खरीदा या प्राप्त किया जाना चाहिये। (2) उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित की जानी चाहिये और साथ ही अन्य माल और सेवाओं के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों पर भी लागू होना चाहिये। (3) पुलिस और अन्य बल अनुसूचित जातियों के उद्यमियों से चमड़े के सामान और अन्य सामान खरीदें। (4) 20,000 चमड़े के प्रत्येक लघु उद्यमियों की आत्मनिर्भरता के लिए 50,000 रुपये ऋण दिया जाना चाहिये जिसमें कि केवल 200 करोड़ रुपये की लागत से यह संभव हो सकती है। (5) सभी अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आय के मापदंड पर ध्यान दिये बिना उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों और उद्यमशीलता विकास योजना और ऋण उपलब्ध कराया जाय।

अनुसूचित जाति/महिला : (1)अनुसूचित जातियों की महिलाओं को रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए योग्यता के आधार पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग और बीपीओ और अन्य सॉफ्टवेयर कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। (2) जागरूकता को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जातियों द्वारा सामुदायिक रेडियो चलाने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जातियों वाले गाँवों में उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। (3) स्वयं सहायता समूह और अनुसूचित जातियों की महिलाओं की सहकारी संस्था को अनुसूचित जातियों को आबादी वाले क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिये, जो कि कुछ छोटे पैमाने पर उत्पादन इकाइयों को शुरू कर सकती है। 50,000 रुपये 20,000 सहकारी समितियों/समूहों के लिए प्रदान की जानी चाहिये जो केवल 100 करोड़ रुपये की लागत से संभव है।

शिक्षा विकास : (1) बिहार में नर्सिंग के लिए नये कॉलेज खोले जायं जहाँ प्रतिवर्ष 25000 अनुसूचित जाति की लड़कियाँ 10,000 रुपये प्रति माह प्राप्त कर अपने अध्ययन पूरा कर सकेंगी। इस एक वर्ष के लिए मात्र 300 करोड़

रुपये लागत होंगे। 25 ऐसे संस्थानों के ऊपर के निर्माण के लिये 250 करोड़ रुपये लागत आयेगी। (2) कम से कम 20000 चुने गये सफलतापूर्वक आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करने वाले उम्मीदवारों को उद्यमिता प्रशिक्षण, तकनीकी और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये। सरकार उनके कौशल बढ़ाने के लिए 25000 रुपये प्रदान करे, साथ ही 50,000 रुपये 10000 ऐसे उम्मीदवारों को कारोबार शुरू करने के लिये खर्च प्रदान करे जो कि 100 करोड़ रूपये लागत से होंगे। (3) नवोदय जैसे आवासीय विद्यालयों की तरह अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रत्येक जिले में विद्यालय खोला जाना चाहिये। 38 ऐसे स्कूलों को हर जिले में खोलने के लिए केवल 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ढांचागत विकास : (1) सरकार एक राज्य कार्य योजना बनाये जो कि अनुसूचित जातियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर धयान केन्द्रित करे। योजना परिवहन, राजमार्गों और सड़कों जैसे क्षेत्रें में नवीन योजनाओं का विकास हो सकता है। उदाहरण के लिए, नये पुलों और सड़कों को अनुसूचित जातियों की बस्तियों से जोड़ा जाय जिसके खर्च 500 करोड़ रूपये होंगे। (2) अनुसूचित जातियों के लिए टेंडर और ठेके अनुप्रयोगों में उपयुक्त परिवर्तन कर निविदाओं और इन आधारभूत परियोजनाओं में ठेके हासिल करने के लिए सरकार सुनिश्चित तौर से पहल करे। टेंडर और ठेके के लिए आवेदन शुल्क छूट एवं 25 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए दी जानी चाहिये। लघु अनुबंध में सड़कों, नालों, गलियों और अन्य परियोजनाओं के बोली के लिए कम से कम 5000 अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को 10 लाख रुपये दिया जाना चाहिये जिसमें 200 करोड़ रुपये की लगात आयेगी।

युवा और खेल : (1) अपार क्षमता को देखते हुए अनुसूचित जातियों के लिए खेल में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिये। जिलों में खासी आबादी के साथ अनुसूचित जातियों को विकसित किया जाना चाहिये। राज्य में कोचिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ऑपरेटिंग केन्द्रों को स्थापित किया जाना चाहिये जिसके लिए केवल 200 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग : (1) सूचना प्रौद्योगिकी रोजगार और अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है।

अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को चयनित किया जाय। आईटी और औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए योजना तैयार की जाय। अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही इन क्षेत्रों में मौजूद प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण के अन्य कार्यक्रमों को लिया जाय। **सामाजिक विकास 'अस्पृश्यता और अत्याचारों का उन्मूलन':** (1) अस्पृश्यता प्रथाओं, भेदभाव और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार खत्म करना राज्य के लिए एक प्राथमिकता है और अभियानों के लिए अधिकारों और एंटाइटेलमेंट पर तदनुसार अनुसूचित जातियों के लिये जागरूकता बढ़ाने के लिए ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संरक्षण के तहत मामला दर्ज मामलों में मुआवजा में वृद्धि की जानी चाहिये। जमीनी स्तर पर नेटवर्क के लिए एक अनुसूचित जाति हेल्पलाइन शुरू किया जाय, ताकि अत्याचार के मामलों की रिपोर्टिंग अधिक सक्षमता से हो। राज्य में सरकार उपर्युक्त कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और नियमों के पूरी तरह से और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार को अपने स्तर से समुचित निदेश देना चाहिये। दलित अंगीभूत योजना के लिए वार्षिक योजना के उद्व्यय का 15 प्रतिशत आवंटित कर सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के स्तर से ईमानदारी पूर्वक उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन करना है।

केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी की नयी सरकार से देश को अनगिनत आशाओं –आकंक्षाओं की पूर्ति की तो अपेक्षा है ही दलित, कमजोर, गरीब, असहाय आदि वर्गो की तो विशेष-रूप से और अधिक आशाओं और आकंक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए।

❐

7

पलायन की पीड़ा

पलायन बिहार की अर्थव्यवस्था का विशेष हिस्सा है। यहाँ के पुरुष बड़े पैमाने पर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। एनएसएसओ के मुताबिक बिहार व गुजरात दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ खास समय पर लोग बड़ी मात्रा में काम करने के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। गरीब ही नहीं अमीर भी। 2007-08 में बिहार में प्रति हजार पर 57 पुरुष व एक महिला आसपास के इलाके में काम के लिए जाते थे। गुजरात में यह अनुपात प्रति हजार पर 43 पुरुष व 24 महिलाओं का था। सर्वेक्षण के अनुसार पलायित कामगारों में से 98 प्रतिशत पुरुष थे। पहले पलायन की मूल वजह गरीबी थी, लेकिन आज शिक्षित लोग भी बेहतर अवसर की तलाश में पलायन कर रहे हैं। पलायितों में ऐसे शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, जो लम्बे समय के लिए अथवा स्थायी रूप से यहाँ से किसी दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। गरीब पलायितों का अपने परिवार को भेजा जाने वाला पैसा उनकी रोजमर्रा की आधारभूत जरूरतों को पूरा करता है। पलायन सामाजिक संबंधों में बदलाव का भी एक माध्यम सिद्ध हो रहा है। वैसे तो पलायन का मूलकारक अर्थ ही है, पर इसकी मात्रा का निर्धारण जाति, वर्ग व भू-स्वामित्व जैसे तत्व ही करते हैं। बिहार में कुल 25 प्रतिशत कामगार पलायित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मुसलमान 33 प्रतिशत (उच्च व निम्न दोनों जातियों में से लगभग बराबर), फिर सवर्ण 29 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 28 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग-प्रथम में 26 प्रतिशत कामगार पलायित हैं। अनुसूचित जाति 22 प्रतिशत व ओबीसी 20 प्रतिशत में पलायन

अपेक्षाकृत काफी कम है। इन दोनों जाति समूहों में पलायन कम होने का कारण उनका किसानी से जुड़ा होना है। कामगारों के पलायन के स्वरूप का आकलन करते हुए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोई कामगार कितना समय परदेश में बिताता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, मुसलमान व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रथम में लोग काम के लिए बाहर जाते हैं और कुछ समय बाद लौट आते हैं। दीर्घावधि पलायन इनमें कम है। पर सवर्णों व अन्य पिछड़ा वर्ग द्वितीय में लोग ज्यादातर नियमित रोजगार के लिए परदेस जाते हैं और लम्बे समय तक लौटते नहीं, या फिर स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं। कहा जा सकता है कि बेहतर रोजगार की वजह से अपेक्षाकृत उच्च वर्गों में दीर्घकालिक पलायन ज्यादा है।

वर्गगत आधार पर देखें तो गैर-कृषक परिवारों में पलायन ज्यादा है। कुल गैर-कृषक कामगारों का 46 प्रतिशत पलायित कामगार दिहाड़ी मजदूर हैं। गैर कृषक स्वरोजगार कामगारों में से 36 प्रतिशत पलायित हैं। भूस्वामित्व के आधार पर देखें तो एक तरफ भूमालिकों में से 43 प्रतिशत पलायित हैं और दूसरी तरफ भूमिहीन खेतिहर मजदूर 28 प्रतिशत पलायित हैं। इनके बीच के वर्गों में जिनका भूमि से संबंध है, उनमें पलायन औसत से कम है। किसानों में 22 प्रतिशत और खेतिहर मजदूरों में भी यह 22 प्रतिशत ही है। गैर-कृषक वर्ग में बड़ी संख्या में पलायन इसलिए है कि गैर-कृषक कार्यों को वही ज्यादा करते हैं। समयावधि के आधार पर देखें तो विभिन्न वर्गों में अलग-अलग पलायन का स्वरूप साफ हो जाता है। कृषक परिवारों में कम अवधि का पलायन होता है और जैसे-जैसे हम इसमें उच्च वर्ग की ओर बढ़ते हैं, तो उसका कुल पलायन में अनुपात घटता जाता है। दूसरी और भूस्वामियों में दीर्घकालिक पलायन ज्यादा दिखाई देता है। गैर-कृषक कामगारों का समूह काफी विविध व व्यापक है। जिसमें सबसे ज्यादा पलायन तो होता ही है और ज्यादातर दीर्घकालिक ही पर कम अवधि के पलायित भी इसमें पर्याप्त मात्रा में हैं। अब अगर पलायन के जाति और वर्ग के आधार पर तुलना करें तो लगता है कि वर्गगत आधार पर पलायन अपेक्षाकृत ज्यादा है।

सर्वेक्षण में शामिल भू-स्वामियों की विभिन्न श्रेणियों को देखें तो सर्वोच्च व नीचे से पहली श्रेणी में पलायन सबसे ज्यादा है। सबसे नीचे की श्रेणी में 27 प्रतिशत पलायित कागार जमीन्दार परिवारों से हैं। बीच की श्रेणियों

में पलायन 22 से 25 प्रतिशत के बीच रहता है। ढाई से पांच एकड़ के भूमालिकों के वर्ग में 22 प्रतिशत, एक से ढाई एकड़ वालों में 23 प्रतिशत और एक एकड़ से कम वालों में पलायन का प्रतिशत 25 देखा गया। पांच से दस एकड़ भूमि के मालिकों में भी यह 25 प्रतिशत ही पाया गया। इस पूरे विश्लेषण से साफ है कि सर्वाधिक पलायन या तो भूमिहीनों में है या फिर जिनके पास बहुत जमीन है, उनमें है। छोटे खेत वाले लोग गाँव में ही रहकर अपने खेत पर काम करते हैं। पर ज्यादा जमीन वालों के पास संसाधनों की बहुतायत के कारण परिवार के ज्यादा सदस्यों को बाहर भेजना आसान रहता है। संक्षेप में ग्रामीण बिहार में पलायन के स्वरूप को तीन सामाजिक व आर्थिक अधिश्रेणियों–जाति, वर्ग व भूमि के आधार पर समझा जा सकता है। भूमि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में होने वाला पलायन सबसे कम और वर्गगत श्रेणियों में सबसे ज्यादा है। रोजर्स के शब्दों में हालांकि पलायन सभी तीनों श्रेणियों में होता है पर वर्गगत पलायन सबसे ज्यादा है। पुरुषों के इस पलायन ने महिलाओं के जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। पुरुषों के परदेश चले जाने के बाद घर में वही रह जाती हैं। ऐसे बाहर के कार्यों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ जाती है। आईएचडी के 2011 के सर्वेक्षण में कृषि कार्यों में लगी महिलाओं में से 70 प्रतिशत पलायित परिवारों से थीं। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं पहले खेती का काम नहीं करती थीं। पर अब उन्हें वे काम भी करने पड़ रहे थे, जो पहले उनके पुरुष ही करते थे। पशुपालन व लघु घरेलू उद्योग वाले परिवारों में भी महिलाएं उन कार्यों को कर रही थीं, जो पहले केवल पुरुष के ही माने जाते थे। सर्वेक्षण में यह भी देखने में आया कि जिन परिवारों में पलायित पुरुष पर्याप्त मात्रा में पैसा भेजते हैं, उनमें महिलाएं बाहर के काम करती हैं। स्त्रियों के संदर्भ में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पलायन से कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है और इसीलिए स्त्री–पुरुष के बीच काम व मजदूरी का अंतर भी घटा है। इसे हम कृषि का महिलाकरण भी कह सकते हैं।

महिलाओं का कामकाज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर भी लाखों कामकाजी महिलाएं उपेक्षित रह जाती हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में अकसर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। साथ ही स्थानीय आर्थिक विकास के दौरान इन गतिविधियों के विकास की अपार संभावनाओं को दर्शाना इन गतिविधियों

के विकास की अपार संभावनाओं को दर्शाना है। राज्य कई स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसके हर क्षेत्र में खेती का अलग-अलग स्वरूप है। इसी तरह स्थानीय उपलबध संसाधनों व कार्य कौशल के आधार पर निर्माण व सेवा क्षेत्र के भी अलग-अलग स्वरूप हैं। सम्पर्क, यातायात व संचार सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे में निवेश से इनके स्वरूप परिवर्तन के आसार हैं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है कि इसमें न केवल मौजूदा व्यवसायों को मजबूती मिले, बल्कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तीकरण भी हो। कुल महिला कामगारों में संगठित क्षेत्र में काम करनेवाली महिला कामगारों का प्रतिशत बहुत ही कम है। अन्य महिला कामगार अनियमित वैतनिक कामगार, स्वाश्रयी उत्पादक या अवैतनिक पारिवारिक कामगार है। यद्यपि ये सभी महिलाएं कामगार हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन श्रम कानूनों से इन्हें शायद ही कोई लाभ मिलता है। बहुत सारे श्रम कानून मौजूद हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र की अधि कांश महिला कामगारों को इनका लाभ नहीं मिलता। ऐसा होना नहीं चाहिये। कई श्रम कानून ऐसे हैं, जो महिला कामगारों के लिए लाभकारी हो सकते हैं और उनके जीवन में सुधार ला सकते हैं; यह उनकी व्याख्या और कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

अमेरिकन इण्डिया फाउंडेशन की हाल में जारी रिपोर्ट 'मैंनेजिंग द एक्सीड्स ग्राउंडिंग माइग्रेशन इन इंण्डिया' में बताया गया है कि पिछले एक दशक में भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में विस्थापित होने या ठिकाना बदलने वालों की तादाद करीब दस करोड़ पहुँच गई है। इनमें छह करोड़ 90 लाख लोग अपने गाँव से दूसरे गाँवों मे जाकर बसे हैं और तीन करोड़ 60 लाख लोगों ने गाँवों से शहरों में जाकर डेरा डाला है। इतने बड़े बदलाव से कई राज्यों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। सबसे बुरी हालत शहरों की हुई है, जहाँ बड़ी सख्या में मलिन बस्तियाँ और झुग्गी-झोपड़ियाँ उग आई हैं। ये बस्तियाँ सभी सुख-सुविधाओं से वंचित है। प्रदूषित रहन-सहन और खान-पान की वजह से बस्तियों के अधिकांश बासी बीमारी के शिकार हैं। उनके पास वे न्यूनतम सफाई सुविधाएं भी नहीं है, जिनकी दरकार है। महाराष्ट्र में हाल के बरसों में आने वाले लोगों की तादाद,

जाने वालों बरक्स बीस लाख ज्यादा रही है। गुजराज में यह संख्या अड़सठ लाख और हरियाणा में सड़सठ लाख रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं, जहाँ से लोग निकलते ज्यादा हैं और लौटते तुलनात्मक रूप से कम हैं। उत्तर प्रदेश में करीब बीस लाख लोग साल भर में रोजी-रोटी की तलाश में निकलते हैं।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आदि राज्यों के तकरीबन पचास लाख लोग गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली आदि राज्यों में जाकर बसे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोगों का गाँवों से शहरों में आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। गरीब से अमीर बनाने में शहरीकरण एक बेहतर उपाय है। इस स्थान परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों पर आबादी का दबाव काफी बढ़ गया है। खासकर दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगर आबादी के भार से कराह रहे हैं।

प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी लोगों को प्रव्रजन करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बन जाने के बावजूद यहाँ प्रव्रजन रुकने की बजाय और ज्यादा बढ़ा है। देश में सामाजिक विषमता की वजह से भी लोग जगह बदलते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने पिछले दशक में सामूहिक तौर पर जगह बदली है। असम में जब हिन्दी भाषी लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया था, तो उनमें यहाँ के लोग भी शामिल थे। द नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर (एनसी आरएल) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मौसमी तौर पर प्रवजन करने वाले लोगों की तादाद एक करोड़ से ज्यादा है। गाँवों से ज्यादातर लोग भागते हैं जिनके पास कृषि भूमि बहुत कम है या बिल्कुल नहीं हैं। छोटे खेत उनके परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते, इसलिए वे रोजगार की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। भूमिहीन किसान यानी खेतिहर मजदूरों को भी अपना गाँव छोड़ना पड़ता है। ये लोग शहरों में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, माल ढुलाई का काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं या इसी तरह अन्य काम करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों में वे लोग भी शामिल हैं, जो अकेले पलायन करते हैं, जबकि उनका परिवार गाँव में रहता है। जिन इलाकों में दिहाड़ी कम हैं, वहाँ से भी मजदूर ज्यादा

मजदूरी वाले इलाकों में चले जाते हैं। बिहार के मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र मे रोजी कमा रहे हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि जो मजदूर काम की तलाश में शहर आते हैं, वे भी बुआई और कटाई के मौसम में गाँवों का रुख कर लेते है। बिहार में आज ऐसे गाँव मिल जाएंगे, जहां महिलाएं, बच्चे और बूढ़े ही नजर आते हैं। यहाँ के पुरुष तो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। ज्यादातर लोग तीज-त्योहार पर ही घरों को लौटते हैं। आजादी के बाद बढ़ते औद्योगीकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। 1991 से शुरू हुई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने तो गाँव-देहात को खत्म करने का ही काम किया। उदारीकरण के दौर में कृषि घाटे का सौदा साबित होने लगी। जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा, उस हिसाब से बुनियादी सुविधाएं नहीं बढ़ीं।

प्रवासी लोगों के कारण क्षेत्र या राज्य विशेष में जन सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय लोगों में असंतोष भी पैदा हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठी मानुस के नाम पर पैदा हुए विवाद को इस रूप में देखा जा सकता है। कुछ साल पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने भी प्रवासियों को दिल्ली की समस्याओं को लेकर जिम्मेदार बताया था। जिस अनुपात में शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है, उस अनुपात में सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। जमीन से बेदखली गाँवों से शहरों की ओर भागने की खास वजह बनी हुई है। इसके शिकार गरीब लोग होते है। शहरों में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसकी चिन्ता कभी भी व्यवस्था नहीं करती। रोजगार के अवसर उन्हें खुद ढूंढ़ने होते हैं। जमीन से बेदखल होने वाले लोगों के पुनर्वास की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि इसका कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा है। ग्राम विकास की नीति अपनाकर शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। गाँवों में बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैय्या करने की जरूरत है। सरकारी परियोजनाओं की वजह से जो लोग उजड़ गये हैं, उन्हें बसाना होगा। महात्मा गाँधी ने कहा था कि 'अगर मुझे गाँवों को निर्धनता से मुक्त करने में सहायता मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने सारे भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त कर लिया है। अगर गाँव नष्ट होता है तो भारत भी नष्ट हो जायेगा।

हाल में बिहार के पाँच चयनित जिलों के 20 गाँवों में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर निम्न जातियों और भूमिहीनों के पलायन में हुई वृद्धि के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। पलायन से हुई आय पर आंकड़े संकलित किये गये हैं, जो आंकड़े उक्त सर्वेक्षण के पूर्व वर्ष मे प्राप्त किये गये थे और इन विमुक्त राशियों को कैसे उपयोग हुआ उसे निम्नांकित सारणी (टेबुलों) से ज्ञात किया जा सकता है। सारणी-1 से विदित होता है कि लोक सेवाओं में संलग्न श्रमिकों की मासिक औसत आय अन्य श्रेणियों के व्यवसाय की आय से उच्चतर है। पलायन करनेवालो के 88.5 प्रतिशत इस श्रेणी में सामान्य जातियों या अन्य पिछड़े जातियों के हैं। इसके अलावा प्रत्येक पलायन करने वालों की औसत भूमि इस पेशा में 3.4 एकड़ है और यह आंकड़ा किसी दूसरे से उच्चतर करने वालों की 0.63 एकड़ है-

सारिणी-1

	किये गये सर्वेक्षण की संख्या	रिपोर्ट के आधार पर पलायनों की मासिक आय	मानक विचलन
कृषि एवं पशुपालन	67	5709	2466
अप्रशिक्षित मैनुअल मजदूर	118	4793	3072
प्रशिक्षित मैन्यूअल मजदूर	179	067	2186
बिक्री एवं व्यापार	36	4822	3493
व्यवसाय/अर्द्ध व्यवसाय	44	8009	10497
सार्वजनिक सेवा	13	19346	17192
कुल	457	5761	5525

(इस सर्वेक्षण के पूर्व के वर्षो में पलायन करने वालों की आय)

दूसरी सर्वोच्च आय पेशा या अर्द्ध-पेशा से 8009/-रु. है। इनका मुख्य ठहराव दिल्ली एन.सी.आर. में है। इनकी जमीन का आकार (1.6 एकड़) है, जो औसत से उच्चतर है और सामान्य जातियों या अन्य पिछड़ी जातियों का अनुपात इस श्रेणी में उच्च (67.8 प्रतिशत) है। इसका अर्थ है कि जिनका ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक स्तर ऊच्चतर है वे अच्छी नौकरी में लगे हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा का स्तर उच्चतर है। तीसरे उच्चतर आयों का सम्बन्ध कृषि और

पशुपालन में लगे पंजाब में जो राज्य भारत में कृषि कार्यो में सर्वाधिक उन्नतशील है। इस पेशा की श्रेणी में जो हैं उनके गंतव्य स्थल में खर्च निम्नतर है, क्योंकि 3/4 पलायन करने वालों को आवासीय सुविधा दी जाती है, लेकिन कृषि कार्य मौसमी होता है- ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों तक का। संभवत: पूरी वार्षिक आय और कृषि कार्य के लिए निम्न होती है। जिसमें अधिक समय तक ज्यादा से ज्यादा पलायन करनेवाले कार्यरत रहते हैं। इस श्रेणी में पलायन करनेवाले कोई भी सामान्य जाति के नहीं होते हैं। पलायन करने वालों की 3/4 संख्या इस श्रेणी में भूमिहीनों की होती है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के स्तर में कामगार ही कृषि-कार्य के लिए पलायन करते हैं। सामाजिक समूहों द्वारा की जानेवाली आय का जहांतक प्रश्न है, सामान्य जातियों के पलायनकर्ता (औसत 12367/-रु. प्रतिमाह) दूसरे किसी समूहों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आय की यह हालत तब होती है जब सामान्य जाति के पलायनकर्ताओं को अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक जमीन रहती है। स्पष्टत: सामान्य जातियों में आर्थिक लाभ ध्यातव्य है। हमारे घरेलू सर्वेक्षणों में कुछ निश्चित मदों में प्रश्न पूछे गये कि कैसे उस आय का कुछ खास मदों में उपयोग किया जा सकता है। टेबुल-2 में उन घरों की संख्या दी गयी है, जिन्होंने आय को किसी खास मद में लगाया। इस टेबुल में प्राइमरी, सेकेण्डरी दिखलाये गये हैं। जो परिणाम आये उनसे यह पता चलता है कि कितने वासियों ने प्रश्न करने पर मदों के बारे में बताया जिन मदों पर अधिकाधिक व्यय किया गया। हम यह अनुमान करते हैं कि ग्रामीणों के व्यय का झुकाव बड़ी समस्या नही है, क्योंकि ये ग्रामीण मुख्यत: आर्थिक कारणों से पलायन करते हैं।

टेबुल-2 से यह पता चलता है कि बड़ी संख्या में दैनिक व्यय में जैसे कपड़ा और खाना के लिए प्रथमत: स्वास्थ्य के लिए जिन घरों ने व्यय किया उस व्यय का औसत ऊंचा है। चुने गये क्षेत्रों में लोग निजी चिकित्सकीय सुविधाओं तक पहुंचते हैं, चिकित्सा के लिए। लोगों का झुकाव सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर से अधिक निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन गाँवों में उचित ढंग का नहीं है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण स्वास्थ्य और चिकित्सकीय पर उच्चतर मूल्य पर खर्च करते हैं। लगभग 52 प्रतिशत घरों द्वारा शादी और अन्य घरेलू अवसरों पर व्यय करते हैं।

टेबुल-2 (भेजी हुई रकम का उपयोग)

	घरेलू उपकरणों में खर्च की गयी		प्रारंभिक व्यवहार		द्वितीय व्यवहार		तृतीय व्यवहार	
	संख्या	हिस्सा	संख्या	हिस्सा	संख्या	हिस्सा	संख्या	हिस्सा
सम्बधियों के परिवार की सहायता	24	5.45	7	2.10	5	1.51	15	5.66
ऋण भुगतान	36	8.18	3	0.90	9	2.71	25	9.43
घर का निर्माण/ नवीकरण	103	23.43	16	4.80	11	3.31	50	18.87
जमीन गिरवी	1	0.23	1	0.30	0	0.00	1	0.38
सूद पर लगाना	17	3.86	6	1.80	0	0.60	6	2.26
भूमि क्रय	3	0.68	1	0.30	0	0.00	3	1.13
पशुओं का क्रय (साँढ़, गाय, भैंस या घोड़ा)	7	1.59	0	0.00	0	0.00	3	1.13
ट्रैक्टर का क्रय	1	0.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पम्पसेट पर क्रय	1	0.23	0	0.00	0	0.00	1	0.38
दूसरे कृषि-यंत्रों का क्रय	1	0.23	1	0.30	0	0.00	1	0.38
कृषि कार्य के लिए काम चलाऊ पूंजी	78	17.73	8	2.40	33	9.94	40	15.09
गैर कृषि कार्य मे निवेश	2	0.45	0	0.00	0	0.00	1	0.38
घर के सदस्यों के लिए स्कूल और प्रशिक्षण पर भुगतान	48	10.91	7	2.10	19	5.72	21	7.92
गाड़ी के क्रय पर व्यय	3	0.68	0	0.00	0	0.00	1	0.38
मोटरसाइकिल खरीद पर व्यय	10.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

	घरेलू उपकरणों में खर्च की गयी		प्रारंभिक व्यवहार		द्वितीय व्यवहार		तृतीय व्यवहार	
	संख्या	हिस्सा	संख्या	हिस्सा	संख्या	हिस्सा	संख्या	हिस्सा
विवाह और अन्य उत्सव में व्यय	228	51.82	2	0.60	5	1.51	16	6.04
चिकित्सा व्यय	295	67.05	14	4.20	202	60.84	71	26.79
दैनिक खर्च (भोजन, कपड़ा आदि)	329	74.77	265	79.58	44	13.25	14	5.25
दूसरे खर्च	10	2.27	2	0.60	1	0.30	0	0.00
घरों की प्रतिवेदित संख्या	1188	270	333	99.98	332	99.99	265	99.96

एक नयी जगह से लोगों का नियोजन की खोज में दूसरी जगह जाना सामान्यत: पलायन कहा जाता है। कुछ हद तक लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन होना आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। पलायन मानव स्रोतों को एक तो उस क्षेत्र से अलग करता है जिस क्षेत्र में उनकी सामाजिक सीमांतक उत्पादकता शून्य या नगण्य समझी जाती है और दूसरे कि उस क्षेत्र में उन्हें भेजता है जहाँ उनकी सीमांतक उत्पादकता तेजी से बढ़ती है इसके परिणामस्वरूप धन संचयन और तकनीकी प्रगति सामने आती है। साथ ही पलायन एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में और स्थानों पर वांछित आवश्यक मानवबल की मांगों की पूर्त्ति करती है। कामगारों के पलायन को सामाजिक और आर्थिक रूप से एक लाभदायक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कामगार निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त श्रमिकों के रूप में उच्चतर उत्पादकता और श्रमिको की कमी वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अब भी कृषि क्षेत्र ही है, जहाँ अधिकाधिक श्रमिक बल को नियोजन मिलता है, खासकर बिहार में श्रमिकों समेत बहुसंख्यक लोग नियोजन और आमदनी के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति भूमि के अनुपात में क्षरण हुआ है। बढ़ी हुई कठिनाइयों के कारण अतिरिक्त श्रमिकों के स्थानान्तरण की ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में जाने की प्रक्रिया चलती आ रही है। आवास के स्थान पर काम नहीं मिलने के कारण ये लोग नियोजन और उच्चतर जीवन

शैली के स्तर की आशा में शहरी और औद्योगिक केन्द्रों की ओर आकृष्ट होते हैं।

बिहार को कृषि जन्य अर्थ-व्यवस्था के आधार पर गंगा के उत्तर और दक्षिण के दो भागों में जाल की तरह फैली नदियों की बाढ़ और उनके जल-जमाव से लगातार ही विनाश जैसा होता आ रहा है।

उत्तर बिहार के उन लोगों की जिन्दगी, जो लोग प्रकृति जन्य और मानव निर्मित आपदाओं से त्रस्त हैं, ऐसी कठोर हो गयी है कि भूमिहीन श्रमिकों के साथ-साथ सीमांत कृषकों को भी बड़ी संख्या में दूर-दूर जगहों जैसे बनारस और भदोई जैसी जगहों में दरी उद्योग में काम की तलाश में पलायन करना पड़ता है, दिल्ली तक जाना पड़ता है जहाँ वे निर्माण कार्यो में कार्य करते हैं और पंजाब तक जाना पड़ता है जहाँ वे फार्म के श्रमिकों की तरह काम करते हैं।

पलायन की एक नयी प्रवृत्ति बिहार के उन ग्रामीण लोगों में देखी जाती है जिन लोगों के पास छोटे-छोटे भूखण्ड हैं, क्योंकि इनके पास परिवार के भरण-पोषण के लिए अपर्याप्त भूमि देखी गयी है। इसलिए परिवार के लिए जुगाड़ और अच्छी आर्थिक अवस्थाओं के लिए छोटे-छोटे भूखंड वाले लोगों का भी पलायन हो रहा है।

उपर्युक्त समीक्षा से यह विदित होता है कि भू-धारी और भूमिहीन होने की भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि के लोग पलायन की ओर प्रवृत्त हैं। इसी प्रसंग में यह उचित समझा गया कि बिहार से श्रमिकों के पलायन के भिन्न-भिन्न पहलुओं की खोज-बीन की जाय, जिनमें प्रवृत्तियाँ, मूल कारण, आमदनी के आधार पर पलायन करनेवाले श्रमिकों का सामाजिक-आर्थिक विवरण सम्मिलित हैं। इस विषय पर आयोजित परिसंवाद से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को पहचानने में सहायता मिलेगी।

❐

8

महिला सशक्तीकरण के संकट

हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने, महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व में, लाखों स्त्रियों और पुरुषों, युवाओं और वृद्धों तथा धनिकों और निर्धनों को राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में आकर्षित किया। उन्होंने जब भी आह्वान किया, चाहे वह 'असहयोग आंदोलन' के लिए हो, 'दांडी यात्रा' के लिए हो अथवा 'भारत छोड़ो' आंदोलन के लिए, महिलाएं उपनिवेशी शासन से अपने देश को आजाद कराने के लिए, वीरता से और निर्भीकता से आगे बढ़ कर आयीं। अतः यह तर्कसंगत था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसने अपना संविधान अंगीकार किया, उसमें महिलाओं को बिना किसी भेद-भाव के, राष्ट्र के कार्यकलापों में पूरी सहभागिता प्रदान की गयी। इन संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि के लिए बाद में महिलाओं के लिए विधिक उपाय किये गये। इससे हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां प्राप्त करने में सहायता मिली और उन्होंने उत्कृष्टता हासिल की, परंतु अब भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपनी बेड़ियों को तोड़कर, अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करनी है। महिलाओं को, संत विनोबा भावे की उम्मीदों पर खरी उतरने के लिए इस दिशा में बहुत कार्य करने बाकी हैं, बहुत आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा था, "महिलाओं के सामाजिक, पारिवारिक अधिकार और उत्तरदायित्व भी वे ही होने चाहिए जो कि पुरुषों के हैं।"

वास्तव में, पुरुष और महिला उसी तरह के दो पहिए हैं जिस तरह रथ के दो पहिए होते हैं। यदि उन्हें संतुलित होकर आगे बढ़ना है, तो दोनों को

समान रूप से मजबूत होना होगा, यदि इनमें से एक भी कमजोर होगा तो इससे राष्ट्र की गति ही शिथिल हो जाएगी। हमें ऐसे नहीं होने देना है। इसलिए यह जरूरी है कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान ढूंढ़ा जाए। यह बहुत ही शर्म और चिन्ता की बात है कि बालिका हत्या, बालिका-भ्रूण हत्या, बाल-विवाह, दहेज तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध अब भी मौजूद हैं। प्रायः प्रतिदिन इनसे सम्बन्धित खबरों की जानकारी विभिन्न अखबारों एवं मीडिया के माध्यम से हमें मिलती रहती हैं जिनसे मन में काफी दुःख और आघात पहुंचता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक सुरक्षित राष्ट्र की पहचान इस बात से होती है कि वहां महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी सजा कठोर से कठोर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक बुराइयों का खात्मा होना जरूरी है। अंतर केवल सामाजिक नजरियों में बदलाव लाकर और पूर्वाग्रहों को खत्म करके ही लाए जा सकते हैं। इसके लिए समाज में आंदोलन, अर्थात् जागरूकता अभियान चलाना होगा, जो कि लोगों में यह समझ विकसित कर सके कि बेटी भी उतनी ही कीमती है, जितना कि बेटा।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे समाज में बेटियों के मुकाबले बेटों को जो प्राथमिकता हासिल है, उससे प्रायः बेटियां परिवार में अनचाही बन कर रह जाती हैं। गांधी जी ने कहा था, "लड़की के पैदा होने पर शोक छा जाता है, जबकि लड़के का जन्म खुशी का मौका माना जाता है। जबतक इस रिवाज को जड़ से नहीं उखाड़ फेंका जाता तबतक महिलाएं किसी भी तरह की तरक्की नहीं कर सकतीं। पुरुष और महिलाएं तभी बराबरी हासिल कर पाएंगी जब लड़की के जन्म पर भी इतनी ही खुशी मनायी जाए, जितनी लड़के के जन्म पर मनायी जाती है।" यदि हम जनसंख्या के आंकड़े और रुझानों को देखें तो हम पाएंगे कि इनमें कोई सकारात्मक नहीं है, क्योंकि उनमें बेटों के लिए प्राथमिकता का जारी रहना दिखाई देता है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के आंकड़े दिखाते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के मामले में यह अनुपात 9:14 है, जो आजादी के बाद सबसे कम है।

लैंगिक समानता महिला बनाम पुरुष का मुद्दा नहीं है। बल्कि पुरुष को महिलाओं के सशक्तीकरण में साझेदारी करनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि

हमारे देश में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले जैसे महापुरुष महिलाओं के हितों की लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं। बालिकाओं ने, शिक्षा और अवसर प्राप्त होने पर पढ़ाई में और खेलों, कला, विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तथा न केवल अपने परिवार बल्कि राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है। महिलाओं ने दिखा दिया कि वे लड़कों से कम नहीं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता विकास, सशक्तीकरण, ऐसे प्रमुख और आवश्यक साधन हैं जिनके द्वारा वे आय अर्जित के काबिल बनेंगी।

शिक्षा से अवसरों का दायरा बढ़ता है। अब शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकार बन जाने से, हमारे देश के सभी लड़के और लड़कियों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलेगी। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि लड़कियां पढ़ाई अधूरी न छोड़ें और वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में उच्च शिक्षा की पढ़ाई जारी रखें। हमें महिला साक्षरता को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। शिक्षित महिलाएं, समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति भेदभाव और पक्षपात के खिलाफ लड़ाई में सहायक हो सकती हैं। इससे वे उभरते हुए भारत में बदलाव और विकास की अग्रदूत बन सकेंगी। वे उन महिलाओं की भी मदद कर सकती हैं जिन्हें शिक्षित बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया है और वे उन्हें सामाजिक रूप से जागरूक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना सकती हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और उनमें आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की भावना पैदा होगी। इसके लिए सरकार को सिविल समाज को, स्थानीय समुदायों को और स्वयं महिलाओं को महिला सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वाह के लिए मिल-जुलकर कार्य करना होगा।

दुनिया की आधी आबादी का सच यह है कि आज भी अधिकांश महिलाएँ शोषित और पीड़ित हैं तथा बिना मानव-अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। जब तक महिलाओं पर होने वाले असंख्य और असीमित अत्याचारों और क्रूरता का अंत नहीं होता, उनके साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त नहीं होता तबतक एक स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण समाज की संरचना नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में सशक्त कदम उठाये गये। चार्टर की

प्रस्तावना में लिखा गया कि ''संयुक्त राष्ट्र के हम लोग यह विश्वास करते हैं एवं निश्चय करते हैं कि हम भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से, जिसने हमारे समय में दो बार समस्त मानव समाज को अत्यधिक पीड़ा पहुँचायी है, बचाने का प्रयास करेंगे। हम मानव के मौलिक अधिकारों, मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा एवं मूल्य, स्त्री तथा पुरुषों के समान अधिकारों में तथा छोटे एवं बड़े राष्ट्रों की समानता में विश्वास प्रकट करते हैं।'' संयुक्त राष्ट्र आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। चार्टर के अनुच्छेद 1,8,13 (i)(b), 55 (c), 62 (2) और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रपत्र इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं।

चार्टर के द्वारा साधारण सभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद् पर मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और रक्षा की विशेष जिम्मेदारी डाली गयी। महिलाओं की स्थिति के लिए 1946 में बनाये गये विशेष कमीशन में महिलाओं के अधिकारों की समस्या का अध्ययन सम्मिलित किया गया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसम्बर, 1948 में की गयी। इसमें मानव मात्र के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक आदि अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया। इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि विश्व मानव समाज की स्वतंत्रता, शांति व न्याय की नींव इस सिद्धांत पर आधारित है कि सबको मानव होने के नाते जीवन जीने का समान अधिकार मिले, किसी का किसी भी स्तर पर शोषण न हो, पुरुष व महिला में समानता हो और मानव अधिकारों के संदर्भ में किसी प्रकार का लिंगभेद विकास के प्रसंग में न आये और पुरुष वर्ग ऐसी कोई नीति न अपनाये जिससे नारी और पुरुष के बीच कोई असमानता, शोषण, दुराव तथा घृणा की स्थिति बने।'' यद्यपि इस घोषणा के द्वारा मानव अधिकारों का एक मानदण्ड स्थापित किया गया, परंतु इसकी अपनी कोई कानूनी स्थिति नहीं थी। यह स्वत: क्रियान्वित होने वाला प्रपत्र नहीं था। 1966 में दो कन्वेन्शन्स हुए–एक नागरिक और राजनैतिक और दूसरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर। 1970 में महिलाओं की स्थिति संबंधी कमीशन की सिफारिश पर साधारण सभा ने महिलाओं के विकास का एक कार्यक्रम बनाया और यह तय किया कि 70वीं दशाब्दी को महिला विकास के रूप में मनाया जाय। 1972 में साधारण सभा ने घोषणा की कि वर्ष 1975 को महिला

वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। 1979 में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक पक्षपात समाप्त करने के लिए एक प्रपत्र तैयार किया गया। यह पहला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रपत्र था, जो महिलाओं पर हो रही क्रूरता पर केन्द्रित था और जिसका लक्ष्य, महिलाओं और पुरुषों में समानता स्थापित करना था। संयुक्त राष्ट्र की 1980 की एक रिपोर्ट ने माना कि ''महिलाएँ विश्व की आधी आबादी हैं, कुल कार्य घण्टों में उनका हिस्सा दो-तिहाई है, जिन्हें विश्व की आय का केवल 1/10 भाग मिलता है और विश्व की संपत्ति का केवल 1/100 हिस्सा उनके नाम है।'' ये भेदभाव या तो विकास योजनाओं और नीति निर्माण के समय जानबूझ कर पूर्वाग्रह के कारण होते हैं या यह भुला ही दिया जाता है कि महिलाओं के विकास के बिना समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। 15 से 16 जुलाई, 1985 को नैरोबी में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महिला समानता और विकास दशा का मूल्यांकन किया गया। 8 दिसम्बर, 1988 को साधारण सभा के प्रस्ताव 43/107 में स्त्रियों के विकास के लिए नैरोबी में लिए गये निर्णयों को लागू करना स्वीकार किया गया। 1993 में विएना सम्मेलन में महिलाओं के मानवीय अधिकारों की विस्तृत सूची औपचारिक रूप से स्वीकार की गयी। 4 से 15 सितम्बर, 1995 को बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के सौजन्य से महिलाओं से सबंधित चौथा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में समानता, विकास और शांति के कार्यक्रम पर विशेष विचार किया गया।

भारतीय संविधान निर्माताओं पर मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का बहुत अधिक प्रभाव था। संविधान में प्रदान किये गये मौलिक अधिकारों पर इसकी छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। संविधान में महिलाओं के अधिकारों और उनकी प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा को बनाये रखने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं। धारा 14 व 15 में कानून के समक्ष समानता और बिना किसी भेदभाव के कानून के संरक्षण की बात कही गयी है। धारा 51 (।) (e) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह महिलाओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे। संविधान की धारा 21 में भी सभी नागरिकों को मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक उपचारों से संबंधित धारा 32

के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और धारा 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय से संरक्षण पाया जा सकता है। अभीतक महिलोत्थान, महिला सशक्तीकरण, महिला आरक्षण जैसे महिलाओं से जुड़े अनेक शब्द सिर्फ नारों और भाषणों की शोभा बढ़ा रहे हैं तथा शब्दजाल से ज्यादा सार्थक परिणाम नहीं दे सके हैं। यदि लिंग आधारित बजट बने तथा उनके प्रावधानों को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने की इच्छाशक्ति सरकार दिखाये तो तस्वीर बदल सकती है। महिलाओं के लिए अलग बजट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बजट के खर्चों को स्पष्ट रूप से वह दिशा देनी होगी जो महिलाओं से जुड़े क्षेत्रों में घरेलू एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, यौन अपराध रोकने के लिए, सामाजिक सेवा क्षेत्र- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आर्थिक मामलों में स्वरोजगार, समान कार्य के लिए समान भुगतान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह बनाने तथा महिलाओं से जुड़े ऐसे ही विभिन्न मदों में बजटीय खर्चों का स्पष्ट निर्धारण करे। श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट बनाने का कार्य पहले से जारी है। आस्ट्रेलिया में तो यह प्रणाली दो दशक पुरानी हो चुकी है। फिलहाल सरकार को चाहिए कि वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक उच्चस्तरीय सक्षम समिति बनाये, जो महिलाओं से संबंधित संवेदनशील तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन करे, बिखरे हुए आँकड़ों को इकट्ठा करे, योजनाओं, प्रावधानों को जाँचे, वर्गीकृत करे तथा व्यय वितरण के अनुपात का निर्धारण कर लिंग आधारित बजटीय प्रावधानों को प्रभावी और उचित दिशा दे।

देश की सर्वोच्च अदालत ने विवाह का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य करने के लिए आवश्यक नियम बनाने का आदेश दे महिलाओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग सहित अनेक महिला संगठन शादी रजिस्ट्रेशन कानून बनाये जाने की माँग लम्बे समय से कर रहे थे। सरकार ने नहीं, अब अदालत ने उनकी आवाज सुन ली है। वैसे ऐसा कानून बनाने की पहल यदि केन्द्र ने की होती, तो अच्छा रहता। विवाह के नाम पर महिलाओं को धोखा देने, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने, सम्पत्ति में पत्नी के अधिकार पर अनावश्यक विवाद, बच्चों के संरक्षण, बाल विवाह जैसे अनेक मुद्दे शादी के रजिस्ट्रेशन से सीधे-सीधे जुड़े हैं। विवाह का कानूनी दस्तावेज हाथ में होने से महिलाओं को बड़ी राहत और ताकत मिलेगी। तलाक की स्थिति

में गुजारा भत्ता लेने या पति की मृत्यु के बाद पैतृक सम्पत्ति में हिस्से के लिए अपनी हैसियत सिद्ध करने का एक प्रमाण-पत्र अब उनके पास रहेगा। फिलहाल देश के चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व हिमाचल में विवाह पंजीकरण अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय को विवाह रजिस्ट्रेशन नियम के अमल की पुख्ता व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। देश में मौजूदा कानूनों के मुताबिक पारसी, ईसाई आदि के विवाह में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। मुसलमानों में भी निकाह के वक्त लिखा-पढ़ी होती है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि नये कानून का उद्देश्य सहूलियत देना होगा, न कि दंड देना। समान नागरिक संहिता के चश्मे से विवाह रजिस्ट्रेशन को परखना भी अन्याय ही कहा जायेगा। व्यापक विचार-विमर्श के बाद आम सहमति से ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए, जिन पर बाद में कोई आपत्ति न कर पाये। इसके लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। आशा है विवाह रजिस्ट्रेशन कानून शीघ्र ही पूरे देश में लागू हो जायेगा।

महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए संसद ने अधिनियम को मंजूरी दी है, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। यूपीए सरकार का यह फैसला महिलाओं को कानूनी संरक्षण देने के साथ ही वर्तमान कानूनों की खामियाँ दूर करने के लिए उपयोगी साबित होगा। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक उत्पीड़न, यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक या आर्थिक प्रताड़ना को शामिल कर अधिनियम को व्यापक रूप देने की कोशिश की गयी है। विधेयक में एक ही खानदान, दत्तक व्यवस्था या विवाह के तहत एक ही घर में साथ-साथ रह रही महिला को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया है। विधेयक का एक उज्ज्वल पहलू तो यह है कि पत्नी या उसके परिजनों से दहेज की माँग को भी इसके दायरे में रखा गया है, हालाँकि दहेज विरोधी कानून लागू है। इतना ही नहीं विधेयक महिला को ससुराल या साझा आवास में रहने का अधिकार देता है, भले ही उसके नाम स्वामित्व का कोई कागजात न हो। कानून पर सही तरीके से अमल हो, इसके लिए संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति और सेवा प्रदाता के रूप में गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला को सामाजिक संरक्षण प्राप्त होने की एक तरह से गारंटी दी गयी है। वर्ष 2005 के राष्ट्रीय अपराध

ब्यूरो के आँकड़ों से साफ जाहिर होता है कि मारपीट, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार और यौन शोषण के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। यह सामाजिक संवेदनहीनता को परिलक्षित करता है। कुछेक सबल महिलाएँ इस कानून के सहारे थोड़ी और सबल हो जायेंगी, लेकिन भारत में जिन्हें आम पारिवारिक औरत कहा जाता है, उन्हें कोई भी कानून घरेलू हिंसा से तबतक नहीं बचा सकता जबतक कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली मौजूदा सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में आमूल बदलाव नहीं आता। क्या कोई दावा कर सकता है कि कानून के कारण दहेज लेने-देने के मामलों में गिरावट आयी है? इसके विपरीत इस कानून के दुरुपयोग का मसला एक अलग सामाजिक समस्या के रूप में उभर रहा है। आज यह आम स्वीकृति है कि इस कानून का सिर्फ परिस्थितिजन्य उपयोग या दुरुपयोग होता है। कोई कानून किसी भी महिला के लिए उसका सहायक या संरक्षक तभी हो सकता है जब उस महिला को उस कानून के बारे में समुचित जानकारी हो और इसके बाद इसकी सोच इतनी स्वतंत्र हो कि वह अपनी समस्या के बारे में ठीक से निर्णय ले सके और अंततः कानून की शरण में चली जाय। लेकिन उसके लिए ऐसा करना तबतक संभव नहीं है जबतक कि वह आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं हो। अगर वह माँ है तो उसकी विवशताएं कई गुणा बढ़ जाती हैं। समाज की पितृसत्तात्मक बुनावट से औरत का दर्जा नीचे हो सकता है, लेकिन उसका गुंथाव इतना जटिल है कि वह सहज ही उससे बाहर आने की बात नहीं सोच सकती। मौजूदा भारतीय समाज की त्रासदी यह है कि उसके पास कानून बनाने और बने हुए कानून में बदलाव लाने का तंत्र तो है, लेकिन वह तंत्र गायब है जो लोगों की मानसिकता में बदलाव लाता है या किसी कानून की आत्मा को समाज की आत्मा बनाता है, जिससे पीड़ित के प्रति संवेदना पैदा होती है और उत्पीड़न करने वालो के प्रति आक्रोश। पीड़ित अपने प्रति किये जा रहे अन्याय के प्रति जागरूक होता है और उत्पीड़क अपने दुष्कृत्य के प्रति। वांछित परिणाम पाने के लिए जरूरी है कि कानून के साथ-साथ जागरूकता पैदा करने की प्रक्रिया भी चले। संसद और विधान सभाओं में महिला आरक्षण को लेकर लम्बी टाल-मटोल और इससे बचने के रास्ते तलाशने की सालों से जारी जुगत के बीच बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पंचायतों के मामले में

ऐतिहासिक और काबिल`तारीफ पहल की है। उन्होंने तीन स्तर पर पंचायती राज संस्था में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण देने से एक मिशाल कायम की है। इस खामोश क्रांति के जरिए आये बदलाव को सही अर्थों में आंकना हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ की राय पर भी गौर किया जाना चाहिए। उसने 10 लाख महिलाओं के राजनीति में सक्रिय भूमिका हासिल करने का आधार बने इस आरक्षण की मुक्त कंठ से सराहना की है।

महिलाओं को आगे लाना ज्यादा जरूरी है संविधान में भले ही महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया हो लेकिन सच्चाई यह है कि संसाधनों में हक पाने की बारी आने पर महिलाओं को निराशा ही हाथ लगी है। अत: विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत संरक्षण के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान एवं इसके सदस्यों का अह्म दायित्व होता है कि वे महिला के मानवाधिकार के हनन एवं उल्लंघन को रोकने में जुट जायँ।

पिछले कुछ समय में विभिन्न राज्यों में पंचायत एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण जरूर मिला है, लेकिन उनमें से बहुतों को खुलकर काम करने की स्वतंत्रा नहीं मिल सकी है। लेकिन विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के बाद स्थिति बदलेगी। वर्तमान समय में पंचायत स्तर पर सक्रिय महिलाओं को भी तब एक बड़ा दायरा मिलेगा। बुनियादी स्तर पर यह परिवर्तन केन्द्रीय राजनीति पर गहरा असर डालेगा। सारी पार्टियों को अपनी चाल बदलनी होगी। नीति-निर्धारण में देश की आधी आबादी की भागीदारी बढ़ने से भारतीय जनतंत्र को नयी ताकत मिलेगी, नयी दिशा मिलेगी। इससे सदन में महिलाओं की समस्याएँ प्रभावी ढंग से सामने आयेंगी, महिला-संबंधी योजनाओं के निर्माण में भी तेजी आयेगी। सबसे बड़ी बात है कि विधायिका में महिलाओं की व्यापक उपस्थिति देश की करोड़ों स्त्रियों को आजादी का अहसास करायेगी और अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा भी देगी। भारतीय औरतें तमाम विरोधों और विपरीत परिस्थितियों के बीच अपनी जगह तेजी से बना रही हैं। अब उन्हें रोका नहीं जा सकता, भरमाया नहीं जा सकता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब भी कुछ राजनीतिक पार्टियाँ महिला आरक्षण बिल को लेकर अपना वही पुराना राग अलाप रही हैं। इन पार्टियों को

ऐसा लगता है कि इस बिल के पास होने से संसद में उच्च और संभ्रांत वर्ग की स्त्रियों का वर्चस्व हो जायेगा। लेकिन इनसे पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने पिछले चुनावों में वंचित तबके की कितनी महिलाओं को टिकट प्रदान किया है। अगर गंभीरता से कोशिश की गयी होती तो दबे-कुचले वर्ग की कई महिलाएँ संसद तक पहुँच चुकी होतीं, लेकिन इन्होंने सिवाय जुबानी जमाखर्च के कुछ नहीं किया है। लेकिन औरतों को राजनीतिक अधिकार देकर राजनीतिक तंत्र और समाज का काम समाप्त नहीं हो जाता। इसे एक शुरुआत की तरह देखा जाना चाहिए। यह ठीक है कि महिलाओं के एक तबके में जागरूकता आयी है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर हर स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच खाई आज भी मौजूद है। महिलाओं का बड़ा वर्ग अशिक्षित है। देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो स्त्रियों को हर स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना होगा।

यह कैसी विडंबना है कि भारत में नारियों को, प्रारंभ से ही स्नेह, श्रद्धा, त्याग-तपस्या, बलिदान और विनम्रता के प्रतीक के रूप में, प्रशंसा और पूजा की गयी है। लेकिन, बावजूद इसके, विडम्बना यह है कि महिलाओं को (जिन्होंने अपने परिवार तथा समाज के लिए सब कुछ लुटा दिया, अपने आपको समर्पित कर दिया) योजनात्मक विकास के सात दशकों और भारतीय गणतंत्र के छियासठ वर्षों (यानी संविधान लागू होने के 67 वर्षों) के बाद भी उन्हें समाज एवं व्यवस्था में यथोचित स्थान नहीं मिला है। अब भी वे सर्वाधिक उपेक्षित एवं वंचित रही हैं। उन्हें अपने सही और वास्तविक स्वरूप में आने तथा अपनी पूर्ण क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं दिया गया। समाज और व्यवस्था दोनों ही ने बहुत हदतक अपनी घिसी-पिटी मान्यताओं एवं अवधारणाओं को मजबूत किया है और अपने छद्म आंदोलन तथा उद्‌बोधन से महिलाओं के मानस पटल को उद्वेलित किया, एक तरह से नियंत्रित किया है।

समानता के लिए पश्चिमी महिलाओं के संघर्ष का इतिहास वहाँ के समाज में व्याप्त पुरुष-नारी विरोध एवं विसंगति का प्रमाण है। लेकिन भारतीय समाज में यह संघर्ष नहीं रहा है। वैदिक काल में तो महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह पुरुष-नारी के बीच सौहार्द और समानता का युग था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट वैदिक

काल के पश्चात् तब से शुरू हुई जबसे हिन्दू समाज के कतिपय ग्रंथों ने पुरुषों पर महिलाओं की पूर्ण निर्भरता और उनकी अधीनता का पुरजोर तर्क सम्मत समर्थन किया।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय नारी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में निश्चित तौर पर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन 21वीं सदी की भारतीय महिला-छवि बड़ी तेजी से आकर पहचान ग्रहण कर रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वर्तमान सदी में वह भारतीय समाज एवं व्यवस्था की एक समर्थ, स्वतंत्र और आत्म-निर्भर इकाई के रूप में उभरेगी। लेकिन आज भी नहीं कहा जा सकता कि नारी के समक्ष मौजूद तमाम चुनौतियाँ, दुविधाएँ, विवशताएँ एवं बाधाएँ पूर्णतः दूर कर ली गयी हैं। समस्याएँ हैं और समय-परिवर्तन के साथ-साथ नयी-नयी समस्याएँ भविष्य में देखने को मिलेंगी। मगर उनसे लड़ने का, सामना करने का साहस अब उतना दुर्लभ नहीं है जितना पहले था।

महिला अत्याचार का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। **नेशनल क्राइम ब्यूरो** के अनुसार पिछले दस सालों में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़े हैं। 2004, 2008 व 2011 में यहां संज्ञेय अपराधों में काफी वृद्धि देखने में आयी। बिहार में होने वाले कुल अपराधों में महिलाओं संबंधी अपराधों का प्रतिशत 2001 में 6.1 था जो 2011 में बढ़कर 7.5 हो गया। इसी तरह देश भर के महिला अपराधों में बिहार का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। 2001 में यह 3.7 था जो 2011 में 4.5 प्रतिशत हो गया। बिहार के स्टेट क्राइम ब्यूरों के आंकड़ों से महिलओं के प्रति हिंसा की भयावह तस्वीर उभरती है। पिछले दस सालों में अपहरण की वारदातों में छह गुणा की वुद्धि हुई और यौन हिंसा 18 प्रतिशत बढ़ गयी। घरेलू हिंसा की घटनाओं में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पति अथवा रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली यह ऐसी हिंसा है जो महिला को जल्द मौत की ओर ले जाती है।

वारदातों का यह आंकड़ा महिला हिंसा का पूरा व सही विवरण नहीं है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं हिंसा की वारदातें रिपोर्ट नहीं करातीं। जो थाने तक पहुंचती भी हैं उनकी शिकायत अकसर दर्ज नहीं की जाती है। दर्ज कर भी ली जाए तो वह फाइलों में ही बंद पड़ी रहती है। उलटे महिला को और उसके घरवालों को ही परेशान व बदनाम किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - तीन (2005-2006) के अनुसार घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं में से 80 प्रतिशत ऐसी हैं जिनके साथ अकसर घरेलू हिंसा होती है। इनमें से मात्र दो प्रतिशत पुलिस के पास गयीं और एक प्रतिशत ने गैर-सरकारी संगठनों से मदद मांगी।

स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में से 60 प्रतिशत (विवाहित अथवा हाल ही में पति से अलग हुई) महिलाएं शारीरिक व यौन हिंसा की शिकार थीं। बिहार में महिलाओं के प्रति हिंसा की यह दर बाकी सभी राज्यों से ज्यादा है। देश की महिलाओं के प्रति हिंसा की औसत दर भी 37 प्रतिशत है। सर्वेक्षण बताता है कि हिंसा की शिकार इन महिलाओं में से ज्यादातर तो निरक्षर ही हैं पर दसवीं क्लास पास महिलाओं के प्रति भी यह हिंसा कम नहीं थी। शराब पीने वाले पति अपनी पत्नियों को ज्यादा मारते हैं। हालांकि नहीं पीने वालों में से भी आधें की पत्नियों ने अपने साथ घरेलू हिंसा की शिकायत की।

सरकार ने महिला हिंसा विरोधी कानून, सूचना का अधिकार, हिन्दू उत्तराधिकार कानून, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डायन प्रतिरोध अधिनियम आदि ढेर कानून तो बनाये हैं, किन्तु उनपर आम सहमति मिलने का काम पूरा करना है। नीचे कुछ मार्गदर्शक कानूनों के विवरण दिये गये हैं :-

1. **दहेज संबंधी कानून :** दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कानून के अनुसार निम्नलिखित कार्य अपराध है:

(1) दहेज देना और लेना। (2) दहेज लेने या देने में सहायता करना। (3) दहेज मांगना।

2. **दहेज लेने या देनेवालों या सहयोग करनेवालों के लिए सजा है:**
(1) पांच वर्ष तक की कैद। (2) 15 हजार रुपये जुर्माना। (3) अगर दहेज की रकम 15000 रुपये से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर सजा।

3. **डायन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम :**
डायन प्रथा प्रतिशोध विधेयक, 2001 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी औरत को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना जान-बूझ कर देता है या अन्यथा प्रताड़ित करता है

तो, उसे छह माह तक की अवधि के लिए कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित किया जायेगा।

पुलिस से संबंधित महिलाओं के अधिकार–

4. **पूछताछ के दौरान अधिकार :**

(1) किसी महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं ले जा सकते। (2) पूछताछ केवल महिला के घर पर हो सकती है।

5. **गिरफ्तारी के समय अधिकार :**

(1) गिरफ्तारी के समय जोर-जबरदस्ती करना गैर-कानूनी है।

6. **थाने में अधिकार :**

(1) गिरफ्तारी के बाद महिला को केवल महिलाओं के कमरे में ही रखा जाए। (2) महिला पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने या दुर्व्यवहार किये जाने पर मजिस्ट्रेट से डाक्टरी जांच की मांग करे।

7. **तलाशी के समय अधिकार :**

(1) पुरुष पुलिस कर्मी किसी औरत के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता। (2) अपनी तलाशी से पहले महिला पुलिस कर्मी तलाशी ले।

8. **एफआईआर दर्ज करते समय :**

(1) मुल्जिम का नाम एवं पता। (2) अपराध की तारीख, स्थान एवं समय। (3) अपराध का वर्णन। (4) गवाहों के नाम एवं पता। (5) पुलिस शिकायत दर्ज न करें, तो किसी बड़े अधिकारी के पास जाइए।

9. **प्रसवपूर्ण लिंग जांच तकनीकी अधिनियम, 1994 :**

(1) भ्रूण लिंग जांच एवं चयनित गर्भपात कानूनी अपराध है। (2) तीन से पांच वर्ष तक सजा। (3) 50,000-1,00,000 रुपये तक जुर्माना।

10. **कामकाजी महिलाओं के अधिकार :**

(1) हर काम करनेवाली को काम के लिए सही समय पर समान वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए। (2) वेतन कम से कम उतना होना चाहिए जितना सरकार द्वारा तय है।

11. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 :

(1) किसी भी महिला या बालिका के विरुद्ध परिवार के किसी भी वयस्क व्यक्ति या पुरुष के द्वारा पहुँचायी गयी किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक चोट या पीड़ा घरेलू हिंसा है। (2) घरेलू हिंसा की शिकायत महिला संबंधित अधिकारी, पुलिस अधिकारी या न्यायिक अधिकारी के पास दर्ज की जा सकती है। (3) पीड़िता शिकायत की प्रक्रिया को गुप्त रखने की मांग कर सकती है। (4) पीड़ित महिला या बालिका की शिकायत से संबंधित दिये गये किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त को अधिकतम एक वर्ष की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। (5) यह सभी प्रावधान घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 05 की धारा एक से 37 के अंतर्गत मिलता है।

12. सम्पत्ति का अधिकार : (1) हिन्दू, उत्तराधिकार कानून 1956 (संशोधन 2005) के अनुसार अब पारिवारिक संपत्ति पर लड़का-लड़की, महिला-पुरुष को एक समान अधिकार है। (2) भारत के सभी राज्यों के मुसलिम, पारसी तथा यहूदी धर्म को माननेवालों को छोड़कर हिन्दू धर्म के सभी वर्ग तथा बौद्ध, जैन या सिख मत माननेवालों पर लागू होता है। (3) इसी कानून के सेक्शन छह के अनुसार बेटी को संयुक्त हिन्दू परिवार में वे सभी संपत्ति-अधिकार होंगे जो बेटे को प्राप्त हैं।

जब भी किसी प्रथा में सुधार अथवा उसके उन्मूलन की बात हो, भारतीय समाज का नजरिया प्रगतिवादी रहा है। इन प्रथाओं में सुधार करने के लिए हमने साहस तथा बुद्धिमत्ता दिखायी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में भेदभाव तथा महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने की इच्छाशक्ति है और हमें इसका उपयोग करते हुए समाज में जागरूकता लानी होगी। इस परिवर्तन के लिए गांवों और शहरों में, महिलाओं और पुरुषों में तथा समाज के सभी तबके के लोगों के नजरियों में बदलाव लाना होगा। हमें अपने प्रयासों को एकजुट करना होगा और अपनी ऊर्जा को इकठ्ठा करके इसका उपयोग करना होगा। साक्षरता, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा मां और बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन, और विशेषकर स्वरोजगार, महिला सशक्तीकरण के प्रमुख

कारक हैं। पिछले दो दशकों के दौरान महिला सशक्तीकरण के लिए काफी प्रयास किये गये हैं और केन्द्र सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण मिशन का गठन किया गया है, जो इन प्रयासों में सहायक हो रहा है। हमारे देश में आजकल बहुत से महिला स्व-सहायता समूह कार्य कर रहे हैं और वे सफल भी हो रहे हैं। इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि प्रगति की गति बनाये रखनी है तो इसमें समाज के हर वर्ग को शामिल करना होगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक समतापूर्ण, स्थाई और टिकाऊ आधार तैयार करने के लिए महिलाओं के विकास सहित समावेशी विकास बहुत जरूरी है। महिलाओं में बहुत क्षमताएं हैं और उनकी ऊर्जा का उपयोग करके अधिक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। त्याग और स्नेह से भरा महिला का सहज स्वभाव होता है और स्थाई समाज के निर्माण के लिए ये गुण बहुत आवश्यक हैं। महात्मा गांधी ने कहा था- "महिलाएं खाना बनाती हैं, चौका उनके पास है, वे सबसे पहले खाना खा सकती हैं, परन्तु पहले सबको खिलाने के बाद ही वे खुद खाना खाती हैं।" यह उनकी प्रेम, त्याग और वात्सल्य से भरी भावना है।

गैर सरकारी संगठनों, मीडिया व समाज विज्ञानियों से बातचीत से भी यह निकलकर आया कि हिंसा की अधिकतर वारदातें सामने आ नहीं पातीं। महिलाओं की अज्ञानता, बदनामी का डर और पुलिस का असंवेदनशील रवैया इसके मुख्य कारण हैं। फिर भी पिछले कुछ सालों में मीडिया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आई जागरूकता ने लोगों का मानस बदला है और इंटरनेट व मोबाइल तकनीक की वजह से थाने में गये बिना भी लोगों को पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने की सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री जनता दरबार, राज्य महिला आयोग व जिलाधिकारियों के जनता दरबार के माध्यम से भी उन्हें अपनी शिकायतें दर्ज कराने का मौका मिल गया है।

भारतीय सामाजिक परिवेश, संविधान और महिला अधिकार

भारतीय समाज में अंतर्निहित स्त्री-पुरुष असमानता और उसके प्रभाव स्वतंत्रता पूर्व युग में भी भारतीय नेताओं के लिए चिन्ता के विषय थे। वस्तुतः

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विकास के लिए भारतीय महिलाओं के आंदोलन के रूप में घनिष्ठ रूप में अंतत: परिवर्तित हो गया। असमानता और सम्बद्ध मुद्दों के दृष्टिगत स्वतंत्र भारत के संविधान में न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी दी गई है, अपितु राज्य को यह शक्ति भी दी गयी है कि वह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के निवारण के उपाय अपनाये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में मानवाधिकारों-साथ ही महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का उद्घोष है। संविधान के भाग-3 के अंतर्गत मूल अधिकारों के रूप में भी महिलाओं को मानवाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक नागरिक महिला एवं पुरुष को विधि के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में राज्य को विशेष 'सकारात्मक' कदम उठाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 के आधार पर प्रत्येक नागरिक-महिला एवं पुरुष को लोकनियोजन के विषय में अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 21 विधायिका एवं कार्यकारिणी दोनों के अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 न्यायिक संरक्षण का लाभ प्रदान करता है।

संविधान के भाग-4 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व उल्लिखित हैं, जो पुरुष एवं स्त्री को समानता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 39 जीविकोपार्जन के समान अधिकार तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है तथा महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद-44, है जो सभी 'पंथिक नियमावलियों' से परे एक समान नागरिक संहिता की अनुशंसा करता है। संविधान के भाग-4 में 42वें संशोधन (1976) के बाद 'मूल कर्तव्यों' के प्रावधान जोड़े गये जिनमें एक नागरिक कर्तव्य 'महिला की गरिमा' का सम्मान करना भी है। सविधान के अन्य सामान्य प्रावधानों में भी लिंगभेद का प्रतिषेध है तथा अनुच्छेद 325 एवं 326 सभी नागरिकों-स्त्री एवं पुरुष दोनों-को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रणाली में लिंगभेद का निषेध करते हैं। वस्तुत: भारतीय संविधान में कानून के

शासन की बुनियादी प्रतिबद्धता में स्त्री-पुरुष समानता अंतर्निहित है, जो महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को संरक्षित करती है। 73वें एवं 74वें संशोधनों के बाद महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 33.3 प्रतिशत आरक्षण के बाद महिला अधिकारों की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन की शुरुआत देखी जा सकती है, जो अवश्य ही महत्वपूर्ण है। अब यह आरक्षण 50 प्रतिशत किया गया है।

उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान प्रदत्त विधियों द्वारा भी महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961/1984, सती निवारण अधिनियम 1934, विशेष विवाह अधिनियम 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1964, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी एक्ट 1972, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम 1956, मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 आदि। निश्चय ही उपर्युक्त अधिनियमों के क्रियान्वयन से महिलाओं की वैधानिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हुई है। यद्यपि कानून ने महिलाओं को अनेक प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं दी हैं, किन्तु महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रही हैं और वे सामाजिक रूप से अनुनयपूर्ण निर्योग्यताओं का तथा निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रही हैं। सामान्यतः वे अपने इन अधिकारों का उपभोग करने में अपनी अज्ञानतावश असफल हैं। यही कारण कानूनी रूप से पुरुषों के साथ समानता के उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हैं। दूसरा अन्य कारक जो कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रयोग में बाधक है वह है सामाजिक संरचना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती है। सामाजिक आदर्श एवं सामाजिक मूल्य जो कि स्त्रियों के द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के पक्ष में नहीं है और इस प्रकार के सामाजिक विधानों के व्यवहारिक रूप से लागू होने में बाधक सिद्ध होते हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठते देखना नहीं है।

भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति ने दिसम्बर 1974 में 'समानता की ओर' शीर्षक के तहत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह

रिपोर्ट जो अपने डाटाबेस में मूल्यवान और देश में महिलाओं के प्रति व्यापक और सतत् भेदभाव के प्रस्तुतीकरण में प्रभावशाली है, फरवरी, 1975 में राज्यसभा में पेश की गई। सभा ने 13 मई, 1975 को इस पर विचार कर एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि वह भारतीय महिलाओं पर निरंतर होनेवाले आर्थिक और सामाजिक अन्यायों, असमर्थताओं और भेदभावों को यथासंभव समाप्त करने वाले विशिष्ठ प्रशासनिक और विधायी उपायों का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ करें। 27 मई, 1976 को रिपोर्ट पर लोकसभा में विचार किया गया। इसके अतिरिक्त 6 जुलाई, 1977 को रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर 'आधे घंटे की चर्चा' भी हुई।

भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद से महिलाओं संबंधी कानून के क्षेत्र में मिश्रित कार्यवाही की गयी। जहाँ तक महिलाओं के सिविल अधिकारों का संबंध है, अब भी परंपराओं और प्रथाओं की विविधता ने जड़ें जमा रखी हैं। विधान की दृष्टि से, सुदृढ़ीकरण के पुराने सिद्धांत से ऊपर समानता की अवधारणा की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। तुलनात्मक दृष्टि से सामाजिक कानूनों के संदर्भ में भारत की महिलाएँ अन्य देशों की महिलाओं से कहीं आगे हैं। लेकिन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले और उन्हें बढ़ावा देने वाले कानूनों का कार्यान्वयन केवल धीमा, असंतुलित और लापरवाहीपूर्ण ही नहीं रहा है और केवल यही नहीं कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पुरुषों से अत्याधिक पीछे रखा जाता है, बल्कि यह भी कि कानूनों का प्रवर्तन अत्यंत असंतोषपूर्ण रहा है।

भारतीय समाज में जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर विविध प्रकार के भेदभाव करने की सुदृढ़ सांस्कृतिक विरासत रही है। परंपरागत रूप से मजबूत पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं को दासता और आज्ञाकारिता की सीमा में रहने का निर्देश देता है। यद्यपि यह सत्य है कि महिलाओं का स्थान लगभग सभी समाजों में एक समस्या है और मानव विकास में आज यह एक मूलभूत समाज की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं से अलग नहीं किया जा सकता। जाति, समुदाय और वर्ग पर आधारित हमारे परंपरागत सामाजिक ढाँचे में निहित असमानताएँ विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर

विशेष प्रभाव डालती है। महिलाओं के समाज द्वारा स्वीकृत अधिकार और उनकी संभावित भूमिका, उनके व्यवहार और उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के मानक विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में विभिन्न हैं। ये विकास की अवस्था और प्रणाली तथा सामाजिक सोपान में उनकी स्थिति से बहुत प्रभावित होते हैं। इससे महिलाओं की स्थिति के संबंध में व्यापक और सामान्य बातें अवास्तविक बन जाती है। अत: यह आवश्यक है कि समाज के विभिन्न स्तरों में महिलाओं की स्थिति और उनके कार्य की वास्तविकता को समझा जाए।

उन सभी जटिल प्रक्रियाओं ने, जिन्हें आधुनिकीकरण, प्रजातंत्रीकरण, नागरीकरण, औद्योगिकरण, विकास आदि सामान्य शब्दावली द्वारा व्यक्त किया जाता है, विभिन्न रूपों में, महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। परंतु इसके प्रभाव का कोई समान प्रतिमान ढूँढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं ने सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से प्रभावित नहीं किया है परंतु सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तनों के प्रतिमानों और दिशा का सूचक है। यदि इस परिवर्तन की दिशा संविधानिक निर्देशों के अनुरूप पुरुषों एवं महिलाओं के कार्यों के समतावादी वितरण की ओर है, तो परिवर्तन हितकर है, परंतु यदि आधुनिकीकरण में संलग्न विभिन्न शक्तियों का परिणाम असमानताओं की वृद्धि में होता है, तो यह संविधान की भावनाओं के विपरीत होगा।

बदलता परिदृश्य :

सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों से उत्पन्न महिलाओं की निर्योग्यताओं तथा दबावों से यह पता चलता है कि अब भी अधिकांश महिलाओं के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और अवसरों का उपयोग करना बहुत ही दूर की बात है। समाज अभ भी ऐसे मानदंड तथा प्रथाएं स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है जिससे महिलाएँ उन बहुमुखी भूमिकाओं को निभा सकें जिनको पूरा करने में वर्तमान संदर्भ में उनसे आशा की जाती है। महिलाओं के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पोषण और कानूनी सभी क्षेत्रों में भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, इस कारण से महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता महसूस की गई।

महिलाएँ विश्व-समाज की आधी जनसंख्या हैं, किन्तु आज भी वे जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों से पीछे है। यह सही है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया, उनमें जागरूकता भी उत्पन्न हुई, किन्तु स्थिति अभी उतनी परिवर्तित नहीं हुई है, जिस पर संतोष किया जा सके। केवल इतना हुआ कि महिलाएँ, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएँ, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे आई हैं। वे सीमित संख्या में आत्मनिर्भर हुई हैं, रोजगार में लगी हैं। सीमित दायरे में वे सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं। वे कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, विद्यालयों, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर भी दिखाई दे रही हैं। किन्तु ऐसी महिलाओं की संख्या ऊंगलियों पर गिने जाने तक सीमित है। साथ ही इन महिलाओं में भी अधिकांश पुरुषों के अन्यायपूर्ण व्यवहार एव अत्याचार से मुक्त नहीं हैं।

पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण भोगवादी प्रवृत्तियाँ भी बढ़ी हैं। नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का ह्रास हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति की भांति हमारे देश में भी लोग महिलाओं को भोग-विलास की वस्तु समझने लगे। अतः महिलाओं के असम्मान और शोषण का ग्राफ ऊपर उठने लगा। लोगों को यह तथ्य स्वीकारना चाहिए कि हमारे देश में महिलाओं का दर्जा देवी का है। माँ, बहन, पत्नी का है, भोगवादी वस्तु का नहीं। न ही हमारे देश में महिलाओं का स्थान विज्ञापन पर खुलेपन का है। पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज विज्ञापनों में महिला का खुला प्रदर्शन भी महिलाओं के शोषण एवं बढ़ते अत्याचार का कारण बन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे देश की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति में महिलाओं को गृहिणी एवं सम्मानीय माना गया है, वहीं पाश्चात्य संस्कृति में महिला को भोगवादी बिकाऊ वस्तु माना गया है। अतः यह आवश्यक हो गया है, कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को पुनः जीवित करें और अपनी मानसिकता को इसी अनुरूप बनाये रखें कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। महिलाओं को भी अपने सम्मान एवं शोषण के बारे में खुद सतर्क रहना होगा। आज महिलाएं खुलापन, उदारीकरण और नारी स्वतंत्रता के नाम पर अपनी सोच को स्थिर नहीं रख पा रही हैं। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पूर्व उन्हें यह अच्छी तरह सोच-समझ लेना चाहिए कि मर्यादा में रहकर ही महिला 'अस्तित्व' सुरक्षित रह सकता है।

आज महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी तरक्की का परचम लहरा रही हैं। महिलाएँ वायु सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा सेवा का भार संभाल रही हैं। रक्षा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी नि:संदेह गौरव की बात है, क्योंकि अभी तक महिलाएँ सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही थीं, किन्तु कठिन सेवाओं में उनकी संख्या अल्प थी। पर अब कोई भी क्षेत्र महिलाओं की सेवा से अछूता नहीं रहा है। आज की महिला दहेज के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करती है। दहेज के विरुद्ध शादी के मंडप में फेरों से इन्कार करने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, एवं बाल-विवाह के विरोध में भी लड़कियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की सार्थकता भी दिखाई दे रही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा का स्पष्टीकरण किया गया है। 'सर्व शिक्षा अभियान' ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करके शिक्षा के स्तर में सुधार दर्शाएगा। अत: हर तरह से महिलाओं को सशक्त किये जाने के प्रयास जारी हैं। किन्तु 21वीं सदी में उन्हें उनके नैसर्गिक अधिकार दिलाना शेष है। अत: इस नयी सदी में यह आशा अवश्य की जानी चाहिए कि हर क्षेत्र में महिलाओं को उनका जायज हक मिले एवं उनका शोषण समाप्त हो।

भारत का संविधान लिंग, जाति, रंग, आस्था आदि का भेद मिटा सबको अधिकार देने को कटिबद्ध है। किन्तु आजादी के 70 वर्ष गुजर जाने के बाद भी महिला पुरुष में असमानता जारी है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वह किसी की क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं तथापि महिलाओं पर शोषण एवं अत्याचार जारी है। आज महिलाएँ अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं और अपनों के द्वारा ही शोषण, अत्याचार की शिकार हैं। गृह मंत्रालय के अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 44 मिनट में अपहरण और 47 मिनट में एक बलात्कार होता है। प्रतिदिन लगभग 22 हत्याएँ दहेज के लिए होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के दिल्ली-16 प्रतिशत, हैदराबाद-8.1 प्रतिशत, बंगलोर-6.5 प्रतिशत, अहमदाबाद-6.4 प्रतिशत और मुम्बई-5.8 प्रतिशत। इन पांच बड़े शहरों में महिलाओं के खिलाफ अधिक अपराध होते हैं। इसमे दिल्ली का प्रथम क्रमांक है। बलात्कार एवं छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को उदारीकरण से बढ़ी कुप्रवृत्तियों ने और अधिक बढ़ावा दिया है।

सूचना परिदृश्य में भी यही प्रवृत्ति देखी जा रही है। सूचना का प्रसार हुआ है, पर उसके रूप और गुण पर सामंती प्रवृत्तियों की ही जकड़ है। टी॰वी॰ विज्ञापन उपभोक्तावादी समाज को जिन्दा रखने का सफल टॉनिक बन रहा है। इन विज्ञापनों में महिलाओं को अत्यंत सक्रिय और सुन्दर-सुघर रूप के साथ पेश किया जाता है। इससे महिलाओं पर एक किस्म का सामाजिक दबाव बनता है कि वे अपनी पहचान विज्ञापन में दिखाई जाने वाली उसी वस्तुरूपी महिला से करें। अत: यह महिला की जिस छवि को पेश करता है वह अलोकतांत्रिक और पितृसत्तावादी मूल्यों पर आधारित हैं, जिसमें या तो वह नायक के जीवन की सजावटी वस्तु की तरह होती है या फिर उसकी सार्थकता उसके मिटने में ही दिखाई जाती है-भले ही वह शारीरिक या मानसिक स्तर पर हो। इस तरह महिला के प्रति वर्तमान समय और समाज की जीवन दृष्टि में कोई बुनियादी फर्क नहीं आया है। एक ओर तो उससे अपेक्षाएँ बदली नहीं है और दूसरी ओर आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले निरंतर दबावों और बढ़ती हुई भौतिकता की माँग यह है कि महिलाएँ भी अनिवार्यत: उत्पादक व्यवस्था का अंग ही बने।

मानव अधिकारों के संरक्षण का जो अभिनव और विधि-सम्मत आंदोलन विश्व में प्रारंभ हुआ, वह निश्चय ही मानवता के संरक्षण और विकास का एक उज्ज्वल सोपान और महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत सहित संसार के अधिकांश देशों में इस अभियान ने महिलाओं के प्रति समानता, वैचारिक सहृदयता और उत्तरदायित्व बोध का सूत्र सामने रखा है। लगातार मानसिक और बौद्धिक प्रेरणा विकृतियों के शमन का माध्यम बनती है। सामाजिकता में पुरुष और महिला संबंधी भावनात्मक असंतुलन और विकृति धीरे-धीरे शताब्दियों में जमती गयी। उसके शर्मनाक रूपों को तथ्यों, तर्कों, विचारों, कानूनों और परंपराओं के द्वारा परास्त करने में भी लम्बा समय लगेगा। विधिवेता कितने ही कानून एवं दण्ड का प्रावधान करें, समाजशास्त्री कितने ही समाज सुधारक प्रयास करें, जबतक व्यक्ति की सोच में विशेषत: भूमंडलीकरण के दौर में उपजी मनोवृत्तियों के शमन के लिए मूलभूत परिवर्तन नहीं आता, तबतक महिला उत्पीड़न एवं शोषण से मुक्ति नहीं पा सकती।

वर्तमान संदर्भ महिलाओं की असंतोषजनक परिस्थितियों के प्रति समाज और सरकार जागरूक हो रहे हैं, महिला आंदोलन मजबूत हो रहे हैं और

महिलाओं की समस्याओं को राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यसूचियों में रखने का सतत संघर्ष चल रहा है। तथापि महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न में लगातार इजाफा हुआ है। अत: महिला अधिकारों को लेकर सुलझे हुए चिन्तन और ठोस काम किये जाने की आवश्यकता है। असंगत भूमंडलीकरण की कोशिशों के मद्देनजर स्थानीय अस्मिता के सवाल को और मजबूती से उठाया जाना चाहिए। महिला अधिकार का सीधा संबंध जीने के अधिकार, एवं उनकी 'अस्मिता' से है, अत: मानव-अधिकारों से महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। नाइंसाफी से सुरक्षा के लिए महिलाओं को एक अलग वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए तथा नीति-निर्माण एवं नियोजन के अंतर्गत इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं की समस्याएँ मुख्य रूप से सामाजिक पूर्वाग्रह और परंपरागत एवं पारम्परिक दृष्टिकोणों के सामाजिक व्यवस्था में घुले मिले होने के कारण है। इसमें सुधार केवल व्यवस्था परिवर्तन और सही आम राय विकसित करके ही किया जा सकता है। इसके लिए दो बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। पहली महिलाओं पर थोपी गयी अयोग्यता और असमानता को सम्पूर्ण समाज के शोषणवादी व्यवस्था के दबाव के कारण पीड़ित रहते हैं। दूसरे, यह महिलाओं पर निर्भर करता है कि वे अपने को कहाँ तक स्वतंत्र कर पाती है। यद्यपि बाहरी सहायता उपयोगी हो सकती है, लेकिन अपने को स्वतंत्र करने का वास्तविक संघर्ष तो शोषित व्यक्ति या वर्ग को स्वयं ही करना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज की आधुनिकता के संदर्भ में नग्नता, नशाखोरी आदि को महिला स्वतंत्रता का नाम देकर महिलाओं के व्यापार तथा शोषण के जो नये तरीके अपनाये जा रहे हैं उनके प्रति महिलाओं को जागरूक होना होगा। अन्य संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर एक गैर-सरकारी महिला आयोग बने, जो निगरानी एवं दबाव-समूह का काम करे। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग की व्यवस्था है, परंतु यह महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय दिलाने में अक्षम रहा है। यह वर्ग विशेष तक ही सीमित है। जहाँ उच्च वर्ग से सम्बन्धित कोई मामला सामने आता है, वहाँ आयोग पर राजनीतिक प्रभाव काम करने लगता है। अत: इसे और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये। ताकि आयोग न्याय प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप कर सके। इसके साथ ही राजनीतिक एवं आर्थिक फैसलों की प्रक्रिया

में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध एवं महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी के लिए सूचना के प्रसार को तेज किया जाना चाहिये। यह एक संयुक्त जिम्मेदारी है जिसमें सामुदायिक संगठनों, विधि प्रवर्तन तंत्र एजेंसियों, शिक्षकों, न्यायपालिका एवं मास मीडिया के सतत् सहयोग की आवश्यकता है।

हमें आज इस दिशा में सोचना शुरू करना होगा कि हमें कैसा कल चाहिए। समाज का नजरिया यह है कि बालिकाओं पर धन व्यय होता है, जबकि बालक आय में योगदान करते हैं। यह नजरिया बालिका के खिलाफ है और यह उसे माता-पिता पर बोझ मानता है। बालिका में भी बालक के समान ऐसा व्यक्ति बनने की क्षमता है जो समाज को योगदान देने में सक्षम हो। अगली पीढ़ी का नजरिया इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि यह महिलाओं के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो।

❐

दहेजप्रथा निषेध, शराबबंदी और बाल-विवाह निषेध जैसे कानूनों के क्रियान्वयन से देश का उत्थान

जिस रूप से बिहार राज्य में शराबबंदी, बाल-विवाह और दहेज प्रथा रोकने के लिए अभियान चलाया गया है, वह स्वागतयोग्य तो है ही, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाला भी है। 2 अक्टूबर, 2017 से बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक परिवर्तन का अभियान चलाया गया है। वह राज्य को महान सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, गणेश शंकर विद्यार्थी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा पूर्व में चलाये गये अभियान की तरह ही स्वतंत्र भारत में सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जनजागृति चेतना उत्पन्न कर सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। राजनीतिक दलों, गैर राजनीतिक संगठनों, गैर सरकारी सेवकों एवं सरकारी सेवकों के लिए सामूहिक तौर पर इन कुरीतियों को खत्म करने का दायित्व स्वत: बन जाता है।

भारत के इतिहास में बिहार का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणा प्रद रहा है। चाहे धार्मिक, राजनीतिक हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक उग्र क्रान्तिकारी विस्फोट हो या फिर गांधी जी के प्रेरणाप्रद विचार इन सभी में बिहार की धरती हमेशा अग्रणी रही है। सरकारी प्रलेखों, पत्रों में प्रकाशित अभिलेखों तथा निजी पत्राचारों सहित सभी उपलब्ध सूत्रों पर आधारित होने के फलस्वरूप यह बात सर्वथा प्रमाणित भी होती रही है। गांधी जी ने कहा था कि

वे ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करते रहेंगे, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व है। वे ऐसे भारत के लिए कोशिश करते रहे, जिसमें ऊँच-नीच का कोई भेद न हो। सभी जातियाँ मिलजुलकर रहें। उनके भारत में, अस्पृश्यता दहेज बाल विवाह व शराब तथा नशीली चीजों के अनिष्टों के लिए, कोई स्थान न हो। उसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले। राज्य सरकार ने अत्यंत साहसपूर्ण निर्णय लेते हुए पूरे प्रदेश मे पूर्ण शराबबंदी, बाल-विवाह और दहेज बंदी लागू कर दी है जिससे लोगों में हर्ष का माहौल है। महात्मा गांधीजी और अन्य महापुरुष भी मानते थे कि शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा रोकने के लिए कड़ा से कड़ा कानून बना देना जायज है, क्योंकि जनमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब और सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा पाना चाहता है। महिलाएं तो लगभग शत्-प्रतिशत् शराब और दहेज प्रथा की विरोधी हैं। गांधीजी तो यहाँ तक मानते थे कि यदि शिक्षण कार्य शराब के राजस्व से ही हो सकता हो तो भला इसी में है कि देश निरक्षर रह जाय। गांधीजी शराब और दहेज से प्राप्त आय को पाप की आय और अनैतिक मानते थे। वे कहते थे कि इस अनैतिक आय से किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि शराब और दहेज सभी अपराधों की जननी है। गांधी जी के अनुसार शराब और दहेज मनुष्यों से न सिर्फ उनका धन हरण कर लेते हैं, बल्कि उनकी बुद्धि भी छीन लेते हैं।

गाँधीजी ने भी कभी हम सब को दहेज मुक्त समाज का आईना दिखाया था। समाज दहेज एवं बाल विवाह से लगातार प्रताड़ित हो रहा है। बाल विवाह के कारण लड़कियों का भविष्य अवरूद्ध हो जाता है। लोकतंत्रीय समाज में महिलाओं का विकास रुक जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15.16 के उपखंड में महिला-पुरुष को सभी स्तर पर समानता और बराबरी सुनिश्चित की गयी है। दहेज प्रथा और बाल विवाह के कारण महिलाओं को बराबरी प्राप्त नहीं हो पाती। 19वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल के राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध बिगुल फूँका था। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति देने की सिफारिश की। उसके बाद 19वीं सदी के आखिर में स्त्रियों की दशा में सुधार का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में दहेज व बाल विवाह का विरोध

हुआ। स्त्री की शिक्षा और समानता के लिए समर्थन किया। हालाँकि उस समय स्त्री के सुरक्षात्मक ढाँचे पर हमला नहीं होता था, बल्कि उसे सुरक्षित रखते हुए उसके अंदर सुधार चाहते थे। परंतु आज बाल विवाह और दहेज प्रथा के कारण स्त्रियों को जो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वे उन्हें प्राप्त नहीं होते। पंडित नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के शासन काल में दहेज विरोधी कानून बनाये गये परंतु, समाज में जागरूकता के लिए आंदोलन नहीं चलाया गया। सख्त कानून रहने के वावजूद दहेज प्रथा के कारण समाज में लड़कियाँ और उनके अभिभावक प्रताड़ित होते रहे हैं। अनेक प्रकार की प्रताड़ना और दबाव लड़की वाले को दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **''बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ''** का नारा दिया है। समाज सुधारक के रूप में राजीव गाँधी ने पंचायती राज विधेयक संविधान संशोधन कर पंचायतों को मौलिक अधिकार दिलाया। बिहार सरकार ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं के प्रति उत्थान की प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में अपनी इच्छाशक्ति जाहिर पहले ही कर दी थी। यह अविस्मरणीय है कि हमारी सरकार ने दहेज प्रथा के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत (1976 में) की थी। सरकार ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया था। परंतु बाद में सरकार की असहजता के कारण दहेज उन्मूलन की दिशा में कामयाबी नहीं मिल सकी। अब महिलाएँ जागृत हुई हैं। उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है। घरेलू हिंसा रोकने के कानून बनाये गये हैं। इस परिस्थिति में यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। संविधान के प्रावधानों और प्रधानमंत्री के लड़कियों के लिए जो लक्ष्य हैं और पंचायती कानून से जो अधिकार उन्हें मिले हैं उसके लिए ऐसे व्यापक कार्यक्रम चलाकर ही बाल विवाह और दहेज प्रथा का उन्मूलन हो सकता है।

1961 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा बनाये गये दहेज निषेध कानून और 1976 में बिहार सरकार द्वारा सख्त संशोधन करने के बावजूद दहेज प्रथा बाल विवाह और शराब के प्रचलन से सामाजिक समरसता लगातार घट रही थी। इन बुराइयों के विरुद्ध राज्य में व्यापक आन्दोलन की आवश्यकता है। दहेज और उपहारों का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया जाय, वहीं दूसरी ओर

सरकारी सेवकों के लिए भी दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र देने का प्रावधान किया जाय। सरकारी कर्मचारी से संबंधित इस घोषणा पत्र पर पिता, पत्नी एवं ससुर के हस्ताक्षर भी रहें उसके लिए बिहार राज्य दहेज निषेध नियमावली बनायी जाय। उस नियमावली को सख्ती और दृढ़ता से लागू कराने के लिए बिहार राज्य दहेज नियमावली में समुचित सख्त प्रावधान करे। जिला कल्याण पदाधिकारी को दहेज नियमावली को लागू करने के लिए नामित किया जाय और उन्हें विशेषाधिकार दिये जायं जो सी॰आर॰पी॰सी॰ के तहत शिकायत मिलने पर ऐसे मामले की जाँच करें और पुलिस की मदद लें। इस नियम के तहत प्रावधान किया जाय कि सूचना और शिकायत होने पर दहेज प्रतिशोध कानून के तहत सूचना मिलते ही छापामारी करें। उसकी गवाही के लिए दो व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार दिया जाय। बिना ठोस आधार की गवाही से इन्कार करने पर यह माना जाय कि उसने अपराध किया है। इस नियमावली में दहेज निषेध अधिकारी को पुलिस की भांति मामले की जाँच सक्षम रिपोर्ट पेश करने का अधिकार भी दिया जाय। वर्ष में एक दिन राज्य में दहेज निषेध दिवस मनाया जाय। प्रत्येक अधिकारी को होने वाले विवाहों के बारे में ब्योरा देना होगा कि जितनी भी शादियाँ इलाके में होने वाली हैं या हुई हैं उनमें नियमों का पालन किया गया है या नहीं। 1929 में अंग्रेजी शासन में ही बाल विवाह रोकने के लिए कानून बना; उसी तरह राजा राममोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा रोकने का कानून और फिर आजाद भारत में 1961 में पण्डित नेहरू द्वारा दहेज विरोधी कानून बनाया गया। संविधान लागू होने पर महिला और पुरुष को समान अधिकार मिले, परन्तु जन चेतना एवं जन आन्दोलन के अभाव में कानून निष्प्रभावी रहा है। अब जन चेतना के माध्यम से मद्य-निषेद्य, बाल विवाह और तिलक दहेज कानून को प्रभावी करने के लिए जन आन्दोलन की आवश्यकता है।

सामान्य अवधारणा यह है कि दहेज लेन-देन जैसे सामाजिक अपराध की शुरुआत वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद ही होती है, यानी वर पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तभी की जा सकती है, जब दहेज की माँग शादी के पश्चात् की गयी हो। लेकिन एक कटु सच्चाई यह है कि हमारे समाज में हजारों रिश्ते 'दहेज' मांग के कारण शादी से पहले ही टूट जाते रहे हैं। इस स्थिति में यदि लड़की पक्ष पुलिस के समक्ष दहेज माँग की शिकायत दर्ज भी कराता है तो पुलिस

अधिकारी यह कहते हैं कि जब शादी ही नहीं हुई, तो दहेज का मुकदमा कैसा? ऐसी स्थिति में लड़की पक्ष के पास चुपचाप बैठने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचता; ऐसे कानून में बदलाव की जरूरत है।

यदि वैवाहिक संबंधों की बातचीत के दौरान कोई पक्ष दहेज की माँग करता है तो उस पर दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी पाये जाने पर उसे जेल जाना पड़ सकता है। इस संबंध में सन् 1996 ई. में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मुकदमें में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि बातचीत के दौरान भी यदि कोई पक्ष दहेज की माँग करता है तो वह दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषी है तथा उस पर नियमानुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत क्रमशः 9 तथा 6 माह की कारावास की सजा सुनायी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहलीबार यह तर्क उठाया गया कि जब शादी ही नहीं हुई तब दहेज के लिए सजा क्यों? क्या ऐसी स्थिति में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के प्रवधान लागू किये जा सकते हैं? यहाँ अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत दहेज शब्द की व्याख्या की गयी है। धारा-3 के अंतर्गत दहेज लेने व देने के लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा तथा 15000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। इसी प्रकार धारा-4 के अंतर्गत दहेज मांगने के अपराध के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि दहेज निषेध अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य दहेज नामक सामाजिक बुराई को समाज से दूर करना है तथा उसके अंतर्गत दहेज को वास्तविक रूप में लेना ही अपराध है, बल्कि दहेज की माँग करना ही अपराध के कटघरे खड़ा कर देता है।

विवेकानन्द भी बाल-विवाह के ध्रुव विरोधी थे। भारत में व्याप्त इस प्रथा के लिए वे मुख्य रूप से पोंगा-पन्थियों को जिम्मेदार ठहराते थे जो धर्म की आड़ में स्त्रियों की उन्नति में बाधक थे। उनके विचार में स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए विवाह प्रौढ़ आयु पर होना चाहिये। जिस प्रकार पुत्रों का विवाह ब्रह्मचर्य पालन और शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत करना चाहिये, उसी प्रकार कन्याओं को भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिये और माता-पिता को चाहिये कि उन्हें भी पहले शिक्षित करें फिर विवाह करें। उनका मत था कि किसी बालिका

पर 12 या 13 वर्ष की आयु में मातृत्व का भार डालना धर्म नहीं है। बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पति होती है और अल्प आयु में सन्तान धारण करने के कारण स्त्रियाँ अल्प आयु होती हैं। उनकी दुर्बल और रोगी सन्तान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है, क्योंकि यदि माता-पिता बलवान और स्वस्थ न हों, तो उनकी सन्तान कैसे स्वस्थ और शक्तिशाली होंगी? यदि हमारे यहाँ कन्याओं के विवाह कुछ अधिक आयु में हों और उनका लालन-पालन सुसंस्कृत वातावरण में हो तो वे ऐसी सन्तानों को जन्म देंगी जिनसे देश का यथार्थ कल्याण हो सकेगा। बाल विवाह का मूल कारण तत्कालीन समय में विधवाओं की संख्या में वृद्धि का होना भी था। जो आयु विद्याध्ययन और जीवन निर्माण की होती है, जिस आयु में मनुष्य स्वस्थ होकर और शिक्षा का अर्जन कर भावी जीवन का सामना करने के योग्य बनता है, उस आयु में उसका विवाह कर देने से उसके सर्वांगीण विकास में बाधा पड़ती है। यह विवाह, विवाह नहीं, विवाह का उपहास है। विवाह का उत्तरदायित्व न समझने वाले बच्चों का विवाह कर देना उनके प्रति घोर अन्याय है। इसमें विवाह के उद्देश्यों की उपेक्षा होती है। अनभिज्ञ लोगों पर उत्तरदायित्व लाद देना सर्वथा अनुचित है।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1860 का एक्ट पारित हुआ। इस कानून के अनुसार 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना गया और उसके लिए आजीवन कारावास का दण्ड रखा गया। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और 14 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया। इसे दण्डनीय अवश्य माना गया पर इतना सामान्य दण्ड का प्रावधान था कि वर पक्ष पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। कानून में एक कमी यह भी थी कि किसी की शिकायत करने पर ही पुलिस ऐसे विवाह में हस्तक्षेप कर सकती थी।

बाद में सरकार ने एक दूसरा कानून बनाया, जिसमें लड़कों की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गयी। स्वतंत्र भारत में भी इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़े कदम उठाये गये हैं और

कानून को सख्त किया गया है। इसी का परिणाम है 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस कानून के अंतर्गत बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के दो साल के अंदर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं। किन्तु यह कानून सभी समुदाय पर लागू नहीं हैं जो इस कानून की सबसे बड़ी कमी है। हालांकि माह अक्टूबर, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह साफ किया कि विवाह के उपरांत भी कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना अपराध माना जायेगा तथा इसमें दण्ड का भी विधान किया गया है। यदा-कदा सामाजिक परंपरायें कानून पर भारी पड़ जाती हैं। रूढ़ियों को तोड़ने के लिए जागरूकता लानी पड़ती है, जिसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 में की है। यह है तो एक चुनौती परन्तु, इस चुनौती का सामना करने का सबसे कारगर तरीका है समाज में इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना। इसमें मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बालिका-बधू, जैसे धारावाहिक का निर्माण कर मीडिया ने एक सार्थक पहल की थी। पर जहाँ मीडिया की पहुँच नहीं हो सकी है वहाँ नुक्कड़ नाटकों के जरिये दूर-दराज के गाँवों में संदेश प्रसारित किया जा सकता है।

साथ ही शिक्षा का प्रसार सहित इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए बाल-विवाह का नफा-नुकसान, रक्षा-सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा के अधिकार आदि के बारे में बताना होगा, क्योंकि इस समस्या का निदान केवल कानून द्वारा संभव नहीं है, इस कार्य के लिए जन सहभागिता अनिवार्य है। यह पूरे विश्व की समस्या है, किन्तु विश्व का एक तिहाई बाल विवाह भारत में होता है। सबसे अधिक 68 प्रतिशत बाल विवाह बिहार में होता है, जिसको समाप्त करना है। जागरूकता द्वारा ही समाज की इस मानसिकता को बदला जा सकता है। प्रायः देखा जाता है कि यह प्रथा सबसे अधिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में जड़ें जमाये हुई हैं। इन परिवारों में भी जहाँ बेटियों को समुचित रूप से शिक्षित किया गया है वहाँ उन्होंने स्वयं इस प्रथा पर प्रहार किया है। जातिगत पंचायतों का भी अपने क्षेत्र एवं सदस्यों में प्रभाव होता है। यदि वे आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभायें तो इस कुप्रथा का पूरी तरह समाप्त हो जाना असंभव नहीं है।

आज दहेज का दानव भारतीय समाज को किसी न किसी रूप में निगल रहा है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, वेश्यावृत्ति, बेमेल

विवाह, जैसी अनेक बुराइयों को भी बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, जिन्होंने काफी काला धन इकट्ठा कर लिया है और जो बढ़-चढ़कर दहेज देने लगे हैं। उनकी देखा-देखी के कारण अथवा अपनी कन्याओं के लिए अच्छे वर तलाश करने के इच्छुक निर्धन लोगों को भी दहेज का प्रबंध करने के लिए, कर्ज लेने पड़ते हैं। पुरखों से मिली विरासत की सम्पत्ति बेचनी पड़ती है। इस तरह वर पक्ष की माँगें सुरसा के मुख की भाँति दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। देश में भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं, जो परोक्ष रूप से दहेज प्रथा से ही जुड़े मामले हैं। निर्धन दंपती दहेज के दानव से डरकर गर्भ में ही बच्चियों को मारने का प्रयत्न करते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं। हरियाणा इसका बड़ा उदाहरण है। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक 1000 में 919 बच्चियाँ ही जन्म ले पाती हैं। बहुत ऐसे मामले भी प्रकाश में आये हैं, जिसमें कम दहेज देकर ब्याही गयी लड़कियों को ससुराल वाले या तो जलाकर मार डालते हैं या उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि वे लोकलाज के चलते स्वत: ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं।

दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए संस्थात्मक एवं रचनात्मक दोनों तरह के प्रयासों की नितांत आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत बिहार सरकार ने एक तरफ कानून अपना काम करेगा तो दूसरी तरफ जन-जागरूकता अभियान अपना काम करेगा के आधार पर की है। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, दूरदर्शन, समाचार पत्र, जागरूकता अभियान एवं साहित्य के माध्यम से यह संदेश जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है कि दहेज लेना एवं देना पाप है। यह सत्य है कि जबतक लोग इस बुराई के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक कानून का दुरुपयोग होता रहेगा और इस कुप्रथा को संरक्षण मिलता रहेगा। फलत: जो ऊँचाई दहेज एवं बाल विवाह ने ग्रहण कर ली है, उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता।

बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार द्वारा बनायी गयीं नीतियाँ और कानून कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है, इस नुकसान से अवगत न होना। जैसे दहेज प्रथा से कई नुकसान हैं, उसी तरह बाल विवाह से भी वर-वधू की पढ़ाई-लिखाई में परेशानी सहित उनके कमजोर कंधों पर गृहस्थी का भार, होने वाले बच्चे भी कुपोषण के शिकार होते हैं तथा

उनकी रोग-निरोधक क्षमता भी कम रहती है, जिसके चलते वे कई रोगों का शिकार होकर समय से पूर्व काल कलवित हो जाते हैं। जो जीवित बचते हैं वे भी दिमागी रूप से कमजोर होते अथवा बौनापन का शिकार हो जाते हैं। उक्त पक्ष काफी नुकसान कारक है, जिसकी भरपाई लोगों को सचेत कर की जा सकती है।

इस कुरीति को मिटाने में युवा वर्ग की महती भूमिका हो सकती है। प्रथमतः उन्हें ही बुराई के विरोध में खड़ा होना होगा तथा दहेज लेने एवं देने वालों का बहिष्कार करना होगा। इस कुरीति को जड़ से समाप्ति के लिए समाज के नौजवानों को आगे आना होगा। तभी इसे खत्म किया जा सकता है। इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि लड़कियों को शिक्षित कर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र किया जाय। इस दिशा में बिहार सरकार ने नई पहल की शुरुआत वर्षों पूर्व की है। साइकिल, पोशाक योजना मुफ्त पाठ्य पुस्तक आदि के माध्यम से लड़कियों को स्कूल तक लाया गया है। साथ ही पंचायत चुनाव एवं नगर निकायों के चुनाव सहित सरकारी नौकरियों में भी उन्हें अलग से 35 प्रतिशत आरक्षण देकर सबल बनाने का कार्य किया गया है। यह सही है कि जब वे अपने पैरों पर खड़ी हो जायेंगी तो उसे सास और ननदों की छींटा-कशी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे समाज की यह विडम्बना ही मानी जायेगी कि दहेज से पीड़ित वर्ग भी दहेज लेने से पीछे नहीं हटता। जिस घर में दुल्हन हमारे कुल के लिए वंश पैदा करती है, बहन, बेटी, बुआ और माँ बनकर सबको प्यार लुटाती है, उसे ही कठोर यातना दी जाती है। ऐसा समाज निश्चित रूप से सभ्यों का नहीं, नितांत असभ्यों का-सा है। अब समय आ गया है कि हम इस कुरीति को समूल उखाड़ फेंके।

बिहार की धरती परिवर्तन के लिए हमेशा से उर्वरा रही है। बिहार सरकार ने पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाया है। अब समय आ गया है कि दहेज एवं बाल विवाह का भी पूर्णरूप से सफाया बिहार की पावन धरती से शुरू हो। भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह वह है जो ''बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006'' के अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम उम्र में किया गया हो। बाल विवाह आमतौर पर भारत कुछ समाजों में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है, जिसमें दो अपरिपक्व

लड़का और लड़की जो आपस में बिलकुल अनजान हैं, उन्हें जबरन जिन्दगी भर साथ रहने के एक बंधन में बाँध दिया जाता है। हालांकि बाद में ज्यादातर स्थितियाँ बिलकुल खराब हो जाती हैं और नतीजे तलाक और मृत्यु तक पहुँच जाते हैं। बिहार आज विकास की राह पर दौड़ रहा है उसमें बाल विवाह जैसी कुरीति जिन्दा रहे यह कतई उचित नहीं लगता। स्वतंत्र भारत में कई कानून बनाये गये, जिनमें कुछ हद तक सुधार हुआ। परन्तु पूर्ण रूप से बाल-विवाह समाप्त नहीं हुआ। वर्तमान समय में ''बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006'' अस्तित्व में है। परन्तु यह कानून एक समुदाय पर लागू नहीं होता है। हिन्दू विवाह हिन्दू रीति-रिवाज व कानून के तहत तो मुस्लिम विवाह (निकाह) मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के तहत होता है। शिया और सुन्नी समुदायों के लिए कई प्रावधान अलग-अलग हैं।

बाल विवाह के आंकड़े देखें तो, यूनीसेफ की ''विश्व के बच्चों की स्थिति-2009'' की रिपोर्ट के अनुसार समूचे विश्व का 40 प्रतिशत बाल विवाह सम्पूर्ण भारत वर्ष में होते हैं और समूचे भारत में 49 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व जो जाता है। बिहार में सबसे अधिक 68 प्रतिशत बाल विवाह की घटनाएं होती हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बाल विवाह होते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं, ऐसा आँकड़े बताते हैं।

बाल विवाह होने के कई कारण हैं, जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:- (1) लड़की की शादी को माता-पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना। (2) लड़कियों की शिक्षा निचले स्तर का होना। (3) सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराओं का चलन। (4) रूढ़िवादिता एवं अन्धविश्वास का होना। (5) निम्न आर्थिक स्थिति का होना। (6) सख्ती से कानून का पालन नहीं होना। (7) गरीबी और (8) दहेज प्रथा।

हमारे समाज में बाल विवाह होने से कई प्रकार की क्षति हो रही है तथा वर-वधू को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है :- जैसे (1) शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि। (2) शिशु का कुपोषित होना। (3) शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाना। (4) अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाना। (5) यौन संक्रमण रोग का खतरा हमेशा बना

रहना। (6) कम उम्र की लड़कियाँ, जिनके पास रुतबा, शक्ति एवं परिपक्वता नहीं होती, अक्सर घरेलू हिंसा, सेक्स संबंधी ज्यादतियों एवं सामाजिक बहिष्कार की शिकार होती हैं। (7) कम उम्र में विवाह लगभग हमेशा लड़कियों को शिक्षा के अर्थपूर्ण कार्यों से वंचित करता है, जो उनकी निरंतर गरीबी का कारण बनता है। (8) बाल विवाह लिंग भेद, बीमारी एवं गरीबी के भंवरजाल में फंसा देता है। समाज के जागरूक व्यक्ति और सरकार विशेष ध्यान दे तो बाल विवाह निम्न प्रकार के उपायों से रोका जा सकता है। यथा: समाज में जागरूकता फैलाकर, गरीबी का उन्मूलन कर, शिक्षा का प्रसार कर, बाल विवाह निषेध कानून का सख्ती से पालन कर, युवा महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान कर, दहेज प्रथा पर लगाम कस कर इसे रोका जा सकता है। इस कार्य में सफल होने के लिए बिहार अपना अभियान आरंभ कर चुका है, बस सबके सहयोग की जरूरत है।

बिहार में बाल विवाह रोकथाम के लिए निम्न प्रकार के कानून लागू हैं- (1) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (2) बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली, 2010। बाल विवाह रोकथाम के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की अनोखी लोक कल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाओं को लागू किया गया है- (1) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। (2) मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। (3) मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। (4) अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। (5) इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। (6) राजीव गांधी स्कीम (सबला) (7) परवरिश योजना। (8) पूरक पोषाहार कार्यक्रम आदि। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती से दहेज व बाल विवाह के विरुद्ध एक नया अभियान चलाया है, जिसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। समाज के सभी लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि आस-पास में हो रहे बाल विवाह को रोकने की पहल कर उनका बहिष्कार करें।

अत: इस अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ठोस और प्रभावी कानून के साथ-साथ जागरूकता आवश्यक है। साथ ही होने वाली शादी के संदर्भ में भी दहेज की मांग को इस अधिनियम की धारा 4 दोषी बना देती है। इस संदर्भ में विवाह शब्द की परिभाषा में वे विवाह भी होंगे, जिनके लिए सिर्फ बातचीत की गयी है तथा जो दहेज मांग के कारण सम्पन्न नहीं हो

सके हैं अथवा टूट गये हैं, क्योंकि विवाह शब्द की परिभाषा के अंदर इन होने वाने विवाहों को यदि शामिल नहीं किया गया तो दहेज निषेध अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो सकता है।

राज्य में ''महिलाओं के यौन-शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार, भ्रूण-हत्या, आदि आम बात बन गयी है। भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, डायन हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएँ स्त्री अस्मिता को नकारती हैं। ऐसे में शराबबंदी, बालविवाह और दहेज निषेध कानून इन पर अंकुश लगाने में कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। इसके खिलाफ जनमानस तैयार करना जागरूकता आंदोलन के साथ कठोर कानून बनाकर ही संभव है। सरकार द्वारा घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, विरोधी कानून, सूचना का अधिकार, हिन्दू उत्तराधिकार कानून, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डायन प्रतिरोध अधिनियम इत्यादि ढेरों कानून हैं, अब शराबबंदी कानून, बाल विवाह और दहेजबंदी कानून बनाये गये हैं, किन्तु उन पर आम सहमति और जागरूकता अभियान चलाकर ही प्रबल और प्रभावी उन्हें बनाया जा सकता है। समाज के सभी वर्गों की लड़कियों को साक्षर बनाने, पोशाक व साइकिल योजना नियोजन में भागीदारी, चुनाव में आरक्षण और अब दहेजबंदी, बाल विवाह और शराबबंदी से महिलाओं को नई शक्ति मिली है, जो निश्चय ही उन्हें उत्थान की ओर ले जायेगी और समाज को भी अधिक सामर्थ्यवान बना सकेगी।

❐

10

बिहार में बाढ़ की समस्या

18 अगस्त, 2008 कोशी के कुसहा तटबंध के टूटान से उत्पन्न त्रासदी जिससे सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णियां जिलों की लगभग 35 लाख आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई थी और सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, 3 लाख से अधिक लोग बेघर हुए थे और लाखों एकड़ भूमि बालू से भर गयी थी, अभूतपूर्व त्रासदी को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय त्रासदी/नेशनल कैलामिटी की संज्ञा दी थी और भारत सरकार से 1 हजार करोड़ की विशेष सहायता और देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी मात्रा में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए साहाय्य दिया गया था, उसी त्रासदी की न्यायिक जाँच के लिए 2008 में बिहार सरकार ने अवकाशप्राप्त माननीय जस्टिस राजेश बालिया की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच की व्यवस्था की थी। उस आयोग ने कुछ माह पूर्व अपना जाँच प्रतिवेदन बिहार सरकार को सौंप दिया था, जिसे 01.08.2014 को बिहार विधान सभा में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के तथ्यों के आलोक में सरकारी पदाधिकारियों की अकुशलता, अनुभवहीनता और सरकार के स्तर से गंभीरता नहीं दिखायी जाने से सम्बन्धित बातें स्पष्ट हुई हैं। इन तथ्यों को देखने से उन तथ्यों की सम्पुष्टि होती है जो मैंने मानवाधिकार प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोशी के पूर्व अभियंता प्रमुख श्री गोकुल प्रसाद की अध्यक्षता में 11 अनुभवी अभियंताओं द्वारा तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने और त्रासदी के कारणों के साथ-साथ जिम्मेवारी का निर्धारण और भविष्य में ऐसी त्रासदी नहीं हो उस

संबंध में अनुशंसा संस्थान की ओर से करने के लिए टेक्निकल कमिटी गठित की थी। उक्त कमिटी की रिपोर्ट वालिया आयोग को ज्ञापन के रूप में सौंपी गयी। चूंकि आयोग द्वारा मांगे गये सुझावों के लिए आमजन को आमंत्रित किया गया था। कमोबेश प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में भी उन सभी बिन्दुओं का जिक्र किया गया था जिन बातों को आयोग ने भी स्पष्ट किया है। प्रतिष्ठान द्वारा सौंपे गये ज्ञापन जिनमें मुख्य बातें इस प्रकार थीं:- अबतक उपलब्ध तथ्यों से यह स्थापित होता है कि सरकारी पदाधिकारियों ने पूर्वी एफलॉक्स बांध के कटाव को 5 अगस्त, 2008 से रोकने में लापरवाही बरती है। उन्हीं लोगों की कर्तव्यहीनता एवं तत्परता के अभाव में 'स्पर' को टूटने से बचाने का कार्य नहीं हुआ। 'स्पर' में टूटने से ही कोशी नदी की धारा बदली। क्षेत्रीय अभियंताओं की अनुशंसाओं और चेतावनी को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और उसने इस संभावित खतरे के प्रति अपनी शीघ्रता और तत्परता नहीं दिखायी। कोशी उच्च स्तरीय कमिटी की अनुशंसाओं के अनुसार पूर्वी एफलॉक्स बांध में कटाव को रोकने का उपचार नहीं किया गया। कोशी योजना के बहुत से प्रमंडलों और अंचलों, सिविल और मेकेनिकल को या तो इधर से उधर कर दिया गया या हटा दिया गया। एशिया के एक समय के सबसे बड़े मेकेनिकल वर्क शॉप वीरपुर को समाप्त कर दिया गया। सिंचाई विभाग के इंजीनियर बेबस और लाचार रहे हैं। इंजिनियरों का तबादला इतनी बार किया गया है कि वे विभाग की अद्यतन जानकारी भी नहीं प्राप्त कर सके और विशेषज्ञ बनना दूर की बात थी। सिंचाई विभाग की ओर से बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मुकाबले के लिए वहाँ पहले से क्रेट व नई सामग्री मौजूद नहीं थी। 21 वर्ष पूर्व तक कटाव निरोधक कार्य नदी के तल से होता था, परंतु अनुभवहीन एवं कर्तव्यहीन पदाधिकारियों के कारण स्पर को बचाना संभव नहीं हुआ। इस टूट का महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि जल संसाधन विभाग ने कोशी में पदस्थापित होने वाले अभियंताओं के लिए कोशी के अनुभव की पूर्वशर्त्त की परंपरा को समाप्त कर दिया। जुलाई, 2008 में बैरेज अंचल में जपला में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता को पदस्थापित किया गया जिन्होंने कभी कोशी को देखा ही नहीं। उसी तरह कुसहा बांध का प्रभार वैसे अभियंता को दिया गया, जो सुपौल नगर परिषद् में कार्यपालक पदाधिकारी थे। पूर्व में उन्हें केवल ग्रामीण

सड़क निर्माण का अनुभव था। भारत-नेपाल समझौते वर्ष 1954 के अनुसार नेपाल में कार्यों के लिए नेपाली मजदूर को प्राथमिकता देनी थी। ऐसा कहा जाता था कि दिनांक 17 अगस्त, 2008 को स्थल पर स्थानीय (नेपाली मूल के) लोगों द्वारा कार्य बंद करवा देने से स्थल की स्थिति अत्यंत ही नाजुक हो गयी, परंतु नेपाल प्रशासन द्वारा इस समस्या की गंभीरता को नजर-अंदाज करने तथा उनके असहयोगात्मक रवैये के चलते स्थल पर स्थिति बद से बदतर होती चली गयी। परंतु इस संबंध में बिहार सरकार को 5 अगस्त को ही केन्द्र सरकार को कहना चाहिये था। अगर केन्द्र सरकार की ओर से वस्तुस्थिति की जानकारी नेपाल सरकार को दी जाती और उनसे सहयोग की अपील की जाती तो नेपाल सरकार तुरंत समुचित प्रशासनिक व्यवस्था करती। परंतु काफी दिनों बाद 18 अगस्त को मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विदेश मंत्री को इस परिस्थिति से अवगत कराया। अगर 5 अगस्त के बाद ही बिहार सरकार उन्हें अपनी कठिनाई से अवगत करा चुकी होती तो संभव था इस विपदा से कोशी को बचाया जा सकता था। जल संसाधन विभाग ऐसे मामले पर पूर्णतः संवेदनहीन और दायित्वहीन दिखता रहा। अगर पूर्व में संभावित टूट की सूचना प्रसारित की जाती, तो इतने बड़े हादसा को कम किया जा सकता था। इन सभी बिन्दुओं को जाँच आयोग ने अपनी जाँच रिपोर्ट में सम्मिलित किया। इससे स्पष्ट है कि प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत की गयी ज्ञापन रिपोर्ट का आधार बना। यह भी उल्लेखनीय है कि कोशी की ऐसी त्रासदी से द्रवित होकर ही मैंने 12 सितम्बर, 2008 को सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा कर दी। ध्यातव्य हो कि मैंने 18 अगस्त, 2008 के बाद से लगातार कोशी त्रासदी के संबंध में अपनी बातें कहता रहा और अंततोगत्वा मैंने सच्चाई जानने के लिए जैसा कि पहले ही कहा गया है, पूर्व अभियंता प्रमुख श्री गोकुल प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया था। इसलिये प्रतिष्ठान की भूमिका इस मामले में इस आयोग के लिए उपयोगी साबित हुई है।

18 अगस्त, 2008 की कोशी त्रासदी के बाद अभीतक प्रभावित क्षेत्र का उन्नयन और विकास नहीं हो पाया है, जबकि सरकार ने यह घोषणा कर रखी थी कि कोशी क्षेत्र को इस त्रासदी से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए बिहार सरकार हरसंभव प्रयत्न करेगी और वहाँ की स्थिति पहले से अच्छी

बनेगी। परन्तु यह विस्मयकारी है कि इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक से 1 हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी जिसमें 1 लाख मकान गृहविहीन परिवारों को देने की व्यवस्था करनी थी। साथ ही सड़कों, पुलों एवं तटबंधों को सुदृढ़ करने तथा विस्तारित करने की व्यवस्था करनी थी। इस कार्य के लिए अनुश्रवण और समीक्षा लगातार हो इसलिये राज्यस्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता एवं जिलास्तरीय कमिटी के लिए मंत्रियों की अध्यक्षता में कमिटी गठित की गयी। परन्तु, इन कमिटियों की कभी बैठक नहीं हुयी और इस प्रकार कोशी क्षेत्र की स्थिति में विशेषकर छोटे-मझोले किसानों एवं दलित परिवारों के जीवन में कोई सुधार नहीं हो पाया। अभीतक कोशी क्षेत्र की जमीन बालू से भरी हुयी है और वह खेती योग्य नहीं बन पायी है। उस क्षेत्र के लाखों परिवार पलायन किये हुये हैं। इसलिये भारत सरकार को तत्काल कोशी के पुनर्निर्माण में हस्तक्षेप करना चाहिये और नेपाल सरकार से सहमति प्राप्त कर सप्त कोशी योजना की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। उस क्षेत्र की स्थायी बाढ़ नियंत्रण योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये। अब जब नेपाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अच्छा संबंध स्थापित हुआ है तो बिहार सरकार एवं प्रधानमंत्री को नेपाल से सम्पर्क स्थापित कर कोशी एवं बिहार की अन्य परियोजनायें जो लम्बित पड़ी हुयी हैं उनका क्रियान्वयन करना चाहिये। बालिया कमीशन ने 2008 की टूटान के लिए बिहार प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया और जो बातें डॉ॰ मिश्र ने 18 अगस्त, 2008 के बाद कही थीं, उन सभी आरोपों एवं तथ्यों को बालिया आयोग ने भी सम्पुष्ट कर दिया है। बिहार सरकार उस पर तत्पर हो कि तटों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार संभव हो सके साथ ही 2008 की गलती दुहरायी नहीं जा सके।

बिहार राज्य देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में एक है, जहाँ देश के कुल बाढ़-प्रवण क्षेत्र का 17 प्रतिशत क्षेत्र अवस्थित है। राज्य पुनर्गठन के पश्चात बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 68.80 लाख क्षेत्र बाढ़-प्रवण (फ्लड प्रोन) क्षेत्र तथा 9.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र स्थायी रूप से जल-जमाव की समस्या से ग्रस्त है। राज्य के 38 में से 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें उत्तर बिहार के साथ-साथ दक्षिण बिहार के कई जिले भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 के अनुसार बिहार में

बाढ़-प्रवण क्षेत्र 42 लाख हेक्टेयर है लेकिन आयोग की परिभाषा के आधार पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग बिहार राज्य द्वितीय सिंचाई आयोग 1994 द्वारा बाढ़-प्रवण क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर आंका गया है। बिडम्बना यह है कि कई बार एक ही समय में राज्य बाढ़ और सूखे की समस्या से एक साथ जूझना पड़ता है।

बिहार की प्रमुख नदियाँ तथा उनकी नदी घाटी निम्न है :- गंगा बिहार का सबसे प्रमुख जल निकासी चैनेल है। इसके बाएं तट पर हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ यथा घाघरा, बागमती, कमला-बलान, कोसी एवं महानन्दा मिलती है। गंगा के दाएं तट पर कई प्रमुख सहायक नदियाँ यथा कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल-हरोहर, बदुआ, चन्दन तथा गुमानी इसमें मिलती है। कर्मनाशा नदी का उद्‌गम कैमूर जिला की कैमूर पर्वत श्रृंखला में है तथा सोन नदी का उद्‌गम मध्य प्रदेश में स्थित मैकाला पर्वत श्रृंखला (अमरकंटक) में है। पुनपुन तथा किऊल-हरोहर का उद्‌गम बिहार के छोटानागपुर पठार की पर्वत श्रृंखला में है। उत्तर बिहार की सभी नदियाँ (बूढ़ी गंडक को छोड़कर) जो गंगा के बाएं तट पर मिलती है, काफी लम्बाई में नेपाल में बहती है तथा इनके जलग्रहण क्षेत्र का बड़ा भाग हिमालय की हिमनदी में है। इन नदियों में बर्फ का पानी आने के कारण ये सदाबहार नदियाँ है। इनका लगभग 61 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र नेपाल एवं तिब्बत में है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र तो लगभग स्थिर है, किन्तु बढ़ती आबादी, औद्योगिक कार्यकलाप तथा विकास संबंधी कार्यों के कारण अब इन क्षेत्रों में बाढ़ विभीषिका का कुप्रभाव काफी बढ़ गया है और इससे बहुत बड़ी आबादी के जान-माल की सुरक्षा तथा बाढ़ की अवधि में उनके लिए दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्त्ति की समस्या खड़ी हो जाती है। इन नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वनाच्छादित क्षेत्र घटते जा रहे हैं। फलस्वरूप नदी में जलस्राव तथा सिल्ट की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। इन नदियों के बिहार के अत्यंत सपाटी मैदानी भागों में आने पर प्रवाह की गति कम हो जाती है तथा नदी के तल में सिल्ट ज्यादा जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नदी के तल का सतत उँचा होते जाना तथा इनकी वाहन क्षमता में ह्रास होने के फलस्वरूप नदी की धारा में परिवर्त्तन की प्रवृति पैदा होती है, जिसके कारण तटबंधों के उच्चीकरण तथा

सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता के साथ-साथ बाढ़ सुरक्षात्मक/ संघर्षात्मक कार्यों में भारी व्यय वहन करना पड़ता है। बिहार में अबतक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों पर 1327.24 करोड़ रुपयों के व्यय के बावजूद मात्र 29.49 लाख क्षेत्र को ही बाढ़ से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की जा सकी है। बाढ़ प्रबंधन कार्यों के अंतर्गत अबतक 3430 कि०मी० तटबंधों का निर्माण नदियों के तट के कार्य एवं 367 स्परों का निर्माण, (कोशी में 284, महानन्दा में 30, गंगा में 18 और गंडक में 35) तथा अन्यान्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये गये हैं। राज्य के 29490 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को काफी हद तक बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकी है, किन्तु तथ्य यह भी है कि रिजिम में परिर्वतन के कारण कई निर्मित तटबंधों के कुछ भागों की पुनः समीक्षा आवश्यक हो गयी है, क्योंकि इनसे जल-निस्सरण अवरुद्ध होता है। तटबंधों के निर्माण से इन क्षेत्रों में अवस्थित आबादी को बाढ़ से भरसक सुरक्षा प्रदान की जा सकी है जिससे विकास की आधारभूत संरचनाएँ यथा सिंचाई, सड़क, रेलवे, उद्योग आदि का विकास संभव हुआ। अभिलेख से स्पष्ट है कि वर्ष 1736 से वर्ष 1936 के बीच कोसी पर तटबंधों के निर्माण के पूर्व कोसी नदी पूर्णिया से 120 कि०मी० पश्चिम की ओर चली गयी थी स्पष्ट है कि कोसी नदी अपने पूरी नदी घाटी के अंतर्गत लगभग 10600 वर्ग कि०मी० में घूम-घूमावदार धारें बनाती रही है। इस पृष्ठभूमि में शासन ने निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लियाः- (1) नदी के किनारे तटबंधों का निर्माण। (2) कोसी कमांड में सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नहर प्रणाली एवं बराज का निर्माण। यह सच्चाई है कि उपर्युक्त दोनों उपायों से जहाँ कोसी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है वहीं इनसे अबतक के उत्प्रवासी आबादी के लिए समृद्धि का अवसर प्रदान कर उनके लिए वरदान साबित हुआ है। उदाहरणस्वरूप यदि 9.15 लाख धन से जलस्राव वाली कोसी नदी पर तटबंध का निर्माण नहीं किया जाता और इसे घूम-घूमावदार होने के लिए छोड़ दिया जाता तो लगभग 9.30 लाख हे० क्षेत्र 31 से०मी० पानी में डूब जाता तथा पर्याप्त मात्रा में मोटा सिल्ट जमा हो जाता। इस नदी के जल का निकास गंगा नदी जिसमें कोसी नदी अंततः गिरती है, के जलस्तर पर निर्भर करता तथा सारे क्षेत्र में पड़े हुए सिल्ट क्षेत्र को कृषि योग्य नहीं रहने देता। देश में बाढ़ प्रभावित राज्यों में तटबंधों के प्रभाव की समीक्षा

करने में इन बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है। गंडक कमान क्षेत्र 13.7 लाख हे॰ तथा कोसी क्षेत्र 9.04 लाख हे॰ क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन नदी घाटी क्षेत्रों को बाढ़ सुरक्षा प्रदान किये बिना किसी तरह की सिंचाई, उद्योग, आवासीय आदि अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के रूप में तटबंध की उपयोगिता पर भारत सहित कई देशों में समितियाँ गठित की गयी और इस पर विचार-विमर्श किये गये। इनमें व्यक्त विचार परस्पर विरोधी एवं कभी-कभी अतिवादी रहे हैं। एक सुझाव तो यह भी है कि नदियों पर निर्मित सभी तटबंधों को तोड़ दिये जाने से बाढ़ की सभी समस्याएँ समाप्त हो सकती हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत दूसरा विचार यह है कि बाढ़ की समस्या के निदान के लिए व्यावहारिक/अल्पकालिक समाधान अधिक से अधिक लम्बाई में तटबंधों का निर्माण करना है। स्पष्टत: विद्यमान तटबंधों की उपयोगिता के संबंध में विभिन्न मतों के कारण ही विचारों में इस प्रकार की विभिन्नता है। जैसा कि अनुभव किया गया है कि कुछ तटबंधों से सकारात्मक फायदे मिले हैं। जबकि कुछ तटबंधों द्वारा कहीं-कहीं नदी के कुछ भाग में नदी तल का ऊँचा होना उसकी प्रवाह क्षमता का ह्रास तथा मुहाने के ढाल में बदलाव आदि के कारण बाढ़ की समस्या जटिल हुई है। सभ्यता के प्रादुर्भाव से ही तटबंधों का उपयोग बाढ़ सुरक्षात्मक उपाय के रूप में किया जाता रहा है। चीन और मिस्र जैसे बहुत से देशों में तटबंध का निर्माण आदिकाल से किया जाता रहा है। इनकी अपेक्षा इटली, जापान, अमेरिका आदि अन्य कई देशों में छोटे-छोटे बांध (डाइक) निर्माण द्वारा सुरक्षा प्रदान करने का इतिहास अपेक्षाकृत नया है। ऐसे कई देशों में तटबंधों के निर्माण के फलाफल के अनुभवों की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है। बाढ़ समिति 1928 के प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में भारत के महान अभियंता श्री एम॰ विश्वेश्वरैया द्वारा बहुत सही कहा गया है कि ''बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए प्रतिकारी उपायों के उद्देश्यों में, बाढ़ के मार्ग से अवरोध दूर करना, मुहाने खोलना तथा बलुआही किनारों को काटकर विवेकपूर्ण खुदाई, बाढ़ निकास एवं सुरक्षात्मक तटबंधों के निर्माण के द्वारा नदियों के समुद्रोन्मुखी बहाव को सुगम बनाना होना चाहिए।'' राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त तटबंधों को जोड़ने एवं नदी बेसिनों के क्षेत्रों से जल

निकासी की समुचित व्यवस्था करने, नदी के निर्गम बिन्दुओं एवं बहाव की स्थिति में सुधार करने पर बल दिया गया है। नदियों पर तटबंध निर्माण में उपर्युक्त सभी उपायों को विवेकपूर्ण रूप से समाहित किया जाना चाहिए। पूर्व निर्मित तटबंधों, जिन्हें बाढ़ सुरक्षात्मक प्रणाली के तटबंधों की शृंखला में जोड़ा जा सके, कि 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में राज्य द्वारा समीक्षा की जाय। प्रतिवर्ष नेपाल से काफी मात्रा में बिहार के मैदान में पानी आने के कारण काफी क्षति होती है। बाढ़ की विभीषिका से उत्तर बिहार की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 70 से 80 प्रतिशत, प्रभावित होती है। फसलों की क्षति के अतिरिक्त बड़ी संख्या में जान-माल की भी क्षति होती है।

(2) भविष्य में किये जाने वाले उपाय - (क) सिल्ट प्रबंधन- बिहार में बाढ़ समस्या के निदान के लिये जल और गाद (सिल्ट) का उचित प्रबंध न परम आवश्यक है। बिहार के कछारी समतल मैदान होकर कई बड़ी नदियाँ गुजरती हैं जो अत्यधिक मात्रा में गाद लाती है तथा नदी तल में जमा करती जाती है। गाद के कारण इन नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो तथा इससे इनका अत्यधिक विसर्जन न हो व परिणामी कटाव कम से कम हो इसे सुनिश्चित करने के लिए गाद का उपयुक्त प्रबंधन किया जाना है। गाद का प्रबंधन उतना ही आवश्यक है जितना नदियों में अधिक जल प्रवाह का।

(ख) जलाशय के लिए उपयुक्त स्थल नेपाल में अवस्थित- बिहार की प्राय: सभी नदियों में, उनके जलग्रहण क्षेत्र में तीव्र वर्षापात होने के कारण, बरसात में अत्यधिक जलस्राव होता है। ऊपरी खंड में जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र या उबड़-खाबड़ भू-भाग से गुजरती है तो वहाँ सामान्यत: अत्यधिक जलस्राव के कारण नदी के किनारों के ऊपर होकर पानी नहीं बहता है। निचले खंड में, विशेषकर, जहाँ सपाट भू-भाग है, नदियों का पानी अधिक जलस्राव के कारण किनारों को लांघ जाता है तथा निम्नस्थ भू-भाग को जलप्लावित करता है जिससे खेतों में खड़ी फसल एवं संपत्ति की क्षति होती है एवं यातायात भी बाधित होता है। उत्तर बिहार में जलाशय के लिए कोई उपयुक्त स्थल नहीं है तथा सभी उपयुक्त जलाशय स्थल नेपाल में अवस्थित हैं। डैम/ जलाशय के निर्माण करने के कारण डूब क्षेत्र में पड़ने का भय तथा अनिच्छा से विस्थापन तथा विस्थापितों को ठोस लाभ का अभाव आदि के कारण स्थानीय लोगों में

इस प्रकार के निर्माण के प्रति काफी विरोध तथा रोष पैदा होता है। इस प्रकार के निर्माण के लिए उपर्युक्त देशों के साथ बातचीत में विवेकपूर्ण ढंग से एकमुश्त प्रोत्साहन सहित लाभ आदि देने के संबंध में भारत सरकार के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।

लगभग दो दशक पूर्व नुनथोर (नेपाल) में बागमती जलाशय योजना एवं तेतरिया (नेपाल) में कमला बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी संभाव्यता अध्ययन किया गया है। इन परियोजनाओं में सिंचाई, पनबिजली एवं बाढ़ संयमन के लाभ सन्निहित हैं। राष्ट्रीय नीति में बाढ़ नियंत्रण के लिए जलाशय के उपयोग के प्रावधान के बावजूद इस दिशा में प्रगति नहीं हो पायी है। हिमालय में अवस्थित होने के कारण भूगर्भीय, भूकंपीय एवं स्थलाकृतीय अवस्थाओं की बाध्यताओं एवं ऐसे जलाशयों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के हमारे देश में कठिनाइयों के कारण प्रगति अवरुद्ध है। विदेशों में सामान्य बांध स्थल के स्थान निर्धारण के साथ-साथ ऐसे दबाव समस्या को बढ़ाते हैं। यद्यपि अनुकूल अवस्थाओं में भी जलाशयों के अनुसंधान एवं निर्माण में काफी समय लगता है, बाढ़ प्रबंधन के अत्यंत विश्वसनीय उपाय के रूप में विशेषज्ञों के बीच इसकी मान्यता स्थापित है। अतः बाढ़ प्रबंधन के प्रमुख घटक के रूप और इसके कार्यान्वयन पर विचार किया जाना चाहिए। विशेषकर इसलिये कि यह जल संसाधन के अधिकतम उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।

(3) जल निकासी की समस्या - मुख्यतः इस राज्य के दो पृथक सुस्पष्ट क्षेत्र हैं, यथा उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार जो गंगा नदी द्वारा सीमांकित हैं। गंगा के मैदान का अधिकांश भाग उत्तर बिहार में है जो बाढ़ प्रभावित है तथा जल-निकास अवरोध एवं जल-जमाव की भीषण समस्या से ग्रस्त है। इस क्षेत्र के बड़े भू-भाग में भू-क्षारीयता की अतिरिक्त समस्या आंकी गयी है। गंगा नदी के मैदान का एक छोटा हिस्सा दक्षिण बिहार में पड़ता है, जो इसी प्रकार की सदृश समस्याओं से ग्रस्त है। बिहार की लगभग 9.41 लाख हेक्टेयर भूमि जल-जमाव की समस्या से स्थाई रूप से ग्रस्त है। अत्यंत उपजाऊ भूमिवाले उत्तर बिहार का क्षेत्रफल 55,560 वर्ग कि०मी० है जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूरब की ओर हल्के ढाल में है। ये क्षेत्र, बर्फ पिघलने से आपूरित

नदियों जो अधिकांशतः सालो भर बहती हैं, से छितराये हुये हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत काफी अवनमित भी है जिन्हें मन तथा चौर कहा जाता है। इन अवनमित क्षेत्रों में पानी जमा हो जाते हैं जिससे जल-जमाव/ जल-निकासी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या में बाढ़ के कारण अधिक बढ़ोत्तरी हो जाती है। बड़े उपजाऊ भू-भाग में जल-जमाव की समस्या के कारण कृषि उत्पादन पर काफी कुप्रभाव पड़ता है। दक्षिण बिहार में मोकामा टाल क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 1. 06 लाख हेक्टेयर है, में भी जल निकासी पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जल निकासी से कुल टाल क्षेत्रों में दो फसलों की खेती अथवा निम्नस्तरीय टाल क्षेत्र में कम से कम एक फसल की खेती की जा सकेगी। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एवं कृषकों की आय से अत्यधिक सुधार होगा।

(4) बिहार की बाढ़ समस्या के निदान के लिए आवश्यक उपाय- मुख्यतया सप्तकोसी हाई डैम, बागमती और कमला बहुउद्देशीय योजनाओं को मूर्त्त रूप देने हेतु नेपाल सरकार से सहयोग प्राप्त करने तथा यह विचार करते के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के कारण इनके कार्यान्वयन में समय लग सकते हैं, यह अपेक्षा की गयी है कि इन नदियों के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों पर होने वाले व्यय के लिए केन्द्र सहायता प्रदान करे। उत्तर बिहार की बाढ़ समस्या की विकरालता, राज्य सरकार के सीमित आर्थिक संसाधन और समस्या के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार राज्य के व्यापक हित में विचार करते हुए इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेकर राज्य सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करे।

(5) सप्त कोशी-सन कोशी हाई डैम बहुउद्देशीय परियोजना - भारत नेपाल सहयोग से प्रस्तावित यह परियोजना बिहार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी। भारत-नेपाल संयुक्त विशेषज्ञ दल की पांचवी बैठक के निर्णयानुसार परियोजना के लिए संयुक्त परियोजना कार्यालय, प्रमंडलीय एवं सम्पर्क कार्यालय तथा अवर प्रमंडल कार्यालय क्रमशः अगस्त, 2003 के मध्य और अक्टूबर, 03 के मध्य में खुल जाने थे। दुर्भाग्यवश, प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण नेपाल में खोले जाने वाले ये कार्यालय अबतक नहीं खुल पाये हैं और फलस्वरूप परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए

नेपाल क्षेत्र में किये जानेवाले आवश्यक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य अबतक प्रारंभ नहीं हो पाये हैं।

बाढ़ प्रबंधान के लिए रणनीति दीर्घकालिक उपाय :

1. नेपाल में जलाशयों का निर्माण।
   (क) सप्तकोशी हाई डैम बहुउद्देशीय परियोजना, बराह क्षेत्र।
   (ख) बागमती बहुउद्देशीय परियोजना, नुनथोर।
   (ग) कमला जलाशय परियोजना, चीसापानी।
2. गंडक और महानन्दा नदियों पर उपयुक्त बाँध-स्थलों की पहचान।
3. अधवारा समूह की नदियों के प्रवाह का डाइवर्सन।
4. नदी के ऊपरी हिस्सों में जलाशयों, डिटेंशन बेसिन तथा अंतर्घाटित हस्तांतरण द्वारा अतिरेक जल का इसकी कमी वाले क्षेत्र में उपयोग।

बाढ़ नियंत्रण के लिए अल्पकालिक उपाय :

1. निर्मित तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नये तटबंधों का निर्माण।
2. बाढ़ पूर्वानुमान/चेतावनी प्रणाली में सुधार तथा आकस्मिकता योजना को तैयार किया जाना।
3. पर्यवेक्षण एवं संचार के लिए तटबंधों पर सभी ऋतुओं में उपयोग लायक सड़कों का निर्माण।

बिहार में कोशी से त्रासदी

नेपाल क्षेत्र के 'कुसहा' के समीप 1000 मीटर से अधिक की लम्बाई में एफ्लॉक्स बांध का टूटना विस्मयकारी एवं चिन्ताजनक रहा है। इस बांध के टूटने से सुपौल, अररिया, पूर्णियां, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों का बहुत बड़ा भू-भाग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गया। लगभग 25 लाख की आबादी पूर्ण रूपेण बाढ़ में घिरी हुई थी। उन्हें जीवन-मौत के बीच झूलना पड़ा। अभीतक घिरी हुई आबादी को बाहर निकालने और उन्हें ऊँचे स्थानों पर पहुँचाना संभव नहीं हुआ है। न हीं साहाय्य सामग्री पहुँचाया जाना ही संभव हो पा रहा है। वे लोग भोजन, पीने योग्य पानी एवं अन्य आवश्यक राहत सामग्री की उपलब्धता

से वंचित है। लगभग एक लाख लोग नहरों की टीलों एवं अन्य उच्च स्थानों पर शरण लिये हुए हैं। अब नहरों की टीलों भी बाढ़ के दबाव से ध्वस्त होते जा रही हैं। पर्याप्त संख्या में नावों की उपलब्धता नहीं रहने के कारण उन्हें बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तत्काल यह आवश्यक है कि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य में अधिक सक्रियता लायी जानी चाहिये। बाढ़ से प्रभावित लोगों को जीवन-मौत से संघर्ष करना पड़ रहा है। बचाव और राहत की व्यवस्था केवल राज्य सरकार से संभव नहीं है। विशाल साधन की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में इस बाढ़ से 20 से 25 लाख की आबादी विस्थापित हो रही है। बाढ़ की विभीषिका से प्रताड़ित होकर जो लोग गाँव घर से बाहर हो रहे हैं उनकी पुनर्वापसी संदिग्ध है। इस समय तो ऐसा लगता है कि बाढ़ प्रभावित सभी लोग शरणार्थी होकर पलायन कर रहे हैं उनके घर लौटने की संभावना भी क्षीण होती दिखती है। इतनी बड़ी आबादी की पुनर्वापसी करना कठिन है। खेती-बारी क्षीण और समाप्त होती दिख रही है। उपजाऊ जमीन के बंजर हो जाने की आशंका है। इतनी बड़ी संख्या में लोग जीवन-यापन, व्यवसाय से वंचित हो रहे हैं। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप ने माना है। अत: इन लोगों की पुनर्वापसी करने का दायित्व संपूर्ण राष्ट्र का है; यह केवल राज्य सरकार के वश में नहीं है। बिहार सरकार फिर भी दृढ़ता से राहत और बचाव कार्य में सीमित साधन के बावजूद जुटी हुई है। परंतु परिस्थिति की विकरालता को देखते हुए उनकी रोजी-रोटी एवं जीवन-यापन की व्यवस्था भी राज्य सरकार से अकेले संभव नहीं है। इतनी बड़ी आबादी की पुनर्वापसी के लिए बहुत अधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता होगी। अत: केन्द्र सरकार को यह उत्तरदायित्व स्वीकार करना होगा और विश्व समुदाय से केन्द्र सरकार को इस आपदा से निकलने के लिए अधिक राशि का प्रबंध करना होगा। राजकीय एवं निजी स्तर पर बड़े पूँजी निवेश से ही इससे उबरा जा सकता है। इस आपदा ने संपूर्ण क्षेत्र की आबादी को गृहविहीन, रोजगारविहीन, साधनविहीन बना दिया है। राहत और बचाव कार्य पूर्ण रूप से भारतीय सेना को सौंपना आवश्यक है। अभीतक सांकेतिक रूप से सेना को लगाया गया है। वह कार्य की विशालता को देखते हुए अपर्याप्त है। बड़ी संख्या में हेलिकॉप्टरों, नावों और सैनिक नावों की आवश्यकता है। भारत

सरकार सेना और नाव सेना को पूर्ण रूप से इस कार्य का दायित्व सौंपें। कम से कम 5000 नावें और 25 हेलीकाप्टर बिहार सरकार को अविलम्ब उपलब्ध कराये जायं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बड़ी आबादी का जीवन खतरे में है। बाढ़ से घिरी आबादी को निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। भोजन, पानी के अभाव में लोग मर रहे हैं। बीमारी का प्रभाव भी बढ़ गया है। मिल-जुलकर मौत के मुंह में फंसे लोगों को बचाने और बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के काम में लगने का है। यह मामूली चुनौती नहीं है। ऐसी आपदाओं के समय ही देश की एकता और राष्ट्रीय भावना की परीक्षा-पहचान होती है। पहले कई मौकों पर, जैसे दक्षिण भारत में 2004 में आयी सुनामी के समय या भुज (गुजरात 2001), ऐसी भावना-एकजुटता दिखी भी थी। मगर इतनी बड़ी आपदा आजाद भारत ने शायद ही पहले झेली है, फिर भी क्या ऐसा लगता है कि देश के अन्य हिस्सों में इसकी गंभीरता का एहसास भी है? वर्तमान में बांध के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत शीघ्रातिशीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराया जाना भी आवश्यक है। साथ ही नेपाल प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था भी बहाल किया जाना आवश्यक है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से यह भी अपेक्षा है कि ब्रीज क्लोजिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीकी यथा बैलून टेक्नोलॉजी एवं अन्य उपाय, नेपाल प्रशासन से सहयोग एवं समन्वय करते हुए जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार को उपलब्ध करावे, ताकि क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्स्थापन का कार्य अविलंब संपन्न हो सके तथा जान-माल की रक्षा हो सके।

नेपाल क्षेत्र में बराह क्षेत्र पहाड़ पर कई धाराएँ मिलकर कोशी का रूप लेती हैं, जो लगभग 70 किलोमीटर नेपाल के भाग में एवं बिहार में बह रही गंगा नदी के तट कुरसैला (कटिहार) तक के भागों में जन-जीवन एवं कृषि को उथल-पुथल मचाये रखती थी। कोशी पर बराज का निर्माण किस प्रकार हुआ तथा इसकी योजना कैसे बनी और आज किन हालातों में क्षतिग्रस्त होने से प्रलयंकारी तबाही मची है इस पर दृष्टिपात करना उचित होगा। सुरक्षा एवं कृषि लाभ के लिए वर्ष 1954 में भारत-नेपाल समझौता करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। समझौते के तहत् वर्ष 1959 में जनता की सुरक्षा एवं सिंचाई सुविधा

उपलब्ध कराने के लिए हनुमान नगर (नेपाल) में बराज का कार्य प्रारंभ किया गया जिसे 1963 में पूर्ण कर बराज संचालन प्रारंभ हुआ। कोशी का तटबंध पूर्वी एवं पश्चिमी एवं दोनों एफ्लॉक्स बाँध और दोनों मिट्टी बांध का कार्य 1955 में प्रारंभ हुआ और 1963 में तैयार हो गया। तटबंध का शिलान्यास(1955 में)तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बैरेज का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पं॰ जवाहर लाल नेहरू और नेपाल के राजा महेन्द्र विक्रम ने 1959 में किया था। यह बैरेज 1963 में तैयार हुआ। कोशी योजना की स्वीकृति 1954 की विशाल कोशी की बाढ़ के बाद श्री ललित नारायण मिश्र के अथक प्रयत्न से प्रधानमंत्री पं॰ नेहरू ने श्री बाबू के दबाव पर किया था। कोशी योजना का पूर्ण श्रेय पं॰ जवाहर लाल नेहरू, श्री बाबू और ललित बाबू को जाता है, जिन्होंने बिहार की शोक कोशी को नियंत्रित कर उस क्षेत्र को विकास की नई संभावना दी थी। कुसहा की टूट से कोशी की धारा बदल गयी है। पिछले 50 वर्षों में जितनी प्रगति हुई- विकास की नई संभावना एवं कोशी नहर प्रणाली समेत सभी प्रकार का विकास कार्य ध्वस्त हो गया। 1954 के पूर्व की स्थिति कोशी क्षेत्र में बन गयी है। यह विध्वंस सरकारों की असावधानी और आपराधिक उपेक्षा का परिणाम कहा जा सकता है। उस क्षेत्र की 25 लाख से अधिक आबादी 50 वर्ष के बाद बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त है। कोशी नदी से उत्तर बिहार में होने वाली विभीषिका सर्वविदित है। पूर्व में भीमनगर बराज और नदी पर तटबंधों के निर्माण से कोशी नदी के स्वच्छन्द विचरण पर नियंत्रण पाया गया है। परंतु, नदी की धारा के साथ बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट आने के कारण तटबंधों पर प्रतिवर्ष दबाव बढ़ता जा रहा है। इस परिस्थिति में तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराना नितांत आवश्यक था। कोशी नदी में आने वाले सिल्ट को रोकने के लिए नेपाल क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण ही समस्या का स्थायी निदान हो सकता है। बराह क्षेत्र (नेपाल) में जलाशय के निर्माण से बाढ़ नियंत्रण एवं सुनिश्चित सिंचाई के साथ-साथ बहुत बड़ी मात्रा में जल-विद्युत उत्पादन भी संभावित है। वर्षों से इस मामले पर कार्रवाई स्थगित रही।

यह तटबंध कोशी के पूरब में भीमनगर से कोपड़िया तक 125 कि॰मी॰ की लंबाई में बना हुआ है तथा पश्चिम में इसका विस्तार नेपाल में भारदह से लेकर सहरसा जिले के घोंघेपुर तक है। यहाँ इसकी लंबाई 126 कि॰मी॰ है। भारदह और भीमनगर के बीच 56 फाटकों वाले एक कि॰मी॰ से ज्यादा लंबे

एक बराज से इसके प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। कोशी के पूर्वी तटबंध का विस्तार भीमनगर से 34 कि॰मी॰ ऊपर तक नेपाल में है। कुसहा के पास तटबंध टूटने से निकले पानी ने भारत में प्रवेश किया, तो देखते-देखते सुपौल, मधेपुरा, अररिया इस बाढ़ की चपेट में आ गये। कोशी का विनाशकारी प्रवाह धीरे-धीरे सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया में भी फैल गया। फिलहाल जो स्थिति है, उसके अनुसार इन जिलों की लगभग 20 से 25 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। जो गाँव-कस्बे या शहर इस बाढ़ में फंसे हैं। उन्हें जबतक वहाँ से सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुँचाया जाता तबतक इन्हें रिलीफ भी नहीं दी जा सकती। कुल पानी निकलने और तटबंध की दरार पाटने का काम भी होली के पहले शायद ही संभव हो सके। तबतक इतने लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना भी आसान काम नहीं होगा। यह पहला मौका है, जबकि कोशी का तटबंध भीमनगर बराज के उत्तर में नेपाल में टूटा है।

भारत-नेपाल समझौता की कण्डिका-12 एवं 13 के अनुसार नेपाल भाग के संरचना तटबंधों के निर्माण एवं मरम्मत में नेपाली मजदूरों, संवेदकों एवं पर्सनेल को संभावना के स्तर तक प्राथमिकता देने की शर्त्त है। यह भी शर्त्त है कि नेपाल भाग के सभी कार्यों के नियंत्रण के लिए विधि-व्यवस्था की जिम्मेवारी नेपाल की है। इन शर्त्तों के अनुसार ही प्रारंभ से गत वर्ष तक नेपाल भाग के बराज की संरचना एवं एफ्लॉक्स बांधों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य सुचारू ढंग से होता आ रहा है। दिनांक 18.08.2008 को पूर्वी एफ्लॉक्स बांध के 12.10 तथा 12.90 कि॰मी॰ के बीच स्पर का टूटना एक ऐतिहासिक घटना है। टूटने के कारण इसकी लम्बाई आज 1000 मीटर से भी अधिक हो गयी है। 1963 में हुए बराज संचालन से कोशी क्षेत्र की पूरी आबादी को लाभ हुआ था, विभिन्न योजनाओं से इस क्षेत्र के जन-जीवन में सुधार हुआ था। इस प्रलंयकारी बाढ़ ने उन तमाम उपलब्धियों को क्षत-विक्षत कर दिया है। यह बाढ़ उस क्षेत्र को 1954 की स्थिति पर पुनः ले जाने के कगार पर है। कोशी योजना से इस क्षेत्र के लाभार्थियों को विगत 45 वर्षों में उपलब्ध सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कृषि, सड़क, रेलवे, चिकित्सालय एवं विद्यालय भी ध्वस्त हो गयी हैं। वर्तमान् सरकार के ढाई वर्षों की अवधि में किये गये सभी विकास कार्य प्रायः समाप्त हो गये हैं।

विशेष रूप से सुपौल जिला के बसंतपुर, छातापुर, त्रिवेणीगंज, प्रतापगंज एवं राघोपुर तथा अररिया जिला के नरपतगंज, फारबिसगंज प्रखंडों, मधेपुरा जिला के सभी प्रखंडों सहरसा के 5 प्रखंडों और पूर्णियां-कटिहार के भी कई प्रखंडों के लोगों की स्थिति अत्यंत ही गंभीर और दयनीय बनी हुई है। प्रधानमंत्री, अन्य केन्द्रीय मंत्री, श्रीमती सोनियां गांधी एवं मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण से देख चुके हैं कि बाढ़ की भयानक स्थिति प्रलय का रूप धारण कर चुकी है। इन प्रखंडों के हजारों परिवारों के घर पानी में डूब गये हैं। बड़े पैमाने पर जान-माल और खेती की बर्बादी हुई है। बड़ी भयानक स्थिति बन गयी है। 1 लाख 77 हजार क्यूसेक इस समय कोशी में पानी का डिसचार्ज है। उसमें से 80 हजार क्यूसेक पानी से बांध के टूटने से ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर कोसी नदी का डिसचार्ज अगले दिनों वर्तमान डिसचार्ज से अधिक हो जाएगा तो उस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना ही भयावह है।

पिछले 5 अगस्त से 'कुसहा' के समीप बने स्पर पर पानी का दबाव बढ़ता गया। सिंचाई विभाग की ओर से बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मुकाबले के लिए पहले से वहाँ क्रेट और अन्य सामग्री एकत्र नहीं थी। मजदूरों का भी अभाव रहा। स्थानीय लोग व्यवधान कर रहे थे। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। कोशी नदी का भौतिक स्टेट्स एवं स्वभाव विचित्र सा है, जो स्वभाव के कारण विश्व का दूसरा है। नायलन क्रेट्स एवं बालू से भरे बोरे कोशी नदी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बोल्डर एवं बी०ए० वायर से बने क्रेट्स का पर्याप्त भंडार ऐसे स्थलों पर रहना चाहिए था, जो नहीं था। कोशी नदी के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंधों तथा एफ्लॉक्स बांधों पर वर्ष 1963 से सैकड़ों बार कटाव हुआ है। कई संवेदनशील स्थलों पर तटबंध/ बांधों का 80 प्रतिशत भाग कटते-कटते बचाया जा सका है, परंतु इस वर्ष कम ही डिसचार्ज में कुसहा के पास कट जाना एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। ऐसा लगाता है कि बाढ़ संघर्षात्मक/ सुरक्षात्मक कार्यों की परंपरा एवं विगत 15 वर्षों से विभागीय आदेशों का केन्द्रीयकरण भी एक कारण है। 15 वर्ष पूर्व में कटाव निरोधक कार्य नदी के तल से होता था, परंतु विगत वर्षों से कटाव निरोधक कार्य न्यूनतम जल स्तर पर किया जाना भी कोशी नदी के लिए घातक लगता है। साथ ही, अनुभवहीन एवं कर्तव्यहीन पदाधिकारियों के कारण स्पर को बचाना संभव नहीं हुआ। स्पर टूटने के बाद बांध 1000 मीटर टूट गया है। 1985 में भी ऐसी स्थिति 'कुसहा' में बनी थी

उस समय कोसी का डिसचार्ज 7 लाख क्यूसेक था। लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा 7 दिनों तक लगातार बांध बचाने का कार्य कराया गया था और इसको टूटने से बचा लिया गया। उसी तरह 1993 में भी इसी स्थल पर कटाव हुआ स्पर एवं तटबंध टूटने वाला था। इस टूट से बड़ी त्रासदी संभावित थी। परंतु तत्कालीन मंत्री सिंचाई, विशेषकर तत्कालीन सिंचाई आयुक्त, श्री वी॰एस॰ दूबे की सक्रियता एवं तत्परता से एक माह लगातार स्पर एवं तटबंध को बचाने का कार्य जारी रखा गया। श्री दूबे के अधीन कार्यरत अभियंताओं के परिश्रम एवं उनकी कर्तव्यनिष्ठा से स्पर एवं तटबंध का बचाव कर उस क्षेत्र की जनता को विपदा से बचा लिया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोशी नदी की विचित्रता को देखते हुए तत्कालीन केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष डॉ॰ कनबर सेन एवं विशेषज्ञ डॉ॰ के.एल. राव ने कोशी योजना का निरूपण एवं योजना की स्वीकृति करायी थी। उन लोगों ने कोशी योजना की विचित्रता एवं प्रवृत्ति के सही अध्ययन के लिए पूना जल संस्थान में कोशी का एक मॉडल बनाया था। कोशी के मॉडल के अंतर्गत अध्ययन और अनुसंधान जारी रखा गया। उसके आधार पर कोशी की नई प्रवृति की जानकारी सदैव सिंचाई विभाग को दी जाती रही। सिंचाई विभाग उनके मार्गदर्शन में कार्य करता रहा। परंतु यह अत्यंत ही विस्मयकारी है कि पिछले वर्षों में राज्य सरकार की उदासीनता के कारण इस मॉडल को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद कोशी की प्रवृति के संबंध में कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सका है। दूसरी मुख्य बात यह भी है कि कोशी योजना के अंतर्गत एक रिसर्च और अनुसंधान प्रमण्डल हुआ करता था, जो 365 दिनों कोशी के जल स्तर का लगातार अध्ययन करता रहता था। इस प्रमण्डल को भी समाप्त कर दिया गया। फलतः कोशी में हो रहे परिवर्तन का कोई संकेत विभाग को नहीं मिला। यह जानकारी भी नहीं मिलती रही कि कोशी के जलस्तर में कब कितना विस्तार और कमी होती है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना समीचीन होगा कि कोशी के इस एफ्लॉक्स बांध के संबंध में कोशी के अवकाशप्राप्त मुख्य अभियंता श्री बिन्देश्वरी सिंह ने 29.09.1998 को सिंचाई विभाग को एक टिप्पणी भेजी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले पांच से दस वर्षों के अंदर पूर्वी अथवा पश्चिमी तटबंध का ऊपरी भाग (बराज के ऊपर भी) टूटेगा ही और उस समय नदी की बगल के कई जिलों में प्रलयकारी विनाश होगा। सैकड़ों गाँव जलमग्न

हो जायेंगे और हजारों-हजार मनुष्य तथा पशुओं की जानें-जाने की प्रबल संभावना होगी। उन्होंने यह भी लिखा था कि नदी की बालू की सतह गाँव की सतह से औसतन करीब 3 मीटर ऊँची हो गयी है। बाढ़ के दिनों में करीब तीन मीटर ऊँचाई का पानी यानी कुल मिलाकर 6 मीटर ऊँचाई से पानी का बेग चलेगा तो उस समय गाँव के गाँव एवं उस क्षेत्र का एक मंजिला मकान तो अवश्य ही डूब जायेगा। ऐसी स्थिति में नदी की धारा भी उसी तरफ से मुड़ जाने की संभावना है और पुनः उस धारा को नदी में फिर से वापस लाने की संभावना भी बहुत कम रहेगी। उत्तर बिहार में नदियों पर तटबंधों से खतरा रख-रखाव एवं संसाधन के अभाव में बढ़ गया है। सिंचाई विभाग ने उक्त गंभीर टिप्पणी पर विचार नहीं किया। 1990 के बाद कोशी योजना की लगातार अनदेखी की गयी। उक्त टिप्पणी को कोशी के संबंध में भविष्यवाणी मानी जा सकती है, जो शत-प्रतिशत सही साबित हुई। अतः इस वर्ष की टूट और त्रासदी के लिए 1990 के बाद की सभी सरकारें समान रूप से जवाबदेह हैं।

नेपाल क्षेत्र में पड़ने के कारण इसके रख-रखाव एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान मिलता रहा है। परंतु यह दुःखद पक्ष है कि सिंचाई विभाग ने पिछले वर्षों में बांध के संधारण और सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि 1985 में 7 लाख क्यूसेक डिसचार्ज पर भी बांध नहीं टूटा और इस वर्ष केवल 1 लाख 77 हजार क्यूसेक डिसचार्ज पर बांध टूट गया है। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सिंचाई विभाग ने कोशी में पदस्थापित होने वाले अभियंताओं को कोशी के अनुभव की परंपरा को समाप्त कर दिया है। इस समय कोशी में पदस्थापित मुख्य अभियंता अन्य सभी अभियंता ऐसे हैं जिन्हें कोशी का अनुभव नहीं है। वे कोशी के चरित्र को और स्वरूप को नहीं जानते हैं। हाल में पद स्थानान्तरण पर वास्तविक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। अभियंता विभिन्न पदों पर कार्यभार पदाधिकारी रूप में पदस्थापित हैं। सिंचाई विभाग की कार्मिक नीति के कारण पदाधिकारियों में परिचित बोध का अन्तर है। जहाँतक नेपाल सरकार के असहयोग का प्रश्न है इस संबंध में बिहार सरकार को पहले से केन्द्र सरकार को कहना चाहिये था। केन्द्र सरकार की ओर से वस्तुस्थिति की जानकारी नेपाल सरकार को देते हुए उनसे सहयोग की अपील करनी चाहिये थी। वे नेपाल सरकार पर तत्काल दबाव देते कि वह बिहार सरकार के सिंचाई विभाग

के मंत्री, पदाधिकारियों एवं मजदूरों को उस क्षेत्र में बांध पर कार्य करने में पूर्णतः सहयोग करें। केन्द्र सरकार उनसे यह भी कहती कि पिछले वर्षों में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता एवं आन्दोलन के कारण इस तटबंध का रख-रखाव एवं सुदृढ़ीकरण ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विदेश मंत्री को इस परिस्थिति से अवगत कराया। अगर 4 अगस्त को ही बिहार सरकार उन्हें अपनी कठिनाई से अवगत करा देती तो संभव था इस विपदा से कोशी को बचाया जा सकता था। यह निर्विवाद है कि कोशी के दोनों पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंधों एवं एफ्लॉक्स बांध का सुदृढ़ीकरण एवं संधारण रख-रखाव से संबंधित आवश्यक कार्यों को पूरी तरह उपेक्षित रखा गया है। नहर प्रणाली एवं दोनों तटबंध पूर्वी और पश्चिमी पूर्णतया क्षत-विक्षत रहे हैं। वर्तमान सरकार की सक्रियता के बावजूद नेपाल द्वारा अपेक्षित सहयोग के अभाव में तटबंधों को टूटने से बचाया जाना संभव नहीं हुआ।

2008 की कोसी प्रलयंकारी बाढ़ से उत्पन्न त्रासदी की समस्या का समाधान 8 वर्ष बीतने के बाद भी नहीं हो पाना दुःखद है। मुख्यमंत्री ने उस समय कुसहा तटबंध का निर्माण तो कराया, परंतु उनके द्वारा घोषित 4,900 करोड़ की लागत से कोसी की प्रलयंकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियां एवं अररिया जिलों के 3.50 लाख गृहविहीन परिवारों के लिए आवासों का पुनर्निर्माण एवं हरेक बस्ती में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य अभीतक नहीं हो पाया है। विश्व बैंक से प्राप्त 1000 करोड़ की सहायता राशि से 1 लाख आवास एवं ग्रामीण सड़क के साथ-साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजना भी कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। कोसी प्रलय से संसाधनों की व्यापक क्षति हुई। उस क्षति की भरपाई करने एवं उन क्षेत्रों को पहले से बेहतर बनाने के लिए राज्यस्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एवं जिलास्तर पर मंत्री की अध्यक्षता में कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण समितियों का गठन किया गया था, परन्तु ये समितियाँ अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। मुख्य नहरो, उप-नहरों एवं विस्थापित नहरें अभीतक क्षातिग्रस्त हैं। कोसी की बाढ़ के समय से लाखों परिवार पलायन कर गये हैं, उनकी वापसी नहीं हुई हैं। अभीतक 10 लाख लोग बेरोजगार हैं। विस्मयकारी है कि अत्यन्त गरीब परिवारों की आवास संबंधी क्षति का मूलयांकन अभीतक नहीं हो पाया है।

❐

11

भारत-नेपाल संबंध

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत-नेपाल संबंध परिवार की तरह है जिसमें कभी-कभी उतार-चढ़ाव आते हैं। मगर संबंधों की डोर इतनी मजबूत है कि बीच में आने वाले झंझावात दोनों की मित्रता पर असर नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति ने अपनी तीन दिन की नेपाल यात्रा को सफल बताया है। श्री मुखर्जी ने नेपाल व भारत के ऐतिहासिक रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या और सीता की नगरी जनकपुर के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए सिस्टर सिटी परियोजना को गति देने का ऐलान किया वहीं जनकपुर में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए दो बड़ी धर्मशालाओं का निर्माण करवाने की घोषणा की। राष्ट्रपति ने अपनी तीन दिन की यात्रा के समापन पर शहर पोखरा में प्रेस-कॉंफ्रेंस के दौरान कहा कि जिस मकसद से वह आये थे वह पूरी तरह सफल रहा। न केवल नेपाल की सरकार ने उनकी यात्रा के दौरान गर्मजोशी दिखाई, बल्कि जनता ने भी अपने आदर-सत्कार से संबंधों में पुरानी रंगत लौटने का संदेश दिया। भारत-नेपाल संबंधों में पिछले कुछ समय के दौरान आयी तल्खी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री मुखर्जी ने कहा था वास्तव में दोनों देशों का संबंध परिवार की तरह है। जिस तरह परिवार में कुछ मसलों पर खींचतान होती है, वैसी ही भारत और नेपाल के बीच भी परिस्थितियाँ आती हैं। इसका हल भी परिवार की तरह ही निकल आता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश बीते तौर से आगे आकर संबंधों को नई रफ्तार देना चाहते हैं। नेपाल के विकास के लिए भारत हर सहयोग करने को तैयार है। मधेसी दलों के नेताओं से चर्चा के सवाल पर श्री मुखर्जी ने कहा कि

संविधान में संशोधन के कुछ मामलों पर सहमति बनी है लेकिन अभी कुछ मांगों पर समाधान नहीं निकला है।

पिछले 17 वर्षों से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नेपाल जाने में रुचि नहीं दिखायी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने पड़ोसी देशों को महत्व देने की नीति का नेपाल के दो दिवसीय दौरा एक महत्वपूर्ण निर्णय था। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी दक्षिण एशियाई देशों को आमंत्रित करके उन्होंने इस नीति का प्रारंभ किया है। उन्होंने अपनी बातों को नेपाल के समक्ष प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत किया है। उनका यह कहना है कि नेपाल अपने भविष्य के बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसमें 1950 के मित्रता समझौते पर पुनर्विचार के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पदाधिकारियों को यह आदेश दिया था कि पूर्व की सभी योजनाओं और परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करे जिसका परिणाम शीघ्र दिखने लगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा इतिहास का उपयोगी मार्गदर्शक था जिसकी पृष्ठभूमि में सभी चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से नेपाल और भारत के बीच संदेह का वातावरण समाप्त हो गया और दोनों राष्ट्र चुनौतियों का मुकाबला वास्तविक धरातल पर करने में सहमत हुए। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक भविष्य भी निहित है। अभी मानव विकास के संकेतों से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इन दोनों देशों के बीच विद्युत, पर्यटन और कृषि संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह भी संकेत दिया था कि नेपाल के लोगों की धारणा थी कि भारत अपने वायदों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक नहीं कर पाता है और दूसरी ओर चीन नतीजे देता है। यह प्रसन्नता की बात है कि 17 वर्षों के बाद श्री मोदी की यात्रा में इन दोनों देशों के संबंध अब ऊँचाई पर हैं। अब दोनों देश अपने वायदों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करेंगे।

भारत की उदासीनता के कारण ही चीन तथा पाकिस्तान नेपाल में अपना प्रभाव बनाते रहे। भावनात्मक मुद्दे उठा कर नेपाली के बीच भारत विरोधी माहौल बनाया जाता रहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की नेपाल यात्रा का उद्देश्य हिमालयी राज्य पर चीन के बढ़ते प्रभावों को कम करना था। भारत ने लम्बे समय से नेपाल को नजर अंदाज किया था, वहीं चीन ने वहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ायी है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में, जो चिन्ताजनक है। श्री मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने एवं नेपाल पर चीन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। नेपाल के साथ भारत कि सीमा सटी है, फिर भी नेपाल में

चीन का प्रभाव पिछले दशक में बढ़ा है। हालांकी नेपाल के लिए भारत अधिक मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेपाली संसद् में अपने भाषण से सभी नेपालियों का दिल जीत लिया। नेपाल की शिकायत थी कि भारत उसे समानता के स्तर पर व्यवहार नहीं करता। साथ ही आंतरिक मामलों मे हस्तक्षेप करता है। नेपाल के कई प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा के बावजूद 17 वर्षों तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ न जाए तो ऐसी सोच को पूर्णतः निराधार नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नेपाल जाकर न सिर्फ रुके सिलसिले को तोड़ा, बल्कि वहां उन्होंने बेलाग ऐलान किया कि नेपाल अपने लिए कौन सी दिशा चुनेगा यह नेपाल का काम है। उन्होने नेपाल की संप्रभुता के प्रति भारत का सम्मान जताया और उनके इसी रुख ने नेपाली नेताओं एवं जनता का दिल जीत लिया। इस तरह उन्होंने दोनों देशों के संबंधो को नई दिशा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। 1950 की संधि, जो अक्सर मनमुटाव पैदा करती रही है, के संशोधन पर भी भारत ने अपनी रजामंदी दी है। श्री मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में नेपाल-भारत संबंध में व्यापक सुधार कर दिया है। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री के इस व्यापक दृष्टिकोण का नेपाल सरकार पर प्रभाव पड़ा है। श्री मोदी ने अपना कोई सपना नेपाल पर थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रत्येक नेपाली नागरिक को अपने सपने देखने और साकार करने की प्रेरणा दी।

नेपाल, हिमालय क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी, पथरीला एवं स्थलरुद्ध देश है। भारत की नेपाल के साथ 1700 कि॰मी॰ की सीमा है। पारस्परिक मैत्री बनाये रखने के लिए इनके मध्य 1950 में मैत्री संधि अखण्डता, स्वतंत्रता एवं सम्मान को अक्षुण्ण बनाये रखने का उल्लेख है। जुलाई-अगस्त, 2000 में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत की यात्रा पर आये। विमान अपहरण काण्ड तथा ऋत्विक रोशन प्रकरण के कारण दोनों देशों के मध्य थोड़ी-सी दूरी दिखाई दी, किन्तु सीमा प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास तथा जल संसाधनों के दोहन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को और अधिक मजबूत बनाया गया है। भारत व नेपाल के मध्य सुरक्षा से सम्बन्धित सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों का एक नेटवर्क भी तैयार किया गया है।

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मसलों की व्यापक समीक्षा की गयी। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें हुईं,

जिनमें गृह-सचिव स्तर की वार्त्ता (19-20 जनवरी, 2015), सुरक्षा मसलों से संबंध भारत-नेपाल द्विपक्षीय परामर्शीय समूह की बैठक, जल संसाधनों से संबद्ध संयुक्त समिति (7-8 अक्टूबर, 2004), पंचेश्वर परियोजना से संबद्ध विशेषज्ञों के संयुक्त दल की बैठक (6 अक्टूबर, 2004), सचिव स्तर की दूरसंचार समन्वय बैठक (1-2 नवम्बर, 2004) और संयुक्त सचिव स्तर की व्यापार बातचीत (1-2 नवम्बर, 2004) शामिल है। फलस्वरूप कई द्विपक्षीय मसलों पर उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की गई। वर्ष 2007 में राजशाही की समाप्ति एवं 2008 में संविधान सभा के चुनावों के पश्चात् नेपाल में गणतंत्र स्थापित हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत-नेपाल संबंधों में नये आयाम परिलक्षित हुए। श्री पुष्प कुमार दहल, प्रचंड के नेतृत्व में माओवादियों की सरकार बनने से भारत-नेपाल संबंधों में मिठास कुछ कम होने लगी। प्रधानमंत्री प्रचंड द्वारा 1950 की मैत्री संधि की पुनर्समीक्षा की घोषणा एवं चीन की तरफ उसके बढ़ते झुकाव ने इस बात को पुख्ता किया। उल्लेखनीय है कि सेनाध्यक्ष की बर्खास्तगी के मुद्दे पर प्रचंड को इस्तीफा देना पड़ा। तत्पश्चात् उन्होंने नेपाल की आंतरिक अस्थिरता के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि माओवादियों के सत्ता में आने के पश्चात् नेपाल में चीन का प्रभाव असामान्य रूप से फैला है। नेपाल को तिब्बत से जोड़ने के लिए आंतरिक सड़कों एवं रेल की व्यवस्था की गई है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने काठमांडू में स्थानीय एफ॰एम॰ रेडियो स्टेशन भी खोला है। यहाँ से पूरे नेपाल में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने 4 मई, 2009 को इस्तीफा दे दिया एवं उनके स्थान पर माधव कुमार नेपाल ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। नेपाल के राष्ट्रपति पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति रहे हैं।

20-23 अक्टूबर, 2011 के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री डॉ॰ बाबू राम भट्टराई ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान भारत एक एमीनेन्ट पर्सन्स ग्रुप स्थापित करने पर सहमत हुआ जो भारत-नेपाल संबंधों को पूर्णता में देखेगा तथा इन देशों के मध्य संबंधों को मजबूत एवं विस्तारित करने के उपाय सुझायेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में एक भारत-नेपाल द्वितीय निवेश प्रोटेक्शन एवं संवर्द्धन समझौता (बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत् नेपाल सरकार एवं भारतीय आयात निर्यात बैंक के मध्य 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की साख उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही नेपाल में घेघा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1.875

करोड़ रुपए की भारतीय सहायता के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल है। वर्तमान में भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत छोटे तथा बड़े लगभग 400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग करने तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में विकास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, भारत-नेपाल को भारत से जुड़े उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में समेकित चेक पोस्टों के विकास, क्रॉस बार्डर रेल लिंक तथा तराई क्षेत्र में फीडर रोड तथा पाश्विक सड़कों के विकास के जरिए आधारभूत संरचना का विकास करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

नेपाल में व्यापार को बढ़ावा देने से पनबिजली, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रें में आपसी लाभ के लिए भारतीय निवेश के प्रमुख विस्तार की संभावनाओं का दोहन करने में मदद मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं नेपाल के मध्य पिछले 60 सालों से लगातार निष्ठापूर्वक एवं विशिष्ट संबंध आज तनाव की त्रासदी झेल रहे हैं। वस्तुतः नेपाल पर चीन की तुलना में भारत का अधिक प्रभाव रहा है। हालांकि भारत, नेपाल के आंतरिक एवं राजनीतिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करता है, लेकिन वहाँ की अस्थिर राजनीतिक स्थिति पर शांत होकर बैठा भी नहीं जा सकता। सीमावर्ती देश एवं नागरिकों की मुक्त आवाजाही के कारण घुसपैठ एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ सक्रिय हो सकती हैं। अंततः भारत को चीन के मद्देनजर सावधानीपूर्वक नेपाल से संबंधों में गर्माहट एवं मधुरता बनाये रखनी होगी जिसके लिए भारत हमेशा प्रयासरत है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि नेपाल का दर्द भारत का दर्द है और भारत इसे दूर करने के लिए सभी संभव प्रयास करता है। भारत-नेपाल बेशक दो अलग-अलग सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हैं। मगर इनके नागरिकों के बीच अनदेखा या अदृश्य (सीमालेस) एकात्म भाव है। यही वजह रही है कि जब भारत में अंग्रेजों की दासता से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो नेपाल में 'राणाशाही' के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए समानान्तर संघर्ष हो रहा था और भारत के स्वतंत्रता सेनानी इसमें पुरजोर तरीके से शिरकत कर रहे थे। चाहे जयप्रकाश नारायण हों या डॉ॰ राममनोहर लोहिया अथवा श्री चन्द्रशेखर, सभी ने नेपाल के नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और राजशाही के बीच पंचायती लोकतंत्र स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

नेपाल में नये संविधान के स्वरूप को लेकर चल रहे आन्दोलन के मद्देनजर यह स्वाभाविक ही है कि भारत से हस्तक्षेप की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी पृष्ठिभूमि में भारत ने नेपाल सरकार को सात अनुच्छेदों में संशोधन का सुझाव दिया है। इससे आन्दोलन कर रहे दक्षिणी नेपाल के मधेसी और जनजातीय समुदाय के लोगों को संबल मिलेगा। करीब दस साल पहले राजशाही समाप्त होने के बाद नेपाल में जनतंत्र स्थापित करने वाला नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मधेसी और जनजातीय समुदाय के लोग लगातार नये संविधान में प्रतिनिधित्व के मसले को लेकर विरोध जाहिर कर रहे थे। संविधान सभा के उनहत्तर सदस्यों ने संविधान निर्माण प्रक्रिया का बहिष्कार किया था। दरअसल, पहले वहाँ के संविधान में प्रावधान था कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण आबादी, भौगोलिक स्थिति, विशेष लक्षणों के अनुसार होगा और मधेसियों के मामले में यह जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर होगा। लेकिन नये संविधान में एक तरह से मधेसी लोगों को बाहरी के तौर पर माना गया है। इसमें कहा गया है कि प्रमुख संवैधानिक पदों पर वे ही लोग होंगे, जो नेपाल के मूल निवासी हैं। इसी तरह मधेसी लोगों के, राजनीति में, प्रतिनिधित्व को भी संकुचित कर दिया गया है। मधेसी दरअसल भारत से जाकर वहाँ बस गये लोग हैं, मगर हकीकत यह है कि बरसों से वहाँ रहते हुए उन्होंने नेपाल की नागरिकता हासिल की है। उनमें से बहुत सारे लोग वहीं पैदा हुए और वहीं के होकर रह गये हैं, इसलिए उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े करना या फिर उनके प्रतिनिधित्व को लेकर भेदभाव रखना जनतांत्रिक नहीं कहा जा सकता।

नेपाल के नये संविधान में मधेसी और जनजातीय लोगों के प्रतिनिधित्व को लेकर भेदभाव के विरोध में उभरे आंदोलन में अबतक चालीस से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। इस पर भारत के अलावा नेपाल के राष्ट्रपति ने भी चिन्ता जतायी है। इस हिंसक आंदोलन को रोकने का यही तरीका हो सकता है कि संविधान के एतराज वाले पक्षों पर फिर से विचार हो। भारत ने सात अनुच्छेदों में संशोधन का सुझाव दिया है। भारत चूंकि नेपाल का पड़ोसी देश ही नहीं, उसके हर राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में मददगार रहा है, इसलिए उसके इस हस्तक्षेप का खासा महत्व है। श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों की अनदेखी की वजह से वहाँ किस कदर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहता है, यह छिपी बात नहीं है। अगर नेपाल के संविधान में भी मधेसी और जनजातीय

समुदाय के लोगों के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसरों, वहाँ रहने, शादी-विवाह आदि करने को लेकर भेदभावपूर्ण उपबंध बनाये रखे गये, तो उसके दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। यह चिन्ता केवल भारत की नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश की होनी चाहिये कि वहाँ के नागरिकों के अधिकारों में भेदभाव उजागर हो। नेपाल में अस्थिरता का माहौल बना रहेगा तो जिस लोकतंत्र की स्थापना का सपना वह देख रहा है वह अधूरा ही रहेगा।

यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि नेपाल एक बार फिर अत्यंत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। वहाँ नये संविधान को लागू किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध भी समानान्तर तरीके से जारी है। भारत की चिन्ता की मुख्य वजह वह प्राकृतिक रिश्ता है जो अब नये संविधान के बाद प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा वहाँ मधेसियों की समस्या है जिनकी उपेक्षा की जा रही है। बिहार के मामले में खास बात यह है कि यहाँ के समाजवादियों ने नेपाल में 1960 के बाद हुए राजनीतिक आंदोलनों में न केवल नेपालियों का साथ दिया, बल्कि कई मायनों में नेतृत्व भी किया। नेपाल के नये संविधान में मधेसियों की उपेक्षा एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल वहाँ के समस्त नागरिकों से जुड़ा है। हालांकि यह सुखद है कि नेपाल भी भारत की तर्ज पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, परंतु वहाँ भी वे ही सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जैसी कि भारत में है। लिहाजा शोषितों और वंचितों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान अवश्य होने चाहिये। मधेसियों का संबंध जितना नेपाल से है उतना ही बिहार से भी है। लिहाजा उनकी उपेक्षा पर सवाल जरूर उठाया जाना चाहिये। लेकिन यह समस्या वहाँ के उन लोगों की है जो तरायी के इलाकों में रहते हैं और आजतक उपेक्षित हैं। यह बड़ा सवाल है जिसे बहस का केन्द्रीय विषय बनाया जाना चाहिये। मधेसियों द्वारा अलग राज्य की मांग वाजिब है।

भारत नेपाल संबंध प्राचीनकाल से ही अत्यंत घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। विभिन्न काल खण्डों में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दोनों देशों के शासकों के संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के जन-संबंध अटूट ही बने रहे। हमारे संबंधों की कड़ियाँ हमारी साझा संस्कृति, भाषा, इतिहास और भूगोल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के बीच संबंधों का संतुलन गड़बड़ा गया था। पिछले प्रधानमंत्री के॰पी॰ ओली के शासन में नेपाल की नजदीकियाँ चीन से बढ़ गई थीं। भारत पर आर्थिक

निर्भरता खत्म करने के मकसद से ओली ने चीन के साथ कई व्यापार समझौते किये थे। इससे भारत भी नाराज था। फिर नये संविधान में मधेसियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखने के कारण दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हुए। भारत और नेपाल के बीच कटुता का कारण बने नए संविधान में अब भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। मधेसियों ने इस संविधान का कड़ा विरोध किया और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया। दरअसल मधेसी भारतीय ही हैं और भारत उनके अधिकारों को लेकर मौन नहीं रह सकता। मधेसियों का भारत से रोटी-बेटी का रिश्ता है। आंदोलन के चलते सीमा पर नाकाबंदी हो गई थी तब नेपाल में ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई थी। सीमा पर नाकाबंदी 5 महीने चली थी और इस दौरान नेपाल में ऐसा प्रचार किया गया कि भारत मधेसियों के आंदोलन को हवा दे रहा था। ओली सरकार ने नेपाल में भारत विरोधी माहौल तैयार करना शुरू कर दिया था। सियासी घटनाक्रम के चलते माओवादियों ने ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया और माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचण्ड पुनः देश के प्रधानमंत्री बन गये। लोकतंत्र बहाल होने के बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर ही चला। इसका पता इस बात से चलता है कि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रचण्ड 8वें व्यक्ति हैं। कोई भी देश राजनीतिक अस्थिरता के चलते आर्थिक विकास नहीं कर सकता। प्रचण्ड इस समय काफी दबाव में हैं। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता कायम करना और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्रचण्ड के लिए चुनौती है। फिलहाल उन्हें नेपाली कांग्रेस और मधेसियों का समर्थन मिल गया है। अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखते हुए प्रचण्ड इस बार कोई उग्र तेवर नहीं अपना रहे हैं। वह चार दिन के भारत दौरे पर रहे और इस बार वह भारत के साथ नए तरीके से व्यवहार किया है। 8 वर्ष पहले बंदूक क्रान्ति के बाद जब वह प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाया था, लेकिन अब वह नेपाल में सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुनने से ही पता चलता है कि वह भारत से संबंध सुधारने को लेकर गंभीर हैं। दोनों देशों ने संबंधों का नया अध्याय लिख दिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रचण्ड में बातचीत के बाद भारत ने भूकम्प के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 75 करोड़ डालर का नया ऋण दिया है। दोनों देशों में नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को सुधारने और उसे

उन्नत बनाने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने नेपाल में रेल लाइनों का जाल बिछाने का फैसला किया है। नेपाल सीमा से जुड़े 5 इंटरकनैक्सन प्वाइंट्स पर काम किया जायेगा। जयनगर-जनकपुर और जोगबनी-विराटनगर ट्रैक पर काम में तेजी लायी जायेगी। बढ़नी-काठमांडो और कपिलवस्तु-कुशीनगर पर भी काम होगा। भारत की कई रेल लाइनें नेपाल की सीमा के नजदीक हैं। हाल ही में चीन ने तिब्बत तक जाने वाली रेल लाइन को नेपाल तक ले जाने का ऐलान किया था। बातचीन के दौरान श्री मोदी ने प्रचण्ड को दो टूक यह भी कहा कि वह अपने संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का हक दें। सभी वर्गों की आकांक्षाओं को समावेशित कर देश का संविधान लागू किया जाना चाहिए। नेपाली प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया कि उनकी सरकार नये संविधान को लागू करने में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की ईमानदारी से कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि प्रचण्ड मधेसियों को बराबरी का अधिकार देने संबंधी संविधान संशोधन के लिए राजनीतिक सहमति बनायेंगे। प्रचण्ड के दौरे के दौरान भारत ने नेपाल में अपनी खोई जमीन फिर से वापस पाने की कोशिश में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके साथ यह भी तय हो गया है कि नेपाल में चीन की दाल नहीं गलने वाली। नेपाल भी भारत की बजाय चीन को अपनाने की कूटनीतिक गलती नहीं करेगा। चीन लगातार नेपाल में अपना प्रभाव कायम करने में लगा है, उसने नेपाल को भारी-भरकम सहायता देकर और कई परियोजनाओं में निवेश कर भारत के प्रभाव को नगण्य करने की कोशिश भी की थी। भारत पारम्परिक तौर पर नेपाल का राजनीतिक सहभागी रहा है। वहाँ के राजनीतिज्ञ साझा इतिहास, सरहद, धर्म, परम्परा और जातीय समीकरणों को नकार नहीं सकते। भारत काफी सालों से नेपाल में विकास के कार्यक्रम चला रहा है। भूकम्प के बाद भारत ने दिल खोलकर नेपाल की मदद की थी। भारत-नेपाल दोस्ती में मजबूती ही चीनी खतरे को कम कर सकती है। यदि भारत वहाँ ढांचागत विकास नहीं करेगा, नेपाल को अपनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाएगा, तो चीन को वहाँ घुसने का मौका मिलेगा। फिलहाल दोनों देशों में जो हुआ अच्छा ही हुआ।

❐

12

शिक्षा में अराजकता एवं गुणात्मक ह्रास

किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व शिक्षा है। शिक्षा राज्य का मौलिक दायित्व है, ताकि प्रत्येक भारतीय को वर्ग, वर्ण, जाति-रंग सामाजिक-आर्थिक स्तरों से निरपेक्ष होकर गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय शिक्षा की संस्था तक सबों को पहुँचाया जाय। शिक्षा को बुनियादी जरूरत माना जाता है। भारत की आजादी के बाद यहां की हर सरकार घोषणा के रूप में ही सही शिक्षा के प्रसार की दिशा में कई योजनाएं बनाती रही है। हालांकि इस बात पर हमेशा सवाल उठता रहा है कि इन योजनाओं के अमल में कितनी ईमानदारी बरती जाती है। लेकिन इस बात को स्वीकार करने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा का प्रसार हुआ है। पर आज भी साक्षरता दर इस बात की गवाही दे रही है कि अपेक्षित और आवश्यक प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पाया। भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। परंतु अभी हमारे देश में ऐसे 30 करोड़ 50 लाख लोग हैं जिन्हें साक्षर बनने की जरूरत है और ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें उभरते हुए आधुनिक भारत और विश्व के अनुकूल रोजगार योग्य कौशल प्राप्त करना है। इसके अलावा हमें समाज के कमजोर वर्गों के उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो अल्प पोषित हैं और उनमें से कुछ प्रतिशत ही 14 वर्ष तक की अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं, जबकि अब शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति में मात्र 37.41 प्रतिशत एवं जनजाति में मात्र 29.60 प्रतिशत साक्षर हैं। यह संविधान की

भावना का अपमान है। अपमान की वह प्रक्रिया अभी जारी है; जिस दलित-आदिवासी ने सफलता प्राप्त की, उसकी कुंजी शिक्षा है। दलित-आदिवासी शिक्षा की स्थिति कितनी भयावह है, वह निम्न आंकड़ों से साबित हो जाती है। कक्षा 1 से 5 के बीच, कुल 2 करोड़ 88 लाख दलित-आदिवासी बच्चे अध्ययनरत हैं। पर, इसी वर्ष हाई स्कूल में इनकी संख्या मात्र 35 लाख है, यानी प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चों में 2 करोड़ 53 लाख का अंतर। कक्षा 6 में प्रवेश के समय बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष होती है। शिक्षा समता लाने का सबसे बड़ा उपकरण है और समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित कर हम विकास को अधिक से अधिक समग्र बना सकते हैं। एक बड़े लक्ष्य के रूप में 12वीं योजना इस पर अधिकाधिक जोर दे रही है। अब राष्ट्र को अपना ध्यान शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण एवं उनकी जिम्मेदारियों के निर्धारण के जरिये शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर केन्द्रित करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दलित-आदिवासी बच्चों के 'ड्राप आउट' पर मानव संसाधन मंत्रालय ने कई अध्ययन करवाये हैं तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने कई कोशिशें की हैं, पर सब असफल रही हैं। अध्ययनों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि 'ड्राप आउट' करने वाले बच्चों की अधिकांश संख्या भूमिहीन कृषि मजदूरों की है या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दलित-आदिवासी परिवारों की। सरकारें भूमिहीन कृषि मजदूरों की भूमि देने के लिए तैयार नहीं है तथा दलित-आदिवासी समाज में व्याप्त घोर गरीबी को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र एक उपाय बचता है कि समस्त दलित-आदिवासी भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले दलित-आदिवासी बच्चों के माता-पिता को मुआवजा दिया जाय, ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें।

भारतीय संसद ने 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने संबंधी अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम में 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इस कानून के बन जाने के उपरांत भी देश के स्तर पर व्यापक रूप से मंथन चल रहा है, चिन्तन हो रहा है; शिक्षाविद्ों, विद्वानों चिन्तकों के विचार भी प्रकाश में आये हैं, जिनका आधार

'शिक्षा का अधिकार कानून' के प्रावधानों, क्रियान्वयन, परिणाम आदि को बनाया गया है। कई शिक्षा विशेषज्ञों ने तो इस कानून की विसंगतियों, त्रुटियों, की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए व्यापक स्तर पर बहस और अपेक्षित सुधारों की भी सख्त जरूरत महसूस की है। इस दृष्टिकोण से 'शिक्षा का अधिकार कानून' विवेचना का मुद्दा भी हो गया। क्यों न हो? शिक्षा ही तो वह अति महत्वपूर्ण आधारशिला भी है, जिस पर संपूर्ण विश्व समुदाय की सभ्यता-संस्कृति का विकास वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ अनादि काल से होता रहा है और होता रहेगा भी। अपने देश के अंतर्गत 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार तो संपूर्ण शिक्षा-जगत को ही एक ओर जहाँ अपार हर्ष प्रदान करता है, तो दूसरी ओर इसके परिणामों पर विचार-विमर्श, आलोचना-प्रत्यालोचना, बहस आदि की भी प्रेरणा प्रदान करता है, ताकि इस कानून से पूरे देश के सभी बच्चों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। सचमुच एक मजबूत लोकतंत्र का प्रमाण भी तो यह है कि खुले दिमाग से देशवासी अपने संविधान और कानून को जानें, समझें, और इनका समय-समय पर अध्ययन कर अपने विचार भी प्रदान करते रहें।

समाज के विशिष्ट वर्ग बेहतर शिक्षा पर केवल अपना अधिकार बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इस काम में तथाकथित संभ्रांत वर्ग के लिए आरक्षित समझे जाने वाले स्कूलों में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चों का प्रवेश निषिद्ध है। यह कैसी शिक्षा नीति है? शिक्षा पर सभी लोगों का समान अधिकार उनका मूलभूत अधिकार है। केन्द्र ने शिक्षा को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा बना दिया है, मगर इसके लिए सरकारी स्कूलों की ही व्यवस्था है। खुले बाजार की अर्थव्यवस्था की हमने जिस अमरीका से सीख ली है उस देश में शिक्षा का अधिकार भी समाज के हर वर्ग के लिए खुला हुआ है और हर बच्चे को हक है कि वह अपने निकटतम पड़ोसी स्कूल में दाखिला ले सकता है। साथ ही हर स्कूल का शिक्षा-स्तर हाई स्कूल तक एक समान होता है और सभी में एक समान सुविधाएं होती हैं मगर, भारत में सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों के शिक्षा-स्तर में जमीन-आसमान का अंतर है। गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल और उच्च वर्ग के बच्चों के लिए निजी

स्कूल हैं। इसका हल भारत जैसे विशाल देश में एक ही है कि हाई स्कूल तक की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और प्रत्येक बच्चे को हक दिया जाये कि वह अपने निकटतम पड़ोसी स्कूल में दाखिला लेकर अपनी प्रतिभा को निखारे, मगर आर्थिक उदारीकरण के साथ ही जिस प्रकार शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है उसने शिक्षा के क्षेत्र को उद्योग में बदल दिया है। ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है जहाँ माँ-बाप की आर्थिक हैसियत देखकर उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिले। कहने को निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, मगर हर स्कूल को अपने प्रवेश नियम बनाने की छूट भी दे दी गई है। इसके मूल में भी यही कारण है कि निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के बच्चों से अलग रखने की व्यवस्था रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश भण्डारी, राजनीतिक रूप से संवेदनशील और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा पर, अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दा पर, विचार करते हुए निम्न आय वाले माता-पिता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाल चुके, ताकि वे (मात-पिता) अपनी संतानों को स्कूल खुद से भेज सकें। अतएव निम्न आय वाले माता-पिता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सर्वाधिक तर्कयुक्त रणनीति है। गरीबी से ग्रस्त परिवारों के लड़कों के नामांकन में वृद्धि और उनके जमकर पढ़ने-लिखने के लिए। सरकार को छात्रों के लिए गुणवत्ता युक्त माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व का परित्याग नहीं करना चाहिये। सरकार को जी॰डी॰पी॰ का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए कर्णांकित करना चाहिये और इसका 50 प्रतिशत अर्थात् 3 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित करना चाहिये। इससे प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर नामांकन-वृद्धि का संरक्षण होगा। सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता को समुन्नत करने के लिए शिक्षकों में निवेश करना चाहिये। मात्र प्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित रूप से नियुक्त करने की जरूरत है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों ही प्रकार के अर्द्ध-शिक्षकों को नियुक्त करने की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिये; जो नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर मुख्य धारा में ले आना चाहिये। कोठारी कमीशन द्वारा अनुशंसित समान स्कूल प्रणाली ही देश भर में गरीब से गरीब समेत सबों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की जानी चाहिये। सरकार को लाभ कमाने की दृष्टि से लोगों को निजी स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

शिक्षा का अधिकार विधेयक में प्रावधान किया गया है कि कानून के लागू होने के 3 वर्षों के भीतर ही राज्यों के प्रत्येक बच्चे के लिए उसके पड़ोस में ही विद्यालय का निर्माण करना होगा। विधेयक में कुछ शर्तें भी दी गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यालयों और पाठशालाओं की धारणा ही बदल गई है। एक ओर कम वेतनभोगी शिक्षक वाला शिक्षा गारंटी केन्द्र हैं तो दूसरी ओर पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष लेने वाला निजी स्कूल। उच्च स्तर पर केवल निजी स्कूल ही नहीं है, बल्कि नवोदय, केन्द्रीय और इसी प्रकार के कुछ अन्य सरकारी विद्यालय भी हैं। इस प्रकार शिक्षा के अवसरों की पहुंच में भी काफी असमानता है। यद्यपि विधेयक में कोठारी आयोग के कॉमन स्कूल की धारणा को कानूनी रूप देने में कामयाबी नहीं मिली हैं, परन्तु न्यूनतम विद्यालय को परिभाषित अवश्य किया गया है। इन विद्यालयों के लिए समुचित रूप से योग्य शिक्षकों सहित अनेक अनिवार्य मानक निर्धारित किए गए हैं। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने के लिए कोठारी आयोग के सामान्य विद्यालय की धारणा पर कम से कम आंशिक रूप से अमल किया जाए और निजी, नवोदय तथा सभी श्रेणी के विद्यालयों को अपने पास-पड़ोस के वंचित वर्गों के कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने की जिम्मेदारी दी जाय। विधेयक में यह प्रावधान है कि इस प्रकार के बच्चों पर होनेवाले व्यय को राज्य प्रति विद्यार्थी लागत के आधार पर संबंधित विद्यालयों को अनुदान देगा।

सबसे खतरनाक प्रश्न तो यह उठ खड़ा हुआ है, क्या शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा का भी बाजारीकरण और 'कॉरपोरेटीकरण' करने की संभावना बनी है? सर्वशिक्षा अभियान के संदर्भ में सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी की कोशिश की जायेगी। इस कोशिश के संबंध में यह अनुमान लगाया गया है कि सरकारी खर्च 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम हो जायेगा, साथ ही सरकार बहुत सारी जवाबदेहियों से छुट्टी पाकर दूसरे महत्वपूर्ण काम में लग जायेगी। परन्तु इस साझेदारी (पीपीपी) का न तो कोई इतिहास है और न ही कोई अलग सिद्धांत है। निष्कर्षत: यह कोशिश सरकार के कार्य क्षेत्र को कम करके निजी क्षेत्र का पथ प्रशस्त करती है, सफल होने पर करती रहेगी भी। यह विषय अर्थात् शिक्षा, केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए

समवर्त्ती सूची (संविधान) में है। क्या शिक्षा को इस प्रकार सरकारों से हटाकर, संविधान के रहते, 'परवर्त्ती' करने की मंशा जाहिर हो रही है? बच्चों को शिक्षित करने की पूरी जवाबदेही सरकार की ही है, यह 'संविधानमूलक उत्तरदायित्व सरकार पर ही है। क्या अंदर ही अंदर संविधान का परिवर्त्तन/संशोधन करने और शिक्षा का बाजारीकरण, कॉरपोरेटीकरण, निजीकरण करने के अनौचित्य की ओर स्खलनात्मक कोई कदम इस कोशिश में निहित है? हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी करने वाला कानून (आरटीई) आज हकीकत बन चुका है। लेकिन इसे व्यवहार में उतारने की भारी चुनौती अब भी मुँह बाए खड़ी है। कोई राज्य अपने बच्चों को 'शिक्षा की गारंटी' देने के कितने करीब या दूर है, इस बात की परख चार बुनियादी सवालों पर की जा सकती है- क्या सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला हुआ है? क्या सभी स्कूल आरटीई के वांछित मानकों पर खरे उतरते हैं? क्या सभी स्कूल शिक्षा के अधिकार की गारंटी करने में सक्षम हैं? और क्या इन स्कूलों में बच्चे स्कूल में सचमुच संतोषजनक ढंग से सीख रहे हैं? आरटीई कानून इस बात की गारंटी नहीं करता। आरटीई कानून की मूल भावना है कि सभी बच्चे अच्छी और असरदार शिक्षा पाए। इसके बाद भी अगर बच्चे स्कूल में सीख नहीं रहे हैं तो यह कानून निरर्थक है।

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि मौजूदा शिक्षा कानून भारत में सदियों से चली आ रही सामन्ती, वर्ण भेद, शोषक व्यवस्था की ही पोषक है। सदियों से अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था बनाकर रखी गयी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि समाज में व्याप्त गैर बराबरी ''हजूर और मजूर'' के बीच अंतर बना रहे तथा समाज में बराबरी की स्थिति न आने पाये। आज पुनः बच्चों के लिए बने शिक्षा अधिकार कानून के साथ भारत सरकार उपर्युक्त व्यवस्था को कायम रखना चाहती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बहुस्तरीय स्कूली व्यवस्था। नई व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा अधिकार कानून के अनुच्छेद 2 एन के हिसाब से चार तरह के स्कूल काम करेंगे। (1) सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सरकारी स्कूल। (2) सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। (3) भारतीय आभिजात्य वर्ग के लिए विशेष स्कूल जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय,

सैनिक विद्यालय। इसी प्रकार दिल्ली सरकार द्वारा संचालित प्रतिभा विकास विद्यालय या सर्वोदय विद्यालय आंध्र प्रदेश में आवासी विद्यालय तथा मध्य प्रदेश में उत्कृष्ठ विद्यालय है। (4)चौथी श्रेणी में बिना किसी सरकारी सहायता के संचालित निजी विद्यालय। अब इतने तरह के स्कूल चलेंगे तो इतनी ही तरह की शिक्षा भी होगी और इसी प्रकार इतनी ही तरह की मानसिकता से ओत-प्रोत बच्चे भी निकलेंगे।

विगत वर्षों में हमारे राज्य बिहार में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है। इन वर्षों में उच्च शिक्षा के द्रुत विकास के क्रम में स्तरीयता की अल्पता उत्पन्न हुई जिस कारण से मानव संसाधन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रासंगिकता ऐसे महत्वपूर्ण तत्त्व हैं, जिनके माध्यम से समाज उच्च शिक्षा की कामयाबी को मापता है। यू॰जी॰सी॰ के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि लगभग सभी सूचकों पर यथा निकाय के स्तर, पुस्तकालयीय सुविधाएं, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, शिक्षक-छात्र का अनुपात आदि पर उच्च शिक्षा को यथाशीघ्र समुन्नत करना अत्यावश्यक है। आज यह जबरदस्त भावना हो गयी है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की कुशलता जॉब मार्केट की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती है। एक ओर तो हम शिक्षित बेरोजगारों की संख्या नहीं चाहते और दूसरी ओर हमारे पास जो कार्य (जॉब) हैं उनके लिए अनुकूल उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय एवं विश्व बाजार की प्रतियोगिता में सफल होने के लिए यह अनिवार्य है कि हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता का सम्वर्द्धन किया जाय। इसी संदर्भ में यहाँ यह विचारणीय है कि शिक्षा के प्रति बिहार सरकार की उदासीनता और गैर जिम्मेदराना रवैये के प्रमाण का ही यह साक्ष्य है कि 2006 में बगैर किसी गहन अध्ययन और बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए अन्तर्विश्वविद्यालय आयोग को विघटित कर दिया गया। फलस्वरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में समन्वय एवं एकरूपता क्षीण होती गयी। पूर्व में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग और सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए महाविद्यालय शिक्षा आयोग कार्य कर रहे थे। इन दोनों आयोगों को भी बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के विघटित कर दिया गया। प्राथमिक और माध्यमिक

विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विद्यालय सेवा बोर्ड कार्य कर रहा था, इस बोर्ड को भी विघटित कर दिया गया।

जहाँ निम्न विवरण के आधार पर प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े 4 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगर नियुक्तियाँ की गयी होतीं, तो इनमें से आधे 2 लाख पद दलित एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को प्राप्त होते। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-2,13,000, माध्यमिक विद्यालय-22,000 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में रिक्त शिक्षक-93,856, उर्दू शिक्षक-26,268 विश्वविद्यालयों में रिक्त पद-शिक्षक-3,545, प्रधानाचार्य-220, पदाधिकारी (सभी संवर्ग के)-110 माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विभिन्न सेवाओं में रिक्तियों का विवरण-(1) डिप्टी कलक्टर-746, (2) डी॰एस॰पी॰-300 (3) आई॰टी॰आई॰ संस्थानों में अनुदेशको के रिक्त पद-960 (4) कृषि समन्वयक के रिक्त पद-4,391 (5) पशु चिकित्सकों के रिक्त पद-545 स्वास्थ्य सेवा के रिक्त पद-चिकित्सक-5,524 दन्त चिकित्सक-5,558 लैब टेक्नीशियन-1,772 ओटी सहायक-236 एक्सरे टेक्नीशियन-215 ए॰एन॰एम॰-8,115 ए॰ ग्रेड नर्स (मेडिकल कॉलेजों में)-1200 (लगभग) वहीं उपर्युक्त आंकड़ें पिछले 25 वर्षों की सरकार की शिक्षा के साथ-साथ दलित एवं पिछड़ों के प्रति उपेक्षा पूर्ण नीति एवं असंवेदनशीलता को उजागर करते हैं।

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के अधिनियमों की लगातार अनदेखी और उपेक्षा जारी रखी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता क्षीण होती जा रही है और सम्पूर्ण शैक्षणिक क्षेत्र में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। राज्य सरकार और विश्वविद्यालय दोनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और मार्गदर्शिका की अनदेखी कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति बिहार सरकार की उदासीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैये के प्रमाण का ही यह साक्ष्य है कि 2006 में बगैर किसी गहन अध्ययन और बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए अन्तर्विश्वविद्यालय आयोग को विघटित कर दिया गया। फलस्वरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में समन्वय एवं एकरूपता क्षीण होती गयी। पूर्व में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग और सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति

के लिए महाविद्यालय शिक्षा आयोग कार्य कर रहे थे। इन दोनों आयोगों को भी वगैर वैकल्पिक व्यवस्था के विघटित कर दिया गया। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विद्यालय सेवा बोर्ड कार्य कर रही थी, इस बोर्ड को भी विघटित कर दिया गया। फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 8 हजार से अधिक और विद्यालय स्तर के 4 लाख से अधिक रिक्तियाँ पिछले 25 वर्षों से नहीं भरी जा सकी हैं। वहीं यदि पिछली 25 वर्षों की सरकार इन पदों पर नियुक्ति की होती तो निश्चय ही 2 लाख दलित एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थी लाभान्वित हुए होते। यह स्थिति पिछली 25 वर्षों की सरकार की शिक्षा के प्रति उपेक्षा पूर्ण नीति के साथ ही दलित एवं पिछड़ों के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर करती है। इसके बावजूद अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों की आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षणिक स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि इनका शोषण ही हुआ। दलितों को राष्ट्रीय नीत के अन्तर्गत योजना के कुल उद्व्यय का 16 प्रतिशत आवंटन मिलना चाहिये था; परन्तु इन 25 वर्षों में उन्हें कुल उद्व्यय का मात्र 1.2 प्रतिशत दलित अंगीभूत योजना के लिए आवंटित होता रहा है।

यह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो अर्हता निर्धारित की, उसके अंतर्गत 2009 में जारी पीएच॰डी॰ के लिए जो प्रावधान था, उसका पालन बिहार सरकार और विश्वविद्यालयों ने नहीं कराया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मापदण्ड है कि 2009 के नियम के अंतर्गत पीएच॰डी॰ प्राप्त व्यक्ति अथवा नेट उत्तीर्ण छात्र ही शिक्षक पद के लिए आवेदक हो सकते हैं। 2009 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार जिन्होंने पीएच॰डी॰ प्राप्त नहीं की है वे इस पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण जो पीएच॰डी॰ हैं वे सहायक प्राचार्यों के योग्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस नियम का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व बिहार सरकार का था, जिसने अपनी निष्क्रियता और शिथिलता से बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में इस नियम का अनुपालन नहीं कराया है। बिहार सरकार की उत्तरदायित्वहीनता और निष्क्रियता के कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक प्राचार्यों के पद के लिए जो

80 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें 40 हजार से अधिक बिहार राज्य के आवेदक पद के लिए उपयुक्त नहीं माने गये हैं। इसलिए अब बिहार लोक सेवा आयोग 2009 के रेगूलेशन के तहत पीएच॰डी॰ नहीं करने वालों को अन्तर्वीक्षा में शामिल नहीं करनी है। ऐसे 40 हजार से अधिक बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएच॰डी॰ प्राप्त अभ्यर्थी हैं। ये अयोग्य बताये जा रहे हैं। बिहार सरकार की लापरवाही और कर्त्तव्यहीनता के कारण ही बिहार के ऐसे 40 हजार आवेदक नियुक्ति से वंचित किये जा रहे हैं। यह प्रकरण बिहार सरकार की निष्क्रियता को प्रमाणित करता है। बिहार में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के प्रति बिहार सरकार उदासीन और निष्क्रिय है। शिक्षा क्षेत्र में ह्रास और अराजकता निरंतर बढ़ती गयी है। बिहार सरकार और बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों ने विभिन्न प्रकार के अधिनियमों की लगातार अनदेखी और उपेक्षा जारी रखी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता क्षीण होती जा रही है और सम्पूर्ण शैक्षणिक क्षेत्र में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। विश्वविद्यालय, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के विघटन के बाद विश्वविद्यालयों के परिनियमों में एकरूपता समाप्त हो गयी है। शैक्षणिक कैलेण्डर बाधित हो गया है। इन्टर कौन्सिल के विघटन और बिहार परीक्षा समिति में इन्टर और मैट्रिक के एकीकरण के बाद अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। परीक्षा के संचालन में अनेक प्रकार की व्याहारिक कठिनाई हो रही है। बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड विघटित हो जाने के कारण एक निश्चित वेतन पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों/ मध्य विद्यालयों में शिक्षा का मूल अधिकार को शामिल करने के बाद पूर्णतया अस्थायी रूप में की गयी। राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों में वेतन की भिन्नता और असमानता के कारण इन नियोजित शिक्षकों से अपेक्षित शिक्षण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। इन सभी गैर जिम्मेदाराना कारणों से बिहार में 1990 से लगातार शिक्षा की गुणवत्ता में क्रमशः सभी स्तरों पर अधोगति दृष्टिगत होती रही है। राष्ट्रीय मानक दिशा-निर्देश के विरुद्ध बिहार में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की उपेक्षा जारी है, जो बिहार राज्य के लिए विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में लगातार गुणात्मक ह्रास, प्रशासनिक और शैक्षणिक, होना विस्मयकारी है।

बिहार में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में ह्रास और अराजकता विभिन्न प्रकार के अधिनियमों की लगातार अनदेखी और उपेक्षा से शिक्षा की मात्र गुणवत्ता ही लगातार क्षीण नहीं हो रही है, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र में एक अराजकता जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं की मार्गदर्शिका की लगातार अनदेखी की जा रही है। पिछले 25 वर्षों से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति रुकी हुई है, जिसका कुप्रभाव विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्ययन, अध्यापन और शोध पर पड़ रहा है। परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितता के कारण बिहार से बाहर बिहार के उत्कृष्ट छात्रों का भी नामांकन नहीं हो पा रहा है। बिहार में 1990 से लगातार शिक्षा की गुणवत्ता क्रमशः अधोगति प्राप्त करती रही है। राष्ट्रीय मानक एवं दिशा निदेश के विरुद्ध बिहार में लगातार उच्च शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। केन्द्र सरकार एवं यू॰जी॰सी॰ द्वारा जारी दिशा निदेश की अनदेखी से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्रीय औसत से नीचे गिरती जा रही है। शिक्षा का गणनात्मक द्रुत विकास तो हुआ है, पर इसी क्रम में गुणवत्ता और स्तरीयता की अल्पता भी उत्पन्न हुई है जिस कारण से मानव संसाधन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रासंगिकता ऐसे महत्वपूर्ण तत्त्व हैं, जिनके माध्यम से शिक्षा की कामयाबी को मापा जाता है। यू॰जी॰सी॰ के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि बिहार में लगभग सभी सूचकों पर-यथा निकाय के स्तर, पुस्तकालयी सुविधायें, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, शिक्षक-छात्र का अनुपात आदि पर शिक्षा प्रबंधन के लिए यथाशीघ्र समुन्नत सुधार करना अत्यावश्यक है।

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में लगातार हो रहे गुणात्मक ह्रास, विश्वविद्यालय की बिगड़ती हुई प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय स्थिति विस्मयकारी है। बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 1996 से लगातार आठ हजार से अधिक व्याख्याता, उपाचार्य (रीडर) विश्वविद्यालय आचार्य एवं प्राचार्यों के पद रिक्त पड़े हैं। कालबद्ध प्रोन्नति और मेधा आधारित प्रोन्नति 1996 से लम्बित है। वरीय और योग्य शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य, शोध कार्य पूर्ण रूप से

बाधित हैं। शिक्षकों के अभाव में नियमित शिक्षण नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति लगातार नगण्य होती जा रही है।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सेवा आयोगों को विघटित किये जाने के बाद विश्वविद्यालयों में चयन समिति की व्यवस्था की गयी है। फिर उसे समाप्त कर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर करने का निर्णय 2013 में हुआ है। वह भी दो वर्ष से विभिन्न प्रक्रिया में है। अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड, कॉलेज सेवा आयोग और विश्वविद्यालय आयोग को 2006 में विघटित कर दिया गया, परन्तु सरकारों ने वैकल्पिक व्यवस्था अभीतक नहीं की है। विश्वविद्यालय, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के विघटन के बाद विश्वविद्यालयों के परिनियमों में एकरूपता समाप्त हो गयी है। शैक्षणिक कैलेण्डर बाधित हो गया है। इन्टर कौन्सिल के विघटन और बिहार परीक्षा समिति में इन्टर और मैट्रिक के एकीकरण के बाद अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। परीक्षा के संचालन में अनेक प्रकार की व्यहारिक कठिनाइयाँ हो रही हैं। सरकार और विश्वविद्यालय की उदासीनता से बिहार के नवयुवक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं।

इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले आधे से अधिक परीक्षार्थी फेल हो गये हैं। यह प्रमाणित करता है कि बिहार सरकार की निष्क्रियता एवं शिक्षा के प्रति पिछले 25 वर्षों से लगातार उपेक्षापूर्ण नीति के कारण प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में पूर्णत: अराजकता व्याप्त है। बिहार में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या अब भी 77 प्रतिशत है। इसमें दलित और अत्यंत पिछड़ी जातियों के लड़कों-लड़कियों की संख्या अधिकतम है। अब भी सारे प्रयत्नों के बाद भी बिहार में दलित केवल 37 प्रतिशत साक्षर हैं। बिहार में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में ह्रास और अराजकता विभिन्न प्रकार के अधिनियमों की लगातार अनदेखी और उपेक्षा से शिक्षा की मात्र गुणवत्ता ही लगातार क्षीण नहीं हो रही है, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र में एक अराजकता जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गयी है। इस साल कुल 15.47 लाख परीक्षार्थी थे। इनमें 7.21 लाख पास हुए और 8.21 लाख फेल हुए, जो यह दर्शाता है कि हमारे राज्य में शिक्षण एवं शिक्षा की गुणवत्ता बहुत कमजोर है। यह परीक्षाफल राज्य के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। राज्य की शिक्षा की

गुणवत्ता अनेक कारणों के चलते पिछले 25 वर्षों से कमजोर है, लेकिन लोगों के सामान्य नजरिए से शिक्षक ही अधिकतम सीमा तक शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं। इसके फलस्वरूप शिक्षकों के स्तर और प्रतिष्ठा में पिछले कुछ दशकों के दौरान तेजी से गिरावट आयी है। पूर्व में शिक्षकों का स्तर और प्रतिष्ठा काफी ऊँची थी। शिक्षक के स्तर और प्रतिष्ठा में गिरावट सभी सम्बन्धित लोगों के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। 20 हजार करोड़ से अधिक व्यय के बाद ऐसा परीक्षाफल आना निश्चय ही चिन्ता का विषय है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने की जिम्मेवारी मुख्यत: शिक्षकों की है। लेकिन शिक्षा के स्तर को बनाये रखने की जिम्मेदारी पूर्णत: सरकार की है। बिहार के राजनीतिक दलों ने शिक्षा को कभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है। प्राय: सभी सरकारों ने 25 वर्षों में शिक्षा की उपेक्षा की है और अंतत: उसे 'व्यापारियों' के हवाले कर दिया है। क्या वे शिक्षा के महत्त्व से परिचित नहीं हैं? शिक्षा में पारदर्शिता, सहभागिता और जवाबदेही जैसे प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है। शिक्षा को जनोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। शिक्षकों को संतुष्ट एवं अनुशासित करना आवश्यक है। दरअसल, शिक्षा पर गंभीरता से विचार किए बिना राज्य के वर्तमान शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। जबकि महात्मा फुले ने 1856 में उद्घोष किया था कि विद्या पाने का अधिकार सबको है। उन्होंने शिक्षा के महत्व के बारे में कहा–''विद्या के बिना समझदारी नहीं आती। समझदारी के बिना नैतिकता नहीं आती। नैतिकता के बिना विकास नहीं आता। विकास के बिना धन नहीं आता और निर्धनता ने ही इन लोगों को बर्बाद कर दिया है।'' डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा था–''शिक्षा वह महानतम लाभ है जिसके लिए पिछड़े तबकों को लड़ना चाहिए। हम भौतिक लाभों को भले ही ठुकरा दें मगर शिक्षा के फायदों को हासिल करने के अधिकार और मौकों को नहीं छोड़ सकते। पिछड़े तबके समझते हैं कि शिक्षा के बिना उनका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है।'' नेल्सन मंडेला ने इसलिये कहा था कि– 'शिक्षा सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं।' यह प्रसिद्ध उक्ति बताती कि शिक्षा का कितना अधिक महत्व है। हमारे राज्य के संदर्भ में यह बात और भी सच है। अध्ययनों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि बिहार में 'ड्रॉप आउट' करने वाले बच्चों

की अधिकांश संख्या दलित एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की है। सरकार दलित एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की वास्तविक कठिनाइयों को जानने की स्थिति में नही है तथा दलित-आदिवासी समाज में व्याप्त घोर गरीबी को समाप्त करने के लिए भी तैयार नहीं है।

बिहार में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में ह्रास और अराजकता विभिन्न प्रकार के अधिनियमों की लगातार अनदेखी और उपेक्षा से शिक्षा की गुणवत्ता ही लगातार क्षीण नहीं हो रही है, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र में एक अराजकता जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं की मार्गदर्शिका की लगातार अनदेखी की जा रही है। बगैर किसी गहन अध्ययन और वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए अन्तर विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, महाविद्यालय सेवा आयोग, विद्यालय शिक्षा सेवा बोर्ड आदि संस्थाओं को विघटित करके उनके स्थान पर राज्य सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जिसके फलस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय एवं एकरूपता में गिरावट जारी है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग, महाविद्यालय सेवा आयोग को विघटित किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 10 वर्षों से अधिक समय में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों की जगह पर भी नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कक्षाएं नहीं चल रही हैं। छात्र-छात्राएं महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उपस्थित नहीं हो रही हैं। पिछले 10 वर्षों से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति रुकी हुई है, जिसका कुप्रभाव विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्ययन, अध्यापन और शोध पर पड़ रहा है। विज्ञान विषयों में प्रयोगशाला नहीं है। परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितता के कारण बिहार से बाहर बिहार के उत्कृष्ट छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। विद्यालय सेवा आयोग के विघटित होने के कारण प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्तियाँ नियमित रूप से नहीं होने के कारण पूर्णतया संविदा के आधार पर औपबंधिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ नियोजित शिक्षकों के रूप में की गयी हैं। उन्हें एक निश्चित राशि वेतन के रूप में दी जाती है, जो राजकीयकृत

विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान से अत्यधिक कम है। भ्रष्टाचार और कदाचार व्याप्त हो गया है।

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लगातार हो रहे गुणात्मक ह्रास, विश्वविद्यालय की बिगड़ती हुई प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय स्थिति विस्मयकारी है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 1996 से लगातार आठ हजार से अधिक व्याख्याता, उप-प्राचार्य (रीडर) विश्वविद्यालय आचार्य एवं प्राचार्यों के पद रिक्त पड़े हैं। कालबद्ध प्रोन्नति और मेधा आधारित प्रोन्नति 1996 से बंद है। वरीय और योग्य शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य, शोध कार्य पूर्ण रूप से बाधित हैं। शिक्षकों के अभाव में नियमित शिक्षण नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति लगातार नगण्य होती जा रही है। हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भी स्थिति निम्नवत है- ''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षक रहित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आयोजित परीक्षाओं के परिणाम अप्रत्याशित नहीं हैं। प्राथमिक से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक लगभग पांच लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। नियोजन एवं नियुक्ति की अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक एवं शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी विरोधी प्रक्रियाओं के कारण पूरे राज्य का शिक्षा जगत और भी भयंकर दुष्परिणामों को भोगने के लिए अभिशप्त है। माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक से लेकर पंचायत तक और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से लेकर बिहार लोक सेवा आयोग तक रिक्तियाँ, परीक्षाएं एवं साक्षात्कार, प्रमाण पत्रें का सत्यापन, जाली प्रमाण पत्रों की जाँच पड़ताल, जाली शिक्षकों के जेल और बेल के खेल में पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। 20 वर्ष पहले तक प्राथमिक पाठशालाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के पैनल से सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा अन्य किसी कारणों से हुई रिक्तियों में नियुक्ति की स्वस्थ परंपरा थीं प्रशिक्षित शिक्षकों की नामिका जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में रहती थी और मेधाक्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहती थी। नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के पूर्व उनके सभी शिक्षक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र सत्यापित कर लिये जाते थे। शिक्षामित्रों को नियोजित

शिक्षक एवं बिना योग्यता, बिना मेधा की जाँच किये हजारों-हजार शिक्षक विद्यालयों में नियोजित हो गये।''

परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर अनुदान राशि का वितरण होता है। इन्टर और डिग्री कॉलेज व्यावसायिक मुनाफा अर्जित करने वाली संस्था बन गई है। वित्त रहित नीति हटाने के नाम पर परीक्षा फल आधारित अनुदान की व्यवस्था से बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। शिक्षक एवं प्रबंधन के बीच जैसे गुणवत्ता और शिक्षा गुम हो गयी है। इन्टर कौन्सिल के विघटन और बिहार परीक्षा समिति में इन्टर और मैट्रिक के एकीकरण के बाद अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बिगड़ता जा रहा है और शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता बहाल करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अपने स्तर से दृढ़ एवं प्रभावकारी निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है। माध्यमिक एवं इन्टर की मान्यता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंप दी गयी है। पूर्व की मान्यता की शर्त्त शिथिल कर दी गयी है, वगैर विस्तृत जाँच और मापदण्ड के पिछले वर्षों में मान्यता दी गयी है। सैकड़ों विद्यालय और इन्टर महाविद्यालय की मान्यता के लिए सरकार एवं विश्वविद्यालय का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। बगैर समुचित जाँच एवं सत्यापन के मान्यता दी जा रही है। इसलिए घटिया स्तर के विद्यालय एवं इन्टर कॉलेज का किसी भी प्रकार का निर्धारण नहीं हुआ है। कदाचार एवं परीक्षाफल में हेरा-फेरी का यह बड़ा कारण है। अभिभावक, संस्थापक एवं छात्र-छात्राओं के बीच एक दुरभि-सन्धि हो गयी है। उसी का प्रकटीकरण हाल की घटनाओं के माध्यम से हुआ है।

शिक्षा के प्रति पिछले 25 वर्षों से लगातार सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से जहाँ प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 4 लाख से अधिक रिक्त पदों में नियुक्ति नहीं की गयी वहीं यदि नियुक्ति की गयी होती तो 2 लाख दलित एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी लाभान्वित होते।

हाल में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की बैठक में यह आम सहमति बनी है कि 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून का समुचित अनुपालन नहीं होने के कारण शिक्षा 14 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और दूसरी सहमति है कि गुणवत्ता अत्यन्त ही

दीन-हीन अवस्था में है। शिक्षा में अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गयी हैं, जिनके परिणामस्वरूप दलित एवं अत्यन्त पिछड़ा, आदिवासी एवं अन्य गरीबों को अपेक्षित शिक्षा नही मिल पा रही है। अन्य जाँच प्रतिवेदनों से प्रतिवेदित हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा में समाज के गरीब और उपेक्षित वर्गों को अपेक्षित गुणवत्ता से वंचित होना पड़ रहा है। और, इन वर्गों में शिक्षा के अभाव और अधबीच में पढ़ाई छोड़ने की दिशा ने ऐसी स्थिति बना दी है कि प्राथमिक शिक्षा में 2.5 करोड़ गरीब, दलित और आदिवासी बच्चों का नामांकन होता है जिनमें से केवल 35 लाख बच्चे ही हाई स्कूल तक पहुँच पाते हैं। उन्हें भी 9वीं कक्षा तक उत्तीर्णता संख्या समाप्त करने, 10वीं कक्षा कि बोर्ड परीक्षा समाप्त करने और प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव के कारण शिक्षा को एक मजाक बना दिया है। जहाँ 5वीं और 6ठी कक्षा के छात्र पहली एवं दूसरी कक्षा की योग्यता भी हासिल नहीं कर पाते हैं। जैसा कि ''प्रथम'' प्रतिवेदन से स्थापित हुआ है। इन वार्षिक तत्वों के आलोक मे ही शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में आम सहमति बनी है कि विभिन्न राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार अधिनियम का राज्य स्तर पर संशोधन करें। बिहार कि स्थिति अन्य राज्यों कि तुलना में और भी बदत्तर है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री से डॉ॰ मिश्र ने अपील की कि अगले विधानसभा सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में उभरे तथ्यों एवं की गयी अनुशंसाओं को शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सम्मिलित करें। उनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाय :-

इस समय यह आवश्यकता समझी गयी कि 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति को समाप्त किया जाय। 10वीं कक्षा की परीक्षा को अनिवार्य किया जाय। सभी राज्यों का यह अभिमत रहा है कि कक्षा 1-8 तक फेल नही करने की नीति को बदला जाय एवं 5वीं एवं 8वीं कक्षा में पुनः परीक्षा होनी चाहिये। इसके लिए आवश्यक कानून संशोधन राज्य स्तर पर किया जाय। लगभग 90 प्रतिशत राज्य नोडिटेन्शन पॉलिसी के पक्ष में रहा है। राज्यों का तर्क रहा है कि नोडिटेन्शन पॉलिसी के कारण बच्चों की संख्या में गिरावट आयी है। राज्यों की और शिक्षाविद्ों की यह राय रही है कि 10वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा फिर से शुरू की जाय। देश मे लगभग 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक

कार्य कर रहे हैं। उन्हें 2015 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया वह सीमा समाप्त हो चुकी है। इसे आगे बढ़ाने के लिए राज्यों की राय समय बढ़ाने की रही है। विभिन्न आयोगों और अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि शिक्षा के 5 स्तम्भ रहे–सबको शिक्षा, सामाजिक न्याय, गुणवत्ता, जवाबदेही और गरीबों की शिक्षा। बिहार में भी श्री नीतीश कुमार की सरकार में 'मुचकुन्द दुबे समिति' के प्रतिवेदन में सामाजिक न्याय के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली की बात कही गयी थी। उस समिति की अनुशंसा प्राप्त हो गयी है, परंतु बिहार में यह नीति लागू नहीं हो पायी है। बिहार सरकार से यह अपेक्षा है कि क्या गरीब एवं दलित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसलिए नहीं मिलेगी कि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है? क्या एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की नहीं है? क्या राज्य सरकार इस दायित्व से भाग सकती है? अगर हमारे देश का आंकलन समान सार्वजनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधार पर करे तो बिहार इन सभी आधारों पर पूर्णत: पिछड़ता मिलेगा, क्योंकि बिहार में बच्चों के साथ पर्याप्त भेदभाव किया जाता है विशेषकर दलित, आदिवासी और मुसलमान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लगातार वंचित होना पड़ रहा है और शिक्षा के मूल अधिकार संविधान में बनाये जाने के बावजूद इनके गरीब बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में नहीं होता जहाँ एक तरफ अमीर बच्चों के लिए सारी सुविधाओं से लैस अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय हैं वहीं गरीब बच्चों को साधनविहीन विद्यालयों के हवाले कर दिया गया हैं जहाँ कम वेतन वाले शिक्षक हैं जो विपरीत परिस्थिति में जैसे–तैसे शिक्षण कार्य करते हैं। इन विद्यालयों कें ज्यादे बच्चे साधनविहीन और शिक्षा के अभाव में स्कूल छोड़कर चले जाते हैं जो बच जाते हैं वे प्रतियोगिताओं में इस वातावरण में निजी विद्यालय के बच्चों के सामने टिक नहीं पाते हैं। इसलिए स्कूली शिक्षा में सुधार करना होगा। बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता देश में बहुत नीचे मानी जाती है।

शिक्षा युवा विकास की दृष्टि एवं लक्ष्य

लोकतंत्र का मूलाधार शिक्षा है। यदि जनता अशिक्षित रहे तो लोकतंत्र का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो सकता। अशिक्षित जनता लोकतंत्र की घातक

शत्रु होती है, अशिक्षित जनता के कारण लोकतंत्र प्रायः निरंकुश तंत्र अथवा भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। शिक्षित जनता ही वास्तविक लोकतंत्र का निर्माण करती है। इसलिए लोकतंत्र में शासन तभी श्रेष्ठ होगा जब जनसाधारण जनता शिक्षित हो तथा उसमें उच्च कोटि की राजनीतिक सूझ-बूझ हो। यह तभी संभव होगा जब जनसाधारण अनिवार्य रूप से शिक्षित हो। वास्तव में लोकतंत्र की सफलता के लिए अतिमहत्वपूर्ण पूर्व शर्तों में शिक्षा का एक अपरिहार्य स्थान होता है। अच्छी शिक्षा के द्वारा ही नागरिकों का चरित्र श्रेष्ठ बनाया जा सकता है तथा उनमें अपने अधिकारों के उचित उपभोग एवं कर्त्तव्यों के उचित सम्पादन की भावना जागृत की जा सकती है। शिक्षा का लक्ष्य एक अच्छा मानव निर्माण करना, मानव में जागृति की भावना लाना, उनमें उत्तरदायित्व का बोध कराना, आत्मविश्वास लाना आदि होता है। इससे अनुशासन प्रस्थापित किया जाता है। शिक्षा एक धर्मनिरपेक्ष, अपनी विरासत तथा परंपराओं पर गर्व करने वाला नागरिक उत्पन्न करती है। शिक्षित जनता ही श्रेष्ठ प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर सकती है। देश की समस्याओं का सुन्दर ज्ञान रख सकती है और शिक्षित जनता ही देश के कार्यों में बुद्धिमतापूर्ण तथा सक्रिय योगदान दे सकती है। कोई भी लोकतंत्र अपने मतदाताओं की सामान्य बुद्धि एवं शिक्षा के स्तर को बढ़ाये बिना ऊँचा नहीं उठ सकता। इसलिए नागरिकों की शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने से ही उत्कृष्ट लोकतंत्र का जन्म हो सकता है। शिक्षा प्रगति की रीढ़ होती है। शिक्षा राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों में एक है, यह देश की प्रगति का रीढ़ है, यह उत्पादकता वृद्धि का आधार है, जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगाने वाला, समाज के प्रत्येक वर्ग के स्वास्थ्य का रखवाला तथा स्वतंत्रता की भावना को शक्तिशाली बनाने वाला आधार है। शिक्षा को भारत के मान्य मूल्यों जैसे धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतंत्र और समाजवाद तथा सम्प्रभुता के सम्बर्द्धन को सुरक्षित रखने का कार्य करना होगा। इसका एक महत्वपूर्ण दायित्व प्राचीन भारत की विरासत-आध्यात्मिकता को सुरक्षित रखना है तथा भारतीयता को अक्षुण्ण बनाये रखना है।

नई शिक्षा-नीति निर्धनता से संघर्ष करने के लिए एक सशक्त साधन है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को इस नीति के माध्यम से अवसरों की समानता की अनुभूति प्राप्त होगी जिसकी गारंटी हमारे

संविधान द्वारा दी गयी है। इससे हम अपनी विरासत को सुरक्षित रख सकेंगे तथा अपने देश के युवाओं की रचनात्मक शक्ति को कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे। यह शिक्षा-नीति विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों, अलग-अलग धर्मों को मानने वाले और अलग-अलग सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़े लोगों को, जो कि भारत की मिली-जुली संस्कृति के ही अंग हैं, एक सूत्र में पिरोयेगी। सभी क्षेत्रों में, अर्थात् विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला, मानविकी तथा दार्शनिक सिद्धांतों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही इस नीति का उद्देश्य रहे। भारत में शिक्षा को एक नया रूप देने का प्रयास किया जाय। इस नये रूप के लिए इसे विभिन्न स्तरों पर भी विभाजित करने का कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। ये विभिन्न स्तर हैं:- प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, नई शिक्षा नीति, महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति की शिक्षा आदि। नई शिक्षा नीति के नाम से पुकारा जा सकता है।

छोटे बच्चे ही भावी भारत के कर्णधार होंगे। फलत: उनको स्वस्थ नागरिक बनाने के लिए स्वस्थ शिक्षा प्रदान करना परमावश्यक है। साथ ही यह भी मान्यता है कि जबतक प्रारम्भिक शिक्षा को भारत में अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जायेगा, तबतक जनता में जागृति नहीं आ सकती। इसलिए भारत को सबसे पहले प्रारम्भिक शिक्षा पर ही ध्यान देना होगा, इसे राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए सक्रिय शक्ति की संज्ञा दी जा सकती हैं। प्रारम्भिक शिक्षा से अशिक्षित तथा अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षित तथा ज्ञानी बनाया जा सकता है। इसलिए प्रारम्भिक और सार्वभौमिक शिक्षा को समाज से जोड़ा जा सकता है। देश ने प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है, परन्तु सरकार के प्रयास समाज के द्वारा सीमित हो जाते हैं। सरकार प्रारम्भिक शिक्षा का दायित्व लेती है। परन्तु इसमें कुछ विशेष त्रुटियाँ रह जाती हैं। विद्यालय भवन तैयार कर सकते हैं, संस्थाओं को खोल सकते हैं, परन्तु जब व्यवहार में शिक्षा को लागू करने की बात आती है तब सामाजिक क्रियाशीलता समान रूप से लागू हो जाती है। समाज को यह देखना होगा कि बच्चे स्कूल में रहें। यदि विद्यालय छोड़ने की संख्या पर अंकुश नहीं लगायेंगे, यदि स्कूल में लड़कियों का नामांकन नहीं करायेंगे, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कठिनाइयों को दूर नहीं कर पायेंगे, तो प्रारम्भिक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए प्रारम्भिक शिक्षा को सामाजिक आन्दोलन एवं सरकार के क्रियाकलापों से

जोड़ना होगा। हमें उन दिनों को लौटाना होगा जब शिक्षक प्राचीन काल में प्रतिष्ठा और उच्च स्थान को प्राप्त करते थे। उनके अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को दोहरे कदम उठाने होंगे-शिक्षा को एक राष्ट्रीय प्रयास बनाना होगा और देश के दूर-दराज इलाकों में श्रेष्ठ तकनीक को जिसे भारत ने अबतक प्राप्त किया है, पहुँचाना होगा, जिससे वैसे इलाकों में भी शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके।

भारत को पूर्णतः साक्षर बनाना है। भारत के अधिकांश लोग निरक्षर है एवं निरक्षरता एक बड़ा अभिशाप है। निरक्षरता के कारण जीवन जटिल हो जाता है, लोग निरक्षरों का शोषण करने लगते हैं। इस प्रकार समाज में कुछ लोग दलित हो जाते हैं तथा उनके विकास के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न कर दी जाती हैं। आज भी निरक्षरों की संख्या अत्यधिक है। 21वीं शताब्दी में उनकी संख्या 50 करोड़ के आस-पास हो जायेगी। यदि देश अभी शीघ्र सुधारात्मक कदम नहीं उठाता है तथा योजना सफल नहीं होती है तो इस शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में निरक्षरों का तीसरा भाग भारत में ही होगा। 1951 में 6 करोड़ लोग अशिक्षित थे, आज उनकी संख्या 24 करोड़ है। हमें अपनी शिक्षा पद्धति को शक्तिशाली बनाना है जिससे यहाँ के बालकों को स्वयं-सेवक बनाकर भारत को महान बनाया जा सके।

प्रारम्भिक शिक्षा की अगली सीढ़ी माध्यमिक शिक्षा होती हैं। गुणात्मक दृष्टि से उच्च कोटि के माध्यमिक विद्यालयों को विस्तारित करना है। ऐसे विद्यालयों को बढ़ाया जाय जो छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके। वास्तव में ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो राष्ट्र को ऊँचाई तक ले जा सके और उनके व्यक्तित्व का विकास कर सके। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही किशोरों का विकास होता है तथा आगे चलकर वे ही राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। अतः उनके व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास परमावश्यक है। ऐसे विद्यालयों में अनुशासन भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बिना शारीरिक दण्ड दिये हुए अनुशासन को अक्षुण्ण रखते हैं। इन माध्यमिक विद्यालयों में धर्म निरपेक्षवाद के आधार पर पठन-पाठन होना चाहिये, जो प्राचीन भारतीय परम्परा पर आधारित है।

भारत की तत्कालीन शिक्षा पद्धति विभिन्न त्रुटियों से ग्रसित है। इसमें प्रधान त्रुटि यह है कि यह अभिजन वर्गीय है। अतः इस पद्धति को बदलना

होगा। कुछ विद्यालय पर्याप्त रूप से अच्छे हैं, परन्तु वे भी मानदण्ड की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। उन विद्यालयों में शिक्षा उचित रूप से प्रदान नहीं की जाती। उनमें शिक्षकों, शैक्षणिक उपकरणों तथा भवनों का अभाव रहता है। हमारा प्रयास होना चाहिये कि इन त्रुटियों को दूर किया जा सके तथा निर्धन व्यक्ति को भी शिक्षा प्रदान की जाय। इस पद्धति को बंद करना होगा कि हजारों-हजार रुपये देने में जो सक्षम हैं, वैसे ही लोगों के बच्चों का उच्च कोटि के विद्यालयों में नामांकन हो। शिक्षा से जीवन गुणात्मक विकास की ओर अग्रसर हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा उस दृष्टि से अनिवार्य होती है कि यह प्रारम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच कड़ी का काम करती है। यदि माध्यमिक शिक्षा निरर्थक हो जाय तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति स्वयं निरर्थक हो जायेगी तथा हमारे संसार और धरोहर पतन के मार्ग पर चले जायेंगे। अत: उत्साही युवकों को श्रेष्ठ शिक्षा देना परमावश्यक हो जाता है। उच्च शिक्षा के प्रति पूर्णत: समर्पित होना होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत उन्हें विश्वविद्यालयों में कला, विज्ञान, मानवशास्त्र, साहित्य, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा ईमानदारी के साथ प्राप्त करनी है। शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण सत्य के साथ कार्यरत रहना चाहिये।

उच्च शिक्षा की डिग्रियों को मात्र 'कागज के टुकड़े' के रूप में नहीं देखना चाहिये। इन्हें उसे रोजगार से सम्बद्ध करना चाहिये। डिग्री का कोई अर्थ नहीं हो सकता जबतक कि उसका रोजगार से सम्बन्ध नहीं हो। इस संबंध में विश्वविद्यालय केवल विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि देश के प्राय: सभी विश्वविद्यालय शीघ्रता से डिग्री निकालने वाले कारखाने बनकर रह गये हैं और किसी को इस बात की चिन्ता नहीं है कि ये डिग्रियाँ रोजगार से सम्बद्ध हैं या कुछ वास्तविक योग्यता से सम्बद्ध हैं। विश्वविद्यालयों का यह दायित्व है कि वे अच्छे से अच्छे तथा गुणात्मक स्तर की पढ़ाई कर डिग्रियों को रोजगार से जोड़ दें। उन लोगों को सभी सुविधाएँ मिलनी चाहिये जो अति तीव्र बुद्धि के हैं तथा उन्हें पदोन्नति के नियमों के अंतर्गत बाँध कर नहीं रखना चाहिये। उन्हें छूट मिलनी चाहिये जिससे किसी विशेष क्षेत्र में वे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा का उद्देश्य निर्धनता का समापन होना चाहिये। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास होना चाहिये। आज की शिक्षा कुछ सम्भ्रान्त परिवारों के लिए ही है और इसे बेरोजगारी उत्पन्न करने के लिए दी जाती है। सम्पूर्ण व्यवस्था ही निरर्थक है, कृषि कार्यक्रम के द्वारा निर्धनता को दूर किया

जा सकता है तथा यह कार्य उच्च शिक्षा से ही संभव है। चूंकि भारत के अधिकांश लोग कृषि से सम्बद्ध हैं, इसलिए शिक्षा भी कृषि से सम्बद्ध होनी चाहिए। आज कृषि के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी अभी उन्हें बहुत कुछ करना है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण का सामान बाजार में भेजा जाए। साथ ही कृषि के क्षेत्र का विस्तार कर विभिन्न कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने से भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सकेगा।

अशिक्षित युवा वर्ग देश के लिए चिन्ता का विषय होता है। इसलिए भारत में शिक्षा का विकास नये वातावरण में तेजी से हो जिससे आधुनिक विचार, मानव साधनों के विकास में सहयोग दे सकें। साथ ही ये विकास भारतीयता या भारतीय परंपरा के अनुरूप हो। बालक और बालिकाओं के बीच किसी प्रकार भेदभाव नहीं करना चाहिये। जबतक नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं किया जाता, तबतक भारत का विकास तीव्र गति से संभव नहीं है। इसके साथ ही विचारों के अनुसार शिक्षा स्वयं एक लक्ष्य नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य देश के मानव संसाधनों का विकास करना है। हमारा मुख्य संसाधन मनुष्य है, पूंजी अथवा मशीन नहीं। केवल मानव संसाधन के श्रेष्ठ संघटन एवं उपयोग से ही देश में न्यायपूर्ण और व्यवस्थित आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकता है। इस आधारभूत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही हमारी नई शिक्षा–नीति तैयार की जाय। राष्ट्रीय एकता के सम्बर्द्धन एवं कार्य नैतिकता को प्रोत्साहन देना इस शिक्षा–नीति का आधारभूत लक्ष्य माना जाय। जबतक यह नहीं समझा जाता कि शिक्षा राष्ट्रीय एकता की शक्तियों को सुदृढ़ किये जाने के लिए एक साधन है, तबतक सामाजिक रूप से यह असंगत सिद्ध होगी। शिक्षा से सभी प्रकार के संबंध, विशेष कर सभी मानवीय संबंध निर्दोष, पवित्र और अनुकरणीय होते हैं। पाशविक क्रिया–कलाप खत्म भी करती है शिक्षा।

महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक के रूप में देखा जाता रहा है तथा उनके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए उनपर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। उनपर अधिक ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि समाज में संतुलन बना रहे तथा समाज का विकास समुचित रूप से हो। महिलाओं को वे अधिकार अवश्य प्राप्त होने चाहिए जो हमारे समाज में वैधता की दृष्टि से परमावश्यक हैं। 'महिला विकास' नामक शीर्षक जबतक महिलाओं

को समाज में निम्न स्तर प्रदान किया जाता रहेगा तबतक हम यह नहीं कह सकते कि हमारा समाज सच्चे रूप से सही दिशा में विकसित हो रहा है। स्त्रियाँ हमारी जनसंख्या की आधी हैं, उन्हें भी समाज के विकास के लिए शिक्षण देना अनिवार्य है। बालिकाओं की शिक्षा इस शिक्षा पर केन्द्रित है कि बालिकाओं को किस प्रकार भोजन तैयार करना सिखाया जाय अथवा अचार बनाना या जैम बनाना सिखाया जाय और ऐसा सिखलाकर हम सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है, परंतु दुर्भाग्यवश यह काफी नहीं है। हमें बहुत कुछ अधिक करना है और बालिकाओं को उसी प्रकार शिक्षित करना है जिस प्रकार लड़कों को शिक्षित किया जाता है, जिससे वे अपने जीवन और अपनी सामाजिक स्थिति को नया रूप दे सकें और उन्हें निश्चित स्वतंत्रता मिले जिससे उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सके।

नई शिक्षा-नीति में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। 21वीं सदी या स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी बालिकाओं और महिलाओं के अध्ययन पर न तो बल दिया जाता है और न बालकों के समान अवसर प्रदान किया जाता है। उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। वे आज भी हमारे समाज में उन अधिकारों को पाने में असमर्थ हैं जो उन्हें प्राप्त होने चाहिए। इस कारण हमारा समाज शक्तिहीन और निर्धन है तथा हमें हर प्रयास करना चाहिए जिससे उनका उन्नयन हो सके तथा यह उन्नयन शिक्षा से ही प्राप्त होगा। यद्यपि बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया गया है तथापि इस क्षेत्र में बहुत ही कम सफलता मिली है। यह सच है कि शैक्षणिक संस्थाओं में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। लेकिन बीच में ही उनकी पढ़ाई छोड़ देने में भी कम वृद्धि नहीं हुई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें विद्यालय में अधिक से अधिक समय तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी इन्हें पर्याप्त स्थान प्रदान किये जाएं। यह कार्य मात्र सरकार के द्वारा ही संभव नहीं है। इसके लिए सम्पूर्ण समाज को और विशेष रूप से गैर-सरकारी संस्थाओं को आगे आना होगा। बालिकाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देना हमारी नई शिक्षा-नीति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नई शिक्षा-नीति में प्रौढ़ शिक्षा को भी समुचित स्थान प्रदान करना चाहिये। भारत में मात्र प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का विकास न हो, बल्कि प्रौढ़ शिक्षा को भी समुचित स्थान प्राप्त हो। हमारे पास प्रौढ़ शिक्षा के लिए वृहत

कार्यक्रम है परंतु हम अनुभव करते हैं कि इस कार्यक्रम की अनेक सीमाएँ हैं। हम इसके संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन समर्पित करते हैं। शिक्षा ही निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का आधार है। यही हमारे विकास का केन्द्र बिन्दु है। स्वतंत्रता के बाद हमने प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया। हमने इसे जनसंचार श्रमिकों के विस्तार और 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया, फिर भी हम वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाये।

भारत के सर्वांगीण विकास के लिए हर वर्ग के लोगों का विकास अनिवार्य है। इन वर्गों में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के उन्नयन की विशेष आवश्यकता है। इसके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिये। विद्यालय स्तर के प्रारंभ से ही उच्च प्राथमिक कार्यक्रमों तक अनुसूचित जाति और जनजातियों की सहायता के लिए प्रबंध हो जिससे वे अपने समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकें। अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ विकास के दौर में पिछड़ गयी हैं, क्योंकि उनमें उच्च दर की निरक्षरता है। आज इस मिशन के प्रारंभ करने से हमारा विशेष ध्यान महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा उन वर्गों पर जो पिछड़े हुए हैं, पर केन्द्रित किया जाय, जिससे वे भारत में अपना उचित स्थान ढूँढ़ सकें और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदार हो सकें। हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जहाँ शिक्षा उस रूप में नहीं पहुँची है जिस रूप में शायद पहुँचना चाहिये। जैसे- अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और कुछ दूसरे कमजोर वर्गो तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर इसी प्रकार विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वे भी समान समस्याओं का सामना करते हैं। उनके पास आर्थिक ताकत नहीं है जिससे वे अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज सकें। क्योंकि विद्यालयों से पढ़ाई छोड़कर अलग होने वालों में सबसे अधिक संख्या दलित और आदिवासियों की रही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को साक्षर ही नहीं शिक्षित बनाकर समाज के इस वर्ग का सम्पूर्ण रूप में उत्थान करना चाहिये, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके।

देश के शीर्षस्थ उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की जो सूची जारी की, उसमें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो बड़ा फर्क नजर आया, वह चौंकाने वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ-2017 के अंतर्गत देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों व कॉलेजों,

शीर्ष 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 50 श्रेष्ठ प्रबंध संस्थानों व फार्मेसी कॉलेजों की सूची जारी की गयी है। इस रैंकिंग के लिए 3,535 कॉलेजों व 685 विश्वविद्यालयों ने आवेदन किया था।

राष्ट्रीय स्तर के इस सर्वेक्षण में यह तथ्य जाहिर हुआ है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में दक्षिणी राज्यों, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी ने बाजी मारी है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों, सामान्य कॉलेजों व इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में इन 6 राज्यों को क्रमशः 48 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 40 प्रतिशत स्थान मिले हैं। अकेले तमिलाडु को विश्वविद्यालयों की रैकिंग में 24, कॉलेजों की रैंकिंग में 37 और इंजीनियरिंग की सूची में 22 वाँ स्थान मिला है। सिर्फ प्रबंधन संस्थानों के शीर्ष 50 की सूची में उत्तर भारत 17 स्थान लेकर दक्षिण से आगे है, जिसे 10 स्थान मिले हैं।

एनआईआरएफ-2017 की रैंकिंग में हिन्दी भाषी उत्तरी राज्यों की जो दयनीय स्थिति दिखायी है, उसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बहुत खराब दिखता है। उत्तर प्रदेश में 63 विश्वविद्यालय और 6,026 कॉलेज हैं, किन्तु सिर्फ 7 विश्वविद्यालयों और 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों को इस रैंकिंग में स्थान मिला है। राजस्थान के 4 विश्वविद्यालय और 3 इंजीनियरिंग कॉलेज इस रैंकिंग में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 2 प्रबंधन संस्थानों को इसमें स्थान मिला है, जबकि हरियाणा का सिर्फ 1 विश्वविद्यालय और 3 इंजीनियरिंग कॉलेज इस सूची में जगह बना पाये। बिहार का तो कोई भी विश्वविद्यालय और कॉलेज रैंकिंग सूची में नहीं आ पाया।

उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में जो स्पष्ट विभाजन दिखाई दे रहा है, वह हमारे संघीय ढाँचे, क्षेत्रीय संतुलन और मानव विकास की दृष्टि से एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति है। मानव संसाधन मंत्रालय, उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं-यूजीसी और एआईसीटीई समेत हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को यह सोचने की जरूरत है कि यहाँ के विश्वविद्यालय और कॉलेज लगातार गिरावट की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? 50 वर्ष पूर्व इन्हीं प्रदेशों के इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, एएमयू, पटना विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय की ख्याति पूरे देश में थी। आखिर क्या कारण है कि उच्च शिक्षा के ये चमकते हुए शिखर आज धूमिल हो गये हैं?

दरअसल, उत्तरी व दक्षिणी राज्यों की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में उदारीकरण के बाद के दौर में बहुत तेजी से अंतर बढ़ा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश की सरकारों ने उदारीकरण के दौर में सड़क, परिवहन, विद्युत, संचार, शिक्षा आदि के मूलभूत ढाँचे को मजबूत और कार्यकुशल बनाने पर विशेष ध्यान दिया। इन राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व औद्योगिक जगत और विनियोगकर्ताओं को आकर्षित करने में सफल रहा।

उत्तर व दक्षिणी राज्यों के बीच बढ़ती इस खाई का संबंध उस सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से भी है, जो देश के दोनों भू-भागों में मिलता-जुलता दिखते हुए भी काफी भिन्न है। वैसे तो पूरे देश में मूल्यों का संकट गहरा हुआ है, पर उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का रवैया उत्तर व दक्षिणी राज्यों में भिन्न दिखता है। दक्षिण भारत के विद्यार्थियों में गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन व मेडिकल जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों के प्रति उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा रुचि देखी गयी। देश में सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर टीएमए पई ने 1953 में मनीपाल में स्थापित किया। कर्नाटक ने सबसे पहले इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों को निजी क्षेत्र में स्थापित करने की पहल 1960 के दशक में शुरू की, जिसे बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने व्यापक रूप से अपनाया। वर्ष 2006 में दक्षिणी राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास पूरे देश की कुल सीटों का 53 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि उत्तरी राज्य सिर्फ 16 फीसदी सीटों से काम चला रहे थे।

उत्तर भारत के राज्यों में उच्च शिक्षा की लगातार अधोगति के कुछ प्रमुख कारणों का सीधा संबंध राजनीतिक बदलावों से है। 1977 के बाद उत्तर भारत में जनता पार्टी और दक्षिण भारत में कांग्रेस की सरकारें बनीं। यह वह दौर था, जब उत्तर भारत के स्कूलों और कैंपसों में दादागीरी, हिंसा और परीक्षाओं में खुली नकल की प्रवृत्तियों को पोषित किया गया। इसके विपरीत दक्षिण भारत के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई-लिखाई चलती रही और उसमें राजनीतिज्ञों ने अवरोध पैदा नहीं किये।

उत्तरी राज्यों का यह भी दुर्भाग्य रहा है कि मण्डल और कमण्डल के दौर में राज्य सरकारें सुशासन नहीं दे पायीं। शिक्षा उनकी प्राथमिकताओं में नहीं थी। ज्यादातर सरकारों ने स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए उतने ही वित्तीय

साधन आवंटित किये, जो शिक्षकों व स्टाफ के वेतन भुगतान के लिए जरूरी थे। यह हालत पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत के सभी विश्वविद्यालयों में गंभीर वित्तीय संकट को जन्म दे चुकी है।

पिछले तीन वर्षों से भारत की शिक्षा नीति के संबंध में लगातार विभिन्न स्तरों पर विमर्श जारी है। 1966, 1986 एवं 1992 से जारी शिक्षा नीति पर लगातार विमर्श और चर्चाएं होती रही हैं। उन्हीं नीतियों के आधार पर भारत की शिक्षा नीति जारी है और उन्हीं अनुशंसाओं पर 2003 में 6-14 साल के बच्चों को अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया गया। 2015 तक पिछली यूपीए सरकार ने इस नीति को सम्पूर्णता से लागू करने का लक्ष्य बनाया था, परन्तु वह इसलिए पूरा नहीं हो सका कि आरटीई कानून में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ और कमजोरियाँ चिह्नित हुई। इसलिए इस कानून में व्यापक संशोधन महसूस किया गया। इसके लिए आवश्यक कानून संशोधन केन्द्रीय स्तर पर किया जाय। लगभग 90 प्रतिशत राज्य 'नोडिटेनशन पॉलिसी' के पक्ष में रहा है। केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा है कि क्या गरीब एवं दलित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसलिए नहीं मिलेगी कि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है? क्या एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलानें की नहीं है? क्या केन्द्र और राज्य सरकार इस दायित्व से भाग सकती है? भारत की शिक्षा की गुणवत्ता दुनिया में बहुत नीचे मानी जाती है। शिक्षा के गंभीर मसलों पर निर्णय लिया जा सकता था। नयी शिक्षा नीति तैयार की जाय। नयी शिक्षा नीति का निर्माण अभीतक तैयार नहीं हो सका। इस नीति का जो मसौदा भारत सरकार के पूर्व केबिनेट सचिव, पीएसआर सुब्रहमण्यम समिति ने तैयार किया है उसपर भी कोई चर्चा नहीं हुई। नयी शिक्षा नीति की आवश्यकता इसलिए है कि 1986 में बनी और 1992 में संशोधित नीति पर अमल हो रहा है। काफी दिनों से महसूस किया जा रहा है कि हाल के समय में आये बदलाव को देखते हुए शिक्षा नीति में परिवर्तन की जरूरत है। विशेषकर उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा में दलितों और आदिवासियों का प्रवेश न्यूनतम है। उदाहरण के लिए जहाँ प्राथमिक स्तर पर 250 करोड़ से अधिक बच्चों का नामांकन होता है वही संख्या माध्यमिक शिक्षा में 35 लाख की बच जाती है। ऐसी विषम परिस्थिति से भारत को शीघ्र ही मुक्त करने की अनिवार्यता है।

आधुनिक शिक्षा में प्रबंधन का महत्व

अमरीका के पेन्सीलवानिया विश्वविद्यालय में वर्ष 1883 ई॰ में सर्वप्रथम प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई। तत्पश्चात् हावार्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एम॰बी॰ए॰ की शिक्षा प्रारंभ हुई। अमरीका के बाद यूरोप के प्रमुख देशों जैसे इंगलैंड, फ्रांस, स्वीटजरलैंड, इटली, जर्मनी आदि में व्यवसाय-प्रबंधन संस्थानों का उद्भव और विकास हुआ। 1980 ई॰ के दशक में व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी एम॰बी॰ए॰ का अध्ययन प्रारंभ हुआ, जैसे आदि। साथ ही, दूर शिक्षा के क्षेत्र में भी एम॰बी॰ए॰ का प्रवेश हुआ। पिछले तीन दशकों में हम व्यवसाय प्रबंधन तथा इंजीनियरिंग, कानून, वास्तुकला आदि में मणिकांचन संयोग पाते हैं। अमरीका के प्रसिद्ध पेन्सीलवानिया विश्वविद्यालय में जिस प्रकार वर्ष 1883 ई॰ में सर्वप्रथम व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन प्रारंभ किया गया, इसी भांति मैंने बिहार में सर्वप्रथम व्यवसाय प्रबंधन का पाठ्यक्रम एम॰बी॰ए॰ स्तर का 1973 में प्रारंभ कराया था, ललित नारायण मिश्र कॉलेज आफॅ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर और तत्पश्चात् ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्वीकृति से एम॰बी॰ए॰ पाठ्यक्रम प्रारंभ कराया। पिछले कुछ दशकों में मैनेजमेंट की शिक्षा-दीक्षा में आमूल परिवर्तन हुए हैं। कम्प्यूटर आधारित मैनेजमेंट शिक्षा इस शताब्दी की देन है। मैनेजमेंट में कम्प्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से समय तथा क्षेत्र की दूरी न्यून हो गई है और संपूर्ण विश्व आज एक हो गया है। मल्टीमीडिया वीडियो तकनीक आज मैनेजमेंट शिक्षा का अमोध अस्त्र है। कम्प्यूटर तकनीक का प्रयोग कम्पीटेन्सी मैपिंग में अधिक हो रहा है। प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में कम्प्यूटर टेकनोलॉजी का प्रभाग इंटरनेट के प्रचार-प्रसार से जोड़ा जा सकता है। इसके पाँच आयाम विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं :- (क) ज्ञान। (ख) दक्षता। (ग) रुचि। (घ) गुण। (ङ) प्रवृति। व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित निर्णयों में बहुर्राष्ट्रीय कंपनियाँ कम्प्यूटर टेकनोलोजी से अधिक लाभान्वित हैं। इस संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण सहायक हो रहा है।

20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अनेकानेक सकारात्मक और नकारात्मक विकासों के लिए रास्ते निर्मित किये हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि सकारात्मक विकास ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्त्तन की प्रक्रिया में ज्ञान, शक्ति

और निरंतरता पिरो दी, लेकिन साथ ही नकारात्मक विकास ने संकटपूर्ण समस्याएं भी उत्पन्न कर दीं, जिनसे वातावरण संबंध प्रदूषण, जल की अशुद्धता, सांस्कृतिक प्रदूषण, पारिवारिक बिखराव आदि के लिए भी मार्ग बना दिये गये। सही अर्थ में प्राकृतिक पर्यावरण इतना अधिक अस्थिर हो गया है कि नकारात्मक विकास समूह ने सकारात्मक विकास पर हावी होना शुरू कर दिया है। फलत: चीजों को पटरी पर लाने के लिए दृष्टिकोण-परिवर्त्तन की जरूरत हो जाती है। इसी पृष्ठभूमि में संसार भर के प्रबंधन-चिन्तकों ने प्रबंधन की धारणा और समझदारी दोनों में तुरत मौलिक परिवर्त्तन की अनुभूति कर ली। सम्मेलनों और सभाओं में प्रबंधन एक ठोस निर्णय के लिए विचार-विमर्श शुरू हो गये हैं और इसके लिए प्रबंधनों की पवित्र अवधारणा विश्वसनीयता अर्जित कर लेती है। विश्व के चारों ओर प्रबंधन-विद्यालय अपने-अपने पाठ्यक्रमों में ढांचागत परिवर्त्तन करना शुरू करते रहे हैं। ऐसे प्रबंधकों को विकसित करने के लिए जो सफलतापूर्वक तनाव का मुकाबला कर सकें। समान प्रकृति और मूल्यों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कैटेलिटिक भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। अगर विश्व के विभिन्न देशों में इस समान प्रकृति और मूल्यों की हो रही धारणा और बोधगम्यता की क्रिया की ओर अपनी-अपनी आँखें फेरें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने सांस्कृतिक प्रेरणा शक्ति को अलौकिक प्राथमिकता दे रखी है। अमेरिकावासियों द्वारा अपनी सांस्कृतिक प्रेरणा को सम्मुख रख अपेक्षित वजन कार्य संपादन में उत्कृष्टता को प्रदान किया जाता है; यूरोपवासियों द्वारा विश्वासपात्रता या भक्ति को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और एशिया में जापानवासियों द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है। हमलोग भारत के प्रसंग में भी एक शुरूआत पाते हैं; यहाँ मूल्य-प्रजनन-प्रक्रिया पर प्रकाश दिखता है।

सामने आती हुई प्रवृत्तियाँ और उभरते हुए विकास से यह ऐसे लोगों के स्वभाव और गुण सुनिश्चित होते हैं, सांगठनिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जैसे लोगों की हमें जरूरत होती है। दबाव की गहनता कॉरपोरेट प्रबंधकों की उत्कटता सुनिश्चित करती है, क्योंकि सामना करने वाली बहुपक्षीय समस्याएं और चुनौतियाँ उनके (प्रबंधकों के) लिए तेजाबी जाँच ही सिद्ध होती हैं। 21वीं सदी के प्रबंधकों को अधिक तात्त्विक क्षमता की जरूरत होती है और इसके लिए व्यवहारमूलक (आचरणमूलक) और पर्यावरणमूलक अध्ययनों,

जीवन-विज्ञान और मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, समान प्राकृतिक वैशिष्ट्य और मूल्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों की प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत, (की ओर) प्रबंधन के छात्रों को शिक्षण-प्रशिक्षण देते समय पड़ती है। आपदा प्रबंधन के लिए प्राथमिकता से ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि हम पाते हैं कि विश्व बहु-कोणीय प्राकृतिक और कृत्रिमता से निर्मित समस्याओं का सामना कर रहा है। एक ओर 'कॉरपोरेट' प्रबंधकों को विकास की गति को द्रुत से द्रुततर करने की जरूरत है, तो दूसरी ओर उन्हें मूल्य-अभियंत्रण की प्रक्रिया को सुदृढ़ता प्रदान करने की भी जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि नीति संबंधी निर्णयों से प्राकृतिक पर्यावरण निम्नगामी नहीं होने वाला है।

पेशापरक ज्ञान विकास का रास्ता दुरुस्त करता है और इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि प्रबंधकगण को विश्वस्तरीय पेशापरक उत्कृष्टता प्राप्त हो। प्रबंधकों की क्रियात्मक क्षमता में वृद्धि लाने के लिए व्यक्तिस्तरीय या निजी वचनबद्धता की जरूरत होती है। साथ ही उन्हें समान प्राकृतिक वैशिष्टयों और मूल्यों में वृद्धि लाने की निजी वचनबद्धता की भी जरूरत सकारात्मक विकासों को प्रोन्नत करने के लिए होती है। व्यापारिक और गैर-व्यापारिक दोनों ही संगठनों को अंतर्दृष्टि और उद्देश्य को इसलिये परिवर्त्तित करना ही है, ताकि औद्योगिक क्षेत्र के आमूल परिवर्त्तन के लाभ सामाजिक आमूल परिवर्त्तन की प्रक्रिया को क्रियाशील करने में कुंजी की सी भूमिका का निर्वहन कर सकें। कॉरपोरेट क्षेत्र विलम्ब से ही सही, भारत के संदर्भ में भी लोकप्रियता हासिल करता आ रहा है। औद्योगिक आमूल परिवर्त्तन की प्रक्रिया को द्रुत तो किया गया है, लेकिन औद्योगिक विकास के फायदे मुश्किल से समाज के कमजोर वर्गों द्वारा संचित किये जा सके हैं। पिछड़ापन विशाल सागर के चारों ओर समृद्ध लघु द्वीपों का विकास हमारे महान् उदिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए कदापि नहीं है। यह इसे औचित्यपूर्ण करता है कि लाभदायी और गैर-लाभदायी संगठन और सरकार के विभाग मिलकर अपनी नीतियाँ विनिर्मित करें अपने कार्यक्रम निर्धारित करें- इन उभरते विकासों और आ रही प्रवृत्तियों के सामने। उन्हें प्रबंधन की पवित्रतामूलक अवधारणा को व्यवहार में उतारना है, ताकि मूल्य-अभियंत्रण तीव्र से तीव्र गति को प्राप्त करे। हमें 'कॉरपोरेट' संस्कृति को ऐसे रूप में विकसित-प्रोन्नत करने की जरूरत है जिससे सांगठनिक और

सामाजिक हितों का एक न्यायसंगत समन्वय संभव हो सके या न्यायसंगत तारतम्य हो सके। गैर-सरकारी संगठनों को खासकर सामाजिक आमूल परिवर्त्तन की प्रक्रिया में कुंजी की-सी भूमिका निभाने की जरूरत है। श्रम-संगठनों की कार्य-संस्कृति को विकसित करना होगा, क्योंकि प्रचलित ढांचों और दृष्टिकोणों के साथ वाली 'कॉरपोरेट' संस्कृति से प्रत्याशा हम कर ही नहीं सकते हैं। धार्मिक संगठनों को प्रबंधन के सिद्धांतों की अवधारणा इसलिये बनाने की जरूरत है कि सामाजिक हितों का संरक्षण वे कर सकें। लगभग सभी कार्य-क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक उद्धार की प्रक्रिया के साथ, गहरे प्रौद्योगिक ज्ञान को सूत्रबद्ध करना है। आविष्कार और नवीकरण को उच्च प्राथमिकता की आवश्यकता है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण अनेक-अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में यह सार्थक है कि सभी संगठन क्रियामूलक क्षमता में शीघ्रातिशीघ्र अभिवृद्धि के रास्ते तैयार कर लें। अन्यथा कार्य-संस्कृति को समुन्नति सहित विकसित किया ही नहीं जा सकता है। ''सफल प्रतियोगी बनो या विनष्ट हो जाओ'' ही 21वीं सदी का नारा है।

विगत वर्षों में हमारे देश में प्रबंधन शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हुआ है। इन वर्षों में प्रबंधन शिक्षा के द्रुत विकास के क्रम में यदा-कदा गुणवत्ता और स्तरीयता की अल्पता उत्पन्न हुई जिस कारण से मानव संसाधन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रासंगिकता ऐसे महत्वपूर्ण तत्त्व हैं, जिनके माध्यम से समाज प्रबंधन शिक्षा की कामयाबी को मापता है। यू॰जी॰सी॰ के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि लगभग सभी सूचकों पर यथा निकाय के स्तर, पुस्तकालीय सुविधाएं, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, शिक्षक-छात्र का अनुपात आदि-प्रबंधन शिक्षा को यथाशीघ्र समुन्नत करना अत्यावश्यक है। आज यह जबरदस्त भावना हो गयी है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रबंधन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की कुशलता जॉब मार्केट की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती हैं। ये प्राप्त शिक्षा (डिग्री) के अनुपात में कर्त्तव्य पर खरे नहीं उतरते हैं। एक ओर तो हम शिक्षित बेरोजगारों की इतनी बड़ी संख्या नहीं चाहते और दूसरी ओर हमारे पास जो कार्य (जॉब) हैं उनके लिए अनुकूल उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। हमारे जैसे विकासशील देश में नियोजन की दृष्टि से अयोग्य प्रबंधन स्नातक बेकारी की समस्या से भी बड़ी समस्या प्रस्तुत कर देते हैं। आज के स्पर्धा भरे वातावरण की मांग है प्रबंधन

शिक्षा की उत्कृष्टतर गुणवत्ता/ राष्ट्रीय एवं विश्व-बाजार में केवल वे ही संस्थाएं प्रतियोगिता में आने की स्थिति में होंगी जो निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। यह कहा जाता है कि गुणवत्ता नागरिकों की गुणवत्ता पर आश्रित होती है। और, नागरिकों की गुणवत्ता उनकी शिक्षा पर निर्भर करती है। ये बातें प्रबंधन शिक्षा के मामले में खासतौर से सच्ची पायी जाती हैं। राष्ट्रीय एवं विश्व बाजार की प्रतियोगिता में सफल होने के लिए यह अनिवार्य है कि हमारे प्रबंधन उच्च शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता का सम्वर्द्धन किया जाय।

प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्द्धित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थानों को वृहत् धनराशि की जरूरत होती है। शैक्षिक और भौतिक आधारभूत संरचना यथा कक्षाओं और प्रयोगशालाओं, पुस्तक भंडार को अद्यतन करना, पुस्तकालय में पत्रिका, संदर्भ सामग्री और शिक्षकों-शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन-भुगतान आदि की गुणवत्ता संवर्द्धित करने के लिए हमें धनराशि की जरूरत है। हमें धनराशि तबतक नहीं प्राप्त होगी, जबतक हम विश्वविद्यालय, सरकार एवं अन्य स्रोतों द्वारा किये गये व्यय की उपयोगिता उच्चस्तरीय गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप नहीं सिद्ध करते हैं। एक ऐसे तंत्र को विकसित करना ही है, जो प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर आकलित और संधारित करता रहे।

किसी भी राष्ट्र के लिए यह हितकर नहीं होगा कि प्रबंधन शिक्षा के विस्तार को उपेक्षित किया जाय। लेकिन तकनीकी विकास के इस युग में गुणवत्ताविहीन प्रबंधन शिक्षा मजाक बनकर रह जाती है। सबों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा राष्ट्र के समक्ष एक साहसिक कार्यभार है। संविधान के प्राक्कथन में और मौलिक अधिकारों से संबद्ध भाग में ही अंकित है कि समानतापूर्वक जीने का अधिकार और सामाजिक न्याय के साथ जीने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। यह अधिकार इस अधिकार की पूरी गारंटी है और इसका उच्च से उच्च अर्थ है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस अधिकार की आधिकारिक व्याख्या की गई है; जिसका अर्थ है-सम्मान और समानतापूर्ण जीवन स्तर और अवसर जो जीने के अधिकार से संबंधित है। विशिष्ट शिक्षा से ही किसी राष्ट्र को अच्छे इंजीनियर, प्रबंधक, डाक्टर, व्यवसायी, अधिवक्ता, लेखा विशेषज्ञ, आचार्य (प्रोफेसर) तथा सभी क्षेत्रों से संबंधित कुशल तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

अत: निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा को विकसित करने में व्यय की धनराशि अनुत्पादक निवेश नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक रूप में एक उत्पादक निवेश है।

विश्व के स्तर पर आर्थिक एकीकरण ने उद्योगों के समायोजन और संचालन में क्रान्ति ला दी। उद्योग अब राष्ट्र की सीमा से बंधे उपक्रम नहीं रह गये हैं। पूरा विश्व अब मुक्त औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। तकनीकी प्रगति के कारण संपर्क और यातायात की बाधाएं लुप्त हो चुकी हैं। यह पूरी तरह संभव है कि एक उत्पाद (उद्योग) के लिए पूंजी एक देश की हो, डिजाइन किसी दूसरे देश का, कच्चा माल कहीं और से आये, फैक्ट्री कहीं और लगे, माल की खपत के लिए बाजार कहीं और हो और आयोजन के इस स्वरूप में कामगार तो दुनिया भर के होंगे ही। इस तरह नई दुनिया आर्थिक रूप से पूरी तरह समेकित और अन्योन्याश्रित हो चुकी है। इसके दो प्रमुख परिणाम सामने हैं। पहला परिणाम तो यह है कि विश्व में कुछ नये 'प्रवाह' उभरे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सीमाएं नहीं बांध पा रही हैं, और जिनके रुकने या पलटने की कोई संभावना नहीं है। ये बहाव पूंजी के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, भारी संख्या में लोगों के हैं। एक ओर तो वे लोग जो बहुत ऊँची शिक्षा प्राप्त हैं, उच्चस्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ हैं, कुशल प्रबंधक हैं, और दूसरी ओर बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो केवल थोड़े पढ़े-लिखे हैं, पर संपन्न देशों में छोटे एवं घरेलू काम करने के लिए जिनकी बड़ी माँग है।

आर्थिक एकीकरण ने जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है। टेक्नोलॉजी और आर्थिक शक्तियों के अनिरुद्ध अश्वमेघ अभियान में विश्व के हर कोने में जीवन का पारंपरिक ढाँचा टूटा है और सदियों की जीवनशैली में बदलाव की लहरें उठी हैं। इस बदलाव की विशेषता यह है कि अधिकांश लोग यह समझने में अक्षम हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है और इसके पीछे कौन-सी कारक शक्तियाँ काम कर रही हैं। आर्थिक एकीकरण के परिणाम और प्रभाव को हम भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से कई स्तरों पर देख सकते हैं- विश्व के स्तर पर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक और स्थानिक स्तर पर। सभी जगह यह प्रभाव खुलकर सामने आ रहा है। इसी क्रम में एक नई घटना का जन्म हो रहा है-कोई व्यक्ति, ग्रुप, समुदाय या उद्योग अपनी स्थानिक परिस्थितियों के अनुसार उद्यमरत होता है पर उसकी सोच

विश्व के संदर्भ में होती है। इनमें स्थानिक साधनों से बने उत्पादों या विशिष्ट सेवाओं को अपने सीमित क्षेत्र से बहुत आगे जाकर विश्व-स्तर पर मुहैया कराने की सोच होती है- उत्पाद या सेवाएं हमारी, पर उसका बाजार विश्व भर में। इंटरनेट ने व्यक्ति की पहुँच को बहुत बढ़ा दिया है। आज के उद्यमी की दृष्टि विश्व-ग्राहकों की आवश्यकता और उनकी अभिरूचि पर रहती है और वह यह नहीं भूलता कि वह एक घोर प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में जा रहा है। अपनी जगह पर रहते हुए भी आर्थिक गतिविधियों का संचालन विश्व की आवश्यकता के अनुसार ढालने की इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है- 'ग्लोबलाइजेशन', जिसमें 'ग्लोबल' और 'लोकल' दोनों का कल्पनाशील मेल हुआ है। वैश्वीकरण में वित्त, मुद्रा, व्यापार, रोजगारों के अवसर और उनकी प्रकृति, सामाजिक संरचना, जीवन शैलियाँ, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का स्वरूप आदि सभी क्षेत्रों में हुई अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल प्रगति की भारी भूमिका रही है। वास्तव में सभी क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी अप्रत्याशित वेग से आगे बढ़े हैं, चाहे वह जीवन, स्वास्थ्य और औषधि विज्ञान हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, प्रकृति में न पाये जाने वाले परम उपयोगी पदार्थों का विकास हो, रोबोट का विकास हो या सूक्ष्म और विशाल संयंत्रों का विकास हो। इनके लिए अत्यंत उच्च स्तर के ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है। गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा की जरूरत है। भारत की आजादी के बाद यहां की हर सरकार घोषित रूप से ही सही शिक्षा के प्रसार की दिशा में कई योजनाएं बनाती रही है। हालांकि इस बात पर हमेशा सवाल उठता रहा है कि इन योजनाओं के अमल में कितनी ईमानदारी बरती जाती है। लेकिन इस बात को स्वीकार करने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि प्रबंधन शिक्षा का प्रसार हुआ है। पर अपेक्षित और आवश्यक प्रसार प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पाया है। इस अवसर पर यह कहना बड़ा ही समीचीन होगा कि एक दृष्टिकोण है कि प्रबंधन शिक्षा संख्या की दृष्टि से गुणवत्ता की कीमत पर बहुत विस्तृत हुई है और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता क्रमशः अधोगति प्राप्त करती रही है। लोग अभी भी महसूस करते हैं कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा तक पहुँच या इसका अधिकाधिक विस्तार अभी भी एक प्राथमिकता है। शिक्षा में शिक्षक उन चुनौतियों को देखते हैं जो इस अंतर्द्वन्द्व से उत्पन्न हुई हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए यह हितकर नहीं होगा कि प्रबंधन शिक्षा एवं तकनीक के विस्तार

को उपेक्षित किया जाय। लेकिन तकनीकी विकास के इस युग में गुणवत्ताविहीन प्रबंधन शिक्षा मजाक बनकर रह जाती है। सबों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा राष्ट्र के समक्ष एक साहसिक कार्यभार है।

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा हासिल करें। इससे उनके लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आधुनिक औद्योगिक जगत् में प्रबंधक एक बहुत ही जटिल और तेजी से बदलते हुए वातावरण में कार्य-संपादन कर रहे हैं। वे पहिया में सिर्फ जड़वत नहीं बन सकते, क्योंकि उनका मौलिक कार्य एक वह मार्ग बनाना है, जो 'इनपुट्स' से भी अधिक लाभदायक हो सकता है। अनेक वाह्य और आंतरिक बलों, जैसे स्पर्धात्मक बाजार, औद्योगिकी गत्यात्मकता, संगठन-शक्याँ और सत्ताधारियों, अधिकारियों, सामाजिक स्थिति और दायित्व तथा भौतिक और सामाजिक वातावरण में हो रहे नियम विरुद्ध परिवर्त्तनों के साथ अंदरूनी संबंध या सामंजस्य स्थापित करने के कार्य भी प्रबंधक के ही हैं। ये बल प्रबंधक की प्रभावोत्पादकता पर बम से आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन सबसे चुनौती देने वाला बल यह है कि सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य बहुत ही तीव्र गति से बदल रहे हैं। आधुनिक मान्यताओं पर आधारित उभरते हुए नये सामाजिक मूल्यों की मांग एक ओर जहाँ समानता की संवेदना है, तो दूसरी ओर कानून के नियम का अनुपालन है। अक्षमताओं और अनुशासनहीनता के प्रति उदासीन दृष्टिकोण सामाजिक भावनाओं तथा कुछ करके फुर्सत पा लेने की सामान्य भावना से द्विगुणित या युक्त होकर सभी स्तरों पर ऐसे घुलमिल कर फैल गया है कि इसने (इस दृष्टिकोण ने) प्रबंधकपरक प्रभावोत्पादकता को विकसित संवर्द्धित करने की समस्या को और भी अधिक जटिल बना दिया है। पिछले दो दशकों में प्रबंधकीय समस्याएं जटिलता के अंकों और अंशों के संदर्भ में कई गुणा बढ़ गयी हैं। अधिकाधिक संगठन इन समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद अध्यापन या शिक्षण के औजारों और कौशलों को निष्प्रभावी पा रहे हैं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का वातावरण बहुसंख्यक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिये यह सार्थक है कि सभी संगठन क्रियात्मक क्षमता स्तर में त्वरित विकास के लिए रास्ते बनाएं, अन्यथा कार्य-संस्कृति समुन्नत नहीं की जा सकती है। 21वीं सदी का यह एक नारा है- 'सफलता हासिल करो या मरो'।

प्रबंधन शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के जरिये रोजगार क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा तंत्र में ज्यादा स्वायत्तता, स्वतंत्रता और लचीलेपन की जरूरत है। प्रबंधन शिक्षा सृजनात्मक, उपयोगी, असरदार और प्रासंगिक होनी चाहिये। वास्तव में, हमें जिन इंजीनियरों, प्रबंधकों एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोगों की दरकार है वह नयी विधाओं में है और हम अपनी आवश्यकतानुसार इंजीनियर, प्रबंधक एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि राज्य में समुचित सुविधायें और संस्थायें पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये बड़ी संख्या में प्रखर बुद्धि युवा विभिन्न विधाओं, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरी एवं प्रबंधन शिक्षा राज्य के बाहर में प्राप्त करते हैं। वे प्रमुखत: बंगलौर, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जाते हैं और अधिकतकर वापस न लौटकर अन्यत्र रोजगार ढूंढ़ लेते हैं। जहांतक प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निजी संस्थानों की बहुतायत की बात है, आवश्यक है कि उनके ऊपर पाठ्यक्रम स्तर और श्रेणीकरण पर सामान्य नियंत्रण हो।

भारत में वर्तमान उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। व्यापारी, उद्योगपति घराने केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। वह राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व भूल चुके हैं और सामाजिक सरोकारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। उदारवादी नीतियों के चलते पूरा देश एक बाजार बन चुका है। फायदा, कॉरपोरेट जगत, निजी व्यापारी, उद्योगपति, बिल्डर उठा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से इन नीतियों से वे अधिकतम लाभान्वित हुए हैं। यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि देश के 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो 20 रुपये प्रतिदिन पर जीवन-बसर करते हैं। आर्थिक सुधार और उदारीकरण से केवल 24 करोड़ लाभान्वित हुए हैं। आर्थिक वृद्धि दर के जरिए विकास की जो तस्वीर गढ़ी जा रही है उसमें देश के 80 करोड़ नागरिक अपने को कहाँ पाते हैं यह एक अबूझ पहेली है। जिन 24 करोड़ नागरिकों के लिए भारत के भीतर एक अलग विकसित समाज बनाने का जो ताना-बाना बुना जा रहा है, सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को करों में बीते 3 वर्षों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की छूट दे दी। यानी वह न चुकाये और इसी तरह उत्पाद शुल्क में 4 लाख 23 हजार 2 सौ 94 करोड़ और सीमा शुल्क में 6 लाख 21 हजार 8 सौ 90 करोड़ की छूट दे दी। इसे कॉरपोरेट को मिलने वाली सब्सिडी भी कह सकते हैं। तो कौन-सा भारत किस आर्थिक सुधार के जरिए खड़ा हो रहा है?

किसी भी राष्ट्र के लिए यह हितकर नहीं होगा कि प्रबंधन शिक्षा के विस्तार को उपेक्षित किया जाय, लेकिन तकनीकी विकास के इस युग में गुणवत्ताविहीन प्रबंधन शिक्षा मजाक बनकर रह जाती है। सबों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा राष्ट्र के समक्ष एक साहसिक कार्यभार है। संविधान के प्राक्कथन में और मौलिक अधिकारों से संबद्ध भाग में ही अंकित है कि समानतापूर्वक जीने का अधिकार और सामाजिक न्याय के साथ जीने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। यह अधिकार इस अधिकार की पूरी गारंटी है और इसका उच्च से उच्च अर्थ है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस अधिकार की आधिकारिक व्याख्या की गई है; जिसका अर्थ है-सम्मान और समानतापूर्ण जीवन स्तर और अवसर जो जीने के अधिकार से संबंधित है। विशिष्ट शिक्षा से ही किसी राष्ट्र को अच्छे इंजीनियर, प्रबंधक, डाक्टर, व्यवसायी, अधिवक्ता, लेखा विशेषज्ञ, आचार्य (प्रोफेसर) तथा सभी क्षेत्रों से संबंधित कुशल तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

बिहार सरकार संशोधनों के लिए सक्षम है क्योंकि शिक्षा समवर्त्ती सूची में है। बाजपेयी सरकार द्वारा संविधान संशोधन करने के बावजूद संविधान के राज्य निदेशक तत्व के अन्तर्गत अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा 66 वर्ष बीतने के बाद भी संविधान के अन्तर्गत दिये गये निदेश का अनुपालन भारत में नही हो पाना लोकतंत्र को कलंकित करना साबित हो रहा हैं।

❐

वृद्धों की देख-भाल के संबंध में

पिछले कुछ दशकों से वृद्ध व्यक्तियों की संख्या विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में बढ़ रही है। वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या की इस विश्व संबंधी घटना का भारत निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की आबादी 1901 में 5.05 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 6.54 प्रतिशत हो गयी है और अब यह 7.5 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। भारत की कुल आबादी में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या काफी है। इसलिए आबादी के इस दरकिनार और संवेदनशील वर्ग की ओर अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ने वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रयास किये हैं। परन्तु इन प्रयासों और इनके लाभों के अधिक से अधिक उपयोग के बारे में अभी भी स्पष्ट रूप से जागरूकता की कमी है।

देश में वृद्धों की तेजी से बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने अथवा उनकी प्रभावशीलता को कम करने के पुनीत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रयास करने एवं ठोस कदम उठाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। यद्यपि सरकार द्वारा वृद्धों की आवश्यकताओं एवं सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाएं एवं उन्हें कुछ विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है लेकिन वृद्धों की संख्या और आवश्यकताओं के अनुपात में यह प्रावधान एवं व्यवस्थाएं समुचित प्रतीत नहीं होते। इस दिशा में और अधिक विस्तृत और

सार्थक प्रयास और व्यवस्थाएं किये जाने की आवश्यकता है, जिनके लिए निम्नांकित सुझावों पर गौर किया जाना उपयोगी हो सकता है:- **(1)** भारत में भी पश्चिमी देशों की भांति वृद्धाश्रमों की स्थापना वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक हो गयी है। प्राचीन भारत में चूंकि संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी और परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ही परिवार के मुखिया की भूमिका निभाता था और परिवार के मुखिया के रूप में वह सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्ति होता था, अत: उसे वर्तमान समय जैसी सामाजिक-पारिवारिक उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है कि हम अधिक से अधिक संख्या में वृद्धाश्रमों की स्थापना करके वृद्धों के एकाकीपन को कम करने और वहाँ उन्हें घर जैसा माहौल प्रदान करने में उनकी सहायता करें। यद्यपि वर्तमान में इस प्रकार के चार वृद्धाश्रम दिल्ली में स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 'संध्या' नामक एक सरकारी वृद्धाश्रम है। इसके अतिरिक्त आनन्द निकेतन आश्रम, हैल्थ-एज इण्डिया, एज-केयर इण्डिया, सामाजिक सेवा संगठनों द्वारा संचालित किये गये हैं। इसी तरह के आश्रमों को देश के प्रत्येक भाग में विशेष रूप से छोटे-बड़े सभी शहरों में अतिशीघ्र स्थापित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। **(2)** वर्तमान में सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना'' के माध्यम से कुछ वृद्धों को निर्धारित शर्तों के अधीन 125 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था की गयी है, जिसे न तो वर्तमान महंगाई संदर्भों में पर्याप्त ही कहा जा सकता है और न ही इस योजना के अंतर्गत शामिल लोगों की संख्या की दृष्टि से। अत: आवश्यक है कि इसमें वर्तमान भरण-पोषण के स्तर को देखते हुए पेंशन की राशि में वृद्धि की जाय और इसमें निरंतर रूप से महंगाई के अनुरूप वृद्धि करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक वृद्धों को इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए इसके लिए निर्धारित पात्रता में संशोधन कर इसके आधार को व्यापक बनाने के लिए व्यवस्था की जाय। **(3)** वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के कुछ मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में, यद्यपि वृद्ध लोगों के लिए अलग विभाग स्थापित हैं लेकिन, आवश्यक हो गया है कि अब सभी मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल संस्थानों एवं जिला चिकित्सालयों

में वृद्ध लोगों के लिए अलग विभाग स्थापित किये जाएं, जिनमें विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं वरीयता के आधार पर उपलब्ध होनी चाहिये तथा प्रत्येक स्तर के संस्थानों, चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्हें पूर्णतया नि:शुल्क परामर्श और दवाइयाँ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। **(4)** वर्ष 2001 में अन्नपूर्णा योजना का नाम से निराश्रित वृद्धों के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना में भी बहुत कम लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का आधार व्यापक करने तथा सुविधाओं को स्तर बढ़ाये जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ताकि वास्तविक अर्थों में वृद्ध लोगों को लाभान्वित किया जाना संभव हो सके। **(5)** देश में 73वें संविधान संशोधन के पारित हो जाने के बाद यद्यपि त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से इन लोगों लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए किये गये हैं, लेकिन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में पंचायतों को अपने दायित्वों के भली-भांति निर्वहन के लिए पर्याप्त अनुश्रवण और यथा संभव प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है, ताकि आवश्यक व्यवस्थाएं समुचित रूप में करना संभव हो सके। **(6)** देश के विभिन्न भागों में वृद्धों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में इन संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के लोगों की सेवा-सुरक्षा करने की परंपरा रही है और वर्तमान में इस क्षेत्र में कई संगठन बहुंत उत्तम कोटि की सेवाएं प्रदान भी कर रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन संगठनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता आदि देकर प्रोत्साहित किया जाय और नये-नये संगठनों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाय। **(7)** साधनविहीन वृद्धों के लिए, यद्यपि सरकार द्वारा चुने हुए शहरों में नि:शुल्क आवास की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं, लेकिन उन्हें वृद्धों की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। अत: आवश्यकता इस बात की है कि आवश्यकता महसूस करने वाले सभी वृद्धों के लिए समुचित प्रकार की नि:शुल्क आवासीय व्यवस्था की सुविधाएं सभी क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जाएं और इन सुविधाओं का यथासंभव विस्तार किया जाय।

(8) वृद्धों को रेलों तथा सरकारी बसों में यात्रा करने के लिए यद्यपि सरकार ने रेल और बसों के किराये में छूट की व्यवस्था की है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की छूट की व्यवस्था सभी प्रकार के यातायात के साधनों यथा बस, टैक्सी, वायुयान आदि में भी प्रदत्त किये जाने की आवश्यकता है, जिससे ये लोग आवश्यकतानुसार अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों आदि से मिलने अथवा पर्यटन के लिए सुविधाजनक रूप से आ-जा सकें। (9) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था करके उत्तम परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। हमारी संस्कृति रही है कि बुजुर्गों को हम समुचित मान-सम्मान और प्रतिष्ठा देकर तथा उनका समुचित पालन-पोषण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। अपनी इस प्रकार की अद्‌भुत संस्कृति को विशेषकर अपने नवयुवकों और नवयुवतियों में प्रसारित करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए प्रचार माध्यमों को भरपूर उपयोग करना बहुत उपयोगी होगा। (10) बुजुर्गों के उचित संरक्षण के लिए सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के साथ-साथ बुजुर्गों को निजी स्तर पर भी प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये और यह समय का तकाजा भी है। बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक परिवेश में हर व्यक्ति को बुजुर्ग होने की कटु सच्चाई का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर तो तैयार रहना ही चाहिये और साथ ही बुजुर्ग होने की अवस्था में अपना सम्बल स्वयं होने के लिए तत्पर होना चाहिये न कि दूसरों की सहायता पर निर्भर होना। (11) देश में वृद्ध लोगों की देखभाल और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तथा एडॉप्शन एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट में जो सरकार द्वारा हाल ही में प्रावधान किये हैं, उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के प्रावधानों को और अधिक विस्तृत किये जाने की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी कोशिश की जानी चाहिये कि इन कानूनों के बारे में लोगों को समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाय, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग कर सकें। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता तथा अधिकार पाने के लिए त्वरित न्याय की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। (12) सामान्यतया वृद्धावस्था में कुछ बीमारियों के लग जाने के कारण वृद्धों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उन्हें

सामान्य जिन्दगी जीने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस अवस्था में सांस से सम्बन्धित बीमारियाँ शारीरिक कमजोरी, विभिन्न अंगों एवं जोड़ों में दर्द एवं देखने में कमी आदि बीमारियाँ सामान्यतया अधिकांश वृद्धों में उत्पन्न हो जाती हैं और इस अवस्था में उनकी आय में कमी हो जाने, परिवारजनों द्वारा उनकी समुचित सहायता न किये जाने आदि के कारण सामान्य सी बीमारियों का भी इलाज संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए जुलाई, 2003 से यद्यपि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारी सहयोग से संचालित की गयी है, लेकिन इसको अधिक व्यापक और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि सभी जरूरतमंद वृद्ध लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना संभव हो सके। **(13)** सरकारी क्षेत्रों एवं संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था की समस्याओं से जूझने के लिए यद्यपि पेंशन स्कीमें लागू हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इन स्कीमों में कुल रकम क्षेत्र के केवल 10 प्रतिशत लोग ही लाभान्वित होते हैं। हालांकि कुल श्रमिकों में से इन 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बुढ़ापे में भरण-पोषण के लिए जनवरी, 2004 में असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से एक विशेष पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गयी है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर इससे जरूरतमंद वृद्ध लोगों को अधिक फायदा मिलने की संभावना नहीं लगती। आवश्यकता इस बात की है कि सभी जरूरतमंद लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो इसीलिए विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से विशेष पेंशन स्कीमें लागू की जाएं ताकि वृद्धावस्था में ये लोग केवल अपने परिवारजनों अथवा सरकार के ऊपर ही निर्भर नहीं रहें। **(14)** वृद्धों के लिए सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा, आय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यदि कुछ विशिष्ट वर्गों पर अतिरिक्त कराधन करना पड़े तो ऐसा किया जाना भी श्रेयस्कर होगा। वृद्धों की देखभाल के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की दृष्टि से युवाओं पर टैक्स लगाकर सरकार को उनकी सहायता के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने पर भी विचार करना चाहिये।

अत: मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान यह संकल्प लेता है कि:- **(1)** बच्चे-बूढ़े सभी को उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए समर्थ बनाना जो

जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक और संरचना संबंधी बदलावों के कारण उनके सामने खड़ी हो रही हैं। **(2)** तरुण और धन अर्जित करने की उम्र से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ जोड़ने के लिए तैयार करना। **(3)** परिवार या संयुक्त परिवार व्यवस्था को मजबूत करना, ताकि वृद्धावस्था के लिए आदर की भावना को नई प्रेरणा मिल सके। **(4)** सभी वृद्ध लोगों को बेहतर देखभाल सुविधाएँ मुहैया करना। **(5)** उचित संरक्षण, और कानूनी अधिकार देना। **(6)** प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को आत्म-निर्भर बनाने और सामाजिक रूप से उपयोगी स्वावलम्बी जीवन बिताने योग्य बनाना, वृद्ध लोगों के संघों के संगठन को मजबूत बनाना। इसके अलावा, पर्याप्त सहायता तंत्र जैसे सामूहिक आवास, गृह, दिवसीय देखभाल केन्द्र आदि की व्यवस्था करने के लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि करना।

❐

गरीबी ही अवसरों के असमान वितरण का कारण

राजनीतिक दलों को गरीबी के विरुद्ध संघर्ष को सद्भाव के रूप में न देखकर दायित्व के रूप में देखना होगा। मूलभूत मानव अधिकार–जीने का समुचित स्तर, भोजन और अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या उचित कार्य के अवसर या भेदभाव से मुक्ति के अधिकार ही देश के सबसे गरीब लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। फिर भी समाज में उनकी कमजोर स्थिति के कारण वे ऐसे ''सार्वभौम'' अधिकारों का उपभोग और रक्षा करने में सबसे पीछे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जहाँ कहीं और जब कभी कोई पुरुष, महिला या बच्चा दरिद्रता में जीता है, तो मानव अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। यदि हमें मानव अधिकारों के प्रति गंभीर होना है तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम वास्तव में वचन के प्रति चिंतित है। **हमें गरीबी, ''गरीबी के विरुद्ध संघर्ष को सद्भाव के रूप में न देखकर दायित्व के रूप में देखना होगा।''** ''गरीबों को मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे नैतिक दायित्व हमें क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही अन्य लाभ भी होते हैं। चूंकि मानव अधिकार के मानक, व्यक्ति विशेष के सशक्तीकरण पर बल देते हैं, इसलिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण गरीबों को सशक्त और सक्षम करने में सहायता कर सकते हैं।'' आज विकास, सुरक्षा और मानव अधिकारों का चोली दामन का साथ हैं, इनमें से कोई एक, अन्य दो के बिना ज्यादा सफल नही हो सकता। वास्तव में मानव अधिकार की पुरजोर वकालत करने वाला यदि मान सुरक्षा और मानव विकास या प्रतिक्रमात के लिए कुछ नहीं करता तो वह अपनी विश्वसनीयता और अपने ध्येय को ही कमजोर कर रहा है।

दुर्भाग्य से अपने देश में खलबली, असंतोष और उग्रवाद के मौलिक कारणों का गंभीर अध्ययन कभी नहीं किया गया है और न तो भारत में इसे प्रशासनिक या शैक्षिक परिसंवादों का विषय ही बनाया गया है। अवसरपरक कमरतोड़ प्रत्युत्तर के अतिरिक्त कोई सुदृढ़ प्रशासनिक और विकासमूलक कार्य नहीं किया गया या इन कारणों को समाप्त करने या जनता के असंतोष को कम करने संबंधी कार्य भी नहीं किया गया। हाल के समय में आमलोगों में हुए व्यापक असंतोष ने भारतीय समाज को अति रूग्ण कर दिया है। इसने बहुत खलबली पैदा कर दी है, जो हिंसा का रूप ले रही है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि देश में आदिवासियों, दलितों और अत्यंत गरीब को विकास की मुख्य धारा में सहभागी या सहयात्री नहीं बनाये जाने के कारण ही माओवादी और नक्सलवादी हिंसात्मक घटनाओं को स्थानीय स्तर पर जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। वे देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। नक्सलवादी और माओवादी विचार धारा का अतिगरीब जनजाति, अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य अत्यंत गरीब वर्गों में निरंतर प्रभाव पिछले वर्षों में लगातार विस्तारित होता जा रहा है। भारतीय संविधान में इन कमजोर वर्गों के संरक्षण के अनेक प्रावधान हैं। फिर भी इन कमजोर वर्गों का उत्पीड़न जारी है। इसे मुद्दा बनाकर ही नक्सली और माओवादी लोकतंत्र को इन वर्गों के बीच निरर्थक बताते हुए राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन का विचार प्रसारित करते हैं। राजनीतिक दलों को ज्यादे जिम्मेदारी के साथ लोकतांत्रिक पारदर्शिता बनानी होगी जिससे आम आदमी की सीधी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। संवैधानिक प्रावधानों एवं तमाम समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद दलितों एवं अत्यंत गरीब की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ।

गरीबों को इतना सजग बनाने की जरूरत है कि कोई उनका शोषण न कर सके। गरीबों के अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हम उन्हें अपने अधिकारों और दायित्व के बारे में जागरूक करें। मानव अधिकारों के प्रति बुनियादी जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में विकास का लाभ सभी लोगों को न्यायपूर्ण ढंग से मिल सके। गरिमा मानव अधिकारों के लिए अनिवार्य है और यह वह मूल आधार है जिस पर मानव अधिकार टिके हैं। मानव अधिकारों का सीधा

सम्बन्ध मानव विकास से है। इसीलिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता राष्ट्रीय असमानताओं के उन्मूलन की मांग करती है। देश में गरीबी का निरंतर बने रहना न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसरों के असमान वितरण बल्कि मानव अधिकारों के उल्लंघन को भी दर्शाता है। इस प्रकार मानव अधिकारों का उल्लंघन गरीबी का कारण और परिणाम है। गरीबी निवारण केवल विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों के लिए एक प्रमुख चुनौती है। मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पित प्रयास पर बल दिया जाए। मानव गरिमा और सामाजिक न्याय के प्रति सम्मान का वातावरण देश में पैदा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। समाज के सभी वर्गों में सभी स्तरों पर मानव अधिकार संस्कृति पैदा करने और उसे बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है और इसके लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे बल्कि इसके लिए कार्य करना होगा और सतत् व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।

भारत ने जबसे नवउदारवादी नीतियों को अपनाया है तबसे अरबपतियों की संख्या और उनकी दौलत में तो नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई ही है, लेकिन मानव आबादी के सबसे निचले हिस्से की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिणाम यह हुआ कि विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती चली गई। भारत का सच यह है कि यहाँ लगभग आधे या आधे से अधिक लोग गरीबी में बसर कर रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की लगभग 41.6 प्रतिशत आबादी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। 1990 से देश में असमानता के स्तर में भी भारी वृद्धि हो रही है। वित्तीय परिसंपत्तियों का स्वामित्व सीमित हाथों में केन्द्रित है। प्रायः समस्त वित्तीय संपदा जनसंख्या के 1 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास निहित है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसाधन के वितरण में असमानता, अवसरों की असमानता में बदल जाती है, जो भारत की आर्थिक नीति के घोषित लक्ष्य-समावेशी विकास को ही नकार देती है। वर्तमान नीतियों के कारण ही देश में करोड़पतियों की संपदा दिन दूनी-रात चौगुनी बढ़ रही है। भारत में करोड़पतियों की संख्या में 22.2 फीसद का इजाफा हुआ है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भी कहा है कि भारत ने पिछले 15 वर्षों में अरबपतियों की संपदा में 12 गुणा वृद्धि हुई है। यह अंतर्विरोध दर्शाता है कि देश में विकास

की गति असंतुलित है। महज आंकड़ों की बाजीगरी से गरीबी मिटाने का सपना साकार नहीं होने वाला है। यह तो एक सामान्य तस्वीर है जो विषमता की रूपरेखा पेश करती है। लेकिन असल सवाल यह नहीं है बल्कि यह है कि ये गरीब लोकतंत्र के उस ढांचे में किस तरह से फिट बैठ पाएंगे जो अपनी जीविका चलाने में ही असमर्थ हों। क्या कोई ऐसा फार्मूला बनेगा, जिससे लोकतंत्र की सहभागिता में अमीरी या गरीबी अवरोधक न बने? यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर देश की कम से कम आधी आबादी लोकतंत्र के अर्थ और उसके महत्व को समझने में हमेशा ही असमर्थ रहेगी।

असमानता एक भयंकर रोग है जो भारत में हर तरफ अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लैंगिक एवं राजनीतिक असमानता अन्यायकारी रूप धारण कर चुकी है। यह राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था उसकी सामाजिक संरचना एवं आर्थिक आधार पर टिकी होती है। अलोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल होना असंभव है, इसकी सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र एवं आर्थिक समानता एक पूर्व शर्त बन जाती है। भारतीय संविधान को संविधान सभा को सौंपते हुए इसके मुख्य शिल्पकार डॉ॰ अम्बेदकर ने 26 नवम्बर, 1949 को राष्ट्र को चेताया था, कि भारत में राजनीतिक समानता एवं दूसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अंतर्विरोध स्थापित हो रहा है इसे शीघ्र समाप्त करने की जरूरत है अन्यथा गैर-बराबरी के शिकार समूह राजनीतिक बराबरी में अपना विश्वास खो देंगे। आज 67 साल बाद भी डॉ॰ अम्बेदकर की चेतावनी प्रासंगिक है। वर्तमान में अगर हम भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करें जिसकी वजह से समाज एवं अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण नहीं हो पा रहा है तो यह सुनिश्चित हो जायेगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुनियाद असमानता अत्याचार, अपमान, अन्याय एवं अलगाव जैसी भेदभावकारी अलोकतांत्रिक बीमारियों के ऊपर नहीं रखी जा सकती। भारत में आज लोकतंत्र एक प्रक्रियात्मक यंत्र के रूप में संचालित हो रहा है तो यह कहना गलत न होगा। भारत सरकार स्वीकार कर रही है कि 82 करोड़ लोग अपने लिए दो वक्त का खाना जुटाने में सक्षम नहीं हैं। यह एक गंभीर रोग की ओर इशारा

करता है जबतक इसका कारण न जाना जाय और उसके निवारण की उचित प्रक्रिया न अपनायी जाय, भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना एवं रक्षा एक भ्रम ही रहेगी।

भारत में समावेशी लोकतंत्र की अनिवार्यताएं काफी हद तक युवाओं से जुड़ी हैं। युवाओं की अधिकारिता, उनकी शिक्षा, सेहत, उनके लिए लैंगिक न्याय, निचले स्तर पर स्वशासन में उनकी भागीदारी जैसे मसले समावेशी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। समावेशी लोकतंत्र के लिए युवा शक्ति को आधी आबादी से जोड़कर देखना भी आवश्यक है। समावेशी लोकतंत्र के सपने को तभी साकार किया जा सकता है जब महिला सशक्तीकरण के लिए आर्थिक, सामाजिक और कानूनी आयामों को धरातल पर लाया जाय। सामाजिक विकास के मामले में तो हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मानव सूचकांक मामले में विश्व में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। 170 देशों की कतार में हम 127वें पायदान पर खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए सभी योजनाओं में समावेशन को जोड़ना आवश्यक है। लोकतंत्र में शासन की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता आवश्यक है। यदि समाज का कोई वर्ग सामाजिक भेदभाव का शिकार होता है, तो अधिक समावेशन नहीं हो सकता। समावेशन लोकतंत्र को यह मानकर चलना होगा कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भय मुक्त होकर अपनी सहभागिता स्थापित करता है।

❐

15

अल्पसंख्यकों की समस्या और राज्य सरकार की उदासीनता

80 के दशक में मेरी सरकार ने अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उन्नयन के लिए जितने भी निर्णय लिए वे सभी तत्परता से कार्यान्वित किये गये। उन सभी निर्णयों को 25 वर्षों में 15 वर्षो तक श्री लालू प्रसाद की सरकार एवं 10 वर्षो तक श्री नीतीश कुमार की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उदाहरण स्वरूप 1980 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। सभी प्रखण्डों में उर्दू अनुवादक एवं उर्दू टाइपिस्ट की नियुक्तियाँ हुई। उर्दू टाइपराइटर खरीदे गये। मुख्यालय में राजभाषा विभाग में उर्दू द्वितीय राजभाषा के लिए अलग से निदेशालय स्थापित किया गया, परन्तु यह अत्यंत विस्मयकारी और दुखद है कि इन 25 वर्षों में नये अनुवादक और टाइपिस्ट की नियुक्तियाँ नहीं हुई। यहाँ तक कि सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की जगह भी नियुक्तियाँ नहीं हुई। राजभाषा के उर्दू निदेशालय में पूर्णकालिक निदेशक नहीं रहे। उर्दू अकादमी के निदेशक को प्रभार दिया गया है। इन वर्षों में नये जिले प्रखण्ड सृजित हुए किन्तु उनमें उर्दू अनुवादक और उर्दू टाइपिस्ट के पदों का सृजन नहीं हुआ। राज्य के 1127 मदरसों का पूर्ण वित्तीय भार राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1980 एवं फरवरी, 1980 के निर्णय के अंतर्गत लिया। यह भी आदेश हुआ जिससे वहाँ के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतनमान, भत्ता एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी गई। यह भी निर्णय हुआ कि भविष्य में जब भी सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ता में संशोधन होगा तो वह स्वत: मदरसा के शिक्षकों को भी उपलब्ध होगा। परन्तु पिछले 25 वर्षों में मदरसा की

कठिनाइयाँ एवं विसंगतियाँ इस संबंध में लगातार बनी रही है। 2003 में केन्द्र की भाजपा सरकार ने प्रत्येक मदरसा के लिए तीन नये शिक्षक के पद–गणित, विज्ञान और भूगोल के लिए स्वीकृत किये जिसके वेतन का पूर्ण वित्तीय भार केन्द्र सरकार ने वहन करने का निर्णय लिया। किन्तु 2003 के बाद 1127 मदरसों में केवल ऐसे 80 शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुईं। उनका वेतन भुगतान भी केन्द्र सरकार से बिहार सरकार नहीं करा सकी। मदरसों में विज्ञान एवं कम्प्यूटर के लिए 50 लाख रुपये प्रत्येक मदरसा का आन्तरिक अधिसंरचना के लिए स्वीकृति हुई उसके बावजूद बिहार सरकार वह राशि प्राप्त नही करा सकी। 1127 मदरसों में अभी तक केवल 80 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जबकि प्रत्येक में तीन विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी विषयों में नियुक्ति का निदेश हुआ था। 80 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केन्द्र सरकार से राज्य सरकार धन नहीं ले सकी। अभी हाल में 30 करोड़ रुपये दिये हैं, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। 80 के दशक में ही मदरसा की डिग्री एवं डिप्लोमा को विश्वविद्यालय की डिग्री और डिप्लोमा की समकक्षता दी गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन नियुक्ति की परीक्षाओं में मदरसा डिग्री को समकक्षता दी गयी। 89 के अंत में 2995 मदरसों की मान्यता हमारी सरकार ने दी थी। लेकिन 25 वर्षों तक चाहे श्री लालू प्रसाद हो या श्री नीतीश कुमार की सरकार रही उनकी सरकारों में इन 2995 मदरसों को मान्यता नहीं दी। अभी हाल में चुनाव के मद्देनजर 600 मदरसों को मान्यता बिहार सरकार ने दी है।

मदरसों का आधुनिकीकरण समय का तकाजा है, क्योंकि वहाँ केवल मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। 90 के पहले की सरकार के निर्णय के आलोक में भी बिहार में इन 25 वर्षों में मदरसों का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। यह सच्चाई है कि मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और सुखी–सम्पन्न बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। सिर्फ गरीब मुसलमान ही मदरसा की शिक्षा लेते हैं। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उर्दू एवं परसियन शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की गयी। माध्यमिक विद्यालय की मान्यता के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की गयी। 80 के दशक तक उर्दू के अतिरिक्त अन्य विषयों की किताबें बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन की ओर से छपाई जाती थीं। 90 के बाद बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन ने छपाई को बंद कर दिया। इससे विद्यालयों

में उर्दू भाषा-भाषी के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं। 80 के दशक में उर्दू अकादमी को वार्षिक 1 करोड़ रुपया अनुदान दिया गया। अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना 10 करोड़ वार्षिक अनुदान के साथ की गयी, जिससे निगम से बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के लिए ऋण प्राप्त हो। परन्तु इन 25 वर्षों में इस राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की तर्ज पर पटना में मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना मेरी सरकार ने की। उस विश्वविद्यालय के साथ स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों को जमीन, मकान एवं अन्य सुविधा दी गयीं, परन्तु इस विश्वविद्यालय को अभी तक विश्वविद्यालय का स्वरूप नहीं मिल पाया है।

सच्चर कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय में अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा गरीबी है। अशिक्षितों की संख्या 59 प्रतिशत है। सिर्फ 10 प्रतिशत स्कूल जा पाते हैं और मुश्किल से 8 प्रतिशत उच्च शिक्षा को अपनाते हैं। शिक्षा तक पहुँच कम होने के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी उनका अनुपात काफी कम है। अभी हाल ही में घोषित सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के परिणाम में 422 उत्तीर्ण छात्रों में मात्र 11 ही मुस्लिम संप्रदाय से हैं। वैसे वास्तविकता तो यही है कि शैक्षिक दृष्टि से मुस्लिम संप्रदाय सबसे पिछड़े गुटों में से एक है। आज भी 52 प्रतिशत से अधिक मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हैण्ड्जू और एजुकेशन द्वारा एकत्रित किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मात्र 29 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ ही शिक्षित हैं। केवल 4 प्रतिशत मुसलमान हाई स्कूल कर पाते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर तो दुर्दशा देखते ही बनती है। प्राथमिक पाठशाला के प्रत्येक 100 छात्रों में से केवल 1.6 प्रतिशत ही स्नातक की डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। इसी प्रकार से केवल 4.4 प्रतिशत मुसलमान सरकारी नौकरियों में हैं। मात्र 3.7 से 5 प्रतिशत सरकार से ही अपना कोई कार्य शुरू करने के लिए मदद पाते हैं। यह सूची बहुत दयनीय है। देश में समय-समय पर गृह मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त कमिटी से जाँच कराये जाने के बाद मिली रिपोर्टों से अल्पसंख्यकों के बारे में चिन्ताजनक स्थिति बतायी गयी है और कुछ क्षेत्रों में उन्हें बहुत ही

पिछड़ा माना गया है। पिछले 65 वर्षों में मर्दों की साक्षरता में 3 गुणा और औरतों की साक्षरता में पाँच गुणा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अल्पसंख्यक राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत पीछे बताए गये हैं। औरतों के मामले में तो यह कमी ज्यादा है। स्कूलों में नाम लिखानेवाले बच्चों का औसत अभी 62 फीसदी हो पाया है जो दूसरे समुदाय से 16 फीसदी कम है। गरीबी के कारण प्राइमरी स्कूलों या सेकेंडरी स्कूलों में दाखिला लेनेवाले बच्चों में से लगभग 40 फीसदी पढ़ना छोड़ देते हैं। बच्चों के गार्जियन भी उनकी पढ़ाई पर जोर नहीं देते, क्योंकि वे मानते हैं कि उनके लिए नौकरी पाने की अच्छी संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें जो भी काम मिल जाता है उसी में वे पढ़ना-लिखना छोड़कर लग जाते हैं। स्व-रोजगार के लिए उन्हें बैंक से ऋण कम ही मिलता है। जहाँ तक शहरों की बात है तो अधिसंख्य मुसलमान झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ बुनियादी सुविधाओं तक का सर्वथा अभाव है। जो अपेक्षाकृत संपन्न हैं, वे भी 'घेरो' में रहते हैं। लोकतंत्र मूल रूप से एक आनुपातिक प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था है। समाज में विभिन्न तबकों की जनसंख्या के लिहाज से जीवन के हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की मांग है। यह स्वयं लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए जरूरी है। लोकतंत्र एक प्रतिनिधिक व्यवस्था के साथ-साथ आम सहमति पर आधारित व्यवस्था भी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आम सहमति वास्तव में तभी कायम हो सकती है, जब समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय। लोकतंत्र में वास्तविक प्रतिनिधित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रतिनिधित्व होता है।

सच्चर की रिपोर्ट में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के जो आंकड़े दिये गये हैं वे काफी चिंताजनक हैं और हमारी विकास प्रक्रिया के एक भारी असंतुलन को दर्शाते हैं। यानी देश में न केवल विभिन्न क्षेत्रों और तबकों के बीच बल्कि समुदायों के स्तर पर भी गहरी खाई मौजूद है। सच्चर समिति की रिपोर्ट बताती है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या नौकरियों और कारोबार का, मुसलमान न सिर्फ हिन्दुओं की तुलना में बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के मुकाबले भी काफी पिछड़े हुए हैं। कई मायनों में उनकी हालत हिन्दू समाज के पिछड़े वर्ग से भी खराब है। देश की कुल आबादी में वे करीब 16 फीसद हैं। इसलिए मानवीय तकाजे के अलावा सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता

की मजबूती के लिहाज से भी उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के विशेष प्रयास होने चाहिए। इस संदर्भ में सच्चर समिति ने कई सिफारिशें की हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की अच्छी-खासी आबादी वाले राज्यों में ही उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। इन राज्यों के मुसलिम बहुल गांव स्कूल, पेयजल जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक से वंचित हैं। मुसलिम समुदाय के पिछड़ेपन का मुख्य कारण उसकी रुढ़िवादिता बताऐ जाने का चलन-सा हो गया है। पढ़ाई कर रहे मुसलिम बच्चों में से महज चार फीसद मदरसों में जाते हैं। यही नहीं, शिशु मृत्यु दर और स्त्री-पुरुष अनुपात के मामले में इस समुदाय की स्थिति औरों से बेहतर है। इसलिए उनके पिछड़ेपन पर मजहबी मुलम्मा चढ़ाने की बजाय स्वीकार करना चाहिए कि यह लंबी उपेक्षा का नतीजा है।

सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। इनमें कुछ मुख्य ये हैं : समतामूलक आयोग गठित किया जाय। एक नया विविधता सूचकांक बनाया जाय, जिसके आधार पर शिक्षा और रोजगार के अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध करवाये जाएं। मदरसों की डिग्रियों को विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानी वाली डिग्रियों के बराबर माना जाय। देश में ज्यादा से ज्यादा उर्दू माध्यम स्कूल खोले जायं। रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक बनाने और अल्पसंख्यकों के विकास के कामों पर निगरानी के लिए एक स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण बनाने की सिफारिश भी की गयी है। दलित और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को आरक्षण देने की भी सिफारिश की गयी है। आंध्र प्रदेश की भांति स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हर राज्य में कानून बनाने का भी सुझाव दिया गया है। विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्तशासी कॉलेजों में मुसलमानों को आरक्षण देने की भी सिफारिश की गयी है। अल्पसंख्यकों को स्व-रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थाएँ स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। मदरसों को उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया, ताकि जो छात्र मदरसों में शिक्षा पाने के बाद मुख्य शिक्षा धारा में आना चाहें उन्हें कठिनाई न हो।

आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की समस्याओं में वृद्धि ही होती गयी है। प्राय: सभी सरकारों ने उनके पिछड़ेपन को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभायी।

राजनीतिक दलों ने उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में तो इस्तेमाल किया, लेकिन उनके कल्याण की बजाय शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनकी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्पसंख्यकों ने जिन दलों को अपने वोटों से सत्ता तक पहुँचाया, उन्होंने भी केवल सांत्वना देने और हरे उद्यान दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके प्रति संवैधानिक दायित्व निभाना तो दूर एक सोची समझी-साजिश के तहत उन्हें लगातार असुरक्षा और मनोवैज्ञानिक दबाव में रखकर पिछड़े बनाने की कोशिश की गयी, जिससे कि वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे होते चले गये। यहाँ तक कि उनकी स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बदतर हो गयी। देश के विशेषकर अल्पसंख्यकों के संबंध में सच्चर कमिटी रिपोर्ट एक ऐसा आइना है जिसमें हर व्यक्ति अपनी तस्वीर साफ देख सकता है। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि देश की एक बड़ी आबादी अपने ही देश में कैसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर पहुँचा दी गयी। साथ ही कैसा वैश्विक भेदभाव किया गया और कैसे इसे सही और न्याय और समानता से वंचित किया गया कि स्वयं रिपोर्ट के शब्दों में उसने 'नाबराबरी और भेदभावपूर्ण व्यवहार को अपने भाग्य का लिखा स्वीकार कर लिया।'' सच्चर एवं रंगनाथ समिति के बाद केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्रो॰ अमिताभ कुण्डू समिति एक सरकारी समिति ने ही सामाजिक-आर्थिक (अल्पसंख्यकों की) स्थिति का मूल्यांकन किया और परामर्श दिया है कि नियोजकों को लक्षित कर भेदभाव विरोधी कानून बनाया जाय जिससे अल्पसंख्यक समुदाय और शेष देशवासियों के बीच बढ़ रहे अंतर का सामना किया जा सके। प्रतिवेदन (रपट) में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनेक चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, उनमें कोई जमीनी बड़े परिवर्तन को सरकार लाने में असफल रही है। सच्चर की तरह ही कुण्डू समिति ने भी अपने अध्ययन की पूरी अवधि (2004-2005 से 2011-2012 तक की) में जो बिहार की राजद और जद (यू॰) और पश्चिम बंगाल के वाम और तृणमूल के शासन को अच्छादित करती है, बंगाल (पश्चिम) एवं बिहार की पहचान सबसे बुरे अभिकर्त्ता के रूप में की है। समिति के अनुसार इन राज्यों में अल्पसंख्यकों का नियोजन में पीछे और व्यावहारिक शिक्षा में तलहटी में चलते रहना चालू है। प्रगति प्रतिवेदन भी यह

स्पष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल को 933.32 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, पर 295.97 करोड़ ही इसने खर्च किये; उत्तर प्रदेश को 623.20 करोड़ रूपये आवंटित किये गये, पर इसने 123.99 करोड़ रुपयों का ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया; बिहार ने लगभग 234.83 करोड़ रुपये प्राप्त किये, जिसमें से मात्र 14.31 करोड़ रुपये ही खर्च किये। विगत 3 वित्तीय वर्षों (2011-12 से 2013-14) में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा एमएसडीपी (बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम) के अंतर्गत 1.136 करोड़ रुपयों, 649.5 करोड़ रुपयों और 958.53 करोड़ रुपयों का व्यय नहीं हुआ है। आधे आवंटन का भी व्यय नहीं होना राज्य सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी अवधारणा को दर्शाता है। गरीबी के स्तर इस समुदाय में राष्ट्रीय औसत से उच्चतर हैं। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के मामला में अल्पसंख्यक अनुसूचित जातियों से भी पीछे हैं और शिक्षा प्राप्ति के मामला में अनुसूचित जनजाति के साथ तलहटी में ही युक्त हो चुके हैं। प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय-व्रजन दरें उन अल्पसंख्यकों को चिन्ता देती है, जिनका प्राथमिक विद्यालय में नामांकन तो स्पष्टत: उच्च रहता है, किन्तु उच्चतर स्तरों (शिक्षा के) पर नगण्य जैसा रहता है। अल्पसंख्यकों में ''स्नातकों और तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का अनुपात निम्न है, यह भी समिति का कहना है। इस प्रतिवेदन के अनुसार अल्पसंख्यकों में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) ''शिक्षा के सभी स्तरों पर सर्वाधिक वंचित'' हैं। प्रतिवेदनानुसार 2004-05 और 2011-12 के बीच परिलक्षित तुलनात्मक प्रगतियाँ इस ढाँचा में परिवर्तन नहीं ला पायी हैं। अत: अल्पसंख्यक युवकों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने, तकनीकी कौशल से युक्त करने और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देने पर ध्यान .देने की आवश्यकता है। समिति की अनुशंसाओं में ये बिन्दु समाहित हैं:-(1) लड़कों और लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (2) उच्चतर शिक्षा में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी छात्रवृत्तियाँ (3) पेशागत और तकनीकी शिक्षा तक की सम्वर्द्धित पहुँच (4) लक्ष्य के अनुसार समय-बद्ध सरकार द्वारा चलाये गये अभियान और (5) भेदभाव-विरोधी कानून के लिए कुछ नहीं किया है। कुण्डु-समिति ने अल्पसंख्यक कल्याण स्कीमों की बेहतर योजना और उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए केन्द्र, राज्यों और पंचायतों के स्तरों के अभिकर्त्ताओं के बीच समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता

पर अधिक प्रकाश डाला है। संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की माँग करते हैं, जो पिछड़ेपन पर खुद सरकार ने अंकित कर दी है। हमारी माँग है कि कानूनी दांव-पेच में उलझे बिना सरकार द्वारा रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों पर अमल किया जाय।

कुछ दिन पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अन्सारी ने देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी मुसलमानों के संबंध में जो बातें उनकी शैक्षणिक, आर्थिक, साामजिक एवं नियोजन के संबंध में कही हैं, वे पूर्णत: संविधान की उद्देशिका एवं संविधान के अनुच्छेद-14,15,16 एवं 25 में जो उपबंध किये गये हैं उन्हीं के अनुकूल हैं और संविधान के प्रति की गयी शपथ के अनुकूल ही उपराष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए ही समावेशी विकास 'सबके साथ सबका विकास' नीति के अंतर्गत ही केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा है कि मुस्लिम समुदाय के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है और यह पूर्णत: सरकार की नीतियों के ढांचे के अंतर्गत ही है। यह निर्विवाद है कि उपराष्ट्रपति भारत के संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान में अल्पसंख्यकों के प्रति क्या भावना है और संविधान लागू होने के 65 वर्षो के बाद भी मुसलमानों की क्या स्थिति है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। यह निर्विवाद है कि देश में मुस्लिम समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में अधिक गरीब और निरक्षर हैं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की नौकरियों में उनकी संख्या कम है। उन्हें देश की मुख्यधारा में लाना बेहद जरूरी है। पूर्व न्यायाधीश श्री सच्चर ने इस बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें यह बताया गया है कि इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सच्चर कमिटी ने दुखती रग पर हाथ रखा है, उसमें विभिन्न राज्यों के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके हिसाब से देश में कई राज्यों में मुसलमान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मासिक आय-व्यय के मुकाबले नीचे हैं। जहाँतक सरकारी नौकरी का सवाल है, सच्चर कमिटी की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। मुसलमानों की पं॰ बंगाल में आबादी 25.7 प्रतिशत है। नौकरियों मे उनका हिस्सा 4.2 प्रतिशत है। केरल में 24.7 प्रतिशत की आबादी में उनका हिस्सा 10.4 प्रतिशत है। असम में 30.

9 प्रतिशत की आबादी में 11.02 प्रतिशत है। बिहार में 16.5 प्रतिशत आबादी में 4.4 प्रतिशत है। कमोवेश यही आंकड़े अन्य राज्यों के हैं। जहाँ तक शिक्षा स्तर में उनकी भागीदारी कम होने का सवाल है, इस तथ्य को एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि गरीबी के कारण उनके बच्चे आधुनिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें जीविका के कारण मदरसों में भेजा जाता है। सच्चर ने मदरसों को आधुनिक शिक्षा के लिए सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि शहर की मुसलमान-आबादी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के मुसलमान अधिक गरीब और पिछड़े हैं। बैंकों से कर्ज मिलने में परेशानी से ये स्वरोजगार में भी पिछड़ रहे हैं। उनके प्रति संवैधानिक दायित्व निभाना तो दूर एक सोची-समझी साजिश के तहत, लगातार असुरक्षा और मनोवैज्ञानिक दबाव में रखकर पिछड़े बनाने की कोशिश की गयी जिससे कि वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे होते चले गये, यहाँ तक कि उनकी स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बदतर हो गयी।

देश के विशेषकर अल्पसंख्यकों के संबंध में सच्चर कमिटी रिपोर्ट एक ऐसा आईना है जिसमें हर व्यक्ति अपनी तस्वीर साफ देख सकता है। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि देश की एक बड़ी आबादी अपने ही देश में कैसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर पहुँचा दी गयी। साथ ही कैसा वैश्विक भेदभाव किया गया और कैसे इसे सही और न्याय और समानता से वंचित किया गया कि स्वयं रिपोर्ट के शब्दों में उसने 'नाबराबरी और भेदभावपूर्ण व्यवहार को अपने भाग्य का लिखा स्वीकार कर लिया।'' सच्चर एवं रंगनाथ समिति के बाद केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्रो॰ अमिताभ कुण्डू समिति एक सरकारी समिति ने ही सामाजिक-आर्थिक (अल्पसंख्यकों की) स्थिति का मूल्यांकन किया है। प्रतिवेदन (रपट) में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनेक चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, उनमें कोई जमीनी बड़े परिवर्तन को सरकार लाने में असफल रही है। सच्चर की तरह ही कुण्डू समिति ने भी अपने अध्ययन की पूरी अवधि में जो बिहार की राजद और जद (यू॰) और पश्चिम बंगाल के वाम और तृणमूल के शासन को अच्छादित करती है, बंगाल (पश्चिम) एवं बिहार की पहचान सबसे बुरे अभिकर्त्ता के रूप में की है।

2006 में भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा की दूसरी जाँच के लिए न्यायमूर्ति श्री एन॰पी॰ सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग इस उद्देश्य से गठित किया गया कि राष्ट्रीय जनता दल शासनकाल में भागलपुर दंगा के लिए जिम्मेवार लोगों को सजा नहीं दिलायी जा सकी थी और दंगे में मारे गये परिवारों के लोगों को स्थानिक मुआवजा नहीं दिये गये। उनकी सम्पत्तियों का पुनर्वास नहीं हो सका था। अनेक मुसलमानों की भूमि छीने जाने की वापसी नहीं करायी जा सकी थी। मुख्य रूप से दंगा के जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध मामले का त्वरित निष्पादन कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास दिलाना था। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने दोषियों को दण्डित कराने में शिथिलता बरती थी और सरकार प्रभावित परिवारों का पुनर्वास नहीं करा सकी थी। इन्हीं कारणों से दूसरे न्यायिक आयोग का गठन किया गया, जबकि देश में अभी तक एक ही घटना, एक ही प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले के लिए दो-दो आयोग गठित नहीं किये गये हैं। बिहार में उदाहरण है कि दो आयोग एक ही मामले के लिये गठित किये गये। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 1989 में न्यायाधीश श्री रामानन्दन प्रसाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जाँच की व्यवस्था की गयी और जब श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दो सदस्यों को आयोग में जोड़ दिया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस आयोग के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट अलग-अलग सौंपी। ऐसा अभी तक देश में कभी नहीं हुआ है कि एक ही जाँच आयोग के दो-दो प्रतिवेदन सौंपे जाएं। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि श्री लालू प्रसाद की सरकार को संभवत: रामानन्दन प्रसाद की अध्यक्षता वाले आयोग पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे दो नये सदस्यों को जोड़कर जाँच को प्रभावित करना चाहते थे। रामानन्दन प्रसाद के प्रतिवेदन ने तत्कालीन लोकसभा के सदस्य के रूप में 29 दिसम्बर, 1989 को लोक सभा में उनके (रामानन्दन प्रसाद के)द्वारा दिये गये भाषण को बड़ी ही गम्भीरता से उद्धृत किया है। उस भाषण में श्री लालू प्रसाद ने कहा था कि ''मैं कहना चाहता हूँ कि भागलपुर में मुस्लिम अपराधियों के दो गुट हैं-सुल्तान और अन्सारी और भागलपुर दंगा/दंगे इन्हीं के द्वारा शुरू किये गये। भागलपुर के एस॰पी॰ पर बम फेंका गया और कई पुलिस जवान जख्मी हुए। रामशिला पूजन के अवसर पर बम फेंके गये और अभी तक ये दोनों अपराधी गिरफ्तार नहीं

किये गये।'' यह बयान (ऊपर) उनके द्वारा घटना के दो माह बाद दिया गया और उन्होंने बिहार के एक प्रसिद्ध और जिम्मेवार नेता होते हुए कहें ऐसी स्थिति में कोई भी निश्चय ही उम्मीद कर सकता है, जिम्मेवारी की पूर्ण समझदारी के साथ सभी तथ्यों को संग्रहीत करने के बाद ही यह बयान निश्चय ही दिया गया होगा।

भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा बड़ा ही व्यापक विध्वंसकारी साम्प्रदायिक दंगा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा। संभवत: इसी साम्प्रदायिक दंगा के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पराजय लोक सभा चुनाव में हुई थी। जाँच प्रतिवेदन में सुझाये गये सुझावों और तथ्यों को तत्कालीन श्री लालू प्रसाद की जनता दल सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। वहाँ के मुसलमानों की हत्याएं और सम्पतियों की लूट के विरुद्ध कार्रवाई और पुनर्वास कार्यक्रम, जो चलाया जाना चाहिये था वह नहीं चलाया गया। पीड़ित परिवारों को मुआवजे से वंचित रखा गया, जबकि भागलपुर जाँच आयोग ने उन परिवारों को अनुकम्पा राशि के लिए अनुशंसा की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री वी०पी०सिंह ने प्रधानमंत्री राहत कोष से अलग से सहायता दी थी। लेकिन बिहार की तत्कालीन सरकार उस दंगे के प्रति उदासीन बनी रही। संभवत: इसी पृष्टभूमि में जनता दल(यू०) की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निदेश पर न्यायमूर्त्ति श्री एन०पी०सिंह की अध्यक्षता में दोबारा दंगा जाँच आयोग इस उद्देश्य से गठित किया था कि अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कार्य अवधि में लगातार वृद्धि की जाती रही। इस आयोग पर सरकार ने 11 करोड़ रुपये व्यय किये हैं और आयोग ने 9 वर्षो के कार्यकाल में चार बार ही भागलपुर का दौरा किया। श्री नीतीश कुमार सरकार द्वारा गठित आयोग ने भी न तो प्रभावित परिवारों के 15 हजार आवेदन पर कोई कार्रवाई की और न ही प्रतिवेदन में सरकार के समक्ष प्रभावित परिवारों के लिए अनुशंसा ही की। सूचना है इस साम्प्रदायिक दंगे में लगभग 3 हजार एकड़ मुसलमानों की जमीन पर मधयवर्गीय पिछड़ी जाति ने जबरन कब्जा कर लिया और सांकेतिक मूल्य देकर उनसे जमीन की रजिस्ट्री करा ली। ऐसे परिवारों की जमीन वापसी के संबंध में इस आयोग ने कोई अनुशंसा नहीं की। सरकार ने भी 25 वर्षों में इस संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की। परन्तु भागलपुर के दंगा

पीड़ितों की क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहीं करवायी गयी। सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक दोषियों को दण्डित नहीं किया जा सका है। उन मामलों के संचालन में गतिशीलता लाने की दिशा में भी आयोग ने कोई प्रभावकारी अनुशंसा नहीं की। भागलपुर दंगा से प्रभावित मुसलमान परिवारों में वहाँ के बुनकरों की और छोटे उद्यमियों की जो क्षति हुई उसकी भरपायी 25 वर्षों में सरकार नहीं कर पायी है। श्री नीतीश कुमार भी निर्दोष लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाये हैं। इन 25 वर्षों में किसी सरकार ने प्रभावकारी उपयोगी कार्रवाई नहीं की। भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा केवल एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा केवल इसका राजनीतिक लाभ उठाया गया।

आज अल्पसंख्यक मुसलमानों की जीवन-दशा जितनी दर्दनाक है और जिस तरह की गरीबी से वे गुजर रहे हैं उस पर तुरंत ध्यान दिया जाना लाजमी है। मुसलमानों के लिए रोजगार के अवसर नहीं के बराबर हैं और न उनके सामने कोई कारोबार या व्यापार चलाने का रास्ता दिखाई पड़ता है। इन सब कारणों से वे इतने पिछड़ चुके हैं कि जब तक उनके आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी पिछड़ापन को तुरंत दूर करने के उपाय काफी तेजी से नहीं किएं जायेंगे तो वे बड़े प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदारी करने योग्य नहीं बन सकते हैं।

पहले श्री लालू-राबड़ी देवी की सरकार न कर पायी और न श्री नीतीश कुमार के 10 वर्षों के सरकार ने की। इन 25 वर्षों में किसी सरकार ने प्रभावकारी उपयोगी कार्रवाई नहीं की। भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा इसका राजनीतिक लाभ उठाया गया।

आज अल्पसंख्यक मुसलमानों की जीवन-दशा जितनी दर्दनाक है और जिस तरह की गरीबी से वे गुजर रहे हैं उस पर तुरंत ध्यान दिया जाना लाजिमी है। मुसलमानों के लिए रोजगार के अवसर नहीं के बराबर हैं और न उनके सामने कोई कारोबार या व्यापार चलाने का रास्ता दिखाई पड़ता है। इन सब कारणों से वे इतने पिछड़ चुके हैं कि जब तक उनके आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी पिछड़ापन को तुरंत दूर करने के उपाय काफी तेजी से नहीं किए जायेंगे तो वे महान प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदारी करने योग्य नहीं बन सकते हैं।

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए 14-15 करोड़ मुसलमान अपने नेताओं के कारण आज जितने उपेक्षित हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। ये

नेता जिन राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वहां भी उनकी कोई इज्जत नहीं है। दरअसल, इज्जत तो उनकी होती है जिनके पीछे लोग हों या कहें तो जिनका जनाधार हो और जो दूसरों से लेने की बजाए, अपने समाज, समुदाय और देश को कुछ देने की कूबत रखते हों। मुस्लिम समुदाय को तो यह समझ ही जाना चाहिए कि सेक्युलिरिज्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसके तहत कथित तौर पर उनके हितों की जैसी चिन्ता की जाती है उससे सबसे अधिक नुकसान उनका ही हुआ है। मुस्लिम समुदाय एक ऐसे वोट बैंक के रूप में उभर आया है जिसके बारे में भाजपा मुस्लिम समुदाय का हिस्सा नहीं दिखता तो सेक्यूलरिज्म की विकृत राजनीति ही उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री ने सेक्यूलरिज्म के विकृत रूप का उल्लेख करते हुए न केवल अपने विरोधी राजनीतिक दलों को संदेश दिया, बल्कि अपने दल के उन लोगों के समक्ष भी यी रेखांकित किया कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? यह 'सबका साथ सबका विकास' के नारे को अभियान के रूप में परिवर्तित किया जा सके तो विकृत सेक्यूलरिज्म का जो ढांचा हो गया है उसे ढहने में ज्यादा देर नही लगेगी।

पिछले डेढ़ वर्ष के शासनकाल में केन्द्र की भाजपा सरकार ने अपने विचार, निर्णय एवं आचरण से संविधान का अनुपालन किया है। संविधान के प्रावधान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा है, ''धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत अवधारणा है। जहाँ भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। किन्तु राज्य (शासन) की दृष्टि में किसी व्यक्ति के धर्म या विश्वास की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि राज्य (शासन) की दृष्टि में सभी लोग समान हैं और समान ढंग के व्यवहार के हकदार हैं।'' भाजपा सरकार ने भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित पंथनिरपेक्षता और संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी आस्था स्थापित की है। राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी पर निर्भर है। इसी मान्यता के आधार पर विषमता रहित समाज-व्यवस्था के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। भाजपा की सरकार ने किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरती है। सरकार अनेक निर्णयों से प्रचलित विषमताओं के निराकरण हेतु विभिन्न उपायों को अपना रही है।

सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रुप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देने की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके (इन वर्गों के) रास्ते के रोड़ों को हटाने के लिए सरकार ने अनेक निर्णय लिये हैं। श्री मोदी ने महसूस किया है कि आज की आवश्यकता यह है कि जो भी आर्थिक रूप से पीछे हैं उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किये जायँ। वे चाहे किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के हों।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भाजपा की राष्ट्रीय परिषद् में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जो बातें कहीं गयी है वे निश्चित रूप से सामयिक एवं वास्तविकता से जुड़ी हुई हैं। उनके संबंध में जो बातें तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा या इन दलों की सरकारों द्वारा कही जाती रही हैं, वे वास्तविकता से जुड़ी हुई नहीं है। मुस्लिम समुदाय सच्चर एवं रंगनाथ आयोग के तथ्यों से अवश्य अश्वस्त हो गया है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो राजनीति होती है उसके तहत उनके हितों की चिन्ता कम दिखती है और राजनीतिक दलों के हितों के संरक्षण की अधिक बातें की जाती हैं। धर्मनिरपेक्षता के तहत मुख्य रूप से मुसलमानों की चर्चा तो होती है, परन्तु यह निर्विवाद है कि संविधान लागू होने के 66 वर्ष बाद भी मुसलमानों की स्थिति लगातार बद से बदतर होती गयी है।

हाल ही में मैने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि -(1) पिछड़ा वर्ग की पहचान में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। इसके लिए एक ही पैमाना बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी स्वीकार किया जाए (2) अल्पसंख्यकों के सभी वर्गों, सेक्शन और ग्रुपों के साथ पिछड़ा वर्ग जैसा व्यवहार किया जाए। उन्हें बहुसंख्यकों में मौजूदा योजना की तरह पिछड़ा करार दिया जाए (3) अल्पसंख्यकों के उन तमाम सामाजिक और पेशावर ग्रुपों के साथ वही किया जाय जो अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों के साथ किया जाता है। उनके साथ भी सामाजिक पिछड़ा वर्ग वाला व्यवहार किया जाय (4) अल्पसंख्यकों के उन ग्रुपों को भी जिनके बराबर के लोग बहुसंख्यक वर्ग में इस समय अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए (5) बिना किसी देरी के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के

शैक्षिक अधिकारों के तमाम पहलुओं पर आधारित एक ठोस साफ कानून बनाया जाय जिसके द्वारा उसके वास्तविक आदेशों का पालन किया जाए (6) सभी गैर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में कम से कम 15 प्रतिशत सीटें कानून द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित कर दी जाए- (क) अल्पसंख्यक वर्ग के जो उम्मीदवार दूसरों से मुकाबला कर सकते हैं और स्वयं अपनी मेरिट पर दाखिला पा सकते हैं उनको इन 15 प्रतिशत आरक्षित सीटों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए (7) सरकार को मदरसा मॉडराइजेशन योजना पर कार्रवाई कर उन्हें मजबूत करना चाहिये और ज्यादा फंड उपलब्ध, कराएं ताकि वह फंड और जरूरी साज व सामान उपलब्ध कर सके (8) सभी सरकारी योजनाओं ग्रामीण रोजगार जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार योजना आदि में 15 प्रतिशत भाग अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किया जाए, जिसमें से 10 प्रतिशत मुसलमानों के लिए और 5 प्रतिशत दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए हो। (9) अल्पसंख्यक समुदाय को इस सिलसिले में पिछड़ा करार किया जाए उसी अर्थ में जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में इस्तेमाल किया गया है। (10) संविधान का अनुच्छेद-341 में अनुसूचित जाति, आदेश जिसे वास्तव में अनुसूचित जातियों को हिन्दुओं तक सीमित किया और फिर सिखों और बौद्धों के लिए भी खोल दिया। इस प्रकार वह मुसलमानों, ईसाइयों, जैनियों और पारसियों आदि को अपने दायरे से बाहर रखता है उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। (11) प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय प्रोग्राम 1983 को जिसमें 2006 में परिवर्तन किया गया। संवैधानिक हैसियत देने और कानूनी तौर पर उनको लागू करने एवं यकीनी बनाने के लिए एक कानून बनाया जाए।

❐

उत्तर-पूर्व बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन

तिरहुत, मिथिलांचल, कोशी एवं सीमांचल की आर्थिक औद्योगिक सिंचाई सम्बन्धी योजनाएं 15 साल के राजद शासन और 10 साल के श्री नीतीश कुमार के शासन में पूर्णत: उपेक्षित रहने के कारण इस अंचल की स्थिति निरंतर गिरती गई है। उदाहरण स्वरूप पश्चिम कोशी नहर की प्रगति 1990 के बाद लगातार धीमी रही। इस क्षेत्र के एक मात्र चीनी उद्योग रुग्ण होकर बंद पड़ा है। 2006 में स्पष्ट चीनी उद्योग नीति बनाने के बावजूद रैयाम, सकरी, लोहट और बनमनखी जैसी चीनी मिलें चालू नहीं करायी जा सकीं। पिछले वर्षों में राजद और जद(यू॰) शासनकाल में दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के औद्योगिक प्राधिकार को बंद कर दिया गया। उससे सम्बद्ध उद्योग विकसित नहीं हो पाये। अशोक कागज कारखाने के अधिग्रहण के लिए 1989-90 में अध्यादेश स्थापित करने का निर्णय हुआ। उसके लिए तत्काल 50 लाख रुपया आवंटन भी हुआ। उसका निर्वहन भी इन वर्षों में नहीं हो पाया। इस प्रकार सहरसा और मधेपुरा का बैद्यनाथपुर कागज कारखाना के लिए 1989-90 में दस करोड़ का आवंटन हुआ, जर्मनी से मशीनें भी मंगाई गयीं। पण्डौल का सूती मिल रुग्ण होकर बंद पड़ा है। गण्डक परियोजना से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से गण्डक कमाण्ड एरिया डेभलपमेंट ऑथोरिटी और कोशी क्षेत्र के लिए कोशी एरिया कमाण्ड डेभलपमेंट ऑथोरिटी की स्थापना की गयी। परन्तु पिछले 25 वर्षों में निष्क्रिय बनी रही है। गण्डक के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए योजना बनी, कार्य आरंभ भी हुआ। परन्तु वह अभीतक पूरा

नहीं हो पाया है। यह स्थिति कोशी कमाण्ड एरिया ऑथिरिटी की भी है। कोशी क्षेत्र में विकास के लिए 80 के दशक में कोशी विकास प्राधिकार का गठन हुआ। वह भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय बना हुआ है। 2008 की कोशी प्रलयंकारी बाढ़ से मुख्य सिंचाई नहर, उप नहर क्षतिग्रस्त हुई। उसका भी अभी तक पुनर्निर्माण नहीं हो सका है। कोशी त्रासदी से उत्पन्न त्रासदी के निराकरण के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का विशेष ऋण, बागमती, महानन्दा और अधवारा समूह की नदियों के लिए योजना इन 25 वर्षों में पूर्ण रूप से नहीं हुई। 1 लाख आवास बनाने और अन्य सुविधाओं की पुनर्वापसी के लिए दिये गये इस 1000 करोड़ राशि का भी उपयोग नहीं हुआ। इस क्षेत्र में अब भी 3 लाख से अधिक परिवार जिनके मकान ध्वस्त हुए आज भी 7 वर्षों के बाद भी वे गृहविहीन हैं। कोशी प्रभावित सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णियां की पूर्व में निर्मित्त पुल और सड़कें, जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुईं, वो भी अभीतक निर्मित्त नहीं हो पायी हैं। राज्य सरकार ने भी 4900 करोड़ की स्वीकृति देकर पहले से बेहतर कोशी क्षेत्र बनाने की घोषणा की थी, वह भी नहीं हो पाया।

बैद्यनाथपुर कागज कारखाना क्यों नहीं बना? पण्डौल, सीवान और भागलपुर सूत मिलें क्यों बंद पड़ी हैं? दरभंगा और मुजफ्फरपुर औद्योगिक प्राधिकार के विघटन का क्या औचित्य रहा? गण्डक, सोन, कोशी, क्यूल, बडुआ, कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी के साथ-साथ कोशी विकास प्राधिकार 25 वर्षों से पूर्णत निष्क्रिय है। 80 के दशक में 37 इन्डस्ट्रीयल इस्टेट स्थापित किये गये वे भी पूर्णत: निष्क्रिय और ठप्प रहे। तत्कालीन सरकार ने जनवरी 1990 में निर्णय लिया था जिसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में 18.01.1990 में अंकित है। प्रत्येक जिला में एक-एक उद्योग स्थापित किया जायेगा :- (1) पूर्णियां-कताई मिल, यीस्ट, औद्योगिक गैसें एवं फलों के उत्पाद (2) अररिया-गेहूँ के उत्पाद एवं रेशम (3) किशनगंज-जूट ट्रवाइन, राइस ब्रान आयल और रेशम (4) कटिहार-ब्लो मोल्डेड प्लास्टिक प्रोडक्ट, केला परिष्करण, रेलवे के लिए सहायक सामग्रियाँ (5) मधेपुरा- हड्डी परिष्करण, कृषि संबंधी औजार एवं कृषि पर आधारित उद्योग। (6) सहरसा-चीनी मिल एवं कागज मिल (7) खगड़िया-डिस्पोजेबुल सिरिंज एवं मकई उत्पाद। (8) बेगूसराय-कार्बन ब्लैक, एरोमेटिक कम्पलेक्स, पेट्रो नेप्थालीन (9) दरभंगा-औद्योगिक गैस, गेहूँ उत्पाद, औषधि निर्माण (10) फ्लोर मिल, कागज

उत्पाद, आलू परिष्करण, मल्टी वॉल पेपर सैक (11) समस्तीपुर–औद्योगिक अल्कोहल, पार्टिकिल बोर्ड (12) मुजफ्फरपुर–इथाइल ऐसिटेट, फाइन केमिकल, मल्टी कलर पी॰वी॰सी॰, फ्लोरिंग कारपेट और औद्योगिक गैस (13) सीतामढ़ी–एसिटिक एसिड, इथाइल यार्न, एसिटेट, चीनी मिल का विस्तार, औद्योगिक धागे (14) वैशाली–खाद्य उत्पाद, आइस्क्रीम, कांच की बोतल, ग्लास ट्यूब, वैज्ञानिक उपयोग की कांच की सामग्रियाँ आयरन ऑक्साइड (15) छपरा– छपाई के कागज, माइक्रो सोल (16) सिवान–गेहूँ उत्पाद, चीनी मिलों का विस्तार। (17) गोपालगंज– चीनी मिल का विस्तार, रेक्टीफायड स्प्रीट, एसिटोन (18) पं॰ चम्पारण– वनस्पति तेल, औद्योगिक गैसें, कागज कारखाना, चीनी मिल (19) पू॰ चम्पारण–गेहूँ उत्पाद, चीनी मिल का विस्तार (20) रोहतास–सल्फयूरिक एसिड एवं सिंगल सुपर फास्फेट, सिमेंट कारखाना का विस्तार, रोहतास उद्योगों का पुनरुद्धार। (21) औरंगाबाद–वनस्पति घी, हार्ड एण्ड सॉफ्ट फेराइटस, धुआंरहित ईंधन (22) भोजपुर–सिंथेटिक धागे, डूप्लेक्स पेपर और औद्योगिक गैसें, ग्लेज्ड टाइल्स।

औद्योगिक नीति के बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 25 वर्षों से औद्योगीकरण नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमियों को 1990 से 2005 तक और फिर 2005 से 2014 तक मदद नहीं दी है। यह बड़ा ही विस्मयकारी रहा है कि देश के बड़े–बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र के बड़े–बड़े उद्योगपतियों द्वारा बिहार में पूँजी निवेश के लिए आश्वासन देने के बावजूद उद्योगपतियों ने पूँजी–निवेश नहीं किया। लघु उद्योग इकाइयों के राज्यस्तरीय अध्ययन के अनुसार, बिहार की 70 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयाँ रुग्ण अथवा बंद हैं। यह विस्मयकारी है कि इस दिशा में प्रगति नहीं हो पायी। बिजली संकट दूर करने की कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें सफल सुधार संभव नहीं हो पाया है। वर्ष 1982–83 के दौरान बरौनी में 110–110 मेगावाट की छठी एवं सातवी इकाई की भट्ठी जलायी गयी। मुजफ्फरपुर ताप केन्द्र में भी 110–110 मेगावाट की 2 इकाइयों को चालू किया गया। उसके बाद 1980 के दशक में भी और दो–दो इकाइयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पिछले 25 वर्षों में उसे चालू नहीं किया जा सका। अभी हाल में भेल को निर्माण का जिम्मा दिया गया है। कोशी में 5–5 मेगावाट का 4 यूनिट कुल 20 मेगावाट का

चालू किया गया था, परन्तु पिछले 25 वर्षों से वह बंद है। इस प्रकार वर्ष 1982-83 में बिजली का जितना उत्पादन हुआ उतना उसके बाद के वर्षों में नहीं हुआ। कृषि आधारित उद्योग, वैल्यू एडेड फार्मिंग और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। राज्य उद्योग प्रोत्साहन बोर्ड ने कुल 838 कम्पनियों के प्रस्ताव में सहमति दी थी। इनमें 31 कम्पनियाँ ऐसी थीं जो दस करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगातीं। पांच करोड़ से कम पूंजी लगाने वाली कम्पनियों की संख्या ज्यादा बतायी गयी थी। उन प्रस्तावों में से अभीतक बहुत कम काम शुरू हो पाया है। यह कुल स्वीकृत प्रस्तावों का 10 प्रतिशत ही है। जिन कुछेक कंपनियों ने पहले प्रस्ताव दिये थे अब वे काम में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। राज्य सरकार लघु, छोटे और मझोले क्षेत्र के उद्यमियों की नई पीढ़ी तैयार करने में अबतक विफल रही है। बिहार में निवेश के कई अच्छे प्रस्ताव आये, परंतु शुरुआती दौर में ही लटक गये। सभी जिलों में नये उद्योग स्थापित करने के लिये 15 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी और बिजली संकट को देखते हुए उद्योग द्वारा लगाये गये जनरेटर खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पद्धति क्यों और कैसे बंद हुई? यह भी जानना आवश्यक है कि बिहार वित्त निगम और बिस्कोमान पिछले 25 वर्षों में क्यों निष्क्रिय हैं? श्री नीतीश कुमार की नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों की सहायता से वंचित रखा गया। एक ही खिड़की की प्रणाली घोषणा के अनुसार क्यों लागू नहीं हुई? कारोबार की जरूरतों के लिहाज से बिहार आज कहाँ खड़ा है? हाल के विश्व बैंक की रिपोर्ट में बिहार सहित देश के सभी राज्यों को आठ कसौटियों पर परखा गया और राजीव गाँधी संस्था ने 14 कसौटी में जाँचा है कि सभी कसौटी पर राज्यों में बिहार को सबसे नीचे दर्शाया गया है।

राज्य सरकार विधान मंडल के चालू सत्र में ही नई औद्योगिक नीति पारित करने वाली है। इसके अंतर्गत नये उद्योगों की स्थापना के साथ ही बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को दुबारा चालू करने के प्रावधान भी होंगे। सरकार राज्य के उद्योगों को फिर से नया जीवन देना चाहती है। वह राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ पुरानी बंद पड़ी इकाइयों को भी चालू करने के लिए उत्सुक है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में औद्योगीकरण के लिए नई औद्योगिक नीति घोषित करने का प्रयास स्वागत योग्य है।

इस परिप्रेक्ष्य में पिछले 15 वर्षों में बिहार की उद्योगविहीनता एवं औद्योगिक क्षेत्र की दिशाहीनता को दूर करने के स्पष्ट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता नई नीति में अपेक्षित है। क्योंकि पिछली राज्य सरकार ने बिहार के उद्योग के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन बार-बार दिया पर उस सम्बंध में की गयी घोषणाओं को व्यवहारिक रूप देने का कोई कारगर उपाय नहीं सुझाया। नतीजा हुआ कि राज्य की 25 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां बंद हो गयीं और इसके चलते तीन लाख मजदूर बेरोजगार हुए हैं। राज्य की अन्य इकाइयां भी लगातार बंद होती जा रही हैं। जो चल रही है उनमें से अधिकांश रुग्ण हैं। औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना विशेष तौर पर लघु उद्योग के विस्तार के लिए की गई थी। अनेक बड़ी इकाइयां भी लगायी गयीं, परन्तु 1990 के बाद इन सभी इकाइयों की स्थिति गंभीर होती गयी। राज्य की नयी नीति में आवश्यकता है कि इन इकाइयों की कठिनाइयों और बाधाओं की पहचान की जाएं ताकि इकाइयों के बन्द होने के मूल कारण का पता लगाकर यह निश्चित किया जाए कि उन्हें कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। स्पष्ट औद्योगिक नीति के अभाव में इन इकाइयों के उद्यमियों का मानना है कि बिहार में उद्योग विकास के लिए जरूरी मूल सुविधाओं यानी बिजली, सड़क और कच्चे माल की कमी है। बिजली की समस्या तो अति गंभीर है। आर्थिक तंगी की मार झेल रही इकाइयों को बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन तथा बैंक आदि से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, जबकि राज्य सरकार बार-बार आश्वासन देती रही कि बंद पड़ी इकाई को चालू करने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इन उद्यमियों की मान्यता है कि उद्योग विभाग की उदासीनता के कारण सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत पूँजी की इकाई बन्द है। सरकार की नई नीति में ऐसे उद्यमों की समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट रूप से निर्णय किया जाए। नई नीति में दरभंगा के अशोक कागज कारखाना को पुनर्जीवित करने और 50 करोड़ की परियोजना को कार्यान्वित कर उसे चालू करने का उल्लेख इस नीति में किया जाए।

सरकार फतुहा में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों और रोहतास उद्योग समूह की इकाइयों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ हाजीपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास की संभावनाएं तलाश करे। रोहतास में

स्थापित उद्योगों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद पुनर्जीवित करने के लिए सिमेंट, वनस्पति और एसवेस्ट्स कारखाने के सरकारीकरण के सम्बंध में कुछ नहीं किया गया। 1980 के दशक में व्यापक औद्योगीकरण के लिए राज्य में स्थापित उद्योगों को पूँजी-निवेश का 15 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान एवं अन्य सुविधाएं पुनः लागू करने और पूँजीगत अनुदान योजना पुनः चालू करने के सम्बंध में भी इस नई नीति में प्रावधान किया जाए। 1980 के दशक में नये उद्यमी को प्रोत्साहित करने की नई प्रोत्साहन योजना लागू की गयी थी, जिसके अंतर्गत देश एवं विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा विशेष पूँजी लगाये जाने पर अधिक अनुदान की व्यवस्था की गयी थी। इसके अंतर्गत 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता था। बिक्री कर मे 'सेटआफॅ' देने का भी प्रावधान किया गया था। ऐसे में नई नीति में विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों के लिए स्पष्ट प्रावधान किया जाए। वह सुविधा लघु उद्यमी कोटि की इकाइयों के लिए भी दी जाए।

हस्तकरघा एवं खादी उद्योग सहित सभी उद्योगों की दुरवस्था समाप्त करने की दिशा में भी कारगर उपाय करने की जरूरत है। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद के लिए 'स्टोर परचेज रूल 1975 में प्रावधान किया गया था कि इन उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं 15 प्रतिशत अधिक दर रहने पर भी सरकारी विभागों द्वारा अनिवार्यतः खरीदी जाएं। इस नीति में ऐसे प्रावधान का कोई उल्लेख किया जाए। सरकार की नई नीति में उन्नत किस्म के विद्युत उपादानों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने की बात होनी चाहिये। बिहार में उद्योग की स्थापना और विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले बिहार राज्य वित्तीय निगम की हालत खराब है। निगम उद्योगों के विकास के लिए ऋण नहीं उपलब्ध करा रहा है। 1990 तक मुनाफा कमाने वाला निगम आज घोर संकट के दौर से गुजर रहा है। इसकी निष्क्रियता और वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रमाण यह है कि जहाँ इसके समक्ष 1990 तक 12 सौ से अधिक आवेदन वित्तीय सहायता के लिए पहुँचते थे वहाँ इसकी संख्या घटकर मात्र 46 पर पहुँच गई। राज्य में उद्योग-धंधे के विकास के लिए अनुकूल माहौल नहीं रहने के कारण एक-एक इकाई बंद होती गई। इस कारण वित्त निगम ने 2000 से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बन्द कर

दिया। निगम की वर्त्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि राज्य में औद्योगिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से बन्द है।

बिहार राज्य में औद्योगीकरण एवं उद्योगों के गुणात्मक विकास के लिए 80 के दशक में 37 औद्योगिक प्रांगण स्थापित किये गये और बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार अधिनियम के अधीन 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची, आदित्यपुर और बोकारो में स्थापित किये गये। राज्य विभाजन के उपरांत बिहार में 3 ही औद्योगिक विकास प्राधिकार शेष बचे जो पटना क्षेत्र औद्योगिक विकास प्राधिकार, उत्तर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के रूप में जाने गये। पिछली सरकार की नीति के तहत इन तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकारों का पृथक अस्तित्व समाप्त करते हुए केन्द्रीय स्तर पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नाम से नये विकास प्राधिकार का गठन किया गया। इसका नतीजा हुआ कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने की जो संभावनाएं विद्यमान हैं उन्हें गौण कर दिया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद वर्तमान बिहार पूर्ण रूप से उद्योगविहीन हो गया है। चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, कागज उद्योग पण्डौल, सीवान, भागलपुर और मोकामा का सूती उद्योग तथा गया, मुजफ्फरपुर, छपरा एवं कटिहार स्थित अन्य मध्यम श्रेणी के उद्योग रुग्ण और बंद हो चले हैं। इनसे स्पष्ट संकेत मिलता है कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का विलयकर पटना में औद्योगिक विकास प्राधिकार को केन्द्रित कर दिये जाने से विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के पनपने की संभावना को बाधित कर दिया गया। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को पुनर्गठित कर उत्तर बिहार में उद्योग की संभावनाओं को बढ़ाया जाए।

बिहार विभाजन के बाद 97 प्रतिशत सार्वजनिक एवं निजी औद्योगिक इकाई झारखंड राज्य में चली गई। इस पृष्ठभूमि में नई औद्योगिक नीति अधिक सम्भावनाओं के साथ बननी चाहिए थी। संयुक्त बिहार में भी इस मामले में बिहार सरकार लापरवाह रही है। नई नीति में कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उत्तर बिहार में आम, केला, लीची, मखाना एवं

अन्य कृषि उद्योगों की सम्भावनाओं को बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। नये निवेशकों को आमंत्रित करने में बिहार लगातार पिछड़ता रहा है। निवेशकों के कुछ प्रस्ताव मंजूर किये जाते रहे जो फलीभूत नहीं हो पाये। पिछले दशक में इसे बढ़ावा देने के लिए अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित भी किया गया और अनेक प्रकार के दावे भी किये गये। किन्तु नये उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका। प्रवासी बिहारियों से कुछ उम्मीदें की गईं थीं पर उन उद्यमियों का कहना था कि पहले आधारभूत सुविधाएं विकसित करें, फिर उन्हें बुलाया जाए। सरकार के सभी दावे खोखले साबित हुए। 'एकल खिड़की' योजना भी निरर्थक साबित हुई, क्योंकि उद्यमी की समस्या का निराकरण समय पर नहीं किया जा सका। नई औद्योगिक नीति से यह अपेक्षा है कि घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को सभी आवश्यक जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने एवं राज्य में निवेश करने के लिए 'ऑन लाइन गाइड' के रूप में एक 'वेबसाइट इन्वेस्ट-बिहार डॉट कॉम' शुरू करने का प्रावधान है। आज आवश्यकता है कि निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से एक एजेंडा तैयार किया जाए तथा एक परियोजना भी शुरू की जाए। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विकास-कार्यक्रम केवल बिहार में विकसित नहीं हुआ।

औद्योगिक संगठनों का यह सुनिश्चित अभिमत है कि राज्य सरकार का प्रशासी-तंत्र इसमें बाधक बना रहा है। उद्यमियों की यह भी शिकायत है कि बार-बार नियमों के सशक्तीकरण एवं प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात की जाती रही, लेकिन व्यावहारिक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पिछली सरकार बिहार की उद्योगविहीनता, विकासहीनता दूर नहीं कर पायी। इस संबंध में औद्योगिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की आशंका आज भी व्याप्त है, क्योंकि उद्यमियों के प्रोत्साहन और आकर्षण के संबंध में जो प्रावधान हों वे राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति से कार्यान्वित हों।

अब बिहार राज्य में अनुकूल माहौल बना है। बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश किये जा सकते हैं। पिछड़े राज्यों में गिने जाने वाले बिहार की नयी छवि बनी है। राज्य सरकार राज्य में विकास के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयत्नशील है। निवेशकों को सुविधा देने के लिए कई नीतियों में

बदलाव लाया गया है और करों का बोझ कम कर दिया गया है। उनके सकल सुरक्षा, विकास व समृद्धि के बीज बो दिया है। अत: प्रवासी भारतीय निवेश कर उसे पल्लवित और पुष्पित कर सकते हैं। बिहार का विकास होने पर ही देश का विकास हो सकता है। निवेशकों को बिहार में भयमुक्त होकर पूंजी लगाने का अवसर है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, चीनी मिल, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, आधारभूत संरचना विकास के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए मुक्त किये गये हैं। मानव संसाधन बिहार की सबसे बड़ी पूंजी है। बिहार विकास के निचले पायदान पर है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर जाने की सभी संभावनायें हैं। नई औद्योगिक नीति विकास की पहली कड़ी है। राज्य में विनिवेश का स्वस्थ वातावरण बन सकता है। नये उत्पादन साधनस्रोत उपलब्ध कराए जाएं जिससे रोजगार के नये अवसर बन सकें। सरकार की विकास नीति में प्राथमिकता दी जानेवाली दो महत्वपूर्ण बातें हैं, बिहार की कमजोर आधारभूत संरचना को ठोस बनाना तथा कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करना।

संगठित उद्योग आज के आर्थिक युग का आधार है। उद्योगों के आधार पर ही किसी अंचल के आर्थिक विकास को मापा जाता है। इससे संपन्नता और प्रतिव्यक्ति आय के वास्तविक आधार की जानकारी मिलती है। उद्योगों के विकास से ही सामाजिक प्रगति के नये मार्ग प्रशस्त होते हैं। विकास के कार्यक्रमों में संगठित उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुत: औद्योगीकरण और आर्थिक विकास उच्च जीवन-स्तर की 'कुंजी' है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक लाभप्रद उपयोग होता है। औद्योगीकरण को राष्ट्र की भौतिक उन्नति का पर्याय माना जाना चाहिए। उत्तर बिहार औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा अंचल है। आधारभूत उद्योग जैसे लोहा एवं इस्पात, खान, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आदि का यहां सर्वथा अभाव है। कृषि आधारित संगठित उद्योग ठीक नहीं है। अधिकांश रुग्णावस्था को प्राप्त कर मृत्यु-शय्या पर है। बिहार विभाजन के बाद इन रुग्ण उद्योगों का आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन करने से आर्थिक विकास एवं प्रतिस्थापन करने से आर्थिक विकास के साथ बेकारी दूर की जा सकती थी, लेकिन अभीतक इस तरफ कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जा सके हैं।

रुग्ण एंव बंद चीनी मिलों के संचालन और उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत

किया गया। 1976 के आरंभ में 7 चीनी मिलों- बिहटा, वारिसलीगंज, गोरौल, रैयाम, गुरारू, समस्तीपुर और बनमनखी को इस निगम के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। पुनः बिहार राज्य चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, 1985 के अंतर्गत कुल 15 चीनी मिल इकाइयां इसके अंतर्गत आ गयी। किन्तु चीनी निगम जिस उद्देश्य से बीमार चीनी मिलों को अपने अधीन किया था, परिणाम उसके ठीक विपरीत निकला। राज्य में 9 आधुनिक चीनी मिलों की स्थापना का प्रस्ताव आया है।

बिहार में चीनी उद्योग के विस्तार एवं बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू कराने की घोषणा वर्तमान सरकार ने कर यह संदेश दिया है कि यही एक उद्योग है जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है। इसलिए इस उद्योग को विकसित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस दृष्टि से सरकार ने राज्य में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 'चीनी उद्योग प्रोत्साहन पैकेज' की घोषणा की है जिससे राज्य में बंद पड़े 15 चीनी उद्योग के पुनर्वास एवं नई चीनी मिल की स्थापना से उत्तर बिहार के किसानों के जीवन स्तर में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन हो सकेगा। इस नीति से चीनी उत्पादन के साथ-साथ रोजगार में वृद्धि एवं विस्तार होगा। नई नीति से किसान के जीवनस्तर, रोजगार, मजदूरों की मजदूरी एवं उनके कल्याण तथा व्यवसाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित है।

उत्तर बिहार में चीनी उद्योग के समक्ष अनेक समस्याएं है, जिनमें-(1) चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में ईख उपलब्ध नहीं होना (2) उत्पादन का सही उपयोग नहीं होना (3) ईख एवं चीनी के मूल्य पर वैधानिक अड़चन (4) कर-टैक्स आदि की समस्याएं। (5) मिल की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होना (6) उत्पादन लागत का अधुनिक होना (7) मिलों का आधुनिकीकरण एवं अभिनवीकरण नहीं होना (8) रुग्ण और बीमार मिलों की समस्याओं का समाधान नहीं होना (9) चीनी का आंतरिक उपयोग बढ़ जाने से निर्यात का घटना (10) कृषकों को समय पर गन्ना का मूल्य नहीं मिलना आदि शामिल है। जूट प्रधानतः पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में उपजायी जाती है। यह भाग जूट का प्रधान उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर बिहार में 1955 में समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड का निर्माण प्रारंभ

हुआ। 40 लाख अंश पूंजी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से और 10 लाख कर्ज पूंजी से इस मिल का निर्माण पूरा हुआ। कारखाना की उत्पादन क्षमता 10 टन कागज प्रतिदिन था। जापानी तकनीक का प्रयोग किया गया था। पुआल और घास से कागज बनता था। कारखाना अपनी उत्पादन क्षमता के अनुरूप कागज बना रहा था। बाजार में इस मिल से निर्मित कागज की खपत भी अच्छी थी किन्तु, निदेशक मंडल के अव्यावहारिक-अनैतिक आचरण के कारण कार्यशील पूंजी का अभाव हुआ जिसके कारण उत्पादन बंद हो गया, मिल अब भी बंद पड़ी है।

दूसरा कागज का कारखाना दरभंगा-लहेरियासराय से सात मील दक्षिण करेह नदी के तट पर 29 अगस्त, 1957 को अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, रामेश्वर नगर के नाम से बनना शुरू हुआ। बांस और सावे घास से कागज बनाना था। 320 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। फ्रांस के तकनीकी सहयोग से 15000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाली मिल का निर्माण, महाराजा दरभंगा, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, बिहार सरकार और जीवन बीमा निगम के द्वारा हुआ। ये मुख्य अंशधारी थे। 1965 तक 625 लाख रुपये व्यय हो जाने के बाद यह मिल ठप्प हो गया। बाद में भारतीय औद्योगिक बैंक ने 13.40 करोड़ रुपये कर्ज देकर बिहार-असम सरकार के संयुक्त सहयोग से उत्पादन शुरू करवाया। असम में 120 टन और दरभंगा में 30 टन कागज बनने लगा। 1200 श्रमिक कार्यरत थे। मिल फिलहाल बंद है और इसे निजी क्षेत्र में देने का प्रयास हो रहा है।

तीसरा कारखाना सहरसा जिला के बैजनाथपुर में बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से (156.12 लाख अंश पूंजी से) 20 वर्षों से निर्माणाधीन है। विदेश से मशीन एवं उपकरण आ चुका है। बिहार राज्य उद्योग विकास निगम इस कागज कारखाने का प्रर्वतक है। चौथा कारखाना बरौनी पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बरौनी में था। यहां क्राफ्ट पेपर बनता था। पांचवाँ कारखाना बिहार राज्य रासायनिक एवं औषधि विकास निगम द्वारा 42.41 लागत से झंझारपुर में बन रहा था। 13 वर्ष उपरांत भी यहां से कागज उत्पादन अभीतक नहीं शुरू हुआ है। औद्योगिक विकास, अंचल की बेकारी दूर करने एवं आर्थिक प्रगति के लिए इन बंद कागज मिलों को चालू करने के सभी प्रयास होने चाहिये। नीचे विभिन्न मिलों के नाम, स्थान है:- (1) ठाकुर पेपर मिल्स

लिमिटेड, समस्तीपुर (2) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, दरभंगा (3) नौर्थ बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड, बगहा (4) बरौनी पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बरौनी (5) आर्यभट्ट पेपर मिल्स लिमिटेड दरभंगा (6) जय चंदिका पेपर मिल्स लिमिटेड, बरौनी (7) उपेन्द्र पेपर मिल्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (8) विश्वनाथ पेपर मिल्स लिमिटेड, पूर्णिया (9) बैद्यनाथ पेपर मिल्स लिमिटेड, मधेपुरा (10) क्राफ्टवेल पेपर प्राइवेट लिमिटेड पूर्णिया (11) कटिहार पेपर मिल्स लिमिटेड, कटिहार (12) बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड, सहरसा और (13) झंझारपुर पेपर मिल्स लिमिटेड, झंझारपुर।

आधुनिक ढंग का सूती वस्त्र मिल सर्वप्रथम मधुबनी जिला के पण्डौल में 1983 में सहकारिता क्षेत्र में पण्डौल को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की गयी। बिहार राज्य वस्त्र निगम एवं बिहार सरकार ने मुख्य रूप से इस मिल में पूंजी का निवेश किया। भारतीय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज भी उपलब्ध कराया गया। 10 करोड़ रुपये की लागत से 700 श्रमिकों एवं 125 कर्मचारियों द्वारा यह मिल पूर्ण क्षमता से सूत उत्पादन कर रही थी। स्थानीय बुनकर को सस्ती दर पर सूत मुहैया कराया जाता था। किन्तु कार्यशीली पूंजी, बिजली एवं समुचित व्यवस्था के अभाव में आज उत्पादन बंद है और श्रमिक बेकार। सिवान में भी सहकारिता क्षेत्र में एक मिल स्थापित की गयी, जो अभी बंद पड़ी है। औद्योगिक प्रांगण पूर्णिया में इंडस्ट्रीज कॉटन यार्न प्रोजेक्ट, बिहार राज्य वस्त्र उद्योग निगम द्वारा 1988 में स्थापित किया गया, जो दरी, कनवास, जाल, टायन कौर्ड, फिल्टर कपड़ा, आदि के लिए सूत उत्पादन करता था। 96. 82 लाख लागत से बना यह कारखाना 1993 तक कार्यरत था। कार्यशील पूंजी के अभाव में आज उत्पादन बंद है।

राज्य सरकार ने लघु उद्योग के विकास के लिए उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक प्रांगण का निर्माण किया। इन प्रांगणों में शेड, रोड, बिजली, जल एवं बैंक का प्रबंध किया गया। इस योजना के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, मधेपूरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, आदि जगहों पर यह प्रांगण बना। 30 करोड़ रूपये की लागत से 619 भूखंड उद्यमियों को दिया गया जिसमें अधिकांश में अकाल मृत्यु और रुग्णावस्था को प्राप्त किया। बरौनी में हिन्दुस्तान

उर्वरक निगम की एक इकाई स्थापित की गयी। इस कारखाने की 1,40,000 टन उत्पादन क्षमता थी। 1992 में इस कारखाना को रुग्ण घोषित कर दिया गया। बाद में 156 करोड़ की लागत से उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात की गयी। 6,00,000 टन उत्पादन वृद्धि से 540 करोड़ रुपये की उत्पादन वृद्धि और 15 करोड़ रुपये खाद आयात में बचत संभव था, किन्तु विदेशी खाद उत्पादक एवं नौकरशाह की दुरभि संधि से यह प्रस्ताव अभी तक सफल नहीं हो सका और कारखाना बंद कर दिया गया है। नियमत: प्रत्येक 9 वर्ष के अंतराल पर रासायनिक कारखाने का नवीकरण अत्यावश्क है, जबकि बरौनी खाद कारखाने को जीर्णोद्धार से वंचित रखा गया। भारत सरकार ने अंग्रेजी दवा एवं अल्कोहल का एक बड़ा कारखाना मुजफ्फरपुर में स्थापित किया। दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय पूंजी निवेश के कारण यह इकाई उपेक्षित रही।

राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के उस निर्णय का स्वागत करती है जिसके अनुसार खाद्यान्न विधायन उद्योगों के विकास के लिए अलग मंत्रालय का सृजन किया गया। अभी जरूरत इस बात की है कि पंजाब की पेप्सी कोला परियोजना जैसी ख्याति प्राप्त परियोजना उत्तर बिहार में स्थापित की जाए जहाँ दूध, फल, सब्जी और अन्न पर आश्रित उद्योगों के पनपने की पूरी संभावना है। केन्द्र सरकार को चाहिये कि खाद्यान्न विधायन संयंत्रों जैसे रोलर, आटा चक्की, पैकेजिंग और उत्साहित खाद्यान्न संयंत्र के आयात-शुल्कों में कटौती करे। केन्द्रीय मंत्रालय को वित्त संबंधी और करारोपण संबंधी ढांचे की समीक्षा भी करनी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) और शीतलीकरण संयंत्र बैठाया जाए, ताकि फल और सब्जी का भंडारण हो सके। केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को निदेश दिया गया है कि वह शीतागार, बेकारी, आटा चक्की, चावल मिलों और पशु-आहारों केन्द्रीय अर्थ साहाय्य देना बंद कर दे। इस तरह की कार्रवाई से खाद्य-विधायन उद्योगों के विकास में व्यवधान होगा। राज्य सरकार चाहती है कि इसे वापस किया जाय। राज्य सरकार चाहती है कि खाद्य विधायन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ गिने-चुने खाद्य विधायन उद्योगों और कृषि संबंधी उद्योगों के लिए टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाय और उनके लिए बाहर से टेक्नोलॉजी की जानकारी प्राप्त की जाय। खाद्यान्न का स्टाक सीमित रखने और उसे एक प्रान्त से दूसरे में ले जाने के लिए जो अस्वाभाविक प्रतिबंध लगाये गये हैं उन्हें खाद्य विधायन उद्योग के

हित में शिथिल कर दिया जाय। उत्तर बिहार के प्रत्येक जिलों में वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल उद्योगों की संभावना है एवं तदनुसार उद्योग लगाने की योजना है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बिहार को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से 165 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आजादी के बाद से अबतक केन्द्र सरकार द्वारा बिहार की लगातार उपेक्षा किया जाता रहा है। 1952 से लगातार प्रत्येक योजना, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बिहार में सभी राज्यों की तुलना में निम्नतम प्रति व्यक्ति व्यय, निम्नतम केन्द्रीय सहायता के परिणामस्वरूप ही बिहार लगातार आर्थिक रूप से विपन्न एवं कमजोर बना रहा। बिहार की ओर से लगातार बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर व्यय करने की मांग उठायी जाती रही। संयुक्त बिहार में बिहार को खनिज सम्पदा के लिए न्यायपूर्ण रोयेल्टी नहीं दिये जाने और बिहार को कन्साइनमेंट टैक्स नहीं लगाये जाने की अनुमती दिये जाने और माल भाड़ा समानीकरण किये जाने के कारण बिहार लगातार औद्योगीकरण के मामले में पिछड़ता रहा राष्ट्रीय औसत से सभी मामलों मे बिहार का अत्यन्त ही गरीब और पिछड़ापन केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण ही बनी रही। जिसकी सम्पुष्टि हाल में सामाजिक, आर्थिक जनगणना प्रतिवेदन से उजागर हुआ है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि पिछले 25 वर्षो में जद, राजद, जदयू शासनकाल में भी केन्द्र की गैर कांग्रेसी सरकार ने भी बिहार के साथ न्याय नहीं किया। पिछले 25 वर्षो में जो भी धन-राशि केन्द्र सरकार ने दी जैसाकि बाजपेयी सरकार में 10 हजार करोड़ और मनमोहन सरकार में 12 हजार करोड़ का जो विशेष पैकेज दिया गया, उसका इस्तेमाल करने में भी बिहार इन 25 वर्षो में लगातार पिछड़ता रहा है। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि 15 जून 89 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जो पैकेज औद्योगीकरण के लिए और परिवहन के लिये दिया था उसका इस्तेमाल भी बाद की सरकार नहीं कर सकी। इन तथ्यों के आलोक में ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार को 125 लाख करोड़ का दिया जाना पैकेज का बिहार सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए किया जाना चाहिए। श्री मोदी द्वारा 125 लाख करोड़ का पैकेज केन्द्रीय सरकार के स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर घोषणा की गयी है इसलिए इस पैकेज में कोई प्रपंच और अनियमितता नहीं

दिखती है। अनावश्यक रूप से श्री लालू प्रसाद जी इस पैकेज पर संदिग्धता उत्पन्न करने के साथ ही राजनीतिक लाभ के लिए विशेष राज्य के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बिहार के औद्योगीकरण में तीव्रता लाने के उद्देश्य से, बड़े उद्यमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही श्री मोदी जी ने दो प्रमुख रियायतें यानी 15 प्रतिशत करों में छूट और पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत विशेष छूट देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त बिहार प्रदेश की 38 में से 21 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित किया है, जिसके तहत इन जिलों में नया विर्निर्माण संयंत्र, भवन के निर्माण और आयकर में 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर सम्बन्धित जिलों को आयकर कानून की धारा-32, 32 (ए०डी०) के तहत ला दिया है। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से इन जिलों में भवन, नये संयंत्रों एवं मशीनों में निवेश करने पर उद्यमियों को 15 प्रतिशत कम आयकर देना होगा। अधिसूचित जिलों में पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णियां, कटिहार, अररिया, जमूई, लखीसराय, सुपौल और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार पिछले 25 वर्षो में न तो एक भी बिजली उत्पादन केन्द्र से उत्पादन कर सकी है और न ही 36 रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित कर सकी और न तो 16 बंद चीनी मिलों को चालू करा सकी है। जिनकी चर्चा पूर्व में भी किया गया है।

जद (यू०) सरकार में दो लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों को एम०ओ०एस० दिया गया। वे सभी बिहार में पूंजी लगाने से यहां की परिस्थितियों को देखकर मुकर गये। पिछले नीतीश कुमार के 10 साल के शासनकाल में कोई आधुनिक निजी और संयुक्त क्षेत्र में कोई बड़ा कारखाना स्थापित नही हो पाया। यह स्थापित करता है कि जैसा जद एवं राजद की सरकारें औद्योगीकरण में विफल रही, उसी तरह श्री नीतीश कुमार की सरकार भी औद्यागीकरण के मामले में पीछे रही, क्योंकि यहां की आर्थिक संरचना अभीतक नहीं बन पायी है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 125 लाख करोड़ विषेष पैकेज का सदुपयोग किया जाना चाहिए।

❐

17

आरक्षण की विसंगतियां, समाधान एवं संविधान संशोधन

आरक्षण सामाजिक न्याय का उपकरण है। निश्चित रूप से समाज के वंचित और शोषित समूह को न्याय मिलना चाहिए, परंतु ऐसा करते समय यह देखा जाय कि सम्पन्न एवं सक्षम समूह ही आरक्षण व्यवस्था का लाभ न उठा ले। आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए, जो उसके हकदार हैं, न कि उन्हें जो उसका लाभ उठाकर सम्पन्नता के दायरे में आ चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि आरक्षित वर्ग में शामिल करने के लिए कोई सर्वमान्य मापदंड बनाया जाय, ताकि केवल वे ही जातियाँ इन वर्गों में शामिल हों, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। इस प्रकार के मापदंड तय करना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी समाज की विधायिका में प्रतिनिधियों और नौकरशाही या फिर सेना और सिविल सेवाओं में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या के आकलन से यह अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक समाज पिछड़ा है या नहीं और उसे आरक्षण का हकदार होना चाहिए या नहीं। अब आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। आरक्षण उपेक्षित वर्गों को बराबर का अवसर प्रदान करने की एक पहल है। इसकी विसंगतियाँ देश के सामाजिक ढाँचे को छिन्न-भिन्न कर रही हैं। सरकार की सेवाओं में आरक्षित सीटों की पूरी तरह भरपाई नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को मिले आरक्षण की सीटें भरने के लिए एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय के निदेश के आलोक में

अति पिछड़ों एवं अति दलितों के लिए अलग से आरक्षण पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक सामाजिक न्याय समिति गठित की जाय। समिति की स्किारिशें आरक्षण व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करने की अनुशंसा करें लेकिन यह एक उल्लेखनीय बात अवश्य है कि यह समिति पिछड़े एवं दलित वर्ग में नियोजन, आर्थिक एवं शैक्षणिक आधार पर ही आरक्षण के संदर्भ में विचार-विमर्श करे। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था करनी होगी।

भारतीय संविधान एक समतावादी समाज के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देना, राज्य का दायित्व है। केन्द्र सरकार को भाषा और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक मसले के समाधन के लिए गठित माननीय न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट की अनुशंसा स्वीकार करते हुए मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एवं उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार में समानता देने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, शिक्षा पर सबसे अधिक बल देना होगा। 16 करोड़ मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन के मामले में पीछे रखते हुए देश का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए एक ही पैमाना बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी स्वीकार किया जाय। अल्पसंख्यक समुदाय एवं सवर्ण गरीब को इस सिलसिले में पिछड़ा करार किया जाय उसी अर्थ में जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में इस्तेमाल किया गया है।

सामाजिक समरसता के लिए बिहार में सवर्ण एवं मुसलमानों को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आर्थिक रूप से पिछड़ों की शिकायत पर ध्यान दिया है। माननीय न्यायाधीश मसायत और माननीय न्यायाधीश ठक्कर के कथनानुसार, ''यदि मलाईदार परत (क्रीमी लेअर) को वहिष्कृत करना पड़ता ही है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अंतर्निहित भी करना हैं, इससे सामाजिक संतुलन होगा और यह संविधान के उद्देश्यों का सत्यपरक अर्थ भी होगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश का नियमन है-''पिछड़े वर्गों का निर्धारण पूर्णतः जाति पर नहीं हो सकता। गरीबी,

सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन- ये सब पिछड़ापन के निर्धारण के लिए अनिवार्य लक्षण हैं।'' केन्द्र के स्तर पर सांवैधानिक कठिनाई हो भी सकती है; क्योंकि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाधक है, परंतु बिहार में झारखंड गठन के बाद आदिवासियों के लिए आरक्षित 10 प्रतिशत के कोटा में से सुगमता से सवर्णों को 4 प्रतिशत एवं मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है।

समाज के विभिन्न वर्गों में आरक्षण व्यवस्था का लाभ सभी जातियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। गहन परीक्षण के उपरांत पाया गया है कि जो जातियाँ प्रभावशाली तथा बहुसंख्यक थीं, उन्होंने धीरे-धीरे सेवा में नियोजन और शिक्षा के क्षेत्र तक सभी निर्धारित सुविधाएँ अपने लिए ही सीमित करने में सफलता हासिल की है। नतीजा है कि जो जातियाँ लाभ से वंचित रह गयी हैं उनके बीच वर्त्तमान व्यवस्था के चलते असमानता बढ़ती गयी है। इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कराने के लिए पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अलग-अलग विभाजित किया जाय और उनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि लगभग समान स्तर का लाभ उस प्रकार के संबंधित वर्ग की सभी जातियों को समान रूप से प्राप्त हो सके और संबंधित वर्गों की प्रभावशाली जातियों से इन जातियों के लोग प्रतिस्पर्धा से बच सकें तथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त करना संभव हो। उच्चतम न्यायालय ने अपने मण्डल आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में कहा है कि आरक्षण सामाजिक न्याय का उपकरण है। निश्चित रूप से समाज के वंचित और शोषित समूह को न्याय मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए, जो उसके हकदार हैं, न कि उन्हें जो उसका लाभ उठाकर सम्पन्नता के दायरे में आ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में कहा था कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा से 'क्रीमीलेयर' को अलग किया जाय। दूसरा यह कि पिछड़ी जातियों को दो भागों में बाँटा जाय- पिछड़ा वर्ग और अपेक्षाकृत अति पिछड़ा वर्ग; साथ ही इस 27 प्रतिशत का वितरण उनकी आबादी के अनुपात में किया जाय। यह विस्मयकारी है कि भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को अभीतक स्वीकार नहीं किया है। डॉ. मिश्र ने

उच्चतम न्यायालय के 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय के आलोक में, 17 अगस्त, 1994 एवं 20 मार्च, 2000 को राज्य सभा में केन्द्र सरकार से कहा था कि 16 नवम्बर, 1992 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण नहीं किया जाना उच्चतम न्यायालय के निदेश की अवमानना है।

भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ 50 करोड़ से अधिक महिलाएँ हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और लोगों की संवैधानिक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि उन्हें समान अधिकार का अवसर दिया जाय, जिससे उनकी तरक्की सुनिश्चित हो सके। जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, महिलाएँ बेशक एक अलग श्रेणी हैं। वे न तो जाति और भाषा से बंधी हैं और न ही वर्ग से। इसलिए जब जेंडर के आधार पर संसद और विधानसभाओं में आरक्षण दिया जा रहा हो, उस वक्त स्त्रियों की जाति को बीच में लाना एक अलोकतांत्रिक हरकत है। विधायिका में जाति के आधार पर पुरुषों का विभाजन नहीं किया गया है, तो स्त्रियों के मामले में यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? बेशक जाति भी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है, पर इसका इलाज यह नहीं है कि संसद को विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों से भर दिया जाय। जिस दिन ऐसा होगा, देश की राजनीति का सर्वनाश हो जायेगा। क्या हम चाहते हैं कि भारत जातियों के गणतंत्र में बदल जाय? औरतों के राजनीति में आने से राजनीति ज्यादा संवेदनशील होगी और इससे हमारी संस्कृति भी बदलेगी। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होती हैं तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका कारगर हस्तक्षेप होगा। कोई भी सरकार हो, महिलाओं के हितों का ख्याल रखने का दबाव उसपर बराबर बना रहेगा। लोकतंत्र का भविष्य सुनिश्चित करना है तो उसमें महिलाओं को बराबरी की भागीदारी देनी होगी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। जबकि संविधान उन्हें समानता का अधिकार दे चुका है। यह विडंबना ही है कि आज तक इन महिलाओं की बेहतरी के बारे में किसी ने गंभीरता से सोचा ही नहीं। डॉ॰ लोहिया स्त्री-पुरुष समानता के कट्टर समर्थक थे। अपने कई आंदोलनों में उन्होंने इसकी झलक भी दिखायी। वह महिलाओं को जीवन के हर सफर में आगे लाने के लिए उत्सुक रहते थे। डॉ॰ राममनोहर लोहिया ने इन सब आयामों को सामने रखकर स्त्री को पिछड़ों आदि

के साथ साठ सैकड़ा में स्थान दिया था, जिसे सार्वजनिक जीवन में प्रभावकारी भागीदारी मिलनी चाहिये। वे नर-नारी समता को सामाजिक न्याय का प्रमुख अंग मानते थे। उनका कहना था कि जब अधिक संख्या में नारियाँ सार्वजनिक जीवन में आगे आयेंगी, तभी उनके प्रति पुरुषों की धारणाएं बदलेंगी।

संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक स्थिति रिपोर्ट 2010 ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों के दलितों की कल्याणकारी योजनाओं के उन तक पहुँचाने की स्थिति को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलित और विशेषकर दलित परिवार की महिलायें संविधान के बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। आज भी वे हाशिये पर हैं। समाज में जाति आधारित व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति के लोग अब भी बहिष्कार के शिकार हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से यह सत्यापित हुआ है कि देश के बहुत हिस्सों में अधिकतर दलितों की स्थिति अत्यंत ही नाजुक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि अनुसूचित जातियों के पक्ष के बने कानून बेअसर रहने के कारण इन वर्गों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। इन वर्गों के प्रति उदासीनता दिखायी पड़ती है। अनुसूचित जातियों पर हिंसा रोकने के मामले में नौकरशाही का पक्षपातपूर्ण रवैया सामाजिक एवं आर्थिक कानूनों को लागू करने के संदर्भ में भी खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ नौकरशाही ही अपराधी है जिसका नजरिया और व्यवहार तमाम स्तरों पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सदियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर जी रहे दलितों के प्रति समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों का नजरिया, लोकतंत्र, समता और न्याय आदि के तमाम प्रचार के बावजूद नहीं बदला है। यह सुनना अत्यंत कष्टदायक लग सकता है। पर दलितों के मामले में क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा सब के सब एक हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में यह पूछना कितना ही दारुण क्यों न हो,पर इसी आईने में हम अपने देश की असली सूरत देख सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने सभी सरकारों एवं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की पोल खोल दी है, जो दलित कल्याण के लिए हजारों करोड़ के दावे करते रहे हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों की योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा उन तक पहुँच नहीं पाता, जो इसके हकदार हैं। भारतीय संविधान ने

दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक प्रावधान किये हैं। उन्हें लोक सभा, विधान सभा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है। समानता के अधिकारों के साथ-साथ इनके कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए किये गये, ताकि सदियों से प्रताड़ित और पिछड़ेपन की असुविधायें दूर हों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से एवं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। दलितों पर जुर्म बढ़ता ही गया, जुर्म करने वाले बदले हैं। पहले इनके पिछड़ेपन और शोषण के लिए जमींदार, सामंतशाही को जिम्मेवार ठहराया जाता था। अब यही भूमिका प्रशासनिक अधिकारी एवं नव सामंतों ने ले ली है। दलितों को अधिकारों से वंचित करने के लिए मध्यवर्गीय, पिछड़ा वर्ग समूह और प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। राजनीतिक दलों ने सामाजिक संरचना में मौजूद असमानता को हटाने का संकल्प जरूर लिया है, परंतु यह केवल राजनीति तक ही सीमित रह गया है।

संविधान में पर्याप्त प्रावधानों और अन्य कानूनों के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के प्रति विषमता एवं सामाजिक तौर पर अन्याय का क्रम जारी है। भारत के गणतंत्र राज्य घोषित होने के 66 वर्ष बीतने के बाद भी सामान्यत: अनुसूचित जातियों के लोगों और खासकर दलितों एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों को जिस तरह अपमान से गुजरना पड़ रहा है वह शर्म की बात है। आरक्षण की सबसे बड़ी विसंगति यही है कि आरक्षित वर्ग में भी कई जातियाँ बन गयी हैं। आरक्षण का लाभ सूची में शामिल सभी जातियों में बाँटने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि आरक्षण का मूल उद्देश्य पूरा किया जा सके। विसंगतियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है। केन्द्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को 'ए' और 'बी' श्रेणी में बाँटा जाय। आरक्षण की श्रेणी में शामिल सभी जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस अवधारणा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के लिए लागू करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से समृद्ध पिछड़े वर्ग के लोगों को 'क्रीमी लेयर' के तहत मानकर आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा चुका है, पर यह लागू नहीं है, इस अवधारणा को सभी तरह के आरक्षण पर लागू करने की जरूरत है। आरक्षण की सबसे बड़ी विसंगति यह

है कि आरक्षण पैतृक संपत्ति की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बंटता रहा है। अब समय आ गया है कि उन माँ-बाप के बच्चों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाय, जिन्होंने आरक्षण का फायदा किसी राजपत्रित पद या विधायिका का सदस्य बनने में उठाया हो। जो जातियाँ राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, वे आसानी से आरक्षित वर्गों में शामिल होती जा रही हैं। जरूरत इस बात की है कि आरक्षित वर्ग में शामिल करने के लिए कोई सर्वमान्य मापदंड बनाया जाय, ताकि केवल वे ही जातियाँ इन वर्गों में शामिल हों जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। इस प्रकार के मापदंड तय करना कोई मुश्किल काम नहीं है।

1962 के 28 सितम्बर को माननीय न्यायाधीश गजेन्द्र गडकर द्वारा 'मिस्टर बालाजी बनाम मैसूर राज्य' मामला में स्पष्ट नियमन दिया गया है- ''नागरिकों के वे वर्ग जो बुरी तरह निर्धन हैं, स्वत: सामाजिक रूप में पिछड़े हो जाते हैं, वे समाज में किसी स्तर का आनन्द नहीं ले पाते और, इसलिये इन्हें पीछे की जगह बैठने से ही तृप्त रहना पड़ता है।'' 2008 के 10 अप्रैल को माननीय न्यायाधीश के॰जी॰ बालकृष्णन उन्हीं की (गजेन्द्र गडकर) निरीक्षा को दुहराते लगते हैं, जब यह कहते हैं-''सभी ब्राह्मण उच्चस्तरीय प्रतिष्ठित नियोजन में संलग्न नहीं हैं और न ये सब बहुत धनी ही हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण निम्न जाति के सदस्यों के नौकर हों या यह भी हो सकता है कि किन्हीं धनी ब्राह्मण के निजी नौकर कोई गरीब ब्राह्मण हों'' सामाजिक पिछड़ापन की यह विनिर्मिति, गरीबी के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन का एक बड़ा प्रतिरक्षात्मक लक्षण तैयार कर देती है जिससे बिना संविधान संशोधन के ही 'आरक्षण' समेत स्वीकृत चालू कार्यक्रमों के लाभों को हासिल करने का मार्ग आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए पक्का हो जाता है। आरक्षण, आर्थिक रूप से उन पिछड़ों के लिए, जो इस कारण समाज में पीछे गिरे-पड़े हैं कि बिना जाति-भेद के उनके माता-पिता झाड़ूदार हैं, कचड़े-टुकड़े उठाने वाले हैं, या रिक्शाचालक हैं, संविधान के अंतर्गत ही तत्वत: न्यायसंगत है। जो भी लोग इस संवैधानिक तत्वार्थ के बावजूद संविधान- संशोधन की जरूरत दिखाते हैं, उन्हें इस यथार्थ की जाँच पुन: कर लेने की आवश्यकता है। तथाकथित अगड़ी जाति के झाड़ूदार के बेटा के लिए इस स्वीकारात्मक पहल

के फलादेशकर्त्तावृन्द मंडल आयोग में पारित फैसला के पीछे की राह पकड़ते हैं। इन फलादेशकर्त्तावृन्द को यह परामर्श देय है कि ये भारत के संवैधानिक इतिहास की झांकी लें और 'आर॰ चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य' मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला को प्रसंगित करें जिसमें पिछड़े वर्गों की पहचान व्यवसाय-सह-आय के आधार पर की गयी, न कि जाति के आधार पर और यह पहचान संवैधानिक रूप में बिल्कुल ठीक मानी गयी। इस फैसला पर माननीय न्यायाधीश जीवन रेड्डी ने बहुमत फैसला लिखते हुए अंकित किया ''इस न्यायालय ने 'चित्रलेखा' में स्वीकृत किया कि ऐसी पहचान अनुज्ञेय है। हमें उक्त इस विचार से भिन्न होने का कारण नहीं दिखता, चूंकि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता एक दूसरे जरिया से भी मिलता है।''

माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आर्थिक रूप से पिछड़ों की शिकायत पर ध्यान दिया है। माननीय न्यायाधीश मसायत और माननीय न्यायाधीश ठक्कर के कथनानुसार, ''यदि मलाईदार परत को वहिष्कृत करना पड़ता ही है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अंतर्निहित भी करना हैं, इससे सामाजिक संतुलन होगा और यह संविधान के उद्देश्यों का सत्यपरक अर्थ भी होगा। सामाजिक सशक्तीकरण केवल सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए ही एक मापदंड हो भी नहीं सकता और निश्चित रूप से है भी नहीं। इसे (सामाजिक सशक्तिकरण को) सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये भी एक मापदंड होना ही है। खैर, एक विचारणीय प्रश्न यह उठता है : क्या हमारी कार्यपालिका इस घोषित कानून की राह चलेगी? पर, माननीय न्यायाधीश पसायत उसके लिए कोई आधार अपने फैसला में नहीं छोड़ते हैं- ''संवैधानिक संतुलन के लिए यह आवश्यक और वांछिनीय है कि 27 प्रतिशत का अनुज्ञेय प्रतिशत कर्णांकित कर दिया जाय।'' इस जरूरी आदेश में (इस फैसला से) कार्यपालिका के मन में शंका की कहीं भी कोई जगह नहीं रह जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश का नियमन है- ''पिछड़े वर्गों का निर्धारण पूर्णत: जाति पर नहीं हो सकता। गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन- ये सब पिछड़ापन के निर्धारण के लिए अनिवार्य लक्षण हैं।'' माननीय न्यायाधीश बालकृष्णन ने गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन पर आधारित

वर्गीकरण को अनुज्ञापित करते हुए सामाजिक संतुलन का कार्य किया है, जो (संतुलन) इन्दिरा सहनी मामला में दिये गये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के विपरीत, बहुत लम्बे समय तक भटक गया था। भारत में विपरीतगामी प्रभेदमूलक विचारण का स्थायी भय चल रहा था, जो कुछ दूर तक ठीक भी है। खैर, माननीय उच्चतम न्यायालय के सद्यःप्रसूत फैसला से ये भय अवश्य बहाकर दूर किये जायेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के यह दलील अस्वीकृत करते हुए कि जाति ही एक मात्र या शक्तिशाली लक्षण पिछड़ापन का हो सकती है या पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण जातियों पर ही पूर्णतः आधारित नहीं हो सकता, इस स्पष्ट मंतव्य से करोड़ों भारतीयों को यह बल मिला है कि भारतीय संविधान की धारा-1 के अनुसार भारत राज्यों का ही एक संघ (यूनियन) रहेगा न कि कुछ की इच्छा के अनुसार जातियों का संघ (फेडरेशन) हो जायेगा। आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए जहाँ तक संविधान के संशोधन की मांग है, इसकी जरूरत नहीं है। निष्कर्षतः संविधान ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मनाही कभी नहीं की है, और न हीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही चित्रलेखा मामला में फैसला पारित करने के समय से ही अपने नियमनों में मनाही की है।

सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय आधार पर सामाजिक सद्भाव एवं समरसता को खंडित कर राजनीति नहीं चलायी जा सकती। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी है। देश में विशेषकर बिहार में पिछले वर्षों में राजनीति में सामाजिक न्याय के नाम पर ऊँची जातियों के विरुद्ध ऐसा दूषित वातावरण तैयार किया जाता रहा है जैसाकि कट्टरपंथी हिन्दू संगठन अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ करते रहे हैं और उनके विरुद्ध वातावरण बनाते रहे हैं।

उच्च शिक्षा में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं रहने के कारण वह दलित समाज अभीतक राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होने से वंचित है। सन् 1999-2000 ई॰ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या नगण्य थी। बीएचयू में कुल 360 प्रोफेसर में मात्र एक अनुसूचित जाति के थे। अलीगढ़ में शून्य, जेएनयू में मात्र

दो, दिल्ली विश्वविद्यालय में तीन, जामिया मिलिया में एक भी नहीं, विश्व भारती में मात्र एक और हैदराबाद सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में एक अनुसूचित जाति के प्रोफेसर कार्यरत हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों का मामला है, तो बीएचयू में मात्र एक, अलीगढ़ में शून्य, जेएनयू में तीन, दिल्ली विश्वविद्यालय में दो जामिया मिलिया में एक, विश्व भारती में एक और हैदराबाद सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र दो रीडर नियुक्त हैं। वहीं बीएचयू में एक, अलीगढ़ में शून्य, जेएनयू में 11, दिल्ली विश्वविद्यालय में 9, जामिया मिलिया में एक, विश्व भारती में 16 व हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 13 लेक्चर कार्यरत हैं। इन आँकड़ों के जरिए हम अंदाज लगा सकते हैं कि 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के बाद से देश भर में फैले ढाई सौ से अधिक विश्वविद्यालयों तथा उनके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अनुसूचित जाति के लिए 75,000 पद आज भी खाली क्यों पड़े हैं या उन पर सवर्णों या अन्य गैर दलितों का परोक्ष कब्जा कैसे बना हुआ है। देश में पहलीबार मेरी सरकार (डॉ॰ मिश्र) ने विश्वविद्यालयों में दलित आरक्षण सुनिश्चित किया, कब किया ? काफी दिन बाद सन् 1993 ई॰ में यू॰जी॰सी॰ ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में दलित आरक्षण लागू किया। यह निश्चय ही पूछा जा सकता है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना के 60 साल बाद भी अगर संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष प्रावधानों को प्रबुद्ध समुदायों के केन्द्र समझे जाने वाले शिक्षा संस्थानों में लागू नहीं किया जा सका है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए?

दलितों एवं पिछड़ा वर्ग को निजी क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिल रही है। जो नयी नौकरियाँ इजाद हो रही हैं, वे तकनीकी संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में हो रही हैं। इन क्षेत्रों में दलितों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के गरीबों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। उच्च शिक्षा से ही किसी राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव हो पाता है; क्योंकि उच्च शिक्षा से ही किसी राष्ट्र को अच्छे इंजीनियरों, डाक्टरों, व्यवसायियों, अधिवक्ताओं, लेखा विशेषज्ञों, आचार्यों (प्रोफेसर) तथा सभी क्षेत्रों से संबंधित कुशल तकनीकी कर्मियों की उपलब्ध ता सुनिश्चित की जा सकती है।

अत:, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा को विकसित करने में व्यय की धनराशि अनुत्पादक निवेश नहीं है, बल्कि

दीर्घकालिक रूप में एक उत्पादक निवेश है। कहने की जरूरत नहीं कि साक्षरता के प्रति नयी जागरूकता के बावजूद काम अभी बाकी है। तमाम अभियानों-कार्यक्रमों के बावजूद आज भी देश में लगभग 36 करोड़ लोग शिक्षा से वंचित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के मद में सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत आवंटन की जरूरत रेखांकित की गयी थी, पर यह आजतक नहीं हो सका। सन् 1990 ई॰ के दशक के दौरान प्रारंभिक शिक्षा पर चालू सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 1.69से घटकर 1.47 प्रतिशत पर प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता देने के शोर के बीच ही पहुँच गया। कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा संपन्न व्यक्तियों के भरोसे नयी सदी की आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं है, इसलिए इक्कीसवीं सदी के लिए व्यापक शिक्षा की माँग की जा रही है। बच्चों की एक बहुत बड़ी आबादी स्कूल से आज भी बाहर है। स्कूल में दाखिल बच्चों में विद्यालय में छात्रों के छीजन का दर बहुत ही अधिक है। प्रत्येक सौ बच्चे जो विद्यालय की प्रथम कक्षा में नामांकित होते हैं, उनमें से साठ बच्चे पाँचवाँ वर्ग तक पहुँचते-पहुँचते विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। केवल 40 बच्चे ही पाँचवीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर पाते हैं। 8वीं कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते इसमें से 17 बच्चे छीजन का शिकार हो जाते हैं और मात्र 23 बच्चे 8वीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर पाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दलित समूह के 3 करोड़ 35 लाख बच्चों का नामांकन प्राथमिक कक्षा में होता है, परन्तु उनमें से केवल 35 लाख बच्चे ही माध्यमिक स्तर तक पहुँच पाते हैं। उन 35 लाख में से केवल एक तिहाई डिग्री स्तर तक पहुँच पाते हैं। आखिर पढ़ाई छोड़ने वाले ये बच्चे कौन हैं? दलित, अत्यंत पिछड़े और गरीब परिवारों के बच्चे ही हैं। इन समूहों के लिए आरक्षण का क्या महत्व रह जाता है? झुग्गी-झोपड़ी विद्यालय आरंभ कर हम भले ही उन्हें अक्षर ज्ञान करा दें, मगर इससे हम कुछ भी राष्ट्रीय हित में हासिल नहीं कर पायेंगे। शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में एक खतरनाक पहलू यह सामने आया है कि शहर और गाँव के मध्य साक्षरता दर में आज भी 22 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के संदर्भ में यह भयानक अंतर है। दलित-वंचित-पिछड़े समुदाय के बहुत बड़े हिस्से की शिक्षा तक पहुँच नहीं बन पायी है। 65 प्रतिशत आदिवासी और 54 प्रतिशत दलित अब भी निरक्षरता के अंधकार में जीने के

लिए अभिशप्त हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कहीं भी इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में गंभीर चिंतन और चिंता का भाव नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता शिक्षा से वंचित समूहों के प्रति नहीं है। वे केवल उनकी भावना उत्तेजित कर, उन्हें वोट बैंक बनाये रखना चाहते हैं। यह अत्यंत ही विस्मयकारी एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय 'सामाजिक न्याय' का नारा केवल 'राजनीतिक' लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है।

संविधान बनाते समय इस बात पर खास ध्यान दिया गया था कि देश के सदियों पुराने सामाजिक ढाँचे से जो असमानता पैदा हुई है, उसे किस तरह से खत्म किया जाय। इस दृष्टिकोण का व्यावहारिक अर्थ यह हुआ कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसलिए यह देखने की जरूरत आ गयी है कि किस समूह के लोग गरीब हैं और मुख्यधारा से अलग-थलग हैं। यह समझना सामाजिक समरसता के लिए भी जरूरी हो गया है। भारत की गरीबी का जो आँकड़ा है, वह मिश्रित है और उसमें सामाजिक रूप से सवर्ण और अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। अत: अब यह सवाल देश के सामने है कि संविधान में संशोधन किया जाय और सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के साथ-साथ आर्थिक पिछड़ेपन को एफरमेटिव एक्शन का आधार बनाया जाय। सभी राजनीतिक दलों को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए।

मंडल आयोग की पिछड़ी जाति की आम सूची में जिन जातियों और वर्गो की सूची दी गयी है उनमें से हर एक का स्वरूप अलग-अलग हैं उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर समान ढंग का नहीं है। आवश्यकता है कि अधिक पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए पिछड़ें वर्गों के बीच अत्यन्त पिछड़ों के लिए सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किये जायँ।

देश की विकास संबंधी योजनाओं का अध्ययन करते समय एक सवाल हमेशा उठता है कि वे नीतियां कैसी हैं जिनके परिणाम हमेशा दलित, गरीब पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से अन्य कमजोर वर्गो के हितों के विरुद्ध हैं। हर साल बजट बनता है, लेकिन करोड़ों दलित एवं पिछड़ा वर्ग समूह अभी निरक्षर, बेघर-बेरोजगार और भूखे हैं। ताजा उदाहरण उच्च शिक्षा में शैक्षिक पदों पर दलितों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समूह की भागीदारी को लिया जा सकता है।

जहां संविधान लागू होने के 67 वर्षो के बाद भी कायदे-कानून शैक्षिक प्रतिमान दलित वर्ग की शैक्षिक दशा के प्रतिकूल बनाये जाते हैं, वहीं खाली पड़े आरक्षित पद इन्हें दिये जाएं या नहीं इतने वर्षों के बाद भी इसका निर्णय नही लिया जा सका है, जो निश्चय ही विचारणीय है। वर्चस्व की इस मानसिकता के कारण ज्ञान के क्षेत्रों में दलितों का प्रतिनिधित्व डेढ़ फीसदी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। संविधान बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि देश के सदियों पुराने सामाजिक ढांचे से जो असमानता पैदा हुई है, उसे किस तरह से खत्म किया जाए। इस दृष्टिकोण का व्यावहारिक अर्थ हुआ कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसलिए यह देखने की जरूरत आ गई है कि किस समूह के लोग गरीब हैं और मुख्यधारा से अलग-थलग है। यह समझना सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक हो गया है। सभी राजनीतिक दलों को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। सभी को इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और इसके निराकरण पर विचार करना चाहिए।

इस बार बिहार का चुनाव इस मायने में विशिष्ट रहा कि यह उत्तर भारत का शायद पहला ऐसा चुनाव था, जिसमें आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन कर उभरा। इस मुद्दा को चुनाव शुरू होने के पहले से ही उठाया जाने लगा था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा की आवश्यकता वाले बयान के बाद पूरा चुनाव मुख्य रूप से इसी मुद्दे के आसपास लड़ा गया। कहने को यह कहा जा सकता है कि भागवत जी के बयान का वह मतलब नहीं था, जो समझा गया और इस बारे में संघ ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि आरक्षण को खत्म करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जायेगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन के सवालों का जवाब देने और अपने जवाब से जनता को संतुष्ट करने में भाजपा सफल नहीं हो पायी।

जबकि इस सबंध में बिहार सरकार के 10 नवम्बर, 1978 के संकल्प में कहा गया कि 1971में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जिसे अन्य बातों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्गो के सर्वांगीण विकास के सुझाव

देने का भार सौंपा गया। आयोग ने इस बात की छानबीन की कि सरकारी सेवाओं के अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्रेणी 1 एवं 2 में तो उसका प्रतिनिधित्व नगण्य है एवं श्रेणी 3 एवं 4 में भी अपर्याप्त है। उन्होंने यह अनुशंसा की है कि राज्य सरकार को अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सेवा में आरक्षण करने के लिए शीघ्र कदम उठाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार की राय में पिछड़े वर्गो के नागरिकों का प्रतिनिधित्व उनकी सेवाओं में अपर्याप्त नहीं है तो उनके लिए नियुक्तियां या पदों में आरक्षण करने में अनुच्छेद 16(4) व्यवधान नहीं डालता है। संविधान अनुच्छेद 16(4)में पिछड़े नागरिक, वर्गो का वही अर्थ माना जाता है जो अर्थ अनुच्छेद 15(4) में किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिक वर्ग का है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद15(4) में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का उल्लेख है। आयोग की रिपोर्ट की जांच के उपरांत राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की जाय, लेकिन यह सुविधा उन्हीं परिवारों को मिल सकेगी जिनकी वार्षिक आय आयकर की छूट की सीमा से अधिक नहीं है। आरक्षण शाश्वत् नहीं रहेगा। जैसे-जैसे पिछड़े वर्ग के लोग समुन्नत होते जायेंगे, उन वर्गो के लिए आरक्षण समाप्त होता जायेगा। यह कार्य समय-समय पर पुनरीक्षण एवं पुनर्अवलोकन के पश्चात् किया जायगा। महागठबंधन के नेता लगातार और जानबूझकर यह कहते रहे कि संघ और भाजपा आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि बिहार में ही प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 4 लाख से अधिक रिक्तियाँ बिहार में लम्बित पड़ी हैं। अगर इन पदों पर नियुक्तियाँ हुई होतीं तो बिहार में 2 लाख दलित-पिछड़े नवयुवकों की नियुक्तियाँ हो चुकी होतीं। आरक्षण के संबंध में भ्रम भी उत्पन्न हुए जबकि सच्चाई यह थी कि देश में आरक्षण न केन्द्र और न राज्य सरकार कभी हटा सकती है। लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हुआ और पिछड़े वर्ग के समूह और दलितों का आरक्षण विवाद ने बिहार विधान सभा चुनाव को प्रभावित किया है। चुनाव नतीजों के बाद कहा जा

सकता है कि इसका माकूल जवाब राजग की तरफ से नहीं दिया जा सका। जनता के मन में आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा हो गया है। इसलिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार और भाजपा के स्तर पर स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाय कि आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को न सिर्फ कायम रखा जायेगा, बल्कि इसे और मजबूत किया जायेगा। राजग सामाजिक न्याय के चैम्पियन के तौर पर सामने आये और कांग्रेस तथा बाकी दलों को दिखा दे कि वास्तविक सामाजिक न्याय कैसा होना चाहिये। आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक श्वेत पत्र केन्द्र सरकार लाये। इस श्वेत पत्र में आरक्षण से जुड़े तमाम पहलुओं पर छानबीन करके रिपोर्ट रखी जाय। इस बात की समीक्षा करने का वक्त आ गया है कि 65 साल के आरक्षण के बावजूद केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो पाया है। इस बारे में सूचना के अधिकार से मिली जानकारी और तमाम अन्य स्रोत बताते हैं कि आरक्षण की वजह से जितने पद भरे जाने थे, उनमें से आधे या उससे भी कम पद अबतक नहीं भरे गये हैं। जाहिर है कि आरक्षण लागू करने में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। जिन पदों को आरक्षण के द्वारा भरा जाना है, उन पदों को किसी और तरीके से कैसे भरा जा रहा है? इस बारे में जाँच हो। इस बारे में विचार करना चाहिये कि क्या आरक्षण को लेकर कानून बनाया जाना चाहिये और आरक्षण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन को दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध घोषित करके इसके लिए आर्थिक दंड और कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिये? आरक्षण को लागू न करना अबतक कोई अपराध नहीं है और इस वजह से संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद इसका मनमाने तरीके से उल्लंघन होता आया है। इसे अबतक सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। संवैधानिक व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। ढीली-ढाली व्यवस्था के साथ आरक्षण का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो सकता है। उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुपस्थिति गंभीर चिन्ता की वजह है। सरकार को इस बारे में भी विचार करना चाहिये कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न पदों पर एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित

हो। खासकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केन्द्र सरकार के शिक्षा संस्थानों में कुलपति, निदेशक, संकाय प्रमुख प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर सामाजिक विविधता का घोर अभाव है। अभीतक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्थिति में सुधार कैसे किया जाय। इसका अध्ययन होना चाहिये कि आरक्षण के प्रावधानों के अंदर ऐसी कौन-सी व्यवस्थाएं की जाएं। ताकि इनका लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मिले। केन्द्र सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इसका इरादा आरक्षण के प्रावधानों को मजबूत करना है। यह बात जनता तक स्पष्ट पहुँचनी चाहिये कि समीक्षा करने का मतलब आरक्षण खत्म करना कभी नहीं है। सामाजिक विविधता इस देश की ताकत है। इसका प्रतिबिम्ब तमाम संस्थाओं में नजर आये, इसके लिए आरक्षण के प्रावधानों को मजबूत किया जाय।

बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक समरसता के वैचारिक सिद्धांत के अनुरूप 10 नवम्बर, 1978 को आरक्षण अधिसूचना में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण सुनिश्चित करते समय यह प्रावधान किया था कि 26 प्रतिशत में 12 प्रतिशत अति पिछड़े एवं 8 प्रतिशत अत्यन्त पिछड़ों, 3 प्रतिशत गरीब सवर्णो और 3 प्रतिशत सभी जातियों के महिलाओं के लिए आरक्षित कर सामाजिक न्याय के साथ-साथ सामाजिक समरसता को स्थापित किया था। उन्होंने आरक्षण के लाभ से उन सभी परिवारों को वंचित किया था जो परिवार आयकर की सीमा में थे। जातिगत पिछड़ेपन के साथ-साथ उन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन को भी जरूरी समझा था, जिससे कि समाज में बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सके। परंतु यह अत्यन्त विस्मयकारी एवं दु:खद रहा कि श्री कर्पूरी ठाकुर के बाद श्री ठाकुर द्वारा स्थापित आरक्षण नीति को खंडित करते हुए सवर्ण गरीब और सवर्ण महिलाओं को आरक्षण की परिधी से अलग करते हुए आयकर की सीमा भी समाप्त कर दी। अत: सामाजिक समरसता को फिर से स्थापित करने और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए यह बड़ा ही समीचीन होगा कि कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति को फिर से लागू कर सवर्ण गरीबों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण और महिलाओं के लिए आरक्षित 3 प्रतिशत में सर्वण समेत सभी जातियों की महिलाओं को आरक्षण में सम्मिलित किया जाय। उनके द्वारा निर्धारित नीति के तहद मध्य

वर्गीय एवं अत्यन्त पिछड़ी जातियां के ऐसे लोगो को आरक्षण की परिधि से बाहर किया जाय जो व्यक्ति और परिवार आयकर सीमा से ऊपर हैं। आर्थिक रूप से विपन्न पिछड़ी जातियों के नवयुवकों को ही अरक्षण की परिधि में रखा जाए। पिछड़े वर्ग में गैर बराबरी में प्रतियोगिता होने से सुखी-सम्पन्न पिछड़ा वर्ग के वैसे युवक जिन्होंने अच्छी शिक्षा अधिक व्यय कर प्राप्त की है वैसे पिछड़े युवक जो गरीबी के कारण मजबूरी में ग्रामीण अंचल में शिक्षा प्राप्त की है, जिन्हें गुणात्मक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा है उन्हें उनकी तुलना में प्रतियोगिता में कठिनाई होती है। आयकर सीमा लगाने की परिस्थिति में पिछड़े वर्गो के गरीब छात्र-छात्राओं को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अत: तत्काल 10 नवम्बर, 1978 को कर्पूरी ठाकुर द्वारा निर्गत आरक्षण नीति के तहत सवर्णो को बिहार सरकार के राजकीय सेवाओं में आरक्षण सुनिश्चित करनी चाहिए। अब आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। आरक्षण उपेक्षित वर्गों को बराबर के अवसर प्रदान करने की एक पहल है। परंतु विसंगतियाँ सामाजिक ढांचे को छिन्न-भिन्न कर रही हैं।

यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संशोधन के वगैर आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो अब संभव नहीं है। केन्द्र की श्री वाजपेयी की भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बकाये कोटा को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत को संविधान संशोधन कर निरस्त कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि देश में 10 लाख आरक्षण के पद रिक्त हैं। आरक्षण अंतर्गत प्राप्त प्रोन्नति में प्रोन्नत व्यक्तियों को उनसे वरीय पदाधिकारियों के विरुद्ध वरीयता देने के लिए उन्होंने संविधान संशोधन किया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 335 में संशोधन कर आरक्षण के लिए कुशलता एवं गुणवत्ता को शिथिल किया था। श्री वाजपेयी की भाजपा सरकार ने इन तीनों संविधान संशोधनों द्वारा संवैधानिक एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया और उन वर्गों के लिए आरक्षण को सुनिश्चित रहने दिया। यह संशोधन भाजपा की आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है। अत: अब इस समय भाजपा की आरक्षण नीति पर किसी प्रकार का प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण

पूर्व मूख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी द्वारा अपने कार्यकाल में लिये गये सभी निर्णय पूर्णत: लोकहित में थे। अतएव सभी निर्णयों को वर्तमान सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। इसी कारण वर्तमान सरकार को उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, जो उनके मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से स्पष्ट हो रहा है कि वे संविदा कर्मियों को स्थायी करने/ नियोजित शिक्षकों को नियमित करने के लिए और सवर्ण जाति के गरीब बच्चों को जो नौंवी एवं दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं, को प्रतिमाह 150 रुपये छात्रवृत्ति एवं प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने वाले सवर्ण जाति के बच्चों को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही सवर्णो को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय कर रहे है। इनसे यह स्पष्टत: प्रमाणित हो रहा है कि श्री मांझी ने अपने कार्यकाल के अन्तिम दौर में जितने भी जनोपयोगी निर्णय लिये वे सभी जनहित को ध्यान में रखकर ही लिये गये थे। वर्तमान सरकार द्वारा लिये जा रहे निर्णय भी उसमें शामिल थे। मांझी सरकार ने गरीब सवर्णो के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की स्वीकृति कर पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति की सामाजिक समरसता को स्थापित किया है। श्री ठाकुर की उस नीति को श्री लालू प्रसाद और श्री नीतीश कुमार की सरकारों ने विखण्डित कर दिया था, जिससे सवर्ण गरीबों के बीच गहरा असंतोष व्याप्त हो गया था। सवर्णो ने श्री प्रसाद की सवर्ण विरोधी नीति के कारण ही 2005 एवं 2010 के चुनाव में श्री नीतीश कुमार को समर्थन दिया था। परन्तु श्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास के संकल्प दुहाराये जाने के बावजूद सामाजिक न्याय और समरसता स्थापित करने का कार्य नहीं किया। श्री कर्पूरी ठाकुर सरकार की 10 नवम्बर, 1978 की आरक्षण अधिसूचना में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण करते समय यह प्रावधान था कि 26 प्रतिशत में 12 प्रतिशत अति पिछड़े एवं 8 प्रतिशत अत्यन्त पिछड़ों, 3 प्रतिशत गरीब सवर्णो और 3 प्रतिशत पद सभी जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। हाल में आनन-फानन में सवर्ण आयोग के निदेश पर 'आद्री' ने एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी किया है। उस सर्वेक्षण में मात्र कुछ आंकड़े एकत्र किये गये जो दिखाये गये है, मौलिक प्रश्न गरीबी और पिछड़ापन तो पूर्व में ही विभिन्न सर्वेक्षणों से और अध्ययनों

से स्थापित हैं। (1) गांव के 35 प्रतिशत सवर्ण परिवारों पर कर्ज का बोझ है। (2) ग्रामीण इलाकों में 10.4 फीसदी और शहरी क्षेत्र में 7.1 फीसदी सवर्ण गरीब, ग्रामीण इलाकों में हिन्दुओं में ब्राह्मण और मुसलमानों में पाठान सबसे गरीब, शहरी क्षेत्र में ऊंची जाति के हिन्दुओं में गरीबी कम, सवर्णो की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं। (3) पांच एकड़ से ज्यादा जमीन 8.6 प्रतिशत सवर्ण हिन्दू परिवारों के पास, ऊंची जातियों के 24 फीसदी परिवारों के पास सिर्फ एक एकड़ खेती की जमीन, हिन्दुओं में 55 फीसदी परिवारों के पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। (4) मुसलमानों में 86 फीसदी परिवार मात्र एक एकड़ जमीन के मालिक हैं। (5) 46 प्रतिशत हिन्दू और 12 फीसदी मुसलमानों की दाल-रोटी खेती से ही है। (6) 49 प्रतिशत हिन्दू व 61 प्रतिशत ऊंची जाति के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। (7) अगड़ी जातियों में 25 प्रतिशत के पास रोजगार नहीं है। अन्य सभी जातियों की तरह सर्वण गरीबों में गरीबी पिछड़ापन तथा राज्य की सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है। इस गरीब सर्वण समूह का समुचित प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में नहीं है।

हालांकि श्री नीतीश कुमार सरकार ने सवर्णो के लिए एक आयोग का गठन 2011 में अवश्य किया था, परन्तु पिछले 3 वर्षो में उस आयोग की कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं होना, विस्मयकारी है। जबकि सवर्ण आरक्षण के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आर्थिक रूप से पिछड़ों की शिकायत पर ध्यान दिया था और कहा था कि ''यदि मलाईदार परत को बहिष्कृत करना पड़ता ही है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अंतर्निहित भी करना है। इससे सामाजिक संतुलन बनेगा और यह संविधान के उद्देश्यों का सत्यपरक अर्थ भी होगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश का नियमन है-''पिछड़े वर्गों का निर्धारण पूर्णत: जाति पर नहीं हो सकता। गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन ये सब पिछड़ापन के निर्धारण के लिए अनिवार्य लक्षण हैं।'' माननीय मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन पर आधारित वर्गीकरण को अनुज्ञापित करते हुए सामाजिक संतुलन का कार्य किया है। संविधान ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मनाही कभी नहीं की है, और न माननीय उच्चतम् न्यायालय ने ही चित्रलेखा

मामला में फैसला पारित करने के समय में ही अपने नियमनों में मनाही की है। आज की आवश्यकता यह है कि जो भी आर्थिक रूप से पीछे हैं उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जायँ, वे चाहे जिस जाति, वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के हों।

स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर द्वारा 1978 में पिछड़ों के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से कमजोर सवर्णों के लिए भी दिये गये 3 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने वाले श्री लालू प्रसाद का भी 2007 में सारनाथ मे राष्ट्रीय जनता दल के सम्मेलन में हृदय परिवर्तन हुआ और उस सम्मेलन में भगवान् बुद्ध की तरह उन्हें भी यह अनुभव हुआ कि सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय आधार पर सामाजिक सद्भाव एवं समरसता को खंडित कर राजनीति नहीं चलायी जा सकती। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी है। देश में विशेषकर बिहार में पिछले वर्षों की राजनीति में सामाजिक न्याय के नाम पर ऊंची जातियों के विरुद्ध ऐसा दूषित वातावरण तैयार किया जाता रहा है, जैसा कि कट्टरपंथी हिन्दू संगठन अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ करते रहे हैं और उनके विरुद्ध वातावरण बनाते रहे हैं। यह समझने की चेष्टा नहीं की गयी कि पवित्र वेदों और 18 पुराणों के रचियता वेदव्यास शूद्र थे।

तमाम सैद्धांतिक व नैसर्गिक विचारों के साथ पूरे संविधान में कई व्यवहार देखे जा सकते हैं जिसके चलते 395 अनुच्छेदों का वृहत्तर संविधान आज भी उतना ही दृढ़ है जितना जमाने पहले था।

ब्रिटिश उपनिवेशी यह भी दावा करते हैं कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र उनके शासनकाल में उनके द्वारा दिया गया उपहार है। ब्रिटिश के द्वारा यह मिथक फैलाने के बाद रहस्य खोलना इस दृष्टिकोण के साथ जरूरी है कि लोकतंत्र कभी उपनिवेशियों के द्वारा उपहार स्वरूप नहीं दिया जा सकता। असल सच यह है कि भारतीयों में लोकतंत्र से संबंधित तमाम विचार उपनिवेशियों के खिलाफ संघर्ष के दौरान ही पनपे और उपनिवेशी के विरुद्ध आन्दोलन भारतीयों के अपने ऊपर स्वयं के शासन के अधिकार दिलाने का कारण बना। 15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि के समय प्रथम प्रधानमंत्री पं.

जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भारत एक स्वतंत्र जीवन के लिए जागेगा। जाहिर है कि उस रात के बाद की सुबह में संविधान की बनावट तथा लोकतंत्र की चाहत और जोर मारने लगी थी। हालांकि संविधान बनाने की प्रक्रिया 9 दिसम्बर, 1946 को सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका मूर्त रूप 26 जनवरी, 1950 को देखने को मिला। विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन कर समय लगा। इसके पूरे रूप को निखारने में बड़ी तादाद वाली संविधान सभा के 389 सदस्यों के मस्तिष्क और विमर्श का निचोड़ इसमें शामिल है। एक सुखद आश्चर्य यह है कि उत्तर से घुर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक सामाजिक-सांस्कृति मामले में विलग, रीति-नीति में अलग और बनावट के मामले में भिन्नता वाले देश के तमाम विचारकों ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर समरसता की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज के भारतीय लोकतंत्र में तलाशना और तराशना इतना सहज नहीं है। खूबसूरत बात यह है कि संविधान सभा में लोकतंत्र की बड़ी आहट छुपी थी और यह एक ऐसा मंच था, जहाँ से भारत के आगे का सफल तय होना था। दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य यह भी है कि संविधान निर्मात्री सभा की 166 बैठकें हुई। कई मुद्दे चाहे भारतीय जनता की सम्प्रभुता हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की हो, समता की गारंटी हो, धर्म की स्वतंत्रता हो या फिर अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए विशेष रक्षोपाय की परिकल्पना ही क्यों न हों, सभी पर एकजुट ताकत झोंकी गई। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जो स्वयं कुछ बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास कायम रहे। संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा। इसके इतिहास की पड़ताल करें तो यह किसी क्रांति का परिणाम नहीं है वरन एक क्रमिक राजनीतिक विकास की उपज है। भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति एक लम्बी राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर मिली थी और देश का संविधान भी आपसी समन्वय का ही नतीजा है। संविधान का पहला पेज प्रस्तावना गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है। सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक

गणराज्य जैसे शब्द गांधी दर्शन के परिप्रेक्ष्य के लिए हुए हैं। गांधी न्यूनतम शासन के पक्षधर थे और इस विचार से संविधान सभा अनभिज्ञ नहीं थी। इतना ही नहीं संविधान सभा द्वारा इस बात पर भी पुरजोर कोशिश की गई कि विषमता, अस्पृश्यता, शोषण आदि का नामोनिशान न रहे पर यह कितना सही है इसका विशदीकरण आज भी किया जाय, तो अनुपात घटा हुआ ही मिलेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का लोकतंत्र उस समरसता से युक्त प्रतीत नहीं होता, जैसा कि सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर के बावजूद संविधान निर्माताओं से भरी सभा कहीं अधिक लोकतांत्रिक झुकाव लिए हुए थी। विविधता से भरे एक महाद्वीपीय आकार के देश पर शासन तभी मुमकिन है जब केन्द्रीय राजनीतिक कार्यपालिका आपस मे जुड़ी हुई हो और उनकी सोच तर्कसंगत हो। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका 'प्राइमस-इन्टर-पेरस' अर्थात समान लोगों में प्रमुख की हुआ करती है। साथ ही वह एक धुरी की भांति है, जिसके इर्द-गिर्द समूचा तंत्र चलता है। इसे लोकततंत्र का शुरुआती संदर्भ कहना होगा। इसी दौर में 1975 से 1977 के बीच के दो वर्ष आपात से भी झुलसे थे, जिसके चलते 'प्राइमस-इन्टर-पेरस' को लेकर एक दुविधा खड़ी हो गई कि मजबूत सत्ता वाले प्रमुख में एकाधिकार आ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की परिस्थितियाँ सुझाई गई हैं, परन्तु यदि यही आपात निजी कारणों से लगाये जाएं तो ऐसे संविधान की सुचिता को ही धक्का पहुँचता है। यही कारण है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' को जोड़कर इसे पुख्ता बनाने का प्रयास किया गया। आपात वाली इस घटना के चलते आज भी गाहे-बगाहे संसद से सड़क तक जब भी चर्चा होती है, तो तत्कालीन सरकार की नीयत पर सवाल जरूर उठता है।

आज की परिस्थितियों से अलग-अलग दलों को एक साथ लेकर सरकार चलाते हुए प्रधानमंत्री का एक निर्विवाद नेता बने रहना मुश्किल ही है और यह गठबंधन की सरकारों की एक बड़ी सच्चाई है। हालांकि श्री मोदी गठबंधन के बावजूद स्वयं के बल वाले प्रधानमंत्री है पर एनडीए के संकुल के साथ है। नये संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत 90 के दशक से देख सकते हैं, पर लोकतंत्र का एक खूबसूरत और नये तरीके का चेहरा यह भी है कि वर्तमान श्री मोदी सरकार बहुमत के बावजूद गठबंधन के साथ सरकार चला

रहे हैं जो उसी 'प्राइमस-इन्टर-पेरस' के तौर पर हैं पर इसमें मित्र मंडली के अगुवा का अर्थ छुपा है। नये संदर्भ वाली ये बातें संविधान की उसी समरसता को पुनर्जीवित करती हैं, जिसकी उम्मीद में हमेशा संविधान रहा है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संविधानविद के मन में समाधान कूट-कूट के भरे थे और वे यह भी जानते-समझते थे कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत सारी तथा जटिल चुनौतियों का सामना करना होगा। भारतीय संविधान में व्याप्त सभी प्रकार के समाधान और समस्त आदर्श उद्देशिका से परिलक्षित होते हैं, संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की उद्देशिका का आधार बना। इसके अंतर्गत निहित 'शब्द और वाक्य' को समझकर संविधान निर्माताओं के मन की पड़ताल की जा सकती है। उद्देशिका पूरे संविधान का न केवल समाधान है, बल्कि कई कठिन मोड़ पर जहाँ वाद-प्रतिवाद खड़े हो सकते हैं, लोकतंत्र आपस में टकरा सकते हैं, राजनीतिक कारणों से एक बड़े अनबन का वातावरण बन सकता हो, वहाँ पर यह समरसता का भाव पैदा कर सकता है। 'पंथनिरपेक्ष' बीते 27 नवम्बर को संसद में चर्चित हो चला, जिसके चलते विरोधियों की भौंवे भी तनी पर इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि इसकी मरम्मत भी संविधान में ही है। 66 वर्षो की संवैधानिक यात्रा में संविधान कभी कमजोर नहीं रहा ये तो शासकों का दृष्टिकोण था कि वक्त के बदलाव के साथ इसमें बदलाव किया, पर यह सही है कि बहुमत और सशक्त सत्ताधारकों ने फेरबदल भी किया है। संविधान जनता की इच्छाओं का परिणाम है और इसकी चिन्ता में जनता ही रचती-बसती है। कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म-जात प्राप्त होते हैं, जो छीने नहीं जा सकते हैं और इस कसौटी पर संविधान में कई व्यवहार देखे जा सकते हैं, जिसके चलते 395 अनुच्छेदों का वृहत्तर संविधान आज भी उतना ही दृढ़ है जितना जमाने पहले था।

भारत का संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान में से एक है। इसकी बड़ी वजह में इसके स्थायित्व का होना भी है। संविधान राष्ट्रीय आंदोलन के लम्बे इतिहास से प्रेरित रहा है। व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति इसमें शुमार रही है। संविधान सभा प्रत्यक्ष जनता से नहीं चुनी गई थी, न ही इसके लिए कोई जनमत संग्रह हुआ था। इसे तो लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन

प्राप्त था, पर संविधान सभा का अधिवेशन प्रेस और जनता के लिए खुले रहते थे और इन्हें पूरी आजादी थी। शक्तियों को विकेन्द्रित किया गया था। यहाँ कोई एकाधिकार नहीं था न ही कोई अतिक्रमण था। सोच उदार और इरादे बुलंद थे। समाज को सुरक्षा, पहचान और स्थायित्व देने के लिए इसमें नम्यता के साथ अनम्यता का मिश्रण किया गया। निर्माताओं को इस प्रकार कसा गया कि इसके प्रति अनादर का कोई भाव निर्मित ही न हो सके। संविधान में प्रत्यक्ष बातों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। व्याख्या, विमर्श, विशदीकरण और विशेषताओं को लेकर कितनी भी चर्चा और परिचर्चा कर ली जाये पर इसकी गुंजाइश बहुत मामूली है कि इसके स्थायित्व पर कोई सवाल उठाये। कई भावुक क्षण भी संविधान बनाते समय आये। कई मामलों में तात्कालिक परिस्थितियों में निर्णय लेना भी कठिन रहा है जिसे आने वाले शासकों और शासितों पर छोड़ा गया है। पंथनिरपेक्ष व धर्मनिरपेक्ष, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 370, छुआछूत का मामला तथा अभिव्यक्ति का अधिकार सहित कुछ मामलों में समय और परिस्थितियों के अनुपात में आगे के लिए रास्ता दे दिया गया पर इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि संविधानविद् ऐसे मामलों मे असहज थे।

संक्षेप में कहें तो जो प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साझा समझ संविधान में है, वह जनोन्मुख, पारदर्शी और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है। पर यह तभी कायम रहेगा जब लोकतंत्र ने चुनी हुई सरकारें और सरकार का विरोध करने वाला विपक्ष असली कसौटी को समझेंगे। संविधान सरकार गठित करने का उपाय देता है, अधिकार देता है और दायित्व को भी बताता है, पर देखा गया है कि सत्ता की मखमली चटाई पर चलने वाले सत्ताधारक भी संविधान के साथ रूखा व्यवहार कर देते हैं, जिसके पास सत्ता नहीं है वह किसी तरह इसे पाना चाहता है। इस बात से अनभिज्ञ होते हुए कि संविधान क्या सोचता है, क्या चाहता है और क्या रास्ता अख्तियार करना चाहता है पर इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि संविधान अपनी कसौटी पर कसता सभी को है।

❐

18

किसानों द्वारा आत्महत्या : एक राष्ट्रीय त्रासदी

वर्षों–वर्षों से बिहार के किसानों की पीड़ा देने वाली समस्याओं से द्रवित होकर एक ओर जहाँ मैं किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्वीकार्य विचार और परामर्श देता रहता हूँ, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रव्यापी हालात जो किसानों को पीड़ा देने वाला है, उनका भी उल्लेख करते हुए निदान के लिए अपने विचार व्यक्त करता आ रहा हूँ। भारत वर्ष कृषि प्रधान देश शताब्दियों से रहा है और कृषि विज्ञान के विकास के युग में आज भी भारत खाद्यान्नों के मामला में आत्म-निर्भर होने की स्थिति में है।

मेरा दृष्टि निक्षेप किसानों की अनेकानेक उन समस्याओं पर पड़ता है जिन समस्याओं से वे आये दिन जूझते रहते हैं और गंभीर रूप से अन्दर ही अन्दर चिन्तित भी रहता हूँ। इन्हीं समस्याओं में से राष्ट्र के सामने किसानों की आत्महत्या की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हो गयी है। किसानों की दशा से गहरे रूप से प्रभावित होकर ही मैं इस समस्या(आत्महत्या की समस्या) के कारणों और उनके निवारण के लिए अपने चिन्तन से समाधान की दिशा में अपने विचार व्यक्त करता आ रहा हूँ।

राष्ट्रीय कृषि नीति में व्याप्त खामियों के कारण आज हमारा राष्ट्र बर्वादी के कगार पर है। किसान, मजदूर एवं समान्यजन सभी काफी त्रस्त हैं। उनकी वेदना मानवीय हृदय को हिला देनेवाली है, पर राष्ट्र का दुर्भाग्य है जो हृदय शून्यता एवं सत्ता की मदान्धता के कारण कृषि नीति निर्माता का सत्ताधारकों को जनता का कारुणिक दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा है।

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठनों विश्व बैंक, आई०एम०एफ० डब्लू०टी०ओ० के साथ जो समझौते किये हैं वे किसानों के साथ धोखा है तथा इन्हें तबाह करनेवाले हैं। सरकार द्वारा एक मुक्त आधार कर व्यवस्था के चलते बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थ भारत ला रही हैं, जिस कारण भारतीय किसानों द्वारा पैदा किये जा रहे जिन्सों का कोई खरीदार ही नहीं है।

किसानों के लिए खेती निरंतर घाटे का सौदा होती जा रही है। उर्वरक, डीजल, बिजली, बीज व कीटनाशकों के दाम बढ़ने और अपनी उपज का वाजिब मूल्य न मिलने से किसान उसे कौड़ियों के भाव बेचने के लिए मजबूर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व व्यापार संगठन आदि के दबाव में सरकारी लापरवाही के चलते उसकी आर्थिक स्थिति दिनोंदिन बदतर होती जा रही है।

खेती अब किसानों के लिए अभिशाप बनती जा रही है। सरकार की नीतियों के चलते किसान दिनोंदिन गरीब होता जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत भारत को इस वर्ष 1429 जिन्सों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लेना पड़ा और उनको आयात के लिए खोल दिया गया। इनमें से 623 जिन्सें किसानों अथवा कृषि आधारित उत्पादों से सम्बन्धित हैं। विदेशों से आयात किये गये भारी सब्सिडी प्राप्त इन उत्पादों का मूल्य निश्चित रूप से भारतीय उत्पादों के मुकाबले कम है। ऐसे में इनके सामने हमारे उत्पाद कहां तक टिक पाएंगे, यह कह पाना कठिन है। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों पर खाद्यान्नों को दी जानेवाली सब्सिडी कम करने के लिए लगातार दबाव डाल रहा है, लेकिन विकसित देश अपने यहां लगातार सब्सिडी बढ़ाते जा रहे हैं। अमेरिका अपने यहाँ कृषि क्षेत्र को पहले लगभग दो हजार करोड़ डालर तक की सब्सिडी देता था, जिसे बढ़ाकर अब लगभग 4700 करोड़ डालर तक कर दिया गया है। अमरीका अपने किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 28 हजार डालर तक की सब्सिडी देता है, जबकि यूरोपीय देश करीब 20 हजार डालर तक की सब्सिडी देते हैं। लेकिन विश्व व्यापार संगठन भारत पर सब्सिडी कम करने के लिए लगातार दबाव बनाये हुए हैं। ऐसे में विकसित देशों के मुकाबले हमारे यहां कृषि लागत ज्यादा आयेगी और अनाज निश्चित तौर पर महंगा होगा। आयातित खाद्यान्न के आगे हमारे किसान लुटकर रह जाएंगे। वे या तो लागत मूल्य से भी कम दर पर अनाज बेचने को मजबूर हो जाएंगे या खेती करना छोड़ देंगे। बिहार

की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है। किसान इसकी रीढ़ हैं और यहां की जमीन की उर्वरा शक्ति की सराहना करते हुए अर्थशास्त्रियों और चिंतकों ने बिहार को भारत का हृदय कहा है। यहा सालों भर बहनेवाली नदियाँ हैं और अधिकांश क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में तालाब और जलाशय हैं। आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का स्थान है। इस तरह प्राकृतिक एवं मानव साधन स्रोत से सम्पन्न रहने पर भी बिहार के किसान देश के सभी राज्यों के किसानों से अधिक बदहाल हैं। बिहार के किसानों को लगातार बाढ़ और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। अधिकतर सिंचाई परियोजनाए आधी-अधूरी पड़ी हुई हैं। राज्य की दो करोड़ 70 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि में से महज 88 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। किसानों द्वारा अपनी फसलों को समय पर सिंचाई नहीं कर पाने के कारण बहुत घाटा उठाना पड़ता है। बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के रख-रखाव पर पूरा घ्यान नहीं दिए जाने के कारण प्राय: हर साल तटबंध कई जगहों पर टूटते हैं और बाढ़ विशाल भू-भाग की फसलों को बहा ले जाती है। दुबारे खेती करने के लिए किसानों के पास रुपए, बीज, खाद और अन्य आवश्यक सामग्री की कमी हो जाती है और हजारों-हजार एकड़ भूमि में उपज हो नहीं पाती है। इस राज्य में पिछले 25 वर्षों से किसान बुरी तरह उपेक्षित रहे हैं। छोटे और मझोले किसानों की कठिनाइयाँ दूर करने के ठोस कदम नहीं उठाये गये। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से जो रुपए आबंटित किए जाते हैं उनका उपयोग किसानों के हित के लिए नहीं किया जाता है। बाढ़, सुखाड़ और कटाव से पीड़ित किसानों से ऋण की वसूली सख्ती से की जाती है।

राज्य सरकार ने पिछले 25 वर्षों में बिहार के किसानों की बड़ी उपेक्षा की है। कांग्रेस सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसानों की दयनीय हालत सुधारने के लिए उन्हें कई सहूलियतें देने की घोषणा की थीं, किन्तु जद/राजद/जद (यू॰) शासन उनपर अमल नहीं करके किसानों की तबाही कम करने की बजाय बढ़ाता ही गया है जैसा नीचे के ब्योरों से स्पष्ट होगा :-

- 1980 के दशक में सरकार ने निर्णय किया था कि सभी श्रेणी के किसानों को सिंचाई कर से मुक्त कर दिया जाए की सरकारों ने इसे लागू नहीं किया।
- 1980 के दशक में सरकार का निर्णय था कि 10 एकड़ तक जमीन रखनेवाले किसानों को सिंचाई में बिजली के उपयोग के लिए मुफ्त

बिजली आपूर्त्ति की जाए और उस पर हुआ खर्च विद्युत बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाए। बाद की सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

- पिछली सरकार का यह भी निर्णय था कि चूंकि अधिकांश मंझोले और छोटे किसानों द्वारा सहकारिता ऋण लिए जाते हैं, जो कमजोर माली हालत के कारण ऋण की अदायगी में पिछड़ जाते हैं और उनसे चक्रवृद्धि ब्याज या दंड ब्याज वसूला जाता है, इसे देखते हुए कांग्रेस सरकार ने निर्णय किया कि सहकारिता ऋण के बावत वसूला जानेवाला ब्याज माफ कर दिया जाए। किन्तु यह निर्णय लागू नहीं किया गया।
- कृषि उत्पादन के प्रोसेसिंग (विधान), खासकर फलों जैसे-लीची, आम, केला से अनेक प्रकार की सामग्री तैयार करके उन्हें डिब्बा बन्द करके देश और विदेश के बाजार में भेजने का निर्णय किया गया था जिससे किसानों को लाभ पहुँचता, पर इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गयी।
- बिहार का आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बाढ़-नियंत्रण के लिए 55 सौ करोड़ का पैकेज दिया गया था, जिसे कार्यान्वित कराने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र स्तर पर न तो प्रयास किये और न कोई योजना ही दी।
- इन सारे निर्णयों को शीघ्र लागू कराकर किसानों को लाभ पहुँचाया जाए।

समस्याएँ :

- बिहार के किसानों को सिंचाई, बिजली, उन्नत बीज एवं वैज्ञानिक उपकरण और कृषि-ऋण आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान विकास नहीं कर पाते हैं।
- खेती के मौसम में खासकर रबी और खरीफ की खेती के सिलसिले में मझोले और छोटे किसानों को अपने ट्यूबबेल से सिंचाई के लिए डिजल खरीदने में पेट्रॉल पम्प स्टेशन के मालिकों की इच्छानुसार अधिक दाम चुकाना पड़ता है। रासायनिक खाद-विक्रेता भी उनसे अधिक कीमत ऐंठते हैं। इस तरह किसान का जीवन अस्त-व्यस्त है।

- वर्षो से आधी-अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाएं कई क्षेत्रों में विनाश का कारण बन गयी हैं।
- स्टेट ट्यूबवेल वर्षों से दुर्दशाग्रस्त पड़े हुए हैं, कर्मचारियों को वेतन-भत्ते दिये जा रहे हैं, किन्तु किसान सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। राज्य सरकार ने यदि भिन्न-भिन्न चरणों में भी उन्हें ठीक करने का कार्यक्रम बनाया होता तो अनेक क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या पिछले 5 वर्षों में दूर हो गयी होती।
- नदी-तटबंधों का रख रखाव ठीक से नहीं किये जाने के कारण भागलपुर, बांका, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी कटिहार, सहरसा आदि क्षेत्रों में बांध टूटने से बराबर फसल एवं जान-माल का नुकसान बड़े पैमाने पर उठाना पड़ता है।

सिंचाई परियोजनाएं आधी-अधूरी :

(क) पिछले 25 साल में राज्य सरकार द्वारा वृहत् या मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य में की गयी प्रगति घोर असंतोषजनक है। राज्य की 180 मध्यम तथा 502 लघु सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। 132 परियोजनाओं का निर्माण कार्य तो शुरू ही नहीं किया गया।

(ख) पश्चिमी कोशी नहर का काम वर्षों से अधूरा पड़ा है। जहाँ-तहाँ नहरें खोदी गयीं पर उन्हें मुख्य नहर से नहीं जोड़े जाने के कारण सिचाई संभव नहीं हो पाती है।

(ग) चंदन-बडुआ सिंचाई कमाण्ड और सोन गंडक एवं कोशी सिंचाई कमाण्ड योजनाएँ बदहाल हैं।

(घ) कमला नदी के किंग्स कैनेल और सोन नहर का आधुनिकीकरण तथा विस्तार वर्षो से लम्बित है।

(ङ) गंगा-पम्प नहर की पूरी स्कीम ठप्प कर दी गयी। इसे कार्यान्वित करने की कार्रवाई की जाय।

(च) सभी 5500 स्टेट ट्यूबवेल समुचित देख-रेख एवं मरम्मत के बगैर बेकाम हैं और जो काम के लायक हैं भी उन्हें बिजली की आपूर्त्ति नहीं होती है जिससे उनका उपयोग नहीं हो पाता है।

(छ) अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाएं जैसे कोशी, गंडक, अधवारा, सुवर्ण रेखा, कोयलकारो, महानंदा दुर्गावती, कनहर-औरंगा आदि सिंचाई-योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की व्यवस्था की जाय।

(ज) पटना के फतुहा से लेकर मोकामा तक फैला जो विशाल भू-भाग, जो मोकामा टाँड के रूप में विख्यात है उसके जल-निकास की व्यवस्था करके हर मौसम में कृषि योग्य बनाया जाए।

बिजली समय पर नहीं मिलना :

कृषि के विकास के लिए बिजली की आवश्यकता बताने की जरूरत नहीं है। निजी नलकूपों और स्टेट नलकूपों में पूँजी तो लगाई गयी पर बिजली नहीं मिलने के कारण उन्हें चलाया नहीं जा सकता है। किसानों को यदि बिजली सुलभ करायी जाय तो कुटीर उद्योग के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और उनका जीवन खुशहाल बन सकेगा।

सहकारिता को प्रोत्साहन :

किसानों की समस्या को सुलझाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास लाने में सहकारिता की भूमिका पहले से ही महत्वपूर्ण मानी गयी है। बिहार में सहकारिता संगठन एवं आन्दोलन विनष्ट हो चुका है। राज्य सहकारिता बैंक जहाँ 1980 के दशक में 200-250 करोड़ का ऋण वितरण करता था, वह 1990 के दशक में 20 से 25 करोड़ का हो गया है। अन्य राज्यों में 500-1000 करोड़ सहकारिता से ऋण वितरित होता है। बिस्कोमान और व्यापार मंडल है। भूमि विकास बैंक का क्रियाकलाप बन्द है। किन्तु सरकारी तंत्रों के अधीन सहकारी समितियाँ विकसित नहीं हो पायी हैं। सामान्यतः देखा यह जा रहा है कि सहकारिता आन्दोलन का लाभ सीमान्त एवं लघु किसानों को नहीं मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि स्वावलंबन और स्वायत्तता के सिद्धांत पर सहकारिता का विकास करने के लिए कानून बनाया जाय। सहकारी समितियों के कार्य में सुधार लाने के लिए राज्य के वर्तमान बहुधंधी सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को बदलने के लिए संशोधन विधेयक तैयार किया जाए। आज तो यह जरूरत महसूस की जाती है कि सहकारी संस्थाएं स्वायत्तता और जनतांत्रिक आधार पर कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में

पंचायत निकाय की तरह संशोधन किया जाए। इस संशोधन में प्रावधान किया जाए कि सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन नियमित रूप से हो और निर्वाचन के संचालन के लिए एक स्वतंत्र निकाय गठित किया जाए। लेखा का अंकेक्षण नियमित और प्रभावकारी रूप से करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय गठित किया जाए। निर्वाचन और अंकेक्षण के लिए गठित निकायों के लिए राज्य स्तर पर निधि की व्यवस्था अलग की जाए और सहकारी समितियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए अंशदान करने का प्रावधान किया जाए।

बिहार सरकार से अपेक्षा है कि -

- कृषि को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की जाय और यह सावधानी रखी जाय कि किसानों को सरकारी कर उगाहनेवाले अधिकारियों द्वारा परेशान नहीं किया जाय।
- कृषि उपज का मूल्य उद्योगों में उत्पादित होनेवाले सामान के मूल्यों से जोड़ा जाय।
- कृषि-ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज, सरचार्ज एवं भू-राजस्व पर से सूद समाप्त किया जाय।
- किसानों को उनकी जमीन और जमीन की अनुमानित कीमत बतानेवाला पासबुक दिया जाय, ताकि उन्हें ऋण प्राप्त करने में आसानी हो।
- फसल-बीमा योजना शीघ्र लागू की जाय और सभी प्रखंडों में कृषि-विज्ञान केन्द्र और सूचना केन्द्र स्थापित किये जायँ।
- विद्युत उत्पादन का कम-से-कम 40 प्रतिशत कृषि कार्य के लिए सुरक्षित रखा जाय।
- बिहार में बाढ़-नियंत्रण के स्थायी निदान के लिए नेपाल सरकार से वार्त्ता करके मास्टर प्लान बनाया जाए।
- बिहार के जूट मिलों और चीनी कारखानों को पुनः चालू करा के गन्ना और जूट उत्पादकों की परेशानी को दूर की या जाय।
- कृषि साज-सामान खरीदने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से सुविधाजनक ढंग से अल्पकालीन एवं दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराये जायँ।
- कृषि-कार्य के लिए दिए जानेवाले ऋण की रकम को दुगुना किया जाय तथा ऋण की शर्तों को आसान बनाया जायँ।

- राज्य में कृषि-मूल्य आयोग गठित किया जाय और उसमें किसानों के प्रतिनिधियों को रखा जाय।
- किसानों से सम्बन्धित मामलों पर प्रभावकारी ढंग से विचार करने के लिए राज्य सरकार कृषि सलाहकार समिति गठित करे जिसमें किसानों के प्रतिनिधि रहें। कृषि मंत्रालय इस बात का घ्यान रखे कि गैट समझौता और भारतीय अर्थ-व्यवस्था को विश्व-बाजार से जोड़ने के कारण किसानों के हितों पर उल्टा प्रभाव न पड़े।
- छोटे एवं सीमान्त किसानों को निजी नलकूपों के लिए पर्याप्त अनुदान दिये जायँ।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को नलकूपों तथा सिंचाई नलकूपों की राशि शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाय।
- जिला एवं अनुमंडल प्रशासन की जिम्मेवारी बना दी जाय कि वह मझोले एवं छोटे किसानों के नाम रजिस्टर में दर्ज करें और उन किसानों को खेती के समय अपेक्षित मात्रा में डिजल, खाद, उन्नत बीज आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए आधुनिक कृषि-उपकरण ऋण आसान किस्तों पर उपलब्ध कराये जायँ और इस मद में सब्सिडी की मात्रा बढ़ायी जाय।
- राज्य में भूमि विकास बैंक, सहकारिता बैंक और बिस्कोमान को पुनः जीवित किया जाय तथा उसके माघ्यम से किसानों को ऋण एवं दूसरी सुविधाएँ सुलभ करायी जायँ।

बिहार में पुनर्जागरण आन्दोलन की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार राज्य में सामाजिक, आर्थिक और विधि-व्यवस्था सम्बंधी स्थिति अत्यन्त खराब होने के बावजूद जनता मौन है। यहाँ की निष्प्रभावी सरकार और विकास कार्यक्रमों के ठप हो जाने पर भी लोगों में आक्रोश या प्रतिक्रिया का आभास नहीं होता। पूर्व में बिहार में जिस तरह का आन्दोलन होता था, वह दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी होता था किन्तु आज बिहार जातिवाद से पंगु बन गया है और वह विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को बदलने के लिए बिहार में ऐसा पुनर्जागरण आन्दोलन चलाया

जायेगा, जो राजनीतिक ढंग से कई मायने में भिन्न ढंग का होगा। राज्य को जातिवाद के रोग से मुक्ति दिलाने के लिए इस पुनर्जागरण आन्दोलन का मुख्य मुद्दा होगा- आवास, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, कृषि में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार। ऐसा पाया गया कि-

(क) इस समय खेती की तरक्की का कार्यक्रम नहीं अपनाने के कारण किसान आन्दोलन मृतप्राय है। इसलिए नया दृष्टिकोण आवश्यक है।

(ख) खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में भी नये दृष्टिकोण की जरूरत है।

(ग) आई॰एल॰ओ॰ के मुताबिक सीमान्त किसानों को भी खेत मजदूर आन्दोलन की श्रेणी में रखना, कुछ पेशावर जातियों जैसे मल्लाह, कुजड़ा, कोइरी, लोहार, बढ़ई, धोबी आदि को ग्रामीण मजदूर संगठन का अंग समझना और जहाँ सम्भव हो उनके जातीय संगठनों को भी मजदूर संगठनों से सम्बद्ध करने के सवाल पर विचार किया जाना चाहिये, ताकि जातीय गठबंधन दूर हो सके।

(घ) भारतीय आर्थिक ढाँचे में खेती के विकास के लिए जरूरी है कि लघु और सीमान्त किसानों का अलग संगठन हो और सरकार की ओर से उन्हें विशेष सहायता दी जाय। गरीब किसानों का ऐसा संगठन जातिवाद को काट सकता है।

(च) गरीबी रेखा से नीचे की आमदनी वाले लोगों का एक विशेष आन्दोलन और संगठन बनाने की जरूरत है, ताकि जातिवाद और साम्प्रदायवाद पर जोरदार हमला किया जा सके।

बिहार के किसानों के लिए सरकार ने इतनी उपेक्षा की है कि उसका उपक्रम भारतीय खाद्य निगम 20 लाख टन धान खरीदने के स्पष्ट निदेश रहने पर भी लक्ष्य के अनुसार खरीदारी नहीं कर पाता है। यह प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार और राजनीतिक दल के नेतागण किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। किसान इस तरह एक वर्ग के रूप में एकत्रित नहीं हो पाये हैं कि उनकी आवाज प्रशासन के ऊंचे स्तर तक पहुँच सके। अतः जातीय भेदभाव की सीमा से ऊपर उठकर किसानों को एक वर्ग के रूप में संगठित किया जाए, ताकि उनकी आवाज सबल और दमदार बन सके। अभी राजनीतिक दल के नेताओं ने वोट की राजनीति के लिए किसानों को जातियों में बांट रखा है जिससे उनकी

समेकित आवाज नहीं बन पा रही है। किसान चेतना अभियान के द्वारा सरकार पर दबाव दिया जाय कि बिहार के किसानों को वर्तमान संकट से उबारने के लिए निम्नलिखित उपाय करें-

1. धान की खरीदारी का क्रय-केन्द्र जन वितरण प्रणाली की सरकारी दूकान को बनाया जाय।
2. भारत सरकार द्वारा निम्नतम समर्थन मूल्य पर धान के क्रय के लिए प्रबंधन प्रोत्साहन और क्रय की क्षति पूर्त्ति के लिए कम से कम 5000 करोड़ की विशेष धनराशि भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय।
3. राज्य के सभी लोक उपक्रम क्षेत्रों की 18 चीनी मिलों को चालू किया जाय।
4. गन्ना उत्पादकों की सुविधा के लिए 15 नयी चीनी मिलें स्थापित की जायँ।
5. गन्ना उत्पादक एवं चीनी मिल के मजदूरों के 100 करोड़ रुपए के बकाये का शीघ्र भुगतान हो।
6. कृषि उत्पादन के लागत मूल्य को कम करने के लिए सरकार तुरत बिहार के किसानों को निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध करावें। (क) सिंचाई शुल्क की माफी, (ख) सिंचाई कार्य के लिए बिजली की मुफ्त आपूर्त्ति, बिजली बोर्ड को सरकार क्षतिपूर्त्ति की अदायगी करे, (ग) 5000 राजकीय नलकूप, जो बंद हैं, उन्हें शीघ्र चालू किया जाय, (घ) निजी नलकूप के लिए बड़े पैमाने पर किसानों को सहायता उपलब्ध हो।

किसानों द्वारा आत्महत्या : एक राष्ट्रीय त्रासदी

कृषि क्षेत्र को अन्य आर्थिक-व्यापारिक क्षेत्रों में होने वाली तीव्र प्रगति, विश्व व्यापार संगठन के विनियमों तथा ग्रामीण इलाकों में कम होती प्रति व्यक्ति आय से चोट पहुँची है। दस सालों में भारत में एक लाख से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार किसानों की आत्महत्या की घटनाएं कृषि क्षेत्र में व्याप्त असंतोष का ही प्रकटीकरण है, जो अब खतरनाक दौर में है। अनेक शोध संस्थानों ने इस विषय पर

समय-समय पर सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इससे परिस्थिति की गंभीरता उजागर हुई है। इन अध्ययनों के अनुसार अधिकांश आत्महत्या साधारण किसानों ने की है, जो लघु और सीमांत कोटि के किसान हैं। आत्महत्याओं के पीछे अनेक कारणों का उल्लेख किया गया है जिनमें अल्प पूंजी निवेश, उत्पादकता में कमी, भूमि का खंडीकरण, बाढ़ एवं सुखाड़, फसलों की विफलता, अपर्याप्त सिंचाई, अत्यधिक ऋण का भार, साहूकारी ऋण पर अधिक निर्भरता में लागत में वृद्धि, कर्ज पर अत्यधिक सूद की अदायगी, संस्थागत वित्तीय ऋण, पोषण का अभाव, उत्पादित अनाज का उत्पादकता मूल्य की तुलना में लाभकारी मूल्य का प्राप्त नहीं होना, सरकार द्वारा घोषित अनाज के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की खरीदारी नहीं होना, समर्थन मूल्य का लाभ बिचौलियों द्वारा उठाया जाना, किसानों को लागत मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर उत्पाद को बेचने पर विवश होना, फसल बीमा का अभाव, बीमा के लिए ऊंची प्रीमियम दर है एवं भंडारण प्रसंस्करण और वितरण की अपर्याप्त व्यवस्था है। परंतु मुख्य रूप से आत्महत्या के पीछे किसानों की गरीबी है। गरीबी के कारण उन्हें बड़े पैमाने पर कर्ज लेने को विवश होना पड़ता है। उत्पादन में ह्रास और उत्पादित वस्तुओं का समुचित मूल्य नहीं मिलने के कारण वे ऋण की अदायगी नहीं कर सकते। उन्हें लगातार वित्तीय संस्थानों की उदासीनता के कारण ग्रामीण साहूकारों के चंगुल में फंसा रहना पड़ता है। साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज लिये जाने और साहूकारों के ऋण का किस्त समय पर भुगतान नहीं करने के कारण ये लगातार साहूकारों के कर्ज से दबे रहते हैं। इस प्रकार आत्महत्याओं के पीछे मुख्य रूप से साहूकारों का शोषण ही जिम्मेदार है। किसानों की आत्महत्या में पिछले दो वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस समय महाराष्ट्र के विदर्भ के 6 जिले, कर्नाटक के 6 जिले, केरल एवं आंध्र प्रदेश के 16-16 जिले आत्महत्या की घटना से प्रभावित हैं। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में स्वीकार किया है कि 1995 से पूर्व रिकार्ड नहीं रखा जाता था परंतु उसके बाद गृह मंत्रालय ने आत्महत्या की घटना का विवरण रखना प्रारंभ किया है। सूचना से इसकी सम्पुष्टि होती है कि प्रत्येक वर्ष 16 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या की घटना सर्वप्रथम केरल, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई और वह

आज पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में भी विस्तारित है। आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या ने अब राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर लिया है। इसके निदान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय आवश्यक हो गया है।

2. ऋणग्रस्तता के दो पहलुओं में एक तो ऐसा है जिसमें (अधिकांशत: अनौपचारिक महाजनों का हाथ है) और दूसरा यह है कि ऋण का उपयोग किसी उत्पादक कार्य के लिए नहीं किया जाता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि दोनों बिन्दुओं पर एक साथ ही विश्लेषण करके पता लगाया जाय कि आत्महत्याओं के वास्तविक कारण क्या हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि हरित क्रांति (ग्रीन रिवॉल्यूशन) का आरंभ होने पर सभी वर्ग के किसानों की आमदनी शुरू से बढ़ी जिससे खेतिहरों में भरोसा जगा कि वे अच्छी तरह के जीवन बिताने और उपयोग के मामले में सुखी रह सकेंगे। जब कभी निधि की कमी हुई तो उनके सामने ऋण देनेवाले महाजन प्रस्तुत रहते, जो उन्हें ऋण के रूप में पर्याप्त राशि देने के लिए तैयार थे। किसानों को दहेज के लिए रकम जुटाने में सांस्थिक वित्त से ट्रैक्टर खरीद के नाम पर ऋण प्राप्त करने में हिचकिचाहट नहीं थी। कृषि के क्षेत्र में आर्थिक संकट के शुरू होने और बढ़ते जाने से किसानों की आय में यद्यपि भारी रकम आ गयी, फिर भी उनकी आकांक्षाओं में सामाजिक हैसियत के प्रति दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया। ऋण की चुकौती नहीं करने पर उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ती गयी जिससे वे ऋण के फंदे में फँसते गये। महाजनों द्वारा की जानेवाली परेशानी, गिरफ्तारी की धमकी और अपनी सबसे बड़ी पूँजी-भूमि के उपयोग को छोड़ देने की बाध्यता के कारण लोक-लाज ने उनके लिए जीवन-त्याग का आधार बना दिया।

3. इस समस्या का दूसरा, किन्तु महत्वपूर्ण पहलू है, ऋणों का (विशेषत: अनौपचारिक ऋण का) अनुत्पादक उपयोग किया जाना। इन ऋणों में अधिकांशत: अनौपचारिक ऋण शामिल रहते हैं जिनके चलते यह सवाल उठ जाता है कि ''अनुत्पादी'' शब्द को किस रूप में परिभाषित किया जाय। कृषि के क्षेत्र में उपस्थित संकट पर पुन: विचार करने पर देखा जाता है कि ऋण की राशि अपने जीवन-निर्वाह के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की खरीदारी पर, चिकित्सा व्यय के नाम पर और अपने सिर के ऊपर छतरी बनाने के लिए किए जानेवाले

खर्च को अनुत्पादी कहा जाना तर्कसंगत नहीं होगा। अपनी उत्पादन-क्षमता को बनाये रखना या उस क्षमता का विस्तार किये जाने को आज बहुत उत्पाद व्यय माना गया है। यदि महज दो व्यापक पारम्परिक कोटियों को छोड़कर ऋण के उपयोग का विस्तार से असामूहिक विश्लेषण किया जाय तो ऋण के अधिकांश भाग का इस्तेमाल, जिसे अभी अनुत्पादी कहा जाता है संभवत: उसके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है। विवाह पर तथा अन्य सामाजिक त्योहारों पर होनेवाले खर्च को अनुत्पादी खर्च के रूप में बेहिचक वर्गीकृत किया जा सकता है। किन्तु सवाल उठता है कि समाज के एक खास वर्ग को क्यों अलग करके देखा जाता है और विवाह-शादी के नाम पर खर्च करने के लिए उसकी फजीहत क्यों की जाती है, जबकि पूरा देश इस सामाजिक बुराई के दल-दल में फँसा है? समाज में अंतत: जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं उनसे बिल्कुल अलग-थलग करके किसानों की जीवन-दशा का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सामाजिक संरचना से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वे जो भी कार्य करेंगे उसपर आमतौर से सामाजिक चिन्तन का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ेगा। समस्या यह है कि किसानों को समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले नियमित और सुनिश्चित आय नहीं होती और उसके द्वारा जो भी उपार्जन किया जाता है उसकी मात्रा में दिन-ब-दिन कमी आती जा रही है।

4. इतना ही नहीं, यद्यपि इस तस्वीर का वह पहलू सही है जिसपर समुचित चिंतन नहीं किया गया है और न उसे समाज के सामने लाया गया है कि न केवल सभी प्रकार के ऋण, बल्कि अनौपचारिक रूप से लिये गये ऋण का दुरुपयोग किया जाता है। फिर भी अधिकांश किसानों (और भूमिहीन मजदूरों) को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। सूक्ष्म अनुभववादी अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि खेतिहर किसान जो ऋण लेते हैं उसके अधिकांश भाग का उपयोग अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रयोजनों के लिए उत्पादक रूप में किया जाता है। केवल भूमिहीन मजदूरों का मामला ऐसा है, जहाँ उगाहे गये ऋण का अधिकांश प्रतिशत का उपयोग अपने गुजारे या पुराने ऋणों के भुगतान के लिए किया जाता है। इन अध्ययनों के अलावा एन०एस०एस०ओ० के आंकड़े भी बताते हैं कि किसानों द्वारा लिये गये ऋण के हर 1000 रु० में से 264 रु० खेती में लगाये जानेवाले पूँजी-खर्च के लिए

होते हैं, 360 रु० खेती पर होनेवाले चालू खर्च के लिए, 44 रु० खेती से भिन्न प्रयोजन के लिए, 85 रु० निजी उपभोग के लिए, 102 रु० विवाह और अन्य त्योहारों के लिए और 126 रु० चिकित्सा एवं अन्य व्यय-वहन करने के लिए होते हैं। पूरे देश के पैमाने पर एन०एस०एस०ओ० का निष्कर्ष है कि 50 प्रतिशत ऋणग्रस्त किसान परिवारों ने वृहत् खर्च या चालू खर्च जुटाने के लिए ऋण लिया था। (एन०एस०एस०ओ० 2005)।

5. जिन उत्पादक प्रयोजनों के लिए इन अनौपचारिक ऋणों का उपयोग किया जाता है, वे हैं मशीनों को किराये पर लेने, ट्यूबबेल एवं पम्पसेटों की मरम्मत, इसके ईंधन और रख-रखाव पर किया जानेवाला खर्च। काम के मौसम में इन बिन्दुओं पर होनेवाले खर्च को रोका नहीं जा सकता और ऐसे समय में केवल यही अनौपचारिक ऋण की राशि तुरत उपलब्ध रहती है। इसके मुकाबले सांस्थिक ऋण सामान्यत: सीमित होती है जो जमीन के मालिकाना न कि खेती में लगे क्षेत्र के आधार दिये जाते हैं और वे तभी उपलब्ध होते हैं, जब पहले लिया गया ऋण चुकता कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में खेतिहरों के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि वह अनौपचारिक महाजनों (ऋण दाताओं) की ओर मुखातिब हों जहाँ न तो देर की जाने की कोई प्रक्रिया और न लम्बी-चौरी फेहरिस्त तैयार करने की जरूरत होती जैसी कि सांस्थिक ऋण के मामले में सामान्यत: होती है। इतना ही नहीं, औपचारिक रूप में दिये जानेवाले ऋण से खेतिहरों की पूरी आवश्यकता संभव नहीं हो पाती है। औपचारिक ऋण की आपूर्ति किसानों को दिये जानेवाले ऋण के 50 प्रतिशत की भी नहीं होता।

6. इस दृष्टि से तमाम परिस्थितियों का आकलन किसानों की आवश्यकता की वर्द्धित कार्य प्रणाली की सीमाओं में विश्लेषण से किया जाना चाहिए और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ढाँचा तैयार किया जाए उसमें केवल आत्महत्या करनेवाले किसानों की जीवनदशा अध्ययन करने में ही सीमित नहीं रखी जाय। ऐसा करने से यह जोखिम कोई भयानक रूप ग्रहण करने से बच जायेगा। सांस्थिक व्यवस्था की ही यह कमजोरी है कि हमारे किसानों की आवश्यकता के अनुरूप ऋण की आपूर्ति नहीं की जाती है। यही मुख्य रूप से संकट के आने के लिए जवाबदेह है और उसी का प्रतिफल आत्महत्या के रूप में सामने आता है। कमीशन एजेंट अनौपचारिक ऋण दाता के रूप में अपनी उपस्थिति बनाये रखते हैं क्योंकि उन्होंने भूमि की अपेक्षा फसल को ही

समानान्तर महत्व दिया है और वे किसानों को इन परस्पर जुड़े हुए ठेकों में भागीदारी के लिए बहकाते हैं तथा बतलाते हैं कि ऋण के बदले वे फसल बेचने का वायदा करके अपना काम चला लें। इस प्रकार भूमि को अवमूल्यन की उपेक्षा की जाती है और ब्याज की दरें अत्यंत ऊँची रखी जाती हैं। लेन-देन से सम्बन्धित कागजात की स्थिति न्यूनतम होती है। कुछ विषम परिस्थितियों में ही भूमि का जबरन कब्जा किया जाता है। जिसे ऐसे-ऐसे बड़े भूधारी द्वारा साकार किया जाता है जो अपने को कमीशन एजेंट घोषित कर लेते हैं। किन्तु वर्णित परिस्थिति में ऋण लेने वाले को परेशानी, धमकी, गिरफ्तारी का भय और लोकलाज जैसे भाव इस तरह प्रभावित करते हैं कि वे आत्महत्या कर बैठते हैं। हालांकि उनके द्वारा ऋण का उपयोग अनुत्पादक ढंग से नहीं किया होता है। इसलिए खासतौर से ऋणग्रस्तता का आत्महत्या के रुप में प्रदर्शन और कृषि संकट का आमतौर पर अभिव्यक्ति का विश्लेषण वृहत आर्थिक ढाँचा में व्यापक रुप से किया जा सकता है। अत: इस समस्या का मूल कारण आमतौर पर ऋणग्रस्तता को ही माना जाना चाहिये। इसके लिए तमाम ऋण दिये जाने वाले ढाँचे और कृषि क्षेत्र में उपस्थित संकटों की तह में जाकर ही सही पता किया जा सकता है। अभी गंभीर परिस्थितियों में किसान फँस चुके हैं। चूंकि किसानों के सामने उपस्थित संकट आत्महत्या के रुप में साकार बन चुकी है इसलिए विभिन्न स्तरों पर समस्या का निदान करने की जरुरत है। आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों को तुरंत साहाय्य पहुँचाने की आवश्यकता है। इससे आरंभ करके ऐसी दीर्घकालीन नीति बनायी जानी चाहिये जिसके अंतर्गत तमाम कृषि क्षेत्र लाभान्वित हो सकें।

7. आत्महत्या करनेवाले किसानों के परिवारों को तत्काल ही साहाय्य प्राप्त कराने के रूप में यह आवश्यक है कि उन्हें क्षतिपूर्त्ति के रूप में धनराशि (नकद रकम) उपलब्ध करायी जाय, ताकि पीड़ित परिवार अपना अस्तित्व बचाने सम्बंधी जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे मामलों में तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है जहाँ आत्महत्या करनेवाला व्यक्ति धन उपार्जन करनेवाला अकेला सदस्य था। ऐसी वित्तीय क्षतिपूर्त्ति प्राप्त कराने के पहले किसी निष्पक्ष संगठन द्वारा इन परिवारों की शिनाख्त करायी जानी चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों और गैर-सरकारी संघटनों द्वारा भी अतिरिक्त वित्तीय क्षतिपूर्त्ति

उपलब्ध करायी जा सकती है। चूँकि अधिकांश आत्महत्या के मामले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ऋणग्रस्तता से और आर्थिक संकट से जुड़े होते हैं, इसलिए प्रस्ताव यह भी किया जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति का ऋण-भुगतान स्थगित कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त आत्महत्या करनेवालों के ऋण के मामले में ब्याज की दर और चुकौती की किस्तों की संख्या में काफी कमी किये जाने की जरूरत है। यदि आत्महत्या करनेवाला परिवार का एक मात्र धन उपार्जन करनेवाला सदस्य था तो उस मामले में यह सर्वथा अनुशंसा करने योग्य मामला बनता है तो सभी औपचारिक या अनौपचारिक ऋण की वसूली टाल दी जाए।

8. कृषि को वर्तमान धान-गेहूँ की फसल पद्धति से रूपान्तरित करके अन्य ढाँचे पर ले जाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिए। अन्न उपजाने के बदले फल, सब्जी और दाल उपजाने से किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण के प्रदूषण में भी कमी आयेगी जिससे कृषि की दीर्घकालीन क्षमता भी बढ़ेगी। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि ग्रामीण औद्योगिक विकास के सामरिक महत्व पर इस तरह कृषि के रूपान्तरण के प्रयोग से पहले 1980 के आरंभ में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में अच्छी सफलता मिली। पंजाब सरकार ने हाल में कृषि के रूपान्तरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किसानों और कृषि से जुड़े फर्मो के बीच ठेके पर खेती करानेवालों के उद्देश्य और खेती के तौर-तरीकों में जैसा बदलाव आया उससे उन्हें ऐसे निजी फर्मो की मर्जी पर निर्भर हो जाना पड़ा जिससे बाजार में एकाधिकार की स्थिति छा गयी। किसी बाध्यकारी एजेंसी के नहीं रहने के कारण इस तरह मुनाफा कमाने की भावना और बाजार की ओर उन्मुखीकरण के चलते किसानों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उनके सामने गेहूँ-धान की खेतीवाले फसली तरीके अपनाने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया।

9. यह निर्विवाद है कि कृषि का रूपान्तरण अर्थ-व्यवस्था को औद्योगिक ढाँचा में बदलने का बांछित लक्ष्य है, किन्तु जबतक कृषि-उत्पादन की प्रक्रिया कृषि फर्मो की चहार-दीवारी से बाहर नहीं निकलती तबतक कृषि के क्षेत्र को शोषण का सामना करते रहना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी की गिरावट बनी रहेगी। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में आमतौर पर तथा तइवान में खासतौर पर इस दिशा में सफलता की चर्चाएँ प्रचलित हैं, क्योंकि कृषि-उत्पादन का

विधायन उस क्षेत्र के फाटक पर ही हो जाता था और उससे जितना फाजिल बच जाता था उसका उपयोग ग्रामीण औद्योगिक क्रियाकलापों के विस्तार में तथा ग्रामीण आबादी के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने में भी किया जाता था। ताइवान के किसान संगठन ने मध्यवर्त्ती शोषक एजेंसी से अपने को दूर कर रखा। राज्य ने भी इस मामला में अपनी भूमिका निभाई कि किसानों को आवश्यक सांस्थिक ताना-बाना दिया और उनके समुचित धन विनिवेश की भी व्यवस्था की। उत्पादन के संघटन को व्यक्तिगत रूप के बदले सहकारी संस्था के रूप में बदलने की जरूरत है, किन्तु उसे अधिकारी वर्ग की राज्य नियंत्रित सहकारिता से बाहर निकालकर रखना होगा, जिससे ऐसी सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों के अधीन तथा उनके नियंत्रण में रहकर काम कर सकें। अपने देश में अमूल ऐसी सहकारिता का ज्वलंत उदाहरण है।

10. कम ब्याज दर पर ऋण का दिया जाना कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता यदि ऋण की मात्रा पर्याप्त न हो और वह समय पर तथा बिना किसी अतिरिक्त खर्च के प्राप्त न कराया जाय। ये अतिरिक्त खर्च ऐसे हैं, जो किसानों को बार-बार वित्तीय संस्था का चक्कर लगाने, शुल्क अदा करने (कागज-पत्र) जमा करने आदि के लिए मुंशी को चुकाने पड़ते हैं। अनपढ़ किसानों के लिए कागजी कार्यकलाप संभालने के लिए अपरिहार्य है। ऐसे खर्च को यदि ऋण की ब्याज दर में जोड़ दिया जाय तो औपचारिक रूप से लिए जाने वाले ऋण को अधिक खर्चीला बना देता है। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋण दाता है (महाजन) जो मुख्यत: कमीशन ऐजेंट के रूप में काम करते हैं। ये अत्यधिक दर ब्याज वसूलते हैं और जितनी मांग किसान द्वारा की जाती है, सुविधारूपेण ऋण देते हैं। इसी के अनुरूप वे ऋण की रकम का तालमेल अनाज की बिक्री के साथ बैठाते हैं। इस तरह के कारोबार से किसानों का भारी शोषण होता है। फिर भी उन्हें बाध्य होकर अपनी नितांत आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ग्रामीण किसानों की ऋण की आवश्यकता को देखते हुए इण्डोनेशिया में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के अनुभव कारगर हो सकते हैं। जहाँ विभिन्न संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है और किसानों के शील-स्वभाव पर ध्यान दिया जाता है अथवा भारतीय किसानों की आवश्यकता के अनुरूप ऋण देने की वह प्रक्रिया भी अपनायी जा

सकती है, जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक द्वारा निर्धारित की गयी है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋण देने के मामले में राजनीति को उससे अलग रखा जाय। क्योंकि जब कभी चुनाव का रूप आता है तो ऋण को अनुदान में बदल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऋण देने वाली संस्थाओं के सामने कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऋण ग्रस्तता के निवारण के लिए की जाने वाली कार्रवाई से सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के संकट का समाधान करने में भारी सफलता मिल सकती है। अन्य कुछ उपाय के रूप में यह सुझाव दिया जाता है कि औपचारिक संस्थाओं की भूमिका से अच्छे परिणाम हो सकते हैं। जहाँ दीर्घकालीन ऋण के मामले में खासतौर से फसल को आनुषंगिक भूमि के मालिकाना हक पर बल देने के बदले प्रतिभूति माना जाय।

11. इससे इतना तो सुनिश्चित हो गया कि किसानों को आवश्यकता के अनुसार ऋण मिल सकेगा। किसानों को उसी रूप में फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जो उद्योग को उपलब्ध है, क्योंकि कृषि क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं के घेरे में अधिकतर उलझने की संभावना बनी रहती है। फसल की बर्बादी हो जाने पर किसान हमेशा लगभग असमर्थ हो जाते हैं। ऋण चुकाने के मामले में और यदि लगातार एक या दो से अधिक मौसम की फसलें बर्वाद हो जायँ तो किसानों को ऐसा अनुभव होता है कि ऋण के जाल में फँस जायँ। यही स्थिति वस्तुत: आन्ध्र, विदर्भ, केरल, कर्नाटक और पंजाब में हो रही है, जहाँ वर्ष प्रतिवर्ष अधिक से अधिक आत्महत्या के मामलों की सूचना प्राप्त होती रहती है।

12. इसके अलावा किसानों के सामने उपभोग (गुजारा), स्वास्थ्य और अनेक सामाजिक पर्व त्योहारों की बाध्यता भी होती है जिससे वे अपने को नहीं अलग कर पाते हैं। इसलिए प्रयास यह किया जाना चाहिए कि एक अलग निधियों का एक अलग स्रोत बनाया जाय जिसमें किसान और सरकार दोनों के द्वारा समान रूप में अंशदान किये जायँ। ऐसी निधि बन जाने से ऊपर बतलाये गये प्रयोजनों का खर्च वहन करने के लिए खासतौर से ब्याज मुक्त ऋण दिये जा सकते हैं। ऐसी निधियों का सृजन ग्रामीण स्तर पर पंचायतों या अन्य कुछ संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। इस निधि में धनराशि यदि कम हो तो सदस्य किसानों को बारी-बारी से, आवश्यकता के अनुरूप या लॉटरी के आधार पर ऋण की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था मोटेतौर पर उसी तरह की

हो सकती है जो चिट फंड या निधियों के माध्यम से शहरी इलाके में संचालित की जाती हैं। किन्तु ऐसी योजना की सफलता बिलकुल किसानों और उनकी ईमानदारी पर निर्भर करेगी। किस रूप में वे योजना का संचालन करते हैं यदि ऐसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सका, तो किसानों को ऐसी संस्थाओं से लिये गये ऋण के दुरुपयोग का अवसर नहीं मिलेगा अथवा उन्हें अनुत्पादी प्रयोजनों के लिए अनौपचारिक ऋण संस्थाओं से ऋण का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसान के लिये गये ऋण के अधिकांश भाग का उपयोग उत्पादी प्रयोजनों के लिए तो करते हैं फिर भी वे ऋण के जाल में फँसते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि किसानों की ऋण संबंधी तमाम जरूरतों का पता लगाकर उसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक ऋण एजेंसियों की स्थापना की जाय।

13. यह भी आवश्यक है कि सरकार इस तरह के कुछ सहकारी संगठनों की स्थापना करने के बारे में सोचे जिसके माध्यम से कृषि संबंधी मशीनें यथा ट्रैक्टर, थ्रेसर और हार्वेस्ट कम्वाइन्ड (दवैनी करने वाला यंत्र) सस्ती दरों पर उपलब्ध कराये जाये। इससे किसानों के व्यय में बहुत बचत होगी। सिंचाई के लिए भी यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि हर किसान संस्थाओं से प्राप्त होने वाले नलकूप और पम्प सेट लेने के लिए अलग-अलग खर्च करें। सरकार द्वारा बैठाये गये टयूबबेल को सामूहिक रूप में किसान संचालित करें, तो कुछ कारगर परिणाम हो सकते हैं। अर्थ-व्यवस्था की रूप रेखा को बदलने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि कृषि क्षेत्र की महत्ता को कम करके आँका जाय, यानी कृषि कार्य से जुड़े लोगों की संख्या में कमी लाकर उन्हें उद्योग जैसी अर्थ-व्यवस्था को गतिशील क्षेत्र में लगाया जाय। अर्थ-व्यवस्था में भारी बदलाव आ रहे हैं जिनसे पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के विकास के शुभ लक्षण के बदले भारी संकट उपस्थित होने की संभावना है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जहाँ अतिरिक्त धनराशि का प्रयोग तेजी से उद्योग की दिशा में बढ़ रहा है वहाँ कृषि क्षेत्र में हीं कभी बनी हुई है। ऐसी स्थिति खासतौर से इसलिए बनती जा रही है कि उत्पादन में ह्रास हो रहा है जिससे इस क्षेत्र के लोगों की आमदनी घटती जा रही है।

14. ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ एक ओर कृषि क्षेत्र के अधिशेषों (सरप्लस) को तेजी से उद्योग की दिशा में खींच लिया जाता है, वहाँ दूसरी

ओर कृषि पर कामगारों की निर्भरता आज भी अधिक से अधिक बनी हुई है। इस क्षेत्र की स्थिति बदतर होती जा रही है, क्योंकि उत्पादन का ह्रास होता जा रहा है और आमदनी घटती जा रही है। हरित क्रांति का शुभारंभ होने पर अर्थ-व्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिला और हर वर्ग के कृषकों की आमदनी, उत्पादन और उत्पादकता तेजी से बढ़ी। किन्तु यह बढ़ावा अल्पकालीन ही रहा और कालक्रम से उत्पादकता गिरने लगी। उत्पादन का व्यय बढ़ते जाने से आमदनी में गिरावट आती गयी, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी संभव नहीं हो पाया। इन सब के साथ ही कृषि संबंधी कार्यकलाप में यंत्रों (मशीनों) के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में काम करनेाले मजदूरों की भारी संख्या को बेरोजगारी से जूझना पड़ गया, क्योंकि नियोजन का कोई वैकल्पिक अवसर उपलब्ध नहीं था। कृषि क्षेत्र में लगभग गतिहीनता और अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं होने के कारण संकटकाल का आरंभ हुआ जिससे ऐसा अभूतपूर्व संकट छा गया कि कृषकों ने नितान्त गरीबी का दंश झेलने, ऋण का बढ़ता जा रहा बोझ ढोने, ऋण की चुकौती करने में असमर्थ होने के कारण यंत्रणा झेलने की अपेक्षा अपनी जीवन-लीला ही समाप्त कर देना श्रेयस्कर माना। आत्महत्या के रूप में कृषि क्षेत्र के संकट का प्रकटीकरण खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। इस समस्या की गंभीरता का आकलन करने तथा इनके कारणों को जानने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर जो गहन सर्वेक्षण किया गया उससे पता चला कि आत्महत्या करनेवाले अधिकांश खेतिहर (कृषक) थे, जो छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी के थे। आत्महत्या करने के कई कारण बताये जिनमें गरीबी के साथ-साथ फसल की बर्बादी, ऋणग्रस्तता, पत्नी के साथ अनबन और शराब की बुरी लत आदि का उल्लेख किया गया। किन्तु इसका मुख्य कारण है आर्थिक संकट जिसका सामना किसानों को आमतौर पर करना पड़ता है और उन्हें भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को इसका तीखा अनुभव अधिक हुआ है, क्योंकि जहाँतक संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने का संबंध है, उनकी स्थिति फायदेमंद नहीं है।

15. ऐसी परिस्थिति में जरूरत है कि आत्महत्या के समाधान के रूप में न केवल अल्पकालीन ऋण और तत्कालीन उपाय के बारे में सोचा जाय, बल्कि ऐसे दीर्घकालीन उपाय भी किये जायँ जिनसे कृषि संकट ही नहीं होने पाये। इस

संबंध में जहाँ एक ओर जरूरत है कि आत्महत्या करनेवाले किसानों के परिवारों को वित्तीय-साहाय्य देकर उनके पुनर्वास के प्रयास किये जायं, वहीं दीर्घकालीन उपाय के रूप में जरूरत है कि ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर ऋण की विभीषिका को सदा के लिए विलीन कर दिया जाय। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि बिचौलियों को हटाकर किसान सहकारी संस्था के माध्यम से फसल का उत्पादन, विधायन और कृषि फार्म के मुख्य द्वार पर वहीं उत्पादित सामान की बिक्री की जाय। इस उपाय से कृषि-क्षेत्र को न केवल गेहूँ-चावल के चक्कर से मुक्ति मिल सकेगी जो कृषि के रूपान्तरण के लिए अत्यावश्यक है, बल्कि यह उपाय आमदनी और रोजगार की दृष्टि से लाभदायक होगा। कृषकों के संघटनों को चाहिए कि वे संयुक्त रूप से विधायन और क्रय-विक्रय का काम खुद करें और इसके लिए ऐसे प्रयासों पर निर्भर नहीं करें जो अधिक से अधिक लाभकारी मूल्यों के लिए आन्दोलन के रूप में चलाये जा रहे हों। अधिकारों की मांग के साथ-साथ औद्योगिक कार्यकलापों में लगे रहने से बिचौलियों को दूर रख पाना संभव होगा, जो विधायन और क्रय-विक्रय के सिलसिले में हुए अतिरेक (सरप्लस) का लाभ उठाकर अपना गुजारा करते हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि वह किसानों को समर्थन और सहयोग देने के अलावा ऐसी नवीन प्रक्रिया और नीति अपनावें जो भूमंडलीकरण की दिशा में किसानों के संगठनों को प्रेरित करें कि वे उन कार्यकलापों का आरंभ करें जिनसे कृषि फार्म के क्रय पर ही विधायन और क्रय-विक्रय संबंधी कार्यक्रम मिले-जुले रूप में चल पायें। इसके द्वारा इस बात पर भी बल दिया जाय कि राज्य और राज्य संचालित वित्तीय संस्था को अपनी कार्य पद्धति बदले जिससे किसानों को ऋण पर्याप्त मात्रा में, समय पर, सस्ती दरों पर और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल प्राप्त कराया जा सके। ऋण प्रदान करने संबंधी निश्चय करने में देरी और अतिरिक्त खर्च वहन करने के बोझ से संस्थागत ऋण के प्रति आकर्षण घट जाता है। अतः उस दिशा में भी कठिनाइयों को अधिक से अधिक कम करने का प्रयास करने चाहिए।

बिहार के किसान और बटाईदार बताते हैं, सरकार का कोई भी आदमी खेती के बारे में हमारा मार्गदर्शन करने नहीं आता, कागज पर जितनी खानापुरी हो जाय। इस स्थिति में उन्हें मालूम ही नहीं होता कि किन बीजों, किस मात्रा में कौन से उर्वरकों और कौन से कीटाणुनाशक दवाओं का कैसे इस्तेमाल करें। हमारे पास सिर्फ बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं की कम्पनियों के एजेंट

ही पहुंचते हैं, जो उन्हीं सुझावों को प्रचारित-प्रसारित करते हैं जिनसे उनके माल बिकें और उन्हें मोटा मुनाफा मिले। पहले किसान अपनी उपज का एक हिस्सा बीज के रूप में इस्तेमाल के लिए रख देते थे। उनके बीज कीटाणु प्रतिरोधी होने के साथ ही भारतीय आबोहवा में कम खाद-पानी में ही आसानी से अच्छी पैदावार देते थे, किन्तु बाजार में छा गयीं कम्पनियों के बीजों को अधिक मात्र में उर्वरक और पानी चाहिए। रासायनिक उर्वरक महंगे हैं, सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्र में बिजली और डीजल चाहिए। इस पर भी बड़ा संकट यह कि नये बीज अगली फसल में काम नहीं आ सकते। हर खेती पर नये बीज बाजार से खरीदने पड़ते हैं। बढ़ती कृषि लागत से निबटने के लिए किसानों को बैंक से पर्याप्त मदद नहीं मिलती। बैंक उन्हें एक बार कर्ज देते हैं, चुकता नहीं होने पर दोबारा के लिए द्वार बंद भी हो जाता है। बटाईदारों को तो बैंक इसलिए कर्ज नहीं देते कि जमीन पर उनकी मिल्कियत नहीं होती। इस स्थिति में किसान मजबूर हो कर महाजन की शरण में जाते हैं और सदा के लिए फंस जाते हैं। 75 प्रतिशत से अधिक किसान कर्ज के लिए महाजनों पर निर्भर है। फसल बीमा योजना की तमाम घोषणाओं के बावजूद यह कागज पर ज्यादा लागू है जमीन पर कम। समस्या का दीर्घकालिक निदान ऐसी नीतियों में निहित है जिनसे किसानों को अधिक लाभदायी और कम जोखिम वाली फसलों की खेती के लिये प्रेरित किया जा सके। उन्हें तत्काल संकट से उबारने के लिए एक जन सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की आवश्यकता है। किसानों में कृषि कर्म के प्रति गौरव और विश्वास को फिर से बहाल करने की जरूरत है। किसानों को कृषि के क्षेत्र में अपनी स्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। छोटे जोतों की उत्पादकता और लाभदेयता में वृद्धि के लिए छोटे किसान परिवारों को समुचित शक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिये संस्थागत समर्थन आवश्यक है। संसाधनविहीन कृषक परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीविका कमाने के अन्य अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए।

इसी प्रसंग में राष्ट्रीय किसान आयोग, भारत सरकार के चौथे प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर जो मंतव्य और परामर्श दिये गये थे, उन्हें देखा जा सकता है। (देखें परिशिष्ट-5)

❐

19

बिहार का आर्थिक पिछड़ापन

बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी बेहद और लगातार बनी हुई है, सामाजिक संगठन का ढाँचा उलझा हुआ है, बुनियादी संरचनाएँ संतोषजनक नहीं हैं और शासन-तंत्र कमजोर है। ये सारी समस्याएँ हैं तो चिर-परिचित, किन्तु इनके भली-भांति पिछले 25 वर्षों में समझने का प्रयास नहीं किया गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह की स्थिति में बदलाव लाये जायँ और ऐसे निदान ढूँढ़े जायँ तथा ऐसी रणनीति बनायी जाए जो बिहार के विकास की चुनौती का सामना करने में सहायक बनें।

बिहार की लगभग 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है जो भारत में सबसे अधिक है। गरीबी के सम्बन्ध में इसकी जो विषमता है वह बताती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसमें कितना अन्तर है और वह राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। गरीबी दूर करने की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत कम रही। इसके साथ ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की दशा में देश के स्तर पर जो प्रगति हुई उसके मुकाबले बिहार की प्रगति काफी फीकी रही। ग्रामीण गरीबी का औसत 41.1 प्रतिशत है जो शहरी गरीबी के स्तर 24. 7 प्रतिशत से काफी अधिक है। शहरीकरण की गति धीमी रहने के कारण गरीबी मुख्यत: ग्रामीण स्तर पर विराजमान है। ग्रामीण स्तर पर गरीबी के मुख्य कारण हैं कि आमलोगों के पास जमीन की मात्रा सीमित है, उनके पास पशुधन भी सीमित है, शिक्षा का अभाव है और स्वास्थ्य-सुविधाएँ भी कम हैं तथा भरपूर कमाईवाली जीविका एवं सामाजिक हैसियत की भी कमी है। गाँव की

गरीब जनता की आमदनी का स्रोत है कृषि-मजदूरी और समय-समय पर मिलनेवाले अन्य कार्य। अधिकांश आबादी भूमिहीन है या भूमिहीन जैसी ही है जिसके पास पशुधन भी घटिया किस्म का है और शिक्षा भी बहुत कम है।

कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जिसमें 80 प्रतिशत कामगार लगे रहते हैं और लगभग 40 प्रतिशत कुल घरेलू उत्पाद सृजित करते हैं। कृषि-कार्य में तथा उससे जुड़े ग्रामीण स्तर के गैर-कृषि कार्यकलाप में सुधार लाना जीवन-निर्वाह और गरीबी का स्तर नीचा करने की दृष्टि से आवश्यक है। पिछले 25 वर्षों में बिहार में धन-विनिवेश का स्तर गिरते जाने से विकास सम्बन्धी उपलब्धि कम हुई है। राज्य में गैर-सरकारी स्तर का धन-विनिवेश अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही कम हुआ है। निजी परियोजनाओं के तहत बिहार की भूमिका प्रमुख राज्यों के बीच न्यूनतम रही। सरकार की ओर से किये जानेवाले धन-विनिवेश का स्तर भी नीचे की ओर ही रहा, क्योंकि राज्य की अपनी वित्तीय स्थिति कमजोर रहने से बाधाएँ उपस्थित हुईं। वित्तीय कठिनाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ खड़ी करती हैं। केन्द्र से राज्य को कर का जो अन्तरण होता है उस मामले में बिहार को देश के प्रति व्यक्ति अन्तरण का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। इसके बावजूद इस राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिकाधिक वित्तीय कठिनाई रहती हैं। इस तरह के भारी वित्तीय घाटे के चलते बिहार के ऋण का बोझ देश के अन्तर्गत सबसे अधिक है। बिहार का अपना राजस्व इतना कम है कि उससे वह किसी तरह ऋण का ब्याज चुका पाता है। नवम्बर, 2000 में बिहार का विभाजन होने के बाद इसकी वित्तीय स्थिति नाजुक बन गई, क्योंकि राजस्व प्रदान करनेवाले अधिकांश औद्योगिक और खनिज साधनस्रोत नये झारखंड राज्य में चले गये तथा दायित्वों का बोझ बिहार पर बना रहा। वित्तीय अभाव का नतीजा हुआ कि सरकार की ओर से उठाये जानेवाले व्यय-भार में कमजोरी आयी। विकास कार्यक्रम चलाने के लिए बिहार को केन्द्र से जो साधनस्रोत उपलब्ध कराये गये हैं उनका उपयोग पूर्ण रूप से और सुचारू ढंग से नहीं किया गया है। केन्द्रीय निधि से संचालित कार्यक्रम में बिहार द्वारा देश के मुकाबले सबसे कम धनराशि का उपयोग किया गया है।

शिक्षा का अभाव, कमजोर स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छ वातावरण की कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव गरीबी को बरकरार रखने पर रहा है। बिहार में विभिन्न प्रकार का सामाजिक वर्गभेद बड़े पैमाने पर है और वह कई

दशकों से लगातार चलता आ रहा है। शिक्षा क्षेत्र में नामांकन और साक्षरता की दरें देश के औसत से बहुत कम है जिससे पता चलता है कि पुरुष-स्त्री में और समाज के विभिन्न वर्गों में कितना बड़ा अन्तर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। शिशु-मृत्यु की दर अधिकांश अन्य राज्यों से अधिक है। शिशु-पोषाहार के मामले में बिहार की स्थिति पूरे देश की तुलना में गई बीती है। सामाजिक सेवा क्षेत्र में कम उपलब्धि का मुख्य कारण यह रहा है कि इसमें अनेक त्रुटियाँ रहीं। इस क्षेत्र में सरकार की अहम् भूमिका रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो शिक्षक हैं भी वे उपस्थित नहीं होते हैं। प्रशासनिक कमजोरियों ने इस समस्या को अधिक उलझा दिया है।

वर्तमान राष्ट्रीय मानदंड के मुकाबले स्वास्थ्य उपकेन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य क्लिनिक की संख्या कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो उपकेन्द्र और क्लिनिक हैं भी, वे समस्याओं से ग्रस्त हैं। वहाँ सुविधाओं का अभाव है, बिजली की कमी के चलते यंत्रों और साज-सामानों का उपयोग नहीं हो रहा है। लगातार दवाओं और टीकाओं की आपूर्त्ति बंद रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति हर जगह देखी जाती है। कठिन स्वास्थ्य सम्बंधी हालत आने पर निजी स्वास्थ्य-सेवा कार्यक्रम चलानेवाले से चिकित्सा पाना संभव होता है। बिहार में ऐसी निजी स्वास्थ्य सेवा चलाने वालों द्वारा जितना अधिक खर्च वसूला जाता है। बच्चों को जन्म देनेवाली महिलाओं में से आधे से अधिक निजी स्वास्थ्य-सेवा प्रदान करनेवालों से चिकित्सा करवाती हैं। सरकारी स्वास्थ्य-सेवा केन्द्रों का सहारा लेनेवाला केवल 1-5 वाँ हिस्सा ही होता हैं। सरकार की ओर से मिलनेवाला आर्थिक साहाय्य गरीबों तक नहीं पहुँच पाता। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर जो भी आर्थिक साहाय्य प्राप्त होते हैं वे सुखी-सम्पन्न लोगों द्वारा डकार लिये जाते हैं। बिहार में इसके मुख्य कारण चार हैं। पहला यह कि सरकार जो भी धनराशि खर्च करती है उसका लाभ गरीबों को न तो शिक्षा के क्षेत्र में और न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भले ही बजट में उसका प्रावधान क्यों न किया गया हो। दूसरा यह कि जो भी धन खर्च किया जाता है वह भ्रष्टाचार और व्यवस्था की कमजोरी के कारण जरूरत मंदों को नहीं मिल पाता है। तीसरी बात यह कि जो लोग ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेवार

हैं उन्हें मौजूद रहकर देखना चाहिए कि गरीबों को ऐसी सेवा उपलब्ध हो रही है। किन्तु बिहार में ऐसे व्यक्ति का पता ही नहीं रहता। चौथा कारण यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में जनता को सरकार पर भरोसा ही नहीं रह गया है इसलिए वह इनसे सम्बंधित सेवाओं की मांग करती ही नहीं है। उसे घटिया किस्म की सेवा मिलती है और कीमत अधिक चुकानी पड़ती है और उसे पाने के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है।

बिहार में अनेक गरीबी निवारण करनेवाली योजनाएँ चलायी जा रही हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार चला रही है और उद्देश्य है कि उनसे गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की जीविका मिले और उनकी दशा में सुधार हो। किन्तु, इन योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि उनका उपयोग गलत ढंग से हो रहा है और ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके माध्यम से सरकारी निधि का उपयोग प्रभावकारी ढंग से हो सके। जिन लोगों को यह लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है उनसे भिन्न लोगों के बीच धन का इस्तेमाल होता है। यह एक गंभीर समस्या है। सेवाएँ प्रदान करने और केन्द्रीय कार्यक्रम सहायता के रूप में मिली धनराशि का उपयोग करने में बिहार प्रशासन गंभीर बाधा बना हुआ है। राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक होता है और अधिकारी वर्ग की क्षमता भी कुशल नहीं है। इनके अलावा कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी हैं बिहार का शासन बहुत केन्द्रीयकृत है जिसके चलते निर्णय लेने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा पड़ती है। छोटी-छोटी बातों जैसे खरीददारी, टेंडर, भूमि का पट्टा और कर्मचारी सम्बंधी अन्य सवालों पर निर्णय लेने के लिए उच्च स्तर से प्राधिकार प्राप्त करने और कमिटी का अनुमोदन लेने में काफी समय लग जाता है। इसके चलते गंभीर अवरोध उत्पन्न होते हैं। निधि का वितरण धीमी गति से होता है और सरकारी कार्यक्रम चलाने की जो गतिविधि निर्धारित होती है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। राज्य की सिविल (असैनिक) सेवा में भर्त्ती भी एक समस्या बनी हुई है। इसके चलते राजकीय कार्यों की आवश्यकता की पूर्त्ति और उसकी स्तरीयता पर बहुत अंतर पड़ जाता है। शिक्षकों और इंजीनियरों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं और निम्न कोटि के पदों पर जरूरत से ज्यादा लोग भरे पड़े हैं। सेवा नियमावली में सुधार नहीं लाये जाने के कारण वैसे भी व्यय वहन करने पड़ते हैं जिनसे बचा जा सकता था। भर्त्ती, प्रोन्नति और मंजूरी प्रदान करने सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली स्थायी ढंग की नहीं

है और वह पारदर्शी भी नहीं है। विभागों का ढाँचा कुछ इस तरह का बनाया गया है कि वह टुकड़ों में बंटा हुआ सा लगता है और इसका प्रभाव गरीबी घटाने, परिवार नियंत्रण कार्यक्रम चलाने और कृषि विकास सम्बन्धी कार्य चलाने पर पड़ता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार और घोटाले की अनेक घटनाओं ने इस राज्य को बदनाम कर रखा है और यह धारणा बनती है कि जनता की शिकायतें सुनने और उनके निराकरण करने के प्रति प्रशासन में जिम्मेवारी का अभाव है।

बिहार की वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयों के चलते सरकार के विरुद्ध बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। अनेक मुकदमे सेवा से जुड़े हैं जिनमें वेतन भुगतान नहीं किए जाने, भू-राजस्व के मामले में अनियमितता बरते जाने सम्बन्धित तथा जनहित सम्बन्धी याचिकाएँ हैं। जनहित याचिकाएं कभी-कभी तो गंभीर प्रश्न लेकर नहीं भी रहती हैं, पर उनसे सरकार को कभी-कभी अपनी गतिविधि पर विचार करने की बाध्यता होती है। सरकार के विरुद्ध अवमानना के भी मुकदमे बड़े पैमाने पर चलाये जा रहे हैं और लगभग 5500 मामले विचाराधीन हैं जिनमें से अधिकांश पेंशन का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बंधित हैं। इस प्रकार के मुकदमे खर्चीले तो होते ही हैं और उनसे न्यायालय की कार्यक्षमता भी बाधित होती है। न्यायालय की कार्यप्रणाली पर इसका असर होता है। नतीजा है कि न्यायालय में अनुमानतः 20 वर्ष से अनेक मुकदमे विचाराधीन पड़े हैं।

बिहार में कानून और व्यवस्था की जैसी गंभीर समस्या बनी हुई है वह सरकार के लिए भारी चुनौती है। सरकार के स्तर से जारी किये गये आंकड़े यद्यपि बताते हैं कि बिहार में अपराध की दर कई अन्य राज्यों के समान ही है किन्तु आमतौर पर यह धारणा बन चुकी है कि यहाँ अराजकता व्यापक पैमाने पर फैली है और जिस तरह योजनाबद्ध ढंग से अपराध किये जाते हैं, वे अन्य जगहों से भिन्न ढंग के हैं। बिहार को एक जोखिम भरा राज्य माना जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार विद्यमान है और व्यापारीवर्ग एवं व्यवसायियों के विरुद्ध अपराध किये जाते हैं। इसके चलते बिहार में व्यापार स्थापित करने में भारी बाधा पड़ती है। सरकार की नीति में आर्थिक और सामजिक उद्देश्यों को केन्द्र-बिन्दु बनाना बिहार के मानवीय और आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक लाभ के संकीर्ण लक्ष्य को छोड़ा जाय

और इस ओर भी दिलचस्पी नहीं दिखायी जाय कि विकास का जो भी प्रतिफल हो उसके नाम पर अच्छे शासन का ढिंढोरा पीटा जाय। बल दिया जाना चाहिए सड़क निर्माण पर, बाढ़ नियंत्रण करने पर, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर। दृष्टिकोण में इस बदलाव से विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी।

बिहार के विकास की रणनीति में विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बंधी लाभों के लिए विभिन्न समुदायों और संगठनों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसी संस्थाएँ निजी, सरकारी और गैर-सरकारी हो सकती हैं जिनसे साधनस्रोत प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए ऐसा दृष्टिकोण बनाना होगा और ऐसी नीति अपनानी होगी जिनसे शासन-प्रणाली में सुधार हो, घिसी-पिटी नियमावलियाँ बदली जायँ, क्षमता का विस्तार हो और निर्णय लेने की कमजोरियां दूर हों। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाया जाय, बढ़ते जा रहे ऋण के बोझ को संभाला जाय और राज्य के अल्प साधनस्रोत का उपयोग सही दिशा में किया जाय। विनिवेश के लिए स्वस्थ वातावरण बनाकर विकास को बढ़ावा दिया जाय। इसके लिए उद्यमियों और धन-विनिवेश को प्रोत्साहित करना होगा और ग्रामीण क्षेत्र से सम्बंधित विकास कार्यक्रम में खासकर उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा स्तंभ है मानव साधनस्रोत के विकास को बढ़ावा देना जिसके लिए समुन्नत गुणवत्ता अपनानी होगी और खासकर गरीबों और समाज के दलित वर्गों को सामाजिक सेवा का लाभ प्राप्त करना होगा। विकास की पहली कड़ी है राज्य में विनिवेश का स्वस्थ वातावरण बनाना ताकि बिहार के कृषि और मानव संसाधनस्रोत का अधिकाधिक उपयोग हो सके और नये उत्पादन-साधनस्रोत उपलब्ध कराये जायँ और रोजगार के नये अवसर बनें। कृषि के क्षेत्र में आय अर्जित करनेवाले अवसर बढ़ाना गरीबी को दूर करने का महत्वपूर्ण रास्ता है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था आर्थिक अवसर प्रदान करने का मध्यवर्त्ती साधन है। बिहार का धन-विनिवेश स्तर और विकास की दर कमजोर होने का मुख्य कारण है कि यहाँ विनिवेश का वातावरण अनुकूल नहीं है। इसके कारण अनेक हैं जिनमें शामिल हैं घटिया किस्म की आधारभूत संरचना (सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार साधन), कमजोर वित्तीय-बाजार और उधार मिलने के साधन का अभाव, निपुण श्रमिकों की कमी, कमजोर कानून-व्यवस्था और यदि कोई उद्यमी विनिवेश करना चाहे तो उसे राजनीतिक समर्थन नहीं

मिलता है। सरकार की विकास-नीति में प्राथमिकता दी जानेवाली दो महत्वपूर्ण बातें हैं, बिहार की कमजोर आधारभूत संरचना को ठोस बनाना तथा कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करना। विनिवेश का वातावरण सुदृढ़ बनाने के लिए दूसरी प्राथमिकता है बुनियादी कानून व्यवस्था में सुधार लाना और इस दिशा में लंबे अर्से से चली आ रही समस्या को सुधारना होगा। बिहार की लगातार गिरती जा रही कानून एवं व्यवस्था निश्चय ही जोखिम भरा प्रश्न है जिससे दमदार विनिवेशक घबराते हैं। कानून और व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस नीति अपनानी होगी। विनिवेश पर सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

औद्योगिक नीति के बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 10 वर्षों से औद्योगीकरण की रफ्तार सुस्त है। राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमियों को 1990 से 2005 तक और फिर 2005 से 2014 तक मदद नही दी है। यह बड़ा ही विस्मयकारी रहा है कि देश के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र के बड़े-बड़ें उद्योगपतियों द्वारा बिहार में पूँजी निवेश के लिए आश्वासन देने के बावजूद उद्योगपतियों ने पूँजी-निवेश नही किया। लघु उद्योग इकाइयों के राज्यस्तरीय अध्ययन के अनुसार, बिहार की 70 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयाँ रुग्ण अथवा बंद हैं। बिहार राज्य औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद् की बैठक में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रोड-मैप तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। परन्तु यह विस्मयकारी है कि इस दिशा में प्रगति अभीतक नहीं हो पायी है।

हाल में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट का सार यह है कि दूसरे विकसित राज्यों की तो छोड़िये, अपने पड़ोसी राज्यों से भी बिहार पीछे हैं। औद्योगिक निवेश के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने आईना दिखाया है कि बिहार में निवेश को आकर्षित करने के लिए ठोस और दिखने वाली पहल की जरूरत है, तभी निवेशकों में भरोसा जगेगा और यहाँ पैसा लगाने की मन:स्थिति तैयार होगी। क्या राजनीतिक दल इसे गंभीरता से लेंगे? क्या विधान सभा चुनाव में इस पर मंथन होगा कि बिहार की पुरानी मिलें एक-एक कर क्यों बंद होती गयीं और नये उद्योग क्यों नहीं लग पाये।

हाल के विश्व बैंक की रिपोर्ट का संक्षिप्त सार यह है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के मामले में देश में गुजरात को सबसे अव्वल और बिहार के मामले में विकास का 21वाँ राज्य करार दिया है। मसलन जात-पात का

बोलबाला प्रदेश के सामाजिक विकास के मामले में पिछड़ने के एकाधिक कारणों में सबसे पहला कारण है। क्या यह सच नहीं है कि प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और हाशिये पर के लोगों को सामाजिक न्याय और सत्ता-व्यवस्था में भागीदारी दिलाने के नाम पर कुत्सित जातीय राजनीति का जो कोहराम मचा है उसकी कीमत प्रदेश की आम जनता को चुकानी पड़ रही है?

दलित तबका राज्य के विकास में अपनी सहभागिता ढूंढ़ता है तो उसे मायूसी ही दीखती है और उसे विषमता, शोषण एवं जुल्म सहने पड़ते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) की रणनीति 1980 में शुरू की गयी थी क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति जो हाशिये पर हैं उन तक देश का आर्थिक विकास नहीं पहुँच पा रहा था। यह विस्मयकारी है कि पिछले 25 वर्षों में अनुसूचित जातियों पर हुए खर्च बिहार में नगण्य रहा है, जो कि योजना आयोग द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देश के विरुद्ध रहा है। बिहार में कुल योजना परिव्यय का केवल 1.2 प्रतिशत ही प्रतिवर्ष/पिछले वर्षों में अनुसूचित जातियों पर खर्च किया जाता रहा है। 2009-10 में 1.1 प्रतिशत और 2010-11 में 1.2 प्रतिशत ही आवंटित किया गया था। यह क्रम लगातार जारी है। अनुसूचित जातियों को जो इस 2015-16 वित्तीय वर्ष में भी राज्य योजना बजट में 3140.0 करोड़ रूपये पाने का हकदार हैं, लेकिन केवल 232.9 करोड़ रूपये ही मिले।

25 वर्षों में बिहार की पूरी राजनीति मध्यवर्गीय पिछड़ी जातियों के बीच है। श्री लालू प्रसाद स्वयं, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। महादलित मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माँझी को अकारण अपमानित कर मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। राजनीति ने एक गरीब दलित को स्वीकार नहीं कर पाया। सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय आधार पर सामाजिक सद्भाव एवं समरसता को खंडित कर राजनीति नहीं चलायी जा सकती। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी है।

❐

20

मानवाधिकार हनन की बढ़ती घटना

मानवाधिकार संरक्षण के प्रसंग में यह उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि संविधान में जिस समतामूलक समाज की परिकल्पना की गई है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों की आत्मा मानकर उसमें जो कहा गया है कि ''किसी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा'', उसे ध्यान में रखते हुए सच्चाई ठीक इसके विपरीत मालूम पड़ती है। आज सामूहिक नरसंहारों में सैकड़ों लोगों की हत्या, फर्जी पुलिस मुठभेड़ में हत्या, हिरासत में मौत और भूख से भी मौत की घटनाएँ कानून की स्थापित प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाती हैं। इसलिए इस तथ्य का गंभीर अध्ययन किया जाए कि कमजोरी कहां है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है? बिहार में हिंसा, भ्रष्टाचार, विकासशून्यता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से आम आदमी त्रस्त हैं। व्यवस्था के प्रति चौतरफा आक्रोश एवं असंतोष चरम पर है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। संप्रति समाज जातीय रूप से टुकड़ों में बंटा हुआ है। किसी भी तथ्य का आकलन करने में जातीय समीकरण पहले खड़े हो जाते हैं और ऐसी दूसरी विसंगतियां भी कम नहीं हैं।

बिहार में भूख से मौत एवं आत्महत्या के लिए विवश होना भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार के विरुद्ध है। इस संविधान प्रदत्त अधिकार में भोजन का अधिकार शामिल है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भूख से हुई मौत के लिए राज्य सरकार ही

जवाबदेह है। फिर भी सरकार द्वारा इन मौतों को नकारने का अड़ियल रवैया न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। भूख से मौत की परिभाषा राज्य सरकार निर्धारित करती हैं। मोतीहारी में अनुसूचित जाति के 6 लोग भूख से मर गये। मुजफ्फरपुर के राजखण्ड में एक व्यक्ति की मृत्य भूख से हुई एवं नालन्दा जिले के इब्राहीमपुर गाँव में 3 सवर्ण ब्राह्मण भूख से ही मरे। सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना के बाद औरंगाबाद तथा नालन्दा में भूख से मृत्यु की घटनाएँ और ठंढ लगने से 450 लोगों की मौत की घटनाएं दर्शाती हैं कि इनके पीछे गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। गरीब परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का अभाव है, जिसके चलते वे न तो जन-वितरण प्रणाली से अनाज खरीद पाते हैं और न खाद्यान्न सुरक्षा वाली योजनाओं से अपना पेट भर पाते हैं। भूख से होनेवाली मौतों को रोकने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराये, ताकि उसमें क्रय करने की क्षमता रहे और वह अपनी रोटी की समस्या हल कर सके। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से खैरात के रूप में खाद्यान्न बांटना समस्या का उचित समाधान नहीं है। दलित, कमजोर वर्ग और सामाजिक न्याय के आन्दोलनकारियों की यह बहुत बड़ी कमी और कमजोरी है कि वर्ण व्यवस्था से ज्यादा परेशान करनेवाली गरीबी झेल रहे हैं और उपेक्षाओं द्वारा परेशानी महसूस कर रहे लोगों को संवैधानिक अधिकार उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय नहीं है। सच्चाई यह है कि जबतक उन्हें गरीबी से मुक्ति नहीं दिलायी जाएगी तबतक आत्महत्या, भूख और ठंड से मृत्यु की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करनेवाले लोगों की संख्या में लगातार कटौती कर 20 लाख लोगों की छंटनी कर दी गई। भारत सरकार की पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लोगों के लिए प्राप्त 10 करोड़ राशि के विरुद्ध केवल 4 करोड़ का ही वितरण हुआ है। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान बंद कर दिया गया है। अन्त्योदय एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी योजनाओं के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत गरीबों को लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो संविधान के विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा अघोषित तरीके से आत्मदाह या आत्महत्या करने को उकसाया जाता है। राज्य के 49 लोक उपक्रमों में कार्यरत मजदूरों के वेतन भुगतान नहीं होने के चलते हजार से अधिक कर्मचारियों के मरने की

सूचना एक लोकहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को दी गई। बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को 35 व्यक्तियों की मृत्य भूख से होने की सम्पुष्टि की। संस्कृत, मदरसा एवं उर्दू शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने कारण 100 से अधिक शिक्षकों की भूख से मौत हुई है। बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित इलाके में भूख से मरने वाली स्थितियाँ पैदा कर दी जाती है। बाढ़ के बाद कुपोषण और भूख की बीमारियाँ, माहामारी की शक्ल ले लेती है। लोगों को अन्न के बिना नहीं मरने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक द्वारा दिये गये आदेश भी यहां कोई खास मायने नहीं रखता। संकट यह है कि अब, किया क्या जाये, कहां फरियाद हो? पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आठ मई 2001 और 28 नवम्बर 2001 को ही सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस बारे में कड़े निर्देश दिये थे। अब सरकार लोक उपक्रम को बंद कर 40 हजार से अधिक लोगों को बेरोजगार कर उन्हें भूख से मरने के लिए विवश कर रही है। भारत सरकार की विनिवेशीकरण से 1 करोड़ से अधिक मजदूर बेरोजगार किये गये हैं।

देश एवं राज्य की जेलों में कैदियों की आबादी में दो-तिहाई विचाराधीन कैदी हैं। यानी आज की तारीख में कुल विचाराधीन कैदियों की संख्या 2.87 लाख है। इनमें 71 प्रतिशत तो वे हैं जो मामूली अपराधों जैसे पॉकेटमारी, शरारत या छोटी-मोटी चोरी के जुर्म में सालों से कैद हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन अपराधों में ये जेल लाये गये हैं, उसकी सजा की अवधि से कहीं बहुत ज्यादा वक्त उन्होंने जेलों में बिता दिया है। कई के मामले तो सालों बाद अदालत में अभी खुले ही नहीं हैं, न ही उनकी सुनवाई ही पूरी हो पायी है। ऐसे कैदियों की संख्या भी कम नहीं जो दस-पंद्रह सालों से जेलों में कैद हैं, पर उनके मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले 1979 ई. में ही बताया था कि नजरबंद कैदियों का तेजी से विचारण किया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। उसने इस तथ्य को भी उजागर किया है कि मजिस्ट्रेटों का यह कर्त्तव्य होता है कि वे अभियुक्तों को वाकिफ करावें कि उन्हें कारागृह में भेजे जाने के पहले जमानत पाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने बहुत आगे बढ़कर यह भी सुझाव दिया था कि जमानत की रकम

उतनी ही रखी जानी चाहिए जो अभियुक्त की वित्तीय स्थिति के अनुकूल हो और जो उसके फरार होने की संभानाओं को देखते हुए उपयुक्त मालूम पड़े। इसमें अपराध के स्वरूप को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने इससे आगे जाकर अनुच्छेद 21 की दृष्टि से नि:शुल्क कानूनी सहायता को उचित एवं तर्कसंगत प्रक्रिया माना। किन्तु इन सुझावों की अवहेलना के आसार खुलेआम नजर आते हैं। नतीजा है कि अभियुक्तों को उतनी अवधि से कहीं अधिक दिनों तक जेल में बंद रह जाना पड़ता है जितना उन्हें किसी खास अपराध के लिए जेल-यातना सहनी पड़ती है।

स्पष्ट है कि जेल के कैदियों के सामने जितने प्रकार की समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों की समझदारी में कमी नहीं है और न न्यायालय की ओर से दिए जानेवाले निदेशों का अभाव है। जबतक कारागारों में वर्त्तमान स्थिति में बदलाव नहीं आता और विचाराधीन कैदियों की संख्या कम नहीं होती तबतक किसी भी सुधार की आशा नहीं की जा सकती। निम्न स्तर के न्यायालयों को अद्यतन सूचना नहीं दिए जाने के कारण भी अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं। इस बात का भी खासतौर पर ध्यान रखना है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में जितने तरह के कानूनी विचारों का विवेचन किया गया है और अनेक न्यायाधीशों के निर्णयों से जो नये-नये कानून उद्‌भूत हुए हैं उन्हें अमल में लाकर वांछित उद्‌देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। गत वर्ष विचाराधीन कैदियों के मामले शीघ्र निपटाने की सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी ने विचाराधीन कैदियों के भीतर उम्मीद की एक लौ जगाई थी। कोर्ट ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से स्पष्ट रूप से कहा था कि विचाराधीन कैदियों के मामले को निपटाने में किसी तरह की देरी को किसी की भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा देखने पर अनुभव होता है कि अधिकतर विचाराधीन कैदियों को पुलिस-प्रशासन ने षड्‌यंत्र के तहत फंसाकर उन्हें बीबी-बच्चों से अलग कर अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। हजारों कैदियों की न्यायालय में पेशी नहीं हो पाती हैं, और न ट्रायल हो पाता है। विचाराधीन कैदियों में अधिकांश की माली हालत इतनी खराब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अनुमंडल और जिला सत्र न्यायालय में भी अपनी पैरवी के लिए एक मामूली वकील की फीस चुकाना मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में

ऐसे विचाराधीन कैदियों की मदद करनी चाही थी, जिनके मुकदमे एक साल से ज्यादा समय से लंबित थे। उसने निचली अदालतों को आदेश दिया था कि जो कैदी दस माह से अधिक जेल में बिता चुके हैं और अधिकतम सात साल की सजा पाने वाले अपराध के बंदी हैं उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश था कि ऐसे मामलों को तुरंत खत्म कर दे जिनमें अपराधी को एक साल से कम की सजा होने का प्रावधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये कवायदें भी नक्कारखाने में तूती की आवाज बन कर रह गयीं और विचाराधीन कैदियों की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है।

बिहार राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 800 से अधिक विचाराधीन मुकदमें में 1100 सौ से अधिक बच्चे कारागारों में वर्षों से बंद हैं। उनका विचारण न्यायालय के विभिन्न स्तरों पर इसलिए लम्बित है कि बिहार सरकार किशोर न्याय (बच्चों की हिफाजत एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन ऐसे मुकदमों के विचारण के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग किशोर न्याय पर्षद् (बोर्ड) को प्रभावकारी नहीं बना सकी है। विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नये कानून के तहत किशारों से संबंधित मुकदमे के विचारण के लिए पटना उच्च न्यायालय का मन्तव्य जानना चाहा है, क्योंकि बिहार सरकार अधिनियम के उस उद्देश्य के प्रति उदासीन है जिसमें किशोरों की हिफाजत और संरक्षण की बात कही गई है। बच्चों की हिफाजत और उनके पुनर्वास की दृष्टि से ऐसे मुकदमे के शीघ्र निबटाव के लिए शिशु हितकारी दृष्टिकोण अपनाना अपेक्षित है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा-4 की अपेक्षानुसार किशोर न्याय पर्षद् को प्रभावकारी नहीं बनाये जाने के चलते उनसे संबंधित मुकदमों के विचारण में बाधा पड़ रही है। वर्णित परिस्थिति में अधिनियम की धारा-6 (2) के अधीन सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का विस्तार किशोरों के विचारण के हित में किया जाना चाहिए, भले ही उसमें कानूनी अड़चन क्यों न हो। नये अधिनियम की धारा- 1 (3) के अधीन प्रदत्त शक्ति के आधार पर 1 अप्रैल, 2001 को वह तिथि नियत की गई थी जबसे अधिनियम के प्रावधान लागू किये गये थे। इस आधार पर पुराना अधिनियम निरस्त (फंक्ट्स ऑफिसियो) हो गया। किशोरों के संबंध में बिहार की यह स्थिति दुविधाजनक और अत्यन्त दु:खद है। वास्तविकता यह है कि किशोर न्याय पर्षद् सरकार की निष्क्रियता के चलते

प्रभावकारी नहीं बन पाई। कानूनी प्रावधान के होते हुए भी बिहार के किशोरों को कुप्रभावों का शिकार बनना पड़ रहा है। यातना सहने के लिए विवश किशोरों का मामला सामने रखते हुए कहा है कि उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अत: मुकदमे का विचारण शीघ्र किया जाए। बिहार में किशोर न्याय पर्षद् के सक्रिय न रहने के कारण इन किशोर कैदियों की स्थिति खूंखार अपराधियों से भी अधिक दयनीय बन गई है जिनका विचारण सामान्य न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

मानवाधिकार हनन के गर्भ से ही नागरिक असुरक्षा और जन-क्षोभ का जन्म होता है। हमारे यहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानवाधिकार को अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता रहा है। शहरी तबका अपने सामान्य जन-जीवन, बेरोकटोक व्यवहार की आजादी को ही मानवाधिकार समझने की भूल करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीधे तौर पर नागरिक अधिकार की मांग से जुड़ जाता है। मानवाधिकार के संदर्भ में इस दोहरी समझ की खाई को पाटने की जरूरत है। हमारी कठिनाई यह है कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण करके निष्कर्ष तक तो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद अपने निष्कर्ष को किसी ठोस निर्णय का रूप नहीं दे पाते। मानवाधिकार के मामले में हमारी निराशा का यही मूल कारण है।

यह देखकर हैरत होती है कि पढ़े-लिखे तबकों में भी मानवाधिकारों के प्रति सही समझदारी का अभाव है। जो तबका मानवाधिकार की समझ रखता है वह भी इसे 'इलिटिज्म' के दायरे में ही देखता है। यहां यह विचार अबतक अपनी जड़ें नहीं जमा सका है कि मानवाधिकारों के प्रति परस्पर आदर-भाव से ही हमारे अधिकांश सामाजिक विकारों का हल निकल सकता है। मानवाधिकार हनन की घटनाएं किसी भी समाज को उल्टी दिशा में मोड़ने की ताकत रखती है। ऐसा विशेषकर उस हालत में होता है जब मानवाधिकार हनन की घटनाओं को लेकर जनता के स्तर पर कोई प्रतिकार आंदोलन संगठित नहीं हो पाता। अपने राज्य बिहार में सामाजिक दुष्कर्मों की एक लंबी परंपरा रही है। ये प्रशासनिक तंत्र की ओर से होनेवाली हिंसा को सामाजिक दुष्कर्म के दायरे में नहीं रखता। उसका तो अपना एक अलग इतिहास है। मानवाधिकार हिंसा के प्रति असंवेदनशील या उदासीन होना चिन्ता की बात है, किन्तु उसमें भागीदार

होना और तथ्यों को भ्रामक दिशा में मोड़ना उससे कहीं ज्यादा गंभीर चिन्ता की बात है।

प्रसंगवश यहाँ मानवाधिकार हनन की कुछ घटनाओं का आंकड़ा बताता है कि वर्ष 2002 में 3090 हत्याएं हुई हैं, 17 सौ अपहरण की घटना, 747 बलात्कार की घटना और 193 पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत में कैदियों की मौत की घटना घटी हैं। इनके अलावा 72 कैदियों की मौत बीमारी और सही इलाज की कमी के कारण हुई है। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जेल की अवधारणा कैदखाने से अधिक सुधार गृह की होती है। बंदियों को उनके अपराध का अहसास करा उन्हें सकारात्मक सुधार का पर्याप्त माहौल उपलब्ध कराना मकसद होता है, किंतु बिहार की चाल यहां भी जमाने से उल्टी है। ज्यादतियों के कारण हिरासत में कैदियों की मौत होती है। कारागारों में चिकित्सा के नितान्त अभाव के कारण कैदियों की मौत बीमारी से होना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक स्थिति है। यह तो और ही चिन्ता का विषय है कि कैदियों की मौत समुचित उपचार के बिना हो जाए और अधिकारीगण अपना जिस्म बचाने के लिए उसे स्वाभाविक मृत्यु की संज्ञा दे दें। गुजरे साल बिहार की कुल चौवन जेलों में तिरानवे कैदियों की मौत हो गयी। जेल तोड़कर भागने के बने रिकार्ड ने भी जेलों की बदतर स्थिति को ही जाहिर किया। जेलों की जानलेवा स्थिति अदालती कार्यकलापों की खामियों को भी जाहिर करती है। सरकार भी मानती है कि मुकदमों का निपटारा त्वरित ढंग से न होने से जेलों में क्षमता से तिगुने कैदी हैं। ऐसे विचाराधीन कैदी तो हजारों में हैं, जो दोष साबित होने से पहले ही सजा से ज्यादा वक्त जेलों में काट चुके हैं। बूढ़े-लाचार कैदियों को रिहा करने का मसला आज भी अधर में है। समस्याओं से जूझते कैदी अक्सर भूख हड़ताल करते हैं, उनका आंदोलन होता है पर कोई फायदा नहीं। 'निःसंदेह, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। राज्य सरकार में जिस दिन इच्छाशक्ति पैदा हो जायेगी, उस दिन से अपराधी जेल के सीखचों के पीछे होंगे और अपराध बहुत हद तक नियंत्रित हो जायेगा'। यह बात गाहे-बगाहे राज्य के नेता औपचारिक या अनौपचारिक रूप से स्वीकार तो करते हैं, पर इस दिशा में करते कुछ भी नहीं। उनके इस रवैये के चलते समूचा राज्य अपराधियों का चरागाह बन गया है तथा आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इन घटनाओं

ने देश में और देश के बाहर भी बिहार की स्थिति शर्मनाक बना दी है। राज्य की कानून-व्यवस्था अपना प्रतीकात्मक महत्व और प्रभाव खो चुकी है। सामाजिक और जातीय तनाव वीभत्स मुकाम पर पहुँच गया है और पुलिस तथा प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। ऐसी भी अवधारणा बन गई है कि पुलिस और प्रशासन का भय कमजोर और कानून पसंद लोगों को ही होता है और वैसे ही लोगों को पुलिस मामूली बातों पर भी सताती रहती है। फर्जी मुठभेड़ों के अनेक मामलों की जांच में यह सत्यापित हो चुका है कि पुलिस द्वारा निर्दोष और मासूमों पर अपनी बहादुरी दिखाकर अवार्ड पाने की कोशिश की जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में फर्जी मुठभेड़ द्वारा हत्या करके मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर कार्रवाई के लिए कानूनी प्रावधान का अभाव है।

इस समय सारा राष्ट्र मानवाधिकारों के संदर्भ में अत्यन्त जटिलता और विविधता का समाना कर रहा है। पुलिस की हिरासत में आज भी मौतें हो रही है और ये मौतें केवल ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्र में हो रही हो ऐसा नहीं हैं। ये मौतें राजधानी दिल्ली में भी हो रही है। पुलिस की हिरासत में पुलिसकर्मी द्वारा बलात्कार हो रहे हैं। हवालात में बंद कैदियों को पुलिस द्वारा क्रूर और अमानवीय दंड दिया जाता है। भारतीय समाज आज हिंसा और घृणा के गंभीर दौर से गुजर रहा है। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों, पिछड़ी एवं गरीब सवर्ण जातियों पर गंभीर अत्याचार जगजाहिर है। यहाँ दहेज के कारण मौतें होती है। बंधुआ और बाल मजदूरी जैसी बुराई आज भी विद्यमान है।

मानवाधिकार विषय को अधिक प्रभावी बनाने एवं पुलिसकर्मियों के दैनिक कर्तव्य में मानवाधिकार की संवेदनशीलता को जगाने के लिए राज्य सरकार को पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के पाठयक्र में यथायोग्य संशोधन करना चाहिये। साथ ही मानवाधिकार से संबंधित विषयों की सारगर्भिता को देखते हुए एवं इसके प्रभाव को अधिक व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार मानवाधिकार से संबंधित सभी मामलों की निगरानी के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करे और उसके अधीन प्रभावकारी संगठन का गठन किया जाए जिसकी निगरानी का भार आई०जी०स्तर के पुलिस पदाधिकारी को सौंपा जाए। अंतिम प्रभारी प्रधान सचिव, गृह मंत्रालय (विशेष) को बनाया जाए। कस्टोडियल डेथ सहित अन्य मामलों यथा थर्ड डिग्री में थर्ड के समाधान हेतु समय-समय पर

सख्त निर्देश जारी किए जाएं। कस्टोडियल डेथ के मामलों की जांच अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा कराई जाए तथा राज्य सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार कस्टोडियल डेथ में मरनेवालों के आश्रितों को दो लाख मुआवजा दिया जाए। कस्टोडियल डेथ के मामलों में अधिक पारदर्शिता एवं अन्वेषण में वैज्ञानिकता लाने के लिए कस्टोडियल डेथ के पोस्टमार्टम की विडियो रिकार्डिंग कराने का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निदेश प्राप्त हुआ है जिसे राज्य सरकार को स्वीकार कर कार्रवाई करनी चाहिये। मानवाधिकार से संबंधित विषयों को अधिक प्रभावी बनाने एवं पुलिसकर्मियों के दैनिक कर्तव्य में मानवाधिकार की संवेदनशीलता को जगाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इन विषयों की महत्ता स्थापित की जाए, जिससे एक संतुलित पुलिस बल तैयार हो सके।

सच्ची शांति और आजादी तभी हासिल की जा सकती है, जब हम प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति प्रदत्त मानवीय गरिमा का सम्मान करें और ऐसी सामाजिक, राजनीतिक तथा अर्थिक व्यवस्था कायम करें जो सबके लिए समान और न्यायपूर्ण हो। इस सच को हम दो विश्व युद्धों की विभीषिका झेलने के बाद स्वीकार कर पाए हैं। मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र भले ही औपचारिक रूप से सभी राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा होने के नाते यह दुनियाभर के देशों की राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित करती है और उनपर अपने देशवासियों के लिए अधिकार व न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दबाव बनाती हैं। मानवाधिकारों के प्रति भारत की निष्ठा संविधान के विविध प्रावधानों में स्पष्ट देखी जा सकती है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर उन्हें सुनिश्चित करना निश्चय ही आसान नहीं है। दुनिया का संभवत: कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जहां इतनी विभाजनकारी और विविधतापूर्ण प्रवृत्तियां हों जितनी कि हमारे देश में हैं। यह विविधता क्षेत्र, धर्म, लिंग, जाति, भाषा आधारित है। आर्थिक और शैक्षिक स्थिति आधारित भेद भी यहां व्याप्त हैं। इनके अलावा शारीरिक और इससे जुड़ी अक्षमताओं से ग्रस्त लोग तथा आंतरिक झगड़ों, प्राकृतिक आपदाओं, औद्योगीकरण आदि से बेघर हुए लोग हैं, जिनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है। आर्थिक विकास और तीव्र नगरीकरण के परिणामस्वरूप अन्य कई कमजोर तबके सामने आये हैं जिनमें विस्थापन के

शिकार, झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोग, औद्योगिक श्रमिक तथा पर्यावरण-क्षरण से प्रभावित लोग शामिल हैं। इसलिए जब भारत में सभी नागरिकों के लिए मानवाधिकार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की चर्चा होती है तो वह एक छोटी सी, सरलता से संभाली जाने योग्य, समजातीय आबादी के मानवाधिकारों की चर्चा नहीं होती। वह वस्तुतः एक अरब से ऊपर विविधापूर्ण जनशक्ति के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करने से जुड़ी होती है जिनके हित कई बार सीधे-सीधे एक-दूसरे से टकराते प्रतीत होते हैं। मानवाधिकारों के मामले में भारत की स्थिति एक ऐसे विद्यार्थी की है जिसकी उपलब्धियां कम नहीं हैं, लेकिन उसे अभी लंबी यात्रा तय करनी हैं।

"गरीबों को मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे नैतिक दायित्व हमें क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही अन्य लाभ भी होते हैं। चूंकि मानव अधिकार के मानक, व्यक्ति विशेष के सशक्तीकरण पर बल देते हैं, इसलिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण गरीबों को सशक्त और सक्षम करने में सहायता कर सकते हैं।'' आज विकास, सुरक्षा और मानव अधिकारों का चोली-दामन का साथ, इनमें से कोई एक, अन्य दो के बिना ज्यादा सफल नही हो सकता। वास्तव में मानव अधिकार की पुरजोर वकालत करने वाला यदि मान सुरक्षा और मानव विकास-या प्रतिक्रमात-के लिए कुछ नहीं करता तो वह अपनी विश्वसनीयता और अपने ध्येय को ही कमजोर कर रहा है। गरीबों को इतना सजग बनाने की जरूरत है कि कोई उनका शोषण न कर सके। गरीबों के अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हम उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करें।

भारत के संविधान की प्रस्तावना और संविधान के चतुर्थ भाग, अर्थात राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से स्पष्ट है, हमारे संविधान निर्माता समाज के निर्बल वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग थे। सामाजिक न्याय पूरे विश्व में, विशेषकर वैश्वीकरण के व्यापक संदर्भ में अति आवश्यक मुद्दा बन चुका है। वैश्वीकरण के कारण सरकारों और उनके नागरिकों के बीच संबंधों की पारंपरिक भूमिकाओं में बदलाव आ रहा है और यह सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए अनेक चुनौतियां पेश कर रहा

है, चाहे वह विनाशकारी वित्तीय संकट के रूप में आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों के रूप में हो या फिर विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे परराष्ट्रीय निकायों के बढ़ते प्रभाव के रूप में हों। मानवाधिकारों को समाज के सभी सदस्यों, विशेषकर सरकार और उसकी एजेंसियों के व्यवहार की उपलब्धियों और सिद्धांतों के मानक के तौर पर देखा जाता है। मानवाधिकारों को समाज की आधारशिला माना जाता है और यदि उसका अनुपालन न किया जाय तो समाज बिखर जाएगा। मानव जाति के सम्मान की रक्षा और उसके उन्नयन से ही समाज को बनाये रखा जा सकता है।

मानवाधिकारों, विशेषत: समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों के संरक्षण की सरकार की प्रमुख एजेंसी नौकरशाही ही होती है, क्योंकि उन्हीं पर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। न्यायालय तभी हस्तक्षेप करता है जब कार्यकारिणी (सरकार) कानून के अमल में नाकाम होती है या फिर मनमर्जी से कानून पर अमल कराती है। एक ऐसा संविधान जो धर्म-निरपेक्षता और सामाजिक न्याय का दम भरता है, सरकारों पर भारी जिम्मेदारी डाल देता है, फिर चाहे वह केन्द्र की सरकार हो अथवा राज्य की। इसीलिए संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का महत्व है।

❐

देश के सभी जेलों में कैदियों की दुर्व्यस्था

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपने विचार, निर्णय एवं आचरण से संविधान का अनुपालन किया है जिसके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ''धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत अवधारणा है। जहाँ भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। किन्तु राज्य (शासन) की दृष्टि में किसी व्यक्ति के धर्म या विश्वास की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि राज्य (शासन) की दृष्टि में सभी लोग समान है और समान ढंग के व्यवहार के हकदार हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित पंथनिरपेक्षता और संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। सरकार ने स्थापित किया है कि राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी पर निर्भर है। इसी मान्यता के आधार पर विषमतारहित समाज-व्यवस्था के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रुप से उल्लिखित है। वर्तमान सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरती है। सरकार अनेक निर्णयों से प्रचलित विषमताओं के निराकरण के लिए विभिन्न उपायों को अपना रही है। सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देने की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके रास्ते के रोड़ों को हटाने के लिए अनेक निर्णय लिये गये हैं। आज की आवश्यकता यह है कि जो भी आर्थिक रूप से

पीछे हैं उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किये जायँ। वे चाहे किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के हों। पूर्व की सरकारों से लोगों में भ्रष्टाचार के कारण परेशानी बढ़ रही थी। अच्छी से अच्छी योजनाओं और लाभदायक कार्यक्रमों का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था। स्पष्ट है कि सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था। इसके मूल में प्रशासन का दायित्वविहीन होना रहा था। विभिन्न कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता नहीं हो पा रही थी। विधायक, सांसद तथा संगठन के पदाधिकारी उदासीन होते गये। उसके विरुद्ध वर्तमान सरकार ने अनेक प्रशासनिक एवं राजनीतिक निर्णय लिए हैं जिसके प्रयास से भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। इस बीच किसी प्रकार के घोटाले नहीं हुए हैं। उत्तरदायित्व का निर्धारण आवश्यक हो गया है। इसके लिए कार्य-संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता है। विकास की परिकल्पनाओं को आकार देना एवं व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त कराना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया है। इसलिए अब प्रशासन को दायित्वशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के सामने यह एक कठिन चुनौती जरूर है।

सरकारी सूत्रों से प्राप्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जानकारी के अनुसार **देश में कुल 1215 जेले हैं जिनकी क्षमता 3 लाख है मगर इस समय उनमें 14 लाख से अधिक कैदी रखे गये हैं।** इनमें से 7 लाख कैदी तो ऐसे हैं जिनके मुकदमें अदालतों में विचाराधीन है। बिहार में 20 हजार की क्षमता वाले प्रदेश की 55 जेलों में 40 हजार से अधिक कैदी हैं। इनमें हजारों वैसे हैं, जो दोष साबित होने से पहले सजा से ज्यादा समय कारागार में गुजार चुके हैं। भूख व बीमारी से मरते कैदियों की फेहरिस्त लम्बी होती जा रही। अब तो वे आत्महत्या भी करने लगे हैं। व्यवस्थागत संवेदनशून्यता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि बूढ़े व लाचार कैदी चाहरदिवारी में अपनी मौत का इंतजार कर रहे। जेलों में इलाज के लायक इंतजाम नहीं है। देश की जेलों में कुल जनसंख्या में से 71.4 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं। देश की कुल जेल कैदियों में 3.97 प्रतिशत महिलाएं हैं। कुल 1544 बच्चे अपनी माताओं के साथ जेलों में हैं।

किसी दाण्डिक अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। अत: उसके साथ तदनुसार व्यवहार किया जाय, जबतक कि किसी

ऐसे सार्वजनिक विचारण में विधि के अनुसार वह दोषी सिद्ध नहीं हो जाता जिसमें अपने बचाव के लिए आवश्यक सभी आश्वस्तियाँ उसे प्राप्त हुई हों। अन्वेषण एवं विचारण न होने तक ऐसे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी केवल न्याय व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए विधि द्वारा निर्दिष्ट आधार पर और शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत की जाय। ऐसे किसी भी व्यक्ति पर ऐसे प्रतिबंध आरोपित करना निषिद्ध होगा, जो निरोध के प्रयोजनार्थ या अन्वेषण की प्रक्रिया अथवा न्याय व्यवस्था में बाधा को रोकने के लिए नितांत आवश्यक नहीं है।

(1) सभी बंदियों के साथ मानव के रूप में उनकी जन्म-जात गरिमा एवं मूल्य के लिए देय सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। (2) नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। (3) बंदी जिस समूह का सदस्य हो उसके धार्मिक विश्वासों एवं सांस्कृतिक सिद्धांतों का सम्मान करना वांछनीय है। (4) बंदियों की अभिरक्षा के लिए तथा समाज को अपराध के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए कारागारों का दायित्व राज्य के अन्य सामाजिक उद्देश्यों और समाज के सभी सदस्यों के क्षेम एवं विकास की अभिवृद्धि के लिए उसके मूलभूत दायित्वों को ध्यान में रखते हुए निभाया जाना चाहिए। (5) इन परिसीमाओं को छोड़कर, जो कारावास के तथ्य के कारण स्पष्ट रूप से आवश्यक होती हैं, ''मानवाधिकारों का सार्वदेशिक घोषणा पत्र'' में, तथा जहाँ सम्बद्ध राज्य एक पक्षकार है, ''आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा'' तथा ''नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा'' एवं उससे संलग्न ऐच्छिक संदेशाचार में निर्दिष्ट मानवाधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताएं और तथैव, अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदाओं में निर्दिष्ट अधिकार सभी बंदियों के लिए बने रहें। (6) मानव व्यक्तित्व के विकास के प्रति लक्षित सांस्कृतिक गतिविधियों एवं शिक्षा में भाग लेने का सभी बंदियों को अधिकार है। (7) दण्ड के रूप में एकाकी परिरोध की समाप्ति अथवा इसका प्रयोग प्रतिबन्धित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये और उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिये। (8) बंदियों द्वारा पारिश्रमिक युक्त सार्थक रोजगार ग्रहण करने के लिए स्थितियों का सृजन किया जाए जो देश के श्रम बाजार में उनका पुनरेकन सुगम बनाना तथा उनके अपने

एवं उनके परिवारों के वित्तीय संपोषण में योगदान करने की अनुमति हो। (9) देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी विधिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किये बिना बंदियों की पहुँच हो। (10) समुदाय एवं सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी एवं सहायता से, शिकारों के हितों का समुचित ध्यान रखते हुए, सर्वोत्तम संभव स्थितियों में, पूर्व बंदियों का समाज में पुनरेकन करने के लिए अनुकूल स्थितियों का सृजन किया जाना चाहिए। (11) किसी भी प्रकार के निरोध या कारावास के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के निरोध या कारावास तथा अन्य व्यवस्थाओं का आदेश किसी न्यायिक या अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाये या उसके प्रभावी नियंत्रण के अधीन हो। (12) किसी भी प्रकार के निरोध या कारावास के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को यातना अथवा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड नहीं दिया जाय। यातना अथवा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड को किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित ठहराने का कार्य नहीं किया जाय। (13) जब कभी निरोध या कारावास के काल में किसी कारावासी व्यक्ति की मृत्यु या लोप हो जाये तो मृत्यु या लोप के कारण की जाँच किसी न्यायिक या अन्य प्राधिकार द्वारा स्वयं अपनी पहल पर या परिवार के किसी सदस्य या मामले की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, की जाय। यदि परिस्थितियाँ उचित ठहराती है तो, जब भी मृत्यु या लोक कारावास की समाप्ति के अल्प समय बाद होती है तो उसी प्रक्रियात्मक आधार पर जाँच की जाय। ऐसी जाँच के निष्कर्ष या प्रतिवेदन अनुरोध करने पर उपलब्ध करा दिया जाय, जबतक कि ऐसा करना चालू आपराधिक अन्वेषण के लिए आशंकाकारी न हो।

देश की जेलों में आज भी वह मैन्युअल लागू है, जो कि 1860 में अंग्रेज शासक ने तैयार किया था। अधिकांश जेलों की इमारतें खस्ताहाल है क्योंकि उनका निर्माण सौ वर्ष से भी पहले किया गया था। मॉडर्न जेलें बनाने की ज्यादातर योजनाएं अभी फाइलों की ही शोभा बढ़ा रही हैं। जेलों में सुधार के लिए गत 50 वर्षों में कम से कम डेढ़ दर्जन आयोग या समितियाँ बनी मगर इनमें से एक की भी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। केन्द्र यह कहकर अपना दामन झाड़ लेता है कि जेलें राज्य सरकारों के अधीन हैं, इसलिए केन्द्र

बेबस है, जबकि राज्य सरकार यह कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है कि जेलों की नियमावली में संशोधन या सुधार करना केन्द्र की जिम्मेदारी है। देश भर की जेलें बेहाल हैं मगर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पं॰ बंगाल की जेलों की हालत बदतर है। जेलों में कैम्प लगाकर मुकदमें निपटाये जा सकते हैं। इसके साथ-साथ जेलों में सुरक्षा के भी प्रबंध हों। बेउर, भागलपुर, बक्सर, गया व मुजफ्फरपुर के कारागारों में अधिक सुरक्षा एवं जैमर की व्यवस्था की आवश्यकता है। कैदियों पर सतत निगरानी के लिए क्लोज सर्किट टीवी अति आवश्यक है। मेटल डिटेक्टर की भी उपयोगिता किसी से छुपी नहीं है। इससे आवांछित सामग्रियों के जेल में प्रवेश पर पाबंदी लगेगी। जेल अधिकारियों का तर्क यह है कि जेल में कैदियों की भारी भीड़ और स्टाफ कम है, इसलिए अनुशासन लागू करने में कठिनाई होती है। तिहाड़ जेल की क्षमता 6250 कैदियों की है, जबकि इस वक्त उसमें 14 हजार से अधिक कैदी बंद हैं। इस भीड़ के कारण पानी तक कैदियों को नसीब नहीं हो पाता। जेल नरक बनी हुई है। कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए हाई कोर्ट ने छोटे-मोटे अपराधों में बंद साढ़े छह सौ कैदियों को जेल से फौरन रिहा करने का निर्देश दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जेलों की बदहाली की एक वजह उनमें कैदियों की भीड़ है। इन मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक और रात्रि अदालतों का गठन किया गया है, मगर इससे भी हालात में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। शायद इसी कारण प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र और राज्य सरकारों से जेलों का आधुनिकीकरण करने की सिफारिश की है। आयोग ने इन्डियन जेल रिफार्म कमिटी की सिफारिशों को फौरन लागू करने पर जोर दिया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट की महानिदेशक डॉ॰ किरण बेदी ने यह स्वीकार किया था कि जेलों की स्थिति भयावह-अमानवीय है, इसका कारण प्रशासन की उपेक्षा और प्लानिंग की कमी है। साधारण आरोपों में बंद कैदियों को रिहा किया जा सकता है जिस तरह दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामूली अपराधों के बदले सजा काट रहे 623 कैदियों को रिहा किया गया है उसी तर्ज पर अन्य जेलों से रिहा किया जा सकता है। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है केवल तिहाड़ जेल में बंद कैदी को रिहा करने से जेलों की भीड़ कम नहीं की जा सकती। धर्मवीर आयोग और

मलीमथ कमिटी रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी संबंधी सुधार नहीं हुआ है। अगर उनकी अनुशंसा स्वीकार की जाय, तो गिरफ्तारी कम हो सकती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की निम्नलिखित अनुशंसाओं पर तुरन्त विचार किया जा सकता है:- (1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ज्यादातर जेलों, जिनका इस टीम द्वारा दौरा किया गया, उसमें कैदियों की अत्यधिक भीड़ पायी गयी। अब मामलों का फौरी सुनवाई कर भीड़ कम की जा सकती है। (2) सभी जिला के जेलों में पूर्णकालिक डॉक्टर की नियुक्ति करके और प्रत्येक उप-जेल में योग्य फार्मसिस्ट की उपस्थिति सुनिश्चित करके स्वास्थ्य सुरक्षा को उन्नत की जा सकी है। (3) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी 'दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पैरोल और उम्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई की पद्धति को तर्कसंगत बनाया जा सकता है। (4) गरीब कैदियों को मुफ्त विधिक सहायता के पद्धतिपूर्ण अनुवीक्षण और मूल्यांकन की जरूरत है, क्योंकि कई कैदियों को मूलभूत अधिकारों से भी वंचित पाया गया। (5) महिला जेल में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं और कार्यशाला कार्यक्रम बिल्कुल अपर्याप्त है। (6) शिक्षा, मनोविनोद और कैदियों के कल्याण में गैर-सरकारी संगठनों को और अधिक संख्या में शामिल की जा सकती है। (7) चिकित्सा सुविधाओं के बिना महिला कैदियों की जीने की खराब स्थितियाँ भी चिन्ता का विषय है। (8) जेल में कैदियों की उच्च मृत्यु दर भी चिन्ता का कारण है। (9) कई ऐसी घटनाओं का पता लगा जिनमें कैदियों की मृत्यु से सम्बन्धित आयोग के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था। (10) न्यायिक हवालातों में निजी ठेकेदारों द्वारा खाद्य आपूर्त्ति के प्रबंध की समीक्षा किये जाने की जरूरत है।

अब जबकि वर्तमान सराकर द्वारा प्रशासनिक सुधार, विकास को गतिशील बनाने की प्रक्रियाएं और लम्बित योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए निर्णय लिये जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में सामाजिक न्याय की दृष्टि से जेलों की वर्तमान अवस्था में सुधार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किये गये अनुशंसाओं का कार्यान्वयन भी आवश्यक है।

❐

न्यायिक उत्तरदायित्व

भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रत्येक भारतवासी के लिए 'सम्पूर्ण न्याय' की अवधारणा का संयोजन किया गया है। सम्पूर्ण न्याय से आशय है- राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। जबतक ये तीनों न्याय प्राप्त नहीं होते तबतक भारतवासी न्याय से वंचित है, यह मानना होगा। न्यायदान का उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर है। भारत के न्यायाधीश चुस्त और कार्यकुशल हैं, फिर भी न्यायिक व्यवस्था की चुस्ती और कार्यकुशलता पर प्रश्न चिह्न लगते रहते हैं। संवैधानिक प्रजातंत्र के अस्तित्व के लिए एक सक्षम, निपुण, स्वतंत्र और जागरूक न्यायपालिका अनिवार्य है। किन्तु न्यायपालिका के पास न तो अपना बजट है न प्रशासनिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इस कारण वह कार्यपालिका पर आश्रित है। बड़ी संख्या में प्रकरणों का लम्बित होना, न्यायदान में विलम्ब होना, न्यायिक प्रणाली का खर्चीला और दीर्घकालिक होना-ये सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह आवश्यक है कि कार्यपालिका इस संबंध में पहल करे, न्यायपालिका को विश्वास में लेकर कारणों का विशेषज्ञ विश्लेषण करे और सुधार के उपायों की पहचान कर उन्हें लागू करने के ठोस कदम उठाये।

न्यायपालिका, प्रजातंत्र का अनिवार्य स्तम्भ तो है, किन्तु अति संवेदनशील और नाजुक भी है। न्यायपालिका की तुलना कार्यपालिका से की जाना और दोनों के प्रति समान प्रक्रिया से व्यवहार करना घातक होगा। निःसंदेह न्यायपालिका के सदस्यों पर लग रहे आरोपों में बढ़ोतरी हो रही है। इनकी जाँच के लिए

त्वरित और प्रभावी माध्यम की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता किन्तु वह माध्यम लोकपाल से पृथक होना चाहिए और उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति जवाबदेह होना चाहिये। मेरी सुनिश्चित धारणा है कि जिन पर न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति का दायित्व है उसने अधिक जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ अपना कर्तव्य निर्वाह किया होता तो उनके द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधीशों पर अंगुली उठाने के अवसर ही न आते। नियुक्ति करते समय चयनकर्ताओं को मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिये। चयन के समय विशुद्ध गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि यह संभव हो सका तो न्यायाधीशों पर कदाचरण के आरोपों में तेजी से गिरावट आ जायेगी। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार यदि न्यूनतम है तो भी अक्षम्य है। जिस पर भ्रष्टाचार के इलाज का जिम्मा है वही भ्रष्टाचार के रोग से ग्रसित हो जाये, यह स्थिति किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150वें स्थापना वर्ष पर पिछले दिनों आयोजित समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश टी॰एस॰ ठाकुर ने न्यायालयों में लम्बित मुकदमों पर अपनी गहरी चिन्ता जाहिर की। न्यायपालिका में सुधार को लेकर उनकी चिन्ता वाजिब है। दरअसल, भारत में न्यायिक सुधार की बातें सिर्फ बहसों तक सीमित रह गयी हैं, जबकि इस दिशा में पूरी इच्छाशक्ति से काम करने की जरूरत है। हालांकि, न्यायिक सुधार की जिम्मेदारी सिर्फ न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और सरकारों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि आम जनता को भी इस दिशा में सोचने की जरूरत है। अदालतों में लम्बित मुकदमों की सुनवाई मात्र से ही इस समस्या का समाधान नहीं है। पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों में संशोधन, अदालतों को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करने और सुरक्षित न्यायिक परिसर बनाने पर भी गौर करना होगा। न्यायपालिका में व्याप्त खामियों की वजह से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। न्यायपालिका को देश की बाकी संस्थाओं से कतई अलग नहीं मानना चाहिए। जो दिक्कतें हमारे समाज में मौजूद हैं, कमोबेश वे ही न्यायपालिका में भी हैं। अमेरिकी विचारक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था, 'न्यायपालिका राज्य का सबसे कमजोर तंत्र होता है, क्योंकि उसके पास न तो धन होता है और न ही हथियार। धन के लिए न्यायपालिका को सरकार पर आश्रित रहना होता है और

अपने दिये गये फैसलों को लागू कराने के लिए उसे कार्यपालिका पर निर्भर रहना पड़ता है।' राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते तीन दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले तीस वर्षों में देश की विभिन्न अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या करीब 15 करोड़ तक पहुँच जायेगी। इस मामले में विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2015 तक देश के विभिन्न अदालतों में साढ़े तीन करोड़ से अधिक मुकदमे लम्बित थे। इनमें सर्वोच्च न्यायालय में 66,713 उच्च न्यायालयों में 49,57,833 और निचली अदालतों में 2,75,84,617 मुकदमे लम्बित थे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की तुलना में निचली और जिला अदालतों की हालत ज्यादा खराब है। मुकदमों की शुरुआत यहीं से होती है लेकिन यहाँ न तो पक्षकार सुरक्षित हैं और न ही उनके मुकदमों से जुड़े दस्तावेज।

असल में बार और बेंच न्यायिक प्रक्रिया के मूल आधार हैं। मुकदमों के अम्बार लगने के पीछे बड़ी वजह है धीमी सुनवाई। स्थिति यह है दीवानी का मामला हो या फौजदारी का, मुन्सिफ कोर्ट में मुकदमे 25 से 30 साल तक चलते रहते हैं। वहाँ से फैसला हुआ तो सत्र न्यायालयों में 20 से 25 साल लग जाते हैं। वहाँ से उच्च न्यायालय में स्थगनादेश आदि मिलने पर 5 से 10 साल और निकल जाते हैं। स्थिति लगातार भयावह होती जाती है। जिस संख्या में मुकदमे दायर होते हैं, उस अनुपात में निपटारा नहीं होता। जिला स्तर पर अधिवक्ताओं की हीला-हवाली और आये दिन हड़तालों की वजह से भी मामले लटके रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कई बार समयबद्ध सुनवाई करने का आदेश देते भी हैं, लेकिन जजों की कमी भी सुनवाई को प्रभावित करती है। एक तो वैसे ही जजों की संख्या कम है, उनमें भी 45 फीसद पद रिक्त हैं। ऐसे में बाकी जजों पर सुनवाई का भार बहुत ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा न्यायिक प्रणाली बेहद धीमी गति से काम कर रही है, फलस्वरूप अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या करोड़ों तक पहुँच चुकी है। वर्षों तक मुकदमों के फैसले के इंतजार में पीड़ितों का न सिर्फ समय और पैसा बर्बाद होता है, बल्कि सबूत भी धुंधले पड़ जाते हैं। देश में आबादी के लिहाज से जजों की संख्या बहुत कम है, विकसित देशों की तुलना

में कई गुना कम। जजों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश विधि आयोग ने की है, लेकिन उन सिफारिशों का पालन नहीं हुआ।

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज श्री सुदर्शन रेड्डी के हालिया विचारों से हमारे सामने जो तथ्य उभरकर आते हैं वे ऐसे मामलों को तर्कसंगत समय-सीमा के अंतर्गत निष्पादित करने में मददगार हो सकते हैं। श्री रेड्डी ने कोई अपने आप बयान नहीं दिये हैं बल्कि भारी संख्या में लम्बित मामलों को देखकर किन्हीं पत्रकार द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने बयान दिये हैं। न्यायपालिका के सुधार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा-सभी लोग कहते हैं कि न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए लेकिन यह कैसे होगा हमें यह तय करना होगा। विधि आयोग ने कई सिफारिशें केन्द्र सरकार को सौंपी है। उस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं, लेकिन अफसोस है कि इस दिशा में गंभीर पहल की कमी है। न्यायपालिका में काफी सुधार की गुंजाइश है। सिर्फ समस्या गिनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन सिफारिशों पर अमल करने से समस्याएं हल होंगी जो न्यायविदों ने सरकार को सौंपी है। फिर विधि आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के संबंध में श्री रेड्डी इस प्रकार कहते हैं- समय पर न्याय पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। ऐसे में यह जरूरी है कि बगैर किसी देरी के न्यायालयों में सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ हों। आयोग ने अपनी सभी सिफारिशों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की कमी को पूरा करने का सुझाव दिया है। जिन राज्यों में मुकदमों का बोझ अधिक है, वहाँ विशेष अदालतें गठित करने का भी सुझाव दिया गया है। उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीकरण यानी सभी राज्यों में इसकी खण्डपीठ का गठन किया जाय ताकि मुकदमों के निस्तारण में तेजी आये। छुट्टियों के समय भी न्यायालय में मामलों की सुनवाई हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी अदालतों का बोझ कम होगा। उच्च न्यायालयों की खण्डपीठ की तर्ज पर सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ भी स्थापित होनी चाहिए। इससे न सिर्फ लम्बित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आयेगी, बल्कि यह पक्षकारों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। न्यायालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुकदमें दर्ज होते हैं, जिन्हें रोकने के उपायों पर श्री रेड्डी इस प्रकार कहते हैं- यह सही है कि इन सिफारिशों को पूरा करने में काफी धन की आवश्यकता होगी,

लेकिन हमें पक्षकारों के हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जनहित से जुड़े मामलों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। फर्ज करें कि देश में करोड़ों मुकदमे लम्बित हैं और इन मुकदमों की पैरवी के लिए करोड़ों लोग अदालतों में अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। अगर मामले तेजी से सुलझेंगे तो यही मानव संसाधन देश के विकास में सहयोग करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं का अस्तित्व पीड़ितों के लिए और उन्हें न्याय दिलानें के लिए है।

सरकारें विश्वसनीय प्रशासन देकर मुकदमे घटा सकती है। राजस्व विभाग पारदर्शी और प्रामाणिक कार्य करते हुए पीड़ितों को राहत दे सकता है। दीवानी अदालत की शरण कोई नहीं जाना चाहता। पुलिस निष्पक्षता से भी मुकदमों की संख्या घटेगी। पुलिस सामान्यतया अपराध पंजीकृत नहीं करती। पीड़ित अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अदालत फिर पुलिस से पूछती है। मुकदमा लम्बा खिंचता है। प्रशासनिक न्याय की विफलता सम्पन्न वर्गों की मददगार है। गरीब मुकदमों का खर्च नहीं उठा सकते। सम्पन्न अदालती कार्यवाही में घसीटते हैं। मुकदमों में तारीखें मिलती हैं, मुकदमों की संख्या बढ़ती है। हत्या, हत्या के प्रयास आदि संगीन मामलों के पीड़ित पक्ष तारीख लेते-लेते थककर टूट जाते हैं। न्याय दर्शन की अभिलाषा पूरी नहीं होती। स्वयं बदला लेकर न्याय करने का विद्रोह भी भड़कता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को भारतीय जनगण की न्याय भूख शांत करने का उपाय खोजना ही होगा। जजों की संख्या में वृद्धि एक उपाय है, लेकिन यही एक उपाय नाकाफी है। समूचे संविधान तंत्र को एक साथ मिलकर ही मूल समस्या से निपटना चाहिये।

भारतीय जनता लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट को अंतिम आशा के रूप में देखती है। न्यायपालिका में भरोसे के कारण कुछ हद तक कोर्ट में केसों की भरमार है। मुकदमों के निपटारे में औसतन 5-10 साल लगते हैं। यह विलम्ब काफी हद तक लम्बित केसों की अधिक संख्या, बोझिल प्रक्रिया, कमजोर ढांचा, भारी रिक्त नौकरियों और लोगों की तुलना में जजों के कमजोर अनुपात के चलते होता है। इसके साथ देश के विकास के साथ की एक कीमत यह चुकानी पड़ रही है कि जनहित याचिकाओं (पीआइएल) की

लगातार तेजी से बढ़ती संख्या भी लम्बित मामलों के बोझ को बढ़ाने में योगदान दे रही है। कोर्ट और सरकार को एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि न्यायपालिका में लोगों के विश्वास का क्षरण नहीं होना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एच॰एल॰ दत्तू ने कहा था, 'न्यायपालिका और संसद एक दूसरे के सहोदर की तरह हैं। दोनों ही लोकतंत्र की संतानें हैं। हम दोनों को एक तरफ तो एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिये और वहीं दूसरी तरफ यदि इनमें से कोई संविधान द्वारा प्रशस्त रास्ते से भटके तो उसको सुधारने का काम भी करना चाहिये।' आज देश की सभी जेलें जरूरत से ज्यादा भरी हैं। जेल में बंद लोगों के भी मौलिक अधिकार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमेशा पुलिस को ही दोषी ठहराते हैं कि उसने लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस के गिरफ्तार करने की ताकत तो सिर्फ 24 घंटे तक ही है। उसके बाद तो पूरी शक्ति कोर्ट को ही है। वह जमानत दे या न दे। आज न्याय मिलने में हो रही देरी के कारण आरोपी व पीड़ित दोनों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आज करीब 75 फीसद अंडरट्रायल जेल में बंद हैं। उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं, बाहर जो पीड़ित वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाये हैं उनके भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। कानून की इन खामियों का सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हो रहा है। वह गरीब चाहे आरोपी हो या पीड़ित, क्योंकि अमीरों को तो जमानत भी मिल जाती है और सजा पाने के बाद पैरोल भी। गरीबों को तो कई बार जमानत मंजूर होने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जमानत राशि इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिये कि पीड़ित व्यक्ति उसे अदा ही न कर पाये। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। हालत यह है कि जमानत के लिए भी महीनों तक सुनवाई चलती है। इस कारण न्यायिक प्रदर्शन घटा है जिससे न्यायपालिका से लोगों का विश्वास घटा है। सभी जजों को उनके एक्शन व रिएक्शन के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिये। अदालतों का बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली (अल्टरनेटिव ग्रीवांस एड्रेसल सिस्टम्स) को भी मजबूत करना पड़ेगा ताकि लोग छोटे-छोटे विवादों को लेकर सीधे अदालत न पहुँचें। यदि वे यहाँ के फैसले से असंतुष्ट हों तभी अदालत जाएं।

सम्प्रति देश में हजारों कानून हैं। ढेर सारे कालवाह्य हो चुके हैं। न्याय प्रक्रिया उनसे प्रभावित होती ही है। विधि आयोग ऐसे कानूनों को खंगालता भी है लेकिन कालवाह्य विधियों का अनुकूल नहीं होता। विधि आयोग ने 1987 में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 50 जजों की जरूरत बतायी थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2016 की परिस्थितियाँ भिन्न है। मुकदमे लगातार बढ़े हैं। न्याय दूर की कौड़ी बनता जा रहा है। न्यायपालिका के प्रति बेशक यहाँ आदर और विश्वास है। कार्यपालिका की आलोचना संभव है, होती भी है। कार्यपालिका संसद और विधान मण्डल के प्रति भी जवाबदेह है। प्रशासनिक सेवायें भी कार्यपालिका व विधायिका के प्रति जवाबदेही में है। भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं किसी न किसी स्तर पर जवाबदेह हैं, लेकिन न्यायपालिका आदरणीय होने के बावजूद जवाबदेह नहीं है। हम उसकी कार्यशैली का विवेचन नहीं कर सकते। हम उसकी स्थापनाओं व निर्णयों पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते। मूलभूत प्रश्न यह है कि भारत के संविधान तंत्र का सर्वाधिक भरोसेमंद न्यायिक निकाय अपनी जवाबदेही का कोई तंत्र क्यों विकसित नहीं करता? न्यायिक स्वतंत्रता निश्चित ही भारतीय संविधान का गौरवशाली भाग है, लेकिन जवाबदेही का भी कोई निकाय होना ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायपीठ विचार करे। वरिष्ठ जजों, कार्यपालिका के जिम्मेदार मंत्रियों व विधायिका के वरिष्ठों की कोई समिति बने। वही न्यायपालिका की कठिनाइयों और चुनौतियों का भी निराकरण करे। इसकी कार्यवाही सूचना के अधिकार या आमजन की जानकारी से परे रखी जा सकती है।

❐

23

उग्रवादी संगठनों द्वारा सामूहिक नरसंहार

बिहार में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि से विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गयी है कि पुलिस और प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। पुलिस को अपनी जान की रक्षा के लिए अपराधियों, अपहरण करने वालों और उग्रवादियों से सांठ-गांठ करनी पड़ रही है। पुलिस और प्रशासन के कुछ लोगों ने भय से ग्रसित होकर अपराध एवं उग्रवाद को भीतर-भीतर सही मान लिया है। अपराध के मामले में भी यही स्थिति है। अपराधियों के लिए पुलिस प्रशासन कोई मायने नहीं रखता है। पुलिस और प्रशासन का भय तो कमजोर और कानून पसन्द लोगों को सताता है। ऐसे लोगों को ही मामूली बातों पर पुलिस भी तंग करती है। इनको परेशान करने में ही पुलिस अपनी बहादुरी समझती है। यदि अपराधी तत्व किसी को धमकी देता है और उसकी जमीन और मकान पर कब्जा जमा लेता है तो पुलिस उससे मुक्त कराने का अपना दायित्व नहीं मानती है। इसके लिए न्यायालय जाने की सलाह देकर बैठ जाती है। आखिर यही स्थिति रही तो कोई पुलिस और प्रशासन के समीप क्यों जाएगा? इसका नतीजा है कि लोगों ने अपनी जायदाद की सुरक्षा के लिए पुलिस के बजाय किसी बड़े अपराधी तत्व से ही मदद लेना उचित समझ लिया है। प्रदेश की यही स्थिति रही तो थानों में अपराधों की घटनाओं की कोई रपट भी लिखाने नहीं जाएगा। विधि-व्यवस्था की बदतर स्थिति से गाँव और शहरों में कोई सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं यात्रा भी निरापद नहीं रह गई है। प्रदेश में पर्यटन के कई महत्वपूर्ण स्थल हैं किन्तु, बदतर

विधि-व्यवस्था के कारण उन स्थलों तक पहुँचने वालों की संख्या घट गयी है। इसके लिए सड़क और रेलमार्ग दोनों असुरक्षित हो गये हैं। राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वह समय रहते विधि-व्यवस्था की स्थिति में सुधार करें, क्योंकि विधि-व्यवस्था राज्य का मामला पड़ता है। इस मामले में केन्द्र सरकार सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

बिहार में विकासहीनता के साथ अपराध एवं उग्रवाद बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के निदान के प्रति सरकार उतनी गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है, जितना होनी चाहिये। पुलिस और प्रशासन सरकार की ऐसी शक्ति है जिसके समक्ष कोई भी व्यक्ति या संगठन टिक नहीं सकता है। इसके विपरीत आज बिहार के विभिन्न जिलों में घट रही घटनाओं का विश्लेपण करें तो ऐसा महसूस होगा कि अपराध एवं उग्रवाद के समक्ष सरकार कमजोर साबित हो रही है। अपराधी एवं उग्रवादी संगठनों का पाँव धीरे-धीरे संपूर्ण बिहार में फैलता जा रहा है। खासकर इनका फैलाव और अड्डा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन स्थानों पर तो उनकी मानो सरकार ही है जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं और जहाँ आवागमन का साधन नहीं है। इस मामले में दो बातें उभरकर सामने आयी हैं। पहली तो यह कि सभी वर्ग के लोगों को विकास का लाभ पहुंचाने और गैर बराबरी समाप्त करने का जो वादा किया गया था वह पूरा नहीं किया गया और दूसरा यह कि अशिक्षित लोगों की अज्ञानता और उनकी गरीबी का नाजायज लाभ हिंसा के रास्ते पर ला खड़ा करने के लिए कुछ संगठनों ने कार्य किया है, जिनको अपराधी से दूर पंथ या उग्रवाद कहा जा रहा है। अपराध और उग्रवाद ने एक दिन में ही अपना पाँव नहीं फैला दिया। समय रहते इसको क्यों नहीं रोका गया, यह विचारणीय बिन्दु है।

नरसंहारों और अपराध का सिलसिला थमने वाला नहीं है। अपराध एवं नरसंहारों को रोकने के लिए जैसी इच्छाशक्ति राज्य सरकार, उसके प्रशासन और उसकी पुलिस के पास होनी चाहिए, वह दिखाई नहीं देती। जब इच्छाशक्ति ही नहीं है तो राजनीति का अपराध जगत से नाता टूटने वाला नहीं है। बिहार में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर संसद में और संसद के बाहर अनेक बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस चर्चा से बिहार की स्थिति में कहीं कोई बदलाव नहीं आया। सच तो यह है कि बिहार की स्थिति

बिगड़ती ही चली जा रही है। इस राज्य की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि यहां न कोई उद्योग लग पा रहा है और न ही विकास कार्यक्रम शुरू हो पा रहे हैं। अंततः यह समाधान बिहार की जनता को ही खोजना होगा।

बिहार में जातीय विग्रह के चलते जातीय संघर्ष और सामूहिक हत्याएँ दिनानुदिन बढ़ती गयी हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव, अशान्ति, टकराव एवं सामाजिक वैमनस्य फैलता जा रहा है। बिहार के राजनीतिक दलों ने चाहे वे राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के एवं राज्य प्रशासन ने अपनी-अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया है। हाल के वर्षों में जितनी हिंसात्मक घटनाएँ हुईं, उनमें राजनीतिक दल घटना स्थल का निरीक्षण, घटना की जाँच की मांग, अनुग्रह अनुदान देने और पीड़ित परिवारों के सदस्य को नौकरी देने की बात करके अपनी औपचारिकता पूरी कर लेते रहे है। किसी दल ने यह जानने का प्रयास नहीं किया है कि इन अमानुषिक घटनाओं के पीछे क्या मूल कारण है? उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है? राज्य सरकार के समक्ष गंभीर चुनौतियां आयीं मगर और वह भी संवेदनहीन और अक्षम बनी हुई है। बिहार में पिछले वर्षों में पन्द्रह हजार से अधिक लोगों की हत्याएँ हुई। जमीन विवाद, मजदूरी विवाद, जातीय विवाद और साम्प्रदायिक विवाद बेरोकटोक चलते रहे हैं जिनमें निहत्थे गरीबों, उपेक्षितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीब सवर्ण जाति के लोगों के मारे जाने का सिलसिला जारी है। केन्द्र और राज्य सरकारों में भी ऐसी इच्छाशक्ति नहीं दीख रही है कि इस परिस्थिति पर काबू पाये। बिहार से सामाजिक तनाव और टकराहट को समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को प्रतिबद्ध होना चाहिये।

वैसे तो पूरा बिहार समस्याग्रस्त है पर मध्य बिहार कृषि जन्य हिंसा का केन्द्र स्थल बन गया है। उग्रवादी संगठनों ने जमीनी स्तर पर लोगों में चेतना एवं जागरूकता ला दी है और आज स्थिति यह है कि भूमिहीन लोगों ने अपनी किस्मत इन उग्रवादी नेताओं के साथ जोड़ दिया है। जब आमलोगों को सरकार से इंसाफ नहीं मिले सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने में समर्थन दे तो वैसी परिस्थिति में वे उग्रवादी संगठनों की शरण में जायेंगे ही। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के मुकाबले मध्य बिहार में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। लेकिन औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का नितांत

अभाव है। फलस्वरूप लोग आर्थिक क्रियाकलापों की जगह सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं।

बिहार में अमीरी और गरीबी की दरार, दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाये तो दरअसल बिहार में जाति और वर्ग दोनों सह अस्तित्व बनाए हुए हैं। अतः अधिकांश हिंसा वर्गगत है पर इसमें जाति की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। बिहार में कृषि जनित हिंसा को दूर करने के लिए भूमि संघर्ष को दूर करने के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों तरह की योजनाएँ तैयार करनी होगी। दीर्घकालीन योजना के तहत ग्रामीण सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्त्तन लाना होगा। अल्पकालीन योजना में हिंसा प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। विकास के कार्यक्रमों को लागू करने में स्थानीय संगठनों का सहयोग अपेक्षित है। इन भूमि संघर्षों में राजनीतिक दलों की भूमिका संदिग्धपूर्ण है। अतः आम सहमति से सभी राजनीतिक दल के लिए आम आचार संहिता बनाया जाना चाहिए।

बिहार की असाधारण परिस्थिति को देखते हुए मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान की ओर से सरकार से मैं अनुरोध करता है कि वह अपने स्तर से निम्नलिखित कार्रवाई कराने के उपाय शीघ्र कराकर जनता में विश्वास और भरोसा का वातावरण बनवायें :- (1) बिहार में देश के अधिकांश अन्य राज्यों की तरह अनेक गाँव ऐसे हैं जहाँ आर्थिक विषमता बहुत अधिक है और भूमि का वितरण भी बहुत असमान है। गाँव की कुल कृषि भूमि थोड़े से हाथों में केन्द्रित है और आय अर्जन के अन्य साधनों को भी इसी तबके ने हड़पा हुआ है। ऐसे गांवों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भूमि सुधारों को ठीक से लागू किया जाए और आय अर्जन के जो अन्य साधन गांव में मिल सकते हैं (जैसे लघु खनिज, लघु वन उपज और मछली आदि पर आधारित आय) उन पर अधिकार उन गरीबों के परिवारों को दिए जाएं, जो भूमि से वंचित हैं। इस तरह भूमि वितरण के स्तर पर और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आय के स्तर पर भी विषमता को कम करना इन गाँवों का मुख्य मुद्दा होना चाहिए (2) दूसरी ओर बिहार में अनेक गांव ऐसे भी हैं जहाँ विषमता बहुत अधिक नहीं है। बहुत बड़े भू-स्वामी इन गांवों में नहीं है, मध्यम और छोटे दर्जे के किसान हैं और दूसरी ओर भूमिहीन मजदूर हैं। यह सवाल कई लोग उठाते हैं

कि जहाँ विषमता अधिक नहीं है, वहाँ भी हिंसक संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं? इसका एक जवाब यह दिया जाता है कि यह इज्जत की लड़ाई है। आर्थिक विषमता अधिक न होने पर भी दलितों और कुछ पिछड़ी जातियों को तरह-तरह से अपमानित किया जाता है और उनकी महिलाओं से बुरा व्यवहार किया जाता है। इस सामाजिक उत्पीड़न के कारण यहाँ मुख्य रूप से हिंसा उभरती है। (3) जिन गाँव में अधिक विषमता नहीं है वहाँ हिंसक संघर्ष फैलने के कई दुष्परिणाम गांव के सभी लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। अधिकतर परिवार चाहे वे थोड़ी-बहुत जमीन वाले हों या भूमिहीन, पहले भी कोई अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं थे। अब आपसी हिंसा के कारण हथियार पर खर्च एवं मुकदमेबाजी के कारण अनेक परिवार उजड़ रहे हैं या अपराध की ओर बढ़ना उनकी एक मजबूरी बन रहा है। गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने और सार्थक विकास की संभावनाएँ मिलजुलकर गांव में हरियाली बढ़ाने या सिंचाई बढ़ाने की संभावनाएँ भी समाप्त हो रही हैं। इस तरह की हिंसा कई बार समाज को कोई सार्थक राह दिखाने के स्थान पर विभिन्न जातियों और समूहों को अपनी संकीर्णता में और सिमटने के लिए मजबूर करती है। जरूरत इस बात की है कि सभी लोग ईमानदारी से स्वीकार करें कि किन समस्याओं या विसंगतियों के कारण गांव की यह आत्मघाती स्थिति हुई। (4) बिहार सरकार प्रत्येक प्रभावित जिला के लिए विशेषज्ञों एवं प्रशासकों का एक टास्क फोर्स बनाकर इस बात की गहराई से छानबीन कराए कि राज्य सरकार किन कारणों से सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रही है। उस टास्क फोर्स से कहा जाए कि अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर दे दे। (5) राज्य सरकार की अनेक घोषणाओं के बावजूद इस तरह की हत्याओं के मामलों की जांच के लिए विशेष अदालतें नहीं गठित की जा सकीं। इसलिए ऐसे मामलों को शीघ्र निष्पादन के लिए विशेष अदालतें तुरंत गठित करायी जाएं। (6) राज्य सरकार जातीय भेदभावमूलक नीति अपनाना बंद करे। हत्याओं के कारण प्रभावित परिवारों को मुआवजा या अन्य सुविधाएँ देने में जो भेदभावमूलक नीति चलायी जा रही है, सवर्ण, दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए जो अलग-अलग मापदण्ड अपनाए जा रहे हैं, उन्हें रोका जाए। इस प्रसंग में जाति या वर्ग को प्रधानता न देकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। (7) भूमि विवाद, भूमि

हदबंदी एवं सरकारी जमीन के बटवारे से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए प्रत्येक जिला में एक अभिकरण की स्थापना की जाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित फौरी कदम उठाये जाएं। (क) भूमि हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिशेष भूमि के वितरण से 31 मार्च, 2005 तक सुनिश्चित किया जाए। लगभग 80 हजार एकड़ से अधिक भूमि, जो हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई थी, उनका मामला विभिन्न न्यायालयों में पिछले 14 वर्षों से लंबित है। राज्य सरकार तत्परता से इन मामलों का निष्पादन नहीं करा सकी है, जिससे भूमिहीनों के बीच उसे वितरित नहीं किया जा सका है। इस दिशा में तत्परता से कार्रवाई की जाए। (ख) विभिन्न न्यायालयों में लंबित हदबंदी कानून से संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 323 बी0 के अंतर्गत विशेष भूमि प्राधिकरण की स्थापना की जाए। ज्ञातव्य है कि 1990 के पहले ऐसे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, परंतु पटना उच्च न्यायालय ने उस प्राधिकरण को अवैध घोषित कर दिया था। राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में नहीं गई। अभी आवश्यक है कि राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय से अनुरोध करे कि भूमि-विवाद से संबंधित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए विशेष बेंच गठित करे। भूदान में प्राप्त 21 लाख एकड़ में से 7 लाख एकड़ जमीन ही बांटी गई। शेष भूमि मार्च, 2005 तक बांट दिए जाने की व्यवस्था की जाए। (ग) सरकारी गैर मजरूआ जमीन जो या तो बेकार पड़ी है या उस पर भू-धारियों ने कब्जा जमा रखा है, उन्हें अवैध कब्जा से निकालकर भूमिहीनों के बीच बांट दिया जाए। (घ) पिछले 14 वर्षों में बटाईदारों का हक सुनिश्चित करने या उन्हें सरकारी संरक्षण देने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्त्तमान समय में जो हिंसा का माहौल बना है उसमें बटाईदारी विवाद भी एक मुख्य कारण है। अतः एक व्यापक अभियान चलाकर बटाईदारों का हक सुनिश्चित किया जाए। (ङ) पिछले 14 वर्षों में हजारों भूमिहीनों को जिन्हें भू-हदबंदी की जमीन, भूदान की जमीन अथवा सरकारी जमीन दी गई थी, उन्हें भूधारियों ने बेदखल करके जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे लोगों की शिकायतें दर्ज की जाएं और भूमि हदबंदी कानून के तहत वितरित जमीन से लाभान्वितों को बेदखल किये जाने को अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए तथा बेदखल करने वालों पर

अधिनियम के तहत तुरंत कार्रवाई की जाए। (8) न्यूनतम मजदूरी और ऋण मुक्ति कानून को कारगर ढंग से लागू किया जाए और जो कठिनाई आये उसे दूर करने के लिए ठोस प्रशासन तंत्र बनाया जाए। प्रत्येक प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। यहाँ निम्नलिखित बिन्दु खासतौर से गौर तलब है:- (क) खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड स्तर पर निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा सृजित कर पदाधिकारियों को तैनात किया गया था। न्यूनतम मजदूरी के विवादों की सुनवाई का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारी के स्थान पर प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकार को सौंपा गया था और सुनवाई के लिए संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) का प्रावधान किया गया था। न्यूनतम मजदूरी नहीं प्राप्त करने वाले मजदूरों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में मजदूरी की हानि न हो इसलिए ऐसे मजदूरों को 3 दिन की मजदूरी सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया था। परंतु इस समय राज्य में न्यूनतम मजदूरी के बारे में किए गए सभी उपचारों को शिथिल कर दिया गया है जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी विवाद बढ़ते जा रहे हैं और वे हिंसा की घटनाओं में बदले जा रहे हैं। (ख) ग्रामीण ऋण मुक्ति अधिनियम पूर्व की सरकार ने 1976 में बनाया था, जिसके अनुसार सूद की राशि मूलधन से अधिक नहीं हो सकती थी। परंतु ग्रामीण साहूकारों अब भी मूल से कई गुणा ज्यादा सूद वसूला जा रहा है। अत: ग्रामीण ऋण मुक्ति अधिनियम योजना के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने के लिए प्रशासनिक ढाँचा मजबूत किया जाए। (ग) बिहार में भूमि हदबंदी कानून 1962 में लागू हुआ परंतु 1975 के अप्रैल से पहले तक केवल 11 हजार एकड़ जमीन अर्जित की गई। 1975-77 एवं 1980-83 में लगभग तीन लाख एकड़ अधिशेष भूमि भी भूमिहीनों के बीच वितरित करने के लिए अर्जित की गई। उसके बाद से जमीन अर्जित करने की कार्रवाई में शिथिलता बरती जा रही है। (9) राज्य प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए उसे जातीयता आधारित ढाँचे से बदलकर नये ढांचे में ढाला जाए। (10) पिछले वर्षों में लगभग एक लाख परिवारों को, जिन्हें भूमि सुधार के अंतर्गत जमीन और वासगीत का पर्चा कांग्रेस शासन में दिया गया था, उन्हें बेदखल कर दिया गया। ऐसे सभी मामलों को

तुरंत पंजीकृत किया जाए और बेदखल करने वालों के विरुद्ध तुरंत मामला दायर किया जाए। (11) 39 बड़े नरसंहार में करीब 1000 दलितों एवं अन्य की हत्याएँ हुई और भूमि विवाद, साम्प्रदायिक विवाद तथा मुठभेड़ में उग्रवादियों द्वारा 20 हजार से अधिक लोगों की हत्याएँ की गईं। उग्रवादी संगठनों द्वारा किये गये सभी हत्याओं के जिम्मेवार अपराधियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल कर विशेष अदालत के माध्यम से मामलों का निष्पादन कराया जाय। (12) आर्थिक विकास की गति पूरी तरह ठप हो जाना बिहार की बर्बादी और तबाही का कारण है। आर्थिक विकास अवरूद्ध होने के चलते बिहार अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार के दलदल में लगातार फँसता चला गया है। अत: विकास में तेजी लाकर योजना उपबंध का पूर्ण उपयोग किया जाए। (14) सभी जातियों, सभी वर्गो में विश्वास एवं समानता का भाव उत्पन्न करने एवं प्रशासन की संवेदनशीलता दर्शाने के लिए एक समान मुआवजा, अनुग्रह अनुदान तथा सरकारी नौकरी उपलब्ध करायी जाय। नरसंहार के बाद घोषित अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है। सरकार की घोषणा में लोगों का विश्वास नहीं है। सरकार को अपनी विश्वसनीयता वापस करनी होगी।

❐

विकलांगों की दशा-दिशा

किसी जमाने में समाज पर बोझ माने जाने वाले विकलांग व्यक्तियों को आज समाज में शारीरिक रूप से कमजोर, पर उपयोगी व्यक्ति समझा जाने लगा है। आज विश्व में कोई ऐसा कार्य नहीं है जहाँ किसी न किसी विकलांग विभूति ने अपने असाधारण कृतित्व से अमिट छाप न छोड़ी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, पोलियोग्रस्त क्रिकेटर चन्द्रशेखर, श्रवणहीन वैज्ञानिक थॉमस एडीसन, अस्थि विकलांग स्टीफन हॉकिन्स एवं नकली टांगों के सहारे विमान चलाने वाले पायलट मरैस्येव आदि इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा अभी बीजिंग ओलम्पिक के पैरालंपिक गेम्स (विकलांगों से सम्बन्धित) में दर्शकों की बढ़ती संख्या से जाहिर होता है कि विश्व समुदाय की विकलांगता के बारे में धारणा बदली है।

अशक्त व्यक्ति वास्तव में अन्य लोगों के समान अधिकारों के हकदार हैं। ''अशक्त व्यक्ति'' की परिभाषा अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 में दी गयी है। एक व्यक्ति किसी भी तरह से 40 प्रतिशत से कम अशक्तता से प्रभावित न हो, जो कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। भारत में, 1991 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार अशक्तता की व्यापकता को 1.9 प्रतिशत बताया गया है। इस सर्वेक्षण में दृष्टि, श्रवण, वाक् तथा चलन की अशक्तता शामिल है। इसी वर्ष किये गये एक भिन्न नमूना सर्वेक्षण में बताया गया है कि 0-14 वर्ष की आयु वर्ग में 3 प्रतिशत जनसंख्या विलंबित मानसिक

विकास से प्रभावित हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने अनुभव किया है कि अशक्त व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उपेक्षित किया जाता है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार से सामाजिक तौर पर बहिष्कृत किया जाता है। विशेषत: शिक्षा, रोजगार आवास, परिवहन, सांस्कृतिक जीवन और सार्वजनिक स्थानों तथा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अंग हानि के आधार पर उन्हें पर्याप्त अवसर देने से इनकार कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप वे अधिकारों को पहचानने, उनका उपभोग तथा प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं।

अशक्तता के आधार पर भेदभाव की औपचारिक पहचान का हाल ही में विकास हुआ है। 20 वर्ष पहले बनाये गये कानूनों में सामान्यत: भेदभाव के निषिद्ध विषयों की सूची में अशक्तता को शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए यद्यपि भारत का संविधान अनुच्छेद 15 तथा 16 में रोजगार के संबंध में और धर्म, जाति, वर्ग, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं को प्राप्त करने में भेदभाव का निषेध करता है, परंतु अशक्तता के संबंध में मौन है। वास्तव में 1995 तक सेवा नियम में सेवा के उच्च पदों में अशक्त व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक थी। नियम ने नियोक्ता को यह अधिकार दिया था कि वह जनहित में समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए दबाव डाल सकता है। प्राय: उन कर्मचारियों को जो सेवा के दौरान अशक्तता प्राप्त करते थे, उन्हें या तो नौकरी से निकलने के लिए दबाव डाला जाता था या उन्हें पदावनत कर दिया जाता था। जीविका वृद्धि के लिए उनके अवसर हमेशा के लिए अवरूद्ध कर दिये जाते थे।

भारत के संविधान में यह प्ररिकल्पना की गयी है कि राज्य सुविधा वंचित नागरिकों के प्रति सकारात्मक भूमिका निभायेगा। अनुच्छेद 41 में यह आदेश दिया गया है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत बेरोजगाारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अशक्तता के मामलों में कार्य, शिक्षा तथा लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। परंतु भारत में अशक्तता के प्रति दृष्टिकोण खैरात द्वारा प्रेरित रहा है और उसे एक व्यक्तिगत मुद्दा समझा जाता रहा है। यहाँ तक कि स्वतंत्र भारत की सरकारें भी अशक्त व्यक्तियों के शिक्षा, कार्य, आश्रय और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: खैराती गैर-सरकारी संगठनों पर निर्भर रही है। इसके परिणामस्वरूप अशक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं हो सकी।

अशक्त व्यक्तियों का एक भिन्न स्व-समर्थित आंदोलन, जो 1970 के दौरान प्रारंभ हुआ था, उन्होंने मानव अधिकारों के संरक्षण तथा मान्यता के लिए अभियान चलाया था। इसने अधिकार आधारित पहुँच के साथ सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर विशेष जोर देते हुए एक व्यापक कानून विधिकरण का समर्थन किया था। सरकार ने 1980 में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता को स्वीकृति दी। चूंकि अशक्तता संबंधी विधायी शक्ति को राज्य सूची में रखा गया था, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तथापि भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को शक्तियों के संघीय वितरण की अवहेलना करने तथा विदेशी शक्ति या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ की गयी संधि को कार्यान्वित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, भले ही कानून का मामला राज्य की सूची से संबंधित हो। एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में अशक्त व्यक्तियों का समानता एवं पूर्ण सहभागिता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ इस कानून को 1995 में संसद द्वारा बनाया गया। उक्त अधिनियम 1995 का उद्देश्य हैं:- (क) अशक्त व्यक्तियों की समानता एवं पूर्ण सहभागिता का संवर्द्धन सुनिश्चित करना। (ख) उनके आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना। अधिनियम में वर्गीकरण के लिए मापदण्ड चिकित्सा आधारित है और अशक्तता के सामाजिक बोध पर आधारित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम- (1) राज्य के विभिन्न अंगों के उत्तरदायित्व भी बताया है, सूचित करता है। (2) नीति दिशा-निर्देश मुहैया कराता है। (3) सेवाओं के विकास के लिए विशेषीकृत उपबंध निर्धारित करता है। (4) गंभीर अशक्तता एवं बेरोजगारी के मामले में, शिक्षा, कार्य, आवास, अभिगमन तथा जन सहायता के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रमों को निर्धारित करता है। (5) आदेशित उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए मुख्य विकास मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अशक्तता संबंधी गैर-सरकारी संगठनों तथा अशक्त महिला का प्रतिनिधित्व करने वाली एक केन्द्रीय समन्वय समिति तथा राज्य समन्वय समितियों पर विचार करता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम यह भी प्रबंध करता है:- (1) व्यक्तिगत शिकायतों का निवारण करता है (2) अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। (3) अशक्तता संबंधी विधियों, नियमों, विनियमों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करता है (4) अशक्त व्यक्तियों के लिए

केन्द्र में मुख्य आयुक्त तथा राज्यों में आयुक्त नियुक्त करके अशक्तता संबंधी बजट आवंटन का निरीक्षण करता है। इन अर्द्धन्यायिक निकायों में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित हैं।

इस अधिनियम के परिणामस्वरूप अशक्तता के मामले स्पष्ट रूप से सामने आये हैं। तथापि उचित कार्यान्वयन की कमी के कारण इसकी दूसरी कमजोरियाँ भी प्रकट हुई हैं। इन कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया। अपनी विस्तृत रिपोर्ट में समिति ने अशक्तता क्षेत्रों तथा संबंधित निकायों के विचारों को सम्मिलित किया। दुर्भाग्यवश, वर्तमान अधिनियम में कमियों को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के संशोधनों को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय संसद में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं किया गया है। अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशिष्ट उपाय ये हैं:- (1) राज्य के भीतर विद्यमान समस्याओं की प्रकृति और संभावना का, नियमित मॉनीटरिंग द्वारा, पता चलाने की आवश्यकता। (2) इस प्रकार पहचानी गयी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित रूप से तैयार की गयी नीतियों तथा कार्यक्रमों को अपनाने की आवश्यकता। (3) जहाँ आवश्यक हो विधि निर्माण करने और किसी भी प्रकार के विद्यमान भेदमूलक विधि को समाप्त करने की आवश्यकता। (4) उचित बाजार संबंधी प्रावधानों अथवा जहाँ जरूरी हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता। विभिन्न नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में दिये गये नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों को चार विस्तृत श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं:- (क) अधिकार जो मानव अस्तित्व से संबंधित हैं। (ख) स्वतंत्रता का अधिकार (ग) सामाजिक अधिकार (घ) राजनैतिक अधिकार। ठोस, विधिक संरचना और कार्यक्रमों, योजनाओं, नियमों, विनियमों आदि के आधिक्य के बावजूद, अशक्त व्यक्तियों की परिस्थितियों में अनुकूल सुधार नहीं दिखाई देते। अशक्त व्यक्तियों के बीच अशिक्षा, बेरोजगारी और दरिद्रता की दर भयप्रद है। परिवहन, भवन एवं सूचना व्यवस्था पुराने स्तरों के बने हैं, जबकि कानून बाधा-मुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की माँग करता है। राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा पंचायतों ने विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में थोड़ा ध्यान दिया है, इसलिए केन्द्र

सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से दी जाने वाली निधि का उपयोग किया जा रहा है। भरती नियमों और सेवा विनियमों में अब भी भेदमूलक प्रावधान किया गया है। न्यायालय के हस्तक्षेपों से कुछ सुधार किये जा सके हैं। अशक्त व्यक्तियों संबंधी मुख्य आयुक्त के समक्ष 55 प्रतिशत शिकायत के मामले, सेवा विषय से संबंधित थे। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक बाधाएं हैं। शिक्षण संस्थाओं में 3 प्रतिशत आरक्षित सीटों के वैधानिक प्रावधान के बावजूद कई संस्थानों ने विद्यार्थियों को उनकी अशक्तता के आधार पर प्रवेश देने से मना कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने रेखा त्यागी बनाम ऑल इण्डिया इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और अन्य मामले में शिक्षण संस्थानों को एक स्पष्ट निर्णय दिया था कि वे अशक्तता अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 39 के अनुसार अशक्त विद्यार्थियों को 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करें।

समस्त विकास क्रमों के परिणामस्वरूप प्राय: सभी राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा विकलांगता से सम्बन्धित विधान पारित किये गये। साथ ही भू-मंडलीकरण तथा उदारीकरण का विभिन्न देशों की राष्ट्रीय नीतियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। फलत: विकलांगता के मुद्दे को आज महज चिकित्सकीय-नैदानिक नहीं मानकर अधिकार आधारित दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी है। अब यह मान्यता निरंतर जोर पकड़ती जा रही है कि विकलांगों के समक्ष विद्यमान समस्याओं तथा बाधाओं की जड़ रूढ़िवादी तथा असंवेदनशील सामाजिक व्यवस्था ही है, जो विकलांग व्यक्तियों की क्षमता को नजरअंदाज करती है तथा सामाजिक समानता का दर्जा नहीं देना चाहती। इसके फलस्वरूप उनमें आत्म-निर्भरता के बजाय पराश्रिता की भावना का निरंतर प्रस्फुटन होता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि विकलांगों के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोण विकलांगता को महज 'वस्तु' नहीं मानकर 'विषय' मानती है। दूसरे शब्दों में, विकलांगों की समस्याओं के लिए विकलांग व्यक्तियों को जिम्मेदार नहीं मानकर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रमुख बाधा के रूप में देखा जाता है। भारत सरकार द्वारा जो भी कदम उठाये गये हैं, वे पूर्णत: अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं तथा आज भी उनका सामाजिक सशक्तीकरण महज एक दिवास्वप्न-सा प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि मानवाधिकारों के संवर्द्धन तथा संरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकारों की है। जो भी हो,

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन समस्त घटनाक्रमों की वजह से विकलांगता के प्रति सामाजिक रुझान में व्यापक बदलाव आया है तथा विकलांगों में भी अपनी मानवाधिकारों एवं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के प्रति जागरूकता की नई लहर का संचार हुआ है।

दिव्यांगों से भेदभाव को अब अपराध माना जाएगा। पहली बार दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया जा रहा है। हाल ही में राज्यसभा ने दिव्यांग विधेयक-2014 पारित कर दिया। दिव्यांगों से भेदभाव को दंडनीय अपराध बनाने वाला यह विधेयक 120 संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया गया है। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार वाला यह विधेयक पुराने दिव्यांग अधिनियम - 1995 का स्थान लेगा। इस नए कानून से दिव्यांगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सकेगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में दो करोड़ से ज्यादा लोग किसी-न-किसी रूप में दिव्यांग हैं। नए विधेयक में 21 नई दिव्यांगता को शामिल किया गया है। इसके चलते दिव्यांगों की संख्या बढ़ जाएगी। नया कानून बन जाने से तकरीबन 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे दिव्यांगों को समाज में सम्मानीय स्थान बनाने में मदद मिलेगी। विधेयक में दिव्यांगों की श्रेणी में वृद्धि की गयी है, जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पुराने बिल के मुकाबले संशोधित विधेयक में 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग लोगों को नौकरी, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में आरक्षण मिलेगा। निजी कंपनियों की इमारतों में दिव्यांगों के आने-जाने के लिए रैंप और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। विधेयक में दिमागी रूप से बीमार के अभिभावक बनाने को ले स्पष्ट प्रावधान किए गए है। इसके लिए जिला अदालते दो तरह का प्रावधान कर सकती है।

❐

मनुष्य के जीवन में योग-विद्या की उपयोगिता

योग शब्द वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों आदि में अति पुरातन काल से व्यवहृत होता आया है। भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मदर्शन एवं समाधि से लेकर कर्मक्षेत्र तक योग का व्यापक हमारे शास्त्रों में वर्णित हुआ है। योगदर्शन के उपदेष्टा महर्षि पंतजलि 'योग' शब्द का अर्थ चित्तवृत्ति का निरोध करते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति ये पंचविध वृत्तियाँ जब अभ्यास एवं वैराग्यादि साधनों से मन में लय को प्राप्त हो जाती है और मन द्रष्टा (आत्मा) के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तब योग होता है। भारतीय वाङ्मय में गीता का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के आधुनिक संतों ने तो गीता के योग का प्रचार विश्वभर में किया है। गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण योग को विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त करते हैं- अनुकूलता-प्रतिकूलता, सिद्धि-असिद्धि, सफलता-विफलता, जय-पराजय, इन समस्त भावों में आत्मस्थ रहते हुए सम रहने को योग कहते हैं। असंग भाव से द्रष्टा बनकर, अंतर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलतापूर्वक कर्म करना ही योग है। योग का अर्थ है अपनी चेतना(अस्तित्व) का बोधः अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चेतन्य आत्मा का साक्षात्कार एवं पूर्ण आनन्द की प्राप्ति। इस यौगिक प्रक्रिया में विविध प्रकार की क्रियाओं का विधान भारतीय ऋषि-मुनियों ने किया है।

संसार के सभी व्यक्ति सुख एवं शांति चाहते हैं तथा विश्व में जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, उसका एक ही मुख्य लक्ष्य है कि इससे उसे सुख

मिलेगा। व्यक्ति ही नहीं, कोई भी राष्ट्र अथवा विश्व के सम्पूर्ण राष्ट्र मिलकर भी इस बात पर सहमत है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। प्रतिवर्ष इसी उद्देश्य से ही एक व्यक्ति को जो कि सर्वात्मना शांति स्थापित करने के लिए समर्पित होता है, उसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। परंतु यह शांति कैसे स्थापित हो इस बात को लेकर सभी असमंजस की स्थिति में है। सभी लोग अपने-अपने विवेक के अनुसार इसके लिए कुछ चिन्तन करते हैं, परंतु एक सर्वसम्मत मार्ग नहीं निकाल पाता। कोई कहता है: यदि सब बुद्ध या महाबीर की शरण में आ जायें तो सर्वत्र सुख और शांति हो जायेगी। भारत में तो ऐसे सम्प्रदायों, मत-पंथों एवं गुरुओं की भरमार है और सभी यही दावा करते हैं कि उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलकर ही विश्व में सुख और शांति संभव है। परंतु इन सब मत-पंथों एवं सम्प्रदायों एवं तथाकथित इस्लाम एवं ईसाइयत, बौद्ध एवं जैनादि धर्मों में वह उदारता, व्यापकता एवं समग्रता नहीं है, जिससे कि मानव मात्र उनको अपना सके। इन सबकी अपनी-अपनी सीमाएं हैं। दुनिया में इन्हीं मत-पंथों एवं तथाकथित धर्मो की एकच्छत्र स्थापना के लिए ही खूनी संघर्ष भी हुए, परंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। अशांति दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसका अर्थ है कि दुनिया के लोग जिन उपायों पर विचार कर रहे हैं, उनमें सार्थकता तो है, परंतु परिपूर्णता, समग्रता एवं व्यापकता नहीं। इन प्रचलित मत-पंथों, संप्रदायों एवं तथाकथित धर्मो को अपनाने से जहां व्यक्ति को एक ओर थोड़ी शांति मिलती है, वहीं इन संप्रदायों के पचड़े में पड़कर व्यक्ति कुछ ऐसे झूठे अंध विश्वासों, कुरीतियों एवं मिथ्या आग्रहों में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही वह पूर्ण सत्य से भी वंचित रह जाता है। इतना ही नहीं इन इस्लाम एवं ईसाइयत आदि तथाकथित धर्मो को यदि व्यक्ति अपना भी ले तो कई बार तो राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता पर भी प्रश्न लग जाता है। राष्ट्र की सत्ता ही कई बार समाप्त होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में उस धर्म से भी भय बना रहता है। परंतु क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जिसपर दुनिया का हर इन्सान चल सके? क्या ऐसे कुछ नियम-मान्यताएं एवं मर्यादाएँ हो सकती हैं, जिनपर पूरी दुनिया के सभी व्यक्ति चल सकें? जिससे किसी भी व्यक्ति एवं राष्ट्र की एकता एवं अखण्डत खण्डित नहीं होती हो और न ही किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध होता हो जिसको प्रत्येक व्यक्ति

अपना सकता हो और जीवन में पूर्ण सुख, शांति एवं आनन्द प्राप्त कर सकता हो? हाँ है! एक ऐसा पथ, जिसपर निर्भय होकर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ दुनिया का प्रत्येक इंसान चल सकता है और जीवन में पूर्णसुख, शांति एवं आनन्द को प्राप्त कर सकता है। यह है- महर्षि पतंजलि-प्रतिपादित अष्टांग योग का पथ। यह कोई मत-पंथ या सम्प्रदाय नहीं, अपितु जीवन जीने की सम्पूर्ण पद्धति है। यदि संसार के लोग वास्तव में इस बात को लेकर गंभीर है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए तो इसका एकमात्र समाधान है अष्टांग योग का पालन। अष्टांग योग के द्वारा ही वैयक्तिक, एवं सामाजिक समरसता, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक जागरण, मानसिक शांति एवं आत्मिक आनन्द की अनुभूति हो सकती है।

आज प्राय: सभी लोग अपनी सेहत को अनुकूल (ठीक-ठाक) रखने के लिए योग का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। तन-मन को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह तभी संभव है, जब योग से सम्बन्धित नियमों को जानकर इसका पालन किया जाय। शायद यही कारण है कि लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। जरूरत है, योगाभ्यास सम्बन्धित सभी आधारभूत जानकारियों को जानकर अपने दैनिक जीवन में अपनाया जाए। इच्छाशक्ति रहे तो मनुष्य मानो शून्य से भी सब कुछ पैदा कर सकता है और इच्छाशक्ति के अभाव में उसकी सारी प्रतिभाएं एवं योग्यताएं व्यर्थ सिद्ध होती है। हम सभी अपने जीवन में एक जीवन में एक चीज तो निश्चित रूप से चाहते हैं और वह है सफलता। चाहे हम सांसारिक स्मृद्धि के लिए उद्यम करें अथवा आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए साधन, पर हम में से कोई भी असफल होना पसंद नहीं करता। हम सभी सफल होना चाहते हैं। यद्यपि हम सभी सफलता के इच्छुक हैं, तथापि जीवन के सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि केवल मुट्ठी भर लोग ही वास्तव में सफल होते हैं। फिर अनेक लोग केवल आंशिक सफलता ही अर्जित कर पाते हैं और बहुत से लोगों को केवल विफलता ही हाथ लगती है। मनुष्य की सफलता और असफलता की गाथाओं में विविध प्रकार के तत्वों का योगदान होता है। परन्तु प्रत्येक मामले में एक सामान्य कारक भी उपस्थित रहता है और वह है इच्छाशक्ति का तत्व। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का परिणाम उसकी इच्छाशक्ति के विकास के अनुपात में ही होता है। इच्छाशक्ति का विकास भी बचपन से ही हमारी

शिक्षा का अंग बन जाना चाहिये, क्योंकि इसके अभाव में हमारी शिक्षा काफी कुछ अप्रभावी रह जाती है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार योगाभ्यास और संयम के द्वारा इच्छाशक्ति के प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है।

मन की एकाग्रता का सम्बन्ध रुचि से है। रूखे और अरुचिकर विषयों में मन नहीं लगता और वहाँ से बार-बार उचटता है। इसलिए जिस विषय पर मन लगता है, उसे रुचिकर बनाना चाहिये। यहाँ यह न सोचना चाहिए कि अमुक विषय सरस है और अमुक नीरस। संसार में कोई भी बात नीरस नहीं है। दु:ख, पीड़ा होना और मृत्यु साधारणत: ये बड़े नीरस और अरुचि के विषय हैं, पर न जाने कितने ही लोगों को इसमें भी आनन्द आता है। तपस्वी लोग भूखे-प्यासे निर्जन स्थानों पर रहते हैं। शीत, धूप के कष्ट सहते हैं, यह सब उनकी रुचि के अनुकूल होता है। इसलिए उस दशा में भी उन्हें प्रसन्नता ही रहती है। धर्मनिष्ठ लोग हरिश्चन्द्र, शिव, दधीचि, मोरध्वज, हकीकतराय, बंदा-बैरागी आदि की तरह प्राणान्तक कष्ट सहते हैं। देशभक्त लोग फाँसी के तख्तों को हँसते हुए चूमते हैं, उन्हें यह दशा वैसी दु:खदायी प्रतीत नहीं होती-जैसी हमें प्रतीत होती है। सैनिक रणक्षेत्र में मृत्यु के साथ खेलता है; शरीर पर घाव सहता है, पर उस काम में भी दिलचस्पी होती है। तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य और विषय ऐसा नहीं है, जो नीरस कहा जाय और सब लोगों को ही वह अरुचिकर हो। भेद केवल इतना ही है कि एक ने जिस बात में दिलचस्पी पैदा कर ली है, वह उसमें बहुत प्रसन्नता के साथ लगा रहता है और मन को एकाग्र रखता है। दूसरे मनुष्य को यदि उसमें रुचि नहीं है, तो वही उसके मन उचटने का कारण है। एकाग्रता से कार्य शक्ति को बड़ी शक्ति मिलती है, कमजोर मस्तिष्क को भी एकाग्रता की प्रेरणा अद्‌भुत प्रतिभा सम्पन्न बना देती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग विद्या का सारा रहस्य एकाग्रता को ही बताया है, वे चित्तवृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। वैसे तो सब प्रकार की उन्नतियों का मूल मंत्र एकाग्रता है, पर मानसिक शक्तियों का विकास करने और बुद्धि बढ़ाने के लिए तो उससे बढ़कर दूसरा उपाय है ही नहीं। मस्तिष्क निर्बल है, अविकसित है, मेधा शक्ति-न्यून है तो कुछ परवाह मत कीजिये। जिस डाली पर बैठकर उसे ही काटना, जिसकी ऐसी मोटी बुद्धि थी, वह वज्र

मूर्ख कहलाने वाला घसियारा यदि संस्कृत का धुरंधर विद्वान और अद्वितीय कवि बन सकता है, तो कोई कारण नहीं कि वे लोग जो अपने को मंदबुद्धि कहते हैं, आगे चलकर प्रतिभाशाली विद्वान, न बन सके। बुद्धि बढ़ाने का प्रमुख साधन एकाग्रता है और मन को एकाग्र करने का उत्तम मार्ग मन को मार-मारकर किसी काम में लगाना नहीं, वरन् उस कार्य में रुचि उत्पन्न करना है। आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो उस सफलता की कामना की कल्पना कीजिये। यह कल्पना जितनी ही सुदृढ़ और स्पष्ट होगी, उतना ही उस विषय पर मन अधिक लगेगा, एकाग्रता संवर्द्धन होती जायेगी। काम करने के ढंग को मनोरंजक बनाना यह एक व्यावहारिकता है। किसी काम को करते समय या किसी विषय को सोचते समय उदासीनता या चिन्ता के भाव न उठने दीजिये। उसे एक मनोरंजन ही समझिये। अपनी सारी दिनचर्या को एक मानसिक खेल के रूप में समझिये। बहुत देर तक किसी काम को करते हुए भी मन थक जाता है और उचटने लगता है। इसका कारण क्या है? यर्थाथ में हमारा मन जीवन भर किसी क्षण भी काम करने से मंद नहीं होता। सोते में भी मन करता रहता है, फिर जाग्रत् अवस्था की तो बात ही क्या है? मन के थकने का अर्थ है-एक ही प्रकार के काम में उसका कुछ समय तक लगा रहना। जब मन थकने लगे तो कार्य में थोड़ा हेर-फेर कर दीजिये। बीच में थोड़ा विश्राम देने का यह तरीका बहुत अच्छा है कि थकने पर काम की दिशा थोड़ी देर के लिए बदल दी जाय। इस प्रकार चित्त फिर काम में लगने को समर्थ हो जाता है।

सच्ची एकाग्रता का लक्षण यह है कि इसकी सहायता से व्यक्ति अपने-आप में इतना डूब जाता है कि वह न केवल परिवेश, वरन् अपने शरीर तक को भी भूल जाता है। एकाग्रता और स्मरणशक्ति एक दूसरे का पूरक है। एकाग्रता निरंतर अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। अर्जुन का मन के संबंध में प्रश्न था- **''हे कृष्ण! यह मन अत्यंत चंचल और बलवान है।''** इसे नियंत्रण में रखना वायु को वश में करने के समान है। ऐसे मन को नियंत्रण में भला कैसे लाया जा सकता है? इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था-**''अर्जुन, जो तुम कह रहे हो वह सत्य है।''** इसे नियंत्रण में रखना इतना आसान खेल नहीं है, तथापि यह भी सत्य है कि ऐसा चंचल मन भी नियमित योग के अभ्यास के द्वारा वश में लाया जा सकता है। मन को नियंत्रण में रखना

कोई नयी बात नहीं है। बात उतनी ही पुरानी है, जितना कि इन्सान स्वयं, भले ही आज की अनियमित तथा असंयमित दिनचर्या के फलस्वरूप इसमें कुछ वृद्धि हो गयी हो। वास्तव में अर्जुन वीर एवं साहसी पुरुष थे। उसके बावजूद अर्जुन के समान व्यक्ति का मन भी चंचल तथा वेकाबू हो सकता है, तो आज के भौतिकवादी एवं आराम तलब जीवनशैली में लोगों के मन की तो बात ही क्या है? जिन लोगों ने अपने मन को नियंत्रित करने का संकल्प कर लिया है, उन्हें पहले मन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये, जिससे वे पूर्ण तरह से लाभान्वित हो सके। इस पृथ्वी के प्रत्येक जीव तथा वस्तु का अपना एक विशिष्ट स्वभाव है। यथा, हवा का गुण है चलना, आग का जलना और जल का धर्म है बहना। ठीक उसी तरह मन का भी स्वभाव है–हर पल चारों तरफ दौड़ना, पागल के समान उछल–कूद मचाना, सपने देखना, चिन्ता करना, हवाई किले बनाना, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर अन्य बातों का विचार एवं चिन्ता करना आदि–आदि। एक तो मन स्वभाव से ही चंचल हैं और ऊपर से चंचलता से भरा परिवेश भी उसे उत्तेजित करता रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके तालों पर नाचने के सिवाय कर भी क्या सकता है? इसलिए जो विद्यार्थी अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें अपने आपको उच्छृखंल वातावरण से अलग रखना चाहिये।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस बात के लिए साधुवाद के सुपात्र हैं कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व योग दिवस मनाने का आह्वान किया और कुछ ही दिनों के अंतराल में उसे स्वीकार कर हर वर्ष 21 जून को **'विश्व योग दिवस'** मनाने की घोषणा हुई। लेकिन पश्चिम सहित समस्त विश्व को योग और वेदान्त का अमृत चखाने में अनेक आध्यात्मिक भारतीयों की तपस्या शामिल है। स्वयं अमेरिकी भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। भारत की कुंडली में राजनीतिक और आर्थिक रूप से चाहे जितने उतार–चढ़ाव आये हों, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता की अलख कभी मद्धिम नहीं हुई। ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध से लेकर अबतक हमारी आध्यात्मिकता ही हमारी पहचान बनाती और बचाती आयी है। हमारे राष्ट्रपिता और युग पुरुष महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह के बल पर देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया और मानवता को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का बेमिसाल सतोगुणी मार्ग दिखाया उसका आधार

भी योग का अंश अहिंसा है। उनका भगवद्गीता का भाष्य करना सिद्ध करता है कि उनकी जड़े आध्यात्मिकता में ही हैं। आज के जटिल और अत्यधिक तनाव ग्रस्त संसार में लोगों को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के युवाओं को मानवीय गुणों को खोये बिना उन्नत तकनीकी निपुणता प्राप्त करनी है। फिर भी स्वयं को यांत्रिक मानव नहीं बनाना है। उन्हें सुख, समृद्धि और सफलता के रूप में जहाँ एक ओर अपनी महत्वकांक्षाओं को पूरा करना है वही दूसरी ओर, दूसरों की आवश्यकताओं और मानवता के कल्याण के प्रति असंवेदनशील भी नहीं बनना है। युवक के शारीरिक मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रतिभा को विकसित कर सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाये, मन को एकाग्रचित कैसे करें, जीवन में सच्ची सफलता कैसे पाएँ, आदि कुछ ऐसे ही व्यावहारिक प्रश्नों का उत्तर योग से सरल, सुगम एवं प्रेरक और प्रवाहमय शैली में किया जा सकता है। जो कोई भी आधुनिक जगत की चुनौतियों को सफलतापूर्वक स्वीकार करते हुए सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मार्गदर्शन चाहिये। योग सही रूप में जीवन जीने की कला है। यह किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं, अपितु ऋषियों की सतत् खोज, वैराग्य, त्याग और तपस्या का सांसारिक मानव के लिए प्रसाद है, जिसे चखकर जीवन अमर हो जाता है और सही दिशा में जीवन सार्थक होता है। अगर युवक योग को सही रूप से अपनायेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वे कभी असफल नहीं हो सकते हैं। अच्छी स्मृति शक्ति प्रकृति की देन है, किन्तु सामान्य स्मृति को अच्छी स्मृति के रूप में विकसित किया जा सकता है। स्मृति का विकास एक कला है। इस कला के माध्यम से अच्छी स्मृति शक्ति विकसित की जा सकती है। मनुष्य जो भी ज्ञान अपनी बुद्धि के द्वारा अर्जित करता है उसे मस्तिष्क में स्मृति के रूप में संचित करता रहता है। मनुष्य की स्मृति प्रकृति का ऐसा वरदान है, जो उसे प्रगति और उन्नति की ओर सतत् प्रेरित करता है। मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी स्मृति बहुत तीक्ष्ण होती है। स्मृति वह शक्ति है जिसके द्वारा अनुभवों का अर्जन और उपयोग संभव होता है अर्थात् अनुभवजनित ज्ञान स्मृति के रूप में संचित हो जाता है और समय व परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार इस ज्ञान का उपयोग अपनी कार्यनीति के निर्धारण में हम करते हैं।

भारतीय ग्रंथों में योग को प्राचीन विज्ञान कहा गया है। जिसे ऋषियों ने विकसित किया था और शताब्दी से जिसका अभ्यास किया जा रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का संदर्भ देकर कई वर्षों से योग पर साहित्य तैयार किया गया है। यह पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसकी लोकप्रियता तथा मानव मस्तिष्क एवं शरीर पर इसके प्रभाव को पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। किन्तु अधिकतर लोगों को नहीं पता कि योग का विकास जीवन को परिवर्तित करने वाले अनुभव के रूप में हुआ है, जिसमें मानव सभ्यता को बेहतर बनाने की संभावना है।

अध्यात्म और योग सत्य एवं वैज्ञानिक है, इसका प्रयोग करोड़ों मनुष्य कर रहे हैं। अब तो पश्चिम के वैज्ञानिक भी इसे मानने के लिए बाध्य हो गये हैं। अध्यात्म और योग अर्थात जोड़ या मिलन, मिलन आत्मा का परमात्मा से, मिलन सत्य से, मिलन प्रकृति से, मिलन स्वयं से। एक और अर्थ है 'योग' का– वह है मिलन विज्ञान का धर्म से। प्राकृतिक धर्म और व्यावहारिक विज्ञान का संगम ही योग है। इसलिए योग पुरातन होते हुए भी अत्याधुनिक विज्ञान है कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि 'सूर्य पूरब से उगता है', ठीक इसी तरह कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग, योग की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक व्याधियों पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों को अस्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण होता है जो निरंतर प्रयोगों पर आधारित होता है और प्रयोग प्रतिपादित करते हैं। विज्ञान का सिद्धांत जब कि धर्म, आस्था पर आधारित होता है तब आस्था भी 'सिद्धांत' प्रतिपादित करती है। योग और ध्यान के सिद्धांत को विज्ञान ने चिर शाश्वत ही माना है। योग को प्रत्येक वैज्ञानिक प्रयोग ने ही पुष्ट किया है। ध्यान एक अद्‌भुत वैज्ञानिक क्रिया है। इस पर अबतक कई अनुसंधान किये जा चुके हैं। आज से हजारों वर्षो पूर्व महर्षि पतंजलि तथा हमारे ऋषियों ने योग और ध्यान के महान ज्ञान का संदेश दिया।

❐

मानव जीवन और पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिल कर हुआ हैं परि+आवरण। 'परि' जो हमारे चारो ओर है और 'आवरण' जो हमें चारों ओर से ढँके हुए है। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत वह इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करती है।

सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, योजनाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अन्दर सम्पादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय का संबंध भी होता है। पर्यावरण के जैवी संघटनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े-मकोड़े, सभी जीव-जन्तु और पेड़-पौधे आ जाते हैं और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएँ और प्रक्रियाएँ भी। अजैविक संघटकों में जीवनरहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएँ आती हैं, जैसे; चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व आदि।

सामान्यत: पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और इसके चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीजों को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया जाता है। किन्तु यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि अब भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएँ हैं, जो अपने को पर्यावरण से अलग नहीं मानतीं और उनकी नजर में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है, जिसका

मनुष्य भी एक हिस्सा है। वस्तुतः मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले वे हैं जो तकनीकी रूप से विकसित हैं और विज्ञान और तकनीक के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफी बदलाव लाने में समर्थ हैं।

मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो प्रखण्डों में विभाजित किया जाता है– प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। हालांकि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण (जिसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल न हुआ हो) या पूर्ण रूपेण मानव निर्मित पर्यावरण(जिसमें सब कुछ मानव निर्मित हो), कहीं नहीं पाये जाते। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता का द्योतक मात्र है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग पर्यावास (हैबिटेट) के लिये भी होता है।

तकनीकी ज्ञान से मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रकृति के साथ कृत यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था या प्रणाली के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह की समस्याएँ पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं।

पर्यावरणीय समस्याएँ जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि मनुष्य को अपनी जीवनशैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही हैं और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से अपने द्वारा किये गये परिवर्तनों से नुकसान को कितना कम करने में सक्षम हैं, आर्थिक और राजनैतिक हितों के टकराव में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और मनुष्यता अपने पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक है, यह आज के ज्वलंत प्रश्न हैं।

पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के 'परि' उपसर्ग (चारो ओर) और 'आवरण' से मिलकर बना है जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किये हुए हैं। पारिस्थितिकी और भूगोल में यह शब्द अंग्रेजी के एनवायरनमेंट के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होता है।

जलवायु संकट से निपटने के लिए बने 195 देशों के कानून जिसे पेरिस समझौता कहा जाता है, विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने उस

समझौता से अलग होने की घोषणा कर दुनिया को संशय में डाल दिया है जो अत्यंत ही खतरनाक तो है ही साथ ही पेरिस समझौता को कमजोर करने वाला भी है, जिससे आने वाले वक्त में विश्व की आबादी को परेशानी होगी और पर्यावरण दूषित होने के आसार भी बढ़ जाएँगे। पर्यावरण बचाने की विश्व की मुहिम को इस निर्णय से झटका लगा है। पेरिस में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वह 195 देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन का सामना करने का समझौता है। तापमान की समस्या पर काबू पाने में सालों नहीं बल्कि दशकों लगेंगे। जलवायु के संबंध में हो रही वार्ता में व्यक्तियों और वर्गों की जिम्मेदारी तय किए बिना कोई समाधान नहीं हो सकता। नैतिक रूप से सभी राष्ट्रों को मजदूरों नागरिकों के पीछे छिपकर कार्बन व्यापार की पैरवी कर जलवायु परिवर्तन से नहीं निपटा जा सकता है। असल में अमीर देशों, उनकी कंपनियों और उनके दानदाताओं के बहकाबे से बचना होगा और पर्यावरण के मानकों का ख्याल रखना होगा। दुनिया में पर्यावरण परिवर्तन के परिणामों से विषेष रूप से गरीब सहित निम्नलिखित चीजें प्रभावित हो रही हैं:- (1) कई शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में जल की उपलब्धता और जल की गुणवत्ता में कमी। (2) कई क्षेत्रों में बाढ़ और अकाल के खतरे का बढ़ना। (3) पहाड़ी आवासों में जल नियमन में कमी। (4) पनबिजली और बायोमास उत्पादन की विश्वसनीयता में कमी। (5) मलेरिया, डेंगू और हैजा जैसे जल जनित रोगों की घटनाओं में बढ़ोतरी। (6) मौसमी घटनाओं के चरम पर पहुँचने से इनके कारण क्षति और मृत्यु में वृद्धि। (7) कृषि उत्पादकता में कमी, मत्स्यपालन पर प्रतिकूल असर। (8) कई पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्रतिकूल असर आदि।

मानव विकास की दौड़ में यह भूल गया कि पर्यावरण का सीधा संबंध मानव जीवन से तथा मानव जीवन का सीधा संबंध पर्यावरण से है। दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्यावरण में होने वाली समस्त घटनाएं किसी न किसी रूप में हमें सदैव प्रभावित करती रही हैं। स्पष्ट शब्दों में यह कहा सकता हैं कि जीवन के लिए प्रकृति ही एकमात्र विकल्प है। अत: पर्यावरण संरक्षण ही मानव जीवन के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है। कहा जाता है कि-"धरती मानव की नहीं होती, बल्कि मानव धारती का होता है।'' किंतु मानव जाति ने बिना हिचके हुए सदैव अपने लाभ के लिए धरती पर नियंत्रण करने एवं उसका शोषण करने का प्रयास किया है। वायु मण्डल में चारों तरफ फैले हुए वातावरण

को हम पर्यावरण कहते हैं जिसके सभी घटकों में एक निश्चित अनुपात तथा खास संतुलन होता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से यह संतुलन समाप्त होकर पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है। मानव का संपूर्ण विकास इसी पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन मानव ने अपने प्रत्यक्ष निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए पर्यावरण को इतनी क्षति पहुँचायी कि पर्यावरण सुरक्षा आज विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गयी है। प्रकृति प्रदत्त चीजें हमारे चारों ओर मौजूद हैं, मसलन–वायु, जल, मृदा, वनस्पतियाँ, जीव–जन्तु आदि सभी पर्यावरण के घटक हैं। इनसे मिलकर पर्यावरण की रचना होती है। पर्यावरण की ही वृहत्तर अवधारणा को हम पारिस्थितिकी की संज्ञा देते हैं। पारिस्थितिकी के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं– पहला, प्रकृति और जीवों के बीच संबंध और दूसरा, प्रकृति में पाये जाने वाले विभिन्न जीवों के मध्य संबंध। मानव और जीवों के बीच एक अपरिहार्य अंतरसंबंध है जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है।

आज पर्यावरण एक जरूरी सवाल बल्कि ज्वलंत मुद्या बना हुआ है लेकिन आज लोगों में इसे लेकर कोई जागरूकता नहीं है। ग्रामीण समाज को छोड़ दें तो भी महानगरीय जीवन में इसके प्रति खास उत्सुकता नहीं पायी जाती है, जबकि यह पूरे समाज से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध रखने वाला सवाल है। जब तक इसके प्रति लोगों में एक स्वाभाविक लगाव पैदा नहीं होता, पर्यावरण संरक्षण एक दूर का सपना ही बना रहेगा।

पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। अपने परिवेश में हम तरह–तरह के जीव–जन्तु, पेड़–पौधे तथा अन्य सजीव–निर्जीव वस्तुएँ पाते हैं। ये सब मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान, आदि में विषय के मौलिक सिद्धांतों तथा उनसे संबंधित प्रायोगिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। परन्तु आज की आवश्यकता यह है कि पर्यावरण के विस्तृत अध्ययन के साथ–साथ इससे संबंधित व्यावहारिक ज्ञान पर बल दिया जाए। आधुनिक समाज को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की शिक्षा व्यापक स्तर पर दी जानी चाहिए। साथ ही इससे निपटने के बचावकारी उपायों की जानकारी भी आवश्यक है। आज के मशीनी युग में हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि प्रदूषण एक अभिशाप के रूप में सम्पूर्ण पर्यावरण को नष्ट करने के लिए हमारे सामने खड़ा है। सम्पूर्ण विश्व एक गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। यद्यपि हमारे पास

पर्यावरण संबंधी पाठ्य-सामग्री की कमी है। तथापि संदर्भ सामग्री की कमी नहीं है। वास्तव में आज पर्यावरण से संबंधित उपलब्ध ज्ञान को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि समस्या को जनमानस सहज रूप से समझ सके। ऐसी विषम परिस्थिति में समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। वास्तव में सजीव तथा निर्जीव दो संघटक मिलकर प्रकृति का निर्माण करते हैं। वायु, जल तथा भूमि निर्जीव घटकों में आते हैं जबकि जन्तु-जगत तथा पादप-जगत से मिलकर सजीवों का निर्माण होता है। इन संघटकों के मध्य एक महत्वपूर्ण रिश्ता यह है कि अपने जीवन-निर्वाह के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। जीव-जगत में यद्यपि मानव सबसे अधिक सचेतन एवं संवेदनशील प्राणी है तथापि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अन्य जीव-जन्तुओं, पादप, वायु, जल तथा भूमि पर निर्भर रहता है। मानव के परिवेश में पाये जाने वाले जीव-जन्तु पादप, वायु, जल तथा भूमि और पर्यावरण की संरचना करते हैं।

शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण का ज्ञान मानव-जीवन के बहुमुखी विकास का एक प्रबल साधन है। इसका मुख्य उद्येश्य व्यक्ति के अन्दर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक बुद्धि एवं परिपक्वता लानी है। शिक्षा के उद्येश्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान अति आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण के बारे में ज्ञानार्जन की परम्परा भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही रही है। परन्तु आज के भौतिकवादी युग में परिस्थितियाँ भिन्न होती जा रही हैं। एक ओर जहां विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर मानव परिवेश भी उसी गति से प्रभावित हो रहा है। आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान शिक्षा के माध्यम से होना आवश्यक है। पर्यावरण तथा शिक्षा के अन्तस्-संबंधों का ज्ञान हासिल करके कोई भी व्यक्ति इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। पर्यावरण का विज्ञान से गहरा संबंध है, किन्तु उसकी शिक्षा में किसी प्रकार की वैज्ञानिक पेचीदगियाँ नहीं हैं। शिक्षार्थियों को प्रकृति तथा पारिस्थिकी ज्ञान सीधी तथा सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए। शुरू-शुरू में यह ज्ञान सतही तौर पर मात्र परिचयात्मक ढंग से होना चाहिए। आगे चलकर इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण का ज्ञान मानवीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

पर्यावरण अपनी सम्पूर्णता में एक इकाई है, जिसमें अजैविक और जैविक संघटक आपस में विभिन्न अन्तर्क्रियाओं द्वारा संबद्ध और अंतर्गुम्फित होते हैं।

इसकी यह विशेषता इसे एक पारितंत्र का रूप प्रदान करती है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर्सम्बंधित समुच्चय को कहते हैं। अत: पर्यावरण भी एक पारितंत्र है।

पृथ्वी पर पैमाने के हिसाब से सबसे वृहत्तम पारितंत्र जैवमंडल को माना जाता है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवधारी पाये जाते हैं और यह स्थलमंडल, जलमण्डल तथा वायुमण्डल में व्याप्त हैं। पूरे पार्थिव पर्यावरण की रचना भी इन्हीं इकाइयों से हुई है। अत: इन अर्थों में वैश्विक पर्यावरण, जैवमण्डल और पार्थिव एक दूसरे के समानार्थी हो जाते हैं।

माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमण्डल का वर्तमान संघटन और इसमें ऑक्सीजन की वर्तमान मात्रा पृथ्वी पर जीवन होने का कारण ही नहीं, अपितु परिणाम भी हैं। प्रकाश संश्लेषण, जो एक जैविक (या पारिस्थितिकीय अथवा जैवमण्डलीय) प्रक्रिया है, पृथ्वी के वायुमण्डल के गठन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। इस प्रकार के चिंतन से जुड़ी विचारधारा पूरी पृथ्वी को एक इकाई या सजीव पृथ्वी (लिभिंग अर्थ) के रूप में देखती है।

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के अनेक घटकों जैसे वृक्षों की भी पूजा होती है। जल, वायु, अग्नि को भी देव मानकर उनकी पूजा की जाती है। समुद्र, नदी को भी पूजन करने योग्य माना गया है। गंगा, सिन्धु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। धरती को भी माता का दर्जा दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारत में पर्यावरण के विविध स्वरूपों की पूजा होती है।

दिनांक 7 मई, 2017 को इनवॉयरमेंट एण्ड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन, नई दिल्ली के तत्वावधान में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, स्थित गांधी पीस फाउन्डेशन के सभागार में ''राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण'' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मैंने अपने अभिभाषण में कहा था कि-मानवता को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने की दिशा में कार्य करने का दायित्व किसी एक राष्ट्र का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का है। रियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र प्रारूप संधि (यूएनएफसीसीसी) को औपचारिक रूप दिये जाने के साथ ही इस दिशा में गंभीर वैश्विक प्रयास आरंभ हुए। दिसम्बर, 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र में देश अपने वांछित राष्ट्रीय संकल्पित

योगदान (आईएनडीसी) प्रस्तुत करेंगे। भारत पहले ही अपना आईएनडीसी बता चुका है, जिसका लक्ष्य स्वच्छ अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों का प्रयोग कर, 2.5 से 3 अरब कार्बन डाईऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करने के लिए वन का विस्तार बढ़ाकर, कार्बन कम उत्पन्न करने वाले एवं लचीले शहरी केन्द्र विकसित करे, कचरे का प्रयोग करने वाले, सुरक्षित, कुशल एवं टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में 33 से 35 प्रतिशत तक कमी करनी है। उसने विकासशील देशों से अतिरिक्त धन एकत्र करने एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं उनसे सम्बन्धित सामूहिक अनुसंधान तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का भी संकल्प व्यक्त किया है। इस आईएनडीसी के माध्यम से भारत ने जलवायु परिवर्तन से जूझने एवं ''समस्या का भाग नहीं होते हुए भी समाधान का भाग होने'' का अपना संकल्प प्रदर्शित किया है। मानव का संपूर्ण विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन मानव ने अपने प्रत्यक्ष निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए पर्यावरण को इतनी क्षति पहुँचायी कि पर्यावरण सुरक्षा आज विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गयी है। हालांकि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बहुत पहले ही चिंता जाहिर की गयी थी, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं है।

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन विश्वव्यापी महत्व का विषय बना हुआ है। पूरा विश्व पर्यावर्णिक समस्याओं से ग्रस्त है और इसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भयावह परिणामों से सभी चिन्तित हैं। वैश्विक उष्मीकरण के कारण मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वृद्धि बाढ़, अतिवृष्टि, असमय वृष्टि, भूक्षरण आदि हमें भविष्य की समस्याओं के प्रति आगाह कर रहे हैं। हमारा देश भी इन समस्याओं के समाधान में अपनी सकारात्मक भूमिका के प्रति सचेष्ट एवं प्रयासरत है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार देश में पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए 33 प्रतिशत भू-भाग को स्थायी हरियाली आवरण के अधीन रखने का संकल्प लिया गया है।

आज किसी भी राज्य की जनता की प्राथमिकता सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जरूर है। परंतु यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि बगैर पर्यावरण सुरक्षा के टिकाऊ विकास एवं समृद्ध जीवन शैली अपना पाना संभव नहीं है। बगैर शुद्ध हवा, जल एवं हरियाली के आवरण के मानव स्वस्थ एवं

सुखी नहीं रह सकता है। विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के अनिवार्य कारक हैं। बिना जैव-विविधता संरक्षण के मानव का अस्तित्व संकटग्रस्त होगा। अतः इन तथ्यों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाना एवं उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्प्रेरित करना एक महती चुनौती है। इसके लिए प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने की कार्रवाई की आवश्यकता है। राज्य में विकासोन्मुख योजनाओं की प्रचुरता आ गयी है। राज्य में वृहद् पैमाने पर सड़क, पुल, उद्योग आदि के कार्य हो रहे हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से कई स्थानों पर वनों एवं वृक्षों की क्षति होती है एवं पर्यावरण सुरक्षा प्रभावित होती है। राज्य सरकार को संकल्प लेना चाहिये कि इस चुनौती से निपटकर एवं पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ विकास का कार्य किया जाय।

❐

तृतीय सर्ग

डॉ० जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल के विशेष निर्णयों, घोषणाओं एवं संकल्पों पर।

शिक्षा

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यू०जी०सी० वेतनमान एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय वेतनमान लागू करने संबंधी नीति-निर्धारण।
- 54000 प्राथमिक विद्यालयों एवं 3000 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों का 39 संस्कृत महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण एवं 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया और संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के भांति वेतन एवं अन्य सुविधाएं तथा 1600 संस्कृत विद्यालयों एवं 1100 मदरसों को वित्तसहित मान्यता दी गयी।
- 2 अक्टूबर, 1980 के बाद प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों का तात्कालिक प्रभाव से राजकीयकरण किया गया।
- प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया।
- विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में रीडर एवं प्रोफेसर की कालबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान कर 8 हजार से अधिक शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित की गयी।

- प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था की गई। 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों को 50 गाम अंकुरित चना अथवा मूंगफली चुने हुए 197 प्रखंडों में 100 कार्य दिनों तक देने की व्यवस्था की गई।
- संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गयी।
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार) को यू०जी०सी० की स्वीकृति के लिए अपेक्षित राशि, भवन एवं भूमि उपलब्ध करायी गयी।
- सरकार द्वारा मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी, मगही, संस्कृत एवं बांग्ला भाषाओं की अलग-अलग अकादमी तथा दक्षिण भारतीय भाषा और छोटानागपुर की जन भाषाओं की अकादमियां शोध कार्य एवं इनके प्रसार के लिए स्थापित की गयीं।
- वीरकुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सिद्धूकान्हू विश्वविद्यालय, दुमका, आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, मौलाना मजहरुलहक विश्वविद्यालय, पटना और भारती मंडन विश्वविद्यालय, सहरसा की स्थापना की स्वीकृति दी गयी। भारती मंडन विश्वविद्यालय, सहरसा का नाम एवं स्थान परिवर्तित कर राजद सरकार ने बी०एन०मंडन विश्वविद्यालय, मधेपुरा कर दिया।
- विश्वविद्यालय-प्रशासन की स्वायत्तता स्थापना, विश्वविद्यालय सेवा में हरिजनों-आदिवासियों के पदों का आरक्षण, अंकों के आधार पर नियुक्तियों में प्रमुखता, छात्रों का विभिन्न निकायों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व, बुक बैंकों एवं सहकारिता समितियों का गठन, निम्नवर्गीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, उचित मूल्य पर अध्ययन एवं खाद्य-सामग्रियों की सहायता, अनुशासन और शांति जैसे नये कदमों से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिली। विद्यालयों के लिए सरकारी शिक्षकों को नया वेतनमान, विश्वविद्यालयों में नये वेतनमान, उर्दू शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 2,000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, 400 गांवों में उपग्रह -दूरदर्शन द्वारा शिक्षादान, नि:शुल्क पुस्तक वितरण, जनजाति के शिक्षा विकास को ढाई करोड़ की योजना, उन्हीं के लिए आवासीय विद्यालय एवं प्रतियोगिता, परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रारंभिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान की प्राथमिकता,

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं शोधपार्षद्, विद्यालय संकुल आदि अनेक ऐसे कदम उठाये गये जिनसे शिक्षा का बहु-आयामी विस्तार और छात्रों का कल्याण हो रहा है।

- पिछड़े इलाकों में प्राथमिक कक्षाओं तक छात्र-छात्राओं के लिए पोषाहार की व्यवस्था की गयी। शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि की गयी और संस्कृत स्कूलों एवं मदरसा के शिक्षकों का वेतनमान भी अन्य शिक्षकों के उच्चतर वेतनमान के समान उत्क्रमित किया गया।
- 3880 निरीक्षित एवं संस्कृत बोर्ड और स्वीकृत विद्यालयों को मान्यता दी गयी। विश्वविद्यालय शिक्षा से इन्टरमीडिएट शिक्षा को अलग कर राज्य सरकार ने इन्टरमीडिएट कौंसिल की स्थापना की गयी।
- विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए देश में पहली बार आदिवासियों एवं दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही इनकी सरकार में पहली बार आरक्षण आयुक्त का पद सृजित करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सभी विभागों में आरक्षण लागू हो।
- परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली सभी परीक्षाओं में सभी बेरोजगारों से फीस लेने की व्यवस्था समाप्त की गयी।
- राज्य एवं देश की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंज की स्थापना की गयी, जिसमें भवन निमार्ण के लिए 1980-81 में 10 लाख रुपया अनुदान दिया गया।
- डॉ० मिश्र की सरकार में प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों तथा मदरसा एवं संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी प्रति वर्ष लगभग 31,000 छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती थीं उसे बढ़ाकर दुगुनी कर दी गयी। साथ-साथ वर्ष 81-82 में छात्रवृत्ति की राशि की दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी।

अल्पसंख्यक कल्याण

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया।
- मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गयी।
- उर्दू विकास निदेशालय का गठन किया गया।
- 2995 मदरसों को मान्यता दी गयी।
- अन्जुमन तरक्की उर्दू, बिहार को वार्षिक अनुदान देने की परंपरा स्थापित की गयी।
- राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक नवयुवकों को आत्म-नियोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ की वार्षिक पूंजी से अल्पसंख्यक वित्त निगम गठित हुआ।
- बिहार में पहली बार बिहारशरीफ साम्प्रदायिक दंगा के दोषियों में 105 से अधिक व्यक्तियों को विशेष अदालत गठित करके दंडित कराया गया।
- देश में पहली बार भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में प्रभावित 750 परिवारों के लिए एक-एक लाख रु० मुआवजे का भुगतान कराकर जांच के लिये न्यायिक आयोग का गठन किया गया। 2000 बुनकर परिवारों को पुनर्वासित किया गया।
- राज्य के मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य/ माध्यमिक विद्यालयों को भी प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को सरकारी शिक्षकों की तरह वेतन, भत्ता तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाने के लिए हजारों की संख्या में उर्दू अनुवादकों, 1000 से ज्यादा उर्दू टंककों की नियुक्ति की गयी और देश में पहली बार उर्दू टंकण यंत्र खरीदकर कार्यालयों में आपूर्ति करायी गयी।
- प्रत्येक वर्ष 3000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
- राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी शिक्षकों की नियुक्ति को व्यवस्था अनिवार्य की गयी।
- मदरसा एवं उर्दू शिक्षकों को सरकारी सुविधाएं प्रदान की गयी।

- दंगा की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से सामूहिक जुर्माना कानून बनाया गया।
- जिन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षिक एवं संस्कति की रक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गयी थी, उन्हें मान्यता की विहित शर्त्ते पूरी करने पर माध्यमिक विद्यालय के रूप में वित्त सहित मान्यता दी गयी।
- अरबी और फारसी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए राज्य सरकार ने माध्यमिक स्तर तक उनमें से एक विषय की अनिवार्य पढ़ाई का निर्णय लिया। अरबी और फारसी को एक अलग अनिवार्य विषय बनाया गया।
- जिस तरह संस्कृत शिक्षा की पद्धति में प्रथमा, मध्यमा, उप-शास्त्री एवं आचार्य स्तरों के पाठ्यक्रम के लिए क्रमशः 8+2+3+2 वर्षो की अवधि निर्धारित की गयी है, इसी तरह की अवधी, वस्तानियाँ, फोकानियाँ मौलवी, आलिम और फाजिल स्तरों के लिए भी निर्धारित की गयी। इस तरह संस्कृत एवं इस्लामिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों मे समानता लायी गयी और उनमें आधुनिक विषयों का समावेश किया गया।
- विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति या प्रवेश पाने के लिए मदरसा परीक्षा बोर्ड, बिहार द्वारा नये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों एवं डिग्री को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों एवं डिग्री की मान्यता एवं समकक्षता दी गयी। उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं की नियुक्ति एवं अन्य नियुक्तियों में भी मान्यता दी गयी।
- डॉ० मिश्र की सरकार में उर्दू भाषा-भाषी छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक स्तर तक के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें बिहार टेक्सटबुक कॉरपोरेशन से प्रकाशित करने का निर्णय किया गया था, परंतु उसके बाद की सरकारों द्वारा इसे पूरा नही किया जा सका।
- राज्य के 5 लाख से अधिक बुनकर परिवारों का ऋण माफ किया गया। उन्हें करघा एवं सूत उपलब्ध कराया गया और उत्पादित कपड़ों की खरीदारी सरकार द्वारा 15 प्रतिशत अधिक मूल्य पर करने का प्रावधान

किया गया।

- 70 हजार बुनकरों का बीमा कराया गया जिसका रिन्यूअल नहीं हो सका क्योंकि उस सरकार के बाद तत्कालीन राजद सरकार ने अपनी रकम अदा नहीं की।

भ्रष्टाचार नियंत्रण

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नियंत्रण के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की जांच की परिधि में लाने के लिए बिहार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, एवं विधान मंडल के सदस्यों, सरकारी, अर्द्धसरकारी, विश्वविद्यालय एवं सहकारिता के पदाधिकारियों के लिए चल-अचल सम्पत्तियों की घोषणा अनिवार्य।
- बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचरण निवारण अधिनियम 1983 को 1989 से पूरे राज्य में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारी, लोकउद्यम के कर्मचारी, सहकारी समिति, स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा अनुदानित एजेंसियों के कर्मचारियों, ठेकेदारों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्रेताओं, वन उत्पादों की चोरी करने वालों, शराब में मिलावट करने वालों, आय से अधिक सम्पत्ति या वैसी सभी गतिविधियों पर अंकुश रखना था, जो जनहित में नहीं हो। अवैध धन प्रमाणित होने पर उस धन को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया।
- विभिन्न विभागों, विशेषकर कार्य विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि में अनियमित कार्य करने की प्रवृत्तियों में सरकार के कर्मचारी के सहायक होने की प्रवृत्ति को रोकने तथा उससे निबटने के लिए सरकार ने "बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अध्यादेश, 1983" प्रख्यापित किया। इसमें इस प्रकार के अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अथवा उनके पक्ष में पदस्थापन-स्थानांतरण आदि करवाने के लिए गैर सरकारी तंत्र की सहायता लेना दंडनीय अपराध

बनाया गया।

- डॉ० मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के विरुद्ध जांच की नयी प्रक्रिया दिनांक 19 फरवरी, 1983 के संकल्प द्वारा लागू की गयी थी, जो निम्न थी:-

  (क) यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप हो तो विधान सभा के कम-से-कम 33 सदस्य आरोप को विस्तार से एवं उपलब्ध साक्ष्य का वर्णन करते हुए लिख कर तथा हस्ताक्षर कर माननीय अध्यक्ष, बिहार-विधान सभा को दें।

  (ख) माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा में राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की समिति में इन आरोपों पर 15 दिनों में विचार करेंगे और आरोप के प्रथम दृष्टया सिद्ध होने की दशा में मुख्य मंत्री को आरोप पत्र भेजेंगे। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री आरोपों से संबंधित सभी कागजात माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को भेज देंगे।

  (ग) माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के सभी कागजाजों के साथ विधान-सभा में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को समिति में आरोपों के संबंध में विमर्श करेंगे और अगर समिति संतुष्ट हो कि आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध है तो माननीय अध्यक्ष तदनुसार अनुशंसा करेंगे और मख्य मंत्री आगे की कार्रवाई करेंगे।

स्वास्थ्य

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- 80 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास पटना में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 12 फरवरी, 1983 में किया गया।
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 1983 में 650 उप-केन्द्र स्वीकृत किये गये। अतिरिक्त 76 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 50 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 150 रेफरल अस्पतालों की स्थापना की गयी।

- निजी क्षेत्र के श्रीकृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय, गया, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण कर सरकारीकरण किया गया।
- चिकित्सा क्षेत्रों में विशेषज्ञों एवं 331 अतिरिक्त शय्याओं की वृद्धि, कई चिकित्सा महाविद्यालयों की सुव्यवस्था, डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस की बंदी, ट्राँसफ्यूजन और ब्लड बैंक की अधिक व्यवस्था, 15 स्थानों में अस्पताल खोलने की योजना, पटना मेडिकल कॉलेज के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हर 10 हजार आबादी पर एक स्वास्थ्य उप-केन्द्र, कुष्ठ, यक्ष्मा, हैजा-नियंत्रण तथा चेचक उन्मूलन अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में यूनानी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक औषधालयों की स्थापना की योजना आदि में उल्लेखनीय उपलब्धियां हुईं।
- राजकीय अस्पतालों में रोगी के लिए राशि की आपूर्ति की गयी एवं इसके साथ ही मरीज के साथ एक सहायक (अटेंडेंट) को भी 1/-रु० प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान की सुविधाएं प्रदान की गयी।
- 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 30 शैय्या का एक रेफरल अस्पताल खोलने की योजना पर काम शुरू किया गया।
- आर०बी०टी० एस० होमियोपैथी कॉलेज, मुजफ्फरपुर का भी 1981 में ही सरकारीकरण किया गया।
- पटना में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान की स्थापना की गयी।
- डॉ० मिश्र की सरकार में ही विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग में स्थापित किया गया। उसे सशक्त और उपयोग के लिए अधिक सुविधाओं से सम्पन्न किया गया। इस अस्पताल में शारीरिक रूप से अपंग लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। इस अस्पताल को इस रूप से उपयोगी बनाया गया, ताकि चिकित्सा के उपरांत विभिन्न व्यवसायों के प्रति इन्हें प्रशिक्षण दिया जाय, जिससे चिकित्सा और प्रशिक्षण के उपरांत बच्चे कोई स्वतंत्र व्यवसाय और रोजगार ढूंढ़ सके। अतः इस अस्पताल के साथ 'वर्कशाप' की स्थापना के लिए भी प्रथम चरण में 15 लाख रुपये तक की योजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

कृषि/सिंचाई/बिजली

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में कृषि/सिंचाई/बिजली के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- कांटी बिजली उत्पादन केन्द्र की स्थापना एवं बरौनी, पतरातू बिजली प्रतिस्थापन केन्द्र का विस्तारीकरण किया गया।
- वर्ष 1982-83 में पतरातू तथा बरौनी ताप केन्द्रों में 110-110 मेगावाट क्षमता की चार इकाइयां स्थापित की गयीं। इसी दौरान बरौनी में 110-110 मेगावाट की छठी एवं सातवीं ईकाई की भट्ठी भी जलायी गयी थी।
- मुजफ्फरपुर ताप केन्द्र में भी 110-110 मेगावाट की 2 इकाइयों को चालू किया गया।
- तेनुघाट में 210 मेगावाट की दो इकाइयों को चालू किया गया। उसी दौरान भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप में केन्द्रीय प्रक्षेत्र में भागलपुर के निकट कहलगांव में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन को स्वीकार किया था, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट थी। वर्ष 82-83 के दौरान बिजली का जितना उत्पादन हुआ उतना उसके बाद के वर्षो में नहीं हुआ।
- पनबिजली निगम की स्थापना की गयी।
- किसानों के हित में कोसी, गंडक, किऊल, सोन एवं बडुआ विकास प्राधिकार का गठन किया गया।
- प्रत्येक श्रेणी के किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दिया गया,जिससे 2.5 लाख निजी नलकूप लगे। 4 हजार से अधिक राजकीय नलकूप लगाये गये। किसानों को बकाया सिंचाई शुल्क की माफी के साथ ही सिंचाई शुल्क स्थायी रूप से माफ किया गया। 10 एकड़ तक के जोतदारों के लिए बिजली शुल्क माफ किया गया।
- समतल क्षेत्र की ढाई एकड़ तक जमीन वाले किसान और छोटानागपुर तथा संथालपरगना की 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों के यहाँ नवम्बर 1980 तक के बकाये तकावी ऋण को पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया।
- कृषि में संलग्न मजदूरों को न्यूतम मजदूरी दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखंड में एक-एक श्रम निरीक्षक के पदस्थापन के लिए अतिरिक्त 391 पदों का सृजन किया गया।

- उन्नत बीज के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार प्रति क्विंटल प्रमाणित बीज के क्रय पर 40 से 45 करोड़ का अनुदान कृषकों को स्वीकृत किया गया। इस पर से वाणिज्य कर और बाजार फी भी माफ कर दिया गया।
- प्रत्येक श्रेणी के किसानों के लिए सिंचाई कर की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी और सिंचाई कर की बकाया राशि सामूहिक रूप से माफ कर दी गयी।
- जनवरी, 1996 में केन्द्रीय कृषि मंत्री के रूप में बिहार के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं 16 कृषि सम्बंधी विषयों पर शोध प्रतिष्ठानों की स्वीकृति दिलायी।
- ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में राज्य के सभी 727 प्रखंडों को सुनिश्चित रोजगार योजना और 5 लाख आवास निर्माण का प्रत्येक वर्ष इंदिरा आवास योजना के तहत प्रावधान कराया।
- ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भूमि-अधिग्रहण की व्यापक नीति एवं 'कृषि नीति' का उपास्थापन हुआ, जो बाद में एन०डी०ए० सरकार के कार्यकाल में कार्यान्वित हुआ।

<u>गरीबी उन्मूलन/समाज कल्याण/अनु०जाति/जनजाति कल्याण</u>

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में गरीबी उन्मूलन/समाज कल्याण/अनु०जाति/ अनु०जनजाति कल्याण के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- गृहविहीन परिवारों की सूची तैयार कराकर 19 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य गरीब परिवारों में से 11 लाख परिवारों को वासगीत स्वामित्व पर्चे वितरित किये गये। आवास स्थल विहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से 3 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान हुआ।
- केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में इन्होंनें त्रि-सूत्री परिवार कल्याण योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत वृद्धापेंशन, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के प्रमुख की मृत्यु पर 10,000/-रु० अनुकम्पा अनुदान और

गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार के लिए दो बच्चों तक के लिए 500-500/-रु० का अनुदान सम्मिलित था।

- गरीब किसानों को राहत देने के उद्देश्य से महाजनी ऋण की माफी के लिए कानून लागू किया गया और रेहन की जमीन वापसी के लिए अधिनियम बना कर 7 साल के बाद रेहन की जमीन मालिक को स्वत: वापस करने का प्रावधान किया गया।
- 23 लाख वृद्धों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कमजोर एवं गरीब लोगों, विधवाओं एवं बच्चों के लिए मुफ्त सहायता का कानून, 3 लाख युवकों को बेरोजगारी भत्ता तथा अधिनियम बनाकर 80 हजार रिक्शाचालकों के लिए रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित किया गया।
- समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। डॉ० मिश्र की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत उनको राहत देने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि उससे उनकी स्थिति में अपेक्षित उन्नयन नहीं हो सका। इसलिये 35 साल तक की विधवाओं अथवा उनसे विवाह करने वाले 35 वर्ष तक के पुरुषों को सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के छात्रों, दलितों एवं आदिवासी छात्रों को मिल रही छात्रवृत्ति की राशि 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 13.05 करोड़ करने का प्रावधान किया गया और महादलित मुशहर जाति के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चत करने के लिए प्रत्येक छात्र को 30रु० प्रतिमाह भत्ता का भुगतान करने के लिए 9 करोड़ राशि का वार्षिक प्रावधान किया गया।
- आदिवासी बहुल 111 प्रखंडों में जनजाति उपयोजना चालू की गयी। अनुसूचित जाति के लिए दलित अंगीभूत योजना प्रारंभ हुई। इसके अन्तर्गत कुल योजना उद्व्यय का 24 प्रतिशत जनजाति उप-योजना एवं अंगीभूत योजना के लिए कर्णांकित करने का प्रावधान हुआ।
- अत्यन्त पिछड़ी जातियों के छात्रों को, दलित जाति के छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का प्रावधान किया गया।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये प्रखंड एवं जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय के साथ-साथ प्रत्येक प्रखंड में कम से कम चार माध्यमिक विद्यालय और उसमें बालिकाओं के लिए एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी। उसी क्रम में 150 प्रोजेक्ट हाई स्कूल स्थापित किये गये।
- सहकारिता के सभी निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया एवं सभी स्तरों की प्रबंध समितियों में इन समूहों के लिए स्थान आरक्षित किये गये।
- विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में देश के स्तर पर पहली बार अनुसूचित जातिएवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
- आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहली बार आरक्षण आयुक्त का पद सृजित हुआ।
- आरक्षण नीति में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्ग के जो लड़के योग्यता के अधिमान में आयेंगे उनकी गणना आरक्षित कोटे में नहीं होगी। इससे सेवा में पिछड़े वर्गो की संख्या बढ़ी।
- 45000 चौकिदारों को चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों का दर्जा प्रदान कर उन्हें अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति ही वास्तविक वेतन, पेंशन एवं अन्य सुविधाएं दी गईं। इसके पूर्व समाज के निम्नतम एवं निर्धन वर्गो से आनेवाले चौकीदारों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से डॉ० भीम राव अम्बेदकर द्वारा 1928 एवं 1937 में मुम्बई विधान सभा में विधेयक लाया गया था, परन्तु दुर्भाग्य से दोनों बार पारित नहीं हो सका था। जबकि उन्होंने बिहार के चौकीदारों के बारे में मार्मिक ढंग से वर्णन किया था, जो वक्तव्य अक्षरश: सही और सटीक रही है।
- सहकारी प्रबंध-समितियों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए दो तथा लघु अथवा सीमान्त कृषक के लिए तीन स्थानों के आरक्षण के अध्यादेश ने सामाजिक न्याय की समानता को नयी गति दी।
- भू-हदबन्दी के तहत 3,00,000 एकड़ भूमि की प्राप्ति हुई और उसमें से लगभग डेढ़ लाख एकड़ जमीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं

भूमिहीन परिवारों के बीच वितरित की गयी।

- समाज के कमजोर वर्ग के हित में रिक्शाचालकों को शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से विशेष अध्यादेश जारी करके एवं राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से ऋण की व्यवस्था कर जून, 1976 में सर्वप्रथम पटना में रिक्शा चालकों को रिक्शा का स्वामित्व प्रदान करने की शुरुआत की गयी। इस क्रम में 80 हजार रिक्शाचालकों को रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।
- अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण के लिए उनकी शिक्षा संबंधी सुविधाएं काफी बढ़ा दी गयीं। उनके लिए अनुमान्य छात्रवृत्ति की संख्या दुगुनी कर दी गयी और आवासीय विद्यालयों में भोजन, वस्त्र आदि के मद में अनुदान की राशि काफी बढ़ा दी गयी। 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य सभी सुविधाओं के अतिरिक्त 15रु० प्रतिमाह की दर से वर्ष 1981 से प्रेरणा भत्ता भी दिया जाना शुरू किया गया।
- राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को दिये जानेवाले 50रु० प्रतिमाह के सांकेतिक भत्ता को बढ़ाकर 100रु०कर दिया गया।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 30रु० मासिक से बढ़ाकर 60रु० की गई एवं तत्परता से कार्यान्वयन के लिए पृथक् निदेशालय का गठन किया गया। इसके फलस्वरूप 18 लाख व्यक्तियों को लाभ मिला।
- पंचायती राज व्यवस्था में दलित और अत्यन्त पिछड़ी जातियों के मनोनयन की व्यवस्था कर उनकी सहभागिता स्थापित की गयी।
- बड़े व्यास के कुओं की एक करोड़ की योजना में 5 एकड़ से कम जोत वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को एक सीमा तक वास्तविक व्यय का शत्-प्रतिशत् अनुदान देने का निर्णय लिया गया।
- अनुसूचित जाति बहुल 111 प्रखंडों में अलग से स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- बिचौलियों द्वारा लगातार आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए वन-पदार्थो की बिक्री के लिए पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर 'वन विकास निगम' की स्थापना की गयी, जिसके माध्यम से सीधे आदिवासियों से वन्य पदार्थो की खरीद की जाने लगी। जिससे आदिवासियों की आय में

उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण छोटानागपुर क्षेत्रों में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन कब्जा करने की घटनाएं लगातार प्रतिवेदित होती रहीं। जिसके लिए अभियान चलाकर आदिवासियों की जमीन वापसी की व्यवस्था की गयी।

- छोटानागपुर में 70 के दशक में स्थापित छोटानागपुर विकास प्राधिकार कार्य करने में सफल नहीं हो पा रहा था। इसलिये इसे अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिए इस प्राधिकार को तीन भागों में बांटा गया– 'संथालपरगना प्राधिकार', 'उत्तर छोटानागपुर प्राधिकार' एवं 'दक्षिण छोटानागपुर प्राधिकार–। इन प्राधिकारों को पूर्ण स्वायत्तता देते हुए उन्हें उस क्षेत्र की सभी योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्यवन का कर्त्तव्य सौंपा गया।
- छोटानागपुर प्रमंडल में चलाये जा रहे सभी स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन एवं प्रशासनिक देखभाल के लिए रांची स्थित मुख्यालय में एक लघु सचिवालय की स्थापना करते हुए उसे प्राधिकार से सम्बन्धित सभी मामलों की देखभाल के लिये प्राधिकृत किया गया।
- डॉ० मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में ही रांची, सिमडेगा, पं०सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू जिले के साथ–साथ गोड्डा, देवघर और साहेबगंज जिलों का निर्माण किया गया।
- 15 नवम्बर, 2000 को बिहार से अलग किये जाने के बाद झारखंड में जामताड़ा, लातेहार जैसे कुछ ही जिलों को बनाना झारखंड सरकार द्वारा रह गया, क्योंकि डॉ० मिश्र के मुख्यमत्रित्व काल में 1990 में ही उपर्युक्त उल्लिखित जिलों का गठन किया जा चुका था। स्पष्ट है कि डॉ० मिश्र की दूर दृष्टि ने झारखंड की विकासात्मक और प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ही सार्थक कदम उठाये थे।
- डॉ० मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में सुल्तानगंज और देवघर के मध्य 8 विश्रामागार बनाये गये जिनका उपयोग सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने वाले पैदल काँवर लेकर जानेवाले यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए। इसी दूरी के लगभग 120 कि०मी० की कंटीली, पथरीले मार्ग को भी काँवरियों के लिए सुखद बनाया गया।

श्रम एवं नियोजन

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गयी।
- कृषि में संलग्न मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के उद्देश्य से डॉ०मिश्र की सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में एक-एक श्रम निरीक्षक के पदस्थापन के लिए अतिरिक्त 391 पदों का सृजन किया।
- शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार में लगने के अधिक मौके दिलाने के लिए कारगर कदम उठाये गये। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से इन्हें सहायता दिलाने के निमित्त 10 से 15 प्रतिशत तक 'सीड मनी' के रूप में सरकारी साहाय्य की व्यवस्था की गयी।
- शिक्षित बेरोजगारों को अनियोजन सांकेतिक भत्ता देने का निर्णय लिया गया। यह योजना 1 अक्टूबर, 1981 पूरे राज्य में लागू की गयी।
- राज्य से प्रखंड स्तर तक कृषि मजदूरी तय करने के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में सुधार किया गया।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पूर्व में 30 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुमान्य थी। 1980-81 में 23 लाख लोगों को इस कार्यक्रम के अतंर्गत आच्छदित किया गया। एक अभियान के द्वारा इस स्कीम के जरिये पेंशन के योग्य सभी लागों को आच्छादित किया गया और पेंशन की राशि 30 से बढ़ाकर साठ रुपये प्रतिमाह कर दी गयी।
- वर्ष 1980-81 से दो लाख शिक्षित बेरोजगारों को जो पचास रुपये प्रतिमाह की दर से सांकेतिक भत्ता दिया जा रहा था उसे बढ़ाकर पचास रुपये के बदले एक सौ रुपये प्रतिमाह स्वीकृत की गयी ओर दो लाख के बदले तीन लाख पढ़े-लिखे बेरोजगारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया गया।
- पढ़े-लिखे बेरोजगारो के लिए निजी व्यवसाय के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको से पच्चीस हजार रुपये तक का कर्ज अनुमान्य है। ऐसे बेरोजगार युवकों को, जिन्हें बैंकों से 25,000/-रुपये तक का कर्ज मिलता था, उन्हें एक हजार

से पाँच हजार तक विशेष अनुदान स्वीकृत किये गये।

- सीमान्त लघु किसानों एवं भूमिहीनों के लिए कार्यरत दुर्घटना सहायता स्कीम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अप्राकृतिक किसी प्रकार की मृत्यु के आश्रित परिवार को दो हजार के बदले दस हजार रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायगा।

<u>उद्योग</u>

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में उद्योग के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- औद्योगिक विकास के लिए नवम्बर, 1980 में एक व्यापक औद्योगिक नीति घोषित की गयी। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बोकारो, आदित्यपुर एवं रांची विकास प्राधिकारों तथा 37 औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना की गयी।
- पंडौल, सिवान, रांची एवं भागलपुर में सूत मिलों की स्थापना की गयी।
- राज्य में दुग्ध उत्पादन केन्द्र एवं दूध डेयरी प्रतिष्ठान की स्थापना की गयी जो आज सुधा डेयरी के नाम से विख्यात है। इसके लिए श्वेत क्रांति के जनक डॉ० वर्गीज कुरियन को गुजरात से आमंत्रित कर उनसे योजना का प्रारूप और मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्य आरंभ कराया गया।
- दरभंगा में औद्योगिक विकास प्राधिकार की स्थापना। मधुबनी जिले के पंडौल में 300 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया गया।
- उद्योगों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं तथा भूमि, जल विद्युत आदि की उपलब्धि के सम्बन्ध में एक ही स्तर पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था की गयी। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर इन मुद्दों पर निर्णय लेने की व्यवस्था की गयी।
- राज्य के हित में भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया कि बिहार के औद्योगिक उत्पाद जो अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं, उन उत्पादों से बिहार को ट्रांसफर ऑफ स्टाक के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। अत: केन्द्र सरकार में मांग की गयी कि राज्य सरकार को "कन्साइनमेंट टैक्स" लगाने का अधिकार दिया जाय।

- बिहार को आर्थिक संपन्नता के लिए 1981 में खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर ही **'सेस' (Cess)** लगाने का अधिनियम पारित किया गया, जिससे बिहार की आमदनी बढ़कर 30 करोड़ से 500-600 करोड़ होने लगी।

<u>पथ/रेलमार्ग</u>

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में पथ/रेलमार्ग के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- पुल निर्माण निगम की स्थापना की गयी।
- अप्रैल 1982 से लोक-निर्माण विभाग को विभाजित कर पथ निर्माण विभाग का पृथक सृजन किया गया।
- आरा-बक्सर, मुजफ्फरपुर, सोनपुर-छपरा, सीवान-गुठनी, पूर्णिया-मुरलीगंज, सहरसा एवं महेशखूंट, पनसलवा-सोनबरसा राजपथ विस्तृत और सुदृढ़ किये गये। डूमरी घाट पर पीपापुल, रांची-चाईबासा पथ पर रेल का ऊपरी पुल तथा दामोदर, सिकरहना और दक्षिण कोयल नदियों पर उच्चस्तरीय पुल, समस्तीपुर, बेगूसराय का रेलवे पुल और बक्सर का गंगापुल के निर्माण की दिशा में संतोषजनक प्रगति हुई। पुल-निर्माण निगम की स्थापना ने काम को आगे बढ़ाया।
- 590 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय उच्च पथों को चौड़ा और मजबूत करने का निर्णय।
- 11 नवम्बर, 1981 को डाल्टेनगंज के निकट उत्तर कोयल नदी पुल निमार्ण कार्य पूरा कर यातायात के लिए खोल दिया गया।
- 1970 में प्रारंभ किये गये पटना के गंगा सेतु के निमार्ण के लिए राज्य-योजना के अन्तर्गत विशेष धन आवंटित कर पुल निर्माण कार्य पूरा कराया गया, तदुपरांत इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 2 मई, 1982 में किया गया। पुल को दो लेन से परिवर्तित कर चार लेन करने का निर्णय लिया गया। आधुनिक बिहार की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

विधि-व्यवस्था

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में विधि-व्यवस्था के क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां निम्नांकित है:-

- विधि-व्यवस्था को सुदृढ़, ठोस एवं प्रभावकारी बनाने के लिए प्रशासन की बागडोर संभालने के बाद राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये।
- 150 नये थानों की स्थापना एवं 150 सहायक थानों के पूर्ण थाना के रूप में उत्क्रमण को कार्यरूप दिया गया। कुल 70 नये अंचलों का सृजन किया गया।
- प्रमुख शहरों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये।
- पुलिस कर्मियों की व्यवस्था में तीव्रता लायी गयी।
- अनुसूचित जातियों पर अत्याचार से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णियां तथा हजारीबाग में विशेष न्यायालय की स्थापना की गयी।
- देश में पहली बार भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा से उत्पीड़ित परिवारों के लिए एक-एक लाख रुपया मुआवजे का भुगतान कराकर जांच के लिए न्याय आयोग का गठन किया गया।
- जमशेदपुर में साम्प्रादायिक दंगे के पूर्व जितेन्द्र ना० आयोग के प्रतिवेदन को इनकी सरकार ने कार्यान्वित किया।
- बिहारशरीफ दंगे के बाद 2 बैटेलियन बी०एम०पी० का गठन एन्टी राइट फोर्स के रूप में किया गया, जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण अनु० जाति/जनजाति के लिए किया गया।
- दंगे से प्रभावित अल्पसंख्यक कैम्पों में अलग से-अलग पुलिस टुकड़ियां भेजकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराया गया, जिससे लगभग 1000 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ।
- अपराध रोकने के लिए विशेष क्राइम कंट्रोल नियम पारित किया गया।
- बिहार की काराओं में विचाराधीन कैदियों की स्थिति का अध्ययन कराया और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गयी।

विविध कार्य

डॉ० मिश्र के कार्यकाल में ठोस विविध उपलब्धियां निम्नांकित रही है:-

- मुख्यमंत्रित्व काल में प्रतिदिन 'जनता दरबार' लगाकर आमलोगों की शिकायतों को सुनने की परम्परा शुरू की गयी। सप्ताह में 6 दिन जनता दरबार चलाया जाता था। जनता के सारे आवेदन-पत्र डॉ० मिश्र स्वयं देखा करते थे। इसके चलते रात के दो-तीन भी बज जाते थे। जिसकी परवाह नहीं करते थे। अगले सुबह ही उन आवेदनों पर कार्रवाई की जाती थी।
- कमजोर वर्ग के लिए विधिक सहायता अधिनियम बनाया गया।
- 1980 में सम्पूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गयी।
- इनकी सरकार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में नगर निगम की स्थापना की गयी।
- पर्यटन निगम की स्थापना की गयी।
- देश में पहली बार विधायक विकास फंड की शुरुआत की गयी।
- इनके शासनकाल में ही विधायकों की अनुशंसा पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिये प्रत्येक वर्ष 3 लाख रुपये की राशि, प्रत्येक पंचायत के लिये 5 चापाकल और प्रत्येक वर्ष 5 कि०मी० ग्रामीण सड़क के निर्माण की स्वीकृति का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 1976 में पहली बार बिहार में विधायक पेंशन योजना अधिनियम द्वारा लागू किया गया।
- 1962 से मृतप्राय जिला बोर्ड को पुनः संगठित कर जीवन्त किया गया उसमें विशेषता यह थी कि सरकार की ओर से 10 अत्यन्त पिछड़ा दलित आदिवासी सदस्यों का मनोनयन किया गया।
- 1978 में श्री कर्पूरी ठाकुर के कायकाल में पंचायत स्तर तक चुनाव सम्पन्न हुआ था। डॉ० मिश्र के कार्यकाल में प्रखंड और जिला स्तरो पर चुनाव सम्पन्न कराया गया।
- नये जिला परिषद् अधिनियम के अनुसार छोटानागपुर में जिला परिषदों का कार्यान्वयन हुआ था तथा शेष बिहार में जिला परिषदों एवं प्रखंड स्तरीय चुनाव कराकर 14 नवम्बर, 1980 को सम्पूर्ण बिहार में जिला परिषद् का शुभारंभ किया गया, जिसमें विशेष रूप से दलित और पिछड़ों का

आरक्षण किया गया। उसी समय जिला परिषदों को वित्तीय शक्तियों से लैस किया गया और वह जिला परिषद् पूरे 5 साल की अवधि पूरी कर सकी।

- इनके समय में ही निर्णय लिये गये कि जो सड़कें राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित नहीं है, शेष सड़कों के लिए निजी बस चलाने के लिए अनुज्ञा-पत्र की प्रणाली समाप्त कर दी जाय। शिक्षित बेरोजगार (मैट्रिक से ऊपर) का कोई व्यक्ति या ऐसे लोगों की सहकारी समितियाँ, जों भी जितनी बस चलाना चाहे, के लिए बसों के पंजीकरण के बाद बस चलाने की अनुमति की छूट दी गयी।
- केन्द्रीय चालित योजना के अन्तर्गत सभी पंचायतों में क्रीड़ा-केन्द्र खोलने की योजना चलायी गयी। इसमें प्रत्येक पंचायत में क्रीड़ा-केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

यह क्रीड़ा-केन्द्र पंचायत में किसी उपयुक्त स्थान पर रहेगा जिसके लिए उच्च विद्यालय तथा मध्य विद्यालय विशेष तौर पर उपयुक्त होंगे। इस क्रीड़ा-केन्द्र पर 1200/-रु० खर्च होने का अनुमान लगाया गया जिसमें से 600 रु० भारत सरकार से उपलब्ध होंगे। डॉ० मिश्र की सरकार की मंशा रही कि क्रीड़ा-केन्द्र सभी 11,000 पंचायतों में कायम कर दिये जायँ।

उपर्युक्त कार्यो के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सोच, लिये गये निर्णय एवं किये गये कार्यो से सम्बन्धित कुछ मुख्य शीर्षक नीचे दर्शायी जा रही है जिनकी विस्तृत जानकारी सद्यः प्रकाशित पुस्तक में मिलेगी:-

1. छात्रवृत्तियों में वृद्धि, 2., आवासीय मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना एवं बुक बैंक। 3. हिन्दी के विकास के लिए हिन्दीतर भाषियों का सम्मान, 4. विभिन्न विषयों और विधाओं की पुस्तकों पर पुरस्कार।, 5.उर्दू समाचार पत्रों का उन्नयन। 6. निगरानी विभाग का पुनर्गठन। 7. कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 8. विशेष जिला ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम। 9. नया 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कराना। 10. गृह-स्थल एवं आवास। 11. बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम। 12. अनुसूचित जातियों के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानें। 13. अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा आर्थिक सहायता। 14. दहेज प्रथा पर प्रहार। 15. स्व-नियोजन योजना। 16. कृषक-दुर्घटना साहाय्य-योजना। 17. अनियोजित भत्ता। 18. बिक्री कर की छूट, सेट ऑफ। 19. पुराने एवं बीमार

उद्योगों की पुनर्स्थापना एवं उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि। 20. हस्तकरघा एवं छोटे उद्योग। 21. उत्पादन के लिए उत्प्रेरणा। 22. लोक उद्यम पुन:स्थापन। 23. पंचायत समितियों को अपने क्षेत्र में विकास के लिये अनुदान। 24. प्रशासनिक पुनर्गठन। 25. प्रखंड पुनर्गठन आयोग। 26 अवर सेवा चयन पर्षद् का गठन 27. विकेन्द्रीकृत योजना प्रणाली। 28. नियुक्ति में आरक्षण। 29. न्यूनतम मजदूरी। 30.पत्रकार पेंशन योजना। 31. अधिवक्ता कल्याण कोष। 32. साहूकार अधिनियम का कार्यान्वयन।33. सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान। 34.ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं ग्राम्य अभियंत्रण संगठन। 35. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 36.राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम। 37. भूमि सुधार, भू-सर्वेक्षण, भ-हदबंदी. बटाईदारी से संबधित कार्यक्रम। 38. आदिवासियों की हड़पी गई जमीन की वापसी। 39. साहूकार ऋण-मुक्ति कार्यक्रम। 40. राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण। 41.बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं। 42.भू-अर्जन एवं पुनर्वास। 43.भिक्षुक गृह की स्थापना। 44.ठेका मजदूर उन्मूलन। 45. प्रवासी मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना। 46.नियोजन गारंटी योजना। 47. श्रमिक सहभागिता योजना। 48.हस्तकरघा एवं छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन। 49.गोबर गैस एवं बायो-गैस कार्यक्रम। 50.दलहन विकास, तेलहन विकास एवं सब्जी विकास कार्यक्रम। 51.महिला पॉलीटेकनिक की स्थापना। 52.हरिजन एवं आदिवासी छात्रों के लिए प्री-कोचिंग की सुविधा। 53.महिला औद्योगिक विद्यालय की स्थापना। 54.अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन। 55.बैंकिग सेवाओं में विस्तार। 56.ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय का निर्माण तथा 57.भंगी मुक्ति अभियान।

डॉ० मिश्र ने उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त और भी अनेक कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक समरसता के हित में चलाए। ऊपर उनके द्वारा किये गये कार्यो का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा मात्र ही दिया गया है। इनमें राज्य हित में इससे भी अधिक करने की आकांक्षा थी, लालसा थी तथा सचमुच ये बहुत कुछ करना चाहते थे, परन्तु अपनी सरकार के स्थायित्व के अभाव में सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नही हो पाये।

❐

तर्पण

पं० रविनन्दन मिश्र
(27 अप्रैल 1885-10 मई 1951)

यश: शेष पं. रविनन्दन मिश्र समस्त कोसी क्षेत्र के वरद पुत्र थे। उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में जन्म एवं पालन-पोषण होने के बावजूद उन्हें सामन्ती प्रवृत्ति छू तक नहीं सकी थी। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सहज, सरल एवं निर्मल था।

पं० रविनन्दन मिश्र का जन्म सुपौल जिला के बलुआ बाजार में 27 अप्रैल, 1885 को हुआ था। उनके पिता स्व० पं० रमानाथ मिश्र संस्कृत के प्रख्यात विद्वान, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और धर्माचरण में ही उनका अधिक समय व्यतीत होता था। अत: भूधारी रहते हुए भी कोसी अंचल के समाज और लोगों के साथ सदैव उनका सौहार्द्रपूर्ण संबंध रहा। पं० रविनन्दन मिश्र के व्यक्तित्व पर इस आचार-विचार का गहरा प्रभाव पड़ा। वे कोसी अंचल के लोगों के सुख-दु:ख के साथ आत्मीयता से जुड़ गए। पं० रविनन्दन मिश्र एक जागरूक तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे कोसी के इस ताण्डव से उस क्षेत्र को निजात दिलाने के उपायों पर सोचते, क्षेत्र के विकास पर विचार करते। वे रेल लाइन से उस क्षेत्र को जोड़ने की कामना करते। चिन्तन के इसी क्रम में उनकी कामना इस क्षेत्र के उद्धार के लिए किसी ऐसे सक्रिय सामर्थ्यवान सपूत की होती जो इस विनाश लीला से कोसी क्षेत्र के आमलोगों को निजात दिला सके। ईश्वर ने शुद्ध मन की उस कामना को सुन लिया और उन्हें ही पुत्र रूप में ऐसे रत्न दिए जिससे कोसी अंचल के लोगों के सपने को पंख लग गये। कोसी के जल प्रवाह के स्थान पर विकास की धारा प्रवाहित होने लगी।

वह स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। महामना गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना को स्वरूप दे रहे थे। तिलक

ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ''स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है'' का मंत्रोच्चार कर बिगुल फूंक दिया था। उन्हीं के प्रभाव में अफ्रिका से लौटने पर महात्मा गाँधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबल और गतिशील नेतृत्व प्रदान किया। भारत की जनता में नयी उम्मीद जगी थी। राष्ट्रीयता के अग्रदूतों के इन उच्चादर्शों से प्रभावित हो पं॰ रविनन्दन मिश्र भी फिरंगियों की नजर और जोखिम झेलते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में जुटे राष्ट्र सेवियों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहयोग दे रहे थे। इसी राष्ट्रीय और पारिवारिक पृष्ठभूमि में पं॰ रविनन्दन बाबू के भ्रातृ पुत्र पं. राजेन्द्र मिश्र, महात्मा गाँधी के आह्वान पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की अपनी पढ़ाई को तिलांजलि देकर 1920 में राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े। यह वह समय था, जब महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा था। राजा बाबू सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। पं॰ रविनन्दन बाबू की राष्ट्रभक्ति और राजा बाबू की राजनैतिक सक्रियता के प्रभाव में बलुआ तथा बसानपट्टी के मिश्र परिवार के अनेक लोग स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। राजा बाबू को कई बार जेल जाना पड़ा। पूरे परिवार को पुलिसिया दमनात्मक कार्रवाई को सहन करना पड़ा। इनके परिवार के 11 (ग्यारह) सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में जेल और अन्य यातनाएँ झेलीं। उनमें उनके कनिष्ठ भ्राता पं॰ लक्ष्मीकान्त मिश्र अग्रणी थे।

पं॰ रविनन्दन मिश्र के पाँच पुत्रों (श्री ललित बाबू, श्री कमल नारायण मिश्र, श्री श्याम नारायण मिश्र, श्री मृत्युंजय नारायण मिश्र एवं डॉ. जगन्नाथ मिश्र) में विशेष रूप से सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री ललित नारायण मिश्र (जिनका जन्म 2 फरवरी, 1922 को हुआ था) ने अपने ज्ञान, गुण, राजनैतिक सक्रियता और सामर्थ्य के बल पर कोसी-क्षेत्र के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। पं. रविनन्दन मिश्र की सामाजिक चेतना का प्रभाव उनके समस्त परिवार पर प्रचुर पड़ा। अतः पं. मिश्र के अन्य पुत्रों ने भी अपने-अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के प्रभाव से उस क्षेत्र के उत्थान में अहम भूमिका निभायी।

पं॰ रविनन्दन मिश्र के ज्येष्ठ पुत्र ललित नारायण मिश्र पिता के प्रभाव में राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने छात्र जीवन से ही लगकर सक्रिय हो गए। पं॰ रविनन्दन बाबू पर प्रकारान्तर से अंग्रेजी सरकार का दबाव पड़ने लगा, परंतु राष्ट्रीय भावना के आगे पं॰ रविनन्दन बाबू प्रशासन के सामने नहीं झुके। उन्होंने

किसी भी स्तर पर अंग्रेजी प्रशासन से समझौता नहीं किया। 1942 की क्रान्ति में छात्र नेता के रूप में ललित नारायण मिश्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन की आँखों में खटकने लगे। स्वतंत्रता आन्दोलन में बिना किसी दबाव के सक्रिय भूमिका निभाते रहे। अंततः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पाँच वर्षों के कठिन कारावास की सजा दे दी। पिता पं० रविनन्दन बाबू को सूचना मिली कि ललित बाबू को जेल में यातना दी जा रही है। यह भी सुझाव दिया गया कि यदि पं० रविनन्दन बाबू माफीनामा दे दें, तो ललित बाबू की सजा कम करते हुए उन्हें छोड़ा जा सकता है। किन्तु पं० रविनन्दन बाबू ने देखा कि इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर आँच आयेगी और स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल गिरेगा। अतः पं० रविनन्दन बाबू ने माफीनामा देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर भारत माँ के अनेक सपूत कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मेरा बेटा शहीद भी हो जाता है, तो भी, वो माफीनामा नहीं देंगे।

ललित बाबू को राजनीति में सक्रिय रखकर कोसी अंचल की सेवा कराना उनका मुख्य उद्देश्य था। ललित बाबू जब एम.ए. अर्थशास्त्र में उच्च प्राप्तांक से उत्तीर्ण हुए, तो उन्हें तत्काल टी.एन.बी. कॉलेज भागलपुर में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति मिल गयी। लेकिन पं० रविनन्दन बाबू ने उन्हें नौकरी में जाने से मना कर दिया। उसी तरह जब 1950 में ललित बाबू का मनोनयन अंतरिम संसद् में नहीं हुआ तो श्री बाबू (तत्कालीन मुख्यमंत्री) ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू से कहकर उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र में करवा दी। उनके पिता ने पुनः ललित बाबू को अमेरिका जाने से मना कर दिया। उनके पिता की उनसे अपेक्षा थी। वे चाहते थे कि ललित बाबू स्वदेश की सेवा करें। ललित बाबू की प्रतिभा और कर्तव्यनिष्ठा से पिता अभिभूत रहा करते थे।

1942 की अगस्त क्रान्ति में लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी गिरफ्तार हुए। 3 नवम्बर, 1942 को वे हजारीबाग जेल तोड़कर निकल गए। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए वे नेपाल स्थित हनुमान नगर की ओर बढ़ रहे थे। इसी क्रम में एक रात स्व० रविनन्दन बाबू के पुश्तैनी घर बसानपट्टी में उन्होंने आश्रय लिया। वहीं एक रात जयप्रकाशजी ने विश्राम किया। पर अंग्रेजी हुकूमत को इसकी भनक लग गयी। जयप्रकाश नारायणजी वहाँ से निकलने में सफल हो गए, लेकिन पं० रविनन्दन बाबू के पूरे परिवार को अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा और इसका भारी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। सूचना

मिलते ही बड़े पैमाने पर बलुचिस्तानी पुलिस द्वारा रविनन्दन बाबू के पूरे घर को घेर लिया गया। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उपस्थित लोगों की पिटाई की, घर जला डाला और भारी आर्थिक क्षति पहुँचायी।

इस प्रकार बलुआ–बसानपट्टी के मिश्र परिवार ने राष्ट्रीय आन्दोलन में विभिन्न स्तरों पर अपनी सक्रियता प्रदर्शित की और कोसी अंचल में ऐसा वातावरण बना कि महात्मा गांधी, पं॰ जवाहर लाल नेहरू, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह, डॉ॰ अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनके परिवार से कांग्रेस के सभी नेताओं का सम्पर्क बना और कांग्रेस के नेता उनके यहाँ आते–जाते रहे। किसान नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने भी अनेक अवसरों पर और अपने कार्यक्रमों में पं॰ रविनन्दन बाबू के परिवार का समर्थन और सहयोग प्राप्त किया। इस प्रकार अपनी राजनैतिक सहभागिता और स्वतंत्रता आन्दोलन में निभाई गई सक्रियता के आधार पर कालान्तर में परिस्थितियाँ ऐसी बनीं, जिनके फलस्वरुप पं. राजेन्द्र मिश्र(राजा बाबू)1926 में इंडिया एक्ट 1919 के तहत गठित प्रथम बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। स्व. पं. राजेन्द्र मिश्र (राजा बाबू) का जन्म सन् 1897 में सहरसा जिलान्तर्गत ग्राम–पो. बलुआ बाजार में हुआ था। उनके पिता स्व. तोफालाल मिश्र जमींदार थे। स्व. मिश्र की शैक्षणिक योग्यता अंतरस्नातक तक थी। स्व. मिश्र महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनका प्रमुख कार्यक्रम अछूतोद्धार था, जिस कारण वे अपने साथ दो हरिजन को रखते थे एवं उन्हीं का बनाया हुआ खाना खाते थे। इसके चलते उन्हें परिवारवालों ने बहिष्कृत कर दिया ओर वे घर छोड़कर भवानीपुर कामत पर रहने लगे। स्व. मिश्र ने कामत की चालीस बीघा जमीन बेचकर स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दिया।

स्व. मिश्र सन् 1924 से सन् 1927 तक बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद् के सदस्य, फिर सन् 1937 तक बिहार विधान सभा के सदस्य, पुन:सन् 1947 में और फिर सन् 1937 तक बिहार विधान सभा के सदस्य, पुनः सन् 1947 में और फिर सन् 1962 से 1967 तक राघोपुर से बिहार विधान सभा के सदस्य रहे।

स्व. मिश्र सन् 1954 से 1957 तक सहरसा कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष, सन् 1960 में बिहार कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष एवं सन् 1964 से 1968 तक बिहार कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष रहे थे।

स्व. मिश्र ने कई रचनात्मक कार्यो का निष्पादन कराया था, जिनमें प्रमुख हैं भागलपुर से सहरसा को पृथक जिला बनाना, सदाकत आश्रम का विकास एवं भवन का निर्माण,सहरसा जिला कांग्रेस कार्यालय का निर्माण, सहरसा महाविद्यालय, विनोबा आश्रम तथा सन् 1950 में कोशी सफरर्स एसोसिएशन की स्थापना के साथ कोशी विभीषिका में लोगों को राहत दिलाना। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं से संबद्ध रहकर समाज की सेवा की।

87 वर्ष की आयु में 15 दिसंबर, 1984 को पंडित राजेन्द्र मिश्र का निधन हो गया। स्व. मिश्र के परिवार में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों में पुत्र श्री हरेंद्र नारायण मिश्र, पूर्व मंत्री स्व. ललित नारायण मिश्र एवं डॉ. कपिलेश्वर झा उल्लेखनीय हैं।

पं. रविनन्दन बाबू के परिवार को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि 1926 से लगातार अबतक परिवार के कोई न कोई सदस्य बिहार विधान मंडल और भारतीय संसद के सदस्य बने रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद 1952 में पं. रविनन्दन बाबू के ज्येष्ठ पुत्र ललित नारायण मिश्र लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। पुनः 1957 और 1972 में भी अपनी लोकप्रियता के बल पर ललित बाबू लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ललित बाबू 1964 और 1966 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे पं० जवाहर लाल नेहरू एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी के विश्वासपात्र रहे। वे केन्द्र सरकार में अनेक मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री बने। कांग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहते हुए देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान तो किया ही, साथ ही बिहार एवं मिथिलांचल के विकास की अनेक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित कर अपने राज्य के लिए भी विकास पुरुष के रूप में परिलक्षित हुए। ललित बाबू जब केन्द्रीय रेलमंत्री बने तो उन्होंने उस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने की महती योजना को पूरा कर पिता के दूसरे सपने को भी मूर्त रूप दिया। अनमोल सेवाओं द्वारा विकास का वह अनुकरणीय पथ प्रशस्त किया, जिस पर भविष्य में भी विकास की गाड़ियाँ अबाध गति से दौड़ती रहेंगी।

बिहार के विकास के लिए ललित बाबू इतने कृत संकल्पित थे कि अपने अंतिम अभिभाषण में आत्मविश्वास से यह मंत्र वाक्य उन्होंने कहा **मैं रहूँ या ना रहूँ बिहार आगे बढ़कर रहेगा।** उनका योगदान स्वतंत्रता आन्दोलन एवं बिहार के नव-निर्माण में अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता के बाद से ही ललित बाबू

कोसी को नियंत्रित करने के अपने पिता के सपने को साकार रूप देने की योजना में लग गए। 1947 में ही कोसी पीड़ित लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया। 1952 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत ललित बाबू कोसी पर बराज बनाने के प्रस्ताव पर सामाजिक, राजनैतिक सहयोग जुटाने के अभियान में लग गए। अंतत: 1954 में बाढ़ की विभीषिका को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्रवित हो गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के सहयोग से योजना को स्वीकृति मिली। उन्होंने बिहार की शोक नदी कोसी को नियंत्रित कर उस क्षेत्र को विकास की नई संभावना दी थी। इस प्रकार पं. रविनन्दन बाबू के सपने को साकार रूप मिला। कोसी के प्रकोप से ध्वस्त एवं त्रस्त क्षेत्र के वासियों को विकास की संभावना मिली। इस अंचल को नहर प्रणाली, सड़कें, चिकित्सालय, विद्यालय एवं अन्य अनेक विकास योजनाएँ प्राप्त हुईं जिनके फलस्वरूप इस उजड़े क्षेत्र की जीवन पद्धति ही बदल गयी।

स्वयं संस्कृत के ज्ञाता होते हुए भी स्व. पं. रविनन्दन मिश्र शिक्षा के प्रति आधुनिक दृष्टि रखते थे। वे भारतीय परंपरा एवं संस्कृति के संवाहक के रूप में शिक्षा को देखते थे। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के प्रति सदैव जागरूक एवं सक्रिय रहे। उनका मानना था कि आधुनिकता बोध के साथ यदि पारम्परिक शिक्षा पद्धति अपनायी जाय तो जहाँ शिक्षा का सहजता से स्वाभाविक विस्तार होगा, वहीं भारतीय संस्कृति भी अक्षुण्ण रह सकेगी। इस प्रकार नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा पर वे बल देते थे। भारत की एकता-अखंडता के लिए वे संस्कृत के संरक्षण को आवश्यक मानते थे। नारी शिक्षा के प्रति वे जागरुक थे तथा समग्र रूप से स्त्री-पुरुष दोनों को शिक्षित करने के पक्षधर थे। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप कोसी क्षेत्र में उन्होंने कई विद्यालयों की संस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। वे जहाँ शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए लोगों का उत्साहवर्द्धन करते थे, वहीं दूसरी ओर कई विद्यालयों को आर्थिक सहायता भी प्रदान किया करते थे।

पं० रविनन्दन मिश्रजी के उच्चादर्शों, समाजसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत संस्कारों के फलस्वरूप ही उनके परिवार को ऐसी प्रेरणा मिली, जिसके प्रभाव स्वरूप पं. रविनन्दन मिश्र के द्वितीय पुत्र श्री कमल नारायण मिश्र छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रखर सेनानी के रूप में चर्चित रहे। वे भी लगातार सामाजिक क्षेत्र में 86 वर्ष

की आयु तक कार्य करते रहे। तृतीय पुत्र स्व. श्याम नारायण मिश्र एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ख्याति अर्जित कर बलुआ बाजार पंचायत के लगातार 20 वर्षो तक निर्विरोध मुखिया निर्वाचित होते रहे एवं अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को पोषित, सम्बर्द्धित एवं प्रश्रय प्रदान करते रहे। उनके चतुर्थ पुत्र स्व. मृत्युंजय नारायण मिश्र ने सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिलों में अपने को राजनीतिक, सामाजिक एवं शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप उस क्षेत्र के सांस्कृतिक उत्थान में योगदान दिया। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में अपनी सक्रियता प्रदर्शित की। उन्होंने उस क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दिया था। उसी क्रम में इन तीन जिलों में विधि महाविद्यालय के नहीं रहने से कानून की पढ़ाई में व्यवधान देखा और इन जिलों के युवा वर्गों में कानून की पढ़ाई में अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सहयोग से अपने पिता पं० रविनन्दन मिश्र की स्मृति में उनके नाम से 1973 में श्री मृत्युञ्जय मिश्र ने विधि महाविद्यालय की स्थापना की जिसका 1981 में बिहार सरकार ने अंगीभूतिकरण किया। उनके कनिष्ठ पुत्र डॉ० जगन्नाथ मिश्र (जन्म 24 जून, 1937) भी आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में अपनी सहभागिता निभाते हुए अंततः सामाजिक, राजनैतिक सक्रियता के बल पर 1968 में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विश्वविद्यालय आचार्य हुये। 1972 में बिहार सरकार में मंत्री बने। वे क्रमशः तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दो बार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। दो बार बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, दो बार राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1995 में वे श्री पी०वी०नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केन्द्रीय मंत्री बने। वे भी अपने पिता के उन स्वप्नों को साकार करते हुए सम्पूर्ण बिहार सहित कोसी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित रहे हैं।

पं० रविनन्दन मिश्र के भ्रातृ पुत्र, स्वतंत्रता सेनानी पं० राजेन्द्र मिश्र के सुपुत्र श्री अमरेन्द्र मिश्र, भी चार बार विधायक निर्वाचित हुये तथा दो बार मंत्री पद पर आसीन रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की। पं० रविनन्दन मिश्र के परिवार के पुत्र-पौत्र सहित सभी सदस्य आज देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कीर्ति पताका लहरा रहे हैं। पं० रविनन्दन मिश्र के पौत्र डॉ. संजीव मिश्र (ज्येष्ठ पुत्र डॉ. जगन्नाथ मिश्र) राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन में अध्ययन कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव/वित्तीय

सलाहकार, सी.आर.पी.एफ. एवं एन.एस.जी. के पद पर कार्यरत हैं। राजनैतिक क्षेत्र में उनके दो पौत्र ज्येष्ठ पुत्र स्व॰ ललित नारायण मिश्र के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री विजय कुमार मिश्र विधान पार्षद बने तत्पश्चात लोकसभा के लिये चुने गये तथा पुनः विधायक निर्वाचित हुए। वर्तमान में वे विधान परिषद सदस्य हैं जबकि उनके पुत्र श्री ऋषि मिश्र भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वहीं स्व॰ पं॰ रविनन्दन बाबू के दूसरे पौत्र, डा॰ जगन्नाथ मिश्र के कनिष्ठ पुत्र, श्री नीतीश मिश्र लंदन से भूमंडलीय अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन का अध्ययन करने के बाद 2005 एवं 2010 के विधानसभा चुनाव में झंझारपुर से विजयी हुए और पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मंत्री परिषद के सदस्य रहे। बाद में वे मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के मंत्रिमंडल में भी ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं।

निश्चय ही समस्त मिश्र परिवार की इस राजनैतिक सक्रियता और उपलब्धियों का बीजांकुर स्व॰ पं॰ रविनन्दन मिश्रजी की सामाजिक जागरूकता एवं राष्ट्रीयता के उर्वर हृदयस्थली में ही अंकुरित हुआ था और कालान्तर में गौरवमय स्वरूप ग्रहण किया। शिक्षा, सामाजिकता, राष्ट्रीयता के विचारों और मनोभावों से ओत -प्रोत कोसी क्षेत्र का यह वरद पुत्र कोसी क्षेत्र को समृद्धिशाली स्वरूप देने की कामना को संजोये 10, मई 1951 को 66 वर्ष की आयु में काल के गाल में समा गया। परन्तु उस प्रगतिकामी महामना पं॰ रविनन्दन मिश्र की कामना में इतनी शक्ति थी कि उनके सपने को अनेक उत्तराधिकारियों ने अपने जीवन का संकल्प बना लिया और आज भी वे प्रगति का परचम लहरा रहे हैं।

स्व. पं. रविनन्दन मिश्र ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सपना संजोया था उस कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मील का पत्थर सिद्ध होगा। 2008 में कोसी त्रासदी से उत्पन्न परिस्थिति एवं अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां जो इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती रही उनको ध्यान में रखते हुए डॉ. जगन्नाथ मिश्र निरंतर बिहार सरकार से यह मांग करते रहे कि इस इलाके में स्वास्थ्य सेवा में विस्तार एवं कुशलता लाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने रविनंदन मिश्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इस अस्पताल की स्थापना 1952 में पूर्व रेलमंत्री स्व. ललित नारायण मिश्र ने अपने पिता स्व. रविनंदन मिश्र की स्मृति में की थी।

इसके लिए भूमि और मकान उन्होंने ही दिया था। कालान्तर में राज्य सरकार ने 1976 में उसे छह शय्या वाले राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिया। 1982 में बिहार सरकार ने रेफरल अस्पताल की स्वीकृति दी थी। राजनीतिक कारणों से यह अस्पताल चालू नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र में आबादी का बहुत बड़ा बोझ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी की सरकार ने उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा प्रदान कर इस क्षेत्र की बड़ी सेवा की है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस नये केन्द्र में अब कुल 41 पदों की संख्या होगी। जिसमें चिकित्सक (जेनरल) सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग, मूर्च्छक, दंत चिकित्सक सहित 2 सामान्य चिकित्सक, आयुष चि.-9, स्टाफ नर्स-10, फर्मासिस्ट (एक आयुष सहित)-2, टेकनीशियन (लैब-2 एवं ओटी-1)-3, रेडियोग्राफर-1, ऑपथालमिक असिस्टेंट-1, काउंसलर स्वा.प्र. -1, निम्न वर्गीय लिपिक (कार्यालय) ले.नि. कार्य के लिए-4, ड्रेसर-1, वार्ड ब्याय-5, अनु.-3, सफाई कर्मी-1 पद होंगे। वर्तमान में भी भवन निर्माण के लिए डॉ. जगन्नाथ मिश्र के द्वारा 2 एकड़ की बेशकीमती भूमि दान में दी गयी है। यही तो पं॰ रविनन्दन बाबू के प्रति उस क्षेत्र के लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है।

स्व॰ पं॰ रविनन्दन मिश्रजी के व्यक्तित्व के लिए यह कथन बिल्कुल चरितार्थ है-

"स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्।
परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते?"

उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक होता है, जिनके जन्म लेने से समाज, वंश समुन्नत होता है। वैसे तो इस परिवर्तनशील संसार में सब को एक दिन इस शरीर का परित्याग तो करना ही पड़ता है। किन्तु पं॰ रविनन्दन बाबू आज भी अपनी कीर्ति काया में जीवित हैं और लगता है जैसे आज भी उस क्षेत्र की समुन्नति की कामना करते रहते हैं। सच ही कहा गया है -

''कीर्तिर्यस्य स जीवति''

❐

मेरी सहधर्मिणी-स्व. श्रीमती वीणा मिश्र

'न जायते म्रियते वा कदाचित्'

वीणा मिश्र भगवान भास्कर के उत्तरायण होने पर माघ शुक्ल पंचमी, सरस्वती पूजा के पुण्य-दिवस (22.01.2018) पर पुण्यश्लोक हो गयीं और देवभूमि हरिद्वार में गंगा के तट पर उनका अन्तिम संस्कार वैदिक विधि से सम्पन्न हुआ। अब तो माँ दुर्गाजी के स्मृति रूप में ही हमारे परिवार में प्रतिष्ठित हैं। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि शुक्ल और कृष्ण दो प्रमुख पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष अर्थात् जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और भूमध्य रेखा के उत्तर में होते हैं, उस छह महीने को उत्तरायण माना जाता है। उस समय जो भी मनुष्य शरीर त्याग करते हैं, उन्हें ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, जो अनन्य चित्त होकर मेरा चिन्तन करता है उसे वह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कम-से-कम अन्तिम समय में मेरा स्मरण और ध्यान करता है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। शरीर त्यागते हुए अन्तिम क्षण में जैसा भाव उसके मन में आता है मनुष्य उसी को प्राप्त करता है। इसलिए अंत समय का भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वीणा जी अन्तिम समय में दो शब्द **''राम और सीता''** किसी तरह लिखकर अपनी बेटी को दी थी। वही उनके अन्तिम शब्द और वाक्य थे। वे संस्कृत के भारतीय स्तर के प्रसिद्ध विद्वान स्व॰ प्रो॰ पं॰ गौरी नाथ मिश्र की पुत्री थीं। चार वर्ष की उम्र में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनका लालन-पालन, भरण-पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण चाचा पं॰ जयनाथ मिश्र के समीप रहकर हुआ। बचपन में उन्हें राष्ट्रकवि दिनकर जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, पं॰ छविनाथ पाण्डेय, श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात तथा जनार्दन झा द्विज ऐसे साहित्यकारों का प्यार मिला। जहाँ से उन्हें साहित्य एवं धार्मिक संस्कार ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान में प्रबल भूमिका के साथ वे मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैंनेजमेंट की संस्थापिका एवं उपाध्यक्षा, भारतीय जन विकास मंच की अध्यक्षा और पटना स्थित ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान तथा बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान में अपनी सक्रियता और कार्यक्रमों में विभिन्न अवसरों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करती रहीं। वे बिहार विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से एम०ए० पास करने के बाद सभी सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता प्रस्तुत करती रहीं। लेकिन, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के बाद भी, उन्होंने कभी राजनीतिक जीवन की इच्छा जाहिर नहीं की। बल्कि महिला सशक्तीकरण और गरीब तबकों तथा अशिक्षित लोगों के लिए निरंतर सहयोग करने में प्रयासरत रहीं। वीणा मिश्र की सोच थी कि महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी तरक्की का परचम लहराये। रक्षा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी नि:संदेह गौरव की बात है, क्योंकि अभीतक महिलाएँ सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही थीं, किन्तु कठिन सेवाओं में उनकी संख्या अल्प थी। पर अब कोई भी क्षेत्र महिलाओं की सेवा से अछूता नहीं रहा है। आज की महिला दहेज के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करती है। दहेज के विरुद्ध शादी के मंडप में फेरों से इन्कार करने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं एवं बाल-विवाह के विरोध में भी लड़कियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की सार्थकता भी दिखाई दे रही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा का स्पष्टीकरण किया गया है। 'सर्व शिक्षा अभियान' ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देकर शिक्षा के स्तर में सुधार दर्शायेगा। अत: हर तरह से महिलाओं को सशक्त किये जाने के प्रयास जारी हैं। किन्तु 21वीं सदी में उन्हें उनके नैसर्गिक अधिकार दिलाना शेष है। अत: इस नयी सदी में यह आशा अवश्य की जानी चाहिए कि हर क्षेत्र में महिलाओं को उनका जायज हक मिले एवं उनका शोषण समाप्त हो। 1977 ई० में कांग्रेस की पराजय के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी और कमलापति त्रिपाठी के सम्पर्क में आयीं। उन्होंने कांग्रेस के भीतर के संघर्षों में निष्पक्ष होकर श्रीमती गाँधीजी को सत्ता में वापस लाने के लिए मेरे साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर संघर्ष किया। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विभिन्न संगठनों के माध्यम

से कांग्रेस व राज्य को शक्ति देने की जनता के स्तर पर निरंतर संघर्ष करती रहीं। वे निष्काम भाव से अपनी सेवा अर्पित करती रहीं।

वीणा मिश्र की सोच थी कि बाल-विवाह, दहेज-प्रथा एवं शराब एक सामाजिक कुरीति ही नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी है। जो लोग बाल-विवाह एवं दहेज लेते पकड़े जायें उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय। **''अगर भगवान को पाना हो तो बाल विवाह एवं दहेज की प्रथा को मिटाना है। भारत की पावन धरती को फिर से स्वर्ग बनाना है।''**

वे मेरी जीवन-यात्रा की अपरिमित शक्ति रहीं और भारतीय आध्यात्मिक धारा की सुप्रसिद्ध मिथिला-संस्कृति के पथ पर ज्ञान-कर्म और भक्ति की साधना आजीवन करती रहीं। हम दोनों का परिवार उन्हीं का अवदान है, उन्हीं की आत्मीयता से प्रदत्त परिवार। मैं सपरिवार दु:खार्त्त एवं संतप्त हूँ। मिथिला संस्कृति, सत्ययुगीन मिथिला के राजा विदेह जनक के गृहस्थाश्रम पर आश्रित साधना-मार्ग पर वेद-वेदांत-उपनिषद् पर ही चलती आ रही है। ये ही विदेह राजा जनक माँ जानकी के पिता जीवनमुक्त थे। हम दोनों भी श्री राम-जानकी की पूजा-अर्चना के साथ पंचदेवोपासना पद्धति पर यथासंभव साधना करते हुए जीवन-यात्रा अनन्य भाव से तय करते आ रहे थे कि मेरी शक्ति, वीणा मिश्र अपने इहलौकिक परिवार में सदेह अब नहीं रहीं। इस प्रकार हमारी आश्रयहीनता जगविदित हो गयी है। लेकिन हमारे मैथिल-मार्ग पर 'मरना' नहीं होता, अपितु आत्मा की यात्रा की अनंतता की प्रतिष्ठित धारणा ज्योतिपुंज पसारती हुई अमरत्व होती हैं। इसलिए 'कीर्तियस्य स जीवति' पर हमारा अटूट भरोसा है और रहेगा भी।

1960 में मेरी नियुक्ति एल॰एस॰ कॉलेज में व्याख्याता (अर्थशास्त्र) के पद पर हो गयी। उन दिनों वीणाजी पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में मैट्रिक की छात्र थीं। स्त्री शिक्षा से उन दिनों परहेज करना ही सम्मानजनक माना जाता था और यही परहेज व्यापक था- खास कर मिथिला में, तो यह परहेज रखना धर्माचरण जैसा था। लेकिन उच्च शिक्षा के आचार्य की संगिनी होने के कारण गृहस्थ जीवन को भलीभांति चलाती रहने की व्यस्तता से संघर्ष करती हुई वीणाजी ऊँची-से-ऊँची शिक्षा की डिग्री भी प्रशंसनीय लब्धांक के साथ ले चुकीं।

वीणाजी इकलौती पुत्रीं थीं और चाचा एवं चाची ने नि:संतान होने के कारण उन्हें ही अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन कभी वीणाजी को ऐसा नहीं लगा कि उनके चाचा उनके पिता नहीं हैं और चाची उनकी माँ नहीं हैं। जबकि वीणाजी की अपनी माँ भी अपनी इकलौती बेटी से कभी अलग नहीं हुई थीं। ऐसी परिस्थिति में भी वीणाजी के साथ विवाह होना मेरे लिए एक विरल अवसर था कि उनको बराबर प्रसन्न ही रखा जाय। मन ही मन मैंने इसकी प्रतिज्ञा भी कर ली थी और आज पा रहा हूँ कि इस बिन्दु पर मेरे हृदय में कुछ विशेष शक्ति से प्यार करने की शुद्ध भावना आ गयी थी।

यद्यपि पं॰ जयनाथ मिश्रजी का निवास स्थान अभी राजेन्द्र नगर के दिनकर चौक के पास ही है और बचपन में पं॰ जयनाथ मिश्रजी के यहाँ समय-समय पर साहित्यकारों का जमावड़ा लग जाता था, तथापि मैंने पाया कि मेरी धर्मपत्नी स्वयं शुरुआती दिन में ही इतनी सहृदय और करुणामयी थीं कि कभी मेरे मन में करीब दशकों की अवधि में किंचित् भी रंजिश नहीं हुई। वे निरंतर जवाबदेहियों को बिना भार समझे स्वस्थ मानसिकता के साथ निभाती रहीं, उसमें एक बिन्दु जो खटक सकता है, वह यह है कि शुरू से ही सेवा करने का दायरा मेरा बढ़ता गया और उसी अनुपात में उनका पारिवारिक बोझ भी बढ़ता गया। कभी-कभी चिन्ता होती थी कि कार्यक्षेत्र का इतना विस्तार और उस विस्तार में अचानक आ जानेवाले दायित्व को वीणाजी झटक कर मेरे कार्यक्षेत्र को फेंक तो नहीं देंगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत मेरे जीवन के सेवा-धर्म की बाहरी जटिलताओं को मैंने अपने ऊपर रख लिया और अन्दर की पारिवारिक जिम्मेदारी और सभी चुनौतियों को वीणाजी अद्म्य उत्साह और मुस्कान के साथ झेलती। निश्चय ही हम दोनों का परिवार सामान्य परिवार नहीं रह गया था इसलिए सामान्य चिन्ताओं वाला भी नहीं रह गया था। वीणाजी उस प्रकार की मेरी संगिनी निकलीं जिन्हें मैं कभी चाहता तो जयप्रकाश की तरह या पूज्य बापू की तरह उन्हें अपने साथ चलने को भी कहता, तो उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होती।

वीणाजी ने विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के दौरान आनेवाले हर प्रकार के व्यक्तियों को एक गृहिणी की सीमाओं में रहती हुई इस प्रकार का आदरपूर्ण, स्नेहपूर्ण, अपनत्वपूर्ण व्यवहार प्रदान कराया कि आज उनके नहीं रहने पर मेरे जीवन के सामने विशाल और गहरा खालीपन नजर आ रहा है। आश्चर्य है कि

जब खालीपन होता है, तो जीवन में हल्कापन का बोध होना चाहिए, किन्तु मुझे तो लगता है कि यह खालीपन अकल्पनीय भारीपन लिये हुए है, जिनकी गहराई और लम्बाई में प्रवेश के साथ आजतक के सभी उत्तरदायित्वों का सामान्य और हल्का लग रहा है। सचमुच कैसी शक्ति वह थीं जिनको इतने दशकों तक उनके साथ रहने के बाद भी मैं, आकलित नहीं कर सका। मुझे लगता है कि 1975 में मेरे अग्रज और राजनीतिक गुरु स्व॰ ललित बाबू की शहादत के कारण जो खालीपन मेरे जीवन को एक प्रकार से दबा चुका था, वही खालीपन कई गुणा होकर मुझे जकड़ चुका हो।

आज का हमारा समय मीडिया और प्रसार माध्यमों के पूरे माया जाल में लिपटा हुआ समय है। अखबारों और दूरदर्शन के पर्दे पर नजर डालिए; दूरदर्शन भी आज झुग्गी-झोपड़ियों तक, दूर-दराज के गाँवों तक पहुँच गया है। व्यवस्था दर्प से कह रही है, यह तकनीक का विकास है; हमने सबके लिए मनोरंजन सुलभ कर दिया है। परंतु अखबारों और दूरदर्शन के पर्दे पर है क्या? अर्द्धनग्न सुन्दरियों के रंग-बिरंगे चित्र; हर किस्म के विज्ञापनों में औरतों की देह की नुमाइश; भोग के साधनों और सुविधाओं का पूरा अम्बार; आर्थिक उदारीकरण जिस उपभोक्ता संस्कृति और उपभोक्ता समाज को सामने लाया है, उसकी विशेषता है, करोड़ों-करोड़ों वंचितों के जीवन की बुनियादी जरूरतों की कीमत पर, समाज के एक छोटे-से नवधनाढ्य तबके का अपरिसीम भोगवाद। बाजार सामान से पटा पड़ा है। समर्थ उसे भोग रहा है; और वंचितों तथा उपेक्षितों का एक विशाल समाज, चंद भोगने वालों को, ललचाई नजरों से, महज देख रहा है। एक भोग रहा है; छप्पन भोग खा रहा है; करोड़ों-करोड़ उस एक भोगने वाले को देख रहे हैं, सुलग रहे हैं, ललचा रहे हैं। स्त्री-पुरुषों के देह-संबंधों को लेकर श्लीलता-अश्लीलता पर लंबे समय से बहसें हो रही हैं। व्यवस्था के प्रभु बताएं कि भूखे-नंगे करोड़ों देशवासियों के समक्ष थोड़े-से लोगों का यह भोगते-खाते होने वाला प्रदर्शन, सौंदर्य प्रसाधनों का अम्बार, क्या इससे भी बदतर, इससे भी वीभत्स और घृणित कोई अश्लीलता हो सकती है! आदमी को अपमानित करने वाला इससे अधिक अधर्म अर्थतंत्र कदाचित् पहले कभी नहीं था।

वीणाजी की सोच थी, भारत वेद उपनिषदों का देश है। यहाँ का एक अनपढ़ भी कबीर और रैदास है। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वैदिक

ऋषियों की वाणी को अपौरूषेय माना गया हैं उदात्त कल्पनाओं से युक्त ऋषिवाणी संपूर्ण अर्थ में कविता है। परंतु अपौरूषेय मानी जाने के कारण भारतीय काव्य-परंपरा में वह शामिल नहीं है। आदिकवि होने का श्रेय आगे वाल्मीकि को ही मिला है, जिन्होंने लौकिक छंद में राम के चरित्र को केन्द्र में रखकर 'रामायण' काव्य का प्रणयन किया। वैदिक ऋषि घुमंतू प्रकृति के थे। सृष्टि के कर्ता के रूप में एक 'ईश्वर' की परिकल्पना उन्होंने की। प्रकृति की उन तमाम शक्तियों को उन्होंने देवता माना; आरंभ में वे जिनसे जूझे-टकराए; परंतु कालांतर में जिन्हें प्रसन्न करते हुए उन्होंने उनसे अपने इच्छित को मांगा। वैदिक ऋषियों की प्रार्थनाओं और स्तुतियों में मोक्ष या परमपद पाने की कामना नहीं, वरन् धरती तथा जन की सुख-समृद्धि की याचना है। उनके प्रशस्त मानस का साक्ष्य हैं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी स्तुतियाँ।

रैदास साहित्य को स्मरण कर विह्वल होती रही हूँ। रैदास कहते हैं- न मैं भक्त हूँ, न जोग-यज्ञ का कर्ता; कोई मुझे नहीं जानता-मानता; मेरे गुरु भी नहीं हैं। स्वर्ग-नरक मेरे लिए समान हैं। सारा संसार माया-मोह में, 'मै-तू, मेरा-तेरा' में जकड़ा हुआ है। मेरे मन में तो सब बराबर हैं। कृष्ण-करीम, राम-राघव सब के लिए एक हैं। सारे ग्रंथ, वेद-कतेब, कुरान-पुरान सब 'एक' ही हैं। मैं जो करता हूँ, वही पूजा है। वही काशी-मथुरा है। मैं तो उसी की पूजा करता हूँ, जिसका न कोई नाम है, न धाम। मेरा प्रभु तो वही है, सबसे अलग। भक्ति अलग चीज है; वह पोथी-ज्ञान समाधि, उपासना, वन में संन्यास आदि से अलग है। मूँड मुड़ाना, माला जपना-ये सब बाहरी दिखावे हैं। ऐसी भक्ति तभी मिली, जब अहंकार को छोड़ दिया। राम मिल गये; वही मेरा सब कुछ हैं। मुझे ऋद्धि-सिद्धि नहीं चाहिए। आत्मा स्थिर हो गयी; मन की चंचलता दूर हुई; मुझे सारी निधियाँ मिल गई।

रैदास कहते हैं- किससे पूजूँ अपने राम को? फल-फूल मेरे पास नहीं हैं। दूध बछड़े का जूठा किया हुआ है और फूल भौंरे का सूंघा हुआ। जल को मछली गंदा कर चुकी है; और न धूप-दीप है, न नैवेद्य। अब तो मेरा मन ही पूजा है; मन ही धूप-दीप है। मैं तो पूजा-अर्चना जानता नहीं; राम की शरण में हूँ। प्रभु, तुम चन्दन हो, मैं तो एरंड हूँ; हाँ, तुम्हारे पास जरूर हूँ। मेरी तुम्हारी क्या बराबरी? तुम उज्ज्वल, मैं गंदा नीचा; बस, तुम्हारी संगति का ही भरोसा है। मेरी जाति ओछी है; मेरा जन्म ओछा है; मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ; उसी

का भरोसा है।

प्रभु मेरा-तुम्हारा संबंध क्या है? तुम गिरिवर हो, तो हम मोर; चंद्रमा हो, तो मैं चकोर; तुम संबंध न तोड़ना, मेरे तोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। तुम दीया हो, मैं बाती। मैंने तुमसे सच्ची प्रीति जोड़ी है। जहाँ जाता हूँ, तुम्हारी सेवा में रहता हूँ। मेरे ठाकुर तो तुम्हीं हो और कोई नहीं। तुम्हारी भक्ति ही यम के फंदे से छुड़ाएगी। रैदास को तुम्हारा ही भरोसा है। अब तो तुम्हारे नाम की रट लग गयी है; वह कैसे छूटेगी? मेरा-तुम्हारा संबंध-तुम घन वन हो, तो मैं मोर हूँ; तुम चंदन हो, मैं पानी हूँ। तुम्हारी सुगंध मेरे अंग-अंग में है। तुम चंद्रमा हो और मैं चकोर; मैं तुम्हें एक टक देखता रहता हूँ। तुम दीपक हो, मैं बाती हूँ। तुम्हारी ज्योति दिन-रात मेरे हृदय में जलती रहती है। शास्त्रों को सुनने से क्या लाभ? सच्ची भक्ति नहीं हुई, तो ऐसे शास्त्र-श्रवण का क्या मतलब? अहंकार निर्मूल नहीं हुआ, भूखे को अन्न देते नहीं बना, परनिन्दा से छुटकारा नहीं मिला, तो सारी सेवा निष्फल जाएगी। दूसरों के घर चोरी-बटमारी करके पेट भरा; राम की भक्ति के बिना भजन और कथा-वार्त्ता का कोई अर्थ नहीं। मुक्ति राम की सच्ची भक्ति से ही संभव है; व्यर्थ में प्राणी मात्र पर दया भाव नहीं आया, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिला, तो बाहरी उपायों से कोई लाभ नहीं; सच्ची भक्ति जरूरी है।

रैदास मन को गहनता से छूते हैं। वे कहते हैं कि सब एक बूँद से ही जन्मे हैं। बरन-अबरन की बात व्यर्थ है। सारा संसार एक नूर से उपजा है। कोई ऊँचा-नीचा नहीं; जब सब एक ज्योति से जन्मे हैं, तो ब्राह्मण-चमार का भेद क्यों? मात्र जन्म के कारण कोई नीच नहीं हो जाता। आदमी को ऊँचा-नीचा बनाते हैं उसके सत्कर्म और कुकर्म। जो नीच कर्म करता है, नीच वह होता है। जात के भीतर जात है, केले के पत्तों की तरह। जाति-पाँति की बात व्यर्थ है। सच्ची चीज मनुष्यता है। इस सच्ची मनुष्यता को जाति-पाँति का रोग खाए जा रहा है। सब प्रभु के पुत्र हैं। कोई जात-कुजात नहीं है। सब एक हैं, सब बराबर हैं। जाति-पाँति की चिन्ता छोड़; सत्कर्म कर; यही वेद कहते हैं। ऊँचे कुल में जन्म लेने से किसी ने ब्रह्म के तत्व को जान लिया है? क्षत्रिय वही है, जो दीन-दुखी लोगों की रक्षा में अपने प्राणों को दाँव पर लगा दे। काशी, काबा, मथुरा, द्वारिका, हरिद्वार भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने दिल में दिलदार का दर्शन कर। संतोष और सदाचार-यही जीवन का आधार है। पाँच विकार जिन्होंने

छोड़े, वे देवता हो गये। सत्य धर्म के पालन से बड़ा धर्म नहीं। वही असली धन है। भौतिक धन-संचय दुख की खान है। सुख-दुख को समान समझो। इन्द्रियों को वश में रखो। सत्य का आचरण करो। विश्वासघात कभी मत करो। साधु वही जिसकी वाणी निर्मल है। जिसका दर्शन, जिसका स्पर्श मन को सुख और चैन दे-उसी को साधु समझो।

लक्ष्मीनाथ गोसाईं में मिथिला का सम्पूर्ण जीवनदर्शन समाहित है और भारतीय साधना के शीर्षस्थ शंकराचार्य, जिनकी जीवनी मेंने बारंबार पढ़ी और आनन्द पाया। भारत के महान् दार्शनिकों में से एक आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदान्त की स्थापना की गयी। आदि शंकराचार्य को वेदों में आस्था थी। उन्होंने परम्परागत रूढ़ियों धार्मिक अवधारणाओं का विरोध किया जो तार्किकता की दृष्टि से अग्राह्य थी। श्री शंकराचार्य के जीवन संबंधी इतिहास का बारीकी से अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि उन्होंने दशनामी व षण्ड्माता स्वरुपों में साधु परंपरा और उपासना पद्धतियों का शुभारंभ किया। यहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य की जीवनी दी जा रही है, जिसमें हम इस महान कवि और दार्शनिक के जीवन के बारे में गहराई से जान पाएंगे।

सामान्यत: 7वीं सदी के आस-पास एक सरल ब्राह्मण परिवार में, कालडी ग्राम केरल में इनका जन्म हुआ और भगवान शिव के अवतरण संबंधी विश्वास के चलते, इनका शंकर नाम दिया गया। यह कहा जाता है कि शंकराचार्य की माताजी आर्याम्बा को एक स्वप्न हुआ था जिसमें साक्षात ईश्वर द्वारा उनके गर्भ से प्रथम पुत्र के रुप में जन्म लेने का संकेत किया गया था। बाल्यकाल से ही उनकी रुचि आध्यात्मिक ज्ञान की ओर थी। आप सरलता से पुराण वाचन कर लेते थे और गुरुकुल शिक्षा के अपने प्रारंभिक दिनों से ही वेदपाठ में आपने प्रावीण्य प्राप्त कर लिया था। आदि शंकर की शिक्षाओं को आगे चलकर उनके शिष्यों ने विस्तारपूर्वक ग्रहण किया।

बाल्यकाल से ही, शंकराचार्य की रुचि संन्यस्त जीवन की ओर थी और वे एक अर्थपूर्ण व सार्थक जीवन व्यतीत करना चाहते थे जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे हो। एक बार जब वे पूर्णा नदी में स्नान कर रहे थे, तब एक मगरमच्छ ने उनपर आक्रमण कर दिया। उस समय उनकी माता ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया परंतु वे असहाय रहीं। अपनी माता की असहाय अवस्था को देखते हुए शंकर ने उनसे सन्यासी के रुप में इस संसार को छोड़ने संबंधी

आज्ञा मांगी। माता के पास स्वीकृति देने के अलावा कोई विकल्प नही था। जैसे ही शंकर ने मंत्र पढ़ा, मगरमच्छ ने उन्हें अपने चंगुल से स्वतंत्र कर दिया। इस घटना के पश्चात शंकराचार्य ने अपने तपस्वी जीवन का प्रारंभ किया। वे दक्षिण भारत में अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। एक सुरम्य बेला में, माँ नर्मदा नदी के तट पर, आपको गोविन्द भगवद्पाद नामक व्यक्तित्व का साक्षात्कार हुआ। चूंकि शंकराचार्य द्वारा वेद व पुराणों संबंधी गहन अध्ययन किया गया था, श्री गोविन्द भगवद्पाद द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायता हेतु, उनका गुरुपद स्वीकार कर लिया गया। आपके कुशल गुरुत्व में, शंकराचार्य द्वारा योग के विविध स्वरुपों का अभ्यास व प्रावीण्य प्राप्त किया गया जिसमें शामिल थे हठ, राज व ज्ञान योग। इसके पश्चात् आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। आगे आप आदि शंकराचार्य कहलाए जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, संपूर्ण विश्व में ब्रह्मसूत्र की शिक्षाओं का प्रचार करना।

आदि शंकराचार्य का विश्वास अद्वैतवाद में था। इनका विश्वास इस तथ्य में था कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिव्य अस्तित्व है, जिसे अत्युच्च ब्रह्माण्डीय शक्ति के साथ पहचाना जा सकता है। शारीरिक स्वरुप भले ही अनेक है, परंतु आत्मा एक ही है। जब भी कोई जीवन की अवधारणा को सीमित स्वरुप में स्वीकार करता है, वह सर्वोच्च स्वरुप और जीवन तथा ज्ञान संबंधी संपूर्णता की परिकल्पना को अस्वीकार करता है। मोक्ष या मुक्ति तथा ईश्वरीय अनुभूति के लिये आत्मज्ञान ही एकमात्र कुंजी है। आदि शंकराचार्य ने अल्पायु में ही इस भौतिक संसार से विदा ली, परंतु वे आनेवाली पीढ़ियों हेतु एक अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान की संपदा छोड़ गए हैं। शंकराचार्य का जीवन भारत के बच्चे-बच्चे को जानना चाहिये।

एक समय था, जब मिथिला एक ऐसा राज्य था जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत शिक्षित था, यहाँ तक कि महिलाएं भी आपस में संस्कृत में संभाषण किया करती थीं। उस समय 'मण्डन मिश्र' एक महान विद्वान थे। लोकमत है कि एक समय जगद्गुरु शंकराचार्य ने उनके घर आकर उन्हें शास्त्रार्थ हेतु चुनौती दी। आपके घर आने से पूर्व, आपने जल के बर्तन भरकर ले जा रही कुछ स्त्रियों से मण्डन मिश्र के घर के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न किया, और उन्होंने शंकराचार्य से संस्कृत में कहा...वह स्थान जहाँ पर दो शुक आपस में वेदों के विषय पर संस्कृत में वार्त्ता कर रहे होंगे, वही मण्डन

मिश्र का निवास स्थान है। शंकराचार्य उन स्त्रियों के उत्तर पर चकित रह गये। आप जब मिश्र के निवास पर पहुँचे, तब उन्हें शास्त्रार्थ हेतु आपने चुनौती दी, और इस प्रकार से यह स्पर्धा प्रारंभ हुई। मण्डन मिश्र के पास एक पुष्प था जो उनके पराजित होने पर मुरझा जाता था। वह पुष्प उस दिन मुरझा रहा था। यह दृश्य उनकी पत्नी ने देखा। उनकी पत्नी का नाम विदुषी भारती था। उन्होंने शंकराचार्य से कहा, कि पत्नी होने के नाते वे अर्धांगिनी (पति के संपूर्ण तत्व की अर्ध स्वरुप में अधिकारिणी व कर्तव्यपरायणा) तब उसे भी अपने पति का स्थान लेने का पूरा अधिकार है। इसके पश्चात् उन्होंने शंकराचार्य से वैवाहिक जीवन अथवा गृहस्थाश्रम संबंधी प्रश्न किये। चूंकि शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे, उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं थे और इस प्रकार से शंकराचार्य ने अपनी पराजय स्वीकार की।

- हमारा प्रत्येक क्षण प्रवृत्तिमय होना चाहिए। परंतु वह प्रवृत्ति सात्विक हो; सत्य की ओर ले जाने वाली हो। जिसने सेवाधर्म को स्वीकार किया है, वह एक क्षण कर्महीन नहीं रह सकता।
- आसक्ति से मुक्ति ही सत्य रूपी ईश्वर का साक्षात्कार है। यह साक्षात्कार जल्दबाजी से प्राप्त नहीं हो सकता।
- बगैर अनाशक्ति के मनुष्य न सत्य का पालन कर सकता है, न अहिंसा का। अनासक्त होना कठिन है, इसमें संदेह नहीं।
- अनासक्ति का मतलब जड़ता नहीं है; निर्दयता भी नहीं है; क्योंकि सेवा तो करनी ही होगी। इसलिए दया की भावना मंद पड़ने के बजाय तीव्र होगी; कार्यदक्षता तो बढ़ेगी और एकाग्रता भी बढ़ेगी और ये सब अनासक्ति के चिह्न हैं।
- जो संत अपने को पापी से श्रेष्ठ समझता है, वह अपना संतपन खोकर पापी से भी बुरा बन जाता है; क्योंकि पापी को यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रहा है; जबकि संत को है या होना चाहिए।
- सत्य एक विशाल वृक्ष है। ज्यों-ज्यों उसकी सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें से अनेक फल पैदा होते दिखाई पड़ते हैं; उसका अंत ही नहीं होता। हम जैसे-जैसे सत्य की गहराई में उतरते हैं, वैसे-वैसे उसमें से अधिक रत्न मिलते जाते हैं। सेवा के अवसर प्राप्त होते रहते हैं।

- जहाँ सत्य की ही साधना और उपासना होती है, वहाँ भले ही परिणाम हमारी धारणा के अनुसार न निकले, फिर भी जो अनपेक्षित परिणाम निकलता है, वह अकल्याणकारी नहीं होता और कई बार अपेक्षा से अधिक अच्छा होता है।
- विचार में, वाणी में और आचरण में सत्य का होना ही सत्य है। जो इस सत्य को संपूर्णतया समझ लेता है, उसे जगत् में दूसरा कुछ भी जानने को नहीं रहता।
- निर्मल अंत:करण को जिस समय जो प्रतीति हो, वह सत्य है। उस पर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य की प्राप्त हो जाती है।
- हमारे विचार में सत्य होना चाहिए; हमारी वाणी में सत्य होना चाहिए और हमारे कर्म में भी सत्य होना चाहिए। जिस मनुष्य ने इस सत्य को पूर्णतया समझ लिया है, उसके लिए दूसरा कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता।
- अपना सारा ज्ञान औा पांडित्य तराजू के एक पलड़े पर और सत्य तथा पवित्रता को दूसरे पलड़े पर रखकर देखो। सत्य और पवित्रता वाला पलड़ा पहले पलड़े से कहीं भारी पड़ेगा।
- जानते हुए भी आदमी सत्य कहने से क्यों झिझकता है? शर्म के मारे? किस की शर्म? अफसर है तो क्या? नौकर है तो क्या? बात यह है कि आदत आदमी को खा जाती है। हम सोचें और बुरी आदतों से छूट जाएं।
- सत्यनिष्ठा से किये गये कामों के परिणाम अवश्य आएंगे। इस बारे में शंका हीं नही हो सकती। इतना विश्वास न हो, तो हम नीति की रक्षा कभी कर ही नहीं सकते।
- किसी भी हालत में रहकर जो सत्य का आचरण कर सकता है, वही सत्यार्थी माना जाता है। व्यापार में किसी को झूठ बोलने की मजबूरी नहीं है और न नौकरी में ही। जहाँ मजबूरी दिखे वहाँ नहीं जाना; भले ही भूखों मर जाएं।
- कुविचार मात्र हिंसा है; उतावलापन-जल्दीपन-हिंसा है; मिथ्या भाषण हिंसा है; किसी का बुरा चाहना हिंसा है; जिसकी दुनिया को जरूरत है, उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है।

- मनुष्य को पशु-पक्षियों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ है, वह उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं; बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए; अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, पर एक-दूसरे को खाते नहीं, उसी प्रकार पशु-पक्षी भी उपयोग के लिए हैं खाने के लिए नहीं।
- जो जीवन जितना अधिक अपंग है, उतना ही उसे मनुष्य की क्रूरता से बचने के लिए मनुष्य का आश्रय पाने का अधिक अधिकार है।
- अहिंसा रेडियम की तरह काम करती है। रेडियम की छोटी से छोटी मात्रा भी किसी रूग्ण अंग के बीच में रख दी जाए, तो वह लगातार चुपचाप और बिना रूके काम करती रहती है और अंत में सारे रोगग्रस्त अंग को निरोग बना डालती है। इसी प्रकार थोड़ी-सी भी सच्ची अहिंसा सूक्ष्म और अदृश्य रूप में चुपचाप काम करती है और सारे समाज में व्याप्त हो जाती है।
- जो एकमात्र सच्ची और प्राप्त करने योग्य स्वतंत्रता है, उसकी ईश्वर हमसे संपूर्ण आत्मसमर्पण से कम कीमत नही माँगता और जब कोई मनुष्य इस प्रकार अपने आपको ईश्वर में खो देता है, तो वह तुरंत अपने को सब प्राणियों की सेवा में संलग्न पाता है।
- मैं जानवरों को न मारने के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। जो पशु मनुष्य को खा जाते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी जान बचाने की मुझमें कोई भावना नहीं है। उनकी वंश-वृद्धि में सहायक होना मैं अनुचित समझता हूँ।
- पौरुष का सार यह है कि पशु-जगत और वनस्पति जगत के सभी प्राणियों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए। जो सुख की खोज में दूसरों का ख्याल नहीं रखता, वह जरूर इंसान कुछ घटिया है; वह विचारहीन है।
- जो अपनी या अपने अतिनिकट संबंधियों या प्रियजनों की या उनके मान की, अहिंसा के द्वारा मौत का सामना करके रक्षा नहीं कर सकता, वह विरोधियों से हिंसा द्वारा ऐसा कर सकता है; या उसे करना चाहिए। जो दोनों में से एक भी नहीं कर सकता, वह भार रूप है।
- जो मारने की शक्ति गँवा बैठा हो, वह अहिंसा का आचरण नहीं कर सकता। अहिंसा में अत्यंत ऊँचे प्रकार का त्याग समाया हुआ है। कमजोर और कायर बनी हुई जनता त्याग का यह भव्य आचरण नहीं कर सकती।

- इस दुखी जगत की पीड़ा मिटाने के लिए–कठिन होने पर भी–सिवाय अहिंसा के और कोई सीधा और साफ रास्ता नहीं है। मेरे जैसे लाखों आदमी इस सत्य को जीवन में भले ही सिद्ध न कर पाएँ; यह उनकी कमजोरी तथा नाकामयाबी होगी, न कि अहिंसा की।
- दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना लेना चोरी है ही; परंतु मनुष्य अपनी कही जाने वाली चीज भी चुराता है। उदाहरणार्थ : किसी पिता का अपने बालकों के जाने बिना, उन्हें मालूम न होने देने की इच्छा से, चुपचाप किसी चीज का खाना (चोरी ही है)।
- परिग्रही के लिए स्थूल अहिंसा का भी पूरा पालन असंभव सा है। जो अपनी जायदाद रखता है, वह उसकी रक्षा का भी उपाय करेगा ही। उसमें कहीं-कहीं सजा की गुंजाइश जरूर रहेगी। जो सब चीजों से अपनापन हटाकर, उदासीन होकर, व्यवहार करता है, वही स्थूल अहिंसा का पूरा पालन कर सकता है।
- निर्भयता का अर्थ समस्त बाहरी भयों से स्वाधीनता है; जैसे : रोगों का भय, शारीरिक चोट या मृत्यु का भय, अपने अत्यंत निकटवर्तियों या प्रियों को खोने का भय, या अप्रसन्न करने का भय आदि।
- आत्म-संयम वही रख सकता है, जो सदाचार के नियमों का पालन करता है; किसी को धोखा नहीं देता; सत्य का त्याग नहीं करता और अपने माता-पिता, पत्नी-बच्चों, नौकरों और पड़ोसियों के प्रति अपना फर्ज अदा करता है।
- मन का मैल तो विचार से, ईश्वर के ध्यान से और आखिर ईश्वरी प्रसाद से ही छूटता है। विकारी मन अनेक प्रकार के स्वादों और भोगों की लालसा में रहता है और बाद में उन आहारों तथा भोगों का प्रभाव मन पर पड़ता है।
- अगर तू केवल अपने मन-मन्दिर में ज्योति जला लेगा, तो मेरा सारा काम बन जाएगा। उसके बाद तो सारी दुनिया में ज्योति या प्रकाश ही देखेगा। अंधेरा कहीं रहेगा ही नहीं। इसी तरह का चमत्कार सत्य और अहिंसा में भरा है।
- सेवा और अत्यंत सादगी का जीवन उत्तम उपदेश है। गुलाब के फूल को कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती; वह सिर्फ अपनी सुगंध फैलाता है। यह सुगंध ही उसका अपना उपदेश है।

- दुखी और पीड़ित कौन है? दलित और गरीबी के मारे लोग। इसलिए जो भक्त बनना चाहता है, उसे इन लोगों की, मन और आत्मा से सेवा करनी पड़ेगी।
- तन-मन-धन से चुपचाप सेवा करने वाले की सेवा कभी निष्फल जाती ही नहीं। अपनी आत्मा को, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी दी हुई शक्ति का सदुपयोग करने के खातिर ही सेवा है; बाकी तो दंभ ही कहलाएगा।
- जिस कर्म से अधिक से अधिक जीवों का विशाल क्षेत्र में व्यापक रूप से कल्याण हो, जो कर्म अधिक से अधिक सरलता से किया जा सके और जिससे अधिक से अधिक सेवा होती हो, वह महायज्ञ है।
- जब हम सब धर्मों का समान दृष्टि से देखेंगे, तब हमें अपने धर्म में दूसरे धर्मों की सभी ग्राह्य बातें अपनाने में न केवल कोई संकोच ही होगा; बल्कि हम उसे अपना फर्ज समझेंगे।
- धर्म का अर्थ है अलग-अलग नामों से पहचाने जाने वाले सब धर्मों का एक साथ संकलन करने वाला और उन्हें एकरूप देखने वाला परम धर्म।
- सिर्फ मुँह से राम नाम रटने से कोई ताकत नहीं मिलती। ताकत पाने के लिए जरूरी है कि सोच-समझकर नाम जपा जाए और तप की शर्तों का पालन करते हुए जिन्दगी बितायी जाए। ईश्वर का नाम लेने के लिए इंसान को ईश्वरमय होना चाहिए।
- सच्ची प्रार्थना वह है, जो बुद्धिसंगत और निश्चित है। हमें उसके साथ एकाकार होना पड़ता है। जबान पर अल्लाह का नाम लेते और माला जपते हुए हमारा मन इधर-उधर भटकता हो, तो वह बेकार है।
- जब मूर्ति-पूजा बिगड़कर पत्थर-पूजा हो जाती है और उस पर झूठे विश्वासों और सिद्धांतों की कोई चढ़ जाती है, तब उसे घोर सामाजिक बुराई समझकर उसके साथ लड़ना जरूरी हो जाता है। दूसरी ओर अपने आदर्श को कोई ठोस रूप देने के अर्थ में मूर्ति-पूजा मानव-स्वभाव का अभिन्न अंग रही है और भक्ति के लिए वह एक मूल्यवान् सहायता है।
- मन्दिर में जाने से पाप का नाश होता है, यह माना जाता है। अगर सच्चे दिल से पूजा करें, तो पाप का नाश होगा ही। ऐसा थोड़े ही है कि पापी मन्दिर में नहीं जा सकते हैं और पुण्यशाली ही जा सकते हैं। तब वहाँ

पाप धुलेंगे किसके? जिन हरिजनों को हमने ही अछूत माना है, वे क्या पापी हो गए?

- अगर हिन्दू धर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसमें घृणा और अस्पृश्यता कैसे रह सकती है? अस्पृश्य तो वे हैं, जो पापात्मा होते हैं। एक सारी जाति को अस्पृश्य बनाना एक बड़ा कलंक है।
- धर्म में कहने की गुंजाइश नहीं होती, उसे जीवन में उतारना होता है। तब वह अपना प्रचार स्वयं कर लेता है।
- विचार तब तक आचरण के रूप में प्रकट नहीं होता, वह कभी पूर्ण नहीं होता। आचरण आदमी के विचार को मर्यादित करता है। जहाँ विचार और आचार के बीच पूरा-पूरा मेल होता है, वहीं जीवन भी पूर्ण और स्वाभाविक बनता है।
- धर्म के बिना नैतिक जीवन बालू की भीत के समान है और सदाचार रहित धर्म उस पीतल की तरह है, जो केवल शोर मचाने और सिर फोड़ने के लिए ही अच्छा है।
- सच्चा प्रेम समुद्र की तरह निस्सीम होता है और हृदय के भीतर ज्वार की तरह उठकर बढ़ते हुए बाहर फैल जाता है तथा सीमाओं को पार करके दुनिया के छोरों तक जा पहुँचता है।
- हम विरोधी को केवल प्रेम से अपना कर सकते हैं, न कि घृणा से। घृणा तो हिंसा का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। अपने में घृणा रखते हुए हम असल में अहिंसक नहीं हो सकते।
- इंसान का बड़े से बड़ा उद्योग भगवान को पाने की कोशिश करने में है। वह मन्दिरों, मूर्तियों या इंसान के हाथों बनाई हुई पूजा की जगहों में नहीं मिल सकता; और न उसे व्रतों और उपवासों के जरिय ही पाया जा सकता है। ईश्वर सिर्फ प्यार के जरिये मिल सकता है और वह प्यार लौकिक नहीं अलौकिक होना चाहिए।
- हमें अपना हृदय दरिया की तरह विशाल करना चाहिए। दरिया में लोग कितना कूड़ा-करकट फेंकते हैं; फिर भी उसमें नहाकर हम पवित्र हो जाते हैं। खरा होने पर भी उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, यह कभी सोचा है? अगर हम इस तरह उदार बनें, तो अपनी मानवता से दुनिया भर में दरिया जैसी आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण देश के नागरिक के नाते ख्याति प्राप्त करेंगे।

- प्रत्येक मानव अपने दृष्टिकोण से सच्चा है; परंतु यह असंभव नहीं कि प्रत्येक मानव गलत हो। इसीलिए सहिष्णुता की जरूरत पैदा होती है। इस सहिष्णुता गुण का यह अर्थ नहीं कि हम अपने धर्म की उपेक्षा करें; वरन् यह है कि अपने धर्म के प्रति हम अधिक ज्ञानमय, अधिक सात्विक और निर्मल प्रेम रखें।
- भूल करने से कोई मनुष्य बचा नहीं। इसलिए भूल तो मनुष्य से होती ही है; उसमें बहुत खतरा नहीं। लेकिन उस भूल को छिपाने में खतरा है; क्योंकि एक भूल छिपाने के लिए जो झूठ बोलना पड़ता है, वह दूसरी भूल होती है। इस तरह भूलों की परंपरा चालू रहे, तो बेशुमार नुकसान भोगने पड़ सकते हैं।
- मैं स्त्री-पुरुष की समानता में विश्वास करता हूँ। इसलिए स्त्रियों के लिए उन्हीं अधिकारों की कल्पना कर सकता हूँ, जो पुरुष को प्राप्त है।
- पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों को पहले जगह देना सीखें। जिस देश में औरतों की इज्जत नहीं, वह सभ्य नहीं। दोनों को अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए।
- पुस्तकों में लिखा हुआ सब कुछ वेद वाक्य नहीं माना जा सकता। जो सदाचार के खिलाफ है और अमानुषिक है, वह कहीं भी लिखा हो, तो भी न माना जाए। सच-झूठ को तोलने की शक्ति जबतक हम में नहीं आती, तबतक पढ़ी हुई चीज के बारे में जिन बुजुर्गों पर विश्वास हो, उनका कहना मानना चाहिए।
- बेशक राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उसमें रहने वाले हर नागरिक को बिना किसी रूकावट के अपना धर्म मानने का हक होना चाहिए; जबतक वह देश के कानून को मानता है।
- शांति बाहर की किसी चीज से; जैसे दौलत से, महलों से नहीं मिलती। शांति अपने अंदर की चीज है। सब धर्मों ने इस सच्चाई का ऐलान किया है कि जब आदमी को इस तरह की शांति मिल जाती है, तो उसकी आँखों, उसके शब्दों और उसके कार्यो, इन सबसे वह शांति टपकने लगती है। इस तरह का आदमी झोपड़ी में रहकर भी संतुष्ट रहता है और कल की चिन्ता नहीं करता।

महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं इसलिए राष्ट्र विकास के महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा उनके योगदान को पूरी तरह सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र-निर्माण के कार्य को पूरा कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ महिलाओं को हाशिये पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य पुरुषों की बराबरी करना न होकर महिलाओं को सशक्त करने से है; आर्थिक-सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रत्येक स्तर पर कार्य करने में महिलाओं की सशक्त भागीदारी से ग्रामीण महिलाओं की दशा भी पहले से काफी सुधरी है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता बढ़ी है और वे स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। वे बड़े पैमाने पर रसोई घर की दहलीज से बाहर निकलकर सामाजिक दायित्व भी निभाती दिख रही हैं। महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति हमारे रूख में बदलाव की जरूरत है। जब कभी भारतीय महिलाओं को अनुकूल माहौल और सही सुविधाएं मिली हैं वे सफल हुई हैं और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, उद्योगपति, पुलिस बल तथा सशस्त्र बल की सदस्यायें तो बनी ही हैं, यहाँतक कि अंतरिक्ष यात्री भी बन गयी हैं। हमारा मकसद होना चाहिये कि महिलाओं को काम करने का सुअवसर दें तथा ऐसा माहौल बनायें जिसमें महिलाएं सम्मान एवं गरिमा के साथ रह सकें। एक राष्ट्र के रूप में हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो सकेगा जब महिलाएं, जो हमारी आबादी का करीब आधा हिस्सा हैं, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। भारत दुनियां का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ 50 करोड़ से अधिक महिलायें हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और लोगों की संवैधानिक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि उन्हें समान अधिकार का अवसर दिया जाय जिससे उनकी तरक्की सुनिश्चित हो सके। महिलाओं के हितों की रक्षा एवं उनका सशक्तीकरण समाज की सामूहिक जिम्मवारी है। यह सच्चाई भी है कि भारतीय महिला विरोधों और विपरीत परिस्थितियों के बीच अपनी पहचान तेजी से बना रही हैं। यह भी ठीक है कि महिलाओं में जागरूकता आयी है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि शिक्षा-स्वास्थ्य को लेकर हर स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच विषमता भी मौजूद है। महिलाओं का बड़ा वर्ग अशिक्षित है, इसलिये देश को तार्किक

राजनीतिक पर ले जाना है तो महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 में कहा भी गया है कि पुरुषों और महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार प्राप्त है। मौजूदा भारतीय समाज की त्रासदी यह है कि उसके पास कानून बनाने और बने हुए कानून में बदलाव लाने का तंत्र तो है लेकिन वह तंत्र गायब है जो लोगों की मानसिकता में बदलाव लाता है या किसी कानून की आत्मा को समाज की आत्मा बनाता है।

किसी भी राष्ट्र या राज्य के विकास की अवधारणा का संबंध मुख्यत: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति, आय एवं अवसर के समान वितरण की उपलब्धता, रहन-सहन की स्थिति में गुणात्मक सुधार विशेष से या गरीबी, निरक्षरता और स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़े लोगों में स्त्रियों की स्थिति तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी से है। विश्व के मानव संसाधनों का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। इसलिए विकास की किसी भी रणनीति के लिये ये अपरिहार्य हैं। 1970 के पूर्व की अवधि में, विकास में महिलाओं की भूमिका की प्राथमिक अनुभूति माँ या घरेलू पत्नी के रूप में की जाती थी। किन्तु 1970 के अंत में महिलावादी आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष तथा भारत में महिला स्तर की समिति के प्रतिवेदन 1974 से महिला केन्द्रित क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला गया। इसी समय से महिलाओं को विकास में उत्पादन कर्त्री और प्रदानकर्त्री के रूप में सक्रिय सहयोगिनी समझा जाने लगा। विकास का यह प्रारूप महिलाओं की उन निर्णायक और बहुआयामी भूमिकाओं को बहुत महत्व देता है, जिन्हें वे अपने समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास में अदा करती हैं। एक माँ, बहन और पत्नी के रूप में एक ओर ये परिवार के सदस्यों के शिक्षण, पोषण, समाजीकरण जैसे दायित्वों का निर्वहन करती आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर बाहर का काम करती हुई समाज की सर्वांगीण उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने उन मूल्यों के विकास में भी सहयोग किया है जो अंतत: राष्ट्र या राज्य के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि बिहार की महिलाएं आज भी कई समस्याओं से पीड़ित हैं, उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इसके बावजूद अन्याय का विरोध करने की भावना उनमें प्रबल रही है। राजनीतिक अव्यवस्था, शोषण, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ महिलाओं ने सशक्त आवाज उठायी।

1975 के सम्पूर्ण क्रान्ति आंदोलन के प्रचार-प्रसार में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका रही थी। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महिला चरखा समिति, अखिल भारतीय महिला परिषद् (बिहार शाखा), अदिति, जागो बहन, नारीगुंजन जैसे कई संगठनों के माध्यम से महिलाएं लोक कल्याण एवं समाज सेवा का कार्य निरंतर करती जा रही हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भी महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की है। सांस्कृतिक क्षेत्र में बिहार की लोक कला एवं संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जो भूमिका महिलाओं ने निभायी है, वह अतुलनीय है।

आदिशक्ति गायत्री भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा है। समस्त ब्रह्माण्ड में गायत्री शक्ति कण-कण में व्याप्त है। ये ब्रह्म चेतना प्रज्ञा है। परब्रह्म की इच्छाशक्ति के प्रस्फुरण से ब्रह्म और गायत्री शक्ति की उत्पति हुई। इसलिए गायत्री आदिशक्ति हैं जिसमें सहस्त्र-धार शक्तियाँ सन्निहित हैं। सर्वशक्तिमान सर्वगुण सम्पन्न गायत्री शक्ति की उपासना से परब्रह्म शक्ति का सम्बर्द्धन होता है जिससे सद्ज्ञान सम्पदा प्राप्त कर मनुष्य परम विवेकी एवं ऐश्वर्यवान हो जाता है। इसी तत्व ज्ञान से ब्रह्म का साक्षात्कार भी संभव हो जाता है। गायत्री मंत्र सारगर्भित 24 अक्षरों की पावन श्रृंखला है जिसे प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्म ने मानवजाति के कल्याण के लिए मंत्रों का संकलन किया जिनमें प्रथम मंत्र गायत्री है। अत: गायत्री को मंत्रों की अधिष्ठात्री के रूप में मान्यता है। प्रत्येक अक्षर प्रेरणा शक्ति का अक्षय भण्डार है। गायत्री केवल मंत्र ही नहीं है यह दैवी शक्ति है। दैविक कृपा प्राप्त करने का गायत्री मंत्र विश्वसनीय साधन है। गायत्री की उपासना से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। गायत्री त्रिगुणात्मक हैं। उनकी उपासना से सद्गुण बढ़ता है तथा रजोगुण शक्ति के आविर्भाव से मनुष्य की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होकर सांसारिक जीवन के संघर्षों में अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती है। साथ-साथ विपत्ति एवं विपरीत परिस्थितियों से उबरने के लिए धैर्य, साहस, विवेक एवं अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। विपत्ति में प्रत्येक व्यक्ति यदि गायत्री की उपासना करे तो निश्चित रूप से मनुष्य गायत्री द्वारा मुसीबतों से मुकाबला करने की क्षमता प्राप्त कर करता है। गायत्री मंत्र की उपासना से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। सतोगुणी तत्वों का विकास होने लगता है। दुर्गुण, कुविचार, दु:स्वभाव एवं हीन-भावना के स्थान पर सत्य निष्ठा, संतोष, शांति एवं सहनशीलता आदि सद्विचारों का उदय साधक के मन में स्वत: हो

जाता है और वह जीवन में नया कलेवर प्राप्त करने में सफल हो जाता है। विवेक तत्व ज्ञान एवं सद्‌बुद्धि से अज्ञान-जन्य दुखों से निवारण हो जाता है। जीवन में सुख-दुख चलता रहता है किन्तु जो गायत्री का जप करता है वह न केवल सांसारिक दुखों को झेल लेता है, अपितु दुखों में भी धैर्य और साहस को नहीं खोता है।

वीणाजी ऐसी परिस्थिति में जरूर थीं-लम्बी अवधि में वे सहजता से विधान सभा या संसद् में सदस्या बनकर जा सकती थीं और उसके बाद जो कुछ भी उच्चता संभव थी, उसे पा सकती थीं। लोग मुझे भी कुछ ऐसी बातें वीणाजी के लिए कहते थे, जिससे उत्साहित होकर राजनीति में सीधे-सीधे उन्हें करने में कोई कठिनाई नहीं थी। किन्तु, लोगों की निष्ठा मुझमें बनी रहे, इसलिए वे ऐसे अवसर को हँसकर ही उड़ाती रहीं। आज इस बिन्दु पर सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि घोर भौतिकवादी युग में इस प्रकार की धर्मपत्नी का भी अवतार हो सकता है? उनके संग रहने पर उनकी बातों में विस्मय की स्थिति में मैं भी पड़ जाता था, किन्तु आज वैसा विस्मय महसूस कर रहा हूँ जो कदाचित् किसी की जिन्दगी में कभी नहीं हो। वीणाजी एक कवयित्री भी थीं। उन्होंने पोता-पोती एवं नाती-नतनि के लिए उनकी गुणों के आधार पर कविता लिखकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। ये शब्द असीम प्रेरणादायक है। जिस संवेदनशीलता की परिधि का आकलन नहीं हो सकता और जिसकी वह स्वामिनी थी तथा जिसके कारण अपार जन-समूह को वर्षों-वर्षों तक मेरे लिए अपने आतिथ्य-सत्कार से अनुकूल बनाकर रखा, उस संवेदनशीलता की प्रेरणा लोकोत्तर-शक्ति से ही प्राप्त हो सकती है और इसलिए कवि को स्वयंभू और परिभू भी कहा गया है। कवयित्री के रूप में या काव्य कला में रहने के कारण भविष्य की दृष्टि (तीसरा नेत्र) भी मजबूत हो जाता है। रचना करती हुई शायद मेरे इस बुरे दिन को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था-

दादी-नानी के संग इतराए
जीवन की संध्या बेला में
जीने का कुछ अर्थ मिला है.....

❐

परिशिष्ट

(1)

इन्दिरा गाँधी द्वारा 21 नवम्बर, 1977 को शाह कमीशन को लिखा गया पत्र :

'मैं यहाँ यह बताना चाहूँगी कि इस आदरणीय कमीशन के संदर्भ में बिन्दु एकतरफा तथा राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। वे एक और आदरणीय कमीशन को यह अनुमति तो देते हैं कि वे आपातकाल के दौरान हुई अतियों की पड़ताल करें, परन्तु वे उन परिस्थितियों के बारे में मौन हैं, जिनके दौरान आपातकाल की घोषणा की गई। यह देश बहुत ही विशाल है और बहुत ही गहन समस्याओं में उलझा है। प्रशासनिक मशीनरी भी खण्डित है। कुछ आपातकालीन कदम उठाने होंगे। कई स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों तथा व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं। हम यह अपेक्षा नहीं रख सकते कि उनकी ओर से कोई कमी नहीं होगी और कई बार वे कमियाँ-सामने भी नहीं आ पातीं। मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति की गई अनुचित कार्रवाई के प्रति सार्वजनिक रूप से क्षमा चाहती हूँ। परन्तु यदि पड़ताल का उद्देश्य यही है कि भविष्य में भी सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाय तो यहाँ उन हालातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये, जिनके कारण आपातकाल लागू किया गया और साथ ही यह भी देखा जाना चाहिये कि वे दोबारा सामने न आएं। आपातकाल से दो साल पहले ही, देश गंभीर संकट के बीच था। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कारणों से उत्पन्न आर्थिक संकटों को संभाल पाना हमारे वश से बाहर था। इसमें रुचि लेने वाले अनेक दल जानबूझकर अपने हितों के लिए इस स्थिति को बढ़ाना चाहते थे।

वाणी तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का प्रयोग घृणा व संकुचित प्रान्तीय वक्तव्यों के प्रचार के लिए किया जा रहा था। शिक्षा के

संस्थान राजनीति का अखाड़ा बन गये थे। जरा से बहाने पर सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट कर दिया जाता था। वर्तमान मंत्रिमण्डल में मौजूद एक मंत्री ने गर्व से दावा किया है: 'पिछले वर्ष नवम्बर, 1975 में हम केवल कर्नाटक राज्य में ही 52 गाड़ियों को पटरी से उतारने में सफल रहे।' प्रयास यही था कि राष्ट्रीय जीवन को नष्ट कर दिया जाय। गैर प्रजातांत्रिक साधनों से गुजरात सभा को भंग किया गया। चुने गये विधायकों को पीटा गया और उन्हें धमका कर, त्यागपत्र देने को विवश किया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होते हुए, प्रजातंत्र व नैतिकता के नाम पर मुझसे त्यागपत्र की मांग की गयी। परन्तु नैतिकता क्या थी और इसमें प्रजातंत्र कहाँ से आया? उच्च न्यायालय ने कहा कि मेरी ओर से कोई नैतिक आरोप नहीं थे। मैं केवल कानूनी बारीकियों की दोषी पायी गयी, परन्तु कानून मुझे यह हक देता है कि मैं उस निर्णय पर पुन: विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाऊँ। किसी बहुमत दल के नेता को, घेराव की धमकियों, पुलिस व सेना को विद्रोह करने की सलाहों आदि के आधार पर हटाया नहीं जा सकता और इन्हें आप किन प्रजातांत्रिक नियमों के अधीन मानते हैं। भारत में जुलाई, 1975 से पूर्व, फ्रांस में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जब डि गाले सत्ता में आये। उनके द्वारा संवैधानिक सुधार तथा नये संविधान में आर्टिकल 16 को शामिल करना प्रमाणित करता है कि भारत में भी भावी विनाश की आशंका को निर्मूल करने के लिए मेरी सरकार द्वारा आपातकाल की मदद लेना कितना अनिवार्य हो गया था। उस नये आर्टिकल के अनुसार, 'जब संवैधानिक सरकारी अधिकारियों की कार्यवाही में बाधा आये तो गणतंत्र के राष्ट्रपति, परिस्थितियों के अनुसार संभावित उपाय करेंगे। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि यदि किसी प्रजातांत्रिक सरकार को निरंतर राजनीतिक रूप से प्रेरित जाँच-पड़ताल के भय के साये में जीना पड़े तो उसके लिए प्रभावी रूप से कार्य कर पाना बहुत कठिन होगा।'

2 दिसम्बर, 1977 को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने कहा : 'दरअसल आदरणीय कमीशन के अनुसार आपातकाल की घोषणा एक अति हो सकती है और इसके लिए ही यह पूछताछ की जा रही है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा उठाया गया एक संवैधानिक कदम था। इसे मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया था और संसद के दोनों सदनों ने इसका सत्यापन भी

किया था। सत्यापन के बाद ही यह राजनीतिक घोषणा एक संसद अधिनियम के रूप में सामने आई। यू॰एस॰ में राष्ट्रपति द्वारा राजनीतिक शक्ति के अभ्यास को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में प्रमुख न्यायाधीश मार्शल ने कहा : यू॰एस॰ के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को कुछ विशेष राजनीतिक शक्तियाँ दी गयी हैं, जिनके आधार पर वे अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और अपने देश व अंतरात्मा के प्रति उत्तरदायी होंगे। विषय राजनीतिक है। वे व्यक्तिगत अधिकारों का नहीं, बल्कि देश का सम्मान करते हैं और उन्हें प्रबंधक को सौंपा गया है, उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

वहीं दूसरी ओर, भारतीय संविधान के अधीन इस घोषणा को संसद में सत्यापित किया गया। इस देश में कोई भी अधिकारी या कमीशन आदि, इस संसदीय अधिनियम पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। किसी भी राजनीतिक निर्णय के तहत, हमारी सरकार केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। यदि कमीशन इस नतीजे पर आता है कि आपातकाल की घोषणा एक अति थी, तो वह न केवल संवैधानिक योजना का अनादर करेगा, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करेगा, जो संसदीय स्वतंत्रता के प्रति गंभीर हनन की समस्याएं पैदा करेगी। यहाँ तक आदरणीय कमीशन के संदर्भ बिन्दु भी किसी पूछताछ की वारंटी नहीं देते। उन्हें देखकर लगता है कि वे केवल आपातकाल के दौरान हुई अतियों के लिए आरोप लगाने के साधन के रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं आदरणीय कमीशन को यह भी याद दिलाना चाहूँगी कि वे राजनीतिक मंशा से प्रेरित न होते हुए, उन परिस्थितियों पर भी ध्यान दें, जिनके अनुसार यह घोषणा की गयी। आदरणीय कमीशन इस विषय में प्रत्युत्तर देते हैं: 'मैं केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैं केवल आपातकाल की घोषणा से संबंध रखता हूँ कि इसके दौरान कोई अति हुई या नहीं। यदि मेरे सामने आये साक्ष्यों से यह पता चला कि यह घोषणा एक अति थी तो मैं खुलेआम पूछताछ की आज्ञा दूँगा। अन्यथा ऐसी कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।'

मेरे अनुसार आदरणीय कमीशन का यह वक्तव्य उचित नहीं है। यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता कि यदि मुझे उचित लगा तो पूछताछ होगी और यदि मैंने न चाहा तो पूछताछ नहीं होगी। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि आदरणीय कमीशन देश में चल रहे तत्कालीन हालातों व परिस्थितियों पर गौर

किये बिना, यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा अपने-आप में एक अति थी या नहीं। वे उस धमकी को उपेक्षित कर देना चाहते हैं, जो केन्द्र तथा राज्य सरकार को पंगु बना देना चाहती थी।

इस दौरान, मुझ पर तयशुदा हमले करवाये गये। दरअसल, राजनीतिक विपक्ष इस रणनीति के साथ केन्द्र को दुर्बल बनाना चाहता था और इसके समाजवादी व जनसमर्थक कार्यक्रमों को कुछ सालों के लिए मौन कर देना चाहता था। यह बदलाव बनाम यथास्थिति का प्रश्न था। एक ओर धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक समाजवाद और दूसरी ओर साम्प्रदायिक, पूंजीवादी तथा प्रतिगामी बल, आगे आने के लिए परस्पर संघर्षरत रहे हैं। 1969 के कांग्रेस विभाजन ने इस मुठभेड़ को और भी हवा दी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा ऐसे ही अन्य उपायों ने कुछ लोगों के संकीर्ण हितों पर चोट की और गरीबों व समाज के शोषित वर्ग को आगे आने में मदद की, इन्होंने इतनी अधिक लोकप्रियता अर्जित की कि साम्प्रदायिक व पूंजीवादी तत्व किसी आदेश को लेकर, सफल होने की सारी आशाएं खो बैठे। तभी उन्होंने अपने तौर-तरीके बदल दिये। ठीक, इसी तरह ऐसा रूप राजनीति के लिए अनूठा नहीं था। हाल ही के इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं।

राजनीतिक विपक्षियों द्वारा चरित्रहनन तथा अवमानना का हरसंभव प्रयास ऐसा रहा, जिसने भारतीय राजनीति को शर्मसार कर दिया। यहाँ तक कि 1971 के लोकसभा चुनावों में भी विपक्ष ने कोई वैकल्पिक आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं दिया था। उन्होंने मुझ पर ही अपना निशाना साधा। इस प्रक्रिया में मानवीय गरिमा का हनन हुआ। वे अपनी हार के कारण प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए कुण्ठित अनुभव कर रहे थे। इसके बाद कुछ समय के लिए एक ऐसा अंतराल आया, जिसमें भारत को ऐसी चुनौतियों से दो-चार होना पड़ा, जो संभवत: किसी देश को कभी नहीं निभानी पड़ी होगी। बांग्लादेश से लाखों शरणार्थियों का आगमन, आक्रमण व युद्ध, अप्रत्याशित रूप से पूरे देश मे सूखे की मार, तेल संकट के कारण मुद्रास्फीति का उतार-चढ़ाव और अन्य आर्थिक संकट, जो किसी संपन्न देश के आर्थिक संतुलन को भी बिगाड़ सकते थे। भारत अपनी आर्थिक उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी दौरान विपक्ष ने गैर-संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए, हमारे देश की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को पंगु करना चाहा। जैसा कि मैंने पिछले वक्तव्य में भी कहा कि

राष्ट्रीय जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं बचा था, जिसे अव्यवस्थित न किया गया हो। हमारे समाज के अनेक वर्गों के रोष को आड़ बनाकर, चुनी गई सरकार व असेंबली पर हमले किये गये। हम उन दुखद हालात को नहीं भूल सकते, जिनके दौरान गुजरात असेंबली को इसके गठन के कुछ माह बाद ही भंग किया गया।

देश के इसी राजनीतिक वातावरण के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया और विपक्ष ने उसे मेरे खिलाफ प्रयोग में लाने का निर्णय ले लिया। हालांकि निशाना मुझे बनाया गया था, परन्तु वे कांग्रेस सरकार को ही गिराना चाहते थे ताकि गैर-संवैधानिक साधनों से सत्ता हासिल कर सकें। यदि किसी चुनी गई सरकार को हिंसा व धमकियों तथा घेराव व प्रदर्शनों से हटाया जा सकता है, तो देश का प्रजातांत्रिक ढांचा समाप्त होते देर नहीं लगेगी। 1958 में, संवैधानिक सुधारों के मामले में फ्रेंच प्रधानमंत्री श्री गालार्ड ने कहा था– 'यदि वे लोग जो बहुत से सत्ता में आये हैं, उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के साथ अधिकार नहीं मिलते तो प्रजातंत्र केवल एक परिणाम है।'

देश की प्रधानमंत्री होने के नाते, मैं केवल इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ सकती कि मेरे आपातकाल की घोषणा को लेकर संदेह प्रकट किया जा सकता है। जब किसी देश की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को बंधक बना लिया जाय और सरकार को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़े तो ऐसे में कुछ लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होना स्वाभाविक ही है। यही संविधान के आर्टीकल 352 का तथ्य व तर्क है, जिसके अधीन आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल की घोषणा लोगों को संकट में डालने के लिए नहीं की गयी थी और यदि ऐसा हुआ है, तो मैं सार्वजनिक रूप से गहरी खेद व्यक्त करती हूँ।

मैं आदरणीय कमीशन का ध्यान, वर्तमान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के उस कथन की ओर दिलाना चाहूँगी, जो उन्होंने हाल ही में राज्यसभा में देते हुए कहा, 'किसी के लिए अंतिम अधिकार से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्रत्येक अधिकार, सारे समाज के अधिकार से जुड़ा होता है। यदि पूरे समाज के अधिकार खतरे में हो, तो सरकार को इस खतरे पर आये संकट को हटाने के लिए कदम उठाना ही होता है।

इन परिस्थितियों में, आदरणीय कमीशन ने पहले से कुछ तारीखों का चयन कर लिया है, ताकि पूछताछ की जा सके और उनका यह कृत्य उनके अपने ही वादे को झुठलाता है। वर्तमान केन्द्र सरकार के सदस्यों द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय तथा सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद निरंतर यह आरोप लगाया जाता रहा कि मैंने निजी कारणों से आपातकाल की घोषणा की और गैर-संवैधानिक तरीकों से अपने प्रधानमंत्री पद को बनाये रखने का प्रयास किया। मैं कमीशन को सादर बताना चाहती हूँ कि वे भी निरंतर मेरे राजनीतिक विपक्षियों द्वारा फैलाये गये अपवाद को ही समर्थन देते आ रहे हैं।

यह सारी पूछताछ, पहले से ही तयशुदा ढांचे पर होगी और साक्ष्य भी उसी सोचे-समझे गये निर्णय के आधार पर जुटाये जायेंगे और इस सामग्री को बिना किसी परख के, लोगों के सामने प्रमाण के तौर पर पेश कर दिया जायेगा। मेरे विनीत मत के अनुसार, यह न्याय के लक्ष्य की पराजय है।'

000

(2)

court order

"In view of my finding that the criminal case against respondent No.2 and others was instituted on account of personal or political vendetta at the instance of some disgruntled political leaders, that no prima facie case of forgery or misconduct is made out on the materials on the record, that the Court's jurisdiction in dealing with the application under Section 321 of the Code is only to see whether the public prosecutor had applied for withdrawal in the interest of public justice, or he has done so actuated by improper or oblique motive, that a substantial amount of loan has already been realised, that the continnuance of the criminal case in the circumstances of this case will be only an exercise in futility at the trial Court as well as the High Court were satisfied with the grounds for withdrawal taken by the Public Prosecutor, the view taken by the trial Court as well as the High Court in my opinion does not suffer from any infirmity and is a just and proper one.

For the reasons given above the appeal must fail and it is accordingly dismissed.

" The appellant is admittedly a political rival of respondent No.2. There is no love lost between them. It is at the instance of such a highly interested person that this Court is called upon to direct re-trial of the case, setting aside the consent given by the Special Judge. The second respondent is a leader of a political party. He was a rival to the Chief Minister who followed him after the 1977 at the time of institution of the case. In 1977, when the second respondent was the

Chief Minister, awarrant of arrest was issued against Shri Karpoori Thakur for his arrest and detention. It has been suggested that Shri Thakur had grudge against the second respondent. Viewed against this background in my view,it would not advance either the interests of justice or public interest on the unsatisfactory factual details of the case to accept the appeal and direct re-trial.

I have deliberately refrained from considering the factual details of the case because the details are available in the three judgements rendered by three Judges of the Court reported in (1983) AIR 1983 SC 194). I have approached the whole case in a purely detached manner with reference to the facts of the case and the questions of law involved. In this case this Court is called upon only to consider the ambit and scope of Section 321. Cr.P.C.. The number of true cases that get crucified at the altar of the doctrine of benefit of doubt is legion. Since the scope of this appeal does not and cannot extend to the considertion of the merits of the case in depth. I have advisedly not embarked upon such an enquiry. I firmly believe that this Court while deciding cases should consider only the legal isues involved and not the individuals involved.

On a careful consideration of the facts and circumstances of the case, I hold that this apeal has a fail and has tobe dismissed Accordingly, I dismiss the appeal."

000

(3)

साक्षात्कार

प्रश्न- वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य आपकी नजर में कैसा है? कांग्रेस को एक पार्टी के रूप में पुनरूज्जीवित करने हेतु आपके चिन्तन के अनुसार क्या किया जाना चाहिये?

जवाब - यह प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि कांग्रेस को सत्ता का एकाधिकार नहीं है। पूरा-पूरा दक्षिण भारत गैर-कांग्रेसी पार्टियों की सत्ता के अधीन है। यही हाल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा मिजोरम के पूरब में है और हरियाणा के उत्तर में है। वर्त्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन पंजाब में अकाली दल सत्ता में आया और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कनीय सहयोगी दल है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो यह सोचते हैं कि हरियाण के परिणाम का असर हिन्दी-पट्टी पर नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं यह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग ठीक-ठीक वैसा ही मन बनाते हैं, जैसा हरियाणा के लोग। पंजाब की घटनाओं से हरियाणा बहुत अधिक प्रभावित होता है। फिर भी इस बात का काट नहीं कि कांग्रेस के लिए परिस्थितियाँ हिन्दी-पट्टी में भी उस तरह गुलाब की शय्या वाली नही जिस तरह पहले होती थीं और फलतः कांग्रेसजनों को अपने-अपने प्रत्येक स्नायु-तन्तु को पहली वाली स्थिति को लाने के लिए तानना होगा, कसना होगा। लेकिन यह तो राष्ट्रीय परिदृश्य का केवल एक पक्ष है। राष्ट्र अभी गंभीर संकट से गुजर रहा है। बेरोजगारी जोरों से बढ़ रही है; अपराध भी उसी तरह बढ़ रहे हैं। हमारे युवकगण निराशा का अनुभव करते हैं और साम्प्रदायिकता देश को अवरुद्ध किये हुये है। मैं किसी भी तरह निराशावादी नहीं हूँ। कांग्रेस ज्वार को घुमा सकती है सिर्फ अपनी समाजवादी सूरत और रूह के जरिये।

प्रश्न- वर्तमान आर्थिक नीति के बारे में आप कैसा अनुभव करते हैं?

जवाब - पं० जवाहर लाल नेहरू ने आज के भारत की नींव रखी। महान दूरद्रष्टा उन्होंने हमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का 'स्लोगन' दिया और वे लोक-उपक्रम को महती ऊंचाइयों तक ले गये। किन्तु, बाद में नेहरू जी की नीति 'प्रैग्मेटिज्म' के नाम भेंट चढ़कर शिथिल होने लगी। जब कभी कांग्रेस ने प्रगतिशील, निर्धनोन्मुख, धनी-विरोधी और सामंत-विरोधी कदम बढ़ाये, जनता कांग्रेस के साथ उमड़ी; फिर जब कभी कांग्रेस ने आंतरिक या विदेशी पूँजीवादी वर्ग के सामने घुटने टेक दिये, जनता ने इसे (कांग्रेस को) झटके दिये। विश्व बैंक के दबाव में रुपया का अवमूल्यन और 1967 में भारत के उत्तरी राज्यों में कांग्रेस की पराजय असंबद्ध नहीं हैं। तब 1969 में कांग्रेस का विभाजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवीपर्स का उन्मूलन जैसे निर्णय लिये गये। फलतः 1971 में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। इसमें हमारे लिये एक सबक है। भारी संख्या में लोगों की यह भावना है कि हमारी आर्थिक नीति सम्पन्न लोगों के पक्ष की है। मैं आधुनिकीकरण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आधुनिकीकरण को भारतीय संदर्भ में होना होगा। जब आधुनिकीकरण ऊपर से थोपा जाता है, तो परिणाम विध्वंसक होता है, जैसा इरान में हमने देखा है। यहाँ प्राथमिकता का प्रश्न उठता है। ऐसे देश में, जिसमें विशाल जनसंख्या अब भी निर्धन हो, लोग पर्याप्त भोजन-वस्त्र नहीं पायें, शिशुगण प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और यहाँ तक कि दूध से भी वंचित हों, करोड़ों लोग स्वच्छ पेयजल नहीं पा सकें, आधुनिकीकरण का वह अर्थ नहीं होता है, न होना चाहिये जो अर्थ यूरोप या अमेरिका या सोवियत संघ में होता है।

प्रश्न- आप जनता को यह कहते रहे हैं कि केन्द्र सरकार बिहार के प्रति समुचित व्यवहार नहीं करती है। आपके ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है?

जवाब - बात यह है कि पूर्वी राज्यों के प्रति केन्द्र सरकार समुचित व्यवहार करती रही है। वस्तुस्थिति यह है कि योजनाओं में बिहार और अन्य राज्यों के आवंटनों में भारी अंतर रहता आया है- प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में अंतर है। अब छठी पंचवर्षीय योजना के उपरांत यह प्रति व्यक्ति आय 38 प्रतिशत है। अन्य बहुत सारे कारण हैं। प्रति व्यक्ति अत्यल्प आय का प्रश्न उठाया। मैंने केन्द्र सरकार पर दोषारोपण नहीं किया है, बल्कि मैंने गरीबी, जनसंख्या आदि बिन्दुओं पर जोरदार ढंग से ध्यान आकृष्ट कर योजनाओं में

बिहार की हिस्सेदारी में वृद्धि की विनम्रता से, किन्तु दृढ़ता के साथ मांग रखी है। इन्हीं दृष्टिकोणों से योजना का आकार बनाने पर तर्कयुक्त बल दिया है। बिहार को अधिक रायल्टी देनी होगी- खनिज संपदा यथा, कृष्णागार (कोयला खादान) के लिए या केन्द्र को अधिकाधिक आवंटन करना होगा। यदि बिहार राज्य को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दायित्व या भार बनाने से बचना है, तो केन्द्र इसे अधिकाधिक राशि का आवंटन करे। मेरी राय में जबतक राज्य सरकारें मजबूत नहीं होंगी, लोग मजबूत नहीं होंगे, तबतक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता।

प्रश्न - क्षेत्रीय पार्टियों के विकास के संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है?

जवाब- ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ कहीं लोग यह सोचते हैं कि नेतृत्व (किसी राज्य में) उन्हें राष्ट्रीय धन का वाजिब हिस्सा दिलाने के लिए केन्द्र पर दबाव डालने में मजबूत नहीं, वहाँ के लोग क्षेत्रीय दलों में पहुंच बनाते हैं। द्वितीयतः केन्द्र के अत्यधिक हस्तक्षेप पर लोग आक्रोशित होते हैं, लोग केवल हाँ में हाँ भरनेवाले अपने नेता को नहीं चाहते। जहाँ भी कांग्रेस कमजोर रही है, वहाँ क्षेत्रीय दलों को जीत मिली है।

प्रश्न- क्या आप कांग्रेस संगठन को चलाने के तरीके से संतुष्ट हैं? कांग्रेस में जान भरने के लिए आपके क्या परामर्श हैं?

जवाब - निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूती और संजीदगी की जरूरत है। मगर यह काम कांग्रेस के लोकतंत्रीकरण से और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की छूट कांग्रेस को देने से ही किया जा सकता है। अधिकाधिक प्रदेश कांग्रेस कमिटियाँ निष्क्रिय हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी लम्बे समय से बैठक नहीं कर पायी है और इसके नेता और कार्यकर्त्तागण कांग्रेस नेतृत्व द्वारा विश्वास में नहीं लिये जाते हैं। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस को कई परिवर्तन करने का हथियार बनाना होगा। पुराने और प्रतिबद्ध कांग्रेसजनों को, जो कई तूफानों को झेल चुके हैं, उचित आदर प्रदान करना होगा और उन्हें एहसास कराना होगा कि वे पार्टी के अभिन्न अंग हैं। अगर ऐसा किया जाय, तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस सम्मुख आये तूफान का भी सफलतापूर्वक सामना कर लेगी।

प्रश्न- बिहार एक अल्प शासित राज्य है, देश के अन्य राज्यों में वर्ग संघर्ष और जातीय दंगों से हुए हताहतों से कहीं अधिक जानें बिहार में गयी हैं। इसके कारण क्या हैं?

जवाब – कुछ समय से बिहार में हत्याओं का जो दौर जारी है उसकी जड़ें ग्रामीण बिहार में सामाजिक–आर्थिक विषम स्थितियों में हैं। भूमि–सुधारों का मंथर गति से क्रियान्वयन, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून का क्रियान्वयन नहीं होना, सामाजिक अत्याचार और ठेकेदारों के रूप में माफिया तत्वों का ज्वार वर्तमान परिस्थिति के कारक हैं। यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 40 (चालीस)वर्षों के उपरांत भी जाति–आधारित सभाएं लगती हैं जो सरकार के वी०आई०पी० लोगों द्वारा संबोधित की जाती हैं। जबतक सामंती रिश्ते नहीं रोके जायेंगे और गरीबों और कामगारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बिहार में हत्याओं का उफान नहीं रुकेगा। सभी राजनीतिक पार्टियाँ विधान सभा और लोक सभा की जगहों के लिए जाति के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। नौकरशाही जाति के आधार पर विभाजित है। चुनावों में एक जाति के विरुद्ध अन्य जातियों का उपयोग करने की कोशिशें की जाती हैं। फिर भी जब जातीय दंगे होते हैं या जाति के आधार पर लोगों की हत्याएं होती हैं, तो हम स्तब्ध रह जाते हैं, अपितु यह त्रासदी है।

प्रश्न– क्या आप बिहार सरकार के कार्य– निष्पादन से संतुष्ट हैं?

जवाब – इस बिन्दु पर मेरी राय सुविदित है और मैंने अपने नेता श्री राजीव गांधी से इस विषय में कई बार कहा है। कुछ लोग मेरे द्वारा की गयी बिन्देश्वरी दुबे सरकार की आलोचना को खारिज करने की नीयत रखते हैं और उनमें (श्री दुबे)और मुझमें व्यक्तिगत स्पर्धा बताते हैं। किन्तु ऐसी बात नहीं है। असल में बिहार के भविष्य का यह मामला है, या कम–से–कम बिहार में कांग्रेस के भविष्य का मामला है। इस मुद्दों पर मैं और अधिक व्याख्या नहीं करना चाहता, चूंकि पार्टी का नेतृत्व इस बात को पकड़ चुका है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हमारे लिये संकटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न कर ही हमारी परिस्थिति को बिगड़ जाने की इजाजत दी जा सकती है।

प्रश्न– क्या आप यह सोचते हैं कि क्रय–घोटालों से कांग्रेस पार्टी पर दुष्प्रभाव पड़ा है और ये घोटाले 1990 में पार्टी की अच्छी संभावनाओं पर पानी फेर सकते हैं?

जवाब – हाँ ! लेकिन अभी तक मात्र शहरी मध्यम वर्ग दुष्प्रभाव का शिकार हुआ है। कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। किन्तु यदि कांग्रेसजन एकजुट होते हैं, सक्रिय होते हैं, समाजवादी कार्यक्रम अपनाते हैं, तो राजीव गांधी के

नेतृत्व में कांग्रेस ज्वार को मोड़ सकती है; ऐसा कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है।

प्रश्न–हाल ही में आपने वक्तव्य जारी किया है कि कांग्रेस और दोनों कम्युनिष्ट पार्टियाँ निकट से निकट आ जायेंगी। क्या वर्तमान संदर्भ में आप सोचते हैं कि यह संभव है?

जवाब – यह बहुत अधिक संभव है। दोनों कम्युनिस्ट पार्टिया हमारी विदेश नीति का समर्थन करती आ रही है। समय के साथ खरी उतरी सुपरीक्षित भारत–रूस मैत्री को मजबूत करने में ये कम्युनिस्ट पार्टियाँ हमारे (कांग्रेस के) साथ हैं। मैं मानता हूँ कि एशिया, अफ्रिका, लैटिन अमेरिका के नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध ये हमारे साथ एक हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस में भेद मुख्यत: आर्थिक नीति के मुद्दे पर है। अगर हम अनुकूलता के अनुसार अपनी आर्थिक नीति में सुधार लायें, आत्मनिर्भरता की नीति के प्रति पुन: समर्पित हों, यदि हम अपने उद्योग–जगत् में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पैठ को और अपनी अर्थव्यवस्था की कीमत पर विदेशी सामानों के आयात–प्रवाह को दबा दें, तो बिल्कुल ही कोई कारण नहीं रह जाता कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ, जो सिद्धांत आधारित कदम उठाती आ रही हैं, हमलोगों के (कांग्रेस के) आर्थिक–सामाजिक न्याय के लिए और एक नये समाजवादी भारत के निर्माण के लिए समान संघर्ष में हमारे निकट नहीं आयें। मेरे साक्षात्कार और मेरी गतिविधि से आलाकमान मेरी निष्ठा को आंकती भी रही हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं है। इसी प्रकार मेरे द्वारा विवादास्पद प्रश्नों के उत्तर में प्रकाशित किये गये तथ्यों को भी प्रत्येक स्तर पर स्वीकार्यता मिल गयी हो तो भी रंज मात्र भी संदेह नहीं।

एक और अखबार के साक्षात्कार का जिक्र करना चाहूंगा। साक्षात्कार के पहले अखबार की टिप्पणी–

"समुद्र में तूफान मचाने वाले एक पंछी के समान बिहार की राजनीति में झंझावात लाने वाले डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के प्रौढ़ युद्धनायक रहे जो अब निजी हाथों में बागडोर थामने के लिए तैयार हैं। उस कांग्रेस पार्टी से इनका मोहभंग हुआ जिसने (कांग्रेस ने) कई बार इनकी राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ भीतर–घात किया। अंतिम क्षण तक संघर्ष करने वाले युद्ध विद्या के कुशल नायक अब अपनी ही पार्टी के माध्यम से अपने खेमा/पक्ष का विस्तार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनुभव ने इन्हें अति उत्साही न होना सिखला दिया है।

''उम्र मेरे साथ है'' यह विवेकपूर्ण टिप्पणी 1990 में उन्होंने तब की जब उन्हीं राजीव गांधी द्वारा पुनः इन्हें सत्ता सौंपी गयी, जिन राजीव जी ने इन्हें छह वर्षों के राजनीतिक वनवास में डाल दिया था। अब 60 वर्ष के ऊपर इसी वर्ष जून में हो चुके डॉ॰ मिश्र वह गोंता लगाने के इच्छुक हैं जिससे वे अपना पहला बलशाली मंच (जन जागरण मंच) 1988 में स्थापित करने के बाद बचना चाहते थे।

उलट-पलट, जोड़-तोड़ के यथार्थवादी अर्थशास्त्री डॉक्टर साहब निजी कथनानुसार राजनीतिक रंगभूमि में जीवन्त रहने के लिए वजनदार विवादों में पदार्पण करने में कुशल हैं- किन्तु हाँ! विस्तारित नेत्रों के साथ-ऐसा उनका दावा है। किन्तु इस बार उन्होंने अपने खोये राज-पाट को वापस करने पर नजर गड़ा ली है। अनुभवी डाक्टर साहब अपनी मानसिक स्थिति से हालिया 'करो या मरो' जंग के बारे में अवगत कराते हैं।"

फिर सवाल-जवाब-

प्रश्नः- सीताराम केसरी से आपके मतभेद क्या हैं?

जवाबः-केसरी ने बार-बार मेरा विरोध किया है। यह उनकी शत्रुता 1975में ही प्रत्यक्ष थी। वे मुझे मुख्यमंत्री पद से हटवाने में एक कारक थे। मेरे विरुद्ध उनकी व्यक्तिगत शिकायतें भी थीं। 1980 में कांग्रेस के सत्ता में वापस आने के बाद केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने की उन्होंने आशा की थी और जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना तो, उन्होंने मुझसे केन्द्रीय मंत्री बनने के लिए सहायता मांगी थी। मेरे भरपूर प्रयासों के बावजूद केसरी राज्य मंत्री ही बन पाये। 1983 में जब मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तब एक वरीय कांग्रेसी के रूप में केसरी ने मुख्यमंत्री पद पाने की आशाएं पाल लीं और यह भी उम्मीद कर डाली कि मैं उनका (केसरी का) नाम परामर्शित कर दूँ, किन्तु राजीव गांधी ने चन्द्रशेखर सिंह को मेरी जगह मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया। बाद में बिन्देश्वरी दुबे मुख्यमंत्री हो गये। जब आलाकमान ने फिर परिवर्त्तन करना चाहा, तो केसरी ने मुझ पर और अन्यों पर पुनः दबाव दिया अपना नाम प्रस्तावित करने के लिए। किन्तु आलाकमान की दूसरी योजनाएं थीं। इस प्रकार केसरी की शिकायतें मेरे विरुद्ध बढ़ती गयीं, यद्यपि मेरी कोई गलती नहीं थी।

प्रश्नः- और अन्य मतभेद बढ़ते गये हैं?

जवाबः- हाँ। उनकी उम्र, उनके गिरते स्वास्थ्य एवं अग्रज (ललित बाबू)के साथ अच्छे संबंधों का ख्याल कर उनसे सामंजस्य स्थापित करने के मेरे उत्तम प्रयासों के बावजूद भेद बढ़ते ही गये। अगर 1994 में मैंने राज्य सभा निर्वाचन में उनकी मदद न की होती, तो वे विजयी नहीं हुए होते; ऐसा केसरी ने खुद भी स्वीकारा। मुझे भान हुआ कि यदि मैंने इनकी (केसरी की) सहायता न की, तो ये गिर जायेंगे, मर जायेंगे, जबकि मैं यह दोष नहीं लेना चाहता था। लेकिन मैं उनके विरुद्ध हो गया जब केसरी ने नरसिम्हा राव को निशाना बनाना शुरू किया। मैंने उनसे 18 दिसम्बर, 1995 को कहा कि यदि राव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष पद से हटाना ही हो, तो उन्हें उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप सम्मानपूर्वक हटाया जाना चाहिये। इस पर पूरी प्रक्रिया (हटाने की) सम्मानजनक ढंग से संचालित करने की सहमति का मुझे वचन देने के बावजूद दूसरे ही दिन श्री केसरी मुकर गये और राव को अपदस्थ करने की घटना को बेहद अपमानजनक बना दिया।

जरा सोचें कि श्री राव ने ही केसरी को मंत्री बनाया। सरकारी खर्च पर यूनाईटेड स्टेट्स में उनकी चिकित्सा करवायी और अंततोगत्वा कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सामने देखा कि अपमान भरे शब्द इतने वयोवृद्ध राजनेता पर (राव पर) उछाले जा रहे थे। यह महाभारत के द्रौपदी-चीरहरण जैसा ही दृश्य तो था। किन्तु, मैं चुप नहीं रह सका। यह सीताराम केसरी ही थे, जिन्हें कांग्रेस वर्किंग कमिटी को एक व्यक्ति-एक पद का निर्णय लेने के लिए अनुकूल कर लिया था। यद्यपि कुछ व्यक्ति थे ही जो दो-दो पद धारित करते थे, किन्तु केवल मुझे (जगन्नाथ मिश्र को) ही अपने धारित दो में से एक का त्याग करने का कहा गया। वे बदला लेने की इच्छा से इतना अधिक संचालित होते थे कि बिहार के राजनीतिक मंच से मुझे और मेरे सहयोगियों को मिटा देने के लिए कुछ भी करना इन्होंने नहीं छोड़ा। किन्तु सत्य तो यह है कि कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी को नेतृत्व देने के लायक ही नहीं पार्टी के इतिहास में यह पहली बार है कि कांग्रेस अध्यक्ष एक गुट के नेता की तरह आचरण कर रहे हों न कि पार्टी के अध्यक्ष की तरह। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष को यहाँ तक कह दिया गया कि वे मुझे और मेरे सहयोगियों को पार्टी कार्यालय में प्रवेश

करने की भी इजाजत नहीं दें। ये भूल गये हैं कि मेरे ही सहयोगियों ने पार्टी के 32 (बत्तीस) लाख सदस्यों के बल में 15 (पन्द्रह) लाख सदस्यों को नामांकित किया है और इसके सभी प्रमाण रसीदों के साथ मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इन्हें नामांकित संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए अथवा चुनाव के मैदान में उतरने के लिए कहा था। जब करीब 727 ब्लॉक कमिटियों के अध्यक्ष ही नहीं थे, तो पार्टी के अंदर चुनाव किस प्रकार कराये गये? हम लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष से पार्टी संविधान के नियमों के अनुसार विरोध किया; किन्तु कोई सुनवाई नहीं हो सकी है, न न्यायाधिकरण और न इसका कोई परिणाम हुआ।

प्रश्न:- क्या इसी कारण ने आपको अपनी पार्टी की घोषणा करने के लिए धक्का दिया?

जवाब:- 15 जुलाई को इस वर्ष जब केसरी ने हमलोगों से विश्वासमत के दरम्यान अनुपस्थित रहकर अप्रत्यक्ष रूप से श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार को समर्थन देने को कहा, तो हमें दीवाल में धकेल कर सटा दिया। इससे भी बड़ा धक्का हमें तब मार गया जब 28 जुलाई, 1997 को श्रीमती राबड़ी देवी के पक्ष में सी.एल.पी. को उन्होंने (केसरी ने)मतदान करने को कहा और इसीलिये 3 अगस्त, 1997 को कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंकी एक सभा हमने बुलायी और यह तय किया कि पार्टी की पहचान बचाने के उद्देश्य से 'कांग्रेस बचाओ मंच' चलाया जाय। इस नये आंदोलन के समर्थन-सहयोग में स्थल पर ही 10,000 (दस हजार) से अधिक कार्यकर्त्ताओं ने फार्मों पर हस्ताक्षर किये।

प्रश्न:- आप राष्ट्रीय जनता दल के इतने विरोधी क्यों हैं, जब कि आलाकमान गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार है?

जवाब:- पिछले 7 (सात) वर्षों में राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य को विनष्ट कर दिया है। योजना आयोग में इस तथ्य के सभी आंकड़े हैं। केन्द्रीय सहायता का पैसा-पैसा इस सरकार ने फिजूल खर्ची में उड़ा दिया है। केन्द्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हुए हैं। बिहार की वार्षिक योजनायें ठप्प कर दी गयी हैं और पूरे देश में चल रही उदारीकरण की नीति से राज्य सरकार लाभान्वित होने में असफल रही है। एक भी एम.एन.सी. बिहार में नहीं आया है और इससे भी बुरा यह कि इस राज्य में एक भी नया उद्योग इन 7(सात) वर्षों में नहीं लगाया गया है। यह विनाश का स्पष्ट सूचक है। और इस सबके ऊपर यह है कि कमजोर

वर्ग के 3,000 (तीन हजार) व्यक्तियों की हत्याएं हो गयी हैं, इनमें से 1000 (एक हजार) की तो बीते कुछ महीनों में ही। निष्कर्षतः मेरा प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्त्तागण उस पार्टी के साथ गठबंधन का बोझ ढोयें, जिसने, व्यावहारिकरूप से इस राज्य को ध्वस्त कर दिया है? अपने मूल्यों-सिद्धांतों को समर्पित कर कांग्रेस अपने आपको हँसी-मजाक का खजाना निश्चित रूप से बनाकर रहेगी। मेरी लड़ाई मुद्दों पर आधारित है, व्यक्तियों से नहीं। और मैंने एक नई पार्टी अपनी अस्मिता की रक्षा करने तथा बिहार के कांग्रेसी बंधुओं के सम्मान को और भविष्य में नीचा किये जाने से बचाने के लिए बनायी है।

प्रश्नः- ध्रुवीकरण के परिदृश्य में अपनी नई पार्टी के साथ आगे बढ़ने की कैसी योजना बनाते हैं? क्या आपने कोई विशेष जोड़-तोड़ का काम गठबंधन के लिए किया है?

जवाबः- वर्तमान् परिदृश्य में हम अकेले काम नहीं चला सकते और हम आवश्यक रूप से गठबंधनों की तलाश करेंगे। हम सभी आशान्वित होकर एक 'फ्रंट' के रूप में आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के और भाजपा के भी विरुद्ध लड़ेंगे। बिहार में जमीनी स्थिति 1996 के लोकसभाई चुनाव से ज्यादा नहीं बदली है। आरजेडी-कांग्रेस का मिलना निश्चत रूप से संकट बनेगा, क्योंकि जनाधार के कांग्रेसी कार्यकर्तागण इस मिलान या गठबंधन से कभी सुलह-समझौता नहीं कर सकेंगे। नेतागण एकसूत्र में बंध सकते हैं, लेकिन यह एकता केवल सतह पर रहेगी। कोई भी कांग्रेसी जनाधार आरजेडी में स्थानांतरित नहीं होगा और न आरजेडी का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि इस बार पहले की तरह अल्पसंख्यक श्री लालू प्रसाद यादव को समर्थन नहीं देंगे। दलित वोटों में विभाजन होगा, क्योंकि पासवान एक मजबूत चुनौती देने वाले के रूप में उभरे हैं और कांशीराम भी इनकी (पासवान की) पकड़ को ढीला करने में सक्षम नहीं होंगे। ये सभी तथ्य आरजेडी के गढ़ को तोड़-फोड़ देंगे।

प्रश्नः-आप मंत्रियों के बीच भ्रष्टाचार के मामला में चार्ज-शीटेड रहे। क्या आपको इन आरोपों के बारे में कुछ कहना है?

जवाबः- एक भी घोटाला या दुष्प्रचार का अभी तक आधार नहीं पाया गया है। लेकिन कांग्रेस लेजिसलेचर पार्टी (सी.एल.पी.) में अपार बहुमत के समर्थन के बावजूद मुझे मुख्यमंत्री पद का त्याग करने को कहा गया। 135 से भी अधिक सदस्यगण इसके (मेरे त्याग-पत्र देने के) विरुद्ध थे और मुझे पार्टी के विभाजन

के लिए जोरदार अनुरोध कर रहे थे, किन्तु मैंने आलाकमान के परामर्श का अनुपालन करना बेहतर समझा। हमेशा ही मेरी धारणा रही है कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति प्रेस के साथ उलझकर जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा। यदि मुझे किसी भी चीज से डरना या किसी भी बात को छिपाना

रहता, तो मैं प्रेस को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता। किन्तु, मैंने तो प्रेस को आमने-सामने लिया।

प्रश्न:- प्रेस बिल की असफलता की एक अन्य कमजोरी को कुछ आपके साथ जोड़ते हैं। आप उसमें कैसे पड़ गये?

जवाब:- हँसी आती है। अब मैं इसकी अंदरूनी कहानी पहली बार खोलकर प्रकट करता हूँ। हाँ, मैं आलाकमान की इच्छाओं के अनुरूप चला और बिहार प्रेस बिल लाया। लेकिन 1983 में मैंने इसे वापस ले लिया तो भी आलाकमान के आदेश के बिना। बस सभी आपत्तियाँ आ पड़ीं। इस हरकत के कारण भी मुझे अपनी चीफ मिनिस्ट्री गँवानी पड़ी। कुछ लोगों ने तमिलनाडु की तर्ज पर प्रेस बिल की जरूरत समझी, लेकिन इसके लिए दबाव डालने का साहस नहीं किया। मैंने यह चुनौती ले ली और मुझे बलि का बकरा बनाया गया। किन्तु बाद में ढक्कन उड़ाकर फेंक दिया गया। 1983 में राजीव गांधी के जमाने में श्री चिदम्बरम् ने इसी के समान एक प्रेस बिल- कहिये पहले वाले बिल की हू-ब-हू प्रति पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया; जब पार्टी की बैठक इस मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए हुई, तो मैंने राजीव जी से कहा कि चूंकि इसी बिल के लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, इसलिये इसे कृपया दुहरा कर वही गलती नहीं की जाय। तत्पश्चात् विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए बिल को स्थगित कर दिया गया। अब यह बात स्वत: स्पष्ट हो जाती है कि बिहार में बिल लाने के पीछे किसने मुझे प्रेरित किया।

प्रश्न: इतने लम्बे समय तक राजनीतिक अंधगुफा में रहने के बावजूद प्रकाश के केन्द्र में वापस होना आपको कैसा लगता है? क्या कोई विशेष विवशता थी, जिस कारण दमखम के साथ आप वापस आये हैं?

जवाब:- मैं हमेशा ही राष्ट्रीय क्रिया-कलापों में गहरी अभिरुचि लेता रहा हूँ।मुख्यमंत्री के रूप में, फिर विरोधी दल के नेता के रूप में, केन्द्रीय मंत्री के रूप में, प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष के रूप में मेरा हाथ हमेशा राजनीति

की नब्ज पर रहता आया है। किन्तु, अब मैं पीछे खड़ा होकर पार्टी को धाराशायी होते नहीं देख सकता हूँ।

प्रश्नः- ऐसा लगता है कि हड्डों के छत्ता को भड़काने का आप में दुस्साहस भरा है।

जवाबः- हाँ। सौभाग्य या दुर्भाग्य से ऐसा मुझे खुद प्रतीत होता है। मैं बराबर एक या फिर दूसरे विवादास्पद मुद्दों में पकड़ा हुआ महसूस करता हूँ। जब मैं बिहार का मुख्यमंत्री था, तो शुरू से ही विवादों ने मेरा पीछा किया। विधान सभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मेरा निन्दन, पार्टी के छिन्न-भिन्न होते समय इसलिये हुआ कि इसके उच्च पद पर मैं था। यहाँ तक कि एक साधारण विधायक के रूप में भी राहत नहीं मिलती थी। 1994 में जब मैं राज्य सभा का सदस्य बना तब भी झगड़े मेरे पीछे-पीछे चलते रहे और 1995 में जब मैं केन्द्रीय मंत्री बना तब भी। वस्तुतः मेरा कॅरियर विवाद-स्वर पर ही शुरू हुआ और विवादाग्रस्त रहता भी है। किन्तु, मेरा विवादग्रस्त होना सदा ही मुद्दों पर आधारित रहता है न कि व्यक्तिगत कारणों पर।

प्रश्नः- लेकिन क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई थी?

जवाबः- सत्य यह है कि मेरी मंशा किसी को पदच्युत करने की कभी नहीं थी; राजीव गांधी को भी नहीं, लेकिन अफवाह उस समय फैली थी मेरे विरुद्ध। बिना नतीजा की परवाह किये मैंने बराबर अपने सिद्धांतों के पक्ष में खड़ा रहने का साहस रखा है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी गलती थी कि मैं यह समझने में असफल रहा कि उनकी कथनी उनकी करनी नहीं थी। मेरा मानना है कि, मैं सरल-सीधा था। दोनों साक्षात्कारों को प्रसंगवश उल्लिखित कर दिया, ताकि पाठकगण मेरी सोच और गतिविधियों से अवगत हो सकें।

कांग्रेस के प्रति मेरी प्रतिबद्धता ने मुझे संबल के साथ कार्य करने का मौका दिया। इस पार्टी की जो देन रही है, भारत की स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, गरीबी हटाने के लिये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, भिन्नता में एकता को ठोस रूप देने के लिए, पूरे आवाम को एक साथ लेकर चलने के लिए, प्रगति और विकासके लिए वह देन पूरे राष्ट्र की जनता को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कृतज्ञ बनाती है। मैंने अपनी निष्ठा से ऊपर के दिये गये साक्षात्कार में कांग्रेस की मजबूती के लिए जो विचार दिये हैं उन विचारों से लैस होकर मैंने हर निर्वाचन के अवसर पर एक समर्पित कार्यकर्त्ता

के रूप में जनता को कांग्रेस से जोड़े रखने का हर संभव प्रयास किया है। यों ऐसे ही मेरे प्रयत्नों ने कांग्रेस के आलाकमान तक को मेरे प्रति आकृष्ट भी किया, जिससे मैं गौरवांन्वित भी होता रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी और पराजय से मैं मर्माहत भी होता रहा हूँ। इसलिये कभी-कभी दु:खी होकर इसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए जनता के बीच लगातार बोलता रहा हूँ। इसीक्रम में दिनांक 22 नवम्बर, 1997 को **'राष्ट्रीय सहारा'** मेरे द्वारा दिया साक्षात्कार भी उल्लेखनीय है। जिसका शीर्षक निम्न रूप में प्रकाशित हुआ था-

'सोनिया नहीं आयीं तो इतिहास उन्हें दोषी ठहराएगा'

प्रश्न-जैन आयोग की अंतरिम स्पष्ट रपट आ जाने के बाद कांग्रेस को क्या करना चाहिए?

कांग्रेस को आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई की मांग करनी चाहिए। इसके अलावा, चूंकि द्रमुक के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणियां की गयी हैं, इसलिए द्रमुक को संयुक्त मोर्चा सरकार से निष्कासित करने की मांग करनी चाहिए।। इस बात का कोई तुक दिखायी नहीं देता कि कांग्रेस ऐसी सरकार को समर्थन देती रहे, जिसमें उसके नेता की हत्या का षड्यंत्रकारी शामिल हो।

प्रश्न- सीताराम केसरी के रुख से जान पड़ता है कि यह अब भी मोर्चे से समझौता के पक्ष में है,ऐसे में आप लोगों की क्या भूमिका है?

जवाब- समझौतावादी बनने से कांग्रेस का अस्तित्व, पहचान व उसकी सार्थकता मिट जाएगी। यदि कांग्रेस अपने नेता की हत्या के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करा पाये तो लोगों में क्या संदेश जाएगा? यही न कि अपने स्वार्थ के लिए पार्टी स्वाभिमान को कांग्रेस ने गिरवी रख दिया। पता नहीं क्यों केसरी जी गुवाहटी में आक्रामक तेवर दिखाते हैं, निर्णायक रुख अख्तियार करने का संकेत तक दे देते हैं, पर दिल्ली आकर समझौतावादी बन जाते हैं।

प्रश्न- वी.पी.सिंह सरकार द्वारा राजीव गांधी की सुरक्षा से एस.पी.जी. हटाना कानून सम्मत था, फिर इस बात पर इतना हो-हल्ला क्यों मच रहा है?

जवाब- ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद एस. पी.जी. कानून बना। बाद में राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत-श्रीलंका समझौता हुआ। श्रीलंका में शांतिसेना की कार्रवाई के बाद लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश रचनी शुरू की। राजीव गांधी के जीवन पर आसन्न गंभीर

खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए कानूनी नहीं सार्थक दृष्टि चाहिए थी। उस वक्त कानून अगर उन्हें एस.पी.जी. सुरक्षा की इजाजत नहीं देता था, तो नियमों में संशोधन की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। वी.पी. सरकार निश्चित ही इसके लिए दोषी है।

प्रश्न- वर्मा आयोग ने और जैन आयोग ने भी राजीव हत्याकांड में कुछ कांग्रेसजनों की भूमिका संदिग्ध बतायी है, इस पर कांग्रेस की चुप्पी की वजह..?

जवाब- यदि कांग्रेसजनों की संदिग्ध भूमिका जाहिर होती है और सतर्कता व सुरक्षा को अनदेखा करने की कांग्रेसजनों की नीयत झलकती है,तो संबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

प्रश्न- क्या सोनिया गांधी आने वाले दिनों में कांगेस का नेतृत्व संभाल सकती है?

जवाब- कांग्रेस को मजबूती सिर्फ सोनिया गांधी का सक्रिय नेतृत्व ही दे सकता है। नेहरू, इंदिरा व राजीव की कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है। सोनिया गांधी के राजनीति में आने की संभावना शत-प्रतिशत है। इस समय सोनिया जी यदि राजनीति में न आयी और कांग्रेस को नष्ट देखते रहीं, तो इतिहास कांग्रेस की समाप्ति का दोषी उन्हें ही ठहराएगा।

प्रश्न- कांग्रेस में पहले अधिकांश मुद्दों पर एकजुटता दिखती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही। कांग्रेस के बिखराव का कारण कहीं कमजोर नेतृत्व तो नहीं?

जवाब- देखिए, कांग्रेस में नेतृत्व तो है ही नहीं। नेतृत्व के स्थान पर राजनीतिक शून्यता की स्थिति है। सीताराम केसरी एकदम शून्य है और जबरदस्ती अध्यक्ष पद पर विराजमान है। यह करोड़ों कांग्रेसजनों के भावनात्मक व राजनीतिक प्रतिबिंब नहीं हैं।

000

(4)

राष्ट्रीय किसान आयोग, भारत सरकार, नयी दिल्ली के चौथे प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर मंतव्य और परामर्श

प्रतिवेदन का शीर्षक : कृषक की सेवा और कृषि की सुरक्षाः किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति का एक प्रारूप।

इस आयोग ने पहला, दूसरा, तीसरा और अब चौथा प्रतिवेदन प्रारूप बनाकर सचमुच एक विस्मयकारी कार्य सम्पादित किया है। यह बहुत ही व्यापक प्रतिवेदन है जिसमें भारतीय कृषि और किसानों की लगभग हर समस्या और उनके हर पहलू को समाहित किया गया है।

फिर भी कुछ निम्नांकित खास-खास और सर्वाधिक ज्वलंत उन समस्याओं को नीचे उजागर किया गया है जिनपर आयोग और सरकार दोनों का तात्कालिक ध्यान अत्यावश्यक है:-

जल प्रबंधन :

1. पहली और प्रमुख समस्या कृषि कार्य के लिए जल-प्रबंधन की है। बिहार समेत खासकर पूर्वी भारत में बाढ़ और सुखाड़ से किसानों को भयंकर क्षति होती है। सिंचाई और निकास दोनों के साथ जल-प्रबंधन में निवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ताकि जल की अधिकता और जल की कमी की स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। सिंचाई में निवेश बढ़ाना ही है, जैसा पहली से चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में किया

गया था। फिर पुरानी झीलों, नहरों, पोखरों, तालाबों के साथ नदियाँ, बालू, कीचड़ जैसे जलीय बेकार पदार्थ से भरी हुई है और इन पदार्थों से जल संचित रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसप्रकार वर्षा ऋतु में फसलों को बाढ़ग्रस्त करने के लिए जल का अधिक बहाव हो जाता है, जबकि रबी (विंटर) ऋतु में रबी फसलों को सिंचित करने के लिए जल उपलब्ध ही नहीं रहता है।

2. रोपनी प्रणाली की प्रथा से लेकर किसानी प्रणाली तक में धीरे-धीरे परिवर्तन की जरूरत है। इसके लिए अनुसंधान और प्रसार प्रणाली को परिष्कृत करना होगा। केवल धान, मक्का, गेहूँ, दलहन और तेलहन उपजाने पर ही बल नहीं देना होगा, अपितु अधिक से अधिक बागवानी के पौधों जैसे हरी सब्जी, फल-फूल, टूवर्स, मसालों के पौधों को रोपने की और औषधीय तथा एरोमेटिक पौधों, जिनसे अधिक आय और आमदनी किसानों को हो सके उनपर अधिक बल देना होगा।
3. कृषि क्षेत्र में मांग-प्रेरित और आपूर्ति-प्रेरित वर्तमान तरीकों के बदले उपाय अपनाया जाना चाहिए। कृषि को सिर्फ जीवन-यापन के स्रोत और जिन्दगी के स्रोत के रूप में ही अब नहीं रखा जा सकता। अब कृषि क्षेत्र को वाणिज्यिकी उद्यम और लाभप्रद कृषि व्यवसाय के लक्ष्य को निर्धारित करना ही है।
4. उपर्युक्त तथ्यों को वास्तविक रूप देने के लिए विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली का मार्ग अपनाना है और इस मार्ग में अनाज (सिरियल), दलहन, तेलहन सभी प्रकार के बागवानी-पौधों, कृषि-वन, कृषि-रेशम उत्पादन, दुग्धोत्पादन, पशुपालन, मुर्गी-पालन (पोल्ट्री), मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, ईख, पटुआ, मसाला और उपर्युक्त वर्णित सामानों के समान नकदी फसल को इसमें समेटना होगा।
5. कृषि प्रसंस्करण उद्योग, संरक्षण, वैज्ञानिक रख-रखाव, मानवीकरण एवं स्तरीकरण आदि को प्राथमिकता देनी होगी।
6. बंद/और या रुग्ण चीनी, जूट और कागज बनाने वाली मिलों से संबंधित उद्योगों को पुनर्जीवित करना होगा ओर साथ ही ऐसी नयी ईकाइयों को

भी खोलना होगा उन सभी जगहों पर जहाँ-जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता पायी गयी हो।

7. मक्का, चावल, गेहूँ, केला, मसाला, औषधीय और शोभा-वर्धक पौधों तथा मखाना से सम्बन्धित कृषि आधारित उद्योगों को शुरू करना होगा। जैम, जेली, एस्क्वैश, अचार, मार्मलेड, चटनी (सॉस) केचप जैसे डब्बा बंद उत्पाद आदि के लिए फल और सब्जी के प्रसंस्करण को प्रखंड के लघु स्तर, जिला के मध्यम स्तर पर और प्रमण्डल और राज्य के स्तरों पर वृहत् स्तर पर प्रोत्साहन करना देना।

8. कृषि-चिकित्सा और कृषि-व्यवसाय केन्द्र प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखंड मुख्यालय में खोला जाना चाहिए, और यहाँ एकल खिड़की प्रणाली द्वारा किसानों के लिए आवश्यक खेती की सामग्रियों और सूचनाओं- जैसे मिट्टी और जल की जांच तथा पौधा रोगों की पहचान की सूचनाओं को प्रदान (डेलीवरी) किया जा सके।

9. अब लगभग प्रत्येक ग्रामीण जिला में स्थित कृषि-विज्ञान केन्द्र को **'लर्निंग वाई डूईंग'** और **'सीइंग इज विलीभिंग'** का अनुभव किसानों को अवश्य देना चाहिए। साथ ही साथ किसानों को कृषि से संबंधित महिलाओं, युवकों और खासकर लघु एवं सीमांतक किसानों को पेशा पर आधारित प्रशिक्षण भी प्राप्त कराना चाहिए।

10. पुरुषों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के निर्माण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम को जोर-शोर से बढ़ाना चाहिए और उन्हें तकनीकी ज्ञान के अर्द्ध-प्रचारक के रूप में इस्तेमाल में लाना चाहिए।

11. ग्राम संस्थानों के कर्मियों जैसे मुखिया, सरपंच और प्रमुख तथा ग्राम सहकारी समितियों के लोगों को कृषि संबंधी प्रशिक्षण अवश्य मिलना चाहिए।

12. कृषि संबंधी अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है और राज्यों के कृषि विज्ञान विद्यालयों में (जिनकी संख्या अब देश भर मे 40 से अधिक है) देश में आईसीएआर संस्थाओं/केन्द्रों के शिक्षण और अनुसंधान के भारी संख्या में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर दिया जाना

चाहिए ताकि कृषि कार्य तथा कृषि-कार्य संपादन की प्रणालियों के लिए अनुकूल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन्स को विकसित किया जा सके।

13. यह एक सावधान करने वाली बात है कि कृषि, बागवानी, पशुपालन और दुग्धोत्पादन सहयोग समिति आदि जैसे विभागों का प्रसार यंत्र (एक्सटेंशन मेशीनरी) वर्षों से ठप्प/बीमार पड़ा है, बिहार जैसे अनेक राज्यों में राज्य के प्रखंड और ग्राम स्तरों तक 60 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं और तकनीकी प्रक्रिया का स्थानान्तरण इस बजट से बाधित है। इसलिए रिक्त पड़े पदों को जितनी जल्दी हो भर देना चाहिए।

14. बहुत बार उन्नत बीज, खाद, रोगाणुनाशक दवाएँ आदि जैसी कृषि सामग्रियां ठीक समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं। देरी होती है और मौसम चला जाता है। स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ' हर दूसरी चीज प्रतीक्षा कर सकती है पर कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। लेकिन, वास्तविक व्यवहार में ठीक उल्टी बात हो जाती है। इस नकारात्मक स्थिति को दुरुस्त करना होगा और उलटना होगा और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।'

15. जैविक कृषि पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए। जैविक खादों और कीटनाशक दवाओं का निर्माण कृषि कार्य को नियमित करने के लिए और पर्यावरण के उपयुक्त (ईको) फ्रेंडली बनाना होगा।

16. अब भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों तक कृषि-साख का प्रवाह नगण्य है। साख और ऋण लेने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना चाहिए और नहरों तथा उद्योगों के लिए निर्धारित सूद-दर को कम करना चाहिए। उदार ऋण सुविधाएँ कृषि आधारित उद्योगों को शुरू करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और यही स्थिति कृषि प्रसंस्करण के साथ-साथ कृषि चिकित्सा एवं कृषि-व्यवसाय केन्द्रों के लिए भी होनी चाहिए।

17. कृषि-विपणन प्रणाली को भी मजबूत करना है ही, उत्पादकों के हिस्सा को उपभोक्ताओं की मुद्रा में बढ़ाने के लिए, बिचौलियों और मध्यवर्गीय की संख्या को कम करने के लिए नियमित बाजारों को खोला जाना

चाहिए। बाजार की समस्या की जानकारी की प्रणाली को तीव्र किया जा सकता है, ताकि किसान यह जान सके कि अच्छा बाजार उत्पादों और अधिक लाभ के लिए कहाँ उपलब्ध है।

18. ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों, सूचना विपणन केन्द्रों, ई-चौपालों को खोला जाना चाहिए और आधुनिक इन्टरनेट की सुविधाएँ गाँवों में शुरू की जानी चाहिए जिनमें निजी कंपनिया भी सरकारी तंत्रों के साथ कार्य कर सकें।

19. ऊपर के सभी कार्यों को मूर्त्त रूप देने के लिए विद्युत आपूर्ति और पथ-यातायात, जिनकी दशा अधिकाधिक गाँवों में निम्नतम है, को उच्च प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिए जिसमें जल-प्रबंधन प्रणाली के संवर्द्धन और कृषि उत्पाद तथा प्रसंस्कृत उत्पादों के, राज्य के बाहर और अन्दर, तीव्रतर परिवहन को समुन्नत किया जा सके। विदेशों तक हमारे कृषि संबंधी उत्पाद के निर्यात पर भी तुरत ध्यान दिया जाना चाहिए।

20. सर्वोपरि उस कृषि को जिसमें 65 प्रतिशत से अधिक लोग संलग्न हैं, निश्चित रूप से उसपर सर्वोच्च ध्यान दिया जाना चाहिए- खासकर भारतवर्ष जैसे देश में वास्तविक रूप से और खासकर बिहार जैसे राज्य में, ताकि वर्ष भर गाँवों में नियोजन के अवसर उपलब्ध रहें। यह व्यवस्था निश्चय ही नियोजन की खोज में शहरी क्षेत्रों तक किसानों के पलायन को रोक सकेगी। हमारे व्यवहार में किसानों को सबसे पहले न कि सबसे अंत में रहना चाहिए, सर्वप्रथम हमारा ध्येय यही होना चाहिए।

000

(5)

1950 से 2017 के बीच भारत के संविधान में 101 संशोधन हो चुके हैं। जो निम्न हैं-

सांविधानिक संशोधन (1950 - 2017)

1. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों का मान्यकरण किया गया और संपत्ति अधिकारों के संबंध में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। संविधन में एक नई नवीं अनुसूची जोड़कर इन अधिनियमों की सूची दे दी गई तथा संपत्ति अधिकार संबंधी अनुच्छेद 31 के बाद दो नए अनुच्छेद 31(क) और 31 (ख) बढ़ा दिए गए। 31(क) में कहा गया कि जमींदारी, भूमि आदि संपदाओं या उनमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन करने वाले किसी कानून को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19, या 31 के अंतर्गत दिए गए अधिनियमों को किन्हीं भी मूल अधिकारों से असंगत होने के आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के प्रतिकूल निर्णय के बावजूद ये अधिनियम वैध रहेंगे।

इसके अतिरिक्त प्रथम संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 314, 342, 372 और 376 में भी संशोधन किए। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त स्वातंत्र्य अधिकारों पर "राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार के हितों में या न्यायालय अवमान, मान-हानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में" विधि द्वारा "युक्तियुक्त निर्बधन" लगाने का राज्य को अधिकार दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि नागरिकों की कोई भी व्यापार, कारोबार आदि करने की स्वतंत्रता पर राज्य वृत्तिक या शिल्पिक अर्हता संबंधी अथवा राष्ट्रीयकरण की कोई योजना लागू करने के लिए आवश्यक निर्बधन लगा सकता है। अनुच्छेद

15 के संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो और अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए किए विशेष उपबंधों को अवैध माने जाने से रोका गया।

2. संविधान(द्वितीय संशोधन)अधिनियम, 1952 के द्वारा लोक सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अनुच्छेद 81(1)(ख) में संशोधन किया गया। संशोधन से पूर्व के अनुच्छेद के अनुसार "प्रत्येक साढ़े सात लाख जनसंख्या के लिए कम से कम एक और प्रत्येक पांच लाख जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक एक" प्रतिनिधि की व्यवस्था थी। संशोधन ने "प्रत्येक साढ़े सात लाख जनसंख्या के लिए कम से कम एक" शब्दों को लुप्त कर दिया।

3. संविधान(तृतीय संशोधन)अधिनियम, 1955 के द्वारा संविधान की सप्तम अनुसूची की तीसरी सूची की 33वीं प्रविष्टि में संशोधन करके केन्द्र को खाद्य पदार्थ, पशुओं का चारा, कच्ची रुई और कच्चे पटसन के बारे में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया।

4. संविधान(चतुर्थ संशोधन)अधिनियम, 1955 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31, 31(क) और 305 में संशोधन किए गए। चतुर्थ संशोधन का प्रमुख उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि यदि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विधि द्वारा किसी संपत्ति को अर्जित अथवा अधिगृहित करे तथा विधि में प्रतिकर की राशि अथवा उसके निर्धारण के सिद्धांतों का उल्लेख कर दे तो ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रतिकार अपर्याप्त है। नवीं अनुसूची में सात और अधिनियम जोड़ दिए गए ताकि उनकी वैधता पर भी किसी न्यायालय में आपत्ति न उठाई जाए।

5. संविधान(पंचम संशोधन)अधिनियम, 1955 के द्वारा अनुच्छेद 3 परंतुक में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को संबद्ध राज्य के विधान मंडल के पास भेजा जाएगा तथा उसे अपने विचार प्रकट करने के लिए निश्चित समय दिया जाएगा। विधेयक संसद के सम्मुख तभी पेश किया जा सकेगा जब दिए गए समय की अवधि समाप्त हो गई हो।

6. संविधान(षष्ठ संशोधन)अधिनियम, 1956 के द्वारा संविधान की सप्तम अनुसूची की प्रथम सूची में एक और प्रविष्टि 92(क) जोड़ दी गई जिसके अनुसार समाचारपत्रों को छोड़कर और सब वस्तुओं पर अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य में क्रय-विक्रय पर कर संघ विधानपालिका के अधिकार

क्षेत्र में आ गया। संविधान के अनुच्छेद 269 और 286 में तथा राज्य सूची की 54वीं प्रविष्टि में भी इस आशय के आवश्यक संशोधन किए गए।

7. संविधान(सप्तम संशोधन)अधिनियम, 1956 के द्वारा राज्य के पुनर्गठन की योजना को क्रियान्वित किया गया। राज्यों का (क),(ख),(ग) वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया तथा देश को एक स्तर के 14 राज्यों और 6 संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन प्रायः भाषायी आधार पर किया गया। संविधान की प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची रख दी गई जिसमें पुनर्गठित राज्यों के तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नामों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 1 तथा चौथी अनुसूची में भी आवश्यक संशोधन किए गए। इन सबके अतिरिक्त लोक सभा, राज्यों के विधानमंडलों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन आदि विभिन्न विषयों के संबंधित उपबंधों में भी बहुत से छोटे-बड़े संशोधन किए गए।

8. **संविधान (अष्टम् संशोधन)अधिनियम,** 1959 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में स्थानों के विशेष आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीयों के लिए मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व की अवधि 10 वर्ष से बढ़कर 20 वर्ष कर दी गई।

9. **संविधान(नवम् संशोधन)अधिनियम,** 1960 के द्वारा सीमा विवाद संबंधी 10 सितम्बर, 1958, 23 अक्टूबर, 1959 और 11 जनवरी, 1960 को हुए भारत-पाकिस्तान समझौते की शर्तो का कार्यान्वित करने और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरण करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया।

10. **संविधान(दशम् संशोधन)अधिनियम,** 1961 के द्वारा दादरा और नागर हवेली नामक दो बस्तियों को भारत का अंग बना लिया गया। पहले ये बस्तियां पुर्तगालियों के कब्जे में थी, किन्तु वहां की जनता ने पुर्तगालियां को निकाल भगाया था और उनकी वरिष्ठ पंचायत ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि उन्हें भारत का अंग मान लिया जाए। दादरा और नागर हवेली को एक अलग(सातवां)संघ राज्यक्षेत्र बना दिया गया।

11. **संविधान(ग्यारहवां संशोधन)अधिनियम, 1961** के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपरित की निर्वाचन-प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गए। संशोधन के बाद राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता

कि निर्वाचन-गण का निर्वाचन पूर्ण नहीं हुआ था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संशोधन द्वारा अनावश्यक कर दिया गया। अब दोनों सदनों के सदस्य मतदान पत्रों के द्वारा मत दे सकते हैं। यह सब करने के लिए संविधान के अनुच्छे 66(1) और 71 में संशोधन किए गए।

12. **संविधान (बारहवां संशोधन)अधिनियम, 1962** के द्वारा गोवा, दमण और दीव को भारत का अंग घोषित किया गया तथा उन्हें भारत संघ का आठवां संघ राज्यक्षेत्र बना दिया गया।

13. **संविधान (तेरहवां संशोधन)अधिनियम,** 1962 के द्वारा नगालैंड को भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 371(क) जोड़कर इस नए राज्य पर लागू होने वाले कुछ विशेष उपबंधों को मान्यता दी गई। नगालैंड राज्य का विधिवत सूत्रपात दिसम्बर, 1962 में हुआ।

14. **संविधान(चौदहवां संशोधन)अधिनियम,** 1962 के द्वारा भारत में पुरानी फ्रांसीसी आधिपत्य वाली बस्तियों-पांडिचेरी, कारीकल, माहे और यनम को पांडिचेरी के नाम से विधिवत भारत का अंग और एक संघ राज्यक्षेत्र घोषित किया गया। अनुच्छेद 81 तथा चतुर्थ अनुसूची में संशोधन पर पांडिचेरी का संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। संघ राज्यक्षेत्रों से लोक सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़कर 25 कर दी गई।

चौदहवें संशोधन ने संसद को अधिकार दिया कि वह विधि द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा-दमन-दीव तथा पांडिचेरी आदि संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडलों और मंत्रि-परिषदों की स्थापना कर सकती है।

15. **संविधान (पन्द्रहवां संशोधन)अधिनियम,** 1963 ने अनुच्छेद 217(1) में संशोधन कर उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। अनुच्छेद 217 में एक धारा जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सही आयु का प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।

16. **संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम,** 1963 ने संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन करके राज्य को यह अधिकार दिया कि वह राष्ट्र की प्रभुसत्ता और एकता के हित में भाषण, अभिव्यक्ति, सम्मेलन आदि की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों पर विधि द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।

सोलहवें संशोधन में किसी भी राज्य के भारतीय संघ से पृथक होने तथा संघ को भंग करने के प्रयास को अवैध घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 84 और 173 में तीसरी अनुसूची में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि केन्द्रीय तथा राज्य विधानमंडलों के उम्मीदवारों और सदस्यों, मंत्रि-परिषदों के सदस्यों, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि सबको राष्ट्र की एकता और प्रभुसत्ता की रक्षा करने की शपथ लेनी होगी।

17. **संविधान (सतरहवां संशोधन) अधिनियम,** 1964 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31(क) में प्रयुक्त "एस्टेट" शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करने तथा भूमि सुधार संबंधी कुछ और विधियों की सांविधानिक वैधता के बारे में संदेह दूर करने के लिए अनुच्छेद 31(क) में तथा नवीं अनुसूची में संशोधन किए गए। अनुसूची में जोड़े गए नए अधिनियमों की संख्या 44 थी।

18. **संविधान(अट्ठारहवां संशोधन) अधिनियम,** 1966 के द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि इस अनुच्छेद की धारा (क) से (च) में प्रयुक्त "राज्य" शब्द में "संघ राज्यक्षेत्र" भी शामिल है। किन्तु परंतुक में प्रयुक्त "राज्य" शब्द में वे शामिल नहीं है। संशोधन ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3(क) के द्वारा संसद को दी गई शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य का अथवा संघ राज्यक्षेत्र का एक भाग किसी दूसरे राज्य का राज्यक्षेत्र में मिलाकर भी एक नए राज्य का संघ राज्यक्षेत्र का गठन किया जा सकता है।

19. **संविधान(उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम,** 1966 ने संविधान के अनुच्छेद 324 में संशोधन करके निर्वाचन-न्यायाधिकरणों का अंत कर दिया तथा निर्वाचन संबंधी विवादों के सीधे उच्चन्यायालयों में ले जाने की व्यवस्था की।

20. **संविधान(बीसवां संशोधन)अधिनियम,** 1966 के द्वारा उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा निर्णयों को वैधता प्रदान की गई। ऐसा करने के लिए बीसवें संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 233(क) जोड़ा। इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने दो निर्णयों के द्वारा बहुत से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था।

21. **संविधान(इक्कीसवां संशोधन)अधिनियम,** 1967 के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं में सिंधी को भी शामिल कर लिया गया। सिंधी को मिलाकर सूची में 15 भाषाएं हो गईं।

22. **संविधान (बाइसवां संशोधन) अधिनियम,** 1969 के द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह विधि द्वारा असम राज्य में कुछ कबाइली क्षेत्रों को एक स्वायत्त उपराज्य बना सकती है तथा उसके लिए अलग स्थानीय विधान मंडल अथवा मंत्रि-परिषद् या दोनों की व्यवस्था कर सकती है। संशोधन के द्वारा संविधान में इस आशय का एक नया अनुच्छेद 244(क) जोड़ दिया गया। एक अन्य नए अनुच्छेद 371(ख) के द्वारा असम विधान सभा के कबाइली क्षेत्रों के तथा कुछ अन्य सदस्यों की एक समिति का प्रावधान किया गया।

23. **संविधान(तेइसवां संशोधन) अधिनियम, 1969** के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 330,332,333, और 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और आंग्ल-भारतीय की सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विधान सभाओं में उनके स्थानों के आरक्षण की अवधि को 26 जनवरी, 1970 से आगे दस वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप राज्यपालों के हाथ में केवल एक आंग्ल-भारतीय को मनोनीत करने की शक्ति रह गई। राष्ट्रपति के हाथ में पहले की तरह यह शक्ति बनी रही कि वह दो आंग्ल-भारतीयों को लोक सभा में मनोनीत कर सकता है। क्योंकि नागालैंड के नए राज्य की अधिकांश (90 प्रतिशत) जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की थी, तेईसवें संशोधन के द्वारा नागालैंड से लोक सभा और राज्य की विधान सभा दोनों की सदस्यता में उनके लिए आरक्षण समाप्त कर दिए गए।

24. **संविधान(चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मुकदमें(1967, 2 एस.सी.आर. 762) में (5 के मुकाबले 6 के संकीर्ण बहुमत से) अपने उन पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया था जिनमें संसद की इस शक्ति को स्वीकार किया गया था कि वह संविधान के मूल अधिकारों संबंधी भाग 3 सहित सभी लोगों में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन कर सकती है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप संसद को संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में ऐसा कोई संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं रहा जिसके द्वारा मूल अधिकारों मे कमी आती हो अथवा उनका हरण होता हो। यदि राज्य नीति के निदेशक तत्वों अथवा संविधान की प्रस्तावना के आदर्शो को व्यावहारिक रूप देने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन अथवा कमी करने की आवश्यकता हो तब भी संसद इस विषय में कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए संसद को यह शक्ति देना आवश्यक समझा गया कि वह अपनी संविधान संशोधनकारी शक्ति के अन्तर्गत संविधान के

किसी भी उपबंध में, जिनमें भाग 3 के उपबंध भी शामिल हैं, संशोधन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति नहीं दी गई थी केवल उसकी प्रक्रिया ही दी गई थी। संविधान के चौबीसवें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह स्पष्ट करता है और उस संशोधन की प्रक्रिया का निर्देश भी करता है। चौबीसवें संशोधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाए, तब वह उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा।

25. **संविधान(पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** संविधान के चौबीसवें संशोधन अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में कोई भी आवश्यक संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। इसी अधिकार के अन्तर्गत पच्चीसवें संशोधन के द्वारा संपत्ति से संबंधित 31 वें अनुच्छेद में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जिन्हें मूलभूत व्यापक और क्रांतिकारी कहा जा सकता है। यह इस संशोधन से पहले भी अनुच्छेद 31 में साफ-साफ कहा गया था कि किसी भी ऐसे कानून को जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई संपत्ति लेता हो, किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उस कानून में दिया गया प्रतिकर अथवा मुआवजा पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि संविधान में चौथा संशोधन यही स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि प्रतिकर कितना दिया जाए, इसका निर्णय संसद अर्थात विधानपालिका के ऊपर ही निर्भर होगा और न्यायालय उसकी पर्याप्तता का प्रश्न नहीं उठाएंगे। किन्तु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'प्रतिकर' शब्द का संकुचित अर्थ लिया और कहा कि प्रतिकर अधिगृहीत संपत्ति का पूरा समानक अर्थात बिल्कुल बराबर, रुपये में पूरा मूल्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि आम लोगों के भले के लिए सरकार किसी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझे तो उसे बाजार भाव पर रुपये की चीज के लिए पूरा रुपया देना होगा और जब कभी किसी चीज का राष्ट्रीयकरण होगा, तब प्रतिकर के न्यायोचित होने का प्रश्न अदालतों में उठाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए अपनी समाजवादी नीतियों और राष्ट्रीयकरण की योजनाओं को कार्यान्वित करना लगभग असंभव हो जाता। यदि हरेक चीज का बराबर मुआवजा देना पड़े और वह भी रुपयों में नकद,

तो पहले तो यह मुमकिन नहीं और फिर मुमकिन भी हो तो फिर ऐसे राष्ट्रीयकरण का न कोई अर्थ होता, न लाभ।

इस समस्या को सुलझाने के लिए पच्चीसवें संशोधन विधयेक ने संविधान के 31वें अनुच्छेद में "प्रतिकर" शब्द को हटाकर "धनराशि" शब्द रख दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह जरूरी नहीं होगा कि सरकार संबद्ध कानून में निर्देशित "रकम" या धनराशि नकद ही दे अर्थात यह राशि बांडों या प्रतिभूतियों के रूप में भी दी जा सकती है। साथ ही 25वें संशोधन विधेयक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को दिया गया संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार किसी ऐसे कानून पर लागू नहीं होगा जिसके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संपत्ति ली जाए।

सरकार की समाजवादी नीतियों और राष्ट्रीयकरण की योजनाओं का सांविधानिक आधार था। संविधान के भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा जिससे समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप में साधन हो और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हितों के विरुद्ध केन्द्रण न हो। संविधान का यह भी आदेश है कि विधानपालिका और कार्यपालिका निर्देशक तत्वों का विधि निर्माण और प्रशासन में पालन करें। किन्तु कठिनाई तब पैदा होती है जब संविधान के भाग 3 में दिए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों में तथा भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक हित के निदेशों में संघर्ष हो। भाग 4 के निदेशों को किसी न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती थी। इसके कारण होता यह था कि इन निदेशों को प्रभावी करने के लिए जो भी कानून बनाए गए उन्हें मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने के आधार पर न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती थी। इस कठिनाई से ऊपर उठने के लिए 25वें संशोधन विधेयक ने अनुच्छेद 31 के नीचे एक नया अनुच्छेद 32(ग) जोड़ दिया, जिसमें कहा गया कि निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 की भौतिक संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण तथा धन उत्पादन के साधनों के केन्द्र से संबद्ध धाराओं को प्रभावी बनाने के लिए पास किया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं कहा जा सकेगा कि वह अनुच्छेद 14,19,या 31 में दिए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है।

26. **संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** स्वतंत्रता के पश्चात् सरदार पटेल के प्रयत्नों से जब देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ तब भारत सरकार ने देशी नरेशों को यह आश्वासन दिया था कि देशी रियासतों के नरेश 15 अगस्त, 1947 से तत्काल पहले जिन अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे थे, उनकी रक्षा की जाएगी। इसके साथ ही इन नरेशों को अपने परिवार, अपने वैयक्तिक स्टाफ अपने आवासों के रख-रखाव, विवाहों तथा अन्य समारोहों के लिए नियत धनराशियाँ देने का वचन दिया गया था, जो अलग-अलग राज्यों के संदर्भ में अलग-अलग थीं। प्रिवी पर्सो के साथ-साथ शासकों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे जैसे अपने नाम के पहले महामहिम जैसे उपाधियां जोड़ने तथा तोपों की सलामी का अधिकार, न्यायालयों में विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति का अधिकार, अपने दरबार लगाने का अधिकार आदि।

संविधान के अनुच्छेद 291, 362 और 363 में देशी नरेशों के प्रिवी पर्सो और विशेषाधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया गया था। भारत के प्रगतिशील तत्व देशी नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों से सहमत न थे और उनकी प्रारंभ से ही मांग थी कि इन्हें समाप्त किया जाय। सितम्बर 1970 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के प्रिवी पर्सो तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने के संबंध में संविधान(चौबीसवां संशोधन)विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक सभा में तो आवश्यक (दो तिहाई) बहुमत से पारित हो गया, किन्तु राज्य सभा में इसे 1 मत कम मिला। इस पर 6 सितम्बर, 1970 को राष्ट्रपति ने अपने आदेश द्वारा भूतपूर्व देशी नरेशों की मान्यता समाप्त कर दी और इस प्रकार उन्हें उनके प्रिवी पर्सो तथा विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। ग्वालियर, उदयपुर, नाभा आदि कुछ नरेशों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की कि वह राष्ट्रपति के आदेश को अवैध घोषित कर दे। उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसम्बर, 1970 को बहुमत से भूतपूर्व नरेशों की मान्यता समाप्त करने विषयक राष्ट्रपति के आदेश को अवैध घोषित कर दिया। इस पर लोक सभा को भंग कर दिया गया तथा ताजा चुनावों की घोषणा की गई। 1970 के आरंभ में लोक सभा के पांचवें महानिर्वाचन में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने के पश्चात् श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान (छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 द्वारा देशी नरेशों के प्रिवी पर्सो तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय किया। इस

अधिनियम को लोक सभा ने 2 दिसम्बर, 1971 को तथा राज्य सभा ने 9 दिसम्बर, 1971 को अंगीकृत किया तथा राष्ट्रपति ने उस पर 31 दिसम्बर, 1971 को अपनी स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 291 तथा 362 को जो देशी नरेशों के प्रिवी पर्सो तथा विशेषाधिकारों के संबंध में थे, रद्द कर दिया और अनुच्छेद 363 के बाद 363(क) संख्या के एक नए अनुच्छेद को जोड़ने का प्रावधान किया। इस नए अनुच्छेद में कहा गया कि संविधान अथवा तत्समय प्रभावी विधि की किसी बात के बावजूद संविधान (छब्बीसवां संशोधन)अधिनियम के आरंभ के पहले, राष्ट्रपति ने देशी रियासत के किसी शासक के अथवा उसमें किसी उत्तराधिकारी को जो कोई मान्यता दे रखी थी, वह संविधान (26वां संशोधन)अधिनियम लागू होने पर समाप्त हो गई। साथ ही इस संशोधन अधिनियम के आरंभ के पहले, राष्ट्रपति ने देशी रियासत के किसी शासक को अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी को जो कोई मान्यता दे रखी थी, वह संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम लागू होने पर देशी नरेशों को दी जाने वाली निजी थैली की राशि भी समाप्त हो गई। भविष्य में भी किसी व्यक्ति को ऐसी कोई राशि नहीं दी जाएगी। संविधान(छब्बीसवां संशोधन)अधिनियम 1971 ने संविधान के अनुच्छेद 366(22) में परिवर्तन करके देशी नरेशों की परिभाषा भी बदल दी और प्रावधान किया कि देशी रियासतों के "शासक" का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो संविधान (छब्बीसवां संशोधन)अधिनियम, 1971 के लागू होने के पहले राष्ट्रपति द्वारा देशी रियासत के शासक के रूप में अभिज्ञात था।

27. **संविधान(सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972:** दिसम्बर, 1971 में संसद के दोनों सदनों ने संविधान (सत्ताईसवां संशोधन)अधिनियम पास किया। इस अधिनियम ने नवनिर्मित मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक विधानमंडल तथा मंत्रिमंडल की व्यवस्था की। इस संशोधन के फलस्वरूप संविधान में अनुच्छेद 239(ख) संख्या के एक नए अनुच्छेद का समावेश किया गया, जिसके द्वारा संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक को विधानमंडल के विश्रांति काल की अवधि में मध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। इस संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 240 में भी परिवर्तन किया और व्यवस्था की कि उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी के अरुणाचल प्रदेश नामक संघ राज्यक्षेत्र बन जाने पर भी राष्ट्रपति उसके संबंध में विनियम बनाते रह सकेंगे। राष्ट्रपति मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में भी इस अधिकार का उपयोग करते रहेंगे।

संविधान(सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम 1972 का एक अन्य महत्वपूर्ण उपबंध यह था कि उसने संविधान में एक नए अनुच्छेद संख्या 371(ग) को जोड़ा जिसके फलस्वरूप संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत की गई वह व्यवस्था जारी रहेगी जिसके अनुसार मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र के राज्य बन जाने के बाद भी मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की समिति मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों मे रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों की रक्षा करेगी। इस समिति में मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के विधान सभायी सदस्य होंगे। संसद ने इस संशोधन अधिनियम से संबद्ध संघ राज्यक्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 1971 भी पास किया, जिसका उद्देश्य संविधान की छठी अनुसूची में तथा प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में परिवर्तन करना था। विधेयक में मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक मंत्रि-परिषद् की व्यवस्था की गई और मिजी जिला परिषद् के विघटन का प्रस्ताव किया गया। इसका दूसरा उद्देश्य अल्पसंख्यक कबाइली समूहों के लिए विशेष परित्राण देने के विचार से स्वायत्तशासी क्षेत्रों का स्वायत्तशासी जिलों के रूप में बदल देना था।

28. **संविधान(अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972:** स्वाधीनता से पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अथवा सेक्रेटरी. ऑफ. स्टेट.इन. कौंसिल द्वारा नियुक्त सरकारी अफसरों को मिले विशेष हकों को अनुच्छेद 314 ने सुरक्षा प्रदान की हुई थी। उनके पारिश्रमिक, अवकाश, पेंशन आदि की शर्तो को बदला नहीं जा सकता था। बदले हुए सामाजिक परिवेश में ऐसे अपरिवर्तनशील शर्तो वाले विशिष्ट अधिकारी वर्ग की परिकल्पना असंगत थी। अत: अट्ठाईसवें संशोधन ने अनुच्छेद 314 को संविधान से हटा दिया और एक नया अनुच्छेद 312(क) जोड़ दिया जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिकारियों की सेवा शर्तो में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को मिल गई। यह संशोधन 29 मई, 1972 को राज्य सभा में और 31 मई, 1972 को लोक सभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 27 अगस्त, 1972 को और यह लागू हुआ 29 अगस्त, 1972 से।

29. **संविधान(उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972:** उनतीसवें संशोधन के द्वारा केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 और केरल सुधार (संशोधन)अधिनियम, 1971 को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया गया, ताकि न्यायालयों में उनकी वैधता को चुनौती न दी जा सके। यह संशोधन लोकसभा में 29 और राज्य सभा में 31 मई, 1972 को पारित हुआ। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 9 जून, 1972 को और उसी दिन से यह प्रभावी हो गया।

30. **संविधान(तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972:** उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए, और बातों के साथ-साथ यह भी जरूरी होता था कि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र दे कि विवाद के मामले की राशि पांच हजार रुपये से कम नहीं है। अपील करने के अधिकार के लिए विवादित संपत्ति के मूल्य की शर्त युक्तिसंगत नहीं थी। विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि संविधान के अनुच्छेद 133(1)(क) और(ख) का लोप किया जाए तथा यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामले में विधि का सार्वजनिक महत्व का कोई सारयुक्त प्रश्न उठता है तो फिर अपील उच्चतम न्यायालय में हो सके। तीसवां संशोधन अनुच्छेद 133(1) के स्थान पर एक नया खंड रखता है जिसके द्वारा विधि आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है। राज्य सभा और लोक सभा में 22 और 27 अगस्त, 1972 को पारित होने के बाद, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली 23 फरवरी, 193 को और यह लागू हुआ 27 फरवरी, 1973 को।

31. **संविधान(इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** लोक सभा में राज्यों से प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 करने के लिए तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 करने के लिए अनुच्छेद 81(1)में संशोधन किया गया। साथ ही अनुच्छेद 81(2)(ख) के बाद एक परंतुक जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि 21(2)(क) के उपबंध किसी राज्य से लोक सभा में स्थान आबंटन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती।

इकतीसवां संशोधन अनुच्छेद 330(1)(ख) में इस आशय का संशोधन करता है कि उसके उपबंध मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम पर भी लागू न हो सकें।

संशोधन के फलस्वरूप, अनुच्छेद 330(3) के अंतर्गत लोकसभा में असम की स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

अनुच्छेद 332(1) में असम और नागालैंड के साथ मेघालय का समावेश कर मेघालय राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।

इकतीसवां संशोधन राज्य सभा और लोक सभा द्वारा क्रमशः 8 और 15 मई,1973 को पारित हुआ तथा राज्य विधानमंडलों के समर्थन के बाद 17 अक्टूबर को उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह लागू हुआ।

32. **संविधान(बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973:** आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र के विकास और उस क्षेत्र के निवासियों को सरकारी सेवाओं में अवसर और शिक्षा सुविधाओं के संबंध में असंतोष को दूर करने के लिए जो आम सहमति से छह सूत्री व्यवस्था बनी थी उसे सांविधानिक संरक्षण देने के लिए ही बत्तीसवां संशोधन लाया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 371(1) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य विधान सभा की क्षेत्रीय समितियों के गठन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों की जनता के लिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, "लोकनियोजन" के विषय में और शिक्षा के विषय में भिन्न-भिन्न उपबंध कर सकेगा तथा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किए जाने का उपबंध कर सकेगा। यह न्यायाधिकरण का गठन किए जाने का उपबंध कर सकेगा तथा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किए जाने का उपबंध कर सकेगा। यह न्यायाधिकरण सरकारी सेवाओं से संबधित विवादों और शिकायतों को सुलझा-निपटा सकेगा।

33. **संविधान(तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974:** संविधान के अनुच्छेद 101(3) और 190(3) में संशोधन करके यह आवश्यक कर दिया गया है कि केन्द्रीय अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य का त्यागपत्र तब तक प्रभावी न माना जाए जब तक संबधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति जांच करने के बाद यह समाधान न कर लें कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है।

यह संशोधन अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 8 और 14 मई, 1974 को पारित हुआ और 19 मई को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और लागू हुआ।

34. **संविधान(चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971:** इस संशोधन के द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा और भूमि सुधार से संबंधित 20 अतिरिक्त राज्य अधिनियमों को नवीं अनुसूची में शामिल किया गया, ताकि उन्हें न्यायालयों में इस आधार पर चुनौती न दी जा सके कि वे मौलिक अधिकारों के किसी उपबंध से असंगत है।

संशोधन लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 26 और 28 अगस्त, 1974 को पारित हुआ और 7 सितम्बर को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और लागू किया गया।

35. **संविधान(पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974:** भारत और सिक्किम के बीच सहयोग और परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए और सिक्किम की जनता की इच्छाओं को पूरा करने की दृष्टि से यह अधिनियम संविधान में ऐसा संशोधन करता है जिससे सिक्किम के भारत के संघ में मिलनें की शर्तों और निर्बधनों का उपबंध किया जा सके। राज्य सभा और लोक सभा में सिक्किम को एक-एक सीट दी गई हैं तथा सिक्किम विधान सभा के द्वारा लोक सभा और राज्य सभा में सिक्किम के प्रतिनिधियों के चुने जाने का प्रावधान किया गया है। नया अनुच्छेद 2(क) जोड़कर सिक्किम को भारत संघ के भीतर एक सहयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 80 और 81 में आवश्यक संशोधन किए गए। पैंतीसवाँ संशोधन लोक सभा में 4 सितम्बर, 1974 को तथा राज्य सभा में 7 सितम्बर, 1974 को पास हुआ, 22 फरवरी, 1975 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 1 मार्च, 1975 से यह प्रभावी हुआ।

36. **संविधान(छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975:** सिक्किम विधान सभा की पहल पर सिक्किम की जनता के द्वारा चोग्याल के पद को समाप्त करने तथा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाने तथा लोकतांत्रिक और उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम करने का निर्णय लिया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रथम सूची में सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी गई, लोक सभा और राज्य सभा में सिक्किम के एक-एक प्रतिनिधियों के लिए एक नया अनुच्छेद 371च जोड़ा गया। अनुच्छेद 80 और 81 में अनुवर्त्ती संशोधन किए गए तथा अनुच्छेद 2क का लोप किया गया।

लोक सभा में 23 अप्रैल और राज्य सभा में 26 अप्रैल, 1975 को यह अधिनियम पारित हुआ, राष्ट्रपति की अनुमति मिली 16 मई, 1975 को, पर इसे लागू माना गया 26 अप्रैल, 1975 से।

37. **संविधान(सैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975:** संविधान के अनुच्छेद 239क संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश को भी गोवा, दमण और दीच, पांडिचेरी और मिजोरम के साथ उस सूची में शामिल किया गया जिसके अधीन स्थानीय विधानमंडलों, मंत्रि-परिषद्‌ों अथवा दोनों का सृजन किया जाता है। अनुच्छेद 240 में संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को उन संघ राज्यक्षेत्रों के साथ

शामिल किया गया जिनके लिए राष्ट्रपति द्वारा विनियम बनाए जा सकते हैं। यह संशोधन लोक सभा में 23 अप्रैल और राज्य सभा में 26 अप्रैल, 1975 को पारित हुआ और 3 मई, 1975 को राष्ट्रपति की अनुमति पाकर लागू हुआ।

38. **संविधान(अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975:** अनुच्छेद 123 में संशोधन करके कहा गया कि संसद के संत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधी राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएंगी। इसी प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 213, 239 ख, 352, 356 और 360 में करके यह स्पष्ट किया गया कि उनमें वर्णित राज्यपाल, संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन अथवा राष्ट्रपति का समाधान अंतिम होगा और उस पद पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 352 के संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर अलग-अलग आपात उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी तथा पहले से की गई कोई उद्घोषणा प्रवर्त्तन में हो तब भी ताजा आधार पर दूसरी घोषणा की जा सकेगी। अनुच्छेद 359 में किए गए संशोधन में कहा गया कि आपातकाल के प्रवर्त्तन में इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश के लागू रहते राज्य की विधि बनाने की या कोई कार्यपालिका कार्यवाही करने की शक्ति मूल अधिकारों से निर्बंधित नहीं होगी। अड़तीसवां संविधान लोक सभा और राज्य सभा में क्रमश: 23 और 24 जुलाई, 1975 को पारित हुआ और 1 अगस्त को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर लागू हो गया।

39. **संविधान(उनतालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1975:** इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 71 की जगह एक नया अनुच्छेद रखा गया जिसके अनुसार इस मामले के विनियमन के बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई और स्पष्ट किया गया कि ऐसी किसी विधि के अंतर्गत किसी प्राधिकारी या निकाय के निर्णयों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी तथा विधि पर भी आपत्ति नहीं की जा सकेगी। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो भी उनके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे।

नए अनुच्छेद 329 में कहा गया कि प्रधानमंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन को केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही चुनौती दी जा सकेगी और उस विधि पर किसी न्यायालय में आपत्ति

नहीं की जा सकेगी और यदि उनके विरुद्ध निर्वाचन याचिका उनके प्रधानमंत्री या अध्यक्ष नियुक्त होने के समय लंबित हो तो उसका उपशमन हो जाएगा। यदि किसी न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए कोई आदेश दे भी दिया गया हो तो भी, निर्वाचन मान्य बना रहेगा और इस मामले में कोई अपील आदि का निबटारा इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई विधि के अनुसार किया जाएगा। अनुच्छेद 329 के उपबंध संविधान में अन्यत्र और कुछ होते हुए भी प्रभावी घोषित किए गए।

संविधान की नवम् अनुसूची में 38 नई प्रविष्टियां भी इस संशोधन के द्वारा जोड़ी गईं। इनकी संख्या 124 तक पहुंच गई। यह संशोधन लोक सभा में 7 और राज्य सभा में 8 अगस्त, 1975 को पारित हुआ, 10 अगस्त को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और उसी दिन से यह लागू हो गया।

40. **संविधान(चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976:** इस संशोधन के द्वारा संविधान की नवम् अनुसूची में 64 नई प्रविष्टियां जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 297 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया, जिसके अनुसार क्षेत्रीय नागर खंड अथवा महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अथवा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए ही रखी जाएंगी। क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामूहिक क्षेत्रों की सीमाएं वही तय की गई जो समय-समय पर संसद विधि के द्वारा निश्चित करे।

इस संशोधन को लोक सभा में 25 और राज्य सभा में 27 मई, 1976 को पारित किया गया, राष्ट्रपति की अनुमति 27 मई को ही मिल गई ओर उसी दिन संशोधन लागू हो गया।

41. **संविधान(इकतालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1976:** इस संशोधन के द्वार अनुच्छेद 316(क) में दी गई राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया।

संशोधन लोक सभा और राज्य सभा में क्रमश: 30 अगस्त और 1 सितम्बर, 1976 को पारित हुआ। 7 सितंबर को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसी दिन यह लागू हो गया।

42. **संविधान(बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976:** 1975 से 1977 तक जो आंतरिक आपातकालीन स्थिति चली उसके दौरान किए गए सांविधानिक संशोधनों में सबसे अधिक व्यापक संशोधन बयालीसवां था। इसने

संविधान के अनेक अनुच्छेदों में परिवर्तन किए जैसे संविधान की उद्देशिका, सातवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31, 32क, 39, 39क, 43क, 48क, 51क, 55, 74, 81, 82, 83, 103, 131क, 139क, 144, 145, 150, 166, 170,172, 192, 217, 225-228क, 257क, 311, 312, 323क, 323ख, 330,352, 353, 356-359, 366, 368 और 371च।

मुख्यत: इस संशोधन के द्वारा यह प्रयास किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की सांविधानिकता का निर्णय करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की जाए और किसी कानून को अवैध घोषित करने के लिए कम से कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक माना जाए। यह भी उचित समझा गया कि किसी केन्द्रीय कानून की सांविधानिक वैधता निश्चित करने के मामलों में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार ले लिया जाए और इन मामलों को केवल उच्चतम न्यायालय को ही सौंपा जाए, ताकि केन्द्रीय कानून की वैधता के संबंध में अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न कार्यवाहियों से बचा जा सके। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या, राजस्व के मामलों और विशेष महत्व के कुछ अन्य मामलों के त्वरित निपटान के लिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के अधिकार को संरक्षित रखते हुए, उन पर विचार करने के लिए प्रशासनिक तथा अन्य न्यायाधिकरणों का प्रावधान हो। अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में भी कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया।

संविधान की उद्देशिका में गणराज्य से पहले "समाजवादी" और "पंथ-निरपेक्ष" शब्द जोड़ दिए गए तथा राष्ट्र की एकता के साथ "अखंडता" का भी स्पष्ट समावेश कर दिया गया।

किन्हीं भी निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को संरक्षण प्रदान किया गया तथा नए अनुच्छेद के द्वारा कुछ नए निदेश जोड़े गए जिनमें समान न्याय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को मुफ्त कानूनी सेवा तथा उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी तथा देश के पर्यावरण का संरक्षण और अन्य वन्य तथा अन्य जीवों की रक्षा करना सम्मिलित था। नए अनुच्छेद में "राष्ट्र विरोधी" गतिविधियों से निवारण के लिए संसद द्वारा कानून बनाने का उपबंध किया गया। यह भी कहा गया कि ऐसे कानून को इस आधार पर शून्य नहीं किया जा सकेगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 का अतिक्रमण करता है अथवा उनके द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनता या कम करता है।

एक नया भाग 4क, अनुच्छेद 51क जोड़कर संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ पहली बार नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों की भी एक सूची दी गई।

अनुच्छेद 74 में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करेगा।

लोक सभा में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों, राज्यों की विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या सीमा तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में सन् 2000 ई. के बाद होने वाली जनगणना तक कोई परिवर्तन नहीं होगा और 1971 की जनगणना के आंकड़े ही प्रभावी होंगे।

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष मे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया तथा गणपूर्ति संबंधी उपबंधों का लोप कर दिया गया और नियमों के द्वारा गणपूर्ति का उपबंध करने का प्रावधान किया गया।

अनुच्छेद 311 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि असैनिक कर्मचारियों को पदच्यूत करने, हटाने या अवगत करने के लिए उन्हें अभ्यावेदन का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

नए अनुच्छेद 257 के द्वारा केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य में व्यवस्था की गंभीर परिस्थिति का सामना करने के लिए सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का अभियोजन करने की शक्ति दी गई।

आपात की उद्घोषणा के संबंध में अनुच्छेद 352 ने अपने संशोधित रूप में राष्ट्रपति को देश के किसी भाग के बारे में उद्घोषणा करने की शक्ति दी।

किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर संसद द्वारा किए गए किसी संविधान संशोधन पर किसी न्यायालय में किसी आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा। बयालीसवें संशोधन अधिनियम ने संविधान की सातवीं अनुसूची में भी कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन किए और कुछ नई प्रविष्टियां भी जोड़ी।

राष्ट्रपति को ऐसी विशेष शक्ति भी दी गई जिसके द्वारा वह आदेश द्वारा संशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी करने में आई कठिनाइयों का निराकरण कर सके।

यह संशोधन लोक सभा में 2 नवम्बर तथा राज्य सभा में 11 नवम्बर, 1976 को पारित हुआ। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 18 दिसम्बर, 1976 को तथा विभिन्न धाराएं अलग-अलग तारिखों में जनवरी और अप्रैल, 1977 के बीच लागू हुई।

43. **संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977:** इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 32क, 131क, 144क,223क, 228क और अनुच्छेद 368 के खंड 4क तथा 26क का लोप कर दिया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों संबंधी विधि बनाने की संसद की विशेष शक्ति जो अनुच्छेद 31ध के द्वारा गई थी, उसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 31ध का भी लोप कर दिया गया।

यह संशोधन लोक सभा में 20 दिसम्बर, 1977 को तथा राज्य सभा में 23 दिसम्बर, 1977 को पास हुआ। 13 अप्रैल, 1978 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली उसी दिन यह लागू हो गया।

44. **संविधान(चौवालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1978:** इस अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से "संपत्ति का अधिकार" निकाल दिया गया, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करने के लिए आपात संबंधी उपबंधों का दुरुपयोग रोकने के लिए, जन-संचार साधनों के संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों को स्वतंत्रतापूर्वक और बिना सेंसर के रिपोर्ट करने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, न्यायिक निर्णयों के विलंब को कम करने के लिए, आंतरिक आपातकाल की अवधि के दौरान किए गए संशोधन से संविधान में उत्पन्न विकारों को दूर कर उसे ठीक करने के लिए संविधान का संशोधन किया गया।

संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) और 31 के अंतर्गत मूल अधिकार न होकर नए अनुच्छेद 300क के द्वारा विधि का अधिकार बना दिया गया।

अनुच्छेद 22 में संशोधन कर निवारक निरोध को अधिक मर्यादित कर दिया गया। अनुच्छेद 71 के स्थान पर नया अनुच्छेद बनाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शंकाओं और विवादों की जांच करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के अधिकार को बहाल कर दिया गया।

अनुच्छेद 74 में उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से अपनी मंत्रणा पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगा और ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई मंत्रणा को मानेगा।

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं की कार्यावधि फिर से 5 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की पुरानी शक्तियां बहाल कर दी गई। अपने-अपने राज्य क्षेत्र में, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति भी बहाल कर दी गई।

प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचन पर आपत्ति संबंधी विशेष उपबंधों से संबद्ध अनुच्छेद 329 का लोप कर दिया गया।

आपात की उद्घोषणा संबंधी अनुच्छेद 352 का अनेक प्रकार से संशोधन किया गया। कहा गया कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय नहीं मिल जाए। आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना जरूरी कर दिया गया। (आपात की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए हर छह महीने के बाद दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित आवश्यक कर दिया गया।

संशोधित अनुच्छेद 356 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा अनुमोदित होने पर 6 महीने तक चल सकेगी और इसके बाद इसी प्रकार अनुमोदन किए जाने पर 6 महीने और चल सकेगी: किन्तु उसके बाद संसद के किसी सदन द्वारा कोई संकल्प तब तब पारित नहीं किया जा सकेगा जब तक उस समय आपात की घोषणा प्रवर्तन में न हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि निर्वाचन करना कठिन होगा।

संशोधित अनुच्छेद में उपबंध किया गया कि उसके द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल ऐसे आपात की उद्घोषणा की दशा में निलंबित होंगे, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जरूरी की गई हो। अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकेगा।

नए अनुच्छेद 361क के द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की सारत: सही रिपोर्ट के प्रकाशन को सांविधानिक संरक्षण देने का उपबंध किया गया तथा नवीं अनुसूची से कई अधिनियमो को निकाल दिया गया।

इस संशोधन को लोक सभा ने 7 दिसम्बर, 1978 को पास किया और राज्य सभा ने 31 अगस्त, 1978 को। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 30 अप्रैल, 1979 को और इसकी धाराएं 20 जून, 1 अगस्त और 6 सितम्बर, 1979 से लागू हुई।

45. **संविधान(पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980:** इस अधिनियम के द्वारा लोक सभा में तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय समाज के नामनिदेशन द्वारा प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को और आगे दस वर्ष तक जारी रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया।

24 जनवरी और 25 जनवरी, 1980 को क्रमशः यह अधिनियम लोक सभा और राज्य सभाओं में पारित हुआ, 14 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 25 जनवरी, 1980 से इसे लागू माना गया।

46. **संविधान(छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982:** इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 269, 286 और 366 के उपबंधों में परिवर्तन कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि करों की चोरी कम हो जाए। संशोधित अनुच्छेद 269(3)के द्वारा संसद को विधि द्वारा ऐसे सिद्धांत निर्धारित करने के लिए समर्थ बनाया गया जो यह अवधारित करने के लिए हों कि अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का पारेषण कब होता है। नया अनुच्छेद 386(3) संसद को विधि द्वारा कर दी दरों आदि का निश्चय करने का शक्ति देता है।

अनुच्छेद 366 में एक नया खंड जोड़कर "माल के क्रय या विक्रय पर कर" की परिभाषा की गई है।

यह अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 14 जुलाई और 10 अगस्त, 1982 को पारित हुआ। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 2 फरवरी, 1983 को और उसी दिन यह संशोधन लागू हो गया।

47. **संविधान(सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984:** इस संशोधन के द्वारा 14 भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को संविधान की नयी अनुसूची में शामिल किया गया।

यह संशोधन 23 और 25 अगस्त, 1984 को लोक सभा और राज्य सभा में पारित हुआ, 26 अगस्त को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और उसी दिन संशोधन लागू हो गया।

48. **संविधान(अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984:** इस संशोधन के द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई कि पंजाब के मामले में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अनुच्छेद 356(5) के अंतर्गत बजाय एक वर्ष के दो वर्ष तक जारी रख सके।

संशोधन लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 23 और 25 अगस्त, 1984 को पारित हुआ तथा 26 अगस्त को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और लागू हुआ।

49. संविधान(उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984: यह संशाधन अधिनियम अनुच्छेद 244 में संशोधन कर, संविधान की छठी अनुसूची के

उपबंधों को त्रिपुरा राज्य के जनजाति क्षेत्रों पर लागू करने की व्यवस्था करता है। छठी अनुसूची में एक नया पैरा जोड़ कर संसद और त्रिपुरा राज्य की विधान सभा के अधिनियमों को स्वाशासी जिला और स्वशासी क्षेत्रों पर लागू करने का उपबंध किया गया है।

संशोधन लोक सभा और राज्य सभा में 23 और 25 अगस्त, 1984 को पारित हुआ। 11 सितम्बर, 1984 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 1 अप्रैल, 1985 से यह प्रभावी हुआ।

50. संविधान(पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984: नए अनुच्छेद 33 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को विधि द्वारा यह तय करने का अधिकार होगा कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों आदि के संबंध में किस हद तक निबंधित या निराकृत किया जाए, ताकि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन हो और उसमें अनुशासन बना रहे।

यह अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 23 और 25 अगस्त, 1984 को पास हुआ, राष्ट्रपति की अनुमति मिली 11 सितम्बर, 1984 को और उसी दिन से यह प्रभावी हो गया।

51. संविधान(इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984: इसके द्वारा मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की अनुसूचित जातियों के लिए लोक सभा में स्थानों का आरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 330 को संशोधित किया गया। नगालैंड तथा मेघालय की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 332 में भी संशोधन किया गया।

लोक सभा और राज्य सभा में 23 और 25 अगस्त, 1984 को पारित होने के बाद इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 29 अप्रैल, 1985 को मिली और यह 16 जून, 1986 से लागू हुआ।

52. संविधान(बाबनवां संशोधन) अधिनियम, 1985: संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे दलबदल निरोधक कानून भी कहा जाता है, उसके द्वारा अनुच्छेद 101, 190 और 191 में संशोधन किया गया तथा एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। व्यवस्था की गई कि यदि कोई विधायक स्वेच्छा से अपने दल का परित्याग करता है या अपने दल के आदेशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से विरक्त रहता है तो वह सदस्यता से निरर्हित जो जाएगा, अर्थात सदस्यता खो देगा। किन्तु, ऐसी व्यवस्था ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी

जब किसी राजनीतिक दल का विभाजन हो जाए अथवा दूसरे दल मे विलय हो जाए। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में पहली बार राजनीतिक दलों का उल्लेख किया गया और इस प्रकार उन्हें कुछ सांविधानिक मान्यता मिली।

लोक सभा और राज्य सभा में यह अधिनियम 30 और 31 जनवरी, 1985 को पारित हुआ। 15 फरवरी, 1985 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 1 मार्च, 1985 से यह लागू हो गया।

53. संविधान(तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1985: इसके द्वारा नया अनुच्छेद 371छ जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि मिजोरम राज्य में मिजा लोगो की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, विधि और प्रक्रिया, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन तथा भूमि का स्वामित्व और अंतरण, के संबंध में संसद का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं माना जाएगा जब तक कि राज्य की विधान सभा संकल्प के द्वारा ऐसा विनिश्चित नहीं करती।

मिजोरम की विधान सभा में सदस्यों की संख्या कम से कम चालीस निश्चित की गई। 5 और 7 अगस्त, 1986 को यह लोक सभा और राज्य सभा में पारित हुआ तथा 14 अगस्त, 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति पाकर 20 फरवरी, 1987 को लागू हुआ।

54. संविधान(चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986: इस अधिनियम के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 10,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों का 9,000 रुपये तथा दूसरे न्यायाधीशों को 6,000 रुपये मासिक वेतन देना तय किया गया। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 1986 से लागू माने गए।

58. संविधान(पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986: नए अनुच्छेद 371ज के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में राज्यपाल को विधि और व्यवस्था के मामले में विशेष दायित्व सौंपा गया, किन्तु यह भी उपबंध किया गया कि राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर अथवा यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्यपाल के इस विशेष दायित्व की आवश्यकता नहीं रही तो उसे समाप्त किया जा सकेगा। इसी अधिनियम में अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा की सदस्य संख्या कम से कम तीस तय की गई।

8 और 9 दिसम्बर, 1986 को लोक सभा और राज्य सभा ने इसे पारित किया, 23 दिसम्बर, को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 20 फरवरी, 1987 को यह प्रभावी हुआ।

56. संविधान(छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987: नए अनुच्छेद 371झ के द्वारा गोवा के लिए यह विशेष उपबंध किया गया कि उसकी विधान सभा में कम से कम तीस सदस्य होंगे।

यह अधिनियम 11 और 12 मई, 1987 को लोक सभा और राज्य सभा में पास हुआ, 23 मई को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तथा 30 मई, 1987 को यह लागू हो गया।

57. संविधान(सत्तावनवा संशोधन) अधिनियम, 1987: अनुच्छेद 332 में संशोधन कर यह उपबंध किया गया कि जब तब सन् 2000 के पश्चात पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड की राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या फिर से समायोजित नहीं की जाती तब तक उनमें यदि सब सदस्य अनुसूचित जनजातियों के ही हैं तो एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे और किसी भी अन्य दशा मे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विधान सभा में है।

अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा में 28 और 31 अगस्त, 1987 को पारित हुआ, 15 सितम्बर को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 21 सितम्बर से यह लागू हुआ।

58. संविधान (अठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987: एक नया अनुच्छेद 394क जोड़कर संविधान का संशोधन सहित हिंदी में एक प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया ।

59. संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988: क्योकि अनुच्छेद 356 (5) के अधीन किसी राज्य में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को एक वर्ष से आगे बढ़ाना उसमें दी शर्तो के बिना संभव नहीं था और पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाना जरूरी समझा जा रहा था, अत: अनुच्छेद 356 में आवश्यक संशोधन किया गया, जिसमे कहा गया कि खंड (5) पंजाब पर लागू नहीं होगा।

नए अनुच्छेद 359 के द्वारा उपबंध किया कि अनुच्छेद 352, 358, और 359 भी पंजाब के मामले में कुछ संशोधनों के साथ लागू होंगे। इन संशोधनों के अनुसार भारत की अखंडता को आंतरिक अशांति के खतरे की

दशा में भी आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकेगी और अनुच्छेद 19 के उपबंधों को भी निलंबित किया जा सकेगा। संशोधित को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकेगा। यह अधिनियम राज्य सभा और लोक सभा में क्रमशः 15 और 22 मार्च, 1988 को पारित हुआ, 30 मार्च को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और लागू हुआ।

60 संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988: वृत्तिकर या पेशाकर की सीमा को दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष करने के लिए अनुच्छेद 276 (2) में संशोधन किया गया और उसके परंतुक का लोप कर दिया गया।

अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 30 नवंबर और 6 दिसंबर, 1988 को पारित हुआ: 20 दिसंबर को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और प्रभावी हो गया।

61. संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988: मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया । लोक सभा और राज्य सभा ने क्रमशः और 20 दिसंबर, 1988 को इस अधिनियम को पारित किया, राष्ट्रपति की अनुमति मिली 28 मार्च, 1989 को और उसी दिन यह लागू हो गया।

62. संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989: इस संशोधन के द्वारा लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीयों के नाम निर्देशन को दस और वर्षो के लिए बढ़ाया गया और अनुच्छेद 334 में इस आशय का उपबंध किया गया। राज्य सभा और लोक सभा में क्रमशः 21 और 26 दिसंबर, 1989 को यह अधिनियम पारित हुआ। 25 जनवरी 1990 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली पर यह लागू माना गया 20 दिसंबर, 1989 से।

63. संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989: इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359क का लोप कर दिया गया तथा अनुच्छेद 256(5) के उस परंतुक का भी लोप कर दिया गया, जिसके अधीन पंजाब के मामले में राष्ट्रपति उद्घोषणा को अलग रखने की व्यवस्था की गई थी।

29 और 30 दिसंबर, 2989 को लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः इस अधिनियम को पारित किया गया, राष्ट्रपति की अनुमति 6 जनवरी, 1990 को मिली और उसी दिन यह लागू हुआ।

64. संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990: अनुच्छेद 356 (4) में नया तरंतुक जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि 11 मई, 1987 को की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा पंजाब में 6 माह के लिए और बढ़ा दी जाए और कुल 3 साल और 6 महीने तक लागू रहे। अनुच्छेद 356 में संशोधन करके यह भी उपबंध किया गया कि इसका खंड (5) पंजाब के मामले में उद्घोषणा पर लागू न हो ।

अधिनियम 5 और 10 अप्रैल, 1990 को लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः पारित हुआ और 16 अप्रैल को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और लागू हुआ।

65. संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990: अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रपति आयोग स्थापित करने का उपबंध किया गया। आयोग में सात सदस्यों के अतिरिक्त एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई।

आयोग अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के रक्षेपायों के लिए अन्वेषण, शिकायतों की परीक्षा, आवश्यक उपायों के बारे में सिफाारिश आदि करने में सक्षम होगा तथा उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।

यह अधिनियम 30 और 31 मई, को क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा में पारित हुआ, 7 जून, 1990 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह प्रभावी हुआ 12 मार्च, 1992 को।

66. संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990: भूमि सुधारों से संबंधित 54 अतिरिक्त राज्य अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, ताकि उन पर इस आधार पर अपील न की जा सके कि वे मूल अधिकारों के किन्हीं अनुबंधों के अनुरूप नहीं हैं।

अधिनियम लोक सभा में 30 मई, 1990 को और राज्य सभा में 1 जून, 1990 को पास हुआ 17 जून, 1990 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह लागू हो गया।

67. संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990: पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 की उद्घोषणा को 6 माह तक और अर्थात कुल चार साल तक जारी रखने के लिए 356(4) के परंतुक मे संशोधन किया गया।

अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में 4 अक्टूबर, 1990 को ही पारित कर दिया गया। उसी दिन राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी और उसी दिन यह लागू हो गया।

68. संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991: अनुच्छेद 356(4) के परंतुक में ऐसा उपबंध किया गया कि पंजाब के सिलसिले में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को की गई उद्घोषणा एक वर्ष और बढ़ाई जा सके और उसकी कुल अवधि पांच वर्ष तक हो सके।

लोक सभा में 11 मार्च, 1991 को और राज्य सभा में 12 मार्च, 1991 को यह अधिनियम पारित हुआ। 12 मार्च को ही राष्ट्रपति की अनुमति मिली और उसी दिन प्रभावी हो गया।

69.संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991: इस संशोधन के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्यक्षेत्र की श्रेणी में ही कायम रखते हुए इसके लिए एक विधान सभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रि-परिषद् की स्थापना के लिए उपबंध किए गए और इस संघ राज्यक्षेत्र को विशेष हैसियत प्रदान की गई। संविधान में दो नए अनुछेद 239 कक और कख जोड़े गए। अनुच्छेद 239 कक में प्रावधान है कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र कहा जाए और उसके प्रशासक को उपराज्यपाल। विधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से बने तथा उसकी सदस्य संख्या आदि का निर्णय संसद विधि द्वारा करे।

अनुच्छेद 324, 327 और 329 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसकी विधान सभा और सदस्यों पर वैसे ही लागू किया गया जैसे किसी राज्य पर, उसकी विधान सभा पर और उसके सदस्यों पर वह लागू है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।

यह अधिनियम लोकसभा और राज्य सभा दोनों में 20 दिसंबर, 1991 को पारित हुआ और 21 दिसंबर, 1991 को इसे राज़्ट्रपति की अनुमति मिली। 1 फरवरी, 1992 को यह लागू हुआ।

70. संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992: इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 54 और 55 में ऐसा उपबंध किया गया जिसके अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया।

यह अधिनियम 29 अप्रैल, 1992 को लोक सभा में तथा 7 मई, 1992 को राज्य सभा में पारित हुआ और 12 अगस्त को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। 21 दिसंबर, 1992 को यह लागू हो गया।

71. संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992: संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन और भाषाओं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल करने के लिए यह संशोधन किया गया।

20 अगस्त को संसद के दोनों सदनों में यह पारित हुआ। 31 अगस्त, 1992 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह लागू हो गया।

72. संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992: अनुच्छेद 332 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि सन् 2000 ई. के बाद की गई प्रथम जनगणना के आधार पर, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में जो स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा, जो विद्यमान विधान सभा में थे।

यह अधिनियम 3 दिसंबर, 1992 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों में पारित हो गया। अगले दिन राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और 5 दिसंबर, 1992 को यह प्रभावी हो गया।

73. संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993: इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निश्चितता, निरंतरता और शक्ति प्रदान करने के लिए उनकी कतिपय आधारभूत और अनिवार्य विशेषताओं को संविधान में ही शामिल करने का प्रयास किया गया है। ग्राम, मध्यवर्ती स्तर, और जिला स्तर पर पंचातयों की व्यवस्था की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राम या ग्राम-समूह में ग्राम सभा, ग्राम स्तर और अन्य स्तर या स्तरों पर पंचायतों के गठन ग्राम स्तर और मध्यवर्ती स्तर, यदि कोई हो तो, पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए तथा ऐसे स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिलाओं के लिए आरक्षण तथा अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों की सदस्यता के लिए स्थानों और पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण, पंचायतों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और किसी पंचायत के अतिष्ठित होने की दशा में छह माह की अवधि के भीतर निर्वाचन कराने, सदस्यों की निरर्हताओं, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास

और सामाजिक न्याय के लिए और विकास संबंधी योजनाओं को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने की शक्ति, राज्य विधानमंडलों से पंचायतों को संचित निधि में से सहायता अनुदान के लिए प्राधिकरण सुनिश्चित करके और अभिहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के राजस्व का पंचायतों को समनुशन करके या विनियोग द्वारा, पंचायतों के वित्त पोषण, संशोधनों के एक वर्ष और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के भीतर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के लेखें की जांच करने, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निरीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में उपलब्ध करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति, पंचायत राज संबंधी सांविधानिक उपबंधों के राज्यक्षेत्रों पर लागू होने, कतिपय राज्यों और क्षेत्रों को इन उपबंधों से बरी रखने, और पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को अलग रखने के लिए आवश्यक उपबंध करने के लिए संविधान में एक नया भाग-9- और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 243ण तक नए प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 280 में एक नया उपखंड (खख) जोड़ा गया तथा संविधान में एक नई अनुसूची-ग्यारहवीं-जोड़ी गई। अनुसूची में न विषयों का विवरण दिया गया जिन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिए जा सकेंगे। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान कर सकेंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

यह अधिनियम लोक सभा में 22 और राज्य सभा में 23 दिसंबर, 1992 को पारित हुआ। 20 अप्रैल, 1993 करे इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 24 अप्रैल को यह लागू हुआ।

74. संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992: जैसे उपबंध पंचायती राज्य संस्थानों के लिए तिहत्तरवें संशोधन के द्वारा किए गए वैसे ही स्थानीय नगर निकायों को स्वायत्त शासन की लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य करने की व्यवस्था करने के लिए चौहत्तरवें संशोधन द्वारा किए गए।

नगरपालिका से संबंधित नया गया 9क संविधान में जोड़ा गया। किसी क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृषि से इतर कार्यकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, क्षेत्र के आर्थिक महत्व आदि आधारों पर नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् अथवा नगर निगम स्थापित किए जाने

का उपबंध किया गया। ग्राम और नगर के बीच के संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पंचायत, छोटे नगरों में नगरपालिका परिषद् और बड़े नगरों में नगर निगम होंगें।

नगरपालिका में सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे और इन कुल स्थानों में से एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए होंगे। इसके साथ कुल सीटों, में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और क्रम से आबंटित की जाएंगी। राज्य का विधानमंडल पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण का उपबंध कर सकेगा।

प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। किसी नगरपालिका का भंग करने से पहले उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और यदि भंग किया जाए तो 6 महीने के भीतर ताजा चुनाव कराने होंगे।

राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसे अधिकार और उत्तरदायित्व सौंप सकेगा जिससे वे स्वशासित संस्था के रूप में काम कर सकें, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकें, उन्हें सौपे गए कार्य कर सकें तथा उन्हें सौंपी गई योजनाओं का कार्यान्वित कर सकें। संविधान में एक नई अनुसूची-बारहवीं अनुसूची-में उन विषयों का विवरण दिया गया जिसने संबंधित योजनाओं के बारे में नगरपालिका को विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जा सकेंगे।

राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को कुछ कर, शुल्क आदि लगने और वसूल करने का अधिकार दे सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा वसूल किए गए करों आदि से अनुदान दे सकेगा। नगरपालिकाओं को वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा के लिए आवश्यक सिफारिश भी कर सकेगा।

नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचनों का निरीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन अधिकारी के हाथों में होगा।

चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम लोक सभा में 22 दिसंबर, 1992 को पारित हुआ और राज्य सभा में 23 दिसंबर, 1992 को। इसे राष्ट्रपति की अनुमति 20 अप्रैल, 1993 को मिली और यह 1 जून, 1993 को प्रभावी हुआ।

75. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994: इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323ख में एक नया उपखंड जोड़कर व्यवस्था की गई है कि राज्य और राज्यक्षेत्रों के विधानमंडल मकान मालिकों और

किराएदारों के अधिकार, हक और हित सहित किराया, इसके विनयमन और नियंत्रण तथा किराएदारी संबंधी विवादों के बारें में किसी विवाद, शिकायत अथवा अभियोग के अधिनिर्णयन अथवा विचारण के लिए किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण गठित करने के लिए विधान बना सकेंगे।

यह अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 25 और 26 अगस्त, 1993 को पास हुआ। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 5 फरवरी, 1994 को और लागू हुआ 15 मई, 1994 को।

76. संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994: इस संशोधन के द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रविष्टि 257 क को जोड़ा गया, ताकि तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां (शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 इस आधार पर कि वह मौलिक अधिकारों के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, अमान्य न माना जाए।

यह अधिनियम राज्य सभा में 24 और लोक सभा में 25 अगस्त, 1994 को पारित हुआ। 31 अगस्त, 1994 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह लागू हुआ।

77. संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995: संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया उपखंड (4क) जोड़कर एक उपबंध किया गया जिसके अनुसार राज्य के अधीन संवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जा सकेगा।

78. संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995: इस संशोधन के द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में 27 अतिरिक्त अधिनियम जोड़ दिए गए, ताकि उन्हें मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने के आधार पर अमान्य न किया जा सके। नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए ऐसे अधिनियमों की संख्या अब 284 तक पहुंच गई।

79. संविधान (उन्नासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999: अनुच्छेद 334 में संशोधन करके इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की अवधि सन् 2010 तक बढ़ा दी गई।

यह संशोधन लोक सभा में 27 अक्टूबर, 1999 को और राज्य सभा में 28 अक्टूबर, 1999 को पारित हुआ। आधे से अधिक राज्यों की सहमति मिलने के बाद 21 जनवरी, 2000 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह 25 जनवरी, 2002 से लागू हो गया।

80. संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000: दसवें वित्त आयोग की सिफारिष्ठों के आधार पर, अनुच्छेद 269, 270 और 272 में संशोधन करके यह अधिनियम संघ सरकार द्वारा उद्गृहीत और संशोधित शुल्कों और करों से प्राप्त राजस्व के संघ और राज्यों के बीच बंटवारे के संशोधित आधार तय करता है। नई योजना 1 अप्रैल, 1996 से लागू हुई मानी जाएगी।

81. संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000: इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि यदि आरक्षित स्थानों में किसी वर्ष कुछ स्थान बगैर भरे जाते हैं तो ऐसी रिक्तियों को सरकार एक अलग श्रेणी में रखकर अगले वर्षो में भर सकती है और ऐसा करते समय इन्हें 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा में नही गिना जाएगा।

82. संविधान (बेरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000: अनुच्छेद 335 में एक परंतुक जोड़कर यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संघ और राज्यों की सेवाओं मे आरक्षित स्थानों में किन्हीं रिक्तिताओं को पदोन्नति द्वारा भरते समय मूल्यांकन के मानक और न्यूनतम अंकों में कमी की जा सकती है। राज्य सभा में 17 अगस्त और लोक सभा में 22 अगस्त, 2000 को यह अधिनियम पारित हुआ, 8 सितम्बर, को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और उसी दिन यह लागू हो गया।

83. संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000: इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243ड· में एक नया खंड जोड़कर ऐसा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 243घ के अंतर्गत होने वाले आरक्षण अरुणाचल प्रदेश पर लागू न हो क्योंकि वहां कोई अनुसूचित जाति है ही नहीं।

यह संशोधन राज्य सभा में 17 अगस्त, 2000 को पारित हुआ और लोक सभा में 22 अगस्त को। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 8 सितम्बर, 2000 को और उसी दिन वह लागू हो गया।

84. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001: संविधान के अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330, और 332 में विभिन्न निर्वाचनों और निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के संबंध में प्रावधान था कि "जनसंख्या" सन्

2000 ई. तक 1971 की जनगणना के आधार पर मानी जाएगी। इस संशोधन ने सभी जगह "सन् 2000" के स्थान पर "सन् 2006" रख दिया है।

संशोधन लोक सभा में, 21 अगस्त, 2001 को तथा राज्य सभा में 23 अगस्त, 2001 को पारित हुआ, राष्ट्रपति की अनुमति 21 फरवरी, 2002 को मिली। इस बीच आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति मिल गयी थी।

85. संविधान (पिचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001: इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रोन्नत पदाधिकारियों को परिमाणिक वरिष्ठता भी मिले। लोक सभा में यह संशोधन 28 नवम्बर, 2001 को पारित हुआ तथा राज्य सभा में 5 दिसम्बर, 2001 को। राष्ट्रपति की अनुमति आई 4 जनवरी, 2002 को किन्तु इसे 17 जून, 1995 से लागू हुआ माना गया।

86. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003: इस अधिनियम के द्वारा सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 12 दिसम्बर, 2002 को मिली और इसे केन्द्र सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

87. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003: इस अधिनियम के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21क संविधान में जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 12 दिसम्बर, 2002 को मिली और इसे केन्द्र सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

88. संविधान (बैरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003: इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 268क और सातवीं अनुसूची की संघ सूची में एक नई प्रविष्ठि 92ग जोड़कर सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जनवरी, 2004 को मिली।

89. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003: इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा एक नया अनुच्छेद 338क जोड़कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दो अलग-अलग आयोगों की व्यवस्था की गई।

दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद 28 सितंबर, 2003 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

90. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003: इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 332(6) में एक परंतुक जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि असम की विधानसभा के निर्वाचन के लिए बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्र जनपद से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वहीं प्रतिनिधित्व बना रहेगा जो बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्र जनपद बनने के पहले था।

अधिनियम लोक सभा में 8 अगस्त, 2003 को और राज्य सभा में 19 अगस्त, 2003 को पारित हुआ और इसे 28 सितंबर, 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई।

91. संविधान (इक्यानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2003: इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 361बी तथा दसवीं अनुसूची में संशोधन किए गए। मंत्रियों की संख्या पर रोक लगाई गई ताकि वह लोक सभा अथवा राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

यह संशोधन लोक सभा में 16 दिसम्बर, 2003 को तथा राज्य सभा में 18 दिसंबर, 2003 को पारित हुआ तथा 1 जनवरी, 2004 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

92. संविधान (बानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2003: इस संशोधन के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 18 भारतीय भाषाओं की सूची में बोडो, डोगरी, संन्थाली और मैथिली को और जोड़ दिया गया।

अधिनियम लोक सभा और राज्य सभा में 22 दिसंबर, 2003 को पारित हो गया तथा 7 जनवरी, 2004 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

93. संविधान (तिरानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2005: इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गो के लिए शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध किए जा सकें। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 जनवरी, 2006 को मिली।

94. संविधान (चौरानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2006: इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन करके " बिहार के स्थान पर "छत्तीसगढ़, झारखंड" रखा, क्योंकि झारखंड के अलग राज्य बन जाने पर

बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र रह ही नहीं गए थे। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 12 जून, 2006 को मिली।

95. संविधान (पंचानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2010: इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण (आरक्षित स्थानों को) लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में 60 वर्ष से 70 वर्ष किये गये। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 जनवरी, 2010 को मिली।

96. संविधान (छियानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2011: इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 8 में संशोधित करके "ओड़ीया" के जगह "ओडिया" किया गया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 सितम्बर, 2011 को मिली।

97. संविधान (सनतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2012: इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 19 और जोड़ा गया भाग 9बी में संशोधन करके "या यूनियन के बाद" या सहकारी समितियाँ शब्द अधिनियम 19(1)(सी) में जोड़े गये और अधिनियम 43(बी) की प्रविष्टि अर्थात सहकारी समितियों की प्रगति और जोड़े गये भाग 9(बी) अर्थात सहकारी समितियां की भी प्रविष्टि की गयी। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 12 जनवरी, 2012 को मिली। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति में सहायता मिलेगी।

98. संविधान (अनठानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2013: इस संशोधन में संविधान में अधिनियम 371(जे) को प्रविष्ट करके कर्णाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्णाटक क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने की शक्ति प्रदान कर दी है। इसकों 2 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

99. संविधान (निन्यानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2015: इस संशोधन द्वारा अधिनियम 127, 128, 217, 222, 224(ए), 231 को सुधार कर नये अधिनियम 124(ए), 124(बी) और 124(सी) की प्रविष्टि की गयी है। इस संशोधन से "नेशनल ज्यूडिशियल एपोयेंटमेंट कमीशन" की स्थापना का प्रावधान है। गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना समेत 29 राज्यों में 16 राज्य विधान सभाओं ने केन्द्र के अधिनियम (लेजिस्लेचन) को संपुष्ट कर दिया है, जिससे भारत के राष्ट्रपति को इस विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति मिली। 16 अक्टूबर, 2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे

निरस्त कर दिया। यद्पि 13 अप्रैल, 2015 को ही इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

100. संविधान (एकसौवां संशोधन) अधिनियम, 2015: बांग्लादेश के साथ विदेशी अंत:क्षेत्रों के विनिमय और भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि-सीमा संबंधी हुई संधि के फलस्वरूप इन अंत: क्षेत्रों की निवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने का प्रावधान होता है। यह संशोधन संविधान की प्रथम अनुसूचि से संबंधित है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 1 अगस्त, 2015 को मिली।

101. संविधान (एकसौएकवां संशोधन) अधिनियम, 2016: अधिनियम 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271,286,366,368 का संशोधन करके अधिनियम 268(ए) को विलोपित करते हुए यह संशोधन पारित हुआ जो 'गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स बिल' के नाम से विहित है।

6ठीं और 7वीं अनुसूची से प्रसंगित इस अधिनियम को 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

000